October to December 2022
E-Journal
Volume I, Issue XL

RNI No. – MPHIN/2013/60638
ISSN 2320-8767, E-ISSN 2394-3793
Impact Factor - 6.780

Naveen Shodh Sansar

(An International Refereed/ Peer Review Research Journal)

नवीन शोध संसार

Editor - Ashish Narayan Sharma

Office Add. “Shree Shyam Bhawan”, 795, Vikas Nagar Extension 14/2, **NEEMUCH** (M.P.) 458441, (INDIA)
Mob. 09617239102, **Email** : nssresearchjournal@gmail.com, **Website** www.nssresearchjournal.com

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XL

Index/अनुक्रमणिका

01. Index/ अनुक्रमणिका 02
02. Regional Editor Board / Editorial Advisory Board 08/09
03. Referee Board 10
04. Spokesperson 12
05. Importance and Dimensions of Language Teaching in Ancient Indian Education (Dr. Ashish Kumar Chachondia) 14
06. Super Food for Your Life Style (Dr. Aradhana Shrivas) 17
07. Marketing of Health Insurance Policies in India - Challenges and Prospect (Dr. Preeti Anand Udaipure) 20
08. Monitoring and Assessment of Pesticide Use Contamination and Impact on Environment and the People Health in Sri Ganganagar, Rajasthan (Manisha Bishnoi, Dr. Harish Kumar) 25
09. A Comparative Study of Solid Waste Management in Urban and Rural areas of Kota (Rajasthan) (Dr. Sapna Bhargava (Vyas), Pavan Patidar, Pragya Malav) 29
10. Relevance of Shakespeare's Macbeth in Present Society (Dr. Manjari Agnihotri) 34
11. Role of FMCG Products in Retailing Business (Dr. Rupesh Pallav) 37
12. Virtual Lab – A Future Changing Technology for Experimental Science (Dr. Avinash Dube, Dr. Kumud Dubey) 41
13. Medecinal Plant Pippali (Dr. Sushama Singh Majhi) 43
14. Impact of Covid-19 on the Sectors of Indian Economy (Dr. Vibha Nigam) 45
15. Study of Phytoplankton Diversity in the River Narmada at Madhya Pradesh (Dr. D.S. Waskel, Dr. K.S. Alawa) 50
16. A Study on Bayesian Network Analysis of the Danger of Explosions in Chemical Plants (Dr. S.K.Udaipure) 54
17. गिरिराज किशोर का उपन्यास 'परिशिष्ट' और 'दलित-चेतना' (डॉ. रविन्द्र गासो) 60
18. भगवद्गीता गीता के संदर्भ में विभिन्न विचारधाराएं (डॉ. संध्या दावरे) 64
19. वेदो में 'योग की प्राचीनता एवं उपादेयता' (डॉ. सविता वशिष्ठ) 66
20. चिन्तन योग्यता प्रशिक्षण कार्यक्रम का विद्यार्थियों की समस्या-समाधान योग्यता पर प्रभाव का अध्ययन (डॉ. रेखा चौर्डिया) 69
21. आज की ज्वलन्त समस्या- डिप्रेशन या तनाव (डॉ. अर्चना बापना) 71
22. भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (डॉ. सविता गुप्ता) 74
23. हिन्दी साहित्य में मनोविश्लेषणवादी परम्परा (डॉ. रोशनलाल अहिरवार) 77
24. सतत विकास लक्ष्य 'शून्य भूखमरी' : एक चुनौती (रजनी गगवानी) 79
25. कृषकों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास में किसान क्रेडिट कार्ड की भूमिका का अध्ययन (माधुरी यादव, डॉ. एल.एन. शर्मा) 83
26. मेहरुन्निसा परवेज के कथा साहित्य में दलित चेतना (भूपेन्द्रीय देवी जायसवाल, डॉ. एस.आर. बंजारे) 88
27. ग्रामीण विकास में विपणन की उभरती प्रवृत्तियाँ (डॉ. संगीता कुँभारे) 90
28. चिन्नास्वामी सुब्रमण्यम भारती और भारतीय भाषा उत्सव (डॉ. बिन्दू परस्ते) 94
29. समकालीन साहित्य में हिन्दी पत्रकारिता का स्वरूप (डॉ. चन्द्रकला चौहान) 96

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XL

30. मेहरून्निसा परवेज के कथा साहित्य में शोषित नारी की दुर्दशा एवं चेतना 99
(भूपेन्द्रीय देवी जायसवाल, डॉ. एस.आर. बंजारे)

31. भारतीय संसद में विपक्ष की भूमिका : एक तुलनात्मक अध्ययन 2009 से वर्तमान तक 101
(डॉ. वीरेन्द्र चावरे, जितेन्द्र दायमा)

32. आचार्य रूद्रट कृत काव्य प्रयोजन तथा टीकाकार नमिसाधु - एक अध्ययन (डॉ. रागिनी श्रीवास्तव) 106

33. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और महिला सशक्तिकरण (डॉ.अशोक कोचले, डॉ. एम.एल. चौधरी) 111

34. कन्नौज जनपद के नगरों का कार्यात्मक वर्गीकरण (विकल कुमार) 113

35. परसाई जी के व्यंग्य उपन्यास 'रानी नागफनी की कहानी' के कथानक का विवेचनात्मक एवं विश्लेषणात्मक 116
अध्ययन (डॉ. सुनीता यादव)

36. बैंक ऑफ बडौदा के वित्तीय प्रबंधन का अध्ययन (आरती वर्मा, डॉ. पी. के. सन्से) 118

37. धार जिले में संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का अध्ययन (डॉ. राजेश मुजाल्दा) 120

38. जनजातीय विकास का विश्लेषणात्मक अध्ययन इतिहास व वर्तमान परिदृष्य में 124
(डॉ. सखाराम मुजाल्दे, चेतना सिद्धड़)

39. नैतिक मूल्यों का ह्रास - एक अवलोकन (डॉ. ज्योति सिंह) 128

40. राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के प्रमुख आयाम (डॉ. जी. एल. मालवीय, डॉ. खुमेश सिंह ठाकुर) 130

41. कुपोषण के कारण, प्रभाव और निदान (रतलाम जिले की भील महिलाओं के संदर्भ में) 133
(डॉ. मालसिंह चौहान, डॉ. विजयसिंह मण्डलोई)

42. इंदौर: महानगर के रूप में सामाजिक एवं शिक्षा विकास का भौगोलिक केंद्र (अंकित दीक्षित, डॉ. आमिर एजाज) 136

43. भारतीय जीवन बीमा निगम के व्यवसाय संवर्धन में विक्रय नियोजन, विज्ञापन तथा प्रचार की भूमिका का 140
अध्ययन (नितेश ग्रेवाल)

44. बनास नदी बेसिन (राजस्थान) का भौगोलिक परिवेश नगरीकरण के विशेष संदर्भ में (डॉ. काश्मीर कुमार भट्ट) .. 143

45. मध्यप्रदेश सरकार के राजस्व का विश्लेषणात्मक अध्ययन (डॉ. लक्ष्मी नारायण शर्मा, तरुण गिरी) 149

46. आजादी के 75 साल और भारतीय शिक्षा प्रणाली: एक अध्ययन (डॉ. आभा सैनी) 155

47. Harmful Effects of Preservatives (Dr. Rajesh Masatkar) 157

48. The Raj and The Praja: Saga of Distances and Influences (Dr. Amita Sonker) 159

49. Phytochemical Screening of Active Phytocontents of Guizotia Abyssinica Plant Seeds 162
by Different Solvent (Dr. S.K. Udaipure)

50. Religious Movement: Bhakti Movement (Kartikeswar Patro, Dr. Amrita Singh) 165

51. Growing Trend of "Moonlighting" in India: True or False: Information of the 171
Indian Contract Act, 1872 (Mayank Tinker)

52. Smog Effect on Health (Dr. Malti Dubey (Rawat)) 175

53. मध्यप्रदेश में अनुसूचित जनजाति की विकास योजनाऐं :एक परिदृश्य (डॉ. जितेन्द्र सेन) 177

54. भारतीय जीवन बीमा निगम की विभिन्न बीमा योजनाएँ एवं जीवन बीमा प्रक्रिया का अध्ययन (नितेश ग्रेवाल) 180

55. नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में उद्यमशीलता हेतु प्रावधान - चुनौतियां और संभावनाएं 184
(डॉ. जया कैथवास)

56. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 का विश्लेषणात्मक अध्ययन (डॉ. मीना कीर) 187

57. कृषि क्षेत्र - भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख विकास स्तंभ (डॉ. मोहन सिंह गुर्जर) 189

58. राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ उपखंड के स्थानीय जन समुदाय पर खनन गतिविधियों के पर्यावरणीय 191
एवं सामाजिक आर्थिक प्रभाव (डॉ. शगुफ्ता सैफी, डॉ. प्रमोद कुमार श्रीमाली)

59. A Literary Review on Tourism & Tourism Industry in India with Special Emphasis on Punjab 197
(Nishi, Dr. Jaspreet Singh)
60. Healthcare Ecosystem, Human Rights and Sustainable Development (Himanshi Soni) 204
61. Nation and Nationalism: From Partition to Present Day (Poonam Matkar) 207
62. स्वतंत्रता संग्राम में बैतूल की भुमिका (डॉ. अश्विनी कुमार सातनकर) 212
63. भारतीय प्रशासन में कौटिल्य की प्रासंगिकता (डॉ. वन्दना शर्मा) 214
64. छायावाद और जयशंकर प्रसाद एक परिचय (डॉ. मंशाराम बघेल) 218
65. नदी संरक्षण की आवश्यकता एवं अवसंरचना (डॉ. पंकज कुमार जायसवाल) 221
66. सरबंसदानी गुरू गोविंद सिंह (डॉ. अनिल पाटीदार) 224
67. राजस्थान भील जनजाति : विस्थापन की एक समस्या एवं समाधान (डॉ. रणजीत कुमार मीणा) 228
68. A Critical Survey of Golding's Free Fall, The Spire and The Pyramid 230
(Pradeep Sharma, Dr. Purwa Kanoongo)
69. वैवाहिक विवाद और ADR के दायरे व लाभ (अर्चना काला, डॉ. इनामुर्रेहमान) 232
70. A Comparative Study of Government and Private Secondary School Students in Respect 234
to Their Intelligence, Creative Ability and Task Commitment (Dr. Ritu Bala, Meetu Sharma)
71. मध्य प्रदेश में असंगठित क्षेत्र के लिए संच1लित संबल योजना का अध्ययन 237
(रेणुका पाटीदार, डॉ. प्रवीण ओझा)
72. A Comparative Analysis of Equity and Debt Fund (Dr. Rekha Lakhotia, Pinki Pargai) 241
73. An Analytical Study of Profitability and Solvency of Madhya Pradesh Financial 243
Corporation (Sweety Ohlan, Dr. P.K. Sanse)
74. The Suffering of Existence in the Works of Kazuo Ishiguro 246
(Sandeep Kumar Pandey, Prof. Karunesh Jha)
75. पाणिनीय शिक्षा का अलङ्कार - लावण्य (डॉ. विनोद कुमार शर्मा) 252
76. भारतीय पुलिस प्रणाली में सुधार : एक अध्ययन (प्रभाकर सिंह) 256
77. मेवाड़ महाराणा प्रताप से सम्बंधित ऐतिहासिक स्थल (हुकुम जोशी) 260
78. मुरैना विकासखण्ड के मध्यान्ह भोजन योजना से लाभान्वित एवं अलाभान्वित विद्यार्थियों के कुपोषण स्तर 264
का तुलनात्मक अध्ययन (रश्मि पाण्डेय, डॉ. मंजू दुबे)
79. Women Entrepreneurship : A Major Key of Gender Equality (Dr. Praveen Ojha) 267
80. Plants Used as Tooth Brush by Banjara People of District Neemuch (M.P.) 270
(Dr. Hemkant Tugnawat)
81. The Plight of Disabled in India (A Legal Anthology) (Shiba Pande, Dr. R. P. Choudhary) 273
82. The Rise of Indian English Fiction (Dr. Mukesh Sathe) 278
83. मध्यप्रदेश में पर्यटन विकास कार्यक्रम एक अध्ययन (निरजा त्रिपाठी) 281
84. Efficacy of Plant Oils to Key Store Grain Pest, *Oryzaephilus surinamensis (L.)* 284
(Kamini Verma, Surabhi Shrivastava)
85. Socio-Economic Status of Haryana: A Comparative study of Udaka Village (Nuh district) 286
and Garhi Bazidpur Village (Gurugram district) of Haryana (Dr. Mukesh Kumar, Dr. Rajpal Bidhuri)
86. New Challenges & Scope Of Healthcare System In India: 2023 (Dr. B.K. Yadav) 290
87. Suicide Ideation and Its Relation With Negative Cognition, Personality and Affective 295
Dysregulation (Neha, Dr. Manish Kumar Baghla)
88. Intensify Beauty of Traditional Kota Doria Through Surface Ornamentation Technique 300
(Rakhi Soni, Dr. Isha Bhatt)
89. The Impact of Covid-19 on Ecommerce: A Critical Study (Shagufa Tawar) 304

90. Professor Vikas Sharma As A Modern Novelist of Psychological Fiction (Dr. Nempal Singh) 312
91. नीमच एवं मन्दसौर जिले के मध्य मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का तुलनात्मक अध्ययन 316
(रुचि कण्डारा, डॉ. एल.एन. शर्मा)
92. Sexual Harassment of Women in India: The Characteristics of a Pervasive Workplace 325
(Madhavi Patkar, Dr. Neelesh Sharma)
93. महामारी के रूप में उभरती मानव तस्करी (डॉ. श्यामसिंह राजपुरोहित) 328
94. Sustainable Developments and its Challenges (Dr. Krishna Rai Chouhan) 332
95. मन्नू भंडारी की कहानियों में पारिवारिक मूल्य (सबीना खान, डॉ. वंदना अग्निहोत्री) 334
96. Physico Chemical Analysis of Narmada River Near the Narmadapuram City................................ 337
(S.K. Diwakar, J.K. Wahane, O.N. Choubey)
97. महाविद्यालय स्तर के विद्यार्थियों में अभिप्रेरणा,व्यक्तिगत मूल्यो एवं मानसिक स्वास्थ्य का तुलनात्मक 339
अध्ययन (रमेश चन्द्र भट्ट, डॉ.प्रीति ग्रोवर)
98. शाङ्खायन ब्राह्मण में ब्रह्म तत्व का स्वरूप (डॉ. नरेन्द्र कुमार, डॉ. सुमित कुमार) 342
99. उच्च माध्यमिक विद्यालयों के राजकीय तथा निजी विद्यालयों के प्रधानाचार्यो की कार्यशैली का तुलनात्मक 346
अध्ययन (प्रियंका गुप्ता, डॉ. गुलाबघर द्विवेदी)
100. हिन्दी साहित्य लेखन में स्त्री विमर्श की दशा एवं दिशा (कमलेश देव) 350
101. भगवानदास मोरवाल के साहित्य में मेवाती समाज : साझा संस्कृति के विविध आयाम (सुनील कुमार)..... 352
102. गांधी दर्शन में अहिंसा की अवधारणा (मलय वर्मा).. 356
103. आकड़ों की वर्तमान तथा भविष्य में महत्वपूर्णता एवं उपयोगिता पर एक अध्ययन (डॉ. लारेन्स कुमार बौद्ध) 358
104. जनजातियों का परिचयात्मक अध्ययन : राजस्थान के सन्दर्भ में (श्रीमती वर्षा चुण्डावत, डॉ. हेमेन्द्र सिंह सारंगदेवोत) 360
105. Effect of Parental Involvement on Academic Procrastination, Academic Anxiety and 364
Career Aspiration of Senior Secondary School Students of District Fazilka (Dr. Preeti Grover, Shiana)
106. चित्तौड़गढ़ जिले में भील जनजाति के अंतर्गत नशावृत्ति की स्थिति एवं उसका शिक्षा पर प्रभाव: 368
एक समाजशास्त्रीय अध्ययन (लालू राम सालवी, प्रो.पी.एम. यादव)
107. कृषि मशीनीकरण का कृषकों की आय पर प्रभाव (ज्योति मेनारिया, डॉ. महेन्द्र राणावत) 371
108. लखनऊ शहर की किशोरियों के बालों का पोषण स्तर (डॉ. मीता श्रीवास्तव, डॉ. मंजू दुबे) 374
109. White Collar Crime in India- A Legal Study (Dr. Nisha Sharma) 377
110. अनुसूचित जनजाति के विकास में सरकारी नीतियों की भूमिका (मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के संदर्भ में........ 381
विश्लेषणात्मक अध्ययन) (रमेश अमलियार)
111. Study of Photocatalytic Degradation of Phenoxazine Dye by Fenton Reagent (Dr. David Swami) .. 384
112. शैलेश मटियानी के उपन्यासों में नारी-चित्रण (डॉ. यासमीन खान) 386
113. Ancient Script of India : Evolution of Writing Systems in India (Dr. RajkumariSudhir) 388
114. राजस्थान विधानसभा चुनाव 2018 में राजनीतिक दलों की विजय क्षेत्रो के प्रादेशिक स्वरूप का विश्लेषण 390
(डॉ. राजकुमार चतुर्वेदी)
115. वित्तीय समावेशन में स्व-सहायता समूहों की भूमिका (कमलेन्द्र कुमार सिंह).. 393
116. कृषि पर्यटन ग्रामीण व्यवसाय के नवीन आयाम के रूप में: खोरा श्यामदास (जयपुर) का वैयक्तिक अध्ययन 396
(डॉ. शिवानी स्वर्णकार, विनय कुमार नेकेला)
117. जनजातीय समूह और पातालकोट की भारिया जनजाति: एक समग्र अध्ययन (प्रतिश्रुति बघेल, डॉ.वर्षा सागोरकर).... 400
118. कस्तूरबा गॉधी बालिका विद्यालय में अध्ययनरत् बालिकाओं के परीक्षा तनाव पर यौगिक क्रियाओं के 403
प्रभाव का अध्ययन (डॉ. महेश कुमार मुछाल, विजय पवांर)

119. Analysis of Gender Equality in Law Enforcement (Manaswi Agrawal) 408
120. वृद्ध महिलाओं की सामाजिक समस्याएँ: एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण (प्रियंका सालवी, प्रो. पी.एम. यादव) 412
121. उच्चतर माध्यमिक स्तर के एन.सी.सी. कैडेट्स, एन.एस.एस. स्वयं सेवकों एवं सामान्य विद्यार्थियों की समायोजन क्षमता व नैतिक मूल्यों के संदर्भ में तुलनात्मक अध्ययन (डॉ. विजया थोटेकर) 416
122. रक्ताल्पता के सामाजिक-सांस्कृतिक कारक एवं परिणाम (डॉ. लक्ष्मी मेहरा) 418
123. Construction and Validation of Hockey Skill Tests on Female Hockey Players (Dr. Ajay Kumar, Dr. Vijay Singh) 420
124. Artificial Intelligence and Access to Justice: Enhancing Human Rights (Navanit Kumar Singh, Dr. Rajat Kumar Satapathy) 424
125. Right to Education: An Overview (Anoop Kailasia) 427
126. Textile Dyeing Industry An Environmental Hazard (Dr. Manju Meena, Dr. Sudha Sukhwal Shringi) 432
127. Role of Public Distribution System in Scheduled Area of Rajasthan (With Special Reference to Udaipur District) (Bhawna Shrimali) 435
128. The Impact of Practicing Yoga on Stress Reduction Among Corporate Executives (Dimple Solanki, Dr. Dilip Singh Chouhan) 438
129. Pandemics, Human Rights and Cyber Threat to the Vulnerable People: A Study with Special Reference to COVID-19 (Dr. Priyanka) 441
130. शहरी निकाय में स्वच्छता की सरंचना और प्रकार्य (डूँगरपुर नगर परिषद क्षेत्र का एक अध्ययन) (शरद कुमार जोशी) 445
131. A Critical Study of the Current Status and Prospects of Health Insurance Business in India - With Special Reference to Sriganganagar District (Joy Dhingra, Dr. Vinay Kumar) 447
132. भारतीय संविधान में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की अवधारणा एवं न्यायिक दृष्टिकोण : एक समालोचनात्मक अध्ययन (डॉ. लोक नारायण मिश्रा) 450
133. Indian View of History: A Critical Study (Dr. Madhusudan Choubey) 453
134. Dilemmas and Conflicts in Postcolonial Indian Ethnocultural Novels in English (Girish Kumar Sahu, Prof. Shubha Tiwari) 457
135. Heat Shock Proteins (HSPs): A Review (Madhubala Rathore) 461
136. गठबंधन राजनीति और भारतीय लोकतंत्र : वर्तमान संदर्भ में (डॉ. सर्वेश्वर उपाध्याय) 463
137. The Impact of COVID-19 on Nursing Education (Malini Johnson) 468
138. गोस्वामी तुलसीदास जी का प्रेम प्रवाह (डॉ. संगीता धुर्वे) 470
139. माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत् आवासीय एवं गैर-आवासीय छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि पर सामाजिक तनाव के प्रभाव का अध्ययन (डॉ. हरेन्द्र कुमार, सुनीता) 472
140. ग्रामीण महिलाओं के सशक्तीकरण का सामाजिक पक्ष का अध्ययन (डॉ. शिल्पा राजपूत) 477
141. An Analysis of Agility Between Inter-University and College Level Handball Players (Ms. Kavita) 479
142. भारतवर्ष में गंगा की भोगोलिक परिस्थितियां (डॉ. मुकेश मारू) 481
143. मनरेगा योजना के संवैधानिक प्रावधानों का एक विश्लेषणात्मक अध्ययन (मनोज कुमार, डॉ. गौतमवीर) 483
144. Paulo Coelho's The Alchemist: A Self Denial Of Complacency (Dr. Richa Mathur) 487
145. भारतीय मतदाताओं के मतदान-व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारकों का एक अध्ययन (डॉ. अनिल कुमार, धर्मपाल सिंह) 489
146. Quality of Healthcare Systems in Rural India (Prof. Santosh Kumari) 495
147. रणथम्भौर एवं झायन दुर्ग में राव हम्मीर देव का योगदान (डॉ. सोमेश कुमार सिंह, उर्मिला मीना) 498

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XL

148. महिला सशक्तिकरण : भारत मे संवैधानिक व वैधानिक प्रयास एक विश्लेषणात्मक अध्ययन (विक्रम सिंह)......... 501
149. उच्च शिक्षा में आधुनिक तकनीक की आवश्यकता एवं विद्यार्थियों पर उसका प्रभाव (डॉ. शिवाली शाक्या) 506
150. Tradition V/S Modernity: With Special Reference of Gita Mehta's Raj (Prof. Aafia Zaman) 509
151. A Study of the Effect of Anxiety on the Aspiration at the Secondary Level Students 512
(Dr. Veenus Vyas, Prakesh Dhakar)
152. भारत में सुशासन : एक विश्लेष्णात्मक अध्ययन (प्रो. विकास चन्द्र वशिष्ठ, नवीन भास्कर) 515
153. Bioremediation of Copper and Nickel Ions from Wastewater Using Cyanobacteria: 519
A Review (Premlata Vikal, Preeti, Pragya Dadhich)
154. National Education Policy 2020 : Merits and Demerits (Dr. Rita Bisht)... 523
155. Changing Family Structures in Urban India: Shifts in Family Dynamics, Roles, and..................... 527
Relationships (Dr. Anjali Jaipal)
156. जलवायु परिवर्तन और इसका भारत पर प्रभाव (डॉ. दिनेश कुमार कठुतिया) 530
157. हिन्दी साहित्य में दलित विमर्श (डॉ. डी.पी. चंद्रवंशी) 533
158. Rural Women Entrepreneurship in Chhattisgarh: Challenges and Strategies 535
(Dr. (Smt.) Shobha Agrawal)
159. Innovation Diffusion of Fuzzy Method in Today's Marketing (Shilpi Singh) 539
160. भारत में स्थानीय शासन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं वर्तमान स्वरूप (नमिता) 543
161. The Multifaceted Importance of Physical Education (Dr. Mamta) 546

Regional Editor Board - International & National

1. Dr. Manisha Thakur - Fulton College, Arizona State University, America.
2. Mr. Ashok Kumar - Employbility Operations Manager, Action Training Centre Ltd. London, U.K.
3. Ass. Prof. Beciu Silviu - Vice Dean (Management) Agriculture & Rural Development, UASVM, Bucharest, Romania.
4. Mr. Khgendra Prasad Subedi - Senior Psychologist, Public Service Commission, Central Office, Anamnagar, Kathmandu, Nepal.
5. Prof. Dr. G.C. Khimesara - Former Principal, Govt. PG College, Mandsaur (M.P.) India
6. Prof. Dr. Pramod Kr. Raghav - Research Guide, Jyoti Vidhyapeeth Women University, Jaipur (Raj.) India
7. Prof. Dr. Anoop Vyas - Former Dean, Commerce, Devi Ahilya University, Indore (India) India
8. Prof. Dr. P.P. Pandey - Dean, Commerce, Avadesh Pratapsingh University, Rewa (M.P.) India
9. Prof. Dr. Sanjay Bhayani - HOD, Business Management Deptt., Saurashtra University, Rajkot (Guj.) India
10. Prof. Dr. Pratap Rao Kadam - HOD, Commerce, Govt. Girls PG College, Khandwa (M.P.) India
11. Prof. Dr. B.S. Jhare - Professor, Commerce Deptt., Shri Shivaji College, Akola (Mh.) India
12. Prof. Dr. Sanjay Khare - Prof., Sociology, Govt. Auto. Girls PG Excellence College, Sagar (M.P.) India
13. Prof. Dr. R.P. Upadhayay - Exam Controller, Govt. Kamlaraje Girls Auto. PG College, Gwalior (M.P.) India
14. Prof. Dr. Pradeep Kr. Sharma - Professor, Govt. Hamidia Arts & Commerce College, Bhopal (M.P.) India
15. Prof. Akhilesh Jadhav - Prof., Physics, Govt. J. Yoganandan Chattisgarh College, Raipur (C.G.) India
16. Prof. Dr. Kamal Jain - Prof., Commerce, Govt. PG College, Khargone (M.P.) India
17. Prof. Dr. D.L. Khadse - Prof., Commerce, Dhanvate National College, Nagpur (Maharastra) India
18. Prof. Dr.Vandna Jain - Prof., Hindi, Govt. Kalidas Girls College, Ujjain (M.P.) India
19. Prof. Dr. Hardayal Ahirwar - Prof.,Economics, Govt. PG College, Shahdol (M.P.) India
20. Prof. Dr. Sharda Trivedi - Retd. Professor, Home Science, Indore (M.P.) India
21. Prof. Dr. Usha Shrivastav - HOD, Hindi Deptt., Acharya Institute of Graduate Study, Soldevanali, Bengaluru (Karnataka) India
22. Prof. Dr. G. P. Dawre - Professor, Commerce, Govt. College, Badwah (M.P.) India
23. Prof. Dr. H.K. Chouarsiya - Prof., Botany, T.N.V. College, Bhagalpur (Bihar) India
24. Prof. Dr. Vivek Patel - Prof., Commerce, Govt. College, Kotma, Distt., Anooppur (M.P.) India
25. Prof. Dr. Dinesh Kr. Chaudhary - Prof., Commerce, Rajmata Sindhiya Govt. Girls College, Chhindwara (M.P.) India
26. Prof. Dr. P.K. Mishra - Prof., Zoological, Govt. PG College, Betul (M.P.) India
27. Prof. Dr. Jitendra K. Sharma - Prof., Commerce, Maharishi Dayanand Uni. Centre, Palwal (Haryana) India
28. Prof. Dr. R. K. Gautam - Prof., Govt. Manjkuwar Bai Arts & Commerce College, Jabalpur (M.P.) India
29. Prof. Dr. Gayatri Vajpai - Professor, Hindi, Govt. Maharaja Autonomus College, Chhattarpur (M.P.) India
30. Prof. Dr. Avinash Shendare - HOD, Pragati Arts & Commerce College, Dombivali, Mumbai (Mh.) India
31. Prof. Dr. J.C. Mehta - Fr. HOD, Research Centre, Commerce, Devi Ahilya Uni., Indore (M.P.) India
32. Prof. Dr. B.S. Makkad - HOD, Research Centre Commerce, Vikram University, Ujjain (M.P.) India
33. Prof. Dr. P.P. Mishra - HOD, Maths, Chattrasal Govt. PG College, Panna (M.P.) India
34. Prof. Dr. Sunil Kumar Sikarwar - Professor, Chemistry, Govt. PG College, Jhabua (M.P.) India
35. Prof. Dr. K.L. Sahu - Professor, History, Govt. PG College, Narsinghpur (M.P.) India
36. Prof. Dr. Malini Johnson - Professor, Botany, Govt. PG College, Mahu (M.P.) India
37. Prof. Dr. Ravi Gaur - Asso. Professor, Mathematics, Gujarat University, Ahmedabad (Gujarat) India
38. Prof. Dr. Vishal Purohit - M.L.B. Govt. Girls PG College, Kila Miadan, Indore (M.P.) India

RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XL

Editorial Advisory Board, INDIA

1. Prof. Dr. Narendra Shrivastav - Scientist , ISRO, Bengaluru (Karnataka) India
2. Prof. Dr. Aditya Lunawat - Director, Swami Vivekanand Career Guidance deptt. M.P. Higher Education, M.P. Govt., Bhopal (M.P.) India
3. Prof. Dr. Sanjay Jain - O.S.D., Additional Director Office, Bhopal (M.P.) India
4. Prof. Dr S.K. Joshi - Former Principal, Govt. Arts & Science College, Ratlam (M.P.) India
5. Prof. Dr. J.P.N. Pandey - Fr. Principal, Govt. Auto.Girls P.G. Excellence College, Sagar (M.P.) India
6. Prof. Dr. Sumitra Waskel - Principal, Govt. Girls P.G. College, Moti Tabela, Indore (M.P.) India
7. Prof. Dr. P.R. Chandelkar - Principal, Govt. Girls P.G. College, Chhindwara (M.P.) India
8. Prof. Dr. Mangal Mishra - Principal, Shri Cloth Market, Girls Commerce College, Indore (M.P.) India
9. Prof. Dr. R.K. Bhatt - Former Principal, Govt. Girls College, Narsinghpur (M.P.) India
10. Prof. Dr. Ashok Verma - Former HOD, Commerce (Dean) Devi Ahilya University, Indore (M.P.) India
11. Prof. Dr. Rakesh Dhand - HOD, Student Welfare Deptt., Vikram University, Ujjain (M.P.) India
12. Prof. Dr. Anil Shivani - HOD, Commerce /Management, Govt. Hamidiya Arts And Commerce Degree College, Bhopal (M.P.) India
13. Prof. Dr. PadamSingh Patel - HOD, Commerce Deptt., Govt. College, Mahidpur (M.P.) India
14. Prof. Dr. Manju Dubey - HOD (Dean), Home Science Deptt. Jiwaji University, Gwalior (M.P.) India
15. Prof. Dr. A.K. Choudhary - Professor, Psychology, Govt. Meera Girls College, Udiapur (Raj.) India
16. Prof. Dr. T. M. Khan - Principal, Govt. College, Dhamnod, Distt. Dhar (M.P.) India
17. Prof. Dr. Pradeep Singh Rao - Principal, Govt. College, Sailana, Distt. Ratlam (M.P.) India
18. Prof. Dr. K.K. Shrivastava - Professor, Eco., Vijaya Raje Govt. Girls P.G. College, Gwalior (M.P.) India
19. Prof. Dr. Kanta Alawa - Professor, Pol. Sci., S.B.N.Govt. P.G. College, Badwani (M.P.) India
20. Prof. Dr. S.C. Jain - Professor, Commerce, Govt. P.G. College, Jhabua (M.P.) India
21. Prof. Dr. Kishan Yadav - Asso. Professor, Research Centre Bundelkhand College, Jhasi (U.P.) India
22. Prof. Dr. B.R. Nalwaya - Chairman,Commerce Deptt.,Vikram University, Ujjain (M.P.) India
23. Prof. Dr. Purshottam Gautam - Dean, Commerce Deptt.,Devi Ahilya University, Indore (M.P.) India
24. Prof. Dr. Natwarlal Gupta - HOD, Commerce Deptt.,Devi Ahilya University, Indore (M.P.) India
25. Prof. Dr. S.C. Mehta - Former, Professor/HOD, Govt. Bhagat Singh P.G. College, Jaora (M.P.) India
26. Prof. Dr. A. K. Pandey - HOD, Economics Deptt., Govt. Girls College, Satna (M.P.)

****

Referee Board

Maths	-	(1)	Prof. Dr. V.K. Gupta, Director Vedic Maths - Research Centre, Ujjain (M.P.)
Physics	-	(1)	Prof. Dr. R.C. Dixit, Govt. Holkar Science College, Indore (M.P.)
		(2)	Prof. Dr. Neeraj Dubey, Govt. Arts & Commerce College, Sagar (M.P.)
Computer Science	-	(1)	Prof. Dr. Umesh Kr. Singh, HOD, Computer Study Centre, Vikram University, Ujjain (M.P.)
Chemistry	-	(1)	Prof. Dr. Manmeet Kaur Makkad, Govt. Kalidas Girls College,Ujjain (M.P.)
Botany	-	(1)	Prof. Dr. Suchita Jain, Govt. Girls P.G. College, Kota (Raj.)
		(2)	Prof. Dr. Akhilesh Aayachi, Govt. Adarsh Science College, Jabalpur (M.P.)
Life Science	-	(1)	Prof. Dr. Manjulata Sharma, M.S.J. Govt. College, Bharatpur (Raj.)
	-	(2)	Prof. Dr. Amrita Khatri, Mata Jijabai Govt. Girls P.G. College, Moti Tabela, Indore (M.P.)
Statitics	-	(1)	Prof. Dr. Ramesh Pandya, Govt. Arts - Commerce College, Ratlam (M.P.)
Military Science	-	(1)	Prof. Dr. Kailash Tyagi, Govt. Motilal Science College, Bhopal (M.P.)
Biology	-	(1)	Dr. Kanchan Dhingara, Govt. M.H. Home Science College, Jabalpur (M.P.)
Geology	-	(1)	Prof. Dr. R.S. Raghuvanshi, Govt. Motilal Science College, Bhopal (M.P.)
		(2)	Prof. Dr. Suyesh Kumar, Govt. Adarsh College, Gwalior (M.P.)
Medical Science	-	(1)	Dr.H.G. Varudhkar, R.D. Gardi Medical College, Ujjain (M.P.)
Microbiology Sci.	-	(1)	Anurag D. Zaveri, Biocare Research (I) Pvt. Ltd., Ahmedabad (Gujarat)

***** Commerce *****

Commerece	-	(1)	Prof. Dr. P.K. Jain, Govt. Hamidia College, Bhopal (M.P.)
		(2)	Prof. Dr. Shailendra Bharal, Govt. Kalidas Girls College, Ujjain (M.P.)
		(3)	Prof. Dr. Laxman Parwal, Govt. Commerce College, Ratlam (M.P.)
		(4)	Prof. Naresh Kumar, NSCBM Govt. College, Hamirpur (H.P.)

***** Management *****

Management	-	(1)	Prof. Dr. Anand Tiwari, Govt. Autonomus PG Girls Excellence College, Sagar (M.P.)
Human Resources	-	(1)	Prof. Dr. Harwinder Soni, Pacific Business School, Udaipur (Raj.)
Business Admin.	-	(1)	Prof. Dr. Kapildev Sharma, Govt. Girls P.G. College, Kota (Raj.)
		(2)	Dr. Kuldeep Agnihotri, Modern Group of Institutions, Indore (M.P.)

***** Law *****

Law	-	(1)	Prof. Dr. S.N. Sharma, Principal, Govt. Madhav Law College, Ujjain (M.P.)
		(2)	Prof. Dr. Narendra Kumar Jain, Principal, Shri Jawaharlal Nehru PG Law College, Mandsaur (M.P.)
		(3)	Prof. Lok Narayan Mishra, Govt. Law College, Rewa (M.P.)
		(4)	Dr. Bijay Kumar Yadav, Om Sterling Global University, Hisar (Haryana)

***** Arts *****

Economics	-	(1)	Prof. Dr. P.C. Ranka, Sri Sitaram Jaju Govt. Girls P.G. College, Neemuch (M.P.)
		(2)	Prof. Dr. J.P. Mishra, Govt. Maharaja Autonomus College, Chhattarpur (M.P.)
		(3)	Prof. Dr. Anjana Jain, M.L.B. Govt. Girls P.G. College, Kila Maidan, Indore (M.P.)
		(4)	Prof. Rakesh Kumar Gupta, Dr. C.V. Raman University, Kota, Bilaspur (C.G.)
Political Science	-	(1)	Prof. Dr. Ravindra Sohoni, Govt. P.G. College, Mandsaur (M.P.)
		(2)	Prof. Dr. Anil Jain, Govt. Girls College, Ratlam (M.P.)
		(3)	Prof. Dr. Sulekha Mishra, Mankuwar Bai Govt. Arts & Commerce College, Jabalpur (M.P.)
Philosophy	-	(1)	Prof. Dr. Hemant Namdev, Govt. Madhav Arts, Commerce & Law College, Ujjain (M.P.)
Sociology	-	(1)	Prof. Dr. Uma Lavania, Govt. Girls College, Bina (M.P.)
		(2)	Prof. Dr. H.L. Phulvare, Govt. P.G. College, Dhar (M.P.)
		(3)	Prof. Dr. Indira Burman, Govt. Home Science College, Hoshangabad (M.P.)

Hindi - (1) Prof. Dr. Vandana Agnihotri, Chairperson, Devi Ahilya University, Indore (M.P.)
(2) Prof. Dr. Kala Joshi , ABV Govt. Arts & Commerce College, Indore (M.P.)
(3) Prof. Dr. Chanda Talera Jain, M.J.B. Govt. Girls P.G. College, Indore (M.P.)
(4) Prof. Dr. Amit Shukla, Govt. Thakur Ranmatsingh College, Rewa (M.P.)
(5) Prof. Dr. Anchal Shrivastava, Dr. C.V. Raman University, Kota, Bilaspur (C.G.)

English - (1) Prof. Dr. Ajay Bhargava, Govt. College, Badnagar (M.P.)
(2) Prof. Dr. Manjari Agnihotri, Govt. Girls College, Sehore (M.P.)

Sanskrit - (1) Prof. Dr. Bhawana Srivastava, Govt. Autonomus Maharani Laxmibai Girls P.G. College, Bhopal (M.P.)
(2) Prof. Dr. Balkrishan Prajapati, Govt. P.G. College, Ganjbasauda, Distt. Vidisha (M.P.)

History - (1) Prof. Dr. Naveen Gidiyan, Govt. Autonomus Girls P.G. Excellence College, Sagar (M.P.)

Geography - (1) Prof. Dr. Rajendra Srivastava, Govt. College, Pipliya Mandi, Distt. Mandsaur (M.P.)
(2) Prof. Kajol Moitra, Dr. C.V. Raman University, Bilaspur (C.G.)

Psychology - (1) Prof. Dr. Kamna Verma, Principal, Govt. Rajmata Sindhiya Girls P.G. College, Chhindwara (M.P.)
(2) Prof. Dr. Saroj Kothari, Govt. Maharani Laxmibai Girls P.G. College, Indore (M.P.)

Drawing - (1) Prof. Dr. Alpana Upadhyay, Govt. Madhav Arts-Commerce-Law College. Ujjain (M.P.)
(2) Prof. Dr. Rekha Srivastava, Maharani Laxmibai Govt. Girls P.G. College, Bhopal (M.P.)
(3) Prof. Dr. Yatindera Mahobe, Govt. Girls College, Narsinghpur (M.P.)

Music/Dance - (1) Prof. Dr. Bhawana Grover (Kathak),Swami Vivekanand Subharti University, Meerut (U.P.)
(2) Prof. Dr. Sripad Aronkar, Rajmata Sindhiya Govt. Girls College, Chhindwara (M.P.)

***** Home Science *****

Diet/Nutrition Science - (1) Prof.Dr. Pragati Desai, Govt. Maharani Laxmibai Girls P.G. College, Indore (M.P.)
(2) Prof. Madhu Goyal, Swami Keshavanand Home Science College, Bikaner (Raj.)
(3) Prof. Dr. Sandhya Verma, Govt. Arts & Commerce College, Raipur (Chhattisgarh)

Human Development - (1) Prof. Dr. Meenakshi Mathur, HOD, Jainarayan Vyas University, Jodhpur (Raj.)
(2) Prof. Dr. Abha Tiwari, HOD, Research Centre, Rani Durgawati University, Jabalpur (M.P.)

Family Resource Management - (1) Prof. Dr. Manju Sharma, Mata Jijabai Govt. Girls P.G. College, Moti Tabela, Indore (M.P.)
(2) Prof. Dr. Namrata Arora, Vansthali Vidhyapeeth (Raj.)

***** Education *****

Education - (1) Prof. Dr. Manorama Mathur, Mahindra College of Education, Bangluru (Karnataka)
(2) Prof. Dr. N.M.G. Mathur, Principal/Dean, Pacific EducationCollege, Udaipur (Raj.)
(3) Prof. Dr. Neena Aneja, Principal, A.S. College Of Education, Khanna (Punjab)
(4) Prof. Dr. Satish Gill, Shiv College of Education,Tigaon, Faridabad (Haryana)
(5) Prof. Dr. Mahesh Kumar Muchhal, Digambar Jain (P.G.) College, Baraut (U.P.)

***** Architecture *****

Architecture - (1) Prof. Kiran P. Shindey, Principal,School of Architecture,IPS Academy, Indore (M.P.)

***** Physical Education *****

Physical Education - (1) Prof. Dr. Joginder Singh, Physical Education, Pacific University, Udaipur (Raj.)
(2) Dr. Ramneek Jain, Associate Professor, Madhav University, Pindwara (Raj.)
(3) Dr. Seema Gurjar, Associate Professor, Pacific University, Udaipur (Raj.)

***** Library Science *****

Library Science - (1) Dr. Anil Sirothia, Govt. Maharaja College, Chhattarpur (M.P.)

Spokesperson's

1.	Prof. Dr. Davendra Rathore	-	Govt. P.G. College, Neemuch (M.P.)
2.	Prof. Smt. Vijaya Wadhwa	-	Govt. Girls P.G. College, Neemuch (M.P.)
3.	Dr. Surendra Shaktawat	-	Gyanodaya Institute of Management - Technology, Neemuch (M.P.)
4.	Prof. Dr. Devilal Ahir	-	Govt. College, Jawad, Distt. Neemuch (M.P.)
5.	Shri Ashish Dwivedi	-	Govt. College, Manasa, Distt. Neemuch (M.P.)
6.	Prof. Manoj Mahajan	-	Govt. College, Sonkach, Distt. Dewas (M.P.)
7.	Shri Umesh Sharma	-	Shree Sarvodaya Institute Of Professional Studies, Sarwaniya Maharaj, Jawad, Distt. Neemuch (M.P.)
8.	Prof. Dr. S.P. Panwar	-	Govt. P.G. College, Mandsaur (M.P.)
9.	Prof. Dr. Puralal Patidar	-	Govt. Girls College, Mandsaur (M.P.)
10.	Prof. Dr. Kshitij Purohit	-	Jain Arts, Commerce & Science College, Mandsaur (M.P.)
11.	Prof. Dr. N.K. Patidar	-	Govt. College, Pipliyamandi, Distt. Mandsaur (M.P.)
12.	Prof. Dr. Y.K. Mishra	-	Govt. Arts & Commerce College, Ratlam (M.P.)
13.	Prof. Dr. Suresh Kataria	-	Govt. Girls College, Ratlam (M.P.)
14.	Prof. Dr. Abhay Pathak	-	Govt. Commerce College, Ratlam (M.P.)
15.	Prof. Dr. Malsingh Chouhan	-	Govt. College, Sailana, Distt. Ratlam (M.P.)
16.	Prof. Dr. Gendalal Chouhan	-	Govt. Vikram College, Khachrod, Distt. Ujjain (M.P.)
17.	Prof. Dr. Prabhakar Mishra	-	Govt. College, Mahidpur, Distt. Ujjain (M.P.)
18.	Prof. Dr. Prakash Kumar Jain	-	Govt. Madhav Arts, Commerce & Law College, Ujjain (M.P.)
19.	Prof. Dr. Kamla Chauhan	-	Govt. Kalidas Girls College, Ujjain (M.P.)
20.	Prof. Abha Dixit	-	Govt. Girls P.G. College, Ujjain (M.P.)
21.	Prof. Dr. Pankaj Maheshwari	-	Govt. College, Tarana, Distt. Ujjain (M.P.)
22.	Prof. Dr. D.C. Rathi	-	Swami Vivekanand Career Gudiance Deptt., Higher Education Deptt., M.P. Govt., Indore (M.P.)
23.	Prof. Dr. Anita Gagrade	-	Govt. Holkar Science College, Indore (M.P.)
24.	Prof. Dr. Sanjay Pandit	-	Govt. M.J.B. Girls P.G. College, Moti Tabela, Indore (M.P.)
25.	Prof.Dr. Rambabu Gupta	-	Govt. Arts & Commerce College, Indore (M.P.)
26.	Prof. Dr. Anjana Saxena	-	Govt. Maharani Laxmibai Girls P.G. College, Indore (M.P.)
27.	Prof. Dr. Sonali Nargunde	-	Journalism & Mass Comm .Research Centre, D.A.V.V., Indore (M.P.)
28.	Prof. Dr. Bharti Joshi	-	Life Education Department, Devi Ahilya University, Indore (M.P.)
29.	Prof. Dr. M.D. Somani	-	Govt. M.J.B. Girls P.G. College, Moti Tabela, Indore (M.P.)
30.	Prof. Dr. Priti Bhatt	-	Govt. N.S.P. Science College, Indore (M.P.)
31.	Prof. Dr. Sanjay Prasad	-	Govt. College, Sanwer, Distt. Indore (M.P.)
32.	Prof. Dr. Meena Matkar	-	Suganidevi Girls College, Indore (M.P.)
33.	Prof. Dr. Mohan Waskel	-	Govt. College, Thandla Distt. Jhabua (M.P.)
34.	Prof. Dr. Nitin Sahariya	-	Govt. College, Kotma Distt. Anooppur (M.P.)
35.	Prof. Dr. Manju Rajoriya	-	Govt. Girls College, Dewas (M.P.)
36.	Prof. Dr. Shahjad Qureshi	-	Govt. New Arts & Science College, Mundi, Distt. Khandwa (M.P.)
37.	Prof. Dr. Shail Bala Sanghi	-	Maharani Lakshmibai Govt. Girls P.G. College, Bhopal (M.P.)
38.	Prof. Dr. Praveen Ojha	-	Shri Bhagwat Sahay Govt. P.G. College, Gwalior (M.P.)
39.	Prof. Dr. Omprakash Sharma	-	Govt. P.G. College, Sheopur (M.P.)
40.	Prof. Dr. S.K. Shrivastava	-	Govt. Vijayaraje Girls P.G. College, Gwalior (M.P.)
41.	Prof. Dr. Anoop Moghe	-	Govt. Kamlaraje Girls P.G. College, Gwalior (M.P.)
42.	Prof. Dr. Hemlata Chouhan	-	Govt. College, Badnagar (M.P.)
43.	Prof. Dr. Maheshchandra Gupta	-	Govt. P.G. College, Khargone (M.P.)
44.	Prof. Dr. Mangla Thakur	-	Govt. P.G. College, Badhwah, Distt. Khargone (M.P.)
45.	Prof. Dr. K.R. Kumhekar	-	Govt College, Sanawad, Distt. Khargone(M.P.)

46.	Prof. Dr. R.K. Yadav	-	Govt. Girls College, Khargone (M.P.)
47.	Prof. Dr. Asha Sakhi Gupta	-	Govt. P.G. College, Badwani (M.P.)
48.	Prof. Dr. Hemsingh Mandloi	-	Govt. P.G. College, Dhar (M.P.)
49.	Prof. Dr. Prabha Pandey	-	Govt. P.G. College, Mehar, Distt. Satna (M.P.)
50.	Prof. Dr. Rajesh Kumar	-	Govt. College, Amarpatan, Distt. Satna (M.P.)
51.	Prof. Dr. Ravendra singh Patel	-	Govt. P.G. College, Satna (M.P.)
52.	Prof. Dr. Manoharlal Gupta	-	Govt. P.G. College, Rajgarh, Biora (M.P.)
53.	Prof. Dr. Madhusudan Prakash	-	Govt. College, Ganjbasauda, Distt. Vidisha (M.P.)
54.	Prof. Dr. Yuwraj Shirvatava	-	Dr. C.V. Raman Univeristy, Bilaspur (C.G.)
55.	Prof. Dr. Sunil Vajpai	-	Govt. Tilak P.G. College, Katni (M.P.)
56.	Prof. Dr. B.S. Sisodiya	-	Govt. P.G. College, Dhar (M.P
57.	Prof. Dr. Shashi Prabha Jain	-	Govt. P.G. College, Agar-Malwa (M.P.)
58.	Prof. Dr. Niyaz Ansari	-	Govt. College, Sinhaval, Distt. Sidhi (M.P.)
59.	Prof. Dr. ArjunSingh Baghel	-	Govt. College, Harda (M.P.)
60.	Dr. Suresh Kumar Vimal	-	Govt. College, Bansadehi, Distt. Betul (M.P.)
61.	Prof. Dr. Amar Chand Jain	-	Govt. Arts & Commerce College, Sagar (M.P.)
62.	Prof. Dr. Rashmi Dubey	-	Govt. Autonomus Girls P.G. Excellence College, Sagar (M.P.)
63.	Prof. Dr. A.K. Jain	-	Govt. P.G. College, Bina, Distt. Sagar (M.P.)
64.	Prof. Dr. Sandhya Tikekar	-	Govt. Girls College, Bina, Distt. Sagar (M.P.)
65.	Prof. Dr. Rajiv Sharma	-	Govt. Narmada P.G. College, Hoshangabad (M.P.)
66.	Prof. Dr. Rashmi Srivastava	-	Govt. Home Science College, Hoshangabad (M.P.)
67.	Prof. Dr. Laxmikant Chandela	-	Govt. Autonomus P.G. College, Chhindwara (M.P.)
68.	Prof. Dr. Balram Singotiya	-	Govt. College, Saunsar, Distt. Chhindwara (M.P.)
69.	Prof. Dr. Vimmi Bahel	-	Govt. College, Kalapipal, Distt. Shajapur (M.P.)
70.	Dr. Aprajita Bhargava	-	R.D.Public School, Betul (M.P)
71.	Prof. Dr. Meenu Gajala Khan	-	Govt. College, Maksi, Distt. Shajapaur (M.P.)
72.	Prof. Dr. Pallavi Mishra	-	Govt. College, Mauganj Distt. Rewa (M.P.)
73.	Prof. Dr. N.P. Sharma	-	Govt. College, Datia (M.P.)
74.	Prof. Dr. Jaya Sharma	-	Govt. Girls College, Sehore (M.P.)
75.	Prof. Dr. Sunil Somwanshi	-	Govt. College, Nepanagar, Distt. Burhanpur (M.P.)
76.	Prof. Dr. Ishrat Khan	-	Govt. College, Raisen (M.P.)
77.	Prof. Dr. Kamlesh Singh Negi	-	Govt. P.G. College, Sehore (M.P.)
78.	Prof. Dr. Bhawana Thakur	-	Govt. College, Rehati, Distt. Sehore (M.P.)
79.	Prof. Dr. Keshavmani Sharma	-	Pandit Balkrishan Sharma New Govt. College, Shajapur (M.P.)
80.	Prof. Dr. Renu Rajesh	-	Govt. Nehru Leading College ,Ashok Nagar (M.P.)
81.	Prof. Dr. Avinash Dubey	-	Govt. P.G. College, Khandwa (M.P.)
82.	Prof. Dr. V.K. Dixit	-	Chhatrasal Govt. P.G. College, Panna (M.P.)
83.	Prof. Dr. Ram Awdesh Sharma	-	M.J.S. Govt. P.G. College, Bhind (M.P.)
84.	Prof. Dr. Manoj Kr. Agnihotri	-	Sarojini Naidu Govt. Girls P.G. College, Bhopal (M.P.)
85.	Prof. Dr. Sameer Kr. Shukla	-	Govt. Chandra Vijay College, Dhindori (M.P.)
86.	Prof. Dr. Anoop Parsai	-	Govt. J. Yoganand Chattisgarh P.G. College, Raipur (Chattisgarh)
87.	Prof. Dr. Anil Kumar Jain	-	Vardhaman Mahavir Open University, Kota (Rajasthan)
88.	Prof. Dr. Kavita Bhadiriya	-	Govt. Girls College, Barwani (M.P.)
89.	Prof. Dr. Archana Vishith	-	Govt. Rajrishi College, Alwar (Rajasthan)
90.	Prof. Dr. Kalpana Parikh	-	S.S.G. Parikh P.G. College, Udaipur (Rajasthan)
91.	Prof. Dr. Gajendra Siroha	-	Pacific University, Udaipur (Rajasthan)
92.	Prof. Dr. Krishna Pensia	-	Harish Anjana College, Chhotisadri, Distt. Pratapgarh (Rajasthan)
93.	Prof. Dr. Pradeep Singh	-	Central University Haryana, Mahendragarh (Haryana)
94.	Prof. Dr. Smriti Agarwal	-	Research Consultant, New Delhi

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XL

Importance and Dimensions of Language Teaching in Ancient Indian Education

Dr. Ashish Kumar Chachondia*

***Assistant Professor, Department of Ancient Indian History, Culture & Archaeology, B.K.S.N. Government College, Shajapur (M.P.) INDIA**

Abstract - It is a practical concept that the development of knowledge and science in each society is linked to its rich language. Ancient Indian society also invariably exhibits a tradition of unprecedented development of language in which Sanskrit, Pali, Prakrit, Tamil and other regional languages became instrumental in the development of civilization. In the Harappan civilization, even if we leave aside the estimations of language, the continuous stream of language development and language education has been flowing from the Vedic period till the present. Understanding the importance of language, ancient Indians contributed to the development of all its dimensions and developed teaching methods. Theycreated elaborate scriptures of all aspects of language like the alphabet, pronunciation, vocabulary, dictionary, grammar etc. and also gave their teaching an essential place in the education system. In the present research article, an attempt has been made to throw light briefly on these dimensions of language teaching in the ancient Indian education system.

Key Words –Vidyarambha, Upanayana, Vedarambha, Samavartana,Akksharika, Nirukta, Shiksha, Chhanda, Anushtupa, Jgati, Bhojpatra, Tadapatra, Vartika.

Introduction - Man and his language move forward together in the journey of development. As human civilizations developed from the primitive age to the modern, they also continuously enriched and refined their languages. The development and preservation of knowledge are possible only when human language is capable of storing the acquired knowledge. The development of knowledge and science can be considered related to the development of language. It is worth mentioning here that in the form of public language or dialect which is useful in popular social dialogue, it is not easy to compile the ever-evolving knowledge, so for the preservation and accumulation of knowledge, a standard form is developed in which the rules related to the words, expressions, meanings, pronunciation, and grammar are definite so that the accumulated knowledge remains intact in its original meaning for a long time.

Common vernacular is learned informally by individuals in a certain environment without any special effort and teaching but the standard language requires formal teaching and special efforts. In ancient India, when man entered the era of civilizations and got continuity in the development of knowledge, then as a result the development of his language and language teaching also came into existence. The remnants of the Harappan civilization point us to a highly developed and extraordinary society, which includes high-level town planning, buildings based on architectural standards, metallurgy, various arts, systematic administration, and various dimensions of epistemology. All this cannot be possible without any developed language and language teaching. Unfortunately, we have not been able to decipher the Harappan script so far,but it can be said that the Harappans used a developed and standard language in which they passed on their extensive knowledge from generation to generation. If the Harappan script can be read in future, then the secret of the language skills of this time will be revealed.

With the decline of the Harappan tradition of about a thousand years, the tradition of its language also broke down and after that, we find systematic evidence of language use only in the Vedic literature. Sanskrit was the language of Vedic society. Sanskrit means ‘refined’ i.e., there was such a language of the common people which we can call *Janbhasha* or dialect and for the compilation of knowledge, a developed form of public language came into existence which was called “Sanskrit” (refined). Vedic literature was composed in the Sanskrit language, whose form was definite and excellent, in which the pronunciation of words and the rules of syntax were fixed, as well as it was widely recognized for it. Naturally, this form of language could only be passed on to future generations through formal education.

From the beginning of the historical period, we start getting such evidence which throws enough light on the

teaching of language. *Vedangas - Shiksha, Nirukta* and*Vyakarana* (grammar) were compiled under Sanskrit education. At this time the activities of Buddhist teaching also started, in which preference was given to the Pali language. Linguistic texts continued to be compiled in both the Vedic and Buddhist traditions, indicating language-learning activities. The tradition of *Panini'sAshtadhyayi* can be seen in *Katyayana'sVartika* and Patanjali's *Mahabhashya*. At the time of Mauryas, Prakrit was accepted as the official language and Ashoka gave place to Prakrit in his inscriptions. But the place of Sanskrit remained accepted in the literature and Kautilya composed the *Arthashastra* in Sanskrit. Although Prakrit is used in the writings of the Shunga-Satvahanas period, the literature of this time was composed in high-level Sanskrit, the *Mahabhashya* of Patanjali is the main example. The Sanskrit grammar book *Katantra* composed by *Sarvavarmana* in the Satavahana period and the *Amarakosha* composed in the Gupta era are examples of the process of standardization and teaching of the ancient language. Further, till the Rajput period, Sanskrit remained the official language and the medium of instruction.

Under language teaching, ancient educationists and linguists were aware of the development of all language skills such as speaking, listening, writing and reading. Starting from the Vedic age, the tradition of languageteaching continued to develop, under which the scriptures related to language teaching were composed and various methods were adopted for teaching. In the Vedic age, the Vedas were given orally by the Guru to the disciple, but as the field of knowledge increased, the script-writing skills developed. In this sequence, various dimensions of languagelearning were incorporated into the education system.

The main medium of transmission of Vedic knowledge was oral, in which the Guru used to get the Vedic mantras and sutras orally to be remembered by his disciple. Correct pronunciation was considered an essential skill in this method. For the correctness of the pronunciation of the disciple, the guru used to pay personal attention to each student and in a day only one or two mantras could be held by the student in his memory.[1]*Shiksha*Vedanga was composed for the correct pronunciation ofthe Sanskrit language.

To give a definite form to the word and sentence structure in the language, it is necessary to have a grammar for the language concerned. With the enrichment of Sanskrit literature, the rules of grammar also came into existence. There is also grammar in the six Vedangas. First of all, we get a grammar text in the form of Panini's *Ashtadhyayi*, on which later various writers wrote grammar texts. Katyayana composed the *Vartikas* on *Ashtadhyayi*, and Patanjali made a commentary on *Ashtadhyayi*named*Mahabhashya*.The evidence of how important grammar was considered in the teaching of language is found in the book *Brihat-katha*byGunadhya inthe Satavahana period. It is mentioned in the *Brihatkatha* that a queen of the Satavahana ruler Hala, Malayvati, was a Sanskrit scholar and she inspired Hala to learn Sanskrit. For this purpose, the then grammarian Sarvavarman, to easily teach Sanskrit to the Satavahana ruler Hall, composed a Sanskrit grammar book called *Katantra*, which is a simple compilation of the sutras of Panini's *Ashtadhyayi*.[2]

Archaeological evidence also provides us with detailed information regarding grammar teaching. It is mentioned in the Junagarh inscription that Rudradaman was well versed in *Shabda* (grammar), *Artha* (economics), *Gandharva* (music science) and *Nyaya* (logic) etc.[3]Khoh Copperplate inscription mentions thatthe donation of king Sankshobha who was a scholar of the*Chaturdashvidya* (fourteen disciplines).*Chaturdashvidya*includes four *Vedas*, six *Vedangas*, *Puranas*, *Mimamsa*, *Nyaya* and *Dharma* (Law).[4]

Concepts related to the origin of Sanskrit words are given in *NiruktaVedanga*. The teaching of *Nirukta* was mandatory along with grammar in ancient language teaching. The father of *Nirukta* is considered to be *Yaska* who composed short Sutras of interpretation of Vedic words and compiled difficult and little-used words. *NiruktaVedanga* was included in the curriculum to make Vedic education simple and clear. In the earlier mentioned inscriptions, the details of the study of Vedangas are found by Rudradaman and Maharaja Sankshobh, which throws light on its importance.

Evidence of writing art in India starts from the time of Panini. Perhaps when other subjects were taught in education besides the Vedas and study material was abundant, then the art of writing started to be used for the permanent collection of knowledge. Publishing the importance of the art of writing, *Vrihaspati* mentioned that the knowledge of a particular subject is forgotten in six months, so the creator created the *Akshara* (letters). *Akshar*means which cannot be corroded. Mention of the use of *Bhojpatra*, palm leaf, *Karpas* plate, wood plank, pen-pigment, paintbrush etc. in writing material is found in ancient literature.[5]

An important part of language teaching was the*Chhanda*(verses), which is considered to be the basis of poetic composition. Poetry-skill was also considered a part of the curriculum along with the earlier poetic works in the ancient education system. The *Chhanda*Vedanga, which comes under the six Vedangas, shows that the art of poetry was sufficiently developed. Vedic hymns were also composed in the *Chhandas* like *Anushtup, Trishtup, Jagati, Gayatri* etc. *Pingal* composed the oldest scripture, which is considered to be the original text of the Chhandas. Many rulers have been described in the inscriptions as the knower of the six Vedangas. In the *Prayag-Prashasti* column inscription, Samudragupta has been given the title of *Kaviraj*(great poet) and has been described as a scholar of

poetry.[6] Similarly, the author of the *Aihole* inscription, Ravikirti himself equates his poetic proficiency with Kalidas and Bharavi.[7]

According to the tradition of sixteen rites (*Sanskara*), language teaching in ancient India used to start with the *VidyarambhaSanskara*. This *Sanskara* was performed when the child's mind becomes capable of receiving education, usually at the age of five or six. Other names for this rite are also found such as *Akshararambha, Aksharsvkaran*, etc. On the occasion of the *Vidyarambha* ceremony, the alphabet wastaught by writing the alphabet with *Om* or *Swastika* on a bandage.[8] Buddhist literature mentions a game called *Akkharika* which was forbidden to a Buddhist monk, in which the shape of the letter in the sky was made with a finger and asked to identify it, this may also have been a method of learning the alphabet.

The actual formal education of the child started with the *UpanayanaSanskara* ceremony, after which the teaching of all the parts of the language along with other subjects, including Vedanga, in which education, grammar, verses and *Nirukta* were related to language teaching. Language teaching was both theoretical and practical. For the study of Vedic literature, the pronunciation was necessary to be pure and clear, so the teacher used to make different exercises for the student. In language teaching, special attention was paid to the correct tone, intonation and accents.[9] Some special texts were also written for the special teaching of grammar like the earlier mentioned *Katantra* etc. To develop the power of words, along with the education of *Nirukta*, dictionary texts were also studied. *Amarkosh*, composed by Amar Singh in the Gupta period, was the main dictionary of Sanskrit in ancient India.

As a result of the awareness and seriousness of the ancient Indians towards language teaching, the ancient knowledge and education system proved to be very effective. The teaching of the language was so simple and easy that foreign travellers and students who came to India used to study the language before studying their desired subjects. Chinese travellers Hiuen Tsang, Itsing etc. have learned the Pali language before studying Buddhist subjects. Alberuni also learnedthe Sanskrit language before studying Hindu scriptures in Varanasi. In all the above descriptions, mainly the teaching of Sanskrit has been highlighted, but the languages which were used in education from time to time throughout India were also specially taught, such as the adoption of Pali as the main language in Buddhist learning centres had gone after the Gupta period, when Sanskrit gained more priority, Sanskrit was being studied in Buddhist centres as well. Thus, the teaching of language has always existed as an essential part of the ancient Indian education system.

References:–

1. Altekar A.S. “Education in Ancient India” ISHA Books Delhi, 2010, P-146
2. Shrivastava, Krishnachandra “*Prachin Bharat ka ItihastathaSanskriti*” United Book Depot Allahabad 2007 P-312.
3. Bajpayee, Krishna Datt “*Aitihasik Bhartiya Abhilekh*” Publication Scheme, Jaipur, 2018, P-140
4. Ibid 149
5. Ibid19-23
6. Ibid149
7. Ibid233-34
8. Mishra, Jai Shankar “*Prachin Bharat Ka SamajikItihas*” Bihar Hindi Granth Academy Patna, 1999, P-293
9. Altekar A.S. “Education in Ancient India” ISHA Books Delhi, 2010, P-146

****

Super Food for Your Life Style

Dr. Aradhana Shrivas*

***Assistant Professor & HOD (Home Science) Govt. Kamala Nehru Mahila Mahavidhyalaya, Damoh (M.P.) INDIA**

Abstract - It is not right to consider expensive or hard-to-find fruits and vegetables as super foods. Before calling anything a super food , For us sesame , basil, fenugreek , mint , coriander, cabbage, carrot or even radish leaves are that provides fiber and instant energy is a super food us. Fresh organic vegetables are our third super food. We should eat fruits and vegetables of different types and colors. Each of their colors contains different types of phytonutrients, which also boost our immunity. Seeds are our fourth super food. We must include healthy fat and fiber-rich seeds in our daily diet. Beans are our fifth super foods. Many types of nutrients are found in beans rich in fiber and protein. We should keep one beans soaked every night, which we can eat during breakfast in the morning. A few beans are effective in controlling our appetite. Due to which obesity and all diseases stay away from the body.

Introduction - You all must have heard a saying "Health is Wealth" that means our health is our wealth. There is no greater wealth or wealth in this world than health. You will also be able to enjoy your wealth only when you are completely healthy and fit. Routine and diet play an important role in staying healthy.No matter how much we get busy in life, we should not ignore our health. If you want to be healthy, then you have to know it's way too. Having a good lifestyle is essential for good health. Healthy life style includes eating right, exercising, and maintaining weight by adopting a healthy lifestyle. Also you can stay healthy. It is very important to have a healthy lifestyle to stay fit.

Review of Literature-Shalu Nijhavan 2021say that People should eat five super foods daily. Giving information about this subject, he enumerated the names of some such super foods which are easily available in the market at cheap prices.

As of 2007, the marketing of products as super foods was prohibited in the Europen Union unless accompanied by a specific authorized health claim supported by credible scientific research. The ruling was a marketing guide issued to manufacturers to assure scientific proof an evidence why a food would be labeled as extra health or classified as a super food.

According to cancer Research UK 2011, "The term 'super food' is really just a marketing tool, with little sciemtific basis to it". Although super foods are often promoted as preventing or curing diseases, including cancer, Cancer Research UK canutioned that they "cannot substitute for a generally health and balanced diet".

According to Catherine Collins, chief dietitian at St George's Hospital in London, the team can be harmful: "There are so many wrong ideas about super foods that I don't know where best to begin to dismantle the whole concept.

Objectives of the Study – Some food items are very important to keep the body active.

Study of Hypothesis – It is necessary to include supper food in the diet**.**

Discussion-In the last two years, there has been a vast change in the lifestyle of the people in India. There is a clear contradiction in the modern lifestyle of the youth. On the one hand, people seem to be becoming aware of health such as **–**

1. To be attached to the spirituality of yoga.
2. Involvement in healthy food diet.
3. Modern gym, health desk program for physical exercise, going foe a walk etc. have become a part of the routine but due to the hobbies or glamor of modern lifestyle.
4. Consumption of organic food, protein food, energy drink etc.
5. Use of various herbal or natural medicines.

But even after adopting the above healthy lifestyle, the contaminated style has been included in our life, wanting or not wanting it. The reasons for which may be unavoidable. But the consequences of their ill effects cannot be avoided. Like –

1. Excessive consumption of fast food/ Junk food.
2. Smoking and drink.
3. Waking up late at night.
4. Tension / work pressure.
5. Decreased physical exertion in spite of more busyness.
6. Irregular food habits etc.

In short, even after beaning health conscious, modern life style has affected health so much that in India, Were death due to infection, malnutrition etc. was once considered a serious crisis. At present, non-communicable diseases such as diabetes, hypertension, inflation atherosclerosis, cancer etc. have become the major causes of death.

There are two important aspects associated with non - communicable diseases – first that they are completely preventable, that is, they can be avoided. Second, they go on making space in the body so slowly that person is not aware. In addition, this non-communicable disease proves to be fatal. Where one and their treatment is still expensive and lengthy. Here if awareness is created about their prevention, then we can avoid them without spending any money/ time / energy. Physicians are of particular opinion that physical are of particular option that physical labor is necessary to avoid non-communicable diseases.

This analysis churns out that a person needs to be super active and to be super active it is necessary to include super food in the diet. Dieticians have done extensive research studies in this area and have recommended some such foods to keep the body active.

Cauliflower- Broccoli and its cauliflower fall under the super food category in terms of nutrition. It contains all the vitamins and minerals. Which is essential for the human body. Anti-oxidant is found in it. Which increases the immunity of the body. Calcium and potassium strengthen bones and are also health factors for bone tissue and cartilage.

Milk – Milk is said to be a complete food. Protein, calcium, vitamins are found in abundance in it. A large glass of milk provides 8 grams of protein and 13 grams of carbohydrates. The fat found in milk can be increased or decreased as needed. Nutrients are also present in sufficient quantity in fat – free milk.

Nuts- Monounsatured fats are found in kernels. This bad cholesterol LDL level is reduced. It is good cholesterol HDL raise the level. Nuts also contain fiber content, which cleanses the intestines. But nuts wrapped in fried salty or honey sugar increase fat and also increases blood pressure, so plain nuts without salt are beneficial for health. DHA found in almond nut. It also helps in brain development and keeps brain cells healthy.

Mixed Grains – To be active required stable energy. The best sources of such energy are mixed grains. Iron prevents fatigue. Whereas zinc removes carbon dioxide from the muscles during exercise. The flour of this can be used by mixing wheat, maize, millet, gram, jowar, barley ect.

Soybeans – Soybeans are the best vegetable source of protein. In addition to protein, soluble fiber and complex carbohydras are also obtained. Which also regulates blood sugar. Unsaturated fat is obtained from soybeans. The best type of fat gives a feeling of satiety for a long time and the phytochemicals derived from it provide immunity to the body.

Honey-Honey is asnutritious as it is delicious. Pure honey in its natural state is the best source of instant energy. In which B-Complex, vitamins, amino acids and enzymes are present in abundance. According to a study conducted at the University of Memphis Exercise and Sports Nutrition Laboratory, the different types of sugars present in honey increase the average strength of an athlete to a very high level. Fresh honey is also a good way to increase the power to fight against diseases. Ronald M. Klatt, President of the American Academy of Anti-Aging Medicine, states that 345 samples of fresh honey were researched and found that most of them contained bacteria responsible for food poisoning. According to them, by Appling naturally present honey on a wound or cut, it acts as an ointment and heals the wound.

Fish- Fish is effective in keeping the body healthy and slim. Eating cold water fish like shaman twice a week has sufficient amount of omega 3 fatty acids. Which is essential for health. Omega-3 has the most thermogenic properties, which burn excess fat during metabolism, not allowing it to accumulate in the body. Apart from this, the high level of protein present in fish, which is low in calories, is beneficial for the body. Overall, fish is helpful in making the muscles of the body shapely and well-formed.

Water- Water removes the toxic elements from our body. It is necessary not only to keep all the organs and appendages of the body functional. Rather, it is also most essential for survival. If there is a deficiency of 3 to 4 percentage in the body, then the working capacity of the body's system gets badly affected. Although there are many substances available in the market, there can be no substitute for water. Water is most beneficial in its natural state. If we want to remain active in hot and humid environment, then nothing should be drunk except water. If you get to drink natural clean pure water, then through this you can increases your efficiency and quality of life.

Flax Seeds- According to a report published in TOI, flaxseeds are of course small in size. But they contain a wealth of nutrients (Flaxseeds benefits). It contains the highest amount of omega-3 fatty acids, which increases the body's natural oil production. Provides moisture to the skin. You can eat flax seeds to lose weight. They do not contain cholesterol, so it is a better seed for the heart. Along with this, even if you are troubled by hair problems, this seed is effective in maintaining healthy hair.

Papaya- Papaya is also a very nutritious and healthy fruit. It prevents from many diseases. This fruit has many benefits for the stomach. Eating this boosts immunity, so that you can stay away from many diseases. Papaya contains a high amount of an element called papain. Which is used in many types of skin products like masks, creams and lotions. Papaya is rich in vitamins A, C and E, which help in preventing health problems like diabetes, heart disease. The problem of irregular periods is solved by drinking papaya juice.

Curd- Apart from milk, another dairy product curd is also known to be an excellent source of vitamin B-12. Apart from

calcium, Vitamin-D, B-1 and B-2 and other probiotics are also present in it. That's why curd must be consumed daily with lunch or after lunch. Pregnant women should consume curd regularly after consulting doctors. Due to this, the brain of the baby growing in the womb develops at a rapid pace. It also improves digestion.

Egg-Egg is considered to contain multi vitamins. You must consume at least two eggs in some from or the other every day. It is considered a great source of protein and vitamins. Vitamin B-12 is found in abundance in eggs.

Walnuts/Almonds/Pistachios/Cashews-Must consume nuts to keep the body healthy. It contains a large amount of omega 3, antioxidants and healthy oils. Which keep hair and skin health. According to research, if nuts are consumed every day, then the risk of heart diseases decreases and there is no sugar disease.

Tofu-If you want to eat food thatdoes notcontain fat and also keeps your body healthy, then eat tofu. Eating it mixed with soy milk also brings strength to the body. Soy keeps the heart healthy. It contains a large amount of fiber and also contains many types of vitamins. Its consumption also reduces the risk of breast cancer.

Porridge- Experts believe that cereal porridge gives strength to the body and prevents heart diseases. According to the new survey, if you consume oats daily, then your chances of getting diabetes 2 are reduced.

Conclusion–To keep each and every part of the body healthy, it is necessary foods rich in all kinds of nutrients. Including essential nutrients in your diet benefits your overall health. You can study away from many serious diseases. You may grow old. Skin, hair, eyes etc. remain healthy. It is necessary for active and active people to choose such foods which build muscle, reduce obesity and are beneficial for health. Include energy – packed food items that meet all the nutritional needs of the body, as well as many other food items that can lead to obesity to cancer and heart disease. Keep them out of bounds – like alcohol, fast food, French fries, butter, soda, potato chips, white bread etc. All these are high in calories. The trans fats, acids, excess sugars and salts derived from these affect the body as slow poisons and cause diabetes, blood pressure, cancer and various other diseases. The food we choose is very important to make the body healthy and active. With proper selection your health and active. With proper selection your and efficiency can be improved.

Suggestion:

1. Many people do not like green vegetables much in food, but they forget that how much they can benefit from them. Vitamins, calcium, minerals, antioxidant properties present in vegetables work to product the body from obesity, heart disease and many other serious diseases. Green vegetables must be included in the daily diet for a healthy life.
2. Fried food can be fatal for the body. Eating fried food can lead to heart problems, obesity, diabetes and many other diseases. So stay away from them as much as possible.
3. Sweet foods like sweets, ice-creams, chocolates are favorite of the people. But their consumption in uncontrolled quantity can be harmful for the body. Foods with high sugar not only increase obesity but also cause serious diseases like diabetes. Apart from this they can also spoil your teeth. That's why it is important that you limit their intake.
4. Junk food like burgers, pizza, fries, patties that are quick to make and easily available are slowly replacing a healthy diet today. But increasing dependence on these can be fatal for your health. Such foods can lead to obesity along with heart disease, type 2 diabetes, cancer and liver diseases. That's why avoiding the consumption of junk food as much as possible needed.
5. Super foods must be included in your diet. Following a healthy diet may seem difficult, but it is vital to leading a healthy life. Nutritious and well-balanced super foods, along with physical activity, are the foundation of good health.

References:–

1. Shalu Nijhawan, New Delhi, Aaj tak, 19 January 2021.
2. Food and Nutrition, Baxi Vinod Prakashan.
3. Robinson,Normal and Theraputic Nutrition.
4. N.S. Manne, Food Facts and Principles.
5. 'Super food' 'ban' comes into effects BBC News 2007-06-28.
6. 'Super foods' and cancer, Cancer Research UK. Retrieved 1 August 2013.
7. Hill, Amelia (2007-05-13). "Forget super foods, you can't beat an apple a day".
8. Taraka V. Gadiraju, Yash Patel and Luc Djousse, 2015, "Fried food consumption and cardiovascular Health: A Review of current Evidence."
9. Pilar Guallar –castillon, associate professor Fernando Rodriguez-Artalejo, 2012, "Consumption of fried foods and risk of coronary heart disease: Spanish cohort of the European prospective Investigation into Canser and Nutrition Study."
10. Anika Knuppel, Martin J. Shipley and Eric J. Brunner 2017 "Sugar intake from sweet food and beverages, common mental disorder and depression: prospective findings from the Whitehall II studay".

****

Marketing of Health Insurance Policies in India - Challenges and Prospect

Dr. Preeti Anand Udaipure*

***Assistant Professor (Commerce) Govt. Narmada College, Narmadapuram (M.P.) INDIA**

Abstract - Wellbeing status of a populace is considered as a significant monetary mark of improvement for Indian economy. Wellbeing administrations affect the social security of people and social orders, and a significant piece of a country's governmental issues and economy. Health care coverage area has far in India since the launch of the market. Prior just 2 strategies were accessible Mediclaim and Personal Accident. Anyway with appearance of private insurance agency and independent medical coverage organizations there has been colossal advancement in approaches presented in the Indian protection market.

This study concludes with the aim of focusing on the Indian healthcare market and healthcare financing, focusing on the various health care products available in India, and investigating the future development of the healthcare market. Reviews have found that India's health protection is in the development stage, with a broader degree of development if the guarantor gives a special strategy for social development and the local masses.
Keywords- marketing, health insurance, India, prospects, healthcare market, healthcare financing.

Introduction - Throughout the course of recent years India has accomplished a great deal regarding wellbeing improvement. Yet India is far behind many quick agricultural nations like China, Vietnam and Sri Lanka in wellbeing markers. In the event of government subsidized medical services framework, the quality & access of administrations has consistently stayed main pressing issue. A quickly developing confidential wellbeing market has created in India. This private area spans the greater part of the holes between what government offers and what individuals need. Nonetheless, with expansion of different medical services advances and general cost rise, the expense of care has likewise become extravagant and unreasonably expensive to enormous fragment of populace. Public institutions and individuals have begun research on various health promotion measures to monitor problems arising from increasing complexity of private sector development, inflation in care costs, and changing epidemiological disease patterns.

The new financial strategy and advancement process followed by the Government of India since 1991 prepared for privatization of protection area in the country. Health care coverage, which remained exceptionally immature and a less critical fragment of the item arrangement of the nationalized insurance agency in India, is presently ready for a central change in its approach and the board. The Insurance Regulatory and Development Authority (IRDA) Bill, as of late passed in the Indian Parliament, is significant start of changes having huge suggestions for the wellbeing area.

The privatization of protection and constitution IRDA imagine to work on the exhibition of the state protection area in the nation by expanding benefits from contest as far as brought down costs and expanded degree of purchaser fulfillment. Notwithstanding, the ramifications of the passage of private insurance agency in wellbeing area are not exceptionally clear. The new strategy changes will have been sweeping and would have significant ramifications for the development and improvement of the wellbeing area. There are a few hostile issues relating to improvement in this area and these need basic assessment. These likewise feature the basic requirement for strategy definition and evaluation. Except if privatization and improvement of health care coverage is overseen well it might have adverse consequence of medical services particularly to an enormous fragment of populace in the country. In the event that it is very much made due, it can further develop admittance to mind and wellbeing status in the country quickly.

Review of Literature

Gayathri Iyer, (2010) in her article "Advancement of health care coverage in India towards sound health care coverage" makes sense of that health care coverage can assume a priceless part in getting to the next level the general medical services framework. The insurable populace in India has been evaluated at 250 million furthermore, this number will

increment quickly in the approaching twenty years. The endeavours of the public authority specialists ought to be enhanced by creative protection items and projects by safety net providers with sufficient reinsurance reinforcement.

Prasanna N and Ramajayam V. (2010) in their paper 'Prospects of medical coverage in India' detailed that in a climate of monetary imperative the generally low open spending on wellbeing has just possibly expanded from 1.3 percent of GDP in 1990 to 2 percent in 2010. As indicated by OECD (2009) 81 percent of medical care is paid for through confidential assets instead of public, firmly followed by Viet-Nam at 76.3 percent. As a result, lower - pay bunches have less admittance to wellbeing administrations in Indian than in 15 Asian financial matters (a normal of 55.8 percent of private consumption on wellbeing) or in 30 OCED nations (just 2.4 percent).

Parekh HT(1979) portrayed that many funding organizations in India isn't prepared to give money to little and medium sort businesses in India however LIC is unique in relation to them. LIC give monetary help to little and medium Things to do. One of the key suggestions from the review was a review of various design plans proposed by small and medium-sized risk companies and finalized by LIC. The concentrate likewise tosses light into the different formative plans presented in Kerala with the help of Life Protection Corporation.

Ashis Deb Roy (1987) in his review assessed the meaning of good administrations to clients and furthermore assessed the prerequisite of better quality administrations. He has referenced a few ideas to be embraced by extra security organizations in request to get better administrations to strategy holders. His ideas give periodical preparing project to specialists and workers of the association, sending off new branches and computerization of branch workplaces.

Types of Health Insurance in India

Employees' State Insurance Scheme: The State Workers Insurance System (ESIS), which appeared in 1952. The ESI chart includes all companies with 10 or more representatives in the "regions above". Representative of covered managers earning under Rs. Every month 15,000 people and their families are eligible for the protection plan. From 1955 to 1956, which covered only 120,000 people, ESIS slowly grew to more than the current 55 million recipients (ESIC, 2010). The evolution of the numbers is due to the higher reward caps in the area of ESI and the development of the number of workers placed in the adjusted area.

Government Health Programme Central (CGHS): The Central Government Health Scheme (CGHS) was introduced in 1954. The Central Government Health System (CGHS) targets another part of the population employed in the formal sector. It is accessible to all Focal Government officials (both employed and retired) and their families, as well as various officials associated with the Focal Government. As of around 2009, there were 866,687 CGHS cardholders and about 3 million recipients. Curiously, 38% of full cardholders live in Delhi and consume about 57% of the CGHS budget, followed by 8% in Kolkata, which consumes about 4% of the general CGHS budget. The health insurance scheme presented by the public sector non-life insurer, commonly known as the "medical target" policy, was mailed through the former non-life insurer (GIC) in India. The large groups of accessible ones are:

1. Medic Aim, introduced in 1986'-for people and gatherings
2. Bhavishya Arogya'was introduced in 1990 – an early retirement plan.
3. Jan Arogya'was introduced in 1996. This is a limited benefits plan with minimal cost. Some state governments have introduced health insurance strategies in vulnerable areas under different names.

For example, the central government has introduced a universal health insurance system with limited liability for obvious underlying illnesses. The government has also released the Rastriya Swastha Bima Plan and Janshree Bima Plan (national health insurance) for BPL families.

Rashtriya Swasthya Bima Yojana: RSBY was dispatched by the Ministry of Labour and Employment of the Government of India to enrol families below the Poverty Line (PPL) in health insurance. RSBY's goal is to insure the BPL family for financial responsibilities resulting from health shocks, including hospitalization. RSBY recipients are eligible for hospitalization up to Rs. 30,000 /-Most illnesses that require hospitalization. In fact, the government has fixed a flat rate for clinics for countless referrals. The existing conditions are covered from the beginning and there is no age limit. Admission extends to five members of the family. This includes the head of the family, a partner, and up to three wards. Recipients only have to pay Rs. 30 /-As an employment cost, the central and state governments will pay a guarantor selected by the state government based on a strict offer.

Monetary strategy setting and objectives of advancement of protection area: There are a few objectives for opening of the protection and health care coverage area in India for private speculation. Here we audit a portion of these objectives. Monetary strategy changes began during late eighties and speeded up in nineties are the specific situation in which advancement of protection area occurred in India. It was hard to miss that the progression of the genuine (useful) and monetary area of the economy needs to remain forever inseparable. It is basic that these areas are predictable with arrangements of one another and except if both capability proficiently and are in harmony, it would be hard to guarantee proper financial development. Given these realities progression of the two areas needs to at the same time continue.

India's financial framework was created around the world of mixed economy. In this world view, public ventures and confidential ventures are in agreement. The previous

techniques of improvement in view of communist reasoning were zeroing in on the reason of limitations, guidelines and control and less on motivating forces and market driven powers. This impacted the improvement cycle in the country in serious way. Later the monetary progression the worldview changed from focal preparation, order and control to showcase driven improvement. Liberation, decontrol, privatization, relicensing, globalization turned into the critical methodologies to execute the new structure and energize rivalry. The social areas didn't stay unaffected by this change. The control of government use, which turned into a critical device to oversee financial shortfalls in mid 1990s, impacted the social area spending in significant manner. The potentially negative side-effects of controlling the monetary shortfalls have been decrease in capital use and non-compensation part of numerous social area programs. This has prompted extreme asset requirements in the wellbeing area in regard of non-pay use and this has impacted the limit and validity of the public authority medical services framework to convey great quality consideration throughout the long term. Given the rising pay rates, absence of successful observing and absence of impetuses to offer great quality types of assistance the gives in the government area became not interested in the clients. Clients additionally didn't request great quality what's more, better access, as taxpayer supported organizations were liberated from cost.

Wellbeing area and its supporting: present scene and issues for what's in store: Over the last 50 years, India has sponsored a vast state welfare foundation with more than 150 clinical schools, 450 community emergency clinics, 3000 community health centres, 20,000 primary care centres and 130,000 sub-health centres. In addition, there are numerous private and non-government health centres and specialists across the country. Over the last 50 years, India has made great strides in advancing its health. The success rate dropped from 40 to 9 per 1000 live births, the neonatal mortality rate dropped from 161 to 71 per 1000 live births, and increased from 31 to 63 years in the future. However, many challenges remain, and these are: In the future, four years below global standards, increased incidence of infectious diseases, increased incidence of non-communicable diseases, neglect of women's well-being, regional diversity, risk of climate change. It is estimated that 40 to 50 million people in India are taking medicines for serious illnesses at any given time.

1. Expanding medical services costs,
2. High monetary weight on unfortunate dissolving their livelihoods,
3. Expanding weight of new illnesses and wellbeing gambles and
4. Ignore preventative and necessary considerations and general welfare skills due to lack of funding.

Public health services. Given the above situation, it is essential to consider decisions that support happiness. Health insurance is seen as one of the support systems for overcoming some of the problems of our framework.

Health care coverage scene in India: Medical coverage can be characterized in extremely thin sense where individual or gathering buys in advance wellbeing inclusion by paying a charge called "premium". In any case, it tends to be additionally characterized extensively by counting all funding game plans where purchasers can keep away from or lessen their consumptions at season of purpose of administrations. The health care coverage existing in India covers an exceptionally wide range of courses of action and subsequently the last more extensive translation of medical coverage is more proper.

Health insurance is deeply rooted in many countries. However, in India, that is a different idea, except for the coordinated regional representatives. In India, about 2% of total health care consumption is supported by open / social health care and 18% is subsidized by government spending plans. In many other low- and middle-income countries, compulsory social insurance is much higher (see Table 1).

Table: 1- Level of absolute wellbeing consumption subsidized through open/social protection and direct government income

Country	Social Health Insurance	Government Budget
Algeria	38	37
Bolivia	22	34
China	33	14
Korea	25	11
Vietnam	3	22
India	3	19

Figure: 1- Level of absolute wellbeing consumption subsidized through open/social protection and direct government income

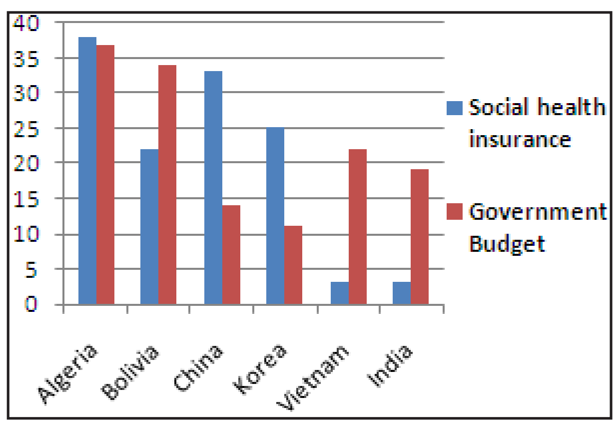

It is assessed that the Indian medical services industry is presently worth of Rs. 96,000 crore and anticipated to yearly flood by 10,000 crore. The portion of protection market in above figure is unimportant. Out of one billion populace of India 315 million individuals are assessed to be insurable and have ability to spend Rs. 1000 as premium for every annum. Numerous worldwide insurance agencies

have plans to get into protection business in India. Statistical surveying, itemized arranging and compelling protection showcasing is probably going to expect huge significance. Given the wellbeing funding and request situation, health care coverage has a more extensive degree in present day circumstances in India. Be that as it may, it requires cautious and huge work to tap Indian health care coverage market with legitimate understanding and preparing.

Mediclaim Plot: In 1986, the statutory health insurance company launched its first health insurance under the name mediclaim. From that point on, Mediclaim was revisited to make it an attractive product. Mediclaim is the basic reimbursement protection for hospitalization. Short-term medication is not covered. First, classification-related umbrellas are used, for example: B. Drugs, room charges, activity costs, etc., and at other times when the policy was reviewed, these roofs were removed and refunds were allowed depending on the amount of approach. The overall restrictions on including strategies have also been expanded. Currently, people between the ages of 90 and 80 can be granted eligibility strategies up to the maximum Rs amount. According to the rules of the latest non-life insurance company in India, Rs 50,000 for unplanned and destructive hospitalization during the strategic period. This plan is presented by each of GIC's four charities.

The Mediclaim property also gives you access to grapes with a significant premium discount. Approximately 2 million of the 1 billion population are insured by Mediclaim Conspire, according to ongoing health insurance measurements. There may be several reasons for the lack of publicity about this plan. Health insurance items are widely confused and encourage GIC and relief organizations to act in non-additional security markets that are overwhelmed by ordered protections such as accidents, fires and oceans. Therefore, this plan cannot promote health insurance. Not famous. Healthcare also deals with a small portion of the general business of GIC and its charities, so they are not focused either. GIC organizations have little interest or resources to review their plans. It should also be noted that there are many awkward criteria for the details of the health care business that are hindering the recognition of the plot. It also indicates that candidates in a more established age group were denied individualization from the Mediclaim plot, often due to the redundant traditionalism of the organization.

The Way Forward: State-of-the-art innovations such as system management of insurer work have enabled insurers to offer time-limited strategic management. The annual population growth rate is 1.5%, and by 2020, the actual per capita wage will usually be quadrupled. There are changes in the economic lifestyle of Indians. With the collapse of the shared family framework, more individuals are advancing autonomous nuclear families. Wage levels at younger ages are also expected to rise significantly. As framework projects improve, there is a move of workers from rural areas to metropolitan areas to find better work roads and then raise purchase limits. 93% of India's population works in a sloppy field with a total of 369 million people. Demographic measurements in India show that 45% of the working-age population is well-developed, but could create 150-200 million jobs by 2020. With these factors in mind, the non-life insurance industry typically plans explicit market share protection solutions to raise awareness of protected products.

With better possibilities presented in innovation area, the capacity of the protection business to hold the client base lays in delivering the opportune and compelling arrangement administration.

1. Guarantors to - gather right information, foster new items cost appropriately, work on u/w and claims the executives
2. Investigate potential outcomes of setting up unadulterated medical coverage organization with JV accomplices
3. Back up plans TPAs Data Warehouse to have normal IT system to work with simple information move
4. Government. Develop a national welfare plan for the general public, the elderly and people in crisis in the metropolitan and rural areas. Healthcare support, a plot for the population below the poverty line.
5. Cultivate Public - confidential association Suppliers to be more focused, bring normalization, license and so forth Govt. to control the medical care suppliers IRDA to set up information distribution centre Execute different suggestions of the sub - bunch including.

Conclusion: The public authority to give widespread admittance to free/minimal expense medical care protection can be a significant method for activating assets, giving gamble assurance and maybe, moved along wellbeing results. This situation , the test , then, at that point, for Indian strategy creators to track down approach to refine what is happening in the wellbeing area and to make fair, reasonable and quality medical care open to individuals, particularly poor people and the weak areas of the society. In India has restricted insight of medical coverage. Considering that administration has changed the protection industry, medical coverage will foster quickly in future. The test is to see that it helps poor people and the frail as far as better inclusion and wellbeing administrations at lower costs without the negative parts of cost increment and over utilization of methods and innovation in arrangement of medical services

References:-

1. A monthly e-health insurance news letter of International Institute of Health Management Research, New Delhi, March 2010, Vol.1, Issue7.
2. Consumer perspective on health insurance. Presentation at One day workshop on 'Health Insurance in India'. Indian Institute of Management, Ahmedabad. Oct. 30, 1999.

3. Dholakia R. Economic reforms: Implications for Health Insurance. Presentation at One day workshop on 'Health Insurance in India'. Indian Institute of Management, Ahmedabad. Oct. 30, 1999.
4. Ellis RP., Alam M, Gupta I. 1996 Health Insurance in India: Prognosis and Prospectus. Boston University: Boston and Institute of Economic Growth: Delhi. December 18.
5. Gumber A., Kulkarni V. 2000. Health Insurance for Informal Sector: Case Study of Gujarat. Economic and Political Weekly, Sep. 30.
6. IIMA 1999. Indian Institute of Management, Ahmedabad. Report of the one day workshop on 'Health Insurance in India'. Oct. 30, 1999.
7. IMA 2000. Indian Institute of Management, Ahmedabad. Report on Conference on Health Insurance, March 18-19,2000 and three Technical Workshops on March 15-17,2000.
8. Malaysia, 1999. Report of the "Presentation From Malaysia: Health Financing System in Malaysia - The Country's Experience" in the Seminar "Health Insurance Development" held at Berlin, Germany supported by DSE. Nov. 9-19, 1999.
9. Naylor CD, Jha P, Woods J, and Shariff A, 1999. A Fine Balance: Some Options for Private and Public Health Care in Urban India. The World Bank: Washington DC. May, 1999.
10. Philippines 1999. Report of the Department of Health on "Health Sector Reform Agenda." 1999. Phillipines, Manila. Report presented at the seminar on "Health Insurance Development" held at Berlin, Germany, supported by PSE, Nov.9-19, 1999.
11. Prabhakara "The Evolution of Life Insurance Industry in the last decade (2000 –2010), The Journal of Insurance Institute of India", VOL No. XXXVI, July – December 2010.
12. Prof. K. Srinath Reddy, "A Critical Assessment of the Existing Health Insurance Models in India" 2011, The Planning Commission of India, New Delhi.
13. Ranson MK. 1999 The Consequences of Health Insurance for the Informal Sector: Two NonGovernmental, Non-Profit Schemes in Gujarat. London School of Hygiene and Tropical Medicine; Dept. of Public Health and Policy, Health Policy Unit. May 13, 1999. (Unpublished).
14. Rao S., "Health Insurance, Concepts Issues and Challenges", Economic and Political Weekly, Vol. 39, No. 34 (Aug. 21-27, 2004), pp. 3835-3844.
15. Satia J, Mavalankar D, Bhat R, Progress and Challenges of Health Sector: A Balance Sheet, Indian Institute of Management, Ahmedabad October 1999 Working Paper 99-10-08 Shah M. 1999.

****

Monitoring and Assessment of Pesticide Use Contamination and Impact on Environment and the People Health in Sri Ganganagar, Rajasthan

Manisha Bishnoi* Dr. Harish Kumar**

*Research Scholar, Tantia University, Sri Ganganagar (Raj.) INDIA
** Research Supervisor, Tantia University, Sri Ganganagar (Raj.) INDIA

Abstract - Pesticides are substances that are used for controlling, repelling, mitigating or killing pests that are harmful to man. Some of the pesticides that have been used include but not limited to herbicides, insecticides, fungicides and rodenticides. Most of these pesticides can be grouped in three groups of pesticides namely, oregano-chloride, organo-phosphates and carbamates. Some of the characteristics of these pesticides include toxicity, persistence and bioaccumulation. The application of pesticides affects both the targeted as well as the non-targeted species including man. The parent pesticides, their degr adaption products together with metabolites can be harmful to the environment, ecosystem and to the human health. Due to this the aim of this study was to look into the articles studied on the impact of pesticide pollution on the environment, ecosystem as well as on human health. This was done by assessing both the benefits, effects and risks associated with the continuous use of pesticides as well as ways to mitigate the pesticides pollution problems. The methodology used in the study to look for the review articles was through the internet by going through websites which include Google, Google Scholar and PUBMED. About 70 studies were retrieved which included articles and abstracts. Books from the library with relevant information about the study were also included. The reviewed studies have revealed that there are benefits and risks as well as effects of pesticides pollution on environment. The studies have also revealed that in order to control pesticide pollution, the use of other methods of controlling pests such as integrated pest management (IPM) strategies such as biological as well as cultural could be used to control pests instead of chemical pesticides.
Keywords- Chemical Pesticides, Pesticides Persistence, Integrated Pest Management.

Introduction - Pesticides are essential for farmers in the fight against pests and diseases. About 45% of crops in the world are destroyed by pests and diseases. Therefore, in order to meet the demand for food in the world, it is necessary that pesticides are used to protect crops during growth, storage and transportation. But due to indiscriminate and indiscriminate use of pesticides, residues of these elements are being absorbed into the food chain and environment, which is responsible for widespread contamination of the entire ecosystem. The pesticide and its residues are fat soluble, and have low biological decomposition. Therefore, their residues get accumulated in the adipose tissue in the animal body through the ecosystem and the food cycle and these contaminants can also enter humans through animal food products such as milk and meat.

DDT was first imported into India in 1948 for malaria control and later BHC was used for locust control, after which the use of both insecticides (DDT and BHC) went on increasing for the agriculture sector. Worldwide consumption of pesticides is approximately 2 million tons annually, of which 24% of total consumption is used by the United States and 45% by Europe, and the remaining 25% by other countries in the world.

Classification of pesticides according to its toxicity:

WHO Class		**LD50 for rats (mg/kg of body weight) Oral**	**DERMAL**
Class- Ia	Extremely Hazardous	Less than 5	Less than 5
Class-Ib	Highly Hazardous	5 to 50	5 to 200
Class-II	Moderately Hazardous	50 to 2000	200TO2000
Class-III	Slightly Hazardous	Over 2000	Over 2000
Class-V	Unlikely to present acute hazard	5000 or higher	

Classification of Pesticides according to Chemical

Composition: This is the most popular and useful way of pesticide classification based on chemical makeup. Pesticides such as insecticides, fungicides, herbicides, and rodenticides are also classed based on their chemical compositions.

Importance Of Proposed Research Work: This investigation is an experimental examination that plans to break down whether there are opportunities for replacement towards pesticides with a lower load in field and what the study level should be to achieve this.

1. In view of the anti-agricultural, environmental and health consequences of chemical pesticides, the emphasis on the research of alternative pesticides.
2. That is little or zero harmful and safe for humans and non-human organisms due to biological disintegration of soil, water and air.
3. Do not become contaminated so that adverse insects can be killed, not favorable insects.

Study Area: Area of Sri Ganganagar District: 11154 sq km.

This region falls under agro-climatic zone I-b (Irrigated North-Western Plain).

1. The latitudinal position of Sri Ganganagar district: 28 degree 4 minutes north latitude to 30° 6 minutes northern latitude.

2. Longitudinal position of Sri Ganganagar district: from 72 degree 3 minutes east longitude to 75° 3 minutes east longitude. Kona village (in Ganganagar tehsil, Sriganganagar district) is in the most northerly state of Rajasthan. Sri Ganganagar district has both international and inter-state boundaries. The beginning of the international border with Pakistan is from Hindmalkot in Sriganganagar district.

3. Climate and weather: The climate of Sri Ganganagar is very hot. The temperature reaches 52 ° C in summer and falls around -2 ° C in winter. Normal temperature range between 25 to 35° C.

4. The average annual rainfall is only 20 cm. In terms of the amount of rainfall, climate and water supply, this district falls in the sandy and dry region of Rajasthan, the surface run-off of water in this entire area is not equal.

5. It is an attempt to examine the Soil water quality parameters of the **Ganganagar Tehsil, District Sri Ganganagar of Rajasthan.**

Materials And Methods: The main objective of the study done was Monitoring and Assessment of pesticide Use Contamination and Impact on Environment and The People Health. Ganganagar tehsil of Sriganganagar Distics, (Rajasthan) has been selected to get information about the impact of pesticides on environment and human health (Duration 2020-21).

Sample Collection And Analysis:

1. Ganganagar tehsil of Sri Ganganagar district of Rajasthan was visited during the period 2020 to 2021.
2. Data collected from the sampling site
3. Primary and secondary data collection.
4. The sampling site was selected on the basis of preliminary survey and available secondary data was collected.
5. The locations were identified with the help of GPS and later plotted in GIS.
6. Ganganagar tehsil present in Sri Ganganagar district of Rajasthan has been selected for the study area.

Experimental Details

Pesticide Analysis – Water And Soil

Water: The physic-chemical parameters of surface and groundwater samples were analyzed as per the standard procedures. Parameters and methods adopted for physic-chemical analysis of surface water and ground water

S.	Parameters Analyzed	Unit	Method/ Instruments	Reference
1.	Temperature	ºC	Thermometer	APHA, 1998
2.	pH	pH unit	pH meter	APHA, 1998
3.	Conductivity	µS/cm	Conductivity meter	APHA, 1998
4.	TDS	mg/L	TDS meter	APHA, 1998
5.	Chloride	mg/L	Argentometry	APHA, 1998
6.	Hardness	mg/L	EDTA titrimetry	APHA, 1998
7.	DO	mg/L	Winkler Method	APHA, 1998
8.	BOD	mg/L	———-	APHA, 1998
9.	COD	mg/L	————	APHA, 1998
10	Nitrate	mg/L	Brucine method	APHA, 1998
11.	Phosphate	mg/L	Stannous chloride method	APHA, 1998
12.	Sulphate	mg/L	Turbidimetric method	APHA, 1998

Soil: The collected soil samples were air dried, grounded and sieved. The parameters analyzed were pH, conductivity, total organic carbon, available nitrogen, available phosphorous and available potassium. Parameters and methods adopted for physic-chemical analysis of soil

S.	Parameters Analyzed	Unit	Method/ Instruments	Reference
1.	pH	—-	pH meter	Baruah & Barthakur, 1997
2.	Conductivity	mS/cm	Conductivity meter	Baruah & Barthakur, 1997
3.	Total Organic Carbon	%	Walkley and Black	Baruah & Barthakur, 1997
4.	Available Nitrogen	kg/ha	Alkaline potassium permanganate	Baruah & Barthakur, 1997

5.	Available Phosphorous	kg/ha	Bray & Kurtz	Baruah & Barthakur, 1997
6.	Available Potassium	kg/ha	Morgans extraction	Baruah & Barthakur, 1997

Result And Discussion: Perspective of the farmer's general awareness of the negative impact of pesticides Different studies that have been conducted throughout India has explored farmers' perspectives on the dangers of agrochemicals (Rother, 2008; Marquis 2013).

Environmental Pollution From Pesticides: The threat to the environment from pesticides depends on the amount and toxicity of pesticides used. Organochlorine insecticides are very stable compounds and take a few months to several years for their dissolution. It has been estimated that soil degradation of DDT can last from 4 to 30 years, whereas other chlorinated organochlorine insecticides may remain stable in the environment for many years after their use. Contaminants, feed and feed are the main sources of entry of pesticides into the animal's body. Once the animal body is contaminated by pesticide residues, it not only directly affects the animals, but it also affects human health through milk and meat and other animal products.

Harmful Effects Of Pesticides On Human Health
(see in next page)

Harmful Effects Of Pesticides On Climate Change: Current-use pesticides have thus been the subject of numerous field measurements in air, water, and soil. Pesticides are released into the environment by aerial (plane), tractor, and handheld applicators. During application, liquid (usually water) pesticide droplets can be carried away from the intended target (spray drift) and are subject to pesticide volatilization from the droplet. "Different indicators of farmers' relationships with pesticides are their use of personal protective wear, their hygienic and sanitation practices and their abilities to understand labels, colour codes and pictograms on the sides of agrochemical containers (Rother, 2010)".

Conclusion

The harmful effects of pesticides on human health and Environment can be consumed up as follows:

1. There are many options available to reduce the effects of pesticides Effect on the environment & Human body.
2. Options include manual removal, applying heat, covering weeds with plastic, netting and baiting, removing insect breeding sites, maintaining healthy soil that produces healthier, more resistant plants, cropping native species that are native. Are naturally more resistant to pests and supporting bio-control agents such as birds and other insect predators.
3. Biological controls, such as the use of resistant plant varieties and pheromones, have been successful and sometimes permanently resolves a pest problem.
4. Integrated pest management (IPM) uses chemicals only when other options are ineffective.
5. IPM causes less harm to humans and the environment. The focus is on a specific pest, considering a range of pest control options.

References :-

1. Aldrige JE, Seidler FJ and Slotkin TA. (2012) Developmental exposure to chlorpyrifos elicits sex-selective alterations of serotonergic synaptic function in adulthood: critical periods and regional selectivity for effects on the serotonin transporter, receptor subtypes, and cell signalling. Environmental Health Perspectives, 112: 148 – 155
2. Antle JM and Capalbo SM. (2018) Agriculture as a Managed Ecosystem Policy Implications (2009). Journal of Agricultural & Resource Economics,23:1- 15.
3. Boateng JO, Nunoo FKE, Dankwa HR, et al. (2013) A toxic effects of deltamethrine on tilapia, Oreochromis niloticus (Linnaeus, 1758). West Africa Journal of Applied Ecology, 9: 1 - 5.
4. Chindah AC, Sikoki FD and Vincent-Akpu I. (2015) Chances in haematological characteristics of a bony fish, Tilapia guineensis (Bleeker, 1982), exposed to common pesticides in the Niger Delta wetland, Nigeria. Accra: National Science & Technology press: Ghana Jnl agric Sci, 8: 59-67.
5. Coalition for African Rice Development (CARD). (2017) National Rice Development Strategy (NRDS). Pesticide persistence and bound residues in soilregulatory significance. Environmental Pollution, 133: 5-9.
6. Deb N and Das S. (2019) Chlorpyrifos toxicity in fish: A review. Current World Environment, 8: 77-84.
7. Etzel RA, Forthal DN, Hill RH, et al. (2015) Fatal parathion poisoning in Sierra Leone. Bulletin of the World Health Organization, 65: 645 - 649.
8. Levitan L, Merwin I and Kovach J. (2014) Assessing the relative environmental impacts of agricultural pesticides: the quest for a holistic method. Agriculture, Ecosystems and Environment 55: 153-168.
9. Rother H, et al. (2016) Pesticide safety training & pract ices in women working in small-scale agriculture in India.Occupational & environmental medicine, 67: 823–828.
10. Pareja L, Fernandez-Alba AR, Cesio V, et al. (2015) Analytical methods for pesticide residues in rice. Trends in Analytical Chemistry, 30: 270 - 290.
11. Pingali PL and Roger PA. (2016) Impact of pesticides on farmer health & the rice environment. Springer, 7: 612- 614
12. Roberts J. (2018) Research methods in cultural-anthropology - bernard,hr. American anthropologist 91: 253-254.
13. Rother H-A. (2014) Indian farm workers' interpretation of risk assessment data expressed as pictograms on pesticide labels. Environmental Research 108: 419-427.
14. Rother H-A, Hall R and London L. (2016) Pesticide use among emerging farmers in South Africa: contributing factors and stakeholder perspectives.: Development India, 25: 399–424.
15. Sande D, Mullen J, Wetzstein M, et al. (2011) Environmental Impacts from Pesticide Use: A Case Study of Soil Fumigation in Florida Tomato Production. International Journal of Environmental Research and Public Health, 8: 4649- 4661. 28

Harmful Effects Of Pesticides On Human Health

Pesticide/Class	Effect
Organochlorine DDT/DDE	Endocrine Disruptors
	Thyroid dissociation properties in rodents, birds, amphibians and fish
	Acute mortality due to inhibition of acetylcholinesterase activity
DDT	Eggshell thinning in DDT reptorial birds
	Carcinogen
	endocrine disruption
DDT/Diclofol, Diedrin and Toxaphene	Decline in juvenile population and adult mortality in wildlife reptiles
Susceptibility to DDT/ toxaphene/parathion	Fungal infections
Triazine	Earthworms infected with the monocystoid gregarine
Chlordane	Interacts with the vertebrate immune system
Carbamates, the phenoxy herbicide 2,4-D,and atrazine	Interact with the vertebrate immune system
Anticholinesterase	Bird poisoning
	Animal infections, disease outbreaks and high mortality rates.
Organophosphate	Thyroid dissociation properties in rodents, birds, amphibians and fish
	Acute mortality due to inhibition of acetylcholine esterase activity
	Immunotoxicity, mainly due to inhibition of serine hydrolysis or esterases
	Oxidative damage
	Modulation of the signal transduction path
	Impaired metabolic functions such as thermoregulation, water and/or food intake and behavior, impaired development, reduced reproduction & hatching success in vertebrates.
Carbamate	Thyroid disruption properties in rodents, birds, amphibians and fish
	Impaired metabolic functions such as thermoregulation, water and/or food intake and behavior, impaired development, reduced reproduction & hatching success in vertebrates.
	Interaction with the vertebrate immune system
	Acute mortality due to inhibition of acetylcholine esterase activity
Phenoxy herbicide 2,4-D	Interacts with the vertebrate immune system
Atrazine	Interacts with the vertebrate immune system
	Lower northern leopard frog (Rana pipiens) populations because atrazine killed phytoplankton, thus allowing light to penetrate the water column and releasing assimilated nutrients from the periphyton for plankton. Perifyton development provided more food for grazing populations, which provide intermediate hosts for the growing trematode snail.
Pyrethroid	Dissociation properties in rodents, birds, amphibians and fish
Thiocarbamate	has thyroid disintegrating properties in rodents, birds, amphibians and fish
Triazine	Thyroid Disruption Properties in Rodents, Birds, Amphibians and Fish
	Impaired metabolic functions such as thermoregulation, water and/or food intake and behavior, impaired development, reduced reproduction & hatching success in vertebrates.
Neonicotinoic/nicotinoid	Respiratory, cardiovascular, neurological, and immunological toxicities in rats and humans
	Disrupt biogenic amine signaling and subsequently cause olfactory dysfunction, as well as affect foraging behavior, learning and memory.
Imidacloprid, imidacloprid/ pyrethroid-Cyhalothrin	Growth rate and new queen production in terms of impaired forage, brood development and colony success.
Thiamethoxam	Bee worker mortality due to household failure (colony collapse risks remain controversial)
Flupyradifuronefur	High Lethal and sublethal adverse synergistic effects in bees. Its toxicity depends on season and nutritional stress, and can enhance bee survival, food consumption, thermoregulation, flight success and flight velocity.It has only one mode of action for neonicotinoids.
Spinocenes	Influence various physiological and behavioral traits of beneficial arthropods, particularly hymenopterans
Bt corn/cry	Decreased abundance of some insect taxa, mainly susceptible lepidopteran herbivores as well as their predators and parasites.
	Reduced availability of herbaceous food and adverse secondary effects on soil invertebrates and butterflies
	Decreased species abundance and diversity in small mammals.
Benomiley	Patch-level floral display and subsequent total number of bee visits decreased by two-thirds and visitors changed from large bodied bees to small bodied bees and flies
Herbicide & planting cycles	Decrease survival and reproduction rates in seed-eating or carnivorous birds

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XL

A Comparative Study of Solid Waste Management in Urban and Rural areas of Kota (Rajasthan)

Dr. Sapna Bhargava (Vyas)* Pavan Patidar Pragya Malav*****

*Deptt. of Zoology, University of Kota, Kota (Raj.) INDIA
** Deptt. of Zoology, University of Kota, Kota (Raj.) INDIA
*** Deptt. of Zoology, University of Kota, Kota (Raj.) INDIA

Abstract - In recent years, environmental pollution has drawn increasing attention. Human activity produces trash, and the handling, storage, collection, and disposal of waste can have an adverse effect on the environment and public health. The goal of the current study was to gather and create specific facts and figures regarding the solid waste produced in Kota's urban and rural areas (Rajasthan). The growth of the urban population and the resulting demand for food and other necessities led to an increase in the amount of waste that each family produces each day. According to the current study, each person produces 662 grams of solid trash per day in metropolitan areas, compared to 263 grams per day in rural areas. It was discovered that 80 dumpers were engaged in Kota city to collect solid trash, and that each dumper gathered, on average, 7500 kg of rubbish each day. This indicates that each dumper collected 60,000 kg of waste from 65 Kota city wards each day. When compared, the SWG in rural regions ranged from 400 to 600 gm, but in urban areas, it was discovered that 1.6 kg of solid waste were produced daily per family. This indicates that the urban population produces 20 times more solid waste than those living in rural areas. Results also demonstrate that 600 tonnes of SW are collected daily on average from trash dumped in the trenching grounds of Kota. Then it may be calculated that about 21,90,000 tonnes of solid garbage would be collected year, or 18,000 tonnes on average, in a month. These are incredibly shocking numbers for solid waste collected because they are much lower than the actual figures for how much solid waste is produced daily by the entire population.
Keywords- Solid waste, trenching ground, dumpers, public health, environmental pollution.

Introduction - Environmental pollution has received increasing attention in recent years. Pollution of land surfaces was ignored until recently, and it was not until the mid-1960s, with the passage of the Solid Waste Disposal Act (1965), that concerted action was launched to control and prevent land pollution. A waste is defined as any waste or mixture of waste that is renewable in nature and originates in the urban, municipal, or industrial sectors. Human excreta, domestic waste, city garbage, business waste, and industrial waste are all examples of solid waste. These wastes get out in the environment as a result of inadequate waste management infrastructure and treatment. The waste problem could be alleviated by implementing improved and scientific methodologies, as well as environmentally friendly technologies, for garbage collection, treatment, and processing.

Municipal solid waste (MSW) includes wastes such as durable goods, nondurable goods, containers and packaging, food wastes yard wastes, and miscellaneous inorganic wastes from residential, commercial, institutional, and industrial sources.

The activities of human produces waste and the ways in that waste is handled, stored, collected, and disposed of can create problems to the environment and to public health. Solid waste management (SWM) includes all activities that reduce health, environmental, and aesthetic impacts of solid waste. In the urban areas of most of the developing cities solid waste management has become a very serious problem. Municipal authorities understand the importance of solid waste management but due to rapid growth of population there sources became scarce.

Municipal Solid Waste (MSW) is a heterogeneous mixture of different constituents out of which around 50% is organic. Rapid population growth and uncontrolled industrial development are seriously degrading the urban and semi-urban environment in many of the world's developing countries, placing an enormous strain on natural resources and undermining efficient and sustainable development(Joshi et al., 2001)The municipal solid waste collection systems serve only a small fraction of the urban and semi-urban population. The population remaining without waste collection services is usually the low-income population living in the semi-urban areas. Waste collection efficiency is a function of both manpower availability and transport facilities (Kumar and Tayade, 2008). According to survey only 40% of total waste is collected rest of the

60% waste is dumped directly in streets and drains which results in chocking of drains, growth of flies and rodents, flooding and spreading disease.

The waste collected is directly disposed to unscientific open dump site. The leachate produced from these sites pollutes ground water quality. Greenhouse gases mainly methane and carbon dioxide also emitted from these landfill sites which causes global warming. Visvanathan et.al. (2001)

The waste generated per capita in Asia is around 0.2kg/ day to 1.7kg/day. Solid waste is being disposed in open dumping sites in most of the Indian cities which poses a risk for environment (Mufeed, 2006). The collection efficiency is less than 50%. There is lack of waste bins and also bins are not allocated properly on roadsides. So Waste is scattered here and there, results in flooding, dirty streets, blocking of drains. As early as 50 years ago, Wolman (1969) presented a "City Metabolism" model in which he emphasized on the importance of proper waste management of a city. He told "The metabolic cycle is incomplete until the wastes have been removed and disposed of with a minimum nuisance and hazard" Solid Waste Management (SWM) mainly includes five functional elements that are storage & collection, transportation, treatment and processing and Disposal of waste. The aim of waste management is to create a healthy environment without disturbing the natural environment.

Municipal solid waste management therefore continues to be a major headache for local governments in both urban and rural areas across the world (Wang et al., 2011). The effects of ineffective waste collection and poor waste management is countless. Insufficient collection and poor disposal practices generate serious health related problems to humans and the environment (Loboka et al., 2013).

Over the last century, the world has seen a considerable increase in amounts of waste discharged into the environment. Waste creates environmental consequences such as surface and groundwater contamination by leachate; contamination of the soil by direct waste contact or leachate and of the air when burnt; the spread of diseases by vectors such as birds, insects and rodents; and the uncontrolled release of methane from anaerobic waste decomposition.(Ebreo et al., 2002; Mosler et al., 2006; Vidanaarachchi et al.,2006). Municipal solid waste (MSW) or urban solid waste is normally comprised of food wastes, Rubbish, demolition and construction wastes, street sweepings, garden wastes, abandoned vehicles and appliances, and treatment plant residues. Quantity and composition of MSW vary greatly for different municipalities and time of the year. Factors influencing the characteristics of MSW are climate, social customs, per capita income, and degree of urbanization and industrialization.

Waste Management is a globally challenging issue especially in developing countries, due to its adverse environmental effects. Waste management is imperative because improperly stored refuse can cause health, safety and economic problems. All living organisms create waste, but humans create far more waste than other species. To prevent damaging the Earth's ecosystems and maintain a high quality of life for the planet's inhabitants, humans must manage and store their waste efficiently and safely. In addition, the problem of municipal waste has also turned into a global challenge because of an exponentially increased population, rapid urbanization and worldwide industrialization and limited resources.

At present, annual production of solid waste is estimated to be about 1.6 billion metric tons, with a large proportion coming from many developing countries (Ahmed and Ali, 2006).The public form the largest category of stakeholders in waste management systems and have a multi-faceted relationship with waste management activities: as waste generators, waste service clients, receivers of information and participants in waste management and urban sanitation (Ball and Tavitian, 1992, Joseph, 2006).

Studies found that the cost of waste management is reduced if the community participates by segregating its waste (Agarwal et al., 2005, Rathia, 2006). The substantial reduction in cost with community participation is achieved due to separation of waste at source, which in turn leads to a reduction in the requirement for community bins and transportation of waste (Gupta et al., 1998, Agarwal et al., 2005, Rathia, 2006). However, many local authorities do not recognize the importance of the public in their waste management systems (Awortwi, 2004; Goldstein, 2005). Public cooperation is influenced by the perceived logistics (location of the recycling center) and convenience of the system. Previous research shows that logistics and convenience have a direct influence on the level of participation (Martin et al., 2006).

Access to improved sanitation contributes to human health, dignity, security and wellbeing of people (Sida, 2012). On the other hand, poor sanitation is one of the most accurate indicators of health problems (Prasad, 2013). Due to rapid urbanization, environmental sanitation problems are at the heart of the woes of African countries. The proliferation of urban population comes with its rising demand for food and other essential services which in turn increases the waste generated daily by each household (Zhu et al., 2008).

"Municipal Solid Waste" is all type of solid and semi solid waste which is generated from commercial and residential areas, it does not generally include Industrial hazardous waste but including treated bio-medical wastes. MSW consist of all the waste resulting from human activities such as dead animals, waste on streets, institutional waste and commercial units.

However, the term is generally applied to incorporate domestic waste (waste generated from household activities like cooking, cleaning, repairing, redecoration, plastic and glass containers, packaging, clothing, papers etc.), Institutional wastes (wastes generated from offices,

departmental stores, hotels and restaurants, marriage halls, markets and other commercials units). Various types of wastes and their sources are given in Table 1.1

Table 1.1 (see in last page)

Present study aims to collect and establish a concrete figure and data about the solid waste being produced out in the urban and rural areas of Kota (Rajasthan) so as to set a goal to overcome the problems created by the miss-management of solid waste. Study is focused on

1. Types of solid waste generated by per individual per day.
2. Average dumping of solid waste in trenching ground Kota.
3. Comparison of average solid waste generated in rural and urban Kota.
4. Dumping method, type and treatment of solid waste management Kota.

Materials And Methods: In the present study, point to point survey method was employed. Extensive field survey technique was adopted for the gathering primary data. Data were collected through a semi structured questionnaire, direct observation and interview method. Focused group personal interview with the local landlord and dumping teaching ground operator and charge handler were randomly selected as a sample for the study. During the field work all the data and information regarding the solid waste management and dumping area were collected and compared in urban and rural area.

Study Area: The study was conducted during January 2020 to April 2021 and data were collected from study areas. namely -Dadabari, Basant vihar, Keshavpura area, Digod area and dumping yard trenching ground of Kota. **Fig (01)** and **Fig (02)**

Fig.01 Map showing the geographical location of Kota in map of RAJASTHAN

Fig.02 Selected study areas of Kota

Results: According to the current study, an individual in urban areas generates approximately 662 gm of solid waste per day. It was discovered to be approximately in rural areas. 263 gm. This demonstrates that the amount of solid waste generated by each individual in urban areas was greater than that of rural people. Fig.(03)

The results of solid waste dumping in Kota's trenching ground show that a total of (roughly) 80 dumpers (trucks) were used in Kota for solid waste collection. And each dumper collects or transports 7500 kg of waste per day on average. This equates to 600,000 kg of waste collected by dumpers (trucks) from Kota's 65 wards.

The average waste dumping in Kota's trenching ground results in the collection of 600 tonnes of solid waste per day. That equates to 180000 tonnes of solid waste collected in one month and approximately 2190000 tonnes collected per year. These are extremely shocking solid waste collection figures because they are far less than the actual data per day per individual solid waste generated by the total population.

The amount of waste generated per day per house was discovered to be higher in urban areas, i.e. Digod generates 400-600 gm of solid waste per day, with an average of 1.6 kg of solid waste generated per house per day in urban (selected) areas. This data clearly shows that the urban population generated approximately 20 times the amount of solid waste as the rural population.

The results of the dumping method used for the management of solid waste were disappointing because Kota is said to be the hub of education, but the increase of solid waste management done in urban Kota is done in landfills which were made sixteen years before the current study and which have been completely filled in the past few years and now the solid waste is dumped in that area interacted or without any separation. Inhaled by passers-by may cause serious health problems. When discussing solid waste management in rural areas, it was discovered that dumping is done in open areas, i.e. the waste is scattered here and there, making the place untidy and unsanitary. The treatment of solid waste management is not practised in rural areas, and no dumping yards have been established. (Table 1.2)

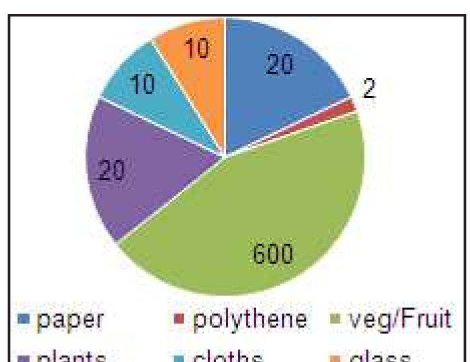

Fig.03 – Showing daily average individual waste generated in urban area (per house).

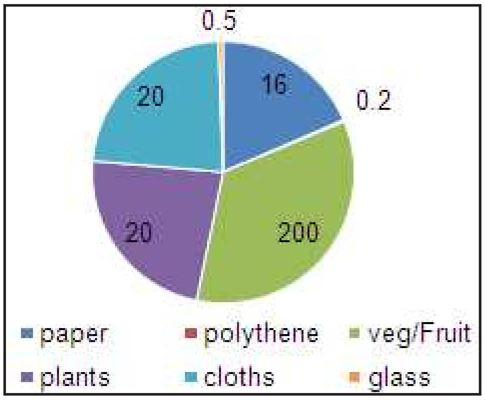

Fig.-04Showing daily individual waste average in rural area (per house)

Table-1.2 Solid waste and dumping status in urban and rural areas

S.	Area	Dumping method	Type	Treatment
1	Rural (Digod)	Open dumping	Scattered	No treatment
2	Urban (Kota)	Landfill	Heap formation	Partial treatment

Conclusion: In Kota, managing solid waste has been a major issue (Rajasthan). Studies conducted here have revealed the problem to be among the most serious threats to the environment. It is of great concern and is clearly found to increase with population and development.

Municipal waste management has improved slightly. However, a number of factors influence waste management performance. The present study set out a goal to investigate the elements of governance and public community participation in solid waste management in Kota city. Administratively, the current state of solid waste management does not appear to be proactive in terms of achieving the targets.

Conclusively, on a broad scale, integrated waste management is strongly advocated in the current study as the best approach to incorporating and managing the increasing volume of waste in the Kota municipality area. The Kota municipality disposes of waste in landfills, which is the least preferred method in the integrated waste management approach. The waste management system promotes community participation and raises awareness. Furthermore, it encourages community participation through awareness of waste pickiness, and their market must be more secure.

However, the poor performance of the municipal solid waste system discovered in this study is due to poor implementation of laws, a lack of awareness, and a low budget or minimum infrastructure for solid waste management, all of which demoralise community participation. Furthermore, the use of an integrated waste management approach combined with strong will power has been recommended as the best way to manage solid waste.

References:-

1. Agarwal, A., Singhmar, A., Kulshrestha, M., and Mittal, A. K. (2005) Municipal solid waste recycling and associated markets in Delhi, India. Resources, Conservation and Recycling, 44, 73-90.
2. Ahmed, S. A. and Ali, S. M. (2006) People as partners: Facilitating people's participation in public-private partnerships for solid waste management. *Habitat International*, 30, 781796.
3. Alam, R., Chowdhury, M. A. I., Hasan, G. M. J., Karanjit, B., and Shrestha, L. R. (2007) Generation, storage, collection and transportation of municipal solid waste - A case study in the city of Kathmandu, capital of Nepal. *Waste Management, In Press, Corrected Proof.*
4. Awortwi, N. (2004) getting the fundamentals wrong: Woes of public-private partnerships in solid waste collection in three Ghanaian cities. *Public Administration and Development, 24, 213-224.*
5. Ball, R.and Tavitian, N. (1992) Public response to waste paper recycling schemes. *Resources, Conservation and Recycling*, 6, 117-131.
6. Gupta, S., Mohan, K., Prasad, R., Gupta, S. and Kansal, A. (1998)"Solid waste management in India: options and opportunities." *Resources Conservation and Recycling* 24(2): 137-154.
7. Joshi et. al.(2001) reported on Rapid population growth and uncontrolled industrial development.
8. Kumar, tayate (2008) suggested on solid waste collection system.*Waste management and research,* 8, 229-242.
9. Loboka,M.K., Q. Shihua, J.L. Celestino, S.O. Hassan and S. Wani, 2013. Municipal solid waste management practices and fecal coliform water contamination in the cities of the developing countries: The case of Juba, South Sudan. *Int. J. Environ. Sci., 3(5)*: 1614-1624.
10. MufeedSharholy, KafeelAhmad et al (2008) "Municipal solid waste management in Indian
11. Cities", *Journal of Waste Management,* Vol.28 (4), pp 459–467.
12. Prasad, B.A., 2013. Urban sanitation: Health challenges of the urban poor. *Res. J. Fam. Communit. Consum.Sci, 1(3)*: 1-6.
13. Sida, 2012.Water and Sanitation. Information Brief No. 6, Department for International Organizations and Policy Support, Sida, 105 25 Stockholm, Sweden, 2012: 1.Upadhyaya, R. and Shukla, N.P. (1987) *"Solid waste management." Chemical Age of India 38(11):* 605-608.
14. Vidanaarachchi, C. K., Yuen, S. T. S., and Pilapitiya, S. (2006) Municipal solid waste management in the Southern Province of Sri Lanka: Problems, issues and challenges. Waste Management, 26, 920-930.

15. Visvanathan et.al. (2001) worked on "disposal of waste".*Public Administration and Development*, 24, 213-224.
16. Wang, H., J. He, Y. Kimand T. Kamata, 2011. Municipal solid waste management in small towns: An economic analysis conducted in Yunnan, China. Proceeding of the Pakistan Country Report on Waste Not Asia Conference 2001: Environment and Energy Team. WWF (World Wildlife Fund), Pakistan.*Development Research Group, the World Bank, Taipei, Taiwan.*
17. Wilson, D. C.,Velis, C., and Cheeseman, C. (2006) Role of informal sector recycling in waste management in developing countries.*Habitat International*, 30, 797-808
18. Wolman (1969)worked on "city metabolism". Waste Management and Research, 20, 328-331
19. Zhu, D.,P.H.Asnani, C.Zurbrugg, S.Anapolsky and S.Mani, 2008. Improving Municipal Solid Waste Management in India, a *Source Book for Policy Makers and Practitioners. World Bank, Washington D.C.*

Table 1.1: Classification of municipal Solid Wastes (RUIDP, 2002)

S.	Types of solid waste	Description	Source
1.	Waste from food (Garbage)	Waste fro, cooking and serving of food, market refuse, hotel and restaurants wastes, meat and vegetables.	Hotel, Restaurant, Markets, Vegetable shops
2.	Rubbish	Combustible - food& yard waste .woods, Paper, card board, boxes, plastics, rags, cloth, bedding, leather, rubber, grass, leaves, yard trimming.Non-Combustible (Primary inorganic) ash & fine earth materials, metal scrap,stones, glasses, Aluminium containers.	Hotel, Restaurant, Markets, Vegetable shops
3.	Ashes and residues	Residue from fires used for cooking and for heating buildings, Cinders, clinkers and thermal power plants.	Construction Sites, factories.
4.	Street waste	Street sweeping, dirt, leaves, catch basin dirt, animal droppings and contents of litter receptacles, dead animals.	Streets sidewalks, alleys, vacant lots, etc.
5.	Dead Animals	Cats, dogs, poultry, horses, cows etc.	Waste from Slaughterhouses
6.	Bulky waste	Auto parts, tyres, stoves, refrigerators, furniture, trees, branches.	
7.	Construction and demolition waste	Stones, roofing, and sheathing scraps, crop residues, sand , broken concrete, plaster, pipe, wire, insulation etc.	Sites of construction and demolition
8.	Industrial waste and Sludge	Solid waste resulting from industry processes and manufacturing operations, such as metal Scraps. Food processing wastes, chemical industries waste, wood, and metals scraps and shaving etc. Sewage treatment plant sludge,pesticides.	Metal industries, thermal power plants, chemical and fertilizer industries, factory.
9.	Hazardous wastes	Nuclear waste, pathological wastes, explosives, adioactive material, toxic waste etc.	Households, hospitals, institution, stores etc.
10.	Horticulture wastes	Trimmings from trees, leaves	Parks, gardens, roadside trees etc.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XL

Relevance of Shakespeare's Macbeth in Present Society

Dr. Manjari Agnihotri *

*Prof. (English) Govt. Girls College, Sehore (M.P.) INDIA

Abstract - William Shakespeare, the strong pillar of English literature and the shining planet of the literary Universe, contributed invaluable treasure to the history of English Literature. As a dramatist he earned a remarkable place because all his plays have universal appeal. Shakespeare's freshness is perennial. In this concern Ben Jonson rightly comments-"that he was not of an age but of all ages, not of one country but of all countries. Nature herself was proud of his design." His all plays, whether they are comedy, tragedy or historical plays, are still relevant for modern society, because Shakespeare is powerful enough to peep psychologically into the character of a person, into his feelings, his nature, his behavior along with the features of the society. He wrote dramas for the contemporary society and audience but they are enjoyed even today with same enthusiasm. Shakespeare managed to depict many truths about the human race accurately; many in modern society fit the profile of Macbeth in one sense or another, partly because human nature hasn't changed a great deal since the Elizabethan era. Themes such as ambition, guilt, shame, anxiety, paranoia, trauma, mental illness, psychological vulnerability, envy, inferiority, manipulation, greed and murder are still relevant in the 21st century. Shakespeare holds a mirror to human nature and to the society. So, Macbeth is not only a story of an ambitious man but it narrates the psychology of every person who wants to be powerful by any means. Even the modern man acts with the psychology of Macbeth and Lady Macbeth, and persons like Banquo are murdered today. The appetite of over ambition and power leads a man to the path of degeneration is purely applicable for present society.

Introduction - As a literary artist Shakespeare carved his name with golden letters on the plate of history of English Literature. He is the strong pillar of English literature and the shining planet of the literary Universe as well as contributed the invaluable literary treasure to the history of English Literature. As a dramatist he earned a remarkable place because all his plays have universal appeal. Shakespeare's freshness is perennial. In this concern Ben Jonson rightly comments that "he was not of an age but of all ages, not of one country but of all countries He is not a man of an age but of all time. Nature herself was proud of his design." In Shakespeare's tragedies, all his powers-his dramatic power, his intellectual power, and power of expression-are at his best. His supreme artistic power supports him to peep into life of a character and observe him psychologically. This unique divine power provides him an opportunity to present characters as social persons whether they belong to any class of the society. Shakespeare has raised them above their particular circumstances endowed them with universal human traits by which they appeal to people in all lands and in all ages. His man and woman are not merely superficial studies of contemporary society but they are true to the eternal facts of human nature. Shakespeare's study of human nature is so deep and true that his characters may be of higher class or of royal family but they are presented with the nature, feelings, ambitions, psychology of common man. The American author Marchette Chute in the introduction of her book Stories from Shakespeare write: "William Shakespeare was the most remarkable storyteller that the world has ever known. Homer told of adventure and men at war, Sophocles and Tolstoy told of tragedies and of people in trouble. Terence and Mark Twain told comic stories, Dickens told melodramatic ones, Plutarch told histories and Hans Christian Anderson told fairy tales. But Shakespeare told every kind of story–comedy, tragedy history, melodrama, adventure, love stories and fairy tales– and each of them so well that they have become immortal. In all the worlds of story telling his is the greatest name."

This universal appeal of Shakespearean dramas has made all the Shakespearean dramas relevant for the modern society. If we compare the character of Macbeth with the man of present day, we will find a queue of many Macbeths with the traits of Shakespearean Macbeth. Macbeth is a tragedy about a power hungry man who got pulled into the world of power and crime, eventually leads to insanity, madness, and later death. Although this play is written in 1700s still it is relevant to today's society. Macbeth

is relevant for modern society. Shakespeare managed to depict many truths about the human race accurately; many in modern society fit the profile of Macbeth in one sense or another, partly because human nature hasn't changed a great deal since the Elizabethan era. Themes such as corruption, power, ambition, guilt, shame, anxiety, paranoia, trauma, mental illness, psychological vulnerability, envy, inferiority, manipulation, greed and murder are still relevant in the 21st century. Shakespeare holds a mirror to human nature and to society. So, Macbeth is not only a story of an ambitious man but it narrates the psychology of every person who wants to be powerful by any means. Even the modern man acts with the psychology of Macbeth and Lady Macbeth, and persons like Banquo are murdered. The appetite of over ambition and power leads a man to the path of degeneration is purely applicable for present society.

The relevance of Macbeth exists even today. Its quality, universality, victory of good over evil, psychology of characters, over domination of ill will, everything tell the story of today's life. Macbeth remains relevant in the modern society because its themes are timeless. Ambition, political corruption, and human folly are elements of the human condition. The justification at the end makes 'Macbeth' a drama of all ages.

If we talk about Macbeth, he is the General of the king Duncan's army. In spite of being posted on a higher post he is dissatisfied with his present success. He is over ambitious person which is the effect of Renaissance shown by Shakespeare in the character of Macbeth. The feeling of over ambitiousness is not a part of 16th century but this feeling still exists in this present 21st century. In this materialistic world and present society every person is over ambitious and some persons are overwhelmed by it to such extent that they may go down to any limit at any cost. The appetite of over ambition and power leads a man to the path of degeneration is purely applicable for present society. Too much ambition has many negative impacts, which we can learn from Macbeth very easily. People today would not be determined to kill a king, but they want to remain the best achievers in every concerned field. They become so mad for the fulfillment of the ambition that they shut their eyes and become blind to the consequences and the reality. The ambition of succeeding the goal causes them pain in the end, just like Macbeth. Ambition is good, it is motivation for people to do what they want, but too much ambition has many negative impacts as we learn from Macbeth.

In Shakespeare's 'Macbeth' the words of witches 'fair is foul, foul is fair' visualize the indulgence of people in the quag of this materialistic world. How a person of velour and virtue astray from his path only due to his inner force of evil like greed, ill-will, ambitions, holding of supremacy. Once a person treks the path of evil against his conscience he loses humanity and all his human feelings. He gets cut off from good and God and gradually sinks into utter despair and suffers from spiritual agony. The predictions of the supernatural powers germinate in Macbeth the seeds of crime. Present society also confirms Shakespeare's universality. Like Macbeth many persons commit heinous crime under any outer or inner enforcement of over ambition. Even many politicians, higher class people do the crime directly or indirectly for their supremacy. Many times loyal persons like Banquo are punished and criminals are awarded.

"Macbeth has been termed the Tragedy of Ambition…..Ambition alone calls into operation the forces that bring about the central deed and its train of fearful results. In Macbeth himself it is selfish ambition, the unqualified passion to possess what is not his, the conscious self-seeking that confesses itself to itself and dispenses with the hypocrisy of self-exculpation."{1}. therefore, the over-ambitious nature of Macbeth leads him to his downfall. The witches stimulate the dormant ambitions in Macbeth's heart. This vaulting ambition makes him bold and bloody and leads him to commit King Duncan's murder. Here in the present age, man's witches are represented by the ill will of a person which provokes and leads him to immortal path. And thus, a total reverse of fortune comes to a man of high degree and strikes him down in his pride. His fate not only affects the welfare of himself but of family, society or even of the whole nation, when he falls suddenly from the height of earthly greatness to the dust.

Besides it, Shakespeare's power of understanding of human nature, capacity to delve deep into the psyche of an individual, mastery over human psychology, understanding of human emotions, sentiment, instincts have made him the greatest philosopher of human heart. The characters of his dramas react not only for the social circumstances of the Elizabethan era but of all ages. They reflect the mental reaction of person of present society. This is not a mental conflict of only Lady Macbeth, but the person of every age. Every person suffers from a conflict between conscience and ambition after committing a crime. He can't come out from the web of hideousness of the crime. Every time the crime haunts him as in Macbeth, after the murder of King Duncan. Lady Macbeth's natural abhorrence of blood is pathetically revealed. She was obsessed with the horror and smell of blood and cannot be getting rid of the nauseous odors from her hands.

"Here's the smell of the blood still; all the perfumes of Arabia
will not sweeten this little hand. Oh!, Oh!, Oh!"

The realization of the hideousness of their crime dawns on her soon after the murder. The glory of her dream fades away. A person also feels exhausted, sleepless and finds himself as a victim of inner and outer conflict. The psychological analysis of Shakespeare makes his Macbeth to realize a person about his guilt and the result to be gripped by the fear of consequence of the murder. These words reflect the mental fear and commitment not to do the wrong to anybody at any time.

I'll go no more:

I am afraid to think what I have done. Look on't again I dare not"

This Shakespeare's universal humanity and psychological analysis provide a firm platform to all his dramas. Another aspect of woman psychology of every era is presented by Shakespeare through the character of Lady Macbeth. He paints the character of Lady Macbeth with the selfless ambition also which is due to born of love and misguided self-sacrifice. It is her love for Macbeth that makes her more potent, a deadlier, incentive in fulfilling her vicious task. In modern society there are also women like Lady Macbeth who want to see their husbands on the peak of the progress even by hook and crook without caring for the results.

Shakespeare also paints the feeling of betray and man in disguise. The principle of appearance and reality on the level of man's life is reflected in the whole play. For example- when Macbeth arrives, Lady Macbeth asks him to deceive others by putting on a false appearance—

"---Look like the innocent flower, But he serpent the under't"

At a later moment Macbeth echoes her sentiments—

"False face must hide what the false heart doth know"

Again, a question arises in the mind that Macbeth who is basically a kind and a charitable man and his heart is 'too full of milk of human kindness' may be a traitor! Shakespeare tries to express that one cannot judge the character of a man outwardly. So, he presents Macbeth as 'worthy gentleman, noble Macbeth and valiant cousin but in reality he is a potential traitor. The king Duncan himself accept that—

"There is no art
To find the mind's construction on the face"

The king himself does not identify the Black and deep desires are hidden in Macbeth's mind. The modern man also has a honey tongue and a heart of gall. Many politicians behave like this. Many sincere and devoted leaders are assassinated only for sovereign. No mark of repentance is shown on the faces of criminals. But few persons like Macbeth burned themselves in the fire of guilt and their inner conscience make them sleepless. As Macbeth suffers from the doom of sleeplessness—

"Glamis hath murdered sleep, and therefore Cowder
Shall sleep no more. Macbeth shall sleep no more."

Now to sum up, whatever Shakespeare presented in his literary work is universal, moral, remarkable as well as applicable for all ages. He insists through 'Macbeth' that crime affects the individuals as well as the environment. Its evil operates on the level of man, family, state and the physical universe. But ultimately evil destroys itself to give place to good. Indian Mythology also conveys the same message. The greed, ambition, etc. all encourage the good to act against the evil and consequently, the evil is destroyed at the end. There are lots of morals to be learnt from the play. Firstly, the main moral of the play is not to be tempted to do bad things in order to gain power. In addition, another moral of the play would be that even if a person thinks that he goes deep in the immoral deeds there is always also a way to come out to rescue himself from the degradation This moral justice of Shakespeare crowned him as a supreme in the history of English Literature. Paying the tribute to William Shakespeare Carlyle said, "Shakespeare was the grandest thing we have yet done... Indian empire will go, at any rate someday, but this Shakespeare does not go, he lasts forever with us.' {2}

References:-

1. A.W. Verity, Macbeth, Surjeet Prakashan, Delhi, p. xxvi
2. Jain, B.B., Shakespeare's Macbeth, Ratan Prakashan Mandir, Indore, P.-9.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XL

Role of FMCG Products in Retailing Business

Dr. Rupesh Pallav*

***Assistant Professor, Higher Education (M.P.) INDIA**

Abstract - India is the 5th largest retail market in the world. The fast-moving consumer goods (FMCG) sector is one of the leading sectors of Retailing in India which contributes lots for India's GDP and also enhance the Economy of the Country. Fast moving consumer goods constitute a large part of consumer's budget in all countries. In everyday business of Retailing is depending on the FMCG products even we can say that FMCG products having maximum share in Retailing Business. This Paper investigates the role of FMCG products in retailing business. For this purpose,the research hadconducted with the use of both primary and secondary database. In primary source the data is collected by the researchers own observations at different retail stores. And the Secondary data is collected with the help of comprehensive literature available in the form of secondary data i.e. Magazines, Journals, e-journals, Websites, Books, and Newspapers etc. has been taken. After conducting a deep review of collected data, findings are presented to understand the role of FMCG in Retailing Business.
Keywords- Retailing Business, FMCG products, etc.

Introduction - In today's world the major problem of all business sector is competition. In which Retailing business faces a very big problem of competition as compare to other sectors. In retail sector there is always a perfect competition, the survival and growth has become difficult for the organizations intoFast Movable Consuming Goods retailing. IndianRetail Industry has experienced great failure of retail chain. It is not only a few retailers which has faced this problem but alarge number of retailers have also experiencedthe same difficulties.But it does not mean that inIndia organized retailing has no future. Undoubtedly, organized retailing Industry in India has a greatpotential. Some of important factors such as increasing purchasing power of people, education and awareness about the product and market scenario or conditionindicates that retailing of Consumer PackagedGoods (CPG) will have bright future.Now Fast Movable Consumer Goods (FMCG) industry which is also known as Consumer PackagedGoods (CPG). The fast moving consumer goods denote the products which are regularlybeing consumed. The FMCG retailing includes the widerange of products of daily use such as toiletries, soap, cosmetics, toothpaste, shaving cream, detergents, andeatable items. India has experienced tremendous growth of organized retailing sector backedby increased personal consumption of packaged goodsby the consumer. Today people have higher salaries, more aware about foreign goods, double income families, andof course advance technology, which attracts themtowards FMCG retailing.

FMCG- In simple words we can say that Products which have a quick turnover, and relatively low cost are known as Fast Moving Consumer Goods (FMCG). The fast-moving consumer goods sector is an important contributor to India's GDP. It is the fourth largest sector of the Indian economy. FMCG products are those that get replaced within a very short period of time. Examples of FMCG generally include a wide range of frequently purchased consumer products such as toiletries, soap, cosmetics, tooth cleaning products, shaving products and detergents, as well as other non-durables such as glassware, bulbs, batteries, paper products, and plastic goods.FMCG may alsoinclude pharmaceuticals, consumer electronics, packaged food products, soft drinks, tissue paper, and chocolate bars.Penetrationlevels as well as per capita consumption of most product categories like jams, toothpaste, skin care and hair wash in Indiaare low, indicating the untapped market potential. The growing Indian population, particularly the middle class and therural one, present an opportunity to makers of branded products to convert consumers to branded products. At last we can say that FMCG sector plays a very important role in retailing business in India.

Research Objectives:

1. To analyse the current status of FMCG products in retailing business.
2. To conduct a deep review of literature by which emerging factors can be identified for further research in same field.

Literature Review

- **G. Nagarajan and Dr. J. Khaja Sheriff (2013)** examined that the emerging trends in new product launch (FMCG), has seen a wide range of innovations Retail Sector in India. This research showed the different types of problems faced by the FMCG Industries and the possible solutions for the growth of FMCG industry in Retail Sector.
- **Preety Wadhwa and Lokinder Kumar Tyagi (2012)** said in their study that it is clearly evident that the future of retailing business ischanging its track and marching ahead. Organized retail has a promising future as they found in their study. But it is also matter of great concern that new players who are interested for enter in the RetailMarket Business should have an understanding of factorsneeded for survival and growth.
- **Rallabandi Srinivasu (2014)** identified that the FMCG sector has a much better time in recent months, with market showing signs of broad revival. The retailmarket in India is competitive and there is always a perfect competition in Retailing Business. Thesetrends are likely to have a positive impact on product and services offered by retail stores.
- **Preeti M Vyas (2005)** found that in India very few peoples known about the consumer behaviour towards retailing business. How consumer views sales promotion offers and what are their preferences. How to sale theproducts when the consumers have number of choices in same product category. This study hopes to develop a positive interest into consumers mind or behaviour towards retailing business.
- **Hafiz Wasim Akram et all (2014)** found that that modern retailing in India is marchingtowards prosperity because of appropriate atmosphere in this giant country. Themodern retail sector is beneficial for the society interms of better product, choices and price of all type of FMCG business.
- **Amandeep Singh and Anil Chandhok (2011)** said that India's FMCG sector is the fourth largest sector in the economy. Its principal constituents areHousehold Care, Personal Care and Food & Beverages. As it is discuss about the every-day demands of consumers will continue to grow. Market share movements indicate that companies with domination in their key categories,have improved their market shares in the FMCG sector.
- **Dr. Moloy Ghoshal (2014)** examined that Indian retail sector is growing very fast and its employment potential is also growing fast. The retailing business scenario is changing really very fast. Retailers are rethinking their approaches towards the suppliers so that they can get the best pricing strategies for them.
- **Kahkashan Khan (2014)** said in their study that theywants to enhance FDI in retailing business soon and India should establish new era of retailing. Government makes right kind of body to achieve these targets. Indian consumers are waiting for the betterment of goods and services in retailing business.
- **Sujay M. Khadilkar (2013)** identified that there is a need of HRD activities in retailing business as organized retail trade in form of the hypermarkets having shortage of skilled workers. So it is a challenge that retailers is totrain the people, and retain them. The suggestions mentioned in the study will create a sense of awareness amongst the present retailers and the retailers who are planning to start thenew retail business.
- **Bijuna C Mohan and Dr. A H Sequeira (2012)** found that Building brand equity is very crucial for FMCG products where the consumers are heavily depends on the product category in a highly competitive and brand conscious market. Researchers found that brand awareness, brand loyalty, perceived quality and brand associations had a significant effect on retailing business of FMCG products.
- **Md. Abbas Ali et all (2012)** examined that future is bright for rural retailing business particularly inFMCG category. Research can be done to suggesthow marketing of FMCG done in rural areas of India. The existing business modelscan be studied andfurther improvised models can be built and testedwith reference to marketing of FMCG in rural retail sector. Also in future research can be orientedtowards each sub-category of FMCG products.
- **Jaspreet Bhasin Chandok and Mr. Hari Sundar G** conclude that whatever be the strategy for competition, there are Indian companies who will strategize to maintain their market share. For those who are losing theirmarket share to MNCs are still successful in maintaining the first position in the competitive FMCG in retail market. Finally they conclude that Indian Companies will never give up to the MNC pressure of competition in India.
- **Piyush Kumar Sinha and Sanjay Kumar Kar (2007)** conclude in their study that the consumer is the focus of retail business and the retailers should serve the consumer better, faster and at less cost. Probably in a growing market no one finds the difficulty in pulling customer into store but that may not be sufficient to operate profitably.

Research Methodology- In this paper the research is conducted with both the primary and secondary database. In primary source the data is collected by the researchers own observations at different retail stores. And the secondary data is collected with the helpof comprehensive literature available in the form ofsecondary data i.e. Magazines, Journals, e-journals,Websites, Books, and Newspapers etc. has been taken.The Opinion and views of the Retailing Professionalsand experts on the subject were also obtained throughpersonal interactions and telephonic interview.

FMCG and Retail Business

Current Status- Now we talk about the current scenario of Retail Sector. The current market size of Indian retail industry is about US$ 520 bn (Source: IBEF).Retail Sector in India growth of 14% to 15% per year is expected through 2015. By 2018, the Indian retail sector is likely to grow at a CAGR of 13% to reach a size of US$ 950 bn. In the developed countries, the organised retail industry accounts

for almost 80% of the total retail trade. In contrast, in India organised retail trade accounts for merely 8-10% of the total retail trade. As per survey and study the fast movable consumer goods Industry (FMCG) Industry is fourth largest sector in India with market size of US$ 13.1 billion.

The current trend of the market shows that big farms are turning into world players and the small companies catching up fast with them. The study of the market shows that the following factors have contributed to the growth of FMCG industry in India.

Large base of consumer - Large part of the total population of the country has worked in favour of the growth of the industry. The FMCG companies of India enjoy a continuously growing consumer base.

Purchasing power - According to the current scenario the purchasing power of the Indian population has grown and due to this the demand for FMCG products has also gone up. And hence this is also encouraging the FMCG companies to introduce newer products to satisfy the changing taste of consumers.

Competitive market- The Indian FMCG market is extremely competitive. Even the top companies are finding it difficult to maintain their top position in the market because of perfect competition.

Media - Television now has reached even the most interior parts of the country and as a result, commercials attracts new consumers to try new products thereby improving the demand for FMCG goods even in the rural areas of India.

Some of the leading FMCG companies prevailing in India are as:

Colgate-Palmolive

Famous brands: Colgate toothpaste; Palmolive soap and cleaning products; AJAX cleaning products.

Coca-Cola

Famous brands: Coca-Cola; Diet Coke; Fanta; Sprite

H. J. Heinz

Famous brands: Heinz Tomato Ketchup; Lea & Perrins; HP Sauce

Johnson & Johnson

Famous brands: Johnson's Baby; Neutrogena; Acuvue; Listerine oral care

Kimberly-Clark

Famous brands: Kleenex paper products; Kotex feminine care; Huggies baby products

Kraft

Famous brands: Kraft, Milka; Philadelphia; Toblerone

L'Oreal

Famous brands: L'Oreal Paris, Garnier; Maybelline New York; Biotherm; Kiehl's

Nestle

Famous brands: Nestel Pure Life, Nescafe; Nesquik; Kit Kat; Purina

Procter & Gamble

Famous brands: Ariel, Gillette; Pampers; Olay; Duracell; Pantene

RB (Reckitt Benckiser)

Famous brands: Dettol/Lysol, Air Wick, Veet; Vanish; Finish; French's Mustard; Durex

Sara Lee

Famous brands: Douwe Egberts; Bimbo; Sara Lee; Maryland Clu; Senseo

Unilever

Famous brands: Dove body care; Axe; Flora dairy products; Domestic; Cif; PG Tips

Role of FMCG in Retailing Business- FMCG industry plays an important role in retailing business. Marketing of FMCG products plays a very important role in the growth and development of a country irrespective of the size and population. However the maximum share in retailing business is none another than FMCG sector. It is a fact that the development of FMCG marketing has always kept pace with the economic growth of India. FMCG industry captures the everyday products of every people lives in India. There are number of products produced by FMCG companies which fulfilling the daily needs of the peoples. The strong sign of the economy is proving thebenefits of the FMCG companies in India and many of them are diversifying their base to cater to the larger section of consumers. Further, seeing the potential of the Indian retail market many foreign MNCs are also trying to penetrate into Indian market. As a result, the choices before the consumers have widened. And this can only be possible by the development of FMCG sector in retailing business. At last we can say that retailing business of India is depends on FMCG sector.

Research Findings- India is one of the major players in the world economy. The Retail Industry in India is growing successfully due to changes in the consumption behaviour or culture of people.There is intense competition among the traditional retailingand organized retailing because of number of companies prevailing in the Retail market. The organized retail industry inIndia is full of challenges and opportunities with avery large population. In India retailingbusiness has been divided into unorganized andunorganized retailing i.e. the unorganized retailingconsists of street-side vendors, hawkers andmillion unregulated neighbourhoodKirana stores andshops. Thus it is very clear that great potentialis there for the organized retail sector. The retail sector in India is expected to reach a whopping US$ 2 trillion in value by 2032. By the deep surveys of literatures we understand that in view to achieve its targets, the retailershave to opens new dimensions and always keep in mind the important factors such asunderstanding of global trends, use of advanced and latest technology, excellent consumer relationship, religiousfollow up of regulations, maintain the profitability etc.,which prominently contributes towards the success ofthe Organization.

Conclusion- From the above study we finally conclude that FMCG products play an important role in retailing business

in India. Although there is a great competition due to number of different FMCG companies but all are easily survive in the market. There is a need of some new dimensions in retailing sector for FMCG products. New Innovations is also the requirement for the betterment of the current scenario of FMCG market in Retail. Every company have to know the customer's needs and wants and then covert them into their product and services to make them delight and maintain long relationship. At last we can say that there is always a need of FMCG product in Retailing Business and in future also FMCG sector make the Country's GDP on top of the World.

Suggestions:

1. The organisation should create an awareness amongst the customers about the services offered.
2. Channel of distributionshould be effective and prompt to satisfy the customers
3. The product line and product range should be wide.
4. The business house should provide friendly environment to the visitors so that they will not hesitate to enter in big shops.
5. The customer's preferences and choice should be captured time to time.
6. Proper marketing research should be conducted in this direction.

References:-

1. G. Nagarajan and Dr. J. Khaja Sheriff-"Emerging Challenge and Prospects of FMCG Products Development in India"International Journal of Marketing, Financial Services & Management ResearchVol.2, No. 1, January 2013, ISSN 2277-3622Online available at www.indianresearch journals.com
2. Preety Wadhwa and Lokinder Kumar Tyagi- "A Study on Organized FMCG Retailing inIndia - Road Ahead"ISSN: 2277-4637 (Online) | ISSN: 2231-5470 (Print) Opinion Vol. 2, No. 1, June 2012 www.cpmr.org.in
3. Rallabandi Srinivasu- "Fast Moving Consuer Goods Retail Market, Growth Prospects, Market Overview and Food Inflation in Indian Market-An Overview" Professor & Director –Operations, St. Mary's Group of Institutions, Hyderabad, India.International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology(An ISO 3297: 2007 Certified Organization) Vol. 3, Issue 1, January 2014.
4. Preeti H Vyas- "Measuring consumer preferences for sales promotion schemes through conjoint design in FMCG sector"September 2005IIM Ahmedabad
5. Hafiz Wasim Akram, Mohammad Anwar and M. Altaf Khan- "Organized and Modern Retailing in India: A Bird's Eye View" (April 2014)Business Dimensions-An International Open Free Access, Peer Reviewed Research Journal www.business-dimensions.org
6. Amandeep Singh and Anil Chandhok- "FMCGs sector in India: a strategical view"Asian Journal of Management Research (2011)Online Open Access publishing platform for Management Research© Copyright 2010 All rights reserved Integrated Publishing association amandeep.garai@gmail.com
7. Dr. Moloy Ghoshal- "Impact of Foreign Direct Investment on Unorganised Retail Sector of India –A Research Report"The SIJ Transactions on Industrial, Financial & Business Management (IFBM), Vol. 2, No. 1, January-February 2014Vice-Principal, International Institute of Business and Excellence, Kumarpur, G.T. Road, Asansol, West Bengal, India.E-Mail: moloy breeze@rediffmail.com,Web: www.iibe online.com
8. Kahkashan Khan-"FDI in Retail Sector in India: Challenges and Opportunities"MBA Department of Deen Dayal Upadhyay, Gorakhpur University Gorakhpur, IndiaEmail: kahkashan17@gmailGJESR RESEARCH PAPER VOL. 1 [ISSUE 1]February, 2014
9. Sujay M. Khadilkar- "A Study of Retail Trade with special reference to Grocery Trade in Kolhapur city" January (2013)A T College and Advance Research Center, Bhor, Pune – 412206
10. Bijuna C Mohan and Dr. A H Sequeira – "Customer-Based Brand Equity in the Fast Moving Consumer Goods Industry in India" The International Journal of Management Vol: 1/Issue : 4 (October, 2012) www.theijm.com
11. Md. Abbas Ali, Venkat Ram Raj Thumiki and Naseer Khan- "Factors Influencing Purchase of FMCG by Rural Consumers in South India: An Empirical Study" International Journal of Business Research and DevelopmentISSN 1929 0977 | Vol. 1 No. 1, pp. 48 57 (2012) naseerkhan@agu.ac.ae
12. Jaspreet Bhasin Chandok and Mr. Hari Sundar G- "Strategies for Survival of Indian FMCGs" Amity Business School, Noida and TKM Institute of management
13. Piyush Kumar Sinha and Sanjay Kumar Kar – "An Insight into the Growth of New Retail Formats in India" (March 2007) IIM, Ahmedabad-380 015
14. Wikipedia
15. Leo Gough, 2003 "FMCG Selling" Capstone Publishing ltd.
16. Greg Thain and John Bradley, 2014 "FMCG:The Power of Fast-Moving Consumer Goods" First Edition Design Publishing.
17. Janet Engle, 2007 "Retail Business" Atlantic Publishing Group.
18. Doug Stephens, 2013 "The Retail Revival" John Viley & Sons Canada.
19. https://www.ibef.org/industry/retail-india

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XL

Virtual Lab - A Future Changing Technology for Experimental Science

Dr. Avinash Dube* Dr. Kumud Dubey**

*S. N. Govt. P. G. College, Khandwa (M.P.) INDIA
** MLC Girls P. G. College, Khandwa (M.P.) INDIA

Abstract - Science is essentially a practical activity which proceeds through the testing of theories by means of experimental work and observations. Virtual lab software creates opportunities for creative access to science education. It is noted that more ICT based teaching learning process get better learning outcome by the integration of emerging technologies and the digital content with all their operations.
Keyword- Virtual lab, biological science, physical science. NEP 2020

Introduction - A laboratory is a facility that provide controlled conditions in which scientific or technological research experiments and measurements may be performed. Science is different than any other subjects in order to understand its concepts. Effective teaching and learning of science involves seeing, handling and manipulating real objects and materials. Laboratory work is traditionally considered to be an essential component in science stream. It is believed that laboratory teaching and experiments that are being conducted there help encourage deep understanding in students. Students are able to retain the knowledge for longer when they see the experiments being performed in front of their eyes.

Our teaching and learning environment have changed quite rapidly.After COVID-19 online teaching learning process is growing rapidly. In the present scenario, when online teaching learning methods are adopted frequently, concept of virtual labs help a lot to understand and fulfill experimental part of the syllabus. Virtual lab is defined as a virtual teaching and learning environment aimed at developing students laboratory skills. They are one of the most important e- learning tools.

A virtual laboratory is a computer based activity where students interact with an experimental apparatus.Present study is made to analyze the recent trends in performing virtual practical in biological and physical sciences which will be helpful to students to fulfill and understand easily the experimental part of the curriculum in interesting way. New Education Policy (NEP 2020) also recommends promotion of virtual lab concept. Existing e- learning platforms like DIKSHA, SWYAM and SWAYMPRABHA will be developed to promote virtual lab to provide equal access to quality practical to all students.

Various era of virtual labs- Technology applications in the field of education have varied widely during the past few years. Virtual labs are one of the technological innovations among the modern educational methods. Remote triggered labs, Measurement based labs and Simulation and Modeling based labs are the three ways by which virtual labs can be categorized.Remote triggered labs are the closest to reality and simulation based labs are the most scalable.

Open Educational Resources-Simulation and Virtual Lab In biological sciences Avida ED, Biology- simulations, Bioman biology, Build your own brain , DNA from the beginning , e- skeltons, Evo-Ed, Cel box, General Microbiology, Geniventure Learn Genetics, NAVS online dissecting resource etc. software's are available.In physical sciences and mathematics Algodoo, Chemmagic, Chemix, Chemsims, goREACT, Open source physics,ophysics, The physics Aviary, The physics classroom , Physics Simulation , planet maker, Scilab, Teaching Geoscence, virtual microscope etc are the softwares available nowa days. Some multidiciplinary softwares available are – CK-12, data Nuggets, edumedia, JoVE, Labxchange, LibreTexts, NOVA, Science Buddies.

For physical science, experiments related with mechanics, optics, electronics etc. could be performed in interesting manner. In biological science, pollen germination, water, soil, air quality testing, vegetation sampling, study of cell divisions, biochemical testing, plant physiology experiments, anatomy, adaptations, virtual animal dissections, virtual field trips for museum and zoos can be performed virtually.Many top virtual lab sites and apps are informative and available free of cost and most don't require registration.PBS: Nova labs, Fly labs, National Science digital library: chem collective virtual labs, Reactor lab, line Rider, Chrome Music lab, Zooniverse, HHMI

Biointeractive, Learn Genetic Virtual labs, 3M young scientist lab, PraxiLabs, LabXchange Harvard, New Mexico state university virtual labs, Bioman biology, Cell homestasis virtual lab, Java lab, Natural history Museum of Utah : Research Quest and many more of examples of those type of virtual labs.

Benefits- Virtual lab concept is a new way to teach the practical skills. Virtual labs can certainly influence the people to develop their skills.

Some of the benefits are:

1. Tool to enhance the teaching and students experience in learning experimental skills.
2. Students or beginners can learn, experiment, and explore all they need without the risk.
3. Students would feel more comfortable in the laboratory.
4. Virtual labs could potentially allow students to improve their skills in logical reasoning and hypothesis formation.
5. Through virtual labs various types of skills like recording, reporting and interpreting data could also be effectively developed.
6. Accessible and advantageous for students in remote areas too.

Limitations- With a lot of benefits there may be some impediments to use virtual labs as they require computer devices with high specifications. They require professional programmers with strong skills. There is a lack of direct interaction between students and teachers, so perfect communication is not possible. Virtual laboratory can have no physical reality behind it at all.In remote areas availability of internet is also effective factor.

Concluding Remarks- "Virtual labs" is also the name of a project initiated by MHRD, Govt. of India, under the National Mission on Education through information and communication Technology. The project aims to provide remote access to laboratories in various disciplines of science and engineering for students of all levels. Virtual labs can be used to complement physical labs.

In Future such practice – driven technology (Virtual labs)may be the new way of teaching learning in experimental science. Students can learn, experiment and explore all they need through this platform. Implementation of NEP 2020 will positively help to promote such teaching learning. Virtual labs will definitely play vital role to enhance practical sessions to reinvent future.

References:-

1. Arora P (2016), ICT and quality teaching – an integrated approach. Int. J. of Advanced Research in education and Technology, IJARET Vol-3(1).
2. National Education Policy (NEP) 2020, MHRD, Government of India.
3. Rajendran L etal. (2010), A study on the effectiveness of virtual lab in e- learning. Int. J. on computer science and Engineering, Vol. 02 No 06, pp-2173-2175.
4. Restifo D. (2021) Techlearning.com Best free virtual labs.
5. UGC (2012), UGC action plan for academic and administrative reforms.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XL

Medecinal Plant Pippali

Dr. Sushama Singh Majhi*

*Assistant Professor (Chemistry) Govt. Motilal Vigyan Mahavidyalaya, Bhopal (M.P.) INDIA

Introduction - Pippali – this is the name of the Asian so-called long pepper. This is an exotic climbing perennial plant that can be found in the hottest regions of India as well as in central Himalayas**.** The fruits of the plant look like small, thin cones, which give a characteristic aroma and they have a specific intense taste. Pippali is one of the traditional plants that are used both for preparation of exquisite culinary dishes as well as for the treatment and prophylaxis of various diseases, and also in the cosmetics industry. In Sanskrit it has many more names: vaidehi, madaghi. Pippali so-called long pepper in English is a unique spice that has all qualities that of a typical spice, it tests pungent and mildly heating not hot.

Common Name : Lendi Pimpli, Pipli, Long pepper and fifidaraz
Botanical Name : Piper longum Linn.
Family : Piperaceae
Piper longum is a slender, under shrub perennial creeper. The upper leaves are dark green in colour with short petiole or nearly sessile where as the lower leaves are ovate deeply cordate with big lobes at the base. The female spike arising singly from leaf axil is cylindrical, short and stout. The when fully mature. A native of Indo-Malayan region, it grows wild in the tropical rain forests of India. Commercial cultivation is distributed in West Bengal, Assam, Meghalaya, Maharashtra (Amravati/Akola Districts of Vidarbha region), Orrisa, Andra Pradesh, Uttar Pradesh, Tamilnadu and Kerala.
Cultivation: Long pepper can be cultivated successfully in organic matter rich fertile, well-drained forest soils. Medium black cotton soils, silty clay loam soils with good drainage and fertility are suitable for cultivation. The crop requires high humidity and frequent irrigations. It also needs partial shade for its ideal growth. Partial shade 20-25 per cent shade intensity is found to be the best. It is propagated by vine cuttings. The area should be ploughed two to three times and leveled properly. Three-five nodded cuttings or suckers with roots are planted in at 60 × 60 cm in well-prepared field, Rooting to the cuttings can also be done in the nursery and then planting in main field. Viswam is the improved variety developed by Trichur (Kerala). In Maharashtra planting is done in the month of February-March. Hard woodcuttings of Sesbania grandiflora is planted near the sprouted cuttings for the purpose of staking and partial shade. In first year regular weeding should be done as and when the weed growth is noticed. Pippali is a very diverse essential in the world of Ayurvedic medicine. The name itself means "to drink and digest," revealing one of its main benefits: Increasing the digestion and burning toxins. As an herb or a culinary spice, Pippali is commonly used to treat a wide range of disorders from coughs, colds, and congestion to digestive issues, reproductive issues, and even mental imbalances.Pippali can be a great herbal option any time of year. However, due to its powerful lung rejuvenation properties, it is an exceptionally amazing herb to take during the spring season. Although springtime possesses many beautiful aspects, this season is also well known for irritating allergies, congestion, colds, and cough. Ayurveda states that the spring season is the main time of year for Kapha dosha and, therefore, Kapha imbalances such as the ones just mentioned will flourish. Adding Pippali to your springtime seasonal routine will be a great addition to ward away the common issues that this season brings.Pippali is known as a "tridoshic" herb, as it is suitable for all body-types. Unlike its close relative, black pepper (maricha), Pippali can even be used in moderation for Pitta types due to its cooling, post-digestive effect (vipak). Therefore, Pippali can be a safe and effective option for most digestive disorders, even when Pitta (fire/heat) is increased in the body. Please note that this is a very potent herb and should only be used in small dosages, although Kapha types can typically get away with taking a bit more.
Medicinal Uses: The fruits and roots of pippali are used in

many pharmaceutical preparations. Fruits are sweet, pungent, a stomachic, aphrodisiac, laxative, carminative; it improves the appetite, abdominal pains, fevers, leucoderma, urinary diseases etc. The roots termed as piplamool is pungent and has heating, stomachic, laxative, carminative properties and are useful in diseases of spleen and tumours.

Blood sugar support: Blood sugar support cleanses the blood, boosts the functioning of the liver, kidneys and digestive system, supports normal blood glucose metabolism and reduces the risk of long-term complications associatedwith high blood sugar.

Anti-Diabetic: Blood sugar supports efficient blood glucose metabolism, improves the natural production, corrects resistance and regulates blood sugar levels and can help reduce the symptoms of diabetes.

All Natural Formula: Our products are 100% natural, with no taste enhancers, chemical preservatives, colorings, synthetic fillers or absorption-hindering casings just the goodness of nature in pure, potent form.

Supports The Renal System: Blood sugar support ensures the proper functioning of the kidneys — it helps filter your blood, remove metabolic wastes, and maintain your ideal electrolyte balance. As a result, it keeps kidney stones, cystitis, urinary tract infections, kidney infections and incontinence at bay.

This herb is known from the ancient Sanskrit Ayurvedic texts. It is believed that the pippali pepper was first mentioned in **Charaka Samhita** the ancient Indian guide to a healthy and balanced way of living. Very often it has been described as a remedy for the treatment of respiratory diseases, as well as for treatment of the problems related to the intestinal flora. In the past it was even used to treat diseases such as cholera, tuberculosis, tetanus and leprosy.

Nowadays, Ayurveda still uses pippali for the treatment of various diseases. The plant and in particular its fruits are widely used in the traditional Indian medicine. The modern scientific research has also shown that they have a number of beneficial properties that are useful for the treatment and prevention of colds, cough, laryngitis, bronchitis, asthma, as well as of a number of disorders of the gastrointestinal and circulatory systems, and for conditions such as immune deficiency.

References :-

1. Charaka samhita chikitsa sthan 1.3/36-40.
2. Charaka samhita, Bhavaprakasha samhita.
3. Bhaishajya Ratnavali Rasayana Prakaran 73/18.
4. Thippili Rasayanam Agaththiyar Paripooranam 400.
5. PippaliRasayan as Percharaka Samhita chikitsa sthan 1.3/32-35.
5. Charaka samhita chikitsa sthan 1.3/36-40.

****

Impact of Covid-19 on the Sectors of Indian Economy

Dr. Vibha Nigam*

***Professor (Economics) Mahakaushal Arts and Commerce College, Jabalpur (M.P.) INDIA**

Abstract - COVID-19 is wreaking havoc on the world we live in, and almost every part of the globe is experiencing hung economies and people being locked in their homes. This pandemic is not only wreaking havoc on health-care systems and people's lives, but it is also having an impact on global economies, resulting in job losses, business disruptions, and ushering in one of the worst periods in human history. Almost all industries are going through changes.massive declines in their businesses, and the impact of this pandemic is so massive that they are forecasting even worse times ahead. This paper focuses on the various industries most affected by the pandemic and how this affects job losses and the global economy.
Keywords- Indian Economy, Recession, Inflation, Pandemic.

Introduction - Coronavirus disease first appeared in China in late 2019.However, it began to spread to other parts of the world in early 2021The outbreak of the Covid-19 pandemic has taken the Indian economy by surprise. The economy was in shambles at the time before Covid-19 struck. On the off chance that the Indian economy were a person, its salary in 2020-2021 and 2021-2022 would be less than what it was in 2019-2020, according to the most recent World Bank estimates. There is a massive, exceptional, and financial torment ahead. Both preparations and governmental issues should play a significant role in reducing this rather bad strategy, which can even cause financial ruin.

Both preparations and governmental issues should play a significant role in reducing this rather bad strategy, which can even jeopardize financial recovery. With the demise of interest and flexibly chains, the economy is likely to face a prolonged period of pause. The magnitude of the financial impact will be determined by the length of the health emergency—the duration of the lockdown—as well as how the situation unfolds once the lockdown is lifted.

Most businesses that figure out how to survive the COVID-period financially will be able to thrive. When the world has recovered from the pandemic, there will be renewed interest in purchasing, travel, and the tourism industry. Transportation, construction materials, metals, and product sectors will all see an increase. Businesses will reconsider their strategy of focusing on deals while ignoring productivity and benefit growth.Companies that guarantee high valuations solely based on sales development will no longer find purchasers-center around benefit and benefit development will be the new standard.

The lockdown occurred at a time when the economy was struggling. It was determined that cross-area exchange would be hampered. Aside from the import and fare business, another significant income generator that suffered a setback was the travel industry. With the lockdown pressuring the online retail section to meet the challenge at hand, India's notoriously chaotic retail showcase suffered yet another setback. Regardless, organizations offering computerized installment administrations, for example, Paytm and Google Pay, appeared to benefit to some extent from the situation. Because of the Indian government's declared lockdown, the economy may slow in the coming months. For most businesses, layoffs may cause disruptions, a drop in utilization demand, and a strain on the banking and budgetary systems.

Lockdown has placed extraordinary weight on the flexible chains of basic wares, and as a result, a large number of Indian organizations have concentrated on the production of basic things only, halting all other activities and thus cutting down the development sketch. Furthermore, different segments such as horticulture, which is the most important division, and the tertiary sector are not immune to its impact. In some states, there is no labor available for agricultural purposes. Lockdowns have made it difficult for ranchers to make their products available for purchase in markets. The casual sector of India, which is the foundation of its economy, will be the hardest hit as monetary exercises reach an all-time high.These restrictions on commercial activities and open social gatherings are fundamentally prone to affect household development firmly.

Asset Market COVID-19 - It is unrealistic to expect a quick

economic recovery from the current COVID-19 impact. Even though the financial crisis is unavoidable, consider the hard work of national banks and other financial institutions.Monetary experts, to soften the blow and deepen economic gloom. The current issue is how quickly and completely the general well-being challenge will be met; financial analysts cannot predict the endgame of this emergency. The year 2020 is expected to fall precipitously in every region of the world and significantly across all divisions. In any case, it would be determined by how quickly the pandemic was contained and the approach decisions made by governments to assist their economies. When this pandemic is doing with commonality coming back to business and economy, the financial exchange.

According to one S&P analysis, covid-19-daily-update (2020), whenever the market falls by 20%, it takes an average of 536 days to recover. However, due to the COVID-19 issue, S&Phas dropped below 20% in a record 17 days, and we have no idea how much further it will fall. As shown in Figure 3, S&P has seen below 20% drawdowns in 2020 during the COVID-19 pandemic, which is much faster than others.Investors around the world are concerned that the Coronavirus pandemic will devastate economic growth, and that government actions may not be sufficient to halt the decline.

Interest Rates in various central banks of various countries have seen a decline in interest rates in order to reduce the impact on banks, which in turn allows borrowing to be cheaper and aids in the encouragement of spending to re-boost the economy. Global markets have also recovered to some extent after the US Senate passed a $2 trillion Coronavirus aid bill to assist US workers and businesses.

Figure 1 (see in last page)

Effect on the job market- The number of Americans filing for unemployment in the United States has reached a record high, signalling the end of an expanding decade for the world's largest economy.. The current lockdown across all countries has been the most magnificent savage activity in history. Nonetheless, these assessments reveal the impact on employment during the lockdown period and should not be interpreted as permanent job loss. Employees may become more concerned about the economy as a result of this (Fetzer et al., 2020). After the lockdown is lifted, a large number of employees will be able to return to work.

In any case, the facts show that a significant number of them would also be unable to reclaim their positions.Casual workers are the most powerless of these because of the unpredictable nature of their work and daily wage installments, which are more elevated in the development section. As a result, all of these admittedly critical representatives, individuals who are currently not working, talented workers, and frivolous business people who may be sitting idle at home, returning to their hometowns, or remaining in cover homes will most likely be unable to recoup their occupations once the lockdown period has ended. Included security measures like social distancing, contact following, and severe wellbeing competence over section at the workplace and the market would likewise influence the business worker relationship, resulting in a significant takeoff from the casual the market.

Travel Industry - The Indian tourism industry is expected to lose Rs. 1.25 trillion in revenue in 2020 as a result of hotel closures and the suspension of in-flight tasks after the start of the season.During April-June, the Indian tourism industry is expected to lose Rs. 69,400 crore, representing a 30% year-on-year loss. India's travel and tourism industry has been a significant contributor to the country's GDP. The division even generates a large number of jobs. As a result, when the well-known vacation spots in India began to close down by mid-March, and the news of the end of flying began to make changes, the industry as a whole began to adjust.

Manufacturing Industry - Materials development, like that of fuels and people, has come to a halt. MSMEs are only flexible in different industries, which have also stopped working, resulting in decreased interest and abrogation of requests, except for bottom line industries. In any case, they will be unable to meet their demands for fundamental contributions from superfluous industries.

The Corona impact has had a wide-ranging impact on the congregate industry. It takes a little longer to manifest itself, as a few merchants discover an opportunity to procure benefits in a developing deficiency circumstance with an all-encompassing agenda of conceded installments. Because of government orders, an increasing number of representatives are refusing to come to work, reducing the size of activities and having an impact on the economy.Slower banking tasks, shorter working hours, stuck and overburdened correspondence lines result in deferred cash exchanges, raising money-related issues. Because their ability to tolerate insecurity is much lower than that of their large customers, suppliers to large manufacturers begin to withdraw and play safe in order to secure their inclinations. Finally, as a result of all of these impediments, the end client begins deferring unnecessary purchases and withdraws from the expending forms by delaying their demands.

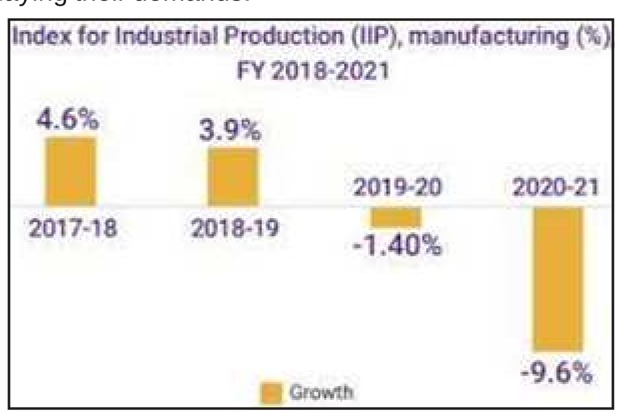

Figure 2 Source- Govt of India, 2020

Gold Industry - The pandemic of Coronavirus has harmed India's economy. The gem industry, like other industries, has been hard hit as a result of a significant number of cancelled or postponed events, shows, displays, and weddings for the coming months. People are less likely to spend money on luxury items and are more likely to spend it on hygiene or grocery items. The gems and adornments industry lost its luster as the Coronavirus scare held back buyers. As a precautionary measure, the administration has advised citizens to postpone wedding plans and seek out essential commodities during the lockdown—the Indian gems market flourishes with weddings. The company also lost its shine on Gudi-Padwa, which fell during the lockdown and presented an extraordinary opportunity.

Oil Industry - Oil prices have dropped to their lowest level since June 2001, as most of the world is on lockdown and oil demand is decreasing by the day. COVID-19 vaccine will be available in about a year.According to experts, the lockdown situation is expected to last for a long time until the pandemic is contained (Albulescu, 2020). Aside from the Coronavirus, there is a dispute between the OPEC group of oil producers and Russia, which is causing a drop in global oil prices.

The Indian government derives a large portion of its revenue from excise duties, with approximately 90% derived from oil imports. It's worth noting that the prices for retailers haven't been marked.It is interesting to note that retailer prices have not been reduced because the government continues to fund its costs. According to the Reserve Bank of India, India's current account deficit (CAD) was 0.2% of GDP in the December quarter of FY20, down from 2.7% in the same quarter of FY19. Given the state of the economy, oil prices are likely to reduce the CAD. The current investment in terms of funds in CAD.

At this time, the funds will be used to keep the Covid-19 outbreak under control.Due to the pressure to sell their products at lower prices in advance, Indian oil companies, particularly those in the E&P sector such as ONGC and Oil India, may face extreme possibilities. Merchants such as HPCL, Reliance, and IOCL are likely to see corrected edges in the coming quarters as interest rates rise. In terms of capacity, if Indian companies can deal with their store bearing, this is an excellent opportunity to purchase and reserve oil for a later time. However, once the lockdown is lifted, the government may face increased pressure to reduce consumer fuel prices.

Figure 3 (see in last page)

Hospitality Industry - The hotel industry is one of the worst affected industries during this pandemic, and it will become more severe over time if the pandemic situation does not improve. The hotel industry employs approximately 8.3 million people in the United States alone, including hotel operations, guest spending, and the extended supply chain, but as occupancy rates fall rapidly, this will result in massive job losses. It was predicted that approximately 4 million hotel employees would lose their jobs in the United States alone.

Since the outbreak of Coronavirus in the United States, hotels have lost over $10 billion in room revenue through the first week of April 2020, with the figure expected to rise to $3.5 billion if the situation worsens. The hotel industry is in much worse shape than it was in 2001 and 2007.to 2009 in the United States. If more declines in occupancy are seen in the coming months, and up to 6.5 million jobs are lost in the United States Hotel industry, and with that many jobs drained in a single country, one can imagine the impact of COVID-19 on the global hotel industry.

Marketing Economy - Marketing is concerned with how a company interacts with its customers and other businesses, and is commonly referred to as B2C and B2B, or Business to Consumer and Business to Business. Now, the majority of the population is confined to their homes in this state of emergency.As a result, brands around the world spend millions to billions of dollars on marketing in order to increase the selling of their services by thinking outside the box of traditional marketing methods and understanding of customers' needs and spending habits.

Conclusion - The impact of the COVID-19 pandemic on all industries is unimaginable, and it will continue to disrupt the global economy until a prevention vaccine is available and is administered to at least half of the population. The pandemic results in the loss of millions of jobs across all industries and has a much broader impact than the 2008 recession. Hotels, travel, transportation, oil, entertainment, real estate, construction, and advertising are the hardest hit industries. Alone US, Hotel Industry projected to lose $3.5 billion/week and around 6.5 million jobs out of 8.3 million total hotel jobs and by looking at the COVID-19 growth at present.

COVID-19 is turning out to be humanity's worst nightmare, and we can only hope that a specific vaccine will be developed or that a miracle will occur to end this pandemic and rebuild our world and economies.In this difficult time, the following measures must help the economy and the general well-being of the population. The first viewpoint is concerned with the "Eventual fate of Workforce Transformation" - a glimpse of zero-based optimization of both the workforce and the working environment, recalibration of roles in the workplace, and a shift away from ideal on-site employments to a grouped group of jobs spanning virtual, gig, hybrid, and on-site. It can consider worker adaptability, pay rebuilding, workspace, and infrared essentiality.

Segmentation and optimization of the workforce: Workforce segmentation and optimization: Individual segmentation based on criticalityand contribution to the value chain, as well as the ability to develop essential abilities, as well as the hope to rebuild, redeploy, and mechanize for non-basic. The second aspect focuses on

developing "Supply Chain Resilience" by stockpiling uncertainty while ensuring stable conveyance and dealing with the cost-to-serve. It is necessary to use micro-segmentation to control stock and credit risk, re-adjust stock/basic standards, have faith in the strategy, and have an explicit reliance on micro-segmentation of retail franchises and customers. The pursuit of next-level supply chain cost efficiencies: develop zero-based planning to catch huge costs versus terrible expenses, defer/reduce fixed expenses, and rely on forex and commodity risk mitigation strategies. The third prospect is about re-envisioning as to how one works together through the digital focal point or "Digital Value Enablement." While digitalization is undoubtedly not another discipline, rather the spotlight must be on value realization to additionally catalyze against COVID-19. Digital can be a key to accomplish quicker recuperation in the present time and could adjust to the new prevalent in the longer term.

References:-

1. Agarwal, S., & Singh, A. (2020). Covid-19 and its impact on Indian economy. International Journal of Trade and Commerce-IIARTC, 9(1), 72-79.
2. Agrawal, S., Jamwal, A., & Gupta, S. (2020). Effect of COVID-19 on the Indian economy and supply chain.
3. Barbate, V., Gade, R. N., & Raibagkar, S. S. (2021). COVID-19 and its impact on the Indian economy. Vision, 25(1), 23-35.
4. Das, D., Kumar, K., & Patnaik, S. (2020). The impact of covid-19 in Indian economy–an empirical study. International Journal of Electrical engineering and technology, 11(3).
5. Dev, S. M., & Sengupta, R. (2020). Covid-19: Impact on the Indian economy. Indira Gandhi Institute of Development Research, Mumbai April.
6. Joshi, A., Bhaskar, P., & Gupta, P. K. (2020). Indian economy amid COVID-19 lockdown: A prespective. Journal of Pure and Applied Microbiology, 14(suppl 1), 957-61.
7. Mehta, K., & Jha, S. S. (2020). COVID-19: a nightmare for the Indian economy. UGC Care Journal, 31(20).
8. Sahoo, P., & Ashwani. (2020). COVID-19 and Indian economy: Impact on growth, manufacturing, trade and MSME sector. Global Business Review, 21(5), 1159-1183.
9. Sidhu, G. S., Rai, J. S., Khaira, K. S., & Kaur, S. (2020). The Impact of COVID-19 pandemic on different sectors of the Indian Economy: A descriptive study. International Journal of Economics and Financial Issues, 10(5), 113.

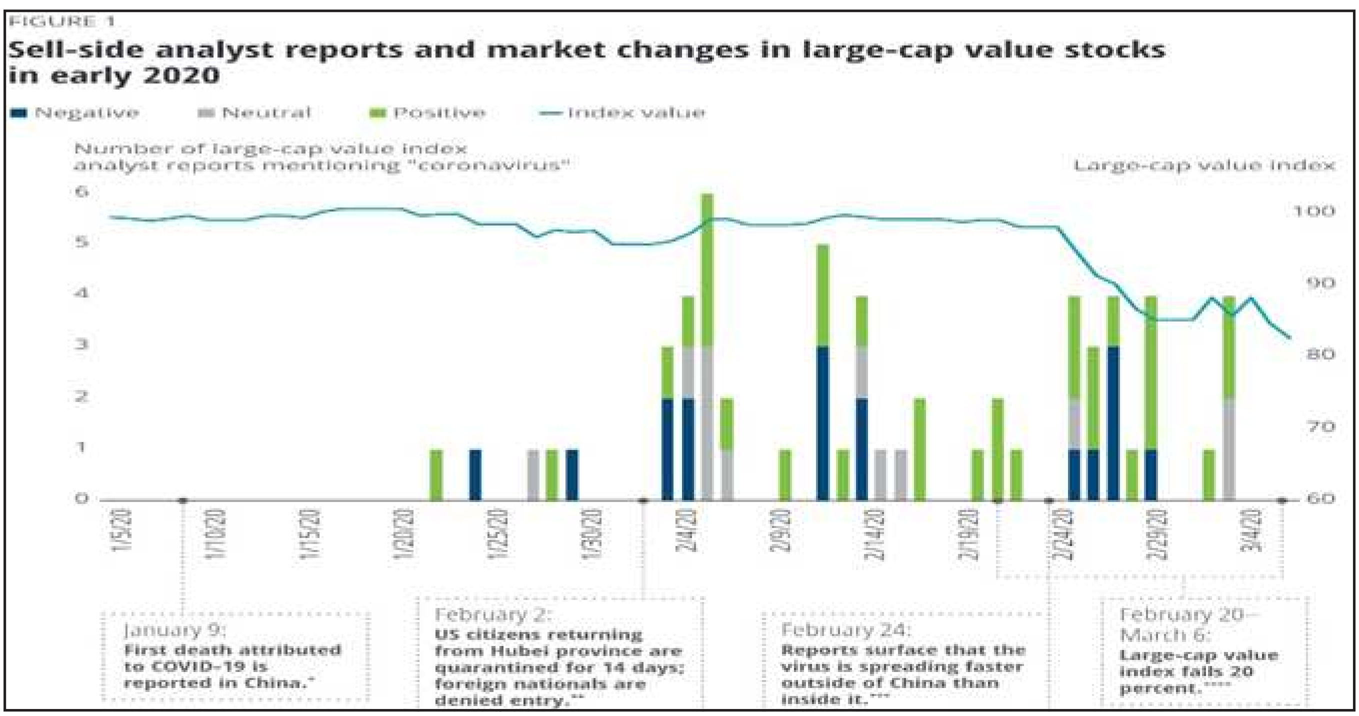

Figure 1 source- deloitte analysis of the asset market

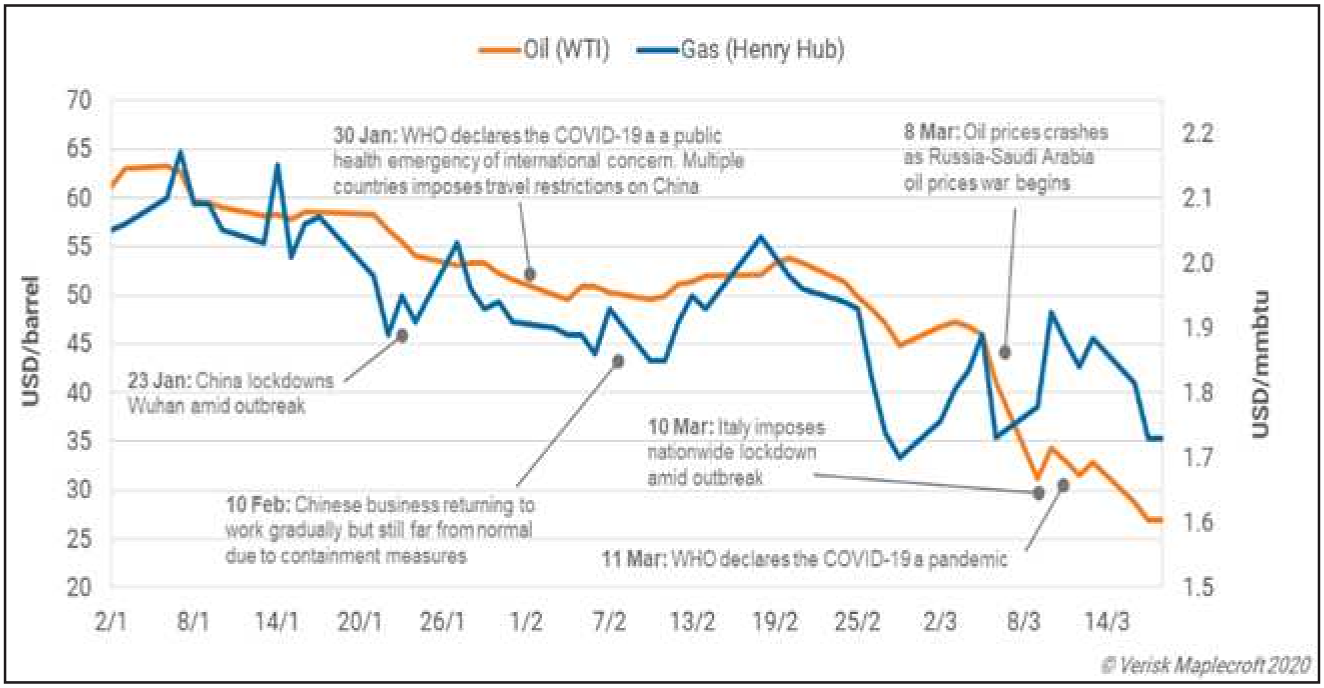

Figure 3 Source- World Bank, 2020

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XL

Study of Phytoplankton Diversity in the River Narmada at Madhya Pradesh

Dr. D.S. Waskel* Dr. K.S. Alawa**

***Department of Zoology, Govt. P.G. College, Dhar, (M.P.) INDIA**
**** Department of Botany, Govt. P.G. College, Dhar, (M.P.) INDIA**

Abstract - The paper deals with carried out for a two years seasonally from 2021 -22. An ecological study with special reference to phytoplankton (algal) component river Narmada at Madhya Pradesh. The phytoplankton diversity was studied in relation to some physico-chemical parameters. The phytoplankton community of river was represented by four algal group's viz. Chlorophyceae, Cyanophyceae, Bacillariophyceae and Euglenophyceae. A total number of 40 species of phytoplankton were identified belonging to Chlorophyceae groups include 16 species, 12 Cyanophyceae, 10 Bacillariophyceae and 2 Euglenophyceae were recorded from different sites of the river. Phytoplankton diversity showed a positive correlation with P^H, DO, alkalinity, phosphate and nitrate and negative correlation with temperature and chloride.
Keywords- Phytoplankton, physico-chemical parameters, Narmada River, district Dhar, M.P.

Introduction - The river ecosystem receives have been used extensively for different propose and exploited recklessly throughout the world. The river ecosystem receives water from their water sheds, marginal run-off and domestic sources. This water contains excess of organic matter, nitrogen, phosphorus, suspended particles and toxicants. they also get lot of other wastage in from garbage, efficient and sewage which effect the water quality and biotic community of aquatic body.

The plankton refers to microscopic aquatic plants or animals having little or no resistance to water carrot and living free floating and suspended in open or pelagic water. the aquatic plants and animals are called as planktons. They play a significant role in aquatic system as consumers. Phytoplankton's form the main producers of an aquatic ecosystem which control the biological productivity. Diversity indicates the degree of complexity of community structure. It is the function of number of species and abundance diversity has often been related to environmental characterless. Phytoplankton which includes blue green algae, green algae, diatoms etc. are importance among aquatic flora. They are ecological significant as they form the basic link in the food chain of all aquatic animals (Mishra et. al.2001).

The present study has been undertaken on the river Narmada which is considered as one of the most important tributaries of the Western Madhya Pradesh. the present study has been carry out of the assessment of phytoplankton diversity and the specimens where collected from four sampling stations of the river Narmada at Nimar region Madhya Pradesh.

Material and Methods - The river Narmada is the largest west Fiowing River of the country which originates from an elevation of 1051 meter in maikala highlands near Amarkantak. under Anuppur district M.P. Narmada river at 2240º N lattitude and 8145º E longitude (Alvares and Billorey,1998). The Narmada after traversing 1312 Km. from it's origin the "Gulf of combey" at 1312 kilometer. point the stretch of river Narmada Undertaken for present work is about 65 km downstream Maheshwar city. the water samples were collected from the river Narmada water from four selected stations. the station I- Dharampuri, station II-Narmada Nagar, station III- Badwani and ststion IV-Nisarpur.

Some of the physico-chemical parameters of water including temperature, $P^{H,}$ dissolved oxygen, alkalinity, phosphate and nitrate, chloride. The physico-chemical parameters of water analyzed according to the method of APHA (2005) and Trivedy and Goyal (1984). Obtained results were compared with standard value laid down by various agencies BIS (1991) and WHO (1992).

Plankton samples were collected by using plankton net made up bolting silted no 25 e (mesh size 0.064 mn) from 0-6 meter water column. Specimens were preserved immediately in 5% formalin solution and identified with the help of keys by Smith (1950).

Result and Discussion - The physical chemical parameters of Narmada River have been given in table no. 1.phytoplankton communities of the present water body were represented mainly four groups viz. Chlorophyceae, Cyanophyceae, Bacillariophyceae and Euglenophyceae. A

total number of 40 species in all species of phytoplankton were identified out of which 16 to Chlorophyceae, 12 to Cyanophyceae, 10 to Bacillariophyceae and 02 to Euglenophyceae respectively. Were recorded during the period of seasonally at 2021. Out of total 40 species and 8 species were common to all the four sites while rest were present only at specific site. Phytoplankton diversity showed a positive correlation with PH, DO, alkalinity, phosphate and nitrate. a negative correlation was observed with temperature and chloride in table 2.

The data on algal biomes are presented in table 3. The total biomass of Chlorophyceae ranged from 21.0 - 2021x10^3 at station-I, 44-5052x10^3 mgl^{-1} at station-II, 33-4046 x10^3 mgl^{-1} at station-III and 47-5570 x10^3 mgl^{-1} at station-IV, while the biomass of Cyanophyceae at station I,II,III and IV ranged from 18-2540 x10^3 mgl^{-1}, 23-2648x10^3 mgl^{-1}, 19-2143 x10^3 mgl^{-1} and 12-1843 x10^3 mgl^{-1}. respectively Bacillariophyceae groups at station I,II,III,and IV ranged from 13-1743 x10^3 mgl^{-1}, 19-2549x10^3 mgl^{-1}, 28-2988 x10^3 mgl^{-1} and 31-4248 x10^3 mgl^{-1}. and group Euglenophyceae are similar trend and they ranged from station I,II,III,and IV ranged 1.0-670 x10^3 mgl^{-1}, 2.2-543x10^3 mgl^{-1}, 3.3-148 x10^3 mgl^{-1} and 2.5-3.00 x10^3 mgl^{-1} respectively. With ranged to group biomass, the Chlorophyceae remained at number one followed by Bacillariophyceae, Cyanophyceae and Euglenophyceae at all the stations. similar observation have been also reported by George (1976) , Jackson (1971).

The natural enrichment of the river is usually not sufficient to produce polluting conditions but the pressure of human activities can influence the river water quality to a great extent. River Narmada seems to be victim of increasing anthropogenic presser at Barwani because of which water has become quite unsuitable for various propose. Out of 40 species of different groups of genera wear found common at all the station including high pollution of tolerant species.

Pressure of more Cyanophyceae at station II, III suggested for pollution load due to nutrient rich condition. Franklin (1972), suggested that Cyanophyceae are general indicators of entropy of water. Chlorophyceae were also to be the indicators of polluted water (Rama Rao et. al, 1978). presence of diatoms and euglenoids at station with increased number at station 3 and 4 for nutrient rich conditions and low PH and DO as reported for other reverence ecosystem (Ray and Kumar, 1976)

The density of phytoplankton at population was found to be associated with PH, Tripathi and Pandey (1990), and Hedge & Sujatha (1997). Reported that high water temperature, phosphate, nitrate, DO, CO_2 supported the growth of algae. Water temperature was considered to be important physical factors which influenced the chemical change in water (Vass 1989). The plankton community on which whole aquatic population depends in largely influenced by interaction of a number of physico chemical factors.

Acknowledgement - The authors are grateful to Dr. S.S. Baghel, Principal and Prof. R.C. Ghawari, Head of Zoology Department Govt. P.G. College, Dhar for providing research facilities. We are also thankful to PHE Officer Dhar for help during study the river Narmada. Special thanks are due to all acknowledgeable for the important information giving regarding the study area.

References:-

1. **APHA (1992)**.Standard method for examination of water and waste water. Washington D.C.
2. **Basavaraja Simpi, S.M. Hiremath,K.N.S. Murthy, K.S.Chandarash,APPA, Anil N. Patil, E.T.Puttiah (2011).**Analysis of water quality using physico-chemical parameters Hosahalo tank in S.Himega district, Karnatka, India, 11 (3).
3. **Davis C.C. (1955). The** marine and fresh water plankton, Michigam state Uni.press, East Lansing, USA.
4. **Franklin T. (1971).** First internal, symp. On taxonomy and biology of blue green algae, university of Madras, Madras, 412.
5. **George J.P. (1976).** Hydro biological studies in lower lake of Bhopal with special reference to productivity of economic fish, Ph.D. thesis Bhopal university, Bhopal (M.P.).
6. **Gopal Krishana H.M.(2011).**Assessment of Physico-chemical status of ground water sample, Inacotcity, Res.Jou. of chemi.Science, 1(4), 117-124.
7. **Gupta, S.M. (2003).**Physico-chemical characteristics and analysis of water quality of Bikaner city, Asian Jou.chemical, 15:727.
8. **Gallardo B., Clavero M., Sanchez M.I.,Vila M.(2016).**Global ecological impacts of invasive species in aquatic ecosysytem. Global change boil, 22:151-163.
9. **Jain M.K., Dadhich L.K., Kalpana S.(2011).** Water quality assessment of Krishanpura Dam, Baran, Rajasthan, India, Nature envi. and pollu.,Tech, 10(3), 405-408.
10. **Johengen T.H. (2014).** Changing ecosystem Dynamics in the Laurentian Great Lake. Bottom up and Top down regulation, Bio. Science, 64:26-39.
11. **Rai L.C. & Kumar H.D.(1977).** Studies on the seasonal variation in the algal community of pond polluted with fertilizer factory efficient in J.ecol. (4) 124-131.
12. **Sharma S., Solanki, C.M. Sharma D. and Tail,I. (2013).** Population dynamics of plankton in river Narmada at Omkarreshwar, IJAR 1(1): 11-15.
13. **Singh, B.N. & S. Rai (1999).** Physico-chemical studied of Ganga River at Varansi. Jou. Envi.Pollution, 6:43-46.
14. **Singh, M. (1965).** Phytoplankton oeridicicity in a small lake near Delhi.I. Phykos, 4:61-68.
15. **Trivedi R.K. & Goel P.K. (1986).** Chemical and biological method for water pollution studied, Envi. Pub.

Karad, 215.
16. **Waskel, D.S. (2015).** Phytoplankton periodicity in relation to abiotic factors in Kapur tank, near Mandu district Dhar (M.P.) India. Jour. Of NSS, Vol.(1): 17-19.

Table-1: Floristic composition of phytoplankton(algae) at different station of River Narmada at western Nimar

Groups	**Sampling Stations**			
	Station-I	**Station-II**	**Station-III**	**Station-IV**
I-Chlorophyceae				
Chlamydomonous mirbili	+	-	-	+
C.subsala	+	-	+	+
C.panctonica	+	+	+	+
Chara sp.	+	+	+	-
Chlorella sp.	+	-	+	+
Cladophora glomarata	+	-	-	+
Cosmarium sp.	+	-	+	+
Hydrodictyon sp.	+	-	-	+
Oedogonium sp.	+	+	+	+
Pediastrum sp.	+	-	-	-
Scenedesmus sp	+	+	+	+
S.acuminatus	+	-	+	+
Spirogyra sp.	+	+	-	+
Ulothrix sp	-	+	-	-
Volvox sp	+	-	-	+
Zygnema sp.	+	+	+	+
II- Cyanophyceae				
Anabaena sp.	+	-	+	+
A.Doliolum	+	-	-	-
A.variabilis	-	+	+	+
Aulosira fortilissima	+	+	+	+
Chroococcus sp.	+	-	+	-
Cylindrospermum sp.	+	-	+	+
Lynbya sp.	-	-	+	+
Merismopedia sp.	+	+	-	+
Microcystis sp.	+	+	+	-
Nostoc sp.	+	-	+	+
Oscillatoria sp.	-	+	+	+
Spirulina sp.	+	+	+	+
III-Bacillariophyceae				
Achnenthes clevi	+	+	+	-
Bacelleria	+	-	-	+
Cocconeis sp.	+	+	-	-
Cyelotella sp.	+	-	+	+
Cymbella sp.	+	-	-	-
Diatoma sp.	-	-	+	+
Gyrosigma sp.	-	-	+	+
Navicula sp.	-	+	-	-
Nitzschia sp.	-	-	-	+
Pinnularia sp.	+	-	-	+
Total sp				
IV-Euglenophyceae				
Euglena sp.	+	+	+	+
Trachelomonas sp.	+	+	+	+
Total sp.	32	17	27	32

Note: (+) Present, (-) Absent

Table:2 Correlation coefficient between phytoplankton's density and physico-chemical parameters.

S.	Parameters	Algal groups			
		Chlorophyceae	Cyanophyceae	Bacillariophyceae	Euglenophyceae
1	Temperature	-0.712	-0.585	-0.148	-0.786
2	PH	0.733	0.848	0.702	0.199
3	DO	0.708	0.696	0.512	0.612
4	Chloride	-0.363	-0.602	-0.108	-0.102
5	Phosphate	0.487	0.448	-0.381	0.281
6	Nitrate	-0.789	0.702	-0.478	0.503
7	Alkalinity	0.712	0.498	0.518	0.190

Table:3 Annual range of Biomass of different Phytoplankton groups at different station of River Narmada (Unit=10^3 $mg.l^{-1}$)

S.	Algal class	Station-I	Station-II	Station-III	Station-IV
1	Chlorophyceae	21-2021	44-5052	33-4044	47-5570
2	Cyanophyceae	18-2540	23-2648	19-2143	12-1843
3	Bacillariophyceae	13-1743	19-2550	28-3030	31-4248
4	Euglenophyceae	1.0-340	2.2-443	3.3-148	2.5-3.5

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XL

A Study on Bayesian Network Analysis of the Danger of Explosions in Chemical Plants

Dr. S.K.Udaipure*

*Prof. & Head (Chemistry) Govt. Narmada P.G.College, Narmadapurma (M.P.) INDIA

Abstract - Numerous mishaps involving explosions at chemical plants occur as the chemical industry expands. The vulnerability of the development of such accidents is essentially increased by the interaction and effect of several elements. This study provides a methodology for accurately assessing explosions at chemical plants. We propose twelve hubs that will integrate verifiable information with expert insight to support the board, the counteraction, and ongoing admonition to handle mishap development and put out a Bayesian network model for chemical plant explosion accidents. The chemical industry has made a significant economic contribution to society, but ongoing chemical plant explosion accidents (CPEAs) have also caused substantial property losses and losses because CPEAs are a result of the cooperation of numerous related risk factors, which makes them vulnerable to accident progression. Through situation analysis and responsiveness study, the relationship between components and their effect on accident outcomes was assessed. It has been discovered that the immediate factors have the most obvious effects on the outcomes of accidents, and that dangerous situations offer more than dangerous behaviors.
Keywords- Bayesian Network, Danger of Explosions, Chemical Plants.

Introduction - Chemical facilities frequently experience explosive accidents as a result of the continued expansion of the chemical industry. These mishaps frequently cause serious setbacks, large property losses, and notable environmental harm. Since chemical facilities generate and store a wide variety of combustible, unstable, and deadly compounds, when a blast occurs, it can be difficult to predict how devastating it will be and may even trigger further subordinate disasters. The course of events and outcomes of accidents are crucial for preventing and successfully exploiting the risk of mishaps and identifying the reasons.

Factual research and causation models serve as the two key guiding ideas of the current CPEA assessment techniques. The quantifiable examination summarizes the causes of accidents in terms of cause, kind, time, and district using accident case information. Models of accident causation can assist make sense of the accident system and offer a theoretical foundation for analysing and reducing accident risk. They discovered that FTA is effective at analyzing the flat, continuous link among causes, whereas HFACS is more suited for looking at the concealed causes of accidents. In order to investigate the rational connection between causes and the progression of accidents, Heinrich developed the Heinrich's domino hypothesis using a progression of accident components. A few studies have suggested better models in response to this idea. Bird's accident causation model says that administrative surrenders are the main cause of accidents and looks at the fundamental reasons of bad human behaviour and risky conditions. The accident was significantly influenced by societal variables, in accordance with Kitagawa's accident causation model. The circle convergence hypothesis explains the course of accidents by emphasizing the turn of events and association of the human circle and the circle of the items. Since it successfully reveals accidents' hidden causes, the circle crossing point hypothesis is an essential tool for investigating accident causes. It is widely employed in the examination of incidents involving coal mineshafts, oil explosions, and similar health-related issues. Since CPEAs are the result of the interaction of numerous variables, there are numerous vulnerabilities present at various points in their occurrence and progress, including both internal and external influences. Using the circle convergence concept, this study rigorously separates the CPEA gamble elements from the mishap advancement causation chain.

Directors of industrial facilities and significant divisions should create appropriate administrative rules, support concise crisis plans, and conduct vital responses as a result of the aforementioned reasons. A successful strategy should be able to leverage the factory's advantages and use certain tactics to reduce risks and setbacks. The fundamental factors of the employees, equipment, and management that resulted in chemical plant blast accidents

have been extensively researched and examined by numerous scientists up to this point. Kao et al. employed risk analysis to examine explosions at an assembly facility in northern Taiwan in an effort to stop further mad events. However, these analyses don't quantitatively focus on how these factors affect and have an impact on the chance of a blast accident. The traditional gamble investigation should also include flexible examination and decision support. Models of expected risk for these accidents are essential for accident prevention, avoidance, and navigation. Conventional crisis response methods are inadequate for preventing and managing explosions in chemical plants. New methods to assess the reason's vulnerability are what we really want.

We employ a Bayesian network, sometimes referred to as a BN, to solve the aforementioned issues. In the Bayesian network, which is a coordinated non-cyclic diagram, the relationship between hubs is represented as coordinated edges with restricted probability dispersion. A Bayesian network can handle the link between factors, and we aim to concentrate on what different components suggest for the chances and outcomes of an accident. The Bayesian network has a strong theoretical base and is effective for handling insufficient data. BN can employ AI to establish the network architecture and boundaries by using historical data and professional assistance. The accuracy and viability of accident forecasting are improved by BN, which creates a framework for thinking and anticipating. The complexity of the chemical industry can be managed by BN while also handling vulnerability and updating event probability.

Literature Review

One of the early publications, by Gulvanessian and Holicky in 2001, suggests a BN to examine the most effective game plans while dissecting the effectiveness of fire security systems. In his research, Oien used BN to discern subjectively the motivations behind the elements in hierarchical gambling and their relationship to events that occurred around the same time.

The article by Hudson et al. discusses the use of Bayesian networks to reduce terrorism risk for military planners' executives. Embrey developed impact charts in 2002 that take into account human variables and their devotion to the security fundamental framework. These impact charts could easily be converted entirely to BN.

In 2004 Cornalba and Giudici presented a BN technique for quantifiable demonstration of practical wagers considered by banking association. A paper on using BN for seismic risk was delivered to executives in 2005 by Bayraktarli et al. For the BN model, all factors associated with seismic tremor might be remembered.

Twardy et al. in 2005 for estimating the risk of coronary disease (CHD) during the next ten years. They created a BN by utilising the data from the Busselton and the Forthcoming Cardiovascular Munster (PROCAM) studies. They used the software "Netica" to display the indicator variable, specifically the risk of developing cardiovascular sickness, as a weighted sum of 8 gambling components.

In 2012, Weber et al. presented an overview of BN applications in the dependability, risk assessment, and maintenance areas. They point out that BN have been used to assess risk situations since 2001 and that there has been a six-fold increase in the number of papers on BN applications to risk assessment from 2001 to 2008. The developers make it clear that BN applications are expanding swiftly and that they have been tuned for risk assessments on a general level because of their ability to measure low chance numbers.

A powerful probabilistic technique for thinking under vulnerability was presented by Bobbio et al. in 2001. They demonstrated how any Shortcoming Tree (FT), which is used to showcase subordinate frameworks, may be easily converted into a BN and how important derivation techniques of the latter choice may be used to process old style boundaries from the previous (for example dependability of the Top Occasion or of any sub-framework, criticality of parts, and so on.). By simulating a situation from the writing that includes an excess multiprocessor framework, the creators examined the two approaches.

Kalantarnia et al. used the dynamic gamble appraisal approach in 2010. This method combined the outcome evaluations with a Bayesian disappointment refreshing system. The actual incident took place on 23 Walk in 2005 and raised a number of concerns around process safety. The authors updated something comparable with observed information and used nonexclusive individual gear disappointment rates. They found that, despite QRA's documented success in the industry, it falls short in one crucial area, specifically the interdependence of risk capacity across time. Without doing a new evaluation, risk values cannot be updated as things change in the office.

A mishap counteraction model for offshore oil and gas handling settings that is specifically linked to hydrocarbon discharge situations and any ensuing raising occasions was introduced by Kujath et al. in 2010. The components to avert a mishap situation were identified from thorough industrial data and retained as the model for mishap movement. The elements were shown as security barriers (hindrances intended to keep the mishap situation from creating). The elaborate accident models included flaws in oil and gas handling activities and were presented as Issue Trees (FT).

Methods - The handling approach essentially consists of three stages: accident factor inquiry, BN development, and model investigation. This is according to views of subjective and quantitative gamble assessment. This is done to investigate the perplexing interaction between the various components and how these variables affect the outcomes of CPEAs. Regarding the nuances, take into account:

1. Recognizing the complexity of the causes of CPEAs,

the strategy proposes the circle convergence hypothesis with the removal of CPEA variables from potentially hazardous human behaviour, potentially hazardous material conditions, potentially hazardous executive factors, and potentially hazardous executive outcomes.

2. Through the construction of BN and the inclusion of real examples for design and boundary learning, it offers model help for quantitative analysis of CPEAs. We first encode the conditions of the variables that were deleted before analysing the data from actual CPEA instances. At that point, the ISM-K2 half-and-half construction learning approach is utilised to obtain the Bayesian network structure and identify the causal relationship between the components. Finally, boundary learning is used to the BN-CPEA model to calculate the contingent probability circulation of the hubs.
3. We use the BN model that we have learnt to statistically analyse the relationship between the CPEA's components and how they affected the accident, primarily the situation analysis (SA) and the responsiveness analysis (RA).

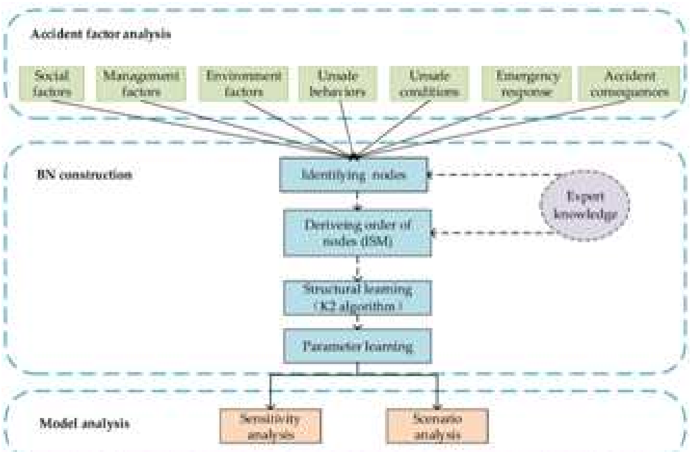

Figure: 1. The method described in this paper's overall structure.

Networks Bayesian - In CPEAs, BN is used to quantitatively examine the causal relationship between the event and the factors as well as the interaction between the factors and each other. Coordinated non-cyclic charts (DAG) and constrained likelihood tables are used to communicate a probabilistic network, or BN (CPT). The network's occasion and triggering variables are conveyed as random hubs, and their connections are communicated as coordinated edges under conditions of low chance. Two conditions need to be met in order to develop BN. In order to frame a network topology, hubs and coordinated edges should not be completely established at first. Second, every hub of the actual example's previous probability is fully counted.

In BN, DAG addresses the primary link between components by using hubs and coordinated edges linking the hubs. Hub X1 becomes the parent hub of hub X2 and hub X2 becomes the child hub of X1 when a coordinated edge travels from hub X1 to hub X2. The terms "leaf hub" and "root hub" are used to describe hubs that do not have any children hubs or parent's hubs. The Bayesian formula can be used to express each of the hubs that make up the CPT in a DAG, which is a series of hubs with varying levels of contingent likelihood:

$$P(X_2 \mid X_1) = \frac{P(X_2)P(X_1 \mid X_2)}{P(X_1)}$$

According to the BN proof hypothesis, each hub Yi is consequently affected by each of its parent hubs, Y1, Y2,...,Yi1, and the Bayesian equation may be used to calculate the combined restrictive likelihood appropriation.

$$P(Y_i \mid Y_{i-1},...,Y_1) = P(Y_i \text{ Paremts } (Y_i))$$

Where Parents(Yi) refers to each of the hub Yi's parent hubs. Two hubs are independent of the collective restrictive likelihood appropriation of all of their parent hubs. The joint likelihood conveyance (JPD) is transmitted as follows in relation to a number of irregular factors identified as the hubs X1, X2,..., Xn.

$$P(X) = \prod_{i=1}^{n} P(X_i \mid \text{Paremts } (X_i))$$

Where X refers to the set "X1, X2,..., Xn."

1. FORMING A BAYESIAN NETWORK

1.1. Determine BN Components of CPEAs - When CPEAs are analyzed in the context of BN, the identification of the network's hubs depends on the extraction of significant accident-related characteristics. Since the examination reports of CPEAs in China summaries the accident primarily in terms of the responsibility framework, which often includes both the immediate and aberrant components of the accident, we may follow the key CPEA-affecting factors from these reports. The China Dangerous Chemicals Association and the Internet were used to gather a total of 46 CPEA reports, from which we identified the major causes of the decrease in accidents. We therefore encoded the state value of the hub. Since alternative representations of the CPEA reports vary widely, distinct elements are frequently depicted with varying degrees of data spillage. We will look online and in libraries for the case's missing data. Before separating the hub condition of each example for a logical coding, we first record the conceivable condition of each hub.

The causes of the accident can be summed up as the aforementioned elements. After the incident, there is a "government crisis," "Endeavour crisis," and an estimated "unintentionally seriousness" and "ecological pollution" as a result of the incident.

1.2. BN Structure Learning of CPEAs - Due to the great arbitrariness of CPEA information, this study uses the ISM-K2 technique, which first uses ISM to rank the hubs in order

to determine the general request relationship among the hubs. The eager slope climbing search is then performed using the predetermined maximum number of parent hubs, the back probability of the created hubs is calculated, and the hubs with the highest back likelihood are chosen as the hub's parent hubs. The impact of network structure learning can be worked on and a more logical network model can be obtained by successfully coordinating master information.

1.3. BN Parameter Learning of CPEAs - We perform boundary figuring out to create a restrictive likelihood table (CPT) for each hub in light of the BN-CPEA construction and preparation data using the EM (assumption boost) calculation included with the GeNIe 2.0 software. When the BN structure is known, the earlier likelihood of each hub is counted using actual data from CPEAs. Based on this evaluation, the back restrictive likelihood of each hub of the BN is estimated as well as the joint probability distribution of each hub. Since the representations used in CPEA reports differ, they frequently show differing levels of data oversight in the depiction of different variables, which results in inaccurate data.

Additionally, the limiting likelihood for each child hub is gathered. Due to their simplicity, Tables 1 and 2 only display the restricted probability tables (CPT) for hubs that exhibit risky behavior. To examine how variables interact with one another and how all variables impact CPEA outcomes, contingent probabilities and the learned BN model will be employed.

Table: 1 (see in last page)

Table: 2 (see in last page)

Results And Discussions

Case 1: The Fundamental Elements: Insufficient "External Supervision"

"Outer oversight," the root hub in this paper's BN design, unquestionably influences several hubs. The analysis of how "outside oversight" affects numerous components and the severity of the accident is the case's main objective. Figure 2 shows the relationship between the probabilities of various hubs when these hub conditions vary. The aforementioned hub state is more likely to occur, showing how inadequate external control has a big impact on things like a shaky security framework for executives, a bad board association for wellbeing, illicit business, demeanour concerns, and inappropriate use. Inadequate outside oversight directly increases the likelihood of problems with executive factors and indirectly increases the likelihood of problems with risky behavior and hazardous situations-related variables. The circle meeting notion for the movement of the variables is consistent with this impacting interaction between the components. External management will typically operate as the main catalyst for the development of other causes, which will then have an effect on the likelihood and seriousness of the disaster. As a result, we must improve outside management, educate society about the dangers of dangerous chemicals, and steer clear of CPEA problems.

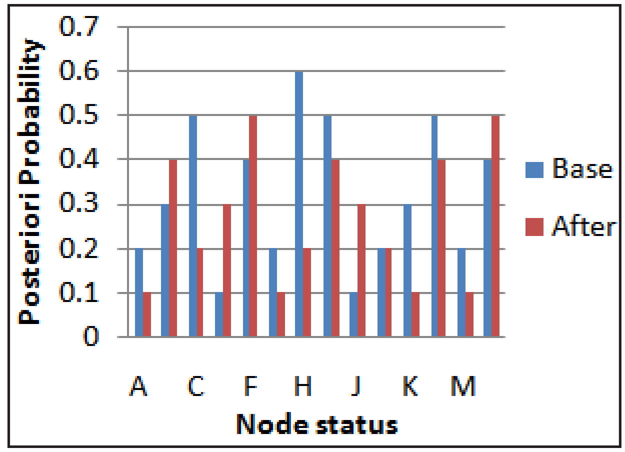

Figure: 2. Analysis of the probability of new nodes appearing before and after the "external supervision" criteria becomes insufficient

Case 2: Inadequate "Safety Education and Training" and an improper "Safety Management System"

This case primarily focuses on examining the role and effects of the board variables in CPEAs. When the "wellbeing the board framework" and "security teaching and preparation" conditions change to foolish and deficient, Figure 3 shows the link between the probabilities of various hubs. It is claimed that the security the executive's framework had an effect on how the wellness the board association performed in conjunction with the network structure investigation. The project's security executives association is in charge of hardware inspection, health education, and planning. As a result, the administrators' security knowledge and skills are directly impacted by their health education and preparedness. This close relationship makes the administration factors—assuming they affect progression—a crucial part of the BN-CPEA model. It is crucial to remember that representatives who are unprepared and untrained in security will significantly increase the wasteful use of resources. Therefore, it is essential to advance the project safety management framework, increase representative security education and training, and focus on workers' professional skills when developing chemical plants. These skills will make it possible for personnel to operate machinery safely and effectively, avoiding activity errors that may otherwise increase the risk of accidents.

Figure: 3. Comparison of other node probability before and after "safety management system" and "safety education and training" state changes.

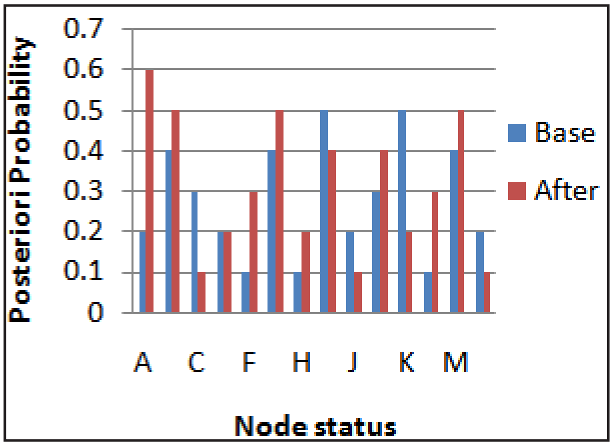

Emergency response measures' effects - The consequences of CPEAs can be significantly lessened with quick and effective crisis response. Different organisations each play a unique role in accident response. The public authority and ventures have taken on a crucial role in the crisis response as a result of CPEAs. In order to examine the effects of governmental and corporate crisis reactions, we recently modified the likelihood of these two centers and developed four crisis reaction scenarios. The state settings for the "government crisis" and "Endeavour crisis" hubs are displayed in Table 3.

Table: 3 (see in last page)

Conclusion - We show that the model is operationally viable and that employing the BN is preferable to creating a chemical plant blast disaster model based on verified data from actual incidents. The elements that caused the explosion were arbitrarily divided in earlier investigations, and the interactions between the factors were disregarded. In order to evaluate the various evolution of chemical plant blast accidents, Crafted used the cascade types of effect and DBN investigation. It is necessary to take into account a number of natural elements, accident causes, and accident triggering mechanisms when determining the risk level of chemical plant explosion incidents. Even so, it could be challenging to make a choice and pinpoint this information properly. Crafted by overcame these challenges by using a number of approaches, including the issue tree. In this way, we do a thorough investigation of accidents and collaborate with BN to offer a reliable logical strategy. the examination of the hazards that using street transportation while exposed to hazardous chemicals poses and the evidence that can be seen. The four key concepts are people, cars, the environment, and products. The Bayesian network half-and-half technique and special deficiency tree are introduced to focus on the continual nature of unsafe street transportation risk since the risk increases with time. Lastly, models back up the model. The offered thorough approaches and procedures can act as a helpful manual for the evaluation of transportation-related risks for hazardous chemicals.

The conclusions stated above can be used as a reference for the actual creation wellbeing of executives at chemical plants. Given the importance of risk factors, it is crucial to improve administrators' security training and regularly complete assessments of hardware health and hidden risks in the creation environment to reduce operational errors, inappropriate equipment use, and configuration lapses. These steps will help prevent CPEAs. Businesses need to make their executive protection system stronger, operate legally, and make sure security executive associations are in operation. Furthermore, a rapid and effective crisis response helps lessen the harm caused by accidents. Companies should create detailed crisis plans and schedule regular crisis exercises. The appropriate divisions can write up a crisis plan that includes data for the executives to use during the crisis recovery stage, depending on the actual situation.

References:-

1. Ambituuni, A., Amezaga, J.M. and Werner, D., "Risk assessment of petroleum product transportation by road: A framework for regulatory improvement", Safety Science, Vol. 79, (2015), 324-335.
2. Babrauskas, V. The ammonium nitrate explosion at West, Texas: A disaster that could have been avoided. Fire Mater. 2018, 42, 164–172.
3. Babrauskas, V., "Explosions of ammonium nitrate fertilizer in storage or transportation are preventable accidents", Journal of Hazardous Materials, Vol. 304, (2016), 134-149.
4. Cao, H., Li, T., Li, S. and Fan, T., "An integrated emergency response model for toxic gas release accidents based on cellular automata", Annals of Operations Research, (2016), 1-22.
5. Du L., Feng Y., Tang L.Y., Lu W., Kang W. Time dynamics of emergency response network for hazardous chemical accidents: A case study in China. J. Clean. Prod. 2020;248:119239. doi: 10.1016/j.jclepro.2019.119239.
6. Jian L.I., Bai X.Y., Ren Z.Z., Jun W.U. Statistic analysis and countermeasures of hazardous chemicals accidents occurring in China during 2011–2013. J. Saf. Sci. Technol. 2014;10:142–147.
7. Jiang W., Han W. Analysis of "2·28" keeper chemical industries hazardous chemical explosion accident based on FTA and HFACS. Int. J. Environ. Res. Public Health. 2018;15:2151. doi: 10.3390/ijerph15102151.
8. Jiang, X., Xu, Z. and Deng, Y., "Development in risk study on hazardous chemical materials road transportation", Journal of Catastrophology, Vol. 4, (2006), 19-28.
9. Li Y., Liu Z., Jia J. Statistic analysis of chemical enterprises accidents occurring in China during 2006~2015. Appl. Chem. Ind. 2017;46:1620–1623.
10. LI, J., FENG, Y., YU, Y., YU, L.a. and WU, J., "Research on the statistics of hazardous chemical accidents in

china during the "twelfth five-year" period and recommendations", Journal of Wuhan University of Technology (Information & Management Engineering), Vol. 5, (2016), 6-15.
11. Li, Y.; Liu, Z.; Jia, J. Statistic analysis of chemical enterprises accidents occurring in China during 2006~2015. Appl. Chem. Ind. 2017, 46, 1620–1623.
12. Liu, R. Research of Accident Analysis and Prediction of Chemical Manufacturers. Master's Thesis, North University of China, Taiyuan, China, 2015.
13. Mahmoudabadi, A., "Developing a chaotic pattern of dynamic risk definition for solving hazardous material routing-locating problem", Journal of Loss Prevention in the Process Industries, Vol. 37, (2015), 1-10.
14. Saat, M.R., Werth, C.J., Schaeffer, D., Yoon, H. and Barkan, C.P., "Environmental risk analysis of hazardous material rail transportation", Journal of Hazardous Materials, Vol. 264, (2014), 560-569
15. Tena-Chollet, F., Tixier, J., Dusserre, G. and Mangin, J.-F., "Development of a spatial risk assessment tool for the transportation of hydrocarbons: Methodology and implementation in a geographical information system", Environmental Modelling & Software, Vol. 46, (2013), 61-74.
16. Wang, G., Zhao, L., Hao, Y. and Zhu, J., Design of active safety warning system for hazardous chemical transportation vehicle, in Information technology and intelligent transportation systems. (2017), Springer.11-21.
17. Zerrouki, H.; Smadi, H. Bayesian belief network used in the chemical and process industry: A review and application. J. Fail. Anal. Prev. 2017, 17, 159–165.
18. Zhang N., Shen S.-L., Zhou A.-N., Chen J. A brief report on the March 21, 2019 explosions at a chemical factory in Xiangshui, China. Process Saf. Prog. 2019;38 doi: 10.1002/prs.12060.
19. Zhang, N.; Shen, S.L.; Zhou, A.N.; Chen, J. A brief report on the March 21, 2019 explosions at a chemical factory in Xiangshui, China. Process Saf. Prog. 2019, 38, e12060.
20. Zhao L., Qian Y., Hu Q., Jiang R., Li M., Wang X. An analysis of hazardous chemical accidents in China between 2006 and 2017. Sustainability. 2018;10:2935. doi: 10.3390/su10082935.

Table: 1. Tables of conditional probabilities for the node "operation error"

	G-Inadequate				G-Adequate			
Nodes Status	**H –Present**		**H –Absent**		**H –Present**		**H –Absent**	
	I –Bad	**I – Good**	**I –Bad**	**I – Good**	**I –Bad**	**I – Good**	**I –Bad**	**I – Good**
B-F	0.73	0.63	0.62	0.73	0.65	0.35	0.23	0.33
B-S	0.27	0.37	0.16	0.26	0.22	0.45	0.57	0.68

Table: 2. Tables of conditional probabilities for the node "attitude problem"

	J-Inadequate				J-Adequate			
Nodes Status	**G-Inadequate**		**G-Adequate**		**G-Inadequate**		**G-Adequate**	
	F-improper	**F-proper**	**F-improper**	**F-proper**	**F-improper**	**F-proper**	**F-improper**	**F-proper**
A - F	0.72	0.63	0.62	0.52	0.63	0.56	0.32	0.23
A - S	0.26	0.37	0.38	0.48	0.37	0.42	0.66	0.77

Table: 3. Estimated probability of accident results for different emergency response techniques

Posteriori Probability	**Government Emergency**	**Enterprise Emergency**	**K- Severe**	**N-Present**
Pattern 1	Efficient	Inefficient	0.11	0.13
Pattern 2	Inefficient	Efficient	0.16	0.26
Pattern 3	Efficient	Efficient	0.10	0.24
Pattern 4	Inefficient	Inefficient	0.23	0.33

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XL

गिरिराज किशोर का उपन्यास 'परिशिष्ट' और 'दलित-चेतना'

डॉ. रविन्द्र गासो *

* एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष (हिन्दी) डी.ए.वी. कॉलेज, पूण्डरी (कैथल) कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र (हरियाणा) भारत

शोध सारांश – गिरिराज किशोर (1937-2020) समकालीन हिन्दी साहित्य के प्रमुख यथार्थवादी- आदर्शवादी बहुमुखी प्रतिभा-सम्पन्न लेखक हैं। महात्मा गांधी के अफ्रीका प्रवास पर लिखा उपन्यास **'पहला गिरमिटिया'** गिरिराज किशोर की पहचान बन गया है। 1966में प्रथम उपन्यास प्रकाशित होने से लेकर आपने दो दर्जन के करीब उपन्यास लिखे, जिनमें 'यथा प्रस्तावित', 'परिशिष्ट', 'ढाई घर', 'यातनाघर' आदि प्रमुख हैं। एक दर्जन कहानी संग्रह और इतने ही नाटक लिखने वाले इस लेखक ने बड़ी संख्या में ज्वलंत विषयों पर निबन्ध- लेखन भी किया है। आपका 1984 में प्रकशित 'परिशिष्ट' दलित जीवन संघर्षो और जाति उत्पीड़न के विषय पर लिखा बहुचर्चित उपन्यास है। गांधीवादी समाज सुधार व आत्म क्रांति के विचारों ने उपन्यास में प्रस्तुत जीवन यथार्थ को एकांगी और इकहरा बना दिया है।

दलित-चेतना की दृष्टि से इस उपन्यास का विश्लेषण नवीन निष्कर्ष और विचार पद्धति का उद्धाटन करता है। हिन्दी उपन्यासों में दलितों के नारकीय जीवन के जो चित्र हैं वे मानवीय, संवेदना-युक्त तथा आदर्शवादी-सुधारात्मक सदाशयता लिए हैं। वे छुआछूत पर, गरीबी पर, अमानवीयता पर, ब्राह्मणवादी तथाकथित पवित्रता पर, पाखण्डों- अन्धविश्वासों पर, शोषण पर, कट्टरता पर, भेदभाव पर, परम्पराओं पर प्रश्नचिह्न तो लगाते हैं परन्तु जाति-व्यवस्था पर कोई प्रश्न नहीं खड़ा करते। यहीं पर दलित चेतना की दृष्टि से गैर दलितों द्वारा लिखे हिन्दी उपन्यासों की सीमाओं का पता चलता है। हिन्दी उपन्यासकार की जीवन-दृष्टि व्यवस्था में कम या अधिक परिवर्तन की रही, उसे समूल बदलने की नहीं।

हिन्दी में 'दलित-चेतना' सम्पन्न साहित्य-आंदोलन 1975 के बाद सक्रिय हुआ। दलित अस्मिता ही 'दलित-चेतना' का मूल है। यह चेतना 'सहानुभूति' के साहित्य को दलित साहित्य नहीं मानती। 'स्वानुभूति' दलित साहित्य का आधार-बिन्दू है। इसी कारण से दलित समस्या को लेकर लिखे साहित्य में दलित अस्मिता, दावेदारी, जाति/वर्ण उन्मूलन के आंदोलन, अम्बेडकर-फूले दर्शन के प्रभाव व आशय पूर्णत: असम्बोधित रहते हैं। 'परिशिष्ट' उपन्यास के विस्तृत विश्लेषण के बाद उपर्युक्त निष्कर्ष सहज ढंग से ही स्पष्ट होता है। यह उपन्यास दलित समस्या को गांधीवादी आदर्शवाद के दृष्टिकोण से प्रस्तुत करता है जबकि 'दलित-चेतना' पर यह खरा नहीं उतरता।

प्रस्तावना – दलित साहित्य डॉ. भीमराव अम्बेडकर द्वारा सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक स्तर पर किए गए दलित-मुक्ति आंदोलन की वैचारिकी से सम्बद्ध है। हिन्दी में दलित साहित्य मराठी दलित साहित्यांदोलन से प्रभावित है, जिसकी शुरूआत सत्तार के दशक में हुई थी। 1972 में बम्बई में 'दलित पैन्थर' (दलित युवाओं का संगठन) बना था। मराठी दलित आत्म कथाओं के प्रकाशित होने से भारतीय साहित्य में जैसे भूचाल आ गया। दूसरी विधाओं में भी अत्यन्त समृद्ध दलित-साहित्य लिखा गया है। यह क्रम निरन्तर जारी है।

हिन्दी में 'दलित-चेतना' का साहित्य 1975 ई. के बाद स्थापित हुआ जिसकी परम्परा पालि-प्राकृत, अपभ्रंश, सिद्धों, नाथों, निर्गुण सन्तों में मानी गई। हिन्दी साहित्य के इतिहास की पुनर्व्याख्या और पुनर्लेखन की बात दलित चिन्तकों ने रखी। वर्ण/जाति की संरचना में शूद्रों की अस्पृश्यता और अपवर्जन की स्थिति के विरुद्ध उसके (जाति/वर्ण के) समूल नाश का एजेण्डा 'दलित-चेतना' है। 'अस्मिता', 'समता', 'स्वतन्त्रता', 'बन्धुत्व' को स्थापित करने के उद्देश्य से यह चेतना दलितों के अपवर्जन, उत्पीड़न, शोषण, अपमान, अन्याय का यथार्थ-चित्रण करती है।

'दलित' की अवधारणा को विद्वानों ने स्पष्ट किया है –

डॉ. सोहनपाल सुमनाक्षर ने इसी संदर्भ में कहा है – 'वैसे तो 'दलित' शब्द का प्रचलन बहुत पहले से था, पर 1932 के पूना-पैक्ट के बाद 'अछूतों' के लिए जहां गांधी जी 'हरिजन' शब्द का इस्तेमाल करते थे, बाबा साहब डॉ. अम्बेडकर 'दलित' शब्द का इस्तेमाल करते थे।'[1]

डॉ. ए. अच्युतन – 'दलित शब्द आज अपने आप में एक 'संस्कृति' का परिचायक बन गया है। यह दलितों के सत्व बोध का परिचायक शब्द है, जिसे उच्च वर्ग के लोगों ने दस्यु, राक्षस, अवर्ण, निषाद, पंचमर, चण्डाल और अंग्रेजों ने डिप्रैस्ड क्लास, गांधी जी ने हरिजन, भारतीय संविधान के अनुसूचित जाति-जनजाति आदि पर्यायों से विभूषित किया। अपनी सांस्कृतिक अभिव्यक्ति दलितों का जन्म सिद्ध अधिकार है। यह संस्कृति मल्टी कलचरल है और इस संस्कृति का अन्य समान सांस्कृतिक इकाईयों से भी सम्बन्ध है (इन्टर और क्रास कलचरल)।'[2]

कंवल भारती स्पष्ट करते हैं कि 'वास्तव में 'दलित' वही व्यक्ति हो सकता है, जो सामाजिक तथा आर्थिक, दोनों दृष्टियों से दीन-हीन है। जिन पर अस्पृश्यता का नियम लागू किया गया, जिसे कठोर और गन्दे कर्म करने के लिए बाध्य किया गया, जिसे शिक्षा ग्रहण करने और स्वतन्त्र व्यवसाय करने से मना किया गया और जिस पर सछूतों ने सामाजिक निर्योग्यताओं की संहिता लागू की, वही और सिर्फ वही दलित है।'[3]

आधुनिक काल में दलित-मुक्ति आंदोलन से पैदा हुई 'दलित-अस्मिता'

ही 'दलित-चेतना' का मूल है। यह चेतना 'सहानुभूति' के साहित्य को दलित साहित्य नहीं मानती। 'स्वानुभूति' दलित साहित्य का आधार-बिन्दू है। इसका कारण बताते हुए हम डॉ. विवेक कुमार का कथन उद्धृत कर सकते हैं- 'दलित-अस्मिता' के सृजन में जहां जन्मना लांछन एवं अपवर्जन के खिलाफ संघर्ष है, वहीं सामाजिक एवं धार्मिक आधार पर पूर्व में स्थापित अस्मिताओं को खण्डित करने का भी प्रयास है।'[4]

'दलित और 'दलित-चेतना' के सैद्धान्तिक परिप्रेक्ष्य को समझने के बाद यह जरूरी है कि हम उपन्यास-लेखन की दार्शनिकता के साथ इसके अन्तर्सम्बन्धों को देखें-परखें।

सामाजिक परिवर्तन तथा सामाजिक रूपान्तरण के लिहाज से यथार्थवादी दृष्टिकोण या साहित्यांदोलन अन्य कला-रूपों में तो आया ही लेकिन 'उपन्यास' या 'गल्पय (fiction) अपनी भिन्न अभिव्यंजना शक्ति के कारण सर्वाधिक कारगर माध्यम बना। **रैल्फ फाक्स** ने उपन्यास तथा लोक जीवन के अन्त:सम्बन्धों पर लिखा है कि 'उपन्यास का विषय है व्यक्ति। वह समाज के विरुद्ध, प्रकृति के विरुद्ध व्यक्ति के संघर्ष का महाकाव्य है और यह केवल उसी समाज में विकसित हो सकता था जिसमें व्यक्ति और समाज के बीच संतुलन नष्ट हो चुका हो और जिसमें मानव का अपने सहजीवी साथियों अथवा प्रकृति के साथ युद्ध ठना हो। पूंजीवादी समाज ऐसा ही समाज है।'[5]

वे उपन्यास-लेखन को एक दार्शनिक धन्धा मानते हैं और लिखते हैं कि चिन्तन के इसी गुण के कारण कथा-साहित्य में प्रथम और द्वितीय कोटि की रचनाओं की परख होती है। स्पष्ट है कि कलाकार विशेषत: कथाकार के लिए 'जीवन-दर्शन' से मार्मिक सहानुभूति आवश्यक है जो जीवन के हर पहलू को देख सके।

दलित-विमर्श के लिहाज से हिन्दी उपन्यास साहित्य पर दृष्टिपात करते हुए कहा जा सकता है कि दलित-अस्मिता, दावेदारी, जाति-विहीन समाज-निर्माण के आंदोलन तथा अम्बेडकर-फुले दर्शन के निष्कर्षों-निष्पत्तियों के समवेत प्रभाव व आशय हिन्दी उपन्यास में अभी तक पूर्णत: सम्बोधित नहीं हो पाए। यह एक बड़ा प्रश्न है तथा भारतीय नवजागरण के अधूरेपन में भी इसका उत्तर मौजूद है। नवजागरण में दलितों के प्रश्न कमोवेश असम्बोधित रहे। अंग्रेज शासकों की नीतियों के कारण तथा इस काल की स्थितियों में पुनरूत्थानवादी रूझान से जो साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण हुआ तथा धर्म-सम्प्रदायों में विद्वेषपूर्ण स्पर्धा तेज़ हुई उसने महात्मा गांधी तथा अन्य चिन्तकों द्वारा चलाए जा रहे सुधारवादी-आदर्शवाद के 'उदार-अभियानों के सारतत्त्व' को खत्म करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। जाति-पांति का सुदृढ़ीकरण इसी दौर में हुआ लेकिन इसी दौर के हालात दलितों के प्रति नरम व मानवीय व्यवहार के लिए सवर्ण समाज को बाध्य कर रहे थे। हिन्दी साहित्य पर इस दौर में सर्वाधिक शक्तिशाली प्रभाव गांधी जी का तथा दूसरा मार्क्सवादी दर्शन का रहा। अधिकांश हिन्दी लेखकों ने दलितों के प्रति अमानवीय व्यवहारों पर तो कमोवेश लिखा लेकिन उनकी दुर्गति के मूल आधार 'जाति-वर्ण-व्यवस्था' पर कभी उंगली नहीं उठाई। वे केवल भेद पर ही अटके रहे, उसके मूल तक नहीं गये। 'जाति-उन्मूलन' न तो गांधी का एजेण्डा था और न ही मार्क्सवादियों या अन्य का। दलितों के सबलीकरण की बात भी आजादी के बाद शुरू हुई, वह भी अनेक अन्तर्विरोधों से लबरेज़।

हिन्दी उपन्यासों में दलितों के नारकीय जीवन के जो चित्र हैं वे मानवीय, संवेदना-युक्त तथा आदर्शवादी-सुधारात्मक सदाशयता लिए हैं। वे छुआछूत पर, गरीबी पर, अमानवीयता पर, ब्राह्मणवादी तथाकथित पवित्रता पर, पाखण्डों-अन्धविश्वासों पर, शोषण पर, कट्टरता पर, भेदभाव पर, परम्पराओं पर प्रश्नचिह्न तो लगाते हैं परन्तु जाति-व्यवस्था पर कोई प्रश्न नहीं खड़ा करते। यहीं पर दलित चेतना की दृष्टि से हिन्दी उपन्यासों की सीमाओं का पता चलता है। हिन्दी उपन्यासकार की जीवन-दृष्टि व्यवस्था में कम या अधिक परिवर्तन की रही, उसे समूल बदलने की नहीं। लेखकों के सवर्ण संस्कार, हिन्दी पट्टी की विशेष सांस्कृतिक स्थितियां, कमजोर दलित-आंदोलन, राजनीति, समाज का साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण, अम्बेडकर-दर्शन से अनभिज्ञता, उत्तार भारत के धार्मिक- सामाजिक-राजनीतिक आंदोलनों में दलित नेतृत्व का अभाव तथा साहित्य में वर्चस्वशाली वर्गों का आधिपत्य आदि ऐसे अनेक कारणों से दलित-मुक्ति के वास्तविक व आधारभूत प्रश्नों को हिन्दी उपन्यास में स्थान नहीं मिल सका। मध्य-वर्ग उपन्यास की सामग्री, कत्तर्ा तथा पाठक तीनों रहा। हिन्दी कथा-साहित्य में मध्यवर्गीय समस्याओं व जीवन-स्थितियों की प्रचुरता रही। प्रगतिवादी साहित्य में वर्ग-भेद, शोषण, संघर्ष व चेतना का स्वर प्रमुख रहा। अन्तर्जातीय सम्बन्धों, अन्तर्जातीय विवाह आदि को भी विषय बनाया गया लेकिन जाति-व्यवस्था को चुनौती देने वाले स्वर जिनमें मूलभूत सवालों के प्रति वांछित गंभीरता व गहराई हो लगभग नदारद ही रहे।

हिन्दी में जिन उपन्यासों में दलितों/दलितों की जीवन स्थितियों का कमोबेश वर्णन हुआ उनकी संख्या पचास के लगभग है। इनमें भी पूर्णत: दलित विषयक उपन्यास आधे भी नहीं। दलित-चेतना सम्पन्न दृष्टिकोण से तो कोई भी उपन्यास सवर्ण-लेखक नहीं लिख पाये। दलित-विषयक तथा दलित-चेतना सम्पन्न उपन्यास में अन्तर है।गिरिराज किशोर (1937-2020) समकालीन हिन्दी साहित्य के प्रमुख यथार्थवादी- आदर्शवादी बहुमुखी प्रतिभा-सम्पन्न लेखक हैं। आपने उपन्यास के अतिरिक्त कहानी, नाटक, निबन्ध आदि विधाओं में बड़ी संख्या में रचना-कर्म किया। महात्मा गांधी के अफ्रीका प्रवास पर लिखा उपन्यास **'पहला गिरमिटिया'** गिरिराज किशोर की पहचान बन गया। 1966में प्रथम उपन्यास प्रकाशित होने से लेकर आपने दो दर्जन के करीब उपन्यास लिखे, जिनमें 'यथा प्रस्तावित', 'परिशिष्ट', 'ढाई घर', 'यातनाघर' आदि प्रमुख हैं। एक दर्जन कहानी संग्रह और इतने ही नाटक लिखने वाले इस लेखक ने बड़ी संख्या में ज्वलंत विषयों पर निबन्ध-लेखन भी किया है। आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार, पद्मश्री अलंकरण व्यास पुरस्कार आदि अनेक प्रतिष्ठित पुरस्कार भी मिले। भारतीय उच्च अध्'न संस्थान, शिमला के फैलो रहे। आप कानपुर से निकलने वाली त्रैमासिक पत्रिका 'अकार' के संपादन में भी संलग्न रहे।

विवेच्य उपन्यास **'परिशिष्ट'** का पहला संस्करण 1984 में निकला। लेखक का उद्देश्य आई.आई.टी. जैसे संस्थानों में पहली बार आरक्षण द्वारा दाखिला पास के दलित छात्रों के प्रति घृणा, द्वेष, ईर्ष्या, हिंसा की दमघोटू जानलेवा स्थितियों का चित्रण करना है जो उन्हें या तो पढ़ाई छोड़ने या आत्महत्या करने के लिए बाध्य करती हैं।

अनुकूल को उसके पिता जो एक फैक्टरी में कारीगर हैं तथा अपनी जाति (शायद चमार) के छोटे नेता, इलाके के लोकसभा सदस्य की सिफारिश से कानपुर आई.आई.टी. में उसे दाखिल करवा देते हैं। दसवीं के बाद हिन्दी माध्यम का छात्र अनुकूल आई.आई.टी. के दमघोटू माहौल में गांधीवादी धैर्य व सहनशीलता का परिचय देता है। फाईनल का दलित-छात्र राम उजागर

साहसी है, विद्रोही है तथा दलित-छात्रों की ही नहीं संस्थान के कर्मचारियों की भी ढाल बनता है। वह तकनीक व कैरियर की इस अंधी दौड़ में भी अपनी इन्सानियत बचाए रखता है। नीलम्मा (दक्षिण भारतीय सवर्ण लड़की) जो संस्थान में पीएच.डी कर रही है, का दोस्त मरणासन्न था तो राम उजागर उस लड़के की देखभाल करता है। बाद में नीलम्मा राम की दोस्त बनती है। पढ़ाई के अत्यन्त दबाव के कारण यहां हर वर्ष कोई-न-कोई छात्र आत्महत्या कर लेता है। एक छात्र की पंखे से लटकती हुई लाश को राम ही नीचे उतारता है। उसे गहरा आघात लगता है, तथा दिमागी रूप से बीमार पड़ने पर वह साल की छुट्टी लेकर गांव चला जाता है। नीलम्मा राम के गांव जाकर पुन: अपनी पढ़ाई शुरू करने के लिए उसे प्रेरित करती है। वापिस आकर वह कुछ स्थिर हुआ तो संस्थान द्वारा उसके अथक प्रयासों के बावजूद फिर से दाखिला नहीं मिल रहा। अन्तत: वह आत्महत्या कर लेता है। अनुकूल और नीलम्मा आत्मबल के सहारे आगे पढ़ाई जारी रखते हैं। जातिगत अपमान, संताप का मुख्य कारण दबंग सवर्ण छात्र गुट का नेता खन्ना है। राम उजागर साहस से उसका मुंह तोड़ जवाब देता रहा। अनुकूल उसे गांधीवादी अहिंसात्मक विनम्रता से पेश आता है। हालांकि खन्ना उसकी टांग तोड़ देता है। खन्ना धनाढ्य है तथा उसे फैकल्टी तथा प्रबन्धन की शह है। उपन्यास के प्रारम्भ में अनुकूल व उसके पिता से (एम.पी. के निवास पर) सवर्णो के अपमान का व्यवहार का वर्णन है तथा अन्त में राम की मृत्यु सम्बन्धी जांच रिपोर्ट तथा जांच अधिकारी के नाम राम के पिता सुबरन चौधरी का पत्र परिशिष्ट के रूप में दिया गया है।

गांधीवादी-आदर्श व आत्म-क्रान्ति के तौर तरीकों के गलबे ने उपन्यास में प्रस्तुत जीवन-यथार्थ को इकहरा तथा एकांगी बना दिया है। दलित-आंदोलन व अस्मिता का प्रतिरोधी स्वर यहां हारते हुए, खण्डित होते हुए दिखाया गया है लेकिन सवर्ण मानसिकता खलनायक नहीं बनती। हिन्दू-समाज की कुत्सित जातिगत-संरचना सम्बन्धी लेखक की समझ (समझदारी) का पता तो भूमिका में उनके वतव्य से ही लग जाता है – 'सच पूछिए तो जातियां अनुसूचित नहीं होतीं। मानसिकता ... होती है। मानना और समझना दोनों।'[6] उपन्यास में जो नायक (अनुकूल) है उसका परिचय लेखक ने इस प्रकार दिया है – 'अपनी उम्र के हिसाब से अनुकूल का कद लम्बा निकला था। काठी भी अच्छी थी। लोगों का कहना था, बामन-ठाकुर का-सा लगता है। आँखें बड़ी थीं। बाल घुंघराले थे। बोलता भी धीरे-धीरे था।'[7]

एक दो जगह 'अम्बेडकर महाराज' का नामोल्लेख भर है। बाबनराम (अनुकूल के पिता) लिखते हैं – 'तुम्हारी चिट्ठी आई तो घर में सत्यनारायण की कथा जैसा माहौल हो गया। ... लोग हमसे नफरत करते हैं, उन्हें करने दो। नफरत दीपक की तरह उसी घर को खाती है, जिसमें रहती है। हमें अपनी तरफ से किसी को नफरत करने की जरूरत नहीं। जाति के कारण क्या नफरत और क्या प्यार। हम तो हिन्दू हैं ... कौन जाने मरने के बाद कहाँ जन्म लें।'[8]

पूरे विमर्श को लेखक क्या कोण देना चाहता है, उपरोक्त उद्धरणों से स्पष्ट है। सदियों से शूद्रों पर निर्योग्यताएं लागू करने वाली, अपनी श्रेष्ठता का दम्भ पालने वाली ब्राह्मणवादी संस्कृति हर युग में नए-नए रूपों में सामने आती है। मानव-इतिहास में कमेरे-वर्ग के योगदान, उसकी योग्यता को इसी तरह उच्च जातियों के खाते में डाला जाता रहा। किसी को ब्राह्मणी का बेटा' (कबीर) कह दिया। किसी को 'ब्राह्मणी-सवर्ण' संस्कारों वाला दिखा दिया (अनुकूल)। उपन्यास में सत्यनारायण-कथा तथा पुनर्जन्म आदि मे दलित-पात्रों का विश्वास दिखाना दलित-चेतना व संस्कृति के प्रति गहरी मानसिक साजिश का आभास देता है। 'अनुसूचित जातियां नहीं मानसिकता होती है' कह कर लेखक सामाजिक-विमर्श तथा विश्लेषण को ही सिर के बल खड़ा कर देता है। आत्मशुद्धि, आत्मत्याग, आत्मिक-क्रान्ति, आत्म-विश्लेषण, आत्म-सन्तोष आदि शब्द दलित-विमर्श व चेतना के शब्द कदापि नहीं बल्कि दलित-दासत्व के काले-लेख लिखने वाले वे शब्द हैं जो सदियों से कर्मफल, भाग्य, पुनर्जन्म, स्वर्ग-नरक, आत्मा-परमात्मा की ब्राह्मणी विचारधारा के पोषक/संवाहक रहे। राम उजागर अपने मरने से पहले नीलम्मा, पिता तथा अनुकूल के नाम चिट्ठियां लिखता है। इन पात्रों में लेखक ने अपनी विचारधारा की जमकर मिलावट की है। एक बानगी ही बहुत होगी – 'हम हिन्दू हैं। हिन्दू ही पैदा होते हैं। जितना लेकर पैदा होते हैं, उसमें रत्ती-भर भी घटा-बढ़ा नहीं पाते लेकिन कभी-कभी बहुत भारी पड़ जाता है लेकिन एक आशा भी बंधती है कि इस चौरासी लक्षी यात्रा में शायद कभी कहीं भिन्न परिस्थितियों में पैदा होने का संयोग मिल जाए।'[9] यह वही राम है जो 'हिन्दू निरंकुशता' का मुकाबला करने के लिए भंगी, चमारों, धोबियों, गोंडों आदि सब दलितों के बच्चों को अंग्रेजी शिक्षा देने की बात करता है। 'कबीर के निर्गुण बाने से काम चलने वाला नहीं है।' – यह उसका कथन है। यह वही राम है तो मैस में सवर्णो द्वारा दलित छात्रों से अपने जूठे बर्तन साफ करने को कहने पर शर्त रखता है। 'अगर सब अपने-अपने जूठे बर्तन साफ करेंगे तो हम भी करेंगे। ... इस तरह दलित-आत्म-सम्मान की रक्षा हुई। मैस वर्करों को हाऊस अलाउंस दिलवाने, खाना-भत्ता आदि बंधवाने की लड़ाई जीतने वाला राम इन चिट्ठियों में (लेखक की ही) पिलपिला नज़र आता है। यह मनोवैज्ञानिक रूप से भी अतार्किक है कि मृत्यु से पहले इतना कुछ लिखकर अथवा 'कथार्सिस' करने वाला व्यक्ति तत्काल उसी क्षण आत्महत्या कर ले, असंभव है।

राम उजागर को इस हालात में (आत्महत्या के समय) मैस वर्कर किसन आत्मीय व सांगठनिक समर्थन देता है। सभी वर्कर उसके अहसानों में दबे हैं। सामूहिक-संघर्ष में तपा व्यक्तित्व इस तरह भरभरा कर गिर जाए – यह संभव नहीं। तमाम अन्तर्विरोधों को लेखक जानबूझ कर स्वयं के वैचारिक पूर्वाग्रहों की वजह से अनदेखा ही नहीं करता, रचना की अन्तर्वस्तु का हिस्सा भी नहीं बनाता। समाज के ठोस धरातल पर भी लेखक कथानक में उभरे प्रश्नों, अन्तर्विरोधों, आत्मसंघर्षो को नहीं आने देता। समूची वस्तु, किसी धार्मिक बाबा के प्रवचनों की तरह दलित-जीवन यथार्थ को ही नहीं समूचे सामाजिक ढांचे के 'यथार्थ सृजनात्मक रूपान्तरण के कथानक' को क्षत-विक्षत कर देती है।

पूरे उपन्यास में 'दलित' शब्द का लेखक द्वारा प्रयोग न करना रचना व रचनाकार के उद्देश्य पर बड़ा प्रश्नचिह्न लगाता है। गिरिराज किशोर जी का नायक अनुकूल नीलम्मा के बार-बार जोर देने पर भी जांच-अधिकारी के सामने उपस्थित नहीं होता। राम की आत्महत्या की जांच व दोषी अधिकारियों को सजा दिलवाने के लिए कुछ छात्र तथा अध्यापक नीलम्मा के साथ राजधानी तक जाते हैं परन्त अनुकूल उनका साथ नहीं देता। जी.बी.सी. (जनरल बॉडी मीटिंग) में भी न चाहते हुए उसे आना पड़ा और बोलना भी पड़ा। यहां भी वह 'हम अपने-अपने गिरेबां में झांक-झांक कर देख लें। वहां जो लहूलुहान धरती है, उसे पोंछ दें।'[10] – कहकर मंच से चल दिया। 1984 तक (उपन्यास का प्रकाशन वर्ष) भारत में अम्बेडकर के चिन्तन का इतना प्रसार-प्रचार तो था ही जिससे लेखक अपनी यथार्थ-दृष्टि से गांधी की

उपरोक्त फिलॉसफी के बराबर उसे खड़ा करता, परन्तु लेखक अपने संस्कारों से मुक्त हो पाता तभी तो, दलित चिन्तकों का यह मत कि 'दलित ही दलित की पीड़ा को सही व विश्वस्त तरीके से अभिव्यक्त कर सकते हैं', गलत साबित हो पाता। काश! ऐसा हो पाये।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. डॉ. सोहनपाल सुमनाक्षर; विश्व धरातल पर दलित साहित्य; भारतीय दलित साहित्य अकादमी, दिल्ली; प्रथम संस्करण 1999; पृ. 84
2. डॉ. ए. अच्युतन; 'केरल का दलित साहित्य : एक विश्लेषण'; दलित साहित्य (वार्षिकी) सं. जय प्रकाश कर्दम; 2002; पृ. 87-88
3. कंवल भारती; दलित साहित्य की अवधारणा; बोधिसत्व प्रकाशन, रामपुर (उ.प्र.); प्रथम संस्करण 2006; पृ. 15
4. डॉ. विवेक कुमार; अम्बेडकरवादी लेखक का काव्य शास्त्र (लेख); अपेक्षा(पत्रिका) सं. तेज सिंह; अंक जुलाई-सितम्बर 2004; पृ. 21
5. रैल्फ फॉक्स; उपन्यास और लोकजीवन; पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली; दूसरा संस्करण 1979; पृ. 32
6. गिरिराज किशोर; परिशिष्ट; राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली; संस्करण 2003;
7. वही; पृ. 13
8. वही; पृ. 63
9. वही; पृ. 207
10. वही; पृ. 217

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XL

भगवद्गीता गीता के संदर्भ में विभिन्न विचारधाराएं

डॉ. संध्या दावरे *

* सहायक प्राध्यापक, महारानी लक्ष्मीबाई शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय,किला मैदान, इन्दौर (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – भगवद्गीता के चतुर्थ अध्याय में ही भगवान् कृष्ण ने अर्जुन को भगवद्गीता कहने के पूर्व कहा था कि–

'इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् ।
विश्वस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवेऽब्रवीत्।।' (1)

भगवान् बोले– मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था, सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु ने कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा।'(गवद्गीता 4.1)

अर्जुन ने गवान् का प्रतिवाद करते हुए कहा था कि– प्रभु! आपको जन्म तो अर्वाचीन–अभी हाल का है और सूर्य का जन्म तो बहुत पुराना है अर्थात् कल्प के आदि में हो चुका था, तब में इस बात को कैसे समझूं कि आप ही ने कल्प के आदि में सूर्य से यह योग कहा था?

भगवान् ने इस बात का खण्डन करते हुए कहा कि–

'बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन।
तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप।।'

भगवान् बोले– हे परन्तप अर्जुन! मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। उन सब को तू नहीं जानता, किन्तु में जानता हूँ। (गवद् गीता 4/5)

अर्जुन के द्वारा प्रत्यक्ष गवान् ने ही अर्जुन को दिया गया उपदेश सुरक्षित है। 'महा भारत' के शान्ति पर्व से ज्ञात होता है कि गवान् श्रीकृष्ण ने ही विवस्वान्, मनु, इक्ष्वाकु आदि की परम्परा से प्रवर्तित होता हुआ त्रेतायुग में ब्रह्म द्वारा लोक विख्यात हुआ। (महाभारत, शांति पर्व/348, 51, 52)

इसी शांति पर्व में वैशम्पायन, जनमेजय से ही बात कही है।

इस उपदेश के माध्यम से भागवत–धर्म का प्रधान ग्रंथ माना गया है। लोकमान्य तिलक ने व्यापक विवेचन के अनुसार भागवत धर्म का प्रादुर्भाव 1400 ईसा पूर्व पूर्ण किया है। (लोकमान्य तिलक–गीतारहस्य, पृ. 539–55 सन् 1917)

महाभारत की अपेक्षा भगवत् गीता को प्राय: सभी वाचकों ने महत्त्वपूर्ण माना है। 'गीता' के नीति–निर्देशों के अनुसार अपने मतों का सभी सम्प्रदायों ने समर्थन किया।

इस समय के विचारकों में, भारत के धार्मिक सम्प्रदायों के लिए उपनिषद्, गीता और ब्रह्मसूत्र के आधार रहे जिनके बिना समाज की परिपुष्टि नहीं की जा सकती।

भगवत्गीता में शंकर, रामानुजन, निबार्क, मध्व और वल्लभ जैसे गंभीर विचारकों ने अपने भाष्य लिखे हैं।

शंकराचार्य (745) – शंकराचार्य ने 'महाभारत' की तर्ज पर ही गीता का अर्थ ज्ञान–कर्म–समुच्चयात्मक किया है। शंकरार्चा ने वैदिक धर्म का खण्डन कर दूसरी ही गीता का भाष्य किया है।

शंकराचार्य का अभिमत है कि प्रवृत्ति प्रधान कर्मो को करने से ज्ञान की उपलब्धि नहीं हो सकती है। निवृत्ति प्रधान संन्यास–ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है।

रामानुज (1073 वि.) – रामानुजाचार्य ने अपने मत को 'विशिष्टाद्वैत' की प्रतिष्ठा की। अपने इस नए सम्प्रदाय की प्रतिष्ठा के लिए गीता भाष्य के 'प्रस्थानत्री' के रूप में व्याख्यायित किया है जिसमें गीता, उपनिषद और ब्रह्म सूत्र' के रूप में उनका भाष्य प्रसारित हुआ है।

शंकराचार्य ने मायावाद या अद्वैतवाद को मिथ्या सिद्ध किया है। एक चिद्विशिष्ट ईश्वर का प्रतिवादन करके भागवत् धर्म के अन्दर से एक विशिष्टाद्वैत की एक नई भावना को जन्म दिया।

निबार्क – निबार्काचार्य ने तीसरे सम्प्रदाय के रूप में 'द्वैताद्वैत' संप्रदाय जिनके प्रवर्तक निबार्क (1219 वि.) हुए। इन्होंने राधाकृष्ण की भक्ति का प्रतिपादन किया। निबार्क के मतानुसार जीव, जगत् और ईश्वर यद्यपि तीनों भिन्न है तथापि जीव और जगत का समग्र व्यापार ईश्वर के अधीन होने से स्वतंत्र नहीं है।

मध्व (1294 वि.)– प्रस्तुत सम्प्रदाय के प्रवर्तक मध्वार्चा (आनंद तीर्थ) हुए। उन्होंने भी प्रस्थानत्री पर भाष्य लिखा। इन्होंने भी गीता–भाष्य के अनुसार भक्ति को ही अंतिम निष्ठा बताया है। उनके अनुसार भक्ति की सिद्धि हो जाने पर कर्म करने की आवश्कता नहीं रहती है।

वल्लभाचार्य (1536 वि.) – पाँचवे शुद्धाद्वैत सम्प्रदाय के पहले आचार्य वल्लभ हुए। उन्होंने गीता धर्म को निवृत्ति विषयक पुष्टिमार्गी भक्ति कहा है। इनके अनुसार भगवान् ने अर्जुन के पहले सांख्य और कर्म का उपदेश दिया था और अन्त में भक्ति ही का अमृत पिलाकर पूर्ण काम किया। अनुग्रहपूर्वक भक्ति ही 'गीता' का अभीष्ट विषय है।

गीता का वास्तविक मर्म – इस प्रकार कम से कम 5 विद्वान आचार्यों ने अपने अपने विचारों के अनुसार गीता के मर्म को व्यक्त किया है। उपनिषदों के अद्वैत सिद्धांत के साथ भक्ति का सामंजस्य स्थापित करके बड़े बड़े कर्मवीरों के चरित्र और उनके जीवन की क्रमिक उत्पत्ति बनाना 'गीता' का प्रमुख उद्देश्य कहा है। अर्थात् ज्ञान–भक्ति–युक्त कर्मयोग को ही गीता का वास्तविक मर्म विद्वानों ने तय किया है।

वस्तुत: गीता में मीमांसकों ने तांत्रिक कर्मों का ही प्रतिपादन भर है, न ही उपनिषदों के लोक अमान्य ज्ञान का वर्णन और न ही उसका एकमात्र

उद्देश्य संन्यास जैसे कठिन जीवन का प्रतिपादन भर, न ही उपनिषदो के लोक-अमान्यं ज्ञान का वर्णन और न ही उसका एकमात्र उद्देश्य संन्यास जैसे कठिन जीवन का प्रतिपादन करना है। गीता का धर्म ऐसा धर्म है जिन में बुद्धि अर्थात् ज्ञान, प्रेम और भक्ति का सांमजस्य लोकानुग्रही मोक्ष का प्रतिपादन बडी सरलता से वर्णित है।

लोकमान्य तिलक ने गीता पर एक बृहद् ग्रंथ लिखा है जो श्रीमद्भागवत गीता-रहस्य अथवा कर्मयोग शास्त्र कहा गया है।

'गीता' की समग्र टीकाओं में शांकर भाष्य सर्वाधिक प्राचीन और प्रामाणिक है। इसके अतिरिक्त उन्होंने अपने विविध भाष्य ग्रंथों में गीता और महाभारत के उद्धरणों को प्रमाणिक रूप से उद्धृत किया है। लोकमान्य तिलक के विचारों के अनुसार शंकराचार्य का समय 610 शक संवत् (745 विक्रम' संवत् 572)

'विष्णुपुराण' और 'पद्म पुराण' आदि ग्रथों में गवद्गीता' के अनुकरण पर गीता के अनेक संकलित पुराणों को दर्शाये गये हैं।

भारतीय दर्शनशास्त्र के सुविख्यात विद्वान् डॉ. राधाकृष्णन् के मतानुसार 'गीता' की रचना 500 ई.पूर्व में हुई। (डॉ. राधाकृष्णन्- इंडियन फिलासफी, जिल्द पहली,पृ.524)

कुछ विद्वानों ने 'गीता' तथा तथागत के सिद्धांतों का तुलनात्मक अध्ययन करने पर स्पष्ट किया कि 'गीता' में बौद्ध-विचारों का निर्देश पाया जाता है। जिनके अनुसार 'गीता' में दोषुक्त कर्म त्याग देने की बात कहीं गई।

'गीता', 'महाभारत' का ही अंश है। भारत युद्ध में होने वाले जाति क्षय और कुलक्षय को देखकर अर्जुन के मन में संन्यास ग्रहण करने की प्रबल इच्छा हो गई थी उसे दूर कर अर्जुन को कर्ममार्ग में प्रवृत्त करने के उद्देश्य से गवान् श्रीकृष्ण ने जो उपदेश दिया था वही 'गीता' में वर्णित है। 'गीता' में बताया गया है कि बुद्धि को सामवस्था में रखकर स्वधर्मानुसार जो कर्म किये जाते है वे ही मोक्ष देने वाले होते हैं। यही गीता का निष्कर्ष है। इसी का उपदेश देकर श्रीकृष्ण ने अर्जुन को युद्ध में प्रवृत्त किया था। गवान् श्रीकृष्ण कहते हैं-

'अथ चेत्त्वमिमं धर्म्य सङ्ग्रामं न करिष्यसि।
ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्य।।' (33) 'गीता' 2/33)

किन्तु यदि तू इस धर्मयुक्त बुद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और क्रीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा।

भगवान् श्रीकृष्ण ने अर्जुन को बार बार बुद्ध के लिए निश्चय करने को कहा है।

'हतो वा प्राप्स्यसि स्वंर्ग' जिष्वा वा भोक्ष्य से महीम्।
तस्मादुत्ष्ठि कौन्तें य युद्धाय कृतनिश्चयः।। (2/37)

या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन! तू युद्ध के लिए खड़ा हो जाएगा।

आगे भी यहीं कहा गया है कि-

'सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ।
ततो युद्धा युज्स्व नैवं पापमवाप्ससि।।' (2/38)

जय-पराज, लाभ-हानि और सुख-दुःख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा, इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा।

इस प्रकार उक्त श्लोकों से श्रीकृष्ण को अर्जुन ने युद्ध करने को प्रेरित करता है। अतः कर्म करने की प्रेरणा ही अर्जुन को दी गई है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. संस्कृत साहित्य का इतिहास- लेखक वाचस्पति गैरेला। चौखम्बा विद्या वन, वाराणसी 1,1960
2. श्रीमद्भागवत गीता-गीता प्रेस, गोरखपुर।
3. लोकमान्य तिलक-गवत् गीता रहस्य।

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XL

वेदो में 'योग की प्राचीनता एवं उपादेयता'

डॉ. सविता वशिष्ठ*

* सहायक आचार्या एवं विभागाध्यक्षा (संस्कृत) जैन कन्या पाठशाला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मुज़फ्फरनगर (उ.प्र.) भारत

प्रस्तावना – योग एवं यज्ञ भारतीय धर्म और अध्यात्म में मुख्य स्तम्भ के रूप में है। योग का वर्णन वेदों, उपनिषदों, भारतीय दर्शनों, श्रीमद्भगवतगीता आदि ग्रन्थो में मुख्य रूप से किया गया है।

योग एक अति प्राचीन क्रियात्मक विद्या है। भारतवर्ष में प्राचीनकाल से ही ऋषि, मुनि, साधु, महात्मा, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी, सन्यासी आदि सभी योगाभ्यास करते रहे हैं। यहाँ तक कि राजा–महाराजा भी ब्रह्ममुर्हत में जागृत होकर योगाभ्यास किया करते थे। पारम्परिक विचारधारा के अनुसार योग का लक्ष्य उस अवस्था को प्राप्त करना है, जिसे प्राप्त करके जीवात्मा समस्त दु:खों से मुक्त हो जाता है।

योग एक महत्वपूर्ण भारतीय विद्या है। अन्य विद्याओं की भाँति इस विद्या का मूल स्रोत भी वेदो में ही दृष्टिगोचर होता है (1) वेदों में योग से सम्बन्धित प्रमुख विचार सूत्र किसी एक स्थान पर नहीं अपितु चारों वेदों में ही यंत्र–तंत्र योगमूलक विचार दृष्टिगोचर होते है। प्रस्तुत शोध–पत्र में वर्णित विभिन्न गृन्थों के आधार पर योग की प्राचीनता और उपादेयता को दर्शाने का प्रयास किया जा रहा है।

वेदों में योग शब्द और इसका अर्थ– वेदों में योग मूलक अनेक ऋचाएं और मन्त्र प्राप्त होते है। जिनके आधार पर यही सिद्ध होता है कि योग एक वैदिक परम्परा है। यस्माद्दते न सिध्यति यज्ञो विपश्चितश्चना। स घीनां योगमिन्वति। (3) इस ऋचा का भाव यह है कि जिस देव के बिना ज्ञानी, विद्वान योगी का जीवनरूपी यज्ञ सिद्ध नहीं होता। उस देव में ज्ञानियों को अपनी बुद्धि एवं कार्यो का योग करना चाहिए। इस ऋचा में 'योग' शब्द का प्रयोग संयोग जोड़ने इत्यादि के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है यजुर्वेद के निम्न मंत्र के युक्तेन शब्द परमात्मा के साथ मन को जोड़ने के अर्थ में आया है– युक्तेन मनसा वयं देवस्य सवितु: सर्वे। स्वर्ग्याय शक्त्या। (4) अर्थात् सर्वस्रष्टा परमात्मा की भक्तिरूप यज्ञ में संलग्न मन से परमात्मा की प्राप्ति हेतु हम शक्तिपूर्वक यत्न करें अर्थात् हमारा मन सर्वदा परमेश्वर की आराधना में तल्लीन रहे। इस संलग्नता से व्यक्ति सीढ़ी दर सीढ़ी स्वर्गलोक पर आरोहण कर लेता है। इसके अतिरिक्त निम्न वेद मन्त्रो में भी युञ्जते 'युक्ताय' जैसे शब्द भी योग की प्राचीनता को स्पष्ट करते है। यथा 'युञ्जते मनठउत युञ्जते धिय:'(5) इस मन्त्र में युञ्जते शब्द दो बार प्रयुक्त हुआ। इस मंत्र के अतिरिक्त यजुर्वेद का निम्न प्रसिद्ध मंत्र में भी योग शब्द योगे योगे तपरन्तरं वाजे वाजे हवामहें। सरवाय ऽ इन्द्रमूर्तये।। इसी के साथ ही साथ ऋग्वेद की निम्न ऋचाओं में 'योग' शब्द प्राप्त होता है–

इन्द्र: क्षेमें योगे हव्य इन्द:।(7)

इसमें योग शब्द का अर्थ प्राप्त होना अथवा प्राप्ति के अर्थ में किया गया है। इन्ही के साथ सामवेद के निम्न सन्दर्भो में भी यहाँ उल्लेखनीय है–

युञ्जन्ति ब्रह्ममरूषं चरन्तं परि तस्युब:
रोचन्ते रोचना दिवि।
युञ्जन्त्पस्य काम्या हरी विपक्षसारथे।
शोणा धृष्णु नृवाहसा।।

इस मंत्र में योग शबद 'युञ्ज' मूलक दोनो शब्द जीव और मनुष्य को परमेश्वर के साथ जोड़ना था संयुक्त होने के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है अथर्वेद के एक मन्त्र में भी योग शब्द निम्न रूपो में प्रयुक्त हुआ है। (10)

योग का अन्य समान अर्थवाची शब्द उपासना भी (11) उपनिबद् साहित्य में उपासना का अनेकश: वर्णन मिलता सक्षेप में हम कह सकते है कि योग एक प्राचानीतम् परम्परा है। वस्तुत: योग एक अत्यन्त समृद्ध तथा बहु आयामी परम्परा रही है परम्परा के अलग–अलग आयाम अलग–अलग साधना पद्धतियों पर आधारित है जैसे अष्टांग योग, क्रिपा योग, बंध योग, उपासना योग आदि। विभिन्न कालो में योग में श्रीमदभगवत्गीता में ज्ञान योग कर्मयोग, भक्तियोग भी विशेष रूप में चर्चित है। जिनके विषय में अध्ययन करने के लिए वेद ही प्रासंगिक है। इस महत्वपूर्ण विषय पर विचार करते समय अष्टांग योग, क्रियोयाग, ज्ञान योग कर्म योग और भक्ति योग पर दैनिक सन्दर्भ के साथ विचार किया जा रहा है।

अष्टांग योग– अथर्ववेद का एक महत्वपूर्ण मंत्र के जिसके अन्तर्गत इस यवमष्टा योगै:(12) इस मंत्र में अष्ट साधनाओं अथति अष्टांग का उल्लेख मिलता है यदि पातञ्जल योग प्रजीत अष्टांग योग के सम्दर्भ में इसका अर्थ ग्रहण करे तो इसमें थम नियम आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा ध्यान और समाधि वाला योग चिन्तनीय हो जाता है। (13)

महर्षि पतञ्जलि प्रतीत अटांग यौग में पाँच यम यनि गये है अहिंसा साथ, अस्तेप ब्रह्मचर्य और योग विद्या में शिव को प्रथम योगी, अदियोगी, आदि गुरू के रूप में माना जाता है भगवान शिव के पश्चात वैदिक ऋषि–मुनियों से ही योग का प्रारम्भ माना जाता है। तत्पश्चात कृष्ण, महावीर और बुद्ध ने इस योग अपने अपने अनुसार व्यक्त किया। इसके पश्चात महर्षि पतंजलि ने इसे सुव्यवस्थित रूप से परिभाषित किया। इस रूप को सिद्धपंथ, शैवपथ, नागपथ, वैष्णवपंथ और शाक्त पंथ क्षरा अपने अपने अनुसार प्रदर्शित किया गया।

माहर्षि पतञ्जलि प्रवीत अष्टांग योग में पाँच यम माने गये है अहिंसा, साथ आन्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह (14), ये पंच महावृत दे और योगाभ्यासी को शासित करने वाले है (15) वेदों में इनके सन्दर्भ के कई मंत्र प्राप्त होते है। जैसे मा मा हिसी (16)। अर्थात हे रुद्र। मेरी हिंसा मत

करों।(17) अग्ने मा हिंसी (4) 'सत्येन(18) सत्यं यज्ञेन यज्ञः'

ऋतं सत्यम्, ऋततं सत्यम्। वि मा पाप्मा पृडक्तम् (19) अर्थात मुझे पाप से हटाओं। अथर्ववेद में ब्रह्मचर्य और तप का प्रतिपादन किया गया है यथा- 'ब्रह्ममचर्य तपाना देवा मृत्युमपाघ्नत' (20)। मा ग्रध कस्य स्विद्धनम् अर्थात् किसी के धन की लालसा न करना।

महर्षि पतञ्जलि द्वारा वर्णित नियमों की संख्या भी पांच शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान (22) इन सबके संकेत भी हमे वेदो में प्राप्त होते है जिनके आधार पर हम कह सकते है कि योग एक अति प्राचीन विद्या है यहाँ इस विषय में वेदों में कुछ मंत्र प्राप्त होते है यजुर्वेद के अनुसार पुनन्त मा देव जना। (23) विद्यया ऽ मृतमश्नुते (24) वेदों में आसन विषपक भी प्राणायाम, प्रत्यांहार, धारणा ध्यान समाधि विषयक संकेत दृष्टिवय है तथा 'प्रणाय स्वाहा' वायवे विणपक संकेत द्रष्टव्य हो तथा प्राणाय स्वाहा वायवे स्वाहा, साम प्राण: प्रपहो (25) अर्थात प्राण की रक्षा से सामवेद को प्राप्त हो। इसके अतिरिक्त श्रीमतदभगवद गीता में वर्णित जिन योगो का वर्णन किया गया है उनके सन्दर्भ में भी वेंढो में वर्णन प्राप्त होने से इस योग की प्रचीनता को जाना जा सकता है। ज्ञानयोग, कर्म योग एवं भक्ति योग के विषयक मत्रं हमे वेदों में देखने को मिलते है यथा -गीता के अनुसार 'ज्ञांन लव्ध्यवा' परां शान्तिम'। (24) अर्थात ज्ञान को पाकर मनुष्य परम शान्ति को प्राप्त करता है। इसी सन्दर्भ में ऋग्वेद की एक ऋचा में देखने को मिलता है। सुपर्णा संयुजा सखाया समान वृक्ष परिबस्वजाते। तयोस्य पिप्पलं स्वादत्यनश्नथ्यों अभ्यिचाकशीति। (25)

इसके अतिरिक्त कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। (26) का आधार यजुर्वेद के निम्न मंत्रो में देखने को मिलता है- ईवावास्यमिदं सर्व यत्किञ्च जगत्या जगत। कुर्वमेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छत समा:। (28)

वेदों भक्तियोंग उपासना ईश्वरप्रांजधान विषयक मंत्रों का अनेकश: उल्लेख मिलता है जिनके अनुशीलता से यही कहा जा सकता है कि योग का मूलाधार वद है वेदों में ही योगमलक तत्व बीज रूप में निहित है। वेद हमारी प्राचीनतम धरावर है जिसका विभिन्न काल खण्डो में विकास होता रहा है। योग एक अति प्रचीन क्रियात्मक विद्या है योग के परम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो योगाभ्यास किया जाता रहा है उनसे जो लाभ प्राप्त होता है इससे शरीर प्राप्त इन्द्रियां, मन, बुद्धि, स्वास्थ्य और बलवान होते है। इनमें अध्यात्मिक और लोकिक उपलब्धियां सम्मिलित की जाती है यमों और नियमों का पालन करने से बाहय और अन्त: करण शुद्ध हो जाते है प्राचीन काल में तो मोक्ष प्राप्ति के लक्ष्य को ध्यान में रखकर साधना की जाती थी। आधुनिक समय में योग-साधना का उपयोग मोक्ष के अतिरिक्त अन्य लाभो के लिए भी हो रहा है योग एक विस्तृत विज्ञान है। जिस प्रकार अन्य सब प्रकार के विज्ञान अनेक प्रकार की सुविधा प्रदान करके मानव जाति की सेवा कर रहे है उसी प्रकार योग विज्ञान भी मानवजाति की आत्यधिक सेवा करने में सम्पर्क है उदाहरण के रूप चिकित्सा विज्ञान जो कि शारीरिक और मानसिक रोगो को दूर करने के लिए योग उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करता है योग बौदिक क्षेत्र सामाजिक दोनो राजनेतिक क्षेत्र और मानसिक एवं धार्मिक क्षेत्र में भी योगदान करता है। शारीरिक स्तर पर योग के द्वारा शारीरिक बल बढ़ेगा विभिन्न प्रकार के शारीरिक रोग को नष्ट करने में उपयोगी है आसन और प्रणायाम् के अभ्यासे से शरीर में कृशल, मुख पर प्रसन्नता, नाद की स्फफटटा, शारीरिक स्वास्थ्य, वीर्य की स्थिरता, जठराग्नि की तीव्रता, नाडियों की विशुद्धता अनुभव होती है।

मनुष्य को योग के द्वारा सुन्दर बनाया जा सकता है योगाभ्यास द्वारा व्यक्ति दीघयि होता है।हमारे ऋषि-मुनि के दीर्घजीवी होने का एक महा-कारण योग ही है।

प्राणिक स्तर पर योगाभ्यास द्वारा मनुष्य अपनी प्राणिक शक्ति (प्राप्त-शक्ति) की वृद्धि करता है।

इन्द्रियों के स्तर पर योगाभ्यास से इन्द्रियों में शक्ति बढ़ती है और इन्द्रियां मनुष्य के वश में हो जाती है। मानसिक स्तर पर योग द्वारा मन की एकाग्रता की वृद्धि होती है जैसे-जैसे मन की एकाग्रता बढ़ती है जैसे-जैसे मन की शक्ति में वृद्धि होती है प्रणायाम से यह एकाग्रता आती है।

बौद्धिक स्तर पर योगाभ्यास से मनुष्य अपनी बौद्धिक क्षमता की वृद्धि कर सकता है सत्यार्थ प्रकाश के तृतीय समुल्लास में कहा गया है कि बल पुरूषार्थ बढ़कर बुद्धि तीव्र सूक्ष्मरूप हो जाती है को बहुत कठिन और सूक्ष्म विषय को भी ग्रहण करती है।(29) समाजिक स्तर पर भी योग से बहुत लाभ प्राप्त होता है। यम और नियम के पालन से समाज में सुख-शान्ति की वृद्धि होती है हिंसा, झूठ, चोरी, बलात्कार की घटनाओं में कमी आयेगी। समाज के सामजस्य में वृद्धि होगी है। धार्मिकता में वृद्धि होती है विश्वशान्ति के लिए यम एक महत्वपूर्ण अंत है इसी प्रकार शान्ति के लिये नियम का पालन आवश्यक होता है राजनैतिक स्तर पर भी योग हमारी सहायता करता है यदि शासक और प्रशासक यन और नियम का पालन करने और कराने वाले होगी तो न्यायपूर्वक कार्य करेंगे।

इस प्रकार निष्कर्ष रूप से यह कहा जा सकता है कि योग आर्यो की सब से प्राचीन सम्पत्ति है यह एक ऐसी विद्या है जिसमें विषाद का स्थान नही है परन्तु संवाद का तो है क्योकि 'वादे वदि जायते तत्वबोध:' यह एक सर्वसम्मत अविसंवादि तथ्य है योग ही सर्वोत्तम मोक्षोपाय है । भव-ताम तापित जीवो को सर्व-सन्तापहार परमात्मा से मिलाने में योग और वेद ज्ञान साधन है कालक्रम से वैदिनक संसकृति का निरीक्षण करने से यह स्पष्ट हो जाता है।कि वैदिक काल से ही भारतीय जन के मानस संयम का प्रमुख साधन योग ही प्रचलित रहा है।

वैदिक संहिताँए एवं सहितेतर साहित्य इसके पुष्ट प्रमाण है योग की अंतिम परिणति परमशान्ति है तथा वेद की अंतिम परिणति मोक्षप्राप्ति है। परमशान्ति एवं मोक्षप्राप्ति संसार के प्रत्येक समुदाय, सम्प्रदाय, मत और पन्थ को अपेक्षित है। वेद सर्व सत्यविधाओं का ग्रन्थ है। मानवीय जीवन की समस्याओं का समाधान वेद में निबद्ध है। यह मान्यता भी सर्वाविदित है।, सब सत्य विद्याओं में प्रमुख रूपेण ब्रह्मविद्या, आध्यात्मविद्या है, यह भी सर्वगत है। अत: सिद्ध हो जाता है कि वेदों को योमविद्या से घनिष्ट सम्बन्ध है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची:-

1. अत्र चत्वारों विष्या: सन्ति, विज्ञान कर्मोपसनाझान काण्ड में दात्। श्रीमद्दयानन्द सरस्वती स्वामी: ऋग्वेदादि भाष्य भमिक, 1987, पृष्ठ 39, भा0सा0 प्र0 ट्रस्ट दिल्ली।
2. ऋग्वेद
3. ऋग्वेद 1,18,7
4. यजुर्वेद 11,2
5. यजुर्वेद 11,4
6. यजुर्वेद 11.4 एवं ऋग्वेद 01-30-07
7. यजुर्वेद 10-11-10

8. सामवेद 1468
9. सामवेद 1469
10. अथर्ववेद 19-8002
11. श्रीमदयानन्द सरस्वती ऋग्वेदादिभाष्य।
12. अथर्ववेद- 06-09-1
13. पातञ्जल योमसूत्र - 2-29
14. पातञ्जल योगसूत्र
15. पा0-यो0 02 . 31
16. पा0पो0. 2-34
17. यजुर्वेद
18. यजुर्वेद
19. यजुर्वेद
20. यजुर्वेद
21. अथर्ववेद
22. यजुर्वेद
23. पातञ्जल पो0
24. श्रीमदभगवद्गीता ज्ञानयोग
25. ऋग्वेद 1-64-20
26. श्रीमदभगवद्गीता कर्मयोग
27. यजुर्वेद 40.1
28. यजुर्वेद 40.2
29. सत्यार्थ प्रकाश तृतीय समुल्लास पृ0 28

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XL

चिन्तन योग्यता प्रशिक्षण कार्यक्रम का विद्यार्थियों की समस्या-समाधान योग्यता पर प्रभाव का अध्ययन

डॉ. रेखा चौर्डिया*

* सहायक प्राध्यापक, महाराजा महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – शिक्षा मानव विकास की पूर्ण अभिव्यक्ति है। शिक्षा का अर्थ ज्ञानार्जन करने के साथ सुसंस्कारों एवं उत्तम व्यवहारों का निर्माण करना है। केवल तथ्यों का संग्रह करना ही शिक्षा नहीं बल्कि तथ्यों का विश्लेषण कर उससे ज्ञान का सृजन करने की योग्यता का विकास शिक्षा के अंतिम उद्देश्यों में सम्मिलित करना आवश्यक है। जीवन में उचित निर्णय लेने की क्षमता अर्जित करने में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है। 'शिक्षा','शिक्षण' एवं 'अधिगम' व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रियाएँ है। अधिगम के माध्यम से व्यक्ति के चिन्तन कौशल एवं अनुभूति करने सम्बन्धी व्यवहार में परिवर्तन लाया जाता है। चिन्तन-क्षमता का विकास शिक्षा की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण परिणाम है। शिक्षा के परिणामस्वरूप व्यक्ति उचित और अनुचित में भेद करना सीखता है और अपेक्षित दिशा में चिन्तन करते हुए सही निर्णय पर पहुँचता है। भारतीय वैदिक साहित्य में न्याय दर्शन में चिन्तन कौशल के विकास पर बल दिया गया है। सिल्वरमेन (1978) ने चिन्तन को परिभाषित करते हुए कहा है कि –'चिन्तन एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जो उद्दीपक तथा घटनाओं के प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व द्वारा किसी समस्या का समाधान करने में सहायक होती है।' मनुष्य के व्यवहार में स्पष्टता, सुसंगतता, वस्तुनिष्ठता, निर्णयन क्षमता, यथार्थता एवं तर्क क्षमता के साथ तथ्यों को स्वीकार या अस्वीकार करने की क्षमता व्यक्ति की चिन्तन योग्यता स्तर पर निर्भर करती है। इस तरह चिन्तन एक ऐसा प्रयोजनपूर्ण प्रतीकात्मक संज्ञानात्मक व्यवहार है जिसमें विभिन्न मानसिक बिम्बों तथा प्रतीकों का प्रयोग करते हुए समस्या विशेष का मानसिक समाधान खोजा जाता है।इस प्रकार चिन्तन क्षमता शिक्षा की प्रक्रिया से सम्बन्धित एक महत्वपूर्ण पक्ष है।

अधिगम एवं चिन्तन : अधिगमकर्ता की सक्रिय सहभागिता के लिए उसकी बौद्धिक सहभागिता महत्वपूर्ण होती है। बौद्धिक सहभागिता के लिए चिन्तन का होना आवश्यक है। इस प्रकार गुणवत्तापूर्ण अधिगम तभी सम्भव है जब अधिगमकर्ता शिक्षण-अधिगम की सम्पूर्ण प्रक्रिया में विषय-शिक्षक के मार्गदर्शन में स्वयं चिन्तन करते हुए किसी निर्णय पर पहुँचने की क्षमता अर्जित करे। इस दृष्टि से चिन्तन के विविध आयामों की पहचान करके विषयवस्तु के अध्यापन में उन आयामों को सम्मिलित करना अध्यापन-कौशलों का एक महत्वपूर्ण घटक होना चाहिए।

औचित्य एवं समस्या कथन : कक्षा-शिक्षण में शिक्षकों द्वारा विषय-अध्यापन के माध्यम से विद्यार्थियों में चिन्तन-योग्यता विकसित किए जाने के लिए आवश्यक है कि शिक्षकों को इस प्रकार प्रशिक्षित किया जाए कि वे

1. अपने विद्यार्थियों में चिन्तन-योग्यता को अधिगम कौशल के रूप में पहचानना सीखें।
2. कक्षा-अध्यापन में अभ्यास की अवधि में ऐसे पाठों के निर्माण पर बल दिया जाए।

सकारात्मक चिंतन व्यक्ति को उच्च स्तर का आत्मविश्वास तो प्रदान करता ही है साथ ही समस्या समाधान में भी सहायक होता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आरम्भ में ही परिचय के अन्तर्गत विषयवस्तु के विस्तार की तुलना में विद्यार्थियों की समस्या-समाधान और तार्किक क्षमता के विकास पर बल दिया गया है। रचनात्मक रूप से चिन्तन करते हुए विविध विषयों के मध्य अंतर्संबंधों को देख पाने की क्षमता और नयी जानकारी को नए और बदलती परिस्थितियों या क्षेत्रों में उपयोग में लाने की क्षमता के विकास करने की आवश्यकता पर भी बल दिया है।

विद्यालयों में विद्यार्थियों से कक्षा अध्यापन के दौरान चर्चा करने पर अनुभव हुआ कि उनको यदि प्रेरित किया जाए तो स्मरण स्तर से ऊपर के स्तर के प्रश्नों के उत्तर वे विश्लेषणात्मक विचार प्रक्रिया के आधार पर देने का प्रयास करते हैं। इस आयु में यदि विद्यार्थियों को दैनिक अध्यापन के साथ चिन्तन योग्यता विकसित करने हेतु योजनाबद्ध प्रशिक्षण दिया जाए तो संभावना है कि किशोर विद्यार्थी लाभान्वित हों। इस आधार पर चिन्तन योग्यता प्रशिक्षण कार्यक्रम का विद्यार्थियों की समस्या समाधान योग्यता पर प्रभाव देखने की योजना बनाई गई।

चिन्तन योग्यता विकास शिक्षण कार्यक्रम (Thinking Ability Training Programme - TATP): चिन्तन के विभिन्न आयामों **स्पष्टता (Clarity), सुसंगतता (Relevance), वस्तुनिष्ठता (Objectivity), यथार्थता (Precision), तर्क क्षमता (Reasoning), निर्णयन क्षमता (Decision Making)** के आधार पर विद्यार्थियों के चिन्तन के विकास के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का अभिकल्पन किया गया जिसमें कक्षा 9 में सामाजिक अध्ययन विषय के अन्तर्गत अर्थशास्त्र विषय से सम्बन्धित विषयवस्तु के अध्यापन के लिए कुछ विशिष्ट गतिविधियों का संयोजन किया गया। चिन्तन के विभिन्न आयामों के आधार पर विभिन्न गतिविधियों का संयोजन किया गया जैसे – मस्तिष्क मानचित्रण (Mind Mapping), आरेख, अपठित गद्यांश का प्रश्नात्मक विश्लेषण,विषय से सम्बन्धित अवधारणाओं को दैनिक जीवन से सम्बन्धित कर उदाहरण देना K-W-L गतिविधि, शब्दों में सम्बन्ध

स्थापित करना या साहृष्य स्थापित करना, क्रम निर्धारण गतिविधि, संख्याओं एवं पाठ्य वस्तु को कूटबद्ध करना , दी गई घटना का लिखित विवरण पढ़ कर सम्बन्धित तथ्यों का विवरण प्रस्तुत करना, दिए गए चित्र का विवरण प्रस्तुत करना आदि। इस प्रकार लगभग 10 गतिविधियों का संयोजन किया गया।

स्वतंत्र एवं आश्रित चर : चिन्तन योग्यता प्रशिक्षण कार्यक्रम स्वतंत्र चर एवं समस्या समाधान योग्यता आश्रित चर के रूप में लिये गये।

उद्देश्य : चिन्तन योग्यता प्रशिक्षण कार्यक्रम का विद्यार्थियों की समस्या समाधान योग्यता पर प्रभाव का अध्ययन करना। इसी उद्देश्य के सन्दर्भ में शून्य परिकल्पना के निर्माण के साथ अध्ययन किया गया।

प्रविधि: प्रस्तुत अध्ययन में प्रयोगात्मक अध्ययन अभिकल्प को अपनाया गया।

न्यादर्श : शा.क.उ.मा.वि.दशाहरा मैदान उज्जैन की 143 बालिकाओं को न्यादर्श के रूप में सम्मिलित किया गया।

उपकरण : शोधाकर्ताओं द्वारा निर्मित समस्या समाधान योग्यता परीक्षण (विश्वसनीयता गुणांक मान 0.79 उच्च धनात्मक)

सांख्यिकीय विश्लेषण : प्रयोगात्मक एवं नियंत्रित समूह के विद्यार्थियों की समस्या समाधान योग्यता,के तुलनात्मक अध्ययन के लिए M (Mean), SD (Standard Deviation) एवं t (t-test) के मानों की गणना की गई।

चिन्तन योग्यता के प्रशिक्षण हेतु विकसित कार्यक्रम के द्वारा प्रयोगात्मक समूह को प्रशिक्षित करने के पश्चात् विद्यार्थियों की चिन्तन योग्यता के विकास का प्रभाव विद्यार्थियों की समस्या समाधान योग्यता पर देखने के लिए प्रयोगात्मक एवं नियंत्रित समूह के विद्यार्थियों की समस्या समाधान योग्यता के मध्यमानों की तुलना 't' परीक्षण के माध्यम से की गई। जिसका विस्तृत विवरण तालिका क्रमांक 1 में प्रस्तुत है।

Group	Sample	Mean	S.D.	df	t-value
प्रयोगात्मक समूह	71	67.02	12.20	141	5.817**
नियंत्रित समूह	72	52.46	17.32		

तालिका क्र. 1 के अनुसार प्रयोगात्मक एवं नियंत्रित समूहों के विद्यार्थियों की समस्या समाधान योग्यता के मध्यमानों की तुलना के लिए t का मान 5.817 पाया गया जो 141 df के लिए 0.01 स्तर पर सार्थक पाया गया एवं प्रयोगात्मक समूह के विद्यार्थियों के मध्यमान नियंत्रित समूह की तुलना में उच्च स्तर के पाये गये।

निष्कर्ष : प्रयोगात्मक समूह के विद्यार्थियों की समस्या समाधान योग्यता का स्तर नियंत्रित समूह के विद्यार्थियों की समस्या समाधान योग्यता स्तर से उच्च पाया गया।

उपरोक्त शोध-परिणाम के आधार पर कहा जा सकता है कि प्रचलित अध्यापन पद्धति में आवश्यक संशोधन किए जाएँ। प्रस्तुत शोधकार्य में निर्मित प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रयुक्त गतिविधियों को प्रशिक्षु-अध्यापक अध्यापन-अभ्यास में सम्मिलित करने का प्रयास करते हुए चिन्तन के आयामों के आधार पर शिक्षण करें तो विद्यार्थी लाभान्वित होंगे परिणामत: शिक्षा, शिक्षण और अधिगम की क्रिया सफलता पूर्वक सम्पन्न होगी साथ ही शिक्षा की गुणवत्ता में अपेक्षित वृद्धि के लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर यह एक सकारात्मक कदम होगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. Silverman (1978). Psychology. p.138. Quoted in Singh, Arun kumar (2008). Sangynatmak Manovigyan, Delhi : Motilal Banarasi Das. (P. 502).

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XL

आज की ज्वलन्त समस्या- डिप्रेशन या तनाव

डॉ. अर्चना बापना *

* एडवान्स महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना - आज विश्व की प्रमुख समस्याओं में से एक सबसे बड़ी समस्या है- बढ़ता मानसिक तनाव या अवसाद। यह एक ऐसी समस्या है जिससे आधुनिकता और विकास के हमारे सारे तर्क बेमानी लगने लगे है। इतना पैसा, समृति) विकास आखिर किस काम का यदि हम सुख और शन्ति की नींद भी न ले सकें। आखिर ऐसी उन्नति किस काम की जो अशन्ति पैदा करती है हमें सुख से जीने नहीं देती। विकास की इस आधुनिक दौड़ ने हमें संचय करना तो सिखाया, लेकिन त्याग के मूल्य को समाप्त कर दिया जो हमें सुख देता था। विकास ने हम सोने के लिए मखमली गेद्दे तो दे दिए लेकिन वो नींद छीन ली जो चटाई पर भी सुकून से आती थी। निश्चित ही हम किसी परिपूर्ण दिशा में आगें नहीं बढ़ रहे है। विकास को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन जीवन की सुख शन्ति से भी समझौता नहीं किया जा सकता।

डिप्रेशन या अवसाद क्या है- अवसाद या डिप्रेशन का तात्पर्य मनोविज्ञान के क्षैत्र में मनोभाव- सम्बन्धी दुख है। यह एक मानसिक समस्या है। हम सभी ने अपनी जिन्दगी के किसी न किसी पड़ाव पर स्वंय को उदास और हताश महसुस किया होगा। असफलता संघर्ष और किसी अपने से बिछुड जाने के कारण दुखी होना बहुत ही आम और सामान्य है। परन्तु अगर अप्रसन्नता, दुख, लाचारी, निराशा जैसी भावनायें कुछ दिनों से लेकर कुछ महीनों तक बनी रहती है और व्यक्ति को सामान्य रूप से अपनी दिनचर्या जारी रखने में भी असमर्थ बना देती है तब यह डिप्रेश्न नामक मानसिक रोग का संकेत हो सकता है।

आर्युर्विज्ञान में कोई भी व्यक्ति अवसाद की अवस्था में स्वंय को लाचार और निराशा महसूस करता है। उस व्यक्ति विशेष के लिए सुख-शन्ति, सफलता, खुशी यहां तक कि सम्बन्ध तक बैमानी हो जाने है। उसे सर्वत्र **निराषा, तनाव, अशान्ति, अरूचि** प्रतीत होती है।

अवसाद जिसे हम डिप्रेशन के नाम से जानते है एक ऐसी बीमारी है जिसने पुरे विश्व को हैरान कर रखा है। भारत में भी आर्थिक और भैतिक उन्नति के साथ-साथ यह बीमारी तेजी से अपने पांव पसार रही है। भारत में आज चार महिलाओं में से एक महिला और दस में से एक पुरूष अवसाद प्रवृत्त होते है। कुछ युवा पीढ़ि अवसाद के लक्षणों के बाद शराब और मादक दवाओं को ग्रहण करने लगते है डेली चौथ बड़ कारण था। युवा अवस्था प्रेम सम्बंध को लेकर भी गंभीर होती है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में अपने जीवन साथी के प्रति बहुत अधिक लगाव प्रमुखता या असफल प्रेमी होना भी इसकी वजह है।

डिप्रेशन की अवस्था में व्यक्ति स्वयं को लाचार और निराशा महसूस करता है। उस व्यक्ति विशेष के लिए **सुख-शान्ति, सफलता, खुशी को रिश्ते-नाते सव बेमानी** लगते है।

डिप्रेशन के भैतिक कारण भी अनेक होते है इनमें **कुपोषण, अनुवांशिकता, हार्मोन, मौसम, तनाव, बीमारी,** नशा अप्रिय स्थितियो में लम्बे समय तक रहना आदि प्रमुख है। इनके अतिरिक्त डिप्रेशन के 90% रोगियों में नींद की समस्या होती है। डिप्रेशन अक्सर दिमाग के न्यूरो टोसमीटर्स की कमी के कारण भी होता है। न्यूरो टासमीटर्स के दिमांग में पाए जाने वाले रसायन होते है।

डिप्रेशन के कुछ प्रमुख कारण- डिप्रेशन का कोई एक कारण नही होता क्योंकि यह स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता कि किसी को डिप्रेशन किस कारण से हुआ है। चिकित्सकों व एक्सपर्टस का यह मानना है कि डिप्रेशन के पीछे किसी कारण की कोई भूमिका नहीं होती। ये अलग-अलग कारणों से हो सकता है।

डिप्रेशन के कुछ सामान्य कारण निम्नलिखित है:

1. **अस्वस्थ मनोदशा-** एक, ऐसी मनोदशा होती है। जिसके ठीक नहीं होने से हमें सुख का अनुभव नहीं होता। इसमें चिंता उदासीनता, खालीपन, निराषा, घवराहट आदि सम्मिलित है। इन सभी के कारण अगर हमें सुख ना मिले तो हम हमेशा दुखी रहते है। हमारा मानसिक स्तर प्रभावित होता रहता है। हमारे मन में नकारात्मक विचार उठते रहते है। इससे हमें डिप्रेशन की समस्या हो सकती है।
2. **निंद की कमी-** मनुष्य को मानसिक व शरीरीक रूप से स्वस्थ रहने के लिए सबसे जरूरी है नींद पूरी करना 24 घंटे में कम से कम 7-8 घंटे की अच्छी नींद लेने की आवश्यकता होती है। अगर वह अपनी नींद जो पूरी नहीं कर पाता है तो उसे थकावट महसूस होगी। व आलस्य उसे हर काम में लगेगा। फलस्वरूप वो अपने काम को टालता रहता है। इससे न सिर्फ काम ही पीछे रह जाता है बल्कि व्यक्ति को भंयकर डिप्रेशन भी हो सकता है।
3. **संज्ञानात्मक-** संज्ञानात्मक अर्थात सोचने की क्षमता का कम होना इसके कारण व्यक्ति की एकाग्रता में कमी हो सकती है। वह हर छोटी-छोटी चीजों को भूल जाता है और उसे कुछ भी याद नहीं रहता। ये सब चीजे है जो मनुष्य को डिप्रेशन का शिकार बना सकती है।
4. **नशा-** नशा करने वाला कोई भी व्यक्ति जीवन के उत्तार-चढ़ाव का सामना करने की क्षमता को खो देता है। नशें से ग्रस्त लोग डरपोक है सकते है। और वास्तविकता से इतना दूर हो जाते है कि यदि उसे वास्तविक जीवन की थोड़ी सी परेशानी सामने दिखती है तो वह तुरंत डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। नशा डिप्रेशन का एक बहुत बड़ा कारण है।
5. **सामाजिक-** बंधन डिप्रेशन का एक कारण हमारा समाज भी है। समाज

के डर से कुछ त्योंग डिप्रेशन का शिकार हो जाते है। समाज में लोग क्या कहेगें इस डर से इंसान अपनी बनी बनाई हुई जिंदगी को बेकार कर लेता है।

अन्य कारण:

1. तनावपूर्ण घटनाएं।
2. आर्थिक समस्याए।
3. पुरानी बीमारी।
4. अनुवांशिक।
5. मनो.सामाजिक अंसतुलन।
6. हार्मोन असंतुलन।

डिप्रेशन के लक्षण:

1. आत्मसम्मान की कमी।
2. बेबजह थकान महसूस होना।
3. उदास मन।
4. बेचैनी।
5. चिडचिडापन।
6. निराशा महसूस करना।
7. सोचने और निर्णय लेने में कठिनाई।
8. अपराध बोध।
9. नकारात्मक सोचना।
10. नींद में गडबड़ी।
11. सिर व शरीर में दर्द।
12. भूख में परिवर्तन।

डिप्रेशन का निवारण– यदि आप डिप्रेशन से पीडित है तो घवराइये नहीं इसका इलाज है। बस आप को थोड़ा हौसला रखना पडेगा जो आप को डिप्रेशन से निकालने में सहायक होगा इसका निवारण हम निम्न प्रकार से कर सकते है।

1. नियमित व्यायाम योग–ध्यान– मनुष्य को हफ्ते में कम से कम उसे 5 दिन 30 मिनिट के लिए व्यायाम अवश्य करना चाहिए। नियमित व्यायाम शरीर में एंडोर्फिन्स नामक हार्मोन्स को बढ़ाता है जो मूड को अच्छा करता है जिसके कारण हम स्वस्थ रहते है।

2. नशीले पदार्थ का सेवन ना करें– शराब और नशीले पदार्थ आपको कुछ समय के लिए राहत पहुंचा सकते है पर लम्बे समय तक इसका सेवन डिप्रेशन और चिंता को और बढ़ा सकता है।

3. अच्छी भरपूर नींद– इसके लिए अच्छी नींद लिजिए। 7–8 घंट की पर्याप्त नींद से डिप्रेशन से काफी हद तक राहत मिलती है। नकारात्मक लोगों से दूरी बनाकर रखिए।

4. मनो चिकित्सक की सहायता ले– इसमें आप मनो चिकित्सक के साथ बात करके नकारात्मक भावनाओं से निपटने के लिए कौशल सीख सकते है। आप परिवार या समूह चिकित्सा सत्र से भी लाभ उठा सकते है।

5. सकारात्मक सोच के साथ जीवन जीये, सकारात्मक सोच से परिणाम भी सकारात्मक होते है।

6. प्रतिस्पर्धा से बचे। दूर रहे।

7. हीन भावना सोच से बाहर निकले। इश्वर भक्ति पूजा भजन से भी मानसिक, आत्मिक शान्ति मिलती है और डिप्रेशन से निकलने में बहुत अधिक मदद मिलती है।

8. प्रतिस्पर्धा से बचे, दूर रहें– आधुनिक युग में प्रतिस्पर्धा दिनों दिन बढ़ती जा रही है। प्रतिस्पर्धा के कारण व्यक्ति में तनाव की स्थितियॉ निर्मित होती जा रही है। अत: अनावशयक प्रतिस्पर्धा से बचे। अपनी जितनी आय हो उतना ही खर्च करें। बराबरी न करें।

9. हीन भावना से बचें। हर व्यक्ति में अपना–अपना हुनर होता है प्रतिभा होती है किसी व्यक्ति को ज्यादा मान सम्मान प्राप्त हो तो हीन भावना से ग्रसित नहीं होना चाहिए। हमेशा प्रसन्नसित रहना चाहिए। स्वस्थ मस्त रहना चाहिए। अपने जीवन को हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ाना चाहिए डिप्रेशन को कभी अपने जीवन में स्थान न दे।

डिप्रेशन से मुक्ति में जैन सिद्धान्त उपयोग– जैन धर्म के संस्थापक भगवान महावीर ने अपनी साधना के बल से कुछ ऐसे नवीन अनुसन्धान किये है, जिन्हे यदि स्वीकार कर लिया जाए तो मनुष्य अवसाद में जा ही नहीं सकता।

अनेकान्तवाद और अवसाद से मुक्ति – भगवान महावीर ने वस्तु का स्वरूप समझते समय उसे अनेकान्तात्मक बतलाया है आचर्य अमृतचन्द्र ने आत्मख्याति टीका में लिखा है जो तत् है वही अतत है, जो एक है वही अनेक है, जो सत् है वही असत है, जो नित्य है वही अनित्य है, इस प्रकार एक वस्तु में वस्तुत्व की उपजाने वाली परस्पर विरूद्ध दो शक्तियों का प्रकाशित के स्वभाव में है। यह दार्शनिक सिद्धान्त समझ लिया जाय तो मनुष्य विरोध को स्वीकार कर पायेगा और जीवन में मानसिक सन्तुलन नहीं खोएगा। यह स्वीकार ही व्यक्ति को आधे से अधिक तनाव से मुक्त कर देता है और वह सुखी हो जाता है।

कर्म सिद्धान्त और अवसाद से मुक्ति– जो जैसा करता है वह वैसा ही भरता है। यह सामान्य कर्म सिद्धान्त है, जो सम्पूर्ण भारतीय जनमानस में समाया हुआ है जैन कर्म सिद्धान्त में इसकी गहरी मीमांसा की गयी है। जैन दर्षन के अनुसार यह सृष्टि अनादि अनन्त है। इसका कोई निर्माता या नियन्ता अनुकूल या प्रतिकूल भोगते है। इस सिद्धान्त के अनुसार व्यक्ति अपने कर्मो के लिए स्वंय उत्तरदायी होता है। वह जानता है कि यह अपने द्वारा किए गये। शुभाशुभ भावों का फल खुद ही भोगने वाला है, पाप के फल में उसे कोई शरण देने वाला नहीं है। अत: अशुभ कर्मो से यथा शक्ति बचाने का प्रयास करता है। तथा प्रतिकूलताओं में स्वंय कृत कर्मो का ही प्रतिफल जानकर शान्तचिन्त ही रहता है। ऐसा चिन्त करने से मनुष्य व्यर्थ ही तनावग्रस्त नहीं होता और अवसाद से बचा रहता है।

रत्नत्रय का सिद्धान्त और अवसाद से मुक्ति– जैन दर्शन में रत्नत्रय कहलाते है सम्यग्दर्शन–ज्ञान चारित्र इन्हे मोक्ष का मार्ग कहा गया है सम्यग्दर्शन का अर्थ है सच्चा विश्वास, भगवान द्वारा उपदिष्ट सिद्धान्तों पर विश्वास। वर्तमान में बौद्धिकता और तार्किकता के अतिरेक ने हमारे भीतर विश्वास करने की सहज प्रवृत्ति को बहुत खण्डित किया है। सम्यग्ज्ञान के माध्यम से किसी भी घटना, परिस्थिति या परिणाम सही जानकारी होती है जो वस्तु जैसी है उसका जो स्वरूप है, उसको वैसा ही जामना सम्यस ज्ञान है। प्राय: सही ज्ञान के अभाव में मनुष्य तनाव ग्रस्त रहता है। अत: रत्नत्रच को धारण करने वाला कभी तनाव से ग्रस्त नहीं होता है और अवसाद से मुक्त रहता है।

अंहिसा का सिद्धान्त और अवसाद से मुक्ति– जैन धर्म अंहिसावादी है। अंहिसा का सिद्धांत प्रत्येक सिद्धान्त की पृष्टभूमि में रहता ही है। मन–वचन–काया से किसी जीव को दुखी करना या उसके प्राणों का हरण कर लेना ही मुख्य रूप से हिंसा है। हिंसा करने से पहले व्यक्ति का मन, विचार, भाव

आदि स्वयं हिंसक हो जाता है। लगातार हिंसा की विचारधारा होने से मनुष्य तनाव में रहता है। दूसरों को दुखी करने वाले को सबसे पहले स्वयं परेशन होना पड़ता है अंहिसा का भाव मन को शान्त रखता है, अत: तनाव मुक्त रहने के लिए अंहिसक विचार धारा बहुत आवश्यक है।

अपरिग्रह का सिद्धान्त और अवसाद से मुक्ति –भगवान महावीर ने माना कि दुखों का मूल कारण परिग्रह भी है। चीजों का संग्रहणन ही परिग्रह हो आवश्यकता से ज्यादा अचेतन पदार्थो का संग्रह मनुष्य को तनाव में डाल देता है। जो मनुष्य जितना कम परिग्रह रखता है उतना ही तनाव मुक्त रहता है। मनुष्य जिस भी पदार्थ में आसक्त रहता है, उस पदार्थ का वियोग होने पर वह अत्यन्त दुखों को भोगता है जो तनाव का कारण बनता है। अत: जितना कम परिग्रह तथा आसक्ति उतनी ही तनाव मुक्ति।

स्वाध्याय और अवसाद मुक्ति – स्वाध्याय भी तनाव को घटाने का एक महत्वपूर्ण साधन है। तृीव कशायी व्यक्ति भी यदि स्वाध्याय करता या सुनता है तो शनै: शने: वस्तु स्वरूप के यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति होने से उसमे कशाय में कमी आने लगती है वास्तविक वस्तु स्वरूप का ज्ञान होने से व्यक्ति किसी भी परिस्थिति का मार्ग निकाल ही लेता है। और तनाव रहित जीवन जीने की कला सिख जाता है।

धार्मिक क्रियाएॅं और अवसाद से मुक्ति – अनेक वैज्ञानिक अध्ययनों से यह बात सिद्ध हो चुकी है कि प्रात: नित्य कर्म से निवृत्त होकर किये जाने वाले सस्वर देव पूजन भक्ति स्तुति पाठ शरीर में कोलेस्ट्रोल व हानिकारक द्रव्यों की मात्रा में कमी करते है। इन क्रियाओं के माध्यम से शरीर में कशायों को बढ़ाने वाले हानिकारक हारमोन का स्त्राव बन्द हो जाता है सस्वर वाचन से तन्त्रिका तन्त्र, रक्त एवं नाड़ियों का लचीलापन बढता है, जो शरीर की तनाव सहन करने की क्षमता को बढ़ाता है।

ध्यान एवं अवसाद मुक्ति –ध्यान के लाभों से आज पूरा विश्व आज सुपरिचित है अत: जैन दर्शन में सामायिक व ध्यान तनाव घटाने में महत्वपूर्ण यागदान है। लोगों को अलग-अलग तरह से डिप्रेशन महसूस हो सकता है डिप्रेशन की वजह से किसी के काम पर असर पड़ सकता है डिप्रेशन से निजी जिन्दगी के रिश्तों पर भी असर पड़ता है।

दुनिया के हर शख्स की जिन्दगी में दुख और तकलीफ का समय आता है हालात और परिस्थितियों अलग-अलग होती है डिप्रेशन और मानसिक बीमारिया उतनी ही रियल और प्राकृतिक है जितना आपका सांस लेना, सूर्योदय, सूयास्त, बारिश, इन्दधनुष मतलब उसका अस्तित्व नहीं है ऐसा नहीं होता हवा दिखाई नहीं देती, उसका अस्तित्व है। डिप्रेशन को नकार कर, मानसिक बीमारियों की वजह से दुनिया को अलविदा कहने वाले लोगो को कमजोर कहना आज ही बंद करिए इस छोटे से कदम से शुरूआत हो सकती है। उन चीजों को करे जो आपको पंसद है और जो आपको दिलचस्प लगती है। इससे तनाव कम हो सकता है। डिप्रेशन हमेशा अपने आप ठीक हो जाएगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. हिन्दी मासिक पत्रिका जिनवाणी, जून 2022

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XL

भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली

डॉ. सविता गुप्ता*

* प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) शासकीय नर्मदा महाविद्यालय, नर्मदापुरम (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – सार्वजनिक वितरण प्रणाली से अर्थ उस प्रणाली से है, जिसमें उपभोक्ता वस्तुओं को सार्वजनिक रूप से इस प्रकार वितरित किया जाता है कि सभी उपभोक्ताओं को निर्धारित मूल्यों पर उचित मात्रा में प्राप्त हो सके।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मुख्य उद्देश्य राशन की दुकानों, उचित मूल्य की दुकानों एवं नियंत्रित कीमत की दुकानों द्वारा सस्ती कीमत पर अनिवार्य वस्तुयें उपलब्ध कराकर आय हस्तांतरण करना है। मुद्रास्फीति एवं अनिवार्य आवश्यकता की वस्तुओं की पूर्ति के संकट के संदर्भ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विकास हुआ और उसके महत्व को स्वीकार किया जाने लगा है। भारतीय अर्थव्यवस्था में व्याप्त निर्धनता आर्थिक विषमता और कुपोषण के संदर्भ में इस प्रणाली का महत्व और बढ़ जाता है। मूल्यों में स्थिरता लाने व समाज के कमजोर वर्गो को जीवन की मूलभूत आवश्यक वस्तुओं को उचित मूल्यों पर उपलब्ध कराने के लिये सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार महत्वपूर्ण हो गया है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरूआत देश में अंग्रेजो द्वारा वर्ष 1939-1942 के दौरान की गई थी। द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान अंग्रेज अर्थशास्त्री सर ग्रेगरी ने अनाज की कमी से निपटने के लिये यह योजना बनाई थी। बहुतायत में अनाज पैदा करने वाले राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, आदि से अनाज की कमी वाले राज्यों तक राशन पहुँचाने तथा उसे वितरण की व्यवस्था की गई। 1954 में इसे पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है।

भारत सरकार ने दिनांक 01.07.79 से इस प्रणाली को लागू किया। सार्वजनिक वितरण प्रणाली वस्तुत: केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों की सामूहिक जिम्मेदारी है। इसके बाबजूद सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत बिकनेवाले अनाज पर दी जाने वाली सब्सिडी को बोझ केन्द्र सरकार उठाती है। इस प्रणाली को देश के सभी राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों में उचित दर के दुकानों के माध्यम से चलाया जा रहा है। श्री के.एन. काबरा के अनुसार हरितक्रांति के बाद रसायनिक उर्वरको संकर बीजों तथा कीटनाषकों के उपयोग के कारण अनाज महंगा पड़ता था इसलिये गरीबों को अनाज रियायती दरों पर देने तथा अनाज की कालाबाजारी पर अंकुश रखने के लिये बैंकटैया समिति ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाने तथा इसे संस्थागत स्वरूप देने की सिफारिश की थी। उनकी सिफारिशों के अनुरूप ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली, अपने वर्तमान स्वरूप में है। श्रीमती इंदिरा गांधी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को देश के दूरदराज एवं पिछड़े इलाकों तक पहुॅचाने में अहम भूमिका निभाई। लोक तंत्र में समानता की स्थापना और गरीबी से लड़ने का एक प्रमुख औजार सार्वजनिक वितरण प्रणाली है।

दिनांक 01.06.1997 से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की गई जिसके अंतर्गत, ए.पी.एल. बी.पी.एल. अन्योदय अन्य योजना, अन्नपूर्णा योजना लागू है। वर्तमान में सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा अनाज, चीनी मिट्टी के तेल की आपूर्ति की जा रही है।

24 मार्च 2020 से घोषित लॉकडाउन में सार्वजनिक वितरण प्रणाली भारत में सामाजिक समर्थन और खाद्य सुरक्षा के लिए एक प्रमुख सार्वजनिक योजना के रूप में उभर कर सामने आई है। कई संशयवादियों एवं पीडीएस के आलोचकों ने महामारी के दौरान लाखों भारतीयों के लिए बुनियादी खाद्य सुरक्षा प्रदान करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना तो की है परंतु यह भी उजागर करते हैं कि अभी भी इस पर काफी कुछ किए जाने की जरूरत है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या के 75% और शहरी के 50% भाग को पीडीएस के माध्यम से सब्सिडी वाला अनाज प्रदान किया जाना अनिवार्य है इसके तहत राशन कार्ड की भी दो श्रेणियां है प्राथमिकता एवं अंत्योदय ।इस अनुपात को राज्यवार अनुपात में परिवर्तन किया गया है जिससे गरीब राज्यों को अधिक कवरेज मिला है। एनएफएसए सार्वजनिक वितरण प्रणाली में मूलभूत सुधार ले आया है एवं इसके जरिए कानूनी रूप से भोजन का अधिकार दिया गया है ।

जून 2019 वन नेशन वन राशन कार्ड की शुरुआत कि जिसे जुलाई 2021 में ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा संपूर्ण देश में लागू करने की अनुमति दी गई थी सरकार ने मार्च 2020 में पीएम जी के वाई PMGKY के एक भाग के रूप में महिलाओं वरिष्ठ नागरिकों और किसानों को मुफ्त खाद्यान्न और नगद भुगतान की घोषणा की है । कुछ सकारात्मक गतिविधियों के प्रमाण भी हैं जैसे परिवारों का कवरेज लेकिन अन्य क्षेत्रों में सुधार की काफी गुंजाइश है अनाज की कीमतों एवं मात्रा के अलावा अनाज की गुणवत्ताा उसकी विविधाता और एफपीएस पर सेवाओं की गुड़ बताओ जैसे भी मुद्दे जिन के परिणाम स्वरूप एनएफएस लागू होने के बाद भी पीडीएस में हुए बड़े पैमाने पर बदलाव के बावजूद इससे लाभार्थियों पर बड़े प्रभाव काफी हद तक अपर्याप्त हैं।

कोरोना काल में कुछ राज्य में स्थाई एवं अस्थाई राशन कार्ड जारी किए गए NFSA से मानदंडों के अनुसार लगभग 90 करोड लोगों को PDS कवरेज मिल रहा है और 5.1 करोड़ को NFSA की तुलना में PDS से कम

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XL

मिल रहा है। कुप्रशासन और कुछ मामलों में खुली चोरी के चलते PDS वितरण में धांधली होने की संभावना मानी जाती रही है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के उद्देश्य:

1. वस्तुओं की मांग एवं पूर्ति में संतुलन बनाये रखना
2. वस्तुओं का वितरण समाज के गरीब वर्ग को न्यायोचित ढंग से करना।
3. उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना।
4. मूल्यों के उतार चढ़ाव को रोकना।
5. व्यापारियों के लाभ कमाने की प्रवृत्ति पर अंकुश रखना।

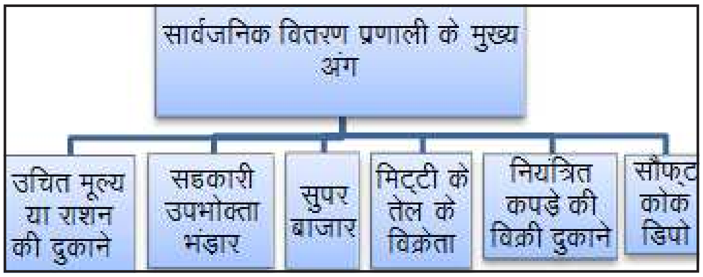

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के गुण :

1. निश्चित मूल्य।
2. सरकार द्वारा नियुक्ति।
3. लाभ की निश्चित मात्रा।
4. मांग एवं पूर्ति में समन्वय।
5. वस्तुओं में मिलावट न होना।
6. आचार संहिता का पालन।

SUPPLY CHAIN OF PDS IN INDIA

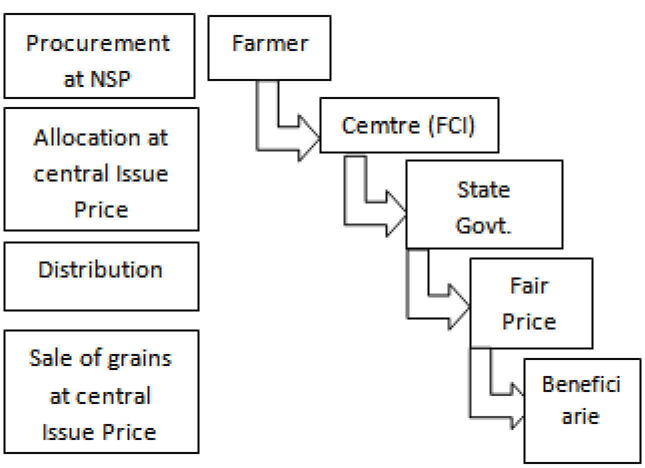

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दोष:

1. नगरों तक सीमित।
2. मांगों में वितरण न होना।
3. अन्य वस्तुओं के बेचे जाने की अनुमति न देना।
4. पूर्ति कम होने पर दबाव बढ़ जाना।
5. किस्म का चुनाव करने में कठिनाई।
6. खुदरा व्यापार का सरलीकरण।
7. अफसरशाही।
8. सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार।
9. अंतर्राज्यीय भिन्नता एवं निर्धनों को अपर्याप्त प्रोत्साहन।
10. मंहगी प्रणाली।
11. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के गरीबों के लिए लाभ सीमित हैं।
12. पीडीएस में क्षेत्रीय विषमता में विद्यमान है।
13. सिर्फ शहरी क्षेत्रों तक पहुंच है।
14. खाद्य सब्सिडी संचालन में असक्षमता।
15. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के परिणाम स्वरुप कीमतों में वृद्धि।
16. सार्वजनिक वितरण प्रणालीमें धांधाली।

भारत जैसे गंभीर आर्थिक विषमताओं वाले देश में इस तंत्र की उपयोगिता से कतई इंकार नही किया जा सकता है। भारत जैसे विशाल आबादी वाले देष में गरीबी, भूख, कुपोषण, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं और अशिक्षा से लड़ने में महत्वपूर्ण साधन है। वर्ष 1991 से प्रारंभ आर्थिक सुधारों के बाद सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत बिकने वाले अनाज और चीनी के दामों में लगातार बढ़ोत्तरी और उस पर दी जाने वाली सब्सिडी में कटौती के कारण धीर-धीरे लोगों की दिलचस्पी इसमें घटती जा रही है। सब्सिडी घटाने के नाम पर अनाज महंगा कर दिया है। आर्थिक गतिविधियों के भूमंडलीकरण और उदारीकरण के इस युग में बाजारोन्मुखी अर्थव्यवस्था का बोलवाला है और सामाजिक कल्याण एवं समता स्थापित करने वाले कार्यक्रमों पर खर्च होने वाली राशि को लेकर सवाल उठाये जाते हैं, ऐसे में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कामकाज को निर्विवाद बनाये रखना आवश्यक है।

केवल खाद्यान्न ही नही बल्कि दैनिक जीवन में आवश्यक अन्य वस्तुओं का भी वितरण करना चाहिये। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का इस तरह विकास हुआ है, कि इसके क्षेत्रगत रूपान्तरणों का विभिन्न राज्यों में खाद्यान्नों की कमी या जरूरतों के साथ कोई तालमेल नही है। इसके साथ ही रियायती दर पर दिये जाने वाले सामान की कालाबाजारी हो रही है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली अपने लक्ष्यों, और आदर्शों को व्यवहारिक रूप में पाने में असफल रही है। व्यापक भ्रष्टाचार, अकुशल प्रशासन, राजनीतिक दुरूपयोग, दीर्घकालीन नियोजन कार्यक्रम के अभाव, ग्रामीण क्षेत्रों में अपर्याप्त विकास तथा वितरण लागत की अधिकता के कारण इस प्रणाली पर से सामान्य तथा गरीब जनता का विश्वास घटता जा रहा है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सफल एवं प्रभावशाली बनाने के लिये महत्वपूर्ण सुझाव इस प्रकार है :

1. अधिकाधिक क्षेत्रों में इसकी शाखाएँ खोली जाए।
2. सस्ते मूल्य की दुकानों को वितरण हेतु पर्याप्त मात्रा में वस्तुएँ उपलब्ध कराई जाना चाहिये।
3. जमाखोरी को रोका जाना चाहिए।
4. प्रशिक्षित एवं नि:स्वार्थ लोगों के हाथों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सौंपा जाए एवं कार्य में दक्ष एवं ईमानदार कर्मचारियों को पुरस्कृत किया जाना चाहिए।
5. इस प्रणाली को राजनीतिक दबाव एवं भेदभाव से मुक्त रखना चाहिए।
6. निरीक्षण की कारगर एवं प्रभावी व्यवस्था की जाना चाहिये।
7. वितरण लागत में कमी का प्रयास किया जाना चाहिए।
8. व्यवस्था के कुशल संचालन के लिए समाजसेवी संगठन का भी सहयोग लिया जाना चाहिए।
9. इस प्रणाली की कारगर ढंग से निगरानी करने के लिए शहरों में वार्ड स्तर गॉवों में ब्लॉक स्तर पर उपभोक्ता संरक्षण समितियॉं स्थापित की जाना चाहिये।

10. फर्जी एवं डुप्लीकेट कार्डों को समाप्त करने के लिए जांच एवं छापेमारी की कार्यवाही की जानी चाहिए।

इन सुझावों को यदि उचित तरीके से क्रियान्वित किया जाये तो निष्चित ही यह प्रणाली सफल हो सकती है, तथा अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची:-

1. सार्वजनिक वितरण प्रणाली की प्रासंगिकता - डॉ. पी.आर.मानकर, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ भोपाल अप्रैल-जून 2014
2. अर्थशास्त्र, डॉ. एम.एम. शुक्ल और डॉ. एम.सी. जैन।
3. भारतीय अर्थव्यवस्था ए.एन. अग्रवाल।
4. कृषि अर्थशास्त्र, डॉ. जयप्रकाश मिश्र।
5. विभिन्न समाचार पत्र।
6. https://www.testbook.com/ias-preparation/hi/pds-and-tpds/
7. https://www.janhitmejaari.com/what-is-public-distribution-system-its-types-benefits-and-functions/

****

हिन्दी साहित्य में मनोविश्लेषणवादी परम्परा

डॉ. रोशनलाल अहिरवार *

* सहायक प्राध्यापक (हिन्दी) शासकीय महाविद्यालय, शाहगढ़, सागर (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – हिन्दी साहित्य में मनोविश्लेषणवाद परम्परा का योगदान जैनेन्द्र, इलाचन्द्र जोशी, अज्ञेय आदि साहित्यकारों की लेखनी की देन है। जो परम्परा अंग्रेजी साहित्य में देखने मिलती है वही परम्परा हिन्दी साहित्य में मनोविश्लषेणवादी परम्परा के साहित्यकारों के द्वारा सम्पन्न हुई है। इस शोध पत्र में अज्ञेय की मनोविश्लेषणवादी परम्परा का साहित्य में किस प्रकार योगदान रहा अनुसंधानात्मक अध्ययन किया गया है।

शब्द कुंजी – अज्ञेयपाश्चात्य साहित्य में मनोविश्लेषणवाद, हिन्दी साहित्य में मनोश्विलेषणवाद, जैनेन्द्र, इलाचा जोशी, डॉ. देवराज।

प्रस्तावना – हिन्दी साहित्य में बहुमुखी प्रतिभा के धनी लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर है। 'अज्ञेय' शब्द के शाब्दिक अर्थ को देखा जाये तो अर्थ है–'जो ज्ञेय न हो या समझ से परे हो या जिसे जाना नजा सके परन्तु हिन्दी साहित्य में अज्ञेय को साहित्य की विविध विधाओ–कविता, कहानी, निबंध, उपन्यास, आलोचना, यात्रा वृतान्त आदि के सृजनात्मक लेखन से पहचाना जाता है।'

पाश्चात्य साहित्य में मनोविश्लेषणवाद–20वी शताब्दी का प्रारम्भिक काल अंग्रेजी साहित्य के साथ समाज के लिए संक्रान्ति का काल माना जाता है। इस समय अंग्रेजी समाज मे निराशा, अनास्था, कुण्ठा ने लोगो की चित्तावृत्तियो को अवरुद्ध कर दिया था। एक साहित्यकार अपने आस–पास के परिवेश से ही साहित्य के सृजन की ओर अग्रसर रहता है। फलस्वरुप अंग्रेजी साहित्य भी प्रभावित रहा और इस युग में स्वच्छन्दतावाद, नीतिवाद, कलावाद आदि अनेक काव्य सिद्धान्तों का विकास हुआ 20वीं शताब्दी में दो प्रबल विचारक सिगमंड फ्रायड और कार्ल–मार्क्स का उदय हुआ।

मनोविश्लेषण (Psychoanalysis) आस्टिया के मनोवैज्ञानिक सिंगमण्ड फ्रायड, एलडर द्वारा विकसित मनोवैज्ञानिक विचारो का विस्तृत गहन विषय है मनोविश्लेषण मुख्यत: मानव के मानसिक क्रियाओं एवं व्यवहारो के अध्ययन से संबंधित एक विज्ञान कहा जा सकता है, यह समाज का विषय है क्योकि व्यक्तियों के मन का अध्ययन इसमे निहित है मनोरोगो से ग्रस्त व्यक्तियों से वार्तालाप कर के उपचार करने की विधि और एक बौद्धिक अनुशासन के रूप में मनोविश्लेषण को स्थापित करने का श्रेय सिंगमण्ड फ्रायड को जाता है समाज विज्ञान के कई विषयो पर मनोविश्लेषण का गहरा असर है जैसे– रंगमंच,स्त्री अध्ययन, सहित्य अध्ययन आदि।

फ्रायड के मनोविश्लेषण सिद्धातं के अनुसार मानव मस्तिष्क के तीन भाग होते है चेतन,अवचेतन,अचेतन या अर्द्धचेतन। चेतन मन बहुत छोटा होता है और अचेतन मन अधिक प्रबल होता है यह दोनो मानव मस्तिष्क में क्रिया शील होते है। फ्रायड का विचार है कि मनुष्य के अवचेतन को अलग–अलग हिस्सो मे बाट कर उसी तरह से समझा जा सकता है जिस प्रकार वैज्ञानिक किसी रसायनिक पदार्थ का सूक्ष्मता से विश्लेषण करते है अवचेतन का सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि मानव मस्तिष्क का एक हिस्सा ऐसा भी है जिसका पता व्यक्ति को स्वयं नही लगता है इसकी अभिव्यक्ति या कार्यशैली के अनुसार उसमे नींद के सपने, बोलते–बोलते जबान का फिसला अन्य शारीरिक बीमारिया आदि अवचेतन मन के कारण सक्रिय रहती है।

फ्रायड के अनुसार– मानव मन पर तीन शक्तियॉ प्रबलता से काम करती है जिसमे इड (ID) या इदम्, ईगो (Ego) या अहं, सुपर ईगो (Supar Ego) या पराहं आते है इन तीनो भागो में विचारो, भावनाओं का संचरण होता रहता है तथा इसी कारण मानव का व्यक्तित्व एवं बौद्धिक विकास परिलक्षित होता है प्रत्येक भाग की भूमिका व्यक्ति के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रभाव डालती है।

इदम्– इसमे व्यक्ति के अनुवाशिंक या जन्मजात गुण इसके अन्तर्गत आते है इसमे पाये जाने वाली विषयवस्तु विचार, चेतना व्यक्ति की नही होती है परन्तु यह व्यक्ति की मानसिक शक्तियों और वृत्तियों का स्त्रोत है। यह दमित इच्छाओं और वासनाओं का आधार है इसका संबंध कामप्रवृत्तियों से है इस प्रकार की मानसिक अवस्था को फ्रायड लिबिडो कहते है।

अहम् – यह इदम् का वह अंश है जिसका विकास बाहरी भौतिक पर्यावरण के सम्पर्क में मानव मस्तिष्क के आने के बाद सक्रिय होता है यह चेतन होने के साथ अचेतन मन की अवांछित इच्छाओं पर पूर्ण नियंत्रण रखने का कार्य करता है सामान्यत: व्यक्ति का यह अन्त:करण है इसमे व्यक्ति की अच्छी और बुरी सभी प्रकार का मिश्रित इच्छाओं का रूप होता है अच्छी इच्छाओं पर कोई रोक नही होती है पर बुरी इच्छाओं को बाहर आने के लिए हमारा परम् अहम् जागृत करता है।

परम् अहम् – यह वह स्थिति है जिसमे बुरी इच्छाओं को चेतन मन में आने से परम् अहम् रोकता है इसके कार्य अहम् पर शासन नियत्रण होता है यह चेतन और अचेतन मन के बीच प्रहरी का कार्य करता है।

मन के विश्लेषण में मुख्यत: तीन बिन्दु अध्ययन उपरान्त स्पष्ट होते है कि –

1. यह मानव मस्तिष्क के अध्ययन की विधि, नियम प्रदान करता है।
2. यह मानव व्यवहार से संबंधित सिद्धातों का क्रमबद्ध समूह इसमे शामिल है।
3. यह मनोवैज्ञानिक या भावनात्मक रोगो के निराकरण के लिए उपचार प्रदान करता है।

फ्रायड का विश्वास था कि मनुष्य अपनी इच्छाओं, यौन कामनाओं

और आवश्यकताओं की पूर्ति न होने पर उसकी नाकामी की परेशानी या तकलीफ के एहसास को दबाता इस कारण उसके भीतर अर्पूण कामनाओं इच्छाओं के प्रति अपराध बोध पैदा हो जाता है इस कारण उसके अन्दर कुंठा, आत्मालोचन और एक समय के बाद आत्महीनता तथा आत्मघृणा की अनुभूतियॉ जन्म ले लेती है यह तमाम कार्य अवचेतन में चला जाता है यह अवचेतन में हमेशा दवा नही रहता है समयानुसार यथास्थिति निर्मित होने पर यह सामने आता है कभी सपनो के रूप में, तो कभी किसी घटनाओं के प्रति अनायास अवचेतन मन में स्थित दमित इच्छाये, कामनाएॅ बाहर आती है।

मेरा मानना है कि अवचेतन मन में उपर्युक्त स्थिति व्यक्ति के क्रियाकलाप में उसके आस-पास घटित घटनाओं के अनुरूप प्रगट होने लगती है फलत: इस कारण उसका प्रभाव उसके जीवन तथा कार्यशैली पर पड़ता है कार्यशैली के आधार पर साहित्यकारो की लेखनी में भी मनोविश्लेषण सिद्धांत का प्रभाव देखने मिलता है।

'फ्रायड ने काम को जीवन की मूलवृत्ति मानते हुए साहित्य को काम-कुण्ठाओं की दमित एवं अतृप्त वासनाएँ ही साहित्य में प्रकट होती हैं।'[1] पाश्चात्य काव्य में सिगमंड फ्रायड ने मनोविश्लेषणवादी परम्परा का सूत्रपात किया तथा साहित्य में इसका विकसित रुप पाठको को देखने मिला।

फ्रायड का काव्य सिद्धान्त-फ्रायड काव्य का सीधा सम्बन्ध मन की दमित इच्छाओं एवं कुण्ठाओं की अभिव्यक्ति से स्थापित करते हैं। उनका विचार है कि 'मनुष्य के मन में अनेक ऐसी कुण्ठाएँ विद्यमान होती है जिनका निवारण वह जगत में नहीं कर पाता, क्योंकि उस पर अनेक सामाजिक, नैतिक तथा धार्मिक बन्धन लगे रहते हैं। फिर भी उसके मन में इनकी अभिव्यक्ति करने के लिए एक विशेष अकुलाहट अवश्य बनी रहती है। इनकी अभिव्यक्ति हुए बिना उसे चैन नहीं मिलता। काव्य उसके पास एक ऐसा साधन हैं जो इनकी अभिव्यक्ति का समाजोनुमोदित, निरापद एवं स्वस्थ साधन है। अतएव मानसिक परितोष का अनुभव करता है।'[2]

हिन्दी साहित्य में मनोविश्लेषणवाद-हिन्दी साहित्य में मनोविश्लेषणवादी परम्परा का सूत्रपात सर्वश्री जैनेन्द्र, इलाचन्द्र जोशी, 'अज्ञेय' और डॉ. देवराज ने किया है। 'चाहे कविता हो, चाहे कथा-साहित्यअथवा चित्रकला या मूर्तिकला सभी मानव-मन: स्थितियों का ही चित्रण करती है। मनुष्य के भीतर काम और अहम् की प्रवृत्ति बड़ी व्यापक और बड़ी गहरी होती है। ये प्रवृत्तियाँ दो रुप में हमारे सामने आती है-एक सहज, स्वाभाविक रुप में और दूसरे विकृत रुप में। मानव जीवन में संघर्ष और टकराव की स्थिति इन्हीं प्रवृत्तियों के कारण बनती है। साहित्य में भी जो युद्ध, संघर्ष, दुर्व्यवहार और सादृश्यता आदि के चित्रण होते हैं वे मानव की मानसकि क्रियाओं का आधार लेकर चलते है। साहित्य और कलाओं में इस प्रकार के चित्रण तो आदिकाल से चले आते हैं, पर इन चित्रणो के मनोवैज्ञानिक कारणों पर प्रकाश आधुनिक युग के चिन्तकों ने डाला।'[3]

उपर्युक्त विश्लेषण साहित्य में मनोवैज्ञानिक तत्वों को समझने में सहायक है और अध्ययन की दृष्टि से देखा जाये तो मनोविश्लेषणवादी प्रमुख बातो को समावेश जैनेन्द्र, अज्ञेय इलाचन्द्र जोशी के साहित्य में देखने मिलता है।मनोविश्लेषण परम्परा का विचारधारा का सूत्रपात हिन्दी साहित्य में उपन्यास विधा में देखने मिलता है। उपन्यासकारों में जैनेन्द्र, इलाचन्द्र जोशी, अज्ञेय तथा डॉ. देवराज प्रमुख है।

'जैनेन्द्र गॉधीवादी के अध्यात्मपक्ष पर बल देते हुए आत्म-पीड़न के द्वारा हृदय परिवर्तन में विश्वास करते हैं। उनके अनुसार मानव में दो मूल प्रवृत्तियाँ हैं-स्पर्धा और समर्पण। स्पर्धा अहं का सृजन करती है। समर्पण-वृत्ति 'स्व' को 'पर' के लिए उत्सर्ग कर देने में अपनी सार्थकता अनुभव करती है।'[4] जैनेन्द्र ने अपने उपन्यासों मे काम पीड़ा और समर्पण का चित्रण किया है तथा अहं का विसर्जन किया है। प्रमुख उपन्यासों में परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखद, पिर्वत, व्यतीत आदि है।

इस परम्परा के दूसरे उपन्यासकार इलाचन्द्र जोशी है। जोशीजी ने मनोविश्लेषण को अपनी कला का साधन बनाया है। आप फ्रॉयड और मार्क्स दोनों के समन्वय में विश्वास करते है। प्रमुख उपन्यासों में सन्यासी, पर्दे की रानी, प्रेत और छाया, निर्वासित, जिप्सी, जहाज का पंछी आदि है।

मनोविश्लेषणवादी उपन्यासों में तीसरे उपन्यासकार अज्ञेय द्वारा रचित शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी का महत्वपूर्ण स्थान है। 'अज्ञेयकृत 'शेखर एक जीवनी' (1941) के प्रकाशन के साथ हिन्दी-उपन्यास को लेकर आलोचकों में भारी मतभेद रहा। किसी ने इसे प्रकाशमान पुच्छल तारा कहकर प्रशंसा की तो किसी ने अतिशय आत्मकेन्द्रित बताकर इसके कथानक को असम्बद्ध और विश्रृखलित माना। इन विरोधी सम्मतियों से सिद्ध होता है कि काव्य, शिल्प और भाषा की दृष्टि से यह परम्परा से हटकर नया प्रयोग था। जिसे आज का आधुनिकता की संज्ञा दी जाती है उसका सर्वप्रथम समावेश इसी उपन्यास में दिखायी देता है। इसका मूल मन्तव्य है-स्वतन्त्रता की खोज। यह खोज अपने को सबसे काटकर नही की गयी है, बल्कि अन्य सन्दर्भो में यानी मानवीय परिस्थितियों के बीच की गयी है।'[5]

शेखर एक जीवनी एक सशक्त और प्रौढ़ रचना है। यह फ्लेश बैक शैली में लिखी गई है। कदाचित ही किसी उपन्यासकार ने अपनी प्रथक-कृति में उसकलात्मक प्रौढ़ता का निदर्शन किया होगा, जो 'अज्ञेय' कर सके है। 'नदी के द्वीपय अज्ञेय का दूसरा महत्वपूर्ण उपन्यास है यह शिल्प की दृष्टि से अधिक सशक्त कृति है। इसमे पत्रशैली, प्रत्यवलोकन शैली, चेतना प्रवाह शैली तथा प्रतीकात्मक बिम्व-विधान शैली सभी का एक साथ प्रयोग मिलता है। अपने-अपने अजनबी अज्ञेय का तीसरा उपन्यास है। इसमें अज्ञेय अस्तित्ववादी दर्शन का समर्थन करते हुए जान पड़ते हैं। इस उपन्यास का विषय ही 'मृत्यु से साक्षात्कार' है।

मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकारों में चौथा नाम डॉ. देवराज का है। आपके उपन्यासों में पथ की खोज, बाहर भीतर, रोड़े और पत्थर, अजय की डायरी तथा मैं वे और आप पॉच उपन्यास शामिल है।

अंतत: हिन्दी साहित्य में मनोविश्लेषणवादी परम्परा उपन्यास विधा के माध्यम से पल्लवित हुई तथा उपन्यासकारो में जैनेन्द्र, इलाचन्द्र जोशी, अज्ञेय आदि ने इसे समृद्ध किया है। यह परम्परा पाश्चात्य साहित्य में काव्य के माध्यम से साहित्य में आई पर हिन्दी साहित्य में उपन्यासो के माध्यम से लेखको और पाठको का विषय बन सकी।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. डॉ. सभापति मिश्र : भारतीय काव्यशास्त्र एवं पाश्चात्य साहित्य चिंतन; जयभारती प्रकाशन इलाहाबाद, पेज-368
2. डॉ. सभापति मिश्र : भारतीय काव्यशास्त्र एवं पाश्चात्य साहित्य चिंतन; जयभारती प्रकाशन इलाहाबाद, पेज-369-370
3. डॉ. भागीरथ मिश्र : पाश्चात्य काव्यशास्त्र; विश्वविद्यालय प्रकाशन वाराणसी, पेज 109
4. डॉ. रामचन्द्र तिवारी : हिन्दी का गद्यसाहित्य; विश्वविद्यालय प्रकाशन वाराणसी, पेज-213
5. डॉ. नगेन्द्र : हिन्दी साहित्य का इतिहास; म्यूर पेपरबैक्स नोएडा; पेज 673

सतत विकास लक्ष्य 'शून्य भूखमरी' : एक चुनौती

रजनी गगवानी *

* सहायक आचार्य व विभागाध्यक्षा (राजनीति विज्ञान) श्री शिवचरण माथुर राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मांडलगढ़, भीलवाड़ा (राज.) भारत

शोध सारांश – वर्तमान में जारी रूस – यूक्रेन युद्ध ने विश्व को चिंता में डाल दिया है। विश्वभर में धान का कटोरा माने जाने वाले रूस और यूक्रेन के मध्य युद्ध शुरू होने की आशंका मात्र से ही विश्व भर में खाद्य सामग्री की कीमतों में आए उछाल ने संपूर्ण विश्व के निर्धन–मध्यम वर्गीय व्यक्तियों के लिए खाद्य सुरक्षा का संकट खड़ा कर दिया। युद्ध शुरू होने के बाद फरवरी 2022 में, एफएओ खाद्य मूल्य सूचकांक एक नए ऐतिहासिक रिकॉर्ड पर पहुंच गया, जो एक साल पहले के स्तर से 21 प्रतिशत अधिक था, और फरवरी 2011 में अपने पिछले शिखर से 2.2 प्रतिशत अधिक था।

बिगड़ी हुई अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था, कई देशों में जारी गृह युद्ध तथा जलवायु परिवर्तन के कारण खाद्यान्न का उत्पादन व आपूर्ति दिन – प्रतिदिन गड़बड़ाती जा रही है। परिणामस्वरूप द्वितीय सतत विकास लक्ष्य 'शून्य भूख' के लक्ष्य को इस दशक के अंत तक प्राप्त करना और अधिक चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। इस संदर्भ में यह जानना जरूरी हो जाता है कि खाद्य सुरक्षा व 'शून्य भूख' के उद्देश्य को कैसे प्राप्त किया जाए? इस के मार्ग में कौन–कौन से बाधक कारक हैं तथा उनसे कैसे निपटा जाए? इस हेतु प्रस्तुत शोध पत्र में द्वितीयक आंकड़ों का सहारा लेकर ऐतिहासिक, विवरणात्मक, मुल्यांकनात्मक व निदानात्मक पद्धति का प्रयोग करते हुए सतत विकास व खाद्य सुरक्षा का अर्थ, शून्य भूख की राह में बाधक कारकों तथा इस क्षेत्र में प्रयासरत संगठनों–संस्थाओं की चर्चा की गई है।

शब्द कुंजी – सतत विकास लक्ष्य, खाद्य सुरक्षा, शून्य भूखमरी, कुपोषण।

प्रस्तावना – संसाधनों की सीमितता तथा विकास की आवश्यकता के बीच तालमेल बिठाने के लिए सतत विकास की अवधारणा पर बल दिया जाता है। सतत विकास की अवधारणा को 1987 के ब्रंटलैंड आयोग की रिपोर्ट द्धारा वर्णित किया गया था कि 'ऐसा विकास जो भविष्य की पीढ़ियों की अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरा करता है।' ('सतत विकास के.....')

इसी क्रम में वर्ष 2000 से 2015 के लिए 8 सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य घोषित किए गए लेकिन यह लक्ष्य पूर्णत: प्राप्त नहीं होने के कारण जनवरी 2015 में, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2015 के बाद के विकास एजेंडे पर बातचीत की प्रक्रिया शुरू की। सितंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास शिखर सम्मेलन में 17 सतत विकास लक्ष्य (SDG) के साथ 'एजेंडा 2030' को अपनाने के बाद इस प्रक्रिया का समापन हुआ। जिसके तहत निम्नलिखित 17 सतत विकास लक्ष्य, 169 टार्गेट, 3163 इवेंट्स, 6036 एक्शन निर्धारित किये गए (संयुक्त राष्ट्र संघ)।

लक्ष्य 1: कोई गरीबी नहीं
लक्ष्य 2: शून्य भूख
लक्ष्य 3: अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण
लक्ष्य 4: गुणवत्तापूर्ण शिक्षा
लक्ष्य 5: लैंगिक समानता
लक्ष्य 6: स्वच्छ जल और स्वच्छता
लक्ष्य 7: वहनीय और स्वच्छ ऊर्जा
लक्ष्य 8: अच्छा काम और आर्थिक विकास
लक्ष्य 9: उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा
लक्ष्य 10: असमानता में कमी
लक्ष्य 11: सतत शहर और समुदाय
लक्ष्य 12: जिम्मेदार खपत और उत्पादन
लक्ष्य 13: जलवायु कार्रवाई
लक्ष्य 14: जल के नीचे जीवन
लक्ष्य 15: भूमि पर जीवन
लक्ष्य 16: शांति और न्याय मजबूत संस्थाएं
लक्ष्य 17: लक्ष्य हासिल करने के लिए साझेदारी ('एनविज़न 2030 : 17 गोल्स')।

प्रस्तुत शोध पत्र सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों के प्रथम लक्ष्य 'भूख' व सतत विकास लक्ष्यों के द्वितीय लक्ष्य भूख समाप्त करना, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण प्राप्त करना और स्थायी कृषि को बढ़ावा देना, पर ही ध्यान केंद्रित किया गया है। जिसके तहत खाद्य सुरक्षा का अर्थ, सतत विकास, वैश्विक भुखमरी के कारण, इस क्षेत्र में कार्य करने वाली संस्थाओं व सुझावों का उल्लेख किया गया है।

खाद्य सुरक्षा का अर्थ : एक अवधारणा के रूप में खाद्य सुरक्षा की उत्पत्ति केवल 1970 के दशक के मध्य में हुई, जब वैश्विक खाद्य संकट के समय अंतर्राष्ट्रीय खाद्य समस्याओं की चर्चा हुई। इसका ध्यान मुख्य रूप से खाद्य आपूर्ति की समस्याओं जैसे ; खाद्य उपलब्धता सुनिश्चित करना, कुछ हद तक अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर बुनियादी खाद्य पदार्थों की कीमतों में स्थिरता लाने पर केंद्रित था। इसी क्रम में वर्ष 1974 में विश्व खाद्य सम्मेलन

हुआ। जिसमें नीतिगत मुद्दों पर बातचीत के लिए व संसाधनों को बढ़ावा देने के लिए सूचना तथा इस हेतु एक संस्था के गठन पर बल दिया गया (ओडीआई,1997)। इस सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया था ;

'भोजन की खपत के निरंतर विस्तार को बनाए रखने, उत्पादन और कीमतों में उतार-चढ़ाव को दूर करने के लिए बुनियादी खाद्य पदार्थों की पर्याप्त विश्व खाद्य आपूर्ति की हर समय उपलब्धता' (वर्ल्ड फूड कॉन्फ्रेंस,1974)। जबकि वर्ष 1996 के विश्व खाद्य शिखर सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा को उस स्थिति के रूप में परिभाषित किया 'जब सभी लोगों की स्वस्थ और सक्रिय जीवन बनाए रखने के लिए पर्याप्त, सुरक्षित, पौष्टिक भोजन तक पहुंच हो' (डिसेबल्ड वर्ल्ड, 2022)। जबकि वैश्विक भूखमरी सूचकांक के अंतर्गत ; अल्पपोषण, बाल विकास, बाल मृत्यु, बाल अपंगता के स्तर को भूखमरी का पैमाना माना जाता है।

इस प्रकार कहा जा सकता है कि खाद्य सुरक्षा ऐसी स्थिति की ओर संकेत करती हैं जहाँ एक व्यक्ति शारिरिक विकास हेतु सही समय पर्याप्त पोषण प्राप्त करे। इसके अभाव की स्थिति 'भूखमरी' कही जा सकती है।

वर्तमान विश्व में भूखमरी की स्थिति : संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार, वर्ष 2014 से 2019 तक लगभग अपरिवर्तित रहने के बाद, कुपोषण का प्रसार (PoU) एक साल पहले के 8.4 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2020 में लगभग 9.9 प्रतिशत हो गया। ऐसा अनुमान है कि वर्ष 2020 में दुनियाभर में 720 से 811 मिलियन लोगों को भूख का सामना करना पड़ा था। वैश्विक खाद्य सुरक्षा पर COVID-19 महामारी के स्थायी प्रभावों के कारण, वर्ष 2030 में लगभग 660 मिलियन लोग भूख का सामना कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार, वर्ष 2020 में कुपोषितों की कुल संख्या 768 मिलियन थी, जिनका महाद्वीपीय विभाजन निम्नांकित है:

1. 282 मिलियन अफ्रीका में ;
2. 418 मिलियन एशिया में ;
3. 60 मिलियन कुपोषित लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई देशों में रहते हैं।

दुनिया में लगभग प्रति तीन लोगों में से एक (2.37 बिलियन) के पास वर्ष 2020 में पर्याप्त भोजन नहीं था - यह केवल एक वर्ष में लगभग 320 मिलियन लोगों की वृद्धि है। मध्यम या गंभीर खाद्य असुरक्षा के प्रसार में लिंग अंतर COVID-19 महामारी के वर्ष में और भी बढ़ गया है। वैश्विक स्तर पर वर्ष 2020 में पांच साल से कम उम्र के 149.2 मिलियन (22 प्रतिशत) बच्चे कुपोषण से ग्रसित थे ('पीस,डिग्निटी एंड इक्वालिटी ....')। डब्ल्यूएफपी के अनुसार, 38 देशों में 44 मिलियन लोग अकाल के कगार पर हैं (रिचर, 2022)।

विडंबना यह है कि छोटे किसान, चरवाहे और मछुआरे वैश्विक खाद्य आपूर्ति का लगभग 70 प्रतिशत उत्पादन करते हैं, फिर भी वे विशेष रूप से खाद्य असुरक्षा की चपेट में हैं। ग्रामीण आबादी में गरीबी और भूख सबसे अधिक है। दुनियाभर में पांच साल से कम उम्र के अनुमानित 14 मिलियन बच्चे गंभीर तीव्र कुपोषण से पीड़ित हैं, जिसे गंभीर रूप से अपंगता के रूप में भी जाना जाता है, फिर भी केवल 25 प्रतिशत कुपोषित बच्चों के पास ही जीवन रक्षक उपचार की सुविधा है (वर्ल्ड अगेंस्ट हंगर)। उपर्युक्त आंकड़े मानवता के समक्ष उपस्थित एक नए संकट की ओर संकेत कर रहे हैं। यही कारण है कि संयुक्त राष्ट्र संघ भी बढ़ती भुखमरी व कुपोषण की निरंतरता के कारण शुन्य भूख के लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रति संशय व्यक्त कर चुका है (विश्व स्वास्थ्य संगठन, 2020)।

भूख के खिलाफ संघर्ष के बारे में जागरूकता और समझ बढ़ाने, देशों और क्षेत्रों के बीच भूख के स्तर की तुलना करने का एक तरीका प्रदान करने और दुनिया के ऐसे क्षेत्रों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए यूरोपीय गैर-सरकारी संगठनों ; कंसर्न वर्ल्डवाइड और वेल्थुंगरहिल्फ़ द्वारा संयुक्त रूप से 'वैश्विक भूखमरी सूचकांक' वार्षिक रूप से प्रकाशित किया जाता है। वर्ष 2006 में इसका प्रथम तथा अक्टूबर 2022 में 17वां प्रतिवेदन प्रकाशित हुआ। जीएचआई के 17वें प्रतिवेदन के अनुसार, विश्वभर के 121 देशों में से चाड में सर्वाधिक भूखमरी है जबकि बेलारूस, बोस्निया, हर्जेगोविना, चिली, चीन व क्रोएशिया में भुखमरी की स्थिति न्यूनतम है। शेष देशों में भुखमरी की स्थिति इस प्रकार है (ग्लोबल हंगर इंडेक्स, 2022)।

देखें मानचित्र - 1: विश्व में भूखमरी की स्थिति

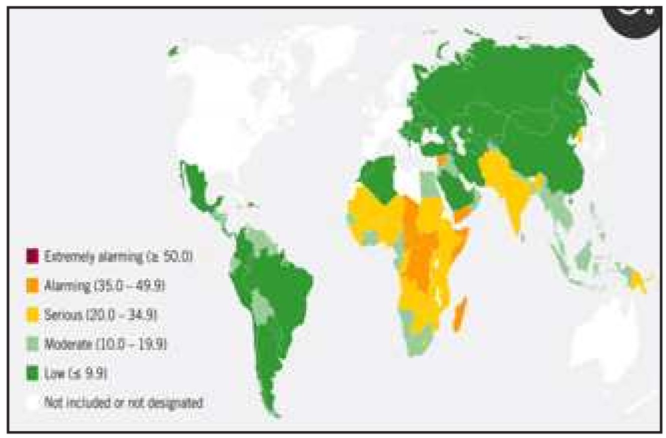

स्रोत: ग्लोबल हंगर इंडेक्स, 2022

आगामी दशकों में, बदलती जलवायु, वैश्विक जनसंख्या व खाद्य कीमतों में उछाल तथा अन्तर्राष्ट्रीय तनावों का खाद्य सुरक्षा पर महत्वपूर्ण एवं अनिश्चित प्रभाव पड़ेगा। इससे निपटने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय थिंकटैंक, संस्थाएं व संगठन जल आवंटन, भूमि उपयोग पैटर्न, खाद्यान्न व्यापार, खाद्य प्रसंस्करण, खाद्य कीमतों और सुरक्षा को संभालने के विकल्पों सहित वैश्विक परिवर्तन के लिए अनुकूल रणनीतियों और नीति प्रतिक्रियाओं की तत्काल आवश्यकता व्यक्त करते हैं।

भूखमरी के कारण

1. युद्ध और संघर्ष: रूसी संघ और यूक्रेन खाद्य और कृषि उत्पादों के वैश्विक व्यापार में प्रमुख खिलाड़ी हैं। वर्ष 2021 में, रूसी संघ और यूक्रेन द्वारा गेहूं के निर्यात में वैश्विक बाजार का लगभग 30 प्रतिशत हिस्सा था। रूस की वैश्विक मक्का निर्यात बाजार हिस्सेदारी 2016-17 और 2020-21 के बीच 3 प्रतिशत पर तुलनात्मक रूप से सीमित है। इसी अवधि में यूक्रेन की मक्का निर्यात हिस्सेदारी औसतन 15 प्रतिशत है तथा इसे दुनिया के चौथे सबसे बड़े मक्का निर्यातक देश का स्थान प्राप्त है। दोनों देशों से संयुक्त रूप से सूरजमुखी तेल निर्यात वैश्विक आपूर्ति का 55 प्रतिशत हिस्सा रखते हैं। रूसी संघ भी उर्वरकों का एक प्रमुख निर्यातक है। वर्ष 2020 में, इसे विश्व के शीर्ष निर्यातक के रूप में स्थान दिया गया। यह नाइट्रोजन उर्वरक व पोटेशियम का दूसरा तथा आपूर्तिकर्ता और फॉस्फोरस उर्वरक का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। लगभग 50 देश अपनी गेहूं आयात जरूरतों

के कम से कम 30 प्रतिशत के लिए रूसी संघ और यूक्रेन पर निर्भर हैं। इनमें से 26 देश अपने गेहूं के आयात का 50 प्रतिशत से अधिक इन दोनों देशों से प्राप्त करते हैं। उस संदर्भ में, विशेष रूप से कम आय वाले खाद्य आयात पर निर्भर देशों और कमजोर जनसंख्या समूहों के लिए इस युद्ध के वैश्विक बाजारों और खाद्य सुरक्षा के लिए कई निहितार्थ होंगे, जो कई देशों के लिए खाद्य सुरक्षा हेतु चुनौती खड़ी करते हैं (इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट)।

2. गरीबी: गरीबी और भूख के मध्य कारण – प्रभाव सम्बन्ध पाया जाता है। गरीबी के दुष्चक्र में फंसे परिवार आमतौर पर पौष्टिक भोजन का खर्च नहीं वहन कर पाते हैं, जिससे अल्पपोषण होता है। बदले में, अल्पपोषण के कारण लोगों के लिए अधिक पैसा कमाना मुश्किल हो जाता है। अत: वे स्वस्थ भोजन नहीं कर पाते हैं। इस दुष्चक्र में प्रत्येक दूसरे को ईंधन देता है। सामाजिक और आर्थिक विकास के बावजूद, दुनियाभर में कुपोषण का बोझ अस्वीकार्य रूप से अधिक है। पोषण की स्थिति, मानव पूंजी और आर्थिक स्थिति के बीच एक महत्वपूर्ण व सकारात्मक संबंध मौजूद है। (सिद्दीकी व अन्य,2020)

3. जलवायु परिवर्तन: जलवायु परिवर्तन खाद्य सुरक्षा के सभी चार आयामों को प्रभावित कर सकता है: खाद्य उत्पादन, खाद्य उपलब्धाता, खाद्य पहुंच, खाद्य उपयोग और भोजन सिस्टम स्थिरता। खाद्य उत्पादन और खाद्य उपलब्धता पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव रहा है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में वृद्धि उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। बारिश के पैटर्न में देरी से बुवाई में देरी हो सकती है परिणामस्वरूप उत्पादकता में कमी आने की सम्भावना रहती है (एनपीपीसीसीएचएच ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम, 2021)। बेमौसम नमी और बारिश से फसल के पूर्व और बाद के नुकसान में वृद्धि होगी। बहुत कम – या बहुत अधिक – वर्षा फसल को नष्ट कर सकती है या उपलब्ध पशु चारागाह की मात्रा को कम कर सकती है। इन उतार–चढ़ावों को अल नीनो मौसम प्रणाली द्वारा बदतर बना दिया गया है और जलवायु परिवर्तन के कारण इसके बढ़ने की संभावना है। चरम जलवायु पैटर्न भी दुनिया के सबसे गरीब क्षेत्रों को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। विश्व बैंक का अनुमान है कि जलवायु परिवर्तन से खासकर दुनिया के सबसे अधिक खाद्य–असुरक्षित क्षेत्रों में फसल की पैदावार में कटौती हो सकती है (विश्व बैंक, 2022)।

4. कुपोषण: भूख केवल भोजन तक पहुंच की कमी नहीं हैरू यह सही पोषक तत्वों तक पहुंच की कमी है। कुपोषण, अपने सभी रूपों में ; अल्पपोषण (वेस्टिंग, स्टंटिंग, कम वजन), अपर्याप्त विटामिन या खनिज, अधिक वजन, मोटापा और इसके परिणामस्वरूप आहार संबंधी गैर – संचारी रोग शामिल हैं। (विश्व स्वास्थ्य संगठन,2021)।

गरीबी में रहने वाले परिवार अक्सर केवल एक या दो मुख्य खाद्य पदार्थों (जैसे मक्का या गेहूं) पर निर्भर होते हैं, जिसका अर्थ है कि उन्हें पर्याप्त महत्वपूर्ण माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और विटामिन नहीं मिल रहे हैं। विशेष रूप से गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं और छोटे बच्चों के लिए पोषण की कमी घातक बनी हुई है।

5. खाद्य अपशिष्ट: लगभग 1 ट्रिलियन डॉलर मूल्य का भोजन हर साल खो जाता है या बर्बाद हो जाता है। यह खाद्य हानि के रूप में होता है – भोजन जो क्षतिग्रस्त हो जाता है क्योंकि यह आपूर्ति श्रृंखला के माध्यम से आगे बढ़ता है – और खाद्य अपशिष्ट – खाद्य भोजन जो खुदरा विक्रेताओं या उपभोक्ताओं द्वारा फेंक दिया जाता है।

संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) के अनुसार, इस प्रवृत्ति को उलटने से 2 अरब लोगों को खिलाने के लिए पर्याप्त भोजन संरक्षित होगा। यह दुनियाभर में कुपोषित लोगों की संख्या के दोगुने से भी अधिक है (विश्व खाद्य कार्यक्रम,2022)।

संबंधित संगठन व अभियान : शून्य भूखमरी के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता देने हेतु विश्वभर की सरकारों व संयुक्त राष्ट्र संघ और उससे सम्बंधित अन्य एजेंसियों के अतिरिक्त अन्य गैर – सरकारी संगठन भी इस क्षेत्र में कार्यरत हैं। इनमें से प्रमुख संगठन निम्नलिखित हैं :

1. जीरो हंगर चौलेंज – संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा वर्ष 2012 में सतत विकास पर रियो+20 विश्व सम्मेलन के दौरान जीरो हंगर चौलेंज की शुरुआत की थी। यह चौलेंज वैश्विक आंदोलन के रूप में एक पीढ़ी को भूख – मुक्त दुनिया की दिशा में प्रेरित करने हेतु शुरू किया गया था। इसके द्वारा यह लक्ष्य तय किये गए थे:

1. दो वर्ष से कम आयु के शून्य–अविकसित बच्चे;
2. पूरे वर्ष पर्याप्त भोजन तक 100: पहुंच ;
3 सभी खाद्य प्रणालियां, छोटे धारक उत्पादकता और आय में स्थायी 100: वृद्धि;
4. शून्य – भोजन की बर्बादी है।

2. एक्शन अगेंस्ट हंगर – वर्ष 1979 में पेरिस (फ्रांस) में स्थापित यह एक अंतरराष्ट्रीय गैर–सरकारी संगठन है, जो 45 से अधिक देशों में पूरी तरह से भूख और कुपोषण को कम करने और खत्म करने के लक्ष्य पर केंद्रित है। यह संगठन गंभीर/तीव्र कुपोषण से पीड़ित बच्चों का अधिक इलाज करता हैं। साथ ही भूखमरी की रोकथाम, इसके मूल कारणों को लक्षित कर समुदायों को दीर्घकालिक रूप से लचीला बनाने की दिशा में भी यह संगठन कार्यरत है।

3. इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट– वर्ष 1975 में अमेरिका में स्थापित इस संस्था के कार्यों में नकद हस्तांतरण का विश्लेषण, स्थायी कृषि प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना, आकस्मिकताओं के लिए लोगों को लचीला बनाना और खाद्य सुरक्षा में व्यापार का प्रबंधान करना शामिल है।

निष्कर्ष : उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि विश्वभर में भुखमरी आगामी समय में एक बड़ी वैश्विक समस्या का रूप ले सकती हैं। अत: इसे नियंत्रित करने वाले कारकों पर कार्य करने की आवश्यकता है। इस हेतु विश्वभर में आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत बनाना, संघर्षों को टालना, खाद्यान्न व उर्वरकों की प्रतिबन्धा मुक्त आपूर्ति को बनाये रखना तथा खाद्य उत्पादन व कृषि सब्सिडी के संबंधा में डब्ल्यूटीओ द्वारा लगाए जाने वाले प्रतिबंधों व नियमों से छूट प्रदान करनी चाहिए। परिणामस्वरूप सतत विकास के दूसरे लक्ष्य 'शून्य भूखमरी' को समय पर प्राप्त किया जा सकेगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. इम्पेक्ट ऑफ द यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट, (अप्रेल 08,2022)'विश्व खाद्य कार्यक्रम' https://reliefweb.int/report/world/impact-ukraine-russia-conflict-global-food-security-and-related-matters-under-mandate
2. एनविज़न 2030 : 17 गोल्स टू ट्रांफॉर्म द वर्ल्ड फ़ॉर द पर्सन्स विथ डिसएबिलिटीज़ https://www.un.org/development/desa/disabilities/envision2030.html

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XL

3. एज़ मोर गो नो हंग्री एंड मॉन्यूट्रिशन्स....(जुलाई 13, 2020)'विश्व स्वास्थ्य संगठन' https://www.who.int/news/item/13-07-2020-as-more-go-hungry-and-malnutrition-persists-achieving-zero-hunger-by-2030-in-doubt-un-report-warns
4. एट फैक्ट्स टू नो अबाउट फूड वेस्ट एंड हंगर.फरवरी 10, 2022.विश्व स्वास्थ्य संगठन : यू.एस.ए https://www.wfpusa.org/articles/8-facts-to-know-about-food-waste-and-hunger/#:~:text=According%20to%20the%20USDA's%20Economic,food%20is%20damaged%20or%20spoiled
5. ओडीआइ.(फरवरी 01, 1997).ग्लोबल हंगर एंड फूड सिक्योरिटी आफ्टर द वर्ल्ड फूड समिट https://odi.org/en/publications/global-hunger-and-food-security-after-the-world-food-summit/
6. ग्लोबल हंगर इंडेक्स.रैंकिंग https://www.globalhungerindex.org/ranking.html
7. फूड सिक्योरिटी.इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट.https://www.ifpri.org/topic/food-security#:~: text=Food%20security%2C%20as%20defined%20by,an%20active%20and%20healthy%20life
8. पीस,डिग्निटी एंड इक्वालिटी ऑन अ हेल्दी प्लेनेट.संयुक्त राष्ट्र संघ https://www.un.org/en/global-issues/food# :~:text=Hunger%20and%20nutrition%20in%20 numbers,world%2 0faced%20hunger%20in%202020.
9. फूड सिक्योरिटी : डेफिनेशन एंड जनरल इन्फॉर्मेशन.(अप्रेल 14, 2022). डिसेबल्ड वर्ल्ड https://www.disabled-world.com/fitness/nutrition/foodsecurity/
10. मॉन्यूट्रिशन्स.(जून 09, 2021)'विश्व स्वास्थ्य संगठन' https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/malnutrition
11. रिचर,फेलिक्स.(अप्रेल 11, 2022).वाय द वॉर इन यूक्रेन थ्रेटेन्स ग्लोबल फूड सिक्योरिटी'स्टेटिस्टा' https://www.statista.com/chart/27225/russian-and-ukrainian-share-of-global-crop-exports/
12. रिपोर्ट ऑन वर्ल्ड फूड कॉन्फ्रेंस.(1974).संयुक्त राष्ट्र संघ : न्यूयॉर्क https://www.un.org/en/development/devagenda/food.shtml
13. वर्ल्ड हंगर : की, फैक्ट्स एंड स्टेटिस्टिक्स.वर्ल्ड अगेंस्ट हंगर https://www.actionagainsthunger.org/world-hunger-facts-statistics#:~: text=Key%20facts%20about%20global%20hunger%20today&text=%5B4%5 D%20After%20steadily %20declining%20for,and%20the%20COVID%2D19% 20pandemic.
14. विश्व बैंक.(अप्रेल 8, 2022).क्लाइमेट चेंज ओवरव्यू https://www.worldbank.org/en/topic/climatechange/overview#1
15. सतत विकास के लिये शिक्षा'यूनेस्को' https://en-unesco-org.translate.goog/themes/education-sustainable-development/what-isesd/sd?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl= hi&_x_tr_hl=hi&_x_tr_pto=tc,sc
16. सतत विकास लक्ष्य'संयुक्त राष्ट्र संघ' https://sdgs.un.org/goals
17. सिद्दीकी,फारेहा व अन्य.(अगस्त 28, 2020).द इंटरवाइन्ड रिलेशन बिटवीन मॉन्यूट्रिशन्स एंड पॉवर्टी फ्रंटियर्स https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2020.00453/full

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XL

कृषकों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास में किसान क्रेडिट कार्ड की भूमिका का अध्ययन

माधुरी यादव* डॉ. एल.एन. शर्मा**

*** शोधार्थी, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत**
**** प्राचार्य, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मंदसौर (म.प्र.) भारत**

शोध सारांश – इंदौर जिले के लघु एवं सीमांत कृषकों के आर्थिक सशक्तिकरण में किसान क्रेडिट कार्ड की भूमिका का अध्ययन विषय का अध्ययन का बहुत अधिक महत्व एवं शोध आवश्यकता है। वर्ष 1991 में एल.पी.जी (उदारीकरण, निजीकरण तथा भूमंडलीकरण) की प्रक्रिया शुरू की गई है। वैश्वीकरण की आँधी आ रही है। महंगाई कमरतोड़ रही है। विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) की नीति नवीन है। किसानों से जमीन छीन रही है। जैनेटिक, ट्रांसजैनिक मॉडिफाइड फसलें, बी.टी. कॉटन, मौसम बेरुखी, पर्यावरण प्रदूषण, बेमौसम बारिश,सूखा, तूफान आदि के कारण लघु कृषक लगाकर आत्महत्या कर रहे हैं। लघु एवं सीमांत कृषकों की स्थिति बड़ी ही चिंतनीय है। इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए वर्तमान समसामयिक प्रासंगिकता से जुड़े इस लघु एवं सीमांत कृषकों के आर्थिक सशक्तिकरण में किसान क्रेडिट कार्ड की भूमिका, विषय को और अधिक शोध अध्ययन किए जाने की आवश्यकता है।

प्रस्तावना – प्रस्तुत विषय लघु एवं सीमांत कृषकों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास में किसान क्रेडिट कार्ड की भूमिका का अध्ययन की वर्तमान समय में बहुत अधिक अध्ययन महत्व तथा प्रासंगिकता है। किसान क्रेडिट कार्ड एक ओर तो यह वर्तमान समसामयिक से जुड़ा हुआ एक अधिक महत्वपूर्ण विषय है, वहीं दूसरी ओर उदारीकरण, भूमंडलीकरण, निजीकरण बढ़ रहा है। लघु एवं सीमांत कृषक आर्थिक कुचक्र, संक्रमण, कर्ज में डूबकर आत्महत्या कर रहे हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था ग्रामीण होने के कारण देश के सर्वांगीण विकास में लघु एवं सीमांत कृषकों के विकास का केंद्रीय महत्व है। ग्रामीण विकास के लिए अत्यधिक पूँजी की आवश्यकता होती है। इसके लिए सरकार ने विभिन्न प्रकार की शासकीय योजनाएँ–कार्यक्रम वित्तीय सहायता हेतु प्रारंभ की गई है ताकि ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत् लघु एवं सीमांत कृषकों को विभिन्न शासकीय योजनाओं के अंतर्गत ऋण उपलब्ध कराया है। इससे किसान अपने वाणिज्यक कृषि संबंधित विभिन्न गतिविधियों को संपादित करके राष्ट्र के सर्वांगीण विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देकर हमारे भारत राष्ट्र को प्रगति पथ पर अग्रसर करने में समर्थ हो सकते हैं।

किसान क्रेडिट कार्ड योजना केंद्र सरकार की ओर की एक विशेष महत्वपूर्ण योजना है, जिसका संबंध देश की बैंकिंग प्रणाली एवं किसानों के परस्पर संबंधों से है। इसका मूल उद्देश्य कृषि कार्यों के लिए किसानों को सस्ते ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराना है। कोई भी पहचान– पत्र बैंक उपलब्ध कराकर अपनी फसल हेतु आवश्यकता बैंक से ले सकता है। उनकी जोत के आधार पर ऋण की राशि निर्धारित की जाती है।वे उधार (क्रेडिट) ली गई राशि का प्रयोग का प्रयोग कर एक बार में आवश्यकतानुसार थोड़ी–थोड़ी मात्रा में कर सकते हैं। इसके विशेष लाभ यह है कि जितनी पूँजी कृषक खर्च करता है। क्रेडिट कार्ड का लाभ उन किसानों को भी मिल सकता है, जो अपनी निजी पूँजी पर खेती नहीं करते, लेकिन इसके लिए उन्हें इस आशय का प्रमाणित प्रमाण–पत्र देना होगा कि वे दूसरे की भूमि पर खेती करते हैं।

अध्ययनरत विभिन्न 400 लघु एवं सीमान्त कृषक परिवारों का अवलोकन करके उनके आर्थिक विकास की समस्याएँ एवं बाधाओं का बिंदुवार विश्लेषण कर यह निष्कर्ष दिया है कि सीमांत कृषकों का आर्थिक विकास तब तक संभव नहीं है, जब तक कि उनकी समस्याओं एवं बाधाओं को शासकीय कार्यक्रमों एवं प्रावधानों द्वारा निराकरण नहीं किया जाता है। अत: मानव संसाधनों के अभावग्रस्त स्थिति में इंदौर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में लघु एवं सीमान्त कृषकों का सामाजिक सांस्कृतिक एवं आर्थिक विकास संभव नहीं है।कृषि विकास की भी जटिल समस्याएँ हैं, जिसका निदान एवं उपचार किए बिना उनका सामाजिक विकास एवं आर्थिक विकास करना संभव नहीं है। इंदौर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में जब तक कृषि का सामूहिक विकास नहीं होगा तब तक लघु एवं सीमान्त कृषकों की सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों में सुधार करना सरकार के लिए कठिन प्रक्रिया है।

साहित्य का पुर्नावलोकन

मोहम्मद हबीवुर रेहमान एवं सोमप्रवीन मनप्रास्त (2006) के द्वारा शोध अध्ययन में प्राथमिक सर्वेक्षण के माध्यम से बांग्लादेश के लघु एवं सीमान्त कृषकों व उनके आर्थिक विकास पर एक महत्वपूर्ण मूल्यांकन किया गया है। अध्ययन में अर्थव्यवस्था के भूमि स्वामित्व संरचना में संशोधित करने के लिए सुझाव दिए गए हैं। भूमिहीनता मूल रूप से कृषकों की गरीबी, ऋणग्रस्तता और शक्तिहीनता की अभिव्यक्ति को दर्शाती है।

कुमार, प्रवीण (2007) इन्होंने अपने शोध प्रबंध में बताया है कि कृषि साख के माध्यम से कृषि के आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन अध्ययन में यह सुझाव दिया है कि सरकार कृषि क्षेत्र में विशेष पैकेज के द्वारा कृषि का विकास करें, इस क्षेत्र में साख संस्थाओं का जाल बिछा दे, जिससे हर कृषक के प्रत्येक खेत की उत्पादकता अधिकतम हो। इससे न केवल कृषकों को रोजगार प्राप्त होगा, अपितु कृषि क्षेत्र में अनेक रोजगार के अवसर बढ़ेगें, जिससे लोगों की आय में वृद्धि होगी और कृषि क्षेत्र में भी

आर्थिक विषमता धीरे-धीरे समाप्त हो जाएगी।

कोसरे, रामेश्वर लाल (2008) इन्होंने अपने शोध अध्ययन में बताया है कि भूमिहीन कृषकों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति खराब है और लघु एवं सीमान्त कृषकों की दशा सुधारने के लिए किऐ गऐ शासकीय प्रयास अपर्याप्त हैं अर्थात भूमिहीन कृषकों की संख्या के अनुपात में चलाई जा रही योजनाएं अपर्याप्त हैं, नियमित नहीं है तथा पर्याप्त वित्त की कमी के कारण अपेक्षित लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सका है।

वर्षा नकसवाल (2010) ने अपने शोध विषय 'किसान क्रेडिट कार्ड योजना का क्रियान्वयन' में बताया कि किसानों को उनके द्वारा उत्पादित उपज का सही पूर्ण रूप से मूल प्राप्त होना चाहिए। अनाज मंडी के दलालों और व्यापारियों द्वारा किसानों का शोषण नहीं किया जाना चाहिए। लघु किसानों का शोषण करने वाले व्यापारियों एवं दलालों पर प्रशासन सरली का व्यवहार करें। नियोजित विकास पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

अमित कुमार विश्वास (2017) ने अपने शोध लेख में बताया कि आर्थिक उदारीकरण के बाद (नब्बे के दशक के बाद से ही) कृषकों की आत्महत्या की दरें बढ़ती जा रही हैं। कृषक द्वारा की गई आत्महत्या स्विटजरलैंड की मरसी कीलिंग नहीं बल्कि उस पर लायी गई व्यवस्था की बोझ है, जिसका कारण उनका भूमिहीन हो जाना है।

बलदेव सिंह शेरगिल, मनमीत कौर एवं सत्यजीत सिंह टिवाना (2018) ने अपने शोध में हरियाणा के लघु एवं सीमान्त कृषकों के आजीविका का अध्ययन किया गया। लघु एवं सीमान्त कृषकों की साक्षारता दर, शिक्षा, आय-व्यय के पैटर्न, गैर कृषि व्यावसायिक विकल्प, आवास की स्थिति, सामाजिक और वित्तीय पूंजी की भूमिका इत्यादि के माध्यम से उनके जीवन के संदर्भो का विश्लेषण किया गया है।

शोध अध्ययन के उद्देश्य:

1. इंदौर जिले के लघु एवं सीमांत कृषकों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास में किसान क्रेडिट कार्ड योजना की भूमिका का अध्ययन करना।

शोध प्रविधि:

1. **अध्ययन क्षेत्र** -संपूर्ण इंदौर जिला
2. **अध्ययन का समग्र** -संपूर्ण इंदौर जिले में निवासरत लघु एवं सीमांत कृषक।

अ. लघु कृषक: वे कृषक जिसके पास 4 बीघा से अधिक और 8 बीघा से कम खेती होती है।

ब. सीमांत कृषक : वे कृषक जिनके पास 4 बीघा तक कृषि भूमि होती है।

3. अध्ययन में इकाई - इंदौर जिले के इन चार विकासखंडों (सांवेर, महू, राऊ एवं देपालपुर) में से प्रत्येक विकासखंडों में निवास करने वाला एवं लघु एवं सीमांत कृषक जिसने किसान क्रेडिट कार्ड ले रखा है को अध्ययन की इकाई के रूप में लिया गया है।

शोध विधि:- प्रस्तुत शोध कार्य हेतु मुख्य रूप में निदर्शन पद्धति का प्रयोग किया गया है। दैव निर्देशन विधि की लॉटरी पद्धति से इन चार विकासखंडों में से प्रत्येक विकासखंड से 100 अर्थात् (4 विकासखंडों से 400) लघु एवं सीमांत कृषकों का अध्ययन इकाई के रूप में चयन करके शोध अध्ययन कार्य पूर्ण किया गया है।

सभी प्रकार के प्रमाणिक द्वितीयक संमकों को इस शोध कार्य का महत्वपूर्ण आधार बनाया गया है तथा समस्या के संबंध में साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से प्राथमिक समंको का संकलन करके अधिकाधिक सही एवं व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है।

प्राथमिक संमक-एकत्रित करने हेतु मुख्य रूप से प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान रीति का प्रयोग किया गया है। इसके अन्तर्गत शोधार्थी द्वारा स्वंय शोध क्षेत्र में उपस्थित होकर न्यादर्श इकाइयों से संपर्क किया गया, जिससे संमक सबसे अधिक प्रमाणिक, शुद्ध तथा विश्वसनीय प्राप्त हो। साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से प्राथमिक संमक एकत्रित किए गए हैं।

शोध परिकल्पना का मूल्यांकन

$H_0$1: लघु एवं सीमांत कृषकों में किसान क्रेडिट कार्ड की उपयोगिता लगातार बढ़ती नहीं जा रही है।

H_a1: लघु एवं सीमांत कृषकों में किसान क्रेडिट कार्ड की उपयोगिता लगातार बढ़ती जा रही है।

तालिका क्रमांक 1:One-Sample Statisticsकिसान क्रेडिट कार्ड की उपयोगिता

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
किसान क्रेडिट कार्ड की उपयोगिता	400	3.8300	1.19778	.05989

तालिका क्रमांक 2:One-Sample Testकिसान क्रेडिट कार्ड की उपयोगिता

	Test Value = 0					
	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Differe-nce	95% Confidence Interval of the Difference	
					Lower	Upper
किसान क्रेडिट कार्डकी उपयोगिता	63.951	399	.000	3.83000	3.7123	3.9477

तालिका में परिकल्पना **लघु एवं सीमांत कृषकों में किसान क्रेडिट कार्ड की उपयोगिता लगातार बढ़ती जा रही है** की सत्यता को सिद्ध किया गया है। किसान क्रेडिट कार्ड की उपयोगिता में वृद्धि के सन्दर्भ में टी-टेस्ट का मान 63.951 जो कि सार्थकता मान .000 जो कि पी-वैल्यू 0.05 से कम है। अत: कहा जा सकता है कि लघु एवं सीमांत कृषकों में किसान क्रेडिट कार्ड की उपयोगिता लगातार बढ़ती जा रही है।अत: परिकल्पना सत्य सिद्ध होती है।

$H_0$2:लघु एवं सीमांत कृषकों द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड योजना अंतर्गत लिया ऋण की नियमित अदायगी में वृद्धि नहीं हो रही है।

H_a2:लघु एवं सीमांत कृषकों द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड योजना अंतर्गत लिया ऋण की नियमित अदायगी में वृद्धि हो रही है।

तालिका क्रमांक 3:One-Sample Statisticsकिसान क्रेडिट कार्ड योजना अंतर्गत लिया ऋण की नियमित अदायगी

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
ऋण की नियमित अदायगी	400	1.7400	.43918	.02196

तालिका क्रमांक 4:One-Sample Testकिसान क्रेडिट कार्ड योजना

अंतर्गत लिया ऋण की नियमित अदायगी

Test Value = 0						
	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Differe-nce	95% Confidence Interval of the Difference	
					Lower	Upper
ऋण की नियमित अदायगी	79.238	399	.000	1.74000	1.6968	1.7832

तालिका में परिकल्पना **लघु एवं सीमांत कृषकों द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड योजना अंतर्गत लिया ऋण की नियमित अदायगी में वृद्धि हो रही है** की सत्यता को सिद्ध किया गया है। लघु एवं सीमांत कृषकों द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड योजना अंतर्गत लिया ऋण की नियमित अदायगी में वृद्धि के सन्दर्भ में टी–टेस्ट का मान 79.238 जो कि सार्थकता मान .000 जो कि पी–वैल्यू 0.05 से कम है। अत: कहा जा सकता है कि लघु एवं सीमांत कृषकों द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड योजना अंतर्गत लिया ऋण की नियमित अदायगी में वृद्धि हो रहीहै।अत: परिकल्पना सत्य सिद्ध होती है।

$H_0$3:किसान क्रेडिट कार्ड तथा बैंकों की उपलब्धता के कारण लघु एवं सीमांत कृषकों द्वारा निजी व्यक्तियों (साहूकारों) से ऋण लेने की प्रवृत्ति में लगातार कमी नहीं हो रही है।

H_a3:किसान क्रेडिट कार्ड तथा बैंकों की उपलब्धता के कारण लघु एवं सीमांत कृषकों द्वारा निजी व्यक्तियों (साहूकारों) से ऋण लेने की प्रवृत्ति में लगातार कमी हो रही है।

तालिका क्रमांक5One-Sample Statisticsनिजी व्यक्तियों (साहूकारों) से ऋण लेने की प्रवृत्ति में कमी

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
(साहूकारों) से ऋण लेने की प्रवृत्ति में लगातार कमी	400	1.6450	.47911	.02396

तालिका क्रमांक6:One-Sample Testनिजी व्यक्तियों (साहूकारों) से ऋण लेने की प्रवृत्ति में लगातार कमी

Test Value = 0						
	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Differe-nce	95% Confidence Interval of the Difference	
					Lower	Upper
ऋण लेने की प्रवृत्ति में कमी	68.669	399	.000	1.64500	1.5979	1.6921

तालिका में परिकल्पना **किसान क्रेडिट कार्ड तथा बैंकों की उपलब्धता के कारण लघु एवं सीमांत कृषकों द्वारा निजी व्यक्तियों (साहूकारों) से ऋण लेने की प्रवृत्ति में लगातार कमी हो रही है** की सत्यता को सिद्ध किया गया है। किसान क्रेडिट कार्ड तथा बैंकों की उपलब्धता के कारण लघु एवं सीमांत कृषकों द्वारा निजी व्यक्तियों (साहूकारों) से ऋण लेने की प्रवृत्ति में लगातार कमी के सन्दर्भ में टी–टेस्ट का मान 68.669 जो कि सार्थकता मान .000 जो कि पी–वैल्यू 0.05 से कम है। अत: कहा जा सकता है कि किसान क्रेडिट कार्ड तथा बैंकों की उपलब्धता के कारण लघु एवं सीमांत कृषकों द्वारा निजी व्यक्तियों (साहूकारों) से ऋण लेने की प्रवृत्ति में लगातार कमी हो रही है। अत: परिकल्पना सत्य सिद्ध होती है।

निष्कर्ष – प्रस्तुत शोध में प्राथमिक एवं द्वितीयक समंक को आधार मानते हुए इस निष्कर्ष पर उतरा जा सकता है कि लघु एवं सीमान्त कृषकों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है, कारण रोजगार के अवसरों में लगातार वृद्धि। प्रस्तुत शोध के निष्कर्ष निम्नलिखित हैं:

1. प्रदत्त अध्ययन तथ्यों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना के उपयोग के पश्चात लघु एवं सीमान्त कृषक अपनी सामाजिक व आर्थिक जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से संयोजित करने में सक्षम पाए गए। अत: स्पष्ट है कि अधिकतर लघु एवं सीमान्त कृषकों के परिवार गरीबी रेखा से ऊपर है।
2. प्रस्तुत शोध विश्लेषण से यह प्रदर्शित होता है कि लघु एवं सीमान्त कृषकों को शासकीय योजनाओं को लाभ उठाने हेतु कई समस्याओं का सामना करना पड़ा।
3. अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि कृषकों को किसान क्रेडिट कार्ड योजना की जानकारी विभिन्न स्त्रोतों के माध्यम से प्राप्त हुई, जिसके अंतर्गत अधिकांश लघु एवं सीमांत कृषकों ने अपने परिजन व मित्रों से या एजेंट/सलाहकारों से जानकारी प्राप्त की।
4. लघु एवं सीमान्त कृषकों को लाभ समय पर नहीं प्राप्त हुआ, इसका कारण था कि उन्हें जानकारी भी देर से प्राप्त हुई, आवेदन समय के पूर्व नहीं किया था, सभी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए थे, तथा उन्हें बैंक जाकर जानकारी प्राप्त करने का समय ही नहीं मिला।
5. अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि अधिकांश शासन द्वारा संचालित किसान क्रेडिट कार्ड योजना ने विभिन्न कृषि संबंधी रोजगार के अवसरों का सृजन किया है। इससे लघु एवं सीमांत कृषकों के आर्थिक सशक्तिकरण में सहयोग मिला है।
6. अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि शासकीय कर्मचारियों को समस्या निवारण के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति शासकीय योजनाओं का लाभ प्राप्त करना चाहता है और वे शासकीय कर्मचारियों पर ही अधिक विश्वास करता है। इसके लिए कर्मचारी को भी समझना होगा कि यह योजनाएँ इनके लिए कितनी आवश्यक हैं क्योंकि योजनाएँ तभी सफल होती हैं, जब प्रत्येक व्यक्ति को इसका लाभ प्राप्त हो।
7. शोध अध्ययन से स्पष्ट है कि शासकीय योजनाओं की प्रक्रिया बहुत धीरे होती है तथा इसके अतिरिक्त लघु एवं सीमांत कृषकों को भी पूर्ण रूप से जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाती है। अत: कभी–कभी उनके द्वारा दिए गए दस्तावेज स्वीकृत नहीं हो पाते है। अत: इस कारण उन्हें राशि का भुगतान समय पर नहीं हो पाता है।
8. शोध अध्ययन से स्पष्ट है कि अधिकतर शासकीय प्रक्रिया में समय बहुत लगता है तथा लघु एवं सीमांत कृषकों की संख्या अधिक होने के कारण आवेदन की स्वीकृति में देरी हो जाती है।
9. शोध अध्ययन से स्पष्ट है कि अधिकतर लघु एवं सीमांत कृषकों की शिकायतों को लंबित किया जाता है तथा उन्हें किसी भी प्रकार का समाधान प्राप्त नहीं होता है। ऑनलाइन पोर्टल पर शिकायत पेटी की व्यवस्था भी नहीं होती है।

10. शोध अध्ययन से स्पष्ट है कि लघु एवं सीमांत कृषकों को रोजगार व स्वरोजगार के अवसर प्राप्त होने से उनकी आय में वृद्धि हुई है तथा जिसके कारण उनके आत्मनिर्भरता में वृद्धि परिलक्षित होती है।

शोध सुझाव :

- बैंकों से ऋण प्राप्त की प्रक्रिया सरल होनी चाहिए तथा साथ ही ऋण प्राप्ति की लागत भी कम होनी चाहिए।
- व्यक्तिगत ऋण लेने वाले की ऋण सीमा आवश्यकता पर आधारित एवं उत्पादनोन्मुख होनी चाहिए।
- कृषि वित्तयन के साथ-साथ ऋण उपयोग से संबंधित जानकारियाँ कृषकों को उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
- कृषकों को क्रेडिट कार्ड की सुविधा मिलनी चाहिए जिससे उन्हें आसानी से ऋण प्राप्त हो सके।
- प्राथमिक कृषि साख समितियों के वित्तीय स्रोतों में वृद्धि की जानी चाहिए। इससे कृषकों के अधिकांश आवश्यकताओं की पूर्ति ग्राम स्तर पर ही हो जाएगी।
- कृषि साख समितियों तथा अन्य ग्रामीण बैंकों के बीच समन्वय स्थापित किया जाऐ। इनका प्रबंधकीय एवं प्रशासकीय व्यवस्था ठीक किया जाय तथा इन संस्थाओं में योग्य एवं प्रशिक्षत व्यक्तियों की नियुक्ति की जाऐ।
- क्षेत्रीय प्रयास सिद्धांत के आधार पर कृषि वितयन व्यवस्था को पुनर्संगठित किया जाऐ, जिससे कहीं-कहीं बैंकों की अधिकता तथा कहीं-कहीं बैंकों की शून्यता की समस्या समाप्त हो जाऐं।
- कृषकों को ऋण प्रक्रिया में से परिचित कराया जाऐ एवं इसके महत्व को बताया जाऐ।
- जनपद में कृषि वितयन में एक मुख्य समस्या उन योग्य कृषकों का चुनाव करना है,जिनको की वास्तव में रेट चाहिए। कुछ लोग अनावश्यक रूप से अपने राजनीतिक एवं सामाजिक पहुँत से ऋण प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रवृत्ति पर रोक लगनी चाहिए।
- कृषि विकास का समुचित लक्ष्य निर्धारित किया जाना चाहिए। कृषि ऋण समन्वित ग्राम विकास नीति के रूप में प्रारंभ की जानी चाहिए।
- बैंकों को अधिकृत इमानदार विक्रेताओं की सूची तैयार करना चाहिए जो विक्रय के समय एवं विक्रय के बाद भी कृषकों को अपनी सलाह दे।
- न्याय पंचायत स्तर पर कृषि वित्त अधिकारी की नियुक्ति की जानी चाहिए।
- बैंक कर्मचारियों को बजटिंग एवं फार्म नियोजन के संबंध में प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।
- ऋण वसूली के नियमों को सरल किंतु प्रभावी बनाया जाना चाहिए।
- उपज को बंधक रखकर ऋण देने की व्यवस्था की जानी चाहिए।
- ऋण मेला आदि का प्रबंध किया जाना चाहिए।
- वित्तीय संस्थाओं की कार्य क्षमता में सुधार के साथ-साथ कृषकों की अशिक्षा सामाजिक, कुरीतियों की तरफ भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. Anjani Kumar at al " Performance of Rural Credit and Factors affecting the choice of Credit Sources". Indian Journal of Agricultural Economics. Voigime 62. No 3 July - Sept 2007
2. Dhanabhakyan.M. Malarvizhi.J, (2012),"A study on the awareness utilization and problem of using kisan Credit Card of Canara Bank", international journal of marketing, financial services & management research,vol.1,issue.10,
3. Dharmendra Mehta & Hitandra Trivedi, (2016),"India Kisan Credit Card Scheme: An Analytical study ", BRAND Broad research, vol.7.Issue.1.
4. Diwas Raj & Pramod kumar (2012),"progress and performance of Kisan Credit Card", agricultural economics research review, vol.25.pp125-135.
5. Dube, L. K. (1972) "Micro-Scale Agriculture Geo-graphical studies as a basic for territory Analysis and Programming Agricultural Progress". The European Regional Conference Symposium of Agricultural Typology & Agricultural Settlement. 50-58.
6. Dutt, A. & Robin, S. G. (1969) "An Assessment of Agricultural development in West Bengal". The Journal of Tropical Geographer 28. 17-22.
7. Gulati, A. Kalra, G. T. (1992) Fertiliser Subsidy issued related to equality and efficiently. Economic and Political weekly. March 28, p. 48.
8. Gupta, R. (1977) Poverty and quality of life in Tribal areas. In Gupta ed. 'Planning for Tribal Development' Ankur Publishing House. New Delhi. P. 81-126.
9. Kalliir. M.S. 'Impact of KCC on flow of credit and repayment rate in a backward region. .A case of agricultural development bank in Shorapur Tali|ka, Gulbarga district Karnataka. : Summary: Indian Journal of Agricultural Economics. Vol. 60. No 3. July-September 2005
10. K.H, Vedini and P Kanaka Durga. 'Evaluation of Kisan Credit Card Scheme in t N State of Andhra Pradesh'. Indian Journal of Agricultural Economics. Vol. 62 July-Sept 2007)
11. Mahavir, S. A. (2010). An Economic Evaluation of Kisan Credit Card Scheme in Belgaum District of Karnataka and in Sangli District of Maharashtra (Thesis, University of Agriculture Sciences, Dharwad). Retrieved from www.etd.uasd.edu/abst/th9995.pdf.
12. Mehta, D., Trivedi, H., Mehta, N.K. (2016). Indian Kisan Credit Card Scheme: An Analytical Study .Brand, Broad research in Accounting, Negotiation and Distribution, 6(1), 23-27.
13. Mellor, J.W. & Johnston, B. (1961) "The Role of Agriculture in Economic Development". American Economic Review. (44), pp. 566-93.
14. Olekar, Ramesh. O. (2012). Effectiveness of Kisan Credit Card Scheme in Karnataka State International Journal of Research in Commerce & Management, 2(7),104-109
15. Parwate, P.,Sharma, M.L., and Maske M. (2012). A study on utilization pattern of Kisan credit card (KCC) among the farmers in Raipur district of Chhattisgarh. International journal of Agronomy and Plant Production,

3(2),54-58.

16. Rajmohan, S., Subha. K. (2014),"Kisan Credit Card Scheme in India", International journal of Scientific research, vol.3, Issue.10
17. R.Ki Khatkar and others: Role of Kisan Credit Cards and Self Help Groups in Rural Financing in Haryana' Indian Journal of Agricultural Economics. Vol|60. No 3. July- September 2005.
18. Samberni, I, (1977) Area Planning for Tribal Development: Concept and Experiments". In Gupta ed. 'Planning for Tribal Development' Ankur Publishing House. New Delhi. P. 193-211.
19. Sanleer Kumar : 'Kishan Crdit Card. Cross Road Ahead" Vilakshan. XIMB Journal of Management. Sept 2009.
20. Santhi, A. (2012). Impact of Kisan Credit Card Scheme on the Farmers of Kanyakumari District A study (Ph.D Thesis, Manonmaniam Sundaranar University). Retrieved from shodhganga.inflibinet.ac.in/ handle/ 15603/27862
21. Sharma Anil (2005) The Kisan Credit Card Scheme: Impact, Weaknesses and Further reforms. Published by National Council of Applied Economics Research, New Delhi
22. Sharma, A., Choudhary, S., Swarnakar, V.K. (2013). A Study on Impact of Kisan Credit Card Scheme among the Beneficiary Farmers in Sehore District of Madhya Pradesh. International Journal of Science and Research, 2(1), 154-157.
23. Singh Harpreet and M.K. Sekhon. 'Cash in Benefits of the Kisan Credit Card Scheme. Onus is up on the farmer'. Indian Journal of Agricultural Economics. Vol. 60. No 3 July-Sept 2005.
24. Singh, S. N. (1976) "Modernization of Agriculture-A Case Study in eastern U. P.". Heritage Publisher, new Delhi.126-137.
25. S.S. Sangwan. 'Innovative Loan Products and Agricultural Credit: A study of Kisan Credit Card scheme with special reference to Maharashtra, Sunmmary. Indian Journal of Agricultural Economics. Vol 60. No 3. July -September 2005.
26. Uppal, R. K., Juneja, A. (2012). Kisan Credit Card Scheme in India-Issues and Progress. Asian Journal of Research in Social Science and Humanities, 2(6), 17-26.
27. Vohra, B.B. (1980) Policy for Land and Water. Sardar Patel Memorial Lecture: New Delhi. December. P. 22-23.
28. Yogesh Kumar Dubey. 'Access to Kisan Credit Cards in Uttar Pradesh by different Social groups in Different Regions'-. Summary. Indian Journal of Agricultural Economics. Volume 62. No 3 July - Sept 2007.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XL

मेहरुन्निसा परवेज के कथा साहित्य में दलित चेतना

भूपेन्द्रीय देवी जायसवाल* डॉ. एस.आर. बंजारे **

* शोधार्थी पी-एच.डी. शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय जगदलपुर (छ.ग.) भारत
** सहायक प्राध्यापक भानुप्रताप देव शा. स्ना. महाविद्यालय कांकेर (छ.ग.) भारत

प्रस्तावना – दलित शब्द के अंतर्गत कुचले गए, दबाए गए जनों की जीवन की कहानी को ही दलित कहानी कहा जाता है, व कुचले गए दबाए गए लोगों को ही दलित कहा जाता है। दलित पैंथर्स जी ने अपने घोषणा-पत्र में दलित शब्द को परिभाषित करते हुए कहा है– 'दलित का अर्थ है अनुसूचित जाति, बौद्ध कामगार, भूमिहीन मजदूर गरीब किसान, खानाबदोश जातियां, आदिवासी और नारी समाज।'[1] स्पष्ट है दलितों की और प्रकारांतर से मनुष्य की पीड़ा को अभिव्यक्ति देने का कार्य 'दलित' शब्द कहलाता है।

दलित शब्द का शाब्दिक अर्थ है– दलन किया हुआ। इसके तहत वह हर व्यक्ति आ जाता है जिसका शोषण उत्पीड़न हुआ है।' रामचंद्र वर्मा के अनुसार– मसला हुआ मर्दित किया, दलाया, रौंदा या कुचला हुआ विनिष्ट किया हुआ।'[2]

पिछले छ: सात दशकों में दलित पद का अर्थ काफी बदल गया है। डॉ. भीमराव अंबेडकर के आंदोलन के बाद यह हिंदू समाज व्यवस्था में सबसे निचले पायदान पर स्थित हजारों वर्षों से अस्पृश्य समझी जाने वाली तमाम जातियों के लिए सामूहिक रूप से प्रयोग होता है अब दलित पद अस्पृश्य समझी जाने वाली जातियों की आंदोलन धर्मिता का परिचायक बन गया है। भारतीय संविधान में इन जातियों को अनुसूचित जाति के नाम से जाना जाता है।'[3]

चेतना शब्द बड़ा व्यापक है यह शब्द आत्मा और बुद्धि दोनों से संबंधित है। चिंतनशील मनुष्य की चिंता द्वारा ही चेतना का जागरण होता है दलित चेतना को समझने के लिए दलित तथा चेतना इन दोनों शब्दों की अलग अलग पहचान हमें होनी चाहिए।

'साहित्य कोश के अनुसार 'चेतना' मानव के प्रमुख विशेषता है अर्थात वस्तुओं, विषयों, व्यवहारों का ज्ञान। चेतना की विशेषताएं हैं– निरंतर परिवर्तनशीलता एवं इस प्रवाह। इस प्रवाह के साथ साथ विभिन्न अवस्थाओं में एक अवांछिन्न एकता और साहचर्य चेतना का प्रभाव हमारे अनुभव-वैचित्य से प्रमाणित होता है और चेतना की अविच्छिन्न एकता हमारे व्यंतिव तादाम्य के अनुभव से।'[4]

चेतना शक्ति व्यक्ति को जागरूकता तथा प्रेरणा प्रदान करती है। यह वो वह शक्ति है जो मानव को अन्याय और शोषण का विरोध करने की शक्ति प्रदान करती है जिससे हम विद्रोह कर सकें अपने अधिकार के लिए खड़े हो सके।

चेतना के विभिन्न स्वरूप होते हैं। एक भावनात्मक तो दूसरा ज्ञानात्मक और तीसरा क्रियात्मक होता है। दलित चेतना का अर्थ है – दलित वर्ग विषयक गंभीर चिंतन। 'दलित संज्ञा के बारे में संकुचित या सीमित अर्थ की दृष्टि से सोचने वालों का कहना है कि अस्पृश्य हरिजन, आदिवासी ही दलित, जिन्हें युगों से उच्चवर्गीयों ने पैरों तले कुचला है।'[5] प्राचीन काल में 'दलित' शब्द शुद्रों एवं अस्पृश्यों तक ही सीमित था।

दलित चेतना पर मेहरून्निसा परवेज जी का कथन है कि-'यह विभागीयता मानव ने ही रची है। सारी जातियों में दलित हैं जैसे ब्राह्मण जाति में उच्च ब्राह्मण है, निम्न ब्राह्मण है इसी प्रकार सभी जातियों में उच्च मध्यम निम्न उपजातियां हैं जो सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक एवं धार्मिक दृष्टि से भिन्न-भिन्न तल पर हैं अर्थात दलित एक विशेष प्रकार की जाति नहीं है। सभी जातियों में दलित वर्ग को हम देख सकते हैं।'[6] यहां परवेज जी ने 'दलित' शब्द के व्यापक अर्थ को स्वीकार किया है।

भारतीय समाज से दलित वर्ग व संपूर्ण निम्न वर्ग को उपेक्षा और तिरस्कार ही मिलता है मंदिरों में प्रवेश वर्जित होता है, धर्म स्थलों में जाना भी वर्जित होता है। सामान्य वर्गों की तरह स्वतंत्र रूप से वे लोग कोई भी धार्मिक या पुण्य कार्य नहीं कर सकते। उनके पास खाद्य पदार्थ भी पर्याप्त मात्रा में नहीं होने से दूसरों के जूठन खाकर ही जीवन यापन करते हैं और ना ही पहनने के लिए कपड़े होते हैं ना रहने के लिए घर होता है उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय होती है।

सवर्णों के तिरस्कार को झेलना जैसे दलित वर्ग का कर्तव्य बन गया हो। सवर्णों के साथ संपर्क स्थापित करने पर समाज पूर्णत: है प्रतिबंध लगाता है। वस्त्र, आभूषण, शिक्षा एवं मनोरंजन की सुविधा भी नहीं होती है। समाजिक वस्तुओं का स्वतंत्र उपयोग पर भी प्रतिबंध होता है।

'सीढ़ियों का ठेका' कहानी में करीमन को अपने घर के खाने पीने के लिए मस्जिद के सीढ़ियों पर बैठकर भीख मांगना पड़ता है। भीख में प्राप्त धन राशि मिलता है उसी से घर चलता है।

दलित वर्ग को मंदिर में प्रवेश निषेध होता है। वे पवित्र नदियों तथा बावलियों का जल भी नहीं ले सकते। उन्हें छुआ-छूत का शिकार होना पड़ता है। पुण्य स्थानों में प्रतिबंध, वेदों और धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने या सुनने के अधिकार से वंचित रखा जाता है। वास्तविक धर्म के अभिलक्षणों को निर्देशित करके स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि– 'मनुष्य के शरीर में जो अंतरात्मा है वही ईश्वर है। यद्यपि सभी प्राणी ईश्वर के मंदिर हैं तथापि मनुष्य इन सब में सर्वोत्तम मंदिरों का ताजमहल है। यदि मैं उसकी पूजा न कर सका तो दूसरा कोई भी मंदिर मेरे लिए उपयोगी नहीं है।'[7] ईश्वर में विश्वास और पूर्ण आस्था होने से सब कुछ पास होता है। जिसे ईश्वर पर विश्वास नहीं वह सब कुछ खोता है क्योंकि विश्वास और सच्ची आस्था ही जीवन है। यहां भारतीय समाज में जाति-पाति, धर्म भेद अधिक पाया जाता है दूसरे जाति

की लड़की से विवाह कर घर लाने से परिवार के लोग उस लड़की को बहू के रूप में स्वीकार नहीं कर पाते हैं और ताने तथा छुआ-छूत का सामना करना पड़ता है।

'खुरचन' कहानी में जावेद नामक युवक अपनी अम्मा और अब्बा से बिना बताए गैर जाति की लड़की से आर्य समाज विवाह करता है। यह बात अब्बा के लिए मौत से कम हादसे वाली नहीं थी। मेहरून्निसा परवेज जी अपनी कहानियों में इन परेशानियों को व्यक्त की है कि धर्म भेद से व्यक्ति को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और स्वयं धर्म भेद का खंडन करती है।

दलित जातियों की आर्थिक स्थिति निम्न स्तर की है। वे पूंजीपतियों के यहां बंधुआ मजदूरी का काम करते हैं और उनके शोषण का शिकार होते हैं उच्च वर्ग इनकी इस मजबूरी का फायदा उठाकर आर्थिक और शारीरिक व मानसिक शोषण का शिकार बन जाते हैं। उन्हें फटे पुराने कपड़ों व जूठे भोजन ही दिया जाता है अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर काम धंधो में भाग लेना, नौकरी करना उनसे कोसों दूर था। अपनी रोटी कपड़ा और मकान की आपूर्ति के लिए भी दलित वर्ग को उच्च वर्ग के शोषण का शिकार होना पड़ता है।

'अकेला पलाश' उपन्यासों में इसकी स्पष्ट झलक देखने को मिलती है 18-10 बरस का लड़का एक कोने में बैठे जूठे बर्तन बड़ी तेजी से माँज रहा था...... बीच-बीच में आंख बचाकर वह झूठी रोटियों के टुकड़े जूठी दाल, तरकारी मुंह में डाल देता था और बिना मुँह हिलाये निकलता सा लगता था, कुत्तो की तरह से उसका चेहरा खिल गया था।'[8] भूख और गरीबी का भूख और गरीबी का हृदयदारूण एहसास बाल मन को अत्यधिक प्रभावित करता है।

दलित वर्ग को अपनी मत की स्वतंत्रता भी नहीं होता है, वे उच्च वर्ग द्वारा शोषित किए जाते हैं उन्हें पूर्ण रूप से राजनैतिक अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है। राजनैतिक स्वतंत्रता में अपनी राय प्रकट करना उनका हक नहीं है, राजनीति दलितों का स्थान ना के बराबर है या उनके हाथों में सत्ता नहीं है। इसलिए गरीबों, मजदूरों और दलितों का कल्याण करने में यह लोकतंत्र सफल नहीं हो पाया है। डॉ. अंबेडकर इसका कारण बताते हुए कहते हैं कि 'समस्त राजनीतिक समाज दो वर्गों में विभाजित है। शासक और शोषित यह एक बड़ी बुराई है इसका दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि शासक हमेशा उच्च वर्ग से आते हैं और शोषित वर्ग कभी भी जनता द्वारा जनता का सरकार नहीं होती। इसके बावजूद कि वह लोकप्रिय सरकार होती है। सच यह है कि यह वंशगत शासक वर्ग द्वारा वंशगत शोषित वर्ग की सरकार है, यही राजनीतिक जीवन का वह दोष है, जिसमें संसदीय लोकतंत्र को निराशाजनक रूप से विफल किया है। यही कारण है कि संसदीय लोकतंत्र स्वतंत्रता, संपत्ति और सुख पाने की आम आदमी की अभिलाषा को पूरा नहीं कर सका।[9]

इसका स्पष्ट झलक ' जगार' कहानी में देखने को मिलता है कि चौधरी गोमती जो निम्न वर्ग की महिला व उसके द्वारा शोषित है, को सरपंच के लिए चुनाव में जिताने के लिए ग्रामवासियों को मजबूर कर रहे हैं कि अपना मत सभी गोमती को ही दें ताकि गोमती का सरपंच का नाम रहे और चौधरी सारा काम खुद करेगा उसका एकाधिकार होगा ऐसा चाहता है चौधरी लेकिन सरपंच पद प्राप्त करने के बाद गोमती अपनी जागरूकता का प्रमाण देती है और चौधरी का विरोध करती है।

दलित से यहां आशय है संविधान की धारा 341(1) तथा (2) के अंतर्गत अनुसूचित जाति की श्रेणी में रखे गए हैं। गरीबी, बीमारी और अशिक्षा की शिकार ये जातियां समाज से बहिष्कृत और नागरिक अधिकारों से वंचित रही है। आजादी के बाद दलित वर्ग में साक्षरता वृद्धि की दर संतोषजनक कही जा सकती है। दलित वर्ग की सबसे बड़ी कमजोरी अशिक्षा है। शिक्षा से अज्ञान रूपी अंधकार दूर होकर ज्ञान रूपी प्रकाश का प्रसार होता है। बाबा साहब का कहना है-'' शिक्षित बनो संगठित बनो। ' अपने अधिकारों के लिए, स्थायित्व के लिए पढ़ना या शिक्षित होना जरूरी है। आज शिक्षा के महत्व को सबने जाना है। सरकार की ओर से दलित वर्ग को शिक्षित होने के लिए रियायतें दी जा रही है, प्रोत्साहन दी जा रही है। दलित समाज आज शिक्षा पाकर शासन-प्रशासन में सम्मान एवं प्रतिष्ठा पा चुका है। 'निम्न वर्ग एवं दलित वर्ग का जीवन अभाव, दु:ख और अपमान का जीवन है। स्पष्टत: दलित जीवन की चेतना बहुत कुछ पाने की चेतना है क्योंकि दलित जीवन में कुछ है ही नहीं। आज आधुनिक युग परिवर्तन का युग है। दलित वर्ग आज जागृत हो गया है, वह अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो गया है। शिक्षा के प्रसार एवं प्रचार के कारण दलित वर्ग में नई चेतना का संचार हो रहा है।'[10] वसा जी का यह मत आज बिल्कुल ठीक ही है, क्योंकि शिक्षित दलित आज प्रगति के पथ पर अग्रसर है किंतु अशिक्षित आज भी पतन के गर्त में टटोलता रहता है।

निष्कर्ष - संत कबीर, रसखान, नानक जैसे महान व्यक्तित्व ने रूढ़ियों का कट्टर विरोध करके दलितों के उद्धार के लिए परिश्रम किया। ब्रह्मसमाज, प्रार्थना समाज द्वारा हिंदू धर्म के कुरीतियों को दूर करते हुए बौद्धिक एवं तार्किक जीवन पर बल देते है। इन संस्थाओं के द्वारा अछूतोंद्धार, जातिभेद को दूर किया गया है। दलित-चेतना डॉ. अंबेडकर के जीवन दर्शन से मुख्य ऊर्जा ग्रहण करती है।

मेहरुन्निसा परवेज जी दलितों पर हो रहे अत्याचार का विरोध करती है। वह जाति भेद, वर्ग भेद का खंडन करती है और अपने साहित्य के माध्यम से यह शिक्षा देती है कि सभी को अपने अधिकारों का ज्ञान होना चाहिए और गलत कार्यों का विरोध करना चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. रामचंद्र सहाय, निरंजन-दलित साहित्य का उद्‌भव और विकास- पृष्ठ संख्या - 10
2. रामचंद्र वर्मा (संपादक) - संक्षिप्त शब्द सागर - नागरी प्रचारिणी सभा, काशी, नवम, संस्करण 1987 - पृष्ठ संख्या - 468
3. The Times of India - अभिगमन तिथि- 1 मार्च 2019
4. वसाणी कृष्णावंती पी. - दसवें दशक के हिंदी उपन्यासों में दलित चेतना- पृष्ठ संख्या- 12
5. वसाजी कृष्णावंती पी. - दसवें दशक के हिंदी उपन्यासों में दलित चेतना -पृष्ठ संख्या- 15
6. मिनी पी. - मेहरून्निसा परवेज के बदलते जीवन मूल्य- पृष्ठ संख्या- 243
7. Vivekanand Their Spoke – Page No.- 24
8. मेहरून्निसा परवेज अकेला पलाश -पृष्ठसंख्या- 79-80
9. ओमप्रकाश वाल्मीकि -दलित साहित्य का सौंदर्यशास्त्र -पृष्ठ संख्या- 78
10. वसाणी कृष्णवंती पी. -दसवें दशक के हिंदी उपन्यासों में दलित चेतना- पृष्ठ संख्या -107

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XL

ग्रामीण विकास में विपणन की उभरती प्रवृत्तियाँ

डॉ. संगीता कुँभारे *

* साहयक प्राध्यापक (वाणिज्य) पण्डित दीनदयाल उपाध्याय शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, सागर (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – भारत गाँवों का देश है। आज भी भारत की लगभग 70 प्रतिशत जनसंख्या गाँवों में निवास करती है। इसलिए ग्रामीण विकास देश की अर्थ व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान रखता है।

ग्रामीण विपणन ग्रामीण विशिष्ट वस्तुओं और सेवाओं को विकसित करने मूल्य निर्धारण प्रचार और वितरण करने की प्रक्रिया है जिससे ग्रामीण ग्राहकों के साथ वांछित विनिमय की आवश्यकता होती है ताकि उनकी जरूरतों और इच्छाओं को पूरा किया जा सके और संगठनात्मक उद्देश्यों को भी प्राप्त किया जा सके।

ग्रामीण विपणन संरचना देश के सभी भागों में एक समान नहीं है। किसी विशेष राज्य या क्षेत्र में प्रचलित संरचना का प्रकार कृषि के विकास की स्थिति, जनसंख्या की क्रय शक्ति आदि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है।

ग्रामीण विपणन एक प्रकार का विपणन है। जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की जरूरतों और आवश्यकताओं के अनुसार गतिविधियों की योजना बनाई जाती है।

प्रथम प्रधानमंत्री पण्डित जवाहरलाल नेहरू का यह विचार था कि जब तक ग्रामीण समाज और नगरीय समाज के विकास कार्यक्रम में संतुलन नहीं होता है तब तक सम्पूर्ण भारत का आर्थिक-सामाजिक रूप से विकास होना संभव नहीं है। गाँधी जी की यह धारणा थी कि भारत गाँवों का देश है। इसकी उन्नति तभी संभव है जब हम गाँव को केन्द्र में रखकर योजनाओं को बनाये।

शब्द कुंजी – ग्रामीण बाजार, प्रवृत्तियाँ, सूचना प्रौघोगिकी, चुनौतियाँ।

प्रस्तावना – ग्रामीण विकास से अभिप्राय ग्रामीण क्षेत्रों का समग्र विकास करने से है। तथा ग्रामीण क्षेत्रों में निवास कर रही जनता का आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्थान करना है। ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त निर्धनता, बेरोजगारी, निरक्षरता को दूरकर ग्रामीण विकास करना होता है। अत: ग्रामीण विकास से अभिपाय ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना हैं।

शौध का उद्देश्य – शोधपत्र का प्राथमिक उद्देश्य वर्तमान ग्रामीण भारत में नये व्यावसायिक अवसरों का अध्ययन और पहचान करना है। यह शोध उन समस्त प्रमुख चुनौतियों पर भी ध्यान केन्द्रित करने की कोशिश करता है। ग्रामीण विपणन में यही विपणको को सफल होना है तो इन चुनौतियों का सामना करना होगा।

भारत वैभवशाली विरासत और प्रकृति के असीम वरदान के लिये विख्यात है। साथ ही यहाँ कई अद्‌भुत स्थान है जो विश्व में भारत के गौरव का प्रतीक माने जाते है स्वदेशी उत्पादों का विकास और प्रचार प्रसार, ग्रामीण क्षेत्रों में आमदनी और रोजगार बढ़ा सकता है। और स्थानीय समुदायों, युवाओं और महिलाओं को संशक्त बना सकता है। पात्र व्यक्तियों को आवश्यक व्यावसायिक कौशल द्वारा विधिवत योग्यता प्रदान करने और सक्षम बनाने के उद्देश्य से व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए।

ग्रामीण विपणन का उदय अत्यधिक अप्रत्यासित क्षमता के रूप में उन्हें तलाशने की आवश्यकता पर जोर देता है। पिछले कुछ दशकों में विपणन ने अभिनव दृष्टिकोण के साथ ग्रामीण बाजार को समझने और करने का प्रयास किया है। ग्रामीण विपणन एक विकसित अवधारणा है।

भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के साथ हमने सभी बदलावों को देखा है। विपणन के कारण कई जानीमानी बहुराष्ट्रीय निगमों के आगमन में प्रमुख बदलाव हुये है। प्रारंभ में उन्होंने अच्छी तरह से विकसित शहरी बाजारों का लाभ उठाया और इन बाजारों में कठिन प्रतियोगिता होने लगी ओर फलत: कम्पनियों ने बड़े अप्रयुक्त बाजार खण्ड पर ध्यान केन्द्रित करना शुरू कर दिया। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि 'भारत के ग्रामीण बाजार बहुत ही आशाजनक है। ग्रामीण भारत को मजबूत करने के लिये सरकार की पहल के परिणामस्वरूप ग्रामीण आय की तेजी से वृद्धि हुई जिससे ग्रामीण विपणन में भावी उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति बढ़ गई। ग्रामीण बाजारों का विशाल आकार और उनकी मांग विपणन को भारी अवसर प्रदान करती है।' जैसा कि कहा जाता है कि यदि अवसर है तो चुनौतियाँ बहुत है जो विपणक ग्रामीण भारत द्वारा पेश की जाने वाली चुनौतियों और अवसरों को देख रहे है और ग्रामीण बाजारों की गतिशीलता को समझते है। वे इसका लाभ उठाने का प्रयास कर रहे है। इसलिये हमारे लिये यह जरूरी हो गया है की हम ग्रामीण विपणन की अवधारणा, इसके महत्व और अवसरों एवं ग्रामीण बाजारों की चुनौतियों और भारत में ग्रामीण विपणन की उभरती प्रवृत्तियों को समझे।

ग्रामीण विपणन एक दोतरफा विपणन प्रकिया है जहाँ उत्पादन और उपभोग के लिये ग्रामीण बाजारों में उत्पादों का प्रवाह होता है। ग्रामीण बाजार वर्षो से लगातार बढ़ रहा है। और भारत में लगभग 80 करोड़ से अधिक लोग

गावों में रहते है। आज भारतीय कम्पनियां साथ ही कोलगेट, गोदरेज और हिन्दुस्तान लीवर जैसी बहुराष्ट्रीय कम्पनियां ग्रामीण बाजारों की गति को समझ सकते हैं और उन्हें सर्वोत्तम लाभ के लिए प्रयोग कर सकते हैं।

भारत की जनगणना ग्रामीण क्षेत्र को 400 वर्ग किलोमीटर से कम की जनसंख्या घनत्व के साथ किसी भी रूप में परिभाषित करती हैं। कम से कम 75 प्रतिशत कामकाजी पुरूष आबादी कृषि में लगी हुई हो और जहाँ नगरपालिका या बोर्ड मौजूद नहीं हो। भारत में लगभग 6.4 लाख गाँव हैं जिनमें से केवल 2,000 की आबादी 5000 से अधिक हैं।

ग्रामीण विपणन को समझना और संभालना एक आसान काम नहीं हैं। क्यों कि यह चुनौतियों से भरा हैं। अगर हम भारतीय ग्रामीण समाज का अध्ययन करें तो भौगोलिक आर्थिक नैतिक और अन्य संरचनाओं के सन्दर्भ में अलग-अलग गाँव हैं। ग्रामीण उपभोक्ताओं को समझना दूरदराज के ग्रामीण इलाकों में उत्पादों और सेवाओं की उपलब्धता बनाना बेहद कठिन कार्य हैं। ग्रामीण उपभौक्ताओं के साथ बातचीत करना संवाद करना बेहद कठिन कार्य हैं।

भारत में ग्रामीण विकास में विपणन की बहुत अधिक सम्भावनाएँ हैं। लेकिन इसमें चुनौतिया भी हैं। जैसे की व्यापक रूप से बिखरें बाजार, खराब बुनियादी ढांचे, गैर-आर्थिक बाजार का आकार और ग्रामीण उपभौक्ताओं की विविध सामाजिक आर्थिक प्रोफाइल। इस तरह के चुनौतीपूर्ण वातावरण के पीछे विपणक सफलता प्राप्त करने के लिए रचनात्मक समाधान तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। उत्पादों की पैकेजिंगे को अनुकूलित किया जा रहा हैं। ग्रामीण उपभौक्ताओं को अधिकतम ऋण सीमा दी जा रही हैं। और संचार के लिए स्थानीय माध्यमों जैसे हाट एवं मेंलों का आयोजन किया जा रहा हैं विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी निकाय ग्रामीण लोगों के शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर प्रदान करके ग्रामीण बाजारों की चुनौतियों का समाधान खोजने के लिये कई पहल कर रहे हैं। आइ.सी.टी. से भी मदद मिली हैं। ग्रामीण विकास में विपणन की विशिष्ट विशेषताएँ हैं :-

1. **जनसंख्या में वृद्धि :-** भारत में लगभग 65 प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती हैं। जनसंख्या में वृद्धि की दर भी अधिक हैं। यह बड़ी आबादी छह लाख से अधिक गांवो में बिखरी हुई हैं। हालांकि यह विपणकों के लिए कुछ कठिनाई पैदा करता हैं, लेकिन उन्हें एक बहुत बड़ा और आशाजनक बाजार भी देता हैं।

2. **बढ़ती हुई क्रय शक्ति :-** वे दिन गए जब ग्रामीण लोगों की आय का स्तर कम था। हरित क्रांति और 1990 के बाद अर्थव्यवस्था के खुलने के साथ भारत ने समग्र विकास देखा हैं। इससे ग्रामीण उपभौक्ताओं का आय स्तर भी बढ़ा हैं। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं हैं कि आय का स्तर जितना अधिक होगा, क्रय शक्ति और माँग उतनी ही अधिक होगी।

3. **बाजार में सतत वृद्धि :-** ग्रामीण बाजार वर्षो से लगातार बढ़ रहा हैं। उपभोग प्रतिमान और वरीयता भी बदल रही हैं। पिछले वर्षो के विपरीत, ग्रामीण बाजार में ब्रांडेड उत्पादों के साथ-साथ पारंपरिक उत्पादों जैसे साइकिल, मोपेड और कृषि उत्पादन की माँग हैं। आईटी और मीडिया ने ग्रामीण उपभौक्ताओं के बीच जागरूकता बढ़ाई हैं। और पिछले कुछ वर्षो में सौदर्य प्रसाधन, उपभौक्ता टिकाऊ वस्तुओं आदि की मांग में वृद्धि हुई हैं।

4. **बुनियादी सुविधाओं का विकास :-** ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का विकास हुआ हैं। इससे गाँवों से शहरों की दूरी कम हो गई हैं। सड़कों और परिवहन संचार, नेटवर्क ग्रामीण विद्युतीकरण और सरकार द्वारा संचालित कई सार्वजनिक सेवा परियोजना के निर्माण के साथ, गाँवों से शहरों तक संपर्क बढ़ गया हैं। इससे ग्रामीण विपणन का दायरा बढ़ा हैं।

5. **निम्न जीवन स्तर :-** हालाँकि भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कई विकास हो रहे हैं। फिर भी यह तथ्य बना हुआ हैं कि गाँवों में रहने वाले लोगों का स्तर उन लोगो के लिये अपेक्षाकृत कम हैं। जो उपभौक्ताओं के दूसरे और तीसरे समूह के अन्तर्गत आते हैं। जिन लोगो के पास जमीन जायदाद हैं। लेकिन वे बहुत अमीर किसान नहीं हैं और वे लोग जो दैनिक मजदूर हैं। जो अधिकतर कम मात्राओं में उन वस्तुओं और सेवाओ की माँग करते हैं।

6. **पारंपरिक दृष्टिकोण :-** ग्रामीण उपभौक्ता अपने पुराने मूल्यों, संस्कृति, रीति-रिवाजों और परंपरा को महत्व देते हैं। यह उनके मांग स्वरूप को प्रभावित करता हैं। हालाकि उनकी मांग का प्रतिमान धीरे-धीरे बदल रहा हैं। और सौंदर्य प्रसाधन और ब्रांडेड सामानों की मांग धीरे-धीरे ग्रामीण बाजारों में बढ़ रही हैं।

7. **विपणन मिश्रण की आवश्यकता :-** ग्रामीण बाजार की विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए कंपनियों के लिए यह आवश्यक हो जाता हैं कि वे इसकी क्षमता का लाभ उठाने के लिए ग्रामीण बाजारों के लिए एक अलग विपणन मिश्रण तैयार करें।

भारत दुनिया के सबसे बड़े बाजारों में से एक हैं। असली भारत गाँवों में रहता हैं। वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, आर्थिक उदारीकरण, आइटी क्रांति और बुनियादी ढांचे में सुधार जैसे विभिन्न कारणों के कारण ये ग्रामीण भारत में सम्मानजनक व योग्य आय हैं। भारत में ग्रामीण बाजार का आकार इतना विशाल हैं कि कंपनियों का भविष्य ग्रामीण बाजारों की गतिशीलता को समझने पर निर्भर करता हैं।

ग्रामीण बाजारों की चुनौतियाँ – ग्रामीण बाजारों के संबंध में व्यावसायिक फर्मो द्वारा सामना की जाने वाली विभिन्न चुनौतियाँ इस प्रकार हैं :

1. कई दूरस्थ स्थानों में आज भी वस्तु विनिमय प्रणाली मौजूद हैं। यह भारत में ग्रामीण विपणन के विकास में प्रमुख बांधाओं में से एक हैं।
2. सूचना प्रौधोगिकी का प्रभाव पूरे देश में समान रूप से अनुभव नहीं किया जाता हैं। इसका लाभ मुख्य रूप से बड़े जमीन वाले किसानों द्वारा उठाया जा रहा हैं। छोटे जमीन के किसान इस लाभ का आनंद लेने में सक्षम नहीं हैं। इस असमानता के बाजारों को आज भी अविकसित बना रखा हैं।
3. भौतिक संचार से संबंधित सुविधाओं के संदर्भ में वह देश भर के सभी कोनों के लिए समान रूप से अच्छा नहीं हैं देश के पूर्वी भाग के अधिकांश गाँव मानसून के दौरान पहुँच के बाहर हैं। उनके पास सभी मौसम योग्य सड़के नहीं हैं। इससे भौतिक संचार बहुत मंहगा हो जाता हैं।
4. ग्रामीण बाजारों में मांग मुख्य रूप से कृषि स्थिति पर निर्भर करती हैं। क्योंकि कृषि उनकी आजीविका का मुख्य स्त्रोत हैं। इतना ही नहीं भारत के कुछ राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्यप्रदेश मानसून पर बहुत निर्भर करते हैं। इसका मतलब हैं कि ग्राहकों की क्रय शक्ति मानसून पर निर्भर हैं और यह एक वर्ष से दूसरे वर्ष में भिन्न होती हैं। इसलिए बाजार के लिए मांग का पूर्वानुमान मुश्किल हो जाता हैं।
5. कई अन्य कारक हैं जो ग्रामीण विपणक के लिए खतरा पैदा करते हैं। जैसे प्राकृतिक आपदा, कीट और बीमारियाँ, ग्रामीण सूखा या बारिश की अधिकता, उचित भण्डारण सुविधा की कमी, परिवहन, बीमा आदि।
6. इसके अतिरिक्त ग्रामीण बुनियादी सुविधाएँ कृषि उत्पादों की कीमत

में उतार चढ़ाव आदि से संबंधित कुछ अन्य चुनौतियाँ हैं।

विपणन के रूप में आप ग्रामीण बाजारों से निपटने में इन समस्याओं और चुनौतियों को अनदेखा नहीं कर सकते। यहाँ आवश्यक यह हैं कि कितनी अच्छी तरह आप ग्रामीण बाजारों की गतिशीलता को समझने में सक्षम हैं।

ग्रामीण विपणन में बड़े बदलाव की जरूरत – सामुदायिक इकाईयों से होगी ग्रामीण बाजार में बेहतर व्यवस्था। ग्रामीण विपणन प्रणाली को प्रभावी बनाकर कृषि उत्पादों को बेहतर मूल्य उपलब्ध कराना और खेती को आकर्षक पेशा बनाना एक प्रमुख चुनौती हैं। ग्रामीण बाजारों को ग्रामीण समूहो से जोड़ने की जरूरत हैं। इन इकाईयों को ई–नाम की बारीकियां समझने के लिये प्रशिक्षित किया जा सकता हैं। जिससे ये इकाईयां समस्याओं के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।

भारत की आर्थिक नीतियों में खासतौर पर इस बात का ध्यान रखा गया हैं। कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए सिर्फ उत्पाद और उत्पादन क्षमता में बढ़ोत्तरी पर्याप्त नहीं हैं। बल्कि उत्पादों की बिक्री के लिये भी बेहतर व्यवस्था होनी चाहिए। देश की 54.6 प्रतिशत आबादी अब भी कृषि और इससे संबंधित गतिविधियों पर निर्भर हैं। सबसे बड़ी चुनौती यह हैं कि किस तरह से ग्रामीण और कृषि उत्पादों को बेहतर बाजार सुनिश्चित कर कृषि को आकर्षक और कमाऊ पेशा बनाया जा सकें।

सरकार ने इस दिशा में हाल में कई कदम उठाए हैं इनका उद्देश्य न सिर्फ ग्रामीण इलाकों में उत्पादन बढ़ाना हैं, बल्कि विपणन से जुड़ी मौजूदा आधारभूत संरचना को बेहतर बनाकर कृषि उत्पादों के लिए बेहतर मूल्य और किसानो की आय में वृद्धि सुनिश्चित करना हैं।

ग्रामीण बाजार वर्षो से लगातार बढ़ रहा हैं और लगभग 800 मिलियन से अधिक लोग भारत के गाँवों में रहते हैं। शहरी बाजारों के विपरीत ग्रामीण बाजार बेहद अप्रत्याशित होते है। और उत्पाद की मांग बिजली, परिवहन, स्कूल और अस्पताल जैसी आवश्यकता की उपलब्धता पर निर्भर करती हैं। ग्रामीण बाजार काफी हद तक ग्रामीण क्षेत्र में सरकार के योगफल पर निर्भर करते हैं।

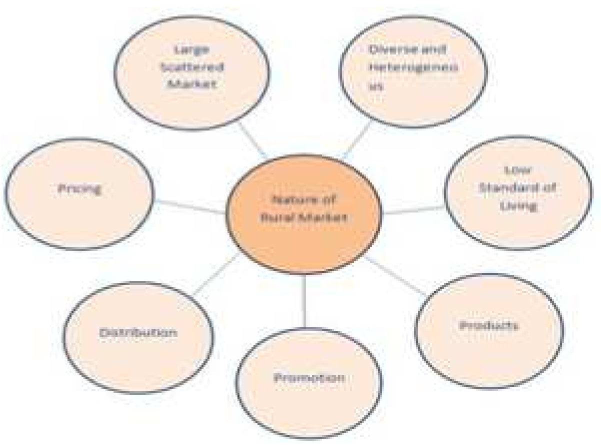

1. भारत में ग्रामीण बाजार बड़ा और बिखरा हुआ हैं जिसका अर्थ हैं कि इसमें पूरे देश के 5,70,000 गाँवों में लगभग 63 करोड़ ग्राहक शामिल हैं।
2. पिछले दशक में ग्रामीण आबादी में 125 की वृद्धि हुई और भारतीय अर्थव्यवस्था का 40 प्रतिशत से अधिक हिस्सा हैं।
3. शहरी क्षेत्र की तुलना में बाजार शानदार अवसर प्रदान करता हैं। यह अधिकतम आबादी क्षेत्रों को कवर करता हैं। इसलिये इसमें उपभौक्ताओं की अधिकतम संख्या होती हैं। ग्रामीण बाजार कुल भारतीय आबादी का लगभग 70 प्रतिशत हिस्सा हैं।

ग्रामीण विपणन में व्यवसाय की स्थिति – आर्थिक झटकों से उबरने में सक्षम मानी जाने वाली देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था असमान वृद्धि के संकेत दे रही हैं। एक तरफ लगता हैं कि महामारी के बाद ग्रामीण क्षेत्र में निवेश शुरू हुआ हैं। वर्ष 2019 से कृषि और विपणन में सहायक भारी वाहनों की बिक्री 30 फीसदी से अधिक हुई हैं।

दूसरी तरफ ग्रामीण उपभौक्ताओं की मांग में ठहराव आ गया हैं। दिन प्रतिदिन के सामान की ग्रामीण बिक्री में वृद्धि अगस्त और सितम्बर में 5 फीसदी से नीचे रही हैं। पिछले ढाई साल के दौरान कृषि ऋण में करीब 19 फीसदी इजाफा हुआ हैं। इसके अलावा श्रम की अतिरिक्त आपूर्ति करीब एक करोड़ हैं, जिसे इस समय रोजाना 210 रूपये में काम करना पड़ रहा हैं।

उपलब्ध आंकड़ो के मुताबिक इस साल जनवरी से जुलाई के बीच उत्पादों की बिक्री में वृद्धि 12 फीसदी से ज्यादा घटी हैं। यह अगस्त और सितम्बर में सालाना आधार पर करीब तीन फीसदी रहीं।

बहुत से आकड़े ई–कॉमर्स क्षेत्र में शानदार वृद्धि का संकेत देते हैं। उदाहरण के लिए नीलसन आई क्यू ने पाया कि वर्ष 2021 में ई–कॉमर्स बिक्री 2019 से 33 फीसदी अधिक हैं। अग्रणी ई–कॉमर्स कंपनीयाँ ज्यादातर ग्रामीण पिन कोड पर सामान पहुँचा रही हैं। इसलिये ई–कॉमर्स के द्वारा खपत में अच्छी वृद्धि हो सकती हैं लेकिन इसे साबित करने के लिए फिलहाल कोई आकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

ग्रामीण निवेश – ग्रामीण निवेश मांग हमेशा की तरह मजबूत अगर खपत कमजोर पड़ रही हैं। तो ग्रामीण निवेश 2021 में बढ़ रहा हैं। महामारी के बावजूद वर्ष 2019 से दो साल में ट्रैक्टरों, खाद्य ढोने वाले ट्रेलरों और हार्वेस्टरों की बिक्री 30 फीसदी से अधिक बढ़ी हैं। वर्ष 2019 में हर महीने औसतन 370 हार्वेस्टरों की बिक्री होती थी, जो 2020 में बढ़कर 580 प्रति महीना और 2021 में 820 प्रति महीना हो गई हैं। वाहन आंकड़ो से पता चलता हैं कि वर्ष 2019 में हर महीने 30000 से 45000 नए ट्रेक्टर पंजीकृत हो रहे थे। यह आंकड़ा 2020 में बढ़कर 40000 से 60000 हो गया। वर्ष 2021 में नए ट्रेक्टरों का पंजीकरण हर महीने 45000 से ऊपर रहा हैं। इस साल जुलाई में पंजीकरण 74000 और अगस्त में 65000 रहें। इससे महामारी से पहले के मुकाबले अच्छी वृद्धि का पता चलता हैं। वर्ष 2019 में खाधान्न ढोने वाले ट्रेलरों की मासिक बिक्री 3000 से कम थी। यह आंकड़ा महामारी के बाद 4000 से ऊपर बना हुआ हैं। गैर–कृषि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी निवेश बढ़ रहा हैं। वाहन आंकड़ो के मुताबिक निर्माण उपकरणों की खुदरा बिक्री जनवरी 2019 से 61 फीसदी बढ़ी हैं। कृषि का अहम हिस्सा माने जाने वाले उर्वरकों की बिक्री खरीफ बुआई की जून से अगस्त अवधि में 1.73 करोड़ टन के स्तर पर रही हैं।

भारत में ग्रामीण विपणन – दृष्टिकोण – अपने विशाल आकार और बड़े पैमाने पर अप्रयुक्त बाजारों के कारण ग्रामीण बाजार बहुत आकर्षक लग सकता हैं। प्रसिद्ध प्रबंधन गुरू सी के प्रहलाद ने अपनी पुस्तक द फार्च्यून एट द बॉटम ऑफ पिरामिड में दुनिया के गरीबों द्वारा पेश की जाने वाली विशाल बाजार क्षमता के बारे में बात की थी। उनके अनुसार, व्यावसायिक सफलता को सफलता पूर्वक सामाजिक विकास के साथ जोड़ा जा सकता हैं। यदि बहुराष्ट्रिय कंपनियां विकासशील देश की आबादी को इस तरह से लक्षित करें जो दोनों की जरूरतों को पूरा करें।

लेकिन ग्रामीण बाजार में प्रवेश करना इतना आसान नहीं हैं इस तरह के बाजार के लिए कुछ खास समस्याएँ हैं।

दृष्टिकोण – उपलब्धता – सबसे बड़ी चुनौती बाजारों में वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना हैं। ग्रामीण बाजारों में शहरी बाजारों की तरह उचित भौतिक वितरण प्रणाली नहीं हैं। भारत में 6,38000 गाँव पूरे देश में बिखरे हुए हैं। और प्रत्येक गाँव में विशेष वितरण समस्याएँ होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में एक अच्छी तरह से विकसित सड़क प्रणाली भी नहीं हैं कई सड़के पक्की भी नहीं हैं और मानसून के दौरान बेकार हो जाती हैं। भूस्खलन और बर्फीले तूफान के दौरान पहाड़ी गाँव दुर्गम हो जाते हैं। इसलिए दूर-दराज के क्षेत्रों में उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती हैं। ऐसी समस्याओं का मुकाबला करने के लिए वैश्विक दिग्गज यूनिलीवर भारतीय सहायक कंपनी हिन्दुस्तान अनसिल्वर जैसी बड़ी कंपनियों ने दूर-दराज के गाँवों तक पहुंचने के लिए मजबूत वितरण प्रणाली का निर्माण किया हैं।

दृष्टिकोण : 2. सामर्थ्य – सफल ग्रामीण विपणन की कुंजी ग्रामीणों द्वारा वहन की जा सकने वाली वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री में निहित हैं। अधिकांश ग्रामीण आबादी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर हैं और इस तरह उनकी आय अनियमित हैं। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों की प्रति व्यक्ति आय भी कम हैं।

यह अनुमान लगाया गया हैं कि दो-तिहाई से अधिक भारतीय ग्रामीण निम्न आय वर्ग के हैं और इस प्रकार वे बहुत अधिक मूल्य-संवेदनशील हैं। एक ग्रामीण किसी विशेष उत्पाद को तभी खरीदेगा जब उसे लगेगा कि उसे उसका पर्याप्त मूल्य मिल रहा हैं।

दृष्टिकोण : 3. जागरूकता – ग्राहकों के मन में उत्पाद के बारे में जागरूकता पैदा करना महत्वपूर्ण हैं। ग्रामीण लोगों तक पहुंचने के लिए जनसंचार माध्यमों का चयन सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि गाँवों में आज भी मीडिया की पहुंच कम हैं।

गावों में टेलीविजन का स्वामित्व बहुत कम हैं और टेलीविजन देखने वालों के लिए भी दर्शकों की संख्या दूरदर्शन चैनलो तक सीमित हैं कम साक्षरता दर के कारण प्रिंट मीडिया अप्रभावी हो जाएगा।

आउटडोर विज्ञापन विकल्प जैसे बैनर, होडिंग, वॉल पेंटिंग पोस्टर आदि का ग्रामीण क्षेत्रों में सफलतापूर्वक उपयोग किया जाता हैं। विज्ञापन स्थानीय एवं सरल भाषाओं में होने चाहिए ताकि लोग उन्हें आसानी से समक्ष सकें।

दृष्टिकोण : 04. स्वीकृति – ग्रामीण विपणन में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ग्राहकों को उत्पाद स्वीकार करना हैं। ग्रामीणों के परिवर्तन का विरोध करने की अधिक संभावना हैं। और वे नए उत्पादों को अपनाने में धीमें हैं। चूकि ग्रामीण लोग अपना कीमती पैसा बेकार उत्पादों पर खर्च नहीं करेगें इसलिए उत्पादकों को ग्रामीणों की जरूरतों के अनुरूप सामान देना चाहिए।

इस प्रक्रिया में ग्रामीण विपणन नामक एक प्राचीन विपणन रणनीति विकसित हुई हैं। बड़ी संख्या में बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने अपने स्थानों को शहरी से ग्रामीण बाजारों में स्थानांतरित कर दिया हैं। जिसने पिछले कुछ वर्षो में आश्चर्यजनक वृद्धि दर्ज की हैं।

एक उपभौक्ता खरीदारी का निर्णय लेते समय पाँच चरणों को पार करता हैं। और वह हैं :-

1. पहचान आवश्यक हैं,
2. जानकारी की खोज,
3. विकल्पों का मूल्यांकन,
4. खरीदने का निर्णय,
5. खरीदने के बाद का व्यवहार,

निष्कर्ष – इस शोध पत्र में अध्ययन करने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ग्रामीण बाजारों में बहुत अधिक संभावनाएँ हैं लेकिन इसमें कई चुनौतियाँ भी हैं जैंसे कि व्यापक रूप से बिखरे हुए बाजार, खराब बुनियादी ढ़ाचे, गैर- आर्थिक बाजार का आकार और ग्रामीण उपभौक्ताओं की विविध सामाजिक आर्थिक प्रोफाइल। इस तरह के चुनौतीपूर्ण वातावरण के पीछे विपणक सफलता प्राप्त करने के लिए रचनात्मक समाधान तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं विभिन्न सरकारी, गैर सरकारी, निकाय ग्रामीण लोगों को शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर प्रदान करके ग्रामीण बाजारों की चुनौतियों का समाधान खोजने के लिए कई कदम उठा रहे। आई सी टी से भी मदद मिली हैं। संगठित खुदरा प्रारूप भी ग्रामीण भारत में प्रवेश कर रहा है। आईसीटी और संगठित खुदरा व्यापार के संयोजन ने ग्रामीण बाजारों की चुनौतियों को एक बड़े युगांतर तक पार कर लिया हैं।

यह निष्कर्ष निकालना अच्छा होगा कि भारत के ग्रामीण बाजार को वर्तमान स्थिति से ऊपर खड़े होने की जरूरत हैं। आइए हमें ग्रामीण बाजारों की कुछ उभरती प्रवृतियों के बारे में और अधिक विचार करने की आवश्यकता हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. www.drishtiias.com
2. ग्रामीण विकास सिद्धांत, नीतियाँ एवं प्रबन्ध (अनिल शिशोदिया, कटार सिंह)
3 ग्रामीण समाज और संचार बदलते आयाम (निर्मला सिंह व ऋषि गौतम)
4. कुरूक्षेत्र (ग्रामीण विकास को समर्पित) अगस्त 2022
5. कुरूक्षेत्र मई 2022

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XL

चिन्नास्वामी सुब्रमण्यम भारती और भारतीय भाषा उत्सव

डॉ. बिन्दू परस्ते *

* सहायक प्राध्यापक (हिन्दी) श्री अटल बिहारी वाजपेयी शास. कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – **भाषा तू जननी है मेरी, भाषा तू मातृभूमि है मेरी**
भाषा तू अभिव्यक्ति है मेरी, भाषा तू संस्कृति है मेरी
भाषा तू पहचान है मेरी, तुझसे ही है समृद्धि मेरी
भाषा न होती तो मेरी, भावनाऐं मौन ही रह जाती
–श्री प्रेमचंद परस्ते

अनेकता में एकता भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता है। हमारे देश में भिन्न–भिन्न जाति, धर्म, संप्रदाय के लोग निवास करते हैं। सबकी अलग–अलग भाषाएँ, बोलियाँ, रीतिरिवाज है परंतु इतनी विविधताओं के बावजूद सभी एक साथ मिलकर रहते हैं। एक दूसरे का सहयोग करते हैं ये अखण्डता ही हमारी संस्कृति का मूल स्वरुप है।

अनेकता में एकता ही इस देश की शान है
इसीलिए तो मेरा भारत सबसे महान है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सुझाया गया है कि देश के छात्रों को यएक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के अंतर्गत ग्रेड 6–8 में विभिन्न गतिविधियों के द्वारा छात्रों को भारतीय भाषाओं की उल्लेखनीय एकता के बारे में जानने में मदद मिलेगी। जिसके अंतर्गत वे समान धवन्यात्मक और वैज्ञानिक रुप में व्यवस्थित वर्णमाला और लिपियों, उनकी सामान्य व्याकरणिक संरचनाओं, संस्कृत तथा अन्य शास्त्रीय भाषा से इनकी शब्दावली के स्त्रोत और उद्भव को ढूँढने से लेकर इन भाषाओं के समृद्ध अंतर प्रभाव को समझ सकेंगे। छात्र विभिन्न क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषाओं, जनजातीय भाषाओं की प्रकृति और संरचना, भारत की हर प्रमुख भाषा के समृद्ध और उभरते साहित्य के बारे में भी सीख पाऐंगे। इस प्रकार की गतिविधियाँ उन्हें भारत की एकता की सुंदर सांस्कृतिक विरासत तथा इसकी विविधता में एकता की भावना से ओतप्रोत करेगी और अपने जीवन में वे भारत के अन्य भागों के लोगों से मिलने जुलने में सहज महसूस करेंगे।

अपनी मातृभाषा के साथ–साथ अधिक से अधिक भारतीय भाषाओं को सीखने के लिए अनुकूल वातावरण बनाने तथा पड़ोसी भाषा के प्रति प्रेम और आनंद की अनुभूति के लिए भाषाई सौहार्द्र विकसित करने की आवश्यकता है। किसी अन्य भारतीय भाषा को सीखना बोलना एक प्रतिष्ठा का विषय बनना चाहिए।

इसी भावना को ध्यान में रखते हुए महाकवि सुब्रमण्यम भारती के जन्म जयंती 11 दिसम्बर को भारतीय भाषा दिवस के रुप में मनाया जाना निश्चित किया है। इस दिन भारतीय भाषा उत्सव का आयोजन किया जायेगा। तमिल साहित्य के महाकवि सुब्रमण्यम भारती अपने समय में उत्तर और दक्षिण के बीच सेतू माने जाते थे। उनके गीत देशभक्ति, राष्ट्रवाद को जगाने वाले ज्वलंत गीत थे। उनकी जयंती को उत्सव दिवस के रूप में मनाना एक बार फिर राष्ट्रीय एकता को मजबूती प्रदान करेगा। इसलिए हम सब भारतीय भाषा दिवस मनाते रहे हैं।

सदुपयोग करों भाषा का, इसकी यही कहानी है।
इसको परवाह नहीं किसी का, यह तो बहता पानी है।
भाषा के प्रवाह में तुम, यूँ ही बहते जाओगे
भाषा का प्रवाह भी ऐसा है नदी की तरह बह गया सो बह गया।
कोई ऐसी भाषा नहीं बना सकता, जो वाणी में कटुता पैदा कर सके
भाषा भी ऐसी है जो मनुष्य की वाणी में रम गई सो रम गई।
–श्री प्रेमचंद परस्ते

एक छत्तीसगढ़ी लोकगीत का उल्लेख करने जा रही हूँ। इस गीत को मेरी माँ श्रीमती गीता मरकाम सेवानिवृत्त उपमहानिदेशक दूरदर्शन केंद्र इन्दौर एवं मेरे पिता श्री बाबूराम मरकाम सेवानिवृत्त वरिष्ठ समाचार वाचक आकाशवाणी इन्दौर द्वारा स्वरचित एवं संगीतबद्ध किया गया है। इस गीत की रचना उन्होंने जगदलपुर बस्तर छत्तीसगढ़ में पोस्टिंग के दौरान की थी। मेरे माता–पिता छत्तीसगढ़ी लोकगीतों के प्रसिद्ध युगल गायक रहे हैं। इनके गीत समय–समय पर दूरदर्शन एवं आकाशवाणी से प्रसारित होते रहे हैं। उन्हीं में से एक गीत जंगल पहाड़ के गीत जो पति–पत्नी के जीविकोपार्जन संबंधी संवाद से संबंधित है।

सुन संघी जावो जल डोंगर पहार
ऊहाँ ले लाबो सरई बीजा कबार
बीजा ला धरके जानो बस्तर बाजार
ओमा निकारबो गा खर्चा हमार
सरई बन सरई बन या चिरई बोले ना
मोर बन एक ठन तै लेबे लुगरा
अरे लुगरा ला छोड़ पहले लेबो गघरा
सरई बन या सरई बन या चिरई बोले ना
बीजा ला बेंच के चलाबो खर्चा
तबतो लईकन खा लेबो फतोही कुर्ता
सरई बन या सरई बन या चिरई बोले ना

भाषा समाज के ही गर्भ से पैदा होती है और सांस्कृतिक एकता कायम रखने का आधार भी। तीव्र गति से आ रहे सामाजिक बदलावों में मोटे तौर पर दो बाते सामने आ रही हैं एक तो व्यक्ति पहले से अधिक जागरूक हुआ है और दूसरे सांस्कृतिक प्रसार भी हो रहा हैं। ऐसे में राष्ट्रीय एकता को बनाए

रखने की चुनौती भाषा के माध्यम से ही संभव है क्योंकि भाषा में चुनौतियों को आत्मसात करने की अद्‌भूत क्षमता भी होती है। परिवर्तन के साथ विकास का प्रश्न भी जटिल हो गया है। भारतेंदू हरिशचंद्र की पंक्तियाँ उद्धृत करना चाहूँगी -

निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल।
बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटे न हिय को शूल।

इस मायने में विचार करें तो हमें अपनी भाषा के संरक्षण पर ध्यान देना जरुरी है तब ही हम अपनी उन्नति भी कर सकते हैं।

भाषा किसी भी समाज में उसकी संस्कृति का अभिन्न अंग होती है। समाज में ज्ञान का प्रसार ज्ञान को अर्थपूर्णता देने में भाषा सशक्त आधार होती है। जिस तेजी से सामाजिक परिवर्तन की गति बढ़ रही है उसमें बहुत कुछ बदला है और इस परिवर्तन के दौर में हमारी अभिव्यक्ति का आधार हमारी मातृभाषा भी बदलाव से अछूती नहीं रही। यह भी सच है कि ज्ञान की धरोहर को आगे बढ़ाने में नयी जानकारियों को सामाजिक संदर्भ में समझ सकने का आधार तैयार किए बगैर हम अपनी जड़ों से हिल जाएंगे अर्थात् भाषा की प्रगति हमारे राष्ट्र की प्रगति का आधार है।

लेखन भाषा के सृजन का आयाम है। हमारा प्रयास सार्थक हो क्योंकि ज्ञान के विमर्श का श्रेष्ठ आधार हमारी भाषा ही हो सकती है। पठन-पाठन को मजबूत आधार मातृभाषा ही प्रदान कर सकती हैं विद्यार्थियों की बढ़ती संख्या विभिन्न नये विषयों के प्रति बढ़ती अभिरुचि के अनुरुप मौलिक लेखन की आवश्यकता भी निरंतर बढ़ रही है।

उत्तार-दक्षिण के सेतू के नाम से प्रसिद्ध महाकवि सुब्रमण्यम भारती की जयंती के मौके पर स्कूलों और कॉलेजों में 11 दिसम्बर को भारतीय भाषा दिवस मनाया जाएगा। इसका मकसद, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशों के तहत छात्रों को भारतीय भाषाओं की जानकारी देंगे। अन्य भाषाएँ सीखने के लिए प्रोत्साहित करना है। सभी भाषाओं की जननी संस्कृत को माना जाता है उसी से अन्य भाषाऐं परिष्कृत और परिमार्जित होकर निकली हैं।

चिन्नास्वामी सुब्रमण्यम भारती एक सुप्रसिद्ध भारतीय लेखक कवि और पत्रकार, भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और तमिलनाडु के समाज सुधारक थे। 'महाकवि भारती' के रुप में लोकप्रिय, वे आधुनिक तमिल कविता के अग्रदूत थे और उन्हें अब तक के सबसे महान तमिल साहित्यकारों में से एक माना जाता है। उनकी कई रचनाएं, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान देशभक्ति और राष्ट्रवाद को जगाने वाले ज्वलंत गीत थे। 1882 में तिरूनेलवेली जिले के एट्टायपुरम में जन्में भारती की प्रारंभिक शिक्षा तिरूनेलवेली और वाराणसी में हुई और उन्होंने कई समाचार पत्रों में पत्रकार के रूप में काम किया। उनमें 'स्वेदश मिश्रण' और 'भारत' उल्लेखनीय समाचार पत्र थे। भारती भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सक्रिय सदस्य भी थे। 1908 में ब्रिटिश भारत सरकार द्वारा भारती के खिलाफ उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया था जिसके कारण उन्हें पुडुचेरी जाना पड़ा जहाँ वे 1918 तक रहे। भारती द्वारा लिखित साहित्य का दायरा बहुत विस्तृत था जिसमें धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक पहलू शामिल थे। भारती द्वारा लिखे गए गीतों का व्यापक रूप से तमिल फिल्मों और संगीत समारोहों में उपयोग किया जाता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. छत्तीसगढ़ी बोली - श्री प्रेमचंद परस्ते
2. छत्तीसगढ़ी लोकगीत - श्रीमती गीता मरकाम
3. छत्तीसगढ़ी साहित्य - श्री बाबूराम मरकाम
4. हिन्दी भाषा और नैतिक मूल्य - डॉ. राजरानी शर्मा

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XL

समकालीन साहित्य में हिन्दी पत्रकारिता का स्वरूप

डॉ. चन्द्रकला चौहान *

* सहायक प्राध्यापक (हिन्दी) पं. अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय महाविद्यालय, पिपल्यामण्डी, जिला- मन्दसौर (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – साहित्य और पत्रकारिता एक दूसरे के पूरक है। आधुनिक हिन्दी साहित्य को समृद्ध करने में पत्र-पत्रिकाओं का विशेष योगदान रहा है। पत्रकारिता को साहित्यकार की पहली सीढ़ी कहा गया है। वर्तमान समाज पत्रकारिता के नये युग में जी रहा है। विज्ञान जनित तकनीक ने पत्रकारिता के स्वरूप को व्यापक रूप में बदल दिया है। आज की पत्र-पत्रिकाएँ, अखबार, पत्रिकाएँ, रेडियों, टेलीविजन तक ही सीमित नहीं है। बल्कि इसका स्वरूप अब विस्तृत हो चुका है। वास्तव में पत्रकारिता की धारा विविध रूपों एवं आयामों में बहती है तथा प्रत्येक स्वरूप एवं आयाम का संबंध जनकल्याण से उतना ही है जितना की अग्नि का तपन से, चाँद का शीतलता से, मोती का क्रांति से और बादल का वर्षा से आवश्यकता बस पूर्ण मनोयोग एवं कर्तव्यनिष्ठा से कार्य करने वाले पत्रकारों की है।

प्रस्तावना – समकालीन साहित्य में सभी साहित्यिक अभिव्यक्तियाँ शामिल है जो उत्तार आधुनिकता के बाद से हुई है। इनमे से कुछ लेखकों को समकालीन माना जा सकता है। यदि यह वर्तमान समय की शैलीगत, कलात्मक या विषयगत गुणों को साझा करता है, इस अवधारण के तहत, अन्य शताब्दियों के कुछ लेखक भी समकालीन लगते है।

समकालीन का सामान्य अर्थ है – एक ही समय का या उसी समय होने वाला या समसामयिक है। इसे युगपात या सहवर्ती भी कहते है। समसामायिक का अर्थ है – वर्तमान कालिन अर्थात् आज की समझ रखना। वर्तमान सदैव पूर्व काल पर आधारित होता है व भविष्य की रूपरेखा तैयार करता है। समसामयिक विषयों पर लेखन के लिए अपने आस-पास के समाज की समझ, राजनीतिक विषयों की जानकारी, आर्थिक हलचल, उतार-चढ़ाव, सामाजिक-राजनीतिक सम्बंधों की प्रति जागरूकता होनी आवश्यक है। जैसे – सुभाषचन्द्र बोस, गांधीजी के समकालीन थे। किसी भाषा के वास्तविक और लिखित (शास्त्र समूह) को 'साहित्य' कह सकते है।

दुनिया में सबसे पुराना वाचिक साहित्य हमें आदिवासी भाषाओं में मिलता है। इस दृष्टि से आदिवासी साहित्य सभी साहित्य का मूल स्रोत है। साहित्य – स + हित+ य के योग से बना है। भाषा के माध्यम से अपने अंतरंग की अनुभूति, अभिव्यक्ति कराने वाली ललित कला 'काव्य'ही साहित्य कहलाती है। साहित्य समाज का एक आईना है जिससे हम समाज को देखते है। अर्थात् यह मानवीय जीवन का चित्र होता है।

पत्रकारिता के लिए अंग्रेजी का शब्द 'जर्नलिज्म' है। जिसकी व्युत्पत्ति 'जर्नल' शब्द से हुई। 'जर्नल' शब्द का अर्थ दैनिकी या दैनान्दिनी है। पत्रकारिता के संदर्भ में इसका अर्थ समाचार पत्र है। समाचार को अंग्रेजी में न्यूज (NEWS) कहा जाता हैं। स्पष्ट है कि 'न्यूज' में चार अक्षर है – एन.ई.डब्ल्यू.एस.। इनका अभिप्राय है – एन (N) – नार्थ (उत्तर), ई (E) – ईस्ट (पूर्व), डब्ल्यू (W)– वेस्ट (पश्चिम), एस(S)– साउथ (दक्षिण)। इस प्रकार न्यूज शब्द चारों दिशाओं का बोध कराता है, उसे ही समाचार कहते है।

'पत्रकारिता एक पेशा नहीं है बल्कि यह तो जनता की सेवा का माध्यम है।'[1]

समाज के हित और रूचि को ध्यान में रखकर समाचारों का संकलन, चयन, विश्लेषण और समाज तक उनका सम्प्रेषण करना ही पत्रकारिता है। अकबरी इलाहाबादी ने भी कहा है–

'खींचो न कमानों को न तलवार निकालों।
जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालों।'[2]

हिन्दी पत्रकारिता का स्वरूप – समाचार-पत्र पत्रिकाएँ विश्व के प्रतिबिम्ब है। देश विदेश में घटने वाली घटनाएँ, वर्तमान समय व प्रवृत्तियाँ, स्मृतियाँ सब इनके भीतर दिखाई देती है। सुबह होते ही जनता के हाथों में समाचार-पत्र होता है। अपनी-अपनी अभिरूचि के अनुसार जनता उसमें अपना चेहरा देखती है और बौद्धिक विकास पाती है। समाचारों से बड़ी-बड़ी क्रांतियाँ संभव हुई है। समाचार-पत्रों को देश के निर्माण में एवं व्यक्ति के विकास की एक महत्ती भूमिका है। आजकल जनता को सही सटीक जानकारी विभिन्न-पत्र, पत्रिकाओं के माध्यम से देना बहुत आसान हो गया है, देश में धीरे-धीरे या कुछ वर्षो में समाचारों के कारण बहुत परिवर्तन आ गया है। समय के साथ-साथ प्रांतीय भाषाओं में क्षेत्रीय समाचारों का तेजी से विकास हुआ है।

स्वतंत्रता के पूर्व व स्वतंत्रता के बाद की पत्रकारिता को यदि देखा जाए तो प्राचीनकाल में जब छापने की मशीन नहीं थी और न कागज था, उस युग में भी राजाओं द्वारा दिए गए आदेशों को प्रकाशित व वितरित किया जाता था। शिलालेखो और स्तम्भलेखों के द्वारा ऐतिहासिक काल में युग में पूर्व तत्कालीन देशों में जनता को सरकार की आज्ञा तथा प्रजा के कर्तव्यों का ज्ञान कराने की भी परिपाटी रही है।

स्वतंत्रता के बाद समाचार-पत्र/पत्रिकाओं का मुख्य उद्देश्य हो गया, अब जानकारियों एवं विकास की संभावनाओं को जनता तक पहुंचना और जनता की इच्छाओं और जरूरत को सत्ता और शासक वर्ग तक पहुंचना ही नहीं अब समाचार पत्र समाज के हल पहलूओं को प्रभावित करती है। परस्पर निर्भरता के चलते समाचार-पत्र अब समाज का दर्पण हो गई है। समाचार

सामाजिक जीवन का अनिवार्य अंग बन गया है। वह जब तक समाचार पत्र नहीं पढ़ लेता तब तक उसके मन की जिज्ञासाएँ शांत नहीं होती। समाचार सामाजिक जीवन के पूरक है।

पत्रकारिता एक महत्वपूर्ण मानवीय दायित्व से युक्त कार्य है। इस कार्य का लक्ष्य सिर्फ आर्थिक हित लाभ नहीं है। सूचना देना, शिक्षित करना एवं मनोरंजन करना पत्रकारिता का प्रमुख लक्ष्य है। जीवन की विविधता एवं नवीनतम संसाधनों की प्रचुरता को बहुआयामी बना दिया। आज पत्रकार अपनी-अपनी रूचि एवं प्रवृत्ति के अनुसार अपने लिए विशिष्ट क्षेत्रों का चयन कर रहे हैं क्योंकि वर्तमान समय पूर्णतया विशिष्टीकरण की ओर अग्रसर है। इस प्रकार पत्रकारिता के विभिन्न स्वरूपों को निम्नवत् वर्गीकृत किया जा सकता है - ग्रामीण पत्रकारिता, आर्थिक पत्रकारिता, विज्ञान पत्रकारिता, उद्योग पत्रकारिता, फिल्म पत्रकारिता, स्वास्थ्य पत्रकारिता, मनोरंजन पत्रकारिता, दूरदर्शन पत्रकारिता, खेल पत्रकारिता, रेडियों पत्रकारिता, मौसम पत्रकारिता आदि।

इस प्रकार हम देख रहे है कि समकालीन परिवेश में समाचार-पत्र व पत्रिकाओं के लेखन के विविध स्वरूप हमारे सामने है।

हिन्दी पत्रकारिता आज स्वस्थ, निर्भीक, प्रखर, राष्ट्रीय स्वर से समुक्त हो और जिसका उद्देश्य भारतीय जनमानस की अस्मिता, स्वाभिमान का बोधा कराना हो, ऐसी पत्रकारिता की आवश्यकता है। आज के संक्रमण के दौर में महत्वपूर्ण, सार्थक और संगत पत्रकारिता की आवश्यकता ही लोकतंत्र के इस 'चौथे स्तम्भ' का राष्ट्र से बहुत ही गहन रिश्ता होता है।

पत्रकारिता ही वह माध्यम है जिसके अंतर्गत हम विश्व जीवन से संयुक्त होते है। आज के इस सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यस्तम जीवन में समाचार-पत्र, पत्रिकाएँ हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। जिस तरह शारीरिक भूख शांत करने के लिए भोजन जरूरी है, उसी तरह मानसिक तृप्ति के लिए पत्र-पत्रिकाएँ जीवन के लिए अनिवार्य हो गई है। समाचार-पत्र एवं पत्रकारिता वास्तव में एक चुनौती है जिसके आवश्यक गुण है - उत्तरदायित्य, निष्पक्षता, सभी दबावों से परे रहना, स्वतंत्रता बनाए रखना, समान और सभ्य व्यवहार, सत्य प्रकट करना।

महात्मा गाँधी ने कहा था - 'समाचार-पत्रों में बड़ी शक्ति है। इनमें शब्दों की सरलता, शैली का गंभीर और लालित्य होना अनिवार्य है। ठीक वैसे ही जैसे - पानी के जबरदस्त प्रवाह में होती है। इसे आप खुला छोड़ देंगे तो वह गाँव को बहा देगा, खेतों को डुबा देगा, उसी तरह से निरंकुश कलम विनाश का कारण बन सकती है, लेकिन अंकुश भीतर का ही होना चाहिए। बाहर का अंकुश और भी जहरीला होता है।'[3]

उपर्युक्त परिभाषाओं के आलोंक में हम पत्रकारिता के स्वरूप को समझ सकते है। पत्रकारिता अपने समय और समाज के प्रति सजग और विवेकपूर्ण होती है और समाज की समय की नब्ज के प्रति दायित्व युक्त बनाने का काम करती है। पत्रकारिता का स्वरूप लोकतांत्रिक, मानवीय दायित्व से पूर्ण, मानवीय गौरव और गरिमा को स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील, मानव और समाज के बीच के अंतर संबंधों को सद्भावपूर्ण और तर्क आधारित बनाने के लिए प्रतिबद्ध मनुष्य और सत्ता के सम्बंधों और संघर्षो में मानवीयता की पक्षधार, अन्याय के खिलाफ न्याय की आवाज के रूप में प्रतिष्ठित है।

आज के संदर्भ में पत्रकारिता व्यावसायिक हो गई है। यह अलग चर्चा का विषय है। वास्तविक रूप में पत्रकारिता का स्वरूप क्या है ? यह अलग प्रश्न है। पत्रकारिता अपने उद्भव के साथ और इलेक्ट्रानिक मीडिया के हावी होने से पहले यानि कि भूमण्डलीयकरण की प्रक्रिया के पूर्व पत्रकारिता का जो स्वरूप था वह आज नहीं है।

भारतेन्दु हरिशचन्द्र के समय से हिन्दी पत्रकारिता ने अंग्रेजी सत्ता के विरोधा के जो नए-नए आयाम गृहण किए थे और जन जागृति का जो बिगुल बजा रखा था, वह आजादी के साथ समाप्त होता गया और देश के आर्थिक विकास और पूंजीवाद के विकास के साथ-साथ जीवन और राजनीति के सम्बंधों में जो संरचनात्मक परिवर्तन या विघटन आया उसके कारण पत्रकारिता का स्वरूप भी बदल गया।

30 मई 1826 को कलकत्ता से प्रकाशित पं. जुगलकिशोर शुक्ल के सम्पादन में निकलने वाला 'उदंत मार्तण्ड'को हिन्दी का पहला समचार पत्र माना जाता है। इसलिए 30 मई को 'हिन्दी पत्रकारिता दिवस'के रूप में मनाया जाता है।

युगीन परिस्थितियों के आधार पर प्रमुख पत्र-पत्रिकाओं के नाम इस प्रकार है -

1. भारतेन्दु पूर्व युग की पत्र-पत्रिकाएँ -

उदन्त मार्तंड - जुगल किशोर शुक्ल (1826), कलकत्ता-साप्ताहिक,
बंगदूत - राजा राम मोहन राय (1829), कलकत्ता - साप्ताहिक,
प्रजामित्र - (1834)
बनारस- अखबार, राजशिव प्रसादसिंह (1845), बनारस

2. भारतेन्दु युग की पत्र-पत्रिकाएँ -

कविवचन सुधा - भारतेन्दु (1868), काशी - मासिक पत्र,
हरिशचन्द्र मैगजीन - भारतेन्दु (1873), बनारस,
बाल बोधिनी - भारतेन्दु (1874), बनारस - साप्ताहिक,
भारत बंधु - तोताराम, भारतमित्र,
हिन्दी प्रदीप - बालकृष्ण भट्ट (1877) प्रयाग - मासिक

2. द्विवेदी युग की पत्र-पत्रिकाएँ -

नागरी नीरद - बद्रीनारायण चौधारी (1893) मिर्जापुर - साप्ताहिक,
नागरी प्रचारिणी पत्रिका - (1896), काशी - त्रैमासिक,
सरस्वती- चिंतामणि घोष (1900), काशी - मासिक,
सुदर्शन - देवकीनंदन (1900), काशी,
समालोचक - चन्द्रधरशर्मा गुलेरी (1902), जयपुर,
इंदू- अम्बिकादत्त प्रसाद गुप्त (1909), काशी - मासिक,
प्रताप- गणेशंकर विद्यार्थी (1913) - साप्ताहिक,
प्रभा- कालूराम (1913) -मासिक,
मर्यादा - कृष्णकांत मालवीय (1909) आदि

4. छायावादी युग की पत्र-पत्रिकाएँ -

चाँद - महादेवी वर्मा (1920), प्रयाग,
नवजीवन - गाँधी (1921), अहमदाबाद,
माधुरी-दुलारेलाल भार्गव (1922), लखनऊ,
कर्मवीर- माखनलाल चतुर्वेदी (1924), जबलपुर,
हंस - प्रेमचन्द्र (1930), बनारस - मासिक,
जागरण - पूजन सहाय (1932)

5. छायावादोत्तर युग की पत्र-पत्रिकाएँ -

साहित्य संदेश - बाबु गुलाब राय (1937), आगरा - मासिक,
भारत - नंददुलाई वाजपेयी, इलाहाबाद,
धर्मयुग- धर्मवीर भारती (1950), मुम्बई,

आलोचना- शिवदानसिंह चौहान (1951), नई दिल्ली,
नये पत्ते - लक्ष्मीकांत वर्मा (1953), इलाहाबाद,

6. वर्तमान काल की पत्र-पत्रिकाएँ-

ज्ञानोदय - कन्हैयालाल मिश्र (1955), कलकत्ता
समालोचक- रामविलास शर्मा (1958), आगरा
पहल- ज्ञानरंजन (1960), जयपुर
सारिका- रतनलाल (1960)
समकालीन भारतीय साहित्य - (1980)
हंस -राजेन्द्र यादव (1984), दिल्ली,

मानव समाज में जागृति लाने के लिए समय और परिस्थिति के अुनसार दैनिक अखबार, साप्ताहिक पत्रिकाएँ, मासिक पत्रिकाएँ, त्रैमासिक पत्रिका, अर्द्धवार्षिक पत्रिका एव वार्षिक पत्रिकाओं का प्रकाशन हो रहा है। समाचार पत्र और पत्रिकाओं में देश की राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों को ध्यान में रखकर ही प्रकाश कार्य किया जाता है।

निष्कर्ष - अंत: हम यह कह सकते है कि समकालीन साहित्य में पत्रकारिता एवं समाचार पत्रों का स्वरूप तीव्र गति से परिवर्तित हो रहा है। जीवन के प्रत्येक पहलूओं को ध्यान में रख कर पाठ्य सामग्री एकत्रित की जा रही है जो समाज और राष्ट्र के विकास में अपना अमूल्य योगदान दे रही है। समकालीन साहित्य में हिन्दी पत्रकारिता की यह भूमिका इस तथ्य को पुरजोर ढंग से रेखांकित और स्थापित करती है कि वह हमेशा से ही राष्ट्रीय हित की भावना से ओतप्रोत होकर संचालित होती रही है तथा जनमानस को सदैव प्रेरित करती रही है। हिन्दी पत्रकारिता का इतिहास सम्पादकों, पत्रकारों के त्याग एवं कर्तव्य-निष्ठा का इतिहास रहा है।

हिन्दी पत्रकारिता ने अपने स्वरूप और अपने चरित्र में बुनियादी परिवर्तन किये। जिसने खबरों की स्थूलता की जगह उसके तह में छिपी सच्चाईयों को खोज निकालने की प्रवृत्ति विकसित की है और हिन्दी की पत्रकारिता ने आमजनता के दु:ख-दर्द को आवाज देना ही नहीं बल्कि उसके कारणों को खोजने, तलाशने एवं उस पर निर्भीकता के साथ भरपूर हमला करने की ओर भी प्रवृत्त हुई है।

संदर्भ ग्रंथ सूची:-

1. डॉ. राय छबीला त्रिपाठी, डॉ. श्रीमती उषा शुक्ल - प्रयोजनमूलक हिन्दी, कैलाश पुस्तक सदन, भोपाल।
2. डॉ. संजीव जैन - प्रयोजनमूलक हिन्दी, कैलाश पुस्तक सदन, भोपाल।
3. डॉ. त्रिभुवन शुक्ल, डॉ. किरण जैन, डॉ. कमल चतुर्वेदी - प्रयोजनमूलक हिन्दी, म.प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल, संस्करण द्वितीय, 2020।

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XL

मेहरून्निसा परवेज के कथा साहित्य में शोषित नारी की दुर्दशा एवं चेतना

भूपेन्द्रीय देवी जायसवाल* डॉ. एस.आर. बंजारे **

* शोधार्थी, शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.) भारत
** सहायक प्राध्यापक, भानुप्रताप देव शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कांकेर (छ.ग.) भारत

प्रस्तावना – वर्तमान युग में भारतीय समाज आज भी नारी के लिए पिता, पति और पुत्र में से किसी एक अभिभावक की आवश्यकता समझता है। आधुनिक नारी आत्मनिर्भर होकर सामाजिक क्षेत्रों में कार्य कर रही है। आत्म निर्भरता नारी के व्यक्तित्व में परिवर्तन लाती है। आज नारी अपने व्यक्तित्व के प्रति सजग एवं संवेदनशील है। प्रमील कपूर के शब्दों में – 'जहाँ उसका व्यक्तित्व केवल सेक्स, प्रेम ओर विवाह के इर्द–गिर्द घूमता था, वहाँ आज अर्थ भी उसके व्यक्तित्व का निर्धारक बन गया है।'[1]

भारतीय समाज में नारी की दशा –भारतीय समाज में सबसे अधिक पीड़ित, प्रताड़ित एवं बन्धन ग्रस्त वस्तु यहाँ की नारी रहती है। नारी आर्थिक, शारीरिक, मानसिक और राजनैतिक रुप से शोषण का शिकार बनती है।

'हमारे समाज में नारी अनेक समस्याओं से ग्रस्त रही है। समाज में एक ओर पुरूषों को स्वच्छन्द जीवन भोगने के लिए अनेक व्यापारिक सुविधाएँ उपलब्ध रही हैं, दूसरी तरफ नारी घर की चार दीवारों में बन्द होकर पुरूषों के हाथ की कठपुतली बनी रही है। पुरूष केन्द्रित समाज ताकि परिवार में नारी को हीन समझकर उसे समानाधिकारों से वंचित रखा गया। फलत: वह हीन भावना ग्रस्त होकर आजीवन सामाजिक अत्याचार मौन रुप से सहती रहती है।'[2] आज शोषण व पीड़ित नारियाँ सर्वत्र मिलती हैं। पुरूष की नजर में स्त्री मात्र एक शरीर है वासना पूर्ति का साधन है। मुक्त बाजार में भी स्त्री का शोषण हो रहा है। स्त्री पर बाल्यकाल से ही अत्यधिक प्रतिबंध लगा दिये जाते हैं। विवाह पश्चात् पति से भी उस पर बंधन होता है।

'यह निरापद ही निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि ऐसा कोई भी नारी जीवित नहीं होगी, जिसने अपनी पीड़ा की मुक्ति के लिए कम से कम एक बार आत्महत्या के बारे में सोचा न होगा।'[3] कहने का तात्पर्य यह है कि नारी अभी शोषण के चक्र में पिसती रही है। महिला लेखिका जो कि अधिकांशत: ऐसी नारियों का चित्रण किया है।

मेहरून्निसा परवेज जी ने अपने कथा–साहित्य में शोषित पीड़ित नारियों और उनकी समस्याओं का स्पष्ट दिल को छू जाने वाली समस्याओं का अंकन किया है। पारिवारिक समस्याओं से जूझकर अपना अस्तित्व कायम करने वाली नारी चेतना उनकी कथा साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता है।

महेन्द्र रघुवंशी के अनुसार – 'मेहरून्निसा परवेज की नारियाँ समय आने पर पति को भी त्याग सकती हैं, समाज की परम्पराओं को तोड़ सकती हैं। पति और परिवार से विद्रोह करती हैं, क्योंकि अब हमारे समाज में नारियों के जीवन का असली रुप देख लिया है, अब वह पुरूष पर आश्रित नहीं है। उसने जीने की राह ढूँढ़ ली है। जो अपना सब कुछ समर्पित कर देती है, उसे ही बेघर कर दिया जाता है। इसलिए वह चाहती है कि, उसका अपना स्वतंत्र घर हो।'[4] आशय है कि आज की स्त्री आर्थिक रुप से भी स्वतंत्र और आत्म निर्भर है इसलिए वह पुरूष सत्ता को स्वीकारती नहीं है। फिर भी तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था की वजह से नारी शोषण की परम्परा कायम है।

वर्तमान युग में नारी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और राजनैतिक रुप शोषण का शिकार बनती हैं। मेहरून्निसा परवेज ने 'पत्थर वाली गली' में शारीरिक रुप से पीड़ित नारी का चित्रण किया है तो, 'जंगली हिरणी' में मानसिक रुप से शोषण का शिकार होने वाली नारी त्रासदी दर्शनीय है। 'गुरूमंत्र', 'पसेरी भर जवानी', 'दूसरी अर्थी', 'एक और सैलाब', 'पाँचवीं कब्र', 'सीढ़ियों का ठेका' और 'नया घर' जैसी कहानियों में आर्थिक रुप से पीड़ित नारियों की व्यथायें दिखायी हैं। 'जगार' में राजनैतिक से पीड़ित नारी का चित्रण किया गया है।

'पत्थर वाली गली' में जेबा अपने बूढ़े दादा और खाला के साथ रहती थी। दादा को जल्दी–जल्दी टाइम जानने की आदत थी। टाइम जानने के लिए दादा ने जेबा को नुक्कड़ वाला परचुन की दुकानदार के पास भेजा था। परचुनिया जेबा को देखते ही एक आँख दबाकर बेशर्मी से मसखरी करता है, 'रानी के लिए घड़ी शहर से ला दूँगा, फिर रोज–रोज टाइम देखना।'[5] दुकानदार एक वहशी आदमी था। एक दिन दुकानदार ने उसे अपनी हवस का शिकार बना लिया। इस कहानी में नारी का शारीरिक शोषण का नया उल्लेख हुआ है।

'जंगली हिरणी' कहानी में आदिवासी लड़कियों में उन्मुक्त प्रेम आचरण को प्रस्तुत किया गया है। आदिवासी लोग प्रेम को पवित्र एवं सुन्दर मानने के साथ ही प्रेम पर कोई प्रतिबंध नही लगाते हैं। आदिवासी लच्छो शहर से पढ़ाने आये अध्यापक से प्यार करती है। शहरी बाबू उसे बहुत सुन्दर सपने दिखाता है। कहता था कि – 'लच्छो पूछती – 'परदेशी तुम मुझे भी पढ़ाओगे न !' हाँ, तुम्हें पढ़ाऊँगा। 'मुझे दिखाओ न परदेशी अपना शहर।'

'हाँ; तुम्हें ब्याहकर ले जाऊँगा।'[6] और अंत में उसे छोड़कर शहर चला जाता है। लच्छो अपने प्रेमी के चले जाने से केवल आँसू बहाने के अलावा कुछ नहीं कर पाती।

'गुरूमंत्र' कहानी में मूँगा, सुकरी और बेलती ये लड़कियाँ उनकी माँ की मृत्यु के बाद अनाथ सा हो जाती है। इन लड़कियों का बाप दूसरा ब्याह कर एक औरत को ले आता है। आर्थिक अभाव के कारण इन लड़कियों की शादी बाप कर नहीं पाता। बड़ी लड़की रेल्वे में काम करने वाले मजदूर के

साथ भाग जाती है। इसके बाद मौसी मूँगा की शादी अधेड़ लड़के के साथ तय करती है। वह लड़का चाहे कैसा भी हो मगर घर सम्पन्न है। इसलिए चैन से रह सकती है। आर्थिक अभाव के वजह से लड़की को अपने इच्छानुसार शादी करने की छूट नहीं होती है।

'पसेरी भर जवानी' कहानी की मोहनी अपने पति के साथ सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। उसके पति को एक झूठे कत्ल के जुर्म में पकड़ लिया जाता है। इस केस की वजह से उसके घर की सारी सुख शान्ति चली जाती है। घर की आर्थिक स्थिति बुरी होने पर धनार्जन करने के लिए वह शरीर बेचने को भी तैयार होती है।

'पाँचवीं कब्र' इस कहानी में आर्थिक अभाव से पीड़ित बाप रहमान की व्यथा को व्यक्त किया गया है जिसमें रहमान और उसकी पत्नी अपने बेटी की शादी करने के लिए पाँच और लोगों की मृत्यु का इंतजार करती है। क्योंकि कब्र खोदने से पैसे मिलते है। उसी से रहमान का घर चलता है।

'दूसरी अर्थी' में खोलीवाला आदमी के नाम से मोहल्ले में जाना जाता व्यक्ति अचनाक मर जाता है। पति की मृत्यु के बाद पत्नी व बच्चे अनाथ हो जाते हैं। परिवार का मुखिया जिससे ही घर चलता हो चल बसे तो उस परिवार की आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है।

'एक और सैलाब' में नीलू घर और अस्पताल के चक्कर काटकर थक गयी। एक दिन नीलू को मालूम हो जाता है कि उसका पति ठीक नहीं हो सकता। नीलू बहुत कर्ज ले चुकी थी। अन्त में नीलू नींद की गोलियाँ ज्यादा देकर पति की हत्या करती है। नीलू अपने पति की बीमारी तथा तीन बच्चों की जिम्मेदारी और आर्थिक कठिनाई के कारण थक गई थी। आर्थिक परेशानी मनुष्य को बुरे काम करने के लिए मजबूर कर देती है।

'सीढ़ियों का ठेका' इस कहानी में करीमन और फातिमा आर्थिक विषमता के कारण बड़ी मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठकर भीख माँगती हैं।

'नया घर' कहानी में हलीमन द्वारा मानवीयता का परिचय देने का प्रयास किया है और साथ ही आर्थिक विषमता को अंकित किया गया है।

'जगार' कहानी में पूँजीपतियों और राजनैतिक नेता के हाथों कठपुतली बनने से विवश होने वाली गोमती की विडंबना को दर्शाया गया हे। गोमती द्वारा परवेज जी ने औरत की राजनैतिक चेतना और उनकी जिन्दगी में आये परिवर्तन को मार्मिक रुप से व्यक्त किया है। इस कहानी का आशय है – 'जागना' अपने सम्मान और सत्य की लड़ाई के लिए उठ खड़े होना। जगार कहानी में बताया गया है कि कैसे चौधरी या अमीर लोग अपने नौकरों की बीबियों को अपनी रखैल समझते हैं और उनकी इज्जत को तार–तार कर देते हैं और न चाहते हुए भी उन्हें ये सब सहन करना पड़ता है। और अगर वह स्त्री अपनी सम्मान के लिए कुछ बोल दे तो उसकी जान ले ली जाती है।

'औरत को सम्मान जनक, जीवन जीना है तो समाज और राजनीति में बराबर हस्तक्षेप करते ही रहना होगा, क्योंकि समाज में ही राजनीति पैदा होती है और राजनीति ही समाज को नियंत्रित करती है।'[7] वर्तमान युग में सामाजिक विचारों में परिवर्तन आया है। परन्तु यह परिवर्तन मानसिक रुप से स्त्री में जितनी प्रगति से आया है, उतना पुरूष में नहीं। उषा महाजन का कहना है – 'पुरूष भी यह समझ लें कि पति और पत्नी जीवन रथ के दो पहिए होते हैं, जिन्हें मंजिल तक पहुँचाने के लिए एक साथ, एक ही समान गति से एक ही दिशा में आगे बढ़ना होगा, तभी परिवार नामक संस्था फल–फूल सकती है। वरना तो जिस घर की धुरी, स्त्री ही संतप्त–प्रताड़ित होगी, उस घर का शीर्ष, पुरूष कब तक उस तपन से बच पाएगा।'[8]

काम काजी महिला भी परिवार द्वारा शोषण का शिकार बनती है। आर्थिक पराधीनता से अपनी पुत्री का विवाह भी माता–पिता नहीं करते। वे स्वार्थवश उसे बाँधे रखते हैं। परिवार की पुष्टि ही उनका एकमात्र लक्ष्य है– 'आज की नौकरी पेशा नारी के मानसिक अन्तर्द्वन्द्वों और विवशताओं को अक्सर उनके अपने माँ–बाप, भाई–बहन तक नहीं समझ पाते, पति का फिर क्या कहना। बढ़ती हुई माँगें और महंगाई, ऊँचे उठते जीवन स्तर आदि में दूसरों के साथ होड़ मचाने के लिए मध्यम वर्गीय व्यक्ति को भी कठिन मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए मध्यमवर्गीय नारी के लिए नौकरी करना जरूरी हो गया है। नौकरी करने वाली नारी को घर और बाहर दोनों जगह काम का बोझ अकेली ही संभालना पड़ता है।'[9] कामकाजी नारी हर क्षेत्र में शोषण का शिकार होती है।

'अकेला गुलमोहर' में सुधा कामकाजी नारी है। बड़े भाई सुधा की कमाई पर जीवन बिताता है। वह कसाई की दृष्टि अपनी बहन पर डालता है। उसका विवाह करवाने की इजाजत भी वह नही देता। इस कहानी में आर्थिक स्वार्थपरता एवं कामकाजी महिलाओं के शोषण की समस्या ही प्रमुख समस्या है। 'अकेला पलाश' उपन्यास में पति जमशेद के यातनामय, अन्यायपूर्ण व्यवहार से संघर्ष करते हुए भी कामकाजी तहमीना अपना जीवन घसीट ले रही है। तहमीना के उत्पीड़न का तथा शोषण का कोई अंत नहीं होता।

निष्कर्ष – भारतीय समाज में असंख्य नारियाँ विद्यमान हैं जो पति के अन्याय पूर्ण व्यवहार से संघर्ष आजीवन जारी रखती है। नौकरी पेशा नारी के सामने औपचारिकता और अकेलापन, राजनैतिक दाँवपेंज, प्रतिद्वंद्विता अधिक चुनौती उत्पन्न करता है। नौकरी पेशा महिला दोहरी–तिहरी भूमिका निभाते एक मशीन की तरह बन जाती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. प्रमील कपूर – भारत में विवाह और कामकाजी महिलाएँ – पृ.सं.– 11
2. वसाणी कृष्णावंती – दसवें दशक में हिन्दी उपन्यासों में दलित चेतना – पृ.सं. – 120
3. ारश्रश्ररवळ ाीललरारु ारि – ढीरवळींळाी रवि उींश्रीीीश – झ. 42
4. मृदुला गर्ग – प्रथम दशक के महिला लेखन में स्त्री विमर्श – पृ.सं. – 105
5. मेहरून्निसा परवेज – मेरी बस्तर की कहानियाँ – पृ.सं. – 188
6. मैत्रेयी पुष्पा – खुली खिड़कियाँ – पृ.सं. – 227
7. उषा महाजन – बाधाओं के बावजूद, नई औरत – पृ.सं. – 26
8. डॉ. पी. वी विश्वं (संपादक) – संग्रथन मई 12 – पृ.सं. – 15
9. डॉ. मुदिता चंद्रा और डॉ. सुलक्षणा टोपो – आधुनिक एवं हिन्दी कथा साहित्य में नारी का बदलता स्वरुप – पृ.सं. – 111

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XL

भारतीय संसद में विपक्ष की भूमिका : एक तुलनात्मक अध्ययन 2009 से वर्तमान तक

डॉ. वीरेन्द्र चावरे*   जितेन्द्र दायमा **

* प्राध्यायपक, राजनीति विज्ञान एवं लोक प्रशासन अध्ययनशाला, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत
** शोधार्थी, राजनीति विज्ञान एवं लोक प्रशासन अध्ययनशाला, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। हमने 1952 से लेकर 2022 तक संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है। संसद सर्वोच्च है एवं संसदीय प्रणाली ने सरकार को सर्वोत्ताम माना है। हमारी आजादी के 75 वर्ष पूरे हो रहे है तथा आजादी के बाद वर्तमान तक भारत में 17वीं लोकसभा का चुनाव हो चुका है। आज हम राजनीति में सांस लेते है, राजनीति में जीते है, हमारा जीवन चारों ओर से राजनीति से जकड़ा है। संसदीय लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में विपक्ष का विशेष महत्त्व है। यदि पता करना हो कि किसी देश मी स्वतंत्रता और लोकतंत्र जीवित है या नहीं तो यह जानना होगा कि वहां विपक्ष है या नहीं है तो उसकी भूमिका क्या है कैसी है।

संसदीय प्रजातंत्र का एक आधारभूत तत्व है विरोधी दल। विरोधी दल का अस्तित्व संसदीय प्रजातंत्र की पहचान है। एक सशक्त विरोधी दल के अभाव में संसदीय प्रजातंत्र का जीवन दुर्लभ है।

15वे लोकसभा चुनाव अप्रैल–मई 2009 में सम्पन्न हुए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने (संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धन) यूपीए की पाँच वर्ष सरकार चलाने के बाद फिर देश की जनता ने 2009 के चुनाव में उन पर विश्वास जताया। 2004 की तुलना में 2009 में कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने डॉ. मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री पद हेतु उम्मीदवार घोषित किया था जबकि भारतीय जनता पार्टी ने भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण अडवाणी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया, किन्तु वह बहुमत से दूर रही। कांग्रेस पार्टी को सबसे अधिक सीटे प्राप्त हुई। इस लोकसभा में किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। सबसे अधिक सीटे 206 कांग्रेस को मिली। भाजपा को 116 सीटे प्राप्त हुई। एनडीए फिर सरकार बनाने हेतु विफल रहा जिसने गठबन्धन के माध्यम से यूपीए–2 की सरकार बनाई और डॉ. मनमोहन सिंह दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। 15वीं लोकसभा में 543 सीटों के लिए चुनाव हुए जिसमें 7 राष्ट्रीय दल तथा 34 राज्य स्तरीय एवं 322 सम्बन्धित पार्टी ने अपनी किस्मत को अजयामा। इस चुनाव में सात राष्ट्रीय दल में कांग्रेस, भाजपा, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिष्ट पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, जनता दल शामिल थे।[1] 15वीं लोकसभा चुनाव के पश्चात विभिन्न राजनीतिक दलों को सीटें प्राप्त हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 206, भारतीय जनता पार्टी 116, बहुजन समाज पार्टी 21, सीपीआई 04, सीपीएम 16, एनसीपी 09 इत्यादि।[2]

संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धन सरकार को डीएमके ने नया झटका दिया जब संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद में भारत द्वारा पड़ौसी राष्ट्र श्रीलंका के विपक्ष में वोट किया। तब ऐसा नजारा देखने को मिला जब सीबीआई ने डीएमके नेता के यहाँ छापा मारी की गई जो कि विदेशी करों पर चोरी के मामलों को देखते हुए बर्बर कार्यवाही हुई। जिसका पलटवार करते हुए डॉ. मनमोहन सिंह ने कहाँ कि हम छापे की कार्यवाही से भिन्न है और सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है।

2009 में हुए लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से देश में सप्रंग गठबन्धन की सरकार बनी। डॉ. मनमोहन सिंह लगातार दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। इस सरकार को समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी व राष्ट्रीय जनता दल बाहर से समर्थन दे रहे है। जबकि डी.एम.के. व तृणमूल कांग्रेस इस गठबन्धन से अलग हो चुके है। डी.एम.के. ने तमिल समस्या के कारण जबकि टी.एम.सी. रेल मंत्रालय विवाद के कारण संप्रग सरकार से समर्थन वापस ले लिया।[3]

2009 में निर्वाचन 15वीं लोकसभा में भाजपा ने विपक्ष की भूमिका निभाई। श्रीमती सुषमा स्वराज विपक्ष की मान्यता प्राप्त नेता रहीं। 2004 से 2014 तक संप्रग सरकार में प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह गठबन्धन सरकार की मजबूरी का रोना रोते देखे गये। सोनिया गाँधी इटलीमूल को लेकर विपक्ष ने जमकर निशाना साधा इस विरोध के कारण वह प्रधानमंत्री भी नहीं बन पाई। उन्होंने तो त्याग का अन्तिम भारतीय दिव्य गौरव हासिल किया।[4]

भारतीय संसद में राष्ट्र की आवाज को कभी नहीं दबाया। वह तो उसका दर्पण होता है जो कि सी.डब्ल्यू.जी., 2जी स्पैक्ट्रम, कोलगेट टेप से लेकर भ्रष्टाचार, कालाधन, कॉमनवेल्थ गेम्स, किसान जमीन अधिग्रहण, मंहगाई लोकपाल बिल, अगस्ता–वेस्टलैंड, आतंकवाद, 6 बेसीन गैस जैसे घोटालों में समय–समय पर विपक्ष द्वारा आवाज उठाई गई। महिला आरक्षण बिल को लेकर राज्य सभा में यह नजारा देखने को मिला कि विपक्ष ने राज्यसभा पति हामिद अंसारी के साथ छिना झपटी हुई, नारे लगाये गये, बिल की प्रतियाँ फाडी गई, हंगामा हुआ।[5] भारतीय संसदीय प्रणाली में राजनीति दलों का व्यवहार एक बड़ी चुनौतियाँ बन गई है। संसद चलती नहीं है और जब चलती है तो गम्भीर मसलों पर बहस के नाम पर गडे मुर्दे उखाडे जाते हैं या फिर तू–तू मैं–मैं होती रहती है। जब अमेरिका के साथ 2009 में परमाणु समझौता हुआ, उसकी गुंज संसद में सुनाई दी गई। सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी लाया गया। यह देखने को मिला कि विपक्ष ने 2जी स्पैक्ट्रम घोटाले को उजागर करने का प्रयास किया, जिसमें 1 लाख 76 हजार करोड़ रूपये का नुकसान होने की बात सामने आई जिसमें पूर्व मंत्री ए.राजा को पाटिल समिति ने जिम्मेदार ठहराया।[6] 2010 के लोकसभा के

छठे सत्र 2जी घोटाले को लेकर बहुत हंगामा एवं गरमा गर्मी देखने को मिली एवं वह पूरी तरह ठप रहा। साथ ही ए.राजा पूर्व पीए चंदोलिया और पूर्व संचार सचिव बेहुरा को गिरफ्तार किया गया। इस घोटाले को लेकर केन्द्र सरकार के विरोध में म.प्र. के मुख्यमंत्री द्वारा उपहास किया गया। किन्तु प्रधानमंत्री के आग्रह पर मुख्यमंत्री ने चंद मिनटों में उपहास समाप्त कर दिया। यूपीए की गठबन्धन सरकार घोटालों में घिरी हुई थी। इसकी जाँच हेतु जेपीसी को मंजूरी मिली जिसमें 2जी घोटाले के संदिग्ध राजदार सदिक बादशाह तो मृत पाए गए। घोटाला इतना बड़ा था कि 5 कार्पोरेट अफसरों को भी तिहाड़ जेल भेज दिया गया। दूसरी ओर लोक लेखा समिति भी अपनी रिपोर्ट तैयार कर रही थी जिसके अध्यक्ष मनोहर जोशी थे। उन्होंने अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को सौपी, किन्तु एक तरफ संसदीय कार्यमंत्री पी.के. बेसल का कहना था कि रिपोर्ट तो बहुमत से खारिज हो चुकी है जिसका कोई औचित्य नहीं। जोशी को रिपोर्ट भेजने का कोई अधिकार नहीं है। 2जी स्पैक्ट्रम घोटाले में एक के बाद एक लोगों के नाम उजागर होते गए। कनिमोझी को भी गिरफ्तार किया गया।[7] साथ ही कपड़ा मंत्री मारन ने तो अपने इस्तीफा को पेश कर दिया।[8] घोटाला इतना मजबूत था कि प्रधानमंत्री एवं पी. चिदम्बरम को भी घसीटा गया और वित्तमंत्रालय से नोट उजागर होने पर बड़ा बवाल हुआ मामला इतना बढ़ गया कि सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि 2जी घोटले में चिदम्बर की जाँच नहीं करेगी। उधर प्रधानमंत्री को कहना पड़ा कि 2जी विवाद पर वित्तमंत्री का चर्चित नोट उसके निर्देश पर तथ्यात्मक जानकारी के लिए बनाया गया था फिर नोट का विवाद समाप्त हो गया[9] और इस घोटाले में फंसे कनिमोझी और अन्य चार लोगों को जमानत मिली।

2जी स्पैक्ट्रम घोटाले के कारण एक दिन भी संसद नहीं चल पाई। इस मुद्दे पर विपक्ष और यूपीए-2 के बीच 2जी स्पैक्ट्रम घोटाले के कारण राजकोष को हुए नुकसान पर मतभेद था किन्तु दोनों पक्ष ने इस बात की परवाह नहीं की कि 2010 में शीतकालीन सत्र बेकार हो गया इस सत्र में 23 दिन काम होना था। किन्तु कुछ घण्टे काम हुआ एवं उस सत्र के दौरान 32 विधेयक पर चर्चा कि गई। संसद में इस गतिरोध के कारण उन्होंने 200 करोड़ रूपये की बर्बादी की। क्योंकि संसद की एक मिनट की कार्यवाई पर 26 हजार रूपये खर्च होते है और इस सत्र के दौरान संसद एक दिन भी कार्य नहीं कर पाई थी।

कामनवेल्थ गेम्स, 2जी कोयला घोटाले को लेकर वित्तमंत्री अरूण जेटली ने कहा कि यह लूट थी।[10] 2011 में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए 1.86 लाख करोड़ का कोयला घोटाला में विपक्ष ने अन्य क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर राष्ट्र तथा जनता के सामने उजागर करने का प्रयास किया गया।[11] कोयला घोटाला, वह घोटाला है जो कि मनमोहन सरकार के दौरान हुआ; जो भी हुआ प्रधानमंत्री के दाए-बाए हुआ और सोचनीय बात तो यह है कि यह मंत्रालय भी उन्हीं के पास था जिसमें कोयले के कैप्टिव ब्लॉक ने अपनी मनमर्जी के मुताबिक निजी क्षेत्र को ब्लॉक आवंटित कर दिये थे जिसका फायदा जिदंल पावर, जीवीके पावर, हिडाल्को एवं एस्सार जैसी कम्पनियों ने उठाया। यह नीति भी यूपीए सरकार की थी जिसे विपक्ष ने इस मुद्दे को संसद में उठाया गया। उस समय मानसून सत्र की कार्यवाही एक दिन भी नहीं चल पाई।[12] कोयला घोटाले को लेकर विपक्ष लगातार हमलाकर कर रहा था कि जिसका पलटवार करते हुए सोनिया गाँधी ने जवाब दिया कि भाजपा देश के लोगों के साथ मजाक उड़ा रही है और उन्होंने विपक्ष को कोसते हुए कहा कि ब्लैकमेल ही विपक्ष की रोजी रोटी बन गई है।[13]

15वीं लोकसभा में मानसून सत्र के दौरान आतंकवाद के मुद्दे को लेकर विपक्ष ने बताया कि सरकार आतंकवाद पर राजनीतिकरण कर रही है। आतंकवाद को लेकर यूपीए गठबन्धन सरकार पर निशाने सादे गए जो कि 26/11 की घटना जो मुम्बई में आतंकवादी घटना घटित हुई थी, जिसमें पकड़े गए एक मात्र आतंकी कसाब को लेकर कहा। कसाब को तो फांसी मिल गई, किन्तु विपक्ष ने अफजल गुरू की फांसी पर सवाल उठाए। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी ने तो ट्वीट करके यहां तक कहा कि अफजल गुरू के बारे में सरकार क्या कर रही है जिसने वर्ष 2001 में हमारे लोकतंत्र का मन्दिर संसद पर हमला किया था ? और वह घटना तो कसाब के घृणित कृत्य से कई पहले हुई थी। म.प्र. के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान भी नहीं चुके। उन्होंने यूपीए सरकार पर निशाना सादा और कहा कि अफजल गुरू को भी फाँसी दी जाना चाहिए और कोई राजनीति नहीं की जाना चाहिए। नहीं तो देश की जनता में आक्रोश बढ़ता है और भिन्न-भिन्न नेताओं ने अपने विचार व्यक्त किए जो कि डॉ. रमनसिंह, छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री एवं मनोहर पारीकर गोवा के मुख्यमंत्री भाजपा प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन अनेक नेताओं ने आतंकवादी घटनाओं को लेकर यूपीए सरकार को घेरा।[14]

इसके साथ ही विपक्ष ने भ्रष्टाचार को लेकर आगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाला 2005 में हुआ था जिसकी आवाज संसद में गुजी।[15] 15वीं लोकसभा में भी इस घोटाले का प्रभाव संसद में देखने को मिला। इस घोटाले को लेकर रक्षामंत्री मनोहर पार्रिकर ने संसद में कहा कि वेस्टलैंड डील में भ्रष्टाचार हुआ है इस इतालवी कोर्ट ने भी स्वीकार किया है। किन-किन लोगों ने घुस ली। पार्रिकर का मानना था कि कम्पनी को फायदा पहुँचाने हेतु नियम शर्ते बदले गए, जिसमें सत्ता पक्ष-विपक्ष आमने-सामने दिखाई दिये। संसद में हंगामें का माहौल दिखाई दिया।[16] भारतीय संसदीय प्रणाली में सभी राजनीति दल महिला सशक्तिकारण की बात करते हैं, किन्तु वर्ष 2012 में निर्भया काण्ड को लेकर दिल्ली में चल रहे आन्दोलनकारियों पर लाठिया बरसाई गई, जिसका विपक्ष ने विरोध किया और अलका लांबा का मानना है कि सरकार का इस प्रकार का आन्दोलनकारियों पर लाठी बरसाना ठीक नहीं।[17] भारतीय जनता पार्टी एक के बाद एक घोटाले को उजागर करती रही है राष्ट्र मण्डलीय खेल घोटाला, कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला। इस घोटाले में सुरेश कल्माडी एवं ललित भनोत को समिति से बर्खास्त किया गया।[18]

भारतीय लोकतंत्र का महापर्व 16वीं लोकसभा 2014 के लिए चुनाव हुए, जिसे 7 अप्रैल 2014 से लेकर 12 मई 2014 तक इस महापर्व को 9 चरणों में सम्पन्न कराया गया और जिसका परिणाम 16 मई को घोषित किया गया। चुनाव में कुल 543 सीटों पर हुआ, जिसमें 36 दल जीतकर संसद पहुँचे। भारतीय जानता पार्टी को 282 सीट एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 44 सीट प्राप्त हुई। कांग्रेस की भारी बहुमत से हार हुई। भाजपा ने तो 30 वर्षों का रिकार्ड तोड़ दिया। देखा जाए तो भाजपा गठबन्धन राजग को कुल 336 सीटे जीती। मोदी लहर के कारण भारतीय जनता पार्टी ने अपने दम पर सरकार बनाने हेतु दावा किया। 16वीं लोकसभा का 543 सीट पर चुनाव हुआ था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का वोट 31 प्रतिशत रहा। कांग्रेस गठबन्धन की कुल 60 सीटे रही। 10 वर्ष सत्ता में रही कांग्रेस का यह सबसे बुरा प्रदर्शन था। इसके पहले कि बात की जाए तो भारतीय संसदीय प्रणाली में ऐसी बहुमत वाली सरकार भी देखने को मिली, जो 1984 में इंदिरा गाँधी

की हत्या के बाद राजीव गाँधी के नेतृत्व 404 सीटे जीती थी। यूपीए-2 की सरकार के दौरान हुए भ्रष्टाचार एवं मंहगाई को देखते हुए केन्द्रिय स्तर पर जनता ने कांग्रेस के विरूद्ध मतदान किया। यह लोकसभा के लिए नया रिकार्ड था। नरेन्द्र मोदी ने चुनाव स्वयं की छवि पर लड़ा। भाजपा ने तो यहाँ तक कह दिया कि मोदी है तो मुमकिन है। देश की जनता ने मोदी को स्वीकार किया। 16वीं लोकसभा के चुनाव में 'मोदी इज भाजपा एण्ड भाजपा इन' मोदी जैसे नारे को चुनाव में अभिव्यक्ति दी गई।[19] भारतीय संसदीय प्रणाली में पहली बार ऐसा देखने को मिला जो गैर कांग्रेसी सरकार को बहुमत प्राप्त हुआ। मोदी लहर अटल साबित हुई। कांग्रेस का यह हाल रहा कि लोकसभा में विपक्ष हेतु 10 प्रतिशत सीटे चाहिए थी, वह भी हासिल नहीं कर सकी 543 सीट में से 55 सीट होना जरूरी है तभी विपक्ष के नेता का पद मिल पाता है।[20] इस प्रकार चुनाव के पश्चात् स्थिति स्पष्ट हो गई। आमजन ने भाजपा को अवसर देने का निर्णय लिया। नरेन्द्र मोदी ने सन् 2014 में सबका साथ सबका विकास का नारा दिया। सबको लग रहा था कि अच्छे दिन की उम्मीद है। सभी के खाते में 15-15 लाख रूपये आयेंगें। भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। मंहगाई छुमंतर हो जायेगी तथा रोजगार के अवसर में वृद्धि होगी और डॉलर की तुलना में रूपया मजबूत होगा। किसानों की माली हालात सुधरेगी। इनको देखते हुए मतदाताओं ने नरेन्द्र मोदी को पसन्द किया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ठीक से कार्य कर सकेगी।[21]

17वीं लोकसभा 2019 का चुनाव ने लोकतंत्र को मजबूत किया। चुनाव सही मायने में तो जनता के उत्सव होते हैं। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में वे देश की भविष्य की राह का निर्धारण करते है। 17वीं लोकसभा 2019 के चुनाव अभियान को 7 चरणों में विभाजित किया गया जो कि 11 अप्रैल 2019 से 19 मई 2019 तक इस लोकतंत्र के महापर्व में भारतीय जनता पार्टी ने 303 सीटे प्राप्त की तथा कांग्रेस ने 52 सीटे। भारतीय जनता पार्टी ने अपने दम पर पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। 2019 के चुनाव को राहुल बनाम राहुल बना दिया गया। भारतीय जनता पार्टी द्वारा 'सबका साथ सबका विकास' और सबका विश्वास को जोड़ लिया गया। भारतीय संसदीय प्रणाली में 48 साल बाद कोई दूसरी बार पार्टी बहुमत में हैं। देश के आठ राज्य तो ऐसे रहे जहाँ भारतीय जनता पार्टी ने सारी सीटे जीती और 14 राज्य ऐसे रहे जहाँ कांग्रेस ने अपना खाता भी नहीं खोला। कांग्रेस को दहाई अंक सिर्फ केरल में मिला। भाजपा का तो वोट 37.36% रहा और कांग्रेस का 19.5%। एनडीए के खाते में 353 सीटे एवं यूपीए के खाते में 92 सीटे मिली इस चुनाव में पहली बार 76 महिलाएँ संसद पहुँची जो कि 2014 में सिर्फ 61 महिलाओं ने संसद में अपना मुकाम हासिल किया था। नरेन्द्र मोदी को प्रचण्ड बहुमत मिला। देश की जनता ने बागडोर दूसरी बार उनके हाथों सौपदी। इस बार भी लोकसभा में विपक्ष का पद रिक्त रहा। विपक्ष 10 प्रतिशत सीटों के बहुमत को नहीं छू पाई।[22]

2014 के पश्चात् भारतीय जनता पार्टी के पास प्रचण्डपूर्ण बहुमत था। कांग्रेस विपक्षीय दल के नेता की सीमा को पार नहीं किया हो, किन्तु उन्होंने सत्ता पक्ष को संसद से सड़क तक घेरने का प्रयास किया जो वादे 2014 के चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने किये थे जो राष्ट्र तथा जनता के हित में हो उस पर अपनी आवाज को बुलंद किया। विपक्षीय पार्टियों द्वारा समय-समय पर अनेक मुद्दों को उठाया गया जो जनता हित में न हो। एनडीए गठबन्धन सरकार के समय जो भ्रष्टाचार हुआ उस पर विपक्ष की कड़ी नजर रही। वर्ष 2015 के लोकसभा में मानसून सत्र के दौरान भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर अपनी आवाज उठाई जो कि ललितगेट, व्यापम घोटाला, ललित मोदी, छत्तीसगढ़ का चावल घोटाला ये मुद्दे संसद में गुजे।[23] उस दौरान विपक्ष कांग्रेस के 25 सांसद नेताओं को निलम्बित किया गया। यह संसदीय इतिहास का काला दिन है।[24] भाजपा ने यूपीए-2 के समय विपक्ष की भूमिका निभाई थी। यह सिद्धान्त दिया था कि पहले इस्तीफा फिर चर्चा। उस दारौन रेल मंत्री पवन बंसल व महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण ने इस्तीफा दे दिया था।[25] इसी सिद्धान्त को कांग्रेस ने दोहराया। विपक्ष हुआ एक जुट नो दलों ने किया बहिष्कार। कांग्रेस, तृणमूल, माकप, भाकपा, आरएसपी, मुस्लिम लीग, राजद, जदयू, आप इन क्षेत्रीय दलों ने मिलकर 5 दिन तक बहिष्कार का फैसला किया।

भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर सुषमा स्वराज, शिवराजसिंह चौहान, वसुंधराजे के इस्तीफे की मांग की गई। 44 सांसदों वाली कांग्रेस पार्टी की संख्या अन्य दलों के सहयोग से बढ़कर 110 हो गई जो कि 10 पार्टियों का समर्थन विपक्ष को मिला।[26] विपक्ष ने बताया कि यह लोकतंत्र की हत्या की गई है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गाँधी ने कहा कि 'मन की बात' चैंपियन ने भ्रष्टाचारियों पर मौनव्रत धारण कर लिया है।[27]

भारतीय संसद में राष्ट्र की आवाज को कभी नहीं दबाया जा सका। वह तो उसका दर्पण होता है जो कि सी.डब्ल्यू.जी., यह देखने को मिला कि विपक्ष ने 2जी स्पैक्ट्रम घोटाले को उजागर करने प्रयास किया जिसमें 1 लाख 76 हजार करोड़ रूपये का नुकसान होने की बात सामने आई।, कोलगेट टेप से लेकर भ्रष्टाचार, कालाधन, कॉमनवेल्थ गेम्स, किसान जमीन अधिग्रहण, मंहगाई लोकपाल बिल, अगस्ता-वेस्टलैंड, आतंकवाद, 6 बेसीन गैस जैसे घोटालों में समय-समय पर विपक्ष द्वारा आवाज उठाई गई। महिला आरक्षण बिल को लेकर राज्य सभा में यह नजारा देखने को मिला की विपक्ष ने राज्यसभापति हामिद अंसारी के साथ छिना झपटी हुई, नारे लगाये गये, बिल की प्रतिया फाडी गई, हंगामा हुआ।[28] भारतीय संसदीय प्रणाली में राजनीति दलों का व्यवहार एक बड़ी चुनौतियाँ बन गई है। संसद चलती नहीं है और जब चलती है तो गम्भीर मसलों पर बहस के नाम पर गडे मुर्दे उखाडे जाते है या फिर तू-तू मैं-मैं होती रहती है। यूपीए गठनबन्धन सरकार के समय जब अमेरिका के साथ 2009 में परमाणु समझौता हुआ उसकी गुंज संसद में सुनाई दी गई। सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी लाया गया।[29]

भारतीय जनता पार्टी एक के बाद एक घोटाले को उजागर किए है राष्ट्र विपक्ष निरन्तर एक के बाद एक मुद्दों को उठाता रहा वह 15वीं लोकसभा में एक मजबूत विपक्ष के रूप सामने आया जिससे सत्ता पक्ष के कार्यो पर निरन्तर अपनी नजरे बनाये रखा जिसका परिणाम यह रहा कि यूपीए-2 के शासनकाल में हुए भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करने हेतु अपनी आवाज को बुलंद किया। भाजपा नेता लालकृष्ण अड़वानी ने तो भ्रष्टाचार के खिलाफ राष्ट्र व्यापी रथ यात्रा का निकालने का एलान कर दिया।[30] भ्रष्टाचार एवं कालेधन की समस्या पर अन्ना हजारे द्वारा किया गया आन्दोलन ने जनमानस को स्पर्श किया जिससे यूपीए-2 के शासनकाल में जो माहौल बना था उसका फायदा विपक्ष को मिला जिसका परिणाम यह रहा की 16वीं लोकसभा में यूपीए सरकार को हार का सामना करना पड़ा।[31] यूपीए गठबन्धन मनमोहन सिंह की सरकार पर विपक्ष के हावी होने से कांग्रेस सरकार आश्वासन देती रही। कभी कोई कमेटी तो कभी कोई श्वेत पत्र जनता को तो एहसास होता रहा कि सरकार इस दिशा में ठोस कदम उठा रही है किन्तु

10 वर्ष शासन करके सरकार चली गई व वह अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो गई।[32]

लोकपाल बिल को लेकर विपक्ष ने संसद से लेकर सड़क तक संग्राम पैदा किया जिसने कई संगठनों ने भाग लिया अन्ना हजारे की टीम का अहम योगदान था।34 लोकपाल विधेयक का समर्थन बड़े-बड़े नेताओं ने दिया था वह 2013 में लोक सभा पारित भी हो गया। 2014 के दौरान राष्ट्रपति की मजूरी भी मिल गई किन्तु वर्तमान तक इनकी नियुक्तियाँ नहीं हुई है। इस मुद्दे को मीडिया ने बहुत उठाया था अरविंद केजरीवाल, किरणबेदी जैसे बड़े नेता का महत्वपूर्ण योगदान था किन्तु अब वह उसे भूल गए अरविन्द केजरीवाल ने तो लोकपाल की आलोचना करते हुए समान्तर बना दिया गया।[33]

2014 के पश्चात् भारतीय जनता पार्टी प्रचण्डपूर्ण बहुमत था कांग्रेस के पास विपक्षीय दल के नेता की सीमा को पार न किया हो। किन्तु उन्होंने सत्ता पक्ष को संसद से सड़क तक घेरने का प्रयास किया जो वादे 2014 के चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किये थे जो राष्ट्र तथा जनता के हित में हो उस पर अपनी आवाज को बुलंद किया विपक्षीय पार्टियों द्वारा समय-समय पर अनेक मुद्दों को उठाया गया जो जनता हित में न हो। एनडीए गठबन्धन सरकार के समय जो भ्रष्टाचार हुआ उस पर विपक्ष की कड़ी नजर रही। वर्ष 2015 के लोकसभा में मानसून सत्र के दौरान भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर अपनी आवाज उठाई जो कि ललितगेट, व्यापम घोटाला, ललित मोदी, छत्तीसगढ़ का चावल घोटाला यह मुद्दे संसद में गुजे।[34] उस दौरान विपक्ष कांग्रेस के 25 सांसद नेताओं को निलम्बित किया गया। यह संसदीय इतिहास का कालादिन है।[35] 16वीं लोकसभा 2014 में कालेधन का मुद्दा बहुत जोरों पर था इसको चुनाव अभियान में भाजपा ने कहा था कि हमारी सरकार बनते ही हम विदेश की बैंकों में जमा काला लेकर आयेंगें किन्तु ऐसा न हो सका।[36]

भारतीय संसद में विपक्ष के द्वारा जी.एस.टी. विधेयक की बात हो या भूमि अधिग्रहण विधेयक, कोयला खदान, वन अधिकार कानून, स्वसहायता समूह विधेयक है जो कि यूपीए सरकार ने इनका निर्माण किया था। यूपीए सरकार का आरोप है कि भाजपा सरकार द्वारा अध्यादेश लाकर इनको बदला जा रहा है। यह जनता के हित में नहीं है।[37] आज भारत में भ्रष्टाचार की जड़ इतनी गहरी हो चुकी है कि विपक्ष द्वारा उसको उजागर किया जा रहा है। डी.डी.सीए. घोटाले में विपक्ष ने अपनी अहम भूमिका निभाई।[38] भारतीय संसद में विपक्ष द्वारा संविधान संशोधन तथा असहिष्णुता पर बहुत जोरो से बहस हुई। विपक्ष ने बताया कि संविधान को बदला नहीं जाना चाहिए असहिष्णुता का मुद्दा देश और संविधान के मूल ढ़ाँचे से जुड़ा मसला है।[39]

पंजाब में दलितों पर अत्याचार हुआ तो विपक्ष ने इस मुद्दे को संसद में उठाया। आधार कार्ड को लेकर भी संयुक्त विपक्ष ने आवाज उठाई। किंगफिशर एयरलायन्स के मुखिया विजय माल्या को लेकर संसद में विपक्ष ने यह मुद्दा उठाया 9000 करोड़ का कर्जदार शराब कारोबारी विजय माल्या देश छोड़कर भाग जाने पर सदन में बहुत आरोप-प्रत्यारोप हुए। गुजरात के उना काण्ड की घटना किसी से छुपी नहीं है मानसून सत्र 2016 में दलित उत्पीडन को लेकर बसपा अध्यक्ष मायावती ने तो यह कहा कि जब से भाजपा की सरकार बनी है तब से दलितों का उत्पीड़न हो रहा है।[40]

लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में विपक्ष ने जनता की भावना को प्रदर्शित कर सरकार का ध्यान जनता की समस्याओं की ओर निरन्तर मोड़ने का प्रयास किया है। तीन तलाक का मुद्दा संसद में उठा। पेगासस फोन जासूसी विवाद को लेकर विपक्ष ने अक्रामक भूमिका का निर्वाह किया।[41] भारत में वर्तमान में दो गठबन्धन संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धन (UPA) और राष्ट्रीय जनतांत्रिक (NDA) द्विदलीय शासन प्रणाली के रूप में कार्य करते है। इस प्रकार भारत में विपक्ष की बढ़ती प्रभावी भूमिका के साथ संसदीय शासन प्रणाली भी प्रभावी रूप से लागू हो रही है।[42] कांग्रेस की इस समय संसद में जो स्थिति है उसमें यह कहना कठिन है कि वह रचनात्मक विपक्ष में है अथवा रचनात्मक समर्थन में। सरकार को जिन्दा रखने के लिए विरोध के तेवर अपनाना दोनों कांग्रेस की विवशताएँ हैं।[43]

सुझाव :

1. सभी राजनीतिक दलों को समझना होगा कि देश की समस्याओं पर खुली बहस का मंच संसद है। नीतियों को लेकर जो टकराव सत्तापक्ष और विपक्ष द्वारा उत्पन्न होता है वह लोकतंत्र का अंग है, किन्तु टकराव संसद के बाहर होना चाहिए। संसद को अपना काम करने का अवसर दिया जाए, जिससे लोकतंत्र मजबूत होगा।
2. सभी राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों को आभास होना चाहिए कि संसद की 1 मिनट की कार्यवाही पर लगभग 26 हजार रुपये खर्च होते है। वह जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है। वह देश के पैसे को व्यर्थ बर्बाद न करे। सदन का कीमती समय बर्बाद न करते हुए अपनी आवाज को ऐसे स्तर पर ले जाए, जिसमें जनता को यह आभास हो कि वह राष्ट्र की मूल समस्याओं के प्रति उतने ही गम्भीर है, जितने की वोट बैंक के लिए होते हैं।
3. विपक्ष को सत्ता पक्ष से संवाद का मार्ग अपनाना चाहिए।
4. सभी राजनीतिक दलों के सांसदों की जिम्मेदारी होना चाहिए कि ऐसा कानून बनाए जो 1 वर्ष में 120 दिनों तक तथा 800 से ज्यादा 900 घण्टे तक संसद में कामकाज हो ऐसा भाव रखना चाहिए।
5. सत्तापक्ष विपक्ष के सभी सांसदों को सोचना होगा कि संसद सत्र की अवधि को बढ़ाया। समय से पहले समाप्त न किया जाए जो संसद सत्र बर्बाद हो रहे। सत्र खतरे की घण्टी है। सभी राजनीतिक दलों को मिलकर ठोस कदम उठाना चाहिए।
6. संसद में चर्चा के स्तर को बढ़ाया जाए जात-पात और क्षेत्रीयता की भावना समाप्त करने राष्ट्र-प्रेम की भावना को जगाया जा सके जो आज ऐसे विमर्स की कमी दिखती नजर आ रही है।
7. सभी राजनीतिक दल संसद में जनता से जुड़े मुद्दे तथा राष्ट्रीय महत्तव के मुद्दे को सदन में उठाने की बाते अधिक करते हैं, परन्तु सारी ऊर्जा नारेबाजी आरोप-प्रत्यारोप शोर-शराबा में बर्बाद कर देते हैं।
8. संसद लोकतंत्र का मंदिर है। संसद में मान-मर्यादाओं तथा आचरण का ध्यान रखना चाहिए। स्पीकर के आसन के पास जाकर नारेबाजी करना तकतिया लहराना, कागजों को फाड़ना कुछ मामूली कारणों से संसद न चलने देना यह ठीक नहीं उससे संसद की छवि धूमिल होती दिखाई दे रही है। सभी राजनीतिक दल इस पर आत्म परीक्षण करें तो बेहतर होगा।
9. सत्ता पक्ष और विपक्ष को अपने आचरण पर गौर करना चाहिए।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची –

1. https://M-hindl.webdwia.com

2. www.amarujalu.com
3. राकेश/रवि जयत्ताम महेन्द्रा चिन्तन रिसर्च जर्नल 'केन्द्र में मिली जुली गठबन्धन सरकारे : एक अध्ययन' जुलाई–सितम्बर 2013 हरियाण, पृ.क्र. 428
4. दैनिक भास्कर, रतलाम, म.प्र. 31 मार्च 2016, पृ.क्र. 6
5. https://www.bhaskar.com
6. नई दुनिया, इन्दौर, म.प्र. 1 जनवरी 2012, पृ.क्र. 3
7. नई दुनिया, इन्दौर, म.प्र. 1 जनवरी 2012, पृ.क्र. 7
8. नई दुनिया, इन्दौर, म.प्र. 1 जनवरी 2012, पृ.क्र. 9
9. नई दुनिया, इन्दौर, म.प्र. 1 जनवरी 2012, पृ.क्र. 11
10. दैनिक भास्कर, उज्जैन, म.प्र. 8 नवम्बर 2017, पृ.क्र. 01
11. www.crime.review.com.in हेमन्त कुमार शर्मा
12. www.bbc.com
13. https://him.wikipediu.org
14. नई दुनिया, इन्दौर, म.प्र. 22 नवम्बर 2012, पृ.क्र. 4
15. दैनिक भास्कर, उज्जैन, म.प्र. 27 अप्रैल 2016, पृ.क्र. 6
16. दैनिक भास्कर, रतलाम, म.प्र. 5 मई 2016, पृ.क्र. 01
17. नई दुनिया, इन्दौर, म.प्र. 21 दिसम्बर 2015, पृ.क्र. 8
18. नई दुनिया, इन्दौर, म.प्र. 1 जनवरी 2012, पृ.क्र. 03
19. नई दुनिया, इन्दौर, 11 मार्च 2019, पृ.क्र. 1
20. दैनिक भास्कर, उज्जैन, 24 मई 2019, पृ.क्र. 1
21. https://navbharattimes.indiatimes.com
22. नई दुनिया, उज्जैन म.प्र. 20 जुलाई 2015, पृ.क्र. 12
23. पत्रिका उज्जैन, म.प्र. 22 जुलाई 2015, पृ.क्र. 11
24. नई दुनिया, उज्जैन, 4 अगस्त 2015, पृ.क्र. 1
25. नई दुनिया, उज्जैन, म.प्र. 21 जुलाई 2015, पृ.क्र. 1
26. नई दुनिया, उज्जैन, म.प्र. 5 अगस्त 2015, पृ.क्र. 1
27. पत्रिका, उज्जैन, म.प्र 4 अगस्त 2015, पृ.क्र. 1
28. https://www.bhaskar.com
29. नई दुनिया, इन्दौर, म.प्र. 1 जनवरी 2012, पृ.क्र. 3
30. नई दुनिया, इन्दौर, म.प्र. 01 जनवरी 2012, पृ.क्र. 08
31. दैनिक भास्कर, रतलाम, म.प्र. 28 जनवरी 2016, पृ.क्र. 06
32. अनिल दीक्षित 'भारतीय राजनीति में कैंसर की तरह बढ़ता भ्रष्टाचार', शोध अनुसन्धान समाचार, 27 जून 2015, पृ.क्र. 18
33. नई दुनिया, इन्दौर, म.प्र. 01 जनवरी 2012, पृ.क्र. 7
34. दैनिक भास्कर, रतलाम, म.प्र. 17 मार्च 2016, पृ.क्र. 6
35. पत्रिका उज्जैन, म.प्र. 22 जुलाई 2015, पृ.क्र. 11
36. पत्रिका, उज्जैन, म.प्र. 1 जुलाई 2016, पृ.क्र. 10
37. इण्डिया टुडे, नई दिल्ली, 28 जनवरी 2015, पृ.क्र. 32
38. दैनिक भास्कर, उज्जैन, म.प्र. 22 दिसम्बर 2015, पृ.क्र. 13
39. नई दुनिया, उज्जैन, म.प्र. 1 दिसम्बर 2015, पृ.क्र. 1
40. पत्रिका, उज्जैन, म.प्र. 16 दिसम्बर 2015 उज्जैन, पृ.क्र. 13
41. दैनिक भास्कर, रतलाम, म.प्र 10 मार्च 2016, पृ.क्र. 1
42. दैनिक भास्कर, उज्जैन, म.प्र. 19 जुलाई 2016, पृ.क्र. 16
43. शर्मा अरूणदत्त कुमार अशुतोष, राजनीति विज्ञान अरिहन्त पब्किेशन्स इण्डिया लिमिटेड कालिन्दी मेरठ, वर्ष 2016, पृ.क्र. 476

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XL

आचार्य रूद्रट कृत काव्य प्रयोजन तथा टीकाकार नमिसाधु - एक अध्ययन

डॉ. रागिनी श्रीवास्तव*

* असिस्टेंट प्रोफेसर (संस्कृत) शशिभूषण बालिका विद्यालय डिग्री कॉलेज, लखनऊ (उ.प्र.) भारत

प्रस्तावना – कवि-कर्म काव्य कहलाता है जिसका मुख्य प्रयोजन सहृदय सामाजिक को आनन्दानुभूति कराना है। काव्यनुभूति सभी प्रयोजनों में शीर्षस्थ है और पठन काल में ही अलौकिक आनन्द को प्रदान करने वाली होती है। तद्‌जनित आनन्द हृदयसम्वाद रूप होता है जिसमें अन्य विषयक ज्ञान पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। इस विचार को आचार्य मम्मट ने इस प्रकार प्रस्तुत किया है कि **सकलप्रयोजनमौलिभूतं समनन्तरमेव रसास्वादनसमुद्‌भूतं विगलितवेद्यान्तरमानन्दं।**[1] अर्थात् सद्य: आनन्दानुभूति ही काव्य का मुख्य प्रयोजन है।

प्रयोजनमनुद्दिश्य नहि मन्दोऽपिप्रवर्तते के आधार पर मन्दबुद्धि भी किसी कार्य में निष्प्रयोजन प्रवृत्त नहीं होता तो अलौकिक रसास्वादन कराने वाले विलक्षण काव्य का तो कहना ही क्या? उसके तो यश, व्यवहार, ज्ञान आदि अनेक प्रयोजन काव्यशास्त्रियों द्वारा काव्यशास्त्र में कहे गये हैं। यद्यपि ये प्रयोजन कवि और सहृदय की दृष्टि से पृथक-पृथक हो सकते हैं तथापि सहृदय, नट और कवि इन तीनों का हृस्दयसम्वाद होना स्वाभाविक है।[2]

विगलितवेद्यान्तरमानन्दप्रदायी काव्य का प्रणयन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता अपितु लोकोत्तरवर्णनानिपुण कवि ही कर सकता है।[3] अत: कवि अपने विलक्षण काव्य का प्रणयन निरूद्देश्य कर ही नहीं सकता।

काव्यशास्त्रीय परम्परा में काव्य-प्रयोजनों के संदर्भ में प्राचीन काल से ही काव्यशास्त्रियों ने चर्चा की है जिसका सर्वप्रथम प्रमाण नाट्यशास्त्र में आचार्य भरत द्वारा विवेचित काव्य के विभिन्न सात प्रयोजनों के रूप में प्राप्त होता है। यद्यपि भरत ने नाट्य की दृष्टि से ही काव्य प्रयोजनों पर विचार किया है तथापित इसमें प्रयोजन की दृष्टि से श्रव्यकाव्य परम्परा भी अन्तर्भूत प्रतीत होता है।

धर्म्यशस्यमायुष्यं हितं बुद्धि विवर्धनम्।
लोकोपदेशजननं नाट्यमेतद्भविण्यति।।
विश्रान्तिजननं लोके नाट्यमेतद्भविणयति।।[4]

काव्य भरत के समय में तो नाट्य तक ही सीमित रहा किन्तु भामह के समय में यह व्यापक अर्थ में स्वीकार किया जाने लगा जिसके परिणामस्वरूप दृश्य-श्रव्य काव्य की प्रधानता को भी स्वीकार किया जाने लगा। सम्भवत: इन्हीं परिस्थितियों और परिवर्तनों ने काव्य को एक विशेष विधा की ओर मोड़ दिया। फलस्वरूप जैसे-जैसे साहित्य विवेचना का विका होने लगा वैसे-वैसे काव्य के विविध प्रयोजनों का भी विशद विकास और विवेचन आरम्भ हो गया। काव्यशास्त्रियों ने विभिन्न दृष्टिकोणों से काव्य प्रयोजन पर विचार कर उनके माध्यम से काव्य का गौरवगान किया।

आचार्य भामह ने भरत के सात प्रयोजनों का अन्तर्भाव चतुर्वर्ग फल प्राप्ति, सकल कला, कीर्ति तथा प्रीति में ही कर दिया।[5] आचार्य दण्डी ने लोक व्युत्पत्ति को ही काव्य का फल माना है।[6]

इसी प्रकार आचार्य वामन ने काव्य प्रयोजन पर विचार करते हुए काव्य के दो प्रयोजन बताये हैं-दृष्ट और अदृष्ट। जिनमें उन्होंने दृष्ट के अन्तर्गत प्रीति तथा अदृष्ट के अन्तर्गत कीर्ति रूप प्रयोजन को स्वीकार किया है।[7]

इस प्रकार आचार्य रूद्रट के पूर्ववर्ती आचार्यों ने काव्य प्रयोजनों पर व्यापक रूप से विवेचन किया है।

काव्य कवि का अलौकिक कर्म है तो काव्यशास्त्र काव्यगत सौन्दर्य का प्रकाशक। इस प्रकार ये दो भिन्न-भिन्न विषय हैं। अत: काव्य और काव्यशास्त्र के प्रयोजन एक नहीं हो सकते हैं। सभी काव्य आचार्यों ने काव्यशास्त्र के प्रयोजन की चर्चा करके काव्य के प्रयोजन की ही चर्चा की है। इसका कारण बताते हुए आचार्य विश्वनाथ का कथन है कि काव्यशास्त्र भी वस्तुत: काव्य का ही अंग होता है अत: काव्य के प्रयोजन के समान इसके भी प्रयोजन होते हैं लेकिन काव्य के ही प्रयोजनों पर विवेचन किया जाता है। **अस्य ग्रन्थय काव्यांगतया काव्यफलैरेव फलवत्वमिति काव्यफलान्याह।**[8]

इस प्रसंग में आचार्य रूद्रट का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है। इन्होंने ही सर्वप्रथम काव्यशास्त्र के प्रयोजन का विवेचन किया है। इनके अनुसार काव्यशास्त्रीय ग्रन्थों के अनुशीलन से कवि निपुण तथा बुद्धिवान हो जाता है, जिससे वह काव्य को विभिन्न काव्यांगों से सुशोभित करने में समर्थ हो जाता है।

अस्य हि पौर्वापर्य पर्यालोच्याचिरेण निपुणस्य।
काव्यमलंकर्तुमलं कुरू कर्तुरूदारा मतिर्भवति।।[9]

जिसका समर्थन टीकाकार नमिसाधु ने भी किया है।[10] आचार्य रूद्रट ने काव्य के विविध प्रयोजनों का भी विस्तृत विवेचन किया है। जहाँ पूर्ववर्ती आचार्यों ने एक कारिका में ही काव्य प्रयोजन का वर्णन किया वहीं आचार्य रूद्रट ने प्रथम अध्याय की चतुर्थ कारिका से त्रयादेश कारिका तक तथा एकविंशति कारिका में काव्य प्रयोजनों का विस्तार से विवेचन किया है।

सर्वप्रथम आचार्य रूद्रट ने यश को काव्य का मुख्य प्रयोजन स्वीकार किया और उद्घोषणा कर दी कि काव्य से कवि को ही नहीं अपितु पात्रों अर्थात् नायक (राजा) आदि को भी यश: प्राप्ति होती है।[11]

काव्य प्रयोजन के सन्दर्भ में काव्य द्वारा नायकों को यश प्राप्ति आचार्य रूद्रट की मौलिकता का परिचायक है।

रूद्रट के टीकाकार नमिसाधु ने प्रस्तुत कारिका की व्यापक व्याख्या की है। नमिसाधु का कथन है कि अलंकार युक्त होने के कारण देदीप्यमान, दोषाभाव के कारण उज्जवल तथा श्रृंगारादि रसों से युकत काव्य की रचना करता हुआ कवि सृष्टि के अन्त तक विश्वव्यापी अपने यश का विस्तार तो करता ही है और साथ ही काव्य के नायक के यश की भी अभिवृद्धि करता है। नमिसाधु का कथन है कि कवि अल्पायु होकर भी सृष्टि पर्यन्त जीवित रहने वाले यश का विस्तार करता है–

ज्वलन्देदीप्यमानोऽलंकारयोगात्, उज्जवलो निर्मलो दोषाभावात् वाचां गिरां प्रसरः प्रबन्धो यय स ज्वलदुज्जवलवाक्प्रसरः। सरससप्तङ्गरादिकम्, कुर्वन्रचयन्, काव्यं कवेः कर्म, यत एवैवंगुणस्तत एव महाकविबृहत्काव्यकर्ता, स्फुटं प्रकटम्, आकल्पं युगान्तस्थायि, अनल्पमस्तोकम। जगद्वयापीत्यर्थः। प्रतनोति विस्तारयति, यशः कीर्तिम्, परस्य काव्यनायकस्य संबंधि। अपिशब्दोऽत्र विस्मये। चित्रमिद यत्कविः स्वल्पाायुरप्येवंविधं यशस्तनोति।[12]

नमिसाधु ने सृष्टिपर्यन्त स्थित रहने वाले यश रूप प्रयोजन को अत्यंत चमत्कार युकत माना क्योंकि यश का विस्तार करने वाला कवि स्वयं तो अल्पायु होता है लेकिन उसका यश सृष्टिपर्यन्त स्थित रहता है। सम्भवतः नमिसाधु के कथन से यह प्रतीत होता है इन्होंने तत्कालीन समाज में ऐसे कवियों के विषय में भी अवश्य ही सुना होगा जिन्होंने अल्पायु में ही अपार यश को प्राप्त कर लिया होगा। जिसके प्रमाण रूप में आचार्य शंकराचार्य को लिया जा सकता है जिन्होंने केवल 32 वर्ष की अल्पायु में ही अपार यशः प्रसिद्धि को प्राप्त कर लिया था। आचार्य शंकराचार्य ने अद्वैतवाद तथा सगुणोपसनापरक स्त्रोंतों का प्रणयन करअपने यश का व्यापक विस्तार किया था। यद्यपि नमिसाधु ने शंकराचार्य को स्पष्ट उल्लेख तो नहीं किया है तथापि अल्पायु पद के माध्यम से टीकाकार का संकेत शंकराचार्य से माना जा सकता है।

इसी प्रसंग में नमिसाधु पर भर्तृहरि का भी प्रभाव देखा जा सकता है। नीतिशतकम् में भर्तृहरि का कथन है–

जयन्ति ते सुकृतिनो रससिद्धाः कवीश्वराः।
नास्तियेषां यशः काये जरामरणजं भयम्।।[13]

रूद्रट ने नायकों के यश विस्तार में दो मुख्य कारणों को स्वीकार किया प्रथम – बनवाये गये देवालयों रूप कार्यो से यशप्राप्ति, द्वितीय–नायकों के चरित को काव्य रूप में परिणत करने वाले कवियों के प्रबन्धों से भी यश प्राप्ति। उनके अनुसार देवालय आदि तो कालान्तर में नष्ट हो जाते हैं लेकिन सुकवि के काव्य द्वारा नायक की यशः पताका अबाध रूप से स्थित रहती है।

तत्कारितसुरसदनप्रभृतिनि नष्टे तथाहिकालेन।
न भवेन्नामपि तो यदि न स्युः सुकवयोराज्ञाम्।।[14]

रूद्रट का पूर्णतः समर्थन करते हुए टीकाकार नमिसाधु का कथन है कि काल के प्रभाव से नायकों द्वारा बनवाये गये देवालय नष्ट हो जाते हैं अतः यदि राजाओं के सुकवि न हों तो उनका नाम भी शेष न रहे, वंश कुलादि का तो कहना ही क्या?[15]

आचार्य रूद्रट देवगृहों–मंदिरों के सृष्टा राजादि और काव्य कवि के यश की तुलना करते प्रतीत होते हैं। रूद्रट का कथन है कि मंदिर आदि के निर्माण से प्राप्त यश नश्वर होता है, वह काल के अधीन होता है अर्थात् मंदिर आदि के काल कवलित होने पर यश भी विलुप्त हो जाता है। महाभारत के प्रणेता व्यास के परम यश को देखकर आचार्य रूद्रट ने कवि को एकाग्रचित होकर सुन्दर, सरस काव्य निर्माण में प्रयत्नशील रहने का आह्वाहन किया है।

अमरसदनादिभ्यो भूता न कीर्तिरनश्वरी।
भवति यदसौ संवृद्धापि प्रणश्यति तत्क्षये।।
तदलममल कर्तुं काव्यं यतेत समाहितो।
जगति सकले व्यासादिनां विलोक्यपरं यशः।।[16]

टीकाकार नमिसाधु ने रूद्रट के विचारों का अनुमोदन किया है कि संसार में सब कुछ नष्ट हो जाता है अतः स्थायी यश प्राप्ति के लिए कवि को काव्य सर्जना करनी चाहिए।[17] रूद्रट का मत है कि काव्य से हिम के तुल्य शुभ्र अर्थात् रमणीययश को प्राप्त करता है।[18] रूद्रट के इसी मत का टीकाार नमिसाधु ने भी पूर्णतः अनुगमन यिका है। **स्फार इति। स्फारे दृढः, स्फरंजनमनः सु प्रसरन्, अत एवोरूर्विस्तीर्णो महिमा यस्य कवेः सः। तथा यशः कीदृशम्। हिमधवलमित्यादि सुगमम्।।**[19]

आचार्य रूद्रट का कथन है कि जो कवि नायक के स्थायी और रमणीय यश को सकल प्रजा में विस्तारित करता है वह कवि उन नायकों को कौन सा उपकार नहीं करता है? अर्थात् सर्वथा उपकार ही करता है और स्वयं भी उपकृत होता है। इस प्रकार उपकृत होना भी काव्य रचना का मुख्य हेतु और लाभ है।

इत्थं स्थास्नु गरीयो विमलमलं सकललोककमनीयम्।
यो यस्य यशस्तनुते तेन कथं तस्य नोपकृतम्।।[20]

इसी भाव को निम्नलिखित शब्दों में टीकाकार नमिसाधु ने स्पष्ट किया है –**इत्थम् स्फुटमाकल्पमनत्थम् 1/4**[21]**, इत्यनेन प्रकारो, स्थास्नु स्थिरतम्, गरीयः प्रभूतम् दोषा भावाच्य विमलम्, अलमत्यर्थम्, एकललोककमनीयम्, सकलजनकान्तम्, यः कविर्यस्य राजा देर्यशस्तनुते तेन कर्थ तस्य नोपकृतम्। सर्वथोपकृतं भवतीत्यर्थः।**[22]

आचार्य रूद्रट ने धर्म को भी काव्य प्रयोजन के रूप में स्वीकार किया है। रूद्रट के अनुसार कवि द्वारा नायक विशेष का वर्णन किये जाने में कवि की परोपकार भावना ही निहित रहती है जिसमें कवि यशवृद्धि के साथ–साथ धर्मवृद्धि भी होती है।

अन्यपकारकरणं धर्माय महीयसे च भवतीति।
अधिगतपरमार्थनामविवादो वादिनामत्र।।[23]

टीकाकार नमिसाधु को भी यह मत इसी रूप में स्वीकार्य है। अतः उन्होंने गताथ न वरम्। चकारोऽन्योपकारकरां चेत्यत्र योज्य[24], कह कर रूद्रट का समर्थन किया है।

इसी प्रकार आचार्य रूद्रट ने भारतीय साहित्य समीक्षकों के मुख्य लक्ष्य पुरूषार्थ चतुष्ट्य का भी समर्थन किया है। उनके अनुसार जो कवि सुन्दर देवस्तुतियों की रचना में कुशल होता है वह समस्त मनोवांछित वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है।

अर्थमनर्थोपशम शमसममथवा मतं यदेवास्य।
विरचितरूचिरसुरस्तुतिरखिलं लभते तदेव कविः।।[25]
नुत्वा तथाहि दुर्गा केचित्तीर्णा दुरूत्तरां विपदम्।
अपरेरोगविमुक्तिं वरमन्ये लेभिरेऽथिमतम्।[26]

ऐसा प्रतीत होता है कि इस कारिका के माध्यम से रूद्रट अपने पूर्ववर्ती उन कवियों की ओर संकेत करना, कराना चाहते हैं जिन्होंने या तो अपने आश्रयदाताओं का प्रशंसा गान कर प्रचुर मात्रा में धन प्राप्त किया था अथवा दुर्गा स्तुति से अपनी शारीरिक विपत्ति को दूर किया था। यहाँ रूद्रट का संकेत बाण विरचित 'चण्डीशतक' की ओर प्रतीत होता है।

नमिसाधु भी इस भाव का समर्थन किया है। **अर्थमिति। अर्थोधनम्। अनर्थोपशमो विपदभाव:, शं सुखम्, असममसाधरणम्। इहलोके कामजं परत्र तु पारम्पर्येण मोक्षजम्। अथवा किमेभिर्बहुभिरूक्तैर्यदिवास्य कवे: समतं तदेवारनोतीति। कीदृश:। विरचित-सदलंकारदेवतास्तुति:।**[27]

नमिसाधु ने अभीष्ट प्राप्त करने वाले अनिरूद्ध, शत्रुध्न वीरदेव आदि का स्पष्ट रूप से नामोल्लेख किया है।[28]

इसी प्रकार अन्य उदाहरणों को भी रूद्रट के मत की दृष्टि से स्वीकार किया जा सकता है यथा-'सूर्यशतक' काव्य सर्जना द्वारा कुष्ठ रोग ग्रस्त मयूर कवि को रोग मुक्ति बाण को 'चण्डीशतक' द्वारा कटे हाथ-पैर की पुन: प्राप्ति तथा राजा हर्षवर्धन से धावक को प्रचुर धन प्राप्ति।

सम्भवत: रूद्रट के अन्त:स्थल में कहीं न कहीं यह तथ्य अवश्य ही विद्यमान था कि तत्कालीन समाज में विक्रमादित्य के समान अब कोई राजा नहीं है जो कवियों का सम्मान करने वाला हो। अत: कवि राजाओं के स्तुतिगान के स्थान पर देवस्तुति ही करे क्योंकि कविजन देवस्तुतियों द्वारा जिन देवों से शीघ्र ही अभीष्ट लाभ प्राप्त करते थे, आज भी वे देवता विद्यमान है। राजादि दूसरे हैं तो क्या हुआ?[29] टीकाकार नमिसाधु ने रूद्रट के विचारों को यथावत् स्वीकार कर लिया है। **यदि नामेति नामशब्द: परं शब्दार्थे। यदि परं नृपा:। अन्ये देवास्तु त एवेति।।**[30]

काव्य प्रयोजन का उपसंहार करते हुए आचार्य रूद्रट का कथन है कि जिस प्रकार सागर में अनन्त मणियां होती हैं उसी प्रकार यश के कारण भूत काव्य रूपी सागर में भी अनन्त गुण होते हैं अर्थात् प्रयोजन होते हैं, जिनका सम्पूर्ण मूल्यांकन कौन कर सकता है?

कियदथवा वच्मियतो गुरूगुणमपिसागस्य काव्यस्य।
क: खलु निश्चिलं कलयत्यलमलघुयशो निदानस्य।।[31]

टीकाकार नमिसाधु ने भी काव्य के अनन्त प्रयोजनों को स्वीकार कर रूद्रट का अनुगमन किया है। **कियदथवा भष्यते। यतो यथा सागरे मणीनामानन्त्यमेवं काव्येगुणानामपीति तात्पर्यम्। खलुर्निश्चये।।**[32]

अत: अचार्य रूद्रट का कथन है कि पुरूषार्थ सिद्धि चाहने वाले कुशल कवि को सभी ज्ञातव्य का भली-भाँति ज्ञान प्राप्त कर सरस काव्य की परिपक्व रूप में सर्जना करनी चाहिए।

तदिति पुरूषार्थसिद्धिं साधुवि धास्यद्धिविकलां कुशल:।
अधिगतसकलज्ञेयै: कर्त्तव्य काव्यममलमलम्।।[33]

पुरूषार्थ चतुष्ट्य प्राप्ति रूप प्रयोजन को प्रधानता देते हुए नमिसाधु का कथन है कि पुरूषार्थ सिद्धि को प्राप्त करने का एकमात्र उपाय शास्त्रीय ग्रन्थों के ज्ञान से सुसज्जित और निर्दोष काव्य निर्माण है। उनके अनुसार जो छन्द, व्याकरण, रीति, गुण आदि विषयों को नहीं जानता है वह काव्य रचना में सर्वथा असमर्थ ही होता है। **तदिति। तस्मात्पुरूषार्थसिद्धिं पूर्व चिकीर्षुभि: काव्यं कर्त्तव्यम्। कीदृशे:। अधिगतसकलज्ञेयै:। न त्वनीदृशामपि काव्यकरणं संभवतीव्याह-अलममलम्। सनिर्मल करणेऽन्येशामसामार्थ्यमित्यभिप्राय:।।**[34]

आचार्य रूद्रट सहृदय होने के साथ-साथ सहृदय आलोचक भी प्रतीत होते हैं क्योंकि उनके अनुसार कवि के सर्वज्ञान गम्भीर होने से पुरूषार्थसिद्धि तो होगी ही, साथ-साथ विशुद्ध व्याकरण और तर्कग्रन्थों के ज्ञान से वाणी में निखार प्राप्त होता है, जो सुमधुर, सरस काव्य रूप फल को जन्म देने का मूल है। अत: निर्दोष काव्य की सर्जना भी पुरूषार्थ सिद्धि में सहायक होती है।

फलमिदमेव हि विदुषां शुचिपदवाक्य प्रमाणशास्त्रेभ्य:।
यत्संस्कारो वाचां वाचश्च सुचारूकाव्यफला:।।[35]

टीकाकार नमिसाधु ने भी रूद्रट के मत का समर्थन तथा विस्तार करते हुए कहा कि वाणी का निखार ही वह तत्व होता है जो सुमधुर काव्य रूप फल को जन्म देने का अधिकारी है। अत: चारू काव्य रचना सुसंस्कृत वाणी का ही परिपाक है।[36]

इस प्रकार आचार्य रूद्रट ने काव्य के जिन विविध प्रयोजनों का विवेचना किया है, नमिसाधु ने उन सभी का स्पष्ट व्याख्या की है। रूद्रट ने प्रयोजन विवेचन में तीन आधारों का ग्रहण किया है-काव्यषास्त्रगत-प्रयोजन, काव्यगत-प्रयोजन और कविगत- प्रयोजन।

1. **काव्यशास्त्रगत-प्रयोजन -** आचार्य रूद्रट सर्वप्रथम ऐसे आचार्य हैं जिन्होंने काव्यशास्त्र के प्रयोजन का विवेचन किया और उसे अपने ग्रन्थ 'काव्यालंकार' के माध्यम से सहृदयों के समक्ष प्रस्तुत किया कि काव्यशास्त्रीय ग्रन्थ 'काव्यालंकार' के अध्ययन के माध्यम से कविजन व्युत्पन्नमति होकर काव्य को विभिन्न काव्यांगों से सुशोभित करने योग्य हो जायेंगे।

अस्य हि पौर्वापर्य पर्यालोच्याचिरेण निपुणस्य।
काव्यमलंकर्तुमलं कतुरूदारा मतिर्भति।।[37]

टीकाकार नमिसाधु ने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि इस ग्रन्थ की रचना प्रयोजन युक्त है। **तस्मात्सप्रयोजनमिदमलंकारकरणमिति।।**[38]

2. **काव्यगत-प्रयोजन -** आचार्य रूद्रट ने काव्य के यशप्राप्ति, चतुर्वर्ग प्राप्ति, नायक का यश:, विस्तार, अनर्थ का उपशम, विपत्ति का निवारण, रोग मुक्ति ओर देवस्तुति द्वारा अभीष्ट प्राप्ति रूप प्रयोजनों का विवेचन स्पष्ट रूप से किया है।?

रूद्रट कृत काव्य प्रयोजनों को मुख्य रूप में दो भागों में विभाजित किया जा सकता है-लौकिक और पारलौकिक। लौकिक के अंतर्गत यश (स्वगत-परगत) अनर्थ, विपत्ति का निवारण, परोपकार धर्म-वृद्धि और अभीष्ट प्राप्ति को माना जा सकता है। पारलौकिक प्रयोजन के अंतर्गत चतुर्वर्ग फल प्राप्ति को स्वीकार किया जा सकता है।

यद्यपि आचार्य रूद्रट ने काव्य के अनेक प्रयोजनों का विवेचन किया है लेकिन मुख्य प्रयोजन के रूप में चतुर्वर्ग फल प्राप्ति को स्वीकार किया है। यह प्रयोजन सुन्दर और परिपक्व काव्य रचना का ही फल है।[39]

इसके अतिरिक्त रूद्रट ने 12वें और 13वें अध्याय में भी चतुर्वर्ग फल प्राप्ति का काव्य प्रयोजन के रूप में प्रयोजन किया है। जिससे यही प्रयोजन रूद्रट को अभीष्ट प्रतीत होता है-

ननु काव्येन क्रियते सरसानामवगमश्चतुर्वर्गे।
लघु मृदु च नीरसेभ्यस्तेहि त्रस्यन्ति शास्त्रेभ्य:।।[40]
जगति चतुर्वर्ग इति ख्यातिर्धमार्थकाममोक्षाणाम्।
सम्यक्तानभिदध्याद्रससंमिश्रान्प्रबन्धेषु।।[41]

रूद्रट के इसी मत का समर्थन टीकाकार नमिसाधु ने भी किया है कि काव्य से चतुर्वर्ग की प्राप्ति होती है।

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XL

काव्येन हेतुना चतुर्वर्गे धर्मार्थकाममोक्षल क्षेणेऽवबोध: क्रियते।।[42]

3. कविगत-प्रयोजन – रूद्रट ने कविगत प्रयोजन का भी विवेचन किया है। यद्यपि काव्य रचना से कवि को यश: प्राप्ति होती है तथापि कवि की वाणी को विभिन्न काव्यशास्त्रीय, तर्कशास्त्रीय ग्रन्थों से निपुणता तथा निखार भी प्राप्त होता है तथा उसकी वाणी सुसंस्कृत हो जाती है जो सुन्दर काव्यरूपी फल की जन्मदात्री होती है। इस प्रकार काव्य की जननी वाणी ही कवियों के लिए फलरूप प्रयोजन होती है।

फलमिदमेव हि विदुषां शुचिपदवाक्यप्रमाणशास्त्रेभ्य:।
यत्संस्कारो वाचां वाचश्य सुचारूकाव्यफला:।।[43]

टीकाकार नमिसाधु ने भी सुसंस्कृत वाणी को कवियों का फलरूप प्रयोजन स्वीकार किया है। उनका कथन है कि जब वाणी व्याकरण और शास्त्रों के ज्ञान से सुसज्जित हो जाती है तभी कवि सुमधुर काव्य का सर्जना कर सकता है। अत: सुन्दर काव्यरचना वाणी के संस्कार का ही फल है। **हि यस्माज्जानतामिदमेव ज्ञानफलां यच्छुचिपदवाक्यप्रमाणशास्त्रेभ्यो विशदव्याकरणतर्कग्रन्थेभ्य: सकाशात्संस्कारो वाचाम्। ननु वाव-संस्कारसयापि किं फलमित्याह-वाचश्य सुचारूकाव्यफला:। सुन्दरकाव्यकरणमेव वाक्संस्कारस्य फलमित्यर्थ:।।**[44]

इस स्थल पर नमिसाधु की महती मौलिकता का उल्लेख करना आवश्यक प्रतीत होता है। काव्यालंकार ग्रन्थ के में नमिसाधु ने टीकाकारगत प्रयोजन का भी विवेचन किया है।

नमिसाधु का कथन है कि रूद्रट कृत 'काव्यांलकार' ग्रन्थ की टीका लिखने से उन्हें पुण्य प्राप्ति हुयी है तथा उनकी अभिलाषा है कि उनका मन परोपकार में आसक्त हो।

एवं रूद्रटकृतकाव्यालंकृतिटिप्पणकविरचनात्पुण्यम्।
यदवापि मया तस्मान्मन: परोपकृतिरिति भूयात्।।[45]

अत: ऐसा माना जा सकता है कि नमिसाधु ने टीका करने से पुण्य प्राप्ति तथा परोपकार से धर्मवृद्धि को टीकारगत प्रयोजन के रूप में स्वीकार किया है। इस प्रकार यह नमिसाधु का अत्यन्त समन्वयात्मक दृष्टिकोण ही प्रतीत होता है कि वह कविगत प्रयोजन के समानान्तर ही टीकाकारगत प्रयोजन को भी न केवल स्पष्टरूपेण स्वीकार करते हैं वरन् टीकाकार की महत्ता को भी द्योतित करते हैं।

अन्ततः रूद्रटकृत काव्य प्रयोजनों को अग्रलिखित तालिका से स्पष्टरूपेण समझा जा सकता है।

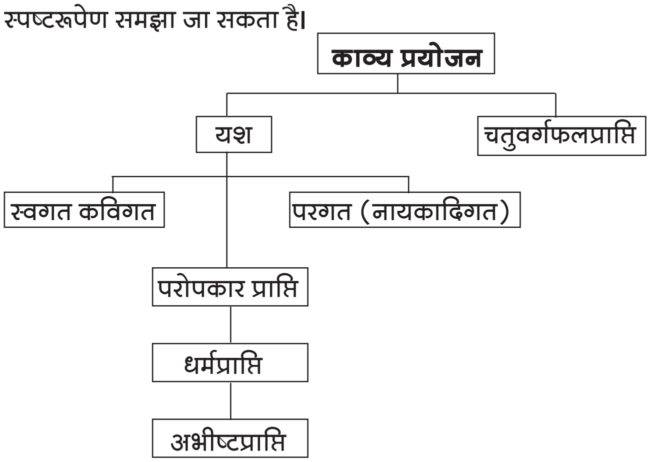

इस प्रकार कहा जा सकता है कि आचार्य रूद्रट ने काव्य प्रयोजनों का विवेचन पूर्ववर्ती तथा तत्कालीन सामाजिक परिप्रेक्ष्य में ही किया है। काव्य प्रयोजन विवेचन में रूद्रट का उदारवादी दृष्टिकोण परिलक्षित होता हैं यथा कवि के यश के साथ नायक का यश भी विस्तारित हाता है। सम्भवत: रूद्रट का काव्य प्रयोजन स्वान्त: सुखाय न होकर सर्वस्य सुखाय प्रतीत होता है जो रूद्रट की सहृदयता का ही द्योतक है।

इसी प्रकार रूद्रट के टीकाकार नमिसाधु ने भी रूद्रट कृत काव्य प्रयोजनों का स्पष्टरूपेण समर्थन किया है और अपनी टिप्पणी से रूद्रट के आशय का स्पष्टीकरण विभिन्न उद्धरणों के माध्यम से किया।

अत: काव्य प्रयोजन के संदर्भ में आचार्य रूद्रट और टीकाकार नमिसाधु दोनों का दृष्टिकोण परस्पर सम्बद्ध ही प्रतीत होता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. मा0प्र0, 1/2 वृत्ति पृ0 8
2. नायकस्य कवे: श्रोतु: समानोऽभवस्तत:। लो0नु0 34
3. विलक्षणं यत्काव्यं लोकोत्तरवर्णनानिपुणकविकर्म। का0प्र0 1/2 वृत्ति पृ0 9
4. ना0शा0 1/115, 114
5. धर्मार्थाकाममोक्षेषु वैचक्षण्यं कलासु च। कीर्तिं करोति प्रीतिं च साधुकाव्यनिबन्धमन्।। का0 (भा0) 1/2
6. अत: प्रजानां व्युत्पत्तिमभिसन्धाय सूयरय:। वाचां विचित्रमार्गाणां निवबन्धु: क्रियाविधिम्।। काव्याद0 1/2
7. काव्यं सद् दृष्टाऽदृष्टार्थ प्रीतिकीर्तिहेतुत्वात्। का0सू0वृ 1/1/5
8. सा0 द0 1/2, पृ0 2
9. का0 (रू0), 1/3
10. तत्मात्सप्रयोजनमिदमलंकारकरणमिति। वही, नमिसा0 टी0पृ0 5
11. ज्वलदुज्जवलवाक्प्रसर: सरसं कुर्वन्महाकवि: काव्यम् स्फुटमाकल्पमनल्पं प्रतनोति यश: परस्यापि।। का0 (रू0) 1/5
12. नमिसा0 टी0 पृ0 4
13. नी0श0 24
14. का0 (रू0) 1/5
15. तत: काव्यनायकविधापतिदेवगृहादौ कालर्पयेण नष्टेनाशं गते सति। न भवेत्र स्यात्, नामापयभिधानमपि। तत: सुरसनादिनाशाद्धेतो:, यदि राज्ञां नायकानां सुकवयो न स्यु:। तच्चरितकथाप्रबन्धकर्तार इत। राज्ञामिति काव्यनायकोपलक्षणम्।। वही, नमिसा0 टी0, पृ0 6
16. का0 (रू0) 1/12
17. तस्मात्स्थितमेतत्कवे: काव्यकारणादेव परं यशो भवतीति। उक्त च-यत: क्षणध्वसिनि सींवेऽस्मिन्काव्याद्दतेऽन्यत्क्षयमेति सर्वम्। अतो महाद्भिर्यशसे स्थिराय प्रवर्तित: काव्यकथाप्रसंग।। का (रू0), नमिसा0 टी0, पृ0 17
18. स्फारस्फुरद्दूरूमहिमा हिमधवलं सकललोक कमनीयम्। कल्पान्तस्थायि यश: प्राप्नोति महाकवि: काव्यात्।। वही, 1/21
19. वही, नमिसा0 टी0, पृ0 16
20. वही, 1/6
21. स्फुटमाकल्पमनल्पं प्रतनोति यश: परस्यापि।। वही 1/4
22. का0 (रू0), 1/6, नमिसा0 टी0, पृ0 6
23. वही, 1/7
24. वही, 1/7 , नमिसा0 टी0, पृ 6
25. वही, 1/8

26. वही, 1/9
27. का0 (रू0) 1/8, नमिसा0 टी0, पृ0 7
28. नृत्वेत्ति। तथाहीत्युदाहरणोपदर्शने। दुर्गा ग्रहणं देवतोपलक्षणार्थम्। तथाहि केचिदनिरूद्धादय: शत्रवश्यादिकां विपद तीर्णा:। केचिद्धीरदेवादयो नीरूजत्वं प्रापु:। अपरे शत्रुध्नप्रभृतयोऽभिमंत वरं लब्धवन्त:। एवमन्येऽत्युदाहरणत्वेन तथाविधा ज्ञेया इति।। वही, 1/9, नमिसा0 टी0, पृ0 7
29. आसाद्यते स्म सद्य: स्तुतिभिर्येभ्योऽभिवान्छितं कविभि:।
अद्यापि त एव सुरा यदि नाम नरधिपा अन्ये।। का0 (रू0), 1/10
30. वही, नमिसा0 टी0, पृ0 7
31. वही, 1/11
32. वही, नमिसा0 टी0, पृ0 8
33. का0 (रू0) 1/12 (12)
34. वही, नमिसा0 टी0, पृ0 8
35. वही, 1/13
36. फलमिति। हि यस्माज्जानतामिदवेव ज्ञानफलं यच्छुचिपदवाक्यप्रमाण शास्त्रेभ्यो विशदव्याकरणतर्कग्रन्थेभ्य: सकाशात्संसस्कारो वाचाम्। ननु वाक्यसंस्कारस्यापि किं फलं इव्याह–वाचश्य सुचारू काव्यफला:। च समुच्चये। सुन्दरकाव्यकरणमेव वाक्यसंस्कारस्य फलमित्यर्थ:।। का0 (रू0) 1/13, नमिसा0 टी0, पृ0 9
37. वही, 1/3
38. वही, नमिसा0 टी0, पृ0 5
39. तदिति पुरूषार्थसिद्धिं साधुविधास्यद्धिविकलां कुशलै:।
अधिगतसकलज्ञेयै: कर्तव्य काव्यममलमलम्। का0 (रू0) 1/12
40. वही, 12/1
41. वही, 16/1
42. का0 (रू0), 12/1, नमिसा0 टी0, पृ0 372
43. वही, 1/13
44. वही, नमिसा0 टी0, पृ0 9
45. का0 (रू0) नमिसा0 टी0, पृ0 427

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XL

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और महिला सशक्तिकरण

डॉ. अशोक कोचले*   डॉ. एम.एल. चौधरी**

*अतिथि विद्वान (वाणिज्य) भेरूलाल पाटीदार शासकीय महाविद्यालय, महू (म.प्र.) भारत
** रिटायर्ड सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) शासकीय महाविद्यालय, बड़वाह (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – महिला सशक्तिकरण से आशय उस शक्ति से है जो महिला अपने जीवन से संबंधित फैसले स्वयं ले सकती है। समाज में महिला को हर दृष्टि से सक्षम बनाना ही महिला सशक्तिकरण है। महिला सशक्तिकरण एक विशेष चर्चा का विषय है। हमारे आदिग्रन्थों में नारी के महत्व को यहां तक बताया गया है कि, 'यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता: अर्थात्– जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं।' महिला सशक्तिकरण का अर्थ महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और संवैधानिक स्थिति में सुधार लाना है, ताकि उन्हें रोजगार, शिक्षा, आय अर्जन में बराबरी के अवसर मिल सके, जिससे वह सामाजिक स्वतन्त्रता तथा तरक्की प्राप्त कर सके। यह वह तरीका है जिसके द्वारा महिलायें भी पुरूषों की तरह अपनी हर आकांक्षाओं को पूरा कर सके। भारत में महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि प्राचीन समय में भारत में पुरूष प्रधान समाज रहा है और इससे लैंगिंग असमानताये बहुत बढ़ गई है और प्राचीन भारतीय समाज दुसरा भेदभावपूर्ण रिवाजों के साथ जैसे– सती प्रथा, नगर वधु व्यवस्था, दहेज प्रथा, यौन हिंसा, बाल मजदूरी, बाल विवाह आदि परम्पराऐं बनी हुई है।

विद्यालय स्तर पर बालिकाओं के लिए नई शिक्षा नीति 2020 में प्रावधान है:

1. बालिका छात्रावासों तक सुरक्षित और व्यावहारिक पहूंच प्रदान की जायेगी।
2. दूरदराज के ईलाकों में नि:शुल्क छात्रावासों का निर्माण किया जायेगा।
3. कस्तुरबा गाँधी विद्यालय जो पहले से ही भारत सरकार की योजना है उसे और अधिक मजबूत बनाया जायेगा। विद्यालयों में 12वीं स्तर तक विस्तार किया जायेगा, ताकि छात्राओं का नामांकन बढ़ सके।
4. सामाजिक, आर्थिक रूप से वंचित तथा अल्प प्रतिनिधित्व समूह में आधी संख्या महिलाओं एवं बालिकाओं की है। इन छात्राओं पर विशेष ध्यान केन्द्रित करके नीति एवं योजनाऐं बनाई जायेगी।
5. अधिक दूरी वाले स्थानों पर छात्राओं को साईकिल प्रदान की जायेगी। तथा फीस आदि न भर पाने की स्थिति में उनके माता पिता एवं अभिभावकों को सशर्त नगद हस्तान्तरण किया जायेगा ताकि गरीबी के कारण उन्हें स्कूल छोड़ना ना पड़े।
6. जहां विद्यालय सशिक्षा वाले हैं उन्हें अलग शौचालय आदि अन्य बुनियादी सुविधायें एवं सुरक्षा का ध्यान रखा जायेगा।
7. सभी शिक्षक संवेदनशील होंगे ऐसा बन्दोबस्त किया जायेगा।
8. नई शिक्षा नीति 2020 में गंभीर मुद्दों जैसे कई प्रकार के भेदभाव, उत्पीड़न तथा उनके अधिकारों, सुरक्षा के खिलाफ किसी भी तरह के उल्लंघन पर कुशल तंत्र के साथ प्राथमिकता दी जायेगी।
9. ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग कार्यक्रम का विस्तार और सुदृढीकरण किया जायेगा।
10. व्यावसायिक विषयों, स्थानीय भाषाओं, इन डोर, आऊट डोर खेल, चित्रकला, कठपुतली, शिल्प, नाटक, कविता, कहानी, संगीत आधारित गतिविधियों को नई शिक्षा नीति में जोड़ा जायेगा जिससे बालिकाओं में रूचि विकसित होगी और वह विद्यालय से जुड़ी रहेंगी।

नई शिक्षा नीति 2020 अधिक से अधिक बालिकायें एवं महिलायें शिक्षित हो सके और नारी सशक्तिकरण की दिशा में यह नीतियां मील का पत्थर साबित हो ऐसा प्रयास किया जायेगा।

लैंगिक असमानताओं के विवरण

देश में वर्तमान परिस्थिति में साक्षरता में असमानतायें

जनगणना वर्ष	साक्षरता (प्रतिशत में)		
	समस्त जन संख्या में	पुरूषों में	महिलाओं में
1951	18.33	27.16	8.86
1961	28.3	40.40	15.35
1971	34.45	45.96	21.97
1981	43.57	56.38	29.76
1991	52.21	64.13	39.29
2001	64.84	75.26	53.67
2011	73.0	80.9	64.6

लैंगिंक असमानता की वर्तमान स्थितियाँ (देश – विदेश में)
(अगले पृष्ठ पर देखे)

महिला श्रमिक स्थितियां– भारत की श्रम शक्ति में महिला श्रमिकों का एक प्रमुख हिस्सा है, लेकिन रोजगार के स्तर और गुणवत्ता की दृष्टि से वे पुरूषों से पीछे रह जाती हैं। भारत की जनगणना 2001 के अनुसार महिला श्रमिकों की संख्या 25.60 प्रतिशत है यानि देश में महिलाओं की कुल संख्या 49 करोड़ 60 लाख में से 12 करोड़ 72 लाख 20 हजार महिला श्रमिक है। अधिकांश श्रमिक महिलायें ग्रामीण क्षेत्रों में है। ग्रामीण क्षेत्र की महिला श्रमिकों में 87 प्रतिशत खेतीहर मजदूर है, शहरी क्षेत्र में 80 प्रतिशत श्रमिक महिलाऐं घरेलू उद्योगों, छोटे मोटे व्यवसायों और नौकरी तथा भवन निर्माण जैसे असंगठित क्षेत्रों में काम कर रही है। संगठित क्षेत्र (निजी और सार्वजनिक

दोनों) में 31 मार्च, 2002 तक महिला श्रमिकों की संख्या लगभग 49 लाख 35 हजार थी। यह देश में संगठित क्षेत्र में कुल रोजगार का 17.8 प्रतिशत है। प्रमुख उद्योगों में महिला कर्मचारियों की तैनाती की संख्या विश्लेषण से पता चलता है कि अधिकतर महिलायें सामुदायिक, सामाजिक और निजी सेवा क्षेत्र में कार्यरत है। बिजली, गैस, जल क्षेत्रों में सबसे कम संख्या में महिलाओं को रोजगार मिला है। ऐसी परिस्थितियां महिलाओं को अबला बना रही है। महिला श्रमिकों के बारे में सरकार की नीतियों में मुख्य ध्यान उनके काम में आने वाली अड़चने समाप्त करने, वेतन के बारे में सौदेबाजी कर पाने की उनकी क्षमता बढ़ाने, उनका वेतन बढ़ाने, उनकी कार्य स्थितियों में सुधार लाने, उनकी कुशलता बढ़ाने और उनके लिये रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने पर रहता है।

महिला सशक्तिकरण की राह में बाधाऐं:

1. राजकीय ध्यान महिला सशक्तिकरण के विपरित- महिला स्वास्थ, शिक्षा, रोजगार में स्थान देने की योजनाओं की कमजोर स्थिति।
2. राजकीय बजट में महिला सशक्तिकरण की कमजोर व्यवस्था।
3. राजकीय नीतियां सत्ता लोलूपता पर आधारित है जिसमें काम कम लुभावन ज्यादा है जैसे- सामाजिक बराबरी की, आर्थिक सक्षमता की, स्वास्थ्य कुपोषण, मिटाने की ठोस योजनाओं का अभाव।
4. रोजगार में स्थान न होना- अध्ययनों से पता लगता है भेदभाव पूर्ण व्यवस्थाए है।
5. महिलाओं के प्रति हिंसा, प्रताड़ना रोकने में असमर्थता।

महिला सशक्तिकरण के लिए सुझाव:

1. शिक्षा प्रत्येक महिला तक पहूंचाना चाहिए।
2. रोजगार के 300 स्टैण्डर्ड दिनों की व्यवस्था प्रत्येक रोजगार चाहने वाली महिलाओं हेतु की जाना चाहिए।
3. स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को नि:शुल्क प्रत्येक महिला तक पहुंचाना।
4. सामाजिक बराबरी लाने हेतु पुरूष महिला समन्वय समिति प्रत्येक गांव और मौहल्ले तक बनाना चाहिए।
5. संवैधानिक और राजकाज संस्थाओं में 50 प्रतिशत महिलाओं की नियुक्ति की जाना चाहिए।
6. कल्याणकारी योजनाऐं न्यायोचित तरह से प्रभावशील बनाना चाहिए। केवल कुछ के पक्ष वाली नही बना चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. भारत 2012 विविध अंक, वार्षिक संदर्भ ग्रन्थ, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार,
2. मध्यप्रदेश की विविध सांख्यिकी 2014, आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय म.प्र.,
3. अतिरिक्तांक प्रतियोगिता दर्पण भारतीय अर्थ व्यवस्था 2017 (2017-18),
4. मध्यप्रदेश शासन की कल्याणकारी योजनाऐं एवं विकास कार्यक्रम 2019,
5. भारतीय अर्थ व्यवस्था 19वॉ संस्करण 2017- वी.के. पुरी एवं एस. के. मिश्र हिमालय पब्लिसिंग हाऊस प्रा.लि. मुम्बई।

लेंगिंक असमानता की वर्तमान स्थितियाँ (देश - विदेश में)

देश	संसदीय सीटों पर महिलाओं का प्रतिशत	25 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं में कम से कम सेकेण्डरी शिक्षा प्राप्त का प्रतिशत 2005 - 2015		श्रम शक्ति भागीदारी दर प्रतिशत	
		महिला	पुरूष	महिला	पुरूष
श्रीलंका	4.9	80.2	80.6	30.2	75.6
चीन	23.6	69.8	79.4	63.6	77.9
भारत	12.2	35.3	61.4	26.8	79.1
भूटान	8.3	5.8	13.4	58.7	72.8
बंगलादेश	20.0	42.0	44.3	43.1	81.0
नेपाल	29.5	24.1	41.2	79.7	86.8
म्यांमार	13.0	27.1	20.0	75.1	81.1
पाकिस्तान	20.0	26.5	46.1	24.3	82.2
अफगानिस्तान	27.4	8.8	35.4	19.1	83.6

स्त्रोत- मानव विकास रिपोर्ट 2016 में प्रस्तुत आंकड़े

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XL

कन्नौज जनपद के नगरों का कार्यात्मक वर्गीकरण

विकल कुमार *

* शोध छात्र (भूगोल) डी.ए.वी. पी.जी. कालेज, आजमगढ़ (उ.प्र.) भारत

प्रस्तावना – नगरीय अध्ययन का एक प्रमुख पक्ष नगरों के कार्य से सम्बद्ध है। यह नगरीय कार्य ही है, जिसके कारण कोई नगर अस्तित्व में आता है, उसका विकास होता है और उसके महत्व के आधार पर उसे प्रादेशिक अथवा राष्ट्रीय महत्व का दर्जा प्राप्त होता है। डिकिन्सन[1] के अनुसार कार्य नगर जीवन की चालक शक्ति हैं, जो एक बड़े पैमाने पर उसके विकास व आकारिकी को प्रभावित करते हैं, नगरों के कार्यों के अध्ययन से उसके आर्थिक सामाजिक व सांस्कृतिक महत्ता का बोध होता है और यही कारण है कि नगरीय कार्य नगरों के वर्गीकरण हेतु एक सुदृढ़ आधार प्रस्तुत करते हैं।

नगरों में मुख्यत: अप्राथमिक कार्य ही विकसित होते हैं, जिनमें वस्तु निर्माण उद्योग, व्यापार एवं वाणिज्य, संचार, परिवहन व अन्य सेवायें प्रमुख हैं, जिन्हें द्वितीयक एवं तृतीयक व्यावसायिक वर्गों के अन्तर्गत समाहित किया जाता है। केवल खनन (Mining) ही एक ऐसा कार्य है, जो प्राथमिक व्यवसाय से सम्बन्धित होते हुए भी नगरों के उद्‌भव एवं विकास में सहायक होता है, क्योंकि यह वस्तु निर्माण उद्योग में एक सहायक कार्य के रूप में कार्यरत रहता है। उपर्युक्त सेवाओं के अतिरिक्त एक बड़ा वर्ग अन्य सेवाओं का है, जिनमें व्यावसायिक, चिकित्सा, शिक्षा, मनोरंजन एवं व्यक्तिगत होटल, वित्तीय बैंक एवं बीमा, सार्वजनिक प्रशासन जन उपयोगी सेवायें तथा सामाजिक सांस्कृतिक सेवायें सम्मिलित होती है।

उद्देश्य – प्रस्तुत शोधपत्र में कन्नौज जनपद के नगरों को उनके आकार, अवस्थिति, आकारिकी कार्यो में विभिन्नता आदि के आधार पर कई वर्गो में वर्गीकृत करना है। इसका प्रमुख उद्देश्य सामाजार्थिक विकास का आयामी स्वरूप तृतीयक व्यवसाय को स्थापित कर जनपद के आय तथा सामाजार्थिक स्तर को बढ़ाया जा सके।

अध्ययन क्षेत्र – ऐतिहासिक दृष्टि से विख्यात नवसृजित जनपद कन्नौज 18 सितम्बर 1997 ई0 को फर्रूखाबाद जनपद से अलग हुआ। इसका अक्षांशीय विस्तार 26°46'12'' उत्तरी अक्षांश से 27°13'30''उत्तरी अक्षांश तथा देशान्तरीय विस्तार 79°16'40'' पूर्वी देशान्तर से 80°1' पूर्वी देशान्तर के मध्य 2093 वर्ग कि0मी0 क्षेत्र पर विस्तृत है।

जनपद कन्नौज कानपुर मण्डल में स्थित है। यह तीन तहसीलों – कन्नौज, छिबरामऊ एवं तिर्वा तथा आठ विकासखण्डों छिबरामऊ, तालग्राम, सौरिख, हसरैन, जलालाबाद, कन्नौज, उमरदा एवं गुगरापुर में विभक्त है। सम्पूर्ण क्षेत्र मैदानी है। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की कुल जनसंख्या 1656616 है, जिसमें से 1375775 व्यक्ति (83.05%) गाँवों में व 280841 व्यक्ति (16.95%) नगरों में निवास करते है। जनपद की साक्षरता 72.70% (1017087 व्यक्ति) है, जिसमें पुरूष साक्षरता 80.91% (603596 पुरूष) एवं स्त्री साक्षरता 63.33%(413491 स्त्री) है।

नगरों का कार्यात्मक वर्गीकरण – नगरीय कार्यों को मुख्य रुप से तीन वर्गों में विभाजित किया जाता है:

1. आधारभूत एवं अनाधारभूत
2. केन्द्रीय एवं अकेन्द्रीय तथा
3. केन्द्राभिमुख एवं अपकेन्द्रीय कार्य

आधारभूत केन्द्रीय और अपकेन्द्रीय कार्यों का नगरों के निर्माण और विकास में विशेष महत्व होता है। नगरों द्वारा सम्पादित आधारभूत क्रियाओं को प्राथमिक क्रियाओं, नगर निर्माणक क्रियाओं, सम्पालक (Supporting) उदरपोषक आदि नामों से जाना जाता है। नगरों द्वारा नगरवासियों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सम्पादित क्रियाओं को अनाधारभूत (Non Basic) क्रियायें कहते है। इन क्रियाओं को माध्यमिक (Secondary) या नगर सेवा (City Service) कारक क्रियायें भी कहते हैं। आधारभूत और अनाधारभूत क्रियाओं के सह–सम्बन्ध को आधारभूत/अनाधारभूत अनुपात (B/N Ratio) कहते हैं।

यद्यपि नगरों को उनकी अवस्थिति, परिस्थिति, आकार, आकारिकी, उद्‌भव एवं विकास, कार्यों की संख्या, केन्द्रीयता व व्यवसायों के आधार पर उन्हें कई वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। परन्तु नगरों को उनकी व्यावसायिक संरचना के आधार पर उन्हें वर्गों या श्रेणियों में विभाजित करना सर्वथा उपयुक्त व वैज्ञानिक है। नगरों के कार्यात्मक वर्गीकरण हेतु विभिन्न अनुभावात्मक एवं सांख्यिकीय विधियाँ प्रचलित हैं। नगरों को सर्वप्रथम अरुसो[2] (1921) ने सामान्य अनुभव के आधार पर नगरों को सक्रिय एवं निष्क्रिय दो वर्गों में विभाजित करने का प्रयास किया है। इसके बाद अमेरिकी समाजशास्त्री मैकेन्जी[3] (1925), जेम्स[4] (1930), बेमर हायट[5] (1939), नाथ[6] (1954) आदि विद्वानों ने आनुभाविक विधियों से नगरों के वर्गीकरण प्रस्तुत किये हैं।

कुछ विद्वानों ने अर्द्धसांख्यिकीय एवं पूर्णसांख्यिकीय विधियों का प्रयोग कर नगरों के कार्यात्मक वर्गीकरण हेतु सार्थक प्रयास किये हैं, जिनमें हैरिस[7] (1943), विक्टर[8] (1954), माटिला एवं थाम्पसन[9] (1956), वेब[10] (1959), ओ0पी0सिंह[11] (1968), लाल[12] (1959), रफीउल्लाह[13] (1965), के0एन0 सिंह[14] (1959), ओंकार सिंह[15] (1969) आदि विद्वानों के अध्ययन अधिक महत्वपूर्ण हैं। विभिन्न विद्वानों

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XL

द्वारा प्रतिपादित विधियों का अवलोकन करने के उपरान्त शोधार्थी ने ओ0पी0 सिंह द्वारा प्रतिपादित द्विसूचकांकीय विधियों का प्रयोग कर कन्नौज जनपद के नगरों का कार्यात्मक वर्गीकरण हेतु द्विसूचकांकीय विधि (§Double Index Method) का प्रयोग किया, जो इस संकल्पना पर आधारित है कि किसी नगरीय केन्द्र को किसी कार्य औसत केन्द्र कहे जाने के लिए उसे उस कार्य में प्रादेशिक आकार और प्रादेशित कार्य दोनों का बराबर अनुपात या हिस्सा रखना चाहिए। दूसरे शब्दों में, किसी प्रदेश की जनसंख्या में किसी नगरीय केन्द्र का जो हिस्सा आता है, यदि प्रदेश की कार्यात्मक जनसंख्या में भी उसका वही हिस्सा आता है, तो वह नगर उस कार्य हेतु औसत केन्द्र कहा जायेगा। कार्य की मात्रा, आकार की तुलना में अधिक होने पर वह नगर विशिष्टीकरण का दर्जा प्राप्त करेगा। इस प्रकार प्रत्येक केन्द्र के प्रत्येक कार्य के लिए निम्न सूत्र की सहायता से कार्यात्मक विशिष्टीकरण लब्धि (Functional Specialization Quotient or FSQ) ज्ञात किया गया है।

सूत्रः–

$$F.S.Q. = \frac{F.C.I.}{S.I.} \quad ....(1)$$

$$F.C.I. = \frac{Cf\ 100}{Rf} \quad ....(2)$$

$$S.I. = \frac{Cs\ 100}{Rs} \quad ....(3)$$

जबकि, Cf = केन्द्र की कार्यात्मक जनसंख्या,

Rf = प्रदेश की कार्यात्मक जनसंख्या

Cs = केन्द्र की जनसंख्या एवं

Rs = प्रदेश का जनसंख्या आकार है।

(F.S.Q.) में सम्बन्धित कार्य में सभी केन्द्रों की कार्यात्मक प्रतिशत संख्या मे माध्य (Mf) का गुणा कर (F.S.I. - Functional Specilization Index) प्राप्त किया जाता है।

F.S.I.= F.S.Q. x Mf.

किसी केन्द्र के (F.S.Q.) के मान के 1 होने पर वह केन्द्र संतुलित (Balanced) कहलायेगा। कार्यात्मक विशिष्टीकरण तीव्रता के आंकलन हेतु (F.S.I.) मूल्यों का माध्य एवं (S.D.) ज्ञात किया जा सकता है।

सारणी 1 (अगले पृष्ठ पर देखे)

कन्नौज जनपद के नगरों का कार्यात्मक वर्गीकरण – कन्नौज जनपद में कुल 8 नगरीय केन्द्र क्रमशः कन्नौज, छिबरामऊ, गुरसहायगंज, समधान, तिर्वागंज, सौरिख, तालग्राम व सिकन्दरपुर स्थित हैं, जिनमें विविध प्रकार के केन्द्रीय सेवायें न्यूनाधिक मात्रा में विकसित हैं। भारतीय जनगणना विभान ने मानव की आर्थिक क्रियाओं को नौ (9) श्रणियों–कृषक, कृषि श्रमिक, उत्खनन, बागवानी, मत्स्य पालन, संग्रहक, पारिवारिक एवं गैर पारिवारिक उद्योग, निर्माण, व्यापार एवं वाणिज्य, परिवहन एवं संचार तथा अन्य सेवाओं में वर्गीकृत किया है, जिन्हें वर्तमान अध्ययन में कृषि आश्रित या प्राथमिक (कृषक + कृषि श्रमिक + उत्खनन, मत्स्य पालन, आखेटक आदि) पारिवारिक एवं गैर पारिवारिक उद्योग, निर्माण, व्यापार एवं वाणिज्य, संचार एवं यातायात व अन्य सेवाओं की श्रेणियों में पुनर्गठित किया गया है तथा ओ0 पी0 सिंह की विधि का प्रयोग करते हुए यहाँ के नगरों को निम्न व्यावसायिक वर्गों में विभाजित किया गया है–

1. एक कार्य प्रधान केन्द्र– जनपद के आठ नगरों में से चार नगरों में सिकन्दरपुर, तिर्वागंज, तालग्राम, सौरिख, एक कार्य प्रधान केन्द्र है, जिनमें सिकन्दरपुर (A1) तिरवागंज (A2) व तालग्राम (A2) कृषि प्रधान केन्द्र, सौरिख (H3), परिवाारिक उद्योग केन्द्र है।

2. द्विकार्य प्रधान केन्द्र – अध्ययन क्षेत्र के 8 नगरों में से चार नगरों में द्विकार्यों की प्रधानता है, जिनमें गुरसहायगंज घरेलू उद्योग (H1) व अन्य सेवाओं (0) का केन्द्र है तथा छिबरामऊ, समधान व कन्नौज वाणिज्यिक व अन्य सेवाओं (co1) का केन्द्र है। कन्नौज अध्ययन क्षेत्र का प्राथमिक व प्रधान नगर है, जिसे जनपद मुख्यालय होने का गौरव प्राप्त है। इसे सम्पूर्ण जनपद को प्रशासनिक सेवायें उपलब्ध करानी पड़ती है। कन्नौज में इत्र एवं बीड़ी बनाने के छोटे–छोटे कारखाने है। यहाँ का इत्र विश्वविख्यात है। गुरसहायगंज कस्बे के बीड़ी उद्योग को काफी ख्याति प्राप्त है।

1. कृषि प्रधान केन्द्र – अध्ययन क्षेत्र के 8 नगरों में से तीन नगर क्रमशः सौरिख, तिर्वागंज व तालग्राम, कृषि कार्य में प्रधानता रखते है। जिनमें सौरिख (A1) का केन्द्र है।

2. घरेलू उद्योग के केन्द्र – जनपद के 8 नगरों में से मात्र 3 नगर कन्नौज, गुरसहायगंज व छिबरामऊ घरेलू उद्योग में विशिष्टता रखते हैं।

3. वाणिज्यिक एवं अन्य सेवाओं के केन्द्र – यद्यपि प्रायः सभी नगरों में अन्य सेवायें अल्पाधिक मात्रा में विकसित होती है, परन्तु विशेष रुप से छिबरामऊ, गुरसहायगंज व कन्नौज में वाणिज्यिक व अन्य सेवाओं की प्रधानता है, लेकिन अध्ययन क्षेत्र के मात्र एक केन्द्र कन्नौज में सर्वाधिक अन्य सेवाओं की प्रधानता है। यह केन्द्र जनपद मुख्यालय है, जहाँ विविध प्रकार की प्रशासनिक, स्वास्थ्यीय, शैक्षणिक, सेवाओं का संकेन्द्रण सर्वाधिाक हुआ है। फलतः यह केन्द्र अन्य सेवाओं में (01) की विशिष्टता रखता है।

विश्लेषण से स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र के तीन नगर में अब भी कृषीय संस्कृति का प्रभाव है और वे अभी तक अपने अप्राथमिक कार्यो का यथेष्ट विकास नहीं कर पाये हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. Dickinson, R.E. (1964) : City, Region and Regionalism, Routtedge and kiegal Paul, London.
2. Aurousseau, M. : “The Distribution of population .A Constructive Problem”, G.R.11 (4) Oct.1921,563-592.
3. Mckenzie, R.D. : “The Ecological Approach to the Study of Urban Community. “ The City, by park, Robert E, Ernest W Burgess and R.D.Mckenzie, The Univ.of Chicago Press, Chicago, 1925.
4. James, H.E. : “Urban Geography of India,” Bulletion of Philadelphia 28, 1930, 101-102, ref. P.108.
5. Wremer, A.M. and Homer : Principles of Urban Real Estate (New York). Hoyt, (1939)
6. Nath, V. (1954) : Urbanization in India with special reference to the Growth of Cities, World Population Conference, Rome, mimeographed, P.4.
7. Harris, C.D. (1943) : A functional Classification of cities in the United States, Geographical Review .Vol .33. PP. 88-99
8. Victor, Jones, (1954): Economic Classification of cities. The unicipal Yearbook, PP.62-70.
9. Mattila, J.M. and Thompson,W.R. (1955) : Measurement of the Economie Base of the

Metropolition Area, Land Economics, Vol. 31, PP.215-228.

10. Webb, J.W. (1959) : Basic Concepts in the Analysis of Small Urban Centres of Minnesota. A.A.A.G., Vol 49,PP.5- 72.
11. Singh. O.P. (1968) : Functions and Functional Classes of Central Places in Uttar Pradesh, N.G.J.I.,Vol. 14 (2-3), P.83-127.
12. Lal, A. (1959) : Some Aspects of Functional Classification of cities and a propused scheme for Classifying Indian Cities, N.G.J.I., Vol. 5 (1) PP.12-24.
13. Rafiullah, S.M. (1965) : A New Approach to funtional Classification of towns, The Geographer,Vol.12, PP. 40-53.
14. Singh, K.N. (1959) : Function and Functional Classification of Towns in U.P. , N.G.J.I., Vol.5 , Part 3. PP. 121-148.
15. Singh, Onkar. (1969) : Functions and functional Classification of towns in Uttar Pradesh, N.G.J.I., Vol. 15, PP. 179-195.

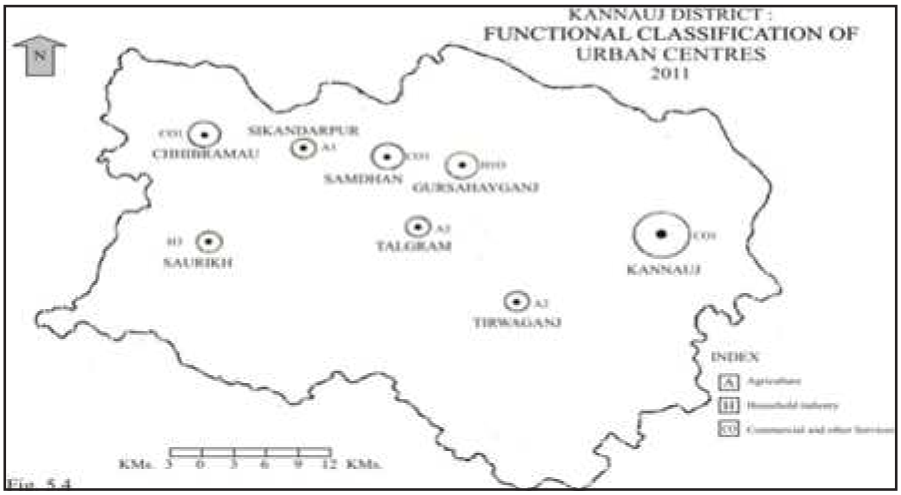

सारणी 1 : कन्नौज जनपद के नगरों की व्यावसायिक संरचना (% में) – 2011

क्र.	नगरों के नाम	नगरीय जनसंख्या	कृषक	कृषक श्रमिक	पारिवारिक उद्योग	अन्य कर्मकर
1	कन्नौज	84862	9.71	17.86	10.03	62.39
2	गुरसहायगंज	46060	3.04	8.363	26.98	61.62
3	सिकन्दरपुर	9209	28.71	2.95	6.75	31.59
4	छिबरामऊ	60986	8.88	6.44	6.99	77.68
5	सौरिख	12498	19.76	12.36	10.44	57.43
6	तालग्राम	11665	16.77	22.15	26.27	34.81
7	समधान	31479	15.35	16.81	54.49	13.34
8	तिर्वागंज	24082	10.76	8.51	9.22	71.51
	जनपद योग	**280841**	**10.45**	**13.50**	**19.51**	**56.52**

स्रोत– जिला सांख्यिकी पत्रिका, जनपद कन्नौज 2019

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XL

परसाई जी के व्यंग्य उपन्यास 'रानी नागफनी की कहानी' के कथानक का विवेचनात्मक एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन

डॉ. सुनीता यादव *

* (प्र. प्राचार्य) सहायक प्राध्यापक, शासकीय महाविद्यालय, गोपालपुर, जिला-सीहोर (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – स्वातंत्र्योत्तर भारत के जीवन यथार्थ के जटिलतम रूपों को पूरी गहराई और अत्यन्त सहजता के साथ भरपूर कलात्मक अभिव्यक्ति जिन लेखकों ने दी हैं, उनमें परसाई का नाम प्रमुख हैं। आजादी के बाद हमारे देश में सामाजिक चेतना के विकास में जिन क्रांतिकारी लेखकों का जिक्र किया जाएगा उनमें निर्विवाद रूप से हरिशंकर परसाई सबसे अग्रणीय है। प्रस्तुत शोध पत्र में हरिशंकर परसाई के उपन्यास 'रानी नागफनी की कहानी' के कथानक की विवेचनात्मक एवं विश्लेषणात्मक समीक्षा प्रस्तुत हैं।

परसाई जी के गद्य लेखन की उल्लेखनीय विशेषता यह हैं कि उन्होंने भारतेन्दु युगीन गद्य और खासकर व्यंग्यात्मक लेखन की श्रेष्ठ परम्परा को नए सिरे से अविष्कृत किया। उनके लेखन में सहजता और पैनापन एक साथ दिखाई देता है। इसके अलावा फैंटेसी के सधन यथार्थवादी प्रयोग और पौराणिक मिथकों या लोक कथाओं के सार्थक इस्तेमाल में परसाई जी को विलक्षण सफलता मिली है।

परसाई जी सन् 1950 के बाद के उपन्यासकारों में अपना स्थान रखते हैं। उस समय के बाद में उपन्यासों में स्वतंत्रता के बाद की त्रासही को लेखकों ने अपने उपन्यासों का विषय बनाया हैं। सन् पचास के बाद के उपन्यासों में सामाजिक, ऐतिहासिक समाजवादी आचंलिक, व्यक्तिवादी या अस्तित्ववादी मनोविश्लेषणात्मक, मनोवैज्ञानिक, फैण्ट्सी व व्यंग्य उपन्यासों की रचना हुई।

तत्कालीन व्यंग्य व फैतसी उपन्यास व उपन्यासकार – प्रेमचन्द्र से लेकर भगवती चरण वर्मा तक ऐसे उपन्यासकार थे जिनके लेखन में व्यंग्य गौण था। प्रसंगारूप व्यंग्य का समोवेश था परन्तु हरिशंकर परसाई के 'रानी नागफनी' व्यंग्य उपन्यास के साथ प्रारम्भ होता है। इसमें समाज शिक्षा और राजनीति के क्षेत्र में व्याप्त छल का नंगा खा का प्रस्तुत है।

मुंशी इंशाअल्ला खॉ की 'रानी केतकी की कहानी' के कथातंत्र के आधार पर उसी शिल्प में 'रानी नागफनी की कहानी' को लघु उपन्यास में ढाला है। भूमिका में हरिशंकर परसाई ने कहा है:- 'फैन्टेसी के माध्यम से मैंने आज की वास्तविकता के कुछ पहलुओं की आलोचना की है।[1] इस श्रेणी के अन्य उपन्यास और उपन्यासकार है। 'राधाकृष्ण' का 'सनसनाते सपनेय बदी उज्जमा का 'एक चूहे की मौत' डॉ. शंकर पुणताम्बेर का 'एक मंत्री स्वर्ग लोक में' डॉ. श्रवण कुमार गोस्वामी का 'जंगल तंत्रम' यशवंत कोठरी का 'यश का शिकंजा' डॉ. नरेन्द्र कोहली का 'आश्रितों का विद्रोह' आदि।

विसंगतियों और विद्रूपताओं के बीच जी रहे आदमी की नियति को हरिशंकर परसाई, राधाकृष्ण, श्रीलाल शुक्ल, नरेन्द्र कोहली, बदी उज्जमा डॉ. पुणताम्बेकर और फिक्र तौवंसी ने आक्रोश वयंग्यवाणी प्रदान की

परसाई जी के उपन्यास– परसाई के लेखन में अथाह गहराई के साथ विस्तार और विविधता भी बहुत दिखाई देती हैं। कहानीकार का कैनवेस जब बहुत फैलने लगता है तो प्राय: वह उपन्यास में उसे समेटता है। लेकिन जब कैनवास असाधारण विस्तार ग्रहण करने लगे तब इस विराट व्यापकता की वजह से ही वे परम्परागत उपन्यास अधिक नहीं लिख सकें। उनकी विषय वस्तु की असीम विस्तार उसकी अतिशय सूक्ष्म परते है पेचीदगियॉ, किसी सामान्य या परम्परागत 'उपन्यास' में समा भी नहीं सकती । परसाई जी ने कुल तीन उपन्यास की लिखें हैं। 'रानी नागफनी की कहानी' 'तट की खोज' 'ज्वाला और जल' आदि परसाई जी के उपन्यास परम्परा से परे अपने आप में अनूठे है। 'रानी नागफनी की कहानी' तो गागर में सागर है।

परसाई जी के उपन्यास ' रानी नागफनी की कहानी' में सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक, शैक्षणिक सांस्कृतिक आदि समस्याओं का चित्रण किया गया है। उन्होंने समाज में व्याप्त समस्याओं को इस उपन्यास के माध्यम से चित्रित किया है।

'रानी नागफनी की कहानी' व्यंग्य उपन्यास का कथानक – 'कथानक' उपन्यास की नीव होता है। कथानक के आधार पर ही उपन्यास की सफलता और असफलता निर्भर करती हैं। 'रानी नागफनी की कहानी' इंशाअल्ला खॉ की कथा 'रानी केतकी की कहानी' के कथा तंत्र के आधार पर लिखी गई एक कल्पित कथा है, जिसमें पात्र और घटनाओं काल्पनिक होने के बावजूद सब कुछ जीवन्त और समकालीन है। इस देश में पूँजीवादी सामन्तवादी व्यवस्था की खिचड़ी जिस तरह सक्रिय रूप से पकायी जा रही है और जिसके कारण प्राथमिक की भूमिका रखने वाला आम आदमी द्वितीयक, की जिन्दगी जीने के लिए मजबूर हो जाता है। परसाई जी ने उसी मिश्रित व्यवस्था की इस कल्पित कथा को इस प्रकार रूपायित किया है, जिससे अधिक से अधिक इसकी साख वस्तु इसमें समेटी जा सके कल्पित कथा होने के कारण ही इसमें साख वस्तु को व्यापक रूप से आच्छादित करने की समता पैदा हो सकी है। परसाई जी ने लिखा है 'यह एक व्यंग्य कथा है। फैटेंसी के माध्यम से मैने आज की वास्तविकता के कुछ पहलुओं की आलोचना की है। फैंटेंसी का माध्यम, कुछ सुविधाओं के कारण चुना है।'[2] उपन्यास में समकालीन सभी समस्याओं का चित्रण बखूबी प्रस्तुत है।

कथानक का प्रारंभ होता है कि भारत वर्ष की किसी राज्य के राजा थे।

महाप्रताप भयभीत सिंह 'उनके पुत्र का नाम का अस्तभान था' उसका एक मित्र था मुफतलाल तीनों नाम साकेंतिक है, प्रतीक हैं।

'कुँअर अस्त भान ने कोई परीक्षा तीन चार साल से पहले पास नहीं की थी। मुफतलाल उनका चमचा था। दोनो परीक्षा में एक-दूसरे की नकल करते थे लड़कियों को छेड़ते थे साथ-साथ पढ़कर एक ही कक्षा का काफी वर्षो से गौरव बढ़ा रहे थें। .... राजकुमार अखबार वालों पर आरोप लगता है कि 'ये लोग पास होने वाले कॉलम में मेरा नाम ही नहीं छापते अस्तभान कहता हैं कि अब तो मुझे पास होने की लिए अपना ही अपना अखबार निकालन पडेग़ा।'[3] तब मुफतलाल उसे समझता है कि 'परिणाम तो विश्व विद्यालय निकालता है। पास फैल विश्वविद्यालय करता है। अखबार तो केवल सूचना देता है।'[4]
....
कुंवर अस्तभान के पड़ोसी राजा की राखड सिंह है उन की पुत्री का नाम नागफनी और उसकी सहेली करेला मुखी है............................मुफतलाल कई बार घूंस खाते पकड़े गये। पर रानी साहिबा के सखी का पति होने के कारण बच गया। (गोर्वधन) मुख्य आतात्य एम्बुलेंस में विधान मण्डल जाने मे असक्त थे अत: इशारों में जबाब देते है और भैया साहब उनके बंगले पर हाजिरी देते है। ....

कुमार का प्रेम पत्र पहुँचाने वाला प्रोफेसर प्रिंसिपल बना दिया गया, निर्बल, परलोक सिधर गया। प्रपंच गिरि को नगर पालिका अरयक्ष बना दिया गया।

जिस विश्वविद्यालय से राजकुमार बी.ए. में फेल हो गये थे उसने उन्हें मानद उपाधि के रूप में डॉक्ट्रेर की उपाधि प्रदान की।

सारत: 'रानी नागफनी की कहानी' उपन्यास का कथानक काल्पनिक होते हुए भी समकालीन है। इसमें परसाई जी ने तत्कालीन समय में व्याप्त प्रजातांत्रिक भ्रष्टाचार को उजागार किया है। उन्होनें फैंटेसी के सहारे प्रजातंत्र व समाज की जड़ो में व्याप्त गंदगी को उजागर किया। बाह्य रूप से वैभव रूप और सुसंस्कृत दिखाई देने वाले प्रजातंत्र में कितना भ्रष्टाचार है।

'रानी नागफनी की कहानी' उपन्यास में आज की वास्तविकता के पहलू और लोककलपना और लोकमानस की संगति है।

कथानक की समीक्षा- 'रानी नागफनी की कहानी' उपन्यास का कथानक समकालीन प्रजातंत्रिक यथार्थ के धरातल पर आधृत घटना प्रधान हैं। कथानक में अनावशक विस्तार एवं बिखराव आ जाने के कारण सुसंगठित नहीं है पर रचना कौशल फैटेंसी होते हुए भी प्रभावपूर्ण है।

उपन्यास में 'अस्तमान', 'मुफतलाल', 'नागफनी' और ' करेलामुखी' की ये दो कथाये समानान्तर चलती है। 'आमात्य', 'प्रपंच गिरि' 'भैयासाब' राखड़ सिंह की प्रासंगिक कथा है। ये प्रासंगिक कथाए मुख्य कथा से ही जुडी है। लेकिन कुँवर व नागफनी का आत्महत्या के लिए भेड घाट वाला प्रसंग अतिश्योक्तिपूर्ण है वह वास्तविकता से कोसों दूर हैं तथा उपन्यास की रोचकता को कम करता है। प्रपंच गिरि, आमात्म व भैयासाब राखड़सिंह की कथाओं को कथानक में बडें कलात्मक ढंग से जोड़ा गया है। कथानक सममालीन यथार्थ से जुड़ा है।

निष्कर्ष:

1. 'रानी नागफनी की कहानी' उपन्यास आज के प्रजातांत्रिक ढॉचे मे स्मारकों की योजना शोक सभाएँ चन्दे की वसूली इन सबका चिट्ठा खोलता है। जिन्हें अनेकानेक घटनाओं के माध्यम से सफलता पूर्वक प्रस्तुत किया गया है।
2. उपन्यास का कथानक फैटेंसी पूंजीवादी व्यवस्था के उस रहस्य पर व्यंग्य है जिससे मनुष्य बाजार में बिक्री की वस्तु बन गया है। यह रचना एक व्यवस्था का प्रतीक है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. हरिशंकर परसाई 'रानी नागफनी की कहानी'-लेखक की बात पृ. - 76
2. ऑखन देखी सं कमला प्रसाद पृ. - 92
3. रानी नागफनी की कहानी- हरिशंकर परसाई पृ. - 10
4. रानी नागफनी की कहानी - हरिशंकर परसाई पृ. - 10

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XL

बैंक ऑफ बडौदा के वित्तीय प्रबंधन का अध्ययन

आरती वर्मा* डॉ. पी. के. सन्से **

* (शोधार्थी) स्कुल ऑफ कामर्स, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) भारत
** प्राध्यापक (वाणिज्य) बी एल पी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,महू (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – वित्त व्यवसाय का मूल आधार है कोई भी व्यवसाय वित्त के बगैर ना तो प्रारंभ किया जा सकता है और ना ही उसका विकास संभव है। व्यवसाय की सफलता वित्त की उपलब्धता एवं वित्त के प्रभावपूर्ण प्रबंध पर निर्भर करती है। व्यक्तिगत व्यवसायिक संगठनों की वित्तीय व्यवस्था करना सरल होता है। इनका स्वरूप व्यक्तिगत होता है तथा इनकी वित्तीय आवश्यकताएं सीमित होती है। परंतु व्यवसायिक एवं औद्योगिक प्रगति के लिए वित्तीय सहायता की आवश्यकता पड़ती है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमें बैंकों पर निर्भर रहना पड़ता है, समाज एवं उद्योग की वित्तीय आवश्यकताओं में निरंतर परिवर्तन एवं संवर्धन होता जा रहा है। आज बैंक संगठन का वह स्वरूप नहीं रहा जो प्राचीन काल के समय रहा करता था। यदि हम आर्थिक विकास के संबंध में प्राचीनकाल के विचारों का विश्लेषणात्मक दृष्टि से अवलोकन किया जाए तो इनमें भी आर्थिक विकास के लिए संस्थागत विकास पर अधिक जोर दिया गया है तथा मानव कल्याण के लिए उत्पत्ति के साधन बैंक, बीमा, उद्योग, व्यापार आदि को आर्थिक विकास का आधार माना गया है। सभी व्यवसायिक संगठनों में वित्त की आवश्यकता होती है तथा उन को सफल बनाने के लिए उनकी वित्तीय व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाना चाहिए।

प्रस्तावना – बैंकिंग व्यवस्था किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का आधार स्तंभ होती है। बैंकिंगव्यवस्था पर ही देश की अर्थव्यवस्था, समाज तथा देश का विकास निर्भर होता है।बैंकिंग व्यवस्था सुचारू रूप से चलने तथा समाज व देश की उपयोगिता तथा आवश्यकता के अनुरूप उसमें समय-समय पर परिवर्तन करने से सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ बनती है। आज बैंक का विशेषकर व्यापारिक बैंकों का लक्ष्य विश्व स्तरीय मानकों एवं महत्वपूर्ण विश्वव्यापी व्यवसाय सहित अग्रणी भारतीय वित्तीय सेवा समूह के रूप में अपनी विशेष भूमिका निर्वाह करने का है। बैंक उत्कृष्ट ग्राहक सेवा, शेयर धारकों तथा कर्मचारियों की संतुष्टि के लिए प्रतिबद्ध और विकास बैंकिंग की भूमिका पर लगातार बल देते हुए वित्तीय क्षेत्र में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाए हुए है।बैंकिंग आयोग में आए परिवर्तन से बैंक शब्द के अर्थ को ही बदल दिया है। आजबैंक में उदारीकरण के साथ 1991 के बाद व्यापक सुधार किए गए। विश्व में हुए उदारीकरण के घटनाक्रम में जनवरी 1999 को विश्व व्यापार संगठन को जन्म दिया व इसके समस्त प्रावधान 2009 से भारत में लागु हुए। वर्ष 1995 से इस दिशा मेंनवीन दृष्टिकोण का आरंभ हुआ और पहले से कार्यरत बैंकों के अलावा 8 नए बैंक अस्तित्व में आए।

वित्तीय संस्थाएँ वे होती है जो एक ओर बचतकर्ताओं की बचतों को एकत्रित करती है तथा दूसरी ओर इन्हें उन लोगों व संस्थाओं को प्रदान करती है जो अपने उपक्रमों में उत्पादक कार्यों के लिए लगाते हैं। वित्तीय संस्थाओं में बैंकिंग संस्थाएँ, गैर बैंकिंग संस्थाएँ आती है। वित्तीय सेवाओं में वे सभी सेवाएँ शामिल होती हैं जो एक देश की वित्त व्यवस्था में लगी हुई होती हैं। वे यह सेवाएँ अपने ग्राहकों को वित प्रदान करती है। जमा स्वीकार करना व ऋण प्रदान करने के अलावा महत्वपूर्ण वित्तीय सेवाओं में भारतीय बैंकिंग संस्थाओं को अनुसूचित बैंक और गैर अनुसूचित बैंकों में विभाजित किया जा सकता है।

शोध साहित्य की समीक्षा

आई. सी. आर. ए (2003) ने अपने पेपर जिसका शीर्षक था 'भारतीय बैंकिंग पर तुलनात्मक अध्ययन' में यह बताया गया है कि विभिन्न मानदण्डों के तहत् बैंक के सभी पहलुओं जैसे ब्याज मार्जिन, ऑपरेटिंग खर्च परिसंपत्ति की गुणवत्ता केसाथ-साथ प्रति कर्मचारी, प्रति शाख व्यापार-व्यवसाय परिचालन व्यय स्थापना व्यय,प्रति कर्मचारी लाभप्रदत्ता का विश्लेषण किया गया हैं।

मंगल, विजय कुमार(2004) ने अपने शोध अध्ययन में 'मुरैना (श्योपुर सहित) जिले केऔद्योगिक विकास में राष्ट्रीयकृत बैंकों का योगदान' के अंतर्गत इनक्षेत्रों में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा औद्योगिक विकास में उपलब्ध कराई गई सेवाओं कागहन अध्ययन एवं विश्लेषण किया है।

शोध-प्रबंध

आई. सी. आर. ए (2003) ने अपने शोध जिसका शीर्षक था 'भारतीय बैंकिंग पर तुलनात्मक अध्ययन' में यह बताया गया है कि विभिन्न मानदण्डों के तहत् बैंक के सभी पहलुओं जैसे ब्याज मार्जिन, ऑपरेटिंग खर्च परिसंपत्ति की गुणवत्ता के साथ-साथ प्रति कर्मचारी, प्रति शाखा व्यापार-व्यवसाय परिचालन व्यय स्थापना व्यय,प्रति कर्मचारी लाभप्रदता का विश्लेषण किया गया हैं।

मंगल, विजय कुमार(2004) ने अपने शोध अध्ययन में 'मुरैना (श्योपुर सहित) जिले के औद्योगिक विकास में राष्ट्रीयकृत बैंकों का योगदान' के अंतर्गत इन क्षेत्रों में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा औद्योगिक विकास में उपलब्ध कराई गई सेवाओं का गहन अध्ययन एवं विश्लेषण किया है।

शोध संबंधी उद्देश्य :

1. इंदौर जिले के अंतर्गत बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखाओं की स्थापना व प्रगति व नए उत्पाद का ज्ञान प्राप्त करना।

2. बैंक ऑफ बड़ौदा के वित्तीय प्रबंधन विवेचन हेतु विश्लेषण करना।
3. बैंक ऑफ बड़ौदा के दीर्घकालीन अल्पकालीन साधन का अनुपात विश्लेषण करना।
4. ग्राहक संतुष्टि स्तर को ज्ञात करना।

शोध की परिकल्पनाएँ :

1. बैंक ऑफ बड़ौदा इन्दौर की लाभदायकता अच्छी हैं।
2. बैंक ऑफ बड़ौदा इन्दौर का कार्य निष्पादन अच्छा है।
3. बैंक ऑफ बड़ौदा इन्दौर की अल्पकालिन शोधन क्षमता अच्छी हैं।
4. बैंक ऑफ बड़ौदा इन्दौर की दीर्घकालिन शोधन क्षमता अच्छी हैं।

शोध प्रविधि : प्रस्तुत शोध कार्य 'बैंक ऑफ बड़ौदा के वित्तीय प्रबंधन का विश्लेषणात्मक अध्ययन' (इन्दौर जिले के विशेष संदर्भ में) एक वृत्त अध्ययन हैं। इस शोध मे संगणना विधि का प्रयोग किया गया है व शोध के लिए द्वितीयक समंको को एकत्रित किया गया । शोध कार्य में विश्लेषण के लिए लेखांकन एवं साख्ंकीय विधियों का प्रयोग किया गया है।महत्वपूर्ण समंकों को रेखीय एवं चित्रमय को प्रदर्शन द्वारा बताया गया हैं।

शोध का क्षेत्र एवं सीमाएँ - प्रस्तुत शोध की भी कुछ सीमाएँ हैं, जो निम्नानुसार है:

1. प्रस्तुत शोध-कार्य इंदौर जिले की बैंक ऑफ बडौढ़ा के अध्ययन तक ही सीमित है। अन्य इंदौर जिले की शाखाएँ हमारे शोध के क्षेत्र से बाहर हैं।

1. संचालन से आय - बैंक व्यवसाय के परिचालन से जो आय अर्जित की जाती है, उसे संचालन से प्राप्त आय कहते हैं।

संचालन से आय (Income from Operation)

Year	Amount in. (Rs. Cr)	Fixed base Index No.	%Increase and Decrease over p.y.
2012	148.37	100	-
2013	175.98	118.61	18.61%
2014	194.69	131.22	10.63%
2015	214.81	144.78	10.33%
2016	220.31	148.49	2.56%
2017	210.99	142.21	-4.23%
2018	218.24	147.09	3.44%
2019	248.84	167.72	14.02%
2020	379.92	256.06	52.68%
2021	352.46	237.55	-7.23%
AAGR	10.09		

उपर्युक्त तालिका के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि बैंक ऑफ बडौदा इन्दौर जिले के व्यापार के दस वर्षो के संचालन से आय का स्थायी आधार सूचकांक की प्रवृत्ति से यह ज्ञात होता है कि प्रथम वर्ष (2011-12) की तुलना में इन 09 वर्षो में हमेशा वृद्धि हुई है। गत वर्ष की तुलना में श्रृंखला आधार सूचकांक संख्या द्वारा प्रतिशत में वृद्धि अथवा कमी के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि व्यापार के संचालन से आय का 09 वर्षो में 7 बार वृद्धि व 2 बार कमी हुई। व्यापार के संचालन से आय की वार्षिक औसत वृद्धि दर 10.09 प्रतिशत गणना की गई, जो इन 09 वर्षो में 10.09 प्रतिशत की दर से प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है इससे यह स्पष्ट होता है कि व्यापार की लाभदायकता अच्छी है।

2. सकल लाभ- व्यापार की संचालन आय में से व्यापार में होने वाले प्रत्यक्ष व्ययों को घटाने पर प्राप्त आय सकल लाभ कहलाती है।

सकल लाभ का विश्लेषण (Gross oprating analysis)

Year	Amount in. (Rs. Cr)	Fixed base Index No.	%Increase and Decrease over p.y.
2012	51.62	100	-
2013	56.58	109.60	9.60%
2014	59.82	115.88	5.73%
2015	65.43	126.75	9.38%
2016	63.70	123.40	2.64%
2017	67.81	131.36	6.45%
2018	77.61	150.34	14.45%
2019	92.39	178.98	19.05%
2020	137.26	265.90	48.56%
2021	144.03	279.01	4.93%
AAGR	12.07		

उपर्युक्त तालिका के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि बैंक ऑफ बडौदा इन्दौर जिले के व्यापार के दस वर्षो के सकल लाभ का स्थायी आधार सूचकांक संख्या की प्रवृत्ति से यह ज्ञात होता है कि प्रथम वर्ष (2011-12) की तुलना में इन 09 वर्षो में हमेशा वृद्धि हुई है। गत वर्ष की तुलना में श्रृंखला आधार सूचकांक संख्या द्वारा प्रतिशत में वृद्धि अथवा कमी के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि व्यापार के सकल लाभ का 09 वर्षो में 8 बार वृद्धि व 1 बार कमी हुई। व्यापार के सकल लाभ की वार्षिक औसत वृद्धि दर 12.07 प्रतिशत गणना की गई, जो इन 09 वर्षो में 12.07 प्रतिशत की दर से प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है। वह वृद्धि से यह स्पष्ट होता है कि व्यापार की लाभदायकता अच्छी है।

संभावित योगदान- प्रस्तावित शोध-प्रबंध सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक ऑफ बडौढ़ा के समंकों का ही विश्लेषण करने का अनूठा प्रयास है। प्रस्तावित शोध प्रबंध के निष्कर्षो के माध्यम से न केवल उक्त बैंक लाभांवित होगी,बल्कि इसे विभिन्न शोधार्थी को लाभ होगा वह अपने शोध कार्य मे आकड़ो का किस प्रकार से जमाया है, उनका विश्लेषण किस प्रकार करना तथा उनका निष्कर्ष किस तरह से किया जाना है आदि की जानकारी प्राप्त कर सकता है तथा बैंको मे वित्तीय प्रबंधन किस तरह से किया जाता है उसका ज्ञान आसानी से प्राप्त कर सकते है।

निष्कर्ष - साहित्य की समीक्षा तथा विभिन्न शोध के अध्ययन करने के पश्चात् हम यह कह सकते हैं किसम्बन्धित शोध पुस्तको व शोध प्रबंध में बैकिंग संबधित विभिन्न शोध किए गए हैं तथा इन सभी शोध के अध्ययन के बाद हमे यह पता चला है कि इनमे से किसी मे भी व्यापारिक बैको मे वित्तीय प्रबंध के बारे मे कोई कार्य नही किया है। इसलिए हमने इस विषय का चयन किया हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची:-

1. www.money control.com
2. पत्रिका
3. व्यक्तिगत शोध
4. www.bankofbaroda.in
5. www.rbi.org.in
6. http://www.google.com

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XL

धार जिले में संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का अध्ययन

डॉ. राजेश मुजाल्दा*

* सहायक प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) गवर्नमेंट महात्मा गाँधी महाविद्यालय, जावद (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – बेरोजगार व्यक्ति रोजगार प्राप्ति के लिए किसी भी क्षेत्र का व्यवसाय अपना सकता है। आजीविका के लिए व्यक्ति जीवन निर्वाह मजदूरी तक पर अपनी सेवाएँ देने को तत्पर रहता है। सन् 1991 में देश में उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण के दौर ने राष्ट्र में बेरोजगारी की मात्रा में वृद्धि कर दी। आधुनिकीकरण एवं तकनीकी के विकास ने पूंजी गहन क्षेत्र को बढ़ाया है तथा श्रम प्रधान क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने की अपेक्षा श्रमिकों की छँटनी शुरू कर दी। इसी के साथ कृषि क्षेत्र के पिछड़ने, औद्योगिक विकास में कमी तथा बढ़ती जनसंख्या ने देश में बहुत बड़ी मात्रा में बेरोजगारों की फौज खड़ी कर दी है। मशीनीकरण के कारण लघु, कुटीर एवं हस्तशील्प उद्योग का पतन होता गया। देश में बढ़ती बेरोजगारी को कम करने के लिए शासन द्वारा रोजगार सृजन के कई कार्यक्रम समय – समय पर प्रारम्भ किए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों और निर्धन वर्गो का समुचित और सर्वांगीण विकास करने हेतु सरकार द्वारा लघु एवं कुटीर उद्योगों को बढ़वा देकर श्रम प्रधान तकनीकी पर बल दिया जा रहा है।

शब्द कुंजी – जनसंख्या, बेरोजगारी, स्वरोजगार कार्यक्रम।

प्रस्तावना – देश की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने तथा तीव्र आर्थिक विकास के लिए वर्ष 1991 में देश में आर्थिक सुधार प्रारम्भ किये गये। अर्थवयवस्था के उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण का दौरा प्रारम्भ हुआ। आर्थिक विकास के लिए अपनाई गई इस नीति में यह मानकर चला गया कि इससे देश में गरीबी एवं बेरोजगारी दूर होगी। निजीकरण से देश में नये – नये कारखाने प्रारम्भ होंगे जिससे रोजगार के नये अवसर उत्पन्न होंगे और बेरोजगारी की समस्या को कम किया जा सकेगा। लेकिन नई आर्थिक नीति से देश में कृषि क्षेत्र बहुत पिछड़ गया साथ ही औद्योगिक क्षेत्र का भी आशातीत विकास नहीं हुआ, परिणाम यह हुआ कि बेरोजगारी कम होने की अपेक्षा बढ़ती चली गई।

बेरोजगारी शिक्षित एवं अशिक्षित दोनों वर्ग में विद्यमान है। नई आर्थिक नीति से देश में सरकारी क्षेत्र का योजदान कम हुआ जिससे सरकारी क्षेत्र में नौकरी की समस्या ज्यादा बढ़ गई। निजी क्षेत्र में तकनीकी के विकास एवं सूचना तकनीकी के विकास ने जहाँ कुशल लोगों के लिए रोजगार के अवसरों में वृद्धि की है वहीं अकुशल युवाओं के लिए रोजगार में कमी की है। सरकार भी देश की वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों से अच्छी तरह वाकिफ है। सरकार जानती है कि सरकारी क्षेत्रों में रोजगार के ज्यादा अवसर नही है वही निजी क्षेत्र भी श्रम प्रधान तकनीक के स्थान पर पूंजी प्रधान तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है। बेरोजगारी में कमी का एक मात्र विकल्प स्वरोजगार ही है। इसलिए सरकार विभिन्न प्रकार की स्वरोजगार योजनाएँ संचालित कर रही है जिसमें ऋण, अनुदान, प्रशिक्षण आदि की सुविधा प्रदान करती है जिससे की अधिक से अधिक बेरोजगार व्यक्ति रोजगार प्राप्त कर सकें। स्वरोजगार ही बेरोजगारी कम करने का प्रमुख माध्यम बनकर उभर रहा है।

अध्ययन के उद्देश्य :

1. धार जिले मे संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की जानकारी प्राप्त करना।
2. जिले मे संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का रोजगार पर प्रभावशीलता का अध्ययन करना।
3. जिले मे संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम से प्राप्त आवंटन एवं व्यय का अध्ययन करना।

शोध अध्ययन की परिकल्पना :

1. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रो मे रोजगार में वृद्धि हुई है।
2. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम एवं ग्रामीण रोजगार में सीधा सम्बन्ध पाया जाता है।

समंकों का संकलन – प्रस्तुत शोध कार्य में प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों समंकों का उपयोग किया गया है।

अध्ययन क्षेत्र– मध्यप्रदेश के धार जिले की चार तहसील – मनावर, गंधवानी, कुक्षी, धरमपुरी का चयन शोध अध्ययन के लिये किया गया है।

अध्ययन की सीमाएँ एवं अवधि – यह शोद्य अध्ययन धार जिले तक ही सीमित हैं। स्वरोजगार हेतु सन् 2014 –15, 2015 – 16, 2016 – 17 एवं 2017 – 18 एवं 2018–19 तक के वर्षो का ही अध्ययन तक सीमित है।

सम्बन्धित साहित्य का अध्ययन :

1. पपोला टी.एस. (1988) – ने एन.एफ.एस. गतिविधियों के निरीक्षण में पाया कि कार्यक्रम न केवल श्रम गहन है बल्कि इससे मजदूरी एवं रोजगार दोनों में वृद्धि हुई है। इस कार्यक्रम ने श्रम आधारित रोजगार को स्वरोजगार में परिवर्तित कर दिया है।[1]

2. भट्टाचार्य एवं मित्रा (1993) – इनके द्वारा किये गये अध्ययन में निष्कर्ष निकाला गया है कि निर्माण उद्योग अधिक रोजगार सृजित नहीं करते हैं। इन उद्योग में रोजगार की अपेक्षा आय अधिक बढ़ती है। रोजगार की मात्रा प्राथमिक क्षेत्र में तीव्र गति से बढ़ती है। ग्रामीण असंगठित क्षेत्र में विकास की दर को स्थिर एवं गतिमान बनाये रखने के लिये उचित नीतियों का निर्माण किया जाना चाहिए।[2]

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम – खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग मुम्बई (सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार) द्वारा संचालित इस योजन की क्रियान्वयन एजेंसी मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड है।

उद्देश्य:

1. नए स्वरोजगार उद्यमों/ परियोजनाओं / सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का सृजन करना।
2. व्यापक रूप से दूर – दूर अवस्थित परम्परागत कारीगरों/ग्रामीण और शहरी बेरोजगार युवाओं को एक साथ लाना और जहां तक संभव हो, स्थानीय स्तर पर ही उन्हें स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करना।
3. देश के परम्परागत और संभावित कारीगरों, ग्रामीण तथा शहरी बेरोजगार युवाओं को निरंतर और दीर्घकालिक रोजगार उपलब्ध कराना ताकि ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर उनका पलायन रोका जा सकें।
4. कारीगरों की पारिश्रमिक अर्जन क्षमता बढ़ाना और ग्रामीण तथा शहरी रोजगार की विकास दर बढ़ाने में योगदान करना।

वित्तीय सहायता:

1. विनिर्माण क्षेत्र के लिए – रूपये 25.00 लाख
2. सेवा क्षेत्र के लिए – रूपये 10.00 लाख

योजना के अंतर्गत अनुदान (प्रतिशत) –

लाभार्थियों की श्रेणी	**स्वयं का अंशदान**	**अुनदान (सब्सिडी) की दर**	
	परियोजना लागत में		
क्षेत्र		**शहरी**	**ग्रामीण**
सामान्य	10%	15%	25%
(अजा / अजजा / अपिव/ अल्पसंख्यक , महिला , पूर्व सैनिक , शारीरिक विकलांग पूर्वोत्तर, पहाड़ी व सीमावर्ती क्षेत्रों सहित)	5%	25%	35%

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की प्रगति – प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में विगत पाँच वर्षो की प्रगति इस प्रकार है –

योजना में लाभार्थी हितग्राही – इस योजना के अन्तर्गत हितग्राहियों को जिला उद्योग एवं व्यापार केन्द्र पीथमपूर, धार, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग (खादी बोर्ड) धार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। वर्ष 2014-15 से 2018-19 की अवधि में लाभार्थियों की स्थिति इस प्रकार है –

तालिका क्रमांक 1

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में लाभार्थी हितग्राही

क्र.	**वर्ष**	**राशि (लाख रू.में)**	**वृद्धि या कमी प्रतिशत में**
1	2014 - 15	32	–
2	2015 - 16	58	81.25
3	2016 - 17	87	50.00
4	2017 - 18	148	70.11
5	2018 - 19	163	10.13
	योग	**488**	

स्त्रोत – जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र तथा संबंधित विभाग धार जिला धार।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि इस योजना में अभी तक 488 व्यक्तियों को स्वरोजगार उपलब्ध हुआ है। वर्ष 2014-15 में 32 लाभार्थी थे जो बढ़कर वर्ष 2015-16 में 58 तथा बाद में क्रमश: 87 व 148 तथा 163 हो गये। इस प्रकार प्रतिवर्ष क्रमश: 81.25 प्रतिशत, 50 प्रतिशत, 70.11 प्रतिशत तथा 10.13 प्रतिशत की वार्षिक दर देखने को मिलती है।

योजना में स्वीकृत राशि – यह योजना केन्द्र प्रायोजित योजना है, किन्तु इसका क्रियान्वयन राज्य के विभिन्न विभाग मिल जुलकर करते है। योजना में स्वीकृत राशि से युवा अपनी पसंद का व्यवसाय स्थापित कर सकता है। इस योजना में विभिन्न वर्षो में हितग्राहियों को स्वीकृत राशि की स्थिति का वर्णन नीचे किया गया है।

तालिका क्रमांक 2: प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में स्वीकृत राशि

क्र.	**वर्ष**	**स्वीकृत राशि (लाख रू.में)**	**वृद्धि या कमी प्रतिशत में**
1	2014 - 15	87.10	–
2	2015 - 16	181.75	108.66
3	2016 - 17	204.00	12.24
4	2017 - 18	946.35	363.89
5	2018 - 19	1196.74	26.45
	योग	**2615.94**	

स्त्रोत – जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र तथा संबंधित विभाग धार जिला धार।

उपरोक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि विगत पांच वर्षो में इस योजना में शासन द्वारा कुल 2615.94 लाख रूपये की राशि स्वीकृत की गई है। वर्ष वार देखे तो स्पष्ट होता है कि वर्ष 2014-15 में 87.10 लाख रूपये, 2015-16 में 181.75 लाख रूपये, 2016-17 में 2 04 लाख रू., 2017-18 में 946.35 लाख रूपये तथा वर्ष 2018-19 में 1196.74 लाख रूपयो स्वीकृत किये गये। इस योजना में प्रति वर्ष प्रगति हुई है।

तालिका क्रमांक 3: सर्वेक्षित सदस्यों द्वारा स्थापित व्यवसाय का स्वरूप

क्र.	**स्थापित व्यवसाय का प्रकार**	**संख्या**	**प्रतिशत**
1	कृषि संबंधित व्यवसाय	130	32.50
2	विनिर्माण संबंधित व्यवसाय	004	01.00
3	सेवा क्षेत्र का व्यवसाय	237	59.30
4	अन्य व्यवसाय	029	07.20
	योग	**400**	**100.00**

स्त्रोत – व्यक्तिगत सर्वेक्षण के आधार पर।

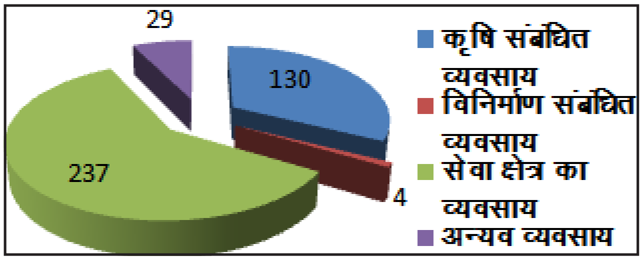

उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि हितग्राहियों ने स्वरोजगार स्थापना हेतु सेवा क्षेत्र को ज्यादा महत्व दिया है। सर्वेक्षित 400 सदस्यों में से 237 (59.30 प्रतिशत) ने सेवा क्षेत्र का चयन किया है। विनिर्माण सम्बन्धी क्षेत्र का चयन मात्र 04 सदस्यों ने किया है। कृषि सम्बन्धी व्यवसाय 32.50 प्रतिशत ने जबकि 7.20 प्रतिशत ने अन्य व्यवसाय को चुना है। यदि विनिर्माण क्षेत्र का चयन अधिक होता तो अन्य लोगों को भी रोजगार प्राप्त होता।

हितग्राहियों के लाभान्वित होने के पूर्व एवं पश्चात् आय की स्थिति – स्वरोजगार योजना का लाभ लेने से रोजगार के साथ – साथ आय में भी वृद्धि होती है। व्यवसाय की सफलता पर आय का स्तर निर्भर करता है। जैसे – जैसे व्यवसाय प्रगति करता है वैसे – वैसे आय का स्तर बढ़ता जाता है। ऊँची आय होने पर जीवन स्तर में वृद्धि होती है। आर्थिक प्रगति होने से परिवार की विभिन्न आर्थिक कठिनाईयों को आसानी से दूर किया जा सकता है। सर्वेक्षित सदस्यों के योजना का लाभ लेने से पूर्व एवं पश्चात् आय कि स्थिति इस प्रकार है।

तालिका क्रमांक 4 (ए): सर्वेक्षित सदस्यों की लाभान्वित होने से पूर्व आय

क्र.	आय (रूपये)	संख्या	प्रतिशत
1	50000 – 100000	75	18.80
2	100000 – 150000	195	48.80
3	150000 – 200000	85	21.30
4	200000 से अधिक	45	11.10
	योग	**400**	**100.00**

स्त्रोत – व्यक्तिगत सर्वेक्षण के आधार पर।

तालिका क्रमांक 4 (बी): सर्वेक्षित सदस्यों की लाभान्वित होने के पश्चात् आय

क्र.	आय (रूपये)	संख्या	प्रतिशत
1	50000 – 100000	03	00.70
2	100000 – 150000	75	18.80
3	150000 – 200000	85	21.30
4	200000 – 300000	195	48.80
5	300000 से अधिक	42	10.40
	योग	**400**	**100.00**

स्त्रोत – व्यक्तिगत सर्वेक्षण के आधार पर।

उपर्युक्त तालिका क्रमांक 5.17 (ए) एवं 5.17 (बी) के तुलनात्मक अध्ययन से स्पष्ट होता है कि योजना का लाभ लेने से लोगों की आय का स्तर बढ़ा है। योजना का लाभ लेने से पूर्व 2 लाख से अधिक आय वाले मात्र 45 सदस्य थे जो योजना का लाभ लेने के पश्चात् 237 हो गये। इस प्रकार इस आय स्तर में 59.25 प्रतिशत सदस्य हो गये। पूर्व में आय का स्तर निम्न था जो लाभान्वित होने के पश्चात् बढ़ गया है। पहले 400 सदस्यों में से अधिकांश 1.50 लाख से नीचे आमदनी वाले थे जिनकी संख्या लाभान्वित होने के पश्चात् बहुत अधिक बढ़ गई।

शोध समस्या – धार जिला आदिवासी बाहुल्य जिला है। जिले की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार कृषि है। सिंचाई के अभाव में कृषि बहुत पिछड़ी हुई है। औद्योगिकीकरण की मात्रा बहुत कम है। जिले में मौसमी एवं अदृश्य बेरोजगारी बहुत अधिक है। रोजगार के लिए जिले के श्रमिक अन्य राज्यों में पलायन कर रहे हैं। शिक्षा का स्तर भी अच्छा नही है। पूंजी की कमी के कारण यहाँ के निवासी उद्यम स्थापित करने की क्षमता नही रखते है।

सुझाव – योजनाओं में आने वाली समस्याओं को दूर करने हेतु निम्न सुझाव प्रस्तुत है –

1. **शिक्षा की व्यवस्था –** जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी अधिकांश लोग अशिक्षित होते हैं उन्हें सरकार द्वारा चलायी जा रही स्वरोजगार योजनाओं के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं होती है। अत: सरकार द्वारा अशिक्षित व्यक्तियों को शिक्षित करने हेतु अलग से 'ग्रामीण शिक्षा नीति' का अनुमोदन करना चाहिए जो शिक्षा से वंचित होने के बाद भी शिक्षा का लाभ प्राप्त कर सके। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का अत्यधिक प्रचार – प्रसार व शिक्षा जागरूकता अभियान चलाना चाहिए ताकि ग्रामीण जनों को स्वरोजगार योजनाओं का अत्यधिक लाभ मिल सके।
2. **अनुदान राशि की पूर्व व्यवस्था –** स्वरोजगार योजनाओं से लाभान्वित हितग्राहियों को अनुदान की राशि ऋण के साथ ही प्रदान करना चाहिए उन्हें अनुदान राशि भी पर्याप्त मात्रा में देना चाहिए।
3. **प्रशिक्षण की व्यवस्था –** हितग्राहियों को दिये जाने वाले प्रशिक्षण सैद्धांतिक व व्यावहारिक दोनों ही प्रकार से उपलब्ध कराना चाहिए व प्रशिक्षिण की समयावधि में भी वृद्धि करना चाहिए ।
4. **स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षण –** प्रशिक्षण स्थल जिले स्तर पर होने के साथ – साथ विकासखण्ड व ग्रामीण स्तर पर भी होना चाहिए, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्तियों को श्रम, समय, धन आदि की बचत होगी। और अधिक से अधिक ग्रामीणजनों को इसका लाभ प्राप्त होगा।
5. **ऋण राशि में वृद्धि –** ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को स्वरोजगार योजना के तहत् दी जाने वाली ऋण राशि में वृद्धि की जानी चाहिए ताकि उन्हें स्वयं का व्यवसाय स्थापित करने में कोई समस्या उत्पन्न न हो और वे व्यवसाय को सुचारू रूप से संचालित कर सके।
6. **समयावधि में वृद्धि –** बैंको द्वारा हितग्राहियों को उनकी परियोजना के तहत् दी जाने वाली ऋण की पुनर्भुगतान अवधि में वृद्धि करना चाहिए। इस प्रकार हितग्राही बिना किसी दबाव के आसानी से ऋणों का पुनर्भुगतान कर सके।
7. **एक मुश्त भुगतान –** हितग्राहियों को स्वरोजगार के योजनांतर्गत ऋण राशि का भुगतान किश्त के बजाय एक साथ प्रदान करना चाहिए ताकि वे अपना व्यवसाय आसानी से प्रारंभ कर सके।
8. **स्थानीय स्तर पर सुविधाएँ –** हितग्राहियों को स्वरोजगार योजनाओं के आवेदन जिला स्तर के साथ – साथ जनपद व ग्राम पंचायत में नि:शुल्क प्रदान करने की व्यवस्था करनी चाहिए साथ ही साथ उन्हें ऑनलाईन की प्रक्रिया उक्त जानकारी का ज्ञान प्रदान करना चाहिए जिससे ये ग्रामीण क्षेत्र के लोग स्वरोजगार योजनाओं से वंचित न हो। और इनका लाभ अधिक से अधिक प्राप्त कर सके।

9. औपचारिकता में कमी – हितग्राहियों को आवेदन प्रक्रिया में अनेक औपचारिकताओं की पूर्ति की जाती है और ये औपचारिकताएँ प्रत्येक ग्रामीणों के पास उपलब्ध नहीं हैं सरकार द्वारा इन औपचारिकताओं को सीमित करना चाहिए।

10. अशिक्षित युवाओं के लिए भी योजनाओं का संचालन – सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में अशिक्षित व्यक्तियों के अनुरूप ऐसी स्वरोजगार योजनाएँ प्रारंभ करनी चाहिए जिससे अधिक से अधिक ग्रामीण बेराजगार लोग स्वरोजगार योजना का लाभ ले सके।

11. विपणन में सहयोग – सरकार को योजनाओं में उत्पादित वस्तुओं के विपणन में सहयोग करना चाहि।

12. प्रचार – प्रसार – स्वरोजगार योजनाओं के साथ – साथ हितग्राहियों की उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का प्रचार – प्रसार किया जाना चाहिए। जिससे हितग्राहियों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके।

निष्कर्ष – अनुसंधान के लिए चयनीत क्षेत्र धार जिला पूर्णत: कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाला जिला है। यहाँ की लगभग 80 प्रतिशत जनसंख्या कृषक एवं कृषि मजदूर है। कृषि क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएँ अधिक न होने तथा मौसमी एवं अदृश्य बेरोजगारी ने जिले में निर्धनता को बढ़ाया है। बढ़ती बेरोजगारी ने जिले के युवाओं को निराशाजनक परिस्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। जिले में औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र के बहुत अधिक मात्रा में पिछड़ेपन के कारण इन क्षेत्रों में रोजगार की संभावनाएँ लगभग शून्य स्थिति में है। रोजगार में वृद्धि की कोई संभावना है तो वह है स्वरोजगार की स्थापना। स्वरोजगार की स्थापना के लिए पूंजी की जरूरत होती है जो यहाँ के निवासियों के पास नहीं है। रोजगार वृद्धि के लिए एक मात्र आशा की किरण सरकारी स्वरोजगार योजनाएँ ही हैं।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची:-

1. Ministry of Micro Small & Medium Enterprises 2007 Micro, Small and Medium Enterprises in India. An overview. Ministry of MSME GOI.
2. Annual Reports Ministry of commerce, Industry and Employment Govt. of M.P.
3. Journal of Madhya Pradesh Economic Association
4. The Indian Economic Journal
5. The Indian Journal of Labour Economics.
6. www.Census 2011
7. www.Cedmapindia.org
8. www.laghuudyog.com
9. www.ssiindia.org
10. www.smallindustryindia.com

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XL

जनजातीय विकास का विश्लेषणात्मक अध्ययन इतिहास व वर्तमान परिदृष्य में

डॉ. सखाराम मुजाल्दे* चेतना सिद्धड़ **

* वरिष्ठ व्याख्याता, अर्थशास्त्र अध्ययनशाला, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर (म.प्र.) भारत
** सहायक प्राध्यापक, शासकिय महाविद्यालय, मण्डलेश्वर (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – मानव सभ्यता के विकास चक्र की तरह ही जनजातियों का विकास भी हुआ है। प्राचीन अर्थव्यवस्था आखेट व फल फूल संग्रह पर आधारित थी। मानव ने विकास के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए स्थानांतरित कृषि के स्थान पर स्थायी कृषि प्रारंभ कर तकनीकी विकास के साथ आधुनिक युग में प्रवेश किया । विकास के इस मार्ग पर जनजातियाँ पिछड़ गयी और नवीन आविष्कारों एवं तकनीकों से अनभिग्य प्राचीन तकनीकों से कृषि करती रही जिससे कम उत्पादन एवं आर्थिक रूप से पिछड़ी अवस्था में रही । जनजातियों की स्थिति समाज में धीरे-धीरे बिगड़ती गयी और विकास के मार्ग में वो पिछड़ते गए। सामान्यत: जनजातियाँ ग्रामीण इलाकों में वनों, दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों पर्वतों तथा घाटियों में निवासरत रही है। प्रकृति की गोद में रहकर प्राकृतिक संसाधनों का पारंपरिक रूप से उपभोग करके अपना जीवन यापन करते आए हैं लेकिन आजादी के बाद व शिक्षा के प्रसार से जनजातियों ने एक नए युग में प्रवेश किया है। वर्तमान समय में आदिवासी या जनजाति समुदाय अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो रहा है वे बाबा साहब अम्बेडकर के दिखाए शिक्षा के मार्ग पर आगे बढ़कर हर क्षेत्र में चाहे वह विज्ञान का क्षेत्र हो, अनुसन्धान हो, प्रौद्योगिकी व तकनीकी हो, कृषि हो, प्रशासनिक सेवा हो उद्योग हो या कला हो हर जगह तरक्की कर रहे है । ऐतिहासिक स्थिति एवं वर्तमान परिस्थितियों में जनजातियों के विकास के स्वरूप पर प्रकाश डालने का प्रयास इस शोध पत्र में किया गया है।

प्रस्तावना – जनजाति समुदाय – दुनिया के लगभग सभी देशो में आदिवासी निवासरत है इन जनजाति समुदाय के लिए बहुत से समानार्थी शब्दों का प्रयोग किया जाता है जैसे इंडिजिनस (देशज), एबार्जिनल (देशज), प्रिमिटिव (आदिम), नेटिव (मूल निवासी), बैंड(आदि समूह कबीला) सैवेज (जंगली) आदि। हिंदी में आदिवासी, वनवासी, जंगली, बर्बर गिरिजन शब्द भी लगभग समानार्थी में प्रयुक्त किए जाते हैं। भारतीय संविधान में जनजातियों के लिए अनुसूचित जनजाति शब्द का प्रयोग किया गया है।

अनुसूचित जनजातियों का उल्लेख भारतीय संविधान के अनु. 366 (25) में उन जनजातीय समुदायों के रूप में किया गया है जिन्हें संविधान के अनु. 342 के अधीन अनु. जनजाति समझा जाता है। अनु. 342 के अनुसार केवल उन समुदायों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में माना जाएगा जिन्हें प्रारंभिक लोक अधिसूचना के जरिए राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित जनजातियों के रूप में घोषित किया गया है अथवा संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में अनुसूचित जनजातियों की आरंभिक सूची में शामिल करने अथवा उससे निकाला गया है।

इम्पीरियल गजेटियर ऑफ इण्डिया में जनजातियों को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि यह समान नाम धारण करने, समान बोली बोलने वाले, एक ही भूखण्ड पर अधिकार का दावा या दखल रखने वाले परिवारों का संकलन है जो साधारणतया अन्तर्विवाही न हो यद्यपि मूल रूप में चाहे वैसे रह रहें हों।

'उत्पत्ति के अनुसार Tribe शब्द की उत्पत्ति त्रिभुज शब्द से मानी जाती है जिसका अर्थ तीन अंग है रोम वासियों के लिए Tribe एक शब्द राजनीतिक संस्था के रूप में था। ऐसी मान्यता है कि भारत का नाम शक्तिशाली भरत जनजाति के नाम से लिया गया है। मानवशास्त्र के शब्दकोष में 'जनजाति' को एक सामाजिक समूह माना गया है जो प्राय: निश्चित भू-भाग में रहते है, जिनकी अपनी भाषा, सभ्यता तथा सामाजिक संगठन है। इनके कई उप समुदाय होते है। भारत की आदिम जनजातियों को विद्वानों ने अलग-अलग नामों से पुकारा है। प्रसिद्ध नेतृत्वशास्त्री एच.एच. रिजले, लेके, ग्रियर्सन, सोलर्ट, टेलेट्स से मार्टिन तथा भारतीय समाज सुधारक ठक्कर ने इन्हें आदिवासी शब्द से संबोधित किया। प्रसिद्ध समाजशास्त्री घुरये ने इन्हे तथाकथित आदिवासी अथवा पिछड़े हिंदू कहा है।

मजूमदार के अनुसार 'कोई जनजाति परिवारो तथा पारिवारिक वर्गो का एक ऐसा समूह है, जिसका सामान्य नाम है, जिनके सदस्य एक निश्चित भू-भाग पर निवास करते है तथा विवाह, व्यवसाय के विषयों में कुछ निषेधज्ञाओं का पालन करते है, जिन्होने आदान-प्रदान संबंधी तथा पारस्परिक कर्त्तव्य विषयक पर निश्चित व्यवस्था का विकास कर लिया हो।'

प्राचीन भारत मे जनजातियाँ – जनजातीय समुदाय जिन्हें आदिवासी भी कहा जाता है भारत के मूल निवासी (अबोरिजिन्स) हैं। भारत के मूल निवासी होने के बावजूद भी जनजातीय समुदाय सदियों से शोषण व उत्पीडन का शिकार रहा है। 'अबोरिजिन' शब्द उन लोगों की ओर इंगित करता है जिसके पूर्वज अपने देश के सर्वप्रथम निवासी रहे हैं।

यह भारतीय इतिहास की विडम्बना ही है कि जो जनजातीय समुदाय (आदिवासी) इस देश के मूल निवासी रहे हैं वे बाद में आने वाली जातियों के शोषण व उत्पीडन का सदियों तक शिकार होते रहें हैं। बहुत अधिक समय

तक ये दुर्गम स्थानों, वनों एवं पर्वतों में त्रासदी पूर्ण अवस्था में अपना जीवनयापन कर रहे थे। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अध्ययन करने पर भी यही पाया गया है कि आदिवासी भारत के मूल निवासियों के वंशज हैं।

वेरियन एल्विन ने आदिवासियों को भारतवर्ष की वास्तविक स्वदेशी उपज कहा है, उनकी प्राचीनता स्पष्ट करते हुए लिखा है 'आदिवासी भारतवर्ष की वास्तविक स्वदेशी उपज है, ये वे प्राचीन लोग हैं जिनके नैतिक आधार व दावें हजारों वर्ष पुराने हैं।'

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी स्वीकार्य किया है कि भारत के मूल निवासी द्रविड़ पूर्वोत्तर स्थानीय अबोरिजिन लोग थे यानी वर्तमान ट्राइबलों के पूर्वज या 'आदिवासी' (अनुसूचित जनजातियां)।

प्रागैतिहासिक युगीन लोग वैदिक पूर्वोत्तर जनजातीय लोग हैं जिनमें से अधिकतर वर्तमान समय में भी देश के विभिन्न भागों में पाये जाते हैं जिनका विवरण 1. 'मुण्डा' जनजाति 2. 'निषाद' जनजाति 3. 'गोण्ड' जनजाति 4. 'कोली' जनजाति 5. 'पाणि' जनजाति 6. 'त्रियार' जनजाति 'भील' (ढमोर) जनजाति 8. 'पण्डिया' 'पण्डियन' जनजाति 9 'मत्स्य' जनजाति 10. 'संथाल' जनजाति 11. 'उराँव' जनजाति। प्राचीन काल व मध्यकाल में जनजातियों को उनके विशेष नाम जैसे- गौंड संथाल, भील इत्यादि नामों से जाना जाता था। प्राचीन ट्राइबल राज्यों का नामकरण जनजाति विशेष के नाम पर रखा जाता था जैसे निषाद जनजाति से संबंधित निषादराज्य, पण्डिया जनजाति से संबंधित पण्डिया साम्राज्य आदि।

जनजातीय समुदायों का वर्णन प्राचीन महाकाव्यों रामायण तथा महाभारत में भी मिलता है। सर्वाधिक सुपरिचित जिसके सबसे प्रारंभिक संदर्भ 'ऐरण ब्राह्मण में सीखे जा सकते हैं, वह है शबरी जिसने राम को फल भेंट दिए थे। महाभारत में एकलव्य नामक भील को आदर्श शिष्य के रूप में वर्णित किया गया है। महाभारत के युद्ध में नागा, पांडिया, गन्धर्व तथा निषाद जनजातियाँ सम्मिलित हुयी थी तथा महाभारत ग्रन्थ के रचयिता महर्षि वेदव्यास भी ट्राइब्स से सम्बंधित ही बताये गए है। सोलह जनपद एवं महाजनपदों का उल्लेख महाजनपद काल में आता है उनमे से बहुत से जनपद जनजातीय राजघरानों से संबंधित थे। जनजातीय साम्राज्यों के द्वारा अपने राज्य की सीमाओं के अन्दर अपने राजकीय सिक्के एवं मुद्रा जारी किये गए थे। इस तरह बहुत से उदाहरण हमे प्राचीन काल में आदिवासियों से सम्बंधित मिलते है।

आधुनिक समाज में जनजातियाँ :- 'भारतीय समाज विभिन्न प्रजातीय समूहो का संगम स्थल रहा है। समय-समय पर भारत में विभिन्न समुदाय प्रवेश करते रहे हैं लेकिन कालान्तर में ऐसे सभी समूहों की सांस्कृतिक परंपराएँ भारतीय समाज का अंग बन गई। इसके पश्चात भी इनमें अनेक मानव समूह ऐसे थे जिन्होने बाह्य सभ्यता के कुछ तत्वों को ग्रहण करने के पश्चात भी अपनी मौलिक सांस्कृतिक विशेषताओं को नष्ट नहीं होने दिया। साधरणत: ऐसे समूहों को भी हम 'जनजाति' के नाम से संबोधित करते हैं। यह जनजातियाँ प्राय: शहरी सभ्यता से बहुत दूर गहन जंगलो के अंधेरे कौने में, पर्वतों की गगनचुम्बी चोटियो पर उनकी तलहटियों में एवं पठारी क्षेत्रो में निवास करती हैं और प्रत्येक अर्थ में अत्यधिक पिछड़ी हुई है। यही कारण है कि इनको 'आदिम' तथा 'खानाबदोश' मानकर इनकी लम्बे समय तक अवहेलना की जाती रही है। सामान्यत: लोग 'जनजाति तथा आदिवासी' शब्द का अर्थ 'पिछड़े हुए' और 'असभ्य मानव समूह' से समझते है जो कि एक सामान्य क्षेत्र में रहते हुए एक सामान्य भाषा बोलता है और सामान्य संस्कृति को प्रयोग में लाता है।'

सन् 1891 से लेकर जनजातियों के संबंध में विभिन्न जनगणनाओं में भिन्नता है। सन् 1891 की जनसंख्या रिपोर्ट में जनसंख्या आयुक्त श्री जे.एन. बेन्स ने जातियों को उनके परम्परागत व्यवसाय के आधार पर वर्गीकृत किया है। कृषक एवं चरवाह जातियों की श्रेणी के अंतर्गत उन्होने वन्य जनजातियों के नाम से एक पृथक उपशीर्ष बनाया। सन् 1901 की जनसंख्या रिपोर्ट में उन्हें प्रकृतिवादी कहा गया तथा सन् 1911 में उन्हें जनजातीय प्रकृतिवादी अथवा जनजातीय धर्म को मानने वाले लोग कहा गया। सन् 1921 की जनसंख्या रिपोर्ट में इन्हें पहाड़ी एवं वन्य जनजातियों का नाम दिया गया। सन् 1931 की जनसंख्या रिपोर्ट में उन्हें आदिम जनजाति कहा गया। भारत सरकार अधिनियम, सन् 1935 में जनजातीय जनसंख्या को पिछड़ी जनजातियों का नाम दिया गया। सन् 1941 की जनसंख्या रिपोर्ट में उन्हें केवल जनजातियाँ कहा गया।

ब्रिटिश शासन से पूर्व वनों पर सामुदायिक रूप से समाज का अधिकार होता था तथा जनजातीय लोग वनों में रहकर अपनी आवश्यकता अनुसार संसाधनों का उपयोग करते व वनों का संरक्षण करते थे। वनों एवं वनवासियों की परस्पर निर्भरता ही जनजातियों की एकान्तता का आधार थी जिसके साथ वनवासी दुनिया से अलग रहकर भी स्वतंत्र एवं उन्मुक्त जीवनयापन करता था। ब्रिटिश सरकार ने हमारी बहुमूल्य वनसंपदा का अपने हित में उपयोग करने एवं अधिक से अधिक प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर लाभ प्राप्त करने के लिए वनों पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के द्रष्टिकोण से जनजातीय क्षेत्रों एवं वनों के लिए नियम कानून बनाये गए, जिनमे 1865 का वन कानून लागू किया गया जिसके द्वारा वनवासियों द्वारा वन की वस्तुओ को एकत्रित करने के कार्य को नियमित करने का प्रयास किया गया।

1878 का वन कानून, 1894 की पहली वन नीति तथा 1927 का भारतीय वन अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने वनों पर अपनी सत्ता स्थापित करने का प्रयास किया तथा वन अधिकारी के माध्यम से जंगलो पर राजकीय नियंत्रण बढाने के प्रयास किये गए वन संबंधित कानूनों को तोडना जुर्म घोषित किया गया एवं दंड की व्यवस्था भी की गयी। इस प्रकार स्वतंत्रता से सरकार द्वारा धीरे धीरे वनवासियों से उनके जल जंगल और जमीन पर उनके अधिकारों को सीमित करने का कार्य किया गया बढ़ते सरकारी हस्तक्षेप एवं शोषण का परिणाम विभिन्न विद्रोहों के रूप में सामने आया मुख्य जनजातीय विद्रोह थे-संथाल विद्रोह, उराँव विद्रोह, बिरसा आन्दोलन, तानाभगत आन्दोलन, मुत्तारदार व ब्रिटिश के विरुद्ध कोया आन्दोलन, गोंड एवं कोलम विद्रोह, नागा विद्रोह इत्यादि। स्वतंत्रता के पश्चात लागू की गयी राष्ट्रीय वन नीति में भी जनजातियों को क़ानूनी अधिकार तो नहीं प्रदान किये गए पर कुछ रियायतें जरूर दी गयी। नयी राष्ट्रीय वन नीति 1988 में भी जनजातियों एवं वनों के संबंधो की बात की गयी तथा वनवासियों को उनके अधिकार, परम्पराएँ एवं हितो को सुरक्षित रखने पर बल दिया गया।

जनजातियों में शिक्षा का प्रकाश एवं विकास - भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार जनजातियों की संख्या कुल जनसंख्या का 8.6 प्रतिशत है। किसी भी जाति या मानव समूह की विकास स्थिति को उस समाज या जाति की शिक्षा की स्थिति से भी समझा जा सकता है। 1961 की जनगणना में भारत की साक्षरता दर 28.30 प्रतिशत थी और जनजातियों

की साक्षरता दर 8.53 प्रतिशत धीरे-धीरे भारत की कुल साक्षरता दर में वृद्धि हुई है और विकास की दर भी बड़ी है लेकिन जनजातियों में यह दर फिर भी कम रही 2011 की जनगणना में साक्षरता दर बढ़कर 73 प्रतिशत हो गयी वही जनजातियों की साक्षरता दर बढ़कर 59 प्रतिशत हुई यह वृद्धि कुल साक्षरता दर में वृद्धि से कम है जिसका अर्थ है जनजातियों में जागरूकता व शिक्षा का अभाव। लेकिन यदि देखा जाए तो समय के साथ जनजातियों में शिक्षा का तेजी से प्रचार प्रसार हो रहा है।

जनजातीय अर्थव्यवस्था – जनजातीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख गुण यह है कि यह समुदाय प्राकृतिक वातावरण पर निर्भर रहता है। इनकी सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था वनों के चारों ओर घूमती रहती है। अपने सरलतम उपकरणों के माध्यम से तथा बिना किसी बाहरी तकनीकी सहायता के ये अपनी आवश्यकता की प्रायः सभी वस्तुएँ तथा खाद्योपयोगी मूल, फूल, फल, साग-सब्जियाँ, शहद, पशु, पक्षी तथा अन्य वन्य जीव जंतु इत्यादि प्राप्त करते हैं। कुछ भारतीय जनजातियाँ अभी तक आखेटक स्थिति में ही है। आदिवासी वनों पर निर्भर रहे है लेकिन सरकारी नीतियों, जंगलो के कम होने, जनसंख्या में वृद्धि तथा अन्य वर्गों के संपर्क में आने से अपनी आजीविका के लिए धीरे धीरे उन्होंने कृषि को अपनाया है तथा इसके साथ साथ पशुपालन, मजदूरी, चाय की दुकान, आटाचक्की, गराज, सिलाई कढाई का कार्य, सड़क निर्माण एवं भवन निर्माण कार्य में मजदूरी तथा अन्य उद्योग व्यवसाय भी करने लगे है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जैसे जैसे शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ है जनजातीय लोगो में भी शिक्षित लोगो का अनुपात बढ़ा है कुछ लोग सरकारी एवं निजी नौकरियों में भी आगे आ रहे हैं। वही कुछ जनजाति अभी भी कृषि एवं पशुपालन पर पूरी तरह से अपनी आजीविका के लिए निर्भर है।

जनजातीय विकास एवं संवैधानिक व्यवस्था – भारत में जनजातियों के आर्थिक विकास और कल्याण की दृष्टि से संवैधानिक व्यवस्था भी की गई है। समाज के प्रत्येक वर्ग को सामाजिक, आर्थिक न्याय दिलाने व आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना के उद्देश्य से कमजोर एवं पिछड़े वर्गो की मदद के लिए हमारे संविधान में जनजातियों से सम्बंधित विभिन्न अनुच्छेदों को शामिल किया गया है जिनमें आर्थिक विकास सम्बंधित प्रावधानों का वर्णन मुख्य रूप से अनुच्छेद 275 (1) तथा 339 (2) में निहित है। सुरक्षोपयोगी तथा रक्षोपयोगी प्रावधानों के अंतर्गत अनुच्छेद 46 तथा 164,330,332 तथा 334,335,16 (4), 19 (5) महत्त्वपूर्ण है। भारतीय संविधान में महत्त्वपूर्ण सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 29 (2),अनुच्छेद 15 में निर्दिष्ट है। संविधान के अनुच्छेद 16 (4)तथा 335 में आरक्षण सम्बंधित प्रावधान है केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा उनके हित में विभिन्न योजनाएँ संचालित की जा रही हैं।

जनजातीय समुदाय एवं विकास की चुनौतियाँ – 'जनजातीय समुदाय की ये आम चुनौतियाँ है रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा की सुविधा और विकास के समान अवसर।

सर हर्षल रिसले ने लिखा है कि 'भारत में निवास करने वाले आदिवासियों की सात प्रजातियाँ है जिनमें कुछ प्रजातियाँ आर्थिक-सामाजिक रूप से अत्यंत पिछड़ी है। उनको विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए विशेष प्रजातियों द्वारा प्रयास किए जाने चाहिए।'

जनजातियों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से लेकर उनकी आज तक की विकासयात्रा, दशा और दिशा पर टिप्पणी करते हुए 'वनो पर आधारित समाज' नामक लेख में विद्वान लेखक ओंकार सिंह राणा ने कहा है कि 'शास्त्रों में वर्णन आता है कि वन पृथ्वी के रोम है। वनो में रहने वालो को वनवासी कहना तर्कसंगत है। वन और वनवासी का चोली-दामन का साथ है। वन और वनवासियों का सहस्त्राब्दियों से नजदीकी रिश्ता रहा है। बगैर वनवासियों के वनों का महत्तव अधूरा ही है। इसी प्रकार बगैर वनों के वनवासियों का निरन्तर अस्तित्व असंभव है। वनवासियों के परम्परागत विधाओं और कला-कौशल के संर्वधन का आजीविका के माध्यम से वन संवर्धान से जोड़ना आवश्यक और सम्भव है।

'विकास केवल सामाजिक, आर्थिक गतिशीलता का पैरामीटर नहीं है अपितु यह समुदाय के सतत् परिवर्तन की प्रक्रिया है। यह योजनात्मक ढंग से विकसित एवं विकासशील देशों के समाजों में परिवर्तन का महत्त्वपूर्ण प्रारूप बन चुका है। जिससे मुख्यत: आर्थिक एवं सामाजिक पिछडापन गरीबी, निरक्षरता एवं सामुदायिक अप्रगतिशीता दूर की जाती है। आदिवासी विकास के सिद्धांत पक्ष पर दो तत्वो पर ध्यान देना आवश्यक है। प्रथम विकास को हम सतत् प्रक्रिया के रूप में लेते है। द्वितीय विकास के लक्ष्य आदर्शात्मक न होकर व्यावहारिक एवं योजनात्मक होंगे।'

वर्तमान आदिवासियों को जिन मुख्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है इनमे ऋणग्रस्तता की समस्या बहुत बड़ी समस्या है भूमि तथा वनों पर जनजातीय अधिकारों का हनन, कृषि के पुराने तरीको को अपनाना सामाजिक उत्सवों में अधिक खर्च, तथा भाग्यवादी प्रवत्ति के कारण एवं शिक्षा के अभाव में जनजातीय लोग साहुकारो के शोषण का आसानी से शिकार हो जाते हैं। भूमि हस्तांतरण, वनों की कमी, गरीबी, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, मदिरापान, आवास, शिक्षा का अभाव आदि भी।

निष्कर्ष – भारतीय जनजातियों का अपना एक समृद्ध एवं गौरवशाली इतिहास रहा है उनकी प्राचीन परम्पराएँ, वेशभूषा, बोली, त्योहार सभी को उन्होंने संजोए रखा है। जनजातियों का निवास स्थान सुदूर जंगलो एवं पहाड़ो में होने के कारण लम्बे समय तक अन्य समुदायों से संपर्क में नहीं आ पाए जिससे ये जनजातियाँ विकास की राह में अन्य समुदायों तथा जातियों की तुलना में पिछड गयी है। वर्तमान में भी कुछ जनजातीय घने जंगलो में एकांत वास करती है तथा सामाजिक संपर्क में नहीं है तथा विलुप्ति की कगार पर है। लेकिन जो जनजातियाँ अन्य समाजों से सम्पर्क में आयी वे धीरे-धीरे विकास के मार्ग पर बढ़ती जा रही है। वर्तमान में भी बहुत सी चुनौतियाँ एवं बाधाएँ इन जनजातीय समुदायो के सामने है लेकिन शिक्षा रूपी अस्त्र से वे हर समस्या का सामना करके प्रत्येक क्षेत्र में विकास के नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। जनजातियाँ अपनी मूल परम्पराओं, अपनी भाषा, वेशभूषा प्रकति प्रेम तथा वनों के साथ अपने परस्पर संबंधों को बनाये रखते हुए विकास की वर्तमान राह पर आगे बढ़े तो उनकी संस्कृति एवं मौलिकता को बनाये रखते हुए हम पर्यावरण संरक्षण की राह पर भी आगे बढ़ सकेंगे एवं जनजातियों का भी समग्र एवं समावेशी विकास कर पायेंगे।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. भागवतपुराण, स्कन्द- 4, अध्याय - 14, श्लोक 45.
2. अरविन्द, जनक (1957) 'भारत के आदिवासी' दी इण्डियन पब्लिकेशन अम्बाला छावनी पृष्ठ 12-14, 64-44
3. मजूमदार, डी. एन. (1958) 'रेसेस एण्ड कल्चर, इम्पिरियल गजट ऑफ इण्डिया, एशिया पब्लिशिंग हाउस' मुम्बई पृ. क्र. 356
4. अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजाति आयोग की रिपोर्ट (1961) भारत सरकार नई दिल्ली

5. हरिश्चन्द्र (1970) 'इण्डियन टाइम्स' सामाजिक विज्ञान, हिन्दी रचना केन्द्र राजस्थान विश्वविद्यालय पृ. क्र. .01
6. घुरये, जी.एस. (1980) 'द अबोरिजिन्स ऑफ सो बाल्ड एण्ड फ्यूचर' पृ. क्र. 36
7. द वर्ल्ड इन्साइक्लोपीडिया (1996) भाग - 1 ऑस्ट्रेलियन अबोशिजिन्स पेज 834 वर्ड बुक इन्टरनेशनल
8. तिवारी, विजय (1998) 'भारत की जनजातियां' हिमालया पब्लिशिंग हाउस मुम्बई पृष्ठ 220. 1,
9. ढाकारिया, दिनेश एवं जयन्त जसवन्त (2004) 'जनजातीय विकास के विविध आयाम' एशियन प्रेस बुक्स कोलकाता
10. तिवारी, शिवकुमार (2005) 'भारत की जनजातीय संस्कृति' म.प्र.हिन्दी ग्रन्थ अकादमी भोपाल पृ. क्र. 1, 255
11. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (दूसरा प्रतिवेदन) (2006-07) पेज. 39
12. सिंह, शंकरदयाल (2007) 'बीस सूत्रीय कार्यक्रम और ग्रामीण विश्राम' योजना जनवरी 2007 पृ. क्र. 42
13. उपाध्याय, विजय शर्मा विजय (2007) 'भारत की जनजातीय संस्कृति हिन्दी ग्रंथ अकादमी' भोपाल पृ. क्र. 1, 23, 24
14. सुभाष कश्यप (2008) 'हमारा संविधान' नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली, पृ. क्र. 301, 302
15. राणा, ओकार सिंह (2009) 'वनों पर आश्रित समाज' मध्य प्रदेश संदेश मासिक पत्रिका, म.प्र. शासन भोपाल, पृ. क्र. 32
16. द सुप्रीम कोर्ट (डी.बी) ऑफ इण्डियाज जजमेण्ट स्पेशियल पिटिशन (sip) नं. 11/2010 केलाश अदर्स बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 5 जनवरी 2011
17. Census of India 2011
18. हुसैन, नदीम (2013) 'जनजातीय भारत' जवाहर पब्लिकेशन एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, दिल्ली, पृष्ठ 6
19. मीना, मंगलचन्द (2019) 'भारत का जनजातीय इतिहास' रावत पब्लिकेशन पृ. क्र. 12, 36, 54

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XL

नैतिक मूल्यों का ह्रास - एक अवलोकन

डॉ. ज्योति सिंह *

* सहायक प्राध्यापक, शासकीय स्नातक महाविद्यालय, नैनपुर, जिला-मण्डला (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना - साधारण रूप से नैतिक मूल्यो को आदर्श संस्कार कहा जाता है। आदर्श संस्कार जिससे व्यक्ति की समाज और देश में पहचान बनती है , क्योकि नैतिक मूल्य संस्कार व्यक्ति की भावना से जुड़े होते है। नैतिक मूल्य को आदर्शवादी तत्वो का समूह माना जाता है, अर्थात नैतिक मूल्य वह है जो व्यक्ति के भावात्मक पहलुओ में निवास करती है। नैतिक मूल्य कर्तव्य की आंतरिक भावना है और उन आचरण प्रतिमानव का समन्वित रूप है जिसके आधार पर सत्य- असत्य , अच्छा - बुरा , उचित -अनुचित का निर्णय किया जा सकता है और यह विवेक के बल से संचालित होती है, नैतिकता नैतिकता अतंरआत्मा की अवाज है जो सही गलत को बताती है।

अंतर्मन से प्रेरित उचित आवश्यक व्याहार और समाजिक विचार का संकलन ही प्रमाणित है। नैतिक मूल्यों के अंतर्गत इमानदारी, सत्य निष्ठा , न्याय, प्रेम,दया, (करूणा) आदि आते है।

नैतिक मुल्य अच्छे और बुरे कार्यो के बीच अंतर पैदा करने वाले मानक है। इन मानको का समाज के विकास और पतन में महत्वपुर्ण स्थान होता है। नैतिक मुल्यो के बिना मनुष्य और पशुओं मे कोई भेद नहीं होता है। नैतिक मुल्यों का हमारे जीवन में एक विशेष नैतिक मुल्यो का हमारे जीवन में एक विशेष महत्व है। क्योकि अनुशासन समानता, इमानदारी, दया भाव वह नैतिक मूल्य है जो किसी व्यक्ति को जीवन में सफल बनाने में अपना अहम योगदान देते है। नैतिक मुल्य लोगों के दैनिक जीवन का हिस्सा है क्योकि वे अपने व्यवहार को आकार देते है, और इसके परिणाम स्वारूप वे परिभाषित करते है कि विभिन्न स्थितियों के लिए कैसे कार्य करे और प्रतिक्रिया दें। नैतिक मुल्यों मे व्यक्तिगत हित ही नहीं बल्कि समूह का कल्याण भी निहित होता है और ये नैतिक मूल्य पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांरित होते है।

भारतीय समाज और संस्कृति नैतिक मूल्यों को बहुत महत्व देते है। बचपन से ही व्यक्ति से इस तरह के व्यवहार के उम्मीद की जाती है जो नैतिक रूप से सही हो, उन्हे सिखाया जाता है कि समाज के अनुसार सही और गलत क्या है, बडो के साथ सम्मान के साथ और धैर्य के साथ छोटों को प्यार करना यह हमारी संस्कृति का पहला पाठ है।भारतीय समाज की परंम्परा में महिलाओं के लिए शराब, धुम्रपान वर्जित है।

बदलता परिवेश ,पश्चिमी संस्कृति के प्रति आकर्षण, जीवन जीने की स्वतंत्रता ने नैतिकता के मानदण्डों पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है।

नैतिक मूल्यों के ह्रास का कारण - अपने निजी स्वार्थ के लिए अपने कर्तव्यों से विश्वास घात करना नैतिक मूल्यों का पतन है। नैतिक मूल्य के अवमुल्यन के कारण ही हम आज समाज में भ्रष्टाचार, अनैतिक आचरण, महिलाओं एवं बालिकाओं के साथ दुर्वव्यवहार की घटनाए दिख रही है।

औद्योगीकीकरण - आज स्वार्थपरता चरम पर है। दिखावे पर ज्यादा जोर दिया जाता है संबंधों में ओपचारिकता के कारण व्यक्ति उचित अनुचित का निर्धारण अपने अनुसार करता है।

व्यक्तिगत स्वार्थ वर्तमान युग में व्यक्ति की लालसा सिर्फ अपनी अवश्यकताओं की पुर्ति तक रह गई है। व्यक्तिगत लाभ के लिए व्यक्ति संबंधों को भी ताक पर रख देता है फिर वह चाहे माता-पिता या भाई-बहन का ही संबंध क्यो न हो। स्वार्थो के पुरा न होने पर व्यक्ति अपनी अवश्यकता की पुर्ति अनैतिक तरीकों से करने लगता है।

पश्चिमीकरण- पश्चिम की जीवनशैली को अब व्यक्ति अपना आदर्श मानने लगा है , जो कि हमारी भारतीय परंपरगत सामाजिक तथा नैतिक मूल्यों के विरूद्ध है

आधुनिकता- व्यक्ति आज आधुनिकता का अंधानुकरण कर रहा है। नए विचार, फैशन संबंधो की स्वतंत्रता को महत्व देकर मानवीय मूल्य त्याग ओर सेवा की भावना को पीछे ढकेल दिया है।

अनैतिक आचरण में रूचि- व्यक्तियों को सही गलत मालूम होने के बाद भी खुद उन अनैतिक कार्यो के प्रति रूचि रखकर गलत कार्यो को करना पसंद करता है।

वर्तमान युग में व्यक्ति सुख की कामना जल्दी करता है सुख को प्राप्त करने के लिए वह किसी भी साधन का उपयोग करने लगता है, जो कि अक्सर अनैतिक होता है।

स्वतंत्र विचारधारा - व्यक्ति स्वंतत्रता को पहली प्राथमिकता दे रहा है वह प्रत्येक बंधनों से परंपरओं से अपने को मुक्त रख कर जीवन जीना चाहता है, ऐसे जीवन जीने में व्यक्ति के नैतिक मूल्यों का स्तर गिरता जा रहा है।

एकाकी परिवार और माता-पिता का अपने-अपने कामों में व्यास्त होना भी नैतिक मूल्यों में कमी के लिए जिम्मेदार है।

बचपन में जो समय बच्चों को मिलना चाहिए, जो संस्कार डाले जाने चाहिए वो उनको नही मिल पा रहे है। माता पिता से बच्चो का नियत्रण छुटता जा रहा है।

संचार के माध्यम जो एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारने में मददगार साबित होते है वही इन माध्यमों से हिंसा, असलीलता का प्रभाव युवा में देखने को मिल रहा है।

भारतीय नैतिक मूल्यों के गिरते स्तर में कोई एक कारण नहीं बल्कि बहुत सारे कारण उतरदायी है, वर्तमान देखे तो हम पाते है कि व्यक्ति की

जीवनशैली, विचार ,रहनसहन सभी में परिवर्तन हो गया है यहाॅ तक की समाजिक एवं नैतिक मूल्यों में परिवर्तन हो चुका है, परिवर्तन इतना अधिक हो गया कि नैतिक मूल्यो का ह्रास होने लगा है।

नैतिक मूल्य भारतीय संस्कृति की पहचान है जो कि हमें विरासत में मिली है, विश्व में भारत की पहचान नैतिकता से है किन्तु आज हमारे इन मूल्यों का ह्रास हो रहा है, भारत की इस धरती पर मर्यादा पुरूषोतम राम और अर्जुन जैसे धर्नुधर का जन्म हुआ है, इस पवित्र धरा पर नैतिक मूल्यों का ह्रास एक सोचनीय प्रश्न है ।

नैतिक मूल्यों के ह्रास के परिणाम:

- रिश्तो की मर्यादाएँ खोती जा रही है।
- परिवार और विवाह जैसी संस्थाए अपना महत्व खोती जा रही है।
- भ्रष्टाचार, चोरी,अपराध मे दिन प्रतिदिन बढोतरी होती जा रही है।
- हिंसा को अपनी मांगों को मनवाने का साधन मानकर आगजनी , लुटमार की घटनाएँ हो रही है।
- व्यक्ति आज अपने लक्ष्य में बदलाओं कर लिए है, पैसे की प्रमुखता ने नैतिक मूल्यो को गिराया है, व्यक्ति किसी भी प्रकार से पैसा कमाना चहता है और वहीं वह अपनी नैतिकता को खो देता है।

निष्कर्ष– भारतीय समाज की पहचान पूरे विश्व में नैतिकता के कारण है , भारतीय संस्कृति की पहचान हमारे नैतिक मूल्यों से है, किन्तु विडम्बना है कि आज हम अपने नैतिक मूल्यों को खोते जा रहे है। इसमें दोसी हम सब है।बच्चों को संस्करित करने में परिवार,समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योकि बच्चा कोरे कागज की तरह होता है उस पर संस्कार और नैतिक मूल्य को लिखना हम सब का फर्ज है, जिसे हमें पूरी निष्ठा के साथ निभाना होगा।

आज की युवा पीढ़ी में रूखा व्यवहार बड़ो के प्रति अनादर , कुतर्क व उनका स्वतंत्र परिवेश में जीवन जीना ये बताता है कि किस हद तक नैतिक मूल्यों का स्तर गिर गया है।

परिवार समाज, क्षेत्र देश व दुनिया का विकास व प्रगति नैतिक मूल्यों पर आधारित रहती है इनका आधार जितना मजबुत होगा उतना परिणाम अच्छा होगा। नैतिक मूल्यों को बचाने के लिए समाज को एक ऐसी क्रांति लानी होगी जिससे समाज एक नई दिशा में संस्कारित और नैतिक मूल्यों के साथ प्रतिष्ठित हो सकें।

सुंदर समाज के निर्माण के लिए हर व्यक्ति को अपनी आंतरिक उर्जा का उपयोग अच्छे कार्यो एवं जन कल्याण के लिए करना होगा।

परिवार समाज की रीढ़ की हड्डी है इसके लिए संस्कार समाज को मजबुती एंव संस्कारित बनाते है। प्रमुखता के साथ परिवार को एवं समाज को नैतिक मूल्यों को दृढता प्रदान करने हेतु हमेशा तत्पर रहना होगा तभी भारतीय समाज सुदृढ़ और सुसंस्कारित होगी ।

समाज में वैचारिक , तर्कशील और न्याय संगत क्रांति की अवश्यकता है। हमें साधन और साध्य दोनों में पवित्रता को अनिवार्यता मानना होगा। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था मुझे सौ युवा दो मै समाज में नई क्रांति भर दुंगा आज समाज में ऐसे की युवाओ की आवश्यकता है जो नैतिक मूल्यों को पून: स्थापित कर आने वाली पीढ़ी के लिए एक उचित मार्ग प्रशस्त कर सकें।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. www.hindi100.com › naitik-mulya-slogan-in-hindi
2. www.vokal.in › question › 1RJPP-naitik-mulya-kya-hai
3. www.gkexams.com › ask › 48540-Naitik-Mulyon-Ka-Mahatva
4. sstmaster.com › moral-values-hindi
5. www.gkexams.com › ask › 48540-Naitik-Mulyon-Ka-Mahatva
6. www.vokal.in › question › 3VRSQ-naitik-mulya-ka
7. www.absolutestudy.com › hindi-essay-on-naitik
8. www.hindikiduniya.com › essay › moral-values-essay
9. www.vokal.in › question › 1TGEA-naitik-mulya-kya-hai
10. www.gkexams.com › ask › 48540-Naitik-Mulyon-Ka-Mahatva
11. www.jagran.com › uttarakhand › nainital-14083704
12. www.pravakta.com › naitik-mulya-manavta-k
13. www.jagran.com › uttarakhand › nainital-14083704
14. www.pravakta.com › naitik-mulya-manavta-k
15. www.amarujala.com › uttar-pradesh › aligarh
16. https://www.primarykamaster.com
17. https://www.Express morning .com
18. https://www.earlytimes.in>newsdet
19. https://www.Jagran.com>Mandi
20. https://www.shreedeshna.page>nait

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XL

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के प्रमुख आयाम

डॉ. जी. एल. मालवीय* डॉ. खुमेश सिंह ठाकुर**

* सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) सुभद्रा शर्मा शासकीय कन्या महाविद्यालय, गंजबासौदा, जिला-विदिशा (म.प्र.) भारत
** सहायक प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) सुभद्रा शर्मा शासकीय कन्या महाविद्यालय, गंजबासौदा, जिला-विदिशा (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – भारत प्राचीन समय से ही शिक्षा प्रणाली में अव्वल एवं विश्व गुरू के रूप में रहा है। भारत की प्राचीन शिक्षा में वैदिक कालीन शिक्षा, आश्रम शिक्षा, गुरूकुल शिक्षा, योग शिक्षा प्रमुख रही है। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात ही शिक्षा प्रणाली का विकास प्रारंभ हो गया था सर्वप्रथम 1948 में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया गया जिसको हम राधाकृष्णन कमीशन के नाम से भी जानते है। इसके पश्चात से वर्तमान तक कई आयोगों का गठन हो चुका है जिसमें माध्यमिक शिक्षा आयोग मुदलियार 1952, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग कोठारी आयोग 1964, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 एवं राष्ट्रीय ज्ञान आयोग शामिल है।

देश के विकास में वहां के निवासियों की शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जिस देश में शिक्षा का स्तर मजबूत होगा, वह देश तेजी से विकास की दिशा में बढ़ेगा। आज भी भारत एक विकासशील देश बना हुआ है, इसका सबसे बड़ा कारण है शिक्षा नीति पर ध्यान नहीं देना। देश में अंतिम बार शिक्षा नीति वर्ष 1986 में बनाई गई थी।

देश की स्वतंत्रता के बाद यह तीसरी शिक्षा नीति है इससे पूर्व पहली शिक्षा नीति वर्ष 1968 में आई थी। भारतीय शिक्षा आयोग के प्रतिवेदन को कुछ संशोधनों के पश्चात इसी के आधार पर भारत सरकार ने 24 जुलाई 1968 को स्वतंत्र भारत की पहली **राष्ट्रीय शिक्षा नीति** की घोषणा की। इस शिक्षा नीति में शिक्षा को राष्ट्रीय विषय का महत्व माना गया है और यह स्वीकार किया गया है कि शिक्षा द्वारा ही लोकतंत्र को अधिक मजबूत बनाया जा सकता है। शिक्षा द्वारा ही **स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, न्याय, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता** आदि के मूल्यों का विकास भी किया जा सकता है। राष्ट्रीय एकता को सबसे अधिक मजबूत करने के लिए उत्पादन, वृद्धि और राष्ट्र की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में इसका आधुनिकीकरण करने के लिए शिक्षा स्तर को सर्वप्रमुख माना गया है, इसलिए शिक्षा राष्ट्रीय महत्व का एक प्रमुख विषय कहा गया है। शिक्षा की व्यवस्था पर केन्द्र एवं राज्य सरकारों का संयुक्त उत्तरदायित्व, शिक्षा पर केन्द्रिय बजट का 6% व्यय किया जाएगा, सम्पूर्ण देश के लिए 10+2+3 शिक्षा संरचना, निशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था, माध्यमिक शिक्षा का विस्तार एवं उन्नयन, भारतीय भाषाओं का विकास, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को बढ़ावा आदि विषयों पर इस शिक्षा नीति में विशेष बल दिया गया। इसके बाद दूसरी शिक्षा नीति वर्ष 1986 में आई थी, इस शिक्षा नीति के दस्तावेज को कुल 12 भागों में विभाजित किया है। प्रस्तावना, शिक्षा का सार, भूमिका, राष्ट्रीय प्रणाली, समानता के लिए शिक्षा, विभिन्न स्तरों पर शैक्षिक पुनर्गठन, तकनीकी तथा प्रबन्ध शिक्षा, शिक्षा व्यवस्था का क्रियान्वयन, शिक्षा की विषय-वस्तु तथा प्रक्रिया को नया मोड़ देना, अध्यापक, शिक्षा का प्रबन्ध, संसाधन और समीक्षा, भविष्य आदि एवं वर्ष 1992 में इसमें कुछ संशोधन किया गया था।

इन सभी आयोगों ने शिक्षा प्रणाली के विकास पर बल दिया है जिससे भारत की वर्तमान शिक्षा प्रणाली को मजबूती मिली है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986/92 की पिछली नीति के बाद से एक बड़ा कदम निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 रहा जिसमें भारतीय संविधान ने भारतीय नागरिकों को शिक्षा का अधिकार (Right to Education-2009) प्रदान किया है। जिसमें सभी नागरिकों को शिक्षा के समान अवसर प्राप्त होने की बात कही गई है अत: साफ-साफ अक्षरों में लिखा है कि राज्य किसी भी स्थिति में शिक्षा के अवसर में कोई भेदभाव नहीं करेगा, अगर कोई राज्य ऐसा करता है तो उसे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन माना जायेगा एवं कोर्ट को ऐसी स्थिति में सरकार के खिलाफ उचित कार्यवाही करने के निर्देश दिए गये। भारतीय शिक्षा प्रणाली में समाज की वर्तमान आवश्यकताओं को देखते हुए निरन्तर बदलाव किये जा रहे है और यह बेहतर शिक्षा के लिए हमेशा लाभकारी सिद्ध हुआ है।

भारत की नई शिक्षा नीति के विजन को इस प्रकार तैयार किया जाता है कि यह देश के प्रत्येक नागरिक के जीवन को स्पर्श करे। एक ओर यह देश की कई बढ़ती विकासात्मक आवश्यकताओं में योगदान करने में नागरिकों की क्षमता के अनुरूप हों और दूसरी ओर एक न्यायसंगत और निष्पक्ष समाज बनाने की दिशा में भी हो। हमने भारत की परम्पराओं और मूल्यों के अनुरूप रहते हुए 21वीं सदी के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों के अनुरूप एक नई प्रणाली बनाने के लिए शिक्षा के स्वरूप, इसके विनियमन और गवर्नेस के सभी पहलुओं में संशोधन का प्रस्ताव किया है। -डॉ. के. कस्तूरीरंगन
(अध्यक्ष, प्रारूप समिति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत की नई शिक्षा नीति है जिसे सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया वर्ष 1986 में जारी हुई शिक्षा नीति के बाद भारत की शिक्षा नीति में यह पहला नया परिवर्तन है। यह अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉ. के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। यह शिक्षा नीति एक भारत केंद्रित शिक्षा प्रणाली की परिकल्पना करती है जो सीधे हमारे राष्ट्र के विकास में योगदान देती है और हमारी शिक्षा में उच्च श्रेणी की गुणवत्ता प्रदान करके एक समान और जीवंत ज्ञान समाज में स्थायी बनाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 चार स्तंभों पर आधारित है जो **पहुँच, इक्विटी, गुणवत्ता और जवाबदेही** है। इस शिक्षा

नीति में 5+3+3+4 संरचना होगी जिसमें 12 साल स्कूल और 3 साल का आंगनबाड़ी/पूर्व-विद्यालय शामिल होगा, जो पुराने 10+2 ढाँचें को बदल देगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मुख्य उद्देश्य शिक्षा और सीखने पर ध्यान केंद्रित करना और भारत को वैश्विक स्तर पर शैक्षिक रूप से महाशक्ति बनाना तथा देश में शिक्षा का सार्वभौमीकरण कर शिक्षा की गुणवत्ता को उच्च करना है। इसके साथ ही नई शिक्षा नीति का उद्देश्य केवल किताबी ज्ञान देना नहीं है बल्कि उन्हें व्यवहारिक ज्ञान भी देकर उनकी मानसिक बौद्धिक क्षमता को और भी ज्यादा प्रबल बनाना है। इस शिक्षा नीति के माध्यम से बच्चों के मन में नई-नई चीजों को सीखनें के प्रति रूचि जगाना है ताकि बच्चें जीवन में अपनी योग्यताओं के आधार पर एक अच्छें भविष्य का निर्माण कर सके। इसके अतिरिक्त अपनी मातृभाषा को बढ़ावा देना भी इस शिक्षा नीति का उद्देश्य है।

1. नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य वर्ष 2030 तक सकल नामांकन अनुपात (GER) 100 प्रतिशत करना।
2. पाँचवीं कक्षा तक की शिक्षा मातृभाषा/स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय शषा में उपलब्ध करवाना।
3. मातृभाषा को कक्षा 8 और उससे आगे की शिक्षा के लिए प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया है।
4. गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को विकसित करना।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की प्रमुख बातें:

1. मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल कर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया।
2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अन्तर्गत शिक्षा क्षेत्र पर सकल घरेलू उत्पाद के 6 प्रतिशत हिस्से के सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य रखा है।
3. भारतीय ज्ञान परंपरा का पाठ्यक्रम में समावेश।
4. देशभर के उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए भारतीय उच्च शिक्षा परिषद नामक एकल नियामक की परिकल्पना की गई है।
5. शिक्षा नीति में यह पहला परिवर्तन बहुत पहले लिया गया था लेकिन अबकी बार 2020 में जारी किया गया।
6. राष्ट्रीय शिक्षा नीति चार स्तंभों पर आधारित है जो **एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी और एकाउंटेबिलिटी** है।
7. 2030 तक शिक्षण के लिए न्यूनतम शैक्षिणिक योग्यता 4 साल का एकीकृत बीएड कोर्स होगा।
8. शिक्षा को लचीला बनाना।
9. राष्ट्रीय शिक्षा नीति बच्चों के समग्र विकास पर केन्द्रित है।
10. यह नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लीगल एवं मेडीकल एजुकेशन में शामिल नहीं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से उच्च शिक्षा में बदलाव:

1. उच्च शिक्षा में मल्टीपल एन्ट्री और एग्जिट का विकल्प।
2. कॉलेजों के एकेडिटेशन के आधार पर आटोनामी।
3. मेंटरिंग के लिए राष्ट्रीय मिशन।
4. यूजी प्रोग्राम 3 या 4 साल का हो सकता है, इस अवधि में उचित प्रमाणीकरण के साथ कई निकास विकल्पों के साथ जैसे 1 वर्ष बाद प्रमाण पत्र, 2 वर्ष बाद उन्नत डिप्लोमा, 3 वर्ष बाद डिग्री एवं 4 वर्ष बाद शोध के साथ स्नातक डिग्री प्रदान की जायेगी।
5. 4 वर्ष वाली डिग्री लेने वाले छात्र 1 वर्ष में स्नातकोत्तर डिग्री कर पायेगें।
6. अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (ABC) बनाया जाएगा जिसमें छात्रों द्धारा अर्जित डिजिटल अकादमिक क्रेडिट को विभिन्न उच्च शिक्षा संस्थानों के माध्यम से संग्रहीत किया जाएगा और इसे स्थानांतरित किया जायेगा और अंतिम डिग्री के लिए गिना जाएगा।
7. 2040 के अंत तक सभी उच्च शिक्षा संस्थान बहुआयामी संस्थान बन जाएंगे और उनमें से प्रत्येक में 3000 या अधिक छात्र होंगे।
8. हायर एजुकेशन के लिए एक ही रेग्युलेटर।
9. सरकारी और प्राइवेट शिक्षा मानक समान।
10. नेषनल रिसर्च फॉउन्डेशन (NRF) की स्थापना होगी।
11. शिक्षा में प्रौद्योगिकी का उपयोग एवं आनलाइन शिक्षा।
12. 8 क्षेत्रीय भाषाओं में ई-कोर्सेस शुरू।
13. शिक्षक शिक्षा एवं शिक्षकों का सतत पेशेवर विकास।
14. रोजगारपरक व्यवसायिक पाठ्यक्रम।
15. व्यावहारिक ज्ञान को बढ़ावा देने हेतु प्रथम वर्ष से ही इन्टर्नशिप का प्रावधान।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से स्कूल शिक्षा में बदलाव:

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अन्तर्गत पांचवीं कक्षा तक के छात्रों को मातृभाषा, स्थानीय भाषा और राष्ट्र भाषा में अध्ययन करवाया जाएगा।
2. भाषा के चुनाव के लिए छात्रों पर कोई बाध्यता नहीं होगी, उनके लिए संस्कृत और अन्य प्राचीन भारतीय भाषाओं के पढ़ने के विकल्प भी मौजूद रहेंगे।
3. 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए अर्ली चाइल्डहुड केयर एवं एजुकेशन एनसीईआरटी द्धारा फॉउन्डेशन लिट्रेसी एवं न्यूमेरसी पर नेषनल मिशन शुरू।
4. 9 वीं से 12 वीं की पढ़ाई की रूपरेखा 5+3+3+4 के आधार पर।
5. कक्षा 10 बोर्ड की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है, अब छात्र को सिर्फ 12वी परीक्षा देनी होगी।
6. बच्चों के लिए नये कौशल कोडिंग कोर्स शुरू।
7. एक्ट्रा केरिकुलर एक्टिविटीज मेन करिकुलम में शामिल।
8. व्यवसायिक परीक्षण (शिक्षा) पर जोर कक्षा 6 से शुरू होगी पढ़ाई।
9. रिपोर्ट कार्ड में लाईफ स्किल्स शामिल।
10. नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क तैयार: बोर्ड एग्जाम दो भाग में।
11. स्कूली बच्चों को खेल-कूद, योग, नृत्य, मार्शल आर्ट, बागवानी समेत अन्य शारीरिक गतिविधियों से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
12. शाला छोड़ चुके बच्चों को पुन: जोड़ना एवं सार्वभौमिक शिक्षा।
13. वर्ष 2030 तक हर बच्चें के लिए शिक्षा सुनिश्चित।

5+3+3+4 रूपरेखा

फाउंडेशन स्टेज- फाउंडेशन स्टेज के अन्तर्गत पहले 3 वर्ष बच्चों को आंगनबाड़ी में प्री-स्कूलिंग शिक्षा लेना होगा। इसके बाद बच्चे अगले 2 वर्ष कक्षा 1 एवं 2 स्कूल पढ़ेगें। इसमें 3 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों को कवर किया जाएगा। उनके लिए नया पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा और 5 वर्ष में उनका पहला चरण समाप्त हो जाएगा।

प्रीप्रेटरी स्टेज- प्रीप्रेटरी स्टेज में कक्षा 3 से 5 तक की पढ़ाई होगी, इसमें 8

से 11 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को कवर किया जाएगा। यह चरण 3 वर्ष में पूरा हो जाएगा। इस स्टेज मे बच्चों को विज्ञान, गणित, कला आदि की पढ़ाई पर जोर दिया जाएगा।

मिडिल स्टेज– मिडिल स्टेज में कक्षा 6 से 8 तक की पढ़ाई होगी, इसमें 11 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को कवर किया जाएगा। यह चरण 3 वर्ष में पूरा हो जाएगा। इस स्टेज में बच्चों के लिए के लिए खास कौषल विकास कोर्स भी शुरू हो जाएगें।

सेकेंडरी स्टेज– सेकेंडरी स्टेज में कक्षा 9 से 12 तक की पढ़ाई होगी, जोकि, इसमें 14 से 18 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को कवर किया जाएगा। यह चरण 4 वर्ष में पूरा होगा। इस स्टेज में बच्चों को अपने विषय के चयन करने की आजादी होगी।

निष्कर्ष– यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, 21वीं शताब्दी की पहली शिक्षा नीति है जिसका लक्ष्य हमारे देश के विकास के लिए अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरी करना है। यह नीति भारत की परंपरा और सांस्कृतिक मूल्यों के आधार को बरकरार रखते हुए, 21वीं सदी की शिक्षा के लिए आंकांक्षात्मक लक्ष्यों, जिसमें सतत विकास लक्ष्य 4 (एसडीजी 4) शामिल है, के संयोजन में शिक्षा व्यवस्था, उसके नियमन और गवर्नेंस सहित, सभी पक्षों के सुधार और पुनर्गठन का प्रस्ताव रखती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रत्येक व्यक्ति में निहित रचनात्मक क्षमताओं के विकास पर जोर देती है। यह नीति इस सिद्धान्त पर आधारित है कि शिक्षा से न केवल साक्षरता और संख्याज्ञान जैसी बुनियादी क्षमताओं के साथ–साथ 'उच्चतर स्तर' की तार्किक और समस्या–समाधान संबंधी संज्ञानात्मक क्षमताओं का विकास होना चाहिए बल्कि नैतिक, सामाजिक और भावनात्मक स्तर पर भी व्यक्ति का विकास होना आवश्यक है। अब राज्य सरकार की अनुमति से इसे राज्यों में लागू किया जाएगा। कर्नाटक और मध्यप्रदेश सरकार ने इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अपने राज्यों में लागू कर दिया है, जल्द ही अन्य राज्य भी इसे अपने राज्यों में लागू कर देगें।

यह भारतीय मूल्यों से विकसित शिक्षा प्रणाली है जो सभी को उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराकर और भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाकर भारत को एक जीवंत समाज में बदलने के लिए प्रत्यक्ष रूप से योगदान करेगी। इस नीति में परिकल्पित है हमारे संस्थानों की पाठ्य चर्चा और शिक्षा विधि जो छात्रों में अपने मौलिक दायित्व और संवैधानिक मूल्य देश के साथ जुड़ाव और बदलते विश्व में नागरिक की भूमिका के उत्तरदायित्व की जागरूकता उत्पन्न करें। इस नीति का विजन है छात्रों में, भारतीय होने का गर्व, केवल विचार में नहीं बल्कि व्यवहार, बुद्धि और कार्यों में भी रहें, साथ ही ज्ञान, कौशल मूल्यों और सोच में भी होना चाहिए। जो मानव अधिकार, स्थाई विकास और जीवन यापन तथा वैश्विक कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हो ताकि वह सही मायने में एक योग्य नागरिक बन सकें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति बच्चों के समग्र विकास पर केंद्रित है। इस नीति के तहत वर्ष 2030 तक अपने उद्देश्य को प्राप्त करने का लक्ष्य है। अत: नि:संदेह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बच्चों के चहुमुखी सर्वांगीण विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. एनईपी 2020, पृष्ठ 6
2. एनआईईपीए 2020, पृष्ठ 114, कस्तूरीरंगन, 2021
3. 2020 मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली।
4. एनईपी 2020, पृष्ठ 24–25
5. https://www.m.bhaskarhindi.com
6. https://www.education.gov.in
7. https://www.hi.m.wikipedia.org
8. https://www.livehindustan.com
9. https://www.ndtv.in
10. एनईपी 2020, पैरा 4.1 पृष्ठ 17
11. एनआईईपीए 2020, पृष्ठ 152,
12. https://www.kisansuchna.com
13. https://www.techsingh123.com
14. https://www.nvshq.org
15. https://www.aryaexams.com/2021/06/1986-national-policy-on-education-1986.html
16. https://www.indipedagogue.com
17. https://www.pmmodiyojanayae.in
18. https://www.hindi.careerindia.com
19. https://www.zedhindi.com
20. https://www.amarujala.com
21. https://www.drishtiias.com
22. https://www.gkhub.in
23. https://www.successcds.net/hindi/essays/essay-on-new-education- policy-2020-in-hindi
24. कस्तूरीरंगन के 2021 लिबरल एजुकेशन – ए ट्वेंटीफर्स्ट सेंचुरी इनीशिएटिव, पंद्रहवां स्थापना दिवस व्याख्यान, एनआईईपीए, नई दिल्ली, 11 अगस्त।
25. पुरोहित ऐश्वर्य, राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020, म. प्र. हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल
26. सिंह अविनाश कुमार, राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020, पृष्ठ क्रं 7–10, योजना, फरवरी 2020, वर्ष 66, अंक 02

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XL

कुपोषण के कारण, प्रभाव और निदान (रतलाम जिले की भील महिलाओं के संदर्भ में)

डॉ. मालसिंह चौहान* डॉ. विजयसिंह मण्डलोई **

* सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) शासकीय महाविद्यालय, मंडलेश्वर (खरगोन) (म.प्र.) भारत
** सहायक प्राध्यापक (समाजशास्त्र) शासकीय महाविद्यालय, मंडलेश्वर (खरगोन) (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना - कुपोषण का अर्थ- कुपोषण शरीर की वह अवस्था होती है, जिसमें शरीर को पौष्टिक पदार्थ और भोजन अव्यवस्थित रूप से ग्रहण करने के कारण शरीर को पूरा पोषण नहीं मिल पाता है और इस कारण से वह कमजोर रह जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिये भोजन के जरिये आवश्यक ऊर्जा प्राप्त करनी होती है और भोजन के माध्यम से वह पोषक तत्व जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, तथा खनिज लवण सहित अनेक चीजें ग्रहण करता है। यही पोषक तत्व उसे कुपोषण से बचाते हैं। जो लोग पर्याप्त मात्रा में इन तत्वों को ग्रहण नहीं कर पाते हैं, वे कुपोषित रह जाते हैं। बच्चों और महिलाओं में आवश्यक रूप से इन तत्वों की सही मात्रा सही समय पर ग्रहण की जानी चाहिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ के अनुसार कुपोषण के तीन प्रमुख लक्षण हैं-

1. **नाटापन -** यदि किसी बच्चे का कद उसकी आयु के अनुपात में कम रह जाता है, तो उसे नाटापन कहते है।
2. **निर्बलता-** यदि किसी बच्चे की शारीरिक शक्ति उसकी आयु,कद और वनज की तुलना में कम होती है, तो उसे निर्बलता कहते हैं।
3. **कम वजन -** आयु के अनुपात में कम वजन वाले बच्चों को अंडरवेट कहा जाता है।

कुपोषण के प्रकार - कुपोषण सिर्फ पोषक तत्वों की कमी से ही नहीं होता, बल्कि इन पोषक तत्वों को अधिक मात्रा में ग्रहण करना भी इसका कारण हो सकता है। कुपोषण निम्न प्रकार के हो सकते हैं -

1. तीव्र कुपोषण
2. क्रोनिक कुपोषण
3. विकास अवरूद्ध कुपोषण
4. सूक्ष्म पोषक कुपोषण

तीव्र कुपोषण (एक्यूट मालन्यूट्रिशन) - जब वजन में बहुत ज्यादा कमी आती है, तब इस प्रकार का कुपोषण होता है। इस कुपोषण के कारण तीन अन्य प्रकार के कुपोषण का सामना करना पड़ता है -

1. **मरसेमस-** इस बीमारी में शरीर में वसा तेजी से कम होने लगती है और शरीर के उत्ताक (टिश्यू) भयंकर खराब होने लगते हैं। और इन सब के कारण शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है।
2. **क्वाशियोरकोर-** इस बीमारी में बाडी फ्लूइड शरीर से बाहर नहीं निकल पाते, जिस कारण से स्किन और बालों के रंग में परिवर्तन आने लगता है। मोटापा, डायरिया, मसल मास का कम होना, रोग प्रतिरोधक क्षमता का कम होना, वजन बढ़ना और शरीर का विकास अवरूद्ध होना साथ ही शरीर के नीचले हिस्से घुटने, पैर में सूजन होना इसके प्रमुख लक्षण हैं।
3. **मर्सेमिक क्वाशियोरकोर-** यह मरसेमस और क्वाशियोकोर का मिश्रित रूप हैं और इस प्रकार के कुपोषण में दोनों के लक्षण दिखाई देते हैं।

क्रानिक कुपोषण - ये बीमारी उन लोगों में पाई जाती है, जो लम्बे समय तक कुपोषण से पीड़ित होते हैं और इसके परिणाम भी काफी लम्बे समय तक दिखाई देते हैं। उदाहरण के रूप में यदि गर्भवती महिला को गर्भावस्था के दौरान उचित पोषण नहीं मिलता है, तो इसका प्रभाव उसकी होने वाली संतान पर पड़ेगा और वह भी कुपोषित ही होगी। इसका अर्थ यह है कि बच्चा जन्म से ही कमजोर पैदा होगा और उसके स्वस्थ होने में काफी समय लगेगा और यह भी संभव है कि वह जीवन भर उस कुपोषण से ग्रसित हो। इसके अलावा यदि नवजात को समय से माँ का दूध न मिले तो भी वह कमजोर रहेगा और इसका असर उसे काफी समय तक होगा जिससे वह कुपोषित बना रहेगा।

विकास अवरूद्ध कुपोषण (ग्रोथ फैलियर मालन्यूट्रिशन) - इसमें रोगी का वजन और लम्बाई उसके उम्र के हिसाब से बढ़ नहीं पाते हैं, जिसके कारण वह कुपोषित रह जाता है। शरीर का विकास ठीक ढंग से नहीं हो पाता।

सूक्ष्म पोषक कुपोषण - इस प्रकार के कुपोषण में शरीर में विटामिन, आयरन, जिंक और कैलशियम जैसे खनिज तत्वों की कमी हो जाती है। हम सभी जानते हैं, कि ये विटामिन्स और खनिज तत्व शरीर के विकास में बहुत आवश्यक होते हैं। आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है साथ ही दिमाग का विकास नहीं हो पाता और हृदय की गति पर भी विपरित प्रभाव पड़ता है। आयोडिन की कमी से थाईराईड ग्रंथी पर प्रभाव पड़ता है जिसके कारण मानसिक विकृति की संभावना बढ़ जाती है। इसी प्रकार विटामिन बी12 की कमी से लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कम हो जाता है और तंत्रिकाए भी विकृत होने लगती है। विटामिन ए की कमी से दृष्टि कमजोर होने लगती है। हड्डियों का विकास भी नहीं हो पाता और रोग-प्रतिरोधक क्षमता कम होने लगती है। यदि शरीर में विटामिन-डी की कमी हो जाये तो रिकेट्स और अन्य हडी संबंधी समस्याए शुरू हो जाती है। जिंक की कमी से एनीमिया के साथ ही संवेदी बोध भी कम हो जाता है।

कुपोषण के कारण - कुपोषण के प्रमुख कारणों में निम्न कारण शामिल होते हैं :

1. **गरीबी –** देश में किये गये विभिन्न सर्वे एवं अनेक रिपोर्ट के आधार पर आंकडे बताते हैं कि देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली कुल जनसंख्या का लगभग 25.70 प्रतिशत हिस्सा अभी भी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करता है, जबकि शहरी क्षेत्रों में इसका प्रतिशत लगभग 13.70 है। गरीब जनता अपने लिये दो वक्त का खाना तो जुटा लेती है, परन्तु उन्हें पौष्टिक आहार उपलब्ध नहीं हो पाता है, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें तथा परिवार को कुपोषण का सामना करना पड़ता है। गरीबी अकेले कुपोषण को जन्म तो नहीं देती लेकिन आम लोगों के लिये पौष्टिक आहार की उपलब्धता को प्रभावित कर सकती है।

2. **पोषण संबंधी भोजन की कमी –** भोजन में पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्वों की कमी कुपोषण का प्रमुख कारण है। किसी भी व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए भोजन में कार्बोहाईड्रट, प्रोटीन, वसा, विटामिन आदि शरीर के अनुपात में होने चाहिए। जब इन सब की कमी होती है, तो शरीर कमजोर होता है और कुपोषण की स्थिति को जन्म देता है।

3. **पीने योग्य स्वच्छ जल की कमी –** जल जीवन का पर्याय है। पीने योग्य पानी की कमी, तथा गंदे पानी के उपयोग के कारण लोग जल जनित बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं, जो कि कुपोषण के प्रत्यक्ष कारणों में से एक है।

4. **डाक्टरों की कमी –** हमारे देश में आकड़ों के अनुसार 1.3 बिलियन लोगों के लिए सिर्फ 10 लाख पंजीकृत डाक्टर हैं। इस हिसाब से भारत में प्रत्येक 13000 नागरिकों पर मात्र 1 डाक्टर मौजूद है। उल्लेखनीय है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization) के अनुसार प्रत्येक 1000 व्यक्तियों पर 1 डाक्टर की आवश्यकता पर बल दिया है, जबकि 13000 नागरिकों पर 1 डाक्टर का होना स्वास्थ्य सेवाओं की कमी को दर्शाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह आकड़ा और भी डरावना है। डाक्टरों की कमी होने से निश्चित रूप से लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर होगा और कुपोषण की स्थिति निर्मित होगी।

5. **प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि –** बीते कुछ वर्षों में पूरे विश्व में तीव्र गति से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जिसके परिणामस्वरूप सूखा, चक्रवात, बाढ़, आदि की संख्या में काफी वृद्धि देखने को मिल रही है। इन प्राकृतिक आपदाओं के कारण कहीं न कहीं कृषि उत्पादन पर विपरित प्रभाव पड़ रहा है। कृषि उत्पादों का जनसंख्या के अनुरूप उत्पादन न होना भी कुपोषण की स्थिति निर्मित करने का एक कारण हो सकता है।

कुपोषण के प्रभाव – कुपोषण स्वयं तो एक बीमारी है ही इसके कारण और भी कई तरह की बीमारिया हो सकती है। जिन लोगों को पर्याप्त भोजन नहीं मिलता उनको ही नहीं, बल्कि उन्हें भी जिनके भोजन में पर्याप्त मात्रा में विटामिन, कार्बोहाईड्रट, प्रोटीन जैसे आवष्यक पोषक तत्व नहीं होते उन्हें भी कुपोषण का सामना करना होता है। कुपोषण के परिणामस्वरूप शरीर पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ता है:

1. शरीर को लंबे समय तक संतुलित आहार न मिलने के फलस्वरूप व्यक्ति की रोग–प्रतिरोधक क्षमता का विकास नहीं हो पाता है, जिसके कारण उसके शरीर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। रोग–प्रतिरोधक क्षमता के अभाव में व्यक्ति आसानी से किसी भी बीमारी की चपेट में आ सकता है और जिसके कारण उसकी मृत्यु तक हो सकती है।
2. कुपोषण का सबसे गंभीर प्रभाव मानव उत्पादकता पर पड़ता है। इसके प्रभाव से मानव उत्पादकता लगभग 10–15 प्रतिशत तक कम हो जाती है और जो कि देश के आर्थिक विकास में बाधक होती है
3. कुपोषण का सबसे गंभीर असर महिलाओं और बच्चों पर देखा जा सकता है। आकड़े बताते हैं कि छोटी उम्र के बच्चों में मौत का सबसे बड़ा कारण कुपोषण ही है। महिलाओं में भी कुपोषण के कारण रक्त अल्पता और घेंघा रोग अथवा शरीर में अन्य पोषक तत्वों की कमी के कारण कई रोग उत्पन्न होते हैं। यह सब कुपोषण के कारण होता है।
4. कुपोषण के परिणामस्वरूप क्षय रोग उत्पन्न होने लगते हैं। इन रोगों में रोगी का शरीर कंकाल होने लगता है। विषम परिस्थितियों में यह बीमारी क्काशियोरकोर नाम की बीमारी में बदल जाती है, जिसमें शरीर में सूजन आ जाती है और चेहरा भी काफी फूला हुआ दिखाई देता है इसे 'मून फेस' भी कहते हैं नामक बीमारी से शरीर ग्रसित हो जाता है और रोगी की मृत्यु भी हो जाती है।

रतलाम जिले की भील महिलाओं के स्वास्थ्य की स्थिति को बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है। सामान्यत: भील महिलाओं में खून की कमी, कमजोरी, थकान, पौष्टिक भोजन न मिलना, कम उम्र में विवाह जिसके कारण माँ बन जाना, जैसी समस्याओं से उन्हें जीवन भर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। महिलाओं का स्वस्थ रहना पूरे परिवार के लिये आवश्यक होता है। महिला के स्वास्थ्य के ऊपर परिवार के अन्य सदस्यों का भविष्य निर्भर करता है। यदि परिवार में महिला का स्वास्थ्य खराब होगा, तो इसका प्रभाव परिवार के अन्य सदस्यों पर भी पड़ेगा, क्योंकि महिला परिवार में कई भूमिकाओं का निर्वाह करती है। वह परिवार में एक पत्नी के रूप में, माँ के रूप में, बहन के रूप में, बेटी तथा अन्य रूपों में परिवार के दायित्व निभाती है। यदि माँ कमजोर होगी तो उससे उत्पन्न होने वाला बालक भी कमजोर होगा और उसे जीवन भर अपने स्वास्थ्य से समझौता करना पड़ेगा। स्वस्थ रहना व्यक्ति के खान–पान पर भी निर्भर करता है। यदि व्यक्ति को पौष्टिक आहार समय से प्राप्त होगा, तो उसे शरीर में होने वाली विभिन्न बीमारियों से लड़ने की ताकत प्राप्त होती है। भील महिलाओं को पौष्टिक भोजन प्राप्त होना तो बहुत दूर की बात है, उन्हें कई बार भरपेट भोजन भी नहीं मिल पाता है। शोध क्षेत्रान्तर्गत भील परिवारों को गरीबी, बेरोजगारी, ऋणग्रस्तता जैसी समस्याओं से सामना करना पड़ता है। शिक्षा की कमी के कारण भी उनमें प्राय: स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह देखा जा सकता है। पीने के पानी के स्त्रोतों की जगहों पर प्राय: गंदगी देखी जा सकती है। यद्यपि शासन की विभिन्न नीतियों एवं योजनाओं के माध्यम से जनजातीय लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है, तथापि अभी और प्रयासों की आवश्यकता है।

शोध क्षेत्र में जनजातीय लोगों में गरीबी, अशिक्षा तथा ऋणग्रस्तता जैसी समस्याएँ होने के कारण अधिकांश भील परिवार मजदूरी का कार्य करते हैं। वे ज्यादातर गरीबी का जीवन व्यतीत करते हैं। गरीब होने के कारण उनके परिवार की आर्थिक स्थिति भी कमजोर है।

गरीबी की स्थिति में जीवन यापन करना एक अभिशाप के समान होता है। गरीबी अनेक समस्याओं को जन्म देती है। समाज की अधिकांश समस्याओं का जन्म गरीबी से होता है। शोध क्षेत्रान्तर्गत भील जनजातीय परिवारों में गरीबी व्याप्त है। भील परिवारों की आय व्यय की तुलना में न्यूनतम होती है, जिसके कारण उन्हें ऋण लेना पड़ता है और उनकी आर्थिक स्थिति और निम्नतम होती चली जाती है। गरीबी की दशा में जनजातीय परिवारों को अपना तथा अपने परिवार का भरण–पोषण करने में भी संघर्ष

करना पड़ता है। गरीबी की दशा को शोध क्षेत्र में जानने का प्रयास किय गया। अनुसूची में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को शामिल किया गया। उत्तरदाताओं से पूछा गया कि क्या आपका परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करता है ? 300 महिला उत्तरदाताओं में से 272 महिला उत्तरदाताओं ने बताया कि उनका परिवार गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करता है। यह सब समस्याएँ कुपोषण को जन्म देती है।

भारत में कुपोषण की स्थिति एवं समाप्ती हेतु प्रयास – कुपोषण को लेकर भारत में काफी समय से चर्चाए की जाती रही है। समय पर सरकारों द्वारा अनेक योजनाओं और आयोगों का गठन कर इसे दूर करने का प्रयास भी किया है। परन्तु फिर भी इसमें अभूतपूर्व सफलता हाथ नहीं लगी। अक्टूबर 2019 में जारी वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत 117 देशों में से 102 वें स्थान पर रहा था, जबकि वर्ष 2018 में 103 वें स्थान पर था। वर्ष 2017 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 जारी की गई थी, जिसमें नागरिकों की उत्पादकता पर कुपोषण के प्रभाव और देश में मृत्यु दर में इसके योगदान पर प्रकाश डाला गया था। हालाकि सरकार द्वारा इस सन्दर्भ में काफी प्रयास किये गये हैं और विभिन्न प्रकार की योजनाए चलाई जा रही है, किन्तु इन योजनाओं और प्रयासों के बावजूद हम देश में कुपोषण की चुनौती से निपटने में पूर्णत: सफल नहीं हो पाए हैं। इससे न केवल भारत के आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न हो रही है, बल्कि वैश्विक स्तर पर भारत की छवि भी नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रही है। हाल ही में जारी 'द स्टेट आफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन-2019' रिपोर्ट के अनुसार विश्व में 5 वर्ष तक की उम्र के प्रत्येक 3 बच्चों में से एक बच्चा कुपोषण अथवा अल्पवजन की समस्या से ग्रस्त है। पूरे विश्व में लगभग 200 मिलियन तथा भारत में प्रत्येक दूसरा बच्चा कुपोषण के किसी न किसी रूप से ग्रसित है। रिपोर्ट से यह भी ज्ञात हुआ कि वर्ष 2018 में भारत में कुपोषण के कारण 5 वर्ष से कम उम्र के लगभग 8.8 लाख बच्चों की मृत्यु हुई जो कि नाइजीरिया (8.6लाख), पाकिस्तान (4.09 लाख), और कांगो गणराज्य (2.96 लाख) से भी अधिक है। केवल बच्चों में ही कुपोषण की समस्या है ऐसा नहीं है महिलाओं में भी इसकी स्थिति ठीक नहीं कही जा सकती है। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार विजेता अमत्र्य सेन का कहना है कि देष में कुपोषण और भूख से पीड़ित बच्चों की स्थिति काफी चिंताजनक और खतरनाक है और इससे निपटने के लिए जल्द से जल्द नए विकल्पों को खोजा जाना चाहिए। यद्यपि संविधान के अनुच्छेद-21 और अनुच्छेद-47 भारत सरकार को सभी नागरिकों के लिए पोषण आहार उपलब्ध कराने संबंधी प्रावधान करता है। किन्तु भारतीय संविधान में भोजन के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता नहीं प्रदान की गई है। अनुच्छेद 21 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन अथवा निजी स्वतन्त्रता से वंचित नहीं किया जा सकाता। वहीं संविधान के अनुच्छेद-47 के अनुसार राज्य अपने लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को उँचा करने तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार को अपने प्राथमिक कर्त्तव्यों में शामिल करेगा। इस प्रकार संविधान के मूल अधिकारों से संबंधित प्रावधानों में अप्रत्यक्ष जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित प्रावधानों में प्रत्यक्ष रूप से कुपोषण को खत्म करने की बात कही गई है। इस प्रकार भारत को कुपोषण से मुक्ति हेतु संविधान के साथ साथ अनेक नीतियों, कार्यक्रमों एवं विभिन्न कोष का निर्माण कर इसे समाप्त करने हेतु प्रयास जारी है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. शशि बैराठी: ट्राईबल कल्चर, इकोनामी एण्ड हेल्थ, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर (राजस्थान)
2. डॉ.आशु रानी: महिला विकास कार्यक्रम, इना श्री पब्लिशर्स, जयपुर (राजस्थान)
3. एस गणेशन: स्टेटस आफ वुमेन, इन्टरप्रेनेर्स इन इण्डिया, कनिष्क पब्लिशर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, न्यू दिल्ली
4. दृष्टि: द विजन, दिल्ली
5. योजना पत्रिका।
6. नईदुनिया विविध पत्र।

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XL

इंदौर : महानगर के रूप में सामाजिक एवं शिक्षा विकास का भौगोलिक केंद्र

अंकित दीक्षित* डॉ. आमिर एजाज **

*शोधार्थी, महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, छतरपुर (म.प्र.) भारत
** प्राधयापक, शासकीय महाविद्यालय, निवाड़ी, छतरपुर (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – इस अध्ययन का लक्ष्य इंदौर महानगर के रूप में सामाजिक एवं शिक्षा विकास को भौगोलिक केंद्र के रूप में अध्ययन करना है। शोध हेतु सीमित प्राथमिक एवं मुख्यता द्वितीयक आंकड़ों का प्रयोग इसमें किया जो सरकार एवं उसकी एजेंसी राष्ट्रीय अखबार और प्रमुख संबंधित शोध पत्रों के द्वारा जारी किए गए थे। अध्ययन में खोज परिणाम पक्ष में महानगर इंदौर का मध्य प्रदेश के प्रमुख महानगर के रूप में 1901 के बाद से तेजी से वृद्धि दर्शाई गई जो आज 85.5% साक्षरता ,327, 6697 जनसंख्या वाले इस नगर में राज्य के कुल श्रम बाल का लगभग 42 प्रतिशत से अधिक कार्यरत हैं एवं रोजगार पाते हैं, जहां बेहतर शिक्षा व सामाजिक विचरण के विकल्पों के साथ विभिन्न क्षेत्रों में मानव विकास उपागम दृष्टिगोचर होता है। इंदौर महानगर आदर्श जलवायु वाला प्राकृतिक वैभवशाली नगर है , जहां विभिन्न त्योहारों के आयोजन के साथ साथआधुनिक शिक्षण संस्थानों का स्थल है साथ ही वो नगर है, जहां स्वच्छता आदत बन चुकी है एवं स्वास्थ्य सुरक्षा जीवन जीने में सुधार की विभिन्न संभावनाएं व्याप्त है।आज के इंदौर में सुरक्षा दृष्टिकोण पर पुलिस आयुक्त प्रणाली का संचालन सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाने और समाज के विभिन्न वर्गो के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए नगरनिगम द्वारा चिन्हित स्थानों पर क्लिनिक और सूचना प्रौद्योगिकी के बढ़ते प्रभाव पर क्रिस्टलऔर अतुल्य आईटी पार्क स्थापित किए है ।अत: इंदौर महानगर एक उन्नत भौगोलिक केंद्र है, जहां शिक्षा और समाज के विकास द्वारा आधुनिक मानव पूंजी का सृजन करने में सक्षम है।
शब्द कुंजी – श्रमबल, आयुक्तप्राणली, सूचना प्रौद्योगिकी, आई.टी. पार्क , मानव पूंजी।

प्रस्तावना – सामाजिक बदलाव और चेतना के रूप में शिक्षा की भूमिका और इसके दखल से जीवन जीने में सुगमता के कई प्रतिमान दर्शन विद्यमान है, जो भौगोलिक विश्व में इजराइल, रूस, जापान आदि देशों में दृष्टिगोचर होते हैं। उसी क्रम में विश्व में उभरते भारत के संवरते मध्य प्रदेश का मिनी मुंबई उपनाम वाला महानगर इंदौर शिक्षा और सामाजिक विकास का भौगोलिक केंद्र के रूप में नए प्रतिमान स्थापित कर रहाहै ।

विश्व के समांतर विस्तार की होड़ और अपनी तरफ से योगदान के लिए मध्यप्रदेश के इंदौर को विश्व में स्वच्छता, स्वाद ,सुरक्षा के लिए जाना जा रहा है ,जो इसको शिक्षा शिक्षण के विकास में तेजी से आगे आते नगर की संख्या में ठीक तरह से बिठाता है। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक तेज गति से साक्षर होता जिला,जहां 81% से अधिक आबादी साक्षर है और सामाजिक गतिशील होता राज्य का एक महानगर है, इंदौर का सामाजिक एवं शिक्षा विकास के लिए भौगोलिक केंद्र के रूप में अध्ययन ,एक नए आयाम जो विद्यालय संस्कृति से विश्वविद्यालय समागम और सामाजिक सौहार्द से सामाजिक जुड़ाव के संदर्भ को सीखने सिखाने के परिपेक्ष्य महत्वपूर्ण एवं इस तरह से विकास के लिए नए नगरों की प्रेरणा भी है, सफलता के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य शिक्षा के लिए जरूरी इंदौर मध्य प्रदेश के लिए एकअहम पड़ाव बन कर उभरा है ।

इंदौर विद्यालय शिक्षा में भी अपनी खास उपस्थिति दर्ज करवा रहा है, जिसमें एक तरफ केंद्रीय विद्यालय, मध्य प्रदेश के शासकीय विद्यालयों की श्रंखला विद्यमान है। वहीं डेलीकॉलेज, चोइथराम, डीपीएस आदि जैसे देश के श्रेष्ठ विद्यालयों का समूह भी यहां कार्यरत है। उच्च शिक्षा में महाविद्यालय शिक्षा में प्रदेश की प्रमुख देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की स्थापना 1964 में की गई ,जहां आज 8 से अधिक विश्वविद्यालय (निजी) विद्यमान है ,जो कला, वाणिज्य ,विज्ञान प्रौद्योगिकी के साथ–साथ फैशन और चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में अनुकरणीय पहल करके सामाजिक ताने–बाने को बुनते हुए, आधुनिक विकल्पों से मानसिक संबंधों को मजबूती प्रदान कर रहे हैं और महानगरीय भौगोलिक स्थल के रूप में इंदौर को सशक्तिकृत कर रहे है।

मध्य प्रदेश के विभिन्न समुदायों के लिए विभिन्न शिक्षा विकल्पों की उपलब्धता के साथ राज्य में बेहतर प्रतियोगी वातावरण का निर्माण भी इस रूप में हुआ है, कि रोजगार, स्वरोजगार, उद्योग विस्तार को गति देता इंदौर महानगर जहां प्रथम डेट्राइटमांगलिया के रूप में , उद्योग से सहकारिता की (सोयाबीन उद्योग से सांची दुग्ध संघ) ओर काम करने में प्रथम स्थान पर आ गया है। सामाजिक स्तर पर गरीबी उन्मूलन रोजगार विस्तार जहां राज्य का 47% श्रम बाल कार्यरत है। जो शहर 6 बार स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार में लगातार प्रथम स्थान प्राप्त करते हुए , राष्ट्र का सबसे स्वच्छ शहर है, वही इसके साथ स्वाद की नगरी 56 दुकानों पर 56 से अधिक व्यंजन मध्यरात्रि में सराफा में चटोरो की भीड़, नए सामाजिक अनुभव के साथ इंदौर की भौगोलिक प्रगति को शिक्षा, संवेदना, जागरूकता, सुरक्षा , समाज से जोड़ते हुए वर्ष 2023 में प्रवासी भारतीय सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। जहां हमारी पहचान हिंदी भाषा की वैश्विक संगोष्ठी का गवाह इंदौर महानगर विश्व के पटल पर उभरकर सामने आएगा।

अध्ययन का उद्देश्य – तेजी से बदलते हैं, इस विश्व में शिक्षा और समाज का अनूठा संबंध सबके समक्ष आया है, गतिशील सामाजिक अर्थव्यवस्था का उपक्रम शिक्षा है, जो समाज में विकास के लिए उत्तरदायी है और शिक्षा के आधुनिक संदर्भ पर उभरते विकल्पों के साथ उसकी उपयोगिता में विस्तार भी प्रमुख नागरिक और सामाजिक पक्ष है, जो शिक्षित समाज को उत्कृष्ठ समाज, विविधता पूर्ण समाज,भेदभावमुक्त समाज, विकसित अर्थव्यवस्था वाला समाज गड़ने में अपनी भूमिका का निर्वाह करता है,इसी क्षेत्र में नई सूचना प्रौद्योगिकी वाले समाज को शिक्षा की स्थिति और समाज में उसके प्रभाव के बिंदु पर भी सभी का ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ है , जहां इसी संदर्भ पर इस शोध पत्र के अध्ययन का उद्देश्य है :

1. इंदौर महानगरका सामाजिक और शिक्षा विकास के केंद्र के रूप स्थापितहोने का विश्लेषण करना।
2. इंदौर में शिक्षा विकास की संभावनाओं का अध्ययन।
3. सामाजिक बदलाव एवं प्रगति में इंदौर की स्थिति का अध्ययन।

अध्ययन का क्षेत्र – इंदौर महानगर मध्यप्रदेश के मालवा के पठार के दक्षिण भाग में समुद्र तल से 1814 औसत ऊंचाई पर स्थित है, जिसका भूमि क्षेत्र 38 98 वर्ग किलोमीटर है। जो 1950 से 1956 तक मध्य भारत की राजधानी के रूप में कार्य कर चुका है ,जो वर्तमान मध्य प्रदेश की

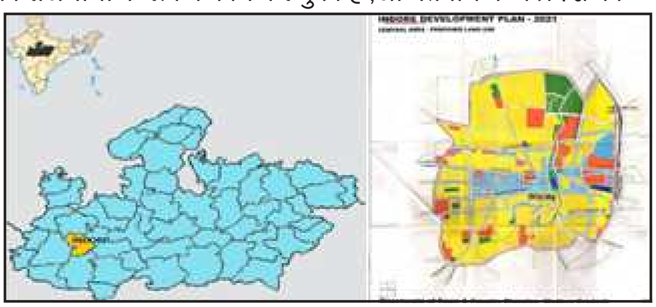

मानचित्र स्त्रोत: इंटरनेट

औद्योगिक राजधानी के रूप से विख्यात, इंदौर जहां साक्षरता दर 85.5% (2011 के जनगणना आंकड़ों के अनुसार) राज्य के सर्वाधिक साक्षर जिलों में से एक है। इसकी जनसंख्या आबादी 3 ,276,697 है, जिसमें से अधिकांश आबादी हिंदू 80.18%, जैन 3.27% और बौद्ध 0.51% आदि के लगभग है।

इंदौर महानगर के प्रमुख शिक्षा केंद्र आईआईटीआईआईएम कैट आईआईएसआर और 51 स्वास्थ्य संस्थानों, जिसमें निजी एवं शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय भी शामिल है, को जोड़ा गया है। साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले संस्थानों और उनमें अध्ययनरत विद्यार्थियों, साथ ही प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले विभिन्न कंपनियों के कर्मचारियों को भी अध्ययन के क्षेत्र में शामिल किया गया है।

साहित्य की समीक्षा– किसी नगर , क्षेत्र के विकास और विस्तार में शिक्षा और समाज के विकास पर और उससे समंधित प्रभावों पर विभिन्नशोध और आलेखन किए गए है , जिसमे भौगोलिक स्तरपर किसी स्थान के अनुकूलन और भिन्नघटकों का चरण वारउल्लेख मिलता हैं,जिनमे से कुछ साहित्य की समीक्षा करने पर पाया कि–

इंडिया ईयर बुक (भारत 2021) भारत सरकार के खंड शिक्षा,विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पर्यावरण खंड में समाज पर शिक्षा एवं प्रौद्योगिकीका प्रभाव उनके विकास गति में उत्प्रेरक है , जहां आदर्श पर्यावरण जो प्रदूषण मुक्त हो इसमें मानव विचरण के लिए सुलभ वातावरण का विकास करता है , जो स्वस्थ दिनचर्या में अहम है।

माध्यम–मध्यप्रदेश सरकार के 2022 के विभिन्न प्रिंट में आदिवासी समाजमें जागरूकता और सामाजिक उन्नति के लिए शिक्षा प्रोत्साहन योजनाओं (छात्रवृत्तिऔर परीक्षापूर्व प्रशिक्षण) और स्वास्थ सुरक्षा हेतु सरकारी पहलों(दीनदयाल स्वास्थ सुरक्षा)के साथ सामाजिक आर्थिक प्रगति के लिए स्वरोजगार और कोशल विकास के उपागम(मुख्यमंत्री स्टार्टअप सहयोग, मुख्य मंत्री मेधवी छात्र योजना) के संबध के चर्चा की गई है ।

फण्डाबाल्की (2012) विज्ञान और प्रोद्योगिकी शिक्षा के क्षेत्र में विज्ञान की प्रकृति को पढ़ानें के लिए शैक्षणिक उपलब्धि और वैज्ञानिक दृष्टिकोण। पर सीधे चिंतनशील दृष्टिकोण का प्रभाव । करिक्कालें विश्वविद्यालय, सूरत,जिसमे अध्ययन में पाया की छात्रों के वैज्ञानिक नजरिए और अकादमियों उपलब्धियों परउनका दृष्टिकोण शून्य उत्सर्जन और ऊर्जा विकास के घरेलू पर नवीकरणीय स्त्रोत पर विशेष केंद्रित था।

रंगानाथ (2012) विज्ञान की दिशा में आंध्रा प्रदेश के भावी विज्ञान शिक्षक के रचनात्मक, वैज्ञानिक अभिवृत्ति और ऊँचाई का एक अध्ययन। आचार्य नागरजिना विश्वविद्यालय,के अध्ययन में स्पष्ट हुआ की अभिवृत्ति एक संवेदनशील अवधारणा है और यह एक सटीक तरीका है, किसी एक उपन्यास या समस्याग्रस्तर स्थिति के लिए एक संक्षिप्त संख्या है, मानसिक आदत और प्रवृत्तियों पर लगातार प्रभाव को दर्शाने के लिए। सटीकता, बौद्धिक, ईमानदारी, ग्रहणशीलता, निलंबित निर्णय, समीक्षात्मक और सही कारण व रिश्तों का प्रभाव इन आदतों व प्रवृत्तियों के प्रदर्शन के लिए सही कारण है।

जोन्डर्फ, जुली (2004)'The teacher variance inventory (iv) and the teacher variance attitude scale'पर अध्ययन किया और यह निष्कर्ष निकाला कि शिक्षक की मान्यताएँ, अभिवृत्तियाँ अनुभव सीधे उसके अनुशासन सम्बन्धी नजरियें उनके कक्षा–कक्ष के अन्तर्गत व्यवधान को प्रभावित करता है। छात्र व्यवहार के प्रति शिक्षक अभिवृत्ति की अच्छी समझ मुख्य रूप से कक्षा–कक्ष अनुशासन के सम्बन्ध में बेहतर सामाजिक सोचऔर सीखने की आदत में सहायक है।

आंकड़े और प्रविधि– यह अध्ययन पेपर आंशिक/सीमित प्राथमिक आंकड़ों और मुख्यता द्वितीयक आंकड़ों पर आधारित हैं जिनका वर्णन इस प्रकार है:

प्राथमिक आंकड़े : इस अध्ययन के लिए प्राथमिक आंकड़ों के संग्रहण के लिए इंदौर महानगर के विभिन्न क्षेत्रों जिसमें पलासिया, गीताभवन, भवरकुआं, अन्नपूर्णा, विजयनगर, मऊ, सपना संगीता आदि में जाकर

विभिन्न आयु वर्गों के लोगों से चर्चा की गई। आयु वर्ग मुख्यत: 4 बनाए गए,
(1) 10 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के लोग ,
(2) 19 से 30 वर्ष की आयु वर्ग के लोग,
(3) 31 से 45 वर्ष के आयु वर्ग के लोग और
(4) 45 से 65 वर्ष की आयु वर्ग के लोग। यहां 10 प्रश्नों की प्रश्नावली के आधार पर प्राथमिक आंकड़ों का विवरण तैयार हुआ। द्वितीय आंकड़ों को इस शोध पेपर में मुख्य आधार माना गया है, जो (2) प्रमुख समाचार पत्रों,
(1) दैनिक भास्कर ,
(2) पत्रिका का इंदौरप्रिंट ,
(2) जिला जनसंपर्क के द्वारा जारी सूचना,
(3) नगर निगम द्वारा जारी मासिक सूचना पत्र ,
(4) नीति आयोग की राज्यों के संबंध में विभिन्न रिपोर्ट,
(5) मध्य प्रदेश सूचना विभाग द्वारा जारी माध्यम और संदेश,
(6) पूर्व में जारी संबंधित शोधपत्र,
(7) वेबसाइट जिसमें विकिपीडिया और विकासपीडिया का प्रमुख योगदान इस शोध पेपर की प्रवृत्ति हेतु खोज, मुख्य शब्दों की सहायता, साहित्य का अध्ययन एवं विभिन्न चरणों में खोज के शब्दों को परिभाषित करना, डेटाबेस का चयन करना, खोज, परिणामों का मूल्यांकन आदि सूचना, प्रौद्योगिकी का प्रयोग आदि इसमें शामिल है।

चर्चा / खोज / परिणाम – महानगर के रूप में इंदौर मध्य प्रदेश का सामाजिक एवं शिक्षा विकास का प्रमुख केंद्र बनने के पीछे इंदौर की भौगोलिक दशा और इसके संबंध घटकों का प्रमुख योगदान है। प्रथम, इंदौर सम जलवायु वाला क्षेत्र है, जहां ठंड में मध्यम ठंड, ग्रीष्म ऋतु में मध्यम गर्मी के साथ, 80 से 100 सेंटीमीटर औसतन वर्षा होती है , काली मृदा का मालवा का क्षेत्र बेहतर कृषि उपज के लिए विख्यात है। द्वितीय, जलवायु के सम और अनुकूल प्रभाव से वर्षभर सामाजिक गतिविधियां संचालित होती रहती हैं ,साथ ही शिक्षा का आदर्श माहौल यहां बना रहता है। राज्य के प्रमुख संभागों से इंदौर का जुड़ाव जो सड़क राजमार्गों, रेल मार्गो एवं वायु मार्ग से होता है, ऐसी स्थिति में परिवहन सुगमता, इसके सामाजिक संचार और इसके जुड़ाव को सहज संबंध में बदल देती है। चौथा, बेहतर अवसंरचना का विकास , महाविद्यालय , विद्यालयों, विश्वविद्यालयों की श्रखला संख्या दूसरा स्वास्थ्य सुविधाओं का बेहतर ढांचा, तीसरा, मांगलिया, पीथमपुर से कनेक्टिविटी, चौथा, सूचना प्रौद्योगिकी पार्कों की अवस्थिति , सहायक रोजगार हेतु ,कृषि उपज मंडी, बाजार प्रणाली की उन्नत दशा आदि, सामाजिक संपन्नता के सुअवसर स्पष्ट करते हैं।

उपरोक्त विवेचना, प्रथम उद्देश्य– भौगोलिक केंद्र के रूप में इंदौर सामाजिक शिक्षा विकास के रूप में स्थापित होना दिखाता है।

विद्यालय शिक्षा से विश्वविद्यालय शोध तक एवं रोजगार हेतु प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं की तैयारी का हब बन कर इंदौर उभरा है , जो (1) शासकीय नौकरियों के लिए प्रतिस्पर्धा परीक्षाओं की तैयारी हेतु इंदौर का टंट्याभील चौराहा भवरकुआं, (2) चिकित्सा एवं अभियांत्रिकी शिक्षा के प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी हेतु गीता भवन चौराहा , (3) सर्वाधिक विद्यालय एवं महाविद्यालय राज्य के इस जिले इंदौर में अवस्थित है,(4) इंदौर देश का एकमात्र जिला जहां आईआईटी और आईएम दोनों अवस्थित है, (5) एक शासकीय एवं तीन निजी चिकित्सा महाविद्यालयों की अवस्थिति एवं एक शासकीय (जीएसआईटीएस) एवं लगभग 17 अभ्यांत्रिकी महाविद्यालय का संचालन हो रहा है।

उपरोक्त चर्चा, द्वितीय उद्देश्य इंदौर महानगर में शिक्षा के विकास की संभावनाओं को दर्शाती है,अवसंरचना के साथ–साथ महानगर इंदौर का सामाजिक ताना–बाना, सौहार्द एवं प्रेम संबंधों पर गड़ा हुआ है। सुरक्षा मानदंडों पर बेहतर सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से नागरिक सुरक्षा हितार्थ लक्ष्य पर मध्य प्रदेश गृह विभाग ने 2021 में इंदौर पुलिस में पुलिस आयुक्त प्रणाली की शुरुआत की है। इसके साथ ही ,लगातार छठी बार स्वच्छता सर्वेक्षण भारत सरकार के द्वारा आयोजित सर्वेक्षण में देश में अव्वल रहा है, इंदौर निरंतर स्वच्छता वाली आदत और संस्कृति का द्योतक बन गया है।

वर्ष 2023 जनवरी में आयोजित होने वाले प्रवासी भारतीय सम्मेलन की मेजबानी इंदौर शहर कर रहा है ,जहां विश्व के सामाजिक संबंध भी इंदौर से जुड़ेंगे और जिसका उपागम हिंदी भाषा के प्रति इंदौर का स्नेह विश्व के सामने प्रकट होगा।

इस स्तर पर इंदौर सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला मध्य प्रदेश का जिला है, जहां 72758 रुपए प्रति व्यक्ति आय है, मध्य प्रदेश के सर्वाधिक साक्षर जिला इंदौर 82% अपनी साक्षरता के साथ सबसे बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता है , जहां 56 से अधिक स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों एवं एक शासकीय (एमजीएम) एवं तीन निजी स्वास्थ्य चिकित्सा महाविद्यालयों की अवस्थिति एवं शिक्षा एवं रोजगार के बेहतर विकल्प वाला मध्यप्रदेश का अग्रणी जिला है।

उपरोक्त विवेचना,तृतीय उद्देश्य–सामाजिक बदलाव एवं प्रगति में इंदौर की वर्तमान दशा स्थिति का विवरण प्रदान करती है।

निष्कर्षऔर अनुशंसा – भारत विश्व में अपनी सामाजिक समरसता समृद्धि के लिए विख्यात है, जहां अनेकता में एकता वाला समाज निवास करता है। जिसमें इंदौर महानगर इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हैं ,जहां सफलता के लिए शिक्षा और सामाजिक संतुलन अपने उत्तम अवस्था में विद्यमान है, देश के केंद्र का शहर इंदौर आज हर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुका है। यह का सकारात्मक वातावरण विद्यार्थियों के लिए ऊर्जा का काम करता है, जहां इंदौर शहर स्वच्छता के मामले में संपूर्ण देश में नंबर वन है ,यह बताता है ,कि यह देश का सबसे स्वच्छ शहर हर किसी की यहां पर एक पहचान और उसकी ओर इंदौर का प्रभाव और अपनी तरफ आकर्षित करता है। रोजगार, व्यापार,कौशल, शिक्षा का भौगोलिक केंद्र बनकर इंदौर नए कीर्तिमान रच रहा है , मध्य प्रदेश में इनोवेटिव इंदौर का समाज अपने सामाजिक सद्भावना का परिचय देते हुए, विभिन सामाजिक उत्सवों जिनमें पाटनीपुरा का दीपोत्सव, रजवाड़ा की होली गेयर, साकेत और अभिव्यक्ति का गरबा , खजराना पर ईदी और व्हाइटचर्च पर क्रिसमस का उल्लास और टंट्याभील चौराहा पर संघर्ष करता युवा अपने चहरे की चमक को इस महानगर से जोड़ देता है , इसी तरह इंदौर सामाजिक आर्थिक प्रगति के लिए शिक्षा के सेवा उपागम (अर्थव्यस्था का तृतीयक्षेत्रक) से रोजगार के अवसरों के साथ आय भी उपार्जित करता है।

इंदौर महानगर सामाजिक एवं शिक्षा विकास के भौगोलिक केंद्र के रूप में उत्तारोत्तर वृद्धि करते हुए, इसके विस्तार हेतु सुझावों एवं विमर्श में नई शिक्षा प्रसार के साथ–साथ स्वाध्याय संस्थानों की स्थापना, सुरक्षा दृष्टिकोण से मुख्य स्थलों से आंतरिक भागों तक सीसीटीवी कैमरे को लगाए जाने एवं मेट्रो परियोजना की पूर्ति में तेजी के साथ–साथ इसके विस्तार वादी क्षेत्र पर काम करने की दृष्टिकोण की आवश्कता को पाया है। साथ ही

शिक्षा विकास के लिए नए आधुनिक संस्थानों की स्थापना एवं पूर्व में स्थापित विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में आधारित कौशल विकास कार्यक्रमों के संचालन के लिए आधारभूत सुविधा एवं छात्रवृत्ति कार्यक्रमों का विस्तार एवं नए आवासीय विद्यालय महाविद्यालय की स्थापना का परामर्श प्रस्ताव का सुझाव प्रमुख है, स्थापना के साथ काम करते हुए इसके विस्तार की योजना को आगे बढ़ाने और इसे नए रूप में संतुलित विकास होने की संभावना को अपने अध्ययन मे पाने के बाद इंदौर महानगर के भौगोलिक समृद्धि के विभिन्न अनछुए क्षेत्रों, जिसमे शिल्प कला के साथ खाद्य प्रसंस्करण शिक्षा और उद्योग के विकास और आगे की राह पर काम करने वाले दृष्टिकोण के विकास को अनुभव किया गया है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. यूएनडीपी (2021) मानव विकास रिपोर्ट 2018: एक चौराहे पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोगरू सहायता एक असमान दुनिया में व्यापार और सुरक्षा। न्यूयॉर्क: यूएनडीपी।
2. यूनेस्को (2021) ईएफए ग्लोबल मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2021, जेंडर एंड एजुकेशनफॉर ऑल: द लीप टूइक्वालिटी। पेरिस: यूनेस्को।
3. नीति आयोग 2021/22 सतत धारणीय विकास लक्ष्य प्राप्ति पर रिपोर्ट।
4. यूनेस्को (2020) ईएफए वैश्विक निगरानी रिपोर्ट 2020, सभी के लिए शिक्षा, गुणवत्ता अनिवार्य।पेरिस: यूनेस्को।
5. यूएनडीपीके 17 सतत धारणीय लक्ष्य , कोपसम्मेलन 2015।
6. मार्टसिटी प्रोजेक्ट, भारत 2015 , भारत सरकार।
7. माध्यम : मध्यप्रदेश सरकार के 2022
8. नई शिक्षा नीति 2020 , भारत सरकार।
9. इंडिया ईयर बुक (भारत 2021) भारत सरकार के खंड शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पर्यावरण खंड।
10. रंगानाथ (2012). विज्ञान की दिशा में आंध्रा प्रदेश के भावी विज्ञान शिक्षक के रचनात्मक, वैज्ञानिक अभिवृत्ति और ऊँचाई का एक अध्ययन।
11. अमरीन, ए। और बर्लिनर, डी। (2002)। उच्च दांव परीक्षण, अनिश्चितता, और छात्र सीखने। शिक्षा नीति विश्लेषण अभिलेखागार, 10(18), 1-65। 18 जुलाई 2005 को से पुन:प्राप्त
12. अनवर, एस., और झेंग, एम. (2004)। में अनुसंधान और विकास और औद्योगिक उत्पादन पर सरकारी खर्च सिंगापुर। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एशियनमैनेजमेंट, 3, 53-65।
13. एश्टन, डी., ग्रीन, एफ., सुंग, जे., और जेम्स, डी. (2002)। में शिक्षा और प्रशिक्षण रणनीतियों का विकास।
14. सिंगापुर, ताइवान और दक्षिण कोरिया: कौशल निर्माण का एक विकास मॉडल। शिक्षा और कार्य जर्नल,
15. ऑबर्ट, जे.-ई., और रीफर्स, जे.-एल. (2003)। मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में ज्ञान अर्थव्यवस्थाएँ: नए की ओर विकास रणनीतियों। वाशिंगटन, डीसी: विश्व बैंक। बैरो, आर। (2000)। शिक्षा और आर्थिक विकास। पेरिस: यूनेस्को।

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XL

भारतीय जीवन बीमा निगम के व्यवसाय संवर्धन में विक्रय नियोजन, विज्ञापन तथा प्रचार की भूमिका का अध्ययन

नितेश ग्रेवाल *

* शोधार्थी (वाणिज्य) विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

विक्रय नियोजन – जीवन बीमा व्यवसाय में विक्रय नियोजन के अन्तर्गत जीवन बीमा व्यवसाय के विकास को ध्यान में रखकर उद्देश्यों तथा लक्ष्यों का निर्धारण, नीति तथा व्यूह रचना का निर्माण, विक्रय संगठन की स्थापना, विक्रय के लक्ष्यों का निर्धारण, विक्रय प्रोत्साहन तथा प्रतियोगिताओं का आयोजन, अभिप्रेरण की कार्यवाही तथा निष्पादन की समीक्षा सम्मिलित है। यह उल्लेखनीय है कि जीवन बीमा व्यवसाय का विक्रय एक ऐसा कठिन कार्य है, जिसे विक्रय संगठन में लगे हुए कार्यकर्ता तभी सफलतापूर्वक सम्पादित कर सकते है जबकि उनके समक्ष व्यवसाय के सुनिश्चित लक्ष्य हों और उन्हें हासिल करने के लिए परिश्रम करने की प्रेरणा बराबर मिलती रहे। सम्भावित ग्राहकों की तलाश से लेकर बीमा पॉलिसी निर्गमित करने की प्रक्रिया तक कार्यकर्ता को अत्यधिक लगन तथा धैर्य से कार्य करना पड़ता है, क्योंकि बीमा कराने वाला व्यक्ति केवल बीमा पॉलिसी के रूप में प्राप्त होने वाले आश्वासन के बदले नियमित रूप से प्रीमियम चुकाने के लिए प्रतिबद्ध बनाया जाता है। इसलिए जीवन बीमा व्यवसाय में वृद्धि तभी सम्भव है जबकि बीमा विक्रय करने वाला व्यक्ति निरन्तर सक्रिय रहे। उसे निरन्तर सक्रिय रखने के लिए ऐसी नीति तथा कार्य प्रणाली अपनानी पड़ती है कि वह और अधिक कार्य करने के लिए लगातार प्रेरित होता रहे। सम्भावित ग्राहकों की तलाश कर उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप पॉलिसियों का विक्रय करना निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है, जिससे नियोजन का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। विक्रय नियोजन के माध्यम से ही विक्रय लक्ष्य तथा कार्यक्रम निर्धारित किये जाते है तथा उनकी उपलब्धि के लिए प्रभावी उपाय किए जाते है। जीवन बीमा व्यवसाय के क्षेत्र में निजी जीवन बीमा कम्पनियों के प्रवेश के पश्चात् विक्रय नियोजन का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया है।

भारतीय जीवन बीमा निगम को अपना व्यवसाय बढ़ाने के लिए जीवन बीमा से सम्भावित ग्राहकों तक स्वयं ही बीमा पहुँचाने की कार्यवाही करना जरूरी है। सन् 1956 में इसकी स्थापना के पश्चात् जीवन बीमा निगम ने इस बात को ठीक से समझ लिया कि प्रत्येक बीमा योग्य व्यक्ति तक जीवन बीमा का संदेश पहुंचाने के लिए उसे नियोजित की कार्यवाही संचालित करनी पडेगी। सन् 1959 में भारतीय जीवन बीमा निगम ने विक्रय नियोजित की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए अखिल भारतीय स्तर पर व्यवसाय के मासिक लक्ष्य निश्चित करना प्रारम्भ कर दिये। उदाहरण के लिए सन् 1959 में नवीन व्यवसाय का लक्ष्य 415 करोड रूपये रखा गया था। इसकी तुलना में वास्तविक व्यवसाय 429 करोड़ रूपये का हुआ। किन्तु सन् 1963 में 1,000 करोड़ रूपये व्यवसाय का लक्ष्य रखा गया था, जबकि वास्तविक व्यवसाय केवल 703 करोड़ रूपये का ही हुआ। सन् 1961 की जनगणना के आधार पर यह अनुमान लगाया गया कि 14 करोड बीमा योग्य व्यक्तियों में से 2.50 करोड़ व्यक्तियों को बीमा विक्रय किया जा सकता है। इनमे से केवल 70 लाख लोगों के पास जीवन बीमा पॉलिसी होने का अनुमान लगाया गया था। शेष लोगों को जीवन बीमा की परिधि में लाने की दृष्टि से विक्रय प्रयास संगठित किये गये। भारतीय जीवन बीमा निगम ने मासिक लक्ष्य निश्चित करने और उनकी उपलब्धि की समीक्षा की कार्यवाही को न केवल प्रधान कार्यालय में लागू किया जाये वरन् उसे क्षेत्रीय कार्यालय, मण्डल कार्यालय शाखा तथा विकास अधिकारी के स्तर पर विकेन्द्रित किया। वर्तमान में निगम में 30 करोड़ से अधिक जीवन बीमा पॉलिसियाँ विक्रय की है।

विक्रय की व्यूह रचना – लक्ष्यों का निर्धारण हो जाने के बाद उनकी पूर्ति हेतु प्रत्येक प्रकार के बाजार के लिए पृथक व्यूह रचना तैयार की जाती है। बीमा के अधिक प्रचार और प्रसार के उद्देश्य से एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बीमा का संदेश पहुँचाने के उद्देश्य से छोटी–छोटी राशि की पॉलिसियाँ भी बनाई गई है, ताकि बीमा को समाज के हर वर्ग तक पहुँचाकर लक्ष्यों की प्राप्ति के साथ–साथ विपणन के सामाजिक उद्देश्य को भी पूरा किया जा सके। इसके लिए विशेषत: भारतीय जीवन बीमा निगम ने बन्दोबस्ती बीमा योजनाएँ, आजीवन बीमा योजनाएँ, धन वापसी योजनाएँ, अवधि बीमा योजनाएँ, पेंशन योजनाएँ एवं यूनिट लिंक्ड योजनाएँ प्रारम्भ की है।

सन् 1981–82 में भारतीय जीवन बीमा निगम के पुर्नगठन योजना का क्रियान्वयन प्रारम्भ हुआ। प्रथम चरण में इसे प्रयोग के आधार पर दिल्ली, बेंगलुरू और कुड्डपा मण्डलों में लागू किया गया। अगले वर्ष यह योजना 20 अन्य मण्डल कार्यालयों में लागू कर दी गई। तीसरे चरण में इसे शेष सभी मण्डलों में लागू कर दिया गया। इस पुर्नगठन की योजना के अन्तर्गत निष्पादन बजट तथा नियोजन की प्रणाली प्रत्येक कार्यालय स्तर पर प्रभावशाली ढंग से लागू की गई। इसे लागू करने के उद्देश्य से विपणन व्यूह रचना पर भी ध्यान दिया गया और बीमा व्यवसाय के बाजार को छ: भागों में विभाजित किया गया –

1. व्यावसायिक तथा प्रबन्धकीय समूह
2. नियमित आयवाला समूह
3. स्वरोजगार वाला समूह
4. वेतन बचत योजना वाला समूह
5. कृषि श्रमिक समूह
6. समूह एवं अधिवार्षिकी योजना का समूह

यह स्वीकार किया गया कि प्रत्येक प्रकार के बाजार समूह के लिए पृथक विपणन व्यूह रचना आवश्यक है और इनके लिए पृथक से सूचनाएँ उपलब्ध होनी चाहिए। भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रत्येक समूह के लिए अलग से विपणन दृष्टिकोण अपनाने पर ध्यान दिया और इस दृष्टि से नवीन बीमा योजनाएँ प्रस्तावित की और विक्रय संगठन का विस्तार किया।

विक्रय नीति

भारतीय जीवन बीमा निगम की विपणन नीति का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के विभिन्न व्यवसायों में लगे और विभिन्न स्त्रोंतों से आय प्राप्त करने वाले उच्च मध्यम तथा निम्न आय वाले वर्गों के अधिक से अधिक लोगों को जीवन बीमा के माध्यम से समुचित आर्थिक व्यवस्था प्रदान करना है। किन्तु इसके लिए यह आवश्यक है कि न्यूनतम सम्भव मूल्य पर सुरक्षा प्रदान करने, ग्राहक के संतुष्ट रखने, बचत को प्रोत्साहित करने, देश के आर्थिक सामाजिक परिवेश में होने वाले परिवर्तनों के अनुकूल तथा संगठन को स्थिर एवं विकासशील बनाए रखने के उद्देश्यों को ध्यान में रखा जाएगा। इस दृष्टि से यह प्रयत्न किया गया कि संगठन के प्रत्येक स्तर पर विपणन दृष्टि से महत्व दिया जाए तथा आवश्यकता पर आधारित विक्रय और नवीन बीमा समूह की तलाश पर विशेष ध्यान दिया जाए तथा ऐसे नवीन उत्पाद विकसित किए जाए जो विशिष्ट वर्गों की आवश्यकताओं को पूरा करते हो। इसके साथ ही यह भी जरूरी समझा गया कि बीमा सेवाओं के प्रभाव निश्चित कर दिए जाए और अभिकर्ताओं तथा कर्मचारियों को उनके लिए प्रतिबद्ध बनाया जाए।

सारांश में भारतीय जीवन बीमा निगम की विक्रय नीति दोनों तत्वों पर विशेष ध्यान देती है-

1. अधिक से अधिक नवीन व्यक्तियों को बीमा व्यवसाय के क्षेत्र में लाना और
2. वर्तमान बीमित व्यक्तियों को बेहतर बीमा सेवाएँ प्रदान करते हुए बीमा संगठन की उपभोक्ता केन्द्रित विक्रय नीति की छबि बनाना।

विक्रय प्रोत्साहन तथा प्रतियोगिताएँ - जीवन बीमा व्यवसाय की प्रगति में विक्रय नियोजन के साथ-साथ यह बात भी महत्व रखती है कि लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन की क्या विधि अपनायी गई है और अधिकतम लक्ष्य प्राप्त करने वालों के बीच में प्रतियोगिता की परिस्थितियाँ किस प्रकार विकसित की गई है। वास्तव में नवीन बीमा व्यवसाय के आँकडे यह प्रकट करते है कि, अभिकर्ताओं और विकास अधिकारियों ने विक्रय करने के लिए प्रयत्न किए है और उन्हें प्रयत्न करने के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम के शाखा अधिकारियों, मण्डल अधिकारियों, क्षेत्रीय अधिकारियों और केन्द्रीय कार्यालय के अधिकारियों ने कितना प्रोत्साहन दिया है। किसी एक स्तर पर प्रोत्साहन की कमी अन्तत: अभिकर्ता को शिथिल बना सकती है और बीमा व्यवसाय के विक्रय के लक्ष्य अधूरे रह जाते है। इसलिए यह कहना उचित ही होगा कि जीवन बीमा व्यवसाय में वृद्धि के आँकडे काफी हद तक विक्रय प्रोत्साहन के लिए अपनायी गई सूझबूझ और कोशिशों का परिणाम होते है। इसका आशय यह है कि जीवन बीमा स्वेच्छा से कोई ग्राहक क्रय नहीं करता और उसके लिए अभिकर्ता या विकास अधिकारी को लगातार प्रयत्न करने पड़ते है। इन प्रयत्नों में थोडी सी कमी करने पर बीमा व्यवसाय मिलने से रह जाता है। ये प्रयत्न लगातार चलते रहे इसके लिए जो उपाय किए जाते है, उन्हें मुख्यत: दो हिस्सों में विभाजित किया जा सकता है-

1. विक्रय प्रोत्साहन और
2. प्रतियोगिताएँ

विक्रय प्रोत्साहन में भारतीय जीवन बीमा निगम अनेक विधियों को अपनाता है। इन विधियों में प्रत्येक स्तर पर होने वाली चर्चा, भेंट, निरीक्षण बैठक, संगोष्ठी सभा तथा सम्मेलन को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। निगम के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष निर्देशक क्षेत्रीय प्रबंधकों से और मण्डल प्रबंधकों से मिलने के अवसर पर यह सुनिश्चित करते है कि प्रत्येक क्षेत्र तथा मण्डल अपने विक्रय लक्ष्य पूरे कर सके और विक्रय लक्ष्य पूरे होने में आने वाली कठिनाइयों का त्वरित निराकरण हो सके।

भारतीय जीवन बीमा निगम ने दो कारणों से प्रतियोगिता को विशेष महत्व दिया है। पहले तो जीवन बीमा निगम बीमा करने वाली एक मात्र संस्था नहीं है। 23 निजी जीवन बीमा कम्पनियों से उसे प्रतियोगिता करनी पड़ती है। दूसरे व्यावसायिक लक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रिया इतनी लम्बी और कठिन होती है कि व्यक्ति का शिथिल होना स्वाभाविक है। इस दृष्टि से भारतीय जीवन बीमा निगम ने प्रत्येक स्तर पर प्रतियोगिता को औपचारिक और अनौपचारिक दोनों रूपों में मान्यता दी है। भारतीय जीवन बीमा निगम ने क्षेत्रों मण्डलों शाखाओं और विकास अधिकारियों तथा अभिकर्ताओं में एक प्रतियोगिता निर्माण करने पर विशेष ध्यान दिया है।

विज्ञापन तथा प्रचार - विज्ञापन एवं प्रचार-प्रसार का कार्य केन्द्रीय कार्यालय द्वारा सम्पादित होता है। क्षेत्रीय कार्यालय तथा मण्डल कार्यालय उसमें आवश्यकतानुसार सहयोग करते है। निगम द्वारा जन सम्पर्क एवं जन प्रसार के क्रियाकलापों को अधिक व्यापक बनाने हेतु पत्र पत्रिकाओं में विज्ञापन, पोस्टर, डायरी, कैलेन्डर और अन्य विज्ञापन सामग्री दी जाती है। दीवारों पर विज्ञापन, मेलों आदि में स्टॉल भी लगाये जाते है। शाखा स्तर पर एवं विकास अधिकारी के संगठन द्वारा भी स्टॉल आदि लगाए जाते है।

विज्ञापन तथा प्रचार माध्यम - भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा अपनी विभिन्न योजनाओं के प्रचार-प्रसार के लिए विज्ञापन, पोस्टर, डायरी, कैलेन्डर और अन्य विज्ञापन सामग्री विकास अधिकारियों को तथा अभिकर्ताओं को दी जाती है। दीवारों पर विज्ञापन, मेलों आदि में भी स्टॉल लगाये जाते है। इसके अलावा निगम के विकास अधिकारी एवं अभिकर्ता जनसम्पर्क के माध्यम से लोगों को पॉलिसियों की खूबियों से अवगत कराने का प्रयास करते है।

23 निजी जीवन बीमा कम्पनियों से प्रतिस्पर्धा के चलते निगम द्वारा विज्ञापन तथा प्रचार के लिए निम्न माध्यम अपनाए जाते है -

1. दूरदर्शन
2. आकाशवाणी
3. दीवारों पर विज्ञापन
4. पेम्पलेट
5. होर्डिंग्स
6. बेनर
7. मेले एवं प्रदर्शनियों पर स्टॉल
8. जनसम्पर्क

विज्ञापन तथा प्रचार का सन्देश - भारत में भारतीय जीवन बीमा निगम के विज्ञापन तथा प्रचार तीन प्रकार की सूचनाओं पर आधारित है -

1. भारतीय जीवन बीमा निगम के संगठन तथा महत्व को प्रतिपादित करने वाले।
2. भारतीय जीवन बीमा निगम की विशिष्ट योजनाओं की जानकारी देने वाले और

3. भारतीय जीवन बीमा का सन्देश देने वाले।

विज्ञापन तथा प्रचार की प्रभावोत्पादकता – भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा किया गया विज्ञापन उत्कृष्ट, कलात्मक तथा उच्च श्रेणी का होता है। उसके विज्ञापनों का अवलोकन करने से पता चलता है कि विज्ञापन कला के उपयोग में भारतीय जीवन बीमा निगम ने प्रमाणिकता, रचनात्मकता तथा उच्च नैतिक मूल्यों की स्थापना की है। कहीं भी लालच या हल्के स्तर की व्यावसायिक दृष्टि भारतीय जीवन बीमा निगम के विज्ञापनों में नही दिखलायी पड़ती। भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रकाशन, अभिकल्पना तथा मुद्रण की दृष्टि से उत्कृष्ट स्तर के होते है। कहीं भी उनमें सरकारी विभाग या संस्था की झलक दिखलायी नही पड़ती, किन्तु यह उल्लेख करना भी आवश्यक है कि भारतीय जीवन बीमा निगम ने विज्ञापनों की उपयोगिता को समुचित रूप से अंगीकार नहीं किया है। भारतीय जीवन बीमा निगम के व्यवसाय की अपरिमित सम्भावनाओं और बीमा सन्देश को जन–जन तक पहुँचाने की आवश्यकता की तुलना में विज्ञापन तथा प्रचार पर बहुत ही कम ध्यान दिया गया है। भारतीय जीवन बीमा निगम को अपनी विज्ञापन नीति पर पुर्नविचार करना चाहिए और विज्ञापनों को बहुमुखी, सतत् तथा प्रभावशाली बनाने के लिए आवश्यक उपाय करने चाहिए।

विज्ञापनो की तुलना में प्रचार के मामले में भारतीय जीवन बीमा निगम का कार्य अधिक प्रभावशाली रहा है। समाचार पत्रों और जनसंचार माध्यमों ने भारतीय जीवन बीमा निगम की प्रगति और उपलब्धियों को पर्याप्त महत्व दिया है तथा समाचारों, टिप्पणियों, लेखों और समीक्षाओं में भारतीय जीवन बीमा निगम के कार्यों की सराहना की गई है। भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा प्रत्येक वर्ष 1 सितम्बर को स्थापना दिवस मनाया जाता है।

जीवन बीमा व्यवसाय के संवर्धन में विज्ञापन तथा प्रचार की भूमिका – कुल मिलाकर भारतीय जीवन बीमा निगम के विज्ञापन तथा प्रचार से सम्बन्धित कार्यों की सफलता इस तथ्य से देखी जा सकती है कि जीवन बीमा व्यवसाय को समाज में महत्वपूर्ण तथा सम्मानित स्थान दिया जाने लगा है। अब बहुत से लोग भारतीय जीवन बीमा निगम के कार्यालय तथा अधिकारियों से सम्पर्क स्थापित करने में किसी प्रकार का संकोच अनुभव नही करते है। राष्ट्रीयकरण से पूर्व ऐसी स्थिति नहीं थी। उस समय लोग जीवन बीमा कम्पनियों और अभिकर्ताओं से बचने का प्रयास करते थे तथा जीवन बीमा व्यवसाय में कार्यरत् लोगों के प्रति सम्मान तथा श्रद्धा की भावना नहीं थी। राष्ट्रीयकरण के पश्चात् भारतीय जीवन बीमा निगम को देश के आर्थिक विकास के लिए आवश्यक संगठन माना जाने लगा और भारतीय जीवन बीमा के प्रति लोगों के दृष्टिकोण में बदलाव भी आया। इस दृष्टि से भारतीय जीवन बीमा निगम के विज्ञापन और प्रचार को सार्थक तथा प्रभावशाली माना जा सकता है, किन्तु जीवन बीमा व्यवसाय के संवर्धन में विज्ञापन तथा प्रचार की जो भूमिका होनी चाहिए उस पर भारतीय जीवन बीमा निगम समुचित रूप से ध्यान नहीं दे पाया है। जीवन लक्ष्य, आधार स्तम्भ तथा जीवन अक्षय बीमा योजनाओं के लिए किया गया विज्ञापन व्यवसाय संवर्धन में सहायक रहा। ठीक इसी प्रकार भारतीय जीवन बीमा निगम गृह वित्त योजनाओं का विज्ञापन भी कुछ अंशों में उपयोगी रहा, इसके कारण व्यवसाय में वृद्धि हुई। ऐसे विभिन्न विज्ञापन जीवन बीमा व्यवसाय के संवर्धन के लिए सहायक तथा उत्प्रेरक होते है। मगर अन्य मामलों में विज्ञापनों की भूमिका उतनी प्रभावोत्पादक नही रही। यह कहा जा सकता है कि भारतीय जीवन बीमा निगम को अपनी विज्ञापन नीति इस प्रकार से बनानी चाहिए कि विज्ञापन भारतीय जीवन बीमा निगम की प्रतिष्ठा बढाने के साथ–साथ व्यवसाय संवर्धन में भी सहायक हो और उनके माध्यम से जीवन बीमा का संदेश सम्पूर्ण देश के कोने–कोने में फैलते हुए ग्रामीण तथा अर्द्धशहरी लोगों तक प्रभावशाली ढंग से पहुँच सके।

इन्दौर मण्डल कार्यालय में विपणन विभाग के अन्तर्गत एक जन सम्पर्क एवं प्रचार अधिकारी नियुक्त है। विपणन विभाग मेले और प्रदर्शनियों में भारतीय जीवन बीमा निगम की ओर से स्टॉल लगाने, फिल्म दिखाने तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने के कार्य करता है। प्रतिवर्ष सितम्बर में बीमा सप्ताह भी मनाया जाता है। नवीन बीमा योजनाएँ और बोनस की घोषणाओं की जानकारी भी प्रसारित की जाती है। बीमा साधना शीर्षक नामक गृह पत्रिका भी प्रकाशित की जाती है। मण्डल कार्यालय की ओर से वह स्थानीय समाचार–पत्रों में विज्ञापन भी प्रकाशित करता है, किन्तु ये विज्ञापन कार्यालयीन आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु होते है। आकाशवाणी, दूरदर्शन, फिल्मों और समाचार पत्रों में दिए जाने वाले विज्ञापनों में मण्डल कार्यालयों की कोई भूमिका नही होती है, वे केवल सुझाव भेज सकते है। किन्तु अभी तक मण्डल कार्यालय से ऐसा कोई सुझाव नहीं भेजा गया। इन्दौर मण्डल कार्यालय ने हिन्दी भाषा में कार्य करने को लोकप्रिय बनाने की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया है। हिन्दी भाषा में किए गए प्रकाशनों के अलावा औपचारिक तथा व्यावसायिक कार्य भी हिन्दी भाषा में सम्पादित हो रहा है। बीमा प्रस्ताव के प्रपत्र, समाचार तथा चेक आदि भी हिन्दी भाषा में लिखे जा रहे है।

अधिकांश बीमाधारी, अभिकर्ता, विकास अधिकारी और निगम कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम के जन सम्पर्क तथा प्रचार से पूरी तरह सन्तुष्ट नही है। वे इसे निरपेक्ष, तटस्थ तथा शिथिल मानते है। उनका मत है कि ऐसा जन सम्पर्क तथा प्रचार निगम को सम्मान तो दिला सकता है किन्तु न तो जन सामान्य को निकट लाता है और न व्यवसाय के अवसरों में वृद्धि करता है। विज्ञापन नीति पर पुर्नविचार कर इसे बहुमुखी, सतत् तथा प्रभावशाली बनाने हेतु आवश्यक उपायों की आवश्यकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची:–

1. डॉ. एम.एन. मिश्रा, 'बीमा सिद्धांत एवं व्यवहार' लोक भारती प्रकाशन, इलाहाबाद, वर्ष 2006
2. बालचन्द्र श्रीवास्तव' बीमा के तत्व' साहित्य भवन, आगरा, वर्ष 2007
3. डॉ. कामेश्वर नाथ श्रीवास्तव'भारत में सामाजिक बीमा' बिहार, हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, पटना, वर्ष 2009
4. डॉ. आर.एल. नौलखा 'बीमा के तत्व' रमेश बुक डिपो, जयपुर, वर्ष 2016

पत्रिकाएँ एवं वार्षिक प्रतिवेदन:–

1. बीमा अभिकर्ता निर्देशिका भारतीय जीवन बीमा निगम, मुम्बई
2. वार्षिक डायरी भारतीय जीवन बीमा निगम, मुम्बई
3. योगक्षेम भारतीय जीवन बीमा निगम, मुम्बई

समाचार–पत्र:–

1. बिजनेस भास्कर
2. बिजनेस स्टेण्डर्ड

वेबसाइट्स:–

1. http://www.licindia.in
2. http://www.irdai.gov.in
3. http://www.policybazaar.com

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XL

बनास नदी बेसिन (राजस्थान) का भौगोलिक परिवेश नगरीकरण के विशेष संदर्भ में

डॉ. काश्मीर कुमार भट्ट*

* सह आचार्य (भूगोल) राजकीय कन्या महाविद्यालय, भीलवाड़ा (राज.) भारत

प्रस्तावना – कुल जनसंख्या में नगरीय केन्द्रों में निवसित (नगरीय) जनसंख्या का प्रतिशत अंश नगरीकरण तथा एक समयावधि में इस अंश में हुई वृद्धि नगरीकरण की दर कहलाती है। मिश्रा व मिश्रा (1998) के अनुसार नगरीकरण चतुर्आयामी- जनांकिकीय, पारिस्थितिकीय, सामाजिक-तकनीकि एवं आर्थिक-प्रक्रिया है। विश्व इतिहास में नगर चूंकि सभ्यता के केन्द्र रहे हैं। अत: इनमें निवसित (नगरीय) जनसंख्या के विशिष्ट सामाजिक, सांस्कृतिक व आर्थिक स्तर को सुनिश्चित करने के साथ-साथ समीपस्थ ग्रामीण जनसंख्या के लिए प्रेरक का कार्य ये केन्द्र करते रहे हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से भारतवर्ष में विकसित सिन्धु-सारस्वत सभ्यता विश्व में विकसित हुई नगर सभ्यताओं में अग्रणी सिद्ध होती है और पश्चात्काल में दक्षिणी राजस्थान सहित देश के विभिन्न भागों में हुए नगरीकरण के पर्याप्त ऐतिह्य प्रमाण मिलते आये हैं।

विश्व रंगमंच पर सहस्त्रों वर्षों से जारी नगर केन्द्रों के उद्‌भव एवं उनमें आये उतार-चढ़ाव सम्बन्धी यात्रा औद्योगिक क्रान्तिकाल से पूर्व तक बहुत धीमी रही। मशीनों, नवीन तकनीकों एवं खोजों से औद्योगीकरण संभव हुआ और तब से यूरोप सहित विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में नगरीय केन्द्रों में तथा उनमें निवसित जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हुई है। विगत (बीसवीं) शताब्दी को 'नगरीकरण की शताब्दी' तथा इसके उत्तरार्द्ध (1951-2000) को 'नगरीय विस्फोट' काल के रूप में मान्य किया गया है। 'गांवों के देश' के रूप में ख्यात भारतवर्ष भी उक्त प्रक्रिया से अछूता नहीं रह सका और देश के विभिन्न भागों में नगरीकरण के स्तरों में अपेक्षाकृत उच्चता एवं दर में पर्याप्त वृद्धि दिखायी दी।

विशाल क्षेत्रफल, विराट जनसमूह, सुदीर्घ ऐतिहासिक यात्रा एवं भौगोलिक विविधताओं से युक्त भारतवर्ष के विभिन्न अंचलों में नगरीकरण के स्तर एवं प्रवृत्तियों की दृष्टि से भी विविधता पाई जाती है। इसी तथ्य को ध्यान में रखकर बनास नदी बेसिन में नगरीकरण व भौगोलिक परिवेश का अध्ययन इस शोध पत्र में किया गया है।

बनास नदी बेसिन : आधारभूत एवं नगरीय तथ्य– बनास नदी बेसिन 24°15' उत्र से 27°उत्तरी अक्षांश तथा 73°30' पूर्व से 77° पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है। बनास नदी बेसिन पूर्वी राजस्थान के अधिकांश भाग को समाहित करता है। बेसिन के क्षेत्र को राजस्थान प्रशासनिक मानचित्र से समायोजित करने से ज्ञात होता है कि बेसिन क्षेत्र में राजस्थान की 53 तहसीलें तथा 10 जिलों का अधिकांश भाग समाहित है। इसमें समस्त राजसमन्द, भीलवाड़ा एवं टोंक जिला, ब्यावर तहसील को छोड़कर समस्त अजमेर जिला, जयपुर का दक्षिणी क्षेत्र, उदयपुर व चित्तौड़गढ़ जिलों के उत्तरी क्षेत्र, सवाईमाधोपुर व दौसा का दक्षिणी तथा करौली के पश्चिमी क्षेत्र आते हैं। बेसिन क्षेत्र का क्षेत्रफल 46020 वर्ग किमी, जनसंख्या 12127788 है। क्षेत्र में 2001 के अनुसार नगरीकरण 36.82 प्रतिशत है।

शोध उद्देश्य:

1. बनास नदी बेसिन में भौगोलिक परिवेश का अध्ययन।
2. बनास नदी बेसिन में नगरीकरण का अध्ययन।

अध्ययन सामग्री :

1. शोधकार्य की पृष्ठभूमि नगरीय भूगोल सम्बन्धी ग्रन्थों व शोधकार्यों पर तथा बनास नदी बेसिन के प्राकृतिक स्वरूप का निर्धारण-विवेचन भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण, भूसर्वेक्षण व मौसम विभाग द्वारा प्रकाशित मानचित्रों व प्रतिवेदनों तथा राजस्थान के भूगोल सम्बन्धी ग्रन्थों पर आधारित है।
2. जनगणना विभाग द्वारा प्रकाशित राजस्थान के प्राथमिक जनगणना सार (1951 से 1991); राजस्थान की सामाजिक सांस्कृतिक व आर्थिक सारणियों (1961-1991); तथा अन्तरताने पर उपलब्ध राजस्थान के प्राथमिक जनगणना सार (Cesus of India, 2001 : http://www.censusindia.net) के आधार पर आर्थिक एवं जनांकिकीय पक्षोपपक्षों का विवेचन किया गया है।

विधि तंत्र : प्रत्यक्ष पर्यविक्षण एवं क्षेत्र सर्वेक्षण द्वारा प्राप्त प्राथमिक आँकड़ों तथा भारत की जनगणना, क्षेत्र के नगरनिकाय कार्यालयों से संकलित द्वितीयक आँकड़ों का परिष्कार विविध सांख्यिकीय विधियों द्वारा किया गया है।

अध्ययन क्षेत्र का संक्षिप्त परिचय : बनास नदी बेसिन 24°15' उ. से 27° उत्तरी अक्षांश तथा 73°30' पूर्व से 77° पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है। बेसिन का क्षेत्रफल 47000 वर्ग किमी है। बनास नदी बेसिन पूर्वी राजस्थान के अधिकांश भाग को समाहित करता है। बेसिन के क्षेत्र को राजस्थान प्रशासनिक मानचित्र से समायोजित करने से ज्ञात होता है कि बेसिन क्षेत्र में राजस्थान की 53 तहसीलें तथा 10 जिलों का अधिकांश भाग समाहित है। इसमें समस्त राजसमन्द, भीलवाड़ा एवं टोंक जिला, ब्यावर तहसील को छोड़कर समस्त अजमेर जिला, जयपुर का दक्षिणी क्षेत्र, उदयपुर व चित्तौड़गढ़ जिलों के उत्तरी क्षेत्र, सवाईमाधोपुर व दौसा का दक्षिणी तथा करौली के पश्चिमी क्षेत्र आते हैं।

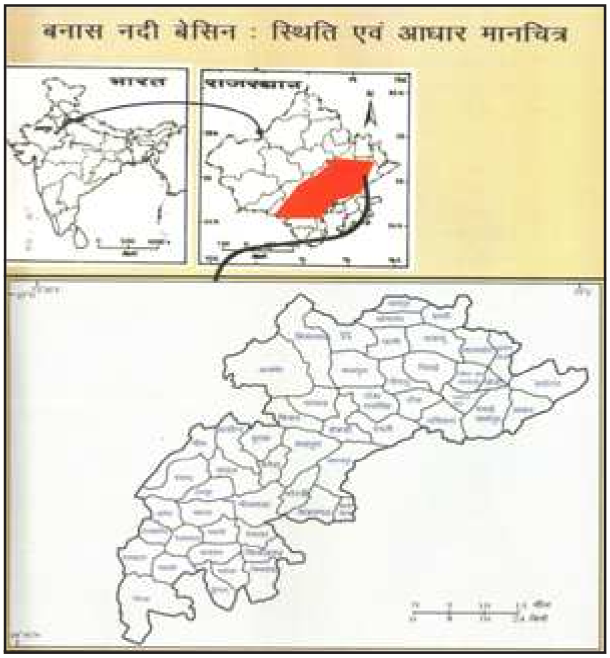

प्राकृतिक दशाएँ – भूगर्भीय संरचना की दृष्टि से क्षेत्र में विविधता दृष्टिगत होती है। दक्षिण पश्चिमी में प्रीकेम्बियन चट्टानी संरचना है तो वही उत्तर पूर्व में नवीन जलोढ़ की प्रधानता है। उच्चावच की दृष्टि से भी बेसिन में विविधता दृष्टिगोचर होती है। विश्व की सबसे प्राचीन अरावली श्रृंखला बेसिन की पश्चिमी सीमा बनाती है साथ ही ये पर्वत बनास बेसिन को पश्चिमी राजस्थान से पृथक करते हैं। सम्पूर्ण बनास बेसिन राजस्थान के दो तिहाई से अधिक पूर्वी मैदान को समाहित करता है। बेसिन की जलवायु, दशाएँ पश्चिमी राजस्थान की शुष्क एवं अर्द्धशुष्क दशाओं से अच्छी है। बेसिन में औसत वर्षा 75 सेमी है। क्षेत्र की मिट्टी मुख्यत: जलोढ़ एवं मध्यम काली प्रकार की है कहीं-कहीं लाल पीली मिट्टी सम्पूर्ण क्षेत्र को उर्वर तथा कृषि योग्य बनाती है। अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से देखे तो बनास मुख्य नदी है बेड़च, मेनाली, कोठारी मानसी ढुंढ़ तथा मोरेल इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ है। दक्षिणी भाग अपवाह तन्त्र की दृष्टि से अधिक समृद्ध है। प्राकृतिक वनस्पति की दृष्टि से यह क्षेत्र उपआर्द्र एवं अर्द्धशुष्क प्रकार की वनस्पति के अन्तर्गत आता है। मुख्य वृक्षों में टीक, पीपल, बरगद, नीम तथा बबूल प्रमुख है।

सांस्कृतिक तत्व – अनुकूल जलवायु तथा उपजाऊ मृदा के कारण कृषि इस क्षेत्र का मुख्य कार्य है। लगभग 45 प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है। परन्तु विगत 30 वर्षो में इस क्षेत्र का औद्योगिक विकास भी बहुत तीव्र गति से हुआ है। सीमेन्ट, सूती वस्त, चीनी, सीसा एवं जस्ता, रासायनिक उर्वरक, इन्जीनियरिंग, टेक्सटाईल आदि प्रमुख उद्योग है। जिनका इस क्षेत्र में तीव्र गति से विकास हुआ है। खनिज संसाधनों की दृष्टि से भी यह क्षेत्र धनी है। सीसा-जस्ता, इमारती पत्थर, अभ्रक, चूना पत्थर तथा फेल्सपार आदि खनिज यहाँ प्रचूरता से पाये जाते हैं।

यातायात एवं परिवहन की दृष्टि से बनास नदी बेसिन राजस्थान के अन्य क्षेत्रों की तुलना में अग्रणी है। दिल्ली से मुम्बई को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग 8, जयपुर से कोटा के मध्य राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 12 इस क्षेत्र से गुजरते है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना में दिल्ली से मुम्बई जाने वाला तथा पूर्व-पश्चिम गलियारे में असम को गुजरात से जोड़ने वाला फोरलेन मार्ग इस क्षेत्र में गुजरते हैं। साथ ही अनेक मेगा हाइवे तथा राज्य राजमार्ग इस क्षेत्र को अन्य क्षेत्रों से जोड़ते हैं। दिल्ली-मुम्बई विद्युतीकृत रेलमार्ग तथा दिल्ली-अहमदाबाद, दिल्ली-रतलाम, दिल्ली-उदयपुर रेलमार्ग इस क्षेत्र से होकर गुजरते हैं। जयपुर, अजमेर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर प्रमुख जंक्शन है। जयपुर उदयपुर शहर हवाई यात्रा से भी जुड़े हैं। जयपुर का सांगानेर हवाई अव अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अव बन चुका है जबकि उदयपुर का डबोक हवाई अव देश के विभिन्न भागों से जोड़ता है।

जनसांख्यिकीय संरचना – 2001

जनसंख्या – जनसंख्या के उच्च (>30000) अंश मध्यवर्ती अजमेर व भीलवाड़ा, उत्तरी जयपुर व किशनगढ़ तथा दक्षिण पश्चिमी गिरवा तहसील में दृष्टिगत होते हैं। जबकि इसके न्यून अंश अधिकांश नवगठित तहसीलों में दिखते हैं इनमें माण्डलगढ़ से अलग हुयी बिजौलिया, सवाई माधोपुर से पृथक हुयी चौथ का बरवाड़ा, सवाई माधोपुर जिले की ही नवगठित मलारना डूंगर, सहाड़ा से पृथक हुयी रायपुर के अतिरिक्त देवगढ़, डूंगला, गंगरार, राशमी तहसीलों में एक लाख से कम जनसंख्यां निवास करती हैं। शेष तहसीलों में इसके मध्यम (100000-300000) मूल्य हैं।

क्षेत्रफल – क्षेत्रफल की दृष्टि से विशालकाय (>1200 वर्ग किमी) तहसीलें उत्तरी दुदु-किशनगढ़-मालपुरा समूह, मध्यवर्ती देवली तथा उत्तर पूर्वी सपोटरा हैं। जबकि इसके निम्न मूल्य (>600 वर्ग किमी) उत्तरपूर्वी चौथ का बरवाड़ा-मलारना डूंगर युग्म दक्षिण पश्चिमी आमेट-देवगढ़-रायपुर-रेलमगरा-राशमी समूह तथा दक्षिणी डूंगला व गंगरार-चित्तौड़गढ़ युग्म के रूप में दिखते हैं। शेष तहसीलों में इसके औसत मूल्य (600-1200) मिलते हैं।

बनास नदी बेसिन : (अन्तिम पृष्ठ पर देखे)

साक्षरता – शिक्षा साक्षरता आज के समय में विकास का सबसे मुख्य घटक है। बेसिन में इसके उच्चतर (>84%) मूल्य उत्तर पश्चिमी अजमेर-केकड़ी युग्म उत्तरी जयपुर, मध्यवर्ती आसीन्द व रेलमगरा-कपासन युग्म दक्षिण पश्चिमी गिरवा व राजसमन्द तहसीलों में मिलते हैं। उच्च मूल्य मध्यवर्ती भीलवाड़ा जिले की भीलवाड़ा, कोटड़ी, माण्डलगढ़, जहाजपुर, सहाड़ा, दक्षिणी चित्तौड़गढ़ जिले की निम्बाहेड़ा, राशमी, भदेसर, डूंगला, चित्तौड़गढ़, गंगरार उत्तर मध्यवर्ती टोंक जिले की देवली, जयपुर जिले की चाकसू, सांगानेर, अजमेर की किशनगढ़ तथा सवाईमाधोपुर जिले की बामनवास तहसीलों में मिलते हैं।

औसत मूल्य (80-82) टोंक जिले की निवाई, पीपलू, टोंक, उनियाय तथा मालपुरा, भीलवाड़ा जिले की बनेड़ा, हुरड़ा, बिजौलियां, माण्डल, जयपुर की दुदु, फागी, सवाईमाधोपुर की खंडार, मलारना डूंगर, चित्तौड़गढ़ जिले की देवगढ़ तहसील में मिलते हैं। निम्न मूल्य (>80%) सवाईमाधोपुर जिले की चौथ का बरवाड़ा, सपोटरा जयपुर की बस्सी, लालसोट तथ दक्षिण पश्चिमी भीम तहसील में मिलते हैं।

लिंगानुपात – प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या अर्थात् लिंगानुपात के उच्च मूल्य (>1000) दक्षिण पश्चिम आसीन्द-भीम-देवगढ़-रेलमगरा-रायपुर- राशमी-सहाड़ा-माण्डल तहसील समूह रूपी क्षेत्र तथा इसके प्रक्षिप्त अंश के रूप में डूंगला में दिखाई देते हैं। उच्च मूल्य (950-1000) का आधिक्य भी मुख्यत: मध्यवर्ती एवं दक्षिणी क्षेत्र में दिखते हैं। निम्बाहेड़ा, राजसमन्द, सरवाड़, शाहपुरा, आमेट बनेड़ा, भदेसर, भिनाय, गंगरार, कपासन, केकड़ी, कोटड़ी, मावली, नाथद्धारा तहसीलें इसके अन्तर्गत आती हैं। औसत मूल्य (900-950) युक्त तहसीलों का प्राधन्य उत्तरी क्षेत्र में हैं।

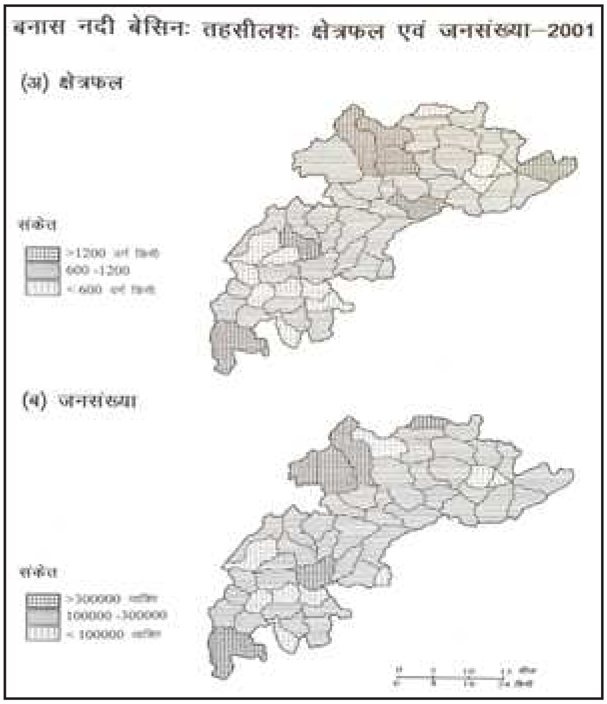

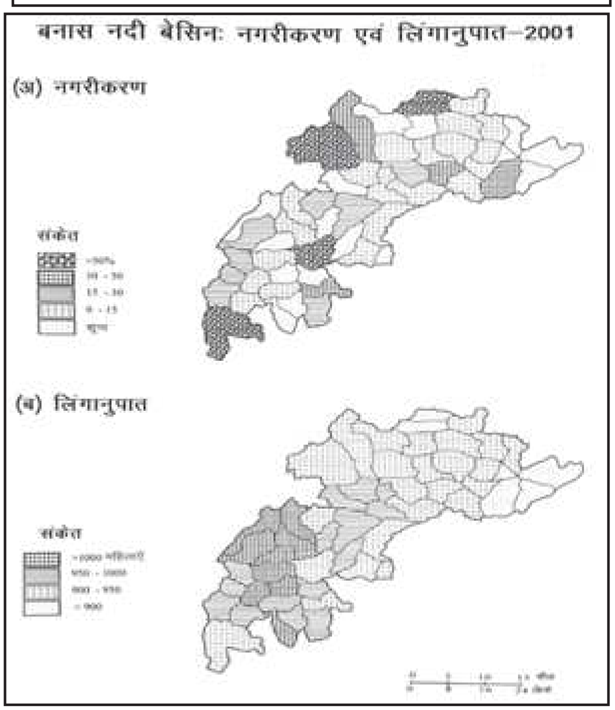

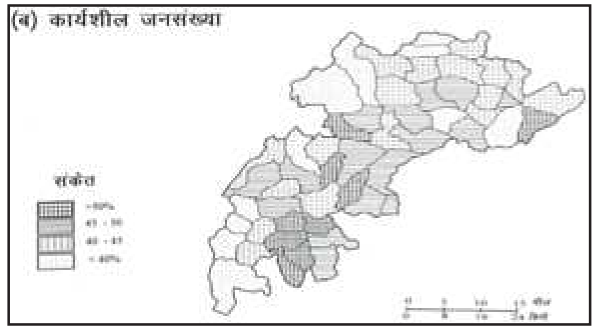

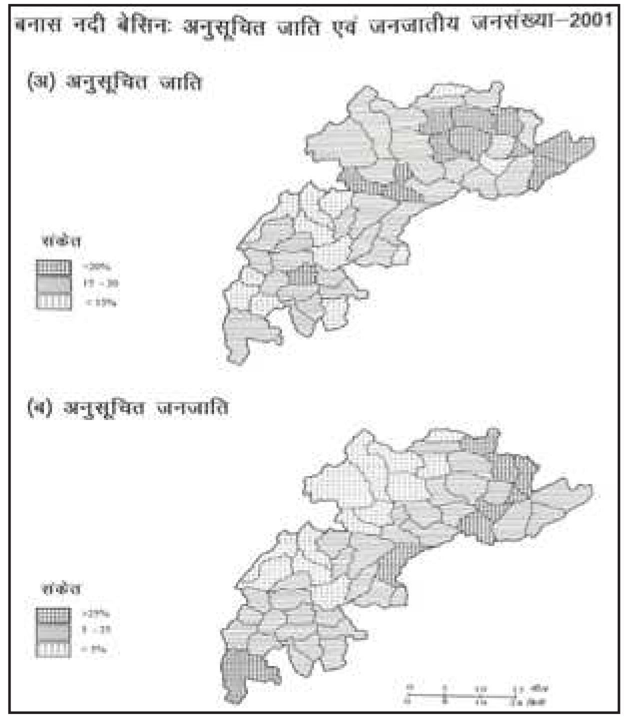

जबकि निम्न (<900) मूल्य उत्तरी जयपुर व सांगानेर उत्तर पूर्वी सवाई माधोपुर जिले की बामनवास, बोली, यंडार, सपोटरा एवं सवाई माधोपुर तहसीलों में दिखते हैं। सर्वाधिक नगरीकृत व उच्च शिक्षित जयपुर व सांगानेर में लिंगानुपात के सबसे कम मूल्य चिंताजनक स्थिती की और इंगित करते हैं और विकसित समाज की संवेदनशीलता पर भी प्रश्न चिन्ह लगाते हैं।

कार्यशील जनसंख्या – कार्यशील जनसंख्या के उच्च (>50%) अंश क्षेत्र के मध्य में स्थित बनेड़ा–कोटड़ी युग्म, दक्षिण में स्थित गंगरार–कपासन–भदेसर–डूंगला–राशमी तहसील समूह में मिलते हैं इसके प्रक्षिप्त अंश भिनाय एवं उत्तर पूर्वी खंडार तहसील में मिलते हैं।

उच्च अंश (45–50%) भीलवाड़ा जिले की बिजौलियां, जहाजपुर, माण्डल, माण्डलगढ़, सहाड़ा शाहपुरा, टोंक जिले की टोडारायसिंह, उनियारा, निवाई, पीपलू, देवली, चित्तौड़गढ़, की निम्बाहेड़ा, देवगढ़ तथा सवाई माधोपुर जिले की बोली तहसील में दिखते हैं।

औसत अंश (40–45%) का आधिक्य उत्तरी व मध्य भाग में दिखाई देता हैं। वही इसके न्यून अंश (<40%) अजमेर, आमेट, आसीन्द, गिरवा, जयपुर, किशनगढ़, नाथद्वारा, सांगानेर, सवाईमाधोपुर व टोंक तहसीलों में दृष्टिगोचर होते हैं।

अनुसूचित जाति – अनुसूचित जातीय जनसंख्या के उच्च अंश मुख्यत:

उत्तरी क्षेत्र की तहसीलों में पाये जाते हैं उत्तरी निवाई, चाकसू, फागी, मालपुरा, लालसोट, सपोटरा, खंडार, भिनाय, केकड़ी एवं दक्षिणी राशमी में इसके उच्च अंश हैं। जबकि इसके न्यून अंश मुख्यतया दक्षिणी क्षेत्र में केन्द्रित हैं। मध्य भाग में इसके औसत अंश युक्त तहसीलों का प्राधान्य हैं।

अनुसूचित जनजाति – अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या के उच्च अंश उत्तरी पूर्वी सवाईमाधोपुर जिले की बामनवास, बोली, सपोटरा, उनियारा, चौथ का बरवाड़ा, जयपुर की लालसोट, बस्सी, मध्य पूर्व में भीलवाड़ा की जहाजपुर तथा दक्षिण में उदयपुर की गिरवा तहसील में मिलते हैं। उत्तर पूर्व व मध्य पूर्व की तहसीलों में मीणा तथा दक्षिण की गिरवा में भील व गरासिया जनजाति का आधिक्य हैं। इसके औसत मूल्यों का प्राधान्य दक्षिण की तहसीलों में मिलता हैं। शेष तहसीलों में इसके न्यून मूल्य पाये जाते हैं।

भारत, राजस्थान व बेसिन क्षेत्र का तुलनात्मक अध्ययन : प्रस्तुत सारणी में 1951 से 2001 के मध्य राष्ट्रीय, प्रादेशिक नगरीकरण की तुलना बेसिन क्षेत्र से करने पर निम्न तथ्य उभरते है –

नगरीकरण के स्तर

जनगणना वर्ष	राष्ट्रीय औसत	राज्य औसत	बेसिन औसत
1951	17.2	18.5	24.7
1961	18.0	16.3	23.1
1971	19.9	17.6	26.3
1981	23.3	20.9	30.79
1991	25.7	22.9	31.11
2001	27.8	23.4	36.82

1. समस्त विश्व के नगरीकरण (>50%) की तुलना में भारत में नगरीकरण के स्तर काफी कम है।
2. भारत में नगरीकरण की तुलना में राजस्थान में नगरीकरण के स्तर और भी कम है।
3. नदी बेसिन होने के कारण कृषि कार्य की अधिकता, कृषि आधारित उद्योगों के विस्तार, मैदानी क्षेत्र होने के परिणामस्वरूप बनास नदी बेसिन में हुये विकास के कारण बेसिन में नगरीकरण के स्तर राजस्थान एवं राष्ट्रीय औसत से भी अधिक है। जो कि एक सुखद पहलु है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. भारत की जनगणना 1991 : राजस्थान –प्राथमिक जनगणना सार, II ख, जनगणना निदेशालय, जयपुर।
2. भारत की जनगणना 1991 : राजस्थान –आर्थिक सारणियाँ, III ख, जनगणना निदेशालय, जयपुर।
3. भारत की जनगणना 1991 : राजस्थान –सामाजिक एवं सांस्कृतिक सारणियाँ, IV. क–ग, जनगणना निदेशालय, जयपुर।
4. भारत की जनगणना 1991 : राजस्थान, जिला जनगणना पुस्तिका –उदयपुर, जनगणना निदेशालय, जयपुर।
5. भारत की जनगणना 1991 : राजस्थान, जिला जनगणना पुस्तिका –चित्तौड़गढ़, जनगणना निदेशालय, जयपुर।
6. भारत की जनगणना 1991 : राजस्थान, जिला जनगणना पुस्तिका –बांसवाड़ा, जनगणना निदेशालय, जयपुर।
7. भारत की जनगणना 1991 : राजस्थान, जिला जनगणना पुस्तिका –सिरोही, जनगणना निदेशालय, जयपुर।
8. भारत की जनगणना 1991 : राजस्थान, जिला जनगणना पुस्तिका –डूँगरपुर, जनगणना निदेशालय, जयपुर।
9. भारत की जनगणना 1991 : राजस्थान, जिला जनगणना पुस्तिका –टोंक, जनगणना निदेशालय, जयपुर।
10. भारत की जनगणना 1991 : राजस्थान, जिला जनगणना पुस्तिका –अजमेर, जनगणना निदेशालय, जयपुर।
11. भारत की जनगणना 1991 : राजस्थान, जिला जनगणना पुस्तिका –सवाई माधोपुर, जनगणना निदेशालय, जयपुर।
12. भारत की जनगणना 1991 : राजस्थान, जिला जनगणना पुस्तिका –भीलवाड़ा, जनगणना निदेशालय, जयपुर।
13. राजस्थान सरकार, 1993 : जिलेवार सांस्कृतिक सर्वेक्षण – सिरोही, जवाहर कला केन्द्र, जयपुर।
14. राजस्थान सरकार, 1994 : जिलेवार सांस्कृतिक सर्वेक्षण – चित्तौड़गढ़, जवाहर कला केन्द्र, जयपुर।
15. राजस्थान सरकार, 1994 : जिलेवार सांस्कृतिक सर्वेक्षण – डूंगरपुर, जवाहर कला केन्द्र, जयपुर।
16. राजस्थान सरकार, 1994 : जिलेवार सांस्कृतिक सर्वेक्षण – बांसवाड़ा, जवाहर कला केन्द्र, जयपुर।
17. राजस्थान सरकार, 1995 : जिलेवार सांस्कृतिक सर्वेक्षण – उदयपुर, जवाहर कला केन्द्र, जयपुर।
18. रिजवी, एस. एम. 2007 : सांख्यिकीय भूगोल (द्वितीय संस्करण), राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर।
19. शर्मा, हरिशंकर एवं शर्मा, एम. एल. 2004 : राजस्थान का भूगोल, पंचशील प्रकाशन, जयपुर।

बनास नदी बेसिन : आधारभूत संरचना – 2001

क्र. सं.	तहसील	क्षेत्रफल (वर्ग किमी)	जनसंख्या	लिंगानुपात	अनुसूचित जाति (प्रतिशत)	अनुसूचित जनजाति (प्रतिशत)	नगरीय जनसंख्या (प्रतिशत)	साक्षरता (प्रतिशत)	कार्यशील जनसंख्या (प्रतिशत)
1	अजमेर	904.99	689976	913	19.60	1.43	73.24	85.69	30.53
2	आमेट	522.72	104834	993	16.45	7.99	15.90	82.17	36.56
3	आसीन्द	1130.96	296469	1091	9.97	4.92	4.76	86.05	36.00
4	बामनवास	729.38	149429	882	19.08	31.75	NIL	82.23	43.43
5	बनेड़ा	680.48	106222	983	15.43	6.43	NIL	81.96	51.88
6	बस्सी	654.69	229639	910	19.17	31.46	NIL	79.79	42.01
7	बौंली	626.01	120039	897	22.04	25.49	NIL	8.63	49.88
8	बिजौलियाँ	629.17	80640	915	14.61	20.67	15.36	80.76	48.23
9	भदेसर	540.7	107393	979	16.80	7.79	NIL	83.05	57.07
10	भीलवाड़ा	964.95	444132	912	14.34	2.46	63.07	83.57	41.84
11	भीम	692.5	137578	1024	10.24	1.89	NIL	78.23	41.63
12	भिनाय	819.31	108180	963	20.12	3.71	NIL	80.56	53.98
13	चाकसू	811.77	190253	914	20.56	20.43	15.30	82.73	44.03
14	चौथ का बरवाड़ा	522.89	84153	904	18.16	22.03	NIL	72.37	42.38
15	चित्तौड़गढ	850.41	264179	943	15.64	9.34	36.42	83.62	44.31
16	देवगढ	599.01	94370	1026	18.48	4.26	17.49	80.20	47.17
17	देवली	1228.35	189297	924	19.12	19.89	10.58	82.01	46.27
18	दुदु	1338.56	174672	929	19.24	3.35	NIL	81.13	43.23
19	डूँगला	494.23	89975	1003	15.34	13.57	NIL	83.41	57.24
20	फागी	1114.34	161610	918	20.59	4.36	NIL	81.18	43.17
21	गंगरार	557.49	88640	971	18.19	6.06	NIL	82.95	51.39
22	गिरवा	1887.46	740863	923	7.48	25.79	52.57	84.49	35.92
23	हुरड़ा	616.96	115450	925	14.47	7.46	21.12	81.96	41.78
24	जहाजपुर	1083.6	186597	930	16.62	33.18	10.08	82.00	45.84
25	जयपुर	527.16	1959717	878	11.81	2.92	95.46	84.90	30.67
26	कपासन	908.25	175869	992	17.61	10.50	10.61	84.65	52.08
27	केकडी	993.38	175056	952	21.99	10.29	19.50	85.33	41.31
28	किशनगढ	1728.94	334984	927	18.55	1.19	34.69	82.18	38.37
29	खंडार	960.14	110396	867	28.14	10.04	NIL	80.81	56.25
30	कोटडी	927.89	148702	955	17.32	5.49	NIL	82.38	50.39
31	लालसोट	874.38	279619	917	20.23	37.35	10.10	78.82	42.04

32	मलारना डूगर	389.83	89794	915	13.92	26.03	NIL	80.56	43.18
33	मालपुरा	1483.88	204292	948	18.91	3.37	13-39	81.76	41.89
34	माण्डल	1206.15	197500	1033	14.47	4.72	NIL	81.69	46.47
35	माण्डलगढ	924.38	151853	940	17.83	11.50	13.28	82.39	49.83
36	मावली	829.12	213796	973	10.50	18.50	9.19	83.76	40.93
37	नाथद्वारा	797.62	209421	989	8.75	21.04	17.68	83.02	38.81
38	निम्बोडा	833.64	188718	959	14.94	10.35	28.26	83.28	49.80
39	निवाई	1030.49	203340	942	20.51	15.86	18.71	81.10	45.31
40	पीपलू	680.89	101259	942	22.62	8.91	NIL	80.94	46.48
41	रेलमगरा	559.16	113268	1016	16.61	8.79	2.50	84.41	43.80
42	रायपुर	519.33	84354	1042	15.58	6.33	NIL	82.59	44.72
43	राजसमन्द	609.56	196207	958	12.50	12.28	28.38	86.87	35.75
44	राशमी	449.25	75326	1020	21.05	5.86	NIL	83.74	57.11
45	सहाडा	650.49	115123	1048	16.87	6.06	14.83	83.27	48.19
46	सांगानेर	701.75	573171	885	17.84	8.59	77.09	83.23	33.71
47	सपोटरा	1403.65	171331	858	21.85	38.50	NIL	79.90	42.47
48	सरवाड	1034.48	131231	958	19.03	4.29	12.35	81.17	48.66
49	सवाई माधोपुर	1121.77	278641	897	19.00	22.19	38.49	82.41	39.21
50	शाहपुरा	1128.92	176747	953	18.90	8.62	15.72	81.26	47.49
51	टोडारायसिंह	985.43	131348	948	19.44	6.86	16.15	82.09	45.73
52	टोंक	783.21	238792	928	18.60	5.97	56.82	81.54	38.55
53	उनियारा	986.08	143343	918	16.53	25.68	7.56	81.12	47.56

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XL

मध्यप्रदेश सरकार के राजस्व का विश्लेषणात्मक अध्ययन

डॉ. लक्ष्मी नारायण शर्मा* तरुण गिरी **

* प्राचार्य, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मंदसौर (म.प्र.) भारत
** शोधार्थी (वाणिज्य) अध्ययनशाला विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – म.प्र. सरकार के राजस्व का विश्लेषणात्मक अध्ययन करने से ज्ञात हुआ है कि वर्ष 2019-2020 से 2021-2022 के तीन वर्षो के बजट अनुमान में कुल प्राप्तियों में 0.75 प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य रखा गया जबकि राजस्व प्राप्तियों में 8.18 प्रतिशत कमी पूंजीगत प्राप्तियों में 46.46 प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है तथा इसी प्रकार कुल व्यय में तीन वर्षो में 1.42 प्रतिशत वृद्धि, राजस्व व्यय में 3.16 प्रतिशत कमी, पूंजीगत परिव्यय में 24.50 प्रतिशत वृद्धि, विनियोग की राशि में 3.33 प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है तथा उक्त तीन वर्षो में राजस्व (आधिक्य) 12.33 गुना घाटा बढ़ने का लक्ष्य रखा गया है।

शब्द कुंजी – राजस्व, जनवित्त, सार्वजनिक वित्त, राजस्व, कर अपंवचन, अनुदान, लोकऋण, पूंजीगत परिव्यय, विनियोग।

प्रस्तावना – संस्कृत के शब्द राजस्व दो अक्षरो से बना है – राजन् + स्व जिसका अर्थ होता है राजा का धन। अंग्रेजी Public finance के शब्द का अर्थ जनवित्त या सार्वजनिक वित्त होता है तथा राजस्वशास्त्र के अंतर्गत जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली राज्य सरकार की वित्तीय व्यवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। स्पष्ट हैं कि सार्वजनिक सत्ताओं के आय-व्यय संबंधी कार्यो के अध्ययन का ही राजस्व माना गया है। इस बात की पुष्टि डॉ. डाल्टन ने अपने विचारों में की है कि 'राजस्व के अंतर्गत लोक सत्ताओं के आय-व्यय तथा उनके पारस्परिक समायोजन और समन्वय का अध्ययन किया जाता है।' श्रीमती हिवस ने भी अपने विचारों में इस बात का उल्लेख किया है कि 'राजस्व में उन पद्धतियों एवं प्रणालियों का विश्लेषण किया जाता है जिनके अनुसार शासन संस्थाएँ जनसाधारण के हितार्थ धनराशि एकत्र करके महानत्तम सुख-सुविधाओं की व्यवस्था करती है।' राजस्व को विस्तृत रूप देते हुए ओटो ईस्केस्टीन ने कहा है कि 'राजस्व अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले बजट के प्रभावों का अध्ययन है, विशेषकर जो आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति पर पडता है जैसे- विकास, स्थायितत्व, न्याय एवं कुशलता आदि।' निष्कर्ष में यह कहा जा सकता है कि राजस्व सरकार के आय एवं व्यय सम्बन्धी प्रबंध प्रशासन का एक शास्त्र है, जिसमें सार्वजनिक बजट की समस्या को प्रमुखता दी जाती है और इसके अंतर्गत विधियों एवं सिद्धांतों दोनो का एक साथ अध्ययन किया जाता है।

शोध का उद्देश्य – आज सम्पूर्ण विश्व में विकास की होड़ लगी हुई है। अविकसित राष्ट्र विकासशील राष्ट्र की श्रेणी में आना चाहते हैं तथा विकासशील राष्ट्र विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आना चाहते है। भारत भी तेजी से विकास करके विकसित राष्ट्र बनना चाहता है तथा भारत के प्रांतों में भी विकास की होड़ प्रारंभ हो चुकी है। प्रत्येक प्रांत नंबर 01 बनना चाहता है या प्रथम तीन पायदानों को प्राप्त करने के भरसक प्रयास कर रहे है। म.प्र. भी जो विगत 20 वर्षो पूर्व बीमारू राज्यों की श्रेणी में आता था जिसका वर्तमान यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में विगत् 15 वर्षों में तेजी से प्रदेश का विकास हुआ है। म.प्र. के विकास में राजस्व की महत्वपूर्ण भूमिका है। उक्त शोध पत्र में म.प्र. सरकार के राजस्वों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है एवं राजस्व में किस स्त्रोत की कितनी भूमिका एवं योगदान है तथा राजस्व का कौन सा स्त्रोत कमजोर है। म.प्र. सरकार के राजस्व में वृद्धि की दर क्या हैं तथा राजस्व बढ़ाने के क्या सुझाव हो सकते है ताकि प्रदेश का ओर तेजी से विकास हो सके एवं भारत का नंबर 01 राज्य बन सके आदि सभी का अध्ययन करना शोध का मुख्य उद्देश्य है।

शोध प्रविधि – प्रस्तुत शोध पत्र में म.प्र. सरकार के राजस्व के द्वितीयक संमकों का अध्ययन किया गया है तथा तीन वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21 तथा 2021-22 के बजट अनुमान राजस्व में कुल प्राप्तियाँ एवं कुल व्ययों का ही तुलनात्मक अध्ययन किया गया है।

शोध व्याख्या – म.प्र. सरकार के बजट अनुमान 2019-20, 2020-21 तथा 2021-22 के राजस्व में कुल प्राप्तियाँ, कुल व्यय, विनियोग एवं राजस्व आधिक्य की स्थिति तालिका क. 01, तालिका क. 02 एवं तालिका क. 03 से स्पष्ट है –

तालिका क्रं 01 (अन्तिम पृष्ठ पर देखे)

तालिका क्रं. 01 की व्याख्या इस प्रकार है :-

1) म.प्र. सरकार के बजट अनुमान में कुल प्राप्तियों में वर्ष 2019-20 से 2020-21 में 14.14 प्रतिशत की कमी रखी गई जबकि 2020-21 से 2021-22 में 17.34 प्रतिशत की वृद्धि रखी गई है।
2) बजट अनुमान की कुल प्राप्तियों की अलग-अलग मदों का अध्ययन करने से यह निष्कर्ष निकलता है केवल राजस्व प्राप्तियों में वर्ष 2019-2020 से 2020-2021 में 23.84 प्रतिशत का कम लक्ष्य रखा गया है जबकि 2020-21 से 2021-22 में 20.56 प्रतिशत राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य में वृद्धि की गई है।
3) कुल प्राप्तियों में पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत वर्ष 2019-20 से 2020-21 में 35.52 प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य बजट में रखा गया जबकि 2020-21 से 2021-22 में केवल 8.07 प्रतिशत ही वृद्धि का लक्ष्य बजट में रखा गया।

4) म.प्र. सरकार के बजट अनुमान में कुल व्ययों में वर्ष 2019-20 से 2020-21 में 14.05 प्रतिशत लक्ष्य में कमी की गई जबकि 2020-21 से 2021-22 में कुल व्ययों के लक्ष्यों में 18 प्रतिशत की वृद्धि बजट में शामिल की गई।
5) कुल व्यय के अंतर्गत राजस्व व्यय का अध्ययन करने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि वर्ष 2019-20 से 2020-21 में 13.72 प्रतिशत कम व्यय का लक्ष्य रखा गया जबकि 2020-21 से 2021-22 में राजस्व व्यय में 12.23 प्रतिशत अधिक वृद्धि की गई है।
6) कुल व्यय में पूंजीगत परिव्यय के अंतर्गत 2019-20 से 2020-21 में 15.75 प्रतिशत व्यय में कमी का लक्ष्य रखा गया है जबकि 2020-21 से 2021-22 में 47.73 प्रतिशत की अभूतपूर्व वृद्धि की गई है।
7) म.प्र. सरकार के बजट अनुमान में विनियोग राशि के अध्ययन से ज्ञात होता है वर्ष 2019-20 से 2020-21 में 12.07 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्ति में कमी की गई है जबकि 2020-21 से 2021-22 में 17.51 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्ति में वृद्धि की गई है।
8) राजस्व आधिक्य का अध्ययन करने से ज्ञात हुआ है कि वर्ष 2019-20 से 2020-21 में 24.93 गुना घाटे का लक्ष्य रखा गया है जबकि 2020-21 से 2021-22 में 52.65 प्रतिशत का घाटा कम दर्शाया गया है।

म.प्र. सरकार के राजस्व का दण्डचित्र द्वारा प्रदर्शन
(अन्तिम पृष्ठ पर देखे)
तालिका क्र. 02 (अन्तिम पृष्ठ पर देखे)

तालिका क्रं. 02 की व्याख्या इस प्रकार है :-

1) म.प्र. सरकार के राजस्व में केवल प्राप्तियों का मदवार अध्ययन करने से यह निष्कर्ष निकलता है कि कुल प्राप्तियों में वर्ष 2019-20 से 2020-21 में 14.14 प्रतिशत कम लक्ष्य रखा गया जबकि 2020-21 से 2021-22 में 17.34 प्रतिशत अधिक लक्ष्य प्राप्ति का रखा गया।
2) कुल प्राप्तियों में राज्य कर का अध्ययन करने से यह निष्कर्ष निकलता है कि वर्ष 2019-20 से 2020-21 में 25.24 प्रतिशत कम लक्ष्य रखा गया जबकि 2020-21 से 2021-22 में 33.02 प्रतिशत अधिक लक्ष्य रखा गया जो अभूतपूर्व है।
3) कुल प्राप्तियों मे केंद्रीय करों का हिस्सा के अध्ययन से यह ज्ञात हुआ है कि वर्ष 2019-20 से 2020-21 में 27.80 प्रतिशत कम लक्ष्य रखा गया जबकि 2020-21 से 2021-22 में 13.52 प्रतिशत लक्ष्य में वृद्धि की गई।
4) कुल प्राप्तियों में कर विभिन्न राजस्व में वर्ष 2019-20 से 2020-21 में 36.57 प्रतिशत लक्ष्य कम रखा गया जबकि 2020-21 से 2021-22 में 32.53 प्रतिशत लक्ष्य अधिक रखा गया है।
5) केंद्र से सहायता अनुदान का अध्ययन करने से यह निष्कर्ष निकलता है कि वर्ष 2019-20 से 2020-21 में 9.49 प्रतिशत लक्ष्य में कमी की गई जबकि 2020-21 से 2021-22 में 8.70 प्रतिशत लक्ष्य में वृद्धि की गई।
6) कुल प्राप्तियों में ऋण एवं अग्रिम की वसूली में वर्ष 2019-20 से 2020-21 में 98.44 प्रतिशत लक्ष्य कम रखा गया जबकि 2020-21 से 2021-22 में 35.70 प्रतिशत लक्ष्य में वृद्धि का प्रावधान किया गया।
7) कुल प्राप्तियों में शुद्ध लोक ऋण का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि वर्ष 2019-2020 से 2020-21 में 67.14 प्रतिशत प्राप्ति का लक्ष्य बढ़ाया गया जबकि 2020-21 से 2021-22 में केवल 5.01 प्रतिशत ही लक्ष्य प्राप्ति में वृद्धि की गई है।
8) लोक लेखों से शुद्ध प्राप्ति में वर्ष 2019-20 से 2020-21 में 92.79 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्ति में कमी का प्रावधान रखा गया जबकि 2020-21 से 2021-22 में 0.67 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्ति में वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है।

म.प्र. सरकार के राजस्व की कुल प्राप्तियों का मदवार प्रदर्शन
वृत्तचित्र क्रं. 01 (अन्तिम पृष्ठ पर देखे)
वृत्तचित्र क्रं. 02 (अन्तिम पृष्ठ पर देखे)
वृत्तचित्र क्रं. 03 (अन्तिम पृष्ठ पर देखे)
तालिका क्र. 03 (अन्तिम पृष्ठ पर देखे)

तालिका क्रं. 03 की व्याख्या इस प्रकार है :-

1) म.प्र. सरकार के बजट अनुमान में राजस्व के अंतर्गत कुल व्ययों का मदवार अध्ययन करने पर यह ज्ञात हुआ है कि वर्ष 2019-20 से 2020-21 में 14.05 प्रतिशत कम व्यय का लक्ष्य रखा गया जबकि वर्ष 2020-21 से 2021-22 की व्यय का लक्ष्य 18 प्रतिशत बढाया गया है।
2) कुल व्यय में आयोजनेत्तार व्यय में वर्ष 2019-20 से 2020-21 में 13.72 प्रतिशत कम व्यय का लक्ष्य रखा गया जबकि 2020-21 ये 2021-22 में 12.24 प्रतिशत अधिक व्यय का लक्ष्य बजट अनुमान रखा गया है।
3) कुल व्यय में आयोजना व्यय में वर्ष 2019-20 से 2020-21 में 15.72 प्रतिशत कम व्यय का लक्ष्य रखा गया जबकि वर्ष 2020-21 से 2021-22 में 47.73 प्रतिशत अभूतपूर्व वृद्धि का लक्ष्य बजट अनुमान में रखा गया है।

म.प्र. सरकार के राजस्व के कुल व्ययों का रेखाचित्र द्वारा प्रदर्शन
(अन्तिम पृष्ठ पर देखे)

शोध के निष्कर्ष एवं परिणाम - म.प्र. सरकार के वर्ष 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 के बजट अनुमानों का अध्ययन करने पर निम्न निष्कर्ष एवं परिणाम प्राप्त हुआ है :-

1) म.प्र. सरकार के राजस्व में कुल प्राप्तियो का वर्ष 2019-2020 से 2021-22 तीन वर्षो में केवल 0.75 प्रतिशत ही वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है जो कि बहुत ही कम है।
2) म.प्र. सरकार के राजस्व में कुल प्राप्तियों में अलग अलग घटकों का अध्ययन करने पर ज्ञात हुआ है कि उक्त तीन वर्षो में राजस्व प्राप्तियों में तो 8.18 प्रतिशत की कमी का लक्ष्य रखा गया है जो चिंताजनक है।
3) इसी प्रकार कुल प्राप्तियों में पूंजीगत प्राप्तियों के अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि उक्त तीन वर्षो में सर्वाधिक 46.46 प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है अर्थात बजट प्रावधान में पूंजीगत प्राप्तियों को सर्वाधिक प्राथमिकता दी है।
4) म.प्र. सरकार के राजस्व में कुल व्ययो में उक्त तीनो वर्षो में 1.42 प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है जो कुल प्राप्तियो से 0.67 प्रतिशत

अधिक है।

5) म.प्र. सरकार के राजस्व में कुल व्ययों में अलग अलग घटकों का अध्ययन करने पर ज्ञात हुआ है कि उक्त तीन वर्षो में राजस्व व्यय में 3.16 प्रतिशत की कमी जबकि पूंजीगत परिव्यय में 24.50 प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है।
6) म.प्र. सरकार के राजस्व मे विनियोग की राशि का अध्ययन करने पर ज्ञात हुआ है कि उक्त तीन वर्षो में 3.33 प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है।
7) राजस्व आधिक्य/घाटा का अध्ययन करने पर ज्ञात हुआ है कि वर्ष 2019-2020 में 732.63 करोड़ का आधिक्य था जो 2020-21 में 17514.01 करोड़ का घाटा दर्शाया गया है अर्थात 24.93 गुना घाटा बढ़ गया है। वर्ष 2021-2022 में पुन: घाटा ही दर्शाया गया है परंतजु 2020-21 की तुलना में 52.65 प्रतिशत घाटे को कम करके दर्शाया गया हैं।
8) म.प्र. सरकार के राजस्व में कुल प्राप्तियो के अंतर्गत राजस्व प्राप्तियों का एक भाग राज्य कर है। तीन वर्षो में कुल राज्य कर में 0.55 प्रतिशत की कमी का ही लक्ष्य रखा गया जो संतोषजनक नही है।
9) कुल प्राप्तियों में केंद्रीय करों का हिस्से का उक्त तीन वर्षो का अध्ययन करने से यह निष्कर्ष निकलता है कि कुल 18.20 प्रतिशत कम का लक्ष्य रखा गया जो चिंताजनक है।
10) यही स्थिति कर विभिन्न राजस्व के लक्ष्य की है। वर्ष 2019-20 से 2021-22 के तीन वर्षो का अध्ययन करने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि 15.94 प्रतिशत कम प्राप्ति का लक्ष्य बेहद चिंजातनक है।
11) केंद्र से सहायता अनुदान में भी बजट अनुदान में कोई अच्छी स्थिति नही है। उक्त तीन वर्षो में 1.61 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्ति में कमी की है जो चिंताजनक ही है।
12) कुल प्राप्तियों में लोक ऋण का अध्ययन करने पर यह ज्ञात हुआ है कि उक्त तीन वर्षो में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। 75.53 प्रतिशत लक्ष्य को बढ़ाया गया है।
13) कुल प्राप्तियो में लोक लेखों से शुद्ध प्राप्तियों का विगत तीन वर्षो का अध्ययन करने से ज्ञात हुआ है कि 92.75 प्रतिशत कम प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है जो चिंताजनक है।

सुझाव :-

1) वर्ष 2019-20 से 2020-21 में राजस्व की कुल प्राप्तियों के लक्ष्य को 14.14 प्रतिशत कम किया गया जो निराशाजनक निर्णय है। चूंकि 2019-20 के बजट अनुमान कुल प्राप्तियों का 214363 करोड़ रुपये का था जो पुनरीक्षित अनुमान 181058 करोड़ रुपये हो गया। स्पष्ट है कि 33305 करोड़ रुपये कम था जो अनुमान से 15.54 प्रतिशत कम था। अत: विस्तृत अध्ययन करके ही बजट अनुमान लगाया जाना चाहिए। प्राप्ति की तुलना में बजट अनुमान का असफल होना बताता है कि बजट को गंभीरता से नही बनाया गया है।
2) सामान्यत: प्रदेश सरकार राजस्व प्राप्ति में वृद्धि करके एवं व्ययों पर नियंत्रण करके बजट घाटे को कम करने का प्रयास करती है परंतु व्ययों को भी विकास का प्रतीक माना गया है। अत: राजस्व प्राप्तियों में लगातार एवं उत्तरोत्तर वृद्धि से व्ययों में भी वृद्धि करना संभव होगा और म.प्र. का तेजी से विकास होगा। अत: राजस्व प्राप्ति के लक्ष्य में सदैव वृद्धि बनाये रखना चाहिए।
3) विनियोग की राशि में भी और वृद्धि हो जो प्रदेश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे इस हेतु विशेष प्रयास किये जाने चाहिये।
4) राज्य करों की वसूली पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये क्योंकि कर अपवंचन लक्ष्य प्राप्ति में सबसे बड़ा बाधक है। अत: कर अपवंचन रोकने हेतु विशेष नीति की आवश्यकता है।
5) केन्द्रीय करो में हिस्सा लगातार बढ़ना चाहिये परंतु इसमें कमी इस बात की ओर संकेत कर रही है कि कर अपवंचन दोनों क्षेत्रों में है। प्रदेश सरकार एवं केंद्र सरकार दोनों के करो में अपवचन हो रहा है जिसे सख्ती से रोका जाना चाहिये। कर प्रोत्साहन हेतु केंद्र सरकार की भांति जन जागरण किया जाना चाहिए।
6) प्रदेश व देश में एक ही पार्टी की सरकारे होने के बावजूद भी केंद्र से सहायता अनुदान में कमी विशेष चिंता का कारण है। अत: इसकी समीक्षा होना चाहिये इसके कारणों को ज्ञात करके इसमें आने वाली समस्याओं को दूर किया जाना चाहिये ताकि केंद्र से अधिक से अधिक सहायता अनुदान प्राप्त हो एवं प्रदेश का विकास तेजी से हो।
7) उधार एवं अग्रिम की वसूली में लगातार गिरावट आ रही है जबकि कुल प्राप्तियों में वृद्धि में इस घटक की भी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। अत: इस मद में वृद्धि पर भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये।
8) म.प्र. सरकार द्वारा ऐसी विशेष नीति बनाई जानी चाहिये जिससे अधिक से अधिक शुद्ध लोक ऋण की प्राप्ति हो।
9) प्रदेश सरकार को देश के अन्य प्रान्तों की सरकारे के राजस्व में राजस्व प्राप्तियों के विभिन्न घटकों के अध्ययन हेतु एक विशेष दल का गठन करना चाहिये और यह ज्ञात करना चाहिये कि कौन-कौन मदों से सरकार के राजस्व में वृद्धि हो सकती है अर्थात् नये राजस्व की खोज की जाना अति आवश्यक है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. लोकवित्त सिद्धांत एवं व्यवहार - डॉ. डी. एन. गुर्टू
2. अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र एवं राजस्व - डॉ. वी.सी. सिन्हा
3. उच्च आर्थिक विश्लेषण- डॉ. पी.डी. माहेश्वरी, डॉ. शीलचंद गुप्ता
4. आर्थिक विकास के सिद्धांत - डॉ. विमलकुमार जैन, डॉ. नैनी, आर.के. जैन
5. शोध प्रणाली तथा सांख्यिकीय तकनीकें - शर्मा, जैन, पारीख
6. नवीन शोध संसार (अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिका) ISSN 2320-8767
7. दिव्य शोध समीक्षा (अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिका) ISSN 2394-3807
8. Research in Finance – A. Rahman & A. Bhojwani
9. Financial Crisis and Stability in Global Economy – M.A. Patel
10. www.finance.mp.gov.in

तालिका क्रं 01: म.प्र. सरकार के राजस्व का विश्लेषणात्मक अध्ययन

(करोड़ रुपये में)
वृद्धि (प्रतिशत में)

क्रं.	मद	बजट अनु. 2019-2020	बजट अनु. 2020-2021	बजट अनु. 2021-2022	2019-2020 से 2020-21	2020-21 से 2021-22
1	कुल प्राप्तियाँ	214363.35	184042.58	215954.25	- 14.14	+ 17.34
2	राजस्व प्राप्तियाँ	179353.75	136596.36	164677.45	- 23.84	+ 20.56
3	पूंजीगत प्राप्तियाँ	35009.60	47446.22	51276.80	+ 35.52	+ 8.07
4	कुल व्यय	214085.02	183997.06	217123.17	- 14.05	+18.00
5	राजस्व व्यय	178621.12	154110.37	172970.95	- 13.72	+ 12.23
6	पूंजीगत परिव्यय	35463.90	29886.69	44152.23	- 15.73	+ 47.73
7	विनियोग की राशि	233605.89	205397.51	241375.23	- 12.07	+ 17.51
8	राजस्व आधिक्य (2-5)	732.63	- 17514.01	- 8293.50	24.93 (गुना)	- 52.65

स्त्रोत : बजट प्रस्ताव 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22

म.प्र. सरकार के राजस्व का दण्डचित्र द्वारा प्रदर्शन

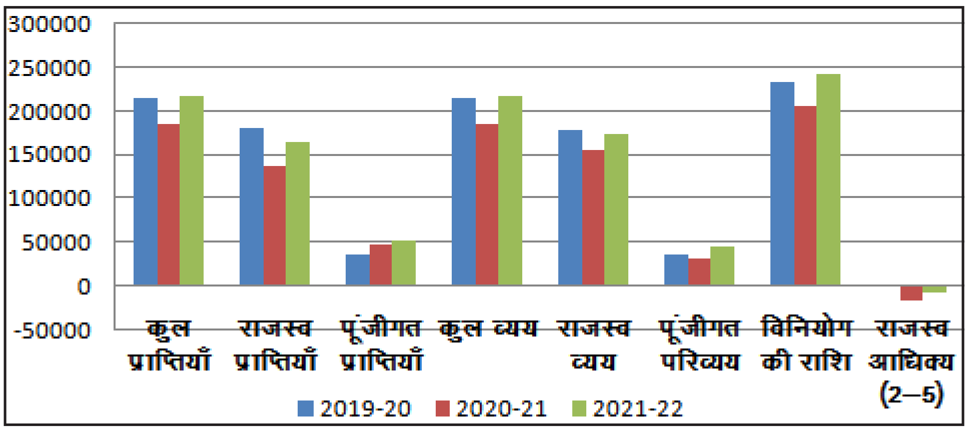

तालिका क्रं. 02: म.प्र. सरकार के राजस्व की कुल प्राप्तियों का विश्लेषणात्मक अध्ययन

(करोड़ रुपये में)
वृद्धि (प्रतिशत में)

क्रं.	मद	बजट अनु. 2019-2020	बजट अनु. 2020-2021	बजट अनु. 2021-2022	2019-2020 से 2020-21	2020-21 से 2021-22
1	कुल प्राप्तियाँ	214363.35	184042.58	215954.25	- 14.14	+ 17.34
2	राजस्व कर	65273.74	48801.05	64913.99	- 25.24	+ 33.02
3	केन्द्रीय करों का हिस्सा	63730.81	46025.00	52246.68	- 27.80	+ 13.52
4	कर विभिन्न राजस्व	13968.27	8860.26	11742.17	- 36.57	+ 32.53
5	केंद्र से सहायता अनुदान	36360.93	32910.05	35774.61	- 9.49	+ 8.70
6	ऋण एवं अग्रिम की वसूली	2625.15	41.04	1507.50	- 98.44	+ 35.76
7	शुद्ध लोक ऋण	28180.73	47101.54	49463.61	+ 67.14	+ 5.01
8	लोक लेखों से शुद्ध प्राप्तियाँ	4203.71	303.61	305.69	- 92.79	+ 0.67

स्त्रोत : बजट प्रस्ताव 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22

म.प्र. सरकार के राजस्व की कुल प्राप्तियों का मदवार प्रदर्शन

वृत्तचित्र क्रं. 01

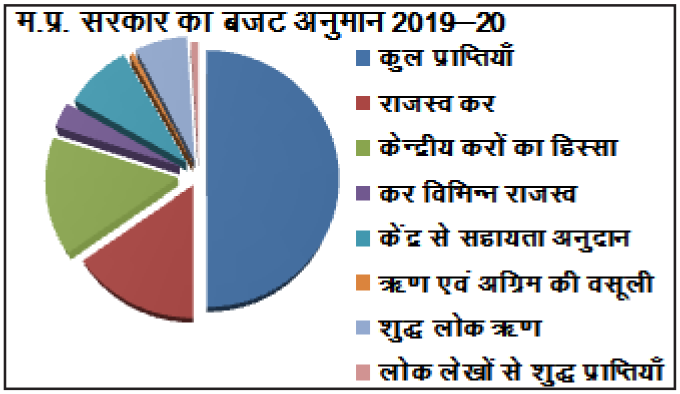

वृत्तचित्र क्रं. 02

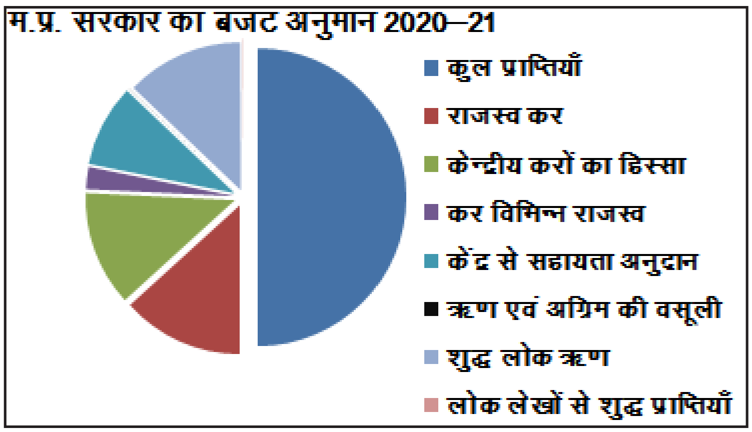

वृत्तचित्र क्रं. 03

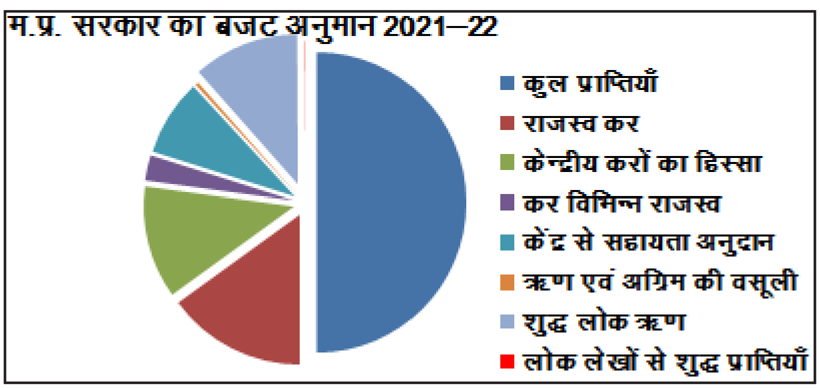

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XL

तालिका क्रं 03: म.प्र. सरकार के राजस्व के कुल व्ययों का विश्लेषणात्मक अध्ययन

(करोड़ रुपये में)
वृद्धि (प्रतिशत में)

क्रं.	मद 2019-2020	बजट अनु. 2020-2021	बजट अनु. 2021-2022	बजट अनु. 2020-21	2019-2020 से 2021-22	2020-21 से
1	कुल व्यय	214085.02	183997.06	217123.17	- 14.05	+ 18.00
2	कुल आयोजनेत्तर व्यय	178621.12	154110.37	172970.95	- 13.72	+12.24
3	कुल आयोजना व्यय	35463.90	29886.69	44152.22	- 15.72	+ 47.73

स्त्रोत : बजट प्रस्ताव 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22

म.प्र. सरकार के राजस्व के कुल व्ययों का रेखाचित्र द्वारा प्रदर्शन

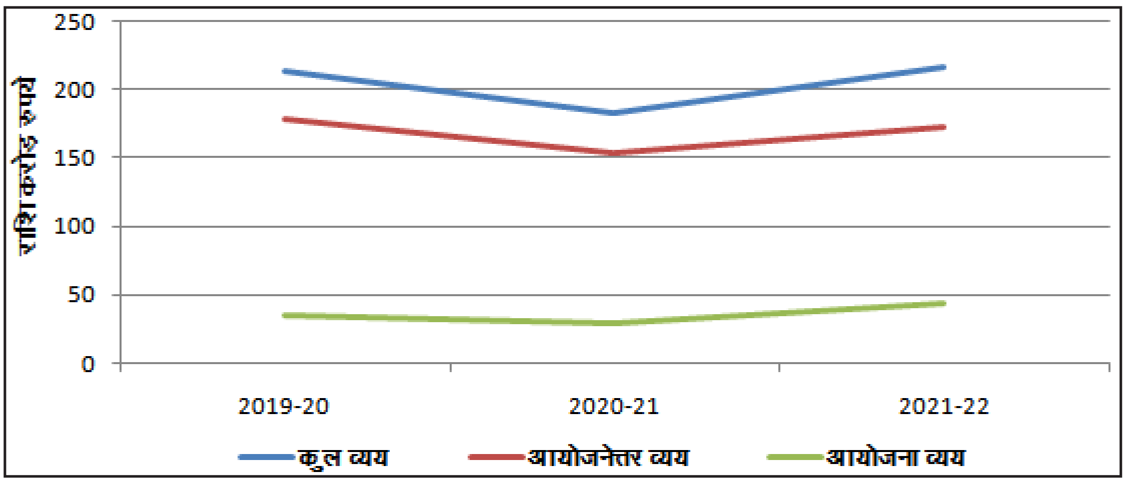

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XL

आजादी के 75 साल और भारतीय शिक्षा प्रणाली: एक अध्ययन

डॉ. आभा सैनी*

* एसोसिएट प्रोफ़ेसर एवं अध्यक्षा (राजनीति विज्ञान) जैन कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मुज़फ्फरनगर (उ.प्र.) भारत

प्रस्तावना - शिक्षा के द्वारा मनुष्य का जीवन अंकुरित और पुष्पित होता है शिक्षा मनुष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है और विवेक के मार्ग पर चलने के लिए मनुष्य को प्रेरित करती है। शिक्षा वह प्रक्रिया है जो व्यक्ति में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करती है। उसमें नैतिक सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति आस्था पैदा करती है और उन्हें जिम्मेदार नागरिक बनाकर देश के विकास में योगदान के लिए तैयार करती है।

भारत की छठी पंचवर्षीय योजना (1980 - 85) में शिक्षा के उद्देश्य और महत्व पर प्रकाश डाला गया है 'यदि व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो शिक्षा अर्थात ज्ञान अर्जन का काम जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। हर उम्र के व्यक्ति के लिए अपने बौद्धिक संसाधनों का विकास करना आवश्यक हो जाता है जन समुदाय को विकास के जो साधन उपलब्ध हैं। उनमें शिक्षा बहुत ही कारगर साधन है क्योंकि यह लोगों के चरित्र और जीवन पद्धति को बदलने का कार्य करती है। शिक्षा की व्यवस्था इस प्रकार होनी चाहिए जिसमें सभी नागरिक साक्षर हो जाए और उनकी कार्यकुशलता में विविधता आए। अपने आसपास के विश्व को समझने की आधारभूत शक्ति प्राप्त हो और दैनिक जीवन में स्थानीय परिवेश को ध्यान में रखते हुए व्यवहारिक कार्य करने की कुशलता बढ़ी है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय सरकार ने इस तथ्य को भलीभांति समझा कि शिक्षा ही समृद्धि का रास्ता है और इसीलिए उन्होंने भारतीय शिक्षा नीति पर विशेष रूप से फोकस किया। वर्ष 1951 में भारत में साक्षरता की दर 18.3% थी 2021मैं यह बढ़कर लगभग 77% हो गई।महिलाओं में यह साक्षरता की दर और भी तेजी से बढ़ी 1951 में यह 8.2% थी जो 2021 में बढ़कर 70% हो गई प्राइमरी शिक्षा के स्तर पर बालिकाओं का साक्षरता का दर बालकों से अधिक है। उच्च शिक्षा और व्यवसायिक शिक्षा के क्षेत्र में भी महाविद्यालयों की संख्या लगातार बढ़ी है।

शिक्षा के अधिकार से समग्र शिक्षा तक योजनाएं और कार्यक्रम तैयार करने में शिक्षा हमेशा सरकार के लिए प्राथमिकता का क्षेत्र रहा है। वर्तमान समय में तकनीक के जरिए भारतीय शिक्षा प्रणाली में नवाचार की राह तैयार हो रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा एक ऐसी शिक्षा नीति का प्रस्ताव तैयार किया गया है जिसमें समानता गुणवत्ता उत्तरदायित्व जैसी चुनौतियों से निपटने की बात की गई है। शिक्षकों के प्रशिक्षण को बेहतर बनाने बच्चों पर शुरू से ही ध्यान देने और परीक्षा की मौजूदा प्रणाली में सुधार करने तथा शिक्षा नियम के ढांचे के पुनर्गठन के बाद इसके अंतर्गत की गई है।

प्रारंभिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा - बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा से जुड़ा कानून (2009) 6 से 14 साल तक के सभी बच्चों को अपने पास के स्कूल में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। इसी कानून के खंड 8ब में यह कहा गया है कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि कमजोर और वंचित समूह के बच्चों के साथ भेदभाव ना हो और उन्हें किसी भी आधार पर प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने से ना रोका जाए यद्यपि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद स्कूलों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है और छात्राओं और छात्रों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। आजादी के समय में स्कूलों की संख्या लगभग डेढ़ लाख के करीब थी जो आज बढ़कर 15 लाख से ज्यादा हो गई है सरकारी क्षेत्र में और निजी क्षेत्र में भी शिक्षा का निवेश काफी है। लेकिन आज भी भारत में अधिकांश लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाना कम पसंद करते हैं और निजी स्कूलों में अधिक भेजना पसंद करते हैं।

सरकार के द्वारा प्रारंभिक स्कूली शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए और साक्षरता की दर को बढ़ाने के लिए अनेक कार्यक्रम और योजनाएं भी समय समय पर प्रारंभ की गई है। गांव-गांव तक प्राइमरी स्कूल स्थापित किए गए हैं जिसमें सरकार के द्वारा छात्रों को यूनिफॉर्म किताबें और मिड डे मील निशुल्क दिया जाता है। लड़कियों की स्कूली शिक्षा का स्तर सुधारने का प्रयास भी सरकार के द्वारा किया गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना सरकार के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाती है इसी का परिणाम है कि जहां आजादी के समय में पहली से पांचवी कक्षा तक लड़कों की अनुपात में .041 लड़कियां थी वहीं अब यह बढ़कर 1.2 हो गई है आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार किसी भी छात्र को आठवीं कक्षा तक अगली क्लास में जाने से नहीं रोका जा सकता है। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार छात्रों को मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करने की सुविधा प्रदान की गई है पांचवी कक्षा तक हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं के साथ-साथ क्षेत्रीय भाषाओं और मातृ भाषाओं में भी शिक्षा माध्यम दिया गया है।

टेन प्लस टू प्रणाली के स्थान पर 5 + 3 +3+4 को प्राथमिकता दी गई है।माध्यमिक स्तर पर शिक्षा को व्यवसायिक शिक्षा से भी जोड़ा गया है जिससे कि छात्र पढ़ाई के साथ साथ अपने रोजगार को भी अपना सके और ना केवल अपना कौशल विकसित करें बल्कि अपनी आय के साधन को भी निश्चिंत कर सकें।

1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से शिक्षा को बेहतर बनाने के उद्देश्य से केंद्रीय स्तर पर एनसीईआरटी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद और राज्य स्तर पर भी एससीईआरटी राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना की गई। यह संस्थाएं शैक्षिक नीतियों को निर्धारित करने चाहे वह केंद्र सरकार हो अथवा राज्य स्तर पर

पाठ्यक्रम, मूल्यांकन पद्धति और शैक्षणिक गतिविधियों से संबंधित प्रस्तावों को प्रस्तुत करतेहैं।

वर्तमान समय में शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है इसीलिए केंद्र और राज्य दोनों में इस क्षेत्र के लिए कार्य करने हेतु स्वतंत्र हैं। सीबीएससी बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड एनआईओएस जैसी संस्थाएं भी इस स्तर पर कार्यरत है। भारत में आवासीय स्कूल भी है जिसमें नवोदय विद्यालय कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय संबंधित है। लेकिन उन की शुल्क संरचना भी अधिक होने के कारण उच्च वर्ग के लोग ही उसमें शिक्षा हासिल करते हैं। भारत की शिक्षा प्रणाली अत्यंत जटिल है 19वीं सदी में लॉर्ड मैकाले द्वारा शिक्षा प्रणाली लागू करने से पूर्व भारत में गुरुकुल पद्धति प्रचलित थी।

उच्च शिक्षा – उच्च शिक्षा देश के विकास के निर्माण में योगदान देने वाले नव युवकों को तैयार करते हैं और यह अनुसंधान और विकास के क्षेत्र को भी बढ़ावा देती है। आजादी के समय में केवल देश में 20 विश्वविद्यालय थे लेकिन अब यह बढ़कर 1043 हो गए हैं। इसी प्रकार महाविद्यालयों की संख्या में भी वृद्धि हुई है मेडिकल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेजों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है लेकिन शिक्षा के स्तर पर भी सरकार ने मात्रा में ज्यादा और गुणवत्ता पर कम ध्यान दिया है। वर्तमान समय में हम एक ऐसे युग में हैं जिसमें विश्वव्यापी करण पर जोर दिया गया है और इसी कारण से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी सरकार को वैश्विक चुनौतियों से सामंजस्य स्थापित करते हुए।इस क्षेत्र को समृद्ध बनाना होगा तकनीकी युग में सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपनाया है और नवाचार के इस प्रणाली को शिक्षा के क्षेत्र को विकसित करने में प्रयोग किया जा रहा है।

जहां प्राचीन समय में नालंदा विश्वविद्यालय में विश्व में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अपना एक स्थान रखता था। उसी प्रकार से भारत के भारतीय मैनेजमेंट संस्थान आईआईएम और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी विश्व में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सरकार के द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई जो उच्च शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में लगातार प्रयासरत है।

भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा गुजरात में अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से12 मार्च 2021 को आजादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत की आजादी के 75 साल के 75 हफ्तेपहले शुरू हुआ। यह कार्यक्रम 15 अगस्त 2023 को संपन्न होगा यह हमें 75 वर्षों की स्थिति का मूल्यांकन करने का विचार प्रस्तुत करता है कि शैक्षणिक क्षेत्र में किस प्रकार से भारत में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की है। लेकिन बदलते परिवेश में और तकनीकी युग में भारत को विश्व के अन्य राष्ट्रों के साथ सामंजस्य स्थापित करना होगा।

भारत की शैक्षणिक नीति इस प्रकार की होनी चाहिए कि उसमें सभी को शिक्षा प्राप्त करने में समान अवसर मिल सके और राष्ट्रीय एकता, धर्मनिरपेक्षता, प्रजातंत्र और श्रम की प्रतिष्ठा के प्रति विश्वास पैदा हो सके नव युवकों में चिंतन की प्रक्रिया को विकसित किया जा सके। जिससे कि राष्ट्रीय विकास की प्रक्रिया में उनका सहयोग प्राप्त किया जा सके। शिक्षा नीति में गतिशीलता और विविधता आवश्यक है और विभिन्न क्षेत्रों एवं अधिकारियों के संसाधनों और कार्यक्रमों में सामंजस्य भी अनिवार्य है। भारत में शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं आदिवासियों समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए विशेष प्रयत्न करने की आवश्यकता है। मानवीय दृष्टिकोण विकसित करने के लिए शिक्षा नीति पर पुन् ध्यान देने की आवश्यकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. प्रसाद चंद्रदेव, 'गांधी दर्शन', अटलांटिक पब्लिशर्स एंड डिसटीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली, 2014.
2. https://hindi.asianetnews.com/career
3. https://www.education.gov.in/azadi/

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XL

Harmful Effects of Preservatives

Dr. Rajesh Masatkar*

***Govt. Degree College, Nainpur, Distt. Mandla (M.P.) INDIA**

Abstract - As the name suggests, preservatives are used to preserve food items. These preservative help in increasing the self-life of food items and also maintain the flavor of food for a long time. However, all preservatives used in food items are not bad for health. Natural preservatives, which are used to preserve food 'as is' are not harmful to our health. The reason is they are not mixed with synthetic items and the chemical composition is not altered. Artificial or Chemical preservatives which are used to delay the contamination of foods are the ones that lead to health problems. These preservatives are artificially produced and synthetic in nature. These are often labelled as additives on food labels.
Keywords – Antioxidants, Detoxify, Antibiotic. Preservatives.

Introduction - The levels of food contamination have reached an all-new level. To preserve the taste, freshness, and color of the foods, even fresh and vegetables are loaded with chemicals and preservatives. Taking into consideration the increased use of chemicals and preservatives, it is extremely important to avoid junk food. However, when it comes to fresh fruits and vegetables, it is impossible to avoid them considering their dietary significance. This is the reason why it is extremely important to wash fruits and vegetables in the right way using a vegetable and fruit cleaner. To help you understand the side effects of preservatives, in this paper we discuss the diseases caused by excessive use of preservatives.

Objectives – The main objectives are as given below.

1. To clean and detoxify individuals' body naturally.
2. To save the individuals from digestive dysfunction.
3. To make the people of the country healthy, strong and provide natural look on their body.
4. To make the people of the country useful in the development of our nation.
5. To increases the economical status of the people.
6. To minimizes the intake of medicines.
7. To reduces the cost of treatment at zero level.
8. To saves the time of people from unnecessary treatments.
9. To improve the immunity of the individuals.

Methodology – To find the harmful effect of preservatives, I observed labelling of food packaging.

Types of Preservatives:

1. Natural Preservatives- There are some preservatives that don't use any chemicals to alter the composition or are not mixed with any synthetic items.

2. Artificial Preservatives- These preservatives are artificially produced and also synthetic in nature.

Harmful effects of Preservatives

Heart Diseases– cardiovascular diseases have become quite common and the presence of preservative on food items is one of the man causes of increasing heart problems. Research conducted by inChem suggested that food preservatives can weaken the heart tissues. When you consume food items that have a residue of the preservative on the surface it can increase the chance of heart damage.

Breathing Problems– Preservatives and chemicals present in food items also increase the chances of breathing problems. According to research by MayoClinic, removing foods with preservatives from the diet can help in reducing the symptoms as well as the severity of breathing problems and asthma. Some of the preservatives present in food items such as aspartame, sulfites, and benzoates aggravate breathing problems

Cancer – One of the most harmful effects of preservatives on food items is their ability to transforms into carcinogen agents, some of the food items consist of nitrosamines, a preservative that has nitrites and nitrates, which mix with the gastric acids and form cancer-causing agents. To ensure that you avoid eating this preservative you need to avoid snacks or meals that are loaded with nitrites and nitrates.

Tetracycline- it is widely used antibiotic as feed additive or in therapeutic. The tetracyclines are absorbed from the gastro intestinal tract and bind in teeth and skeletal structures and inhibit their growth. The teeth may discolor and hypoplasia of deciduous and permanent teeth are seen.

Food Dyes – Food dyes usage has been regulated by every country, and there are some dyes that are prohibited to use in food and many foods product, especially in small scale manufacturing who use these banned dye materials. The prohibited dyes are harmful to health, such as dye for textiles or paints. This is due to textile dye or paint generally have a brighter color, more stable during storage and the price is cheaper and food producers do not know and realize the dangers of these dyes.

Some of the forbidden and dangerous dyes that are commonly found in food, especially in snacks, are yellow methanil and red Rhodamin B. The yellow and red dye is often used in various kinds of food such as syrup, pastries, jelly, tofu and others. Both of these dyes have been shown to cause cancer whose symptoms cannot be seen immediately after consuming. It is therefore prohibited to be used in food even in small quantities.

Artificial Sweeteners – In the food industry, there are two types of sweeteners. The first one is nutritive Sweetener; it is a sugar or organic carbohydrates compound that contain nutrients to produce a number of calories. This nutritive sweetener consists of natural nutritive sweeteners that are derived from plants and animals such as sugar cane, beet sugar, fructose, glucose, sorbitol, maltose and lactose as well as nutritive sweetener that is derived form synthetic compounds such as aspartame, where aspartame has a sweetness level 200 times the sweetness of sucrose. This type of sweetener consists of amino acids and is very sensitive to high heating widely used for sweetener soft drinks products, especially for diets and safe for diabetics

The second one is non-nutritive sweeteners that are sweetener that contain little or no calories at all. These sweeteners come from plants, proteins and from the synthesis of some chemical reactions such as cyclamate and saccharin. Saccharin has a sweetness level of 200-700 times the level of sugar sweetness and has an “After taste” Which left behind a bitter taste after the sweet taste passed, while the level of cyclamate sweetness is only about 30-80 times the sugar and has no after taste.

The other artificial sweetener is Na salt- and Ca cyclamate with a sweetness of 30x sucrose and is used as a sweetener. In the United States its use has been banned due to tis carcinogens properties. The cyclamate metabolism, cyclohexamine, is a carcinogenic compound. This compound discharges through urine and can stimulate bladder tumors in mice. However, repeated tests on several rats and hamsters showed negatives results.

Discussion– Preservatives are commonly used to preserve food that is susceptible to damage. This substance is an ingredient that is added to the diet to prevent or inhibit the growth of fungi, bacteria, or microorganisms thus, the process of fermentation (decomposition), acidification due to microorganism activity can be prevented so that the self-life is relatively longer.

Antibiotics are substances produced from a microbial, especially mushrooms that serve as a microbial eradication but since 1966 banned from use because it can cause immunity with other effects of allergic reactions and poisoning to the user.

Findings :

1. High amount of preservative causes many diseases.
2. Excess number of antibiotic causes allergic reaction in human beings.

Suggestion :

1. Avoid junk food.
2. Avoid excess sugar and salt.
3. Avoid packed food.
4. Use fresh fruits and vegetables.

Conclusion – It is old says that “Health is Wealth”. If health is well then, all things is in our hand. But being author of this paper, I want to expose harmful effect of preservative in front of you. Those were some of the harmful effects of preservatives on our health. Considering these harmful effects, it is advisable to pay special attention to what you eat. Avoid junk as much as possible and make sure you wash the fruits and vegetable with care. Instead of washing the food items with plain water, you can use the vegetable and fruit cleaner, which helps in removing chemicals and pesticides from the surface of the food.

References :–

1. Harmful Effects of Preservatives on your Health (kent.co.in)
2. 10 Harmful Preservatives and Additives to Avoid (karenthrelkelnd.com)
3. Harmful Effects of Food Preservatives | Pharmacology (biologydiscussion.com)
4. 11 List of Food Preservatives - Types and Examples - AZ Chemistry

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XL

The Raj and The Praja: Saga of Distances and Influences

Dr. Amita Sonker*

***Asst. Professor, Department of Western History, University of Lucknow, Lucknow (U.P.) INDIA**

Abstract - The British imperial power ruled over India for almost two centuries. The people of both the nations, Britain and India thus came in close contact with each other. Although it was a relation between the ruler and the ruled but going through the annals of history this has been a proven fact that the people of different races, nationalities and from different civilizations had more or less influenced each other at various point of time. The long duration of the British rule in India also impacted and influenced both the nations and their people. British being the ruling power in India, no doubt held the feeling of superiority while the Indians subdued by them, held them in high spirit. In later period of time, the Indian nationalist ideas helped Indian people to overcome the thought of inferiority of India. As British remained in India for a major period of time, hence the culture, society and customs of each other impacted and influenced both the parties. The degree of accepting the others way of life and beliefs were significant on the part of Indians but there were examples that the Indian aspects, though very minimal, entered in the spheres of British people inhabiting India. This research paper will discuss the influence of British culture, society and life style on India, the Indian impact on the British people living in India or as they were called, the Anglo-Indians and finally assessing the real impact of these influences, positive or negative created by British and Indian people on each other.
Keywords- Influence, Native Rulers, Superiority, Inferior, Racial Supremacy.

Introduction - The British entered in India as the traders in the seventeenth century. Their contact with the people of India thus goes back up to that time. Gradually the British Colonial power enhanced its arena as it turned out to be the ruler and administrator of India. 'The British East India Company, obtained the charter from the government of England for trading in India and later the British East India Company became the real master of India.'[1] This opened a new chapter in all the aspects for India. India held a history of external invasions on its soil at various point of time. The Sultanate period and later on the establishment of the rule of the Mughals in India, also had the element of foreign powers settling on the soil of India. Apparently, both these powers made India their place and the element of being a foreign power sidelined. Subsequently, people of both the sides co-inhabited with each other peacefully and accepted it. Coming from the different set of culture, religion, values and administration never created major problem because their settlement in India was based on acceptance of each other and the influences both of them created on each other.

The experience with the British power in terms of understanding and accepting each other stands on a different turf which India had earlier experienced. The first and the foremost difference with the British rule was that it had its base in Britain.[2] The British rulers or the people sent by the British East India Company and later by the British government to administer India remained foreigners to the soil of India. While discussing and analysing the factor that how much British and Indian people impacted and influenced each other, one has to decipher the equation of the relationship between the two.

The British Imperial power conquered and dominated India through various means in which the technological superiority of the British was one of the reasons. Besides, British power always considered the Orientals as backwards and thus inferior to them on basis of racial supremacy. 'The British always boasted to have a sophisticated culture and values of high degree in their society while they declared Indians as untrustworthy, deceitful and greedy with lowest degree of morality and values. On the other hand, majority of Indians also considered the British as ruthless, manipulators and power grabbers.'[3] Here one has to take in account the fact that despite the negative ideas for each other, one section on each side was not that much critical about the other. The apprehensions on both the sides had their basis. But this was also a fact that residing with each other had brought them closer which more or less made an impact on their respective thinking, lives, culture, customs and habits.

As discussed earlier that the Britishers held themselves in high spirit in comparison to Indians was in fact accepted by a section of Indians also. In this category comes the Native rulers and the people who got English education in the earliest times. These were the pioneers in exhibiting

the influence of the British on their lives, culture and society. The Native rulers who surrendered their absolute power to the British Colonial regime in the lieu of protection from them, became their ardent followers.[4] The lifestyle of the Indian Princes which was already full of pomp and show, got elaborated by the influence of the foreign masters. The dressing of the Indian Maharajas took inspiration from their British counterparts. 'The display of the medals and the badges on their uniform which was inspired from the British in fact made them sometimes the cause of mockery in the eyes of the British arrogance.' [5]

The native rulers were considerably influenced by the British people and culture. They made frequent visits not only to Britain but to the other European nations also to have the knowledge of the ongoing developments in the sphere of culture and technology which they could use for themselves and be at par with the British rulers. The lives of Indian Princes was quite fascinated with the British impression. Many of the native rulers were educated either at the educational institutes established by the British or Europeans or established by the Indians on the inspiration they derived from the foreign power. 'Mayo College of Ajmer or the Doon School of Dehradun were held in high prestige in providing the education which could transform a future native ruler studying as a prince there adequate to be an example of Westernised Indian ruler. Interestingly some of the native rulers like the Prince of Dhrangadhara, (later on) His Highness Mayurdhwajsinhji was sent to the Haileybury, England, on the reasoning that if these Indian institutions were the imitation of the schools of England then why would the prince be sent to the imitation than to the original one?'[6] Thus on this theory many of the native princes went to England for their education.

Besides being educated on the Western line, the Indian princes, influenced by the British society and culture adopted many things in various aspects of their lives and surroundings. The native princes got influenced by the architecture of the western style. Although, 'the British administrators in India were of the opinion and encouraged the construction of Indo-Saracenic architecture which was, according to them, more appropriate for the Indian palaces and buildings of public use. But the native princes had different vision. Whereas some of the Indian princes abided by the suggestion of the British administrators, the other ones decided on their will. The Maharaja of Jaipur, Ram Singh and Madho Singh did not follow the Indo-Saracenic architecture in the City Palace. Likewise, the ruler of Gwalior used the Doric and Corinthian columns and Palladian windows in the construction of Jai Vilas Palace, which were all related with the European style of architecture. The Maharaja adorned the Durbar Hall with a huge glass chandelier on the line of the European decorations.'[7] Thus the impact of the British style could be evidently seen on the culture prevailing in the Indian states during the rule of the British colonial power.

Apart from the native Indian rulers, a section of Indian people who got the opportunity to study under the British educational system which was set up by the British Colonial power to produce and prepare Indian people for their work, became their ardent follower. This category of the indigenous people became highly influenced with the society, culture and customs of the English people. 'Guru Rabindranath Tagore had also admitted that he as an adolescent was very much influenced with the 'Spirit of Europe'. People like Dirozio, a Professor at Hindu college were influenced by the English literature. He wrote poems in English. Apparently Dirozio was not only fascinated with the English literature but was interested in the religious and social ideas of the British also. He thus advocated the use of logic in the social life and traditions of India.' [8]

Not only Dirozio, 'sub-surgeon Kanny Lal Dey was also of the opinion that in some aspects of daily life, the Indians should follow the British way of life. Dey had given a speech at the Bengal Branch of the British Medical association on the miserable health condition of the Bengali women. He had pointed out at the construction and the set up of the Hindu houses deprived the womenfolks of the family of fresh air and the sunlight. He cited that the women resided in the inner court of the house which made these necessities inaccessible to them.' [9] Thus the issue of the health of Indian women was addressed due to the influence of the British life style and family system. Some English educated people even transformed their system of family. In India, at that particular period the system of joint family system was prevailing. 'With the effect of the British families residing in India which were nuclear in nature, some Indians also established their household on these lines. An English lady had written about meeting this kind of families at Calcutta.'[10]

One aspect of the contact between the ruling race, British and the dominated race, Indian was the Inter racial or the mixed race marriages. These kind of marriages where the white man married a Indian woman was quite common in the earlier colonial period which diminished by the beginning of the nineteenth century. The reason for fading of this concept was no doubt the racial superiority of the British which with the strengthening of their power made the Oriental people much lesser than them. The offsprings of these marriages were accepted in the Indian society but the families of the white man rarely confirmed these relations. Although some of the British people working in India, conveniently married boys and girls of these families as these kind of mixed race marriages mostly took place in the higher strata of the Indian society. Thus owing to the superior position of the family in the native society, their offsprings got their European matches.[11] But gradually these kind of relations became a rarity.

Although there is no doubt that the British culture dazzled the educated Indian class up to some extent and made an impact for the changes to be made in the Indian society but the British in totality remained unaffected from the Indian influence is not true. Firstly, 'British had to learn the language of the place to establish their sway, which

they did. Here the language in question is not the official one but the day to day usage of the Indian words which the English people did.'[12] 'The dialect used by the Anglo-Indians was totally distinct as these words were not familiar to an English citizen of Britain. They adopted various Persian and Urdu words like *palankeen*, *hookah, chaprasee*, *ayah, punkha*, *Bandobast*, which a British person who never lived in India was unfamiliar. Interestingly, the pronunciation of the words *Nabobs, Charpoy, Lol Shorob* were the result of the influence of the Bengali language with which the English first came in contact.'[13]

Inhabiting with Indians brought them closer, especially the people in the administration, with Indian food and drinks. 'Tea or *chai* was introduced to British people in India. The British were unknown to Tea up to 1638. Once they tasted tea, they liked it this much that it became a favourite beverage of them. Although the habit of drinking tea which spread at large level in Indians are attributed to the use of tea by the British in India. *Pulao*, made of boiled rice or the *lal sharab* liquor made in India which was cheap in comparison to the European liquor'[14] though not made a big place but maintained significant place among the British residents of India.

Another example is though not related with the Indian influence on British residing in India but had been cited by an American as similarity with Indian people of English people living in India. He had mentioned about the attire of the English people while living in India. 'The English women were using the silk fabric and satin hats as it was their custom to dress elegantly but the American had pointed out that the English who were critics of Indians on the matter of following their customs blindly, were doing the same thing in terms of dressing.' [15] The climate of India was not appropriate for those fabrics but due to their custom of considering only those fabrics suitable to present their high status, they used it.

Although the English women residing in India wore their traditional attire but some of them were very much impressed with the attire of the Indian womenfolk. Fanny Parks, an English lady, perceived the *sari* as 'a remarkably graceful dress' while she described the attire of the Muslim women – *Kurti, Pajamas* and *Dupatta* as 'the poetry in motion and 'the most becoming attire imaginable.'[16] She found the attire of Indian women more comfortable and feminine in comparison to their European counterparts who were being dressed in the attires which made their body stiff. 'The English men and women sometimes praised the distinct beauty of the native Indian people which reflects as a result of co-habiting.'[17] Human race could not always negate the fine qualities of the other humans with whom they are sharing their lives with. The true and natural feelings were sometimes expressed by some of the British people about the Indians.

Conclusion: The history of India has a vast record of foreign invaders and settlers. From ancient times to the coming of the European power, British in India, the chain continued. People of different religion and culture influences each other in one way or other while residing together. The influence of British culture and ideas could be easily seen on the people of India who in the earlier times were very much influenced by them. Indians, who got impacted with the British influence, could be divided in two categories - Native rulers and the educated ones. The common people of India were not influenced by them as they did not have direct contact with them. Imitating the British lifestyle somehow was the reflection of the thinking of associating oneself with the ruling power. British held the racial supremacy whereas by following in their footsteps, the elite and the educated Indians tried to pose themselves as equivalent to the British power. On the other hand, staying in India and avoiding the influence of the Indian culture proved impossible for British people also. British, if not in great terms but still got impressions of Indian culture and life style on their daily lives. The indigenous Indian food, drinks and language made their way into the daily lives of the Anglo-Indians. Though having firm belief in their racial supremacy, the British tried hard to resist the impact of the Indian culture and life on them but could not got successful in wholly avoiding it. Hence the *Raj* and the *Praja* more or less made a mark on each other by influencing each other culturally and socially.

References: -

1. Reynolds, Reginald; The White Sahibs in India, Martin Secker and the Warburg Ltd., London, 1937, p.-4
2. Low, Sir Sidney; The Indian States and Ruling Princes, Ernest Benn Ltd. Bouverie house, London, 192 9,p.- 4
3. Carpenter, Mary; Six Months in India, Vol. II, Longmans, Green and Company, London, 1868,p.- 57
4. Ramusack, B.N.; The Indian Princes and their States, Cambridge University Press, UK, 2004, p.- 128
5. Low, Sir Sidney; op.cit., p.-38
6. Ramusack, B.N.; op.cit., p.- 134
7. Ibid., p.-148
8. Islam, Mohd. Rashadul, ; The influence of British Empire and English Literature on the social life style of the people of Bangladesh, *International Journal on Studies in English Language and Literature,* Vol. 2, Issue 1, January, 2014, P.- 42
9. Carpenter, Mary, op.cit., p.- 62
10. Ibid., p.- 63
11. Sen, Indrani (edt.); Memsahibs Writings – Colonial Narratives on Indian Women, Orient Blackswan, Hydearabad, 2008, pp. – 221-223
12. Carpenter, Mary; op.cit., p.- 54
13. Dewar, Dougl as; Bygone Days in India, Bodley Head Ltd., London, 1922, pp.- 152-153
14. Brown, Hamilton (edt.); The Sahibs, William Hodge and Company Ltd., London, 1948, pp.- 59-60
15. Rowe, A.D.,Rev.; Everday Life in India, American Tract Society, New York, 1884, p.- 291
16. Sen, Indrani, op.cit., pp.- 39-40
17. Dewar, Douglas; op.cit., p.- 162

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XL

Phytochemical Screening of Active Phytocontents of Guizotia Abyssinica Plant Seeds by Different Solvent

Dr. S.K. Udaipure*

*Prof. & Head (Chemistry) Govt. Narmada P.G.College, Narmadapurma (M.P.) INDIA

Abstract - Many plant Species used in the treatment of different diseases. Plant derived active compound have played an important role in the development of clinically useful agents. Guizotia abyssinica plant seeds are used for many disease treatment. Aim of the present study is investigate the phytochemical analysis of Methanol, petroleum ether, Chloroform and Acetone extracts of Guizotia abyssinica plants. Qualitative analysis of phytochemical Screening reveals the presence of Phenol, Saponins, Alkaloids, Protein and Carbohydrates. Current research describes a simple, effective and reproducible Comparative phytochemical analysis of natural seeds.
Keyword- Medicinal plants, Phytochemicals, Guizotia abyssinica, Antioxidant activity.

Introduction - Plants have been an important Source of medicine for thousands of years. Plants are the source of many modern medicine. Phytochemicals are responsible for the healing properties of plants. Plants turn out many secondary metabolites together with flavonoids, Alkaloids, Steroids, Saponins, terpenoids and glycosides to safeguard themselves from the attack of present infectious agent, insects, pest and environmental stresses.[1]

Niger (Guizotia abyssinica) is an oil seed plant cultivated for over 5000 years.It is widely grown in Southern India and Ethiopia. In India, it is cultivated on the slopes of hills and plains along the coasts of Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Odessa, Maharashtra, Bihar, Karnataka, and West Bengal. G. abyssinica dicotyledonus plant, medium to fine branches, growing up to 2 m high. The plant grows very well in poorly drained, heavy clay soils. An important feature of this plant is that it provides good seed yield even under poor growing conditions. Niger is heavily cultivated for the extraction of Oil used for soap, lighting, lubrication and used as biodiesel. Niger oil absorbs the fragrance of flowers used as a base oil in the perfume industry. The plant is used in various Indian communities for the treatment of rheumatism, rheumatoid arthritis and infectious diseases.[2]

Phytochemicals are basically divided into two groups of Primary and secondary metabolites based on the activity of plant metabolism. Primary or basic metabolites include regular carbohydrates, amino acids, proteins and chlorophyll while secondary metabolites include alkaloids, saponins, Steroids, flavonoids, tannins and more.[3]

Materials and Methods

Collection of Samples: Guizotia abyssinica seeds are collected from forest region of Betul, M.P., India were Collected in the winter season. The plant calibrated taxonomically and was preserved for extraction.

Preparation of Solvent Extracts of plants: Guizotia abyssinica seeds were properly cleaned with running water then properly removed with purified water. The Seeds dried for 5 days at ambient temperature for shade. Second, dried seeds were coarsely used with a mortar and pestle and then a mechanical blender was used to ground them further. 30gm 340 ml of organic Solution of Methanol & D.W. were collected from the sample extraction at Soxhlet. The extraction was completed in 8 days at 65°c. In order to form a paste, extract were then evaporated at 45^0C and further transfer to sterile and refrigerated once used. [4][5]

Identification tests for Phytochemical Constituents: Phytochemical analysis was performed to determine the presence of bioactive Compounds like carbohydrates, proteins, starch, amino acids, steroids, glycosides, flavonoids, alkaloids, tanning, Saponins, Phenols and resins by the following procedure [6][7]

1. Test for Alkaloids: 5ml of the prepared extracts were volatilized to standing. The residue was taken in 5 ml of acid, saturated with chemical compound and filtered. The filtrate was one by one tested with following reagents:

(A) Wagner's Test: To few ml of each of the sample solution, Wagner's reagent (iodine in potassium iodide) was added, which resulted in the formation of reddish brown precipitate indicating the presence of alkaloids.

(B) Mayer's Test: To 1ml of each of the sample solution few drops of Mayer's reagent (Potassium mercuric chloride solution) was added. Formation of cream white precipitate indicates the presence of alkaloids.

2. Test for flavonoid: To 4cc of extract add 1.5cc 50% methanol solution. The solution was heat and metal chemical element was further to this solution, 5-6 drops of centered HCl was further, red color made up our minds for flavonoids and Orange color for flavones.

3. Test For Phenols: To the crude extract 2ml of 22 metal chloride resolution was extract and black coloration was firm for the presence of phenols.

4. Test for terpenoids (Salkowski Test): 5cc of each extract was mixed during a try of cc of Chloroform and con. H, SO_4 (3ml) was strictly extra to create a layer. A brown coloration of the bury face was intentional to indicate positive results for the presence of terpenoids.

5. Test for Quinones: About 0.5 gm of plant extract was taken and extra 1 c.c. of extract and 1cc of con. H, SO_4 was extract formation of red color shows the presence of quinones. One drop of ethanol take a look at resolution is placed on a filter paper, followed by one drop of 0.2% ethanolic phenylacetonitrile resolution and one drop of 0.1 N hydroxide. A positive response is indicated by the appearance of a blue or violet stain edged by a yellow ring.

6. Test for saponins: To 0.5 ml of filtrate, added 5ml of distilled water and shaken vigorously for a stable persistence froth. Frothing which persisted on warming indicates the presence of saponins.

7. Test for Tannins: To 5ml of extract, few drops of 5% ferric chloride solution were added. The appearance of violet indicates the presence of Saponins.

8. Test for Fatty Acids: About 0.5 ml of extract was mixed 5 ml of ether. The extract was allowed to evaporate, on filter paper and dried. The appearance of transparence on filter paper indicates the presence of fatty acids.

9. Test for Steroids: To a 3 cc of extract add a 3 cc Chloroform and 3 cc of con. H, SO_4 shake well; chloroform 1 layer show chromatic color light.

10. Test for Glycosides: To the solution of the extract add glacial carboxylic acid, few drops baseball metal Chloride and 1cc red vitriol further and determined for a brown coloration at the junction of two layers and additionally the bluish in experienced colorize the upper layer.

11 Test For Carbohydrates: For 2ml test solution added 2 drop of the molisch's reagents (a solution of á-napthol in 95% ethanol). Therefore solution is then poured slowly in to a tube containing 2 cc of center red vitrial So 2 layers kind. Purple to ruby violet color at the junction of 2 layers indicates the presence of macromolecule.

12. Test for Proteins

Xanthoprotein Test: The extracts are treated with a few drops of Con.$HNO_{3;}$ the yellow color indicates the presence of protein

13. Check Amino Acids

Nanhydrin Test: In 1ml of boiled sample with a 0.1% acetone solution of ninhydrin, the appearance of pink indicates the presence of amino acids.

Results and Discussion

Observations:

Table- 1 Phytochemical Screening of extract of Guizotia abyssinica

S.	Phyto-chemicals	Petrolium Ether	Chloro-form	Acetone	Meth-anol
1	Alkaloids	+ve	+ve	+ve	+ve
2	Terpinoid	+ve	+ve	+ve	+ve
3	Phenols & Tannins	+ve	+ve	+ve	+ve
4	Saponins	+ve	-ve	-ve	-ve
5	Flavonoids	+ve	+ve	+ve	-ve
6	Quinines	-ve	-ve	+ve	+ve
7	Proteins	+ve	-ve	+ve	+ve
8	Steroids	+ve	+ve	-ve	-ve
9	Cardiac Glycosides	+ve	-ve	-ve	+ve
10	Carbo-hydrates	-ve	-ve	+ve	+ve
11	AminoAcid	-ve	+ve	-ve	-ve

This study has discovered the presence of healthful chemical constituents. Phytochemical experiments are expected to assist on the accurate identification of high quality materials where plant chemistry differs between different species. All solvents namely Methanol, Ethanol, Petroleum ether, Chloroform and seed water, natural leaf and callus produce highly variable effects on the presence of nutrients bioactive substances such as alkaloids, flavonoids, Terpenoids.[8][9]

The selection of Crude plant extracts for screening programs has the potential of being heaps of thriving in initial steps than the screening of pure compounds isolated from natural merchandise. The plant extracts provision of secondary metabolites i.e. alkaloids, flavonoids, terpenoids, tannins, Glycosides, Steroids etc. Plant extract are known to be effective on steroids. Which are very important compounds because they are related to compounds such as sex hormones and it has been reported that steroids have Cardiotonic activities and antibacterial properties.[10] The phytochemical analysis of the Guizotia abyssinica are important and has in every business interest analysis institutes and medicine prescribed medication Companies for the manufacturing of the new drugs for treatment of various diseases.[11]

Conclusion: It can be concluded from the present study that Guizotia abyssinica and linum usitatissimum contains a major secondary bioactive compounds such as Alkaloid's, flavonoids, terpenoids, tannins, Glycosides are commercial value and can lead to great interest in phyto pharmaceuticals.[12] Healthful plant plays a major role in preventing various diseases.[13] The medicinal drug, medicament, antioxidant, anti-abortifiecient of the various elements of plants is because of the presence of the on prime of mentioned secondary metabolites. The present study provides proof that solvent extract of Guizotia abyssinica and Linum usitatissimum is contains medicinally

necessary bioactive compounds and this justifies the utilization of plant species as ancient medication for treatment of various diseases.[14][15] Additional purification, identification and characterization of the bio active chemical constituent's Compounds would be our priority in future Studies.

References:-

1. ShaliniS. And SampathkumarP.(2012) Phytochemical screening and anti microbial activity of plant extracts
2. Mohan Kumar BN, Basavegowda, Vyakaranahal BS, Deshpande VK, Kenchanagoudar PV. Influence of sowing dates on production of seed yield in niger (Guizotiaabyssinica Cass.). Karnataka J Agric Sci, 2011; 24(3):289 – 93.
3. Savithramma N, Linga Rao M, Suhrulatha D. Screening of medicinal plants for secondary metabolites. Middle East J Sci Res, 2011; 8(3):579-84
4. Jigna P, Sumitra CV. In vitro antimicrobial activity and phytochemical analysis of some Indian medicinal plants. Turk J Biol, 2007; 31: 53-8.
5. Bhumi G, Savithramma N. Screening of pivotal medicinal plants for qualitative and quantitative phytochemical constituents. Int J Pharm Pharm Sci, 2014; 6: 63-5.
6. Govindasamy C. and Srinivasan R. (2012) In vitro antibacterial activity and
7. Yadav RNS, Agarwala M. Phytochemical analysis of some medicinal plants. J Phytol, 2011; 3(12): 10-4.
8. Xie, D.W., Dai, Z.G., Yang, Z.M., Tang, Q., Deng, C.H., Xu, Y., Wang, J., Chen, J., Zhao,D.B., Zhang, S.L., Zhang, S.Q., Su, J.G., 2019. Combined genome-wide association analysisand transcriptome sequencing to identify candidate genes for flax seed fatty acid metabolism.Plant Sci.286, 98–107.
9. Zhang, J.P., Xie, Y.P., Dang, Z., Wang, L.M., Li, W.J., Zhao, W., Zhao, L., Dang, Z.H., 2016.Oil content and fatty acid components of oilseed flax under different environments in China.Agron.J. 108 (1), 365–372.
10. Rajwade, A.V., Kadoo, N.Y., Borikar, S.P., Harsulkar, A.M., Ghorpade, P.B., Gupta, V.S.,2014.Differential transcriptional activity of SAD,FAD2 and FAD3 desaturase genes in developing seed soflin seed contributes to varietal variation in alpha-linolenic acidcontent.Phytochemistry98, 41–53.
11. Baghel S, Bansal YK. Synergistic effect of BAP and GA3 on in vitro flowering of GuizotiaabyssinicaCass.-a multipurpose oil crop. Physiol Mol Biol Plants, 2014; 20(2): 241–47.
12. Baghel S, Bansal YK. Micropropagation and in vitro flowering of a biodiesel plant nigerGuizotiaabyssinica (Cass.). Asian J Exp Biol Sci, 2013; 4(4): 532-39.
13. Kiran Kumari SP, Sridevi V, Chandana Lakshmi MVV. Studies on phytochemical screening of aqueous extract collected from fertilizers affected two medicinal plants. J Chem Biol Phys Sci, 2012; 2(3):1326-32.
14. Ramadan MF. Functional properties, nutritional value, and industrial applications of niger oilseeds (Guizotiaabyssinica Cass.). Crit Rev Food Sci Nutr, 2012; 52:1-8.
15. Sarin R, Sharma M, Khan A. Studies on Guizotia-abyssinica L. oil: biodiesel synthesis and process optimization. BioresourTechnol, 2009; 100: 4187-92.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XL

Religious Movement: Bhakti Movement

Kartikeswar Patro* Dr. Amrita Singh**

***Research Scholar, Madhyanchal Professional University, Bhopal (M.P.) INDIA**
****Professor (Arts Social Science and Humanities) Madhyanchal Professional University, Bhopal (M.P.) INDIA**

Abstract - The objective of writing this research paper is to collect the information together and bring the secret information to the worldwide. We traced back to the age of Upanishads, Bhagwat Gita and Puranas in south India through Bhakti Marga which was the date back of Ancient Indian Culture. There was no such effort being taken to reform Indian Society after the Buddhism and Jainism. It was necessary to reform Indian society because many foreigners came India, settled here and introduced their culture and accepted our culture. It was a process to reform Hinduism in India because it was influenced by Islamic tradition and beliefs. It was a medium of unity and propagation of friendship among the Hindus. It is the process of unity of mankind and all are equal before God. During this period two parallel movements was spread in India named Bhakti among the Hindus and Sufi among the Muslims. Both these Movements spread their ideas of Bhajanas and prayer is the only path to gain Salvation. These movements freed the Indian Society from the blind beliefs and Prejudices.
Keywords- Main features of Bhakti Saints, Bhakti Saints, Nirguna Saints (Formless), Saguna Saints (Ram Bhakti), Saguna Saints (Krishna Bhakti), Maharashtra Dharma Saints, Other saints of Bhakti Movement, Famous saints and their Philosophy.

Introduction - Bhakti means the sense of devotion and dedication to God. Bhakti is a devotional worship of God. Its main objective is attaining Moksha or Salvation through the prayer. It is a devotional surrender of a person to Supreme God to Attain Salvation. Saints of Bhakti Movement gave three paths for attaining salvation such as: - 1.Gyana Marga 2. Karma Marga 3. Bhakti Marga. It means meeting of Soul (Atma) into Supreme Soul (Paramatma) and becoming free from rebirth. This concept was widely spread in South India (Tamil Country) during 6th century AD. It was a reaction against the growing of Buddhism and Jainism as well as unnecessary expenditure of Brahmanism on the name of religion. Bhagawat Gita is the source and inspiration of this Bhakti Movement. It explains Love is considered to be means of realization of God. Adi Sankarachary considered Bhakti is the one of the best path to meeting the supreme soul. This movement was based on the relationship between God and Men through love and worship rather than performing any ritual or religious ceremonies. It was spread in South India based on social and religious equality. This was led by popular Saints poets called Alvars (Vaishnavism) and Nayanaras (Shaivism). **Alvaras** were the popular worship of Lord Vishnu and **Nayanaras** were the popular worship of Lord Shiva. Indian society was based on rigid caste system and neglect to lower caste people. This Bhakti movement was the only way for the people of lower caste to reach to God. It was the source of equality of caste system in India. It is believed the sense of devotion and dedication for one God. It emphasized the purity of Heart and Mind, Humanism and devotion. It is believe in the ideology of monotheism in nature or believe of one God. Without priestly class we can reach to God by singing Bhajanas. The follower believes both Saguna and Nirguna form of Supreme soul. Saguna worshipper considered Rama and Krishna is the incarnation of Lord Vishnu while as Nirguna worshipper opposed idol worship and expressed their logic that God is Omni Present and lives in the heart of every Human being. It also emphasized gaining knowledge from the Guru. Guru is the medium to reach to supreme soul. The saints of Bhakti movements preached the local language of the people. So it was wide popular.

Main features of Bhakti Movement:

1. The main objective of Bhakti saint is to gain divine grace and Moksha through Prayer, Bhajan and Complete devotion to God
2. It emphasised the purity of mind and heart.
3. Faith and love to Gurus. Knowledge can be obtained from Guru. Knowledge is the necessary constituent of Bhakti.
4. Rejected religious sacrifices and rituals.
5. Stressed on purity of heart and mind.
6. Believe in the system of monotheism or one supreme God.

7. Complete devotion and surrender to supreme God.
8. Respect to human beings and treat all human beings are equal.
9. Singing Bhajans (Kirtan) is the best method of worshipping God.
10. Rejected Caste system and discard the monopoly of priestly class.
11. Saints spread the message through the language of local people.
12. Believes God as in the Form (Saguna) and Formless (Nirguna).
13. Many Vaishnav saints (Saguna and Nirguna) follow the philosophy of Upanishads with minor Change on it.

Bhakti Saints:

1. This religious movement began with the advent of Adi Sankarachary. Many saints and religious reformers took active parts in this movement.
2. The religious reformers are: - Ramananda, Kabir, Guru Nanak, Chaitanya, Meerebai, Surdas, Tulsidas, Dadu etc.

Sankaracharya (788-822):

1. Saint Sankaracharya was born at Kalandi of Kerala.
2. He propounded the Advaita Philosophy.
3. His famous quote is "**Brahma Satyam Jagat Mithya, Jivo Brahmaiva na Parah".**
4. According to him Gyana or knowledge alone can lead Salvation.
5. He is known as Psedo-Buddha or saviour of modern Hinduism.
6. His teaching concepts of Maya, Advaita and importance of Vedanta.
7. He established four Mathas at Badrinath, Puri, Sringeri and Dwaraka.
8. He wrote commentaries on Upanishads, Bhagawat Gita and Brahmasutras of Badrayana.
9. He wrote books like Upadesh Shastra, Vivek Chudmani, Bhaja Govindam Stotra.

Ramanuja (1017-1137):

1. Ramanuja was born in Sriperambur of Tamilnadu and the first revivalist of Vaishnavism.
2. Ramanuja was a Vaishnav Saint of South India and propagated Vaishnav culture in South India.
3. He was one of the earliest exponents of Bhakti Movement.
4. He opposed the Mayavada of Sankaracharya and advocated the philosophy of Visistha Advaita.
5. Ramanuja tried to assimilate Bhakti to the tradition of Vedas.
6. According to him the Grace of God is more important in order to attain Salvation.
7. He said the submission of self before God to attain Salvation.
8. He was a Tamil Vaishnav Saint and founded Sri Vaishnav Sect.
9. He wrote Sribhasya, Vedarashtha Sengrapha, Vedantsara, Vedant dipa and Gita Bhasya.
10. He advocated a person can get Salvation through Bhakti.
11. Yadav Prakash was his teacher.
12. He wrote commentaries on Brahmasutras and Bhagawat Gita known as Vedanta Samgraha.
13. Madhavacharya, Ramananda, Vallabhacharya and other thinkers followed the tradition of Ramanuja.

Madhavacharya (13th century):

1. Madhavacharya was born in Kalyanpura of south Kanara district of Karnataka.
2. He was a Kanada Vaishnav Saint.
3. He was the founder of Dvaita philosophy.
4. He gave philosophy of Dvaita and divided the universe in to two parts such as: - Swatnara and Swatantra.

Nimbarka (13th-14th centuries):

1. Nimbarka was a Telgu Vaishnav Saint.
2. He propounded the concept of Dvaita philosophy and Bhedabheda.
3. He founded Sanak Sampradaya.
4. He established the ashram of Madhavacharya in Braj of Mathura (U.P).
5. He was contemporary of Ramanuja.

Raghunandan:

1. Raghunandan belongs to Navdipa (Nadia) of Bengal.
2. He was one of the most influential writers on Dharmashastra.

Vidyapati (14th-15th centuries):

1. Vidyapati was born in the village Bisje in Madhubani district of Mithila region.
2. He was a Maithili saint poet and also Sanskrit writer.
3. He was also known as Maithili Kavi Kokila.
4. His works includes Bhu-Parikrama, Varsakrtya, Dhanavakyavali etc.
5. He wrote thousands of love ballads on Radha Krishna known as Padavali of Vidyapati.

Nirguna Saints (Formless):

Thoughts of Nirguna Bhakti culture:

1. Believe in one supreme God.
2. Believer of Formless God.
3. Self surrender to God.
4. Against of caste system, idol worship and Brahminical rituals.
5. They are liberal towards society.
6. Faith in Gurus.
7. Spread the message in various spoken language of people.
8. Saints are Kabir Das, Nanakdev, Raidas, Dhanna, Sena, Pipa, Dadu etc.

Sant Kabir:

1. Sant Kabir was one of the most radical disciples of Ramananda. He gave positive shape to the social philosophy and ideology of his teacher Ramananda.
2. He was brought up as the foster child of weaver Neeru and his wife Nima in Varanasi.

3. The central theme of the teaching of Kabir was Bhakti Marga (path of devotion).
4. Later he followed the Gyana Marga of Sankaracharya.
5. Opposed the evil practices of both Hinduism and Islam.
6. He refused to recognize the six school of Hindu philosophy and the theory of Varnashrama of Vedic age.
7. According to him Ram, Rahim, Allah etc. all are the same only difference in name.
8. Tried to remove social evils.
9. He said that religion without Bhakti was no religion at all.
10. Opposed Idol worship, Tirthyatra, Caste system and unnecessary rituals.
11. Refused to accept the superiority of Brahmans and gave equal status to Shudras and Brahmans.
12. He said that birth in a particular caste was the result of the deeds of previous life.
13. He was the supporter of Hindu-Muslim unity.
14. He wrote Sabad, Bijak, Doha, Holi, Rekhtal.
15. He propagated Ram Bhakti.
16. The verses or songs of Kabir, Namdev, Raidas, Dhanna, Pipa etc. are found in Adi Grantha. These are commonly known as Kabir's Doha.
17. He preached of humanity and equality, Quran and Puranas, Ram and Rahim, Krishna and Karim.
18. His disciple formed Kabirpanthi Sect.
19. After his death his Islamic disciples organized themselves in Maghar and Hindu disciples were organized under the guidance of Surat Gopala and their centre was Varanasi.
20. He tried to teach his thought and ideology in the simple language of the people.
21. He composed beautiful verses in Hindi which are still familiar in Northern India.

Guru Nanakdev:

1. Guru Nanakdev was born in a Khatri family at Talwandi in the Lahore district in 1469. He founded the Sikh Sect.
2. He was a Nirguna Bhakti Saint and social reformer.
3. He was the first Sikh Guru and the founder of Sikhism.
4. His followers organized into a new community known as Sikhism. Sikh means disciple. It conceived God as Nirakara (Formless).
5. He spent his life by preaching the tolerance among the people.
6. According to him Hindu and Muslims are the children of one God. God is prayed by people in different people such as Ram, Rahim, Krishna, Hari, Allah, Govind, Murari etc.
7. He was a revolutionary religious reformer and explained that there is no difference between the people.
8. He worked for the unity of Hindu and Muslim.
9. His teaching was based on the principle of social equality.
10. He began the system of Langar (Mass eating) which is known as a Guru ka Langar. In this Langar free food was given to all people irrespective of their caste, religion, language etc.
11. These Langar systems created the feelings of brother hood and remove the feelings of discrimination and untouchability.
12. He opposed image worship and worshipper of formless Brahma.
13. He laid stress on moral values instead of criticizing the others.
14. His mission was to reform Hindu religion on the basis of unity between Hindu and Muslim.
15. His inspiring songs and poems are compiled in a book known as Adi Grantha.
16. He preached his ideals through Kirtan.
17. He asked his followers to wear five K's**.** Such as: - 1. Kesh (long Hair) 2. Kangha (comb), 3. Kaccha (a pair of sorts), 4. Kara (Iron Bracelet) 5. Kripan (sword).
18. According to him a man was to be honoured for his devotion to God and not for his social position.
19. He expressed that superstition and blind believes are the mark of cultural backwardness of the society.
20. He taught people to distinguish superstitions from religious values.
21. He was a well educated man and studied Persian and Hindi besides his mother-tongue Punjabi.
22. He felt that the real cause of the misery of the people was their disunity and diversity of belief.
23. He said that education is essential for the attainment of true and complete life.
24. God is present in the heart of every individual. Speak the truth then you will realize God within you.
25. He died at Kartarpur in 1528.

Dadu Dayal:

1. Dadu Dayal was born in Ahmadabad of Gujarat in a Muslim family and brought up by a Hindu.
2. He spent his whole life in Naraina of Rajasthan. He was a cobbler by caste.
3. He was the founder of Dadu Panth and his followers are known as Dadu Panthi.
4. His teachings are collected in a book called BANI.
5. His main ideology of his life was to unite the divergent people of India in to one group of love and compassion.
6. He founded Param Brahma Sampradaya or Brahma sect to bring success of his ideals.
7. He supported Hindu Muslim unity and protested caste system and Idol worship.
8. He believes in the value of self realization instead of religious scripture.
9. According to him God resides in the heart of all human beings so we the people must surrender our ego in front of God.
10. The union of Soul with Paramatma is possible only with love and devotion to God.
11. Human beings unite with God when he will be free from

all types of sins and impurities.
12. He taught be simple and humble and free from egoism and be compassion and devoted in your service.
13. Sundardasa, Rajjab, Bakham, and Warid are the disciple of Dadu Dayal.
14. He was one of the followers of the idea of Sant Kabir.

Saguna Saints (Ram Bhakti)

Thoughts of Saguna Bhakti culture:

1. Believer of particular form of God.
2. Worshipped lord Vishnu in the form of Lord Rama and Lord Krishna.
3. Believe in Idol worship.
4. They are not very liberal in social matter.
5. Rejected caste system and Brahminical rituals.
6. Spread the message in the language of local people.
7. Saints are Tulsi Das, Sur Das, Sri Chaitanya, Ramananda, Vallabhacharya, Meerabai, Sankardev etc.

Tulsi Das (1532-1623):

1. Tulsi Das was the greatest saint poet and devotee of lord Rama.
2. He was born in a Saryuparian Brahmin family of Varavasi. His father name was Atmaram Dubey and Hulsi was his mother.
3. He composed poetry in praise of Lord Rama.
4. He was contemporary to Mughal King Akbar.
5. He started writing of his Ram Charita Manas in 1574 at the age of 42 years.
6. He wrote Ram Charita Manas, Kavitawali, Gitawali, Parvati Mangal, Janaki Mangal, Vinaya Patrika etc.
7. His ideology was Man can reach to God through the Bhakti.
8. He died at the age of 91 in the year of 1623.
9. He is considered as a great Vaishnav Bhakta who lived in the hearts of millions of men and women till date through his immortal composition of Ram Charita Manas.

Nabhaji:

1. He wrote Bhaktamal in which 200 Bhaktas have been mentioned.

Ramananda:

1. Ramanada was born in Allahabad and settled in Varanasi.
2. There was a great change in Hinduism due to his efforts to revival of Vaishnavism.
3. The supremacy of Brahmin came down and worship system became very simple and easy.
4. Due to his great efforts Vaishnav revivalist able to strike the roots of blind believe and superstition.
5. Ramananda was the first saint of north India opened the door of devotion to God for everyone.
6. He founded Ramanandi Sect.
7. He never discriminate anyone on the basis of Gender, religion, caste, creed and sex while teaching.
8. He propagated the theory of all men are equal in the eyes of God.
9. He was the worshipper of Lord Rama.
10. He believed the principle of perfect love for God and feelings of brotherhood among all human being.
11. He preached people in the language of common people instead of Sanskrit language.
12. He had a disciple from all caste and called them as a **Avadhut.**
13. He spread the message of love and brotherhood among the people.
14. He organized a group of Cadres called **Bairagis.**
15. The most famous 12 disciples of Ramananda are: - Kabir, Ravidas, Sena, Dhanna, Pipa, Bhavananda, Asananda, Sukhanda, Surasurananda, Paramananda, Sri Ananda, Mahananda.
16. The result of his teachings led to the division of Bhakti movement in to two branches such as Nirguna sainta and Saguna saints.
17. The lower caste Shudras also got opportunity to study Vedas and offer worship.
18. The Vaishnav sect also divided in to two branches such as Ram Bhakti and Krishna Bhakti.

Saguna Saints (Krishna Bhakti)

Vallabhacharya ((1479-1531):

1. Vallabhacharya was one of the great saints of Krishna Culture.
2. He was a Telengana Brahmin. He was born at Varnasi and resides permanently at Vrindavan.
3. He was worshipping Lord Krishna as a Srinath Ji.
4. He wrote many books in Sanskrit and Brijabhasa.
5. His main Philosophy was Devotion to God.
6. According to him Shree Krishna was Param Brahma, Paramananda, Purushotama etc.
7. He is known as Jagat Guru Mahaprabhu.
8. He established Pusthi Marga and gave philosophy of Shudha Advaita. This is the way to realize to God.

Sur Das (1483-1563):

1. Sur Das was the Disciple of Vallabhachry and blind poet of Agra.
2. He composed Sur Sagar in the glory of Lord Krishna.

Meerabai (1498-1546):

1. Meerabai was the Rathore princes of Merta and wife of Bhuja Raja (son of Rana Sanga of Mewar)
2. She wrote the verses named Padavali in the glory or love of Lord Krishna.
3. She was famous for her deeply devotion to Lord Krishna.
4. She considered Lord Krishna as her husband.
5. After the death of her husband, she made the devotion to Krishna as the basis of her life.
6. She was one of the most women Bhakti saints of Krishna culture.
7. She was immortal in the heart of million Krishna followers till date.
8. She sang and danced with other devotees and

performed Kirtan in the devotion of Lord Krishna.
9. She composed poetry in Rajasthani and Brij Bhasa.
10. She died at Dwaraka in 1546.

Sri Chaitanya (1486-1533):

1. Chaitanya or Vishwambar Mishra belongs to Dasmani sect.
2. He was born in Navdeep (Nadia) of Bengal in 1486.
3. His early life was very hard. At the age of 22 he became Sanyasi after the death of his parents and his wife.
4. He played a dominant role to spread and the foundation of new Vaishnavism in Bengal and it was popularised in Odisha.
5. He was known as Gaudiya Mahaprabhu.
6. He was the founder of Gaurang or Bengal Vaishnavism.
7. His teacher was Ishwapuri.
8. He propounded the philosophy of Achintya Bhedabheda.
9. He spent most of his time preaching in Odisha at Puri and died there in 1533.
10. Chaitanya Charitamrita is the biography of Sri Chaitanya written by Krishnadas Kaviray.
11. He expressed himself by group singing called Sankirtan by visiting door to door to spread the message that God is present in the heart of every individual.
12. He worshipped Hari and Krishna in the form of "**Hare Krishna Hare Rama**" and considered him as the highest God.
13. His devotee considered him as the incarnation of Lord Krishna.
14. His influence was so deep in the heart of people of Bengal, Odisha and Assam.

Sankardeva (1449-1568):

1. Sankardeva was one of the greatest religious reformers of mediaeval Assam.
2. He was the follower of Lord Vishnu and his incarnation Lord Krishna.
3. Sankardeva established Ek Sharan Sampradaya or Mahapurushiya Sampradaya in Assam.
4. He was follower of absolute devotion of Lord Vishnu
5. He did not recognise the presence of Goddesses Laxmi, Radha, Sita etc.
6. He rejected ritualism, caste system and idol worship.

Maharashtra Dharma Saints:

Dnyanshwar (1271-1296):

1. Sant Dnyaneshwar was the fountain head of Bhakti movement in Maharashtra.
2. Dnyaneshwar was the worshipper of Vithoba.
3. He was the follower of Lord Krishna.
4. He was the founder of Marathi language and literature.
5. He wrote commentaries on Bhagawat Gita called Bhavarthadipika and commonly known as Dnyaneshwari.
6. He wrote and Amritanubhava and Changadeva Prasasti.
7. He joined Varkari sect.
8. He visited twice as a annual pilgrimage to Vithoba of Panadrpur.

Namdev (1270-1350):

1. Sant Namdev was Tailor by caste.
2. He was the contemporary of Dnyaneshwar.
3. He opposed caste system.
4. The objective of his devotion was Vithoba or Vitthal of Pandharpur.
5. He founded the culture of Vithoba or Vitthal known as Varkari sect.
6. He had disciple of Gora, Sena, Choka, Janbai etc.
7. His Abhangas are included in Guru Granth Sahib.
8. His Marathi poems are the symbol of simplicity, devotion and very melodious.
9. He taught to his followers to follow the whole hearted devotion to God.

Eknath (1533-1599):

1. Sant Eknath was associated with Varkari sect.
2. He was born at Paithan near Aurangabad.
3. He opposed caste system.
4. He wrote commentary on Ramayana called Bhavartha Ramayan.
5. He also wrote another commentary on the 11th book of Bhagawata Purana.
6. According to him rejecting world pleasures are not necessary to lead a religious life.
7. A house holder can get Nirvana through devotion.

Tukaram (1598-1650):

1. Sant Tukaram was associated with Dharkari sect and Varkari sect.
2. He wrote devotional poem called Abhangas.
3. He was born in a Shudra family.
4. He worked for Hindu-Muslim unity.
5. He was a contemporary saint of Shivaji Maharaja.

Ramdas (1608-1681):

1. Sant Ramdas compiled his writings and sermons in Dasabodha.
2. He was the spiritual teacher of Chatrapati Shivaji Maharaj. He inspired to Shivaji to form a Hindu rashtra by over throwing the Mughals.
3. He started the culture of Paramartha.
4. He established Ashramas all over India.

Purandar Das (1480-1564):

1. Purandar Das was a Saint from Karnataka.
2. He was most prolific Vaishnava Saint.
3. He is known as the father of modern Carnatic Music.

Tyagaraja (1767-1847):

1. Tyagaraja was a saint from Tamil Nadu.
2. He was a greatest saint and composer of Carnatic Music.
3. He adorned God in the form of Rama, the incarnation of Vishnu and the hero of Valmiki's Ramayana.

Other saints of Bhakti Movement:

1. Srikanthacharya founded Shivadvaita.
2. Haridas founded the Purandardas Movement.

3. The Lingayat movement was founded by Basava. This lingayat sect also known as Virasaiva sect.
4. Chandidas: - Love to God is the only way of salvation.
5. Raidas:- a disciple of Ramananda started Raidas panth.
6. Jagjivandas founded Satnami sect.
7. Lalgir of Lalbeg: -Aldhanmi or Aldhgir sect in Bikaner region of Rajasthan.
8. Dariya Saheb of Ujjain of Madhya Pradesh. His followers pray like Muslims. He rejected caste system, Idol worship and Brahminical rituals.
9. Another saint Dariya Saheb from Marwar of Rajasthan. He worshipped God under the name of Rama and Parambrahma.
10. Shivanarayan born in Ballia district of Uttar Pradesh belongs to Nirguna Sect.

Famous saints and their Philosophy:

Saints Founder of this philosophy

1. Sankaracharya:- Advait.
2. Ramanuja: -Vishisht Advaitavad.
3. Nimbark: -Dvait Advaitavad or Bhed Abhed.
4. Madavacharya and Anand Tirtha: -Dvaitavad.
5. Vishnu Swami: -Shuddh Advaitavad.
6. Sri Chaitanya: - Achintya Bhed Abheda.
7. Ramananda: -Ram Bhakti.
8. Kabir: - Nirguna Brahma.
9. Namdev: -Vithoba.
10. Vallavacharya: - Sudha Advaitavad.
11. Sur Das: - Krishna Bhakti.
12. Dadu: - Dadu Panth.
13. Tuka Ram: -Varkari Panth.

Prominent sect and its founder:

1. These saints protested against the advaitavad of Sankaracharya and emphasised on devotion of God with form.
2. Ramanujacharya:-Shree Sampradaya sect.
3. Nimbarkcharya:-Sankanik Sampradaya sect.
4. Madavacharya:-Brahma Sampradaya sect.
5. Vishnu Swami: -Rudra Sampradaya Sect.

References:-

1. An Introduction to the study of Indian History by D.D.Kosambi.
2. Medieval History of India by Meera Singh.
3. An Advanced History of India by R.C.Majumdar.
4. History of India by V.D.Mahajan.
5. The Pearson Indian History Manual by Vipul Singh.
6. The Magbook Indian History &Indian National Movement by Raushan Kumar.
7. Indian Civil Service Chronicle Manual.

****

Growing Trend of "Moonlighting" in India: True or False: Information of the Indian Contract Act, 1872

Mayank Tinker*

*Research Scholar (Law) Maharaja Ganga Singh University, Bikaner (Raj.) INDIA

Abstract - At present, due to increasing unemployment and poverty, the employees working in the private company are not satisfied with the income from the company or in other words, they look for an additional option to increase their income. For this reason things like moonlighting are being heard a lot, but many big companies consider it illegal and unethical and they are firing those employees who are involved in activities like moonlighting. A recent survey has revealed that many employees who sued to do work-from-home since the era of covid-19 are now moving towards moonlighting. Many big companies are also presenting a proposal to make a new policy to avoid this because moonlighting is a brand new trend for which there is no law in India yet. Many companies do not allow moonlighting in their contracts while many companies allow it with conditions. Many big companies consider moonlighting to be cheating, so they don't allow it in their contracts.

One of the biggest reasons for moonlighting is that many talented employees have dual specialization or multiple skills, due to which they wants to increase their income by working in more than one company like a freelancing etc. Because such employees have suffered the brunt of corona-virus and due to financial security, they are moving towards moonlighting and this is not wrong either because they cannot be financially capable depending on any one company. For example, in olden times, a person used to live his life with satisfaction by working lifelong in only one company and used to live his family but the corona pandemic has changed the circumstances so that every person wants to be financially capable. This is the reason why moonlighting is being promoted.

Keywords- Moonlighting, Employment, IT Companies, Business, legal or Illegal, Ethical, Contract, Agreement.

Introduction - The global environment and economy are changing quickly. Due to remote work and inflation, some employees have started doing second jobs to supplement their income or to supplement their spending money. The practices of human resource management (HRM) are evolving in addition to assuming new dimensions. The number of people working several jobs has risen in recent years. The fact that most IT organizations offer flexible work schedules and work-from-home possibilities is responsible for the popularity of this problem. Employees are more focused on their financial security than their career growth at this point in the economy.

They have been working overtime for additional compensation with other employers in addition to their regular job. Moonlighting has an impact on employers' compliance standards since it changes how employees work. A rising number of people are worried about how moonlighting in the administration of IT industries affects efficiency. The rate of moonlighting in the IT industry and the connection between employees' primary and secondary jobs were also compared in the study. Could the person be employed by two or more companies without the knowledge of their current employer? How can employers financially help employees to stop them from moonlighting? What if the employee completed all of the activities more quickly and efficiently without interfering with any of them?

What is "Moonlighting"- Moonlighting means an employee working in one company starts working in another company without informing that company, this process is called "moonlighting". (1) The term moonlighting became a topic of discussion when the people of America started looking for other jobs during the night to increase their sources of income in addition to their regular working hours from 9:00 am to 5:00 pm. Since such a job is done most of the night, it was named moonlighting.

The employees working in most of the companies start doing side jobs in the desire to earn more money and violate the terms mentioned in the contracts made with the company. (2) For this reason, most of the big IT companies are firing such persons by considering moonlighting as immoral Moonlighting can be any work like some people work on projects similar to the original work of a company, some people work as delivery boys at night, some people work as waiters in hotels, some writing, translation, they

also do work like website making and marketing. In such cases the employer is not aware of the employee's other work.

Moonlighting is a Mysterious Work- According to experts, it is not an easy task to trace the employees doing moonlighting in India because there is no centralized database in India. (3) So it is difficult to find out where and when an employee is working at the same time while working in the company. In fact, for this it is necessary to check the employee's tax filing or provident fund accounts, but this matter is related to confidentiality, so it is very difficult.

Types of Moonlighting in India- Looking at the current trend of moonlighting, there are four types (4) which are as follows:

1. Blue Moonlighting
2. Quarter Moonlighting
3. Half Moonlighting
4. Full Moonlighting

1. Blue Moonlighting – When an employee is dissatisfied with the salary received from his job, he tries to find another job or alternative, but when such a person is unsuccessful in his effort and does not get some positive results, then it is called Blue Moonlighting.

2. Quarter Moonlighting - When an employee is dissatisfied with his salary and looks for a side job other than his own working hours, it is called quarter moonlighting.

3. Half Moonlighting - Every employee aspires to live a luxurious life and for this his income should also be good. Due to this desire, the employee gives half the time of his original work to his extra job, that is, half the time to the original work and half the time to the extra job, this process is called half moonlighting.

4. Full Moonlighting – In this type of moonlighting, the employee is highly influenced by the rich people living in his family, friends, society etc. and he also wants to earn more money. For this, such an employee looks for an additional source of income. In this the person wants to start his own business, it is called full moonlighting.

Reason of "Moonlighting"- The following is the reason for the increasing popularity or trend of moonlighting among the youth of today.:

1. Earn money.
2. Ever-increasing educated unemployment.
3. Lack of jobs.
4. Lack of skilled workers.
5. Law salary given by the company in comparison to rising inflation.
6. Decrease in people's desire to get government jobs due to increasing corruption in the government system. Because of this, people want to work in more than one company in the desire of more income. (5)

A survey by Management Consulting Firm Deloitte revealed that in India, among "Millennials" (born between 1983 and 1994) and "Generation-G" (born between 1995 and 2003) in India are not aware of their expenses and income resort to moonlighting.

According to media and IT expert Satyaki Bhattacharya, there is a need to look at the issue of moonlighting according to the changes taking place in the current social and economic sector. In today's era, there are constant changes in the social values, now is not the time when a person keeps working in the same company for life and wants to retire from the same company. Today's youth choose such a field of work which is interesting for them and at the same time maximum money can be earned.

According to a report by the World Economic Forum, during covid-19, there has been a sharp decline in the dedication of people towards companies and with this the person wants to be financially capable. (6)

According to the news published in an English newspaper, today's young generation is continuously postponing the plans of marriage and family expansion, behind which the economic reason is responsible.

Why do today's youth do moonlighting? It is determined by the fact that what is his hob and his salary? If a person is a fresher then it is obvious that his salary is very less and he cannot support his family due to low salary in big cities.

In the era of Corona-virus people of have not only done side jobs but have also done two to three jobs at a time. Most examples of moonlighting were seen in the IT sector because of the past several years, there has been a huge difference in the salary of fresher and top executives of IT companies. (7)

Advantages of Moonlighting – The following are the advantages of moonlighting :

1. Increase Income:- Through moonlighting, the employee can change his lifestyle by increasing his income, fulfill all his and his family's unwanted desires and live a better life.

2. Financial Security:- Moonlighting increases the income of a person and strengthens his financial condition, he does not have to rely on only one job.

3. Promote Opportunism:- To increase the income, the person wants to do more than one job and looks for new opportunities. Because of this, he learns new skills, faces new challenges, this increases his talent.

4. Freedom from Monotony:- Working in the same company for a long time makes the employees feel bored and they are looking for a new opportunity in the form of a new job in search of more income as well as new work. (8)

Disadvantages of Moonlighting – The following are the disadvantages of moonlighting:

1. High probability of privacy theft.
2. The end of the fiduciary relationship between the company and the employees.
3. The biggest loss among the ill effects of moonlighting is the acute shortage of skilled workers due to the large number of employees being fired.
4. Economic loss to companies due to heavy business

competition and lack of traders.

5. Company binds employees to strict contracts, terms and conditions.
6. Many professionals in which most of the IT employees are earning their income from moonlighting or any other source along with job in a company, then they have to give this information while filing income tax return, otherwise they may have to face problems later. And such a person may have to face investigation as per IT section 148 A or may also be fined. (9)

Moonlighting: Legal or Illegal:

1. Is moonlighting legal or illegal? Experts have different arguments on this subject and different companies have different opinions. Although some companies consider it illegal, the famous IT Company Wipro has recently fired 300 employees because those employees were working for Wipro as well as other Wipro's competing companies. (Sharma)
2. While some companies have given warnings to employees doing moonlighting and some companies have accepted it with conditions, but most of the big IT companies have considered moonlighting as illegal and unethical.
3. According to experts, there is no law in India regarding moonlighting for IT professionals and employees working in the position of administrative or supervisor, nor is there any mention of it in law books.
4. Moonlighting is also the name given to people doing more than one job. Regarding which Indian law is silent, although according to section 60 of the Indian Factories Act, 1948 adult persons working in factories are prohibited from having more than one employment (duel employment).
5. Similarly, laws like section 65 of the Mumbai Shops and Establishment Act 1948 and the Delhi Shops and Establishment Act 1956 also prohibit double employment of an employee. (10)
6. While appointing any person as an employee in the company, according to the Industrial Employment Standing Order Act, 1946 a service letter is issued in which consent is obtained regarding the rules in the terms of the company from the first day of employment to the last date, and an agreement is made and a warning is given that if the employee violates the terms mentioned in the agreement, he may be dismissed i.e. these conditions may also include things like moonlighting and in such a situation the terminated employees may have to approach the court regarding his salary or job. (Mukhopadhyay)
7. However, many companies seem to be softening their stand regarding moonlighting. The argument of such a company is that they do not mind small tasks being done by their employees, but for this it is necessary for those employees to take approval from their manager. (11)

Conclusion- In essence, it can be said that moonlighting is not completely banned in India, but still, employees found guilty on the basis of moonlighting or violating the terms mentioned in the company's contracts can be fired from the company as a punishment. Apart from this, many companies are not considering moonlighting as illegal, unethical and are accepting it with certain conditions due to the economic need of the employee and the changing social environment. Government of India needs to think about moonlighting and there is a need to make new laws keeping in view the changing social and economic environment. It is necessary for all government or non-government IT companies to set such guidelines regarding the salary of employees so that their employees become financially capable and they do not have to resort to moonlighting.

References:–

Research Papers :-

1. Kaur, Dr.Hardeep and Ms.Kavita Saini. "A Review Study on the Concept of Moonlighting and it's Impact on Growth of Organisation." Journal of XI'an University of Architecture & Technology 12 (2020): 4406-4420.
2. Arora, Nidhi. "Analyzing moonlighting as HR retention policy: A new trend ." Journal of Commerce and Management Thought 4(2) (2013): 329-338.
3. Manzella, Pietro. "Working by the Light of the Moon: The Translation of 'Moonlighting' in Multilingual Official Documents. A Review." Comparative Legilinguistics 39 (2019): 5-20.
4. Banerjee, S. "EFFECT OF EMPLOYEE MOON-LIGHTING: A CHALLENGING TASK FOR MANAGERS AND ORGANIZATIONS." Int. J. Mgnt Res. & Bus. Start 1 (2012): 8.
5. George, A Shaji and AS Hovan George. "A Review of Moonlighting in the IT Sector And its Impact." Partners Universal International Research Journal 1(3) (2022): 64-73.
6. Ferrinho, Paulo and Wim Van Lerberghe. "Managing health profesionals in the context of limited resources: a fine line between corruption and the need for moonlighting." Unpublished manuscript (2002).
7. Geys, Benny and Karsten Mause. "Moonlighting politicians: a survey and research agenda." The Journal of Legislative Studies 19(1) (2013): 76-97.
8. Vyas, Muktak and Jyotsna Pareek. "A Study of Employee Moonlighting in Present Scenario." INROADS-An International Journal of Jaipur National University 4(1) (2015): 28-30.
9. Bhatt, Kaushal and Jeel Sheth. "A Comparative Study between Moonlighting and Non-Moonlighting Academicians' Involvement in their Respective Organisation's Development- A Pilot Study." HUMAN RESOURCE MANAGEMENT PRACTICES FOR INDUSTRY 4.0 (2021): 181.

10. Guariglia, Alessandra and Byung Yeon Kim. "Earnings uncertainty, precautionary saving, and moonlighting in Russia." Journal of Population Economics 17(2) (2004): 289-310.
11. Noronha, Ernesto and Premilla D'Cruz. "Seeking the future: After-hours telecommuters in India's medical transcription industry ." Labour and Management in Development Journal 8 (2008): 15-27.

Articles & websites :–

1. Sharma, Mamta. Moonlighting is an idea whose time has come, mindsets need to change. 26 September 2022. <http://www.peoplematters.in/article/employee-engagement/moonlighting-is-an-idea-whose-time-has-come-mindsets-need-to-change-35405>.
2. Mukhopadhyay, Sounak, Explained: What is moonlighting? Is it ethical if you do more than one job in India? <https://www.livemint.com/news/india/explained-what-is-moonlighting-is-it-ethical-to-do-more-than-one-job-in-india-11661748291458>
3. SHAHAGADKAR, RUCHI: Why young Indians are moonlighting – they need two jobs in this economy. https://theprint.in, October 4, 2022.
4. https://www.thehindu.com/business/watch-business-matters-what-does-the-law-say-on-moonlighting/article65972901.ece
5. www.outlookindia.com
6. https://www.hindi.news18.com, Last updated: Septem -ber 27, 2022, 19:37 IST
7. https://www.geeksforgeeks.org /what-is-moonlighting-is-moonlighting-legal-or-illegal/

****

Smog Effect on Health

Dr. Malti Dubey (Rawat)*

***Associate Professor (Chemistry) Govt. Auto. P.G. Girls College of Excellence, Sagar (M.P.) INDIA**

Abstract - Smog is air pollution that reduces visibility. The term "SMOG" was first used in the early 1900s to describe a mix of smoke and fog. The smoke usually come from burning coal. Smog was common in industrial areas and remains familiar sight in cities today. Today most of the most of the smog we see is photochemical smog.

Ground-level ozone (A key component of smog) is associated with many problems. Such as diminished lung function, increased asthama & increased in premature deaths.
Keywords – Smog, Ozone, Pollutants, Photochemical Smog.

Photochemical formation of Smog – Photochemical Smog was first described in the 1950s. this forms when sunlight hits various pollutants in the air and forms a mix of inimical chemicals that can be very dangerous. A photochemical smog is the chemical reaction of sunlight nitrogen oxides (NOx) and volatile organic compounds (VOCs) in the atmosphere, which leaves airbone particles called particular matter and ground-level ozone.

Nitrogen Oxides are released by nitrogen and oxygen in the air reacting together under high temperature such as in the exhaust of fossile fuel-burning engines in cars, trucks, coal power plants and industrial manufacturing factories. OVCs are released from manmade sources, such as pine and citrus tree emissions.

This noxion mixture of air pollutants can include the following :

Aldehyde, Nitrogen Oxides, Nitrogen dioxides, Peroxyacyl nitrates (PAN), Tropospheric Ozone, Volatile Organic-Compounds (VOCs)

All of these chemicals are usually highly reactive and oxidizing. Photochemical smog is therefore considered to be a problem of modern industrialization. It is present in all modern cities, but it is more common in cities with sunny, dry climates and a large number of motor vehicles. Because it travels with the wing, it can affect sparsely populated area as well.

Smog is a problem in a number of cities and continues to harm human health. Ozone, Sulfur dioxide, Nitrogen dioxide and carbon monoxide are especially harmful for senior citizens, children and people with heart and lung conditions such as emphysema, bronchitis and asthma. Respiratory deaths often increase during periods when ozone levels are high.

Smog can from in almost any climate where industries or cities release large amounts of air pollution such as smoke or gases. However it is worse during periods of warmer, summer weather when the upper air is warm enough to inhibit vertical circulations. It is especially prevalent in geologic basins encircled by hills or mountains. It often stays for air extended period of time over densely populated cities or urban areas.

Cause of Smog – Two distinct types of Smog are recognized-

(1) Sulfurous Smog
(2) Photochemical Smog

(i) Sulfurous Smog – Which also called "London Smog, results from a highly concentration of sulfur oxides in the air and is caused by the use of sulfur-burning fossil fuels particularly coal.

(ii) Photochemical Smog – Photochemical smog is a mixture of pollutants that are formed when nitrogen oxides and volatile organic components (VOCs) react to sunlight, creating a brawn haze above cities.

(iii) Reducing Smog – Clerical Smog is called reducing as it contains high concentration of sulfur dioxide, which is a reducing agent.

(iv) Oxidizing Smog – Photochemical smog is sometimes called oxidizing smog as it contains high concentration of oxidizing agent like ozone. HNO_3.

How smog harmful to health – When smog is inhaled, it may cause the following effect on humans-

(i) Coughing and Wheezing
(ii) Burning sensation in eyes and throat
(iii) Risk of serious heart diseases
(iv) Risk of Serious lung disease
(v) Dangerous for people suffering from asthama
(vi) Smog can also kill plants

How to Control Smog :

(i) Using renewable sources of energy
(ii) Reducing the number of vehicles, for this to happen there should be and efficient public transport system with last-mile connectivity
(iii) Increase in energy efficiency
(iv) Use smog towers. This has been used successfully in China.

References: –

1. Smog – causes. The Environment A Global Challenge. Archived from the original on 19 Jan. 2001. Retrieved 25 Oct. 2013.
2. Smog – United States Environmental – Protection agency. July 1999, Archived form the original PDF on 28 March 2008.
3. ESS Topic Smog. Amazing World of Science with Mr. Green. Retrieved 19 Sept. 2019.
4. Smog, Organic Photochemistry. Page No 93, 2013, NBS, New Delhi.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XL

मध्यप्रदेश में अनुसूचित जनजाति की विकास योजनाऐं : एक परिदृश्य

डॉ. जितेन्द्र सेन *

*सहायक प्राध्यापक (समाजशास्त्र) पंडित एस एन शुक्ला विश्वविद्यालय, शहडोल (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – भारत की सभ्यता और संस्कृति विश्व में अनूठी है। भारत में विभिन्न प्रजातियों का उद्‌भव और विकास हुआ। भारत की कई प्रजातियां पर्वतों व वन प्रदेशों के निकट निवास करने के कारण तथा भौगोलिक दुरूहता के कारण विकास की दृष्टि से काफी पीछे रह गई। इन्हीं समुदाय के लोगों को विकसित क्षेत्र के नागरिकों ने वनवासी, वन्य जाति, जनजाति, आदिम जाति तथा आदिवासी की संज्ञा दी है। देश की सर्वाधिक जनजातीय आबादी मध्य प्रदेश में निवास करती है। मध्य प्रदेश का इंद्रधनुषी आदिवासी जगत अपनी विशिष्टताओं के कारण मानव वैज्ञानिकों को विशेष रूप से आकर्षित करता रहा है। मध्यप्रदेश में कुल 43 अनुसूचित जनजाति समूह मे अधिसूचित है। अनुसचित जनजातियाँ पद सर्वप्रथम भारत के संविधान में प्रकट हुआ। अनुच्छेद 366 (25) में अनुसूचित जनजातियों को ऐसी आदिवासी जाति या आदिवासी समुदाय या इन आदिवासी समुदाय का भाग या उनके समूह के रूप में, जिन्हें इस संविधान के उद्देश्य के लिये अनुच्छेद 342 में अनुसूचित जनजातियाँ माना गया है, परिभाषित किया गया है।

भारत के महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा मध्यप्रदेश के लिये जारी अनुसूचित जनजातियों की सूची संशोधन (1976) में इन्हें 46 समुदाय के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया था। भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 8 जनवरी 2003 द्वारा म.प्र. की अनुसूचित जनजातियों की सूची में अंकित क्रमश: कीर, मीना एवं पारधी जनजातियों को सूची से विलोपित किया गया है। इस प्रकार मध्यप्रदेश राज्य में वर्तमान में 43 जनजातीय समूह निवासरत हैं, ये समूह एक या एक से अधिक उपजातियों में पृथक-पृथक सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूपों में विभक्त है। अनुसूचित जनजाति देश की कुल आबादी का 8.14 प्रतिशत है। क्षेत्रफल की दृष्टि से लगभग 15 प्रतिशत भू-भाग पर अनुसूचित जनजातियाँ निवासरत हैं। मध्यप्रदेश भारत की संपूर्ण जनजातीय जनसंख्या का सर्वाधिक जनसंख्या (14.65 प्रतिशत) वाला प्रदेश है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश की कुल जनसंख्या 7,26,26,809 में जनजातीय जनसंख्या 1,53,16,784 है। यह प्रदेश की कुल जनसंख्या का 21.09 प्रतिशत है।

मध्यप्रदेश मे जनजातियों का वितरण

क्र	जनजाति का नाम	उपसमूह	जिले
1	गोंड	प्रधान,अगरिया, ओझा,नगरची, सोलहास	मध्यप्रदेश के सभी जिले नर्मदा के दोनो किनारों विंध्य सतपुड़ा
2	भील	ब्रेला ,भिलाला, पटेलिया	धार झाबुआ खंडवा बुरहानपुर
3	बैगा	बिझवार ,नरेटिया, नाहर ,राय ,भैना, कथ ,भैना	मंडला , शहडोल बालाघाट
4	कोरकू	मवेसिरुया नाहला बाबरी बेढोयन	खंडवा बुरहानपुर होशंगाबाद बैतूल छिंदवाड़ा
5	भरिया	भूटिया मुई नहार पंडो	छिंदवाड़ा जबलपुर बालाघाट हल्बा हल्बी बस्तरीया छत्तीसगढ़िया बालाघाट
6	कोल	श्रेहिया राथेल	रीवा सतना शहडोल छिंदवाड़ा
7	मारिया	अबूझ मारिया दंडभी भरिया मेटा ओयातुर	पन्ना शहडोल छिंदवाड़ा
8	सहारिया		गुना शिवपुरी मुरैना ग्वालियर विदिशा राजगढ़

स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 275 एवं 339 में अनुसूचित जनजातियों के लिए आर्थिक विकास एवं अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन की व्यवस्था की गई। अनुसूचित जनजातियों के सर्वागीण विकास हेतु पांचवी पंचवर्षीय योजनाकाल से आदिवासी उपयोजना की रणनीति अपनायी गयी हैं। जनजातियों के विकास हेतु विभिन्न विकास विभागों के माध्यम से आर्थिक, शैक्षणिक, मानव संसाधन क्षेत्र विकास एवं अन्य विकास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

म.प्र. की जनजातियाँ हेतु विकास परियोजनाएँ – मध्यप्रदेश, भारत का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाला राज्य है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश की कुल जनसंख्या 7,26,26,809 तथा जनजाति जनसंख्या 1,53, 16,784 है। यह प्रदेश की कुल जनसंख्या का 21.09 प्रतिशत है। संविधान में आदिवासी समाज को सुदृढ़ता की श्रृंखला में बाँधने का प्रयास सुरक्षा और संरक्षण प्रदान कर किया है। भारत सरकार द्वारा योजना के प्रारंभ में आदिवासी उपयोजना की रणनीति स्वीकार करने के पश्चात् मध्यप्रदेश में अनुसूचित क्षेत्र तथा 50 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या वाले जिले, तहसीलों एवं विकास खंडों को इकाई मानकर आदिवासी उपयोजना क्षेत्र का निर्धारण किया गया व विभिन्न परियोजना क्षेत्र चिन्हित किये गये। प्रदेश की जनजातियों के विकास हेतु राज्य एवं

केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न विकास विभागों के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास संबंधी अनेक कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं।

आदिवासी उपयोजनाएँ– प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र 3.08 लाख वर्ग किलोमीटर का 3.18 प्रतिशत (0.98 लाख वर्ग किलो मीटर) क्षेत्र आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के रूप में चिन्हांकित है। वर्तमान में मध्यप्रदेश में आदिवासी उपयोजना क्षेत्रांतर्गत 31 एकीकृत आदिवासी परियोजनाएँ (जिनमें 26 वृहद, 05 मध्यम), 30 माडा पॉकेट (मॉडीफाइड एरिया डव्हलपमेंट एजेंसी) एवं 06 लघु अंचल संचालित है,जिनके द्वारा आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में अधोसंरचना विकास कार्यक्रम संचालित किये जा रहे है ताकि जनजातीय क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिल सके।

शैक्षणिक योजनाएँ – शिक्षा किसी भी योजना की सफलता के लिये प्रथम आवश्यकता है। जनजातियों के लिये शिक्षा की महत्ता को समझते हुये संविधान के अनुच्छेद 15 (4) एवं धारा 46 में अनुसूचित जनजातियों में शिक्षा के विकास के लिये विशेष उपबन्धों का उल्लेख किया गया है। इसी के परिणाम स्वरूप आदिवासियों के लिये स्कूल तथा कालेज स्तर पर योजनाएँ बनी है। विभाग द्वारा प्राथमिक शाला से उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के संचालन के साथ–साथ जनजातीय विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियाँ भी दी जाती है। अनुसूचित जनजातियों के उत्थान हेतु म.प्र. शासन के जनजातीय कार्य विभाग के कार्यक्रमों में शैक्षणिक कार्यक्रम प्रमुख है। प्रदेश के 89 विकास खण्डों में विभाग द्वारा प्राथमिक से उच्चतर माध्यमिक शालाएँ संचालित की जा रही है। शिक्षा के स्तर को और बेहतर बनाने के लिये उक्त शालाओं के अतिरिक्त विशिष्ट आवासीय शैक्षणिक संस्थाओं का संचालन भी किया जा रहा है। वर्तमान में 2629 छात्रावास/आश्रम एवं 139 अन्य आवासीय संस्थाओं सहित कुल 2768 आवासीय संस्थाओं का संचालन किया जा रहा है। साथ ही विभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियों की स्वीकृति एवं वितरण का दायित्व भी है। इस प्रकार विभाग जनजातियों के विकासार्थ शैक्षणिक, आर्थिक एवं अन्य विकास योजनाएँ जो उनके विकास में सहायक है, संचालित कर जनजातीय विकास की दिशा में सतत् प्रयासरत है।

आवासीय विद्यालय योजना – जनजातीय विकास हेतु परियोजनाओं की लागत को पूरा करने तथा अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन स्तर को राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के बराबर लाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 275(1) के पहले प्रावधान के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को भी अनुदान दिया जाता है। जनजातीय विद्यार्थियों को गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने के लिए आवासीय विद्यालय स्थापित करने हेतु निधियों के कुछ हिस्से का प्रयोग किया जाता है।

एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाएँ– मध्यप्रदेश में आदिवासी उपयोजना क्षेत्र अंतर्गत, योजनाओं के निर्माण, बजट प्रबंधन, पर्यवेक्ष अनुश्रवण तथा संबंधित विभिन्न विकास विभागों के बीच आवश्यक समन्वय स्थापित करने के लिए 26 वृहद परियोजनाएँ, 05 मध्यम परियोजनाएँ, 30 माडा पाकेट्स (मॉडीफाइड ऐरिया डव्हलपमे एजेसी) एवं 06 लघु अंचल अस्तित्व में हैं।

विशेष पिछड़ी जनजाति समूह प्राधिकरण– भारत सरकार द्वारा मध्यप्रदेश की 03 जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति में अनुसूचि अधिसूचित किया गया है ये हैं :– बैगा, भारिया एवं सहरिया। बैगा, भारिया एवं सहरिया विशे पिछड़ी जनजाति के लिये राज्य स्तरीय अभिकरणों का गठन किया गया है। प्रत्येक अभिकरण इन्हीं जातियों के एक अध्यक्ष तथा तीन अशासकीय सदस्य मनोनीत रहेगें।

जनजातियों के विकास अभिकरण– विशेष पिछड़ी जनजातियों के विकास हेतु योजनाएँ बनाने व क्रियान्वयन करने हेतु 11 अभिकरण कार्यरत हैं, जिनका कार्य क्षेत्र 15 जिलों में है।

क्र.	मुख्यालय	कार्यक्षेत्र
	सहरिया विकास अभिकरण :	
1	श्योपुरकलां	श्योपुरकलां/मुरैना/भिण्ड
2	शिवपुरी	शिवपुरी जिला
3	गुना	गुना एवं अशोकनगर जिला
4	ग्वालियर	ग्वालियर /दतिया जिला
	बैगा विकास अभिकरण:	
5	मंडला	मंडला जिला
6	शहडोल	शहडोल जिला
7	बालाघाट	बालाघाट जिला
8	उमरिया	उमरिया जिला
9	डिण्डोरी	डिण्डोरी जिला
10	अनूपपूर	अनूपपूर जिला
	भारिया विकास अभिकरण (पातालकोट)	
12	तमिया	तमिया

आदिम जनजातीय समूह (पी.टी.जी) के विकास की योजना – 17 राज्यों तथा 1 संघ राज्य क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कृषि हेतु पूर्व तकनीक, कम साक्षरता दर तथा घट रही या स्थिर आबादी के आधार पर 75 आदिम जनजातीय समूह (पीटीजी) के रुप में पहचाना गया है। इन समूहों की असुरक्षा को देखते हुए, पी.टी.जी के संपूर्ण विकास के लिए एक केन्द्रीय क्षेत्र योजना वर्ष 1998–99 में शुरु की गई थी। यह योजना बहुत लचीली है और इसमें आवास, बुनियादी ढांचे का विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि संवितरण विकास, कृषि विकास, पशु विकास, सामाजिक सुरक्षा, बीमा, आदि शामिल हैं। 2007–08 के दौरान, ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए संबंधित राज्य सरकारोंध्संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किए गए आधारभूत सर्वेक्षणों के माध्यम से व्यापक दीर्घकालिक 'संरक्षण एवं विकास (सीसीडी) योजना' पी.टी.जी हेतु तैयार की गई। इन योजनाओं में राज्य सरकारों तथा गैर–सरकारी संगठनों के प्रयासों के बीच तालमेल हेतु की परिकल्पना की गई थी।

जनजातीय अनुंसधान संस्थान– आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, केरल, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु,पश्चिम बंगाल, उत्तारप्रदेश, मणिपुर तथा त्रिपुरा में चौदह जनजातीय अनुसंधान संस्थान (टीआरआई) स्थापित किए गए हैं। ये संस्थान राज्य सरकारों को योजना संबंधी जानकारियां जैसे– अनुसंधान एंव मूल्यांकन अध्ययन, आंकड़ों का संग्रह, प्रथागत कानून का संहिताकरण तथा प्रशिक्षण, संगोष्ठियां तथा कार्यशालाओं का आयोजन में संलग्न है। इनमें से कुछ संस्थानों का संग्रहालय भी है जिसमें जनजातीय कलाकृतियों का प्रदर्शन किया जाता है।

अनुसूचित जनजाति के छात्रों की प्रतिभा उन्नयन – इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जनजाति के छात्रों को विशेष तथा सुधारात्मक प्रशिक्षण देकर इनकी प्रतिभा का उन्नयन करना है। सुधारात्मक प्रशिक्षण का प्रयोजन

विभिन्न विषयों में कमियों को दूर करना है जबकि विशेष प्रशिक्षणों में इंजीनियरिंग तथा चिकित्सा विषयों जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्राप्त करने हेतु प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए छात्रों को तैयार करना शामिल है। यह योजना राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को 100% केंद्रीय सहायता प्रदान करती है। प्रति छात्र प्रति वर्ष 15,000 रूपये का अनुदान उपलब्ध कराया जाता है तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को कोई भी वित्तीय बोझ का वहन करने की आवश्यकता नहीं होती है।

निष्कर्ष – संविधान में अनुसूची 5 में अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण का प्रावधान है साथ ही अनुच्छेद 17 समाज में किसी भी तरह की अस्पृश्यता का निषेध करता है तो नीति निदेशक तत्तवों के अंतर्गत अनुच्छेद 46 के तहत राज्य को यह आदेश दिया गया है कि वह अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और उनके अर्थ संबंधी हितों की रक्षा करे। संविधान में जनजातियों के राजनीतिक हितों की भी रक्षा के लिए उनकी संख्या के अनुपात में राज्यों की विधानसभाओं तथा पंचायतों में स्थान सुरक्षित रखे गए हैं। जनजातियों की साक्षरता दर जो 1961 में लगभग 10.3% थी वह 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 66.1% तक बढ़ गई। सरकारी नौकरी प्राप्त करने की सुविधा देने की दृष्टि से अनुसूचित जातियों के सदस्यों की आयु सीमा तथा उनके योग्यता मानदंड में भी विशेष छूट की व्यवस्था की गई है।

जनजातियों के उत्थान की दिशा में महत्तवपूर्ण कार्य किये गए हैं। इन सराहनीय कदमों के बावजूद देश भर में जनजातीय विकास को और मजबूत करने की आवश्यकता है। इसके अलावा शिक्षा संबंधी समस्याओं को दूर करने है कि आदिवासियों के लिये सामान्य शिक्षा तथा प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। स्कूलों में उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाए जिससे कि शिक्षा ग्रहण करने के बाद उन्हें बेकारी की समस्या से न जूझना पड़े। कृषि, पशु-पालन, मुर्गी-पालन, मत्स्य-पालन, मधुमक्खी-पालन एवं अन्य प्रकार की हस्तकलाओं का भी उन्हें प्रशिक्षण दिया जाए। निष्कर्षत: यह कहा जा सकता है सरकार अपने स्तर पर जनजातियों की स्थिति को सुधारने की दिशा में बेहतर प्रयास कर रही है लेकिन शासन के कार्यों में और अधिक बदलाव की जरुरत है। योजनाओं का लाभ जनजातियों तक नहीं पहुँच पाता है। इस रुकावट को दूर करने की आवश्यकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. स्टेटिस्टीकल प्रोफाइल ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स, जनजातीय मंत्रालय का सांख्यिकी विभाग, भारत सरकार, 2013
2. जैन, कल्पना, बैगा जनजाति द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले उपकरण, आदिम जाति अनुसन्धान एवं विकास संस्थान, भोपाल, 2007
3. एल्विन, वैरियर, द बैगा, जॉन मुर्रय अलबेमार्ले स्ट्रीट, डब्लू लंदन, 1939
4. फोरसिथ, कैप्टन जे., द हाइलैंड ऑफ सेंट्रल इंडिया, चौपमैन एंड हॉल, 193, लंदन, 1872।
5. रसेल, आर. वी., हीरालाल, द ट्राइब्स एंड कास्ट ऑफ सेन्ट्रल प्रोविसन ऑफ इंडिया, वाल्युम द्वो, लन्दन, 1916
6. शूबर्ट, डब्लू.एच., सुपरीटेंडेंट ऑफ सेंसेस ऑपरेशान सेन्ट्रल प्रोविसन एंड बरार, नागपुर, 1931
7. एल्विन, वैरियर, द बैगा, जॉन मुर्रय अलबेमार्ले स्ट्रीट, डब्लू लंदन, 1939
8. रसेल, आर.वी., हीरालाल, द ट्राइब्स एंड कास्ट ऑफ सेन्ट्रल प्रोविसन ऑफ इंडिया, वाल्युम द्वो, लन्दन, 1916
9. एस.एल. द्योषी, भील्स, स्टेशलिंग पब्लिसर्स, प्रा.लि. नई दिल्ली, 1961
10. महेश कुमार मेहता, मध्यप्रदेश के जनजातीय क्षेत्र में सामुदायिक विकास योजनाओं की प्रगति, रानी दुर्गावती वि.वि. जबलपुर, 1976
11. डॉ. नेमीचंद जैन, भीली का भाषा शास्त्रीय अध्ययन, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इन्दौर, 1991
12. डॉ. शुक्ला महेश एवं डॉ. रफीक मोहम्मद खैरवार जनजाति की सामाजिक आर्थिक एवं संस्कृतिक समस्या अर्जुन पब्लिकेशन दरियागंज नई दिल्ली।
13. निरपुणे बसंत , सहारिया , मध्यप्रदेश आदिवासी लोककला परिषद भोपाल प्रकाशन।
14. रसेल एंड हीरालाल द ट्राइव एंड कास्ट्स ऑफ द सेंट्रल प्रविंश।
15. अखिलेश डॉ. एस सामाजिक मानव शास्त्र साहित्य भवन पब्लिशर्स।
16. गधेर ए विलेज सर्वे ऑफ इंडिया 1961
17. भानु व्यास उदय सहरिया विकास अभिकरण एक मूल्यांकन।
18. गुप्ता डॉ. जगदीश प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला मध्यप्रदेश ग्रंथ अकादमी भोपाल।
19. मजूमदार डी एन रेस एंड कल्चर ऑफ इंडिया एशिया पब्लिशिंग हाउस बांबे 1958।
20. https://tribal.nic.in/Statistics.aspx.
21. https://en.wikipedia.org/wiki/Tribe

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XL

भारतीय जीवन बीमा निगम की विभिन्न बीमा योजनाएँ एवं जीवन बीमा प्रक्रिया का अध्ययन

नितेश ग्रेवाल *

* शोधार्थी (वाणिज्य) विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – जीवन बीमा के सम्बन्ध में भारत में विविध प्रकार की बीमा योजनाएँ प्रचलन में है। इस विविधता के पीछे मूल आधार यह है कि विभिन्न व्यक्तियों की जीवन सम्बन्धी विभिन्न आवश्यकताएँ होती है। इन्हीं आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए वह जीवन बीमा पॉलिसी का चयन करता है। एक व्यक्ति की भावी आवश्यकताएँ – बच्चों की शिक्षा एवं विवाह, सेवानिवृत्ति पश्चात् तथा वृद्धावस्था एवं असमर्थता की दशा में नियमित आय एवं आकस्मिक मृत्यु की दशा में परिवार के सदस्यों की आर्थिक सुरक्षा आदि हो सकती है। भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा बीमा कराने वालों के लिए उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप विभिन्न प्रकार की बीमा योजनाओं का निर्धारण किया गया है। इसके अतिरिक्त भारतीय जीवन बीमा निगम समय-समय पर परिस्थितियों को दृष्टि में रखकर नवीन जीवन बीमा योजनाएँ जारी करता है, जो बीमा योग्य व्यक्तियों की आर्थिक एवं सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप होती है।

बीमा योजनाएँ– भारतीय जीवन बीमा निगम के पास देश के प्रत्येक वर्ग के लिए उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अनेकों बीमा योजनाएँ उपलब्ध है। निगम के विभिन्न बीमा योजनाएँ निम्न प्रकार है –

(1) बन्दोबस्ती बीमा योजनाएँ – बन्दोबस्ती बीमा योजना से आशय ऐसी योजना से है, जिसके अन्तर्गत बीमाकर्ता पक्षकार बीमित धन का भुगतान निर्धारित अवधि अथवा बीमित की मृत्यु, जो भी पहले हो, करता है। यदि बीमित निर्धारित अवधि तक जीवित रहता है तो इस अवधि के पूरा होने पर बीमित धनराशि का भुगतान उसे कर दिया जाता है। यदि निर्धारित अवधि के पूर्व बीमित की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी दशा में बीमित धन का भुगतान उसके नामांकिती अथवा वैधानिक उत्तराधिकारी को कर दिया जाता है।

हमारे देश में यह योजना बहुत लोकप्रिय है, क्योंकि बीमें की यह एक सरल योजना है, जो बचत की प्रोत्साहित करती है। इसके अतिरिक्त, इस बीमा योजना में आर्थिक सुरक्षा एवं बचत दोनों के ही तत्व विद्यमान होते है। इसके अन्तर्गत जोखिम से भी सुरक्षा प्राप्त होती है। भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा निम्नांकित प्रकार की बन्दोबस्ती बीमा योजना का संचालन किया जाता है, जो कि निम्न प्रकार है –

(1) बीमा ज्योति (तालिका संख्या 860)
(2) बीमा रत्न (तालिका संख्या 864)
(3) धन संचय (तालिका संख्या 865)
(4) नई बन्दोबस्ती योजना (तालिका संख्या 914)
(5) नई जीवन आनंद (तालिका संख्या 915)
(6) एकल प्रीमियम बन्दोबस्ती योजना (तालिका संख्या 917)
(7) जीवन लक्ष्य (तालिका संख्या 933)
(8) जीवन लाभ (तालिका संख्या 936)
(9) आधार स्तम्भ (तालिका संख्या 943)
(10)आधार शिला (तालिका संख्या 944)

(2) आजीवन बीमा योजनाएँ – आजीवन बीमा योजना में एक निर्धारित अवधि तक प्रीमियम जमा करने के बदले भारतीय जीवन बीमा निगम बीम धारक की मृत्यु पर एक निश्चित धन राशि उसके उत्तराधिकारियों को देने का वचन प्रदान करता है। इस योजना के अन्तर्गत बीमा राशि का भुगतान केवल बीमित की मृत्यु के पश्चात् ही होता है। अत: यह अकाल मृत्यु की अवस्था में आश्रितों को आर्थिक सुरक्षा का एक सरल एवं सुविधाजनक उपाय है।

इस योजना के अन्तर्गत भारतीय जीवन बीमा निगम ने **जीवन उमंग (तालिका संख्या 945) पॉलिसी जारी की है।**

(3) धन वापसी योजनाएँ –धन वापसी बीमा पॉलिसी में प्रीमियम का भुगतान निर्धारित बीमा अवधि या इस अवधि में बीमित की मत्यु पर होता है। इस बीमा पॉलिसी में पॉलिसी अवधि के दौरान समय-समय पर धन की वापसी एवं पॉलिसी अवधि के अंत तक पूर्ण सुरक्षा होने के कारण इस प्रकार की बीमा पॉलिसी को धन वापसी बीमा पॉलिसी की संज्ञा दी जाती है। इस तरह की पॉलिसी में पूर्व निर्धारित शर्तो के अनुसार निश्चित अंतराल पर बीमा धन का कुछ प्रतिशत भाग बीमा धारक को प्राप्त होता है एवं शेष बीमा धन बोनस सहित पॉलिसी की परिपक्वता पर बीमा धारक को प्राप्त होता है। भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा जारी की गई धन वापसी योजनाएँ निम्न प्रकार है :-

(1) धन रेखा (तालिका संख्या 863)
(2) नई बीमा बचत (तालिका संख्या 916)
(3) नई धन वापसी योजना – 20 वर्ष (तालिका संख्या 920)
(4) नई धन वापसी योजना – 25 वर्ष (तालिका संख्या 921)
(5) नई चिल्ड्रन्स मनी बैक योजना (तालिका संख्या 932)
(6) जीवन तरूण (तालिका संख्या 934)
(7) जीवन शिरोमणि (तालिका संख्या 947)
(8) बीमा श्री (तालिका संख्या 948)

(4) अवधि बीमा योजनाएँ – अवधि बीमा से तात्पर्य भारतीय जीवन बीमा निगम की एक ऐसी योजना से है, जिसके अंतर्गत बीमित धन का

भुगतान तब ही किया जाता है, जब कि बीमित की मृत्यु बीमा अवधि के अन्तर्गत होती है। उल्लेखनीय है कि यदि वह बीमा अवधि के पश्चात् जीवित रहता है तो उसे बीमित राशि का भुगतान प्राप्त नहीं होता है। इस बीमा पॉलिसी के माध्यम से बीमित व्यक्ति को न तो वृद्धावस्था में सहायता मिलती है और न ही उसके परिवार को आर्थिक सुरक्षा। भारतीय जीवन बीमा निगम ने इस योजना के अन्तर्गत निम्न प्रकार की बीमा पॉलिसियों का निर्गमन किया है-

(1) टेक अवधि योजना (तालिका संख्या 854)
(2) जीवन अमर (तालिका संख्या 855)
(3) सरल योजना (तालिका संख्या 859)

(5) पेंशन योजनाएँ – पेंशन बीमा योजनाओं के अन्तर्गत, बीमाधारी (बीमित) को उसके जीवन काल में एक निश्चित उम्र के बाद मासिक रूप से एक निश्चित धनराशि जो उसकी मृत्यु तक उसे तथा उसके पश्चात् उसके जीवन साथी (पति की मृत्यु पर पत्नी को तथा पत्नी की मृत्यु पर पति) को प्राप्त होती रहती है। बीमा कम्पनी, कुछ निश्चित शर्तों का पालन करने के उपरान्त, कुछ समय तक आश्रितों को भी इसका लाभ प्रदान करती है। निगम के द्वारा निर्गमित विभिन्न प्रकार की पेंशन योजनाएँ निम्न प्रकार है –

(1) प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (तालिका संख्या 856)
(2) जीवन अक्षय (तालिका संख्या 857)
(3) नई जीवन शांति (तालिका संख्या 858)
(4) सरल पेंशन (तालिका संख्या 862)

(6) यूनिट लिंक्ड योजनाएँ – यूनिट लिंक्ड योजनाएं, जिने यूलिप के नाम से भी जाना जाता है। पारम्परिक और आधुनिक निवेश विकल्पों का एक बेहतरीन संयोजन है। इस प्रकार की योजनाओं में आर्थिक सुरक्षा के साथ बचत एवं निवेश के अच्छे अवसर प्राप्त होते है। इस योजना में जीवन बीमा के लाभ के साथ-साथ शेयर बाजार से जुडे प्रतिफल भी बीमा धारक को प्राप्त होते है। मर्त्यता शुल्क, प्रशासनिक एवं प्रबन्धकीय ०तथा रखरखाव शुल्क का भुगतान करने के बाद शुद्ध प्रीमियम को बीमा धारक के द्वारा चुने गये फण्ड में निवेश किया जाता है। ये फण्ड इक्विटी, डेट या बैलेंस्ड फण्ड आदि हो सकते है। परिपक्वता पर फण्ड वेल्यु का भुगतान किया जाता है। मृत्यु दावा की दशा में फण्ड वेल्यु या बीमित राशि जो दोनों में अधिक हो का भुगतान किया जाता है। यूलिप में पॉलिसीधारक योजना की निरन्तरता को बाधित किए बिना किसी भी वित्तीय आवश्यकता के समय आंशिक रूप से धन की निकासी कर सकता है। निगम द्वारा जारी वर्तमान में प्रचलित यूलिप पॉलिसियाँ निम्न प्रकार है –

(1) निवेश प्लस (तालिका संख्या 849)
(2) व्यवस्थित निवेश बीमा योजना (ष्प्च) (तालिका संख्या 852)
(3) नई बन्दोबस्ती प्लस (तालिका संख्या 935)

(7) समूह बीमा योजनाएँ – भारतीय जीवन बीमा निगम सेवा योजक-कर्मचारी, व्यवसायियों, सहकारी संस्थाओं, समाज के विभिन्न निर्बल वर्गो को विभिन्न समूहों बीमा पॉलिसियों के अन्तर्गत जीवन बीमा संरक्षण देता है। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अन्तर्गत, यह लोगों को रियायती दरों पर बीमा पॉलिसी जारी कर आर्थिक सुरक्षा भी उपलब्ध कराता है। बीमा पॉलिसी के द्वारा आर्थिक सुरक्षा देने के अतिरिक्त, निगम सेवायोजकों को समूह योजनाएँ भी उपलब्ध कराता है। जिनसे सेवायोजकों को ग्रेच्युटी तथा पेंशन देयताओं के लिये निधि का सृजन होता है। सेवायोजक कर्मचारी समूहों को एक समान जीवन बीमा संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से समूह बीमा योजनाएँ जारी की जाती है। एक समान या श्रेणी कृत संरक्षण प्रदान करने वाली एक समान संरक्षण प्रदान करने वाली समूह बीमा योजनाएँ व्यवसायिकों के संघों, सहकारी बैंकों, कल्याण निधियों, साख समितियों एवं समाज के कमजोर वर्गों के सदस्यों को भी दी जा सकती है।

(8) सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ – वित्तीय समावेशन के रूप में दो ऐतिहासिक बीमा योजनाओं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना संचालित है। इन दोनों योजनाओं का मुख्य उद्देश्य कम लागत पर बैंको के खाताधारकों को बीमा संरक्षण उपलब्ध कराना है। सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ आर्थिक ताकत बनकर लोगों की जीवन की अनिश्चितताओं का सामना करने और परिवार को वित्तीय संकटों से उबरने में सक्षम बनाती है।

जीवन बीमा कराने की कार्यविधि – किसी व्यक्ति का जीवन बीमा करने से पूर्व निगम द्वारा कुछ औपचारिकताएँ पूर्ण कराई जाती है। इन औपचारिकताओं का सम्बन्ध उन सूचनाओं एवं कार्यवाहियों से है, जिनके आधार पर निगम प्रस्तावक का बीमा करने का निर्णय लेता है तथा बीमा पॉलिसी निर्गमित करता है। इस प्रकार जीवन बीमा कराने की एक सम्पूर्ण प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया के विभिन्न चरणों को संयुक्त रूप में बीमा कराने की कार्यविधि या बीमा पत्र निर्गमन की कार्यविधि के नाम से सम्बोधित किया जाता है।

भारतीय जीवन बीमा निगम के अभिकर्ता बीमा कराने की कार्यविधि में सूत्रधार का कार्य करते है। जीवन बीमा अभिकर्ता स्वयं लोगों से मिलते रहते है तथा जीवन बीमा के विभिन्न स्वरूपों से उन्हें परिचित कराकर बीमा कराने को प्रोत्साहित करते है। बीमा कराने के इच्छुक व्यक्ति को बीमा अभिकर्ता बीमा कराने सम्बन्धी कार्यवाही पूरी करने में सहायता करते है। यदि कोई व्यक्ति स्वयं जीवन बीमा कराने का इच्छुक होता है तो उसे भी किसी जीवन बीमा अभिकर्ता से सम्पर्क स्थापित करना होता है, ताकि बीमा लेने सम्बन्धी आवश्यक कार्यवाही पूरी की जा सके।

जीवन बीमा कराने की कार्यवाही निम्नलिखित क्रम से होती है –

(1) प्रस्तावक द्वारा **'प्रस्ताव-प्रपत्र'** का फॉर्म तैयार करना।
(2) डॉक्टरी जाँच करवाना और इसकी रिपोर्ट तैयार करना।
(3) अभिकर्ता की रिपोर्ट तैयार करना और उसके प्रस्ताव-प्रपत्र, डॉक्टरी रिपोर्ट के साथ निगम के कार्यालय में भेजना।
(4) निगम द्वारा प्रस्ताव पर विचार करना।
(5) यदि प्रस्ताव स्वीकार करने योग्य हुआ तब निगम द्वारा स्वीकृति-पत्र का भेजा जाना, बीमा का आरम्भ तथा बीमा पॉलिसी का जारी किया जाना।

जीवन बीमा कराने या जीवन बीमा पॉलिसी निर्गमन सम्बन्धी कार्यविधि के विभिन्न चरण निम्नांकित चार्ट में दर्शाये गये है।

जीवन बीमा की कार्यविधि को दर्शाने वाला चार्ट

प्रस्ताव पत्र
आयु का प्रमाण
डॉक्टरी रिपोर्ट
अभिकर्ता की रिपोर्ट
प्रस्ताव पर विचार
स्वीकृत-पत्र, जोखिम का प्रारंभ तथा बीमा पॉलिसी

1. प्रस्ताव पत्र – बीमा कराने वाले को बीमाकर्ता के छपे हुए प्रस्ताव पत्र में अपना प्रस्ताव भेजना होता है। यह प्रस्ताव पत्र अभिकर्ता से प्राप्त किया जाता है। बीमा के लिए प्रस्ताव करने वाले व्यक्ति को प्रस्तावक कहा जाता है। प्रस्तावक को अपने बारे में विस्तृत विवरण (जैसे – नाम, जन्म की तारीख, पता, व्यवसाय) बीमित व्यक्ति का नाम, बीमा की राशि, अपनी पसंद की योजना और अवधि, प्रीमियम भुगतान का ढंग, नामांकित व्यक्ति आदि की जानकारी देने की आवश्यकता होती है। साधारणत: प्रस्ताव–प्रपत्र को स्वास्थ्य और आदत के बारे में व्यक्तिगत कथन तथा अभिकर्ता की रिपोर्ट के साथ बीमाकर्ता को देना होता है। यदि डॉक्टरी परीक्षा की आवश्यकता होती है, तब डॉक्टरी परीक्षण की गुप्त रिपोर्ट अलग से बीमाकर्ता के पास भेजनी होती है।

अभिकर्ता और विकास अधिकारी की रिपोर्ट से दो उद्देश्य पूरे होते है –

1. यह प्रस्तावक की आय और उसकी आर्थिक स्थिति के स्त्रोत और राशि के सम्बन्ध में सूचना देती है जो बीमाकर्ता की आय की पर्याप्त तथा प्रस्तावित बीमा की राशि और आवश्यकता को निश्चित करने में सहायता करती है।
2. यह वह सूचना देती है जो बीमा अभिकर्ता अपने पूछताछ के द्वारा या व्यक्तिगत ज्ञान से प्राप्त करता है, जिससे उन सूचनाओं की जाँच होती है जो प्रस्तावक प्रस्ताव पत्र और व्यक्तिगत कथन विशेषकर बीमा लेने के उद्देश्य के बारे में देता है।

प्रस्ताव के फार्म भिन्न–भिन्न होते है, यह इस तथ्य पर निर्भर करते है कि बीमा की योजना क्या है, किस प्रकार का बीमा है जैसे – डॉक्टरी जाँच का बीमा है या बिना डॉक्टरी जाँच का बीमा, अपने जीवन का कराया जा रहा है या दूसरे के जीवन का आदि। इसी प्रकार अतिरिक्त फॉर्म और रिपोर्ट की आवश्यकता हो सकती है। यह इस पर निर्भर करेगा कि बीमा का आकार, जोखिम की प्रकृति तथा बीमा धारक की आयु कितनी है।

प्रस्ताव प्रपत्र एक महत्वपूर्ण दस्तावेज न केवल इसलिए होता है कि उसमें मूल्यवान सूचनायें होती है, बल्कि इसलिए भी होता है कि प्रस्तावक प्रस्ताव पत्र के अंत में घोषणा करता है कि प्रश्नों को अच्छी तरह समझने के बाद दिये गये जवाब तथा वक्तव्य सही तथा पूर्ण है। वास्तव में प्रस्ताव प्रपत्र का यही कथन संविदा का आधार बनता है। यदि कोई भी घोषणा असत्य पायी गयी तो संविदा शून्य हो जायेगी।

प्रस्ताव प्रपत्र में यह भी लिखा जाता है कि यदि फार्म ऐसी भाषा में भरा गया है जिससे प्रस्तावक परिचित नहीं है या यदि प्रस्तावक अनपढ़ है और हस्ताक्षर के स्थान पर केवल अंगूठा ही लगा सकता है तब किसी ऐसे व्यक्ति को जो उस भाषा से परिचित है को यह घोषणा करनी होती है कि उसने फार्म के सभी विषय प्रस्तावक को समझा दिये है और उसने उन्हें समझ लिया है। इस प्रकार वह तब भी प्रस्ताव पत्र के कथनों को सत्यता तथा परिणामों से बंधा होता है। वास्तव में इस प्रकार की आवश्यकता भारत जैसे देशों में होती है। जहाँ बीमाकर्ता की व्यवसायिक भाषा के अलावा और भी कई भाषायें बोली जाती है और पढ़े लिखे लोग बहुत कम है।

2. आयु का प्रमाण – प्रस्ताव पत्र के साथ ही प्रस्तावित जीवन की आयु का साक्ष्य भी देना होता है। आयु प्रमाणित करने के लिए निम्नलिखित में से कोई भी साक्ष्य दिया जा सकता है –

1. स्कूल या कॉलेज का परीक्षा सम्बन्धी प्रमाण–पत्र या अन्य अभिलेखों से प्रमाणित उद्धरण, जिसमें जन्म तिथि या आयु का उल्लेख किया गया हो।
2. निम्नलिखित वर्गों के कर्मचारियों के बारे में उनकी सेवा पुस्तिका (सर्विस बुक) से आयु के बारे में प्रमाणित उद्धरण –

(अ) सरकारी या अर्द्ध सरकारी सेवा के कर्मचारी, तथा

(ब) व्यवसायिक और औद्योगिक प्रतिष्ठानों के कर्मचारी, यदि सम्बन्धित प्रमाणित उद्धरण में यह स्पष्टतया बताया गया है कि सेवा में भर्ती होते समय कर्मचारी की आयु का निश्चायक साक्ष्य प्रस्तुत किया गया था।

3. नगर पालिका की जन्म–पंजीका या अन्य अभिलेखों से जन्म सम्बन्धी प्रमाणित उद्धरण,
4. पासपोर्ट में अंकित जन्म तिथि या आयु
5. बप्तिस्मा अर्थात् ईसाइयत का प्रमाण पत्र या पारिवारिक बाईविल से प्रमाणित उद्धरण यदि उसमें जन्म तिथि या आयु का उल्लेख हो, रोमन कैथलिकों के सम्बन्ध में उनके चर्च द्वारा दिया गया विवाह सम्बन्धी प्रमाण पत्र,
6. प्रतिरक्षा कर्मचारियों के प्रसंग में प्रतिरक्षा विभाग द्वारा जारी किया गया परिचय कार्ड, जिसमें जन्म तिथि या आयु अंकित हो,
7. अधिवासी प्रमाण–पत्र, जिसमें स्कूल प्रमाण–पत्र या जन्म प्रमाण–पत्र के आधार पर आयु प्रमाणित की गयी हो।
8. अन्य कोई दूसरा दस्तावेज जिसमें बीमा कम्पनियों को स्वीकार्य आयु को दूसरे मानक सबूतों में से एक के आधार पर जन्मतिथि ज्ञात होती है।

3. डॉक्टरी रिपोर्ट – यदि प्रस्तावित बीमे के लिए डॉक्टरी जाँच अनिवार्य हो तब बीमा का प्रस्ताव तैयार कराने के बाद प्रस्तावक की डाक्टरी जाँच होती है। इसके लिये प्रत्येक स्थान पर निगम द्वारा अनेक डॉक्टरों को प्राधिकृत किया गया है जिनके यहाँ प्रस्ताव को डाक्टरी जाँच कराने के लिए जाना होता है।

डॉक्टरी परीक्षा करने के उपरांत डॉक्टरी रिपोर्ट के अंत में डॉक्टर को यह भी बताना होता है कि उसकी राय में प्रस्तावित जीवन प्रथम श्रेणी का है या नही, और यदि नहीं तो किन कारणों से।

डॉक्टरी रिपोर्ट एक गोपनीय दस्तावेज होता है जिसके विवरणों की जानकारी प्रस्तावक या अभिकर्ता को नहीं होना चाहिए। इसलिए प्राधिकृत डॉक्टर रिपोर्ट निगम से सम्बन्धित शाखा कार्यालय को सीधे भेजता है।

4. अभिकर्ता की रिपोर्ट – प्रस्तावक के सम्बन्ध में अभिकर्ता को भी छपे हुए फार्म में अपनी रिपोर्ट देनी होती है। इस रिपोर्ट में अभिकर्ता को यह लिखना होता है कि वह प्रस्तावक को कब से जानता है, प्रस्तावक उसका सम्बन्धी है या नहीं, प्रस्तावक के स्वास्थ्य की दशा कैसी है प्रस्तावक की सम्पूर्ण आय क्या है, प्रस्ताव के शरीर में कोई विकृति या कोई विशेषता है, क्या वह प्रस्ताव के सम्बन्ध में कोई ऐसा तथ्य जानता है जिससे जोखिम में वृद्धि होने की सम्भावना हो आदि। अंत में अभिकर्ता को अपनी राय देनी होती है कि वह प्रस्तावक को बीमा के योग्य समझता है या नहीं।

5. प्रस्ताव पर विचार – प्रस्ताव–पत्र डॉक्टरी रिपोर्ट और अभिकर्ता की रिपोर्ट के बाद बीमा के प्रस्ताव पर विचार किया जाता है। उसमें यह निर्धारित करना होता है कि प्रस्तावित जोखिम किस कोटि का है और इसका जीवन बीमा किया जाये या नही। इस विचार–प्रक्रिया को जोखिम का चयन कहा जाता है।

6. स्वीकृत–पत्र, जोखिम का प्रारंभ तथा बीमा पॉलिसी

(क) स्वीकृत पत्र – यदि प्रस्ताव स्वीकार करने के योग्य पाया गया तब एक पत्र भेजा जाता है जिसे 'स्वीकृति–पत्र' कहते है। इसमें प्राय: अनेक शर्तें लिखी जाती है और निर्धारित समय में प्रस्तावक से प्रथम प्रीमियम चुकाने को कहा जाता है। इन शर्तों के कारण स्वीकृति–पत्र संविदा के दृष्टिकोण से प्रस्ताव की स्वीकृति नहीं मानी जानी चाहिए वरन् 'प्रतिप्रस्ताव' माना जाना चाहिए। अत: स्वीकृति–पत्र के कारण ही संविदा पूर्ण नही हो जाती है। संविदा तब पूर्ण होती है जब प्रस्तावक स्वीकृति–पत्र की शर्तों को पूरी कर लेता है।

(ब) जोखिम का प्रारम्भ – प्राय: स्वीकृति पत्र में यह लिखा होता है कि जब तक प्रथम प्रीमियम न चुका दिया जाये तब तक जोखिम प्रारम्भ न होगा। अत: वैधानिक दृष्टिकोण से जोखिम का प्रारम्भ तब माना जाता है, जब प्रस्तावक प्रथम प्रीमियम जमा कर दे। किन्तु व्यवहार में बीमा प्रस्ताव–पत्र के साथ ही प्रथम प्रीमियम की धनराशि भी अग्रिम जमा करा दी जाती है अत: ऐसी दशा में प्रस्ताव स्वीकृत होते ही जोखिम का प्रारम्भ प्रस्ताव–पत्र में इंगित तिथि से हो जाता है। प्रथम प्रीमियम पाने पर एक रसीद भेजी जाती है जिसे 'प्रथम प्रीमियम रसीद' कहते है। इसके बाद बीमा बीमा पॉलिसी तैयार की जाती है जिसमें कुछ समय लगता है। बीमा पालिसी पाने के पूर्व तक यही प्रथम प्रीमियम रसीद जीवन बीमा की संविदा का साक्ष्य होती है।

(ग) बीमा का पूर्व–तिथिकरण – यदि प्रस्तावक चाहे तो जोखिम के प्रारम्भ होने की तिथि किसी पूर्व तिथि में रखवा सकता है। इसके लिए प्रस्ताव पत्र में ही इस बात का स्पष्ट उल्लेख कर दिया जाता है कि प्रस्तावक किस पूर्व तिथि से बीमा का प्रारम्भ चाहता है। बीमा स्वीकृत होने पर और प्रीमियम अदा होने पर बीमा का प्रारम्भ इस पूर्व तिथि से हो जाता है। इसे 'बीमा का पूर्व तिथिकरण' कहा जाता है।

पूर्व–तिथिकरण मुख्यतया इस उद्देश्य से कराया जाता है कि बीमाधारक को एक वर्ष नीचे के आयु के अनुसार अपेक्षाकृत कम दर पर बीमा की सुविधा मिल सके। यदि एक माह तक की पूर्व तिथिकरण कराया जाय तब कोई अतिरिक्त रकम नहीं देनी होती, किन्तु उससे अधिक अवधि का पूर्व–तिथिकरण कराने के लिए निगम अतिरिक्त ब्याज भी वसूल करती है।

(घ) जीवन बीमा पॉलिसी – यह एक दस्तावेज होता है जिसमें बीमाधारक और बीमाकर्ता के बीच स्वीकृत संविदा का पूरा विवरण होता है। इसमें उल्लिखित शर्तों के अनुसार ही दोनों पक्षकारों के अधिकारों और दायित्वों को ज्ञात किया जा सकता है। इसमें बीमाधारक का नाम, पता, बीमा का प्रकार, बीमित रकम, बीमा अवधि, प्रीमियम भुगतान का ढंग, आदि का विवरण दिया जाता है। पालिसी के पीछे इसकी शर्तों एवं सुविधाओं का उल्लेख रहता है।

एक जीवन बीमा पॉलिसी में अनेक तथ्यों का उल्लेख होता है, जिनका वर्णन निम्नांकित रूप में किया जा सकता है, यथा – बीमा धारक का नाम, पॉलिसी संख्या तथा जोखिम प्रारम्भ की तिथि, बीमा योजना का नाम एवं तालिका संख्या, बीमित धन, प्रीमियम भुगतान का तरीका, प्रीमियम की देय किश्त, प्रीमियम भुगतान की अवधि एवं नामिति का नाम आदि।

मूल रूप से जीवन बीमा आर्थिक सुरक्षा, बचत, निवेश और स्वास्थ्य के उद्देश्य से बीमा धारक के जीवन के लक्ष्यों को पूरा करता है। इसलिए जीवन बीमा पॉलिसी का चयन भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर सावधानीपूर्वक करना चाहिए। जीवन बीमा, बीमा धारक की मृत्यु की स्थिति में परिवार के लिए आर्थिक सुरक्षा कवच होता है। अनुभवसिद्ध नियम यह है कि जीवन बीमा कवर व्यक्ति की वर्तमान आय के 10 गुना के बराबर होना चाहिए और इसमें देनदारी को भी शामिल करना चाहिए, ताकि सटीक तरीके से आय का वैकल्पिक स्त्रोत तैयार किया जा सके, जैसे–जैसे जिम्मेदारियाँ बढ़ती है, वैसे–वैसे बीमा धारक का जीवन बीमा कवर भी बढ़ना चाहिये।

सदर्भ ग्रंथ सूची:–

1. डॉ. एम.एन. मिश्रा: **'बीमा सिद्धांत एवं व्यवहार'** लोक भारती प्रकाशन, इलाहाबाद वर्ष 2006
2. बालचन्द्र श्रीवास्तव: **'बीमा के तत्व'** साहित्य भवन आगरा वर्ष 2007
3. डॉ. कामेश्वर नाथ श्रीवास्तव:**'भारत में सामाजिक बीमा'** बिहार हिन्दी ग्रन्थ अकादमी पटना वर्ष 2009
4. डॉ. आर.एल. नौलखा: **'बीमा के तत्व'** रमेश बुक डिपो जयपुर वर्ष 2016

पत्रिकाएँ एवं वार्षिक प्रतिवेदन:–

1. बीमा अभिकर्ता निर्देशिका,भारतीय जीवन बीमा निगम, मुम्बई
2. वार्षिक डायरी, भारतीय जीवन बीमा निगम, मुम्बई
3. योगक्षेम, भारतीय जीवन बीमा निगम, मुम्बई

समाचार–पत्र:–

1. बिजनेस भास्कर
2. बिजनेस स्टेण्डर्ड

वेबसाइट्स:–

1. http://www.licindia.in
2. http://www.irdai.gov.in
3. http://www.policybazaar.com

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XL

नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में उद्यमशीलता हेतु प्रावधान - चुनौतियां और संभावनाएं

डॉ. जया कैथवास *

* सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) शासकीय कुसुम महाविद्यालय, सिवनी मालवा (म.प्र.) भारत

शोध सारांश - शिक्षा एक ऐसी विस्तृत प्रक्रिया है, जो मानव के व्यक्तित्व के सभी पक्षों- शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक तथा आध्यात्मिक का विकास करते हुए उसे साधन सम्पन्न तथा देश के प्रति एक कर्तव्यनिष्ठ नागरिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। वर्तमान में शिक्षा और उद्यमशीलता के मध्य एक सह-सम्बंध स्थापित हो चुका है। प्राचीनकाल से चली आ रही उद्यमिता की अवधारणा विगत् कुछ वर्षों में एक नई खोज के रूप में प्रकट हुई है। इस परिप्रेक्ष्य में उद्यमिता को आर्थिक प्रगति का एक महत्वपूर्ण स्त्रोत माना जा सकता है। उद्यमशीलता में विकास की गति को अक्षुण्ण बनाए रखने में शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकती है। प्रस्तुत शोध पत्र का उद्देश्य नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सकारात्मक पक्ष तथा इस नीति में उद्यमशीलता के महत्व को रेखांकित करते हुए आने वाली चुनौतियों और संभावनाओं का अध्ययन करना है।

शब्द कुंजी - नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 - आवश्यकता, उद्देश्य, महत्वपूर्ण बिन्दु, उद्यमशीलता हेतु प्रावधान, चुनौतियां और संभावनाएं।

प्रस्तावना - शिक्षा और मानव जाति का सम्बंध मानव के अस्तित्व जितना ही पुराना है। शिक्षा मानव के विकास का मूल साधन है, जो मानव को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने में सहायता करती है। मानव की जन्मजात षक्तियां शिक्षा के माध्यम से ही विकसित होती हैं। शिक्षा ही मानव को सभ्य, सुषिक्षित तथा योग्य नागरिक बनाती है। शिक्षा के माध्यम से प्राप्त मानव-जीवन के बौद्धिक व सांस्कृतिक पक्ष मानव को पशुओं से भिन्न बनाते हैं। प्लेटो (427-347 बीसी), के अनुसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य मनुष्य को सामुदायिक जीवन में व्यवस्थित कर उसके मस्तिष्क में छिपी हुई प्रतिभाओं को प्रकाशवान करना है।

उद्यमशीलता जीवन का एक आवश्यक अंग है। यह मानव जीवन का एक आधारभूत दर्शन एवं स्वभाव है जो जो कि व्यक्ति को स्वभावत: यकर्म करने हेतु प्रेरित करता है। यह मात्र धन सुजन करने का एक तरीका ही नहीं है, बल्कि व्यक्तित्व विकास एवं समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास का एक महामंत्र है जो आत्मनिर्भरता एवं आत्मसहायता के साथ बेहतर तरीके से मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। उद्यमिता की अवधारणा इस बात का द्योतक है कि आत्मविश्वास और इच्छाशक्ति के बल पर स्वयं के व्यवसाय का सृजन करके उसे न केवल आय का माध्यम बनाया जा सकता है अपितु नेतृत्वशीलता का गुण विकसित करके अन्य लोगों को भी स्वरोजगार की दिशा में अभिप्रेरित किया जा सकता है।

किसी भी देश के भावी नागरिकों के शैक्षणिक स्तर को उच्चतम स्तर पर ले जाने के लिये शिक्षा से सम्बंधित नीतियां महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती हैं। वर्तमान राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 इसी दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसमें पुरानी शिक्षा नीतियों की कमियों को दूर करने का प्रयास किया गया है।

नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020, 21वीं सदी की प्रथम शिक्षा नीति है, जो लगभग 34 वर्ष पश्चात बनाई गई है। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात स्वतंत्र भारत की प्रथम शिक्षा नीति वर्ष 1968 में लागू की गई थी, जो डॉ. डी. एस. कोठारी की अध्यक्षता में गठित आयोग की अनुशंसाओं पर आधारित थी। वर्ष 1985 में 'शिक्षा की चुनौतियां' दस्तावेज की अनुशंसाओं पर आधारित वर्ष 1986 में दूसरी शिक्षा नीति बनाई गई, जिसमें सम्पूर्ण देश के लिये एक समान शैक्षणिक संरचना की अवधारणा को अपनाने का प्रावधान रखा गया था। इस नीति को वर्ष 1992 में संशोधित भी किया गया था। वर्तमान नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य भारत को वैश्विक स्तर पर शैक्षिक रूप से महाशक्ति बनाना तथा भारत में शिक्षा का सार्वभौमिकरण कर शिक्षा की गुणवत्ता को उच्चतम करना है। नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 हेतु गठित समिति के अध्यक्ष डॉ. के. कस्तूरीरंगन हैं, जिनके नाम पर इस समिति का नाम 'कस्तूरीरंगन समिति' रख गया है, जिसकी अनुशंसाओं के आधार पर नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 में शिक्षा से सम्बन्धित कई नियमों में परिवर्तन किये गये हैं तथा वर्ष 2030 के सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये कई महत्वपूर्ण प्रावधान भी किये गये हैं।

नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 की आवश्यकता - वर्ष 2015 से प्रारंभ संयुक्त राष्ट्र महासभा की 70वीं बैठक में अगले 15 वर्षों के लिये सतत विकास लक्ष्य निर्धारित किये गए थे। भारत द्वारा वर्ष 2015 में अपनाए गए सतत विकास एजेंडा 2030 के लक्ष्य 4 (एसडीजी 4) में परिलक्षित वैश्विक शिक्षा विकास एजेंडा के अनुसार समावेशी और न्यायसंगत गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही सभी को सीखने का अवसर देने का लक्ष्य निर्धारित है। इसके अतिरिक्त लक्ष्य 6 (एसडीजी 6) में सभी के लिये निरंतर समावेशी और सतत आर्थिक विकास, पूर्ण और उत्पादक रोजगार, और सभ्य काम को बढ़ावा देने का लक्ष्य भी निर्धारित है। भारत के लिये इन लक्ष्यों को प्राप्त करने तथा अपने उत्तरदायित्व को पूर्ण करने के लिये पुरानी शिक्षा नीति में सकारात्मक परिवर्तन करने की आवश्यकता होगी। नवीन

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 इसी लक्ष्य की प्राप्ति हेतु एक सार्थक कदम है। केन्द्र सरकार ने इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के साथ-साथ उद्यमशीलता की अवधारणा को भी नवीन शिक्षा नीति में स्थान दिया है।

नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उद्यमशीलता से सम्बंधित प्रमुख प्रावधान – नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उद्यमशीलता को ध्यान मे रखते हुए निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रावधान किये गये हैं :

1. नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत वर्ष 2030 तक शैक्षिक प्रणाली को निश्चित किया गया है और वर्तमान में चल रहे 10+2 के मॉडल के स्थान पर पाठ्यक्रम में 5+3+3+4 की शैक्षिक प्रणाली के आधार पर पाठ्यक्रम को विभाजित करने की अनुशंसा की गई है।
2. नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में केंद्र तथा राज्य सरकार के निवेश का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है। इसके अंतर्गत केंद्र तथा राज्य सरकारें देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 6 प्रतिशत के बराबर शिक्षा क्षेत्र में निवेश करेंगी। पहले यह निवेश 4.43 प्रतिशत था।
3. नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत कक्षा छठी से कक्षा आठवीं तक के छात्रों के व्यावसायिक अध्ययन पर ध्यान दिये जाने का प्रावधान है, इसके अंतर्गत बागबानी, लकड़ी का काम, मिट्टी के बर्तन, बिजली का काम आदि शामिल है।
4. नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत वर्ष 2025 के अंत तक कम से कम 50 प्रतिशत छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा दिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
5. नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत बच्चों की पढ़ाई के साथ-साथ उनके कौशल विकास पर विशेष ध्यान देने का प्रयास किया गया है। इसके लिये छठवीं कक्षा से ही बच्चों को व्यवसायिक प्रषिक्षण (इंटर्नशिप) से जोड़ने का प्रावधान किया गया है।
6. नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत छात्रों को मूल्य आधारित समावेशी शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान रख गया है, जिससे उनके वैज्ञानिक स्वभाव को विकसित किया जा सके।
7. नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत शिक्षा प्रदान करने के लिए तकनीक का उपयोग तथा ऑनलाइन पाठ्यक्रमों को विकसित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा प्रौद्योगिकी (एनईटीएफ) की भी स्थापना करने का प्रावधान है।
8. नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में छात्रों को आवश्यक कौशल और ज्ञान से परिपूर्ण करने तथा विज्ञान, तकनीकी, अकादमिक क्षेत्र और उद्योगों में कुशल व्यक्तियों की कमी को दूर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
9. नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भारत को ज्ञान आधारित सुपर पॉवर के रूप में स्थापित करने हेतु स्नातक शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, थ्री-डी मशीन, डेटा-विश्लेषण, जैव प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों के समावेशन हेतु विशेष प्रावधान किये गये हैं,
10. नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षकों से यह अपेक्षा रखी गई है कि वह स्वयं पेशे से सम्बंधित आधुनिक विचार, नवाचार और स्वयं में सुधार करने के लिये स्वेच्छा से प्रतिवर्ष 50 घण्टों के सतत व्यावसायिक विकास कार्यक्रम में सहभागिता करें।

चुनौतियां – राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत शिक्षा पद्धति में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन किये जा रहे हैं। मध्यप्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय इन परिवर्तनों को लागू करने के लिये शिक्षा नीति में निहित प्रावधानों के अनुसार पूर्ण प्रयास कर रहे हैं। इन प्रयासों में इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशों का भी पालन किया जा सके। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशों के अनुसार स्नातक स्तर के डिग्री प्रोग्राम के लिये कुल क्रेडिट का कम से कम 20 प्रतिशत अप्रेंटिसशिप अथवा इंटर्नशिप के लिये आवंटित किया जाना चाहिये। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत तीन वर्षीय स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम में प्रति वर्ष इसके लिये प्रावधान है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और नेषनल काउंसिल फॉर टेक्निकल एजूकेशन को समाप्त करके नियामक बॉडी बनाएं जाने का प्रावधान किया गया है, जिसमें अत्यधिक समय लगने की संभावना है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत किये गये प्रावधानों को लागू करने तथा नये परिवर्तनों को प्रारंभ करने के लिये मध्यप्रदेश के किसी भी सरकारी विश्वविद्यालय में कोई रणनीति नहीं बनाई जा सकी है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भारतीय और विदेशी संस्थानों के साथ शैक्षणिक सहयोग के माध्यम से ज्वाइंट और ड्यूल डिग्री प्रोग्राम के लिये मई 2022 में रेग्यूलेशन जारी किया है। इसके अंतर्गत प्रदेश के अधिकांश विश्वविद्यालय पात्र ही नहीं हैं, क्योंकि उनके पास नैक का ए ग्रेड ही नहीं है।

संभावनाएं – नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लागू होने के पष्चात् अब भारत के छात्र भी वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 रोजगारोन्मुखी शिक्षा को एक कदम आगे बढ़ाते हुए, व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर देती है। इस नीति में यह परिकल्पना की गई है कि व्यावसायिक शिक्षा को अगले दशक में चरणबद्ध तरीके से सभी माध्यमिक विद्यालयों के शैक्षिक प्रस्तावों में एकीकृत किया जाएगा। इसके लिए माध्यमिक विद्यालय, व्यावसायिक पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए आईटीआई, पॉलिटेक्निक, स्थानीय उद्योग आदि के साथ सहयोग करेंगे। इस नीति में प्रस्तावित सुधारों के अनुसार, कला और विज्ञान, व्यावसायिक तथा शैक्षणिक विषयों एवं पाठ्यक्रम व पाठ्येत्तर गतिविधियों के बीच बहुत अधिक अंतर नहीं होगा। कक्षा-6 से ही शैक्षिक पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को शामिल कर दिया जाएगा और इसमें इंटर्नशिप की व्यवस्था भी की जाएगी।

सभी विद्यार्थी कक्षा 6-8 के दौरान 10-दिवसीय बस्ता रहित कक्षा में भाग लेंगे, जहां वे स्थानीय व्यावसायिक विशेषज्ञों के साथ इंटर्न करेंगे। कक्षा 9-12 में विद्यार्थियों को व्यावसायिक विषयों की पढ़ाई के लिए समान इंटर्नशिप के अवसर मिलेंगे, यह स्कूल छोड़ने वाले उन लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है जो असंगठित क्षेत्र में नौकरी की तलाश करते हैं, या स्वरोजगार का विकल्प चुनते हैं।

नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के अंतर्गत व्यावसायिक शिक्षा को अगले दशक में चरणबद्ध तरीके से सभी स्कूल और उच्च शिक्षा संस्थानों में एकीकृत किया जाएगा। नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 में माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर वित्तीय साक्षरता, कोडिंग डेटा विज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे वैकल्पिक विषयों की शुरुआत उन विषयों को लाने की इच्छा के संकेत हैं जिनका रोजगार पर सीधा प्रभाव पड़ता है और जो छात्रों को रोजगार बाजार के लिए रचनात्मक बदलावों के लिए तैयार करते हैं।

निष्कर्ष – नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 व्यावसायिक शिक्षा को अकादमिक पाठ्यक्रमों की तुलना में कम महत्व देने वाली और मुख्यधारा की शिक्षा की कठोरता का सामना करने में असमर्थ विद्यार्थियों के लिए अंतिम उपाय के रूप में देखी जाने वाली पुरानी प्रणाली के विपरीत, मुख्यधारा की शिक्षा प्रणाली के साथ एकीकृत करती है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 21वीं सदी के भारत की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये भारतीय शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन हेतु जिस नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 को स्वीकृति प्रदान की है, यदि उसका क्रियान्वयन सफल तरीके से होता है तो यह नवीन प्रणाली भारत को विश्व के अग्रणी देशों के समकक्ष ले आएगी। स्नातक शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, थ्री–डी मशीन, डेटा–विश्लेषण, जैव प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों के समावेशन से अत्याधुनिक क्षेत्रों में भी कुशल पेशेवर तैयार होंगे और युवाओं की रोजगार क्षमता में वृद्धि होगी।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति –2020, रोजगार समाचार, नई दिल्ली, ई–संस्करण।
2. नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति –2020, व्यावसायिक शिक्षा की पुनर्कल्पना।
3. दैनिक भास्कर, ई–समाचार पत्र।
4. दैनिक जागरण, ई–समाचार पत्र।
5. नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति –2020, दृष्टि आईएएस।

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XL

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 का विश्लेषणात्मक अध्ययन

डॉ. मीना कीर *

* सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) शासकीय नर्मदा महाविद्यालय, नर्मदापुरम (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – भारतीय संसद द्वारा 6 अगस्त 2019 को उपभोक्ता संरक्षण विधेयक के पारित होने और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पश्चात् उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू हो गया है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 107 के द्वारा पुराने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को निरस्त कर दिया गया है। नया अधिनियम जम्मू एवं कश्मीर राज्य को छोड़कर सम्पूर्ण भारत में लागू होगा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 देश के उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण हेतु एक ऐसा कानून है, जिसमें उत्पाद दायित्व, उपभोक्ता संरक्षण अभिकरण और मध्यस्थता जैसी अवधारणाओं को प्रथम बार शामिल किया गया है। पुराने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की कई अवधारणाओं को भी नये अधिनियम में कुछ संशोधनों के साथ लागू किया गया है। उपभोक्ता विवादों के निराकरण हेतु केन्द्र, राज्य और जिला स्तर पर स्थापित की गई त्रिस्तरीय व्यवस्था देश के उपभोक्ताओं के मन में आषा की एक नई किरण का प्रादुर्भाव करती है।

शब्द कुंजी – उपभोक्ता अधिकार, उपभोक्ता संरक्षण हेतु त्रिस्तरीय निकाय, उत्पाद दायित्व, मध्यस्थता एवं नवीन प्रावधान।

प्रस्तावना – उपभोक्ताओं एवं व्यवसायियों में अपने-अपने उत्तरदायित्वों के प्रति चेतना जागृत करने के लिये वर्ष 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 अस्तित्व में आया, जिसका मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं के हितों की श्रेष्ठ रीति से सुरक्षा करना तथा इस हेतु उपभोक्ता विवादों तथा अन्य सम्बंधित मामलों का निवारण करने के लिये उपभोक्ता परिषदों एवं अन्य निकायों की स्थापना करना था। यह अधिनियम अपने उद्देश्यों में काफी हद तक सफल रहा, किन्तु अनेक अवरोधों के कारण इस अधिनियम में उपभोक्ता मामलों का निपटारा त्वरित गति से नहीं हो सका। इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, अत: वर्ष 2019 में उपभोक्ता संरक्षण बिल लाकर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को निरस्त कर दिया गया। उपभोक्ता संरक्षण बिल 2019 लोकसभा में 8 जुलाई 2019 को पेश किया गया था जिसे 30 जुलाई 2019 को लोकसभा ने और 06 अगस्त 2019 को राज्य सभा ने पारित कर दिया। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पश्चात् वर्तमान में भारत में उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण हेतु उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू है।

अध्ययन के उद्देश्य – प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य नये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 और पुराने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की तुलना करते हुए उन प्रमुख कारकों का विश्लेषण करना है, जो भविष्य में उपभोक्ता अधिकारों के संरक्षण और उपभोक्ता विवादों के निवारण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेंगे।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के प्रमुख प्रावधान

1. **कार्यक्षेत्र –** उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में सभी उत्पादों और सेवाओं (निशुल्क और व्यक्तिगत सेवाओं को छोड़कर) पर विचार किया जाता था, किन्तु उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में सभी उत्पादों और सेवाओं (निशुल्क और व्यक्तिगत सेवाओं को छोड़कर) के साथ ही टेलीकॉम, आवास निर्माण और समस्त लेनदेन (ऑनलाइन, टेलीशॉपिंग) पर विचार किये जाने का प्रावधान किया गया है।
2. **अनुचित व्यापार व्यवहार –** उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में झूठा प्रदर्शन, मिथ्या एवं भ्रामक विज्ञापन जैसे प्रावधान लागू थे, किन्तु उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में उक्त प्रावधानों के अतिरिक्त विक्रेता अथवा सेवा प्रदाता द्वारा बिल या रसीद प्रदान न करना, 30 दिनों के अंदर उत्पाद वापस लेने से इंकार करना, क्रेता की व्यक्तिगत जानकारी को सार्वजनिक करना आदि जैसे प्रावधानों को भी शामिल किया गया है।
3. **उत्पाद दायित्व –** उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में उत्पाद दायित्व के लिये कोई प्रावधान नहीं था, किन्तु उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में उत्पाद दायित्व का प्रावधान किया गया है, जिसके अनुसार निर्माता, विक्रेता अथवा सेवा प्रदाता के विरूद्ध बिल में उल्लेखित स्पष्ट शर्तों के उल्लंघन पर मुआवजा प्राप्त करने का प्रावधान है।
4. **अनुचित अनुबंध –** उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में अनुचित अनुबंध के लिये कोई प्रावधान नहीं था, किन्तु उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में अनुचित अनुबंध को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार किसी उत्पादक, व्यापारी या सेवा प्रदाता एवं उपभोक्ता के मध्य ऐसी शर्तों के अधीन किया गया अनुबंध जिससे उपभोक्ता के अधिकार नकारात्मक रूप से प्रभावित होते हों, अनुचित अनुबंध कहलायेगा।
5. **उपभोक्ता संरक्षण अभिकरण –** उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में उपभोक्ता अभिकरण की स्थापना के लिये कोई प्रावधान नहीं था, किन्तु उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा, उनमें वृद्धि, संरक्षण व प्रोत्साहन हेतु केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण अभिकरण की स्थापना का प्रावधान किया गया है। इस अभिकरण के प्रमुख कार्यों में सुरक्षा नोटिस जारी करना, उत्पादों को री-कॉल करने के लिये आदेश देना, अनुचित और प्रतिबंधित व्यापार व्यवहार को रोकना, भुगतान किये गये क्रय मूल्य को वापस कराना, झूठे और भ्रामक विज्ञापनों के लिये अर्थदण्ड

लगाना आदि षामिल हैं।

6. आयोगों का आर्थिक क्षेत्राधिकार – उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में गठित आयोगों के आर्थिक क्षेत्राधिकार में व्यापक परिवर्तन किये गये हैं, जो निम्न तालिकानुसार हैं –

तालिका –1: आयोगों के आर्थिक क्षेत्राधिकार में परिवर्तन

आर्थिक क्षेत्राधिकार	उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986	उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019
जिला स्तर	20 लाख रूपये तक	1 करोड़ रूपये तक
राज्य स्तर	20 लाख रूपये से 1 करोड़ रूपये	1 करोड़ रूपये से 10 करोड़ रूपये
राष्ट्रीय स्तर	1 करोड़ रूपये से अधिक	10 करोड़ रूपये से अधिक

7. उपभोक्ता संरक्षण परिषदें – उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा, उनमें वृद्धि, संरक्षण व प्रोत्साहन हेतु केन्द्र, राज्य एवं जिला स्तर पर त्रिस्तरीय व्यवस्था बनाई गई है और उन्हें सलाहकारी संस्था के रूप में स्थापित किया गया है, जबकि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में केन्द्र, राज्य एवं जिला स्तर पर गठित उपभोक्ता संरक्षण परिषदें केवल उपभोक्ता अधिकारों का संरक्षण एवं संवर्धन करती थीं, उन्हें परामर्श देने का अधिकार नहीं था।

8. आयोगों की संरचना – उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में गठित आयोगों की संरचना में पूर्व के अधिनियम की तुलना में परिवर्तन किये गये हैं, जो निम्न तालिकानुसार हैं –

तालिका –2: आयोगों की संरचना में परिवर्तन

आयोग	उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986	उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019
जिला आयोग	वर्तमान या पूर्व जिला न्यायाधीष द्वारा नेतृत्व और न्यूनतम दो सदस्य	अध्यक्ष द्वारा नेतृत्व और न्यूनतम दो सदस्य
राज्य आयोग	वर्तमान या पूर्व उच्च न्यायालय के न्यायाधीष द्वारा नेतृत्व और न्यूनतम दो सदस्य	अध्यक्ष द्वारा नेतृत्व और न्यूनतम दो सदस्य
राष्ट्रीय आयोग	वर्तमान या पूर्व सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीष द्वारा नेतृत्व और न्यूनतम चार सदस्य	अध्यक्ष द्वारा नेतृत्व और न्यूनतम चार सदस्य

9. आयोगों के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति हेतु चयन समिति – उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में आयोगों के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति हेतु चयन समिति का प्रावधान था, जिसमें न्यायिक सदस्य और अन्य अधिकारी शामिल होकर सुझाव देते थे, किन्तु उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में चयन समिति के गठन का कोई प्रावधान नहीं है। नये अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करके आयोगों के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जायेगी।

10. मध्यस्थता – उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में उपभोक्ता विवादों के त्वरित निराकरण हेतु मध्यस्थता का कोई प्रावधान नहीं था, किन्तु उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में पक्षकारों के मध्य समझौता हेतु मध्यस्थता इकाई का प्रावधान रखा गया है, जो जिला, राज्य और राष्ट्रीय आयोगों से सम्बद्ध होगी।

11. दण्ड एवं सजाएं – उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में विभिन्न अपराधों के लिये जो दण्ड एवं सजाओं से सम्बंधित प्रावधान किये गये थे, नये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में उन सभी दण्ड एवं सजाओं में वृद्धि की गई है। आयोग के आदेशों की अवहेलना करने पर नये अधिनियम में तीन वर्ष तक के कारावास अथवा न्यूनतम 25 हजार रूपये जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता है।

12. ई–कॉमर्स – उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में ई–कॉमर्स के लिये कोई प्रावधान नहीं था, किन्तु उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में प्रत्यक्ष विक्रय, ई–कामर्स एवं इलेक्ट्रानिक सेवा प्रदाता को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है और केन्द्र सरकार को ई–कॉमर्स के अंतर्गत अनुचित व्यापार को रोकने हेतु नियम बनाने का अधिकार भी प्रदान किया गया है।

निष्कर्ष – उपभोक्ताओं एवं व्यवसायियों में अपने–अपने उत्तरदायित्वों के प्रति चेतना जागृत करने के लिये वर्ष 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 अस्तित्व में आया, जिसका मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं के हितों की श्रेष्ठ रीति से सुरक्षा करना तथा इस हेतु उपभोक्ता विवादों तथा अन्य सम्बंधित मामलों का निवारण करने के लिये उपभोक्ता परिषदों एवं अन्य निकायों की स्थापना करना था। यह अधिनियम अपने उद्देश्यों में काफी हद तक सफल रहा, किन्तु अनेक अवरोधों के कारण इस अधिनियम में उपभोक्ता मामलों का निपटारा त्वरित गति से नहीं हो सका। कालांतर में ई–कॉमर्स और ऑन लाइन भुगतान जैसी कई व्यावसायिक परिस्थितियां भी विद्यमान हुई, जिनका प्रावधान पुराने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में नहीं था। नये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में केन्द्रीय स्तर पर उपभोक्ता संरक्षण अभिकरण का गठन उपभोक्ता संरक्षण हेतु एक संवैधानिक निकाय की कमी को पूरा करता है तथा उत्पाद दायित्व सम्बंधी प्रावधान मिथ्या एवं भ्रामक विज्ञापनों पर नियंत्रण स्थापित करते हुए उप्भोक्ताओं के अधिकारों का संरक्षण करता है। नये अधिनियम में मध्यस्थता सम्बंधी प्रावधान भी उपभोक्ता विवादों के निवारण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकेगा। यह सभी प्रावधान पुराने अधिनियम में शामिल नहीं थे। अत: समग्र विश्लेषण के आधार पर कहा जा सकता है कि वर्तमान परिवर्तित परिस्थितियों में नये उपभोक्ता संरक्षण 2019 में किये गये प्रावधान निष्चित ही उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण एवं उपभोक्ता विवादों का त्वरित गति से निवारण करने में सक्षम हो सकेंगे।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986
2. उपभोक्ता संरक्षण बिल, 2015 एवं 2018

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XL

कृषि क्षेत्र - भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख विकास स्तंभ

डॉ. मोहन सिंह गुर्जर *

* सहायक प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) शासकीय कुसुम महाविद्यालय, सिवनी-मालवा, जिला नर्मदापुरम (म.प्र.) भारत

शोध सारांश - वर्तमान समय में जब विश्व की अनेक विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं अनिश्चितता के वातावरण में रहकर गंभीर आर्थिक दुष्परिणामों से बचने का प्रयास करती हुई नजर आ रही हैं, वहीं भारत एक बडी अर्थव्यवस्था की संभावनाओं के साथ उभर कर सामने आया है। भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की चौथी सबसे बडी अर्थव्यवस्था है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों का योगदान है। भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में कृषि क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है। कृषि क्षेत्र के अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान देने वाले प्रमुख विकास कारकों का अध्ययन करना तथा उनमें भावी संभावनाओं का विश्लेषण करना इस शोधपत्र का उद्देश्य है।

शब्द कुंजी - भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र के विकास कारक - रोजगार, दुग्ध क्षेत्र, खाद्यान्न, बागवानी, चाय, मत्स्य आदि, कृषि क्षेत्र की प्रमुख चुनौतियां एवं संभावनाएं।

प्रस्तावना - कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदण्ड है। जहां एक ओर यह प्रमुख रोजगार प्रदाता क्षेत्र है, वहीं सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। देश की लगभग 60 प्रतिशत जनसंख्या अपनी आजीविका हेतु कृषि पर ही निर्भर है। कृषि की सकल घरेलू उत्पादन में भागीदारी लगभग 22 प्रतिशत है। कृषि क्षेत्र भारत का सर्वाधिक उत्पादकता वाला क्षेत्र है, जिस पर देश की लगभग 60 प्रतिषत जनसंख्या निर्भर करती है। यदि कृषि क्षेत्र के विकास में गिरावट आती है, तो न केवल कृषि पर निर्भर देश के लगभग 14 करोड परिवार प्रभावित होते हैं, बल्कि मंहगाई बढ़ने से आम आदमी भी परेशान हो जाता है। चूंकि देश की आबादी का एक बहुत बडा हिस्सा रोजगार के लिये कृषि क्षेत्र से जुडा हुआ है, अत: कृषि क्षेत्र में किसी भी प्रकार की गिरावट रोजगार संकट को भी बढावा देती है। कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख कारकों का विश्लेषण अग्र प्रकार है -

(1) कृषि क्षेत्र में रोजगार - यह एक सुखद संकेत है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान कृषि क्षेत्र के रोजगार में अनुमानित 4.5 मिलियन की वृद्धि देखी गई है। महामारी से ग्रसित वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल रोजगार में 21.7 मिलियन की गिरावट आने के बावजूद कृषि रोजगार ने 3.4 मिलियन लोगों को पर्याप्त रोजगार प्रदान किया है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में भी कृषि ने अपने नियोजित लोगों की संख्या में 3.1 मिलियन की वृद्धि दिखाई है। देश के कोरोना महामारी से ग्रसित होने के बावजूद विगत् तीन वर्षों में कृषि क्षेत्र ने 11 मिलियन नौकरियों को जोड़कर रोजगार बढ़ाया है जबकि इसी समय में देश की शेष अर्थव्यवस्था में 15 मिलियन का नुकसान हुआ है। एक अनुमान के अनुसार वर्तमान में भारत में संगठित क्षेत्र के अंतर्गत सरकारी, अर्द्ध-सरकारी व निजी क्षेत्र में नौकरियां केवल 6-7 प्रतिशत ही उपलब्ध हैं तथा असंगठित क्षेत्र में कच्ची, ठेके पर, दिहाड़ी पर एवं अन्य सभी क्षेत्रों की मिलाकर नौकरियां केवल 20-21 प्रतिशत तक ही उपलब्ध हैं। इस प्रकार देश में शेष 79-80 प्रतिशत लोग कृषि, लघु एवं कुटीर उद्योगों तथा स्वरोजगार जैसे क्षेत्रों में अपना रोजगार प्राप्त कर रहे हैं, जिसमें कृषि क्षेत्र का विशेष योगदान देखा जा रहा है।

(2) दुग्ध उत्पादन - भारत आज दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने के साथ-साथ निर्यात की बेहतर स्थिति में आ गया है। भारत में करीब 8 करोड़ परिवार दुग्ध उत्पादन और इसके व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। देश में प्रति वर्ष लगभग 9.5 लाख करोड़ रुपए की कीमत का दूध उत्पादन होता है। वर्ष 1974 में भारत सिर्फ 2.3 करोड़ टन दूध का उत्पादन करता था, जो हमारी घरेलू आवश्यकताओं से भी कम था। वर्तमान में भारत 23 प्रतिशत दूध उत्पादन के साथ दुनिया का नंबर एक उत्पादक बन गया है। विगत् 8 वर्षों के दौरान भारतीय डेयरी उद्योग ने 44 प्रतिशत की वृद्धि दर हासिल की है। भारत में दूध उत्पादन वर्ष 2014-15 में 14.63 करोड़ टन था, जो कि बढ़कर वर्ष 2021-22 में 22 करोड़ टन हो गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र से डेयरी उद्योग आज 4 प्रतिशत का योगदान कर रहा है, जो कृषि क्षेत्र की विभिन्न मदों में सबसे अधिक है। लगभग 7 करोड़ कृषक आज सीधे ही डेयरी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं एवं इस क्षेत्र में रोजगार प्राप्त कर रहे हैं।

(3) चाय उत्पादन - भारत वर्ष 2022 में चीन के बाद दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा चाय उत्पादक देश बन गया है। भारत का उत्तरी भाग वित्तीय वर्ष 2021-22 में देश के वार्षिक चाय उत्पादन का लगभग 83 प्रतिषत के साथ सबसे बड़ा उत्पादक है, जिसमें अधिकांश उत्पादन असम में होता है तथा उसके बाद पश्चिम बंगाल का स्थान है। असम घाटी और कछार असम के दो चाय उत्पादक क्षेत्र हैं। भारत कृषि क्षेत्र के विभिन्न उत्पादों के उत्पादन के मामले में वैश्विक स्तर पर अपनी स्थिति में लगातार सुधार कर रहा है। आज भारत प्रति वर्ष 13 लाख टन चाय का उत्पादन कर रहा है। विश्व के चाय उत्पादन का 27 प्रतिशत और विश्व के चाय निर्यात का 11 प्रतिशत भारत से प्राप्त होता है।

(4) मत्स्य उत्पादन - भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बन गया है जिसका योगदान वैश्विक उत्पादन में 7.56 प्रतिषत है।

मछली का उत्पादन करने वाले किसानों और मछुआरों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने 10 सितंबर 2020 में 'प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा' योजना प्रारंभ की थी। मत्स्य पालन के क्षेत्र में वर्ष 2019-20 से लेकर 2021-22 तक 14.3 प्रतिशत की प्रभावी वृद्धि देखी गई है। वर्तमान में भारत 47,000 करोड़ रुपये से अधिक की मछलियों का निर्यात करता है। वर्ष 2020-21 में भारत का सी-फूड निर्यात 11.50 लाख मीट्रिक टन का रहा है।

(5) खाद्यान्न उत्पादन – आज जहां पूरी दुनिया में खाद्यान्न का संकट गहराता जा रहा है, वहीं भारत खाद्यान्न उत्पादन में नए-नए कीर्तिमान बना रहा है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के वर्ष 2021-22 के लिए मुख्य कृषि फसलों के उत्पादन के तृतीय अग्रिम अनुमान के अनुसार भारत में 31.451 करोड़ टन खाद्यान के उत्पादन का अनुमान है, जो वर्ष 2020-21 के खाद्यान्न उत्पादन की तुलना में 37.7 लाख टन अधिक है। वर्ष 2021-22 के दौरान खाद्यान्न उत्पादन विगत् 5 वर्षो के औसत खाद्यान्न उत्पादन की तुलना में 2.38 करोड़ टन अधिक है। केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष 2022-23 में 32.8 करोड़ टन रिकॉर्ड खाद्य उत्पादन का लक्ष्य रखा है, जो कि पिछले वर्ष के मुकाबले 3.8 प्रतिशत अधिक है।

(6) बागवानी क्षेत्र – फलों, सब्जियों एवं अन्य शाकीय पौधों का उत्पादन करना ही बागवानी हैं। बागवानी विभाग फलों, सब्जियों और फूलों के उत्पादन और रखरखाव के साथ-साथ मसालों, औषधीय और सुगंधित पौधों का प्रबंधन करता है। बागवानी उत्पादन का कुल उत्पादन और आर्थिक मूल्य, जैसे कि फल, सब्जियां और नट 10 साल की अवधि में भारत में दोगुना हो गया है। एक अनुमान के अनुसार भारत में वर्ष 2021-22 में बागवानी का उत्पादन 34.2 करोड़ टन होने जा रहा है। यह 2.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए 70.3 लाख टन से बढ़ने जा रहा है, जो कि वर्ष 2020-21 में 33.46 करोड़ टन पर रहा था। फलों का उत्पादन वर्ष 2020-21 के 10.25 करोड़ टन से बढ़कर वर्ष 2021-22 में 10.71 करोड़ टन पर पहुंचने की सम्भावना है और सब्जियों का उत्पादन वर्ष 2020-21 के 2.66 करोड़ टन से बढ़कर 3.17 करोड़ टन पर पहुंचने की सम्भावना है। बागवानी के तेजी से बढ़ रहे उत्पादन से किसानों की आय में अधिक वृद्धि दृष्टिगोचर हो रही है।

कृषि क्षेत्र में विकास का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव – भारतीय अर्थव्यवस्था में विशेषत: कृषि क्षेत्र में उक्त वर्णित संवर्धनों के कारण भारत के किसान अब तेजी से सम्पन्न हो रहे हैं एवं भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान 14.2 प्रतिशत से बढ़कर 18.8 प्रतिशत हो गया है। हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा जारी किए गए एक प्रतिवेदन में यह बताया गया है कि भारत में कृषि उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी वर्ष 2014 के बाद से 1.5 से 2.3 गुना तक की वृद्धि दर्ज हुई है, इससे किसान अधिक समर्थन मूल्य वाली फसलों का उत्पादन बढ़ा रहे हैं एवं अपनी आय में तेज गति से वृद्धि करने में सफल हो रहे हैं। इसी प्रकार भारत से अनाज का निर्यात भी वित्तीय वर्ष 2021-22 में बढ़कर 5000 करोड़ अमेरिकी डॉलर से भी अधिक हो गया है।

कृषि क्षेत्र में उक्त वर्णित संवर्धनों के चलते हाल ही के वर्षों में भारत में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे व्यक्तियों की संख्या में भी महत्वपूर्ण कमी दर्ज की गई है। वर्ष 2011-12 में भारत में गरीबी का अनुपात 21.9 प्रतिशत था जो वर्ष 2020-21 में घटकर 17.9 प्रतिशत हो गया है। गरीबी के अनुपात में लगातार आ रही कमी मुख्य रूप से भारत की प्रति व्यक्ति औसत आय में लगातार हो रही तेज वृद्धि के कारण सम्भव हो सकी है। भारत में प्रति व्यक्ति औसत आय वर्ष 2001-02 में केवल 18,118 रुपए थी जो एक दशक पश्चात अर्थात् वर्ष 2011-12 में बढ़कर 68,845 रुपए हो गई। इसके बाद के 10 वर्षों में तो और अधिक तेज गति से वृद्धि दर्ज करते हुए वर्ष 2021-22 में यह 174,024 रुपए हो गई है। भारत की प्रति व्यक्ति औसत आय में वृद्धि, गरीब वर्ग की औसत आय में हो रही तेज वृद्धि के कारण भी सम्भव हो पा रही है।

कृषि क्षेत्र के शासकीय प्रतिवेदनों के अनुसार बहुत छोटी जोत वाले किसानों की वास्तविक आय में वर्ष 2013 और वर्ष 2019 के बीच 10 प्रतिशत वार्षिक की वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि अधिक बड़ी जोत वाले किसानों की वास्तविक आय में केवल 2 प्रतिशत की वृद्धि प्रतिवर्ष दर्ज हुई है। भारत में वित्तीय वर्ष 2021-22 में सकल घरेलू उत्पाद का मूल्य 232.15 लाख करोड़ रुपए (अनुमानित) रहा है जो कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में 197.46 लाख करोड़ रुपए (अनुमानित) से बहुत अधिक है। इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय नागरिकों की आय में 17.6 प्रतिशत की अनुमानित वृद्धि वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान रही है।

निष्कर्ष – भारत में आर्थिक विकास की दर तीव्र होने के बावजूद भी अर्थव्यवस्था के विकास के मार्ग में कई चुनौतियां विद्यमान हैं। कृषि की समस्याएं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की निराशाजनक स्थिति, रोजगार सृजन की समस्याएं और कई आर्थिक क्षेत्रों में निराशाजनक प्रदर्षन भारत की प्रमुख समस्याएं हैं, जिनका समाधान शीघ्रता से किया जाना आवश्यक है। अर्थव्यवस्था, कृषि और रोजगार एक दूसरे से इस प्रकार संलग्न हैं कि एक में किया गया बदलाव दूसरे को प्रभावित करता है, अत: अर्थव्यवस्था के विकास के लिये सभी अंगों का संतुलित कार्य निष्पादन आवश्यक है। भारत की अर्थव्यवस्था के विकास की गति बनाये रखने के लिये कार्य निष्पादन के प्रचलित तरीकों में बदलाव के साथ ही ऐसी व्यवस्था के निर्माण पर ध्यान केन्द्रित किया जाना चाहिये, जिससे अर्थव्यवस्था के विकास को प्रभावित करने वाले सभी कारकों को एक दूसरे के प्रति उत्तरदायी बनाया जा सके।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. वार्षिक प्रतिवेदन, भारतीय रिजर्व बैंक, भारत सरकार, 2019-20. 2020-21, 2021-22
2. हिंदुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XL

राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ उपखंड के स्थानीय जन समुदाय पर खनन गतिविधियों के पर्यावरणीय एवं सामाजिक आर्थिक प्रभाव

डॉ. शगुफ्ता सैफी* डॉ. प्रमोद कुमार श्रीमाली**

* सहायक आचार्य (भूगोल) मथुरादास बिनानी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नाथद्वारा (राज.) भारत
** सहायक आचार्य (भूगोल) मथुरादास बिनानी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नाथद्वारा (राज.) भारत

शोध सारांश – विभिन्न प्राथमिक आर्थिक क्रियाकलापों में खनन एक प्रमुख आर्थिक क्रिया है एवं साथ ही विकास के लिए यह एक अपरिहार्य आर्थिक क्रिया है किंतु खनन गतिविधियों के द्वारा कई पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न होती है एवं साथ ही खनन गतिविधियों के संबंधित क्षेत्र में सामाजिक-आर्थिक प्रभाव भी घटित होते है।उक्त शोध अध्ययन का क्षेत्र राजसमंद जिले का कुंभलगढ़ उपखंड है। प्रस्तुत शोध पत्र का उद्देश्य अध्ययन क्षेत्र में खनन कार्य द्वारा प्रभावित सामाजिक एवं आर्थिक क्रियाओं की पहचान एवं उनका मूल्यांकन करना हैं।प्रस्तुत शोध पत्र प्राथमिक एवं द्वितीयक आंकड़ों पर आधारित है। प्राथमिक समंको का संकलन साक्षात्कार एवं अनुसूची के माध्यम से अध्ययन क्षेत्र के 5 गांवों से किया गया है। उक्त गांवों के चयन के लिए अध्ययन कर्ता ने अध्ययन क्षेत्र का पूर्व सर्वेक्षण कर खनन गतिविधि वाले गांवों की जानकारी जुटाई। तत्पश्चात इन खनन वाले गांवों में से यादृच्छिक प्रतिचयन द्वारा 5 गांव का चयन किया गया।द्वितीयक आंकड़ों के अंतर्गत जिला जनगणना प्रतिवेदन, सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी पत्र-पत्रिकाओं एवं इंटरनेट के माध्यम से आंकड़े जुटाए गए।अध्ययन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि जहां एक ओर अध्ययन क्षेत्र के लोगों का आर्थिक स्तर खनन गतिविधियों के कारण उच्च हुआ है ,उन्हें रोजगार मिला है एवं उनकी आय में वृद्धि हुई है साथ ही अध्ययन क्षेत्र की आर्थिक आधारभूत संरचना जैसे सड़के, विद्युत, दूरसंचार एवं सामाजिक आधारभूत संरचना जैसे विद्यालय चिकित्सालय आदि का विकास हुआ है। वहीं दूसरी ओर खनन गतिविधियों के कारण पर्यावरण प्रदूषण, प्राकृतिक अपवाह तंत्र में अवरोध, कृषि भूमि की उत्पादकता में कमी, कृषि कार्य में संलग्न लोगों की आय में कमी, लोगों का भूमिहीन होना एवं स्वास्थ्य पर दुष्परिणाम जैसे कई नकारात्मक प्रभाव भी घटित हुए हैं।

शब्द कुंजी – खनन, पर्यावरण, सामाजिक- आर्थिक, प्रतिचयन , अपवाह तंत्र ।

प्रस्तावना – वर्तमान युग में खनिजों का विदोहन किसी देश के आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए अति आवश्यक है। खनिज देश की औद्योगिक अर्थव्यवस्था के आधार स्तंभ माने गए हैं। बढ़ते हुए औद्योगिकरण के फल स्वरुप जैसे जैसे खनिजों की मांग बढ़ती जा रही है वैसे-वैसे खनिजों का अनियोजित तरीके से निरंतर विदोहन किया जा रहा है जिसके परिणाम स्वरूप गंभीर पर्यावरणीय संकट उत्पन्न हो रहे हैं। खनन गतिविधियों जहां एक ओर प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित हुआ है वहीं दूसरी ओर खनन गतिविधियों के सामाजिक आर्थिक प्रभाव भी घटित हुए हैं।

अध्ययन क्षेत्र की शत प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण है। यह आर्थिक क्रियाकलापों के लिए पूर्णतया प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है जिसके कारण संसाधनों का अविवेकपूर्ण तरीके से दोहन बढ़ा है।

उद्देश्य :

1. अध्ययन क्षेत्र में खनन गतिविधियों के पर्यावरणीय प्रभाव का अध्ययन करना।
2. अध्ययन क्षेत्र में खनन कार्य द्वारा प्रभावित सामाजिक आर्थिक क्रियाओं की पहचान एवं उनका मूल्यांकन करना।

शोध विधि – प्रस्तुत शोध पत्र प्राथमिक एवं द्वितीयक आंकड़ों पर आधारित है। प्राथमिक समंको का संकलन साक्षात्कार एवं अनुसूची के माध्यम से अध्ययन क्षेत्र के 5 गांवों से किया गया है। उक्त गांवों के चयन के लिए अध्ययन कर्ता ने अध्ययन क्षेत्र का पूर्व सर्वेक्षण कर खनन गतिविधि वाले गांवों की जानकारी जुटाई। तत्पश्चात इन खनन वाले गांवों में से यादृच्छिक प्रतिचयन द्वारा 5 गांव का चयन किया गया।

द्वितीयक आंकड़ों के अंतर्गत जिला जनगणना प्रतिवेदन, सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी पत्र-पत्रिकाओं एवं इंटरनेट के माध्यम से आंकड़े जुटाए गए।

साहित्य समीक्षा

Kitula A.G.N.(2010) नेअपने शोध पत्र में यह स्पष्ट किया है कि खनन गतिविधियों के कारण तंजानिया के गेटे जिले सहित कई क्षेत्रों में गंभीर सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव हुए हैं जिनमें भूमि अवनयन, जल गुणवत्ता की कमी ,प्रदूषण, पशुधन एवं जैव विविधता को क्षति प्रमुख है ।यद्यपि खनन मालिकों एवं सरकारी अधिकारियों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता है किंतु राष्ट्रीय एवं स्थानीय स्तर पर राजनीतिक इच्छाशक्ति के अभाव में पर्यावरण अवनयन के प्रभावों को कम करने की व्यूह रचनाएं सफल नहीं हो पा रही है।

Saviour,M-Naveen,(2010) के शोध पत्र के अनुसार हाल के वर्षों में बजरी खनन एक बड़ा पर्यावरणीय मुद्दा बनकर उभरी है ।इसके कारण बड़े स्तर पर अवनयन हुआ है ।अध्ययन के महत्वपूर्ण निष्कर्ष में मुख्यत: कमजोर सरकार के कारण अवैधानिक खनन बढा है जिससे जल स्रोतों का अवनयन हुआ है ।मृदा और बजरी खनन के पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव हुए हैं सरकार को उचित नीतियां बनाकर प्रभावी नियंत्रण कर इसे रोकना चाहिए।

भूषण चंद्रा (2004) ने अपने शोध अध्ययन में बताया कि भारत

प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से विश्व के समृद्ध देशों में एक है। भारत का खनन व्यवसाय प्रमुख रोजगार प्रदाता है किंतु और नियोजित खनन के कारण पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है और श्रमिकों के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव हुए हैं।खनन श्रमिकों एवं खनन व्यवसाय में संलग्न अन्य लोगों के आर्थिक स्तर में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई है।

मेनारिया केएल (2003) ने अपने अध्ययन में जनसंख्या बढ़ने के साथ खाद्यान्न के अधिक उत्पादन के लिए फास्फोरस उर्वरक की मांग भी बढ़ती जा रही है। अत: राजस्थान में रॉक फास्फेट के खनन और प्रोसेसिंग में भी बढ़ोतरी हो रही है। जिससे अनेक हानिकारक पदार्थ पर्यावरण में मुक्त होकर भूमि जलवायु वनस्पति आदि को प्रदूषित कर रहे हैं और इसका सीधा प्रभाव जीव जंतुओं के स्वास्थ्य पर पड रहा है।

अध्ययन क्षेत्र – उक्त शोध अध्ययन का क्षेत्र राजसमंद जिले के दक्षिणी पश्चिमी भाग में स्थित कुंभलगढ़ उपखंड है। कुंभलगढ़ उपखंड का कुल क्षेत्रफल 771.5 वर्ग किलोमीटर है और यह क्षेत्रफल की दृष्टि से जिले का नाथद्धारा के बाद दूसरा बड़ा उपखंड है। कुंभलगढ़ उपखंड उत्तर में आमेट तहसील, पश्चिम में राजसमंद तहसील,दक्षिण पूर्व में नाथद्धारा तहसील,दक्षिण में उदयपुर जिला एवं पश्चिम में पाली जिला से घिरा हुआ है। उपखंड का अधिकांश उच्चावच स्वरूप पर्वतीय एवं पठारी है।अध्ययन क्षेत्र की प्रमुख नदी बनास है। इसके अतिरिक्त लाखेला तालाब से निकलने वाली खारी नदी एवं कोद्दार पहाड़ी से आने वाली बनास की सहायक नदी प्रमुख है।

अध्ययन क्षेत्र की जलवायु उपोष्ण उप आर्द्र है। ग्रीष्मकालीन औसत तापमान 28^{0}सेल्सियस एवं शीतकालीन औसत तापमान 12^{0} सेल्सियस पाया जाता है। क्षेत्र की औसत वार्षिक वर्षा 70 सेंटीमीटर है जो मुख्यत: दक्षिण पश्चिम मानसून से मध्य जून से सितंबर के बीच होती है। कुंभलगढ़ क्षेत्र मेवाड़ का माउंट आबू कहा जाता है। अध्ययन क्षेत्र में मुख्यत लाल दोमट मृदा पाई जाती है। अध्ययन क्षेत्र की वनस्पति उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझडी प्रकार की है जिसमें आम,महुआ,जामुन,सेमल,पलाश,अमलतास एवं शिरीष के वृक्ष बहुतायत में पाए जाते हैं। अध्ययन क्षेत्र का प्रमुख वन्य जीव तेंदुआ एवं भेड़िया है।

अध्ययन क्षेत्र की कुल जनसंख्या 1,44,231 है जो शत-प्रतिशत ग्रामीण है। क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है जो जिले के सभी उपखण्डों में न्यूनतम है। क्षेत्र का लिंगानुपात 1050 महिलाएं प्रति हजार पुरुष है जो जिले में सर्वाधिक है जबकि साक्षरता 43.73 प्रतिशत है जो जिले में न्यूनतम है। अनुसूचित जनजाति जनसंख्या सर्वाधिक जिले की 29.85 प्रतिशत कुंभलगढ़ उपखंड में निवासरत है जबकि अनुसूचित जाति जनसंख्या 9.03 प्रतिशत है। कार्यशील जनसंख्या दर 51.23 प्रतिशत है जो जिले में सर्वाधिक है।

अध्ययन क्षेत्र में कुंभलगढ़ दुर्ग, परशुराम महादेव मंदिर, सूरजकुंड एवं जरगाजी जैसे भौगोलिक-सांस्कृतिक दर्शनीय स्थल है।

शोध अध्ययन के परिणाम

(अ) खनन के पर्यावरणीय प्रभाव- निर्वनीकरण एवं भूमि अवनयन

(ब) खनन के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव

(अ) खनन से पर्यावरणीय प्रभाव - निर्वनीकरण एवं भूमि अवनयन

शोधकर्ता ने खनन प्रक्रिया के सम्बन्ध में उत्तरदाताओं से जानकारी प्राप्त की,उत्तरदाताओं से खनन गतिविधियों से पर्यावरण को किसी प्रकार का नुकसान होता है तो उत्तरदाता इस बात से सहमत है कि खनन गतिविधियों से नुकसान होता है परन्तु वे इस बात को भी नहीं नकारते है कि खनन गतिविधियों से रोजगार उपलब्ध होने से उनका आर्थिक स्तर में सुधार हो रहा है। इस सम्बन्ध उनका कहना है कि कुछ पाने के लिये कुछ खोना पड़ता है वे भविष्य में होने वाले पर्यावरणीय प्रभावों से अनभिज्ञ है।

98 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि खनन गतिविधियों से पर्यावरण प्रभावित होता है उनमें मुख्यत: भूमि अवनयन, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण आदि है जबकि 2 प्रतिशत उत्तरदाताओं का कहना है कि खनन से कोई पर्यावरणीय प्रभाव नहीं होता है।

सारणी 1 : खनन से होने वाले पर्यावरणीय प्रभावों की जानकारी

पर्यावरणीय प्रभाव	प्रतिशत
भूमि अवनयन	54.00
वायु प्रदूषण	16.00
जल प्रदूषण	18.00
ध्वनि प्रदूषण	10.00
कोई प्रभाव नहीं	2.00
कुल	**100.0**

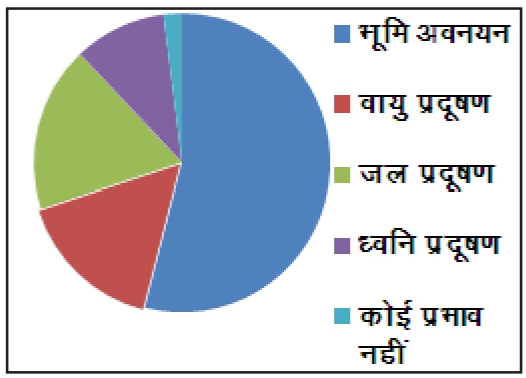

54.00 प्रतिशत उत्तरदाता का मानना है कि खनन गतिविधियों से भूमि अवनयन प्रमुख पर्यावरणीय प्रभाव है अर्थात् खनन गतिविधियों से सभी प्रकार के पर्यावरणीय प्रभावों में भू अवनयन की समस्या सर्व प्रमुख है, जबकि 16.00 प्रतिशत उत्तरदाता का मानना है कि वायु प्रदूषण तथा 18.00 प्रतिशत का मानना है कि खनन गतिविधियों से जल प्रदूषण सर्व प्रमुख पर्यावरणीय प्रभाव है, जबकि 10.00 प्रतिशत उत्तरदाता का मानना है कि ध्वनि प्रदूषण होता है।

सारणी 2 : खनन के कारण भूमि अवनयन

कारण	प्रतिशत
खनन हेतु विशाक्त साग्रमी का प्रयोग	4.00
खनन हेतु भारी मशीनों का प्रयोग	6.00
खनन हेतु ब्लास्टिंग किया जाना	40.00
खनन हेतु वनस्पतियों की कटाई (वनोन्मूलन)	10.00
लम्बी अवधि तक खनन कार्य	40.00
कुल	**100.0**

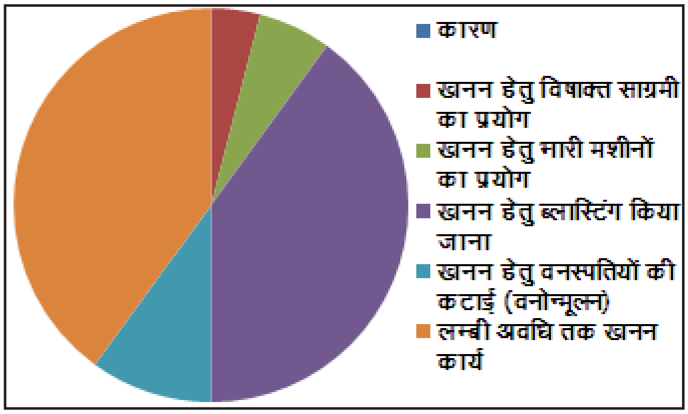

जब उत्तरदाताओं से भूमि अवनयन का मुख्य कारण पूछा गया तो अधिकांश उत्तरदाताओं ने इसके पीछे कई कारणों को बताया जिसमें प्रमुख रूप से खनन में विशाक्त सामग्री का प्रयोग, भारी मशीनों का प्रयोग, ब्लास्टिंग प्रक्रिया द्वारा खनन, लम्बी अवधि तक खनन, वनोंन्मूलन, मिट्टी का बहाव आदि कारणों से भूमि अवनयन हो रहा है।

पर्यावरण अवनयन के प्रमुख कारणों में सबसे अधिक उत्तरदाताओं (40-40 प्रतिशत) का मानना है लम्बी अवधि तक खनन कार्य एवं खनन हेतु ब्लास्टिंग का प्रयोग किये जाने से भूमि अवनयन की संभावनाएँ बढ़ रही है, 10 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि खनन हेतु वनस्पतियों की कटाई से भूमि अवनयन होता है। जबकि 6 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि खनन हेतु भारी मशीनों का प्रयोग से भूमि अवनयन पर प्रभाव पड़ता है जबकि 4 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि खनन हेतु विषाक्त साग्रमी के प्रयोग से भूमि अवनयन पर प्रभाव पड़ता है जबकि 12 प्रतिशत उत्तरदाताओं का कहना है कि खदानों पर ब्लास्टिंग का उपयोग न कर आधुनिक मशीनों का प्रयोग किया जाता है, जो अपेक्षाकृत सुरक्षात्मक खनन प्रक्रिया है। अत: कहा जा सकता है खनन गतिविधियां पर्यावरण अवनयन का प्रमुख कारण है जिनमें लम्बी अवधि तक खनन कार्य एवं ब्लास्टिंग द्वारा किया गया खनन कार्य है।

अधिकांश उत्तरदाताओं का कहना है कि भूमि अवनयन की परिस्थितियों से बचा जा सकता है। इसके लिये खदान मालिकों तथा सरकार को इस समस्या के समाधान के लिए सुरक्षात्मक उपाय अपनाये जाने चाहिए जैसे - (अ) वैज्ञानिक पद्धति से खनन, (ब) प्रदूषण नियंत्रक उपायों का प्रयोग, (स) संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग, (द) सतत् विकास आदि। वर्तमान में खनिजों के दोहन (संगमरमर, सोप स्टोन,इमारती पत्थर आदि) के लिए अत्याधुनिक मशीनों से खनन कार्य इतनी तेजी से किया जा रहा है कि वन क्षेत्र पूर्णतया नष्ट होने जा रहे हैं। उत्तरदाताओं से इस सम्बन्ध में पूछा गया तो 76.00 प्रतिशत का मानना है कि वन्य जीवों एवं पौधों के आवास नष्ट हो जाते हैं जिससे वन्य जीवों एवं पौधों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है वे नष्ट होते जो रहे है। लगभग 66.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि वनों की कटाई से पर्यावरण असन्तुलन के कारण वर्षा में कमी हो रही है। 16.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं को कहना है कि वनों की कटाई से बाढ़ तथा मृदा अपरदन होने की संभावनाओं में तेजी आ रही है।

सारणी 3 : वनों की कटाई से पर्यावरण को नुकसान

पर्यावरणी नुकसान	**प्रतिशत**
वन्य जीवों एवं पौधों के आवासों का नष्ट होना	76.00
पर्यावरण असन्तुलन से वर्षा में कमी	66.00
मृदा अपरदन	16.00
बाढ़	16.00
भू-अवनयन	68.00
अकाल, सूखा पड़ना	60.00

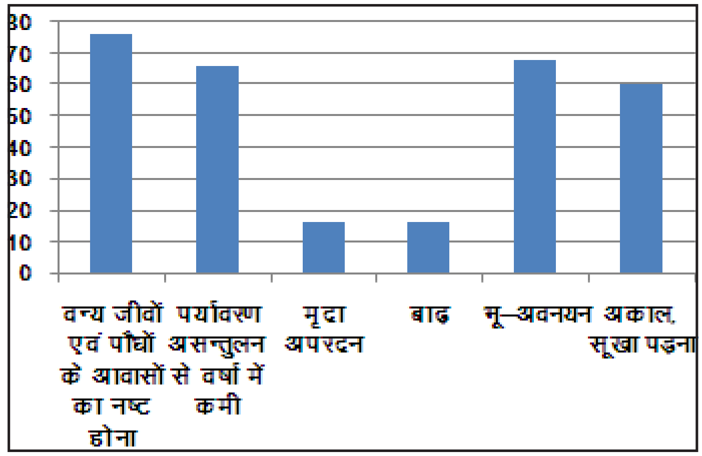

वनों की कटाई से भू अवनयन को मानने वाले उत्तरदाताओं का प्रतिशत 68.00 प्रतिशत तथा अकाल तथा सूखा पड़ने जैसे संभावनाओं को मानने वाले उत्तरदाताओं का प्रतिशत 60.00 है।

क्षेत्रीय सर्वेक्षण के दौरान उत्तरदाताओं से वनों की कटाई को रोकने हेतु क्या-क्या प्रयास किये जाने चाहिये तो उत्तरदाताओं के सुझावों निम्न है-

1. सुरक्षित वन क्षेत्रों में खनन की अनुमति नहीं देना।
2. जितने वृक्ष काटे जाये उनसे कई गुना अधिक संख्या में वृक्ष लगाये जाए।
3. इमारती लकड़ी के स्थान पर लोहे व अन्य निर्माण सामग्री का प्रयोग किया जाए।
4. जिन कानूनों की अनुपालना आवश्यक है उनमें किसी भी परिस्थिति में ढील नहीं देना।
5. पौधों के औषधीय महत्व की जानकारी उपलब्ध करवाना ताकि व्यक्ति उनकी कटाई न करें।
6. जलाऊ लकड़ी के लिए तीव्र गति से बढ़ने वाले वृक्षों का रोपण करना तथा रसोई गैस के उपयोग को बढ़ावा देना।
7. वनों के क्षेत्र 33 प्रतिशत कम नहीं हो इस हेतु कानून बना उसका कठोरता से पालन करना चाहिये।

शोधकर्ता द्वारा उत्तरदाताओं से खनन प्रक्रिया के दौरान पर्यावरण नुकसान को बचाया जा सकता है तो 100 प्रतिशत लोगों का कहना है कि पर्यावरणीय नुकसान को बचाया जा सकता है। पर्यावरणीय नुकसान को बचाने हेतु निम्न उपाय सुझावे गये (क) वनीकरण करके, (ख) खनन से प्रभावित समुदायों का पुनर्वास करके, (ग) प्रभावित समुदाय को उचित मुआवजा देकर, (घ) पीने के पानी की वैकल्पिक व्यवस्था करके, (च) खनन के तरीकों में बदलाव करके आदि।

उत्तरदाताओं से अन्य प्रभावों के बारे में जानकारी के अनुसार 100 प्रतिशत लोगों का कहना है खनन व मार्बल अपशिष्टों का निस्तारण सही तरीकों से नहीं किया जाता है कि मृदा/नदियों के स्तर में परिवर्तन हो रहे है। खनन से वन्य जीवों/पशु-पक्षियों तथा मानव पर कई विपरीत प्रभाव हुए है।

उत्तरदाताओं द्वारा पर्यावरण संरक्षण हेतु कई सुझावों दिये जिसमें खदान प्रबन्धकों द्वारा स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव न हो इस और ध्यान देना चाहिये। खदानों से खनन अत्यधिक गहराई तक नहीं किया जाना चाहिये। जहां खनन प्रक्रिया समाप्त हो चुकी हो उन स्थानों को मिट्टीयों द्वारा पुनर्भरण कर वृक्षारोपण किया जाना चाहिये। प्राथमिक उपचार की सुविधाओं में वृद्धि करनी चाहिये।

(ब) खनन के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव – किसी भी क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक कारकों द्वारा उस प्रदेश की विकास की दिशा का निर्धारण होता है। क्षेत्र में विकास का आधार वहां उपलब्ध भौतिक पर्यावरण पर निर्भर करता है। जिस प्रदेश में प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता है, वहाँ कृषि उत्पादन, औद्योगिक विकास की संभावनायें प्रबल होती है। आवासित जनसंख्या को सामाजिक सुविधाओं की अधिक आवश्यक होती है दूसरी तरफ वहाँ कृषि उत्पादन, जल की उपलब्धता, परिवहन मार्गो की भी आवश्यकता रहती है। प्रस्तुत शोध कार्य में उन भौगोलिक कारकों का विश्लेषण किया गया है जिनमें उस प्रदेश का विकास प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है।

सारणी 4 : सामाजिक-आर्थिक जानकारी

विवरण	प्रतिशत	विवरण	प्रतिशत
शैक्षणिक सुविधाओं का स्तर		**विद्युत आपूर्ति**	
सन्तुष्ट	72	हाँ	40
असन्तुष्ट	28	नहीं	60
चिकित्सीय सुविधाओं का स्तर		**सार्वजनिक परिवहन साधन**	
सन्तुष्ट	46	हाँ	94.0
असन्तुष्ट	54	नहीं	6.0
पेयजल सुविधा		**कृषिगत सहायता एवं सुविधाएं**	
हाँ	74	सन्तुष्ट	36
नहीं	26	असन्तुष्ट	64
सिंचाई सुविधा		**साख सुविधाएं**	
हाँ	30	सन्तुष्ट	68
नहीं	70	असन्तुष्ट	32
सामुदायिक केन्द्रों		**रोजगार प्रशिक्षण सुविधाएं**	
हाँ	90.0	सन्तुष्ट	20
नहीं	10.0	असन्तुष्ट	80

शोधकर्ता ने क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक स्तर की जानकारी जिले की पांच तहसीलों से प्राप्त की तो निष्कर्ष शिक्षा के स्तर, पेयजल सुविधा, सामुदायिक केन्द्रों, सड़क सुविधा, परिवहन साधनों आदि से अधिकांश उत्तरदाता सन्तुष्ट थे। इन सुविधाओं से सन्तुष्ट उत्तरदाता खनन क्षेत्रों के आस-पास निवास करने वाले पाये गये हैं उनका कहना है खनन गतिविधियों के कारण क्षेत्र में सड़क सुविधाओं, शिक्षण संस्थाओं तथा सामुदायिक केन्द्रों में आंगनवाड़ी केन्द्र, पोषाहार वितरण केन्द्र तथा पूरक पोषाहार केन्द्रों की स्थापना।

इन केन्द्रों में कई खदानों के मालिकों द्वारा इन गतिविधियों में आर्थिक योगदान भी किया जा रहा है जिससे इन सुविधाओं का लाभ यहां के आम ग्रामीणों को मिल रहा है, जबकि स्वास्थ्य सुविधाओं, सिंचाई सुविधा, विद्युत आपूर्ति, कृषिगत सहायता एवं सुविधाओं,साख सुविधाओं,रोजगार प्रशिक्षण सुविधाओं आदि से अधिकांश उत्तरदाता असन्तुष्ट पाए गए।

स्वास्थ्य सुविधाओं के सम्बन्ध में उत्तरदाताओं का कहना है कि मौसमी बीमारियों का इलाज तो प्राथमिक स्वास्थ्य एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर हो जाता है लेकिन गंभीर बीमारियों हेतु शहर या दूसरे शहरों में जाकर इलाज करवाना पड़ता है स्वास्थ्य की जिला मुख्यालय पर सुविधा है परन्तु उसे अच्छी सुविधा नहीं कहा जा सकता है। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक आज भी विद्युत सुविधा अपनी पहुँच से बहुत दूर है इस और सरकारी तंत्र नाकाम ही रहती है।साथ ही कुछ उत्तरदाताओं का कहना है कि शिक्षा एवं स्वास्थ्य के स्तर को भी बढ़ाया जाना चाहिये।कृषिगत सहायता एवं सुविधाओं के संदर्भ में उत्तार दाताओं का कहना है कि बीज, कीटनाशक एवं उर्वरक आदि की उचित आपूर्ति क्षेत्र में नहीं है एवं कृषिगत सुविधाएं जैसे भंडार गृह, विक्रय केंद्र आदि सुविधाओं की क्षेत्र में कोई उपलब्धता नहीं है। इसी प्रकार उत्तार दाताओं का कहना है कि क्षेत्र में प्रशिक्षण सुविधाओं की भी कोई उचित व्यवस्था नहीं है।

संक्षेप में कहा जा सकता है जहां खनन क्षेत्रों में रोजगार मिलने के पश्चात लोगों की आय बढ़ी एवं उनके जीवन स्तर में सुधार हुआ है। पलायन में कमी आई। साथ ही सड़कों एवं आवागमन की सुविधाओं के विस्तार के कारण क्षेत्र में व्यापार की गतिविधियों में तेजी आ रही है। खनन क्षेत्रों में स्कूल खुलने से ग्रामीणों के बच्चे भी शिक्षित होने लगे हैं। इस प्रकार खनन उद्योगों का विकास होने से क्षेत्रों का भी विकास हो रहा है जो कि पहले आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से कमजोर एवं पिछड़े हुए थे।

खनन तथा स्वास्थ्य – खनन गतिविधियों से उत्पन्न कई पर्यावरणीय प्रभाव के साथ-साथ आम जन-जीवन के स्वास्थ्य से जुड़ी कई समस्याएँ भी उत्पन्न हो रही है। सर्वेक्षण के दौरान विभिन्न समुदायों के अधिकांश उत्तरदाताओं ने स्वास्थ्य सम्बन्धी बीमारियों की हकीकत के बारे में अवगत करवाया। शोधकर्ता ने साक्षात्कार के दौरान उत्तरदाताओं से खनन गतिविधियों के पर्यावरणीय प्रभाव से स्वास्थ्य पर होने वाली बीमारियों के बारे में जानकारी प्राप्त की तो अधिकांश उत्तरदाताओं स्वयं या अपने परिवार के सदस्यों में एक-दो से अधिक बीमारियों से ग्रसित होना बताया।

सारणी 5 : स्वयं या परिवार के सदस्य कौनसी बीमारी से पीड़ित रहते है

बीमारियाँ	प्रतिशत
सीलिकोसीस	32.00
मेलेरिया/बुखार	90.00
चर्म रोग	44.00
सर्दी एवं जुकाम	84.00
खांसी/टी.बी. (क्षय रोग)	58.00
अन्य	32.00

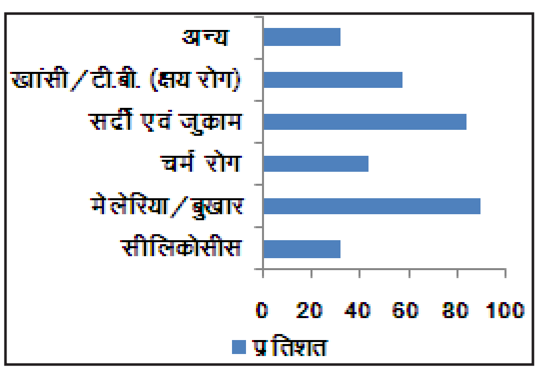

सीलिकोसीस/एस्बेस्टोसीस बीमारी के बारे में कई उत्तरदाता जानकारी नहीं होना बताया। क्षेत्र में 32.00 प्रतिशत व्यक्ति इस बीमारी से ग्रसित है। अधिकांश उत्तरदाता मलेरिया/बुखार – सर्दी एवं जुकाम जैसी बीमारी से पीड़ित रहते हैं जिनका प्रतिशत 90.00 है। उत्तरदाताओं को यह भी मानना है यह बीमारी खनन गतिविधि एवं मौसमी प्रकोप दोनों से होती है। 58.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं के परिवार के सदस्य खांसी/ टी.बी. (क्षय रोग) से ग्रसित है क्योंकि खनन प्रक्रियाओं के दौरान उड़ने वाली धूल/मिट्टी के कणों के कारण यह रोग उत्पन्न हो जाता है जो उचित इलाज नहीं मिलने पर मृत्यु तक हो जाती है। कुछ उत्तरदाताओं ने अन्य बीमारियां भी खनन गतिविधियों से होती है जिनका प्रतिशत 32.00 प्रतिशत है।

शोध सर्वेक्षण में यह भी पाया गया कि लगभग 100 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि स्वास्थ्य सम्बन्धी अधिकांश बीमारियां खनन प्रक्रिया के दौरान होने वाले विभिन्न पर्यावरणीय प्रभावों में परिवर्तन के कारण होती है।

निष्कर्ष – खनन एवं खनन विकास से उत्पन्न विभिन्न पर्यावरण समस्याओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि **अध्ययन क्षेत्र में खनन कार्य व्यवसायियों के लिए वरदान, श्रमिकों के लिए रोजगार एवं कृषकों के लिए अभिशाप** साबित हुआ है। वर्तमान परिदृश्य में औद्योगिक विकास को नकारा नहीं जा सकता अत: हमें खनन गतिविधियों को निरंतर जारी रखना जरूरी है एवं साथ ही पर्यावरण को भी संरक्षित करना है। अत: हमें सतत विकास की अवधारणा अपनाते हुए इस प्रकार खनन कार्य जारी रखना है कि पर्यावरण को न्यूनतम से न्यूनतम क्षति हो एवं विनाश रहित विकास संभव हो सके। अत: चालू खनन का विवेकपूर्ण एवं नियमात्मक संचालन, अवैध खनन पर रोक, खनन प्रविधियां को दक्ष बनाना, उथली एवं निष्क्रिय खदानों का भराव कर वृक्षारोपण करना, खनन से संबंधित पर्यावरणीय, सामाजिक एवं श्रम कानूनों का प्रभावी अनुपालन, हरित फील्ड खोलने के बजाय ब्राउन फील्ड में ज्यादा संसाधन पैदा करना,जल वाहिकाओं की मानसून पूर्व सफाई, खदानों में भरे जल का उचित प्रबंधन आदि प्रयासों द्वारा खनन गतिविधियों के द्वारा हो रहे पर्यावरण अवनयन को न्यूनतम किया जा सकेगा एवं खदान मालिकों द्वारा अपने सामाजिक उत्तारदायित्व को समझते हुए क्षेत्र में चिकित्सा सुविधाओं,कृषि गत सुविधाओं एवं रोजगार– प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार किया जाए जिससे स्थानीय जन समुदाय को भी अधिक सामाजिक –आर्थिक लाभ प्राप्त होंगे।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. Aawaar, G. (2006), *The Economic Impact of Mining Sector Investment in Ghana*, Undergraduate Dissertation, Faculty of Social Sciences, Kwame Nkrumah University of Science and Technology.
2. Agrawal, V. (2004), Eco-Environmental Impact and Necessity of Environmental Management in Mining Area, *Ecological Indicators*, Vol. 11 (6), pp. 1466-1472.
3. Bhushan Chandra (2004),Rich Lands, Poor People:The Socio- Environmental Challenges of Mining In India, State of Indian Environment: Mining.
4. Chauhan, N.K., Sharma Anju and Sharma Veena (2004), A Study on Impact of Green Marble Mining on Environment near Gogunda District Udaipur (Raj.), Unpublished Ph.D. Thesis, Department of Geology, MLSU, Udaipur.
5. Chouhan, Surendra Singh (2008), Mining Development and Environment : A Case Study of Bijolia Mining Area in Rajasthan, Unpublished Ph.D. Thesis, Department of Environment Science, University of Rajasthan Jaipur.
6. Das, B.K., (1998), Environmental Pollution of Udaisagar Lake and Impact of Phosphate Mine, Udaipur (Raj.), Ph.D. Thesis, Punjab University, Chandigarh.
7. Drake, P. L., Rojas, M., Reh, C.M., Mueller, C.A., Jenkins, F.M. (2001). “Occupational exposure to airborne mercury during gold mining operations near El Callao, Venezuela.” *International Archive of Occupational and Environmental Health* 74(3): 206-12.
8. Government of Rajasthan. (2015). *Rajasthan Mineral Policy.* Retrieved July 20, 2015, from Department of Mines and Geology: http://www.dmgraj.
9. Gyani, K.C. (2005), Environmental Scenario of Mineral Sector Activities, National Seminar : Environmental Planning and Management in Mining and Mineral Industries.
10. Jain, Anil Kumar (1998), South Aravali Region : A Remote Sensing Analysis of Natural Resources and Environment Degradation, Dissertation, JRN Rajasthan Vidyapeeth, Udaipur.
11. Kachhava, M. (2004), Environmental & Socio-Economic Impact of Mining Activities, Meenakshi Publications, New Delhi.
12. Kitula A.G.N. (2010), The Environmental and Socio Economic Impacts of Mining on Local Livelihoods in Tanzania : A Case Study of Geita District, *Journal of Cleaner Production*, Vol. 14, pp. 405-414, www.sciencedirect.com.
13. Menaria K.L.(2003)”Phosphoric Fertilizers and Chemical Industries at Crossroads-current Indian Scenario” Mines Environment Mineral Conservation Week.
14. Saviour, M.Naveen (2010) “Environmental Impact of Soil and Sand Mining” Department of Soil Science and Agricultural Chemistry,Tamil Nadu Agricultural University, Coimbatore.

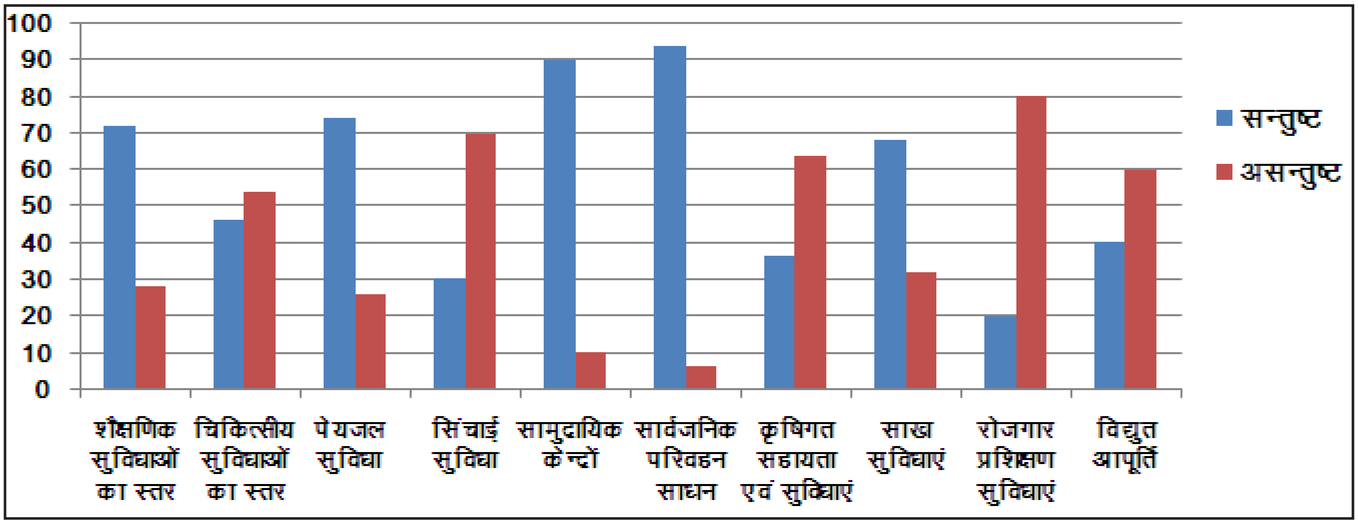
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
शैक्षणिक सुविधाओं का स्तर
चिकित्सीय सुविधाओं का स्तर
पेयजल सुविधा
सिंचाई सुविधा
सामुदायिक केन्द्रों
सार्वजनिक परिवहन साधन
कृषिगत सहायता एवं सुविधाएं
साख सुविधाएं
रोजगार प्रशिक्षण सुविधाएं
विद्युत आपूर्ति
सन्तुष्ट
असन्तुष्ट

****

A Literary Review on Tourism & Tourism Industry in India with Special Emphasis on Punjab

Nishi* Dr. Jaspreet Singh**

*Assistant Professor, SUSPUC College, Ferozepur (PB) INDIA
** Research Supervisor, Ex-Associate Professor, Tantia University, Sri Ganganagar (Raj.) INDIA

Abstract - World's fastest expanding economic industry is tourism. It touches and impacts several industries, religious tourism, heritage/cultural tourism, adventure tourism, eco-tourism, and medical tourism are all popular types of tourism in India. The Punjab has a wide variety of savors for almost all kinds of visitors like heritage of world-class religious shrines, ancient monuments, historical forts, palaces, beautiful wetlands and much more. Punjab's border, rural areas, heritage properties and wetlands have attracted little research so far. For responsible and sustainable tourism growth, a purposeful and concerted effort is required. Punjab possesses all of the characteristics that make it a desirable location.
Keywords- Tourism, Tourism industry, Tourists, Employment, Punjab.

Introduction - Tourism involves temporary movement of people outside their usual environment for relaxation, recreation or renewal of life. It is a structured break from routine life. It is a form of travel that involves going to different places. Today it doesn't confine itself to sea beaches, forts, hill stations but also touches upon rural, border areas, for culture & cuisines. One of the world's fastest expanding economic industries is tourism. Growing middle class, technology advancement, affordable costs of travel, new business models and E-visa facilitation make the sector a significant global force for economic growth & development, leads to jobs creation and driver for innovation and entrepreneurship. In recent years, tourism exports have grown far faster than merchandise exports, helping several countries to decrease their trade deficits. It also promotes inter-regional integration. As an activity tourism first creates demand & then those demands are fulfilled by a group of industries by providing the products & services meant and used by tourists at different stages of travel like transportation & lodging, food & beverage, travel agencies, tour operators, and others. So directly or indirectly tourism touches and impacts several industries through tourism spending. As a result, tourism is becoming increasingly important economically for many countries; among them, India's natural beauty, diversity, and historic past attract a large number of visitors each year. Religious tourism, heritage/cultural tourism, adventure tourism, eco-tourism, and medical tourism are all popular types of tourism in India. Significant growth has been seen during the last three decades. India has been awarded the fourth rank by overseas holidays and travelers among the best holiday destinations of the world. Over 2.6 million foreign tourists visit India every year. The expansion of domestic and outbound tourism in India has been aided by the country's growing middle class and increasing disposable money. India placed 34th on the World Travel and Tourism Index, owing to its abundant natural and cultural endowments. It is also ranked 5th in the world on the Natural Heritage Index by World Economic Forum.

India has become a famous wellness destination with the broad practice of Ayurveda, Yoga & Naturopathy. So for India it becomes a major source of foreign currency. Situated in the north-west region, Punjab is one of the Indian states formed in 1966 and has an international border with Pakistan of approximately 553 kms. It is one of the most prosperous states known for its glorious history and as the land of the Sikh Gurus. The state has a wide variety of savors for almost all kinds of visitors like heritage of world-class religious shrines, ancient monuments, historical forts, palaces, beautiful wetlands and much more. Punjab is also renowned for its cuisine, culture, handicrafts, woodcrafts, traditional motifs and needlework products. Punjab is predominantly an agricultural state still it earns greater revenue through tourism and the tourism industry. It has huge potential to reap benefits and make it biggest employment generator for its people. The Punjab government and its tourism department has taken several initiatives to encourage the promotion and growth of tourism like organizing folk shows, cultural programs, setting up of Tourism Advisory Council, Punjab Tourism & Heritage Promotion Board and a lot. But still those efforts were not sufficient. There is a need for huge investment in the

development of new infrastructure as well as the existing one, development of well structured & well planned rural and border tourism. For each market, the public and private sector collaborate, to create theme-based marketing and promotion campaigns. There should be maximum use of electronic as well as social media to offer best and well-diversified tourism products to each kind of visitor.

Figure 1. (1) Farming along Indo-Pak border in Punjab. (2) Qila Mubarak needs a heritage look in Patiala district. (3) Harike-Wetland in Taran-Taran. (4). Beating retreat ceremony at Sadiqi border in Fazilka District.

Review of literature

One of the determinants of destination demand is the length of stay. Longer-stay tourists visit a greater range of attractions, unexplored areas and generate more economic, social & environmental impacts. There is a distinction between the duration of stay and the length of the journey. The amount of time a tourist spends at a particular destination is the length of stay, whereas the duration of the journey includes the time between departure and return. As a result, the time spent traveling is also included in the total trip length.

Briefly recalling Gopal (1979) studied tourist average length of stay at different places in India and discovered that India is one of the countries where tourists stayed longer than other countries. Length of stay depends upon several determinants such as destination attractiveness, promotion & publicity, level of hospitality, past visits, trip attributes, socio-demographic profiles, service quality and accommodation.

Krishnaswamy (1979) found accommodation an important facility that a country must give to maintain its tourist image. Political upheaval, increased gasoline prices, inflationary pressures, and the recession have all reduced the tourism industry's growth rate. The importance of offering incentives to the hotel industry in order for tourism industry growth was underlined.

Wilson (1981) explored the impact of international tourist perceptions as well as the factors that influence tourist arrivals in India. The researcher also looked at overall tourist arrivals in India during 1958 to 1979 and suggested that upgrading infrastructure at home and improving India's "tourist image" overseas could boost tourism expansion in the country. Negi (1990), highlighted how tourism is economically significant, because it generates revenue, provides jobs, and improves infrastructure as assisting regional development. Environmental and socioeconomic effects of tourism in developing countries, as well as tourism and travel concepts in the Indian context were explored. Also found that tourism surpassed agriculture and became India's third-largest source of foreign revenue. It was found that the intrinsic ability of unskilled, semi-skilled, and skilled labour to generate employment was essential for the development of any economy.

Kumar (1992) looked into tourism as a business activity that aids in the earning of foreign currency. Apart from foreign earnings, investigated tourism development and its connected elements, pointing out that it played an important role as a medium of social cultural development and a booster of employment. It also fosters harmonious relations, kindness and cooperation between nations. According to the findings, the Indian government was attempting to utilize its tourism resources by offering a variety of incentives and seeking private sector engagement. The organization of different fairs and festivals, to attract travelers as well as tax exemptions for investments, demonstrate the Indian government's serious attempts to promote tourism.

In Punjab, Batra and kaur (1993) made an attempt to find the rising dimensions of tourism growth. In order to deal with the crisis, the firm had taken all feasible measures, including expanding infrastructure at floating restaurants. The company established tour travel wings to offer tours in India and overseas, as well as a liquor vending machine, which improved operations and profitability. Improved standards and capacity of fleets, aimed to bring transportation facilities up to worldwide standards.

Momani (1995) examined the expansion of global tourism and found that the availability of modern, safe, and quick modes of transportation, enhanced communication systems, global availability of rental vehicles and superior lodging were factors for the industry's extraordinary growth. Furthermore, tourism development activities had more negative than favorable environmental effects. When a huge number of visitors go to one particular place it is known as Mass tourism which could have negative impacts on the area like poorly paid & seasonal jobs, change in culture & traditions, damage to the natural environment, overcrowding & traffic jams, inflated prices for land, services and in local shops. The basic needs of the locals become difficult to meet. Some nations rely more on tourism, which could be a problem if visitors stop coming due to natural disasters, epidemic like the recent covid-19. Appropriate control and constant monitoring of different aspects of the industry could provide a shield against tourism's negative consequences.

Bhardwaj and Sharma (1995) highlighted that the state had a few tourist attractions, which were scattered but yet with unique concepts. Punjab has the potential of

ecotourism, farm tourism, border tourism and so on. Like Haryana was able to successfully promote highway tourism it couldn't even Punjab. Thereafter, proposed that special incentives be offered to entrepreneurs who wish to start a business in the tourism industry, so that the need for additional tourism products could be met in the future.

Fiscal changes would assist in making Punjab attractive and economically sound, resulting in an increase in tourism demand. In a case study of Punjab state Batra and Chawla (1995) found the impact of tourism on the state economy was becoming progressively essential as the tourism market grows in size and global business developments occur. Tourism as a business must be designed and developed according to scientific principles which require managerial as well as organizational abilities. As several state governments had made tourism development a primary priority in order to boost economic growth and address socio-economic issues. So Punjab Tourism Development Corporation should make greater efforts to advertise its tourism offering in a sound manner. It was observed by Negi (1996) that tourism development covered almost all spheres of economic activity. Looking at the economic, employment, environmental, and cultural elements of tourism, conclude that, in addition to creating jobs and increasing national income, tourism provides limitless chances for bringing man and heritage closer. It also looked into the role of various tourism organizations in the growth of tourism in various countries.

The expansion of those organizations demonstrates that the globalized world is becoming more conscious of the value of travel and tourism as well as the government's role in developing tourism development plans. Seth (1996) expressed the opinion that tourism was particularly vital to a vast and diverse country like India since it contributed towards national integration, foster social and cultural ambience and played a major role in socio economic growth, in addition to being a large foreign exchange earner. Increased domestic air services, the introduction of private firms to expand airports, the inauguration of shatabdi trains, Palace on wheel trains, and the establishment of Tourism Finance Corporations of India were all welcomed initiatives. Another important aspect for tourism development was political will and responsibility on the part of leaders at the national, state, and district levels. Everyone needs a safe and secure journey. General unrest, terrorism, naxal activities, communal conflicts, political instability or conflict, refrain tourists from visiting. Political stability, law & order, government policies give direction.

Anju (1998) evaluated Punjab's tourism potential. Considered Punjab not a particularly appealing tourist destination, yet have a plethora of religious and historical attractions as well as its location as the gateway to Jammu and Kashmir and Himachal Pradesh, provide opportunities for tourism in the state. The study also looked at the corporation's marketing practices and discovered that the product mix weren't very appealing, in addition to lack of entertainment and recreational options within the complexes recommended the corporation's tourism policy, personnel policy, and promotional components be reviewed.

A.S. Chawla and G.S. Batra (1998) found tourism extremely significant economically because it employed a large number of people. It was an important factor in utilizing the country's idle resources by giving opportunities to local people directly or indirectly through hotels, restaurants, night clubs, local crafts & cultural products, street vendors, taxies, rickshaw pullers, magazine corners, tea/coffee stalls, packed food items shops etc. The goal of the G.S. Batra, A.S Chawla and Anju Mehta (1998) study was to look at the socioeconomic backgrounds of tourists, as well as the many services provided by the state's tourism industry and the perceived quality of those services. Their conclusion was that different types of tourist products must be developed, promotional activities must be increased to attract a steady stream of tourists, archaeological sites must be beautified and resources must be generated to upgrade infrastructure for the development of tourism in Punjab. If those procedures were adopted, then I hope that many of the state tourism problems would be resolved.

Considering those features of tourism and the potential that exists inside the state, the tourist industry in Punjab region has enormous potential for rapid expansion. Mehta and Arora (2000) examined Tourism Industry in Punjab – An evaluation of promotional activities, found that the brochures/ booklets used to promote tourism activities were not very appealing, and the information provided was minimal, particularly for foreign guests. The proportion of advertising cost to overall management expenditure was discovered to be minimal, falling from 2.04 percent in 1979-80 to 0.30 percent in 1994-95. To attract more tourists, a complete advertising strategy utilizing multimedia was suggested, as well as a significant increase in funding allocation for tourism activities.

A Study of Punjab, Haryana and Himachal Pradesh, Financial Organizations and Working of State Tourism Development Corporations by Singh (2001), to analyze proper project planning and economic viability were in place before the establishment of various tourist complexes, as well as to assess their financial structure. It relied heavily on secondary data, various accounting ratios and statistical tools were utilized to analyze the data. The statistical approach ANOVA was used to examine the variance in ratios among the various financial metrics. These organizations' management should be in the control of professionally qualified individuals and the product mix of tourist complexes should be adequately marketed.

Pushpinder S Gill (2002) considered tourism advancement to the level of a modern industry. As it offered great potential for growth, it became an important industry for both the government and private sector. The tourism business has grown in significance in the global

economy, Krishan K Kamra and Mohinder Chand (2004) recommended for improving the quality of tourism products so that customers' perceptions of the industry can change.

Tourism research, education, marketing, policy, and other topics were highlighted in "Tourism Research Policy and Regulations" being significant issues in the field of international tourism by P C Sinha (2005). A number of methods discovered that could develop and attempted to inculcate a global interest in tourism development. In the form of tourist arrivals, Boora (2006) examined the performance of tourism in India as a result of policies and initiatives. The study period was between 1991 and 2004, investigated the primary markets for Indian tourism and discovered that the west is one of India's most important market places. It was discovered that the direction of investment was in the direction of tourists since Europe and America invested much on tourism in several areas during the twentieth century, and those areas received a large number of tourists. Finally, the findings revealed that tourism in India had a late start, occurring only after the advent of economic liberalization. India's share in international tourist arrivals was negligible in 2000. It was advised that India should put a lot of effort to meet its lofty tourism goals and fully exploit the country's potential.

Its Commercial success depends upon scientific product planning and the design of interesting packages studied by M R Biju (2006). Abnashi Singh and Ahuja Gurvinder Singh (2004) provided a comprehensive account of the ancient and important Gurudwaras in Punjab associated with the ten gurus. The Gurudwaras images provide a visual representation of the architectural style and shape of the holy monuments. In truth, it is a pilgrim's guide for those who wish to visit Gurudwaras and be nourished by the message of peace, love, devotion to God, social equity, religious tolerance, and worldwide brotherhood of man. However, focused more on pilgrimage tourism and do not include other sites in Punjab that can appeal to travelers. Kamra (2006) explored different tourism policies as well as their goals and outcomes. Following independence, India's tourism development plans were reviewed.

In 1982, India's first tourism policy was drafted, followed by a slew of subsequent short-term plans and projects. The responsibilities of the government and the business sector in tourism development were also investigated. To have a better understanding, various areas of tourism were examined, including 'infrastructure and product development,' 'human resource development, 'tourism promotion and marketing,' and 'market research and technology absorption'. The National Tourism Policy 2002 was investigated, and it was discovered that the policy was designed in a closed economy with strict licensing procedures. Foreign investments were not anticipated, and policy did not highlight the role of private sectors. A structure should be established to allow stakeholders to fully exploit tourism's potential and link it to national development priorities.

Kathrivel et al (2007) investigated how the policy operates in a systematic way so that tourism may be fully utilized. Various depths and dimensions on various characteristics were sought through questionnaires. The perception of the local people as well as the viability of the village tourist project were investigated, both of which were crucial for the development of tourism. Attempt to emphasize the current infrastructure scenario of existing human resource practices to optimize resource usage. It was discovered by Manish Srivastava (2009) that the India regarded as a very good tourist destination as it provides a combination of cultural richness, glorious history, architectural heritage, pilgrimage center, colourful fairs & festivals and natural beauty. International tourists were pleased with the food, accommodation, and the Indian people but were dissatisfied with the infrastructure. In a research published in 2013 by the travel and tourism sector stated that India has the potential to become a popular tourist destination.

The existing capacity building interventions for the tourism sector in India were critically examined by Chowdhary (2009) stating that on the one hand, there was a large skill gap, and on the other, there was a high unemployment rate. The industry had been seen to be unwilling to pay acceptable wages, and existing interventions had tended to focus on human resource development at the middle and upper levels rather than at the grassroots level and had failed to promise the necessary skills inventory. The tourism industry has the ability to produce a significant number of local jobs. The study produced a model for entrepreneurial intervention that included several factors related to tourism entrepreneur inventions. It was advised that the government take a different approach to capacity building, focusing on entrepreneurship skills that would aid in the expansion of the tourism business. Other stakeholders should be engaged in a complete intervention strategy, and tourism entrepreneurship should be incorporated as a capacity-building activity. Tourist satisfaction with existing attractions analyzed, as well as the influence of attraction clustering on tourist stay in Amritsar by Chaudhary and Aggarwal (2012).

The general satisfaction of tourists with existing attractions and attitude towards clustering of attractions in Amritsar were determined using a sample size of 100 tourists. Factor analysis, Pearson's correlation, and simple descriptive statistics were all used. Tourists seem to be content with the existing main attractions, but they were unaware of prospective attractions in and surrounding Amritsar. The outcomes suggested that visitors were enthusiastic about staying for longer periods of time, but they require good services and more destinations to visit. It was concluded that study would absolutely boost Amritsar's

carrying capacity, resulting in the region's longer sustainability and proposed to be extended to other regions as well more research be conducted on other measures of destination sustainability.

Samjetsabam Pinky and Dr. R.K. Dhaliwal (2017) study looked at the condition of agri-tourism in Punjab. A total of 15 registered farmers from the Punjab Heritage and Tourism Promotion Board were chosen at random for the study. The cost of a daily visit as well as an overnight stay varies by agri-tourism unit. Jyani natural farm, located in the district of Ferozepur, received the lowest charge. During the kharif and rabi seasons, the main crops cultivated were rice and wheat, respectively, while kinnow had the most area under plantation crops and all agri-tourism operations had complete irrigation capabilities. More than half of the people polled said they had a large farm house. The Virasat Haveli near Amritsar received the most tourists each year because it was easily accessible, whereas the Chandigarh Sardar farm near Fatehgarh Sahib received the least. Recreational activities were supplied by all of the agri-tourism units, which were followed by manufacturing and processing activities.

Table No. 1 (see in next page)

Conclusion - Punjab's border, rural areas, heritage properties and wetlands has attracted little research so far and being not aware of any research previously on to promote tourism in these areas. People mostly know about Wagah border in Amritsar and little bit about Hussainiwala border in Ferozepur but not aware of the Sadiqui border in Fazilka for joint Indo-Pak retreat ceremony. In the border areas of Punjab the biggest problem is unemployment. These underdeveloped border areas also intend to show great potential for rural & farm tourism. The villages on the border can give ground to visitors who want to feel the life in border areas. A good opportunity for youth who could be provided soft skills training to be tourist guides. Having a multiplier effect, tourists stay and spending contributes into the border rural economy & improves their quality of life. Punjab has a lot of heritage properties which should be planned to develop as heritage hotels for wedding spots. Punjab's natural beauty lies in its wetlands, forests, wildlife and Shivalik ranges**.** More emphasis should be for the development of these eco-tourism sites**.** Having six internationally recognized Ramsar sites intends to preserve & advance sustainable utilization of its natural resources for leisure & solitude. State tourism should focus on three pillars; Policy, Strategy & Tactics. Policy is a formal document followed by legislation, strategy ensures implementation of the policy by the responsible institutions, tactics involve annual action plans of organizations implementing the strategy. Regular review and monitoring is also needed. For responsible and sustainable tourism growth, a purposeful and concerted effort is required. Punjab possesses all of the characteristics that make it a desirable location.

References:-

1. Bhattacharyya, S., & Gopal, K. (1979). A Comparison of Some Important Characters. Geographical Review of India, 41.
2. Krishnaswamy, J. (1980). Hotels and Tourism Development in India. Tourism Recreation Research, 5(2), 19-21.
3. Nash, D., Akeroyd, A. V., Bodine, J. J., Cohen, E., Dann, G., Graburn, N. H., ... & Wilson, D. (1981). Tourism as an anthropological subject [and comments and reply]. Current anthropology, 22(5), 461-481.
4. Negi, M. S., Tiwari, M., & Singh, T. (1990). Indian Tourism & Hospitality Industry-Trends & Development. Applied Hospitality and Tourism Research, 52, 52.
5. Kumar, M. (1992). Tourism today: an Indian perspective. Kanishka Publishing House.
6. Batra, G. S., & Kaur, N. (1996). New vistas in reducing the conflicts between tourism and the environment: an environmental audit approach. Managerial Auditing Journal.
7. Khirfan, L., & Momani, B. (1995). (Re) branding Amman: A 'lived' city's values, image and identity. Place Branding and Public Diplomacy, 9(1), 49-65.
8. KHAN, D. F. (2012). Dynamics of Marketing of Star Hotels, Products, & Services. Partridge Publishing Singapore.
9. Singh, M. (2004). Management of State Tourism Development Corporations. India: Deep & Deep Publications.
10. Negi, S. S. (1996). Tourism for Socio-economic and rural Development in India. MD Publications Pvt. Ltd..
11. Seth, R., & Gupta, O. M. (1996). Tourism in India-An Overview, Vol-2.
12. BATRA, G., CHAWLA, A., & MEHTA, A. (1998). Tourism Services-A Study of Punjab Tourism Development. Tourism Towards 21st Century, 180.
13. Singh, M. (2004). Management of State Tourism Development Corporations. India: Deep & Deep Publications.
14. BATRA, G., CHAWLA, A., & MEHTA, A. (1998). Tourism Services-A Study of Punjab Tourism Development. Tourism Towards 21st Century, 180
15. Mehta, A., & Arora, R. S. (2000). Tourism Industry in Punjab-An Appraisal of Promotional Activities. Indian Management Journal, 4, 91-102.
16. Singh, S. (2001). Indian tourism: policy, performance and pitfalls. Tourism and the less developed world: Issues and case studies, 137-149.
17. Pushpinder S Gill, "Tourism and Hotel Management", Anmol Publications Pvt. Ltd., New Delhi, 2002
18. Krishan K Kamra, Mohinder Chand, "Basics of Tourism Theory Operations and Practice", Kanishka Publishers Distributors, New Delhi, 2004
19. Singh, A., & Ahuja, G. S. (2004). An Introduction to Sikhism. Vol. 5, Historical Sikh Gurdwaras of Punjab.
20. P C Sinha, "Tourism Research Policy and Regulation",

Anmol Publications Pvt. Ltd., New Delhi, 2005.
21. Boora, K. K., & Dutt, M. (2006). Tourism education is an emerging essential: tourism education in a changing tourism business environment.
22. M R Biju, "Sustainable Dimensions of Tourism Management", Mittal Publications, New Delhi, 2006.
23. Kumra, P., & Singh, M. (2006). Factors Influencing E-Service Quality in Indian Tourism Industry. Researchers World, 9(1), 99-110.
24. Burns, P. M., & Novelli, M. (Eds.). (2007). Tourism development: growth, myths, and inequalities. CABI.
25. Manish Srivastava, "Assessing International Heritage Tourist Satisfaction in India", Indian Journal of Marketing Vol.xxxix, No.4, April 2009.
26. . Chowdhary, N. (2009). Critique on Capacity Building for the Tourism Sector in India. International Journal of Tourism and Travel, 2(2).
27. Chaudhary, M., & Aggarwal, A. (2012). Tourist satisfaction and management of heritage sites in Amritsar. South Asian Journal of Tourism and Heritage, 5(2), 47-61.
28. Pinky, S., & Dhaliwal, R. K. (2017). Status of Agri-tourism in Punjab. Indian Journal of Extension Education, 53(4), 95-100.

Table No. 1: Brief literature review

Sr.	Author	Data	Result/Conclusion
1.	Gopal (1979)	Average length of stay of tourists at different places in India.	India is one of the countries where tourists stay longer. Length of stay can be enhanced by providing better services.
2.	Krishnaswamy (1979)	Essential facility availability to brief up tourist Image.	Incentives to the hotel industry for growth, political stability, affordable prices, and price level changes are important for growth.
3.	Wilson (1981)	Mindset of foreign tourists about India & factors responsible for their arrival.	Total tourist arrival to India from 1958 to 1979 from various regions. Improving infrastructure and image help in growth.
4.	Negi (1990)	Impact of tourism via income, employment, infrastructural improvem-ents, regional development & environmentally in India.	Inherent capability of employment generation and emerged as a 3rd largest foreign earner.
5.	Kumar (1992)	Tourism development associated aspects apart foreign earnings, qualitative aspects & marketing strategies analyzed.	Various incentives given by the government for inviting private sector participation.
6.	Batra & kaur (1993)	Emerging dimensions of tourism development in Punjab.	New infrastructure, tour travel wings, liquor vending, improved working and profitability. Standard international level facilities are expected.
7.	Momani (1995)	Phenomenal expansion of tourism industry factors studied.	More negative effects revealed by tourism development activities. Proper control and regular monitoring needed.
8.	Bhardwaj & Sharma (1995)	Economic reforms impact on tourism demand	Special incentives demanded for entrepreneurs in tourism ventures. New concepts of tourism make Punjab more prospectuses.
9.	Batra & Chawla (1995)	Growing size of tourism market & its impact on state economy.	Top priority by state government and PTDC to market tourism products.
10.	Negi (1996)	Role of tourism organizations in tourism development.	Growth of tourism organizations and government role play in shaping development programs.
11.	Seth (1996)	Contribution via foreign exchange, national integration, social & cultural ambience.	Entry of private enterprises, set up by Tourism Finance Corporation welcome steps.
12.	Anju (1998)	Marketing practices & product mix of the corporation.	Pointed out lack of entertainment facilities & review of policies, promotional aspects of corporations.

13.	A.S. Chawla & G.S. Batra (1998)	Economic importance of tourism through employment generation.	Providing opportunities to utilize a country's idle resources directly or indirectly.
14.	G.S. Batra, A.S. Chawla & Anju Mehta (1998)	Quality of services provided by the state tourism industry.	Different tourist products and promotional activities, infrastructure upgrade resolve problems of the tourism industry.
15.	Mehta & Arora (2000)	Brochures/Pamphlets for promotion and share of advertisement expenditure to total management expenditure.	Insufficient, unattractive information in pamphlets and very little expenditure on advertisement.
16.	Singh (2001)	Secondary data used to appraise financial structure, economic viability, project planning.	Professionally qualified management and proper marketing of the product mix of tourist complexes lacks and should be focused.
17.	Pushpinder S Gill (2002)	Tourism advancement being a modern industry considered.	Private and public sector investment needed for growth.
18.	Krishan K Kamra & Mohinder Chand (2004)	Customer's perception of the industry about tourism products.	Emphasis on quality improvement and change in perception of customers.
19.	Abnashi Singh & Ahuja Gurvinder Singh (2004)	Ancient and important Gurudwaras of ten Gurus in Punjab.	More focus on pilgrimage tourism and not covering other attractions.
20.	P C Sinha (2005)	Tourism research, education, marketing, policies studied	Significant issues are considered for improving international tourism.
21.	Boora (2006)	Analyze tourism performance through tourist arrivals from 1991 to 2004 in India.	India's share nominal and need high investments plus efforts to tap existing potential.
22.	M R Biju (2006)	Commercial success of tourism.	More focus on scientific product planning and interesting tour packages.
23.	Kamra (2006)	Analysis of tourism development policies with objectives and outcomes after independence of India.	Weaknesses of national tourism policy 2002 revealed. Private and foreign investments are essential for success.
24.	Kathrival et al (2007)	Questionnaire used for knowing the perception of locals and village tourism projects.	Present infrastructure with prevailing human resources used systematically with policies for fullest extent.
25.	Manish Srivastava (2009)	Satisfaction level of tourists examined regarding food, accommodation, infrastructure and Indian people.	India is regarded as a good destination with a lot of potential but lack of proper infrastructure hinders.
26.	Chowdhary (2009)	Large skills gap, high unemployment, unacceptable wages at grass roots level.	Tourism entrepreneurial interventions, capacity building by the government would aid in job creation.
27.	Chaudhary & Aggarwal (2012)	Factor analysis, Pearson correlation used on a sample of hundred tourists to know satisfaction level.	Lack of quality, awareness, more prospective attractions in and surrounding Amritsar hinders longer stay.
28.	Samjetsabam Pinky & Dr. R.K. Dhaliwal (2017)	Fifteen registered farmers from PHTPB were randomly chosen.	Cost of day and night stay at different farm unit's revealed popular cities received more tourists and were highly charged compared to others.

****

Healthcare Ecosystem, Human Rights and Sustainable Development

Himanshi Soni*

***Asst. Professor (Law) Dr. B.R.Ambedkar University of Social Science, Ambedkar Nagar, Mhow (M.P.) INDIA**

Abstract - Sustainable Development of Human Rights inherent in itself healthcare facilities as an essential requirement for living dignified life and for achievingit various measures are adopted at international and national level that includes covenants and declarations to which India is also a signatory member. UN also specify Sustainable Development Goals (SDG)in which achieving good health and well being is a factor and is going to achieve it by2030.
Keywords- Healthcare, Human Rights, Sustainable Development, WHO, Health.

Introduction - The Term "Healthcare" means the organised provision of medical care or medical facility to individuals or community at large and "Ecosystem" means a combination of biotic and abiotic components lives in a surrounding area with an adequate amount of living facilities on which their survival depends. Hence, "Medical Healthcare Ecosystem "specify an organised structure in which individual or community can live with proper medical care and provided with essential medical facilities that are basic and fundamental rights of human being.

"Sustainable Development" is a development that meets the need of the present without compromising the ability of future generation to meet their own needs. This shows that we have to develop our healthcare infrastructure to meet the requirements of present generation without doing extreme change in our ecosystem.

International Measures For Maintaining Helathcare Infrastructure As Human Rights: Constitution of world health organization focuses on physical and mental health without discrimination of religion, race, social and economic conditions. Health is a fundamental right and can be achieved through cooperation of individual and state. Government has the responsibility for the health of their people, which can be fulfilled only by the provision of adequate health and social measures.

World Health Day: The First world Health Assembly in1948 decided that world health day should be celebrated every year on 22 July in commemoration of the signing of the WHO Constitution on the date in 1946 by 61 governments at the international health conference in New York. The second World Health Assembly,however,considered that schools and other educational institutions worldwide could and should act as important focal points for the observance of this day. Since schools in most countries were having vacations in July, they could not observe the occasion. The Assembly, therefore, choose 7 April, the day the WHO Constitution came in to force, as a suitable alternative.

The Assembly Resolved that, beginning 1950 and each year thereafter, World Health Day should appropriately be celebrated at 7 April by all Member States.[1]

Alma-Ata Declaration: The World Health organization and United Nation children fund organised an international conference on "Health for all and primary health care" at Alma-Ata, Kazakhstan from 6th to 12th September 1978. [2]

1. The conference strongly reaffirms that, health which is state of complete physical, social and mental well-being and not merely absence of disease or infirmity, is a fundamental human right.
2. The existing gross inequality in the health status of the people, particularly between developed and developing countries is unacceptable.
3. Collective and individual responsibility in planning and execution of health care
4. State accountability for providing primary health care to each individual and to organise awareness camps and programs.

United Nation department of economic and social affair disability specify 17 sustainable development goals as an envision 2030.

SDG (Sustainable Development Goal)-3 focuses on Good Health and well-being, it ensures healthy lives and promote well-being for all at all ages.

1. By 2030, reduce the global maternal mortality ratio to less than 70 per 100,000 live births.
2. By 2030, end preventable deaths of new-borns and children under 5 years of age, with all countries aiming to reduce neonatal mortality to at least as low as 12 per 1,000 live births and under-5 mortality to at least

as low as 25 per 1,000 live births.

3. By 2030, end the epidemics of AIDS,tuberculosis, malaria and neglected tropical diseases and combat hepatitis, water-borne diseases and other communicable diseases.
4. By 2030, reduce by one third premature mortality from non-communicable diseases through prevention and treatment and promote mental health and well-being
5. Strengthen the prevention and treatment of substance abuse, including narcotic drug abuse and harmful use of alcohol.
6. By 2020, halve the number of global deaths and injuries from road traffic accidents 3.7 [3]
7. By 2030, ensure universal access to sexual and reproductive health-care services, including for family planning, information and education, and the integration of reproductive health into national strategies and programmes.
8. Achieve universal health coverage, including financial risk protection, access to quality essential health-care services and access to safe, effective, quality and affordable essential medicines and vaccines for all.
9. By 2030, substantially reduce the number of deaths and illnesses from hazardous chemicals and air, water and soil pollution and contamination.
10. Strengthen the implementation of the World Health Organization Framework Convention on Tobacco Control in all countries, as appropriate.
11. Support the research and development of vaccines and medicines for the communicable and noncommunicable diseases that primarily affect developing countries, provide access to affordable essential medicines and vaccines, in accordance with the Doha Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health, which affirms the right of developing countries to use to the full the provisions in the Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights regarding flexibilities to protect public health, and, in particular, provide access to medicines for all.
12. Substantially increase health financing and the recruitment, development, training and retention of the health workforce in developing countries, especially in least developed countries and small island developing States.
13. Strengthen the capacity of all countries, in particular developing countries, for early warning, risk reduction and management of national and global health risks.

Some Indian Laws And Regulation Related To Health:

1. The National Medical Commission Act,2019
2. Surrogacy Bill,2018
3. Food Safety and standard regulations
4. The Mental Health Act,1987
5. Environmental Acts and Rules
6. The Transplantation of Human Organ Acts and Rules
7. The pharmacy Act,1948
8. The Prevention of Food Adulteration Act,1954
9. Maternity benefit acts and rules
10. Pre-natal Diagnostic Techniques (PNDT)Acts and Rules.
11. The Medical Termination of Pregnancy Acts and Rules

Right To Health Under Indian Constitution: Indian Constitution provides safeguards for right to health under various provisions including Fundamental Rights

Fundamental Rights relating to Right to Health: Art 14, Art15, Art 21, Art 24.

Directive principles of state policy: Art 38, Art 39, Art 41, Art 42, Art 47, Art 48A.

Role Of Judiciary: "Right to health" is not recognised as a Fundamental Right expressly, judiciary recognised it as a basic Human Right by means of various judgments.

I. Francis Coralie Mullin v. Union Territory of Delhi [4],It was held that, Right to Life guaranteed under Art21 of the constitution in it's true meaning includes the basic Right to food, clothing and shelter.
II. Unnikrishnan J.P. v/s State of Andhra Pradesh [5],It was held that maintenance and improvement of public health is the duty of the state to fulfilits constitutional obligation cast on it under Art 21.
III. Consumer Education and Research Centre v/s Union of India [6], It was held that Right to Health and Medical Care is a Fundamental Right under Art 21 of Indian Constitution and Right to health and medical care, to protect health and vigour are some of the integral factors of a meaningful right to life.
IV. Parmanand Katara v/s Union of India[7], ruled that every doctor whether a govt hospital or otherwise has the professional obligation to extend his service with due expertise for protecting life. No law or state action can intervene to avoid, the discharge of the paramount obligation cast upon members of the medical professionals.

Conclusion: For achieving Health Right as a Human Right numerous measures were taken by WHO and UNincluding Alma-Ata declaration that is a milestone in achieving health right goals and SDG 3 specifically focuses on health care and well being which demands individual and collective participation of people and states. Apart from this role of Indian government by enacting various statutes and schemes for protection of health rights that includes landmark judgments by Indian Judiciary is considerate in achieving SDG 3

References:-

1. https://www.efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://qi.nhsrcindia.org/sites/default/files/Chapter%205-Right%20to% 20Health%20Indian%20Legislations%20%26%20International%20Documents.pdf.
2. World Health organization, "WHO calld to return to the alma ata declaration,"https://www.who.int/teams/social-

determinants-of-health/declaration-of-alma-ata.
3. U. Nation, “United Nation Department of economic and social affair disability,” https://www.un.org/development/desa/disabilities/envision2030-goal3.html.
4. Francis Coralie Mullin v. Union Territory of Delhi, 1981(1) SCC 608.
5. Unnikrishnan J.P. v/s State of Andhra Pradesh, AIR 1993 SC2178,1993 1 SCC 645.
6. Consumer Education and Research Centre v/s Union of India, AIR 1995 SC 636 : (1995) SCC 42.
7. Prmanand Katara v/s Union of India, AIR 1989 SC 2039.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XL

Nation and Nationalism: From Partition to Present Day

Poonam Matkar*

*Visiting Faculty, Sarojini Naidu Govt Girls PG College, Bhopal (M.P.) INDIA

Abstract - The world has been torn into fragments over the centuries, more often than not the issues are resolved by making amendments. However, there are times when the steps taken to pacify situations and establish peace did not work as planned. The Indian subcontinent which has been known for its diverse culture for centuries, was colonized, decolonized and then cracked into separate nations to suit the personal desires of some political leaders who aimed to appease respective communities. The Partition of the subcontinent emerged as one of the worst nightmares none could have foreseen. The communal violence which began a few decades before the inevitable night was carried on even after the holocaust. The feeling of national pride was gradually replaced by religion based nationalism which was quite confined in its approach. Over the years the religious tensions grew among communities and the whole spirit of patriotism. The feeling of mutual brotherhood and camaraderie, living in peace and harmony and accepting and accommodating individuality, was taken over by the emotion of alienating the different, unfamiliar and *other*. While it can be difficult to accept or accommodate everyone, it is unimaginable to loathe or kill out of sheer prejudiced animosity towards people who do not conform to one's own stereotype. The rising cases of violence and hostility in the name of nationalism signify the urgent need of a clear vision to differentiate between patriotism and nationalism. This paper will discuss the events surrounding Partition, the rise of communalism and nationalism and how the definition of nationalism has changed over the years. The paper will also discuss some issues persisting in the Indian subcontinent which haven't been resolved even after years of violence and political fights.
Keywords – Partition, Nation, Nationalism, Identity.

Statement of Purpose – A sense of belonging was always desired by people across the world; during the colonial periods it was one of the driving forces, the motivation to rule out the colonizer and build an independent nation. Land has always been a reason of conflict among communities and nations across the world. The British, while expanding its territories and retracting their steps post-colonization, left a huge impact on the socio-political mindset of most of the nations across world. The insatiable thirst power in major drove the world towards two catastrophic events, and what followed were major destruction, pessimism and disillusionment. Even after years of several peace treaties, the argument over land allotment still exists. India suffered on multiple levels, because it was not an independent nation participating to expand territory, but was an ally under colonial rule which did not have much will of its own. Afterwards, countries like Israel followed the colonial footsteps. The eminent question of a sense of belonging still persists and births numerous issues every other day. While some conflicts like India-Pakistan get settled on the surface, problems surrounding communal conflict don't seem to evade. Post-Partition when both the countries were trying to make peace with one another, on several instances they failed miserably resulting into war and further partition of Pakistan and Bangladesh. The bloodshed which did not start with partition did not end after it. The spark of supporting the familiar and alienating the *other*, eternally existed in the Indian subcontinent, although subdued with time, the fire of communal hatred grew manifold in subsequent years. With the support of few powerful people and political parties India witnessed many riots over the decades, the appeasement of a particular community as a political tool had begun before partition and continues even today. People are often instigated against each other in the name of nationalism.

This paper aims to trace the emergence and growth of nationalism since Partition, while critically examining Khushwant Singh's *Train to Pakistan* which happens to be one of the seminal works of Partition literature. The paper will also discuss how some of the major instances of the novel still mirror some disturbing incidents of society.

Discussion- Describing the Partition of Indian subcontinent, Khushwant Singh in his novel *Train to Pakistan* wrote

Hundreds of thousands of Hindus and Sikhs who had lived for centuries on the Northwest frontier abandoned their homes and fled towards the protection of the predominantly

Sikh and Hindu communities in the east. They travelled on foot… By the summer of 1947 …ten million people – Muslims and Hindus and Sikhs were in fight. By the time the monsoon broke, almost a million of them were dead, and all of northern India was in arms, in terror, or in hiding. (1-3)

Stanley Wolpert, one of the eminent historians, in the acknowledgement of his book *Shameful Flight: The Last Years of British Empire in India* writes about Khushwant Singh's seminal work, "Khushwant Singh's searing novel Mano Majra (Train to Pakistan, New York, 1956), first made me aware of the human impact of Partition's tragedy on Punjab"[1]

One of the milestone works of Partition *Train to Pakistan* holds towering importance not only for its literary quality which remains unparalleled, but also for its ingenious account of the events surrounding the incident. An updated edition of the book was released on India's 50th Independence Day which had photographs of the catastrophic event captured by Margaret Bourke-White, first female photographer for Fortune. The journalist travelled through the subcontinent to document the events surrounding Partition, her efforts could be easily traced through what she captured during her journey. Resonating with the events narrated through the novel, the pictures depicting thousands of people migrating in deplorable condition, the train coaches with hundreds of dead bodies piled up, children sitting and crying beside dead parents and peasant walking barefoot across miles, all the pain was contained in those images.

While the novel, on its surface, appears to be about a small village, frequently one sees the allegorical image of fractured India in it. The theme of the novel blurs from the daily activities of country life into the horrendous reality of Partition and its effects. Spanning across few weeks, the novel examines the deplorable condition of innocent people where lives are caught up in the web of unfair politics. The events surrounding communal violence reflect upon the reality of Partition times. Being one of the earliest records of the calamity, the novel claims its fame on the grounds of its honest treatment of the theme without an earlier documented reference in mind.

The communal migration across border which started decades before Partition and on record lasted years after can be still witnessed across the country. The exodus of Kashmiri Hindus, a Muslim family seeking safer haven amongst 'their' people, a Hindu family feeling insecure living in Muslim neighbourhood can't be overlooked. The communal tensions have been triggered by political and bureaucratic authorities, while the middle class, common man has had to bear the consequences. The common people are often driven by emotions and are attached to each other by a feeling of mutual camaraderie. The meeting among the village people night before evacuation was a common place phenomenon during Partition years. The age old ties, emotional bonding between people was torn overnight as a result of looming phantoms of political figures. Stephen Alter in his book *Amritsar to Lahore* says

Most of the ethnic and religious strife in Pakistan and India has been generated by a combination of historical circumstances and the cynical manipulation of power within each state. These forces undermine and betray a genuine desire for peace and coexistence on the part of most people who live in South Asia. Nationally enforced identities and citizenship are often at odds with a much more basic human impulse for cross-cultural understanding. (pg 5)

Singh's *Train to Pakistan* elaborates on how a nation on the verge of being divided into fragments was witnessing communal genocide. The killings reached from bigger cities to small towns and villages. People living peacefully in remote areas were being woken up to shrieks of corpse laden coaches. And if it was still a difficult puzzle to solve the officials like Meet Singh fuelled the fire. He readily identified with the killings of his Sikh brethren and reprimanded Bhaiji who questioned the safety of Muslim owned property and goods. The idea of Partition and reshaping of territories was backed by an innocent feeling of nationalism. Thapar in her essay *Reflections on nationalism and History* says,

For Indians my age who grew up on the cusp of Independence, nationalism was in the air we breathed. Nationalism was not something problematic. It was an identity with the nation and its society, the identity and consciousness of being Indian did not initially need to be defined. We understood nationalism to be Indian nationalism and not Hindu or Muslim or any other kind of religious or other nationalism, and a clear distinction was made between nationalism and other loyalties. (pg 4)

In contemporary times the lines between patriotism in true spirit and nationalism driven by private loyalties seem blurred. Most of the people today appear to have digressed from what was loving one's country resultantly what we see today is a blind following of the ideologies propagated by a particular leader or party, failing which one could easily be stamped a traitor. If a person doesn't want to go with the current and is willing to voice a counter opinion on any matter they automatically become spineless for not hating *other* enough. When Meet Singh condemns passivity of Bhaiji and tells him of all the rapes and murders happening, Bhaiji falls speechless. He is taken aback by the atrocities he heard being inflicted upon people. He fails to fathom how inhuman someone can be to commit such heinous crimes against other human beings. Throwing light upon the incident Roy writes,

This is actually a blow that is even worse than the evacuation of the Muslims. At least the evacuation was for something good, the villagers of Mano Majra thought – their friends and neighbours reaching safety; while what the Sikh officer was talking of was a scenario devoid of all sanity and humanity. (pg 39)

The Muslims leaving the village for Chandannagar refugee camp were under the pretext of returning in a while, as well as the people who were left behind soon realized the end results. It was not only the material commodities which were lost, looted or misplaced during the Partition, millions of people lost their loved ones, millions were killed, abducted, raped and violated. Man's inclination towards corruption and greed was still visible in such horrible times. Malli, a dacoit, takes over the property and goods of Muslims and becomes one of the first ones from the village to take vengeance upon the Muslim villagers.

The departure of the Muslims in the novel resonated with Singh's own experience when he writes

There was no time to make arrangements. There was no time even to say good-bye. Truck engines were started. Pathan soldiers rounded up the Muslims, drove them back to the carts for a brief minute or two, and then on to the trucks. In the confusion of the rain, mud and soldiers herding the peasants about with the muzzles of their stein guns sticking in their backs, the villagers saw little of each other. All they could do was to shout their last farewells from the trucks… The Sikhs watched them till they were out of sight. They wiped the tears off their faces and turned back to their homes with heavy hearts. (pg 159)

The instigation of violence and communal hatred among innocent people is often done by people sitting in higher position. The people in power are decisive forces when it comes to defining what is good or bad. Hukum Chand viciously fabricates charges against innocent people like Iqbal, a clean shaven Sikh, who is doubted for his religious inclinations. The village folks are seen doubting his loyalty towards their land keeping his religion in view. The authorities frame Jugga and Sultana along with Iqbal for murder of Lala, whereas the villagers find it hard to believe since they remain aware of the fact that Sultana had moved to Pakistan and Jugga would never hurt people of his own village. But the 'fake news' takes its toll on the conscious of villagers, and stimulates the rising communal tensions overnight. The matter worsens with the arrival of Sikh refugees who mention the atrocities they bore in Pakistan. Roy says

…the refugees themselves play a kind of catalytic role in this respect, for it is through their presence in the village that the Sikhs become aware, for the first time, of the atrocities perpetrated against their community outside the confines of their own village teherfore, though the Sikh villagers are initially hesitant about throwing out their Muslim brethren , they are later persuaded to do just that. The refugees succeed in inciting the weak-minded villagers against the Muslims. (pg 42)

Nationalism, according to Thapar, has a deeper meaning than what is portrayed these days; a better understanding of society and people is needed. The hostility people have embraced towards the *other* who do not conform to their notions is quite similar to that of Partition times. While the earlier battle was about a sense of belonging to a piece of land, the modern war-waging is based on strictly personal opinions and prejudices. She says one tends to overlook the fact that the definitions of Hindu civilization we have today were imposed upon us by the British colonizers. The colonizers who belonged to a foreign race could not comprehend the complexity of a diverse society. Romila Thapar traces the emergence of the concept of nationalism to post-Enlightenment period of Europe and states how the modern nationalism is strikingly different from its origin. Citing Anderson's seminal work, Thapar points out how today's nationalism comes across as a vague concept. Discussing different historians like Hobsbawm and Gellner, Thapar explains the mutation of history in today's time to claim a superior belonging to the country.

The rising communal tension was a result not only of the British policy of Divide and Rule but was fueled by common gentry as well. The commoners were usually those led by political ambitions and lived under the illusion that the dawn of independence would cater to their personal desires. Talking about the idea of nationalism Romila Thapar, in her essay, says nationalism had, and has, much to do with understanding one's society and finding one's identity as a member of that society. It cannot be reduced merely to waving flags and shouting slogans and penalizing people for not shouting slogans like 'Bharat Mata ki Jai'. This smacks of a lack of confidence among those making the demand for slogans. (pg 1)

Thapar, who witnessed Partition and independence has been outspoken about her experiences throughout her life. In her essay she defines nationalism as something people identified, connected or related with when they were under colonial rule as it served as a driving force to fight the empire. On the same line, nation also represented an evolved community of people living on a defined territory of land, and not a mass of a particular religion. The roots of complication sprung from the event of Partition which required setting up of new boundaries which would accommodate different people.

When another trainload of corpses arrive in Mano Majra a different kind of silence was spread across the village. One of the most revered men, Imam Bakhsh, refrained from his routine of morning sonorous sound. Ravish Kumar exemplifies in his book *The Free Voice: On Democracy, Culture and Nation* several instances of how people stopped wearing certain kind of clothes, stopped carrying certain foods with them while travelling out of fear. A fear is created among the general public to refrain them from following their normal routines.

The question of a sense of belonging is still pertinent where both Hindu and Muslim claim their right over the country. During Partition when the Muslim League with a few hundred of its followers managed to extract a separate territory in the name of religion, ironically the majority of Muslims chose to stay back in a land which rightfully

belonged to them. The demand for a separate nation had been in existence since late 19th century, but the formation of Muslim League in 1906, with the central objective for demand of a separate Muslim majority state fuelled the movement. Pointing out the futility of carving borders Stephen Alter in his book *Amritsar to Lahore* says,

What interests me most are the subtle and insidious ways in which a country is confined by its borders, whether it be the mosaic of rubber stamps that smudge my passport, the enigmatic language of road signs, or the euphemisms and innuendos that are often used to describe persons who belong to another nation, creed, or caste. (pg.5)

Around the country, there are regions where the magnificent architecture of Portugal/French/Mughal Empire can still be witnessed. Every now and then politicians raise their voice against a particular community, which, ironically is one of the most ancient dwellers of the Indian subcontinent. The amalgamation of cultures and tradition has been one of the strong points of the Indian subcontinent. Contradictory to the age-old belief of Unity in Diversity, the nation, over the years has been torn into compartments. While the earlier ideologies were more accommodating and inclusive in their approach, the changing times have emphasized on compartmentalization. Edward Said in his book *Culture and Imperialism* says

No one today is purely one thing. Labels like Indian, or woman, or Muslim, or American are not more than starting points, which if followed into actual experience for only a moment are quickly left behind. Imperialism consolidated the mixture of cultures and identities on a global scale. But its worst and most paradoxical gift was to allow people to believe that they were only, mainly, exclusively, White, or Black, or Western, or Oriental. Yet just as human beings make their own history, they also make their cultures and ethnic identities. No one can deny the persisting continuities of long traditions, sustained habitations, national languages, and cultural geographies, but there seems no reason except fear and prejudice to keep insisting on their separation ad distinctiveness, as if that was all human life was about.[2]

Writing on the same line of thought George Orwell, famous twentieth century British writer, in his essay *Notes on nationalism* points out how vain this ideology has been where the major nations or popular leaders have tried to stamp people with a single identity. Orwell says

By 'nationalism' I mean first of all the habit of assuming that human beings can be classified like insects and that whole blocks of millions or tens of millions of people can be confidently labelled 'good' or 'bad'. But secondly -– and this is much more important – I mean the habit of identifying oneself with a single nation or other unit, placing it beyond good and evil and recognizing no other duty than that of advancing its interests.[3]

Orwell not only rebukes the government's motive to compartmentalize people, but also question the followers of such notions. When the citizens of any country start following a certain ideology without analyzing the pros and cons, or the far-fetched realities these ideologies claim to achieve, the country transforms into a chaos-stricken state. There are people who often get confused between nationalism and Patriotism and won't stand a word against their favourite leaders. Such people can't draw a line between their leader and the country. For them, whatever the leader proposes holds true in all circumstances. Orwell says that people often forget that they are favouring only an ideology, which more often than not, will transform into a contradictory idea. The argument one puts in front of such people holds no logical ground for them as they can no more detach their existence from these ideologies or political leaders. Even in the occurrence of events where an old ideology transforms into a new idea, the followers tend to turn a blind eye to the change, refuse to notice the loophole. On the contrary these followers tend to continue with their leader-worship.

Quite similar are the revelations of Tagore on the issue. Rabindranath Tagore in his essay *East and West* pinpoints the desire of people in power to generalize its citizens often overlooking the diversities of society. He says that we forget to take into consideration that we all are endowed with individual characteristics. He further states that we have gained knowledge based on which we form our prejudices. We fail to acknowledge our countrymen as people.

When we fall into the habit of neglecting to use the understanding that comes of sympathy in our travels, our knowledge of foreign people grows insensitive, and therefore easily becomes both unjust and cruel in its character, and also selfish and contemptuous in its application.[4]

In his book *Amritsar to Lahore*, Stephen Alter narrates a few incidents surrounding Partition. He observes how dreadful the condition of the country was during colonial rule that even when the British had decided to leave India they had formulated no plan on how the countries will be divided. He says that to utter confusion which followed the announcement of independence, there was no map even on paper which could demonstrate as to where Indian territory ended and where Pakistan began. The British officials as well as the local authorities including INC and Muslim League leaders had not come to any conclusion regarding the decision of borders of the nation. To quote Alter

The Survey of India provided a geographic and political template for Sir Cyril Radcliffe, who was assigned the task of delineating new borders in 1947. Radcliffe had never been to India before; in fact he had never travelled outside Europe. His ignorance f the subcontinent provided some measure of impartiality but he was also blind to the realities pf the situation. Given just over a month to complete his task, this bookish bespectacled Englishman never once visited the contested territories of Punjab and Bengal. Locked away in one of Delhi's government bungalows,

poring over his maps and charts, Radcliffe carried out his task entirely with pen and paper. (pg 31)

Alter further says that such a high level of secrecy was required to be maintained that even Lord Mountbatten, Jinnah or Nehru did not have any idea where the borders were being drawn. Although both Jinnah and Nehru rose to prominent leadership positions Post-Partition, both had sensed that they were not going to get all that they had desired. The chaotic state and confusion was discussed by Manto in his famous short story Toba Tek Singh.

Conclusion - One would have imagined that the horrors of violence would end with India's Partition and independence but the blood-stained stories continued even after decades. Sometimes the communities changed but the violence remained. Alter remembers when, during the Sikh riots, the men in his locality were asked to come out to prove there were no Sikhs present there. The name plates on the houses were taken off to conceal the identities of the dwellers. When all the men stepped outside to face the violent mob he observes that the rioters reminded him of "extras on a film set waiting for their cue." He also says that, "those rioters who ordered us out into the streets may have been motivated in part by the injustices of caste and class, but in essence they were a mindless mob."(pg 19)

Towards the end of the novel when Juggat innocently becomes party to Hukum Chand's ploy, he goes to Gurudwara in the middle of the night, as if to have a rendezvous with the superior power and seek guidance. When he comes to know that the train in which his beloved was leaving for Pakistan was going to be attacked by the dacoits, he couldn't let that happen. He climbs the rope, puts his life in danger and gets shot by his own men while saving the people from another community. Along with Jugga's Nooran, the magistrate's prostitute Haseena is also saved from falling into the hands of malicious dacoits, and the humanity, affection and love which binds people together is also saved. Suvir Kaul commenting upon Jugga's act says, "an act of actual heroism" which brought, "order and humanity to a village swept away by the flood of fratricidal violence sweeping over the Punjab"[5]

Notes:-

1. https://www.dailyo.in/politics/junaid-lynching-muslims-in-india-lynchings-beef-bjp-tabrez-ansari/story/1/31280.html
2. https://www.orwellfoundation.com/the-orwell-foundation/orwell/essays-and-other-works/notes-on-nationalism
3. https://www.tagoreweb.in/Essays/creative-unity-218/east-and-west-2632
4. https://www.tagoreweb.in/Essays/nationalism-216/nationalism-in-india-2626

References:-

1. Alter, Srephen. *Amritsar to Lahore: Crossing the Border between India and Pakistan*. Haryana: Penguin Random House India, 2000.
2. Ashcroft, Bill and Ahluwalia, Pal. *Edward Said.* New York: Routledge Taylor & Francis e-library. 2008.
3. Geelani, Gowhar. *Kashmir: Rage and Reason*. New Delhi: Rupa, 2019.
4. Kaul, Suvir (ed.) (2001), *The Partitions of Memory: The Afterlife of the Division of India*, op.cit. p. 15.
5. Nag, Kingshuk. *The Saffron Tide.* New Delhi: Rupa Publications, 2014.
6. Peer, Basharat. *Curfewed Night*. Haryana: Penguin Random House India, 2019.
7. Said, Edward. *Culture and Imperialism.* New York: Vintage, 1993.
8. Roy, Rituparna. *South Asian Partition Fiction in English: From Khushwant Singh to Amitav Ghosh.* Amsterdam: Amsterdam University Press, 2010.
9. Singh, Khushwant. *Train to Pakistan*. New Delhi: Ravi Dayal. (1956;1988).
10. Thapar, Romila. 'Reflections on nationalism and History'. *On nationalism.* New Delhi: Aleph Book Company, 2016. PDF e-book.

Footnotes:-

1. Wolpert, Stanley (2006), *Shameful Flight: The Last Years of the British Empire in India*, op. cit. p. 2.
2. Edward Said, Culture and Imperialism (New York: Vintage, 1993), 336
3. https://www.orwellfoundation.com/the-orwell-foundation/orwell/essays-and-other-works/notes-on-nationalism
4. https://www.tagoreweb.in/Essays/nationalism-216/nationalism-in-india-2626
5. Kaul, Suvir (ed.) (2001), The Partitions of Memory: The Afterlife of the Division of India, op.cit. p. 15.

****

स्वतंत्रता संग्राम में बैतूल की भुमिका

डॉ. अश्विनी कुमार सातनकर *

* दमुआ, जिला- छिन्दवाड़ा (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – मध्यप्रदेश के दक्षिणी जिले बैतुल में अनेक विशिष्टतायें है। यह जिला सतपुड़ा श्रंखला का एक भाग है तथा अधिकांश भाग वनाच्छांदिक है। इस जिले की अधिकांश आबादी छोटे-छोटे गॉव में निवास करती है वह आदिवासी बाहुल्य है।

यह तो एक चमत्कार ही था कि छोटे-छोटे गॉव में सघन जंगली क्षेत्रों में रहने वाली जनता को भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाये गये स्वाधीनता आन्दोलन ने न केवल प्रभावित किया वरण उनके आव्हान पर सर्वस्व न्यौछावर करने को प्रेरित किया। बैतूल मध्यप्रदेश की तत्कालिन राजधानी नागपुर के निकट बसा हुआ है। इसलिए स्वाभाविक ही था कि जो राष्ट्रव्यापी हलचल नागपुर से आरम्भ होती उसे यहॉ पहुचने में देर नही लगती थी। जिले का मुख्यालय तथा सबसे बड़ा नगर होने के कारण 'बैतूल' स्वतंत्रता संग्राम की गतिविधियों का एक सशक्त केन्द्र बना रहा।

जिले में राष्ट्रीय आन्दोलन का प्रभाव वर्ष 1915 में परिलक्षित हुआ। उसी वर्ष मध्यप्रदेश के राजनीतिक कार्यकर्ता जो नरम दल तथा गरम दल में विभक्त हो गये थे, ने इन दलों को समाप्त करने का निर्णय लिया और संगठित होकर सेन्ट्रल प्राविसेंज एण्ड वरार प्राविशिंयल एसोसिएशन का गठन किया। श्री भालेराव वकील ने उसकी स्थायी समिति के रूप मे बैतूल का प्रतिनिधित्व किया।

स्वराज संघ का गठन – 1916 में कांग्रेस के लखनउ अधिवेशन के पश्चात् उत्तरप्रदेश, बिहार तथा अन्य प्रांतों से आकर बसे हुए शिक्षित तथा बुद्धिजीवियों, विशेषकर वकील वर्ग में, कांग्रेस तथा उसके द्वारा चलाये जा रहे आन्दोलन की चर्चा तथा उससे सहयोग करने की प्रवृत्ति का उदय हुआ। इसी वर्ष जिला परिषद् का गठन हुआ।

इसी प्रकार जब एनीबिसेंट द्वारा स्थापित होम रूल लीग ने भारत के स्वतंत्रता आन्दोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया तो वर्ष 1917 में बैतूल में भी लीग की एक शाखा की स्थापना की गई। सन् 1916 से 1920 की अवधि में बैतूल में अंग्रेजो द्वारा नियुक्त डिप्टी कमीश्नर, जिला दरबार किया करते थे। स्वराज संघ से वकील कार्यकर्तागण डिप्टी कमीश्नर से लिखित रूप में जनता के दु:ख दर्द संबंधित प्रश्न पुछते थे। तथा उसका उत्तर प्राप्त करते थे।

वर्ष 1922 में कस्तूरबा गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस का प्रांतीय अधिवेशन बैतूल में आयोजित किया गया था। बाद में आगामी वर्ष बैतूल में एक सुव्यवस्थित प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन का आयोजन किया गया था जिसके सभापति ई. राघवेन्द्र राव थे। इस सम्मेलन में रविशंकर शुक्ल, सेठ गोविन्ददास, जमनालाल बजाज, माखनलाल चतुर्वेदी, पं. सुन्दरलाल तथा सुभद्राकुमारी चौहान जैसे सुविख्यात व्यक्तियों ने भाग लिया था।

स्वतंत्रता आन्दोलन का विकास – 28 दिसम्बर 1985 को अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी। प्रारम्भिक वर्षो में बैतूल में कोई उल्लेखनीय घटना नही हुई किन्तु 1891 में नागपुर में हुए कांग्रेस अधिवेशन में दमित तथा पीड़ित बैतूल जिलों को अपनी आवाज उठाने हेतु प्रेरित किया।

सन् 1894 में अंग्रेजी शासन द्वारा देश में निर्मित सूती कपडे पर भारी करारोपण लगाने पर स्थान-स्थान पर सभाएं हुई तथा विरोध किया गया। बैतूल में भी विदेशी वस्तुओं एवं वस्त्रों को जलाकर विरोध किया गया। सन् 1907 के नागपुर अधिवेशन से पूर्व प्रदेश के उग्रवादी नेता खापर्डे और मुन्जे ने अन्य जिलों की तरह बैतूल में भी राष्ट्रवादी दल की स्थापना की।

जिला कांग्रेस कमेंटी का गठन – अखिल भारतीय कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन 26 दिसम्बर 1920 को प्रारम्भ हुआ जिसमें 14582 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जो उस समय तक भी सबसे बड़ी संख्या थी। इस अधिवेशन में रामदीन अवस्थी के नेतृत्व में जिले के 50 स्वयं सेवको ने भाग लिया।

नागपुर अधिवेशन में पहली बार भाषा के आधार पर प्रांतो की पुर्नरचना का निर्णय किया गया। जिसके अनुसार मध्य प्रान्त कांग्रेस कमेटी में विभाजित कर दिया गया। भाषा के आधार पर बैतूल को महाकौशल प्रांतीय कांग्रेस कमेटी जबलपुर के क्षेत्राधिकार में सम्मिलित किया गया। प्रदेश कांग्रेस कमेंटी के विभाजन के साथ ही प्रत्येक जिले में जिला कांग्रेस कमेंटी का गठन किया गया। जिले के अग्रणी कार्यकर्ता रामदीन अवस्थी को प्रथम अध्यक्ष बनाया गया। इस समय तक बैतूल में पर्याप्त राष्ट्रीय आ चुकी थी।

असहयोग आन्दोलन– बैतूल जिले के बैतूल, बैतूलबाजार, चिचोंली, खेड़ी सांवलीगढ़, भैसदेही, मुलताई तथा प्रभातपट्टन आदि प्रमुख स्थानों पर आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई तथा शराब की दुकानों के समक्ष धरना दिया गया यह आंदोलन ग्रामीण अंचलों तक पहुच चुका था। यह आन्दोलन कृष्णराव धर्माधिकारी ओर रामदीन अवस्थी के नेतृत्व में चला था।

इस असहयोग आन्दोलन में अंग्रेजी शासन का विरोध करते हुए बैतूल बाजार में श्री नारायण स्वामी के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय न्यायालय एवं सेवा समिति का गठन तथा ग्रामीण अन्चलों में जाति पंचायतों का गठन महत्वपूर्ण घटनाऍ हुई।

भारत छोडो आन्दोलन– भारत छोडो आन्दोलन महाकौशल के सभी जिलों में एक साथ ही प्रारम्भ हुआ। शासन ने कांग्रेस के शीर्षस्थ नेताओं की गिरफतार कर लिया, बैतूल में भी गिरफतारीया हुई। जिसके विरोध में जूलूस, प्रदर्शन एवं हडताल का प्रदर्शन हुआ। आंदोलन के दौरान बैतूल में शासन

की दमनकारी नीतियों से हुये अमनीवय अत्याचार एवं गोलीकाण्ड से महाकौशल कांग्रेस समिति अन्यत्न विक्षुब्ध हो गयी। इसकी जॉच बैतूल सेठ गोविन्ददास के नेतृत्व में जॉच समिति का गठन किया गया।

गांधी जी का बैतूल आगमन– छिन्दवाड़ा चलकर गांधी बैतूल पहुंचे। मुलताई में श्री शंकर धर्माधिकारी के सभापतित्व में एक सभा हुई जिसमें 10 हजार जनता उपस्थित थी। तद्गुपरांत लगभग साढे आठ बजे गांधी जी बैतूल पहुंचे। इस यात्रा मे गांधी जी क साथ श्री दीपचन्द गोठी तथा व्यौहार राजेन्द्र सिंह भी थे। बैतूल के सेठ श्री प्रताम मल गोठी के यहां गांधी जी पहुचे तथा उनके 5 पुत्र श्री दीपचन्द गोठी ज को गांधी जी के हवाले कर दिया।

गांधी जी के खेडी गांव में एक सभा का आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षता श्री दीपचन्द जी ने की। श्री के.एम. धर्माधिकारी ने जिले की और से गांधी जी को 401 रूपये की थैली भेंट की। इसके बाद नगरपालिका अध्यक्ष श्री रामदयाल खण्डेलबार ने मानपत्र पड़ा।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची:–

1. शुक्ल, प्रयाग दत्त : क्रांति के चरण पृ. 130
2. सूचना प्रकाशन संचालनालय मध्यप्रदेश शासन भोपाल द्धारा प्रकाशित – 163
3. वही, पृ. 136
4. शुक्ल, प्रयाग दत्त : वही, पृ. 170
5. शुक्ल, प्रयाग दत्त : वही, पृ. 110
6. डॉ. कृष्णलाल हंस, बैतूल जिले में स्वतंत्रता संग्राम, पृ 33
7. मध्यप्रदेश संदेश, 15 अगस्त 1987, पृ. 15
8. मिश्रा, डी.पी. : स्वाधीनता आन्दोलन का इतिहास, पृ 304
9. डॉ. कृष्णलाल हंस, बैतूल जिले में स्वतंत्रता संग्राम, पृ 45
10. श्रीवास्तव, पी.एन. : वही पृ 59
11. सक्सेना, सुधीर : ऐसे आये गांधी, पृ. 68–69

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XL

भारतीय प्रशासन में कौटिल्य की प्रासंगिकता

डॉ. वन्दना शर्मा *

* सह आचार्य (लोक प्रशासन) राजकीय कला महाविद्यालय, कोटा (राज.) भारत

प्रस्तावना – प्रस्तुत शोध लेख के माध्यम से आचार्य कौटिल्य के विचारों को सरल एवं सुगम भाषा में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। आचार्य कौटिल्य आज भी हम भारतवासियों के रोम-रोम में बसे हुए हैं। आज का भारत मौर्यकालीन साम्राज्य की परम्पराओं तथा ज्ञान का ऋणी हैं। भारतीय प्रशासन की संरचना, विदेश नीति, आर्थिक, राजनीतिक सभी सिद्धान्तों में चाणक्य का प्रभाव देखने को मिलता है। कूटनीति-चाणक्य नीति आम भाषा बन गयी है। प्राचीन काल से आधुनिक काल तक की लम्बी यात्रा में चाणक्य हमेशा साथ रहे हैं। भारतीय प्रशासन चाणक्य का हमेशा ऋणी रहेगा। प्रस्तुत लेख के माध्यम से मैंने चाणक्य या विष्णुगुप्त या कौटिल्य के विचारों का एवं योगदान का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। प्रस्तुत शोध लेख को मैंने निम्न भागों में विभाजित करके देखने का प्रयास किया है-

- आचार्य कौटिल्य का परिचय
- कौटिल्य का अर्थशास्त्र-एक परिचय
- अर्थशास्त्र के अधिकरण,
- भारतीय प्रशासन में कौटिल्य का योगदान
- कौटिल्य की नैतिक शिक्षाऐं या चाणक्य नीतियां
- कौटिल्य की नैतिक शिक्षाऐं या चाणक्य नीतियां
- 21वीं सदी में कौटिल्य की प्रासंगिकता

आचार्य कौटिल्य : एक परिचय – आचार्य कौटिल्य या विष्णुगुप्त या चाणक्य भारतीय प्रशासनिक चिन्तन की धुरी है। ऐसा माना जाता है कि कौटिल्य का जन्म 325 ई.पू. में मगध राज्य में हुआ था। उनका वास्तविक नाम विष्णुगुप्त था। कौटिल्य ने अपनी समस्त शिक्षा-दीक्षा तक्षशीला में प्राप्त की है। शारीरिक रूप से अनाकर्षण एक बालक तक्षशीला में अध्ययन हेतु प्रमुख आचार्य के सामने साक्षात्कार हेतु उपस्थित हुआ, तब आचार्य ने पूछा -'बालक तुम कौन हो ?' साधारण से दिखने वाले उस बालक ने जवाब दिया -'गुरूवर मैं भी यही जानने को उत्सुक हूँ कि मैं कौन हूँ' नन्हें बालक के मुख से ऐसा दार्शनिक जवाब सुनकर आचार्य भी दंग रह गए। उन्होंने तत्काल उस बालक को तक्षशीला में प्रवेश दे दिया। शास्त्र एवं शस्त्र के ज्ञाता कौटिल्य ने तक्षशीला विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य भी किया। कौटिल्य को क्रोधी एवं दृढ़ स्वभाव का व्यक्तित्व माना जाता है।

ऐसा माना जाता है कि कौटिल्य का मगध में आगमन महापद्मनन्द के शासन काल में हुआ। जहाँ उन्होंने नन्दवंश का सम्पूर्ण नाश करने की शपथ ली थी और चन्द्रगुप्त मौर्य को इसके लिए तैयार किया। कौटिल्य के सफल निर्देशन में मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुयी। कौटिल्य चन्द्रगुप्त मौर्य के प्रधान मंत्री बने। कौटिल्य ने भाग्य में नहीं वरन् कर्म में विश्वास प्रकट करने हुए कहा है -'मूर्ख लोग भाग्य पर विश्वास करते है।'

कौटिल्य को 'अर्थशास्त्र' तथा 'चाणक्य नीति' प्रणेता के रूप में पहचाना जाता है। कौटिल्य भी प्रमुख ग्रन्थ इस प्रकार है-

(1) अर्थशास्त्र **(2) लघु चाणक्य**
(3) वृद्ध चाणक्य **(4) चाणक्य नीति शास्त्र**
(5) चाणक्य सूत्र।

कौटिल्य का अर्थशास्त्र : एक परिचय – कौटिल्य की इस महान कृति की रचना लगभग 2300 वर्ष पूर्व ही हो चुकी थी, किन्तु अध्येयताओं के सामने यह ग्रन्थ 1904 में ही आ सका। राजनीति विज्ञान या राजनीति विषय पर प्रथम बार कौटिल्य ने ही 'अर्थशास्त्र' की रचना की। प्राचीन काल में अर्थ शब्द में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को सम्मिलित किया जाता था। कौटिल्य की दृष्टि में जीवन का उद्देश्य धर्म, अर्थ तथा काम है। यथार्थवादी होने के कारण कौटिल्य ने मोक्ष की चर्चा नहीं की है। 'अर्थशास्त्र' में नामकरण करने के बारे में कौटिल्य कहते हैं -

'मनुष्यों की जीविका को अर्थ कहते है, मनुष्यों से युक्त भूमि को भी अर्थ कहते हैं। इस प्रकार भूमि को प्राप्त करने और उसकी रक्षा करने वाले उपायों का निरूपण करने वाला शास्त्र 'अर्थशास्त्र' कहलाता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण, 180 प्रकरण, 150 अध्याय तथा 6000 श्लोक वणित हैं, जिसमें राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, दर्शनशास्त्र, नीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, सैन्य शिक्षा, रसायन शास्त्र, अभियांन्त्रिकी तथा प्रशासनिक विषय सहित सभी शासन कला से सम्बन्धित महत्वपूर्ण पक्ष 'अर्थशास्त्र' में समाहित है।

अर्थशास्त्र के अधिकरण

पहला अधिकरण : राजवृति निरूपण, इस अधिकरण में राजा के जीवन और व्यवहार का सामान्य वर्णन किया गया है।

दूसरा अधिकरण : अध्यक्षों का निरूपण, इस अधिकरण में विभिन्न प्रशासनिक अध्यक्षों के विभागों और उनके कर्त्ताव्यों का वर्णन किया गया है।

तीसरा अधिकरण – न्याय का निरूपण, इसके अन्तर्गत धर्मशास्त्र के अनुसार मुकदमों की सुनवाई और निर्णय आदि न्यायिक विषयों का वर्णन है।

चौथा अधिकरण – कण्टक शोधन, इसमें समाज के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने वालों के लिए दण्ड विधान की व्यवस्था है।

पांचवा अधिकरण –योगवृत निरूपण, इसके अन्तर्गत राज्य कर्मचारियों के कर्त्ताव्यों का उल्लेख और अराजभक्तों को दण्ड देने के नियम का विवेचन

किया है।

छठा अध्याय – प्रकृतियों का निरूपण, इस अधिकरण में मण्डलयोनि में शत्रु राष्ट्रों को वश में करने के उपाय बताये गए हैं।

सातवां अधिकरण – छह (6), गुणों का निरूपन इस अधिकरण में षाड्गुण्य नीति के द्वारा शत्रु राष्ट्रों को बश में करने के उपाय बताये गए हैं।

आठवां अधिकरण – व्यसनों का निरूपण, इसमें राज्य की विपत्तियों के मूल कारण तथा उन्हें दूर करने के उपाय बतलाए गए हैं।

नवाँ अधिकरण – आक्रमण का निरूपण, इसके अन्तर्गत विषय के लिए आक्रमण से पूर्व विचारणीय विषयों पर विचार किया गया है।

दसवां अधिकरण – संग्राम का निरूपण, इसमें विजय के लिए युद्ध सम्बन्धी नियम बताए गए हैं।

ग्यारवां अधिकरण – कूटनीति का निरूपण, इसमें संघ राज्यों में फूट डालने की विधियों का वर्णन है।

बरहवाँ अधिकरण – राज्य रक्षा का निरूपण, इसमें निर्बल राजाओं द्वारा प्रबल राजाओं के प्रतिकार के उपाय बताये गए हैं।

तेरहवाँ अधिकरण – दुर्ग प्राप्ति का निरूपण, इसके अन्तर्गत शत्रु के दुर्गों पर विजय करने के उपायों का विवेचन किया गया है।

चौदहवाँ अधिकरण – औपनिषिदिक अधिकरण, इस अधिकरण में शत्रु पर विष तथा जादू-टोना आदि की प्रयोग विधि पर प्रकाश डाला गया है।

पन्द्रहवाँ अधिकरण – तंत्रयुक्ति का निरूपण, इसमें अर्थशास्त्र भी सामान्य विवेचना की गई है। जैसे तंत्र युक्तियां।

कौटिल्य का योगदान

1. कल्याणकारी राज्य की स्थापना

'प्रजा सुखे सुखं राज्ञः प्रजानां च हिते हितम्।
नात्म प्रियं हितं राज्ञः प्रजानां तु प्रिय हितम्॥'

यह श्लोक भारत के संसद भवन पर उत्कीर्ण है। अर्थात् प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है प्रजा के हित में ही उसका हित है, जो कुछ राजा को प्रिय हो उसे हित न समझे बल्कि जो प्रजा को प्रिय हो, वह उसे ही अपना हित समझे।

कौटिल्य कहते है कि राजा को इस प्रकार का ढुर कर वसूलना चाहिए जैसे सूर्य, समुद्र से वाष्प के रूप में जल ग्रहण करता है और उसे वर्षा के रूप में समुद्र को वापिस लौटा देता है।

2. राज्य का सप्तांग सिद्धान्त

1. स्वामी या राजा – कौटिल्य 'स्वामी' या 'राजा' को सम्प्रभु माना है जो प्रजा के सामान्य हितों का अभिभावक, धर्म का प्रवर्तक तथा कानून का प्रबन्धक होता है।

2. 'अमात्य' – कौटिल्य ने मंत्री एवं प्रशासनिक अधिकारी को 'अमात्य' की पदवी दी है जिसे राज्य की सुरक्षा, सेना की व्यवस्था, आय-व्यय का हिसाब, वैदेशिक सम्बन्ध आदि दायित्व दिए।

3. 'जनपद' – अर्थात् जनता एवं भूमि कौटिल्य का मानना है कि मानव रहित प्रदेश जनपद नहीं कहला सकता तथा 'जनपद' रहित भूमि राज्य नहीं कहला सकती। अतः राज्य के लिए 'जनपद' महत्वपूर्ण होता है। मतलब जनता। कौटिल्य ने जनपद को चार भागों में विभक्त किया है –

जनपद स्थानीय (800 गांवों पर)
द्रोणमुख (400 गांवों पर)
खार्वटिक (200 गांवों पर)
संग्रहण (10 गांवों पर)

4. दुर्ग – कौटिल्य ने राज्य की प्रतिरक्षा के रूप में दुर्ग को कोष तथा सेना का रक्षक माना है। दुर्ग ही वह स्थान है जहाँ विपत्ति समय राजा शरण ले सकता है।

5. 'कोष' – राजा को अपना कोष (खजाना) हमेशा भरा हुआ रखना चाहिए। क्योंकि धन के बिना भूमि, सेना, प्रजा तथा शासन की रक्षा नहीं हो सकती कोष से सेना एवं दुर्ग की रक्षा होती है किन्तु राजा को प्रजा को कष्ट देकर धन एकत्र नहीं करना चाहिए।

6. 'दण्ड या सेना' – कौटिल्य ने दण्ड या सेना को राज्य की सुरक्षा हेतु महत्वपूर्ण माना है। उनका सुझाव है कि सेना राष्ट्र प्रेमी, स्वाभिमानी, वीर, प्रशिक्षित होनी चाहिए। राजा को सैनिकों का पर्याप्त वेतन देना चाहिए ताकि उनका मनोबल बना रहे।

7. 'मित्र' – राजा को संकट के समय सहायता पाने हेतु मित्रों की आवश्यकता पड़ती है। अतः वंश परम्परागत, विश्वासी, स्थायी तथा हितैषी मित्र बनाने चाहिए।

3. मण्डल सिद्धान्त – राज्यों का वृत– विजीशीषु यह सिद्धान्त इस मान्यता पर आधारित है कि किसी राज्य का पड़ौसी राज्य प्रथम शत्रु होता है तथा शत्रु का शत्रु अपना मित्र होता है। मण्डल का अर्थ 'राज्यों का वृत' होता है। विजिगीषु का अर्थ विश्व विजेता से है।

4. समसामयिक विदेश नीति – षाड्गुण्य नीति (छः गुण)

कौटिल्य ने विदेश नीति को छः गुणों पर आधारित बताया –

1. सन्धि 2. विग्रह 3. यान (आक्रमण)
4. आसन (समय की प्रतिक्षा करना) 5. संश्रय (शरण लेना)
6. द्वैधीभाव (एक राजा से संधि तथा दूसरे से युद्ध करना)। जब शत्रु पर विजय पाना संभव न हो तो सन्धि कर लेनी चाहिए।

5. कुशल प्रशासनिक व्यवस्था – 17 तीर्थ (विभाग)

कौटिल्य ने राजा को प्रशासन का केन्द्र बिन्दु मानते हुए प्रशासनिक व्यवस्था में राजा के अतिरिक्त 17 तीर्थ (विभाग) वर्णित किए हैं – जैसे – मंत्री, पुरोहित, सेनापति, युवराज, समाहर्ता (राजस्व अधिकारी), सन्निधाता (कोषाध्यक्ष) दण्डनायक, उद्योगमंत्री, नायक (रक्षा मंत्री), दण्डपाल, दुर्गपाल, अन्तःपाल आदि। कौटिल्य का कहना है कि जिस प्रकार अकेला पहिया गाड़ी नहीं चला सकता उसी प्रकार सरकार या राज्य भी एक व्यक्ति (राजा) से नहीं चलायी जा सकती। अतः राजा को योग्य मंत्रियों की नियुक्ति करनी चाहिए।

सुव्यवस्थित कार्मिक प्रशासन – कौटिल्य ने 3 प्रकार के सरकारी कार्मिकों का वर्णन किया है– 1. **उपयुक्त 2. युक्त 3. तत्पुरूष**

1. उपयुक्त – विभागाध्यक्ष होता है।
2. युक्त – मध्य स्तरीय प्रबन्धक/क्रियान्वयन कर्त्ता ।
3. तत्पुरूष – सेवक वर्ग या अनुचर।

मंत्री उपयुक्त श्रेणी, अध्यक्ष युक्त श्रेणी में आते है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में विस्तृत रूप से भर्ती प्रणाली, साक्षात्कार, वेतन प्रशासन, पदोन्नति, भ्रष्टाचार आदि का उल्लेख किया है।

7. न्याय एवं दण्ड प्रणाली – कौटिल्य ने न्याय को 'राज्य का हृदय' मानते हुए कानून को 2 स्वरूपों में विभक्त किया है–

1. धर्मस्थ (Civilaw) 2. कण्टक शोधन (Criminal Law)

कौटिल्य ने – जनपद/गांव स्तर पर – संधि

10 गांवों पर – संग्रहण
400 गाँवों पर – द्रोण मुख
800 गाँवों पर – माध्य
समूचे/समस्त जनपद पर – सर्वोच्च न्यायालय

कौटिल्य ने पुरोहित, राजनीतिज्ञ तथा ब्राह्मण मंत्री को ही न्यायाधीश बताया है। कानून में 4 स्रोत है (1) धर्म (2) व्यवहार (3) प्रथा (4) न्याय। दण्ड प्रजा का शासन करता है, दण्ड ही रक्षा करता है तथा जब सब सो रहे होते हैं तब दण्ड ही जागता है।

8. उपभोक्ता संरक्षण एवं परिवेदना निवारण – जन साधारण की शिकायतों के निवारण हेतु कौटिल्य ने राजा को निर्दिष्ट किया है। राजा को भ्रष्टाचारियों से प्रजा की रक्षा करनी चाहिए।

9. जनसाधारण हेतु लोकोपयोगी शिक्षा – कौटिल्य ने 'चाणक्य नीति' में जनसाधारण हेतु अनेक लोकोपयोगी शिक्षाओं का व्यापक वर्णन किया है जो व्यवहार में मानव प्रकृति को समझने में निर्णायक है। चाणक्य नीति की प्रमुख नैतिक शिक्षाऐं इस प्रकार है –

कौटिल्य की प्रसिद्ध नैतिक शिक्षाऐं :

1. सीधे मनुष्य को दुनिया जीने नहीं देती जैसे सीधा खड़ा वृक्ष सबसे पहले कटता है।
2. स्पष्टवादी व्यक्ति सही होता है।
3. दुष्ट की दुष्टता कभी कम नहीं होती जैसे सर्प को कितना ही दूध पिलाओं वह जहर ही उगलेगा। नीम की जड़ों में कितना ही शहद डालों वह कड़वा ही रहेगा।
4. बुढ़ापे में पत्नी का मर जाना, भाईयों के हाथों में सम्पत्ति जाना तथा पराधीन स्थिति में भोजन करना दुर्भाग्य भी स्थितियाँ है।
5. निम्न स्तरीय व्यक्ति धन की, मध्य स्तरीय धन तथा प्रतिष्ठा की उच्च स्तरीय केवल सम्मान की चाह रखते है।
6. अतिशय रूप के कारण सीता का हरण हुआ, अति दंभ के कारण रावण मारा गया तथा अतिदानी के कारण राजा बलि का वध हुआ अर्थात् अति सर्वत्र वर्जति।
7. सुख चाहो तो विद्या छोड़ दो, विद्या चाहों तो सुख छोड़ दो। इन दोनों का परस्पर मेल नहीं है।
8. पुत्र एवं शिष्य के साथ कठोर व्यवहार करना चाहिए क्योकि दुलार से बिगड़ते है।
9. सज्जन की दुर्जन से कभी मित्रता नहीं हो सकती।
10. साँप को हमेशा फुफकारते रहना चाहिए। चाहें उसमें विष न हो, नहीं तो व्यक्ति डरना छोड़ देगें।
11. कुल की रक्षा हेतु एक को, गाँव की रक्षा हेतु कुल को, देश की रक्षा हेतु गाँव को तथा आत्म सम्मान की रक्षा हेतु स्वयं को संसार का त्याग कर देना चाहिए।
12. मनुष्य में दूसरे के प्रहार से बचने के लिए थोड़ा कुटिल होना चाहिए।
13. संतुलन दिमाग जैसी कोई मितव्ययिता नहीं संतोष जैसी कोई खुशी नहीं, लालच जैसा कोई रोग नहीं और करूणा जैसा कोई गुण नहीं।
14. सोने की परख धीसकर तपाकर भी जाती है। व्यक्ति की परख उसके त्याग, चरित्र व्यवहार से भी जाती है।
15. धन से ही धर्म की रक्षा भी जा सकती है।

21वीं सदी में कौटिल्य की प्रासंगिकता

प्राचीन भारतीय प्रशासनिक, राजनीतिक, आर्थिक चिन्तक एवं कूटनीतिज्ञ आचार्य कौटिल्य के विचार आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व की तत्कालिक परिस्थितियों में वर्णित किए गए थे। किन्तु कौटिल्य के विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक प्रतीत होते है जितने कि उस काल में थे। कौटिल्य का चिन्तन सार्वकालिक एवं सार्वभौमिक सिद्ध होता रहा है। 21वीं सदी में कौटिल्य के विचारों की प्रासंगिकता को निम्न रूपों में देखा जा सकता है–

1. राज्य की सुरक्षा – कौटिल्य की मुख्य चिन्ता राज्य की सुरक्षा को लेकर रही है। वर्तमान समय में भी सैनिक प्रशासन और लोक प्रशासन को पृथक तंत्र बनाया गया है, किन्तु सैन्य प्रशासन की नीतियाँ योजनाऐं कार्यपालिका ही बनाती है। सीमाओं की सुरक्षा तथा राष्ट्र की रक्षा के क्रम में कौटिल्य द्वारा दिए गए उपायों सुझावों को लगभग सभी देश व्यवहार में अपना रहे हैं। जैसे युद्ध में सम्बन्ध में कौटिल्य द्वारा प्रस्तुत व्यूह रचना तथा कूटनीति न केवल प्रासंगिक है वरन् अनुसंधान का विषय भी बनी हुयी है।

2. राज्य का सप्तांग सिद्धान्त – कौटिल्य द्वारा बताया गया राज्य का सप्तांग सिद्धान्त परिष्कृत रूप में शासन के अंगों–व्यवस्थापितका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तथा राजकीय मंत्रालयों या विभागों के रूप में आज हमारे सामने उपस्थित है। कौटिल्य द्वारा वर्णित राज्य के सात अंग (सप्तांग) –स्वामी, अमात्म, दुर्ग, कोष, दण्ड तथा मित्र किसी न किसी रूप में सम्पूर्ण प्रशासनिक तंत्र का ही प्रतिनिधित्व करते है।

3. प्रशासन के तत्व – गणराज्यों की स्थापना, जनपदों की स्वतंत्रता, प्रशासन का विकेन्द्रीकरण, प्रत्यायोजन नियोजन, निर्णयन, पर्यवेक्षण, नियंत्रण प्रणाली, प्रबन्ध सूचना व्यवस्था, सत्ता एवं जवाबदेयता तथा समन्वय के सन्दर्भ में कौटिल्य द्वारा प्रस्तुत विचार आज भी लोकप्रशासन के महत्वपूर्ण सिद्धान्तों के रूप में प्रचलित है। दण्ड सम्बन्धी कौटिल्य के विचार आतंकवाद के दौर में अधिक प्रासंगिक है।

4. वैदेशिक नीति– कौटिल्य के मण्डल सिद्धान्त के सन्दर्भ में सीमावर्ती राज्यों से मित्रता या शत्रुता के सम्बन्ध में तथा वैदेशिक मामलों में कूटनीति तैयार करने के कौटिल्य द्वारा बताये नियम आज भी प्रासंगिक है।

5. कार्मिक प्रशासन – कौटिल्य ने योग्यता आधारित भर्ती व्यवस्था, पद वर्गीकरण, कार्य–विभाजन, पदोन्नति, आचार संहिता, वेतन प्रणाली, भ्रष्टाचार के बारे में जो विचार व्यक्त किए वो सभी शासन व्यवस्थाऐं अपना रही है। भ्रष्टाचार को अपरिहार्य बुराई मानने वाले कौटिल्य ने इसके नियंत्रण हेतु अनेक व्यावहारिक सुझाव दिए थे जिसे कई जगह अपनाया गया है। जैसे भ्रष्टाचारियों का मुँह काला करना, गधे पर घुमाना, सामाजिक, बहिष्कार आदि।

6. अर्थ को प्रधानता – कौटिल्य मिश्रित अर्थव्यवस्था के पक्षधर थे। धन (अर्थ) तथा काम में अर्थ को प्राथमिकता देने वाले कौटिल्य का चिन्तन आज भी व्यावहारिक है।

7. तीर्थो के रूप में सरकारी विभाग– कौटिल्य द्वारा तीर्थो के रूप में सरकारी विभागों का वर्गीकरण, अधिकारियों के कार्यो का विभाजन, आज की शासन–प्रशासन के सन्दर्भ में यथार्थपरक दिखायी देता है। भारत में संविधान में वर्णित 'अवशिष्ट सूची' भी कौटिल्य के अध्याय 'प्रकीर्णक' का ही पर्याय है।

8. चाणक्य नीति या नैतिक शिक्षाऐं – कौटिल्य द्वारा बतायी गयी नैतिक शिक्षाऐं आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी मौर्यकाल में थी। कौटिल्य के जासूसी सम्बन्धी विचारों को आज भी हमारा 'इण्टेलीजेन्स–

ब्यूरो' अपना रहा है।

9. प्राकृतिक आपदानिवारण उपाय – सामुदायिक स्तर पर प्राकृतिक आपदा का सामना करने के जिन सिद्धान्तों तथा उपयों का निरूपण प्रथम बार कौटिल्य ने किया था वो सब संयुक्त राष्ट्र प्रचार सामग्री में यथावत् वर्णित है।

निष्कर्ष – 'चाणक्य' की अपार लोकप्रिता यह सिद्ध करती है कि चाणक्य आज में हम भारतीयों के बीच रोम–रोम में बसे हुए है। चाहे वह कौटिल्य का 'अर्थशास्त्र' हो, चाणक्य नीति हो या हमारा राष्ट्रीय प्रतीक 'तीन शेरों की आकृति' तथा राष्ट्रीय ध्वज का चक्र हो, आज का भारत मौर्यकालीन साम्राज्य की परम्पराओं तथा ज्ञान का ऋणी है। सारनाथ का स्तम्भ उस पर अंकित राष्ट्रीय चिन्ह कौटिल्य की ही कल्पना का परिणाम है। **कौटिल्य कहते है – 'शिक्षक कभी साधारण नहीं होता है। निर्माण तथा प्रलय उसकी गोद में पलते है।'**

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. डॉ. सुरेन्द कटारिया, प्रशासनिक चिन्तक, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, जयपुर, 2014
2. देवकान्ता शर्मा, कौटिल्य के प्रशासनिक विचार, प्रिन्टवैल जयपुर, 1998
3. आर.पी.कांग्ले, द कौटिल्य अर्थशास्त्र, मोती लाल बनारसी दास, नयी दिल्ली, 1972

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XL

छायावाद और जयशंकर प्रसाद एक परिचय

डॉ. मंशाराम बघेल *

* सहायक प्राध्यापक (हिंदी) शासकीय महाविद्यालय, पाटी, जिला- बड़वानी (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – छायावाद आधुनिक हिंदी काव्य की एक प्रमुख प्रवृत्ति है इसका स्वरूप निर्धारण करते समय हमने उन तत्वों की ओर निर्देशित किया है जो छायावादी कविता के साहित्यिक रूप को उद्घाटित करते हैं जिन कवियों की रचनाओं में छायावादी काव्य तत्व प्रमुख रूप से पाए जाते हैं उनको आप हिंदी साहित्य में वरिष्ठ आलोचकों ने प्रस्थान चतुष्टय जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा में परिणित किया है। इनके अतिरिक्त कुछ कवियों की रचनाओं में छायावाद का प्रभाव दिखाई पड़ता है। माखनलाल चतुर्वेदी, रामकुमार वर्मा, भगवती चरण वर्मा एवं उदय शंकर भट्ट आदि, गीतकाव्य के बाद छायावाद में भी महाकाव्य का निर्माण हुआ। तुलसीदास जैसे 'स्वांतरू' को लेकर लोकसंग्रह के पथ पर अग्रसर हुए थे वैसे ही छायावाद के कवि भी 'स्वात्म' को लेकर एकांत के स्वगत जगत् से सार्वजनिक जगत् में अग्रसर हुए। प्रसाद की 'कामायनी' और पंत का 'लोकायतन' इसका प्रमाण है। 'कामायनी' सिंधु में विंदु (एकांत अंतर्जगत) की ओर है, 'लोकायतन' विंदु में सिंधु (सार्वजनिक जगत) की और आधुनिक हिंदी काव्य में छायावाद को 'साहित्यिक खड़ी बोली का स्वर्ण युग' कहा जा सकता है। यह युग साहित्य के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ है। इसमें कला पक्ष और भाव पक्ष दोनों दृष्टि से उत्कर्ष का चरम दिखाई देता है। इतिहासकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद का समय अधिक तर्कसंगत है सन् 1918 से 1936 तक के काव्य को छायावाद कहा जाता है।

सर्वप्रथम छायावाद शब्द का प्रयोग मुकुटधर पाण्डेय ने किया था। मुकुटधर पाण्डेय ने 1920 ईस्वी में जबलपुर से प्रकाशित होने वाली पत्रिका 'श्री शारदा' में 'हिंदी में छायावाद' शीर्षक से चार निबंधों की एक लेख माला प्रकाशित हुई थी। मुकुटधर पांडे को लिखित रूप से 'छायावाद' शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता स्वीकार किया जाता है। सन 1920 ईस्वी में सुशील कुमार ने सरस्वती पत्रिका में हिंदी में छायावाद शीर्षक से एक संवाद आत्मपरक लेख प्रकाशित करवाया इस संवाद में चार लोगों ने भाग लिया है। 1. सुशीला देवी 2. हरि किशोर बाबू 3. चित्रकार राम नरेश जोशी तथा 4. सुमित्रानंदन पंत। छायावाद के चार आधार स्तंभ है जिसमे प्रमुख कवि जयशंकर प्रसाद(ब्रह्मा), सुमित्रा नंदन पंत (विष्णु) और सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराला' (महेश) महादेवी वर्मा तीनों पुरुष रचनाकारों को ब्रह्मा विष्णु महेश के नाम से जाना जाता है तथा महादेवी वर्मा को सरस्वती जी कहा जाना उचित होगा। आपको बता दे कि छायावाद के अर्थ को लेकर विद्वानों में कई मतभेद है। यहाँ हम कुछ विद्वानों के नाम दे रहे है, जिन्होंने छायावाद को अलग-अलग तरीकों से परिभाषित किया है।

1. डॉ. रामकुमार वर्मा के अनुसार, 'जब परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है और आत्मा की छाया परमात्मा में तो यही छायावाद है।' ये भी छायावाद को रहस्यवाद से जोड़ते हैं। –
2. डॉ. नगेंद्र के अनुसार, 'थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह ही छायावाद है।'
3. आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, 'छायावाद का संबंध रहस्यवाद और विशेष काव्य शैली से हैं।'
4. नामवर सिंह ने छायावाद में लिखा है कि– 'छायावाद शब्द का अर्थ चाहे जो हो, परंतु व्यावहारिक दृष्टि से यह प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी की उन समस्त कविताओं का द्योतक है, जो 1918 से 1936 ई. के बीच लिखी गईं।' वे आगे लिखते हैं– 'छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है जो एक ओर पुरानी रूढियों से मुक्ति चाहता था और दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से ।'

छायावादी कविता की विशेषताएं:

- राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना की प्रबल अभिव्यक्ति।
- व्यक्तिकता की प्रधानता ।
- लाक्षणिकता एवं प्रतीकात्मकता ।
- प्रकृति प्रेम का काव्य ।
- खड़ी बोली हिंदी की खड़खड़ाहट को दूर करते हुए रागात्मकता को स्थापित किया गया ।
- महान बिम्बों की सृष्टि ।
- व्यक्तिकता व अनुभूतिप्रवणता । प्रकृति एवं भाव सौन्दर्य का उदात्ता चित्रण ।
- कल्पना की रमणीयता ।
- रागात्मकता।
- विश्वबन्धुत्व एवं मानवतावाद का काव्य । सांस्कृतिक पुनर्जागरण की अभिव्यक्ति
- रहस्यवाद की अभिव्यक्ति।
- छायावाद में रहस्यवाद इसी जीवन जगत मुक्ति की तलाश करता है।

हम यहां जयशंकर प्रसाद का परिचय देंगे

'इस पद का उद्देश्य नहीं है, शांत भवन में टिक रहना,
किंतु पहुंचना उस सीमा पर जिसके आगे राह नहीं ।' –प्रेम पथिक

जिसके आगे राह नहीं हो, ऐसी मंजिल की तलाश में निकले हिंदी के एक महान रचनाकार जी ने संपूर्ण हिंदी जगत में छायावाद के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है, वह छायावाद के चार प्रमुख स्तंभों में से एक जयशंकर प्रसाद यह हिंदी के एक ऐसे रचनाकार है जिन्होंने न केवल कविता बल्कि नाटक निबंध उपन्यास और कहानी आदि गद्य विधाओं में भी अधिक लेखन किया है। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी और मृत्यु 1937 ईस्वी में हुई। इनके बचपन का नाम 'झारखंडी' है। यह छायावाद के आधार स्तंभ माने जाते हैं। प्रसाद छायावाद के ब्रह्मा कहलाते हैं। ये ब्रज भाषा में 'कलाधार' के उपनाम से रचनाएं लिखते थे। ये छायावाद के 'सुमेरु और कालिदास' है। ये प्रेम प्रकृति एवं सौंदर्य के कवि कहलाते हैं। 'सुंघनी साह' के नाम से जाने जाते हैं।

प्रसाद बहुमूल्य प्रतिभा के धानी हैं। ये कवि होने के साथ-साथ नाटककार, कहानीकार, उपन्यासकार एवं निबंधकार भी रहे हैं। जयशंकर प्रसाद सर्वमान्य मत के अनुसार छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। ये छायावाद में अपनी दार्शनिक चेतना, इतिहास बोध एवं सांस्कृतिक चेतना के लिए प्रसिद्ध है। झरना (1918) ईस्वी से छायावाद का प्रवर्तन होता है। प्रसाद की पहली कविता 'सावन पंचक' मानी जाती है। रामस्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार प्रसाद की पहली छायावादी कविता 'प्रथम प्रभात' है। शुक्ल जी ने प्रसाद को 'मधुचर्या का कवि' तथा अज्ञेय ने प्रसाद को 'विश्वविद्यालयों का कवि' कहा है।

जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं।

ब्रज भाषा में लिखी गई रचनाएं रचनाएं- उर्वशी - चंपू काव्य (1909), वन मिलन (1909), प्रेम राज्य (1909), अयोध्या का उद्धार (1910), शोकोच्छवास (1910), वभ्रुवाहन (1911)

खड़ी बोली में लिखी गई रचनाएं- कानन कुसुम - (1912), करुणालय -(1913), महाराणा का महत्व (1914), प्रेम पथिक (1914)

छायावादी रचनाएं- झरना -(1918), आंसू - (1925), लहर -(1933), कामायनी -(1935)

झरना (1918):- हिन्दी साहित्य में जयशंकर प्रसाद की इस रचना को छायावाद की प्रयोगशाला कहा गया है। और इसी रचना से छायावाद का आरंभ माना जाता है इसका प्रकाशन 1918 ई में हुआ है इस पहले संस्करण में 24 कविताएं थी और 9 वर्ष बाद 1927 में प्रसाद जी ने इसमें 33 कविताएं और जोड़ दी झरना की कविताएं सौंदर्य और प्रेम को अभिव्यक्ति प्रदान करती है, यहां इसकी प्रेमानुभूति का विविध रूपों में वर्णन प्रस्तुत किया गया है। 'झरना' की कविताएं प्रसाद जी के प्रेम, विरह व सौंदर्य को देखने व विशेष रूप से वर्णित करने के पक्ष को उजागर करती है। कवि यहां प्रेम के आनंद क्षण को जीना चाहता है, पर भविष्य को लेकर भी उनके मन में कई प्रश्न आते रहते हैं। वह प्रेम में निवेदन करता हुआ कहता है कि -

'जिसे चाहा तू उसे न कर, आंखों से कुछ भी दूर
मिला रहे मन मन से,छाती छाती से भरपूर'

इस संग्रह की कई रचनाएं प्रकृति के साथ मानवीय संबंधों को व्याख्या करती है ऐसी का कविताओं में हम

'तू आता है फिर जाता है
जीवन में पुलकित प्रणय सदृश
यौवन की पहली कांति अकृश
जैसी हो, वह तू पता है
हे बसंत क्यों तू आता है ?'

झरना का कला पक्ष भी सवाल है यहां भाषा की श्रेष्ठता के साथ चित्रात्मकता, अलंकारिता, प्रतीकात्मकता का संप्रेषण आदि दृष्टि है। यह प्रसाद की काव्य यात्रा का अगला पड़ाव है अत: यहां पहले की अपेक्षा भाव व कला पक्ष दिखाई पड़ रहा हैं।

'हृदय ही तुम्हें दान कर दिया,
क्षुद्र था उसने गर्व किया।
तुम्हें पाया अगाध गंभीर,
कहां जलबिंदु कहां निधिक्षीर।।'

आँसू (1925)- जयशंकर प्रसाद की रचना को छायावाद का 'मेघदूत' कहा जाता हैं। रचना वेदना, पीड़ा और विरह का काव्य है। यह व्यक्तिगत वेदना को विश्व- वेदना से जोड़ने का काव्य है। यह रचना पूर्ण आवेग, भावनात्मकता, मार्मिकता, संगीतात्मकता के साथ अभिव्यक्ति देती है। 'आँसू' का आरंभ इस वेदना से होता है 133 प्रकार के छंद है, यह एक लंबी मानवीय कविता है, यह 'सखी छंद' में लिखा गया जो प्रसाद का एक प्रिय छंद है। इसकी पहली और अंतिम पंक्ति इस प्रकार है-

'इस करुणा कलित हृदय में क्यों अब, विकल रागिनी बजती।
क्यों हाहाकार स्वरों में, वेदना असीम गरजती ?'

इस रचना का अंत भी इसी वेदना से ही होता है।

'सबका निचोड़ लेकर तुम, सुख से सुखी जीवन में।
बरसों प्रभात हिमकण - सा, आँसू इस विश्व- सदन में।।'

अपने जीवन संघर्ष और पीडाओं के बावजूद 'आँसू' के माध्यम से कभी अपनी वेदना के उदात्त स्वरूप को व्यक्त करता है। कितनी वेदना कवि ने अपने व्यक्तिगत जीवन में भोगी, बचपन में पिता को खोया फिर मां और बड़ा भाई फिर प्रथम पत्नी फिर दूसरी पत्नी व उनकी संतान इतना सहन करने वाला कभी अपनी उच्चता, उदारता व विशालता से वेदना को उदात्त स्वरूप देता है। 'आँसू' में कभी सुख व दुख पर विचार करते हुए कहता है कि-

'मानव जीवन वेदी पर, परिणाम हो विरह मिलन,
का सुख दुरूख दोनों नाचेंगे, है खेल आँख का मनका'

लहर (1933) :- प्रसाद के गीतों का एक श्रेष्ठ संग्रह है। यहां प्रेम, प्रकृति,सौंदर्य के गीतों के साथ-साथ संघर्ष व अंतर्द्वंद को अभिव्यक्ति देने वाले गीत संग्रहीत हैं। यहां प्रबंधात्मक ऐतिहासिक रचनाएं भी है। इस संग्रह में 29 आत्मपरक गीत तथा चार ऐतिहासिक प्रबंधात्मक रचनाएं हैं। यदि हम इन सभी गीतों को विषय आधारित विभाजन करना चाहे तो पाते हैं।कि यहां प्रेम व विरह, प्रकृति सौंदर्य,अतीत की मधुर स्मृतियां, संघर्ष व अंतर्द्वंद तथा सारनाथ केंद्रित गीत है। संग्रह की रचनाएं छायावादी प्रकृति चित्रण को वाणी प्रदान करती है

बीती विभावरी जाग री।
अंबर पनघट में डुबो रही
तारा - घट उषा नागरी।

लहर के गीत दैनिक जीवन के संघर्षों का अंतर्द्वंद को भी वाणी प्रदान करते हैं।

ले चल मुझे भुलावा देकर
मेरे नाविक! धीरे -धीरे।

ऐतिहासिक विषयों पर आधारित चार गीत भी है

1. अशोक की चिंता

2. शेर सिंह का शास्त्र समर्पण
3. पेशोला की प्रतिध्वनि
4. प्रलय की छाया

कामायनी (1935) :– कामायनी प्रसाद जी के काव्य संसार की चरम परिणीति है इस महाकाव्य के माध्यम से प्रसाद जी के चिंताग्रस्त मनुष्य को आनंद की प्राप्ति का मार्ग सुझाया है। कामायनी में शैव दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है। कामायनी की मूल संवेदना आनंदवाद स्थापना है। कामायनी में कुल 15 सर्ग है चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, इड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन रहस्य, और आनंद। इसमें प्रमुख पात्र मानव श्रद्धा और इडा के सहारे प्रसाद जी ने इस ग्रंथ की कथा का ताना–बाना रचा है।

यह सभी पात्र प्रतीकात्मक रूप में उपस्थित हुए हैं, यहां मनु–मन का, श्रद्धा–हृदयवासिनी बुद्धि तथा इडा–सांसारिक बुद्धि का प्रतीक रूप में है। कामायनी की रचना पूर्ण करने में प्रसाद जी को कई वर्ष लगे इसका प्रथम सर्ग चिंता 1928 ईस्वी में सुधा पत्रिका के अक्टूबर अंक में प्रकाशित हुआ था। कामायनी की कथा का आरंभ ऋग्वेद, शतपथ ब्राह्मण, छांदोग्य उपनिषद और श्रीमद्भागवत है। कामायनी का आरंभ चिंता सर्ग में जल प्रलय की घटना क्रम से होता है जहां मनु हिमगिरि की उत्तुंग शिखर पर बैठकर प्रलय का दृश्य देखकर चिंतित है।

हिमगिरि के उत्तुंग शिखर पर, बैठ शिला की शीतल छांह,
एक पुरुष, भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह।
नीचे जल था ऊपर हिम था, एक तरल था एक सघन,
एक तत्व की ही प्रधानतादकहो उसे जड़ या चेतन।

जब धीरे–धीरे पर ले के पानी का स्तर कम होता है और सृष्टि कुछ कुछ दिखाई पड़ने लगती है, तो मनु में आशा के भाव संचारित होते हैं। श्रद्धा मनु का मिलन उसमे परिर्वतन लाता है। निराश मनु ने श्रद्धा, आशा का संचार करती है और संदेश देती है कि–

'दु:ख की पिछली रजनी बीच, विकसता सुख का नवल प्रभात,
एक परदा यह झीना नील छुपा; है जिसमें सुख गात।'

कामायनी हिंदी जगत की एक महत्वपूर्ण रचना है। कामायनी की संपूर्ण कथा 15 सर्गो में वर्णित है। प्रथम सर्ग में जल प्लावन की घटना का वर्णन है। चिंता सर्ग में वर्णन है कि जब चारों और जल प्रलय हो गया तब एक नाव मनु को बचाकर हिमालय की ऊंची चोटी पर ले जाती है।वह वहां चिंतामग्न स्थिति में बैठे हैं।उन्हें स्मरण आ रहा है कि प्रलय का कारण देवजाति का अपार विलास में डूब जाना है। इसके महाकाव्य पर विचार करने के से पहले विभिन्न विद्वानों द्वारा प्रदत्त महाकाव्य के काव्य लक्षणों के विषय में जान लेना जरूरी है। महाकाव्य सर्ग पर आधारित रचना होती है, जिसमें आठ या आठ से अधिक सर्ग होते हैं, उसका नायक देव या उच्च कुल का व्यक्ति, राजा आदि होता है। उसमें श्रृंगार, शांत और करुण रसों में से कोई एक प्रधान रस होता है। तथा शेष अन्य रसों की योजना होती है।

उसकी कथा विस्तृत होती है, और जीवन का व्यापक चित्रण होता है। कामायनी में रूपक तत्व मिलते हैं रूपक के तीन अर्थ निकलते हैं पहला नाटक के अर्थ में दूसरा अलंकार के अर्थ में तथा तीसरा रूपक काव्य के अर्थ में किया गया है।

निष्कर्ष – छायावाद का प्रदुर्भाव तत्कालीन युग की राष्ट्रीय चेतना एवं सांस्कृतिक पुनरूत्थान की महती आवश्यकता स्वरूप हुआ। इसके अलावा अंग्रेजी साहित्य के अध्ययन देश में घटित परिवर्तन, प्रेम के बदलते हुए स्वरूप और रस के प्रति आसक्ति ने छायावादी रचनाओं को बढावा दिया गया है। जयशंकर प्रसाद ने अपनी काव्य रचनाओं को ब्रजभाषा में लिखना शुरू किया धीरे–धीरे इन्होंने खड़ी बोली को अपना लिया इनकी काव्य रचनाओं को दो वर्ग में विभक्त है।

काव्य पंथ अनुसंधान की रचनाएं और रससिद्ध रचनाएं आंसू, लहर, कानन कुसुम, महाराणा का महत्व, झरना कामायनी और प्रेम पथिक इनकी लोकप्रिय रचनाएं है। इनकी विभिन्न काव्य रचनाओं में कामायनी इनकी सर्वश्रेष्ठ कृति रही है, जो छायावाद और खड़ी बोली की काव्य गरिमा का उदाहरण है। यह कथा काव्य भी है, जिसमें मन श्रद्धा और बुद्धि के योग से अखंड आनंद की उपलब्धि का रूपक प्रत्यभिज्ञ दर्शन के आधार पर संयोजित किया गया है। हिंदी साहित्य में प्रसाद जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी रहे। उन्होंने, हिंदी काव्य में एक तरह से छायावाद की स्थापना की जिसके द्वारा खड़ी बोली काव्य में न केवल कमनी; माधुर्य की रससिद्ध धारा प्रभावित हुई, बल्कि जीवन के सूक्ष्म एवं व्यापक आयामों के चित्रण की शक्ति भी संचित हुई है और कामायनी तक पहुंचकर वह काव्य प्रेरक शक्ति काव्य के रूप में भी प्रतिष्ठित हो गए।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. आचार्य रामचंद्र शुक्ल, 'हिंदी साहित्य का इतिहास', नागरी प्रचारिणी सभा, काशी
2. नामवर सिंह, 'छायावाद', राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली
3. डॉ. नगेंद्र एवं डॉ. हरदयाल, 'हिंदी साहित्य का इतिहास' नेशनल पब्लिशिंग हाउस
4. डॉ. नवीन नंदवाना, 'छायावाद एक पुनर्विचार',मलिक बुक कंपनी, जयपुर
5. जयशंकर प्रसाद, 'कामायनी' प्रकाशन संस्थान, नई दिल्ली
6. जयशंकर प्रसाद, 'आँसू' साहित्य सदन प्रकाशन, झाँसी, उ.प्र.
7. जयशंकर प्रसाद, 'झरना' वाणी प्रकाशन, दरियागंज, नई दिल्ली
8. जयशंकर प्रसाद, 'लहर' कला मंदिर प्रकाशन, नई दिल्ली

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XL

नदी संरक्षण की आवश्यकता एवं अवसंरचना

डॉ. पंकज कुमार जायसवाल*

* अध्यक्ष (भूगोल विभाग) साई पी.जी. कॉलेज, फतेहपुर, बाराबंकी (उ.प्र.) भारत

प्रस्तावना - **नमामि गंगे तव पादपंकजं**
सुर सुरैर्वन्दिव्य रूपम्।
भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि निप्यम्
भावानु सारेण सदानराणाम्

भावार्थ,

'हे गंगा मैया आपके चरण कमलों को नमस्कार। सुरो और असुरों द्वारा आपके के द्विव्य रूप की पूजा की जाती है। आप पुरूषों की भक्ति के स्तर और दृष्टिकोण के आधार पर प्रतिदिन भोग और मोक्ष की वस्तुएं देते है।'

नदियों को हमारी सभ्यता को जीवत रहने का साधन कहा जाता है। नदियों को भारत की एक शक्तिशाली और कीमती राष्ट्रीय सम्पत्ति माना जाता है। नदी पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण अब अहस्तांतारणीय है। नदियों की सुरक्षा के लिए मौजूदा कानूनों के साथ मिलकर काम करने वाला एक उचित कानूनी संरक्षण तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए। वर्तमान और भावी पीढ़ियों के लिए मानवता और पारिस्थितिकी बनाए रखने के लिए नदियो की बहाली और संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। नदी संरक्षण एक नियोजित गतिविध है। जो विभिन्न आवास सुविधाओं से जुड़ी है और यह रेखांकित करती है कि भारत भर मे फैली सभी नदियों का संरक्षण कैसे किया जाये इसी क्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी का यह वक्तव्य, उत्तर प्रदेश में गंगा के तट पर स्थित वाराणसी से संसद के लिए मई 2014 में निर्वाचित होने के बाद प्रधानमंत्री से कहा था-'माँ गंगा की सेवा करना मेरे भाग्य मे है।'गंगा नदी का सिर्फ सांस्कृतिक और अध्यात्मिक महात्व है बल्कि देश की 40 प्रतिशत आबादी गंगा नदी पर निर्भर है। 2014 में न्युयार्क मैडिशन स्क्वायर गार्डन मे भारतीय समुदाय को सम्बोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा था, 'अगर हम इसे साफ करने में सक्षम होते तो यह देश की 40 फीसदी आबादी के लिए मदद साबित होती। अत: गंगा की सफाई एक आर्थिक एजेन्डा भी है।'

इस सोच को कार्यान्वित करने के लिए सरकार ने गंगा नदी के प्रदूषण को समाप्त करने और नदी को पुनर्जीवित करने के लिए 'नमामि गंगे' नामक एक एकीकृत गंगा संरक्षण मिशन का शुभारम्भ किया गया। नमामि गंगे का शुभारंभ 2014-15 में गंगा और उसकी सहायक नदियों के संरक्षण (सफाई) के लिए केन्द्रिय मंत्री मंडल ने बजट को चार गुना करते हुए (2019-20) तक नदी की सफाई पर 20,000 करोड़ रूपये की धनराशि के आश्वासन से किया गया यद्यपि बाद में इसे बढ़ाकर इसे 30,000 करोड़ रूपये कर दिया गया इसे 100 प्रतिशत केन्द्रिय हिस्सेदारी के साथ एक केन्द्रिय योजना का रूप दिया। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा- एनएमसीजी) नमामि गंगे मिशन को लागू करने वाली एजेंसी है। सात भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आई.आई.टीज.) के संघ के सहयोग से इस मिशन में मोटे तौर पर चार श्रेणियो में बहुक्षेत्रीय, बहु-एजेंसी और बहु-स्तरीय दृष्टिकोण अपनाया जाता है ये श्रेणियां प्रदूषण में कमी लाना (निर्मल गंगा); नदी के प्रवाह और पारिस्थितिकी में सुधार (अविरल गंगा); नदी और लोगों के बीच सम्बन्ध को सुदृढ़ करने (जन गंगा); और अनुसंधान व ज्ञान प्रबंधन (ज्ञान गंगा); पर जोर दिया जाता है। पहले के प्रयासों से अलग नमामि गंगे नदी की सफाई या कुछ चुने शहरों में नदी की सफाई तक सीमित नही है बल्कि इसमें नदी केन्द्रित और समूचे नदी थाले पर आधारित दृष्टिकोण को अपनाकर नदी के समग्र संरक्षण पर जो दिया जाता है।

गंगा महासभा- गंगा महासभा गंगा नदी के सरंक्षण के लिए काम करने वाली एक भारतीय संस्था है, जिसकी स्थापना 1905 में **मदन मोहन मालवीय** ने की थी। राष्ट्रीय नदी गंगा का अधिनियम 2012- गंगा नदी में प्रदूषण को सम्बोधित करने के उद्देश्य से महासभा द्वारा प्रस्तावित किया गया था, लेकिन इसका मसौदा तैयार नही किया गया था।

अभिशासन में सुधार और संस्थाओं का सशक्तीकरण - एक महत्वपूर्ण नीतिगण निर्णय में सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम , 1986 के तहत राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की अधिसूचना जारी की और अधिकार प्राप्त संस्थाओं का गठन किया। गंगा थाले की नदियों के संरक्षरण के लिए समग्र ढ़ाचे के विकास के साथ ही कुछ मूल सिद्धांत निर्धारित किये गये। इस दृष्टिकोंण को देश की अन्य नदियों के संरक्षण के लिए लागू किया जाने वाला आदर्श बुनियादी सिद्धांत माना जाता है यह नदियों, उनकी सहायक नदियों, आर्द्र क्षेत्र, बाढ़ के मैदान, धाराओं और छोटी-छोटी नदियों को एक ही प्रणाली के अंतर्गत लाता है। राष्ट्रीय स्तर से लेकर जिला स्तर तक समन्वित प्रशासनिक ढ़ांचा होने से साझा दृष्टिकोण अपनाने तालमेल कायम करने, कारगर क्रियान्वयन और लोगों की सहभगिता हासिल करने में सुविधा होती है।

नमामि गंगे के अंतर्गत 30853.53 करोड़ रूपये लागत की कुल 364 परियोजनाओं को आकार देने के लिए मंजूर की गयी हैं। इनमें से 21 मार्च 2022 तक 183 परियोजनाएं ही पूरी की जा सकी। जबकि बाकी परियोजनाओं को किसी न किसी स्तर पर काम जारी है। क्रियान्वयन की रफ्तार कई गुना बढ़ गयी है जिसका पता 2014 से फरवरी 2021 तक हुए 9,795.62 करोड़ के कुल खर्च से भी स्पष्ट हो जाता है यह राशि 1985-2014 तक हुए खर्च की तुलना में दो-गुने से भी अधिक है।

प्रदूषण में कमी (निर्मल गंगा) – गंगा थाले में 4856 एम.एल.डी. शोध क्षमता का सृजन करने के लिए कुल 156 मलजल अवसंरचना परियोजनाओं को मंजूरी दी गयी। 2014 में केवल 28 शोधन संयंत्र थे जिनकी क्षमता केवल 462.85 एम0एन0डी0 थी और उसके शोधन की क्षमता के बीच के अंतर को कम करने के प्रयासों में तेजी और 15 साल के लिए पर्याप्त क्षमता के सृजन का संकेत मिलता है।

नमामि गंगे ने भारत में पहली बार मलजन अवसंरचना के लिए पीपीपी (सार्वजनिक–निजी भागीदारी) मॉडल की शुरूआत की। हाईब्रिड एन्युइटी मोड (हैम) के जरिए 40 प्रतिशत पूंजीगत खर्च निर्माण के दौरान 60 प्रतिशत ब्याज के साथ 15 साल की एन्युइटी पर ब्याज का रूप में दिया जाता है और संचालन व रखरखाव के लिए अलग से भुगतान किया जाता है। इस मॉडल को अपनाने से निर्माण वाले तरीके मे आमूल परिवर्तन आ गया है और भुगतान को कार्यनिष्पादन से जोड़ दिया गया है। एक शहर–एक ऑपरेटर वाले तरीके में पुराने का पुनर्वास और नयी परिसम्पत्तियों के सृजन का विलय कर दिया गया है और उन सबके लिए हाइब्रिड एन्युइटी मोड पर संचालन और रखरखाव कर कार्य किया जा रहा है ताकि अभिशासन में सुधार हो। नीति आयोग ने भी हैम को स्वीकार कर लिया है और गंगा थाले के बाहर के राज्यों ने भी इसे अपनाना शुरू कर दिया है।

गंगा के किनारे के सभी 15 शहरों और 132 कस्बों के लिए विस्तृत योजना के अनुसार परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है जिसमें पुनर्वास पुराने संयंत्रों की हालत को आकलन करने के बाद उनके उच्चीकरण भी शामिल है। इसके बाद सहायक नदियों के लिए भी परियोजनाएं शुरू की गयी है। गंगा में गिरने वाले प्रमुख गंदे नाले को रोककर उन्हें जलमल शोधन संयंत्रों की तरफ मोड़ दिया है उत्तराखण्ड और झारखण्ड में गंगा नदी पर परियोजनाएं पूरी की जा चुकी है। कानपुर मे 14 प्रोजेक्ट के साथ–साथ प्रयागराज और वाराणसी की परियोजनाओं को मिला करके उत्तर प्रदेश मे 32 परियोजनाएं क्रियान्वित है। उत्तर प्रदेश के अन्य गंगा शहरों में ज्यादातर परियोजनाएं भी पूरी कर ली गयी है। नमामि गंगे से सम्बन्ति उत्तराखण्ड में 32, उत्तर प्रदेश में 32 बिहार में 28, झारखण्ड में 2 एवं पश्चिमी बंगाल में 19 परियोजनाएं शामिल है जिसमें से क्रमश: 27,18,2,1 एवं 3 परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी है पानी की गुणवत्ता से सुधार की पुष्टि निगरानी केन्द्रो के जरिए हो चुकी है और आम लोगो को भी साफ सफाई दिखाई देती है। इसका एक उदाहरण कुंभ मेला है।

विशेषज्ञ संस्थाओं द्वारा अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगो की वार्षिक जांच ऑनलाइन निगरानी प्रक्रिया में सुधार संयुक्त अवजल उपचार संयंत्र (सीईटीपी) से औद्योगिक प्रदूषण की रोकथाम में मदद मिलती है। घाटों की स्वच्छता में सुधार, ठोस अपशिष्ट को नदी में मिलने से रोकने, सतही जल की सफाई और शहरी स्थानीय निकायों की सफाई करने की क्षमता में सुधार से नदियों की सफाई में बड़ी मदद मिली है आज 4,500 गंगा ग्राम खुले में शौच की बुराई से मुक्त हो चुके है।

नदी के बहाव और पारिस्थितिकी मे सुधार (अविरल गंगा) – अक्टूबर 2018 में गंगा नदी में पारिस्थितिकी प्रवाह के बारे में ऐतिहासिक अधिसूचना गंगा के प्रवाह को अविरल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। नदियों के खादर और बांगर भूमि का चिन्हांकन और संरक्षण, आर्द्र भूमि, खास तौर पर खादर और बांगर क्षेत्र की आर्द्र भूमियों, शहरी आर्द्र भूमियों, जल स्रोतों और छोटी नदियों के संरक्षण की परियोजनाओं पर अमल किया जा रहा है। जैव खेती, इको–कृषि, औषधीय पौधारोपण और पानी के उपयोग की दक्षता में सुधार लाकर सतत कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है। मांग पक्ष के प्रबंधान, वर्षा जल संचयन, जलसंभर मानचित्रण और भूमिगत जल स्रोतों का पुनर्भरण प्रगति पर है। वन अनुसंधान संस्थान की वैज्ञानिक योजना के अनुसार गंगा नदी के तटों के आस–पास वनीकरण का कार्य ऐसा मॉडल है जिसे 13 अन्य नदियों में भी अपनाया जाएगा। मात्स्यिकी और जैव विविधाता के संरक्षण के लिए एक विस्तृत कार्यक्रम के अंतर्गत आधार रेखा सर्वेक्षण, पर्यावास और प्रजाति सुधार और गंगा के जैव–विविधता की अधिकता वाले स्थानों पर सामुदायिक भागीदारी शामिल हैं। गंगा नदी में पायी जाने वाली डॉल्फिनों (राष्ट्रीय जलचर) के संरक्षण को भी सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। **जनता और नदी के बीच संपर्क सेतु (जन गंगा)**

पिछले प्रयासों के भिन्न, जन भागीदारी इस मिशन का केन्द्रीय विषय है। नदी तटों का सुधार किया गया है, उन्हें साफ–सुथरा बनाया गया है। 150 से अधिाक घाट और शवदाह गृह बनाए गये हैं या उनमें सुधार किया गया है। जनता की भागीदारी से घाटों को गंदगी से भरे स्थान से सुंदर नदी तटों का रूप दिया जा रहा है। गंगा उद्धार के लिए समर्पित कार्यकर्ताओं के समूह जनसमुदाय में जाकर जागरूकता बढ़ाने के कार्य में लगे हैं। इन लोगों को कौशलों का प्रशिक्षण दिया गया है और उन्हें अपनी आजीविका सुधारने में भी मदद दी जाती है जिसके लिए उन्हें नदी और जैय विविधता के संरक्षण के कार्य से जोड़ा जाता है। लोक संपर्क की कई अभिनव गतिविधियों, जैसे गंगा क्वेस्ट क्विज़ (www.gangaquest.com,) राफ्टिंग अभियान, गंगा दौड़, गंगा उत्सव आदि आयोजन पूरे साल चलते रहते हैं ताकि सामुदायिक स्वयंसेवकों और आम लोगों को इनसे प्रेरणा तथा प्रोत्साहन मिले जिससे व्यवहार परिवर्तन हो और यह अभियान एक जनांदोलन का रूप ले सके।

नमामि गंगा योजना की मुख्य विशेषताएं

1. **खुले में शौच के मुद्दों को रोकना–** जागरूकता की कमी और उचित शौचालयों के कारण, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग नदी के किनारे शौच करते है। कचरा नदी मे बह जाता है और उसे प्रदूषित करता है।

2. **अनुपचारित तरल कचरें को डंप करने से रोकना–** ठोस अपशिष्ट के अलावा, गंगा के मुख्य प्रवाह में गंदे तरल के डंपिंग से नदी का पानी भी प्रदूषित हो रहा है तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्रो का निर्माण नदी के किनारों पर तरल अपशिष्ट का ठीक से उपचार करने के लिए किया जाएगा।

3. **श्मशान के स्थलों को विकसित करना–** गंगा के घाटों, विशेष रूप से की कमी और उचित शौचालयों के कारण, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग नदी के किनारे शौच करने का सहारा लेते हैं। कचरा नदी में बह जाता है और उसे प्रदूषित करता है। इसे रोकने के लिए, सरकार ग्रामीणों द्वारा नदी के तट पर खुले में शौच की समस्याओं को समाप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी।

4. **ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की सुविधा का विकास –** तरल अपशिष्ट के अलावा, ठोस अपशिष्ट को नदी में डंप करना, इसका ठीक से उपचार किए बिना, पानी को प्रदूषित करता है। इस समस्या को खत्म करने के लिए, केंद्र सरकार इन क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट उपचार संयंत्रों का निर्माण करेगी।

5. **ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर स्वच्छता को बढ़ावा देना –** उपर्युक्त बिंदुओं के साथ, सरकार गंगा नदी के किनारे स्थित गांवों के लोगों में भी जागरूकता पैदा करेगी। वे लोगों को शौचालय का उपयोग करने और खुले में शौच करने के नुकसान के बारे में सिखाएंगे। केंद्र सरकार स्थाई शौचालयों के

निर्माण में ग्रामीणों की सहायता भी करेगी।

अनुसंधान, नीति और ज्ञान प्रबंधन (ज्ञान गंगा)

नदी थाले के दीर्घावधि अध्ययन और टेक्नोलॉजी संबंधी – विकास के लिए आई.आई.टी. कानपुर में गंगा प्रबंधन और अध्ययन केन्द्र की स्थापना की गई थी। वैज्ञानिक मानचित्रण के विभिन्न पक्षों जैसे उच्च रिज़ॉल्यूशन वाले डीईएम और जीआईएस सक्षम डेटाबेस के लिए लिडार मानचित्रण से जल स्त्रोतों के मानचित्रण, सूक्ष्म जीवाणुओं संबंधी विविधता, मात्स्यिकी, जैव विविधता और जलक्षेत्रों के हेली–सर्वेक्षण से प्राप्त प्रमाणों पर आधारित निर्णय करने मदद मिलती है। प्राकृतिक, निर्मित और अमूर्त धरोहर के लिए अनोखा सांस्कृतिक मानचित्रण के जरिए पर्यटन, धारोहर और रोज़गार के परम्परागत अवसरों का विकास किया जा सकता है। नदियों की स्थिति को शहरी नियोजन की मुख्य धारा में लाने के लिए नदी नगर नियोजन के रूप में एक नया आयाम जुड़ा है और शहरों के उपचारित अवजल को फिर से उपयोग में लाने के लिए नयी रूपरेखा तैयार की जा रही है। नमामि गंगे अब अर्थ–गंगा मॉडल के विकास की ओर अग्रसर हो रहा है जिसके अंतर्गत गंगा थाले के आर्थिक विकास को पारिस्थितिकीय सुधार और गंगा संरक्षण के साथ जोड़ा जाएगा।

निष्कर्ष– मानव प्रभुत्व वाली दुनिया में नदियॉ बड़े जल निकाय है जो विभिन्न कारकों के कारण खतरे में है, इसलिए नदियों के संरक्षण के लिए नीतियों की आवश्यकता है। भारत में नदियों का वर्तमान परिदृश्य सरकारी नीतियों, विधायी साधनों की कमी और समग्र नीति के बारे में कोई निष्कार्ष न होने के कारण अपमानजनक स्थित मे है। हालाकि नदी संरक्षण को सभी मनुष्यों द्वारा व्यक्तियों के रूप मे एक संयुक्त प्रयास माना जाता है, और न केवल सरकारी नियामक बल्कि एक नियामक संस्था के साथ यह अधिक प्रभावी हैं। ऐसी नीतियों को शासन को सभी परामर्श सशक्तिकरण और जुड़ाव के माध्यम से मजबूत किया जाना चाहिए। यदि हमारे देश की सभी नदी के पारिस्थितिकी तंत्र खराब हो जाते है तो यह एक राष्ट्रीय चिंता है जिस पर ध्यान केन्द्रित किया जाना चाहिए। ऐसे नदियों का पुनरूद्धार, नदी प्रबन्धन, अनुभव और संरक्षण ज्ञान की जागरूकता से किया जा सकता है। इस संदर्भ में नमामि गंगे मिशन सराहनीय एवं स्वागत योग्य कदम है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची:–

1. कुरूक्षेत्र, अंक–7, मई 2007
2. भूगोल और आप, अंक–7 संख्या–2, मार्च–अप्रैल 2008
3. योजना, अंक–7, जुलाई 2010
4. योजना, अंक–4, अप्रैल 2021
5. पर्यावरण भूगोल, प्रोफेसर सविन्द्र सिंह, 2013
6. कीट स्कूल ऑफ लॉ भुवनेश्वर–चंद्रस्मिता प्रिदर्शनी का लेख
7. डाउन टू अर्थ
8. गंगा की शुद्धता और जैव विवधता को बहाल करना– इंडियन एक्सप्रेस 17 अप्रैल 2021।
9. गंगा मंथन राष्ट्रीय संम्मेलन।
10. कृषि जागरण डाट काम।
11. www.gangaquest.com

नमामि गंगे मिशन की श्रेणियाँ

निर्मल गंगा	अविरल गंगा	जन गंगा	ज्ञान गंगा
प्रदूषण उन्मूलन	**परिस्थितिकी और बहाव में सुधार**	**जनता से नदी का जुड़ाव**	**विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान, वैज्ञानिक मानचित्र और प्रमाण आधारित नीतियों का निर्माण**
• प्रदूषण की कमी • मलजल अवसंरचना • उद्योगों में फिर से उपयोग और पुनर्चक्रण • ग्रामीण स्वच्छता • ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन	• ई–बहाव • आर्द्र क्षेत्र मानचित्रण और संरक्षण • वनीकरण और जैव विविधता संरक्षण • छोटी नदियों को फिर से जलमय बनाना	• रिवरफ्रंट, घाट और श्मशान • सामुदायिक जुड़ाव • गंगा दौड़ • गंगा आमंत्रण • (राफ्टिंग अभियान) • गंगा उत्सव • (राष्ट्रीय नदी आयोजन) • गंगा क्वेस्ट • (ऑनलाइन क्विन)	• पानी की गुणवत्ता की निगरानी • गंगा का उच्च रिजाल्यूशन पर मानचित्रण • जल क्षेत्र का मानचित्रण और जल स्रोतो को फिर से जलमय करना • सांस्कृतिक मानचित्राण और जलवायु परिदृश्य मानचित्रण • माइक्रोवियल विविधता • शहरी नदी प्रबंधन योजना

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XL

सरबंसदानी गुरू गोविंद सिंह

डॉ. अनिल पाटीदार *

* सहायक प्राध्यापक (इतिहास) शासकीय महाविद्यालय, पाटी (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना - गुरू गोविंद सिंह एक महान योद्धा, चिंतक, कवि, भक्त, अध्यात्मिक और दार्शनिक थे। इनका जन्म नौवें सिख गुरू श्री तेग बहादुर जी और माता गुजरी के घर पटना में पौष शुक्ल सप्तमी संवत् 1723 विक्रमी अर्थात 22 दिसंबर, 1666 को हुआ था, उनके जन्म के समय उनके पिता गुरू तेग बहादुर जी असम में धर्म उपदेश दे रहे थे। गुरू की इच्छा अनुसार पुत्र का नाम गोविंद राय रखा गया। गोविंद राय ने जन्म स्थान में प्रारंभिक 4 वर्ष बिताएं। इस स्थान को वर्तमान में तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब के नाम से जाना जाता है। फिर परिवार पंजाब आ गया, शिवालिक की पहाड़ियों में चक नानकी नामक स्थान पर रहे, जिसे आनंदपुर साहिब कहा जाता है, यहीं पर इनकी शिक्षा दीक्षा हुई। आनंदपुर वास्तव में आनंद धाम ही था। यहां पर गुरू गोविंद आध्यात्मिक आनंद बांटते, नैतिकता, निडरता और आध्यात्मिकता की शिक्षा से प्राणी मात्र को जागृत करने का उपदेश देते। यहां सभी वर्ण, जाति, संप्रदाय के लोगों के लिए बिना भेदभाव के समता, समानता और समरसता का अलौकिक ज्ञान का स्थल था। गोविंद राय क्षमा, शांति, सहनशीलता की मूर्ति थे। गोविंद राय को संस्कृत, फारसी, पंजाबी और अरबी भाषाएं आती थी साथ ही साथ धनुष- बाण, भाला चलाने में निपुणता प्राप्त की। गोविंद राय अपने पिता श्री गुरू तेग बहादुर के बलिदान के पश्चात दसवें गुरू बने। कश्मीरी पंडितों को इस्लाम धर्म अपनाने के लिए बाध्य कर रहे गवर्नर इख्तियार खान ने कहा था कि कोई महापुरुष है जो इस्लाम न अपनाने के बदले अपने प्राणों की बलि दे सकता है, तब 1675 में औरंगजेब की क्रूरता के विरुद्ध और कश्मीरी पंडितों की सहायता के लिए गुरू गोविंदसिंह गए। औरंगजेब ने 11 नवंबर, 1675 को गुरू तेग बहादुर को उनके साथियों के सहित दिल्ली बुलाया और चांदनी चौक में सार्वजनिक रूप से गुरू का सिर काट दिया। गुरू तेग बहादुर के इस बलिदान के पश्चात गोविंद राय ने 29 मार्च, 1676 को बैसाखी के दिन केवल 9 वर्ष की अवस्था में अपने पिता का पद ग्रहण किया और सिखों के दसवें गुरू बने। गुरू गोविंद सिंह की आंखों में दृढ़ संकल्प था उन्होंने बुनियादी मानवाधिकारों की और सिख समुदाय के गौरव के लिए रक्षा के लिए यह पद ग्रहण किया। 1685 तक गुरू गोविंद सिंह पाओंटा नामक स्थान पर रहे यहां पर उन्होंने घुड़सवारी, तलवारबाजी, लिखना पढ़ना, सैन्य कौशल और आवश्यक शिक्षा जारी रखी।

गुरू गोविन्द सिंह जी ने अपने जीवनकाल में तीन विवाह किए। जिसमे पहला विवाह 10 साल की उम्र में 21 जून, 1677 को आनंदपुर से 10 किमी उत्तार में बसंतगढ़ में माता जीतो से हुआ। विवाह के बाद गुरू गोविन्द सिंह जी एवं माता जीतो के तीन पुत्र हुए जिनके नाम जुझार सिंह, जोरावर सिंह एवं फतेह सिंह था। गुरू गोविन्द सिंह जी का दूसरा विवाह 17 साल की उम्र में 4 अप्रैल, 1684 को आनंदपुर में माता सुंदरी से हुआ। विवाह के बाद गुरू गोविन्द सिंह जी एवं माता सुंदरी के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम अजीत सिंह था। गुरू गोविन्द सिंह जी का तीसरा विवाह 33 साल की उम्र में 15 अप्रैल, 1700 को आनंदपुर में माता साहिब देवं से हुआ। उनकी कोई संतान नहीं थी, लेकिन सिख धर्म में उनकी प्रभावशाली भूमिका थी। गुरू गोबिंद सिंह ने उन्हें खालसा की माता के रूप में घोषित किया था।

खालसा पंथ की स्थापना - 30 मार्च, 1699 को, गुरू गोबिंद सिंह ने अपने अनुयाायिों को आनंदपुर में अपने घर पर इकट्ठा किया। गुरू ने अपनी तलवार खींची और गरजते हुए स्वर में कहा, 'मुझे एक सिर चाहिए, क्या कोई है जो मुझे चढ़ा सकता है?' गुरू गोविन्द की इस बात ने सभा में कुछ डर का माहौल पैदा कर दिया था और लोग दंग रह गए। गुरू ने दूसरी पुकार की। कोई सामने नहीं आया। अभी चारों और सन्नाटा था। तीसरे आह्वान पर लाहौर के एक खत्री दयाराम ने कहा, 'हे सच्चे राजा, मेरा सिर आपकी सेवा में है।' गुरू ने दया राम का हाथ पकड़ लिया और उन्हें एक तंबू के अंदर ले गए। एक झटका और गड़गड़ाहट सुनाई दी। तब गुरू अपनी तलवार से खून टपका कर बाहर आये और बोले, 'मुझे एक और सिर चाहिए, क्या कोई है जो चढ़ा सकता है?' जब गुरू ने एक बार फिर से कहा तो धर्मदास जो दिल्ली का रहने वाला एक जाट था, वह आगे आया और कहा, 'हे सच्चे राजा ! मेरा सिर आपके निपटान में है।' गुरू धर्मदास को तम्बू के अंदर ले गए, फिर से एक झटका और गड़गड़ाहट सुनाई दी, और वह खून से लथपथ अपनी तलवार के साथ बाहर आये और दोहराया, 'मुझे एक और सिर चाहिए, क्या कोई प्रिय सिख है जो इसे चढ़ा सकता है?' गुरू के दो बार ऐसा करने पर और तीसरी बार फिर से वही काम दोहराये जाने पर सभा में शामिल लोग तरह तरह की बातें करने लगे की गुरूजी अपना आपा खो चुके है और कुछ लोग उनकी शिकायत करने उनकी माता के पास भी चले गए। तीसरी बार अपना बलिदान देने के लिए द्वारका के निवासी एवं एक दर्जी मोहकम चंद ने खुद को एक बलिदान के रूप में पेश किया। गुरू उसे तंबू के अंदर ले गए और उसी प्रक्रिया से गुजरे। जब गुरू वापस से बाहर आये और उन्होंने जैसे ही चौथे सिर के लिए लोगो को कहा तो वहॉ खड़े ज्यादातर सिखों को लगने लगा की गुरू आज उन सभी को मार डालेंगे । चौथी बार गुरू के द्वारा फिर से बलिदान मांगे जानें की बात सुनकर सभा में मौजूद कुछ लोग भाग खड़े हुए और दूसरों ने अविश्वास में अपना सिर नीचे कर लिया। गुरू के कहे

अनुसार चौथे सिर के बलिदान के लिए जगन नाथ पुरी के रसोइया हिम्मत चंद ने खुद को चौथे बलिदान के रूप में पेश किया। फिर गुरू ने पाँचवाँ सिर के लिए आखिरी पुकार की। साहिब चंद, बीदर (मध्य भारत में) का एक नाई आगे आया और गुरू उसे तंबू के अंदर ले गए। एक झटका और गड़गड़ाहट सुनाई दी। अंत में, गुरू उन सभी पाँच स्वयंसेवकों के साथ तम्बू से निकले जिनका सिर उन्होंने बलिदान के लिए माँगा था और बार बार अपने तम्बू से बाहर आके यह दिखाया था की उनकी गर्दन काट दी गई है।

दरअसल गुरू ने पांच बार जो गर्दन काटी थी वो पांच बकरियाँ थी जिनके सिर कटने की आवाज से ऐसा महसूस हो रहा था, की गुरू गोविन्द सच में अपने सेवको की गर्दन काट रहे है। अंत में इन पांच सिख स्वयंसेवकों को गुरू ने पंज प्यारे या 'पांच प्यारे' के रूप में नामित किया था। इस तरह 30 मार्च 1699 में बैसाखी के दिन उन्होंने खालसा पंथ (पन्थ) की स्थापना की जो सिखों के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है।

गुरू गोविन्द राय से गुरू गोविन्द सिंह बनना गुरू गोविन्द सिंह ने खालसा की स्थापना करने से पहले लोगों के विश्वास की परीक्षा लेने के लिए ऐसा किया। गुरू गोबिंद सिंह ने जो स्वयंसेवकों के लिए अमृत (अमृत) तैयार किया था उस अमृत को 'पंज प्याला' भी कहा जाता है। अमृत प्राप्त करने के बाद सभी पांचो खालसों को गुरू गोविन्द जी ने एक उपनाम 'सिंह' दिया जिसका मतलब था अब आगे चलकर सभी पांचो खालसे अपने नाम के आगे 'सिंह' शब्द लगाएंगे जिसका मतलब होता था शेर।

उन पांच खालसा सेवको ने गुरू गोविन्द जी से छठा खालसा बनने के लिए कहा जिसका मतलब था शेर की तरह दिखने वाले गुरू गोविन्द राय को भी अपने नाम के साथ सिंह शब्द जोड़ना था और इस तरह उनका नाम गुरू गोबिंद राय से बदलकर 'गुरू गोबिंद सिंह' कर दिया गया और गुरू गोविन्द जी सिंह उपनाम के साथ सिखो के छटे खालसे के रूप में पहचाने जाने लगे।

गुरू गोबिंद सिंह के पांच 'क' –गुरू गोबिंद सिंह ने सिखों को हर समय पांच वस्तुओं को पहनने की आज्ञा दी, जिसमें केश, कंघा, कारा, कचेरा और कृपाण शामिल हैं। जिनका पालन एक खालसा को करना होता है।

खालसा पंथ की स्थापना के बाद मुगलों से गुरूजी का संघर्ष और तेज हो गया। जब आनंदपुर किले में गोविंदसिंह जी थे मुगलों ने किले को घेर लिया था। रसद की पूर्ति अपनी जान पर खेल कर करना पड़ रही थी, फिर भी हार नहीं मानी, जब मुगल सरदार सैन्य बल से असफल रहे, तो छल का सहारा लिया। औरंगजेब ने वचन दिया कि गोविंदसिंह जी ये किले छोड़ दे तो हम जाने देंगे। पंज प्यारों के कहने पर गुरूजी बाहर निकले तो धोखेबाज मुगलों ने आक्रमण कर दिया। इस संघर्ष में पूरा दल दो भागों में विभक्त हो गया। भयानक वर्षा और सिरसा नदी में बाढ़ ने बड़ी कठिन स्थिति निर्मित की। गुरूजी के दो पुत्र और माता गुजरी गुरूजी से बिछड़ गए। गुरूजी ने अपने बड़े पुत्रों अजितसिंह और जुझारसिंह तथा खालसा सैनिकों के साथ चमकौर में एक किले में शरण ली।इस किले को मुगल सेना ने चारों और से घेर लिया था।जब खालसा सैनिकों के पास गोला बारूद समाप्त हो गया तो पाँच पाँच सैनिक का दल मुगलों पर टूट पड़े।

गुरू गोबिंद सिंह के पुत्रों का बलिदान– चमकौर का युद्ध 22 दिसंबर 1704 को सिरसा नदी किनारे हुआ था। इस युद्ध में गुरू गोविंद सिंह और उनके दो पुत्रों सहित 43 सिख थे ,इन्होंने ने 10 हजार मुगल सेना का सामना किया और गुरू गोविंद सिंह यहाँ से सुरक्षित निकाल भी गए थे। औरंगजेब गुरू को जिंदा पकड़ने के लिए अनेक प्रयास कर चुका था। इस युद्ध का वर्णन गोविंद सिंह जी ने जफरनामा में किया है। गुरू गोविंद सिंह ने अपने दो पुत्रों को आशीष देकर जंग में भेजा। चमकौर के युद्ध में गुरू पुत्रों ने जिस वीरता और साहस के साथ संघर्ष किया उसका इतिहास में दूजा उदाहरण नहीं है।

साहिबजादा अजीत सिंह – गुरू के सबसे बड़े पुत्र अजीत सिंह का जन्म 26 जनवरी, 1687 को पाओंटा में माता सुंदरी के गर्भ से हुआ था। इनका नाम अजीत था, जिसका अर्थ है 'अपराजेय'। जब उन्हें 12 साल की कम उम्र में खालसा में दीक्षित किया गया था तो उन्हें सिंह नाम दिया गया और आनंदपुर साहिब में पहले वैसाखी दिवस 13 अप्रैल, 1699 को अपने परिवार के साथ अमर अमृत पिया था। अजितसिंह ने चमकौर के युद्ध में अतुलनीय वीरता का प्रदर्शन करते हुए रणभूमि में मुगल सेना के छक्के छुड़ा दिए हजारों की मुगल सेना अजितसिंह के प्रहार से भाग खड़ी हुई। तलवारबाजी में अजेय योद्धा की भांति लड़ते थे। अंतिम सांस तक लड़ने वाले अजितसिंह की जब तलवार टूट गई तो म्यान से लड़े। 18 साल की अवस्था में, 22 दिसंबर, 1704 को चमकौर के युद्ध में बलिदान हो गए।

साहिबजादा जुझार सिंह – साहिबजादा जुझार सिंह का जन्म रविवार, 14 मार्च, 1691 में हुआ था। जुझारसिंह गुरू गोबिंद राय के दूसरे सबसे बड़े पुत्र थे, उनका जन्म आनंदपुर में माता जीतो के गर्भ से हुआ था। इनका नाम जुझार, जिसका अर्थ है 'लड़ाकू' रखा गया था। उन्हें अपने परिवार के साथ आनंदपुर साहिब में आठ साल की उम्र में दीक्षा दी गई थी। 13 अप्रैल, 1699 को वैसाखी के दिन आनंदपुर साहिब में सिंह नाम दिया गया था, जब उनके पिता गुरू गोबिंद सिंह ने योद्धा संतों के खालसा आदेश का निर्माण किया था। वह 14 साल की बहुत कम उम्र में, 22 दिसंबर, 1704 को चमकौर में बलिदान हो गए। अजितसिंह के साथ ही जुझारसिंह को भी पंच प्यारों ने समझाया कि वे युद्ध में न जाए किन्तु अपने भाई की तरह अडिग रहे और युद्ध में अद्भुत शौर्य का प्रदर्शन किया इनकी वीरता देखकर गोविंद सिंह जी ने जयकारा 'जो बोले सो निहाल लगाया।' जहां उन्होंने लड़ाई में अपनी उग्रता के लिए एक मगरमच्छ की तुलना की जाने वाली प्रतिष्ठा अर्जित की।

सिरसा नदी क्षेत्र में गुरूजी से बिछड़ने के बाद दो छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह अपनी दादी माता गुजरी के साथ चल पड़े। वे अकेले ही अपने रास्तों पर निकले थे ना कोई उनके साथ संबंधी था और न तो उनकी रक्षा के लिए कोई सैनिक था। परिवार के फिर से मिलने की उम्मीद दूर–दूर तक नहीं थी। ऐसी हालत में भी पूरा परिवार आत्मविश्वास से भरा हुआ था। वे चलते–चलते एक गांव की ओर गए, जहां पर उन्हें गंगू नामक एक पुराना नौकर मिला जो किसी समय गुरू महल में सेवा किया करता था। उसने माता गुजरी को विश्वास दिलाया कि वह उन्हें बिछड़े परिवार से मिलायेगा और इसी विश्वास के साथ माता गुजरी दोनों साहिबजादों को लेकर उसके साथ के गांव मोरिंडा चले गए। नौकर गंगू ने माता गुजरी के पास स्वर्ण सिक्के देखे तो वह लालच में आ गया और उसने स्वर्ण मोहरे चुरा ली और अधिक धन पाने के लालच में उसने मोरिंडा के कोतवाल को सूचना दी, इसके बदले वजीर खान ने उसे स्वर्ण मोहरे दी। सूचना पाते ही मुगल सैनिकों ने माता गुजरी, बाबा जोरावर सिंह और फतेह सिंह को गिरफ्तार कर लिया। सरहिन्द किले में दिसंबर की सर्द रात में ठंडे बुर्ज में कैद कर के रखा। इस ठंडे बुर्ज में 3 दिन तक माता गुजरी ने दोनों साहिबजादो को धर्म

की रक्षा के लिए शीश न झुकाने और धर्म न बदलने की शिक्षा दी। भूखे प्यासे कोमल सुकुमारों को मुगल शासकों के जुल्म की परवाह न करते हुए भाई मोती राम मेहरा ने निर्भय और साहसी शूरवीरों को दूध पानी से सेवा की। इसकी कीमत मोती राम को परिवार सहित जान देकर चुकाना पड़ी। अगले दिन सरहिंद के नवाब वजीर खान के यहां कोतवाली ले जाया गया तो प्रवेश द्वार छोटा रखा गया ताकि इनको झुक कर आना पड़े लेकिन दोनों साहिबजादो ने पहले पैर आगे करा और फिर अंदर आए। दोनों साहिबजादों ने वजीर खान के सामने 'जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल' का जयकारा लगाया। जब उन्हें इस्लाम कबूल करने के लिए कहा गया तो उन्होंने ना ही अपना सिर झुकाया और ना ही धर्म बदला, जो साहस दोनों साहिबजादो ने वजीर खान के सामने दिखाया वैसा उस समय कोई अन्य हिम्मत नहीं कर सकता था दोनों ने सिर ऊंचा कर कहा कि हम अकाल पुरख और अपने गुरू पिता के अलावा किसी और के आगे शीश नहीं झुकाते। वजीर खान ने डराया, धमकाया, लालच दिया। इस्लाम कबूल करने के लिए बहलाने की कोशिश की, लेकिन दोनों साहिबजादे अपने पथ से नहीं डिगे। जब वजीर खान दोनों साहिबजादो को इस्लाम धर्म स्वीकार कराने में असफल रहा तो उसने क्रूरता का सहारा लिया और कहा दोनों का कत्ल कर दिया जाए। काजी ने इन्हें दीवार में जिंदा चुनवा देने का फतवा दिया। जब दीवार में दोनों साहिबजादा को चुनवाया जा रहा था तो वे 'जपुजी साहिब' का पाठ कर रहे थे। दीवार पूरी होने के बाद अंदर से जयकारा लगाया बाद में जब दीवार तोड़ कर देखा तो दोनों साहिबजादों की सांसे चल रही थी। वजीर खान की क्रूरता यहीं नहीं रुकी उसने समाना के दो जल्लादों साशल बेग और बाशल बेग को बुलाया। दोनों ने साहिबजादों को घुटनों के नीचे दबाकर शीश धड़ से अलग कर दिया। मातृभूमि के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले गुरू पुत्र के बारे में माता गुजरी को पता चला तो उन्होंने अकाल पुरख को धन्यवाद कहा और कहा जाता है माता को ऊंचाई से धक्का देकर उनकी भी हत्या कर दी गई। साहिबजादो की शहादत के बाद सरहिंद शहर में कोई अंतिम संस्कार करने के लिए जमीन देने के लिए तैयार नहीं हुआ क्योंकि वजीर खान ने संस्कार हेतु जमीन की कीमत रखी तो दीवान टोडरमल नामक एक हिंदू व्यापारी ने 7800 सोने के सिक्कों के साथ जमीन का एक छोटा टुकड़ा खरीदा और उस पर गुरू पुत्रों का अंतिम संस्कार किया। माता गुजरी और दोनों साहिबजादो के बलिदान की सूचना जब गुरू गोविंद सिंह जी को मिली तो उन्होंने औरंगजेब को एक जफरनामा अर्थात विजय पत्र लिखा और कहा कि तेरा साम्राज्य नष्ट करने के लिए खालसा पंथ तैयार हो गया है।

साहिबजादा जोरावर सिंह– जोरावर सिंह का जन्म बुधवार, 17 नवंबर, 1696 को हुआ था। गुरू गोबिंद सिंह के तीसरे पुत्र थे। उनका जन्म माता जीतो के गर्भ से आनंदपुर में हुआ था। इनके जोरावर नाम का अर्थ है 'निडर'। उन्हें पांच साल की उम्र में सिंह नाम दिया गया था और 13 अप्रैल, 1699 को वैसाखी के दिन आयोजित पहले अमृत संचार समारोह में उनके परिवार के सदस्यों के साथ आनंदपुर साहिब में दीक्षा दी गई थी।

साहिबजादा फतेह सिंह (1699–1705) फतेह सिंह का जन्म बुधवार, 25 फरवरी, 1699 में हुआ था। गुरू गोबिंद राय के सबसे छोटे बेटे फतेहसिंह का जन्म गुरू की पहली पत्नी जीतो से आनंदपुर में हुआ था। जन्म के समय फतेह नाम दिया गया था, जिसका अर्थ है 'जीत'। 13 अप्रैल को वैसाखी के दिन आनंदपुर साहिब में अपने परिवार के सदस्यों के साथ दीक्षित होने पर उन्हें सिंह नाम दिया गया था।

श्री गुरू गोबिंद सिंह जी ने अपने जीवन में आनंदपुर, भंगानी, नंदौन, गुलेर, निर्मोहगढ़, बसोली, चमकौर, सिरसा व मुक्तसर सहित 14 युद्ध किए। सन 1687 में नादौन की लड़ाई में, गुरू गोबिंद सिंह, भीम चंद, और अन्य मित्र देशों की पहाड़ी राजाओं की सेनाओं ने अलिफ खान और उनके सहयोगियों की सेनाओ को हरा दिया था। इन जंगों में पहाड़ी राजाओं एवं मुगल सूबेदारों ने हर बार मुंह की खाई। 8 मई सन 1705 में 'मुक्तसर' नाम की जगह पर गुरू गोविन्द की सेना एवं मुगलों के बीच बहुत भयानक युद्ध छिड़ गया था जिसमें गुरू गोविन्द जी को जीत प्राप्त हुई। श्री गुरू गोबिंद सिंह जी ने कभी स्वार्थ व निज–हित के लिए नहीं, बल्कि उत्पीडन व अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी। इस कारण हिन्दू व मुस्लिम धर्मों के लोग उनके अनुयायी थे।

गुरू गोविन्द सिंह जी द्वारा लिखा गया जफरनामा पत्र मुगल सेना से मुक्तसर की लड़ाई तथा गुरू गोबिंद सिंह के सभी पुत्रों के बलिदान हो जाने के बाद, गुरू ने औरंगजेब को फारसी में पत्र लिखा, जिसका शीर्षक था जफरनामा (शाब्दिक रूप से, 'जीत का पत्र') 'जफरनामा' जिसे बाद में जफरनामा या विजय पत्र के रूप में प्रसिद्ध किया गया, जो उन्हें मुगलों द्वारा सिखों के साथ किए गए कुकर्मों की याद दिलाता है। गुरू का पत्र औरंगजेब के लिए कठोर होने के साथ–साथ सुलह करने वाला भी था। इस पत्र में भविष्यवाणी की गई थी कि मुगल साम्राज्य जल्द ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि यह उत्पीड़न, झूठ और अनैतिकता से भरा है।

साल 1706 में जब गुरू गोविन्द भारत के दक्षिण में गए जहाँ पर उनको मालूम चला की उनके पिता का हत्यारा एवं मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु हो चुकी है। मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु के बाद उनके बेटो में आपस में ही युद्द छिड़ गया और एक दूसरे पर हमले करने शुरू कर दिए गए जिसमे गुरू गोविन्द जी ने औरंगजेब के बेटे बहादुर शाह जफर को बादशाह बनने में मदद की थी। औरंगजेब की मृत्यु के बाद, गुरू गोबिंद सिंह अब मुगलों के विरोधी नहीं रहे थे। अगले मुगल सम्राट, बहादुर शाह की पहले गुरू गोबिंद के साथ मित्रता थी। उन्होंने गुरू को हिंद का पीर या भारत का संत भी नाम दिया था।

गुरू गोविन्द सिंह जी की मृत्यु – गुरू गोबिंद सिंह की दोस्ती देख कर सरहिंद का नवाब वजीर खाँ घबरा गया। नवाब वजीर खाँ ने दो पठान हत्यारों जमशेद खान और वसील बेग को गुरू के विश्राम स्थल नांदेड़ में अपनी नींद के दौरान गुरू पर हमला करने के लिए भेजा। उन्होंने गुरू गोबिंद सिंह को उनकी नींद में चाकू मार दिया। गुरू गोविन्द जी ने हमलावर जमशेद को अपनी तलवार से मार डाला, जबकि अन्य सिख भाइयों ने बेग को मार डाला। इन पठानों ने गुरूजी पर धोखे से घातक वार किया, जिससे 7 अक्टूबर, 1708 में गुरूजी (गुरू गोबिन्द सिंह जी) नांदेड साहिब में दिव्य ज्योति में लीन हो गए और इस दुनिया को छोड़ कर हमेशा हमेशा के लिए चले गए। अपने अंत समय में गुरू गोविन्द सिंह जी ने सिखो को गुरू ग्रंथ साहिब को अपना गुरू मानने को कहा व खुद भी माथा टेका। भारत में अनेक महापुरुष हुए जो मातृभूमि के लिए बलिदान हो गए उनमे गुरू गोविन्द सिंह अद्वितीय थे, वहीं वे एक कलमकार, महान विचारक, मौलिक चिन्तक तथा पंजाबी, संस्कृत, फारसी कई भाषाओं के जानकार थे। उन्होंने ग्रन्थों अनेक की रचना की। वे विद्वानों के आश्रयदाता एवं संरक्षक थे। उनके दरबार में अनेक कवियों तथा विद्वानों व लेखकों की उपस्थिति रहती थी, इसीलिए उन्हें

संत सिपाही' भी कहा जाता था। वे भक्ति तथा शक्ति के अनुपम समन्वयकारी थे। गुरूजी ने सदैव सत्य, प्रेम, सदआचरण और बंधुत्व का मार्ग दिखाया। उनकी वाणी में मधुरता, सादगी, सौजन्यता एवं वैराग्य की भावना कूट-कूटकर भरी थी। उनके जीवन का प्रथम दर्शन ही था कि धर्म का मार्ग सत्य का मार्ग है और सत्य की सदैव विजय होती।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. एक विलक्षण व्यक्तित्व -सरदार गुरचरन सिंह गिल
2. सिख धर्म का विश्व कोष -हरबंस सिंह पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला
3. दैनिक जागरण 20/01/2021
4. https://nedricknews.com
5. https://hi.wikipedia.org
6. https://shubhamsirohi.com/guru-govind-singh-ji-history-in-hindi/
7. https://bharatdiscovery.org/india

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XL

राजस्थान भील जनजाति : विस्थापन की एक समस्या एवं समाधान

डॉ. रणजीत कुमार मीणा *

* सहायक आचार्य (समाज शास्त्र) राजकीय महाविद्यालय, खेरवाडा (राज.) भारत

शोध सारांश – भील जनजाति राजस्थान, मध्यप्रदेश, गुजरात, झारखण्ड, छत्तीसगढ़, बिहार, कर्नाटक, नागालैण्ड, आसाम, मिजोरम एवं त्रिपुरा आदि राज्यों में निवासरत है। यह अरावली की पहाड़ियों व सतपुड़ा के जंगलों से लेकर सुदूर समुद्र तक आदिकाल से निवास कर रहे है। इनकी भाषा भीली है, यह क्षेत्र 'भीलांचल' या 'भीलखण्ड' के नाम से विख्यात है। इनका इतिहास समाज एवं संस्कृति के बीच में गहरा जुड़ाव रहा है। भील जनजाति भाषा, कला, संस्कृति के साथ-साथ विस्थापन का विमर्श करना आज समीचीन होगा।

भील जनजाति की सांस्कृतिक विरासत के रूप में ऋषि वाल्मीकि का पवित्र त्रिवेणी संगम बेणेश्वर धाम, पाण्डवों का वास स्थल घोटिया आम्बा, गौतम ऋषि की तपस्थली गौतमेश्वर धाम, जनजातियों का जलियावालाबाग शहीद स्थल मानगढ़ धाम एवं मेवाड़ के वीर शिरोमणि राजा पूंजा भील के नेतृत्व ने महाराणा प्रताप को आन-बान-शान के प्रतीक को शिरमोर बनाया और विश्व इतिहास में अपना स्थान बनाया। इस क्षेत्र के लोकसंतों की वाणी में नव सुधार, नवजागरण, नव शिक्षण को त्रिआयामी दिशा प्रदान की गई। इसमें संत सुरमालदास, गोगा गमेती, संत मावजी, मामा बालेश्वर दयाल, गवरी बाई और स्वतंत्रता के बीज बोने वाले अनेक स्वतन्त्रता सैनानियों एवं मार्ग दर्शकों में नानक भाई भील, नानाभाई खांट, वीर बाला कालीबाई, गोविन्द गुरु, माणिक्य लाल वर्मा एवं मोतीलाल तेजावत आदि प्रेरणा दायक रहे हैं।

शब्द कुंजी –कला संस्कृति, विस्थापन, भाषा, भूमण्डलीकरण, नदी घाटी परियोजनाएँ।

प्रस्तावना – आज भील जनजाति के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती विस्थापन की है। जल, जंगल व जमीन पर जनजातियों का सदियों से अधिकार रहा है। केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा विकास के नाम पर उनकी जमीनों को जबरन छीना जा रहा है। जनजाति किसानों के पास जमीन है अपनी भाषा व संस्कृति है, विस्थापन से उनकी भाषा व संस्कृति नष्ट हो रही है। इसे संरक्षित करना ही सबसे बड़ी चुनौती है।

भील शब्द संस्कृत भाषा के भिद् धातु से उद्‌भव हुआ है जिसका अर्थ भेदना एवं छेदना, निशान लगाना है। ये अचूक निशानेबाज व तीरंदाज होते हैं अत: पहले बीद, भीद व बाद में भील कहलाये।

द्रविड़ भाषा में भील शब्द का अर्थ कमान, तीर कमान इसका प्रतीक है तथा ग्रीक भाषा में भील या बिल शब्द का अर्थ धनुष है। धनुर्विधा में यह जनजाति आदिकालसे अभी तक कुशल है जिनमें अन्तरराष्ट्रीय तिरंदाज कोच लिम्बाराम राज्यकोच जयन्तीलाल ननोमा आदि सेवारत है।

क़र्नल जेम्स टॉड ने प्रकृति की गोद में पल्लवित होने के कारण इन्हें वन या प्रकृति पुत्र कहा और भारत के मूल निवासी के रूप में आदिम जाति माना है। भारतीय -संविधान में प्रशासनिक दृष्टि से इन्हें अनुसूचित जनजाति के रूप में परिभाषित किया है।

'भील जनजाति के अतीत में अनेक आदि पुरुष हुए है जिन्होंने भील जनजाति का गौरव बढ़ाया है। ऋषि वाल्मीकि, एकलव्य, माता शबरी व भगवान कृष्ण का वध भी एक भील के बाण से हुआ था।'

आदिवासी साहित्यकार हरिराम मीणा अपनी कविता के माध्यम से आदिवासी समस्याओं को अभिव्यक्ति प्रदान की है जिसमें बाजारवाद एवं भूमण्डलीकरण के फलस्वरूप जनजातियों को जल, जंगल, जमीन से बेदखल करने और उनके विकास के नाम पर विस्थापन मुख्य समस्या बन कर उभरी है।

जंगलों के कटने और उनमें स्थानीय जनजातियों की जमीन पर गैर जनजातियों के कब्जे के कारण जंगलों का क्षेत्रफल निरन्तर घटता जा रहा है, जिससे उनके वन आधारित रोजगार खत्म हो रहे हैं। इसी कारण लोग पलायन करने को मजबूर है।

जनजातियाँ जो जल, जंगल, जमीन एवं नदी-नालों पर निर्भर रहने वाली है उसे पुनर्वास रुपी उपहार देकर उनकी जमीन से उखाड़ कर अन्यत्र स्थान पर रोपने का प्रयास किया जा रहा है। जिसे कवयित्री निर्मला पुतुल ने अपनी कविता में सशक्त अभिव्यक्ति प्रदान करते हुए लिखा है कि-

इस युग में तकनीकी व औद्योगिकीकरण की सर्वव्यापी बाजारीकरण व्यवस्था के विरूद्ध विद्रोह के रूप में जल, जंगल, जमीन, पर्यावरण व अस्मिता की संस्कृति के संरक्षण की तलाश में संघर्ष व विस्थापन के दर्द से आधुनिक सभ्यता व संस्कृति से बेखबर नक्सलवादी व्यवस्था के पनपने का एहसास इस कविता में रेखांकित हुआ है।

भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात् लम्बे समय से विकास योजनाओं में नदी परियोजनाओं के फलस्वरूप विस्थापन की समस्या का आज भी समाधान नहीं हुआ है। जिसे निम्न कविता के माध्यम से अभिव्यक्त प्रदान की गई है-

जनजाति क्षेत्र में बड़े-बड़े बांधों के निर्माण से विस्थापन एवं पलायन की समस्या उत्पन्न होने से जनजातियों को अपनी जमीनों से बेदखल होना

पड़ा है। जहाँ यह लोग शताब्दियों से रहते आये हैं वहीं से बेदखल होना इनकी मजबूरी हो गई हैं। सरदार सरोवर, माही बजाज सागर, कड़ाणा बाँध, सोम - कमला - अम्बा बाँध, कागदर बाँध आदि से इनका विस्थापन एवं पलायन तीव्र गति से हुआ है और परमाणु बिजलीघर पावर प्लान्ट, रेल्वे लाईन आदि के कारण विस्थापन एवं पुनर्वास भी वर्तमान परिस्थितियों का परिणाम है। एक तरफ नदी घाटी परियोजनाएँ हमारे लिए वरदान और विकास की और बढ़ते कदम हैं तो दूसरी तरफ वे विस्थापन एवं पुनर्वास का भी अहम प्रश्न है।

निष्कर्ष- जनजाति पलायन व विस्थापन की गूँज जल, जंगल जमीन से शुरू होकर गरीबी, भुखमरी, मजदूरी, वर्गसंघर्ष, नक्सलवाद, बेरोजगारी आदि देखने व सुनने को मिलती है। शोषण, उत्पीड़न, दमन के खिलाफ विद्रोह के रूप में विकास की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से स्वरोजगार परक कौशल विकास के साथ-साथ स्थानीय समस्याओं के स्थायी समाधान का प्रयत्न सरकार के जनप्रतिनिधियों व प्रशासन के बीच की कड़ी के रूप में किया जाना चाहिए। साथ ही जनजाति इतिहास, भाषा, कला, साहित्य एवं संस्कृति का संरक्षण कर उसे विश्व पटल पर सांस्कृतिक धरोहर के रूप में संरक्षित किया जाना चाहिए। जनजाति परम्परागत अधिकारों की रक्षा के साथ-साथ दूरदर्शन, समाचार पत्रों, इन्टरनेट के द्वारा शिक्षा का प्रचार-प्रसार व जनजातिय क्षेत्रों में लघु एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि उनके विस्थापन, पलायन को रोका जा सके। भौतिकवादी, तकनीकी युग में पलायन परम्परा पर अंकुश लगाने का यह प्रयास न केवल सरकारी की जिम्मेदारी है, अपितु साहित्य की कलात्मक चेतना व उत्प्रेरित लेखन कार्य कर उसे एक साहित्यकार भी रोक सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. शरद कुमार यादव: आदिवासियों की कीमत पर विकास, समयांतर (पत्रिका), नई दिल्ली, जुलाई 2014
2. अंबरीश कुमार के लेख : सिगरौली से मिट जाऐंगें बैगा आदिवासी, नवभारत टाईम्स (समाचार पत्र), नई दिल्ली, 17 अक्टूबर, 2013
3. रमणिका गुप्ता : आदिवासी लेखन : एक उभरती चेतना, सामयिक प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण 2013
4. ट्राईब : माणिक्य लाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान अशोक नगर, उदयपुर (राज.) 2017
5. आदिवासी समाज, संस्कृति और साहित्य : समकालीन आदिवासी विमर्श सामाजिक-सांस्कृतिक परिदृश्य विषयक राष्ट्रीय संगोष्ठी के आलेख, 2016

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XL

A Critical Survey of Golding's Free Fall, The Spire and The Pyramid

Pradeep Sharma* **Dr. Purwa Kanoongo****

* Research Scholar, SAGE University, Indore (M.P.) INDIA
** Associate Professor, SAGE University, Indore (M.P.) INDIA

Abstract - William Golding's novel go through moral dilemmas as the core of human existence and he repeatedly puts his characters in extreme conditions to show a 'mythological' proportions to their lives. Free Fall analyses human dissolution. It embodies a ceaseless sum of conflicts hostilities and chances. The Spire is an account of spirited human mulishness to a summit. There is a representation of the clash between the good and evil with medieval setting. The Pyramid is a blending of three pragmatic events with the display of a heavenly think developing in a fight between myth and reason.
Keywords- Human dissolution, Myth, Cosmic.

Introduction-Golding has diligently and naively put together his works and has packed them with meaning. Golding prefers his novels to be viewed as myths, and one of the outcomes of this deliberate mythical status of his novels is that every occurrence and character has been intentionally picked to carry a certain meaning. Since Golding is a religious man he sees the formation of his universe to be more neat and coherent than most of his contemporaries perhaps do. An analytical survey of Free Fall, The Spire and The Pyramid asserts the point.

Freefall is an evaluation of human breakdown. this novel is a very futuristic query of Samuel mountjoy, the protagonist who provides meaning on his presence, explicates his past and apprehends the happenings of his life into forms of importance. He is often satirically compared with Dante searching for a Beatrice that he made a mess of. The narrative is narrated in Sammy's own words as he tries, in middle life, to detect his fall from grace. In the course he recollects with precision the disturbing episodes of his childhood, youth and adulthood he is exposed by a phobic parson after the demise of his mother. There are studies in a school and becomes a part of the Communist Party. He depraves. the pious and acquiescent Beatrice for whom he rejects when he falls in love and marrying with Tatty, a colleague. He is seized by the Germans in the course of the war and is grilled by the ominous Dr. Halle, regarding a probable hostage breakout from the POW camp. On his denial for the talk, he is fastened in a broom-chest. He considers his imprisonment in the closet as a blender. The war being completed, he comes back to home and discovers Beatrice in an asylum because of her nervous breakdown. She is psychotic paying off the price not just of Sammy's lack in 'vital morality', but of the faulty education too, that shaped him.

A human fondness is an unpredictable thing. Golding very gingerly deals with the love affair of Sammy's and Beatrice. It is absorbing for its distinct mingling of of the two strands, religious and rational, each striving to excel the other but never succeeding.

A critical investigation of Free Fall surveys the issue that the novel holds a ceaseless sum of conflicts hostility and scope. The various human beings of the current age will not experience any problem regarding the identification with a protagonist such as Sammy Mountjoy with his absurdities and good things. "Sammy's failure is then compounded he has not only failed to find the bridge between matter and spirit but he cannot make the vital connection between past and future which seems to form the essence of his auto biological quest for identity."(O'Donnel, Patrick 1980)

The Spire appraises the spirited human obstinacy to a peek with the tale of Jocelyn, Dean of Cathedral. The Spire of the title is the Spire of Salisbury Cathedral and the main action is the construction of the Spire. In spite of the inadequate footing the Spire stays for a long duration of time. It is believed to be 'built on faith' aspire like this symbolises enthralling capabilities; it extends to the heaven; it is constructed by men in the reverence of God.

Joceline, the Dean of Barchester Cathedral, holds himself to be picked by God for the construction of the Spire opposed to the verdict of the clergy and also of the constructors.

The thrust of the novel is neither on the character nor on the action but on the figurative shape that is rendered to

moral sense. Joceline controls the novel as an expanding moral awareness, not as a character.

The Spire is the story about perception; perception that drives Jociline in his compulsive move to his goal and the goal itself symbolises in stone men's potential for creating the perception real.

Dean Joceline has a sexual deficiency within him including a false belief that steer him. His frailty for Goody Pangall is revealed during the book. He doesn't bother in attaining his perceptive task even by the unfair ways. His spiritual truths can be matched with Pogar Mason's rational truths whose wisdom urges him not to construct the Spire on such a shaky footing. Pangall can be compared with Simon of Lord of the Flies, One more blameless character who is murdered. For finding the footing shake the host of employees treat Pangall as a scapegoat and his ritual killing is applied for the reinforcement of the frail foundation. They use of the ill obtained money of aunt Alison for the construction of the Spire poses the questio "weather bad money can ever be put to good use and that too by a man who owes his position to devious and corrupt practices" (Crompton, D.W., 1967) Joceline aims cannot be considered to be as divine as he proclaims, especially being the dean.

The novel has a medieval environment that uses the narrative of good and evil In strife to make Joceline soul apt and functional. The imagery and the measured study of the psychotic state of Joceline have a footing in Christian tradition.

The Pyramid for its portrayal of the pre-war English childhood has an additional distinctive punch. There is a blending of three pragmatic occurrences.

Firstly there is the depiction Of the non fulfillment of love. It can be viewed as a clash of classes and also as a conflict between two beliefs mythical and contemporary. Oliver's love for Evie, Is not admissible due to the extent of communal pyramid in Stillbourne society. Merely the name Stillbourne hints no freedom in the social system. The courtships do not become reciprocal. They remain one sided. The same is the case between Evie and Oliver.
She becomes sufferer of an awful dominance and perversions. This increases the disdain and distaste of Evie for Oliver.

Oliver's father who belongs to the upper strata of society and also being a defender of the orthodox social customs disapproves the relation between Oliver and Evie an inferior class girl. The conflict between the view points of the upper and lower strata of society gets reflected in the characters of the new generations. All goes in vein, to get any melody out of the courtships of the lovers, despite all attempts.

The second novel too portrays the story of a present day society. This time art is an origin of resentment in place of being a meeting place. It relates to the coming of a theoretical group to Stillbourne and Oliver's taking part in it due to his mother's insistence. Here Goulding argues how art needs the people devoted to art itself otherwise the object of art to produce any goodwill is depraved.

The third event Is a recurrence of the same subject reflecting that music holds a lower position compared to the subject like physics and chemistry that are more lucrative and higher in stature. The augmentation between Henry the mechanic and Bounce the music teacher on the matter of the sounds from the garage, represents fight covering the concepts like the coordination of myth and music on one side and the disorder of the era of science and technology on the other. Except for the teacher-taught association, this section also presents the love-hate relationship between Bounce and Henry that again ends in bitterness. Oliver is not made for love. "He cannot break out of himself decisively in any of the three personal relationship which he depicts for us even though he become conscious of his failure at last". (Babb, H.S,1970)

Conclusion - The language and style of Golding's novels has again and again being applauded for its strength and lyrical nature. He's brilliant in his power of presenting conceptual moral and metaphysical subjects in aesthetic and apparently simple language. his craft lies in enriching The seemingly common things and affairs with great imagery that gives them a fresh extent of understanding.

References :-

1. Babb, H.S – The Novel of William Golding, Ohio. P.171
2. Crompton, D.W. – The Critical Quarterly, Vol.9, Spring, 1967 'The Spire' p.17
3. O'Donnell Patrick- Ariel, 1980: Journeying to centre: Time pattern, and Transcendence in William Golding's "Free Fall" – p.96
4. Peter, David, : William Golding's Pincher Martin – A study of self and it's terror of negation : thesis Mc Master University, p.75

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XL

वैवाहिक विवाद और ADR के दायरे व लाभ

अर्चना काला* डॉ. इनामुर्रेहमान **

*शोधार्थी (विधि) विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत
**पूर्व प्राचार्य, शासकीय विधि महाविद्यालय, इंदौर (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना - विवाह संस्था - व्यवस्था - परिवार और विवाह दो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पुरानी और मौलिक संस्थाएँ हैं जिन पर कोई भी समाज अपने अस्तित्व और भरण-पोषण के लिए टिका होता है। विवाह में परिवार के बजाय विवाह परिवार में निहित होता है।[1] लॉर्ड पेनजेंस के अनुसार, विवाह कानूनी रूप से एक पुरुष और एक महिला के बीच एक स्वैच्छिक मिलन है, जिसमें कुछ विशेष विशेषताएं और उद्देश्यों को पूरा करना होता है। विवाह की संस्था का अर्थ है पुरुषों और महिलाओं के बीच एक विशेष मिलन जो सामाजिक ताने-बाने में सामंजस्य और एकीकरण लाता है और इस प्रकार बेहतर सामाजिक एकीकरण के लिए इसे उचित मान्यता दी जानी चाहिए।[2]

भारत में बहुसंख्यक समुदाय हिंदुओं के विवाह कानूनों में विभिन्न क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। विवाह अब धर्म की अवधारणा पर आधारित नहीं है या धार्मिक और आध्यात्मिक कर्तव्यों के प्रदर्शन के लिए आवश्यक है। अब इसे सहकारिता के रूप के रूप में देखा जाता है। हिंदू विवाह की स्थिरता को समझा जाता है। यह अब एक अघुलनशील, स्थायी और शाश्वत् मिलन नहीं है क्योंकि तलाक के आधार को संहिताबद्ध कानूनों के तहत मान्यता प्राप्त है। तलाक जो कभी अकल्पनीय और अस्तित्वहीन थे, उन्हें हिंदू व्यक्तिगत कानूनों के तहत विभिन्न तलाक प्रावधानों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है।

वैवाहिक विवादों की अधिक घटनाएं - प्रत्येक समाज में, चाहे उसका भौगोलिक, जातिय या धार्मिक मूल्य कुछ भी हो, मनुष्यों के बीच संघर्ष आंतरिक होते हैं। बेस्टर डिक्शनरी संघर्ष को संघर्ष, प्रतिस्पर्धा या विरोधी या असंगत ताकतों या गुणों के पारस्परिक हस्तक्षेप के रूप में परिभाषित करती है। हितों के टकराव के बिना मानव समाज की कल्पना करना कठिन है।[3] वैवाहिक संघर्ष रिश्तों और भावनाओं को चोट पहुँचाते हैं जो कई कारणों से हो सकते हैं और कई प्रतिक्रियाएँ हो सकती हैं। लेकिन इनके प्रभाव अक्सर हानिकारक और विनाशकारी होते हैं। अस्थिरता के दौर से गुजर रहे युवाओं के लिए नए तनाव और बदलती जीवनशैली ने नए परीक्षणों को जन्म दिया है। पति-पत्नी की भूमिकाओं को लेकर उनका नजरिया बदल गया है। तेज जीवन ने उन्हें व्यक्तिवादी, भौतिकवादी और आत्म-उन्मुख बना दिया है। विवाहित जोड़े परिवार से ज्यादा खुद को महत्व देते हैं जिसके परिणामस्वरूप सामंजस्य की कमी होती है।

एक दशक पहले, भारत की राजधानी दिल्ली में, एक अतिरिक्त जिला न्यायाधीश का केवल एक न्यायालय था जो हर दिन लगभग 10 से 15 वैवाहिक मामलों का निपटारा करता था, लेकिन अब बड़ी संख्या में वैवाहिक न्यायालय ऐसे हजारों मामलों से निपट रहे हैं।[4] यह संख्या उन मामलों से अलग है जो रखरखाव के लिए दायर किए जाते हैं।

भारत में कानूनी निति के लिए विधि केंद्र द्वारा 2016 की एक रिपोर्ट से पता चला है कि अदालत से जुड़े मध्यस्थता के कुल 46,000 मामलों में से लगभग 41,503 मामले पारिवारिक विवाद के थे। रिपोर्ट मुंबई उच्च न्यायालय और एससी से यह डेटा एकत्र करती है। पांच वर्षों (2011-2015) में 25,000 से अधिक पारिवारिक कानून के मामलों को मध्यस्थता प्रक्रिया के लिए भारत भर के विभिन्न न्यायालयों द्वारा संदर्भित किया गया था। यह कुल मामलों का लगभग 80% था। संदर्भित मध्यस्थता उक्त समय सीमा में, संदर्भों में दहेज निषेध अधिनियम, 1961 (इसके DP) के तहत मामले, सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरण पोषण आवेदन मामले, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 200 (इसके बाद PWD), अभिभावक और वार्ड अधिनियम, 1890 बाद में शामिल हैं। अन्य तलाक के मामले तथा विभिन्न न्यायालयों में तलाक के मामलों की संख्या में वृद्धि के बावजूद, विश्व स्तर पर यह अभी भी दुनिया में सबसे कम है। 2017 में ओईसीडी ने बताया कि भारत की तलाक की दर 1000 विवाहों में एक प्रतिशत या 1-3 थी, जो यूनाइटेड किंगडम (इसके बाद यूके) में 1000 विवाहों में 500 है। यूनिफाइड लॉयर्स नामक एक ऑस्ट्रेलियाई कानूनी एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय तलाक की दर दुनिया में सबसे कम है। भारत में तलाक की सबसे कम दर के आंकड़े 'हैप्पी एवर आफ्टर' की अवधारणा[5] पर विश्वास करने के लिए मजबूर करते हैं, हालाँकि, यह एक मिथक है। कुछ कारण जिम्मेदार हैं और इन सबसे कम तलाक दरों को युक्तिसंगत बनाते हैं। इस परिदृश्य के पीछे प्रमुख कारणों में से एक अरेंज मैरिज की सदियों पुरानी परंपरा है जो माता-पिता और परिवार के सदस्यों द्वारा नियोजित की जाती है। हमारा समाज पारंपरिक मूल्य प्रणाली में अधिक विश्वास रखता है, जो पक्षकारों को शादी में रहने अर्थात विवाह बनाये रखने और तलाक लेने से परहेज करने की सलाह देता है। सामाजिक-आर्थिक प्रगति, कानूनी सुधार और वैश्वीकरण ने इन पारंपरिक सामाजिक संस्थानों को बदल दिया है, खासकर शहरी क्षेत्रों में। युवा लोगों को अधिक आर्थिक और संबंध विकल्पों के संपर्क में लाया जाता है, जो उन्हें असंतोषजनक या असमान विवाह से बाहर निकलने के लिए प्रेरित कर सकता है। विवाह अब विशुद्ध रूप से पवित्र और अघुलनशील मिलन नहीं है बल्कि इच्छा पर आधारित एक व्यक्तिगत मामला है।

वैवाहिक विवादों की उत्पत्ति के पीछे का कारण - वैवाहिक विवादों के

कारण व्यक्तिगत हो सकते हैं जिनमें शारीरिक और स्वास्थ्य) और गैर-शारीरिक (मानसिक, मनोसामाजिक दोष, प्राथमिक समूह के साथ बातचीत, सामाजिक-आर्थिक, वित्तीय कठिनाइयाँ और रहने की स्थिति और अन्य जैसे यौन समस्याएं, संचार, असंगति, रूपांतरण, दुनिया का त्याग। आर्थिक कारण, भावनात्मक असंतुलन, अपेक्षाएं, मानसिक विकार जैसे अवसाद, स्किजोफ्रेनिया, उचित रहने की जगह की कमी, दहेज पारिवारिक तनाव को बढ़ाता है।[6] वैवाहिक जोड़े का व्यक्तित्व और व्यवहार, शादी के समय तर्कहीन दृष्टिकोण, धोखाधड़ी और विवाह के समय गलत बयानी, विवाहेतर संबंध, लगातार वैवाहिक मतभेद और तुच्छ मामलों पर मतभेद, पारिवारिक वातावरण में प्यार, सम्मान की कमी और गर्मजोशी के परिणामस्वरूप सुरक्षा की भावना की आवश्यकता होती है। इस प्रकार संघर्ष की उत्पत्ति के लिए कई प्रकार के कारक जिम्मेदार हो सकते हैं।

1. औद्योगीकरण, शहरीकरण और पश्चिमीकरण
2. एकल बनाम संयुक्त परिवाररू बदलते पैटर्न परिवार का
3. रोल रिवर्सल सामाजिक परिवर्तन और लिंगों की समानता
4. संलग्न सामाजिक कलंक का आधुनिकीकरण और कमजोर पड़ना तलाक लेना।

वैवाहिक विवादों को निपटाने के लिए एडीआर के दायरे या क्षमता – प्रारंभ से ही भारतीय शादियों में बहुत सारी पवित्रता जुड़ी हुई है। वैवाहिक संघर्ष संबंधों में रिसते हैं और ऐसे संघर्षों के लिए विभिन्न मजबूत प्रतिक्रियाएं लाते हैं जो एक रिश्ते के लिए हानिकारक और विनाशकारी हो सकते हैं। वैवाहिक विवाद संवेदनशील होते हैं और उन्हें समझदारी से निपटाने के साथ ही एक अलग तरह के समाधान की आवश्यकता होती है। अदालती मामले में विवाद और आरोपों की प्रक्रिया में शामिल हो जाते हैं, एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं और अपने दावों पर जोर देते हैं। यह विवादों, विशेष रूप से वैवाहिक विवादों को अलग तरीके से देखने और वैकल्पिक तरीकों या एडीआर प्रक्रिया के माध्यम से उनके सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए कहता है।

एडीआर की आवश्यकता और उद्भव – वैश्वीकरण और उदारीकरण के साथ, आवश्यकता है शीघ्रता से विवाद का समाधान लगातार बढ़ रहा है। इसलिए मुकदमेबाजी से पहले और बाद के विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान का रास्ता खोजने पर जोर दिया जाता है। एक वैकल्पिक प्रक्रिया की आवश्यकता को न्यायिक सुधारों और न्याय तक पहुंच प्राप्त करने के एक अभिन्न अंग के रूप में मान्यता दी गई है। यह न्यायविदों और न्याय प्रशासन में शामिल लोगों द्वारा किए गए निरंतर प्रयासों का परिणाम है। एक वैकल्पिक, पूरक और पूरक पद्धति की खोज जो कम लागत वाली, तेज गति, कम बोझिल और तनावपूर्ण नहीं होगी, ने एडीआर की अवधारणा को जन्म दिया। एडीआर मुकदमेबाजी के माध्यम से विवादों को सुलझाने के पारंपरिक साधनों को पूरी तरह से विस्थापित नहीं करता है बल्कि मुकदमेबाजी के निपटान के वैकल्पिक विकल्प प्रदान करता है। कोर्ट के विपरीत जहां कोई जीतता है या हारता है ('जीत-हार'), एडीआर एक बहुत कम प्रतिकूल तकनीक है जो दोनों पक्षों के लिए 'जीत-जीत' की स्थिति हासिल करने का प्रयास करती है। एडीआर पर भारत के विधि आयोग की विभिन्न रिपोर्टें इसे बेहतर संघर्ष नियंत्रण के लिए आधुनिक समय में अधिक से अधिक प्रासंगिकता प्राप्त करने का प्रस्ताव देती हैं। सदियों से, प्रत्येक समुदाय ने विभिन्न प्रकार के विवाद समाधान विधियों का अभ्यास किया है। ऐतिहासिक रूप से, अनौपचारिक विवाद समाधान की संस्कृति लगभग हर समुदाय और देश में अंतर्निहित है।

एडीआर (Alternative Dispute Resolution) के लाभ – वैवाहिक संघर्ष समाधान प्रक्रिया में विभिन्न तकनीकों का उपयोग किया जा सकता है। इस उद्देश्य के लिए उपयोग की जाने वाली महत्वपूर्ण तकनीकों में बातचीत, मध्यस्थता, परामर्श और सुलह शामिल हैं। मध्यस्थता जैसी प्रक्रिया जिसे सहायक वार्ता के रूप में संदर्भित किया जाता है, पक्षकारों को अपने लाभों को मोलभाव करने की अनुमति देती है। वे प्राकृतिक न्याय के कुछ मूलभूत सिद्धांतों का पालन करते है, लंबे साक्ष्य या गवाह परीक्षण प्रक्रिया के बिना और मुकदमेबाजी के विपरीत जो प्रतिकूल है। मध्यस्थ की तरह एडीआर प्रैक्टिशनर एक ऐसा माहौल बना सकता है जिसमें पक्षकारगण अपने विवादों को सौहार्दपूर्ण और रचनात्मक तरीके से सुलझा सकती हैं,[7] उनके बीच असंतोष और असंतोष के अंतर्निहित मूल कारण के बारे में जागरूकता के साथ एडीआर प्रक्रिया प्रभावी रूप से संचार की सुविधा प्रदान करती है, लोगों को समस्या से अलग करती है और गतिरोध और भावनात्मक रुकावट से ऊपर उठने में उनकी मदद करती है। आज के दौर की सबसे बड़ी समस्या है *समय का अभाव* एडीआर समय के व्यय और रूपयों के व्यय को बचाने के लिए उत्तम और सबसे लाभकारी माध्यम है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. मिशेल, 1979 (पृष्ठ 119)
2. राव, 2007 (पृष्ठ 327)
3. सिंह 2009 (पृष्ठ 508)
4. सहगल और शेरजंग में वाधवा, 1997 (पृ. 2)
5. https://www.thequint.com/news/india/not-so-happily-ever-after-yet-india-has-a-low
6. सहगल और शेरजंग में माथुर, 1997 (पृ. 40)
7. दिल्ली मध्यस्थता केन्द्र की वार्षिक रिपोर्ट (2005-2006)

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XL

A Comparative Study of Government and Private Secondary School Students in Respect to Their Intelligence, Creative Ability and Task Commitment

Dr. Ritu Bala* Meetu Sharma**

*Professor (Education) Tantia University, Sri Ganganagar (Raj.) INDIA
** Ph. D. Scholar, Tantia University, Sri Ganganagar (Raj.) INDIA

Abstract - The main objective of the present study is to compare the government and private secondary school students in respect to their Intelligence, Creative ability and Task Commitment. The study was conducted on a sample of 600 studentsstuding in Secondary Schools. For this Ravens Progressive Matrices (RPM) by John C. Raven (1936), Verbal Test of Creativity by Baqer Mehdi (2009) and Academic Task Commitment Checklist (ATC) developed by researcher were used. The results indicate thatthere significance difference between thegovernment and private secondary school students in respect to their Intelligence, Creative ability and Task Commitment.
Keywords - Comparative, Intelligence, Creative ability, Task Commitmentand students.

Introduction - In today's highly competitive world, education plays a key role in the success and prosperity of individuals. Education is the process by which society deliberately transfers its cultural values, its accumulated knowledge, values and skills from generation to generation. This process has continued since human birth, thinking, learning and making homosapien since the beginning of human civilization. Education is essential for human development and the advancement of society, the nation and the world as a whole in this age of globalization, the advent of communication and digital technology.In fact, thousands of thinkers, philosophers, and scholars have examined not only the need and value of education in human life but also their educational systems, making sustainable human development from time immemorial to a better understanding of the contribution to making the world of education better.

Creativity is an amazing skill and work that stands out in one or more of the shows presented by someone.Creating does not have the same meaning and ingenuity. Children are called intelligent when they have rich stores and a variety of schemata, pictures, symbols, concepts and rules and use them effectively and efficiently during speech. Children are considered creative when they use these units in a real and constructive way. Although many intelligent children are not good creative ability, most creative children are quite intelligent.

Based on that explanation, highly creative students should have high commitment to the task. In fact, the tasks are carried out when approaching a fixed time to be collected. Student commitment to finish task becomes the form of responsibility through self-consciousness of each student. Almost every student has dreams and ambitions to achieve, but in reality not all students are fully committed to making their dreams come true. The statement said that every student who wants to succeed in achieving not only has a desire but must also be committed to achieving it.

In fact, every student has a desire, but not everyone has a commitment to use it. Therefore, students need to be fully committed. It can be done by cultivating the wisdom that comes from within him. The creativity is able to support someone to do activities with more vibrant.

Need of the study: The idea that education is the delivery of knowledge, skills and knowledge from teachers to students is a small idea. Education in its broadest sense is any art or experience that has a formative effect on mind, character or physical ability of an individual. In that sense an educated person is able to perceive accurately, think clearly and act effectively to achieve self-selected goals. We need to get the best of education that we want too. It is worth to have the knowledge, intellect and the capacity to participate at global level that can change our life tremendously.

Education is a coherent development of all the powers of person-physically, mentally and spiritually. Therefore, it is necessary in life. Education serves as a catalyst for better health, a desirable life in society. Education is the most important human resource. It is necessary for him to survive.

It gives one courage and fearlessness. Education creates a healthy, prosperous and meaningful environment in which a person is engaged in deep, visual and academic work. Education not only contributes to the building of

character, morality and ingenuity but also has the potential for productivity and the ability to do one's job well.

The purpose of education is not simply to acquaint oneself with certain skills and abilities. There is no denying the fact that the ability to create is present in every child and that it is unique to each individual. For some children, the desire for art is strong enough to gain exposure. For others, it is a subterfuge, waiting for an opportunity to express themselves.

The relationship between ingenuity and art is not entirely clear, although recent research suggests that intelligent people naturally crave higher levels of art. Research also suggests that intelligence and ingenuity are intertwined, meaning that a wise person has great potential for creativity, and vice versa. This is contrary to the earlier notion that intelligence raises intelligence levels.

Therefore, in the current context the researcher after a careful review of various studies in the review found that it is important to understand the ingenuity, creativity and commitment of educational activities between government and high school students designed to cater for the needs of skilled rural children. Teachers of public schools are selected at the state level from time to time training by the Government of Rajasthan, which is expected to provide children with a quality education. Therefore, in this context the researcher feels the need to compare whether public and private high school students are equal, to some degree so that the recommendations that need to be given to these schools focus on the necessary care of teachers for these student.

It is therefore interesting to see how students differ in their high order skills with a specific focus in terms of ingenuity, ingenuity and commitment to work. From this basic perspective, the need for a study to explore the relationship of intelligence, Commitment of work and creative ability of students seems to be of paramount importance.

Statement of Problem-"A Comparative study of government and private secondary school students in respect to their Intelligence, Creative ability and Task Commitment"

Objective of the study:

1. To compare the significance difference between the Intelligence of Government and Private secondary school.
2. To compare the significance difference between the Creative ability of Government and Private secondary school.
3. To compare the significance difference between the Task Commitment of Government and Private secondary school students.

Hypothesis of the study :

1. There will be no significance difference between the Intelligence of Government and Private secondary school students.
2. There will be no significance difference between the Creative ability of Government and Private secondary school.
3. There will be no significance difference between the Task Commitment of Government and Private secondary school students.

Method : Researcher choose survey method for this research work.

Sample of the study : For this purpose, the investigator contacted the school heads of various govt. and private secondary schools of Sri Ganganagar district of Rajasthanand collect the data of 600 student's.

Tools used :

1. Ravens Progressive Matrices (RPM): by John C. Raven (1936).
2. Verbal Test of Creativity: by Baqer Mehdi (2009)
3. Academic Task Commitment Checklist (ATC): Selfmade developed by researcher

Statistical techniques : Mean, standard deviation,t-test were used to analyse the data.

Data analysis :

1. There will be no significance difference between the Intelligence of Government and Private secondary school students

Table – 1: Showing the difference between the Intelligence of Government and Private secondary school students.

Variable	N	Mean	Std. Deviation	df	t-value
Government School Student	300	77.42	11.887	598	3.648
Private School Student	300	80.82	10.332		

To test the hypothesis that there will be no significance difference between the Intelligence of Government and Private secondary school students. The calculated t-ratio of Intelligence of Government and Private secondary school students was found to be 3.648 which is more than 1.96 at 0.05 significance level and 2.59 at 0.01 significance level , so it is concluded that there was significant difference between Intelligence of Government and Private secondary school students. So, hypothesis of the study that there will be no significance difference between the Intelligence of Government and Private secondary school students rejected. Therefore the Intelligence of Government secondary school students has been found unequal among Private secondary school students.

2. There will be no significance difference between the Creative ability of Government and Private secondary school.

Table – 2: Showing the mean comparison of the Creative ability of Government and Private secondary school. (N = 600)

Variable	N	Mean	Std. Deviation	df	t-value
Government School Student	300	25.59	9.061	598	4.40
Private School Students	300	28.69	8.175		

To test the hypothesis that there will be no significance difference between the Creative ability of Government and Private secondary school students. The calculated t-ratio of Creative ability of Government and Private secondary school students was found to be 4.400 which is more than 1.96 at 0.05 significance level and 2.59 at 0.01 significance level , so it is concluded that there was significant difference between Creative ability of Government and Private secondary school students. So, hypothesis of the study that there will be no significance difference between the Creative ability of Government and Private secondary school students rejected. Therefore the Creative ability of Government secondary school students has been found unequal among Private secondary school students.

3. There will be no significance difference between the Task Commitment of Government and Private secondary school students.

Table – 3: Showing the mean comparison of the Task Commitment of Government and Private secondary school students. (N = 600)

Variable	N	Mean	Std. Deviation	df	t-value
Government School Student	300	69.80	11.304	598	5.132
Private School Student	300	76.06	8.885		

To test the hypothesis that there will be no significance difference between the Task Commitment of Government and Private secondary school students. The calculated t-ratio of Task Commitment of Government and Private secondary school students was found to be 5.132 which is more than 1.96 at 0.05 significance level and 2.59 at 0.01 significance level, so it is concluded that there was significant difference between Task Commitment of Government and Private secondary school students. So, hypothesis of the study that there will be no significance differencebetween the Task Commitment of Government and Private secondary school students rejected. Therefore the Task Commitment of Government secondary school student's has been found unequal among Private secondary school students.

Findings of the study: Based on the research findings and conclusions, this study suggests several best implications for developing student intelligence,Creative ability.Intelligence is a great asset and a virtue among children which needs to be assessed and nurtured by schools and community. Teachers in schools are to be aware of these potentialities and work towards nurturing the same Creativity refers to novel products of value and a virtue, possibilities that may be useful in solving problems among children which needs to be assessed and nurtured by schools and community.

References :-

1. **Abdul Salam, J. M; Abdul, R. (2009)** "The level of commitment and its relation to Students" Achievement as perceived by English Language teachers in Public Schools
2. **Agarwal, S.** A Study of Creativity as a Function of Self-Esteem, Risk-Taking and Home Background. Doctoral Dissertation in Education, Agra Univ. Cited in M.B.Buch IIIrd Survey
3. **Bhargava, Mahesh (2007):** "Modern Psychological Testing and Measurement", Agra, H.P: Bhargava Book House.
4. **Bhaskar R.S.V. (2008).** Creativity of Student Teachers of College of Education, Edutracks 7(12).
5. **Dagaur, B.S.** : A Study of relationship Between Anxiety and Creative Thinking, Ph. D., Education, Delhi University, 1982.
6. **Dey. B. (1984)**. The relationship of creativity to intelligence and academic achievement of national rural talent scholarship awardees, Ph.D. Education, Utkal University.
7. **Kaul, L. (1997).** Methodology of Educational Research. New Delhi: Vikash Publishing House Pvt. Ltd.
8. **Khire, U.S. (1982).** Creativity in relation to intelligence and personality factor,Doctoral Dissertation in Psychology Puna University, 1971, as cited by Passi in Creativity in Education Agra: National Psychological Corporation.
9. **Prakash, A.O.**: Understanding the Fourth Grade Slump-A Study of the Creative Thinking Abilities of Indian Children, Master's Dissertation, University of Minnesota, 1966.
10. **Singh, R.B., Mathur, S.R. and Saxena, S. (1977).** Creativity as related to Intelligence Achievement and Security- security, Indian Psychological Review, 14(9).
11. **Suman (2009)**. A Study of Learning Achievement in Science of Students in Secondary Schools in Relation to their Metacognitive Skills and Emotional Competence. An Published Thesis, Institute of Advanced Studies in Education (IASE), Jamia Millia Islamia
12. **Vijayalakshmi, J. (1980)**. Academic achievement and socio-economic status as predictors of creative talent, Journal of Psychological Researches, 24 (1-2), 43-47.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XL

मध्य प्रदेश में असंगठित क्षेत्र के लिए संचालित संबल योजना का अध्ययन

रेणुका पाटीदार*   डॉ. प्रवीण ओझा**

* वाणिज्य विभाग, भेरूलाल पाटीदार शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, महू, जिला इन्दौर (म.प्र.) भारत
** विभागाध्यक्ष (वाणिज्य) भेरूलाल पाटीदार शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, महू, जिला इन्दौर (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – असंगठित क्षेत्र वह क्षेत्र है, जो मूल रूप में ग्रामीण आबादी से बना है। यह क्षेत्र सरकार द्वारा पूर्णत: पंजीकृत नहीं है। देश की अर्थव्यवस्था में 60% से अधिक का योगदान देने वाले असंगठित क्षेत्र का कुल कामगार आबादी में 93% हिस्सा है। यह वह लोग है जो गावो में परम्परागत पेशे में रत है या शहरों और महानगरो में आकर आजीविका तलाशने का प्रयास करते है। गावो में परंपरागत पेशेवर, भूमिहीन व छोटे किसान भी इसी श्रेणी का हिस्सा है।

शासन द्वारा इस वर्ग के मजदूरों को लाभ पहुचने के लिए समय-समय पर अनेक योजनाओं को प्रारंभ किया जाता है। केद्र सरकार के द्वारा भिन्न-भिन्न योजनाए देश भर में निम्न आय वर्ग के लोगो के लिए संचालित की जाती है। केंद्र सरकार के अतिरिक्त देश में अलग-अलग राज्यों की सरकारों द्वारा भी भिन्न-भिन्न प्रकार की योजनाए संचालित की जाती है। उन्ही में से एक योजना संबल योजना है, जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2018 को म. प्र. के समस्त में लागू की गई। इसे मुख्यमंत्री जनकल्याण योजना भी कहा जाता है।

इस अध्ययन के द्वारा संबल योजना के माध्यम से असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को जो लाभ प्राप्त हुए है उनका विस्तार पूर्वक अध्ययन किया गया है।

साथ ही संबल योजना की प्रथम सीढ़ी योजना में पंजीयन की प्रक्रिया और समय समय पर योजना में हुए परिवर्तन का भी अध्ययन इस रिसर्च पेपर में किया गया हैं।

संबल योजना में पंजीयन हेतु कियोस्क या म.प्र.ऑनलाइन पर जाना होता है। वहा पात्रता के लिए आवश्यक दस्तावेज जैसे – एस.एस.एस. एम.आई.डी., आधार कार्ड, स्थाई एवं मूल निवासी प्रमाण पत्र बी.पी.एल. कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो और मोब.न. देना होता है एस.एस.एस. एम.आई.डी., आधार कार्ड, स्थाई एवं मूल निवासी प्रमाण पत्र बी.पी.एल. कार्ड में सारी जानकारियों का मिलान होने पर ही पंजीयन होता है। जबकि अधिकांश बार इन सब दस्तावेजों में जानकारियाँ एक जैसी नहीं होती है। अत: श्रमिक एक-दो बार प्रयास करता है। बार बार की भाग दौड़ एवं पंजीयन की कठिन प्रक्रिया के कारण कई श्रमिको का पंजीयन नहीं हो पाता है।

इसी प्रकार योजना में संशोधन से भी पंजीयन में कठिनाइयाँ बड़ी है। म.प्र. में शासन परिवर्तन के कारण जून 2019 में संबल योजना का नाम बदल कर म.प्र. नया सवेरा योजना किया गया तथा पुराने संबल कार्ड को बदल कर नया सवेरा कार्ड बनवाना अनिवार्य किया गया। नया सवेरा कार्ड बनवाने में श्रमिको को फिर वही प्रक्रिया अपनाने की आवश्यकता पडी जो संबल कार्ड बनाने में की थी। अधिकांश श्रमिको के पूर्व अनुभव बहुत कडवे थे इस कारण उन्होंने पुन: प्रयास नहीं किये और संबल योजना में पंजीयन की दर में ओर अधिक कमी आई।

असंगठित क्षेत्र का विभाजन – भारत सरकार के श्रम मंत्रालय द्वारा असंगठित श्रम बल के अनुसार व्यवसाय, रोजगार की प्रकृति, विशेष रूप से व्यथित श्रेणियों और सेवा श्रेणियों के आधार पर चार समूहों में वर्गीकृत किया गया है:

1. **व्यवसाय के संदर्भ में–** छोटे और सीमांत किसान, भूमिहीन खेतिहर मजदूर, हिस्सा साझा करने वाले, मछुआरे, पशुपालक, बीड़ी रोलिंग करनेवाले, ईंट भट्टों और पत्थर खदानों में लेबलिंग और पैकिंग करनेवाले, निर्माण और आधारभूत संरचनाओं में कार्यरत श्रमिक, चमड़े के कारीगर, बुनकर, कारीगर, नमक मजदूर, तेल मिलों आदि में कार्यरत श्रमिकों इस श्रेणी के अंतर्गत माना गया है।
2. **रोजगार की प्रकृति के संदर्भ में–** संलग्न खेतिहर मजदूर, बंधुआ मजदूर, प्रवासी मजदूर, अनुबंधी और दैनिक मजदूर इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं।
3. **विशेष व्यथित श्रेणियों के संदर्भ में–** ताड़ी बनाने वाले, सफाईकर्मी, सिर पर भार ढोने वाले, पशु चालित वाहन वाले श्रमिक इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं।
4. **सेवा श्रेणियों के संदर्भ मे–** घरेलू कामगार, मछुआरे और महिलाएं, नाई, सब्जी और फल विक्रेता, न्यूज पेपर विक्रेता आदि इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं।

मध्य प्रदेश जनकल्याण अथवा संबल योजना – मुख्य मंत्री जनकल्याण अथवा संबल योजना असंगठित श्रमिको की सामाजिक सुरक्षा और उनके सभी तरह के हितो का ध्यान रखते हुए 1 अप्रैल 2018 से पूरे मध्य प्रदेश में लागू की गई। संबल योजना का उद्देश्य निम्न आय वर्ग के लोगो को अधिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत असंगठित श्रमिको की सहायता के लिए निम्न योजनाए संचालित की जा रही है।

1. **सरल बिजली बिल योजना–** इस योजना के तहत मजदूर के परिवार को 200/ रूपये के मासिक शुल्क पर बिजली मिलेगी। इस स्कीम का लाभ लेने हेतु गरीब परिवार के लोग MPenergy.nic.in से ऑन लाइन आवेदन दे सकते है। लेकिन इस योजना का लाभ लेने के लिए परिवार का गरीबी रेखा से नीचे होना जरूरी है।
2. **अनुग्रह सहायता योजना–** पंजीकृत असंगठित श्रमिक (जिनकी

आयु 60 वर्ष से आधिक ना हो) की मृत्यु हो जाने पर उसके उत्तराधिकारी को 400000/– रूपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी। स्थाई अपंगता की दशा में भी अनुग्रह सहायता 200000/– रूपये जाती है। दुर्घटना में अस्थाई अपंगता होने पर 100000/– रूपये की अनुग्रह राशि का भुगतान किया जाएगा।

3. **शिक्षा प्रोत्साहन योजना–** पंजीकृत असंगठित श्रमिको की संतानो को नि:शुल्क शिक्षा योजना का लाभ मिलता है। इस योजना के अंतर्गत असंगठित क्षेत्र के बच्चो को उच्च शिक्षा के अवसर प्रदान किये जाएगे।

4. **नि:शुल्क चिकत्सा योजना–** इस योजना के अंतर्गत निम्न वर्ग के लोगो को विशेष चिन्हित बीमारियों के लिए एक तय सीमा तक मुफ्त में इलाज कराने की सुविधा प्रदान की जाएगी। योजना के अनुसार उन विशेष बीमारियों के लिए आवेदक 200000/– तक का इलाज करा सकता है। यह सहायता राशि तभी प्रदान की जाएगी जब योजना से जुड़े अथवा मान्यता प्राप्त चिकित्सालय से इलाज करवाया जाएगा।

5. **प्रसूति सहायता योजना–** इस योजना के तहत गर्भावस्था के दौरान निर्धारित अवधि में अंतिम तिमाही तक चिकित्सालय अछ्य द्वारा प्रसव पूर्व जाच करवाने पर 4000/– की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी तथा प्रसव के पश्चात 12000/–की सहायता प्रदान की जाती है।

6. **अंत्येष्टि सहायता योजना–** इसमें पंजीकृत असंगठित श्रमिक की मृत्यु होने पर श्रमिक के उत्तराधिकारी को अंत्येष्टि के लिए तत्काल 5000/ – रूपये की आर्थिक सहायता ग्राम पंचायत द्वारा प्रदान की जाएगी।

7. **उपकरण सहायता योजना–** इसमें निम्न वर्ग के लोगो, उनके जीवन यापन के कार्य में जिस भी प्रकार के उपकरण की आवश्यकता होगी, उस उपकरण की खरीदी हेतु ऋण प्रदान किया जाएगा, हालांकि ऋण लौटाते समय उस ऋण में एक विशेष छुट प्रदान की जाएगी।

साहित्य पुनरावलोकन – मिश्रा विवेक(30 अप्रेल 2020), डाउन टू अर्थ ऑनलाइन प्लेटफोर्म पर 'असंगठित मजदूर क्यों हो रहे हैं अपने अधिकारों से वंचित' विषय पर अपनी रिपोर्ट में निष्कर्ष निकाला है कि स्वंतत्र रूप से प्रवासी मजदूरों की असंगठित क्षेत्र में तादाद बढ़ रही है, इस तरह वे समूह पर लागू होने वाले कानूनी प्रावधानों और सुरक्षा के दायरे से बाहर हो जाते है। भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक को देशभर में कहीं भी स्वतंत्रता के साथ रहने और बसने व काम करने की इजाजत देता हो लेकिन पलायन करने वाले असंगठित मजदूरों को सामाजिक, स्वास्थ्य और कानून से जुड़े तमाम बुनियादी फायदों से आज भी वंचित होना पड़ता है। आवास एवं शहरी गरीब अपशमन मंत्रालय के 18 सदस्यीय वर्किंग ग्रुप ने पलायन पर तैयार अपनी रिपोर्ट के एक हिस्से में ऐसे मजदूरों के लिए कानूनी, सामाजिक और स्वास्थ्य सुरक्षा तय करने के लिए कई अहम सफारिशें की हैं। इसमें कहा गया है कि पोर्टेबिलिटी, विशेष पहचान पत्र, स्वास्थ्य सेवाओं की व्यापकता जैसे विषयों पर काम हो तो प्रवासी मजदूरों की समस्याओं को कुछ हद तक कम किया जा सकता है।

महिला श्रमिकों के हाथ जनसत्ता (अगस्त 25, 2019) देश में करीब तेरह करोड़ महिलाएं श्रमिक के रूप में काम करती हैं। शहरों की तुलना में ग्रामीण इलाकों में महिला श्रमिकों की संख्या कहीं अधिक है। इस तरह देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में इनकी बड़ी भूमिका है। मगर इनमें से ज्यादातर महिलाएं असंगठित क्षेत्र में काम करती हैं, जिनकी मजदूरी और अन्य सुविधाओं में बहुत भेदभाव किया जाता है। उनकी बुनियादी जरूरतों और पोषण, स्वास्थ्य तक का उचित ध्यान नहीं रखा जाता। ऐसे में हाल में पारित हुए मजदूरी संहिता विधेयक से महिला श्रमिकों की सम्मानजनक स्थिति बनने की उम्मीद जगी है।

राजे उषा एवं गुप्ता महेश, वाल्यूम 12(1) (मार्च 2019), वाणिज्य विभाग, श्री अटल बिहारी वाजपेयी शा. कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय इंदौर, भारत, इस लेख में असंगठित क्षेत्र में प्रमुख रूप से निर्माण क्षेत्र में कार्य करने वाले, कृषि, ठेले पर व्यवसाय करने वाले, खदानों आदि में कार्य करने वाले श्रमिको को शामिल किया गया है। इन्होने इस परिकल्पना 'निर्माण श्रमिको की सामाजिक सुरक्षा योजनाओ के लाभ प्राप्ति में अशिक्षा बाधक है।' को लेकर इस रिसर्च को पूर्ण किया है। तथ्यों एवं सूचनाओ का संकलन प्राथमिक एवं द्वितीयक स्त्रोतों के माध्यम से किया गया है। 100 श्रमिको को न्यादर्श के रूप में चुना गया है जो कि देवनिर्देशन पद्धति से लिया गया है तथा इस रिसर्च पेपर में इनकी परिकल्पना स्वीकृत भी हो गई है।

मिश्रा पुष्पा, (2019), सहायक आचार्य, समाज कार्य विभाग, जैन विश्वभारती संसथान, राजस्थान ने 'खदान में काम करने वाले श्रमिको की समस्याओ एवं कल्याणकारी प्रावधान : एक अध्ययन (डीडवाना तहसील नागौर, राजस्थान के विशेष संदर्भ मे)' विषय पर अपने शोध कार्य में डीडवाना तहसील में कार्य करने वाले श्रमिको के कार्यस्थल पर होने वाली समस्याओ का अध्ययन किया है। खदान में कार्यरत श्रमिको को सरकारी प्रावधानों, कल्याणकारी कार्यक्रमों एवं नीतियों का समुचित लाभ मिल पाता है। खदान में कार्य करने वाले श्रमिको को वेतन, कार्य के घंटे, अवकाश, प्रोत्साहन आदि के सम्बन्ध में संतोषजनक स्थिति नहीं होती है। इन्ही परिकल्पनाओ के साथ इस शोध कार्य को किया गया है। इस शोध में कुल 50 उत्तरदाताओ का चयन देवनिर्देशन विधी द्वारा किया गया है। यह श्रमिक बजरी खनन का कार्य करते है। प्रस्तुत अध्ययन में प्राथमिक एवं द्वितीयक आंकड़ो का प्रयोग किया गया है। इसमे कारखाना अधिनियम 1948 का विस्तृत अध्ययन भी किया गया है।

एस. बानू, रशीदा और कुमार संपत (अप्रैल 2018) इस रिसर्च पेपर में बताया गया है कि असंगठित क्षेत्र के निर्माण कार्य में लगे मजदूरो में 33% महिलाए शामिल है। जिन्हें कार्यस्थल पर बहुत सारी समस्याओ का सामना करना पड़ता है। अधिकतर महिलाये कार्य के कौशल में निपुण नहीं है। यह एक विवरणात्मक रिसर्च है ,इसमे 63 महिलाओ का न्यादर्श लिया गया है जो कि थुरईयुर, तमिलनाडु से है। यह रिसर्च प्राथमिक आंकड़ो पर आधारित है। इस अध्ययन में निर्माण कार्य में लगी थुरईयुर जिले की महिलाओ के कार्यस्थल, मजदूरी, भेदभाव, शोषण आदि पर ध्यान आकर्षित किया गया है।

अध्ययन का औचित्य या उद्देश्य:

1. असंगठित क्षेत्र के श्रमिको की आर्थिक स्थिति का अध्ययन करना।
2. असंगठित क्षेत्र के श्रमिको के लिए मध्य प्रदेश शासन की संबल योजना का अध्ययन करना।
3. मध्य प्रदेश द्वारा लागु अन्य योजनाओ का संक्षिप्त अध्ययन करना।
4. संबल योजना की पंजीयन प्रक्रिया का अध्ययन करना।
5. संबल योजना की सफलता या असफलता का अध्ययन करना।
6. संबल योजना से लाभान्वित लाभार्थी के जीवन स्तर का अध्ययन करना।
7. असंगठित क्षेत्र के मजदूरो के शैक्षणिक स्तर का अध्ययन करना।

परिकल्पना:

1. असंगठित क्षेत्र के श्रमिको की आर्थिक स्थिति दयनीय है।
2. संबल योजना का प्रचार मध्य प्रदेश शासन ठीक से नहीं कर पाया है।
3. संबल योजना की पंजीयन प्रक्रिया जटिल है।
4. संबल योजना का लाभ असंगठित क्षेत्र के अधिकतर श्रमिक नहीं ले पाए है।
5. संबल योजना के लभार्थी के जीवन स्तर को बढाती है।
6. असंगठित वर्ग आज भी शिक्षा के प्रति जागरूक नहीं है।

शोध प्रविधि – इस शोध कार्य में विश्लेषणात्मक शोध उपकरण का प्रयोग किया गया है। प्राथमिक समंको का उपयोग किया गया है। सर्वेक्षण हेतु बंद प्रश्नावली का प्रयोग किया गया है तथा असंगठित क्षेत्र के 100मजदूरो को न्यादर्श के रूप में चुना गया है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिको के आर्थिक स्तर के अध्ययन को तालिका द्वारा निम्न प्रकार से दर्शाया गया है :-

तालिका क्रमांक 01: सर्वेक्षण के आधार पर असंगठित क्षेत्र के श्रमिको का आर्थिक स्तर

क्र.	आर्थिक स्तर	उत्तरदाताओ की संख्या	प्रतिशत
1	अत्यंत गरीबी रेखा	13	13%
2	गरीबी रेखा	76	76%
3	गरीबी रेखा से ऊपर	11	11%
4	योग	100	100%

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि 100 श्रमिको में से 89 असंगठित क्षेत्र के श्रमिक गरीबी रेखा के नीचे होने के कारण संबल योजना का लाभ लेने के लिए पात्र है जबकि 11 श्रमिक गरीबी रेखा से ऊपर होने के करण संबल योजना का लाभ लेने के लिए अपात्र है। इस स्थिति को सरलता से निम्न तालिका से समझा जा सकता है :-

तालिका क्रमांक 02: तालिका क्र 01 के आधार पर संबल योजना हेतु पात्र एवं अपात्र श्रमिको की संख्या एवं प्रतिशत

क्र.	सर्वे किये गए कुल श्रमिको की संख्या	योजना के लिए पात्र श्रमिको की संख्या एवं प्रतिशत	योजना के लिए अपात्र श्रमिको की संख्या एवं प्रतिशत
1	100 (100%)	89 (89%)	11 (11%)

अत: स्पष्ट है कि असंगठित क्षेत्र के 89% श्रमिक संबल योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता रखते है।

तालिका क्रमांक 03: तालिका क्रमांक 02 के अनुसार पात्र श्रमिको की शिक्षा का स्तर

क्र.	शैक्षणिक योग्यता	उत्तरदाताओ की संख्या	प्रतिशत
1	अशिक्षित	33	37.08
2	साक्षर	19	21.36
3	प्राथमिक स्तर	12	13.48
4	माध्यमिक स्तर	12	13.48
5	हाई स्कूल स्तर	8	08.98
6	हायरसेकण्ड्री स्तर	5	05.62
7	योग	89	100.00

उपरोक्त तालिका क्रमांक 03 के अध्ययन से स्पष्ट है कि असंगठित क्षेत्र के ऐसे श्रमिको का, जो संबल योजना के लिए पात्र है, शिक्षा का स्तर अत्यंत निम्न है। जिनमे अशिक्षित श्रमिको का प्रतिशत 37.08% , जो केवल अक्षर ज्ञान रखते है(साक्षर) उनका प्रतिशत 21.36% , प्राथमिक स्तर तक शिक्षित श्रमिको का प्रतिशत 13.48% , माध्यमिक स्तर तक शिक्षित श्रमिको का प्रतिशत 13.48% ,हाई स्कूल स्तर तक शिक्षित श्रमिको का प्रतिशत 08.98% तथा हायरसेकण्ड्री स्तर तक शिक्षित श्रमिको का प्रतिशत 05.62% है।

तालिका क्रमांक 04: पात्र असंगठित क्षेत्र के श्रमिको को संबल योजना की जानकारी का स्तर

क्र.	संबल योजना की जानकारी	पात्र श्रमिको की संख्या	प्रतिशत
1	हाँ	53	59.55
2	नहीं	36	40.45
3	योग	89	100.00

उपरोक्त तालिका क्रमांक 04 में स्पष्ट है कि सर्वेक्षण में पात्र पाए गए असंगठित क्षेत्र के 89 श्रमिको में से 53 (59.55%) श्रमिको को संबल योजना की जानकारी है जबकि 36(40.45%) श्रमिको को संबल योजना की जानकारी ही नहीं है। आगे योजना की जानकारी रखने वाले 53 श्रमिको की पंजीयन की स्थिती निम्नानुसार है।

तालिका क्रमांक 05: संबल योजना की जानकारी रखने वाले पात्र 53 श्रमिको के पंजीयन की स्थिति

क्र.	पंजीयन की स्थिति	श्रमिको की संख्या	प्रतिशत
1	पंजीकृत है	37	69.82
2	पंजीकृत नहीं है	16	30.18
3	योग	53	100.00

उपरोक्त तालिका के अध्ययन से स्पष्ट है कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिको में संबल योजना हेतु पात्र श्रमिको में जानकारी रखनेवाले श्रमिको में से 69.82% श्रमिक योजना में पंजीकृत है जबकि जानकारी होने के बाद भी 30.18% श्रमिक योजना में पंजीकृत नहीं है।

तालिका क्रमांक 06: संबल योजना अंतर्गत विभिन्न योजनाओ का लाभ लेने वाले श्रमिको की जानकारी

क्र.	योजनाओं के नाम	लाभ लेने वाले श्रमिको की संख्या प्रति योजना कुल 37 में से	प्रतिशत
1	नि:शुल्क चिकित्सा प्रसूति सहायता योजना	20	54.05
2	सरल बिजली बिल योजना	35	94.59
3	शिक्षा प्रोत्साहन योजना	20	54.05
4	अन्त्येष्टि सहायता योजना	05	13.51
5	बकाया बिजली बिल माफी योजना	30	81.08
6	अनुग्रह सहायता योजना	08	21.62
7	रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण योजना	04	10.81
8	उन्नत व्यवसाय हेतु उपकरण अनुदान योजना	00	00.00

उपरोक्त तालिका के अध्ययन से स्पष्ट है कि संबल योजना में पंजीकृत श्रमिको ने सबसे ज्यादा (94.59%) सरल बिजली बिल योजना का लाभ लिया जबकि उन्नत व्यवसाय हेतु उपकरण अनुदान योजना का

लाभ(00.00%) किसी ने नहीं लिया तथा एक लाभार्थी परिवार द्वारा एक से ज्यादा योजनाओ का लाभ भी लिया गया है।

तालिका क्रमांक 07: संबल योजना का लाभ प्राप्त नहीं कर पाने के कारणों की जानकारी

क्र.	योजना का लाभ प्राप्त नहीं कर पाने का कारण	श्रमिको की संख्या	प्रतिशत
1	पात्रता श्रेणी में नहीं आ पाना	11	11
2	अशिक्षा	37	37
3	जानकारी का अभाव	41	41
4	पंजीयन प्रक्रिया का जटिल होना	11	11
5	योग	100	100

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि अशिक्षा और जानकारी का अभाव दो मुख्य कारण है जिनके कारण असंगठित क्षेत्र के क्रमश: 37% और 41% श्रमिक संबल योजना का लाभ नहीं ले पा रहे है साथ ही पात्रता श्रेणी के नियम एवं जटिल पंजीयन प्रक्रिया भी वे कारण है जिनसे संबल योजना का लाभ क्रमश: 11% और 11% श्रमिक नहीं ले पा रहे है।

खोज – अनुसन्धान के दौरान सबसे बड़ी समस्या जो प्रकाश में आई वह पंजीयन प्रक्रिया की जटिलता है। जहा श्रमिक को स्वयं सारी प्रक्रिया पूर्ण करना पड़ती है जो उसके सामर्थ्य से काफी कठिन होती है। असंगठित क्षेत्र के अधिकांश श्रमिक अशिक्षित एवं निम्न शिक्षा स्तर वाले है, जिन्हें इस प्रक्रिया का पालन करने में अत्यधिक कठिनाई होती है। सर्वप्रथम तो योजना में पंजीयन हेतु पात्रता की सामान्य जानकारी प्राप्त करना ही इनके लिए कठिन है। क्योकि यह जानकारी कियोस्क या म.प्र. ऑनलाइन पर ही मिलाती है। फिर पात्रता के लिए सारे आवश्यक दस्तावेज इनके पास उपलब्ध नहीं होते है। क्योकि पंचायत स्तर पर इन्हे कोई जानकारी नहीं देता है और इन्हे पता नहीं होता है कि इन्हे कौन कौन से दस्तावेज बनाने चाहिए तो ये कौई प्रयास ही नहीं करते है।

अत: इसमे सुधार हेतु सुझाव है कि पंजीयन के लिए आवश्यक दस्तावेजो की पूर्ति ग्राम स्तर पर ग्राम सचिव द्वारा एकत्रीकरण कर की जानी चाहिए एवं दस्तावेजो में आवश्यक संशोधन भी ग्राम सचिव द्वारा किये जाकर पात्र श्रमिको का पंजीयन लिस्ट अनुसार स्वयं के लोग इन आईडी और पास वर्ड की व्यवस्था से करना चाहिए।

निष्कर्ष – संबल योजना के लिए असंगठित क्षेत्र के श्रमिको पर किये गए इस अध्ययन से यह निष्कर्ष निकालता है कि पात्रता श्रेणी के जटिल नियम, अशिक्षा, योजना की जानकारी का अभाव और जटिल पंजीयन प्रक्रिया वे मुख्य कारण है जिनके कारण असंगठित क्षेत्र के श्रमिक संबल योजना का लाभ नहीं ले पाते है। इन कारणों को दूर कर संबल योजना को जन जन तक पहुचाने के लिए ठोस कदम उठाने के आवश्यकता है। इन कारणों को दूर करने के लिए आवश्यक सुझाव जो अध्ययन के दौरान दृष्टिगोचर होते है वो निम्नानुसार है:–

1. प्रौढ़ पात्रता श्रेणी के नियमो में संशोधन करने की आवश्यकता है ताकि अधिक से अधिक श्रमिक संबल योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्रता श्रेणी में आ जाए।
2. शिक्षा ,प्रवासी श्रमिको एवं उनके बच्चो की शिक्षा, विशेष रूप से महिला श्रमिको की शिक्षा के लिए विशेष योजनाये बनाकर सामाजिक एवं स्वयं सहायता समूहों की सहायता से उनका सकारात्मक प्रचार प्रसार और क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
3. शिक्षा के महत्व के प्रचार प्रसार हेतु रैली,नुक्कड़ नाटक, जागरूकता अभियान ,पोस्टर रैली आदि कार्यक्रम सामाजिक सहयोग से शासन द्वारा किया जाना चाहिए।
4. संबल योजना का प्रचार प्रसार करने के लिए योजना के महत्व को बताने के लिए प्रत्येक पंचायत स्तर पर शासन द्वारा सामाजिक सहयोग से रैली ,नुक्कड़ नाटक, जागरूकता अभियान और विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया जाना चाहिए।
5. संबल योजना में पंजीयन के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का सरलीकरण होना चाहिए एवं आधुनिक तकनीक के द्वारा SSSM ID और आधार कार्ड को कंप्यूटर के माध्यम से जोड़ना चाहिए ताकि असंगठित क्षेत्र के पात्र श्रमिक स्वत: ही अपनी पात्रतानुसार योजनाओ का लाभ घर बैठे ही प्राप्त कर सके।
6. संबल योजना के क्रियान्वयन में लगे कर्मचारियों का समय समय पर प्रशिक्षण होना चाहिए।
7. ग्राम स्तर पर संबल योजना के क्रियान्वयन की स्थिति के निरीक्षण की मजबूत एवं सतत व्यवस्था होना चाहिए।
8. लाभार्थियों से सतत प्रतिपुष्टि लेने की व्यवस्था होना चाहिए एवं प्रतिपुष्टि के अनुसार आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाने चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. http://handle.net/10603/61965
2. www.readermaster.com
3. Pmmodiyojna.in=naya savera yojna
4. www.yinaricalexpres.com
5. www.dilsedeshi.com
6. www.dupublication.com
7. Researchgate.net
8. www.hindi2dictionary.com
9. indiascheme.com
10. www.hindiyojna.in MP sambal yojna
11. www.governmentsschemesindia.cfl

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XL

A Comparative Analysis of Equity and Debt Fund

Dr. Rekha Lakhotia* Pinki Pargai**

*Associate Professor, IPS Academy, Indore (M.P.) INDIA
** Research Scholar, School Of Commerce, D.A.V.V.Takshila Parisar, Indore (M.P.) INDIA

Abstract - Mutual fund offers a wide range of investment solutions to meet the different investment needs of individuals. Also, there are different mutual funds that may be suitable for individuals with varying risk appetites. As an investor, you may have different financial goals and different tenures to achieve each of them. Similarly, your risk appetite would vary depending upon the stages of life at which you initiate investment. Therefore, comparing equity funds vs debt funds allows you to make informed investment decisions to achieve your goals.
Keywords- Equity Funds, Debt Funds, Blue chip Fund, UTI tax savings, Templeton Fund.

Introduction - In India mutual fund industry is growing at a rapid speed after liberalization of policy of the government. As the mutual funds industry is offering a wide array of schemes with different structures and objectives, the risk and returns vary. There is a wide scope to evaluate the performance of mutual funds in various dimensions like risk-return, risk adjusted return and return from alternative investments. Mutual Fund is one of the most preferred investment alternatives for the small investors as it offers an opportunity to invest in a diversified and professionally managed portfolio at a relatively low cost. In recent times, the emerging trend in the mutual fund industry is the aggressive expansion of the foreign owned mutual fund companies and the decline of the companies floated by nationalized banks and small private sector players. mutual fund is a company that brings together money from many people and invests it in stocks, bonds or other assets. The combined holdings of stocks, bonds or other assets the fund owns are known as its *portfolio*. Each investor in the fund owns shares, which represent a part of these holdings.

History: The mutual fund industry in India began in **1963** with the formation of the Unit Trust of India (UTI) as an initiative of the Government of India and the Reserve Bank of India. Much later, in 1987, SBI Mutual Fund became the first non-UTI mutual fund in India.

Subsequently, the year 1993 heralded a new era in the mutual fund industry. This was marked by the entry of private companies in the sector. After the Securities and Exchange Board of India (SEBI) Act was passed in 1992, the SEBI Mutual Fund Regulations came into being in 1996. Since then, the Mutual fund companies have continued to grow exponentially with foreign institutions setting shop in India, through joint ventures and acquisitions.

As the industry expanded, a non-profit organization, the Association of Mutual Funds in India (AMFI), was established on 1995. Its objective is to promote healthy and ethical marketing practices in the Indian mutual fund Industry. SEBI has made AMFI certification mandatory for all those engaged in selling or marketing mutual fund products. To select the right mutual fund scheme for your specific investment needs you need to compare equity funds vs debt funds as these are two most important assets. To select the right mutual fund scheme for your specific investment needs you need to compare equity funds vs debt funds as these are two most important assets. Separated by types, sizes, and categories, mutual fund investment instruments are designed for people with varying risk appetites and investment goals. While investors with lower risk appetites tend to gravitate towards debt funds, those with aggressive risk appetites are more likely to invest in equity funds. Let us find out what is equity fund and the various types of equity funds.

Equity fund: An equity mutual fund, simply referred to as an Equity fund, is a mutual fund that attempts to generate relatively higher returns than most other mutual fund categories. An equity fund manager generally invests about 60% of the pooled assets into equity stocks of various companies across varying market capitalisations. Equity funds are typically synonymous with the cliché share-market adage that goes, 'higher the risk, higher the returns. These funds provide better returns compared to debit or hybrid funds. The returns you accrue largely depend on the performance of the companies chosen by the fund manager in the equity fund portfolio

Type of Equity Fund : Multi Cap Fund Large Cap Fund Large & Mid Cap Fund Mid Cap Fund Small Cap Fund Dividend Yield Fund Value Fund/Contra Fund Focused Fund Sectoral/Thematic Fund Equity Linked Savings Scheme

Equity Fund Features:

1. All types of Equity funds are highly liquid investment instruments, except ELSS funds which come with a 3-year lock-in period.
2. Since frequent buying and selling can impact the expense ratio of equity funds, the SEBI has capped the expense ratio on these funds to 2.5%
3. Capital gains from equity funds are taxable in the hands of the investor and depend on whether they stay invested for the short or long term.
4. Due to diversified asset allocation, equity funds also provide investors with opportunities to diversify their investment portfolios.
5. The SEBI regulates all types of equity funds to ensure transparency.

Debts fund: Debt funds invest in 'fixed income instruments' like debentures, corporate and government bonds, certificate of deposits & money market instruments of different time horizons. Such fixed income instruments have a maturity date & generate an interest income like a bank fixed deposit. The main objective is to accumulate wealth by means of interest income and steady appreciation of the fund value. Debt funds do not invest in stocks.

Debt funds are perfect for short term goals that are up to 0-3 years away. Because they don't fluctuate as much as equity funds in value, they have lower associated risk & corresponding lower returns when compared to equity mutual funds. Debt funds are ideal for investment goals where surety is more important than growth. For example, if you are planning to take a vacation to Bali two years from now, you can use a debt fund to save for it.

Debt fund feature: Stability: As Debt Mutual Funds mainly invest in debt securities, they are relatively more stable when compared to equity investments.

Diversification: Debt Mutual Funds invest in a range of interest-bearing instruments such as Treasury Bills, Government Securities, Corporate Bonds, Money Market Instruments and other debt securities.

Lower Risk: Debt funds generally grow at a rate that is either at par with inflation or slightly more. This means they don't grow as much as equity funds. But the slow pace means that they are far more stable in terms of value.

Liquid than FDs: you can withdraw your investments at any time and the money is in your bank account in a few days.

More tax efficient than FDs: Gains on debt mutual funds held for less than 36 months are treated as short term capital gains and taxed as per the income tax slab of the investor. Gains on debt mutual funds held for 36 months or more are treated as long-term capital gains and taxed at the rate of 20% after indexation.

You don't lose even a day's growth: Investment never stops growing till you redeem.

Better Than Fixed Deposits: Debt funds whose returns are more than a conventional fixed deposit instrument for a given time period. Fixed deposit rates vary from bank to bank and in different time periods also. So, a standard annualized rate of 8% p.a. is taken as a benchmark for fixed deposits. The rate is slightly greater than the rate offered by a conventional fixed deposit instrument. The debt schemes which provide better than 8% annualized rate will fall under this category.

1. A fixed deposit is subject to TDS @ 10% (20% for non-PAN users) by the bank if interest income is greater than Rs. 40,000 as per Assessment Year 2020-21, except some exceptions. Please note that FD interest income is taxable as per the income-tax slab rate. So, an individual lying in the higher tax bracket will have to bear additional tax basis his/her tax slab apart from TDS.
2. Debt funds are subject to Short-term Capital Gains tax (upto 3 years) as per income tax slab and Long-term Capital Gains tax (more than 3 years) @ 20% after indexation.
3. No Securities Transaction Tax on sale of debt fund units.

Conclusion: Now that you know what is equity fund and its types, you can consider this investment. As mentioned earlier, equity funds are ideal for investors with higher risk appetites. Like all mutual funds, these funds too are managed by professional fund managers. Furthermore, you can invest a lump sum amount or utilise the systematic investment plan (SIP) investment method.

Debt funds invest in 'fixed income instruments' like debentures, corporate and government bonds, certificate of deposits & money market instruments of different time horizons. Such fixed income instruments have a maturity date & generate an interest income like a bank fixed deposit. The main objective is to accumulate wealth by means of interest income and steady appreciation of the fund value. Debt funds do not invest in stocks.

References :-

1. https://camskra.com
2. https://www.miraeassetmf.co.in
3. https://groww.in/P/equity-funds
4. https://scripbox.com
5. https://www.amfiindia.com

****

An Analytical Study of Profitability and Solvency of Madhya Pradesh Financial Corporation

Sweety Ohlan* Dr. P.K. Sanse**

*Research Scholar, School of Commerce, DAVV, Indore(M.P.) INDIA
** Professor (Commerce) B.L.P. Govt. P.G College, Mhow (M.P.) INDIA

Abstract - Madhya Pradesh Financial Corporation is a premier financial institution set up in 1955 by government of Madhya Pradesh under the (SFC) act 1957. It provides long term and medium financial assistance to industrial / non-industrial units in the state of Madhya Pradesh the corporation also extends other wide-ranging fund & non-fund based services to existing industrial units. This research paper analyses the profitability and solvency of MPFC from 2011-12 to 2020-21. The secondary data have been analysed and judged by using trend analysis, average growth rate, profitability and solvency ratios. The result and interpretation reveals that the profitability, liquidity and solvency is declining during the research period due to poor long and short term solvency, downward in recoveries of loans and in huge revenue losses. For improving the business position of the unit and avoid from liquidation. MPFC should take some creative and effective ideas.
Keywords- MPFC, Profitability, Solvency.

Introduction - When normal banking accommodation became inappropriate to make available medium and long-term capital to industrial concerns in some particular circumstances, the INDIAN FINANCIAL CORPORATION was established by an Act of Parliament in 1948. At that time of setting up of the IFC, the necessity for the establishment of similar institutions, which would assist smaller industries in different states, had also been recognized because it was not possible for a single institution to cope with the capital needs of smaller concerns sprawling all over the country. Accordingly, the State Financial Corporation Act was passed in 1951. This empowered the state government to set up financial institutions for industrial development in their respective states. At present, there are 19 SFCs operating in India.

Madhya Pradesh Financial corporation was established under the state financial corporation act, 1951 (SFC Act) for promoting industrial development in the state of Madhya Pradesh. The objective of the corporation is to provide assistance foe established of industries in small, medium services sector and to play a supportive role in developing the industrial base in the state. It has been extending wide ranging fund and non-fund based services. A number of new schemes for providing Financial assistance and services to industries, professionals and other business associate have been successfully introduced by the corporation.

Review of Literature

Kaur (1999)in her paper "Operational Performance of State Financial Corporation (A case study of PFC)", analysed the study into two sections: growth of sanctions and disbursements, purpose wise, organization-wise and sector-wise analysis of assistance has been made in Section-I and operational performance of PEC has been evaluated from beneficiaries' view point in section-II of this study. It is observed from the study that the purpose-wise analysis of the assistance by the PFC reveals wide gaps. Rationalization, modernization and rehabilitation etc. have remained neglected in spite of the fact that these aspects of industrialization are very important in the changing economic scenarios. The study reveals that the PFC acts as an engine of growth in the small scale sector.

Singh (2000) in his study entitled "The role of financial institutions in the Industrial Development of Punjab." observed that from amongst the 18 SFCs in the country, Tamil Nadu state Financial Corporation (T.N. SFC) with sanctions of 92.41% to S.S. I sector Himachal Pradesh state Financial Corporation (HPSFC) with 59.6% of sanctions to SSI sector was at the top and bottom of the group respectively. During 1980-84, Punjab Financial Corporation sanctioned 80% of its loan to SSI sector, thus playing an important role of the industrialization of Punjab. However, the concentration of industrial activities was limited to only a few industrially developed districts of Punjab.

Verma, Sushma Rani (2010) in her paper entitled "Performance of Haryana financial Corporation in Liberalized era" analysed the performance of HFC in

Liberalized era and found that the performance of HFC is declining year by year and it is not achieving its objectives.

Reddy (2013) examined that number of applications sanctioned with applied amount, flow of assistance in terms of sanctions and disbursements, flow of assistance to the small scale sector, Recovery performance of the Corporation, Income and expenditure, Operating and net profit, Growth in net worth, Capital adequacy ratio, Asset quality and reduction of NPAs, cost of borrowings and return on average assets. At tend of the analysis, some viable and useful suggestions are offered to tone up the overall performance of the Corporation for Industrial development in Andhra Pradesh.

Bhole and Mahakud (2017) evaluated the issues and intricacies of SFCs functioning in India. They opine SFCs promote SMEs of the States and also ensure Balanced Regional Development, higher investment, more employment generation and broad ownership of industries. SFCs operate as Regional Developmental Banks and assisting SMEs for their modernization, technology up gradation and increase the scope and coverage their assistance. The resources of SFCs come from: a) share capital, reserves, bond issues, loans from RBI and state governments; b) re-finance from RBI; c) fixed deposits from state governments; d) local authorities and general public; e) assistance from IDA.

They criticize that SFCs charge higher rates of interest and hard terms of conditions, limited and inadequate financial resources, ever increasing magnitude of over dues due to delaying implementation of projects and bias in sanctioning of loans to SMEs.

Objectives of the Study- The study has the following objectives:

1. To analyze the profitability of MPFC.
2. To analyze the long and short term solvency of MPFC.

Limitations of The Study - The present limitations of the study are as follows:

1. The study is based on the performance of the last ten years (2011-12 to 2020- 21) of the said Corporation.
2. The area of the study is kept limited due to the shortage of time and financial position.
3. The study does not contain the comparison of performance of said Corporation with other similar Corporations.

Research Methodology- This study is based on secondary data. Researcher has taken the data of ten years from 2011-12 to 2020-21 for analysis of financial performance of MPFC since 2011. The non-financial data has been excluded in this study. Researcher has personally collected the data from the various sources like published annual reports of the MPFC since 2011 from its websites. The collected data are duly edited, classified and analysed using all types of relevant accounting and statistical tools and techniques. The data are presented through simple classification and with the help of percentage, average growth rate, ratio and trend.

Findings

Table 1: Profitability of MPFC through Trend Analysis

S.	Parameters	Average growth Rate
1	Operating Income	0.05
2	Non-Operating Income	-7.84
3	Total Income	-0.12
4	Direct Operating expenses	3.09
5	Indirect Operating Income	5.61
6	Total Operating Expenses	3.66
7	Gross Profit	-23.68
8	Net Profit	-20.12
9	Operating Net Profit	-10.70
10	Non-Operating expenses	-16.37
11	Total expenses	-20.12

The average growth of net profit shows in minus figure as -20.12and operating net profit as -10.70 during the ten years of study period. This shows that the corporation is facing huge losses and is not working in good condition.

Table 2 (see in last page)

The table 2 shows the profitability ratios with an average growth rate of different ratios. Net profit with an average growth rate -18.57 shows the bad position of the unit during the study period. This led that the MPFC is declining its profitability year by year.

Table 3: Solvency of MPFC through Trend Analysis

S.	Parameters	Average growth rate
1	Reserve and surplus	7
2	Cash in hand& Bank	27.50
3	Shareholders Fund	-11.57

The above table shows the trends of cash in hand and bank with an average growth rate as 27.50 and shareholders fund was recorded as -11.57 which means that the short and long term solvency of the corporation is not working efficiently.

Table 4 (see in last page)

The liquidity ratios show a lot of ups and downs and solvency ratios like debt to equity and equity to total assets shows fluctuation during the study period of ten years with an average growth rate14.09 percent and3.14 percent respectively.

Conclusion- MPFC was among the best state financial corporations throughout the India. The researcher finds the Profitability and solvency of the corporation by using ratio analysis for the past ten years from 2011-12 to 2020-21. The data collected from annual reports of the corporation and web site. This research article finally concluded that the profitability and solvency of MPFC was not satisfactory during initial years of the study.

References:-

1. Chandra, subash and singh, “Role of Punjab Financial Corporation in financing the Industries in Punjab”, Indian Journal of Public Enterprises, Vol. VIII, No.14, 2010.

2. Tirkeyi and Salem (2013) "A Comparative Study of Financial statement of ICICI and HDFC Through Ratio Analysis". International Journal of Accounting and Financial Management Research (IJAFMR), 3(4), 89-96.
3. MishaadPuri (2001), Indian Economy, "Himlaya Publishing House, Bombay.
4. Vinod Kumar and Bhawna Malhotra (2017), A camel model analysis of private Banks in India, EPRA International journal of Economics and Business Review, Volume-5, issue – 7, 87-93.
5. Dharampal Singh (2018) "Analysis of the Performance of Haryana Financial Corporation" International Journal of Techno-Management Research, Vol. 06, Issue 03, 11-23.
6. www.mpfc.org

Table 2: Profitability of MPFC through ratio Analysis

Years	Non-Operating Income	Operating Expenses	Non-Operating Expenses	Total Expenses	Shareholders Fund	Net Profit
2011-12	1.98	74.74	19.89	94.63	0.41	6.21
2012-13	0.89	67.23	19.69	86.92	0.46	7.73
2013-14	0.48	67.14	19.4	86.54	0.51	7.61
2014-15	0.9	68.24	13.65	81.89	0.56	10.46
2015-16	1.96	66.38	13.78	80.12	0.62	9.32
2016-17	1.6	68.06	14.66	82.72	0.61	6.82
2017-18	2.28	73.76	9.12	82.88	0.48	-10.34
2018-19	0.88	74.63	22.68	97.44	0.58	-59.52
2019-20	1.04	100.04	33.91	133.91	0.75	-9.18
2020-21	0.95	97.79	32.33	130.12	1.24	-58.52
Average Growth rate	-7.84	3.03	5.55	8.58	13.08	-18.57

Table 4: Solvency of MPFC through ratio Analysis

Years	Currents ratio	Liquid ratio	Absolute Liquid ratio	Debt equity ratio	Equity/ total assets ratio
2011-12	9.83	9.55	0.01	3.19	0.78
2012-13	11.87	11.75	0.65	3.53	0.79
2013-14	16.89	16.7	1.01	4.15	0.81
2014-15	21.21	21.02	0.55	4.48	0.82
2015-16	25.52	25.28	1.27	4.54	0.83
2016-17	25.69	25.48	1.62	4.3	0.82
2017-18	21.55	21.35	0.83	3.28	0.77
2018-19	15.43	15.32	0.21	4.4	0.82
2019-20	9.2	9.12	0.1	6.52	0.95
2020-21	6.14	6.11	0.28	10.45	1.03
Average Growth rate	-5.09	-4.84	44.8	14.09	3.14

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XL

The Suffering of Existence in the Works of Kazuo Ishiguro

Sandeep Kumar Pandey* Prof. Karunesh Jha**

***Research Scholar, Pandit Shambhunath Shukla University, Shahdol (M.P.) INDIA**
**** HOD, Pandit Shambhunath Shukla University, Shahdol (M.P.) INDIA**

Abstract - The paper sheds light on the existence of suffering in the works of Kazuo Ishiguro. Existence of suffering can be defined as the phase in suffering wherein it becomes difficult for individuals to deal with different complications in their life owing to their existence as human. It can be further defined as the burden or liability that people experience in their day-to-day life. The concept has been discussed by means of different themes from the works of Ishiguro along with his novels. The paper has further highlighted the fact that the existence of suffering has been conspicuously highlighted in Ishiguro's novel "Never Let Me Go". Here, the author made use of existentialism philosophy for portraying the suffering, which was experienced by the characters and significantly the protagonist of the novel owing to forced donations of their prime organs to the government. In addition to this, the paper critically assessed the existence of suffering and distress in Ishiguro's work through themes, such as experience of existential suffering due to life choices, memories and catastrophe. The author in many of his works has used memory, life choices and so on to put on the table the considerations of the past in the present.
Keywords- Existence of Suffering, Existentialism, Life Choices, Memories, Catastrophe, Death.

Introduction - Suffering Existence can be defined as an aspect of suffering in life where it is difficult for a person to deal with various difficulties that come as a hurdle in the existence of a person. The sufferings of existence also refer to the burdens that an individual faces in their daily life. Similarly, Ishiguro with the help of his novels has portrayed various existential suffering among the characters. The characters in the novel in their daily lives come across various hurdles and burdens that make them suffer largely in terms of their existence in society and the world. For example, it can be said that Ishiguro in his book Klara and the Sun has portrayed suffering existence with the help of the robots that were present in the shop. Therefore, it can be said that Ishiguro in various novels has portrayed the suffering of existence with the help of the characters.

Suffering of existence in Never Let Me Go - ***Never Let Me Go*** is one such novel that has been dealing with various aspects like ***death*** and human cloning. It has been mentioned by Semelak that the notion of *death* is one certain aspect that Ishiguro has been dealing with in most of his novels. On the contrary, it has been mentioned that in the case of this book death has become one of the major subjects that have been discussed on various considerable concerns. In the novel, it has been observed the protagonist of the novel Kathy has been describing the issues that were faced by the people in the country. She has been gradually uncovering the issues that the people of the country were facing while discussing various other factors of her life and some of her friends (Semelak, 15). It has been mentioned by Mabrouk that Ishiguro with the help of the characters like Kathy and her friends has portrayed the fury that had been faced by the residents of the country because of the forceful cloning that was faced by them in the country.

It has been observed in the novel that Kathy has mentioned how her friends were the victims of the atrocious establishment of alternative England. On the other hand, Amanullayeva mentions that there are instances in the novel where it has been observed that Kathy and her friends were keen to know and participate in the donation and took pride in that. Later in the novel the real story concerning cloning that was revealed brought to the forefront that the cloning and the donation were forceful (Amanullayeva et al. 138). It has been identified by Amanullayevathat death is one of the greatest symbols that retrospect is suffering of existence when death comes to a pause or end for an individual.

It has been mentioned that the book not only deals with the trauma that is faced by the people due to the forceful donation of organs but at the same time, it also deals with the suffering of existence. In this case, the suffering of existence lies in the fact that the people of the country were not given any opportunity to make their own decision in the case of the donation of the organs and not even the prime organs. As it is known that the donation of the prime organs when alive leads to death and thus this ends the existence

of a particular individual. Furthermore, Garland-Thomson mentions that Ishiguro with the help of the characters and the sufferings of the characters has been able to bring out the suffering of the people of alternative England and the torture they had to withstand in their life.

The author further mentions the fact that Ishiguro in the novel had used the term donor as a metaphor in the novel where it has been observed that the meaning of the terms donation and the actual scenario has no contact with each other. The terms in the literary sense meant that people at the time of the donation meant that for that the permission of the person is the main priority before the conduction of the event (Garland-Thomson 133-145). However, in the case of the novel, the decisions of the donors were given no priority and thus it came down as a forced donation where the clients were forced to donate their organs and even the prime organs of the body. Therefore, it can be said that Ishiguro with the narration of Kathy in regards to the issues that were being faced by her and her friends brought into the limelight the suffering existence that was faced by the people of alternate England.

One of the major factors that have been discussed in the novel Never Let Me Go by Ishiguro is the complications that are being faced by the characters and the common people at the same time the notions of death. Along with that, it has been observed that he has also taken into consideration the various themes of ***existentialism*** in the novel like grief, loneliness and nothingness (Wong). Thus, the book deals with the emotions and feelings that are being dealt with by the people in the country due to the forced donations that are being done by the government. He has further mentioned that the lack of decision-making power at the hands of the common people and the characters of the novels have been suffering from an existential crisis which is one of the major factors or characteristics of *existentialism*. On the other hand, it has also been observed that the author has also mentioned the religious beliefs and the approaches of the society and the government toward the people while dealing with them at the time of the donations (Stacy 225-250).

In accordance to Ayar, the situation that is being faced by the people of the country at the hands of the government at the time of the donations of the major organs, it has been mentioned by the author that the individualistic nature of humans is being destroyed. It has been further mentioned that Ishiguro has used death as a metaphor in order to portray the sufferings of the common people with the help of the characters in the novel (Ayar). Kathy in the novel who is the narrator of the story is a prey of the situation where she has lost her own individuality at the time of taking the decision to donate organs. In the story, the way she slowly reveals the cruelty of the government helps the author to portray the impact of the change in the functioning of society and the government on common people.

Thus, it has also been mentioned by the author that the political scenario in the country has a major effect on the running of the society and various institutions of the society. The behaviour that has been shown on the part of the government at the time of taking the donations of the important organs of an individual portrays the fact that they are running an autocratic form of government, which is completely unhealthy for the running of society (Ishiguro). The institutions of the society can take the opportunity to forcefully take the organs of the common people in the name of donations when the government backs them and thus this shows the inefficiency of the government in running the country and their selfish nature at the same time (Ishiguro). The clones in the novel play the main role, as they are the ones surrounding the whole fraud of donations taking place in the country.

The lack of decision-making power at the hands of the clone portrays the fact that they are unable to have their own voice in the country and thus they are not independent and suffering from an existential crisis. The individual decision is one of the most important characteristics under the themes that are considered while explaining *existentialism* in the literary works of the authors (Hasanah). The author has used the term “completion” in the books in order to explain the conditions of the clones at the time of the donation of the organs along with the demise of the clones with the donation of the prime organs forcefully. Thus, it can be said that the author has used the philosophy of *existentialism* in order to portray the suffering that has been caused among the common people and the protagonists of the novels due to the forced donations of their prime organs at the hands of the government.

Suffering due to a catastrophe - A ***catastrophe*** can be defined as a sudden experience that can lead to great suffering and damage in the life of an individual. It has been mentioned by Calinescu that Ishiguro has also used the theme of *Catastrophe* to portray the sufferings of existence in the life of the characters in the novel. In various novels of Ishiguro, it has been found that he has used his characters of the novel to portray various aspects of society, which has led to the cause of suffering existing in the life of the individual (Diamant). It has been mentioned that Ishiguro in the book ***When We Were Orphans*** has observed that Christopher Banks the protagonist of the story is the one who has been a victim of a *catastrophe* in his life and thus has suffered existence. It can be observed that the sudden missing of his father and mother had a great effect on the growth of the child and vine after ages he was unable to forget the incident (Calinescu 190). On the contrary, it has been mentioned by George that the suffering existence is faced by him when he was able to find his mother and learn the truth about his father and mother and the reason that they were missing all of a sudden on one fine morning.

He was even shocked while walking by the fact that his other has been admitted to the hospital over a long period but still, he was unable to find her and tackle the

care of her. All these factors were a *catastrophe* in the life of Banks as he faced suffering existence in his life throughout the novel (Fricke 39-54). It has been mentioned by several authors that orphan hood is one of the aspects of the novel that has led to the suffering that exists in life of Banks. MenteºeKiryamanhas mentioned that the news of sudden missing of his parents has many effects on his life with the issues like cultural differences after his fitting into the other country with his aunt.

Along with that, it has been mentioned that the shock that he had received at the time when he came to know the real reason for the sudden disappearance of his parent he faced the crisis more. Similarly, there are authors like Hill, who have mentioned Ishiguro in his books like the ***Pale View of Hills*** and An Artist of the Floating World has mentioned certain example of the *catastrophe*, which has been faced by certain characters in the novel (MenteºeKiryaman). This symbolises the fact that even though the author has not directly mentioned suffering existence in all his books but has taken into various easy which can be the reason for the suffering that exists in the life of the people (Hill). It has been mentioned that in both the above-mentioned novels the depiction of the existence suffering has been along pace in the various characters of the novels.

In the book, ***The Pale View of the Hills*** characters like Ogata San is one of the major characters who have been a victim of *catastrophe*. The change that was taking in the social and the political aspects of the country has been a shock for a teacher like Ogata San. On the other hand, the loss of the job of the teachers as the reason for being unable to manage with the change that was taking place in the society was another shack that was received by the character in the course of the novel (Ray 292-309). Apart from that, Ogata San is someone who belongs to the old generation for whom the discipline and the tradition of the country is one of the important aspects. The shattering of the cultural and political tradition is an example of suffering existence in the life of Ogata San and any other people of his generation in the country (Tanritanir).

Catastrophe is again one of the important factors that are mostly used by writers in their literary works in order to portray the factors of *existentialism*. It has been further observed that Ishiguro in his books has mentioned that the fact with the change in the functioning of the government there has been a more difference that was noticed in the feelings of the people of the older generation like Ogata San (Schilling). People of the older generation believed that the societal and cultural norms that were followed helped in building better citizens for the future functioning of the company. They mentioned the fact that with the change in the pattern of the functioning of the society the emotions and the feelings of nationhood would lack among the younger generation, which will not fruitful for the country in the future (Kanyusik). Thus, it is believed by Ishiguro that the change in society had been affecting the emotions and feelings of the majority of people in the country. Thus, Ishiguro has taken into various accounts that can be a reason for the ***existence of suffering*** in the life of an individual.

Suffering experiences due to life choices - The manifestation of suffering is shown in various novels of Ishiguro through various choices opted by the character for example "Never Let Me Go" where human clones are forced to donate organs as part of the alternative reality in 1990 (Semelak, 1). The portrayal of choices and the way the characters explore the various kinds of experiences is one of the distinct choices made by Ishiguro through his writings. Choices that an individual makes reflect upon the wants and desires of a person concerning the circumstances faced by the individual through the story. Suffering through ***life choices*** made by individuals is portrayed through their desires or wants of an individual. Reference to choices made in the past to bring out the reality of the present condition is very well depicted in the writings of Ishiguro. The writings of Ishiguro have brought forward the hidden insecurities of the characters along with reflections on the past. In the story, "The Remains of the Day" the tone of the characters reflects the sense of sadness and brings forward the crisis in regard to the choices made by the protagonist Stevens throughout the story.

The story not only portrayed inner conflicts due to the decision taken by the protagonist but also due to the shift of places (Alamri 1) The story is a reflection of the decision taken by Stevens over the course of his life. The writing reflects the narrative style of Ishiguro marked by human essence based upon the foundation of human values concerning the experiences and surroundings of the characters. In regards to the psychological perspectives, suffering can also be highlighted as a part of the suffering encountered by the characters. Kazuo Ishiguro used several instances to uplift the trauma faced by the character along with their current psychological state because of the effects of the trauma (Calinescu 3). The narrative style adopted by Ishiguro makes his character live in the present without even thinking about the future of or the past. The reflection of the past is used as a form of memory in many of his writing to bring forwards the unresolved conflict occurring in the life characters. Ishiguro uses the reflection of human emotions along with the irony of the situation to describe the current life structure of their sufferings based on various situations along with a tragic representation of the emotions (Alex 66). The suffering of existence is reflected through the crisis in terms of identity faced by the central character Stevens throughout the story. The prime feature, which is reflected in the character of Stevens, is Dignity. Another feature, which is reflected in the character of Stevens, is the sacrifice made by Stevens concerning his both personal and professional life. Metaphors are used to criticise the

idea fiction of the habits of the English people (SonmezDemir 46). The choices made by Stevens where he sacrificed their personal life for the sake of his professional life. The existential crisis is reflected through the void that the protagonist experiences by the decision of his early life. Stevens went to opt for his professional life even during the times when his father was on the verge of the dead. Throughout the novel, Stevens opted for the commitment towards his professional life rather than his personal commitments.

In later years when Stevens saw Miss Kenton for whom he has affection and feelings, he missed the warmth of companionship. For a while felt the need to have company but it was due to his own *life choices* that he was left alone without company.

The feeling of wanting the need to have a company brings forward the theme of suffering through the choices of existence in the story "The Remains of the Day". The resolving conflict between the contrast of behaviour portrayed by Stevens and the narrative style of Ishiguro brings out the expanding views concerning the emotional differences within the characters of the story. Not only in regards to not having a companion but the void and suffering of the existing world can also be explained through the feeling of loss experienced by the characters Stevens throughout the story. The grief strikes when the character finally understands the effects of his action or his choices. Another way by which Ishiguro brings out the suffering is by showing the emotion of regret within the character's expression or behaviour.

Mr Stevens in the story "The Remains of the Day" never judges his decision or shows any signs of regret officially. It was during the instance when Stevens breaks down and sheds tears in the theme of the story. The sense of suffering is brought by the regret that Stevens openly feels that he could have acted differently in his earlier life where he could have given priority to his personal life where there could have been balance. The effects of decisions on the life of characters with respect to the relationship of the characters are seen through the story "The Remains of the Day" (Elikoglu 43). In the majority of his works of Ishiguro, he brought out two different sets of observations by using various themes such as life-long depiction and the use of memory in bringing out the sufferings in the life of the characters. The metaphor of the works in the writing styles of Ishiguro is used to highlight various instances, which will help to uplift the theme of suturing through the life of the characters. Elaboration on the ***memories*** and decisions of the past lifelong with present reflection build up the entire plot of Ishiguro Writing. His novels are considered metaphors to depict and bring out human values concerning the present world (Pallathadka 3).

Suffering experiences due to Memories - One of the central themes, which are highlighted in the work of Ishiguro, is the use of Memory to bring forward the reflection of past life into the present reality. Memory is used to highlight both traumas as well as the sufferings of the characters concerning their life. Memory is used to build up the structure with issues concerning the life of the protagonist along with their surroundings (Shang 3). Ishiguro uses memory to create a dual aspect within the life of the characters. He issued memory in both positive as well as negative aspects. He sued memory to highlight the sense of void and emptiness, which is, can result in suffering in the life of his characters. This can be seen in the Ishiguro works such as "Never Let Me Go" and "When We Were Orphans". His usage of memory is to highlight the complex emotional turmoil along with the prime objective of bringing out the emptiness switch actually points towards the theme of suffering due to lack of existence. The connection of the characters within the storyline to being out of sudden experiences is one of the key highlights in the work of Ishiguro (Calinescu 2).

In the Novel "When We Were Orphans" Ishiguro's reflections on the childhood of the characters are used to bring out not only the crisis but also the reflection of memory through the words of the characters. Christopher Banks, the protagonist who is also an orphan has now returned to Shanghai to find his parents. Here Ishiguro used the emotional density concerning being an orphan to highlight the story. Ishiguro has often used children to put forward the plight or lack of identity to support his central theme (Dean 3-6). Ishiguro has often felt the need to highlight the emptiness in the life of the characters by creating relevance to history. The lack of emotional support to bring forward the hollowness as a part of human suffering in current existence is very much noticed in his narrative technique. "The Unconsoled" is considered one of the most appreciated works of Ishiguro with the theme revolving around masculinity. Each of the chapters is a reflection of the crisis faced by the characters drawing a casual line between the self-conscious image which is also an alternate perspective to the disposition (O'Sullivan 4).

"The Unconsoled" is the fourth novel by Ishiguro written in the year 1995, which brings forward the ability of Kazuo Ishiguro in establishing a sense of nostalgia and identity crisis along with the use of memory to highlight several instances taking place in the life of the protagonist. The novel presents a challenge in defining the theme and analysing the ways in portraying the themes along with mention of the specific aesthetics (Stanescu 70). The story revolves around the life of a pianist, Ryder who arrives in Europe for a performance but is engrossed in his own situations. He uses the confused state of Ryder to bring forward the sense of unpredictability along with the false presentation of the world. The emotional response along with the strange sequence of dreams put forward the sense of plight in the reality of the situation of the characters. In this novel, Ishiguro carefully uses monologue that is used to create the essence of time and space within the novel.

With a linguistic mixing of emotions along with the present situation, the difference between reality and exceptions is being drawn out (Calinescu 4).

The dominant theme of the story is mainly based on the childhood memory of the protagonist in relation to the sense of isolation prevailing within the community. Memory is way used by Ishiguro as part of most themes to bring out the reality of the situation. The novel "The Unconsoled" can be viewed from multiple perspectives based entirely upon the way readers view the novel (Sera, Haruko 1). Memory can be used as a string reflection to compare the situation of both past and present life thereby highlighting the sense of grief, trauma along with suffering. Suffering concerning memory is used to compare the good life with that of the current experiences. The reflection of the culture of Japan where Ishiguro grew up was also highlighted through references made concerning memory (Dhamyal 880-894). Be it the happy times or reflection of the past memory is used as a strong tool in highlighting the instances and bringing out both the suffering as well as recall of the time in regards to decision making, cultural differences or status within the society (Jindra). Ishiguro's narrative stylish and graceful combination of the reflection of all the aspects of human emotions in and to the surroundings where not only characters get affected along with their adjoining surroundings as well as the people.

Conclusion - Kazuo Ishiguro, in his novels and its characters, has represented many existential suffering. He has further emphasised upon the hurdles or liability that people come across in their daily life with the help of different characters along with how they majorly suffered in the society or the world in terms of their existence. Ishiguro has developed a number of characters in his novels, such as the robots in Klara and the Sun, Kathy in Never Let Me Go and so on for portraying the suffering of existence. In addition to this, the author has used different theme like memory, life choices and so on to relate the past and present and consequences of suffering of existence for the same.

References:-

1. Alamri, DawlaSaeed. "The Remains of Empires in Kazuo Ishiguro's The Remains of The Day." *Arab World English Journal* vol. 6, no. 2.2, 2022, pp. 26-42.
2. Alex, Patrick Charles. "The Tragedy of Repressed Emotions: A Modernist Reading of Kazuo Ishiguro's The Remains of the Day." *Bulletin of Advanced English Studies*– vol. 3, no. 1, 2019, pp. 60-69.
3. Amanullayeva, K. M., and Shuhratova Visola Jamshid Qizi. "The harmony of concepts in kazuoishiguro's the buried giant." *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal* vol. 12, no. 2, 2022, pp. 136-141.
4. Ayar, Hilal. *The subjected individual in late modern and postmodern fiction: a comparative study of Aldous Huxley's Brave New World and Kazuo Ishiguro's Never Let Me Go*.MSthesis.Namýk Kemal Üniversitesi, 2016.
5. Cãlinescu, A. "Kazuo Ishiguro's The Unconsoled: An interdisciplinary analysis." *Stanbul University Press* vol. 32, no. 2, 2022, pp.1-28.
6. Cãlinescu, Amalia. "Under the Magnifying Glass: Kazuo Ishiguro's When We Were Orphans." *Philologica Jassyensia* vol. 18, no.1, 2022, pp. 187-200
7. Dean, Dominic. "Ishiguro and the abandoned child: The parody of international crisis and representation in When We Were Orphans." The Journal of Common wealth Literature vol. 56, no. 1, 2021, pp. 150-167.
8. Dhamyal, Saima Anwar, JaveriaTayyab, and Mushtaq Ahmad."behavioral neuroscience, traumatology, and phenomenology on the single platform of literature ishiguro's fiction."*PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology* vol. 19, no. 2, 2022, pp. 880-894.
9. Diamant, Cristina Costina. "Human dignity in the brave new world of kazuoishiguro's never let me go." *journal of student research in languages and literatures* vol. 4, no. 5, 2016, pp. 23.
10. Elikoðlu, Merve. "Mistaken notions: Professionalism and dignity in the remains of the day by Kazuo Ishiguro."*MS thesis. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü* 2021, pp. 73
11. Fricke, Kazuo Ishiguro'S. Work Stefanie. "Reworking myths: Stereotypes and genre conventions in Kazuo Ishiguro's work." *Kazuo Ishiguro in a Global Context*. Routledge, 1st ed., Routledge, 2016 pp. 39-54.
12. Garland-Thomson, Rosemarie. "Eugenic world build-ing and disability: The strange world of Kazuo Ishiguro's Never Let Me Go." *Journal of Medical Humanities* vol. 38, no. 2, 2017, pp. 133-145.
13. Hasanah, Uswatun. "Book review of kazuoishiguro's never let me go." *Diss. Diponegoro University*, 2015.
14. Hill, Christopher. "The experience of defeat: Milton and some contemporaries." 1st ed.Verso Books, 2017.
15. Ishiguro, Kazuo. My Twentieth Century Evening and Other Small Breakthroughs. *Faber& Faber*, 2017.
16. Ishiguro, Kazuo. *Never Let Me Go: With GCSE and A Level study guide*. Faber & Faber, 2017.
17. Jindra, Jiøí. "Ètení KazuaI shigurajako• tomezinárod níhoautora." (2022).
18. Kanyusik, Will. "Eugenic Nostalgia: Self-Narration and Internalized Ableism in Kazuo Ishiguro's Never Let Me Go." *Journal of Literary & Cultural Disability Studies* vol. 14, no. 4, 2020, pp. 437-452.
19. MenteºeKiryaman, Dilek. "corporeality and fragmen-tation in kazuoishiguro's never let me go." *Journal of International Social Research* vol. 10, no. 53, 2017, pp. 115-119.
20. O'Sullivan, Patrick. *Self-Conscious Storytelling and the Crisis of Masculinity in Early Ishiguro*.Diss. Open Access TeHerengaWaka-Victoria University of Wellington, 2021.
21. Pallathadka, LaxmiKirana, et al. "Kazuo Ishiguro's Use of Clones as a Metaphor to Express Human Values

and Emotions in Never Let Me Go." *Journal of Cardiovascular Disease Research* vol. 12, no. 03, 2021, pp. 1643-1648.

22. Ray, KasturiSinha. "Memory and Kazuo Ishiguro's Novels: A Review." *Literary Herald* vol. 2, no. 4, 2017, pp. 292-309.
23. Schilling, Silvia. *The Politics of Englishness in Kazuo Ishiguro's" The Remains of the Day" and Julian Barnes'" England, England"*. GRIN Verlag, 2020.
24. Šemelák, Martin."The suffering of existence in Kazuo Ishiguro's."*ArsAeterna* vol. 10 no.2, 2018, pp. 8-17.
25. Sera, Haruko. "A corpus stylistic approach to Kazuo Ishiguro's The Unconsoled: How do readers interpret and feel about the story?." *Journal of cultural science* vol. 56, 2022, pp. 75-101.
26. Shang, Biwu. "The Maze of Shanghai Memory in Kazuo Ishiguro's When We Were Orphans." *CLCWeb: Comparative Literature and Culture* vol. 19, no. 3, 2017, pp. 7.
27. SönmezDemir, Yaðmur. "Kazuo Ishiguro's postmodern hypertexts: Generic reconfigurations in the Remains of the day, when we were orphans, and the buried giant." (2020).
28. Stacy, Ivan. "Complicity in Dystopia: Failures of Witnessing in China Miéville'sThe City and the City and Kazuo Ishiguro's Never Let Me Go."*Partial Answers: Journal of Literature and the History of Ideas* vol. 13, no. 2, 2015, pp. 225-250.
29. Stãnescu, Angela. "Self, memory and the uncanny space of identity in kazuoishiguro's the unconsoled." *multiculturalism through the lenses of literary discoursE*: 70.
30. Tanritanir, BülentCercis, and Fatma Karaman." searching identity in; the remains of the day and a pale view of hills by kazuoishiguro."*Journal of International Social Research* vol. 11, no. 56, 2018, pp. 91-94.
31. Wong, Cynthia F. *Kazuo Ishiguro*. 1st ed., Writers and Their Work, 2019.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XL

पाणिनीय शिक्षा का अलङ्कार - लावण्य

डॉ. विनोद कुमार शर्मा *

*प्राध्यापक एवं अध्यक्ष (संस्कृत) पण्डित बालकृष्ण शर्मा, 'नवीन' शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, शाजापुर (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – षट् वेदाङ्गों में 'शिक्षा' का महत्त्वपूर्ण स्थान है। शिक्षा को वेदपुरुष की नासिका कहा गया है–'शिक्षा घ्राणं तु वेदस्य'। शिक्षा–ग्रन्थों में महर्षि पाणिनिकृत 'पाणिनीयशिक्षा' को सर्वाधिक प्रामाणिक माना जाता है। इस ग्रन्थ में आचार्य पाणिनि ने वर्ण्यविषय को सम्प्रेषणीय, सुस्पष्ट और प्रभावोत्पादक बनाने के लिये अलङ्कारसज्जा के साथ अपनी बात कही है। फलत: सहज रूप से अलङ्कारों की सृष्टि हुई है। पाणिनीयशिक्षा का यह अलङ्कार–लावण्य कृतिकार की बहुमुखी प्रतिभा को रेखाङ्‌कित करता है। समीक्ष्य कृति में अनुप्रास, उपमा, रूपक, काव्यलिङ्ग आदि अलङ्कारों की सज्जा स्पष्टत: परिलक्षित होती है।

अलङ्कार – सामान्य परिचय – जगत् में विविध प्रकार के अलङ्करणों तथा साज–सज्जा से लोगों की धारणा को प्रभावित करने की प्रवृत्ति जनसामान्य में पायी जाती है। काव्य एवं शास्त्र में भी अपने विचारों को सम्प्रेषणीय, सुगम, सुरम्य तथा प्रभावोत्पादक बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। वाणी के ये अलंकार मानव की सहज प्रवृत्ति तथा अभिरुचि से आविर्भूत हैं।

अलङ्कार शब्द अलम् + कृ + घञ् से मिलकर बना है। अलङ्कृति शब्द अलम् + कृ + क्तिन् से निष्पन्न है। भावव्युत्पत्ति से अलङ्कार शब्द का अर्थ भूषण या शोभा का भाव है–अलङ्कृतिरलङ्कार:[1]। इस अर्थ में अलङ्कार सौन्दर्य से अभिन्न है। इसी अर्थ में आचार्य वामन ने अलङ्कार को सौन्दर्य का पर्याय कहकर अलङ्कारयुक्त काव्य को ग्राह्य तथा अलङ्कारहीन काव्य को अग्राह्य कहा है–**काव्यग्राह्यमलङ्कारात्**।[2] करण–व्युत्पत्ति से अलङ्कार शब्द का अर्थ है–वह तत्त्व जो काव्य को सुन्दर बनाने का साधन हो– **अलङ्‌क्रियतेऽनेन इति अलङ्कार:**। इसी व्युत्पत्ति से उपमा, अनुप्रास आदि अलङ्कार कहलाते हैं–**करणव्युत्पत्तया पुनरलङ्कार शब्दोऽयमुपमादिषु वर्तते।**[3] सम्प्रति अलङ्कार शब्द का प्राय: यही अर्थ प्रचलित है। चमत्कार अलङ्कार का प्राण है। चमत्कार के अभाव में अलङ्कार – सामग्री होने पर भी सच्चे अर्थों में अलङ्कार नहीं होता।

भारतीय चिन्तक वैदिक युग से ही अलङ्कारों का महत्त्व स्वीकार करते चले आ रहे हैं। स्पष्टता, सम्प्रेषणीयता और प्रभावोत्पादन आदि के लिए वाणी में अनायास ही अलङ्कार आ जाते हैं। ऋग्वेद में उपमा, रूपक आदि अलङ्कारों का प्रयोग दृष्टिगोचर होता है। यास्क ने 'अलङ्करिष्णुम् शब्द का प्रयोग अलङ्कार के अर्थ में किया है–**तितनिषुं धर्मसन्तानादपेत मलङ्करिष्णुमयज्वानम्**।[4] पाणिनि के काल तक उपमा, रूपक आदि अनेक अलङ्कार प्रयुक्त होने लगे थे। कृत, तद्धित, समास, कारक आदि पर सादृष्य का प्रभाव स्पष्टत: परिलक्षित होता है। इससे सिद्ध होता है कि वैयाकरणों ने उपमा आदि अलंकारों से प्रभाव ग्रहण कर तुलनात्मक शब्दों के नियमन का विधान किया है।

भामह, उद्भट आदि आलङ्कारिकों ने अलङ्कार को काव्य का अनवार्य धर्म माना है। आचार्य भामह ने काव्य के अलङ्कार को नारी के आभूषण के समान मानकर कहा है कि रमणी का सुन्दर भी मुख आभूषण के अभाव में सुषोभित नहीं होता, उसी प्रकार अलङ्कार–विहीन काव्य सुषोभित नहीं होता– **'न कान्तमपि निर्भूषं विभाति वनिताननम्।'**[5] जयदेव ने तो यहाँ तक कहा है कि अलङ्कारहीन शब्दार्थ को काव्य मानना उष्णतारहित अग्नि की कल्पना करने के समान है–

अङ्गीकरोति य: काव्यं शब्दार्थावनलङ्कृती।
असौ न मन्यते कस्मादनुष्णमनलं कृती।।[6]

अलङ्कारों का वर्गीकरण शब्द और अर्थ के आधार पर हुआ है। शब्द जहाँ परिवृत्यसह रहते हैं वहाँ शब्दालङ्कार और जहाँ परिवृत्तिसह होते हैं वहाँ अर्थालङ्कार अथ च दोनों की स्थिति में उभयालङ्कार माना जाता है।

पाणिनीयशिक्षा का वैशिष्ट्य– षट् वेदाङ्गों में शिक्षा का महत्तवपूर्ण स्थान है। 'शिक्ष्यते यया सा शिक्षा' व्युत्पत्ति के अनुसार जिसके द्वारा अभ्यास किया जाये, शक्ति प्राप्त करने की इच्छा की जाये तथा उच्चारण के गुणों की सहिष्णुता की इच्छा की जाये तो वह विद्या 'शिक्षा' है[7]। सर्वथा उच्चारण के दोषों का परिहार कर गुणों का सन्निवेश ही शिक्षाशास्त्र का परम प्रयोजन है। शिक्षा को वेदपुरुष की नासिका कहा गया है–'शिक्षा घ्राणं तु वेदस्य'[8]। यदि वह न हो तो वर्णनिष्पत्ति रूप गन्ध का ग्रहण भी नहीं हो सकता।

शिक्षाशास्त्रों में पाणिनीयशिक्षा को सर्वाधिक प्रामाणिक माना जाता है। महर्षिपाणिनिकृत पाणिनीयशिक्षा कुल 61 श्लोकों में निबद्ध है। इस ग्रन्थ के अध्ययन से ज्ञात होता है कि शिक्षा के आदि गुरु शंकर हैं। उन्होंने यह वाक्स्वरूपा विद्या, वेद–वाङ्मय से सञ्चित कर ज्ञानसम्पन्न दाक्षीपुत्र पाणिनि को प्रदान की थी–

शङ्कर: शाङ्करीं प्रादाद् दाक्षीपुत्राय धीमते।
वाङ्मयेभ्य: समाहृत्य देवीं वाचमिति स्थिति:।।[9]

पाणिनीयशिक्षा में वर्णसमाम्नाय, वर्णोच्चारण की प्रक्रिया, वर्णविभाग, वर्णो के उच्चारणस्थान, प्रयत्न, पाठ के गुण–दोष, वेदपुरुष के अङ्ग आदि विषयों का विवेचन किया गया है।

पाणिनीयशिक्षा का अलङ्कार–लावण्य – वस्तुत: अलङ्कार अलङ्कार्य का

केवल उत्कर्षाधायक तत्तव है, जीवनाधायक तत्तव नहीं। जो नर–नारी अलङ्कार (आभूषण)–विहीन हैं वे भी मानव हैं। किन्तु जो अलङ्कारयुक्त हैं वे अधिक सुन्दर लगते हैं। इस प्रकार अलङ्कार्य में अलङ्कारों की स्थिति अपरिहार्य नहीं है। यदि वे हैं तो अलङ्कार्य के उत्कर्षाधायक होंगे। इसलिए ध्वनिवादी आचार्यों के द्वारा अलङ्कारों को काव्य का अस्थिर धर्म माना गया है।[10]

पाणिनीयशिक्षा शिक्षावेदाङ्ग का महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है। इसमें अलङ्कारों का स्वाभाविक प्रयोग हुआ है। आचार्य पाणिनि ने वर्ण्यविषय को सम्प्रेषणीय, सुस्पष्ट और प्रभावोत्पादक बनाने के लिए अलङ्कारसज्जा के साथ अपनी बात कही है। फलत: सहज रूप से अनेक अलङ्कारों की सृष्टि हुई है। इस प्रकार समीक्ष्य कृति में अलङ्कारों का प्रयोग सर्वथा अयत्नसाध्य है। प्रस्तुति कृति में प्रयुक्त विविध अलङ्कार अलङ्कार्य की श्रीवृद्धि करते हैं गूढ से गूढ भाव को सुग्राह्य बनाते हैं और विषय को स्पष्ट करते हैं।

इस कृति में उपमा, रूपक, काव्यलिङ्ग आदि अर्थालङ्कारों के साथ ही अनुप्रास शब्दालङ्कार का उचित प्रयोग हुआ है। पाणिनीयशिक्षा का यह अलङ्कारलावण्य कृतिकार की बहुमुखी प्रतिभा को भलीभाँति रेखाङ्कित करता है। यहाँ प्रथमत: समीक्ष्य कृति में प्रयुक्त शब्दालङ्कारों की समीक्षा की जा रही है, तदनन्तर अर्थालङ्कारों का निरूपण किया जायेगा।

(क) शब्दालंङ्कार

अनुप्रास – अनुप्रास शब्द अनु+ प्र+ आस से मिलकर निष्पन्न है। अनु का अर्थ अनुगत, प्र का प्रकृष्ट तथा आस का अर्थ न्यास है। इस प्रकार रस–भाव आदि के अनुकूल प्रकृष्ट न्यास को अनुप्रास कहा जाता है। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार स्वर की विषमता होने पर भी जो शब्दसाम्य (व्यञ्जनसाम्य) होता है वह अनुप्रास अलङ्कार कहलाता है–

अनुप्रास: शब्दसाम्यं वैषम्येऽपि स्वरस्य यत्।[11]

अनेक व्यञ्जनों का एक बार साम्य छेकानुप्रास कहलाता है जब कि एक या अनेक व्यञ्जनों का एक बार या अनेक बार सादृष्य होने पर वृत्यनुप्रास अलंकार होता है।[12] पाणिनीयशिक्षा में अनुप्रास अलंकार के सौन्दर्य से मण्डित कतिपय शास्त्रांश उदाहरणार्थ प्रस्तुत हैं–

छेकानुप्रास–

- त्रिषष्टिच्चतुषाष्टिर्वा .... शम्भुमते मता:।
  प्राकृते संस्कृते चापि स्वयं प्रोक्ता: स्वयम्भुवा।।[13]
  (षट्, म्त्, क्त्, स्व्यम्भ की आवृत्ति)
- तारं तार्तीयसवनं ....।
  हृदये चैकमात्रस्तु अर्धमात्रस्तु ....।।[14]
  (त्र्, म्त्र्स् की आवृत्ति)
- हृदये चैकमात्रस्तु अर्धमात्रस्तु ....।।[15]
  (म्त्र्स्त की आवृत्ति)
- सरङ्गं कम्पयेत् कम्पं ....।।[16]
  (क्म्प्, की आवृत्ति)
- शङ्कर: शाङ्करीं ....।।[17]
  (श्ङ्क्र् की आवृत्ति)

वृत्यनुप्रास –

- स्वरत: कालत: स्थानात् प्रयत्नानुप्रदानत:।।[18]
  (त् की आवृत्ति)
- उदात्तश्चानुदात्तश्च स्वरितश्च ....।।[19]
  (त्ष्च्, की आवृत्ति)
- ....स्थानानि वर्णानामुर: ....।।[20]
  (न् की आवृत्ति)
- ओभावश्च विवृत्तिश्च शषसा रेफ एव च।
  जिह्वामूलमुपध्मा च ....।।[21]
  (च् की आवृत्ति)
- .... तादृषं विद्याद् यदन्यद् ....[22]।।
  (द् की आवृत्ति)
- .... त्वरितं निरस्तं ....
  विलम्बितं गद्गदितं प्रगतीम्।[23]
  निष्पीडितं ....।
  (त् की आवृत्ति)
- तारं तु विद्यात् सवनं तृतीयं।
  शिरोगतं तच्च ....
  तुल्येन पादेन शिर:स्थितेन।।[24]
  (त्, न् की आवृत्ति)
- मन्त्रो हीन: स्वरतो वर्णतो वा
  मिथ्याप्रयुक्तो न तमर्थमाह।।[25]
  (त् की आवृत्ति)

(ख) अर्थालंङ्कार

उपमा – उपमा सादृष्यमूलक अलङ्कारों का आधार है। आचार्य मम्मट के अनुसार उपमान तथा उपमेय का भेद होने पर उनके साधर्म्य का वर्णन उपमा अलङ्कार कहलाता है–

'साधर्म्यमुपमा भेदे'।[26]

पाणिनीयशिक्षा में उपमा अलङ्कार का प्रयोग अनेकत्र दृष्टिगोचर होता है। कुछ स्थल अवलोकनीय हैं।

(1) पूर्णोपमा – उपमान, उपमेय, साधारण धर्म और उपमावाचक इन चारों अवयवों का ग्रहण होने पर पूर्णोपमा अलङ्कार होता है। पाणिनीयशिक्षा में पूर्णोपमा का सौन्दर्य अनेकत्र देखा जा सकता है, यथा–

व्याघ्री यथा हरेत् पुत्रान् दंष्ट्रायां न च पीडयेत्।
भीता पतनभेदाभ्यां तद्वद् वर्णान् प्रयोजयेत्।।[27]

जिस प्रकार बाघिन (अथवा बिल्ली) तीखे दाँतों से पकड़ कर अपने बच्चों को ले जाने में इतनी सावधानी रखती है कि न वह गिरे और न ही उसे क्षत लगे। उसी प्रकार यह आवश्यक है कि उच्चारणकर्ता न तो वर्णो को पीडित करे और न गिराये और न ही तोड़ दे। यहाँ सुन्दर उपमा का प्रयोग करके वर्णोच्चारण की विधि को स्पष्ट किया गया है। उपमा के समस्त अवयवों के विद्यमान होने से यहाँ पूर्णोपमा अलंकार है।

हृदयादुत्करे तिष्ठन् कांस्येन समनुस्वरन्।[28]

अर्थात् काँसे के पात्र के समान अनुरणन करता हुआ रङ्ग नासिका द्वारा उच्चारित किया जाता है। यहाँ भी पूर्णोपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है।

कुतीर्थादागतं दग्धमपवर्णं च भक्षितम्।
न तस्य पाठे मोक्षोऽस्ति पापाहेरिव किल्बिषात्।।[29]

दोषपूर्ण वेदपाठ करने वाले की निन्दा तथा उसके फल का निर्देश करते हुए भगवान् पाणिनि ने उक्त श्लोक में कहा है कि कुतीर्थ से आए हुए दग्ध, अपवर्ण और भक्षित वैदिक शब्द का पाठ करने पर पाठक का मोक्ष सम्भव नहीं है। जैसे दुष्ट सर्प यदि गला पकड़ ले तो उससे छुटकारा सम्भव नहीं होता। यहाँ असाधु पाठ की उपमा दुष्ट सर्प से दी गई है।

मन्त्रो हीनः स्वरतो वर्णतो वा
मिथ्याप्रयुक्तो न तमर्थमाह।
स वाग्वज्रो यजमानं हिनस्ति
यथेन्द्रषत्रुः स्वरतोऽपराधात्।।[30]

वर्ण अथवा शब्द के उच्चारण में दोष आ जाने पर क्या हानि होती है इसका निर्देश करते हुए ग्रन्थकार ने कहा है कि स्वर या वर्ण से हीन मन्त्र मिथ्याप्रयुक्त होने के कारण अभीष्ट अर्थ को नहीं कहता। वह मन्त्र वाणीरूपी वज्र बनकर यजमान का नाष उसी प्रकार करता है जिस प्रकार स्वरदोष से युक्त 'इन्द्रशत्रुः' शब्द ने वृत्र का ही नाश कर दिया था। यहाँ यजमान की उपमा वृत्र से तथा वाग्वज्र की उपमा दोषयुक्त 'इन्द्रशत्रुः' शब्द से दी गई है। सभी उपमाङ्गों के विद्यमान होने से इस श्लोक में पूर्णोपमा अलङ्कार है।

(2) लुप्तोपमा – उपमान, उपमेय, साधारण धर्म तथा उपमावाचक – इन चारों अवयवों में से एक, दो या तीन का लोप होने पर लुप्तोपमा अलंकार होता है। समीक्ष्य कृति में लुप्तोपमा का प्रयोग अनेक श्लोकों में दृष्टिगोचर होता है। यथा–

अलाबुवीणानिर्घोषो दन्तमूल्यः स्वराननु।
अनुस्वारस्तु कर्त्तव्यो .... ।।[31]

अर्थात् अलाबु (तुमड़ी) से निर्मित वीणा के स्वर के समान, दन्तमूल से उत्पन्न होने वाले अनुस्वार का उच्चारण किया जाना चाहिए। यहाँ वाचक शब्द एवं साधारण धर्म का लोप होने से लुप्तोपमा अलंकार है।

यथा सौराष्ट्रिका नारी तक्रँ इत्यभिभाषते।
एवं रङ्गाः प्रयोक्तव्याः खे अराँ इव खेदया।।[32]

अर्थात् जिस प्रकार सौराष्ट्र में रहने वाली स्त्री 'तक्रँ' उच्चारण करती है, उसी प्रकार रङ्ग वर्णों का प्रयोग किया जाना चाहिए। यहाँ भी लुप्तोपमा अलंकार प्रयुक्त है। एक कारिका में कहा गया है कि प्रातः सवन के समय सदैव वक्षः-स्थल में स्थित, बाघ की ध्वनि के समान हुंकार जैसे स्वर से पाठ करना चाहिए। मध्याह्न सवन के समय चकवे की कूक के तुल्य कण्ठगत स्वर से पाठ करना चाहिए। यहाँ वेदपाठ की उपमा बाघ की हुंकार तथा चकवे की कूक से दी गई है–

प्रातः पठेन्नित्यमुरःस्थितेन
स्वरेण शार्दूलरुतोपमेन।
मध्यन्दिने कण्ठगतेन चैव
चक्राह्वसंकूजितसन्निभेन।।[33]

पाणिनीयशिक्षा में लुप्तोपमा अलंकार का प्रयोग अन्यत्र [34] भी देखा जा सकता है।

रूपक – जिनके स्वरूप स्पष्टतः भिन्न-भिन्न हैं, ऐसे उपमेय और उपमान के अत्यधिक साम्य को दिखलाने के लिए जो काल्पनिक अभेदारोप किया जाता है, वह रूपक अलङ्कार कहलाता है। आचार्य मम्मट के अनुसार उपमेय और उपमान का अभेदवर्णन ही रूपक है–

तद्रूपकमभेदो य उपमानोपमेययोः।[35]

जहाँ एक रूपक प्रधान (अङ्गी) होता है तथा अन्य रूपक अङ्गरूप से आकर प्रधान रूपक के सहायक होते हैं वहाँ साङ्गरूपक होता है।

पाणिनीयशिक्षा में वेदपुरुष के अंगों का विवेचन करते हुए कहा गया है कि छन्दःशास्त्र वेद के चरण हैं। कल्प को वेद के दोनों हाथ माना गया है। ज्योतिष को वेद का नेत्र कहा गया है। निरुक्त वेद का कान है। शिक्षा वेद की नासिका है। व्याकरण वेद का मुख है–

छन्दः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते।
ज्योतिषामयनं चक्षुर्निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते।।
शिक्षा घ्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतम्।[36]

यहाँ वेद और पुरुष का अभेदवर्णन प्रधान रूपक है। छन्दःशास्त्र पर वेद के चरण का, कल्प पर हाथ का, ज्यातिष पर नेत्र का, निरुक्त पर कान का, शिक्षाशास्त्र पर नासिका का तथा व्याकरण पर वेद के मुख का अभेदारोप किया गया है। ये सभी सहायक रूपक हैं। इस प्रकार प्रस्तुत शास्त्रांश में साङ्गरूपक अलंकार का उचित प्रयोग हुआ है।

निरङ्गरूपक वह है जहाँ अङ्गाङ्गिभाव से शून्य एक ही रूपक होता है। उसमें अन्य रूपकों का मिश्रण नहीं होता। पाणिनीयशिक्षा में निरङ्गरूपक अलङ्कार का भी सुन्दर उपयोग किया गया है। यथा–

अनक्षरमनायुष्यं विस्वरं व्याधिपीडितम्।
अक्षता शस्त्ररूपेण वज्रं पतति मस्तके।।[37]

अर्थात् अक्षरविकलरूप से उच्चरित वेद उच्चारयिता को आयुहीन कर देता है। स्वरविकलरूप से उच्चरित वेद उच्चारयिता को रोगपीडित करता है। (सदोष वेद) अकुण्ठित शस्त्ररूपी वज्र बनकर उच्चारयिता के सिर पर गिरता है। यहाँ सदोष वेदपाठ पर वज्र का अभेदारोप होने से निरङ्गरूपक अलंकार है।

'जिस पाणिनि ने पुरुषों की वाणी का विमल शब्दरूपी जल से प्रक्षालन किया है'[38] यहाँ शब्द पर जल का अभेदारोप हुआ है। अथ च 'जिस महर्षि पाणिनि ने अज्ञानान्ध लोक के नेत्रों को ज्ञानरूपी काजल की सलाई से उन्मीलित किया है'[39] इस वाक्य में ज्ञान पर अञ्जन-शलाका का अभेदारोप हुआ है। उक्त दोनों शास्त्रांशों में निरङ्गरूपक अलंकार की अलंकृति है। पाणिनीयशिक्षा में अन्यत्र[40] भी निरङ्गरूपक अलंकार की शोभा देखी जा सकती है।

काव्यलिङ्ग – आचार्य विश्वनाथ के अनुसार वाक्यार्थ अथवा पदार्थ जहाँ किसी का हेतु हो वहाँ काव्यलिङ्ग अलंकार होता है–**हेतोर्वाक्यपदार्थत्वे काव्यलिङ्गं निगद्यते।**[41] वस्तुतः कविकल्पित अर्थ के उपपादन के लिए हेतुकथन ही काव्यलिङ्ग अलंकार है।

पाणिनीयशिक्षा में शिक्षाशास्त्र के प्रयोजन को स्पष्ट करते हुए ग्रन्थकार ने कहा है–

प्रसिद्धमपि शब्दार्थमविज्ञातमबुद्धिभिः।
पुनर्व्यक्तीकरिश्यामि वाच उच्चारणे विधिम्।।[42]

अर्थात् साधु शब्द जिसका प्रयोजन है, जो प्रसिद्ध है, किन्तु मन्दबुद्धि लोगों द्वारा नहीं जाना गया है, ऐसे साधु शब्द के उच्चारण को बतलाने वाले शिक्षाशास्त्र को मैं (पाणिनि) पुनः व्यक्त करूँगा। यहाँ पूर्वार्द्ध का वाक्यार्थ उत्तरार्द्ध के वाक्यार्थ का हेतु है। अतः यहाँ काव्यलिङ्ग अलंकार की चमत्कृति है।

निष्कर्ष – निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि बहुमुखी प्रतिभा से सम्पन्न आचार्य पाणिनि ने वर्ण्यविषय को सम्प्रेषणीय बनाने के लिये अलङ्कारसज्जा के साथ अपनी बात कही है। पाणिनीयशिक्षा में अलङ्कारों का प्रयोग सर्वथा अयत्नसाध्य किंवा स्वाभाविक है। समीक्ष्य कृति में अनुप्रास, उपमा, रूपक, काव्यलिङ्ग आदि अलङ्कारों की सज्जा स्पष्टतः परिलक्षित होती है। महर्षि पाणिनि ने स्वकृति में जिन उपमाओं का प्रयोग किया है वे बेजोड़ हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. काव्यालंकारसूत्र –वामन (व्याख्याकार – हरगोविन्द शास्त्री, चौखम्बा

सुरभारती प्रकाशन, वाराणसी, तृतीय संस्करण, 1999) 1/1/2 पर वृत्ति, पृष्ठ 6
2. तत्रैव, 1/1/1
3. तत्रैव, 1/1/2 पर वृत्ति, पृष्ठ 6
4. निरुक्त, यास्क (सम्पादक-लक्ष्मण सरूप, मोतीलाल बनारसीलाल, दिल्ली, प्रथम संस्करण, 1967) 6/19
5. काव्यालङ्कार-भामह (व्याख्याकार-डॉ. रामानन्द शर्मा, चौखम्बा, संस्कृत सीरीज आफिस, वाराणसी, प्रथम, संस्करण, 2002), 1/13
6. चन्द्रालोक-जयदेव (व्याख्याकार-श्रीकृष्णमणि त्रिपाठी, चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन, वाराणसी, 2003) 1/7
7. पाणिनीयाशिक्षा पाणिनि (भाष्यकार-बच्चूलाल अवस्थी, कालिदास अकादमी, उज्जैन, विक्रम संवत् 2050) पृष्ठ 3
8. तत्रैव, 42
9. तत्रैव, 56
10. उपकुर्वन्ति तं सन्तं येऽङ्गद्धारेण जातुचित्। हारादिवदलङ्कारास्तेऽनुप्रासोपमादयः।। काव्यप्रकाश-मम्मट (व्याख्याकार-आचार्य विश्वेश्वर, ज्ञानमण्डल लिमिटेड, वाराणसी, वि. संवत् 2031) 8/87
11. साहित्यदर्पण-विश्वनाथ (व्याख्याकार-शालग्राम शास्त्री मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली-1986), 10/3
12. सोऽनेकस्य सकृत्पूर्वः एकस्याप्यसकृत्परः।। काव्यप्रकाश-मम्मट, 9/79
13. पाणिनीयशिक्षा, 3
14 तत्रैव, 8.
15. तत्रैव, 28
16. तत्रैव, 30
17. तत्रैव, 56
18. तत्रैव, 10
19. तत्रैव, 11
20. तत्रैव, 13
21. तत्रैव, 14
22. तत्रैव, 15
23. तत्रैव, 35
24. तत्रैव, 37
25. तत्रैव, 52
26. काव्य प्रकाश-मम्मट, 10/87
27. पाणिनीयशिक्षा, 25
28. तत्रैव, 29
29. तत्रैव, 50
30. तत्रैव, 52
31. तत्रैव, 23
32. तत्रैव, 26
33. तत्रैव, 36
34. तत्रैव, 8, 37
35. काव्यप्रकाश-मम्मट, 10/93
36. पाणिनीयशिक्षा, 41-42
37. पाणिनीयशिक्षा, 53
38. तत्रैव, 58
39. तत्रैव, 59
40. तत्रैव, 54, 56
41. साहित्यदर्पण-विश्वनाथ, 10/63
42. पाणिनीयशिक्षा, 2

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XL

भारतीय पुलिस प्रणाली में सुधार : एक अध्ययन

प्रभाकर सिंह *

* शोधार्थी (विधि) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर(म.प्र.) भारत

शोध सारांश – यह शोध पत्रभारत में पुलिस प्रणाली में सुधार के बारे में एक विस्तृत अध्ययन करता है। भारत में पुलिस की वृद्धि और विकास के लिए भारत में पुलिस की श्रेणियां, कार्य, समस्याएं, सिद्धांत और विफलता और समय-समय पर सरकार द्वारा शुरू किए गए विभिन्न सुधारों की समीक्षा करने का वर्णन इस पत्र में किया गया है। मूल रूप से, पुलिस समाज का एक अनिवार्य हिस्सा है। पुलिस समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पुलिस आपराधिक न्याय प्रणाली का पहला और महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व है। पुलिस को केवल एक प्रहरी एजेंसी के रूप में माना जाता है। उनका मुख्य प्राथमिक कर्तव्य समाज में अपराधा को रोकना है। पुलिस को सरकार और लोगों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी भी माना जाता है। लेकिन आज के परिदृश्य में पुलिस व्यवस्था बदल दी गई है और उन्हें अपनी ड्यूटी के दौरान काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और दूसरी ओर भ्रष्ट आचरण के कारण पुलिस की आलोचना भी होती है। इस प्रकार, इस शोध पत्र के द्वारा भारत में पुलिस प्रणाली में सुधारों पर पर्याप्त प्रकाश डाला है।

शब्द कुंजी – पुलिस, पुलिस सुधार समितियां, पुलिसिंग के सिद्धांत, शक्तियां और कार्य।

प्रस्तावना – भारत में पुलिस की अवधारणा अंग्रेजों द्वारा पेश की गई थी। देश में पुलिस कार्य के क्षेत्र से संबंधित कानूनों को अब तक ठीक से बढ़ाया नहीं गया है। भारतीय पुलिस अधिनियम, 1861 ब्रिटिश भारत में अधिनियमित किया गया था जो पुलिस की भूमिका, कार्यों, कर्तव्यों और शक्तियों को प्रदान करता है। इसके अलावा, आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 में समय-समय पर संशोधन किया गया है जो पुलिस को गिरफ्तारी, जांच, तलाशी और जब्ती करने की शक्ति प्रदान करता है। समाज की सुरक्षा सुनिश्चित करना राज्य का प्राथमिक कर्तव्य है। समाज के लिए खतरे के दो स्रोत हो सकते हैं या तो यह आंतरिक या बाहरी हो सकता है इसलिए दोनों ही दृष्टि से राज्य का कर्तव्य है कि वह समाज की रक्षा करे इसलिए इस उद्देश्य के लिए राज्य ने उपयुक्त क्षेत्रों के लिए विभिन्न पुलिस बलों की स्थापना की है। पुलिस समाज का अहम हिस्सा है। समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक अच्छी पुलिस व्यवस्था की आवश्यकता है। पुलिस भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली का एक कार्यकर्ता है इसलिए इसे अपने क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में शांति बनाए रखने और कानून और व्यवस्था लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। इसका प्राथमिक कर्तव्य लोगों के जीवन और संपत्ति की रक्षा करना और उन्हें हिंसा, धमकी, उत्पीड़न और अव्यवस्था से बचाना है। मूल रूप से, पुलिस राज्य द्वारा सशक्त व्यक्तियों का एक गठित निकाय है, जो कानून को लागू करने, लोगों और संपत्ति की रक्षा करने और अपराध और नागरिक अव्यवस्था को रोकने के लिए है।

पुलिस को आपराधिक न्याय प्रणाली का एक अनिवार्य हिस्सा माना जाता है। उनका मुख्य कर्तव्य अभियोजन पक्ष के लिए समाज से अपराधी को चुनना और उन्हें उनके अपराध के लिए दंडित करना है। पुलिस को सरकार और जनता के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी भी माना जाता है। आपराधिक न्याय प्रणाली के तहत पुलिस अभियोजन और न्यायपालिका से भी जुड़ी हुई है। चूंकि पुलिस आपराधिक न्याय प्रणाली का पहला आवश्यक तत्व है, इसलिए इसे सभी आवश्यक कार्य करने होते हैं जैसे कि इसे अपराध की जांच करना, अपराधियों को गिरफ्तार करना, अपराध के दृश्य से सभी सबूत इकट्ठा करना, इकबालिया बयान दर्ज करना और अपराधी को पेश करना है। मजिस्ट्रेट के सामने गिरफ्तारी और तलाशी और जब्ती, आदि, ये बुनियादी कार्य हैं जो पुलिस को बढ़ते अपराध दर के कारण अपने दैनिक कामकाज में करने पड़ते हैं।इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि पुलिस को आपराधिक न्याय के प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है।

1947 में जब तक भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई; पुलिस प्रशासन भारत में सर्वश्रेष्ठ प्रणालियों में से एक के रूप में विकसित हुआ था। भारत के संविधान का अनुच्छेद 246 राज्य की सूची में पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था, अदालतों, जेलों और अन्य संबद्ध संस्थानों को रखता है। यह निर्दिष्ट करता है कि पुलिस प्रशासन एक राज्य की जिम्मेदारी है। राज्य सरकार उन नियमों और विनियमों को बनाती है जो प्रत्येक राज्य के पुलिस बल को नियंत्रित करते हैं। हालांकि, यह पुलिस प्रशासन में केंद्र सरकार की भूमिका को कम नहीं करता है। केंद्र सरकार की भूमिका पुलिस प्रशासन के लिए कानून बनाने और बुनियादी पुलिस कानूनों में संशोधन करने से संबंधित है। पुलिस सरकारी संगठन है, जो दुनिया के लगभग सभी नागरिक समाजों में कानून और व्यवस्था, सुरक्षा, शांति बनाए रखने और आम जनता को नुकसान से बचाने के लिए जिम्मेदार है। भारत में पुलिस का मुख्य कार्य अपराध की रोकथाम, सार्वजनिक व्यवस्था का रखरखाव, देश में कानून व्यवस्था को

लागू करना, नागरिकों की रक्षा करना और उनकी संपत्ति की रक्षा करना है।

पुलिस पदानुक्रम: राज्य पुलिस बल में कार्यरत पुलिस अधिकारियों के पदानुक्रम में पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप निरीक्षक, पुलिस अधीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक, मंडल निरीक्षक, उप-निरीक्षक, प्रमुख शामिल हैं। कांस्टेबल और भर्ती कांस्टेबल, आदि। प्रशासनिक सुविधा के लिए, एक या एक से अधिक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और पुलिस उपाधीक्षक हो सकते हैं। पुलिस अधीक्षक क्षेत्र में पूरे पुलिस बल के लिए जवाबदेह है और जहां तक कानून और व्यवस्था का सवाल है, वह जिला मजिस्ट्रेट के प्रति जिम्मेदार है। किसी भी मामले में, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, हैदराबाद आदि जैसे महानगरीय शहरों में, पुलिस अधीक्षक और जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ एक ही अधिकारी में शामिल होती हैं जिसे पुलिस आयुक्त कहा जाता है। संविधान राज्य को पुलिस के कामकाज को नियंत्रित और विनियमित करने की विशेष शक्ति देता है क्योंकि सार्वजनिक व्यवस्था और पुलिस, रेलवे और ग्राम पुलिस सहित, राज्य के विषय हैं। इसके अलावा, केंद्र सरकार केवल केंद्रीय पुलिस रिजर्व बल, सीमा सुरक्षा बल और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के साथ-साथ केंद्रीय खुफिया और जांच ब्यूरो के प्रशासन से संबंधित है। हालांकि भारत के संविधान में पुलिस को सूची में एक राज्य विषय के रूप में शामिल किया गया है, इसमें संघ सूची में संबद्ध और अर्ध-पुलिस विषयों की एक लंबी सूची शामिल है। उदाहरण के लिए, रोकथाम निरोधा, हथियार, गोला-बारूद, विस्फोटक, प्रत्यर्पण, पासपोर्ट आदि केंद्र सरकार की एकमात्र जिम्मेदारी है। निचले रैंकों की सेवा की चयन और शर्तें राज्य सरकार की शक्ति के भीतर हैं।

आधुनिक भारत में पुलिस की श्रेणियाँ – पुलिसिंग के लिए आधुनिक भारत में पुलिस की श्रेणियां निम्नलिखित हैं :-

सामान्य पुलिस : भारत के संविधान के अनुच्छेद 246 में प्रावधान है कि 'पुलिस' 'राज्य विषय' है (राज्य सूची -2, प्रविष्टि 2)। यह राज्य के लिए है कि वे अपने संबंधित क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्रों में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए अपने स्वयं के पुलिस बल को बनाए रखें। सामान्य पुलिस अपराधों की रोकथाम और समाज में रोजमर्रा की कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए होती है। इसका मुख्य संबंध आम लोगों के दैनिक क्रियाकलापों से है। सामान्य पुलिस आमतौर पर पुलिस लाइन, पुलिस चौकी और उसके बाद के रूप में रहती है। इसे जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल किया जाता है। सामान्य पुलिस में, पुलिस महानिरीक्षक (राज्य के) से लेकर एक कांस्टेबल तक प्रत्येक पुलिस अधिकारी शामिल होते हैं।

यातायात पुलिस : यातायात पुलिस यातायात नियंत्रण और सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए होती है। यातायात पुलिस का मुख्य कार्य सड़क नियमों का उल्लंघन करने वालों को दंडित करने के लिए जनता पर यातायात नियमों को लागू करना है।

महिला पुलिस : महिला पुलिस का काम महिला अपराधियों की तलाश करना और उन्हें गिरफ्तार करना है। इसका मुख्य कार्य महिलाओं में होने वाले अपराधों को रोकना और उन्हें अपराधियों से बचाना है।

होमगार्ड पुलिस : वे बाढ़, अकाल या अन्य आपदाओं के समय पुलिस की सहायता करते हैं। कानून और व्यवस्था को बहाल करने में पुलिस की मदद करने के लिए आपातकाल के समय उनकी सेवाओं का उपयोग किया जाता है।

पुलिस की आपराधिक जांच शाखा: पुलिस की आपराधिक जांच शाखा गंभीर अपराधों के बारे में गोपनीय रूप से जांच करने के लिए होती है। इनका मुख्य कार्य गंभीर अपराधों की जांच करना और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना है। ये शाखाएं वास्तव में सामान्य पुलिस की मदद के लिए हैं जो किसी मामले की गोपनीय जांच की रिपोर्ट मिलने पर आगे बढ़ती हैं।

रेलवे पुलिस : रेलवे पुलिस रेलवे में कानून व्यवस्था बनाए रखती है। यह रेलवे स्टेशनों, ट्रेनों और रेलवे के किसी भी अन्य परिसर और रेलवे पटरियों पर होने वाले अपराधों को रोकता है। इसका मुख्य कार्य रेलवे संपत्ति की चोरी को रोकना, रेलवे कर्मचारियों को उनके कर्तव्य के प्रदर्शन में सहायता करना और ट्रेनों या रेलवे परिसरों में पाए जाने वाले सभी अपराधियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करना है।

मिलिट्री पुलिस : मिलिट्री पुलिस सैनिकों पर नियंत्रण रखने के लिए होती है। यह सैन्य क्षेत्रों और बैरकों में अनुशासन और व्यवस्था बनाए रखता है। सैन्य पुलिस सेना, नौसेना और वायु सेना में एक दूसरे के हस्तक्षेप के बिना स्वतंत्र रूप से कार्य करती है।

सीमा सुरक्षा बल : यह देश की सीमाओं पर तैनात है। यह विदेशियों की घुसपैठ को रोकता है। यह भूमि को सीमावर्ती राज्यों के कब्जे से बचाता है।

केंद्रीय रिजर्व पुलिस : वे अपने कार्यों को करने में सामान्य पुलिस की सहायता करते हैं।

केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल : इसकी स्थापना 10 मार्च, 1969 से हुई थी। शुरुआत में इसे दुर्गापुर स्टील प्लांट में शुरू किया गया था और अब इसे भारत के लगभग सभी प्रमुख सार्वजनिक उद्योगों में शामिल कर लिया गया है।

भारत में पुलिस सुधार समितियाँ

(1) गोर समिति (1971-1973) : राज्य पुलिस बल में कांस्टेबुलरी स्तर से आईपीएस स्तर तक पुलिस प्रशिक्षण प्रणाली की समीक्षा के लिए 1971 में गोर समिति का गठन किया गया था। समिति ने कुल 186 सिफारिशें कीं जिनमें से केवल 45 पुलिस सुधारों से संबंधित थीं। पुलिस प्रशिक्षण प्रणाली से संबंधित अधिकांश सुधार लागू किए जा चुके हैं।

(2) राष्ट्रीय पुलिस आयोग (1977-1982): भारत में पुलिस संगठन की संपूर्ण प्रणाली और कार्यप्रणाली की जांच के लिए 1977 मंस राष्ट्रीय पुलिस आयोग (एनपीसी) की स्थापना की गई थी। आयोग ने पुलिस सुधारों पर 291 सिफारिशों के साथ आठ रिपोर्ट प्रस्तुत की और एक मॉडल पुलिस अधिनियम की भी सिफारिश की। इन रिपोर्टों में कांस्टेबुलरी के काम करने और रहने की स्थिति, पुलिस की भूमिका, कर्तव्यों, शक्तियों और जिम्मेदारियों, उनके वेतन ढांचे, आवास सुविधाओं और उनके कैरियर की योजना, पुलिस परिवारों के कल्याण, पुलिस में भ्रष्टाचार, आधुनिकीकरण से संबंधित मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। पुलिस, ग्राम पुलिस, महिला पुलिस, राज्य और नागरिक पुलिस का संगठन और ढांचा, उनकी जवाबदेही और प्रदर्शन।

(3) रिबेरो कमेटी (1998): इस कमेटी का गठन 1998 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पंजाब के पूर्व पुलिस महानिदेशक श्री जूलियस रिबेरो की अध्यक्षता में किया गया था। समिति ने पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) के चयन पर ध्यान केंद्रित करते हुए पांच प्रमुख सिफारिशें प्रस्तावित कीं और स्थानांतरण, पदोन्नति, पुरस्कार, दंड, निलंबन और नीचे के अधिकारियों के सभी सेवा संबंधी मामलों पर निर्णय लेने के लिए बोर्ड के निर्माण का सुझाव दिया। पुलिस उपाधीक्षक का पद। समिति ने राज्य सुरक्षा आयोग की स्थापना

से संबंधित सिफारिशों को भी अंतिम रूप दिया। इस समिति द्वारा की गई सिफारिशों को अभी तक लागू नहीं किया गया है।

(4) आपराधिक न्याय प्रणाली पर मालिमथ समिति (2001- 2003) : मालिमथ समिति ने आपराधिक न्याय प्रणाली के सिद्धांतों, जांच, अभियोजन, न्यायपालिका, अपराध और दंड जैसे मुद्दों पर कुल 158 प्रमुख सिफारिशें दी। इस समिति की प्रमुख सिफारिश 'द राइट टू साइलेंस' थी। यह संविधान के अनुच्छेद 20(3) के तहत नागरिक को दिया गया एक मौलिक अधिकार है, जो कहता है कि किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। समिति ने यह भी सिफारिश की कि पीड़ित को स्वयं आपराधिक मुकदमों में भाग लेने का अधिकार मिलना चाहिए।

(5) पुलिस अधिनियम मसौदा समिति (पीएडीसी) (2005-2006): पुलिस अधिनियम, 1861 को बदलने के लिए एक नए पुलिस अधिनियम का मसौदा तैयार करने के लिए श्री सोली सोराबजी की अध्यक्षता में पीएडीसी की स्थापना की गई थी। 11 सदस्य, जिन्होंने 16 अध्यायों और 221 धाराओं के साथ एक व्यापक अधिनियम की सिफारिश की। इस समिति का मुख्य उद्देश्य एनपीसी द्वारा तैयार किए गए मॉडल पुलिस अधिनियम और अन्य मसौदा मॉडल पुलिस अधिनियमों की जांच करना और पुलिस की बदलती भूमिका और जिम्मेदारियों के अनुसार संशोधनों का सुझाव देना और एक मॉडल अधिनियम का मसौदा तैयार करना था जो राज्यों को अपने स्वयं के अपनाने के दौरान मार्गदर्शन कर सके। समिति ने कार्य पद्धति सहित पुलिस के व्यवहार में बदलाव के उपाय भी सुझाए।

पुलिसिंग के सिद्धांत: सरकार के लोकतांत्रिक ढांचे में पुलिस बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्हें लोगों का विश्वास जीतना चाहिए। एक स्वतंत्र, अनुज्ञेय और सहभागी लोकतंत्र में अंतर्निहित पुलिसिंग के सिद्धांतों को संक्षेप में निम्नानुसार किया जा सकता है:-

मानव मामलों में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की दिशा में योगदान करने के लिए;

1. सुरक्षा के साथ स्वतंत्रता की सहायता और सामंजस्य स्थापित करना, और कानून के शासन को बनाए रखना;
2. मानवाधिकारों को बनाए रखना और उनकी रक्षा करना;
3. लोगों का विश्वास जीतने में योगदान देना;
4. व्यक्तियों और संपत्ति की सुरक्षा को मजबूत करना;
5. अपराधों की जांच, पता लगाने और अभियोजन को सक्रिय करने के लिए;
6. राजमार्गों पर आवाजाही को सुगम बनाना और सार्वजनिक अव्यवस्था को रोकना;
7. बड़े और छोटे संकटों से निपटने के लिए और हर महीने समय-समय पर जन शिकायत निवारण बैठकें आयोजित करके संकट में पड़े लोगों की मदद करना।

सभ्य समाज में पुलिस का महत्व: एक सभ्य समाज में विशेष रूप से आपराधिक न्याय के प्रशासन के क्षेत्र में पुलिस की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। पुलिस कानून को लागू करने और समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। आधुनिक काल में पुलिस न केवल अपराधों की रोकथाम और अपराधियों की पहचान का कार्य करती है बल्कि कल्याणकारी कार्य जैसे यातायात नियमों के पालन में सहायता, सार्वजनिक सभाओं और मेलों में भीड़ को नियंत्रित करना, फायर ब्रिगेड और बाढ़ बचाव दलों की मदद करना और जनता की मदद करना भी करती है। छोटे-मोटे विवाद निपटाने में। इस प्रकार, पुलिस को 'समाज के विवेक रक्षक' के रूप में देखा जाता है।

पुलिस की शक्तियां और कार्य: पुलिस निम्नलिखित कार्य करके समाज में एक प्रमुख भूमिका निभाती है:-

अपराध की रोकथाम: पुलिस का मुख्य कार्य अपराध की रोकथाम करना है। पुलिस का यह प्राथमिक कर्तव्य है कि वह अपराध होने पर मौके पर पहुंचे, उसे जल्द से जल्द सूचना दी जाए और उसकी घटना को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए।

गश्त और निगरानी: पुलिस के महत्वपूर्ण कार्यों में से एक विशेष रूप से निगरानी के तहत शहरी क्षेत्र में निगरानी और निगरानी ड्यूटी के रूप में गश्त करना है, प्रत्येक पुलिस स्टेशन में डोजियर और वॉच चार्ट रखे जाते हैं

अपराधियों की गिरफ्तारी: पुलिस किसी व्यक्ति को संज्ञेय अपराधों में वारंट के बिना और गैर-संज्ञेय अपराधों में वारंट के साथ गिरफ्तार कर सकती है। यह समाज में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन की मदद के लिए है।

अपराधियों की जांच और पूछताछ एफआईआर दर्ज करने के बाद जांच और पूछताछ भी पुलिस के बुनियादी कर्तव्यों में से एक है। सभी जांच और पूछताछ पुलिस की नौकरी के हिस्से से काम करती है चाहे आईपीसी या किसी अन्य विशेष कानून के तहत अपराध किया जाता है, जहां पुलिस को ऐसी जिम्मेदारी लेने का अधिकार है।

अपराधियों या संदिग्धों से पूछताछ मामले के तथ्य का पता लगाने के लिए पुलिस उन सभी व्यक्तियों से पूछताछ कर सकती है जिन पर वह अपराध करने से जुड़ा है। वे संदिग्धा की तलाशी ले सकते हैं। तलाशी का अर्थ सामाजिक सुरक्षा के उपाय के रूप में किसी संदिग्धा व्यक्ति की जेब और कपड़ों की जांच करना है।

खोज और जब्ती: तलाशी और जब्ती पुलिस द्वारा की जाने वाली जांच का एक हिस्सा है। ऐसी तलाशी और जब्ती अनुचित नहीं होनी चाहिए और इसे कानून के अनुसार किया जाना चाहिए। तलाशी और जब्ती पुलिस द्वारा वारंट के साथ या उसके बिना की जा सकती है।

पुलिस के सामने समस्याएं:

1. पुलिस अधिकारियों के कहने पर संभावित उत्पीड़न के डर से अपराध का पता लगाने और अपराधी को पकड़ने में लोगों के सहयोग का अभाव।
2. लोगों में सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना का अभाव अपराधों को नियंत्रित करने में पुलिस की विफलता के लिए उत्तरदायी है।
3. राजनेताओं का अपराधीकरण पेशेवर अपराधियों को अवांछनीय संरक्षण प्रदान करता है और अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही बंद करने के लिए पुलिस पर बहुत दबाव डालता है।
4. यहां तक कि अदालतें भी पुलिस द्वारा पेश किए गए सबूतों को शक की निगाह से देखती हैं।
5. उच्च पुलिस अधिकारी अपने व्यक्तिगत और घरेलू कार्यों के लिए निम्न संवर्ग की पुलिस की सेवाओं का उपयोग करते हैं। भारत में पुलिस अपनी विविध गतिविधियों से प्रभावी ढंग से समाज के विकास की समस्याओं से नहीं निपट सकती है। कानून और व्यवस्था की बढ़ती समस्याओं और हिंसा की बढ़ती घटनाओं ने पुलिस प्रशासन की दक्षता

को बुरी तरह से छिन्न-भिन्न कर दिया है।

पुलिस की आलोचना: अपराधियों को पकडऩा, अपराधों की जांच, यातायात पर नियंत्रण, अश्लील साहित्य या फिल्मों के खिलाफ कार्रवाई, नागरिक सुरक्षा के साथ-साथ अग्निशमन सेवाओं की सहायता करना, राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ-साथ विभिन्न प्रकार के कार्यों के कारण जबरदस्त काम को देखते हुए निजी संपत्ति, व्यक्ति का व्यक्ति आदि उस पर थोपा गया और जनता के साथ पुलिस अधिकारियों के उत्पीड़न के रवैये ने पुलिस के खिलाफ और इसकी कार्यप्रणाली के बारे में बहुत आलोचना की है। भारत में पुलिस के खिलाफ कुछ मुख्य आलोचनाएँ इस प्रकार हैं:

1. आपराधिक मामलों में पुलिस द्वारा जांच कार्य ठीक से नहीं किया जाता है। आपराधिक मामलों की जांच व्यापक रूप से विकलांग है और वैज्ञानिक उपकरणों के बड़े पैमाने पर उपयोग के अभाव में दुरुपयोग प्रदान करती है।
2. व्यापक विवेकाधीन शक्तियाँ पुलिस में निहित हैं।
3. पुलिस कभी-कभी अपराधों की जांच के दौरान अतिरिक्त-कानूनी तरीकों का सहारा लेती है।
4. पुलिस द्वारा अपराधों को रोकने के लिए किए गए रोकथाम के उपाय कभी-कभी बहुत परेशान करने वाले हो जाते हैं।
5. पुलिस द्वारा घटना स्थल पर पहुंचने में देरी से स्थिति बिगड़ जाती है।
6. आम जनता के बीच पुलिस की छवि इतनी खराब है कि आम आदमी इसके साथ कोई सहयोग करने के लिए आगे नहीं आता है।

भारत में पुलिस की विफलता के कारण- पुलिस अपने मकसद में पूरी तरह विफल रही है। पुलिस की नाकामी के ये हैं कारण:

1. अपने कर्तव्य के दौरान पुलिस द्वारा विवेकाधीन शक्ति का दुरुपयोग जैसे वारंट के बिना गिरफ्तारी, बिना किसी आदेश के घर या जगह की तलाशी आदि।
2. दमनकारी रवैया भारत में पुलिस प्रणाली की विफलता का एक अन्य कारण है। अपनी ड्यूटी के दौरान जनता के प्रति जो रवैया दिखाया गया जैसे कैदियों पर अत्याचार करना, भीड़ पर गोली चलाना, पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज करते समय दिखाया गया रवैया पुलिस के दमनकारी रवैये के कुछ उदाहरण हैं।
3. पुलिस व्यवस्था की विफलता का एक प्रमुख कारण भ्रष्टाचार भी है क्योंकि पुलिस विभाग में अवैधा रूप से पैसा कमाने या रिश्वत लेने की प्रवृत्तिा चरम पर है।
4. जनता द्वारा सहयोग की कमी पुलिस प्रणाली की विफलता का एक अन्य प्रमुख कारण है। इसके पीछे कारण यह है कि पुलिस और जनता के संबंध कुछ हद तक दागदार हैं और लोग आमतौर पर पुलिस से डरते हैं। वे हमेशा पुलिस से संपर्क से बचना पसंद करते हैं।
5. मानवीय कमजोरी को भी पुलिस की असफलता का एक कारण माना जाता है क्योंकि पुलिस भी मनुष्य ही होती है। वे भी मानवीय कमजोरियों से पीड़ित हैं। उनमें भी पक्षपात और पक्षपात है। वे भी लालची हैं और पैसे के लिए काम करते हैं।

निष्कर्ष- समाज में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारत में पुलिस प्रणाली की शुरुआत की गई थी। इनका मुख्य उद्देश्य जनता को अपराध मुक्त वातावरण प्रदान करना है। पुलिस समाज के सबसे महत्वपूर्ण विभागों में से एक है। पुलिस का सीधा संबंध जनता और सरकार से होता है। पुलिस आपराधिक न्याय प्रणाली के लिए पहला कदम है। उनका प्राथमिक कर्तव्य अपराध की जांच करना, अपराधियों से समाज की रक्षा करना, अपराधियों को पकड़ना और उन्हें दंडित करना और उन्हें सलाखों के पीछे डालना है। पहले पुलिस को एक सम्मानित पेशा माना जाता था और समाज की नज़रों में उसकी अच्छी छवि भी थी लेकिन अब पुलिस अपनी विवेकाधीन शक्ति, दमनकारी नीति, भ्रष्टाचार के दुरुपयोग के कारण अपने कर्तव्यों का पालन करने में विफल रही है।

इस प्रकार पुलिस की विफलता को दूर करने के लिए पुलिस व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. डॉ. बसंतीलाल बघेल, पुलिस गाइड, (द लॉयर्स होम, इंदौर, संस्करण 2013)
2. एस.एम.ए. कादरी, क्रिमिनोलॉजी, पेनोलॉजी एंड विक्टिमोलॉजी (ईस्टर्न बुक कंपनी, चंडीगढ़, सातवां संस्करण, 2016)
3. आर.के. राघवन, पोलिसिंग इन डेमोक्रेसी, ए कम्पेरेटिव स्टडी ऑफ इंडिया एंड यूएसए पृष्ठ. 9 (मनोहर पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, दिल्ली, 1999)
4. http://www.academia.edu/6671505/Problems_by_police
5. डॉ. एस.आर. माइनेनी, क्राइम एंड क्रिमिनोलॉजी (इलाहाबाद लॉ एजेंसी, फरीदाबाद, पहला संस्करण, 2017)
6. एन.वी.प्रांजपे, क्रिमिनोलॉजी, पेनोलॉजी एंड विक्टिमोलॉजी (सिएलपी, इलाहाबाद 17वां संस्करण 2017)
7. डॉ. एस.आर. माइनेनी, पेनोलॉजी एंड विक्टिमोलॉजी (इलाहाबाद लॉ एजेंसी, फरीदाबाद, पहला संस्करण, 2017)
8. डॉ. मुरलीधर चतुर्वेदी, दंड प्रक्रिया संहिता, (इलाहाबाद विधि एजेंसी प्रकाशन, 2009)

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XL

मेवाड़ महाराणा प्रताप से सम्बंधित ऐतिहासिक स्थल

हुकुम जोशी *

* शोधार्थी, इतिहास विभाग सामाजिक एवं मानविकी महाविद्यालय, मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय,उदयपुर (राज.) भारत

शोध सारांश – मेवाड़ शासक महाराणा प्रताप 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अपने सम्पूर्ण जीवन काल में मुगल शासक अकबर से संघर्ष करते रहे लेकिन उसकी अधीनता स्वीकार नहीं की। प्रताप ने अपने यौद्धा जीवन में प्राकृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों का चयन अपनी राजधानी व सैनिक छावनी के रूप में किया जिनमें से कुम्भलगढ़,गोगुन्दा,मायरा गुफा शस्त्रागार,मचीन,कमलनाथ आवरगढ़ उनकी सैन्य रणनीति के परिचायक रहे। वही दूसरी ओर झरनों की सराय स्थल उनकी स्थापत्य सृजनत्माकता को दर्शाता हैं।

शब्द कुंजी – मेवाड़,महाराणा प्रताप,स्वतंत्रता,मायरा गुफा,झरनों की सराय।

प्रस्तावना – आत्महवि से स्वातंर्त्यदीप को सतत् प्रज्वलित रखने वाले भारतीय सभ्यता संस्कृति-संरक्षक, संर्वधक एवं अजस्र वीरता की साक्षात् प्रतिमूर्ति सिसोदिया कुलावंतस महाराणा प्रताप का सम्पूर्ण जीवनवृत राष्ट्राराधन परम्परा प्रवाह के सातत्य एवं स्वाभिमान, संघर्ष, राष्ट्राभिमान, की भावनाओ के स्फुरणार्थ अपने आप में अद्धितीय आदर्श है।

सबल यवन मुगल सम्राट अकबर के विरूद्ध सवल्प संसाधनो से किन्तु उच्चमनोबल, कुषल संगठन एवं प्रषासनिक क्षमताओं से पुष्ट प्रणवीर प्रताप का सतत संघर्षमय जीवन अपने आप में शाष्वत अभियान है, जो युगो युगो तक घोर संकट में भी राष्ट्राभिमान युक्त जीवन निर्वहन के साथ-साथ भारत की स्वतंत्रता को अक्षुण्ण बनाये रखते हुये उसके प्रतिफल को कश्मीर से कन्याकुमारी, अटक से कटक पर्यन्त निवासरत भारतीय प्रजा के लिये सार्थक करने हेतु प्रेरणापुंज है।

मेदपाट/मेवाड़ का प्राच्यऐतिह्य गौरव और महत्व यहा प्रवहामाण सरितातटों पर अवस्थित बागौर, गिलुण्ड, ईसवाल, आहड़ इत्यादि मेसोलिथिक, ताम्रयुगीन सभ्यताओं के प्रकाशन से स्वंय सिद्ध है। तथापि 7 वीं शताब्दी का मेवाड़ के इतिहास में विशिष्ट महत्व है, क्योंकि, यही वह समय था जब गुहिल वंश की स्थापना के साथ ही मेवाड़ एक स्पष्ट राजनीतिक इकाई के रूप में उदित हुआ। इस समय तक भारतवर्ष पर बाह्य आक्रमण होने लगे थे, और भारतीय सभ्यता संस्कृति नष्ट भ्रष्ट होने लगी थी। मेवाड़ में हारित ऋषि से प्रेरणा, राज्य, वर एवं लक्ष्मी का अशेष आशीष प्राप्त कर बप्पारावल ने विधर्मियों से निज सभ्यता, संस्कृति, धर्म, गौरव के संरक्षण का सफल प्रयास किया। बप्पा के इस प्रतिरोध को इनके वंशजों खुमाण, जैत्रसिंह आदि ने 1303 ई. में दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के अधिकार से पूर्व तक यथावत रखा।

दिल्ली शासक अलाउद्दीन खिलजी द्धारा 1303ई. में हस्तगत चितौड़ पर 1326ई. में गुहिल वंश की एक शाखा सीसोदा जागीर के सामन्त हमीर ने पुन: अधिकार कर लिया। इस वंश के क्रम में महाराणा कुम्भा भी उल्लेखनीय है जो कि धर्मरक्षक, वीर, साहसी, राष्ट्राभिमानी शासक के रूप में प्रसिद्ध रहे। इनके राजत्व में मेवाड़ का बहुमुखी विकास हुआ। महाराणा कुम्भा के अनन्तर 16 वीं शताब्दी में महाराणा सांगा का शासन काल 1509 ई. से 1528ई. पर्यन्त शौर्यपूर्ण घटना-प्रधान और वैविध्यपूर्ण रहा और इसी कालखण्ड में दिल्ली सल्तनत के प्रभाव में न्यूनता आ गयी, फलत: मेवाड़ एक अभिनव शक्ति केन्द्र के रूप में स्थापित होकर उत्तर भारत की एक प्रमुख राजनीतिक धुरी के रूप में कार्यशील हुआ। परिणामस्वरूप मुगल आक्रान्ता बाबर से मेवाड़ शासक संग्रामसिंह प्रथम का भीषण संघर्ष हुआ परन्तु खानुवा युद्ध की पराजय के पश्चात् मेवाड़ के गौरव और गरिमा को ग्रहण लग गया।

महाराणा सांगा के अवसान पश्चात महाराणा रत्न सिंह से पासवान बनबीर पर्यन्त मेवाड़ की स्थिति चिन्तनीय रही। धाय पन्ना के बलिदान के फलस्वरूप सुरक्षित उदयसिंह को कुम्भलगढ़ में सभी सामन्तों ने 1537 ई. में मेवाड़ महाराणा के पद पर अभिशिक्त कर दिया। महाराणा उदयसिंह का विवाह पाली के अखेराज सोनगरा की पुत्री राजकुमारी जेवन्ती बाई के साथ सम्पन्न हुआ और इसी के साथ मेवाड़ के उत्थान और महानायक वीर प्रताप के अवतरण की पूर्वपीठिका की संरचना प्रारम्भ हो गयी।

प्रताप का जन्म स्थल कुम्भलगढ़ – महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ई. (ज्येष्ठ सुदी 3,रविवार , वि.स.1597) में हुआ। गौरीशंकर हीराचंद ओझा अपनी पुस्तक श्उदयपुर राज्य का इतिहासश् में लिखते हैं कि '...हमारे पास वाले ज्योतिषी चंडू के यहाँ के जन्मपत्रियों के संग्रह में महाराणा प्रताप की जन्मपत्री विद्यमान है। उसी के आधार पर उक्त तिथि दी गयी है।.....' कुछ इतिहासकार प्रताप का जन्म स्थान मारवाड़ में स्थित पाली में अपने ननिहाल में मानते हैं। इतिहासकार डॉ.देवीलाल पालीवाल,डॉ.चन्द्रशेखर शर्मा, राजेंद्रशंकर भट्ट ,डॉ.गोपीनाथ शर्मा आदि विद्धान प्रताप का जन्म कुम्भलगढ़ में मानते हैं। उनके अनुसार राजघरानों में रानी अपने पितृगृह से दासियाँ, नौकर चाकर ,कामदार साथ लेकर ससुराल आती थी जिनकी सुरक्षित देखरेख में प्रसव कार्य संपन्न होता था तथा पुत्रोत्पत्ति पर बधाई स्वरुप पगलियाँ तथा 'हरि' ननिहाल में भेजी जाती थी। ये परंपरा आज भी राजपूत परिवारों में प्रचलित है। अत: प्रताप का जन्म कुम्भलगढ़ स्थित राजमहलों में ही हुआ और वर्त्तमान में उस जन्म-

स्थान के कक्ष को पूजित स्थल के रूप में स्वीकार किया जाता हैं। वर्तमान तक सभी इतिहासकारों के द्वारा इस मत को स्वीकार किया जाता है कि महाराणा प्रताप के प्रारंभिक जीवन और उनकी शिक्षा-दीक्षा सम्बन्धी जानकारी बहुत कम उपलब्ध है। इस सन्दर्भ में जानकारी प्राचीन बडवा पोथियों, ख्यातों, बातों, डिंगल वांग्मयों व शिलालेखों में उपलब्ध होती हैं।

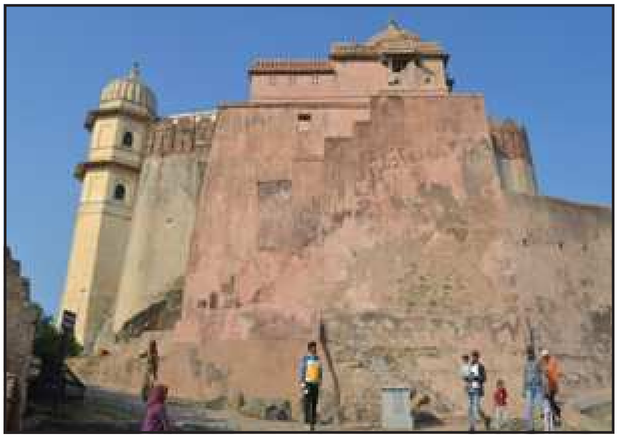

कुम्भलगढ़ स्थित प्रताप के जन्मस्थल वाले महल

प्रताप अपने सम्पूर्ण जीवन काल में मुगल अकबर से संघर्ष करते रहे और हल्दीघाटी(1576 ई.) व दिवेर(1581ई. से 1583ई.के मध्य) की लड़ाइयों में अपने शौर्य को चरितार्थ किया और मेवाड़ की स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखते हुए 19 जनवरी,1597ई.को स्वर्गवासी हुए।

झरनों की सराय में स्थित विष्णु मन्दिर और जल कुंड - झरनों की सराय में एक विष्णु मन्दिर पश्चिम दिशा में स्थित है। मन्दिर के बगल पश्चिमोत्तार दिशा में एक सीढियों युक्त कुण्ड स्थित है। स्थानीय जनश्रुति एवं मंदिर के पुजारीजी के अनुसार महाराणा प्रताप की दादी ने मन्दिर के बहुत करीब एक सराय का निर्माण करवाया। इसलिए इस स्थान को उनके नाम झरना के नाम से जाना जाता है। विष्णु मन्दिर एक गुढ़मण्डप और मण्डप के साथ एक त्रिरथ पर है। यहाँ गर्भगृह में विष्णु की प्रतिमा स्थापित है जिनको हाथों में गदा और चक्र लिए दर्शाया गया हैं। प्रवेश द्वार पर द्वारपाल हैं और स्तम्भ अलंकरण प्रतीक के बिना सरल रूप में निर्मित है। मण्डप का आधार स्तम्भों पर है। गुमण्डप में आमने-सामने दो ताके है, जिसमें बायीं ओर गणेश की प्रतिमा को स्थान दिया गया है, जबकि दाहिनी ओर की ताक खाली है।

मन्दिर का शिखर भाग कलश के चित्रण सहित लघु श्रृंग और उरु-श्रृंग से युक्त है। आमलक (अमलशिला) के नीचे कंठ में चार मानव-मुख निर्मित हैं जिनको चारों दिशाओं में अर्थात् चार तरफ से दर्शाया गया है। बरामदा में शिखर के निचले हिस्से में ताक है, लेकिन ये सभी खाली है। इस मन्दिर की वास्तुकला बहुत ही सरल है, और जहाँ तक वास्तुकला साम्यता का प्रश्न है, यह उदय सागर के दक्षिणी छोर पर स्थित एक विष्णु मन्दिर से समानता रखता है। मन्दिर में लोहे की बहुत सी टिकियों का उपयोग किया गया है। मण्डप के छत के हिस्से में आकृति के रूप में छत की वास्तुकला का प्रभाव दिखाई देता है। प्रतीत होता हैं कि यह मंदिर पहले दुर्गा (महिषासुरमर्दिनी) को समर्पित किया गया होगा।

एक चौकोर कुण्ड (12x10मीटर) मन्दिर के पास स्थित है। कुण्ड धरातल में कुएँ से जुड़ा हुआ है। कुण्ड 3 मंजिला है, जिसमें सबसे ऊपरी मंजिला (प्रत्येक तरफ एक) में 4 ताकेँ हैं, जिसमें मूर्तियाँ हो सकती हैं। इसका आकार 64x48सेमी गहराई 30 सेमी हैं। उत्तरी भाग पर एक बरामदा है, जो 4 स्तम्भों पर बनाया गया है।

झरनों की सराय में स्थित विष्णु मन्दिर

झरनों की मुख्य सराय- झरनों की सराय में स्थित मन्दिर के करीब एक परकोटे युक्त मध्यकालीन भवन के अवशेष पाए गए है, जिसे स्थानीय तौर पर झरनों की सराय के नाम से जाना जाता है। इस भवन में 6 कमरे अभी भी अवस्थित है। यह उत्तर-दक्षिण में उन्मुख है। वर्तमान में स्थित 6 कक्षों में से 5 कक्ष आयताकार हैं। यह तराशे हुए पत्थरों से बने हैं, हालांकि प्रवेश द्वार पर दीवार और खिड़की के किनारों में कुछ सुन्दर कपड़े पहने हुए आकृतियाँ अकेरी हुए है। ग्रामीण के अनुसार यह सराय डबोक से उदयपुर जाने वाले पुराने ऐतिहासिक मार्ग पर स्थित है। यहाँ दो छोटे कमरे उत्तरी दिशा में स्थित है, जो एक दूसरे से जुड़े हुए है। पश्चिमी भाग पर दो प्रवेश द्वारों के साथ एक लम्बे आयताकार कक्ष के साथ 3 कक्ष है, जहाँ पर अनगढ़ पत्थरो से बनी मूल सीमा या परकोटे के कुछ हिस्से अभी भी बरकरार है। उपर्युक्त सर्वे विद्यापीठ साहित्य संस्थान निर्देशक जीवन जी खरकवाल सर्वे एवं उनकी टीम द्वारा 2019-2020 ई. में किया गया था लेकिन वर्तमान में इस सराय के केवल 3 मध्यकालीन कक्ष व परकोटे का कुछ हिस्सा ही अब अवशेष रूप में बचा है।

झरनों की सराय स्थित मध्यकालीन भवन सराय

खमनौर - नाथद्वारा से मोलेला होते हुए खमनौर की रक्त तलाई युद्ध स्थल तक 16 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ता है। खमनौर के पास ही रक्त

तलाई है जहां पर महाराणा प्रताप का अकबर की मुगल सेना के साथ युद्ध हुआ था।

बनास नदी – मौलेला छापर से खमनौर जाते समय रास्ते में बनास नदी पार करनी पड़ती है, जिसमें केवल वर्षा ऋतु में ही पानी रहता है।

बादशाह बाग – खमनौर बस स्टैण्ड से शाहीबाग तक की दूरी 2 किलोमीटर है। – सड़क मार्ग के दोनों ओर चेतक गुलाब के बगीचे हैं। प्राचीन समय में इस जगह (ऐरिया) का नाम राणा बीड़ था, रास्ते के किनारे वाली पहाड़ी का नाम 'बड़ा मगरा' है।

चेतक नाला – हल्दीघाटी पार करने के बाद चेतक नाला आता है, जिसका वर्तमान में प्राचीन स्वरूप बदल गया है। चेतक नाले की कुछ दूरी पर स्थित चेतक समाधि है जो कि वलिचा गाँव के निकट ही स्थित है।

लोहसिंग – हल्दीघाटी से उत्तर दिशा में 13 किलोमीटर की दूरी पर लोसिंग ग्राम है। मैदानी भूमि के इस ग्राम के दोनों ओर पहाड़ियां हैं। हाम्बुआ मंगरा एवं गौयड़ा पूर्व दिशा में तथा टैर, वक्टूर मंगरा पश्चिम दिशा में स्थित है।

घसार घाट – उदयपुर से ईसवाल जाते समय सड़क मार्ग पर पहाड़ी काट कर रास्ता बनाया गया है, इसे घसार घाट कहते हैं, यह लगभग 1 किलोमीटर की लम्बाई में है।

झरका घाट – ईसवाल सर्किल से गोगुन्दा जाने वाले सड़क मार्ग पर पहाड़ी काटकर बनाये गये रास्ते को झरका घाट के नाम से पुकारते हैं। इसके पास ही श्री नाथजी का पुराना मन्दिर है, जहाँ से मूर्तियों का नाथद्वारा स्थानान्तरण कर दिया गया था। ये सभी क्षेत्र प्रताप की राजधानी गोगुन्दा से समीप ही स्थित हैं।

टैंढ़ी टांगड़ी – ईसवाल सड़क से गोगुन्दा पहुँचने से पूर्व जो पहाड़ी स्थान आता है, उसे टैढ़ी टांगड़ी कहते हैं।

गोगुन्दा – गोगुन्दा स्थान मैदानी है और अरावली पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इस गांव के चारों ओर दो-दो मील की दूरी पर अरावली की ऊँची-ऊँची पहाड़ी श्रृंखलाएं स्थित है। ये गांव उदयपुर, कुम्भलगढ़ और हल्दीघाटी से आने वाले मार्गों के मध्य में स्थित है। यहां आने के लिए बड़े और फैले हुए पहाड़ों को पार करने के बाद ही प्रवेश पाया जा सकता था। यह सामरिक दृष्टि से सुरक्षित स्थान रहा जहां महाराणा के भील सैनिकों की बाहुल्यता रही हैं।

2

महाराणा प्रताप का राजतिलक स्थल

महाराणा उदयसिंह का स्वर्गवास भी गोगुन्दा में ही हुआ था जिनकी छत्री खेतेला तालाब की पाल पर पश्चिम दिशा में स्थित हैं। यहीं गोगुन्दा स्थित महादेव मंदिर की बावड़ी पर छतरी वाले स्थान पर महाराणा प्रताप का राजतिलक किया गया था। गोगुन्दा से दक्षिण में डेढ़ मील दूर धोलिया पहाड़ है, जहां पर राणामहल और राणी कोट है। इसके उत्तर में माल नामक मैदान है। वहां बड़ा घना जंगल है और जंगली जानवरों की बाहुल्यता है।

मायरा गुफा शस्त्रागार (गोगुन्दा के निकट स्थित) – गोगुन्दा से पूर्व होकर हल्दीघाटी के पहाड़ों में रास्ता जाता है। इस पहाड़ को लाम कहते हैं जिसे लांघने के बाद डेढ़ मील दूर एक नाले के पास पोली पहाड़ी के अन्दर गुफा है, जो ही मायरा की गुफा है। यहाँ 25 से 30 के लगभग गुफाएं है जो कि सैनिक छावनी के रूप में प्रताप के काल में प्रयुक्त हुई। युद्ध के वक्त इसे शस्त्रागार का रूप दिया हुआ था। यहां अनेक सैनिक भी रखे जाते थे। इसके ऊंचे पहाड़ी शिखर से 15 मील दूर तक आता कोई भी देखा जा सकता है, लेकिन वहां के लोगों को 15 कदम दूरी से भी कोई नहीं देख सकता था। यहां पर छोटा पानी का नाला भी था और वर्तमान में भी ये गुफाओं पर से झरने के रूप में अस्तित्वमान है जो वर्ष भर बहता रहता हैं। आवरगढ़ नामक पहाड़ी राजधानी भी (झाडोल के समीप) प्रताप का एक महत्तवपूर्ण ऐतिहासिक स्थल रहा हैं।

मायरा गुफा शस्त्रागार

मचीन – हल्दीघाटी से उत्तर पश्चिम की ओर लगभग 13 मील दूर करार स्थान के निकट यह एक गांव है। यहां दो फलांग दूर एक बड़ा पहाड़ है, जिस पर कुछ खण्डहर और एक बड़ी गुफा है। यहां पर ही अमरसिंह के पुत्र करणसिंह का जन्म होने पर जरमा हुआ था। उसका जन्म माघ सुदी 4 विक्रम संवत 1640 दिनांक 7 जनवरी 1584 ईस्वी को हुआ था। गुफा अन्धेरी और दुर्गन्ध से भरी है। यह गुफा 4-5 मील तक फैली हुई आर- पार है। कहते हैं कि यहां नाथ सम्प्रदाय के मत्स्येन्द्रनाथ ने तपस्या की थी।

रोहिड़ा – जरा पहाड़ से 7 मील दूर यहां रोहिड़ा गांव बसा हुआ है, जो पहाड़ की – तलहटी में है। पहाड़ी के खंडहर प्रताप के महल बतये जाते हैं, जिनमें महाराणा सैनिकों के साथ विपत्ति में आकर ठहरे थे, यहां पानी का एक छोटा सा नाला भी है।

उबेश्वर – कमलनाथ से 20 मील उत्तरपूर्व में ऊंची पहाड़ी पर एक छोटा तीर्थ स्थान है। यहां बड़ा ही भयावना जंगल है। यहां के खंडहरों को भी महाराणा के संकटकालीन वक्त में बनाये महल बताये जाते हैं।

कमलनाथ आवरगढ़ – उदयपुर के पश्चिम में 43 मील दूर सघन पहाड़ों के

शिखर पर यह स्थान है। कमलनाथ की तलहटी में देभाणा गांव है, जहां से देवटा का घाटा पार करने पर कुम्भजर पौराणिक स्थान है। इसे ही आवरगढ़ का प्रवेश मानते है। आगे दो पहाड़ियां एक दूसरे की ओर झुकी हुई है, जिसे द्वितीय दरवाजा और रावण टुंग व वानर टुंग नाम से बोला जाता है। इससे आगे आधा मील पर कमलनाथ महादेव का मन्दिर, सराय और बारहमासी बहता झरना है। इससे आगे एक मील चढ़ने पर खंडहर आते हैं, जहां कमरे की चौपाल है। जो प्रताप के महलों के खंडहर है, पास में ही एक बड़ा तालाब है। इससे आगे चढ़ने पर जगह-जगह कई खंडहर सैनिक विश्राम गृह सदृश माने जाते हैं। चढ़ाई समाप्ति के बाद दो बड़े जंगी बड़ के पेड़ है इन दोनों पेड़ों का फासला 50-60 गज का है। यहां पर महाराणा के बच्चों के झूलने लगे रहते थे । इससे भी ऊपर चढ़ने पर और महत्वपूर्ण खंडहर है, ऊंचे स्थन पर गोल चबूतरा है जो सभा स्थल रहा होगा। यहां से 15-20 मील दूर नीचे पहाड़ ही पहाड़ दिखाई देते हैं। यहां पर घोड़ों की ठानों के खंडहर भी है। आवरगढ़ 12 मील के घेरे में फैला हुआ है, जहां पर चारों ओर पहले परकोटा था। इस स्थान को अरावली पहाड़ों में सर्वाधिक सुरक्षित माना जाता है।

महाराणा प्रताप से सम्बद्ध ये सभी स्थल उस संघर्ष के परिचायक हैं जिससे वर्तमान का भारत प्रेरणा लेता हैं। इन ऐतिहासिक स्थलों से मेवाड़ की इतिहास समृद्धता में वृद्धि होगी व प्रताप के जीवन के अनछुए पहलुओं पर प्रकाश पड़ेगा।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची:-

1. डॉ.देवीलाल पालीवाल, महाराणा प्रताप महान, जीवनं वृत्त और कृतित्व, नवभारत प्रकाशन,जोधपुर,2012 ई.
2. स्थानीय जनश्रुतियां एवं गोगुन्दा के पूर्व उपसरपंच करण सिंह जी झाला का साक्षात्कार।
3. रघुवीर सिंह ,प्रताप,1972ई.(नटनागर शोध संस्थान, सीतामऊ, मध्यप्रदेश में संग्रहित)
4. आर.पी .व्यास ,महाराणा प्रताप,राजस्थान हिंदी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर,2010ई.
5. संपादक जीवन सिंह खरकवाल,शोध पत्रिका,वर्ष 70, अंक 1-4,जनवरी-दिसम्बर 2019,साहित्य संस्थान,जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ,उदयपुर।
6. स्वयं द्वारा गोगुन्दा,मायरा गुफा शस्त्रागार, दिवेर, हल्दीघाटी, लोहासिंग, उदयपुर के निकट स्थित झरनों की सराय,खरसान आदि स्थलों का किया गया सर्वे।
7. उदयपुर के निकट स्थित झरनों की सराय के मंदिर के पुजारी जी लोकेश जी वैष्णव के साक्षात्कार के अनुसार,उम्र 40 वर्ष।
8. देवी सिंह मंडावा,स्वतंत्रता के पुजारी महराणा प्रताप,अरिहंत प्रकाशन, जोधपुर,2017ई.
9. राजेन्द्र शंकर भट्ट,मेवाड़ के महाराणा और शाहंशाह अकबर,पंचशील प्रकाशन,जयपुर,1997 ई.
10. चंद्रशेखर शर्मा,राष्ट्ररत्न महाराणा प्रताप,आर्यावर्त संस्कृति संस्थान,दिल्ली,2016 ई.
11. श्रीकृष्ण जुगनू, महाराणा प्रताप का युग, आर्यावर्त संस्कृति संस्थान,दिल्ली,2016 ई.
12. नारायण लाल शर्मा,अपराजेय प्रताप,पदमावती साहित्य प्रकाशन,उदयपुर,2017 ई.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XL

मुरैना विकासखण्ड के मध्यान्ह भोजन योजना से लाभान्वित एवं अलाभान्वित विद्यार्थियों के कुपोषण स्तर का तुलनात्मक अध्ययन

रश्मि पाण्डेय* डॉ. मंजू दुबे**

*शोधार्थी, शा.क.रा.क. स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.) भारत
** प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (गृह विज्ञान) शा.क.रा.क. स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना - खाद्य और कृषि संगठन (FAO) की रिपोर्ट के अनुसार, 'भारत में लगभग 194.4 मिलियन लोग (जनसंख्या का 14.5%) कुपोषित हैं। वैश्विक भुखमरी सूचकांक (Global Hunger Index-GHI) 2019 की रैंकिंग में भारत 117 देशों में से 102वें स्थान पर है।'[1] डाउन टू अर्थ के अनुसार 'मध्यप्रदेश सरकार द्वारा जून 2022 में की गई वृद्धि निगरानी में 60.46 लाख बच्चों में से महज 2.008 लाख बच्चे (3.32%) ही मध्यम कुपोषित पाये गये और केवल 36580 बच्चे (0.60%) ही अति गंभीर तीव्र कुपोषित हैं।'[2] भारत में कुपोषण का कारण अज्ञानता, अशिक्षा, गरीबी व जनसंख्या की अधिकता है। कुपोषित बच्चों का वजन लम्बाई की तुलना में कम या अधिक होता है। उनकी त्वचा रूखी व खुरदुरी दिखाई पड़ती है। बाल गिरने लगते हैं वो रूखे व चमकहीन दिखाई पड़ते हैं। उनकी छाती उभरी हुई पेट निकला दिखाई देता है। हाथ पैर कमजोर कंधे की हड्डी मोटी दिखती है। बच्चे थके थके व चिड़चिड़े दिखाई देते हैं। दाँत टेड़े-मेड़े, नाखूनों में सफेद दाग दिखाई देते हैं। उनमें रोग रोधक क्षमता में कमी पाई जाती है। हमारे देश में बच्चों के उचित पोषण का ध्यान रखना हम सबका कर्तव्य है। शोधार्थी ने अपने इसी कर्तव्य का निर्वहन करने के उद्देश्य से अपना शोधकार्य बच्चों के कुपोषण स्तर को ज्ञात करने हेतु चुना है। शोधार्थी मुरैना में कार्यरत है इसलिये उसने मुरैना विकासखण्ड को अपने शोध का क्षेत्र चुनते हुये अपने शोध का विषय निम्नानुसार चुना है:-

शोध का विषय- 'मुरैना विकासखण्ड के मध्यान्ह भोजन योजना से लाभान्वित एवं अलाभान्वित विद्यार्थियों के कुपोषण स्तर का तुलनात्मक अध्ययन।'

उद्देश्य:

1. मध्यान्ह भोजन योजना से लाभान्वित विद्यार्थियों के कुपोषण स्तर का अध्ययन करना।
2. मध्यान्ह भोजन योजना से अलाभान्वित विद्यार्थियों के कुपोषण स्तर का अध्ययन करना।
3. मध्यान्ह भोजन योजना से लाभान्वित एवं अलाभान्वित विद्यार्थियों का तुलनात्मक अध्ययन करना।

परिकल्पना- 'मध्यान्ह भोजन योजना से लाभान्वित एवं अलाभान्वित विद्यार्थियों के कुपोषण स्तर में सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता।'

शोध प्रविधि- शोध अध्ययन में मुरैना जिले के मध्यान्ह भोजन योजना से लाभान्वित 200 तथा अलाभान्वित 200 विद्यार्थियों का चयन दैव निदर्शन विधि से किया गया है। विद्यार्थियों में कुपोषण स्तर ज्ञात करने हेतु मानव मिति परीक्षण का उपयोग किया गया है।[3] परिकल्पना के सत्यापन हेतु मध्यमान मानक विचलन एवं टी-परीक्षण का उपयोग किया गया है। प्राप्त तथ्यों का वर्गीकरण एवं सारणीयन कर विवेचना की गई है।

वर्गीकरण एवं सारणीयन

तालिका क्रमांक - 1 (अगले पृष्ठ पर देखे)

तालिका क्रमांक-1 में मध्यान्ह भोजन योजना से लाभान्वित बालक एवं बालिकाओं का कुपोषण स्तर के अनुसार वर्गीकरण प्रदर्शित है। तालिका के अवलोकन उपरांत ज्ञात होता है कि मध्यान्ह भोजन योजना से लाभान्वित विद्यार्थियों में 80(40%) बालक एवं 41(20.50%) बालिकायें कुल 121(60.50%) विद्यार्थियों का पोषण स्तर सामान्य पाया गया है।

16(08.00%) बालक एवं 34(17.00%) बालिकायें कुल 50(25.00%) विद्यार्थियों में प्रथम डिग्री का कुपोषण पाया गया है। 03(01.50%) बालक एवं 23(11.50%) बालिकायें कुल 26(13.00%) विद्यार्थियों में द्वितीय डिग्री का कुपोषण पाया गया है। 01(00.50%) बालक एवं 02(01.00%) बालिकायें कुल 03(01.50%) विद्यार्थियों में तृतीय डिग्री का कुपोषण पाया गया है। मध्यान्ह भोजना से लाभान्वित विद्यार्थियों में चतुर्थ डिग्री कुपोषण से ग्रसित विद्यार्थियों की संख्या निरंक पाई गई। मध्यान्ह भोजन योजना से लाभान्वित विद्यार्थियों में 40.0% बालक एवं 20.50% बालिकायें कुल 60.50% विद्यार्थियों का पोषण सामान्य है तथा 10.0% बालक तथा 29.50% बालिकायें कुल 39.50% विद्यार्थी कुपोषण ग्रसित हैं। आंकड़े दर्शाते हैं कि कुपोषण ग्रसित बालिकाओं का प्रतिशत बालकों के प्रतिशत की तुलना में अधिक है।

तालिका क्रमांक - 2 (अगले पृष्ठ पर देखे)

तालिका क्रमांक-2 में मध्यान्ह भोजन योजना से अलाभान्वित बालक एवं बालिकाओं का कुपोषण स्तर के अनुसार वर्गीकरण प्रदर्शित है। तालिका के अवलोकन उपरांत ज्ञात होता है कि मध्यान्ह भोजन योजना से अलाभान्वित विद्यार्थियों में 83(41.50%) बालक एवं 66(33.00%) बालिकायें कुल 149(74.50%) विद्यार्थियों का पोषण स्तर सामान्य पाया गया है।

12(06.00%) बालक एवं 21(10.50%) बालिकायें कुल 33(16.50%) विद्यार्थियों में प्रथम डिग्री का कुपोषण पाया गया है। 05(02.50%) बालक एवं 11(05.50%) बालिकायें कुल 16(08.00%)

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XL

विद्यार्थियों में द्वितीय डिग्री का कुपोषण पाया गया है। 00(00.00%) बालक एवं 02(01.00%) बालिकायें कुल 02(01.00%) विद्यार्थियों में तृतीय डिग्री का कुपोषण पाया गया है। मध्यान्ह भोजना से लाभान्वित विद्यार्थियों में चतुर्थ डिग्री कुपोषण से ग्रसित विद्यार्थियों की संख्या निरंक पाई गई। इस प्रकार मध्यान्ह भोजन योजना से अलाभान्वित विद्यार्थियों में 41.50% बालक एवं 33.0% बालिकायें कुल 74.50% विद्यार्थियों का पोषण सामान्य है तथा 8.50% बालक तथा 17.0% बालिकायें कुल 25.50% विद्यार्थी कुपोषण ग्रसित हैं। आंकड़े दर्शाते हैं कि कुपोषण ग्रसित बालिकाओं का प्रतिशत बालकों के प्रतिशत की तुलना में अधिक है।

तालिका क्रमांक-3 (अगले पृष्ठ पर देखे)

तालिका क्रमांक-3 में मध्यान्ह भोजन योजना से लाभान्वित एवं अलाभान्वित बालक एवं बालिकाओं का कुपोषण स्तर के अनुसार तुलनात्मक वर्गीकरण प्रदर्शित है। तालिका के अवलोकन से ज्ञात होता है कि मध्यान्ह भोजन योजना से लाभान्वित विद्यार्थियों में 20.00% बालक एवं 10.25% बालिकायें कुल 30.25% विद्यार्थियों तथा अलाभान्वित विद्यार्थियों में 20.75% बालक एवं 16.50% बालिकायें कुल 37.25% विद्यार्थियों का पोषण स्तर सामान्य पाया गया है। योजना से लाभान्वित विद्यार्थियों में 04.00% बालक एवं 08.50% बालिकायें कुल 12.50% विद्यार्थियों तथा आलाभान्वित विद्यार्थियों में 03.00% बालक एवं 05.25% बालिकायें कुल 08.25% विद्यार्थियों में प्रथम डिग्री का कुपोषण स्तर पाया गया है। योजना से लाभान्वित विद्यार्थियों में 00.75% बालक एवं 05.75% बालिकायें कुल 06.50% विद्यार्थियों तथा अलाभान्वित विद्यार्थियों में 01.25% बालक एवं 02.75% बालिकायें कुल 04.00% विद्यार्थियों में द्वितीय डिग्री का कुपोषण स्तर पाया गया है। योजना से लाभान्वित विद्यार्थियों में 00.25% बालक एवं 0.50% बालिकायें कुल 0.75% विद्यार्थियों तथा अलाभान्वित विद्यार्थियों में 00.00% बालक एवं 00.50% बालिकायें कुल 00.50% विद्यार्थियों में तृतीय डिग्री का कुपोषण स्तर पाया गया है। चतुर्थ डिग्री कुपोषण की स्थिति लाभान्वित तथा अलाभान्वित विद्यार्थियों में निरंक पायी गयी है।

तालिका क्रमांक-4 (अगले पृष्ठ पर देखे)

प्रस्तुत शोध अध्ययन में परिकल्पना के सत्यापन हेतु टी परीक्षण का उपयोग किया गया है। (तालिका क्रमांक 4) तालिका के अवलोकन से ज्ञात होता है कि मध्यान्ह भोजन योजना से लाभान्वित विद्यार्थियों के कुपोषण का स्तर का मध्यमान 3.45 है जो कि अलाभान्वित विद्यार्थियों के कुपोषण स्तर के मध्यमान 3.65 की तुलना में कम है। टी-परीक्षण का परिगणित मूल्य 398 स्वतंत्र्यांश पर 2.7587 है जो कि 0.05 स्तर पर सार्थक है। अतः शून्य परिकल्पना सार्थक सिद्ध होती है। इससे सिद्ध होता है मध्यान्ह भोजन योजना से लाभान्वित एवं अलाभान्वित विद्यार्थियों के कुपोषण स्तर में सार्थक अंतर पाया गया।

निष्कर्ष- मध्यान्ह भोजन योजना से लाभान्वित विद्यार्थियों में अलाभान्वित विद्यार्थियों की तुलना में कुपोषण कम पाया गया।

सुझाव:

1. विद्यार्थियों को प्रतिदिन अपने आहार में दाल, चावल, सब्जी, रोटी, सलाद, फल व दूध का सेवन करना चाहिए। प्रतिदिन नीबू, आँवला, संतरा, जामफल, टमाटर आदि में एसे कोई एक पदार्थ का सेवन अवश्य करना चाहिये।
2. खानपान नियमित रखना चाहिये।
3. प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिये।
4. जल्दी सोना व जल्दी उठना चाहिये।
5. प्रतिदिन स्नान करना चाहिये तथा खाना खाने के पूर्व हाथ अवश्य धोना चाहिये।
6. फास्ट फूड का सेवन अधिक नहीं कना चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. https://testbook.com>labpresentation
2. https://www.downtoearth.org.in>in
3. http://ww.freepressjournal.in>in

तालिका क्रमांक - 1: मध्यान्ह योजना से लाभान्वित विद्यार्थियों का कुपोषण स्तर

कुपोषण श्रेणी	बालक		बालिकायें		योग	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
80% अधिक (सामान्य)	80	40.00	41	20.50	121	60.50
70 से 80% (प्रथम डिग्री कुपोषण)	16	08.00	34	17.00	50	25.00
60 से 70% (द्वितीय डिग्री कुपोषण)	03	01.50	23	11.50	26	13.00
50 से 60% (तृतीय डिग्री कुपोषण)	01	00.50	02	01.00	03	01.50
50% से कम(चतुर्थ डिग्री कुपोषण)	00	00.00	00	00.00	00	00.00
योग	100	50.00	100	50.00	200	100.00

तालिका क्रमांक - 2: मध्यान्ह योजना से अलाभान्वित विद्यार्थियों का कुपोषण स्तर

कुपोषण श्रेणी	बालक		बालिकायें		योग	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
80% अधिक (सामान्य)	83	41.50	66	33.00	149	74.50
70 से 80% (प्रथम डिग्री कुपोषण)	12	06.00	21	10.50	33	16.50
60 से 70% (द्वितीय डिग्री कुपोषण)	05	02.50	11	05.50	16	08.00
50 से 60% (तृतीय डिग्री कुपोषण)	00	00.00	02	01.00	02	01.00
50% से कम(चतुर्थ डिग्री कुपोषण)	00	00.00	00	00.00	00	00.00
योग	100	50.00	100	50.00	200	100.00

तालिका क्रमांक-3: मध्यान्ह भोजन योजना से लाभान्वित एवं अलाभान्वित विद्यार्थियों के कुपोषण स्तर की तुलनात्मक तालिका

कुपोषण श्रेणी	लाभान्वित						अलाभान्वित						योग	
	बालक		बालिकायें		योग		बालक		बालिकायें		योग			
	सं.	प्र.	सं.	प्र.	सं.	प्र.	सं.	प्र.	सं.	प्र.	सं.	प्र.	सं.	प्र.
80% अधिक (सामान्य)	80	20.00	41	10.25	121	30.25	83	20.75	66	16.50	149	37.25	270	67.50
70 से 80% (प्रथम डिग्री कुपोषण)	16	04.00	34	08.50	50	12.50	12	03.00	21	05.25	33	08.25	83	20.75
60 से 70% (द्वितीय डिग्री कुपोषण)	03	00.75	23	05.75	26	06.50	05	01.25	11	02.75	16	04.00	42	10.50
50 से 60% (तृतीय डिग्री कुपोषण)	01	00.25	02	00.50	03	00.75	00	00.00	02	00.50	02	00.50	05	01.25
50% से कम (चतुर्थ डिग्री कुपोषण)	00	00.00	00	00.00	00	00.00	00	00.00	00	00.00	00	00.00	00	00.00
योग	100	25.00	100	25.00	200	50.00	100	25.00	100	25.00	200	50.00	400	100.00

तालिका क्रमांक-4: मध्यान्ह भोजन योजना से लाभान्वित एवं अलाभान्वित विद्यार्थियों के कुपोषण स्तर के मध्यमान, मानक विचलन एवं टी परीक्षण की तालिका

विद्यार्थी	मध्यमान	मानक विचलन	स्वतंत्र्यांश	'टी' परीक्षण का मूल्य	सार्थकता स्तर
लाभान्वित(N=200)	3.45	0.77	398	2.7587	p>0.05
अलाभान्वित(N=200)	3.65	0.67			

- असार्थक

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XL

Women Entrepreneurship : A Major Key of Gender Equality

Dr. Praveen Ojha*

***Professor and Head (Commerce) BLP Govt. P.G. College, Mhow (M.P.) INDIA**

Introduction - Gender equality is most essential part of economic development. It is also known as sexual equality. Gender equality in India is the desired state of equal ease of access to ample resources and opportunities regardless of Gender, including economic participation and decision making. Women Entrepreneurship is a major key of Gender equality and Sustainable Development of India.

Women Entrepreneurs may be defined as the woman or a group of women who commence and operate a business venture. Like some male entrepreneurs, a women entrepreneur has many functions. They should explore the prospects of starting new enterprise; undertake risks, introduction of new innovations, coordination, administration and control of business and providing effective leadership in all aspects of business. Today, when businesses are facing a severe crunch in entrepreneurial talent, if women don't play a meaningful role in business, then half of the country's potential talent pool will remain under utilized. Women entrepreneurs may be defined as the woman or group of women who initiate, organize and co-operate a business enterprise. Government of India has described women entrepreneurs as an enterprise/ venture owned and controlled by women having at least financial interest of 51% of the capital and giving at least 51% of employment generated in the organization to women.

Over the past few decades, women are coming out of the boundaries of houses and proving their ability and competencies in the business world. Today the roles of women are not confined to the traditional role of a mother or a housewife. The role of modern women is much wider than what it was previously. A women has to play multiple roles, besides playing the role of housewife/ mother/ daughter, she has to play different roles in community in the social settings simultaneously. Because of Indian culture traditional customs women, even after 75 years of independence, are facing bias. This has adversely affected the status of Indian business women. It is estimated that women entrepreneurs presently comprise about 20% of the total number of entrepreneurs in India, which is likely to be doubled in the next five years. In the last couple of decades, there has been a significant growth in female entrepreneurs who are becoming increasingly visible and successful in the professional and public sphere. Evidences are that women entrepreneurs are gradually acquiring the required confidence, leadership and managerial skills for succeeding in business.

Women's participation in trade, industry and commerce, requiring entrepreneurship is still poor, mainly because of the problems associated with their gender roles. Therefore, promotion of entrepreneurship and economic empowerment of women poses a challenge to the government, funding agencies and non-government organizations. Some of the successful Indian women entrepreneurs are Indira Nooyi, Dr. Kiran Mazumdar Shaw, Naina Lal Kidwai, Shehnaz Husain, Ekta Kapoor, etc. Women entrepreneurs tend to be highly motivated & self - directed, and they also exhibit a high internal locus of control & achievement.

State-wise Distribution of Proprietary MSMEs by Gender of Ownership (NSS 73rd Round)
(see in last page)

As per the NSS 73rd Round of NSS there are a total of estimated 1,23,90,523 women owned proprietary MSMEs in the country. The percentage distribution of male owned proprietary MSMEs in the country is around 80% and 20% proprietary MSMEs are owned by women.

The main focus of the schemes/ programmes undertaken by the Organisations of the Ministry is to provide/ facilitate a wide range of services required for accelerating the development of MSMEs. Nevertheless, there are a few schemes/ programmes which are individual beneficiary oriented. There are several schemes, wherein women are provided extra benefits/ concessions/ assistance. The details of concessions for women may be seen in the respective scheme guidelines as available on the Ministry's website www.msme.gov.in.

(2016-17 to 202-21) and current year up to 31.12.2021 is a follows:

(Micro Enterprises, Projects; in Number) Year	Women Entrepreneurs (Beneficiaries) Under PMEGP
2016-17	14768
2017-18	15669
2018-19	25434
2019-20	24720
2020-21	27285
2021-22 (up to 31.12.2021)	20598

Percentage share of States in MSMEs owned by Owned by Women

State	Percentage
West Bengal	23.42
Tamil Nadu	10.37
Telangana	7.85
Karnataka	7.56
Uttar Pradesh	6.96
Andhra Pradesh	6.76
Gujarat	6.67
Maharashtra	6.47
Kerala	4.00
Rajasthan	3.07
Madhya Pradesh	2.99
Jharkhand	2.51
Odisha	2.38
Punjab	1.81
Bihar	1.36
Haryana	0.79
Delhi	0.70
Manipur	0.70
Jammu & Kashmir	0.60
Chhatisgarh	0.57
Assam	0.54
Himachal Pradesh	0.41
Meghalaya	0.32
Tripura	0.23
Puddcherry	0.22
Uttarakhand	0.17
Nagaland	0.17
Mizoram	0.11
Goa	0.09
Arunachal Pradesh	0.05
Chandigarh	0.04
Sikkim	0.04
A & N Islands	0.03
Dadra & Nagar Haveli	0.02
Daman & Diu	0.01
Lakshadweep	0.00

In India, women entrepreneurs face so many problems like, male dominated society, responsibility towards family and society, lack of working capital, business training, education and motivational Factor, low risk bearing ability and non awareness of facilities provided by government. However, there are some suggestions for growth of them. At first, never apologize for being real, accomplished, motivated and uncompromised entrepreneurs, co-operation and support of family members and a strong network of contacts. The most prominent factor is self-achievement expressed in terms of challenge, which helps women to start, run their own business and turn it into a profitable venture. When a strong need for achievement could not be fulfilled through a salaried position or when there was a desire to transform a perceived opportunity into a marketable idea, then these factors work for a person to start their own venture.

Conclusion: There should be continuous attempt to inspire, encourage, and motivate women entrepreneurs. An awareness programme should be conducted on a mass scale with the intention of creating awareness among women about the various areas to conduct business. Organize training programmes to develop professional competencies in managerial, leadership, marketing, financial, production process, profit planning, maintaining books of accounts and other skills. Women in business should be offered soft loans & subsides for encouraging them into industrial activities. The financial institutions should provide more working capital assistance both for small scale venture and large scale ventures. The weaker section could raise funds through various schemes and incentives provide by the government to develop entrepreneurs in the state. To establish all India forums to discuss the problems, grievances, issues, and filling complaints against constraints or shortcomings towards the economic progress path of women entrepreneurs and giving suitable decisions in the favour of women entrepreneurs and taking strict stand against the policies or strategies that obstruct the path of economic development of such group of women entrepreneurs.

References:-

1. Women entrepreneurs : moving beyond the glass ceiling - Dorothy Perrin Moore, E, Holly Buttner.
2. Women Entrepreneurship in India - R. Vasanthagopal Santha S.
3. Women Entrepreneurship in India- Anil Kumar
4. Women entrepreneurship - Mridula Velagapudi
5. www.entrepreneur.com/topic/womenentrepreneus.

State-wise Distribution of Proprietary MSMEs by Gender of Ownership (NSS 73rd Round)

S. No.	State/ UTs	Male	Female	All	Share of State among all MSMEs with Male Owners (%)	Share of State among all MSMEs with Female Owners (%)
1	West Bengal	5583138	2901324	8484462	11.52	23.42
2	Tamil Nadu	3441489	1285263	4726752	7.10	10.37
3	Telangana	1459622	972424	2432046	3.01	7.85
4	Karnataka	2684469	936905	3621374	5.54	7.56
5	Uttar Pradesh	8010932	862796	8873728	16.53	6.96
6	Andhra Pradesh	2160318	838033	2998351	4.46	6.76
7	Gujarat	2375858	826640	3202498	4.90	6.67
8	Maharashtra	3798339	801197	4599536	7.84	6.47
9	Kerala	1647853	495962	2143815	3.40	4.00
10	Rajasthan	2261127	380007	2641134	4.67	3.07
11	Madhya Pradesh	2275251	370427	2645678	4.70	2.99
12	Jharkhand	1250953	310388	1561341	2.58	2.51
13	Odisha	1567395	295460	1862855	3.24	2.38
14	Punjab	1183871	224185	1408056	2.44	1.81
15	Bihar	3239698	168347	3408045	6.69	1.36
16	Haryana	831645	98309	929954	1.72	0.79
17	Delhi	827234	86742	913976	1.71	0.70
18	Manipur	86383	86604	172987	0.18	0.70
19	Jammu & Kashmir	624056	74785	698841	1.29	0.60
20	Chhatisgarh	727203	71201	798404	1.50	0.57
21	Assam	1128411	66665	1195076	2.33	0.54
22	Himachal Pradesh	329595	50368	379963	0.68	0.41
23	Meghalaya	72191	39462	111653	0.15	0.32
24	Tripura	179169	28042	207212	0.37	0.23
25	Puddcherry	65350	27072	92422	0.13	0.22
26	Uttarakhand	380000	20964	400964	0.78	0.17
27	Nagaland	65778	20865	86643	0.14	0.17
28	Mizoram	20439	13698	34137	0.04	0.11
29	Goa	57133	10815	67948	0.12	0.09
30	Arunachal Pradesh	16153	6274	22427	0.03	0.05
31	Chandigarh	44321	5560	49881	0.09	0.04
32	Sikkim	20880	5036	25916	0.04	0.04
33	A & N Islands	14302	4026	18328	0.03	0.03
34	Dadra & Nagar Haveli	12900	2629	15529	0.03	0.02
35	Daman & Diu	5880	1560	7441	0.01	0.01
36	Lakshadweep	1384	488	1872	0.00	0.00
	ALL	**48450722**	**12390523**	**60841245**	**100.00**	**100.00**

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XL

Plants Used as Tooth Brush by Banjara People of District Neemuch (M.P.)

Dr. Hemkant Tugnawat*

***Deptt. of Botany, S. V. Govt. PG College, Neemuch (M.P.) INDIA**

Abstract - The present paper describes the status of Indigenous knowledge on Medicinal plants in Banjara People of District Neemuch (M.P.) through questionnaire survey. We interviewed people of Banjara community in different small villages called Tandas/ Majras/Tolas. The respondents were able to list a total number of 28 plant species and 17 families and their uses in curing Pyorrhea and other oral ailments. The Banjaras use plant sticks as tooth brush to clean the decaying teeth to stop bleeding from gums to treat severe toothache and remove foul smell from the mouth. Banjara people possess sound knowledge on the medicinal plants which they have learnt through observation and experience but the knowledge earned is not being transferred to the succeeding generations. Therefore, the need is felt to document such knowledge and popularize the sustainable use of medicinal plants for their long term conservation in the region.

However, due to changing perception of the Banjara Community and the commercialization and Socio-economic transformation all over the world, it has been generally observed that indigenous knowledge of Banjara people has degraded severely. Ethno botanical studies of Banjara people of District Neemuch Madhya Pradesh that provided useful information about plants whose parts are used as tooth brushes provides us interesting observations about the medicinal uses of the sticks of certain plants used in curing tooth related problems in maintaining oral hygiene.
Keywords- Ethno-botany, Indigenous Knowledge, Medicinal Plant, Tooth Brush or Sticks, Banjara Community.

Introduction - People have been cleaning their teeth since ancient times. It is assumed that the early human civilization did not know to clean teeth. But with the passage of time due to oral diseases and discomforts, certain remedial measures of the treatment of teeth and oral discomfort through herbal remedies and measures are tried and tested by our predecessors with their own experience. As a result of these observations and trials, the knowledge of the treatment of tooth ailments emerged as a tradition among the native communities of different countries (Hazarika et.al 2018).

Most of the plants recorded are used as chewing sticks or in curing toothache, bleeding and foul smell of mouth etc. (Kishore Biswas & Abhay Prasad Das 2012). The high dental disease burden in developing countries has created a need to explore and develop cheap and accessible methods of dental diseases prevention. Traditional tooth brushes (chewing sticks) are prepared from plants (Charles Okot Odongo Nathan Lubowa Musisi and Celeastino Obua 2011). The indigenous knowledge of medicinal plants by the Banjara community in District Neemuch has been recorded in this study. The Banjaras use plants as brush or sticks and cure diseases of Pyorrhea, bleeding of gums and removal of foul smell of mouth. They treat severe toothache with sticks or with brush (Datun) having an antibacterial effect of extract of *Azadiracta indica* (Neem) and *Salvodora persica* (Arak) chewing sticks (Almask 1999).

Evaluation of antibacterial activity *Mangifera indica* (Aam) on anaerobic dental microflora (Bairy, Reeja S siddarth Rao P.S. Bhat, M. Shivananda 2002) chewing sticks has revealed parallel and many times greater mechanical and chemical cleaning of oral tissues as compared to tooth brush (Aeeza S. Malik, Malik S,. Shoukat, Ambrina A. Qureshi and Rasheed Abdul 2014).

District Neeemuch is situated in the South Western part of Madhya Pradesh between $24^0$15 and $25^0$02 North Latitude $74^0$37 and 2560 02 East Longitude. This district is surrounded by Pratapgarh, Chittorgarh, Kota and Jhalawad in the North West and North East while the South and South East region is surrounded by Mandsaur district of Madhya Pradesh. The total area of District Neemuch is spread over 4246 sq.Kms and can be divided in two physical areas. One is the Aravali hills and the other is the lower side of the Malwa Plateau under trape with gentle sloping topography. District Neemuch is divided into three tehsils & blocks – Manasa, Jawad and Neemuch.

The climate of Neemuch district is dry except the South

West monsoon season. The year can be divided into four seasons – Rainy season from June to September, Winter season from September to January and February, Spring season from February to March and April and Summer season from April to May. The maximum temperature rises during the month of May is 39.8^0 C and minimum during the month of January is 9.8^0 C. The normal temperature is 39.8^0 C The normal rainfall is 797.96 mm. The total area of forest cover is 944.8759 Kms (Verma D.M. Balkrishnan N.P. Dixit 1993).

Ethno botanical studies of Banjara Community provided useful information about plants whose parts are used as tooth brushes. Labana or Lamana and Brahmin Banjara are the two main groups inhabiting Arawali hills and Malwa Plateau. Brahmin Banjaras who inhabits plains and low elevation constitute the majority (Halbar 1986). The word ‘Lamana’ is derived from the Sanskrit word Lavana (Salt) which was the principal product they transported across the country. Another meaning of Banjara for today`s scenario is community of travelling people from one place to another place. The govt. of M.P. has declared Banjaras as the “Gumkkad” caste (Halbar 1986).

Banjara women wear unique and beautiful set of clothes called Phentya-Phamadi and adorned themselves with beautiful ornaments attached with the hair called chotala, Zoomka and neck ornaments named “Hasil and other like Kasotya and Dandolya” (Sing Balanedra P. Singh et. al 2013). Banjara women specialized in Leop embroidery which involves stitching mirrors, decorative beeds and coins on the clothes.

Ethno botanical studies among Banjara people provided many useful information about Medicinal plants (Tugnawat & Titov 2018). People use to clean their teeth since ancient times and observed and collected useful information about those plants which are used as tooth brushes or sticks (Bhaskar & Pujnani 1998).

The role of indigenous people and knowledge about utilization and management practices of natural resources in the prevention of varms diseases in humans is acknowledged by many scholars (Hu-Yin Huai and Pei Sheng Ji 2004). Indigenous knowledge is defined as commutative body of knowledge and belief handed down through generation by cultural transmission about the relationship of living beings (including human) with one another and their environment (Berk 1999). The indigenous knowledge of Medicinal plants and their uses to cure a range of diseases is studied by many scholars (Chandra Shekhar & Avinash R. Rana 2000) & Das Mishra 1987).

According to Girach (1992), Medicinal plants are used by tribals in various ways to cure various diseases and toothache. Many ethno botanical economically useful plants found in Western Ghats are used on the basis of traditional knowledge of the tribes of Attapadi hills. (Nadana Kujidam 2003) (Kumar Upadhyay & Tiwari 1997).

Material and Methods: The main objective of this study was to document the traditional knowledge of Banjara Communities pertaining to plants used as tooth brushes or plant sticks. To begin with, we conducted a rapid resources use pattern by the Banjara people and identified the plants used as tooth brushes or plant sticks. We structured questionnaire and conducted interviews with these people and information regarding the local names of the plant species was collected and identified them on the basis of their ability of use as tooth brushes or plant sticks in curing and providing relief in the tooth related diseases. Descriptions of species and identification were done with the help of published literature related to the Flora of Madhya Pradesh (Verma et al., (1993).

Fresh tender twigs of stems or roots are about 10 to 12 inches and 1 or 3 mm in diameter. The bark is removed from the one end of the twig about 1 or 2 inches after keeping one end of the branch or twig in the mouth which is being chewed with the teeth until it becomes like a soft brush which is used to clean the teeth and gums by rubbing on the teeth and the gums and also is used to clean the tongue.

The tooth brush is used to cure the decaying teeth, to stop bleeding from gums, to treat severe toothache, infected gums and pyorrhea, to remove foul smell from the mouth, to arrest swelling on the gums and to remove deposit of the scaly yellowish or brownish hard chalk like substance from the surface of teeth (Bhaskar L. Punjani 1998).

Observations: During our study of plants used as tooth brush sticks by Banjara people in the Neemuch District, twenty six plants are found to be used as tooth brushes. The major observation of the study is that plants are used as tooth brush to clear the decaying teeth, to stop bleeding of gums, to treat severe toothache, infected gums and pyorrhea, to strengthen teeth and gums, to remove foul smell from the mouth, to arrest swelling on the gums and to remove deposits of scaly yellowish or brownish hard chalk like substance from the surface of teeth.

Observation Table-1 (see in next page)

Discussion and Conclusion: In the present study, it has been observed that the Banjara people of the Neemuch District use 28 plant species belonging to 17 families. Plants as used as tooth brush by Banjara people to clean teeth surface and teeth crevices. The tooth brush is used to clear the decaying teeth, to stop bleeding of gums, toothache, infected gums and pyorrhea, to remove foul smell from the mouth and to remove deposit of scaly yellowish or brownish hard chalk like substance from the surface.

Chewing sticks have revealed parallel and many times greater mechanical and chemical cleaning of oral tissues as compared to tooth brush.

References:-

1. Hazarica and Datta (2018) traditional Knowledge for using plant tooth brush stick (Datun) by the indigenous community of Asssam, India. *International Journal of Herbal Medicine IJHM – 6 (16)-22-34.*
2. Kishore & Abhay Prasad (2012) Plant used for dental

and over health care in northern part of West Bengal India. *Multidisciplinary approaches in Angiosperms systematic –PP:648-651* .

3. Charls Okot Odongo Nathan Lubowa Mussis and Celestino Obua (2011) Chewing sticks pranches using plant with anti strepto coccal activity in Ugandan Rural Community published *Front Pharma col 2.13.*
4. Almask (1999) the antibacterial effect of extract of Azadiracta indica (Neem) and Salvodora persica (Arak) chewing sticks. India *J. Dent res 10 23-26.*
5. Bairy I Reeja S. Siddarth Rao . P.S. Bhat, M. Shrivastava P.G. (2002) Evaluation of Antibacterial activity of Mangifera indica on anaerobic dental Microflora, India, *J. Pathol Microbial 45-307-310.*
6. Aeeza S. Malik, Malik S. Shoukat, ambrina A. Qureshi and Rasheed Abdur (2014) Cmparative effectiveness of chewing sticks and tooth brush. *North American Journals of Medical Science. 6 (7) 333-337.*
7. Verma, D.M., Balakrishnan N.P., Dixit, R.D. (1993). Flora of Madhya Pradesh Vol. 1, Botanical Survey of India, Department of Environment and Forests, Government of India. Calcutta
8. Halbar, B.G., (1986).Lamani Economy and Society in Change. Mittal publications.
9. Singh, Balendra P., Singh, Ranjana and Upadhyay, Ravi (2013). Ethnobotanical uses of *Isoetes coromandelina* L.f. and *Actiniopteris radiata* (Sw.) at Aravali Hills Rampura region; *Life sciences leaflets* **7** pp 30-34
10. Tugnawat, H.K. and Titov, Anurag (2018). Ethnobotanical study of medicinal plants used by Banjara People in the region of district Neemuch, Madhya Pradesh, India, *Naveen shodh sansar* 1(1):26-29
11. Tugnawat, H.K. and Titov, Anurag (2020). A study of medicinal plants used by the Banjara community inhibited in Neemuch District of Madhya Pradesh, *International Journal of botany Studie*s: 5(5) pp273-276
12. Bhaskar L. Punjnani (1998) Plants used as tooth brush by tribes of District SabarKantha (North Gujarat) *A Journal of the Society of Ethno botanists Vol. 10 PP 133-135.*
13. Hu-Yin-Huai and Pei Sengh JI (2004) Indigenous knowledge on classification and management of land and plants of Lahu people in Jinping, autonomous countries of Miao, Yao and Dai in Yunnani province China , *International Journal of the Society of Ethno botanists Vol 16 P.P. 72-72.*

Observation Table-1: Plants whose parts are used as tooth brush

S	Botanical Name	Local Name	Family	Used part
1.	*Vachellia nilotica L.*	Babool	Fabaceae	Stem
2.	*Aegle marmelosus (L)*	Bilba	Rutaceae	Stem
3.	*Achyranthus aspera (L)*	Chirchita	Amaranthaceae	Stem/Root
4.	*Adhatoda vesica (L)*	Adusa	Acanthaceae	Stem & Leaves
5.	*Alangium Salvifolium (LF) Wang*	Ankol	Coranaceae	Stem
6.	*Anageissus latifolia (Roxb) wall*	Dhavda	Combretaceae	Stem
7.	*Azadiracta indica (A. Juss)*	Neem	Meliaceae	Stem
8.	*Acacia leucophloea*	Reonja	Fabaceae	Stem
9.	*A. Catachu (wild)*	Kher	Fabaceae	Stem
10.	*Albezia lebbeck (L) Bt*	Shirish	Fabaceae	Stem
11.	*Butea monosperma (Lamk)*	Palash	Fabaceae	Stem
12.	*Calotropis procera (Ait.) R.Br.*	Aak	Asclepiadiaceae	Root
13.	*Cassisa auriculata (L)*	Tej Patta	Fabaceae	Stem
14.	*Cassia accidentalis (L)*	Kasunda	Fabaceae	Stem
15.	*Deloniz Alata (L) Gamble*	Gulmohar	Fabaceae	Stem
16.	*Pongamia pinneta L.*	Karanj	Fabaceae	sTem
17.	*Ficus glomerata Roxb.*	Gular	Moraceae	Stem
18.	*Ficus benghalensis*	Bargad	Moraceae	Stem
19.	*Ficus religiosa L.*	Pipal	Moraceae	Stem
20.	*Capsicum anum (L)*	Mirch	Solanaceae	Stem
21.	*Mangifera indica (L)*	Aam	Anacardiaceae	Stem/fruit
22.	*Mimosa hamata (wild)*	alay	Fabaceae	Stem
23.	*Mitragyna Parvifolia (Roxb) Korth*	Kadam	Rubiaceae	Stem
24.	*Madhuca indica*	Mahua	Sapotaceae	Stem
25.	*Vitex negundo*	Nirgudi	Lamiaceae	Stem
26.	*Ziziphus nummularia*	Bordi	Rhamnaceae	Stem
27.	*Bosewallia serrata Roxb.*	Salai	Burseraceae	Stem
28.	*Acalypha indica L.H.*	Capperleaf	Euphorbiaceae	Stem

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XL

The Plight of Disabled in India (A Legal Anthology)

Shiba Pande* Dr. R. P. Choudhary**

*Research Scholar, M.Phil (Law) Dr. C. V. Raman University, Kargi Road, Kota, Bilaspur (C.G.) INDIA
** Associate Professor (Law) Dr. C. V. Raman University, Kargi Road, Kota, Bilaspur (C.G.) INDIA

Abstract - More than 500 million persons – 10 per cent of the world's population, an estimated 80 per cent of them living in the developing world suffer from either mental or physical disability. They are often denied basic educational/ employment opportunities and often given menial or poorly paid jobs. Social attitudes exclude them from cultural life and normal social relationship. According to Census of India 2011 the percentage of population of Disabled Persons in India out of total population are as follows:

Total	2.21 (Persons)	2.40 (Male)	2.01 (Female)
Rural	2.24 (Persons)	2.43 (Male)	2.03 (Female)
Urban	2.17 (Persons)	2.34 (Male)	1.98 (Female)

Keywords- United Nations Organization, Person with Disabilities, Census of India, Supreme Court, Locomotor Disability, Mental Retardation, Special Employment Exchange, Benchmark Disabilities, National Human rights Commission, Constitution of India, All India Reporter, Supreme Court Cases.

Introduction

Prologue: For the improvement of conditions of disabled persons, the General assembly of the United Nations Organization has adopted following two Declarations:

(i) The Declaration on the Rights of Mentally Retarded Persons

(ii) The Declaration on the rights of disabled Persons

Persons with disability are in fact entitled to full range of human rights like any other section of people. However, persons with disabilities suffer from a relative "invisibility" and are viewed as "Objects" of charity, protection and custodial care rather than subjects of rights.

As the United Nations has noted, persons with disability are discriminated against, marginalized and socially excluded in various ways particularly in fields such as education, employment, housing, transport, cultural life and in public places and services. They are denied reasonable accommodation on the basis of disablement. As a result they are unable to recognize, enjoy and exercise their rights.

It is worthwhile to mention here that in the direction of the upliftment of the persons with disabilities apart from various constitutional provisions, the legislature in its own wisdom has come up with a specific legislation:

1. The Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995
2. Rights of Persons with Disabilities Act, 2016

So as to find ways for the holistic grown of the persons with disabilities by creating a provision of reservation in public employment for the persons with disabilities. In the instant research study an attempt is made to identify reasons as to why and in which manner the persons with disabilities are facing problems in realization of their rights.

Persisting Issue: A distinct self-advocacy movement of people with disabilities that started during 1970s campaigned for protection and recognition of their human rights. It advocated enactment of a comprehensive legislation having a right based approach with special emphasis on social and economic rights. The government recognized the need for such a legislation in 1980.However, Article 253 of the Constitution of India enables the parliament to override the distribution of powers and to give effect to any treaty entered with foreign power or an international body even if the matter of legislation relates to an entry in the State List. With the signing of the Proclamation of Equality and Full Participation of People with Disabilities in Asian and Pacific Region, the legislation was enacted by the Parliament in 1995.[1]

Rights of Persons with Disability Act, 2016 assures skill development and employment for persons with disabilities; along with reasonable accommodation in private and public sectors, incentivizing the private sector for hiring persons with disabilities at 5% of their work force, other than special employment exchanges.

India has had 3% reservation for over 20 years, now increased to 4%. However, a mere 10% of total jobs are identified for persons with disabilities[2], only 4.36% are filled[3].

The job identification system is focuses on disability rather than employability.

Right to work and employment provisions addresses only formal sector, leaving majority working in informal sectors out. Just and favourable conditions of work is not being realized for persons with disabilities due to inaccessible infrastructure, non-inclusive workplaces, discriminatory process of selection and conditions of medical examination[4]. Those with high support needs are working in sheltered workshops run by NGOs, often documented as trainees or interns. Wages are not standardized[5], promotions, access to trainings, and professional growth is negligible.

Review Of Literature: The present research study is a doctrinal research which is based upon the analysis of acts, rules, concepts, institution of law as well as legal system itself. As the instant research is an anthological study in connection with the legal entitlement of disabled persons in public employment therefore the information with respect to the back history both national and international was gathered by the study of various international instruments concerning human rights like the Universal Declaration of Human Rights, Constitution of India.

The knowledge of population of disabled persons in India and their work force was gathered from the study of Census of India 2011. The knowledge of legislation with respect to disabled persons was gathered from the study of The Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995 and Rights of Persons with Disabilities Act, 2016.

It is worthwhile to mention here that any legal research is incomplete without the study of various judicial pronouncements of the constitutional courts, therefore the same was gathered from the study of various law reporters like All India Reporter, Supreme Court Cases etc.

Views of various Non Governmental Organizations were obtained by the study of various articles relating to the research topic.

Object Of Research Study And Methodology: The present research study encompasses anthological study the plight of Persons with Disability in India, their Rights, laws for their protection, Constructional Scheme which guarantees certain special provisions for them and the role of judiciary in the implementation of their rights so as to embark upon and find as to whether the persons with disabilities are nurtured with the fruits of realization of their rights. The methodology involves study of various judgments of the Supreme Court of India and other constitutional courts, study of various laws and legislations and international instruments including the role of National Human rights Commission as well the efforts done by various organizations both governmental and nongovernmental.

Limitations Of The Study: Governmental organizations lack effective data and are also reluctant to share. Data collection through Right to Information Act, 2005 is time consuming and also it has got restraints with respect to the resource material already available I public domain.

Research Design: The present research being a doctrinal study, an attempt has been made to analyze various constitutional provisions, persons with disabilities specific legislation, study of international instruments and the efforts of self help groups as well as nongovernmental organizations to carve out the plight of the disabled in India specifically with respect to their employment opportunities available which can directly reach out to them thereby addressing thei problems and to conclude on those lines.

Data Collection Procedure: In order to gather the data for its interpretation and analysis, study of already available researched material has been conducted apart from study of judgments passed by the constitutional courts in India removing hurdles in the path of development of persons with disabilities has been done. Study of various international instruments legislated for the development of persons with disabilities has also been carried out apart from the study of various task forces, seminars and other efforts done by various organizations both governmental as well as autonomous disabled rights specific organizations has also been carried out. Census of India had been good tool for the collection of the data therefore, the same has been specifically analyzed.

Analysis And Interpretation

Hypothesis Testing

Hypothesis:

H_0: *"Disabled Persons in India are getting full realization of their employment rights in India".*

H_1 : *"There are hurdles for the Disabled Persons in India in the direction of full realization of their employment rights in India".*

Findings Of The Study: For the persons with disabilities the changing world offers more new opportunities due to technological advancement however the actual limitation surfaces only when they are not provided with opportunities equal to others. Therefore, bringing them in the society based on their capabilities is the need of the hour.

Indian Union is a welfare state and is committed to wholesome development of its citizens including those who are physically disabled in order to enable them to lead dignified life, enjoying and realizing fruits of equality, freedom and justice a enshrined in the Constitution of India. The pedigree of statutory provisions ensuring equality and equalization of opportunities to physically disabled citizens in our country can be traced in Part III and Part IV of the Constitution of India. For the persons with disabilities the changing world offers more new opportunities due to technological advancement however the actual limitation surfaces only when they are not provided with opportunities equal to others. Therefore, bringing them in the society based on their capabilities is the need of the hour.

Giving them opportunity to earn their bread and butter

by providing employment in a vital factor in their empowerment and inclusion. It is a harsh reality that the persons with disabilities are jobless not because of their disability but due to the social and practical barriers which come in their way and prevent them in joining the workforce. Due to this many disabled persons are compelled to thrive in poverty and pathetic condition. They are denied their right to make a useful contribution to themselves and to their families as well as community as a whole.

It is unfortunate to learn that the policy makers are not so keen in framing effective policies for the true realization of the legislations ensuring public employment of disabled persons.

Although the Disability Rights Movement in India commenced way back in 1977, of which the National Federation of Blind was n active participant, it acquires the requisite sanction only at the launch of the Asian and Pacific Decade of Disabled Persons in 1993-2002, which gave a definite boost to the movement. The main need that emerged from the meet was for a comprehensive legislation to protect the rights of the persons with disabilities. In this light, the crucial legislation was enacted in 1995 viz. the Persons with disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation Act, 1995 which empowers persons with disabilities and ensures protection of their rights. The Act, in addition to its other prospects, also seeks for better employment opportunities to persons with disabilities by way of reservation of posts and establishment of a special employment exchange for them.)[6]

The Non-Governmental Organizations working in the direction of promotion of rights of the persons with disabilities must be encouraged by the state.

In new emerging India when the focus of the State is self-reliance, then rules must be framed so that persons with disabilities are in a position get equal opportunity of employment in private entities.

The Employment-Unemployment Survey **should look at 'disability' as a category for data collection** so as to identify the unemployed disabled persons so that a fortified policy is drafted securing true realization of rights to them.

Constitutional and Legal Provisions: International human right law is based upon the principle of equality, dignity and autonomy and liberty. The Constitution of India has also imbibed the spirit of these values. The Preamble to the Constitution clearly states, "…secure to all citizens; Justice, Social Economical and Political; Liberty of thought, expression, belief, faith and worship.; Equality of status and of opportunity and to promote among them all Fraternity assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the Nation. . ."

Equality

Article 14: Under the right to equality, the Constitution of India guarantees equality for all its citizens before law and equal protection of law.

Article 15 & 16: These provisions prohibit discrimination on the grounds of "religion, race, caste, sex, place of birth or any of them."

State obligations and Judicial Pronouncements: The Constitution of India envisages a very positive role of the State towards its disadvantaged citizens. Article 41 enjoins that "The State shall, within the limits of its economic capacity and development make effective provision for securing the right to work, to education and to public assistance in cases of unemployment, old age, sickness and disablement."[7]

However the approach to disability in India has been motivated by charity and viewed as an individual issue. Even the Governments of Independent India rely heavily on charitable NGO's to secure basic rights like education, work, shelter and health for persons with disabilities. As a consequence, the entire process of development bypassed people with disabilities.

In *Nandakumar Narayanrao Ghodmare vs. State of Maharashtra & Ors.*[8] The Supreme Court directed that the candidate who was rejected because of colour blindness should be appointed to any other post of the Agricultural Class II Service post, other than the 5 out of 35 posts which required perfect vision.

In *Rajbhir Singh vs. DTC*[9] The Delhi High Court directed the respondent to "take the petitioner back into service and pay salary from the date when the respondent stopped paying salary in termination of his service."

In *Indira Sawheny vs. Union of India*[10] the apex court examined the legality of reservation in favour of the disabled who are not clearly covered under Article 16 of the Constitution. The Court pointed out that "…merely formal declaration of the right would not make unequals equal. To enable all to compete with each other on a equal plane, it is necessary to take positive measures to equip the disadvantaged and the handicapped to bring them to the level of the fortunate advantaged."[11]

In *Dr. Jagdish Saran & Ors. vs. Union of India* [12] Justice Krishna Iyer clarified that even apart from Article 15(3) and (4), equality is not degraded or neglected where special provisions are geared to the larger goal of the disabled getting over their disablement consistently with the general good and individual meet.

A distinct self-advocacy movement of people with disabilities that started during 1970s campaigned for protection and recognition of their human rights. It advocated enactment of a comprehensive legislation having a right based approach with special emphasis on social and economic rights. The government recognized the need for such a legislation in 1980.However, Article 253 of the Constitution of India enables the parliament to override the distribution of powers and to give effect to any treaty entered with foreign power or an international body even if the matter of legislation relates to an entry in the State List. With the signing of the Proclamation of Equality and Full Participation of People with Disabilities in Asian and Pacific Region, the

legislation was enacted by the Parliament in 1995.[13]

The Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995

Chapter VI

Employment

Identification of posts which can be reserved for persons with disabilities: Appropriate Governments shall-

(a) identify posts, in the establishments, which can be reserved for the persons with disability;

(b) at periodical intervals not exceeding three years, review the list of posts identified and up-date the list taking into consideration the developments in technology.

Reservation of posts: Every appropriate Governments shall appoint in every establishment such percentage of vacancies not less than three per cent for persons or class of persons with disability of which one per cent each shall be reserved for persons suffering from-

(i) Blindness or low vision;

(ii) Hearing impairment;

(iii) Locomotor disability or cerebral palsy, in the posts identified for each disability:

Provided, that the appropriate Government may, having regard to the type of work carried on in any department or establishment by notification subject to such conditions, if any, as may be specified in such notification, exempt any establishment from the provisions of this section.

Special Employment Exchange

(1) The appropriate Government may, by notification require that from such date as may be specified by notification the employer in every establishment shall furnish such information or return as may be prescribed in relation to vacancies appointed for persons with disability have occurred or are about to occur in that establishment to such Special Employment Exchange as may be prescribed and the establishment shall thereupon comply with such requisition.

(2) The form in which and the intervals of time for which information or returns shall be furnished and the particulars, they shall contain shall be such as may be prescribed.

Rights of Persons with Disabilities Act, 2016

Section 32

Reservation in higher educational institutions:

(1) All Government institutions of higher education and other higher education institutions receiving aid from the Government shall reserve not less than five per cent. seats for persons with benchmark disabilities.

(2) The persons with benchmark disabilities shall be given an upper age relaxation of five years for admission in institutions of higher education.

Section 33

Identification of posts for reservation.

The appropriate Government shall:

(i) Identify posts in the establishments which can be held by respective category of persons with benchmark disabilities in respect of the vacancies reserved in accordance with the provisions of section 34;

(ii) Constitute an expert committee with representation of persons with benchmark disabilities for identification of such posts; and

(iii) Undertake periodic review of the identified posts at an interval not exceeding three years.

Section 34

Reservation:

(1) Every appropriate Government shall appoint in every Government establishment, not less than four per cent. of the total number of vacancies in the cadre strength in each group of posts meant to be filled with persons with benchmark disabilities of which, one per cent. each shall be reserved for persons with benchmark disabilities under clauses *(a)*, *(b)* and *(c)* and one per cent. for persons with benchmark disabilities under clauses *(d)* and *(e)*, namely:

(a) Blindness and low vision;

(b) Deaf and hard of hearing;

(c) Locomotor disability including cerebral palsy, leprosy cured, dwarfism, acid attack victims and muscular dystrophy;

(d) Autism, intellectual disability, specific learning disability and mental illness;

(e) Multiple disabilities from amongst persons under clauses *(a)* to *(d)* including deaf-blindness in the posts identified for each disabilities:

Provided that the reservation in promotion shall be in accordance with such instructions as are issued by the appropriate Government from time to time:

Provided further that the appropriate Government, in consultation with the Chief Commissioner or the State Commissioner, as the case may be, may, having regard to the type of work carried out in any Government establishment, by notification and subject to such conditions, if any, as may be specified in such notifications exempt any Government establishment from the provisions of this section.

(2) Where in any recruitment year any vacancy cannot be filled up due to non-availability of a suitable person with benchmark disability or for any other sufficient reasons, such vacancy shall be carried forward in the succeeding recruitment year and if in the succeeding recruitment year also suitable person with benchmark disability is not available, it may first be filled by interchange among the five categories and only when there is no person with disability available for the post in that year, the employer shall fill up the vacancy by appointment of a person, other than a person with disability:

Provided that if the nature of vacancies in an establishment is such that a given category of person cannot be employed, the vacancies may be interchanged among the five categories with the prior approval of the appropriate Government.

(3) The appropriate Government may, by notification, provide for such relaxation of upper age limit for employment

of persons with benchmark disability, as it thinks fit.

Conclusion: On the basis of abovementioned discussion, the study of various legislations as well as judicial pronouncements it becomes very clear that Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 is a very important and effective legislation enacted not only for the purpose of saving the persons with disabilities with any type of decimation but also to provide them equal opportunities in public as well as private employment. It is unfortunate to learn that the policy makers are not so keen in framing effective policies for the true realization of the legislations ensuring employment opportunities of the disabled persons. As a result the alternative hypothesis:

H_1: *"There are hurdles for the Disabled Persons in India in the direction of full realization of their employment rights in India"*

Stands proved.

References:-

Acts:-

1. The Constitution of India
2. The Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995
3. Rights of Persons with Disabilities Act, 2016
4. National Trust for Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities Act, 1999
5. Mental Health Act, 1987
6. Rehabilitation Council of India Act, 1986

International Instruments:-

1. The Universal Declaration of Human Rights, 1948
2. The International Covenant on Civil and Political Rights, 1966
3. The International Covenant on Economic Social and Cultural Rights, 1966
4. United Nations General Assembly Resolution 2856 (XXVI) of 20 December 1971
5. United Nations Declaration on the Rights of the Disabled Persons, 1975
6. United Nations General Assembly – World Programme of Action, 1982
7. United Nations Standard Rules on the Equalization of Opportunities for People with Disabilities, 1993
8. The Committee on Covenant on Economic Social and Cultural Rights – General Comment No. 5, 1994
9. United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific Region – Asian and Pacific Decade, 1993-2002
10. Biwako Millennium Framework 2003-2012
11. International Labour Organization (Employment and Occupation) Convention, 1958
12. The Copenhagen Declaration and Programme of Action, 1995
13. United National Millennium Summit, 2000
14. United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities, 2007

Government Of India Publications:-

1. Census of India, 2011, Ministry of Home Affairs, Government of India, New Delhi
2. National Sample Survey Organisation, Ministry of Statistics and Programme Implementation, Government of India, New Delhi
3. The Law Commission of India Report No. 256

Publications Of National Human Rights Commission:-

1. Know Your Rights – Rights of Persons with Disabilities, National Human Rights Commission, New Delhi
2. Rungta, Pratiti; Pillai, Meera; Mohit, Anuradha (2006), Rights of the Disabled, National Human Rights Commission, New Delhi

Footnotes:-

1. Know Your Rights – Rights of Persons with Disabilities, National Human Rights
2. Babu, S. (2018) "Disabled and unorganised sector" Counter Currents.org, March 16th 2018. Accessed on 03.01.2019 at https://countercurrents.org/2018/03/16/disabled-and-unorganized-sector -
3. http://web.worldbank.org/archive/website01291/WEB/IMAGES/CHAPTE-5.PDF
4. https://www.deoc.in/wp-content/uploads/2018/03/White-paper-on-Employment-updated-27-Nov.pdf
5. http://web.worldbank.org/archive/website01291/WEB/IMAGES/CHAPTE-5.PDF
6. Union of India vs. National federation of the Blind (2013) 10 SCC 772
7. Know Your Rights– Rights of Persons with Disabilities, National Human Rights Commission, New Delhi
8. 1995 6 SCC 720
9. 97 2002 DLT 19
10. 1992 Supp (3) SCC
11. Ibid.
12. 1980 2 SCC 768
13. Ibid.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XL

The Rise of Indian English Fiction

Dr. Mukesh Sathe*

***Assistant Professor (English) Govt. College, Mandleshwar, Distt. Khargone (M.P.) INDIA**

Introduction - K. R. Srinivasa Iyenger begins his survey of the Indian Novel with assertion that "The 'Novel" as a literary phenomenon is new to India." Certainly the novel as a medium of story telling and art- form, with its emphasis on character-analysis and related plot, is essentially of West and represents a tradition of fictional writing which is totally different from India's time-honored tradition of story-telling. Yet, it is no longer alien to Indian genius and is satisfying as a work of art and fulfills what both Goorge Eliot and Tolstoy agreed to be the principal function of novel. In all the branches of creative writing like. Poetry, Prose, drama and Fiction. Indian writers have done considerable work worthy of rank in literature. Their achievements in different field of literature are as striking as that of any other modern indian language.

The rise of novel in India was not purely a literary phenomenon. The appearance of the novel as a literary from in nineteenth century India as it did in eighteenth century England synchronized with the rise of individualism and with all the consequent political and social relationship, which followed. Its rise was one of the aspects of dawn of what may be called the Indian novel. whether in English or any of the other Indian languages, has an individual quality, a distinctiveness which transcends all the peculiarities characteristic of different linguistic and cultural milieu and therefore depicts Indian tradition and culture. It reflects faithfully the life and spirit of Indian ethos and grapples with the problems and tensions generated by the rather unique way in which family and society determines an individual life and character. It is characteristically Indian in its moral and spiritual content and in values and ideals it up hold.

The earliest contribution of Indian in English took the front of prose. In this domain, as in many others Raja Ram Mohan Roy played an important role. Raja Ram Mohan Roy distinguished himself as a writer of lucid, forceful English prose in "Precepts of Jesus" (1820) and several other tracts and pamphlets.

Till the beginning of this century many writers produced fiction in English. The Indian-English fiction owes its origin to the translation of various fictional works from the Indian languages in English, especially from Bengali to English. The great masters of the art of fiction like Romesh Chandra Dutt, Bankim Chandra Chatterji and Rabindranath Tagore translated their novels into English. They gave the initial momentum to Indian-English novel and left deep impression on the mind and art of successive novelists. out of six novels of Romesh Chandra Dutt, two were on social and four were on historical themes. Of these six novels, two were translated into English by himself The Lake of Palms' (1901) and The Salve Girl of Agra' (1909). The original Bengali novels were 'Sansar and: Madhavi Kadam' chandra. The novels of Romesh Dutt brought out a fine art and grace in story telling, but it was left to his successor, especially Rabeindra Nath Tagore, to stir the depths of human heart and write emotional novel of eternal values. Both the novels of Romesh Chandra Dutt were first published in London, which shows how limited were the opportunities for the Indian-English novelists in India. He brought to the Indian-English novel a theme of social reform, vividly portrayed characters that haunt in our memory; realism in the portrayal of Indian village life of those days and graceful and polished style in story- telling.

It was however, Bankim Chandra who established the novel as a major literary from in India. He was a trailblazer for the Bengali Novelists. It was he who showed that the ordinary life of middle class Bengali could be the subject matter of high-class novel and that religious and social views could be put across through social novel with out detriment to their artistic merit. He is remembered today as the father of Bengali novel and the first Indian to write a novel in English. He however deliberately turned his face away from all attempts to gain a reputation as a writer in English and preferred to stick to Bengali as the medium of his expression.

His great song, Bande Matram; which was included in his novel 'Anand Math' has become, in the words of Narendra Nath Cupte, "ulive unifying force, the rallying call of nationalism", alost on unofficial national anthem of independent India. translations of his novels in English have played a significant part in advancing the literary renaissance all over India and especially in Indian- English fiction: The Poison Tree' (1884), Kapal Kundala (1885) 'Durgesh Nandini (1890) Krishnakanta's Will' (1895), The Two Rings (1897) and 'Raja Mohan's wife' (1904) followed

in quick succession. His historical novels provide powerful and romantic présentation of history. In his social novels he pleads for respect for tried traditional values in social conduct. In his philosophical novels, the renunciation motive is predominant, which is closer to the Indian social thought.

His humour adds to the beauty of the artistic construction of his plot. throught his translation, he has influenced novelists all over India. his influence fundamentally lies in creating a love for old, unhappy, for off things and battles long ago.

Lal Behari day's, Govind Samanta' published in 1874 may be considered to be the first important Indian novel to appear in English though Bankim Chandra's 'Rajamohan's wife was chronologically an earlier work. The original edition of 'Govind Samantha Raiyat, the edition of 1908 was published by MacMillan London, entitled 'Bengal's Peasant Life'. It was awarded a prize in 1871, offered for the best novel in Bengali or English, illustrating the social and domestic life' of the rural population and working classes of Bengal. The appearance of Govind Samanta may also be said to to have marked the smooth and invisible transition from romance to realism in Indian creative writings. As observed by prof.K.S Rammurti, "Indian novel in English began not as a 2 romance or historical romance, but as a novel of social realism".

Towering above all these writers stands the colossal figure of Rabindra Nath Tagore, whose spell is felt in the entire modern Indian literature. Tagore's influence on the Indian-English novelists was entirely different. If Romesh Chandra Dutt brought realism and reform to the novel, if Bankim Chandra invested the novel with a romantic halo. Tagore revealed the inmost currents of man's mind and thought in his novels he brought psychological delineation to the novel. He added depth and significance to the lean forward in the development of modern Indian-English novel.

"If Bankim Chandra was the glorious promise of aspiring fiction. Rabinmdra Nath's was the sumptuous richness or annual fruition. After Rabindra Nath appeared on the literary scene and was awarded Nobel Prize in 1913, modern India could once again, boldly and proudly look the civilized world in the face." The romanticism of sir Walter Scott and the staunch nationalism of Bengal were fused in his novels. Professor Priyaranjan Sen remarks, He awakened the country to the greater world outside, and linked the two together. The east and west met in him."

Tagore's first writing appeared as early as 1857 and since then he poured in Bengali language a regular stream of writings up to 1941 when death put an end to his great literary career. Gitanjali. Tagore's spiritual lyrical verse has been translated into fourteen non-Indian languages; and almost every Indian language including English has produced its translation. In him we find the thought and philosophy of the East. The significance of his triumph is that it makes the culmination and coming of age of the development of an offshoot of common wealth English literature the Indian- English literature, the importance of which has not been sufficiently recognized. Togore's creative writings come to nearly 200 works. He has more than 2000 songs to his credit, numerous humorous plays and a number of novels and short stories.

The novels of Tagore that have been translated in English are 'gora' (1923). The Wreck (1921): The home and the World (1919) all the three are fundamentally social novels. Gora' is a social novel with a political undercurrent. Gour Mohan- the son of an English lady brought up in a hindu household, is the hero of the novel. In the character of 'Gour Mohan' Tagore has tried to bring about the fusion of the thought and culture of East and west. It is a novel, thought provoking and vigorous but it is almost Victorian in form and style.

According to Dr. A. Aronson, "From the point of view of form. however the more sophisticated readers were at least dissatisfied. The need not surprise us; at a time when writers like aldous Huxley, James Joyce and Virginia Woolf, experimenting with new forms of novel writing in English at a time also when the novel had reached its fullest maturity with the works were of Tolstoy and Dostoevsky in Russia, Marcel Proust and Andre Gide in France. Rabindra Nath Tagore could not but strike his European contemporaries as belonging both in style and characterization to a different order and school of artistic expression, which they had passed long ago, somewhere in the first half of the 19th Century"? According to Leonard Woolf, "Gora" is correctly criticized in these words. In form it is very old fashioned, indeed, it belongs to the antediluvian school of Anthony Trollope."

The last quarter of the nineteenth century, the period following the publication of Lai Behari day's Govinda Samanta, may be said to be a significant period in the history of Indian- English fiction. Thought very good novels made their appearance between 1874 and 1900. the quarter century saw the emergence of a number of good writers of fiction most of them were writers of great promise. Who might have proved novelist of considerable merit if time and circumstance had favoured the development of their talent along surer lines. Some of them died young, some others were content to produce 'Sketches which sought to give pictures of Indian Social life while some others wrote fiction in the form of personal memoirs and autobiographical sketches.

The women novelists who appeared on the Indian-English literary scene during the quarter century following the publication of 'Govind Samanta' were also writers of great promise. The very emergence of women writing in English during this period was very significant in itself, marking as it did, the birth of a new era which held out for Indian women opportunities for a dynamic participation in the social life of the country. Writers like Toru Dutt, Mrs. Salhia Nathan, Miss Cornelia Sorabji, Shevanti Bai Nikambe made their presence felt and known. A common feature of

all woman writers of this period is their theme. It is invariable the Indian woman, the new woman as the writers, saw her emerges in the fast changing social milieu. They represent a significant creative surge in the Indian-English literary scene which was set in motion by writers like Toru, and is being curried forward today by the writers of much greater promise like Anita Desai and Arundhati Roy. To sum up in the words of Prof. K.S.Ramamurti, "Woman novelist, like Toru Dott. Mrs. Ghosal and Miss Sorabji Comelia are shown to be typical of Indian feminine sensibility and of certain emotional and aesthetic propensities and predilections which are shared by all the Indian woman writers writing in English till our own day".

In this connection it will be worth noting that Indian fiction in English i.e. fiction in English written by Indian, was even in its earliest phase decidedly superior to the fiction on India written by British writers. The English writers of Indian fiction, even the best of them, wrote from the surface of Indian life, which alone they could see. Their India began and ended with Punjab and forests and mountains of the Himalayan region and very often-depicted little English world in Indian where there were no Indians except the butlers and they ayahs.

This early phase of Indian-English writing, despite, its superiority over Anglo-Indian writing, clearly shows, as most of the critics have expressed, the influence of puranas and Indian myth, fare they helped the early writers to get a view which is characteristically Indian. The religious devotion of Indians also explains their lack of interest in human nature, and individual character analysis while a large part of the background of the European writers is the idea that the character is destiny, Indian writers, especially the writers of early phase, were always

References:-

1. K.R. Srinivasa Iyenger: "Indian Writings in English", (New delhi Sterling rev. ed. 1984 P 314
2. K.S. Rammurti: "The rise of Indian novel in English", (Sterling Publication Pvt. Ltd.), P. 18,
3. R.R.Srinivasa Iyenger: "Literature and authorship in India" (Sterling Publishers Pvt. Ltd. New Delhi.) p.28
4. Priyaranjan Sen: "The Indian P.E.N." (July-1938)
5. Dr. A. Aranson: "Rabindra Nath Through Western Eye" (1943) Pp. 109-110
6. Leonard Woolf: "Nation and Athenaeum" (9-2-1924)
7. K.S. Rammurti: "The rise of Indian novel in English" (Sterling Publishers Pvt. Ltd. New Delhi), P. 18

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XL

मध्यप्रदेश में पर्यटन विकास कार्यक्रम एक अध्ययन

निरजा त्रिपाठी *

*** सहायक प्राध्यापक, हवाबाग कॉलेज, जबलपुर (म.प्र.) भारत**

प्रस्तावना – आदिमकाल से ही परिभ्रमण, मनुष्य की मूल प्रवृत्ति रही है। मनुष्य महत्वाकांक्षी, जिज्ञासु, अन्वेषक व आविष्कारक होता है। परिवहन व सम्प्रेषण माध्यमों में क्रांति होने से सम्पूर्ण विश्व एक 'विश्व ग्राम' में परिवर्तित हो चुका है। नतीजेपन व्यक्ति प्रतिदिन पर्यटन का लुत्फ उठाने के प्रति उन्मुख होता जा रहा है। पर्यटन मात्र मनोरंजन, आमोद-प्रमोद अथवा ज्ञानोपर्जन का साधन मात्र नहीं अपितु एक उद्योग के रूप में विश्व में सर्वोच्च लाभप्रद व्यवसायों में से एक बन गया है। यद्यपि भारत का पर्यटन उद्योग विश्व के अन्य देशों की तुलना में काफी पीछे है। अनवरत् स्वच्छ और आकर्षक पर्यटन स्थल तभी लोकप्रिय हो सकते है जब सेवा प्रदाता आगन्तुकों को हर प्रकार की सहायता देकर उनकी संवेदनशीलता को प्रेषित करें। सरकार ने इस हेतु 'अतिथि देवो भव:' अभियान शुरू किया जिसका उद्देश्य सामाजिक जागरूकता और हितधारकों में समसामयिक रूप से सार्थक पर्यटन संरक्षा मुद्दों और उनके साथ अच्छे व्यवहार तथा अनुस्मारकों को गंदा करने से बचाने और पर्यावरण की दृष्टि से ठोस कचरे के प्रबंधन पर ध्यान दिया जाए। अत: 21वीं शताब्दी में भारतीय संस्कृति व परम्पराओं को दृष्टिगत रखते हुए भारतीय पर्यटन मंत्रालय ने 'अतिथि देवो भव:' महामंत्र को आत्मसात कर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकासोन्मुखी अभियान चलाया जिससे पर्यटकों की संख्या में के साथ-साथ विदेशी मुद्रा भंडार में अप्रत्याषित वृद्धि भी हुई।

'अतुल्य भारत' ब्रॉण्ड की स्थापना किए जाने के पश्चात् अब जोर दिया जा रहा है कि देश के अंदर कुछ ऐसे आकर्षक पर्यटक उत्पाद विकसित किए जाएँ जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रोत्साहित किया जा सके। यद्यपि 'अतुल्य भारत' का नारा भी सिद्धांतत: भारत हेतु सटीक है परंतु अतुल्य भारत का सपना सँजोए जब पर्यटक भारत में आता है तो अव्यवस्थाओं के जाल में घबरा जाता है। भारत विविधिता से भरपूर एक ऐसा देश है जो न केवल भौगोलिक दृष्टि से बल्कि सांस्कृतिक एवं सामाजिक दृष्टि से विविधता को अपने में समेटे है। जातीय बहुलता के बावजूद साम्प्रदायिक सद्भाव ने भारत की अनेकता में एकता को न केवल सुदृढ़ किया है बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी इसे समृद्ध बनाने में योगदान किया है। अत: भारत की सनातन, आध्यात्मिक चेतना और सांस्कृतिक विविधता तमाम दिक्कतों के बावजूद विदेशी पर्यटकों को भारत की ओर खींच लाती है, यदि भारत को व्यवस्थित व सुविधाजनक स्वरूप में विश्व के सम्मुख 'अतुल्य भारत' को प्रस्तुत कर सके तो भारतीय पर्यटन उद्योग एक अप्रत्याषित ऊँचाई अर्जित कर सकेगा। भारत की हृद्रयस्थली के रूप में मध्यप्रदेश अपने विस्तृत क्षेत्र की असीम संभावनाओं को समेटे हुए है। सतपुड़ा एवं विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं से आच्छादित इस प्रदेश में विभिन्न रूचि के पर्यटकों के लिए सांस्कृतिक विरासत, नैसर्गिक सौन्दर्य, कलात्मक मंदिर, स्तूप, वैभवशाली किले, राजप्रासाद एवं पुरातत्वीय महत्व के स्मारक स्थल है।

देश एवं प्रदेश के आर्थिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक विकास में पर्यटन के महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए प्रदेश के पर्यटन केन्द्रो के विकास, बुनियादी सुविधाओं को उपलब्ध कराने, स्थलों के प्रचार-प्रसार आदि को दृष्टिगत रखकर प्रदेश में इस कार्य हेतु पृथक रूप से विभाग रखे जाने की आवष्यकता महसूस की गई।

मध्यप्रदेश का ग्रामीण पर्यटन विश्व में अपनी अलग पहचान रखता है और यही कारण है कि लंदन में हाल ही में 1 नवम्बर 2021 को डब्ल्यूटीएम (वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट) रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवाड्‌र्स की घोषणा हुई तो सब हैरान थे, क्योंकि मध्यप्रदेश को ग्रामीण पर्यटन के मामले में दुनिया में नंबर वन घोषित किया गया था। मध्यप्रदेश को ग्रामीण पर्यटन कार्यक्रम हेतु गोल्ड अवॉर्ड का पुरूष्कार 'डेस्टिनेशन बिल्डिंग बैंक बेटर पोस्ट कोविड' श्रेणी में दिया गया है।

पर्यटन, 21 वीं सदी का सबसे बड़ा उद्योग है। अर्थव्यवस्था में इस क्षेत्र के माध्यम से अधिकाधिक विदेशी मुद्रा अर्जित की जा रही है। यद्यपि यह एक अत्यंत प्रतिस्पर्धात्मक उद्योग है, क्योंकि पर्यटक के पास अनेक विकल्प उपलब्ध होते हैं और वह अपने धन का अधिकाधिक मूल्य प्राप्त करने की इच्छा रखता है। वर्तमान में इस क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएँ भी अपार है। चूंकि विगत् वर्षो में लोगों की धारणाएँ भी पर्यटन के प्रति बदली है। इसलिए पर्यटन उद्योग अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग हो गया है चूंकि पर्यटन देश की आर्थिक-सामाजिक विकास की रीढ़ है क्योंकि यह राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं अपितु प्रदेश एवं स्थानीय स्तर पर भी रोजगार के असीमित अवसर प्रदान करना है। घरेलू पर्यटन की सामाजिक-आर्थिक विकास की रीढ़ है क्योंकि विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने में इसका बहुत बड़ा योगदान है।

मध्यप्रदेश देश का हृद्रयस्थली होने के साथ अपनी धरा में अनेक धार्मिक, सौंदर्य एवं पहाड़ी श्रृंखलाओं की सुंदरता लिये पर्यटकों के लिए आकर्षण का केन्द्र बना है और मध्यप्रदेश में पिछले दशक से पर्यटकों की संख्या में लगातार बढ़ोत्तरी हुई है और ऐसी स्थिति में पर्यटन उद्योग को बड़ा लाभ भी हुआ होगा, लेकिन मध्यप्रदेश की आर्थिक स्थिति में पर्यटन उद्योग तथा पर्यटन तथा इससे जुडे हुए स्थानीय एवं अन्य व्यापारी को कितना

लाभ इससे हुआ है अथवा उनका आर्थिक विकास किस स्तर पर हुआ है ? ऐसे प्रश्नों और जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए मेरे द्वारा अध्ययन हेतु मैनें **'म.प्र. में पर्यटन उद्योग के आर्थिक विकास का अध्ययन'** शीर्षक शोधपत्र कार्य हेतु चयन किया।

शोध कार्य की परिकल्पना – सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत तथ्यों का वस्तुनिष्ठ रूप से अध्ययन करने में परिकल्पना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। परिकल्पना एक ऐसा आधार प्रस्तुत करती है जिससे शोध कार्य में सत्यता की संभावना बढ़ जाती है। शोध की दिशा का वेग एवं प्रमाण निर्धारित करने के लिये परिकल्पनाओं का निर्माण आवश्यक होता है। अत: प्रस्तावित शोध कार्य में निम्नलिखित परिकल्पनाएँ निर्धारित की गई है।

1. मध्यप्रदेश में पर्यटन उद्योग का विकास बेहतर हुआ है।
2. मध्यप्रदेश में पर्यटन उद्योग से आर्थिक विकास को गति मिली है।
3. पर्यटन देश एवं प्रदेश के लिए आर्थिक विकास का साधन बन गया है।

उद्देश्य – हमें यदि अपने देश को एक सषक्त एवं विकसित राष्ट्र के रूप में देखना है तो आवश्यक है कि देश की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो तथा इसके जरूरी है कि ऐसे उद्योग को विकसित किया जाये जिससे अधिक आर्थिक लाभ अर्जित किया जा सके। वर्तमान परिदृष्य में पर्यटन उद्योग देश के आर्थिक विकास के लिए आवश्यक हो गया है और इसके लिए अपने प्रदेश मध्यप्रदेश के पर्यटन को समझना भी आवश्यक है इसी के दृष्टिगत इस शोध के निम्न उद्देश्य तय किये गये है :-

1. मध्यप्रदेश के पर्यटन स्थलों की जानकारी एकत्र करना।
2. मध्यप्रदेश के पर्यटन स्थलों पर आने-जाने वाले पर्यटको के विषय में जानकारी प्राप्त करना।
3. मध्यप्रदेश में पर्यटन से होने वाले आर्थिक प्रभावों का अध्ययन करना।

देश में पर्यटन सबसे बड़ा सेवा उद्योग है जो देश की आर्थिक एवं रोजगार सृजन का एक महत्वपूर्ण कारक भी बन गया है। वैश्वीकरण एवं सूचना प्रौद्योगिकी का व्यापक प्रभाव भी पर्यटन पर पड़ा है। वर्तमान समय में पर्यटन एक बहुमूल्य विदेशी मुद्रा का अर्जन करने वाले पाँच प्रमुख क्षेत्रों में से एक हो गया है। आर्थिक योगदान के साथ ही पर्यटन का रोजगार सृजन में भी बहुत बड़ा योगदान है। यह देश में कम दक्षता एवं अर्द्धदक्षता वाले श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। वर्तमान में देश में लगभग 5 करोड़ से भी अधिक लोगों इससे जुड़े व्यवसाय से अपनी आजीविका अर्जित कर रहे है।

मध्य प्रदेश में तेजी से पर्यटन क्षेत्र में विकास कर रहा है जिससे प्रदेश में पर्यटन उद्योग की भी अधिक उन्नति हो रही है प्रदेश खासकर ग्रामीण पर्यटन में न केवल देश बल्कि पूरे विश्व में अपनी बेहतर छबि बना रहा है जिससे ग्रामीण पर्यटन से पर्यटन उद्योग भी वृद्धि कर रहा है।

शोध कार्य के दौरान प्रस्तावित प्रविधि

अध्ययन का समग्र – मेरा शोधपत्र हेतु प्रदेश के दस पर्यटक स्थल उज्जैन, भोपाल, ओंकरेश्वर, पचमढ़ी, सांची, इंदौर, अमरकंटक, भेड़ाघाट (जबलपुर) तामिया (छिंदवाड़ा), पेंच नेशनल पार्क के आंकड़ों को रखा गया।

द्वितीयक तथ्यों के स्त्रोत – द्वितीयक समंकों का संकलन शोध कार्य के दौरान तथ्यों का विश्लेषण सरकारी व गैर सरकारी केन्द्रों जैसें पर्यटन विभाग, मध्यप्रदेश पर्यटन बोर्ड एवं उससे संबंधी प्रकाशित ग्रंथ, शोधग्रंथ, उपलब्ध स्त्रोतों से संकलित आंकडों तथा विभिन्न शोध संस्थानों एवं पुस्तकालयों से उपलब्ध शोध पत्र-पत्रिकाओं, प्रकाशनों, आर्थिक सर्वेक्षण, समाचार पत्र, पत्रिकाओं तथा इंटरनेट द्वारा प्राप्त जानकारी शोध कार्य हेतु किया गया है।

उपसंहार – मध्य प्रदेश में तेजी से पर्यटन क्षेत्र में विकास कर रहा है जिससे प्रदेश में पर्यटन उद्योग की भी अधिक उन्नति हो रही है प्रदेश खासकर ग्रामीण पर्यटन में न केवल देश बल्कि पूरे विश्व में अपनी बेहतर छबि बना रहा है जिससे ग्रामीण पर्यटन से पर्यटन उद्योग भी वृद्धि कर रहा है।

1. अध्ययन के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि विश्व में देश की स्थिति पर्यटन क्षेत्र में विगत् 4 वर्षो से टॉप 10 में नहीं रही है। देश का प्रदर्शन बेहतर रहा है लेकिन वह पिछले वर्षो में टॉप 10 में स्थान नहीं बना पाया है।
2. अध्ययन से ज्ञात होता है कि पिछले दो दशक में पर्यटन क्षेत्र से होने वाली आय में पर्यटन शुल्क से 3198 से 30058 (-7.6 से से 5.1 तक) पंहुची है जिससे स्पष्ट होता है कि पर्यटन क्षेत्र में विगत दो दषकों से भारत के आर्थिक विकास में लगातार वृद्धि हुई है।
3. पर्यटन मंत्रालय की जारी रिर्पोट के आधार पर कहा जा सकता है वर्ष 2019-20 में भारत में घरेलु पर्यटकों वाले शीर्ष राज्यों में मध्य प्रदेश का स्थान सातवां है जिससे यह भी स्पष्ट होता है कि प्रदेश में इस दिशा में उत्तरोत्तर वृद्धि की है क्योंकि पिछले वर्षो में यह टॉप टेन में शामिल नहीं हो पाया था।
4. इसी प्रकार से पर्यटन मंत्रालय की जारी रिर्पोट के आधार पर कहा जा सकता है वर्ष 2019-20 में भारत में विदेशी पर्यटकों वाले शीर्ष राज्यों में मध्य प्रदेश का स्थान टॉप 10 की सूची में शामिल नहीं है जिससे यह कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश विदेशियों को लुभा पाने में बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाया है। जारी रिर्पोट मे तमिलनाडू ने पहला स्थान प्राप्त किया है। अत: मध्य प्रदेश को विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने में और अधिक पहल करना आवश्यक है।
5. अध्ययन में शामिल किये गये प्रदेश के दस पर्यटक स्थल उज्जैन, भोपाल, ओंकरेश्वर, पचमढ़ी, सांची, इंदौर, अमरकंटक, भेड़ाघाट (जबलपुर) तामिया (छिंदवाड़ा), पेंच नेशनल पार्क में से अधिकांश स्थलों में विदेशी पर्यटकों का लगाव अधिक रहा है जिसमें से प्रमुखत: उज्जैन, ओंकरेश्वर, सांची, इंदौर, पचमढ़ी, भेडाघाट में विदेशी पर्यटक तथा तामिया, अमरकंटक, पेंच नेशनल पार्क में घरेलु पर्यटकों की संख्या अधिक रही है।

सुझाव – इन निष्कर्षो के आधार पर मध्य प्रदेश में पर्यटन उद्योग के अधिक विकास के लिए कुछ सुझाव जा सकते है :

1. मध्य प्रदेश में पर्यटन उद्योग खासकर ग्रामीण पर्यटन को सुधार की अधिक आवश्यकता है जहॉं सुविधाओं के साथ विशेष कार्ययोजना और नीतियों का निर्माण किया जाकर इनके उचित क्रियान्वयन की व्यवस्था की जानी चाहिए।
2. पर्यटन स्थलों में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार जिसमें-आवास, आहार सुविधा, संदेशवाहन आदि है की सुविधाएँ होना चाहिए।
3. पर्यटन उद्योग के विस्तार के लिए पर्यटकों को सम्पूर्ण जानकारी के लिए सूचना केन्द्रों का विस्तार करना चाहिए। इसमें कार्यरत कर्मचारी प्रशिक्षित एवं मधुरभाषी होनी चाहिए जिससे वह पर्यटकों को पर्यटन के लिए प्रेरित कर सकें।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. कंदेल, तिलक प्रसाद कैस्टर, लौरा, टूरिज्म एंड इम्पैक्ट्स ऑन ट्रेडिशनल कल्चर, ए केस स्टडी ऑफ सिरुबारी विलेज, नेपाल, 2011
2. खतीब के.ए. (2000), पर्यटन का भूगोल, मेथा प्रकाशन, कोल्हापुर।
3. कोठारी अनुराग, (2011), ए टेक्स्ट बुक ऑफ टूरिज्म मैनेजमेंट, विजडम प्रेस, नई दिल्ली।
4. कुलकर्णी सोनल (2011), ग्राम पर्यटन, किंग बुक्स, जयपुर।
5. कुलकर्णी सोनाली (2007) 21वीं सदी में पर्यटन प्रबंधन, बुक एन्क्लेव, जयपुर।
6. कुमार मनित (1992), टूरिज्म टुडे, कनिष्क प्रकाशन, दिल्ली।
7. लक्ष्मण के.पी. (2008), पर्यटन विकास समस्याएं और संभावनाएं, ए और डी प्रकाशक, जयपुर, भारत।
8. लीला शैली, भारत में पर्यटन विकास–आतिथ्य उद्योग का एक अध्ययन, अरिहंत प्रकाशक, जयपुर, 1991
9. एम.बी. पोद्दार, 'दक्षिण कोंकण में पर्यटन विकास' 2003
10. एम.एम. आनंद, भारत में पर्यटन और होटल उद्योग, प्रेंटिस हॉल ऑफ इंडिया प्रा. लिमिटेड, नई दिल्ली, 1976

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XL

Efficacy of Plant Oils to Key Store Grain Pest, *Oryzaephilus surinamensis (L.)*

Kamini Verma* Surabhi Shrivastava**

***Faculty, Maa Bharti Girls P.G. College, Kota (Raj.) INDIA**
**** Former Principal, RHES, Kota (Raj.) INDIA**

Abstract - The persent study evaluates the efficacy of plant oils (ether extracts) against *Oryzaephilus surinamensis* L. under laboratory conditions. The results reveal that *Azadirachta indica* , *Brassica juncea* , and *Linum usitatissimum* seed oils (ether extracts) were effective for about more than 30, 30 and 45 days respectively at the doses of 50.0, 50.0, and 50 .0 ml/L .
Keywords- Azadirachta indica, Brassica juncea, Linum usitatissimum, Oryzaephilus surinamensis L.

Introduction - Store product insects cause severe damage to stored products especially in developing countries (Bauosa *et al*. 2015; Sallam, 2013).

Infestation by insect pests may cause loss of stored products for upto 5-10% in temperate regions and 20 to 30% in tropical regions (Rajendran and Sriranjini, 2008).

Insect pest in cereals, pulses and oilseeds cause severe post-harvest losses in the range of 3.9-6.0%, 4.3-6.0% and 2.8 -10% respectively (Dhingra, 2016).

Amongst these pests, the most important and common are the Coleopterans attacking stored rice and their products viz. *Sitophilus oryzae* L., *Oryzaephilus surinamensis* L, *Rhyzopertha dominica* L. and *Tribolium casrtenium Herbst.*

Control of *Oryzaephilus surinemensis* L. population around the world primarily depends on continued application of organophosphorus and pyrethroid insecticides and fumigants eg. methylene bromide and phosphine , which are still the most effective means for the protection of stored food, feed stuff and other agriculture commodities from insect infestation (Kim *et al*. 2003), but substantial increase in awareness of their ill effects viz. toxicity to non target organisms, pesticides residues and environmental pollution is noticed in recent days (Benhalina *et al*. 2004; Collins *et al*. 2005). To minimize the use of pesticides and to avoid pollution of the environment, natural antifeedents, deterrents and repellent substances have been recorded for pest control. (Chander and Ahmed, 1983; Govindachari *et al*. 2000).

Laboratory and field trials with neem and other botanicals have given encouraging results against a number of insect pests because of their antiftendent , ovipositional, deterrent, morphogenetic and insecticidal properties .(Yadav and Bhatnagar, 1987; Singh and Upadhyay, 1993; Tune *et al*. 2000; Yadav and Bhatnagar, 2005).

Patil *et al*. (2022) studied repellent activity of three plant essential oils viz. orange (*Citrus sinensis L.*), Eucalyptus (*Eucalyptus obliquqa L.)* and cinnamon (*Cinnamomum vernum*) against stored grain pests of rice viz. *S. oryzae, Tribolium castenum, Oryzaephilus surinamensis and Rhyzopertha dominica*.

In the present study the efficacy (residual toxicity) of *Azadirachta indica, Brassica*, and *Linum* against *Oryzaephilus surinamensis L*. was analysed.

Material and Method: The experimental insect *Oryzaephilus surinamensis L.* were obtained from a laboratory culture maintained on rice grain at 30± 2 and 70±5 % RH. Oils (ether extract) of *Azadirachta indica, Brassica*, and *Linum* seeds were extracted by soxhelet apparatus.

20 gm of sterlized grain was filled in each culture tube the test solution was measured one ml. by pipette and dropped in the tubes in spiral manner, lid was put on it and shaken well by rolling in up and down movement. 10 pairs of freshly emerged adult *O. surinamensis* were released in culture tubes with treated grain and covered with muslin cloth tied with rubber band properly. Mortality was counted after 24 hours of treatment.

In every count moribund insects and the insect which could not walk properly, we are also considered as dead. For more accuracy of individual oil, the treatment were done in triplicates. The experiment was repeated by releasing new batches of insects in the same treated grains for mortality count after three, five, seven, fifteen, thirty and sixty days interval after treatment.

Findings: The efficacy of various oils (ether extracts) was estimated till the deposits of toxicant gave no mortality of saw-toothed grain beetle, *Oryzaephilus surinemensis* L . Continued observations revealed that *Azadirachta indica* , *Brassica juncea* , and *Linum usitatissimum* seed oils (ether

extracts) were effective for about more than 30 , 30 and 45 days at the dose of 50.0, 50.0, 50.0 ml/L respectively.

Conclusion: Among *Azadirachta indica* , *Brassica juncea,* and *Linum usitatissimum* ,the most effective oil (ether extract) @ 50 ml/L was resulted through the deposite of *Linum usitatissimum.*

Suggestions: Ecofriendly extracts o plants have resulted in maximum control of pests like saw-toothed grain beetle, *Oryzaephilus surinemensis* L hence more botanicals extracts must be as ecofriendly pesticides to control the loss of stored grains from different types of pests.

Plant based extracts can also be used in combination to see the synergistic action , if any.

Table 1 (see below)

References:-

1. Baorua, I.B.; Amadeus, L.; Abdourahmane, M.; Bakoye, O. ; Baributsa, D.and Murdock, L.L.(2015). Grain storage and insect pest of stored grain in rural Niger. *Journal Stored Product Research*, 64, 8-12.
2. Benhalima, H.; Chaudhry, M.Q.; Milis, K.A. and Price, N.R.; (2004). Phosphine resistance in stored product insects collected from various grain storage facilities in Morocco. *Journal of Stored Product Research*, 40: 241- 249.
3. Chander, H .and Ahmed, S.M.(1983). Potential of some new plants products as grain protectants against insect infestation. *Bulletin Grain Tech.* 21(3):179-188.
4. Collins, P.J. ; Daglish, G.J.; Pavic, H.and Kopiltek, K.A.,(2005). Response of mixed age culture of phosphine resistant and susceptible strain of the lesser grain border*, Rhyzopertha domonica* , to phosphine at a range of concentration and exposure period. *Journal of Stored Product Research.* 41:373-385.
5. Das,G.P.(1986). Effect of different concentrations of neem oil in the adult mortality and oviposition of *Callosobruchus chinensis*(L) . Bruchidae : coleopteran. *Indian Journal of Agriculture Science*. 56:743-744.
6. Dingra,D.(2016). Evolution and trends food grain storage in India. In: Navarro,S,; Jaya's, D.S.; Alagusundram,K.(Eds) Proceedings.10 International conference on controlled atmosphere and fumigation in stored products (CAF2016) CAF permanent committee Secretariat, Winnninpeg. Canada.47-52.
7. Govindachari, T.R.; Suresh,G.; Gopalkrishanan and Wesley,S.D.; (2000.) Insect antifeedent and growth regulating activities of neem oil and the role of major tetranortriterpinoids.*Journal of Applied Entomology.*124: 287-291.
8. Khalequzzaman, M.; Mandi, S.H.A and Gonosman, S.H.M. (2007). Efficacy of edible oils in the control of pulse beetle *Callosobruchus chinensis L*.in stored pegion pea. *University Journal of Zoology,* Rajshahi University, 26: 89-92.
9. Kim, S.; Park, C.; Ohh, M.H.; Cho, H.C.; and Ahn, Y.J.(2003). Contact and Fumigant Activities of aeromtic plant extract & essential oils of *Lasioderma serricorne*. *Journal of Stored Product Research*, 39: 11-19.
10. Patil,N.B.;Bawana,G.G,;Totan,A.;Guru,P.P.G.,; Mahendran,A.;Rath,P.C.,and Mayabini,J.(2022) Repelllency of plant essential oils to key Coleopteran stored grain insects of rice. *Indian Journal Of Entomology*. 84(3): 567-572.
11. Salam (2013). Insect Damage on post Harvest, Food and Agriculture Organization , Roma, Italy.
12. Rajendran,S. and Sriranjini,V. (2008). Plant Products as Fumigant for Stored Product Insects Control*. Journal Stored Product Research* . 44:126- 135.
13. Singh,G. and Upadhyay, R.K.(1993) .Essential oils :A potent natural pesticides. *Journal of Sci.Ind. Res*.52:676-683.
14. Singh, S.and sharma,G.(2003). Efficacy of different oils as grain protectants against *Callosobruchus chinensis L*.,in green gram and their effect on seed germination. *Indian Journal of Entomology*. 65(4): 500-505.
15. Tune, I.; Berger, B.M.; Erler, F. and Dagli, F.(2000). Ovicidal activity of essential oils from five plants against two stored grain insect. *Journal of Stored Product Research.*. 36: 161-168.
16. Uttam, J.R.; Pandya, N.D.; Verma, R.A.;and Singh, D.R.(2002). Efficacy of different indigenous oils as grain protectants against *Sitophilus oryzae L*. on Barley. *Indian Journal of Entomology* .64(4): 447-450.
17. Yadav, J.P. and Bhargava, M.C.(2006). Bioecology and management of rice weevil, *Sitophilus oryzae L*. on wheat.Ph.D. Thesis, Deprtment of Agriculture Zoology and Entomology. S.KN. college of Agriculture, Jobner.

Table 1: Residual toxicity of deposits of individual plant Oils to the adult of *Oryzaephilus surinamensis (Linn.)* at different intervals after spraying

S.	Plant Oils	Plant Part	Dose (ml/L)	Residual Toxicity of deposits at interval of							
				1DAT % Mor -tality	3 DAT % Mor -tality	5 DAT % Mor -tality	7 DAT % Mor -tality	15 DAT % Mor -tality	30 DAT % Mor -tality	45 DAT % Mor -tality	60 DAT % Mor -tality
1	*Azadirachta indica*	Seed	50.0	100	90	80	50	25	10	_	_
2	*Brassica juncea*	Seed	50.0	100	85	55	40	20	10	_	_
3	*Linum usitatissimum*	Seed	50.0	100	80	65	60	45	20	5	_

DAT = Days After Treatment

Socio-Economic Status of Haryana: A Comparative study of Udaka Village (Nuh district) and Garhi Bazidpur Village (Gurugram district) of Haryana

Dr. Mukesh Kumar* Dr. Rajpal Bidhuri**

*Associate Professor & Head (Geography) H.L.G. Govt. College, Tauru, Distt. Nuh (Haryana) INDIA
** Assistant Professor (Geography) H.L.G. Govt. College, Tauru, Distt. Nuh (Haryana) INDIA

Abstract - Socio-economic condition of people of any area describes the level of development in the region of the country. The socio-economic factors which are responsible for spatial variation play vital role in the process of resource allocation. In developing countries, agro-ecological and socio-ecological conditions differ considerably in both space and time. Haryana is one of India's more economically developed states. However, the southern part of Haryana has been the least developed since a long time. The study presents a comparative analysis of two villages, Udaka in Nuh district, and Ghari Bazidpur in Gurugaon district. What makes the study more interesting is that both these two districts are contiguous but there is sea difference between these two as Gurugram is the economically developed district whereas the Nuh is the most backward district of the state. The study reveals the same and finds that despite having the close proximity to the national capital Delhi, there is huge difference between these two villages. Garhi Bazidpur village performs well on economical front while the Village Udaka shows poor performance on socio-economic ground.

Keywords- Vital, Resource, Sanitation, Literacy, Income etc.

Introduction - Socio-economic condition of people of any area depicts the level of development in the region of the country. The socio-economic factors play vital role in the process of resource allocation to various production activities for achieving income maximization. These factors are responsible for such spatial variation. Many factors, such as demand function, accessibility by rail and road, cost of obtaining these functions, level of development and administrative structure of region play significant role in developing the social amenities. In developing countries, agro-ecological and socio-ecological conditions differ considerably in both space and time. The socio-economic development of the region is based on land resources and water resources. Due to increase in population, these resources are over stretched often leading to resource depletion. So, there is dire need to manage these delicate resources.

Haryana is one of India's more economically developed states. However, the southern part of Haryana has been the least developed for since a long time. The study of the socioeconomic condition of rural areas in Haryana's most backward district, Nuh, located in its southern part, is significant because it reflects the impact of economic development on society, whereas Gurugram is one of the developed district in Haryana. In the current study, two villages from both districts were chosen for comparison.

The study area: Haryana state is the northern state of India and Nuh is a southern district of Haryana state. Nuh district lands area is 1,507 square kilometres and the population is 10.9 lac (as per 2011 census). It is bounded on North side by Gurugram district, on West side by Rewari district, and on East side by Faridabad and Palwal districts. Nuh is primarily inhabited by Meos, who are agriculturalists, and Muslims. Mewat region, located on 27°54'05" North Latitude and on 77°10'50" East Longitude. It is a hilly region that includes parts of ancient Matsya-desh and Surasena, as well as the southern part of Haryana and north-eastern Rajasthan. Mewat is a historically significant region in Delhi that gets its name from its inhabitants, the Meos. Its boundaries were roughly described in the ancient period, running irregularly from Deeg in Bharatspur, Alwar itself and Dholpur in Rajasthan, Rewari, Palwal, and Gurugram in Haryana, and parts of Mathura in Uttar Pradesh.

Gurugram is a major industrial city of Haryana and Hinduism is major religion in Gurugram with its 91.88% of Hindu population. Islam is the second popular religion in Gurugram, with its 4.57% followers. It has a land area of 1253 square kilometres and the population is 15.1 lac (as per 2011 census). Gurugram serves as the district's administrative headquarters. It is bounded to the North by the district of Jhajjar and the Union Territory of Delhi, Faridabad district is located to the East, Palwal and Nuh

are the districts to its South and Rewari district is located to the West of it. Gurugram was once the part of a vast kingdom ruled over by the Ahir clan.

Table 1

Basic Demographic Indicators, 2011

S.	Indicator	India	Haryana	Gurugram	Mewat
1	Population	1,210, 854,977	25,351, 462	1,514,432	1,089, 263
2	Growth Rate	17.64 %	19.90 %	73.96%	37.93 %
3	Sex Ratio	940	879	854	907
4	Literacy rate	74.04%	75.55	84.70	54.08 %
5	Density	382	573	1204	723

Source: Census of India, 2011

Mewat and Gurugram both districts are located in a semi-arid, sub-tropical climate zone with very hot summers. In the Nuh district, the air is mostly dry, with the exception of the monsoon season.

Nuh is not only the most backward district in the state but also has the lowest urban population. The Nuh district shows a low literacy rate of 54 percent compared with 85 percent of Gurugram district in the state. Female and male literacy rate in the district Nuh is also lower than the state average, while these are higher for Gurugram district. Sex ratio is lower in Gurugram than Nuh district of Haryana.

Aims and Objectives: The specific objectives of the socio-economic study are as follows:

1. To analyse the social situation in the research regions.
2. To assess the economic situation in the research area.
3. To evaluate the infrastructure and fundamental services in the villages.
4. To comprehend the correct causes of the area's greater and lower levels of development.

Database & Methodology: The present study is based on secondary data collected from different sources such as the District Census Handbook of Mewat district and Gurugram district, different Census series for the state of Haryana, Statistical Abstracts of Haryana, the related information from district headquarters and from other Govt. Websites etc.

In the present study, both techniques of research, i.e., scientific and social have been applied to achieve the desired objectives of the study. Under scientific technique, after having formulation of research problem, objectives, pertinent secondary data have been collected and analyzed. The present research work is largely accomplished by softwares such as Microsoft word, Microsoft excel, SPSS and other computer based techniques. These techniques have been applied in mapping and analysis of the secondary data.

Basic infrastructure facilities and socio-economic characteristic of village population

Introduction:

Basic characteristic of Study population: Udaka is a large village located in Nuh Tehsil of Mewat district, Haryana with total 582 families residing. The Udaka village has population of 4136 of which 2169 are males while 1967 are females as per Population Census 2011. Garhi Bazidpur is a large village located in Sohna Tehsil of Gurugram district, Haryana with total 534 families residing.

The Garhi Bazidpur village has population of 2719 of which 1436 are males while 1283 are females as per Population Census 2011. In Udaka village population of children with age 0-6 is 920 which make up 22.24 % of total population of village. Average Sex Ratio of Udaka village is 907 which is higher than Haryana state average of 879.

Child Sex Ratio for the Udaka as per census is 859, higher than Haryana average of 834. In Garhi Bazidpur village population of children with age 0-6 is 332 which makes up 12.21 % of total population of village. Average Sex Ratio of Garhi Bazidpur village is 893 which is higher than Haryana state average of 879. Child Sex Ratio for the Garhi Bazidpur as per census is 652, lower than Haryana average of 834.

Table: - 2: Basic characteristic of Study population

Particulars	Udaka village (Mewat)			Garhi Bazidpur (Gurugram)		
	Total	Male	Female	Total	Male	Female
Total No. of Houses	582	-	-	534	-	-
Population	4,136	2,169	1,967	2,719	1,436	1,283
Child (0-6)	920	495	425	332	201	131
Schedule Caste	424	224	200	509	269	240
Schedule Tribe	0	0	0	0	0	0
Literacy	62.53 %	81.96 %	41.44 %	81.06 %	92.55 %	68.75 %
Total Workers	954	828	126	1,134	680	454
Main Worker	783	-	-	621	-	-
Marginal Worker	171	97	74	513	124	389

Source- Census of India, 2011

Udaka village has lower literacy rate compared to Haryana. In 2011, literacy rate of Udaka village was 62.53 % compared to 75.55 % of Haryana. In Udaka Male literacy stands at 81.96 % while female literacy rate was 41.44 %. Schedule Caste (SC) constitutes 10.25 % of total population in Udaka village. As shown in below table. Garhi Bazidpur village has higher literacy rate compared to Haryana. In 2011, literacy rate of Garhi Bazidpur village was 81.06 % compared to 75.55 % of Haryana. In Garhi Bazidpur Male literacy stands at 92.55 % while female literacy rate was 68.75 %. Schedule Caste (SC) constitutes 18.72 % of total population in Garhi Bazidpur village.

In Udaka village out of total population, 954 were engaged in work activities. 82.08 % of workers describe their work as Main Work (Employment or Earning more than 6 Months) while 17.92 % were involved in Marginal activity providing livelihood for less than 6 months. Of 954 workers engaged in Main Work, 298 were cultivators (owner or co-owner), while 185 were Agricultural labourers. In Garhi Bazidpur village out of total population, 1134 were engaged in work activities. 54.76 % of workers describe their work as Main Work (Employment or Earning more than 6 Months) while 45.24 % were involved in Marginal activity providing livelihood for less than 6 months. Of 1134 workers engaged in Main Work, 206 were cultivators (owner or co-owner), while 57 was Agricultural labourer.

Availability and accessibility of the basic infrastructural facilities in the village: However, ground realities present a totally different picture from what the Constitution stipulates. The rate of school level attainment is still marred by social inequality and regional disparities. Table 3 shows the proportion of rural residents live in villages that have various facilities and services. Almost all rural residents live in villages have a primary school, middle school, and a secondary school in Garhi Bazidpur. Higher secondary schools are not available in both villages. Colleges and other higher educational institutions are hardly accessible in the villages. So, it can be stated that the infrastructure for higher education is limited for the study area.

Most rural people live in villages that have an Anganwadi centre. Table 3 summarizes findings on a health facility. **Garhi Bazidpur** villagers have Primary Health Centre and a sub-centre. **Udaka** village doesn't have even a PHC or a sub-centre.

Table: - 3 : **Basic infrastructural facilities in the villages**

Facilities	**Garhi Bazidpur (Gurugram)**	**Udaka (Mewat)**
Total Geographical Area (in Hectares)	345	252
Govt Pre-Primary School	0	0
Private Pre-Primary School (Nursery/LKG/UKG)	2	1
Govt Primary School	2	1
Private Primary School	2	1
Govt Middle School	1	1
Private Middle School	2	1
Govt Secondary School	1	0
Private Secondary School	1	1
Govt Senior Secondary School	0	0
College	0	0
Anganwadi Centre	1	1
Primary Health Sub Centre	1	0
Primary Health Centre	1	0
Community Health Centre	0	0

Source- Census of India, 2011

Socio-economic characteristics of the household: In the family type categories, 40.6 percent of households are nuclear families in Udaka village of Mewat district and in Garhi Bazidpur its percentage is 65. Overall, data is shown that around 55 percent of households live in semi-pucca houses in Udaka, while 76 percent live in pucca houses in Garhi Bazidpur village. The condition of the house is a strong indicator of the economic status of the family living in it.

Table: 4: Type of the Family, ownership and type of house in villages

Type of Family	**Udaka** (in %)	**Garhi Bazidpur** (in %)
Joint Family	60	45
Nuclear family	40	65
Owner of house		
Owned	98	2
Type of house		
Kachha/semi-pucca	55	24
Pucca	45	76

Source: Census of India, 2011

All the households have electricity facilities in Garhi Bazidpur village but there is only 60 percent facility in Udaka village. The Households have treated Tap water as the main source of drinking water in Garhi Bazidpur village while in Udaka village main source of drinking water is hand pump.

Table: 5 : Availability of Toilet facilities in study villages

Toilet facility	**Udaka** (in %)	**Garh Bazidpur** (in %)
Yes	24.8	71.1
No facility	75.2	28.9

Source: Census of India, 2011

Around 75.2 percent household said that they don't have a toilet facility in Udaka village. Open defecation causes a number of diseases. Non availability toilet facilities within the premises of house are crucial for the security and health of women. It reveals that only 24.8 percent of houses in the village have separate toilet facilities with flush. It shows that total sanitation programmed has not been effectively implemented in the Udaka village. In Garhi Bazidpur, toilet facilities are 71.1 percent. The people have not changed their attitude towards sanitation as well.

Table: 6 : Household Ownership of Durable Goods

Durable goods	**Udaka** (in %)	**Garhi Bazidpur** (in %)
Radio/transistor	2.9	19.9
Television	22.8	77.2
Telephone-landline & mobile	59.9	79.8
Computer/laptop	4.6	7.7
Bicycle	12.6	33.1
Refrigerator	5	65
Moped/scooter /motorcycle	24.1	43.6
Car	6.5	14.7

Source: Census of India, 2011

The possession of durable goods is another indicator of a household's socioeconomic level, although these goods may also have other benefits. For example, having access to a radio or television may expose household members to

innovative ideas or important information about health and family welfare; a refrigerator prolongs the wholesomeness of food; and a means of transportation allows greater access to many services outside the local area, the majority of households have a clock or watch (87 & 88 percent), an electric fan (85 & 99 percent), a bicycle (13 & 33). Other durable goods often found in households are radios (3 percent in Udaka and 20 percent in Garhi Bazidpur) and the percentage of other amenities such as televisions (23 in Udaka & 77 in Garhi Bazidpur), owning refrigerators (5 in Udaka & 65 in Garhi Bazidpur), motorcycles or scooters or mopeds (24 in Udaka & 43 in Garhi Bazidpur), and cars (6 in Udaka &15 in Garhi Bazidpur). Thus, Garhi Bazidpur households have more facilities than Udaka households.

Conclusions: The real India lives in villages and this is as true today as it was 74 years ago when the country gained independence. The current study, on a broad level, presents the scenario of socio-economic development in the villages of Udaka in Nuh District and Garhi Bazidpur in Gurugram District. It has been discovered that approximately one-fifth of the families in the village are nucleated. It demonstrates that joint family breakdown is common in both villages. On the other hand the extreme highlighted aspect seen in the study area is only less than two percent people have attained higher education. There is much difference between male and females under different aspects. Females are less likely to attend higher education compare to males. Nuh is very socio-economically backward district of Haryana. The condition of women is very poor especially in literacy level of the women. The results of the analysis showed socio-economic inequalities in household level of Udaka village of Nuh district is higher compare to Garhi Bazidpur village of Gurugram district. The conditions and construction of houses are quite satisfactory. There are no mud houses in both the villages, all houses are either Semi-Pucca or Pucca category. The villages faces the major problem of drainage. Only few houses in the village Udaka have reported availability of toilet facilities. It shows that total sanitation programme has not been effectively implemented in the village.

Finally, as a conclusion to this study, it is our duty to suggest some ideas and plans for the balanced development of each region or area of the nation. Some suggestions for the government, administrators, policymakers, and social workers include the availability and accessibility of health and education facilities, basic infrastructure for all roads, transportation, drainage, and playgrounds for adaptation and implementation.

References:-

1. Bhalla, L. R. 2008.*Geography of Rajasthan*.Kuldeep Publishing House, Jaipur.
2. Bhende Aaha and Kanitkar Tara. 2004.*Principles of Population Studies*. Himalaya Publishing House, Mumbai.
3. Census of India. 2011. Ministry of Home Affairs, Government of India
4. Chandana, R. C. 2009.*Geography of Population*. Kalyani Publishers, New Delhi.
5. Coale, A. J. 1973. “The demographic transition.” Paper presented in International union for the scientific study of Population Liege, Belgium.
6. Davis, K. 1951.*The Population of India and Pakistan*. Princeton University Press, Princeton.
7. Desai, Mihir and Kamayani Bali Mahabal. 2007. “Health care case law in India: A reader,” Centre for Enquiry into Health and allied themes and India centre for human Rights & Law, Mumbai.
8. Geological survey of India. 2017. *District resource map,* Nuh, Haryana.
9. Government of India. 2000.*National Population Policy 2000*. National Commission on Population.
10. Government of India. 2003. “Report on Village facilities: NSS 58th Round (July-December 2002), National Sample Survey Organisation Ministry of Statistics and Programme Implementation.
11. Government of India. 2012. “Rural Health Statistics in India 2011”, Ministry of Health and Family Welfare, Government of India.
12. Government of India. 2013. “Rural Health Statistics in India 2012,” Statistics Division, Ministry of Health and Family welfare.
13. International institute for population science (IIPS). 2006-07. “*Youth in India: situation and needs 2006-07*”, Government of India.
14. Kothari, C. R. 2004. “*Research Methodology, Methods and Techniques*.” New Age International Publishers, New Delhi.
15. Mehta, S. R. 1996. “*Society and health*,”Vikash publisher, Delhi
16. Pathak, L. 1998.*Populations Studies*, Rawat Publications, Jaipur.
17. Premi, M. K. 2003.*Social Demography- A Systematic Exposition*, Jawahar Publishers & Distributors, New Delhi.
18. Premi, M. K. 2009.*India's Changing population Profile*, National Book Trust, India, New Delhi.
19. Premi, M. K. 2011.*Population of India in the New Millennium: Census 2001*, National Book Trust, India, New Delhi.
20. Rogerson, P. A. 1994.*The Geographical Analysis of Population*, John Wiley, New York.
21. Singh, R. L. (ed.), 1971.*India: A Regional Geography*, National Geographical Society of India, Varanasi.
22. Srinivasan, K. 2004.”Population and Development in India since Independence: An Overview,” *The Journal of Family Welfare*50: 5-12.
23. United Nations. 2000. “*Millennium Development Goals*”, United Nations Millennium Declaration.
24. Visaria, L. and Visaria, P. 1995. “India's Population in Transition,” *Population Bulletin*50:1-51.
25. WHO. 2014. “Progress on drinking water and sanitation 2014 update”, World Health Organization and UNICEF. Geneva.
26. World Health Organization. 1989. “*Health principles of housing*,” WHO, Geneva.

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XL

New Challenges & Scope Of Healthcare System In India: 2023

Dr. B.K. Yadav*

***Associate Professor, Gitarattan Internaional Business School, Pitampura (New Delhi) INDIA**

Abstract - Our health system is currently at a crossroads, notwithstanding the economic growth India has experienced over the past 20 years. Despite some notable achievements in public health measures by the government throughout time, the Indian health system is ranked 118th out of 19. WHO member nations for overall poverty, necessitating politically challenging and operationally demanding decisions.

In addition to being a key factor in economic growth and poverty alleviation, health is a top aim in and of itself. With numerous objectives, numerous products, and various beneficiaries, the health sector is complex. At this time, India is in a good position to create a set that is specifically Indian. There are numerous managerial obstacles to ensuring accessibility, affordability, equity, and the delivery of health services in order to effectively and efficiently satisfies community demands.

Here, we describe the state of the health system, talk about important management issues, propose a few health sector measures, and conclude by identifying the roles and responsibilities of various stakeholders in creating health systems that are responsive to community needs, especially those of the underprivileged.
Keywords- Accessibility , Affordability , Equity , Efficiently and Efficiently**.**

Introduction - Health is a basic human right and a global social objective. To fulfil basic human requirements and achieve a higher standard of living, one must be in good health. In many developing nations, improving the quality of growth is a key objective of the development archetype. The quality of growth is primarily demonstrated by improvements in health, education, access to equal and wide-ranging employment possibilities, people's trustworthiness and transparency, a sustainable and cleaner environment, dignity, self-respect, and life security, among other things.

Physical capital and natural resources cannot be used effectively if human capital is of poor quality, and growth cannot be sustained or be of high quality. "Health is a condition of total physical, mental, and social well-being and not only the absence of disease or disability," asserts the World Health Organization (WHO). Life expectancy at birth, infant mortality rate, fertility rate, crude birth rate, and crude death rate are common metrics used to assess health condition. Numerous factors, including per capita income, nutrition, housing, sanitation, and access to safe drinking water, as well as social infrastructure, government-provided health and medical care services, geographic climate, employment status, and the prevalence of poverty, influence these health indicators.

In actuality, a person's, a community's, or a nation's ability to realize their goals and ambitions in life depends on how well they are able to maintain their health. As both a goal and a means of progress, health is a multifaceted phenomenon. The relationship between health and development is symbiotic; while health aids in economic growth, economic growth also has the tendency to improve the health of the populace of a nation.

Another crucial right is access to health, which raises the "capabilities" of the poor, increases their access to "commodities," and further improves their health. Investments in health tend to raise the working population's productivity and, consequently, their level of income, which helps to reduce the prevalence of poverty to some extent. The "vicious circle" of poverty can be transformed into the "virtuous circle" of affluence with swift improvements in health, especially for the poor.Numerous studies have found a substantial causal correlation between adult health and economic growth, despite the existence of a two-way relationship (Mayer, 1999). Furthermore, it is discovered that life expectancy contributes to economic growth more than schooling does by Knowles and Owen (1997) and Jamison and Wang (1998).

In addition to its direct influence on productivity, health also affects economic growth and demographic change. The advantages of education are directly increased by good newborn nutrition and health (WB 1993; WHO 1999).

New Health Issues: A prediction has been made regarding the new health issues that India is going to experience during the following several decades. Based on a statistical model that calculates the change in Disability –adjusted life years (DALYs) are applied to the population predictions for 2020 and vice versa, Murry and Lopez have offered a potential scenario of the Burden of Disease (BOD) for India in the year 2020. The important findings must be interpreted with the tact that the definition of DALYs encompasses not just mortality but also impairment as measured by the number of healthy years of life lost. According to this prediction, DALYs will significantly decline in relation to respiratory infections and diarrheal diseases, but less significantly in relation to maternal disorders.

HIV infections are anticipated to dramatically increase through 2010, whereas TB is anticipated to plateau by 2000. The number of persons over the age of 65 will rise, injuries may increase less noticeably, and as a result, the burden of non-communicable diseases will increase. Finally, it is anticipated that cardiovascular diseases caused by any of the risks linked with smoking, urban stress, and poor diet will rise sharply.

According to the same BOD technique, a distinct perspective can be obtained from a 1996 examination of four states: AP, Kamataka, West Bengal, and Punjab. These four states represent various stages of the Indian health transformation. The analysis shows that West Bengal and other poorer, more populous states will nonetheless have a high prevalence of communicable diseases. Non-communicable diseases will become more common, especially in urban areas, in wealthier states like Punjab that are further along the health transition. The projections show that, in the absence of vital registration statistics, we are still relying on inaccurate or incomplete base data on mortality and causes of death and that we still don't fully understand how they vary across social classes and geographic regions or the dynamic patterns of change.

This dispute over the use of public resources will only worsen in the future. According to the long-standing tradition of health sector analysis looking at unequal access, income poverty, and unfairly distributed resources as the trigger to meet the health needs of the poor, what matters most in such estimates are sound data illuminating specifically the health conditions of the disadvantaged in local areas rather than societal averages with regard to health (Gwatkin A 2000). The present dominant school of international health philosophy, which is largely concerned with system efficiency as assessed by cost effectiveness criteria, has completely superseded that tradition.

Future of Health Care: Two principles and three outcomes have historically served as the foundation for Indian dedication to health development. The first principle was that the state should be in charge of providing healthcare, and the second principle came into effect after independence: everyone should have access to free medical care, not just those who cannot afford it. The first set of consequences included giving public health insufficient priority, making poor investments in clean water and sanitation, and overlooking the crucial role that personal hygiene plays in maintaining good health, which led to the persistence of diseases like cholera.

The second set of effects relates to the fact that the NHP 1983's aims were mostly unmet as a result of funding issues brought on by the constricting of public spending and by organizational weaknesses. However, the NPP - 2000 goals and plans have been developed on top of that structure with the expectation that deliberate action will fill in the gaps and improve the deficiencies. By 2005, all States should have improved, effectively funded, and managed rural health structures. This should be done without being overly defensive or critical of prior failings. Over the next twenty years, this may precipitate a number of significant improvements in neglected aspects of rural health and vulnerable populations.

The third set of repercussions appears to be the inability to create and integrate several medical systems and the failure to give the private sector useful roles and to delegate official responsibilities to private professionals.The state's role needed to be carefully redefined while keeping an eye on equality in order to close these inequities. But during the past ten years, there has been a sudden shift to market-based governance models and a lot of powerful advocacy to diminish the role of the state in health in order to compel general public expenditure compression and lower fiscal deficits.

Therefore, people have been compelled to alternate between ineffective public services and pricey private providers, or at the extreme, avoid care entirely unless it is life threatening, in which case they risk falling into debt. Any population's health state is not only a reflection of its mortality and morbidity profile, but also of its resilience, which is founded on shared compassion and indigenous self-care practices.

Health status of any population is not just a record of mortality and its morbidity profile, but also a record of its resilience based on communal support and indigenous self-care practices, assets that are typically hidden from planners and professionals.Such adaptability can be enhanced by the State maintaining a strategic guiding role for the wellbeing of all of its residents in conformity with the mandate of the constitution. The private sector can be used as a partner or supplementary tool within such a framework to achieve common goals. Consequences for public health. Similar to this, it is important to promote indigenous health systems to the most reliable delivery method that can be added to the list of the quantity of less-than-foolishly qualified doctors in rural places is something that I have little faith in to improve one's abilities. Public initiatives in underdeveloped rural and urban areas .Native experts and volunteers from the community can reduce seasonal and

preventing communicable diseases with inexpensive traditional knowledge and a focus on balanceSuch adaptability can be enhanced by the State maintaining a strategic guiding role for the wellbeing of all of its residents in conformity with the mandate of the constitution.

The private sector can be used as a partner or supplementary tool within such a framework to achieve common goals.

The direction of the state's future must be guided by such a comprehensive understanding of the public role of the diverse private sector that led national health care.

Comparison Of India With Other Countries: The indicators of life expectancy and mortality rates discussed in this section include the average life expectancy at birth, infant and under-five mortality (the likelihood of dying before the age of one and five, respectively), and adult mortality (the likelihood of dying between the ages of 15 and 60).

Neonatal mortality, or death within the first 28 days of life per 1000 live births, is a major cause of infant mortality in many nations, particularly in low-income nations.

Comparing India to nations like the United States, Canada, Australia, and Brazil seems unfair because India trails far behind on every measure of health status. India ranks first in terms of IMR per 1000 births, with a rate of 50, followed by Pakistan, a neighbor, with a rate of 43. Other health measures include the percentage of people who have received all recommended vaccinations. In India, 66 percent of the population has received all recommended vaccinations, compared to 77 percent in Pakistan, where the rate is higher.

It appears. The poor state of India's health sector is a result of the government's little investment in medical facilities. If we look at the numbers of per capita spending, the pattern continues with India lagging behind followed by Pakistan. The government share of overall health expenditures in India is 32.4 percent, whereas it is 49.8 percent in Pakistan.

Opportunities In The Healthcare Sector : The Indian healthcare industry is well-positioned for expansion and rapid growth. The expansion of Indian medical tourism is one of the key causes. Approximately the years 2009 to 2012, India's medical tourism industry grew at a compound annual growth rate of over 27%. According to the Indian Health Report 2011, the medical tourism industry is currently worth USD 310 million and is projected to earn USD 2.4 billion by 2012.

There is a need to update the service standards and offer cutting-edge facilities to bring the service levels on par with international standards because of rising medical tourism and increased clinical trial operations in India. The investors now have fantastic potential to provide the urgently required managerial and financial support as a result of this altered outlook.

The healthcare industry requires significant investment due to the rising demand, the rise of reputable private companies, and other factors. Foreign companies and non-resident Indians have shown increasing interest in breaking into the Indian healthcare business in recent years. Private equity firms, venture capitalists, banks, and domestic and international financial institutions are all becoming more interested in investigating investment prospects across a variety of sectors. The healthcare industry is a social sector, where equity and the right to use are just as fundamental as the need for more investment. A significant component of human capital is health. The chance to work in the healthcare sector in India is quite alluring.

The healthcare market, which generates an estimated 4.2% of GDP and serves more over 1.2 billion people, is underdeveloped and appears to be ripe for expansion. One of the major service sectors in the economy today, the Indian healthcare delivery market is estimated to be worth US$18.7 billion and employs over four million people. In 2011, total national healthcare spending was $54.9 billion, or 5.2% of GDP, and is projected to increase to $80.9 billion, or 5.5% of GDP, by 2012.

The pharmaceutical industry, public and private spending are all included in this. By 2012, the private segment, which currently makes up the bulk of the market, will total $38 billion.. The Indian healthcare sector has a number of holes, which also offer a sizable opportunity. In India, there is a severe lack of high-quality healthcare. In India, hospitals are often 80 to 90% full. Some economic variables contribute to India's allure as a country market.

India has a massive population of 1.2 billion people, and since healthcare is based on the patients serviced represents a big opportunity, with 300 million people primarily belonging to the middle income category. a significant percentage of the population does not obtain proper or any health care, especially the 25.7% of those living in poverty and those who are solely dependent on the public health system. Consequently, a deal to change the Indian healthcare sector the potential of the opportunity will benefit both the social sector and the economy as a whole.

Challenges In The Industry: A nation's health policy must be adjusted to fit its needs and the scenario at hand.

When we talk about India's health reforms, this is best stated. India presents a challenge to policymakers due to its distinct demography, variety, political and social systems, and recent economic growth. The issues with healthcare delivery in India are covered in this section, along with the social, economic, and political foundations for making changes to the country's healthcare system. Inequality issues, socioeconomic and political issues, and the uncontrolled expansion of private healthcare might be considered the three main categories of challenges in India's healthcare delivery system.

It is interesting to consider how social and economic disparity affects health. The population's health suffers from poverty, which is a product of social and economic disparity

in a society. Life expectancy, morbidity, and other outcome measures of health are all directly impacted by inequality in a particular community. More importantly, the relative distribution of income is what matters rather than the absolute lack of wealth. There is no other nation with a healthcare system as horribly unequally distributed as India. only five additional

India isn't the worst off nation in the world when it comes to public health spending (Burundi, Myanmar, Pakistan, Sudan, and Cambodia).The people that are socially and economically disadvantaged is suffering as a result of the expanding health and healthcare disparities.

Social and economic issues: A nation's health directly correlates with its economic situation. Economic health has a direct impact on the healthcare infrastructure. The healthcare system in India was undoubtedly impacted by the recent changes in economic policies. To achieve macroeconomic stability and faster rates of economic growth, a programme of economic policy reforms was introduced in 1991. Since the beginning of India's economic reforms in 1991, the Indian economy has maintained an average yearly growth rate of more than 6%. The GDP grew by about 7.5% in 2003–2004. India's health sector strategies frequently place a strong emphasis on slowing population growth.

For a big country like India, stabilizing population growth is crucial because there are correlations between population growth rate and general health of the populace. Their health and social condition are among the worst in the world in many Indian states where stabilizing population growth is not a priority. More than half of the population continues to be afflicted by diseases of poverty, and emerging contagious diseases like AIDS, occupational dangers, and environmental degradation have a significant negative influence on the population. The urbanization phenomenon has made healthcare issues more severe. Mass illiteracy and ignorance constitute a persistent threat to the social fabric, tipping the scales of health in the wrong directions. Social injustices continue as a result, and they have a greater negative impact on the health of the poor than they do on the more affluent groups.

Lack Of Political Will: India is a representational democracy as opposed to a participatory democracy. After the elections, the politicians who lead the federal and state governments no longer need to go back to the voters for every significant decision. As a result, in the five years between elections, voters have little opportunities to express their views on any choice made by the government. In India, the government has left several gaps in the development process, sometimes on purpose, sometimes owing to a lack of funding, and sometimes due to a lack of knowledge. Because vote politics dominating the agenda, most Indian leaders are afraid to make tough but necessary decisions. Equality and social justice are inescapable outcomes of the process.

Equality and social justice are inescapable topics in the process. A strong political will is essential in health policy improvements, as it is in any reform. To effect meaningful change in the system, political will must be real and consistent over a period of at least one to two decades.

Other Challenges: In India today, many hospitals and healthcare providers are battling with obsolete information technology. A significant challenge for our country and the healthcare business would be to not only maintain the healthcare workers, but also to create an atmosphere that would entice people living overseas to return (reverse brain drain). The increased demand for quality healthcare, along with the lack of a corresponding delivery system, poses a significant challenge.. Throughout the country, there is a severe scarcity of medical staff. One of the most important variables in sustaining India's predicted development in the healthcare business would be the availability of a skilled personnel, in addition to cheaper technologies and improved infrastructure. Another problem will be finding skilled people in India to deliver auxiliary healthcare services, particularly voice-based services that demand not just solid English communication skills but also excellent analytical abilities.

Conclusion : "Every troubled area emits a light of optimism; and the one immutable certainty is that nothing is certain or unchangeable." When we look at India's healthcare system, these remarks of John F. Kennedy provide a light of optimism. While significant progress has been achieved in improving Indian population health, the current situation nonetheless paints a bleak image. This is odd, given that India spends a disproportionately significant portion of its GDP on health, despite the fact that its results are subpar. The government's commitment to offer primary healthcare is part of a wider purpose to build a "equitable society," as highlighted frequently in the Preamble and Directive Principles of the Indian Constitution. However, tremendous progress has been made in India's healthcare system during the previous few decades. Despite these recent advances, the Indian health-care system remains inadequate in providing the fundamental minimum treatment provided in the Indian Constitution.

Due to the government's economic limits, private healthcare providers must assume a portion of the obligation. New approaches to initiating, enhancing, and sustaining private-public collaboration are required to revitalize the system. Access to medical care has become increasingly important as the population grows and the middle income group expands. With the government's many endeavors to solve infrastructure needs, the need for technological solutions has expanded fast.

The healthcare industry cannot fulfil its goals in the absence of technological solutions.Without technological solutions; the healthcare industry would not be able to reach its full potential, as there will be examples of excess and inadequate capacity of specialized services at diverse locations. All of this may be accomplished with the

assistance of integration, so assisting our own economy to reach its pinnacle.

References:-

1. Abdulla, A., Ituarte, P. G., Wiggins, R., Teisberg, E.,Harari, A., & Yeh, M. (2012). Endocrine surgery as a model for value-based health care delivery. Surgical Neurology International, 3(1), 163.https://doi.org/10.4103/2152-7806.105102.
2. Kulkarni, R. P., Ituarte, P. H. G., Gunderson, D., & Yeh, M. W. (2011). Clinical pathways improve hospital resource use in endocrine surgery.Journal of the American College of Surgeons, 212(1), 35–41. https://doi.org/10.1016/j.jamcollsurg.2010.09.016
3. Van Den Berg, K., Dijksman, L. M., Keus, S. H. J.,Scheele, F., & Van Pampus, M. G. (2020).Value-based health care in obstetrics. Journal of Evaluation in Clinical Practice, 26(1), 101–108. https://doi.org/10.1111/jep.13208.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XL

Suicide Ideation and Its Relation With Negative Cognition, Personality and Affective Dysregulation

Neha* Dr. Manish Kumar Baghla**

***Research Scholor, Tantia University, Sriganganagr (Raj.) INDIA**
**** Associate Professor, Tantia University, Sriganganagr (Raj.) INDIA**

Abstract - Life is a very precious gift of the universe and killing onesey is one of the most mysterious activities in the entire world. Suicide is a result of worry, stress and frustration one suffers by a temporarily triggered of unique incident of life. Many people cannot cope with the failure of life and challenges that come along with their life and this trigger them to end their life approx. more than 700000 persons die by suicide every year globally according to world health organization. Suicide is the fourth leading course of death among 15-29year olds. Suicide ideation is a frequent though of committing suicide. In the current inquiry many hypo theses about a study titled study of negative cognition. Personality and familial environment as correlates of suicide ideation in non-depressed college students were put to the test to see whether or not they were correct. However the empirical verification of the presented hypotheses is contingent first on the accurate measurements of the variables of climate interest and second on the methodologies and processes used to derive conclusions from the data. According to the findings of the National Comorbidity Survey the lifetime correlations of suicide thoughts in tensions and attempts among teenagers are respectively, 12.1percent, 4.0 percent and 4.1 percent (Nock et al, 2013)
Keywords- Suicide, Student.

Introduction - Suicide is a major public concern due to its distinct epidemiological characteristics. A recent national assessment estimated an annual suicide rate of 23 per 100,000 people in India. Suicide thus accounts for 3.6 percent of all deaths in India and ranks as the fifth most common cause of death. Suicide among university students has become a servers public health problem and the growth in the students suicide rate has led to an increasing number of studies on the element that explain suicide behavior.

When evaluating suicide thought in college students, the employment structure of the students' parents including factors like job insecurity, may also be regarded on essential component. Suicide behavior may be thought of as a process that begins with suicidal thoughts and communications and continues through suicide attempts and completed suicide, it is essential to make a distinction between having suicide thoughts, attempting suicide and actually dying by suicide.

Objectives:

1. To investigate the association between Suicide ideation and negative cognition and personality
2. To investigate the association between suicide and affective deregulation.

Affective Dysregulation and Suicide Ideation: Affective dysregulation is another possible factor that contributes to suicidal thoughts as a predictor. The subscale from the Dysregulation Inventory was utilised in order to conduct the assessment of affective dysregulation (DI). The DI evaluates various subscale aspects of temperament that are related with an increased risk of developing drug use disorders (Mezzich et al., 2001). The current study tested the hypothesis that affective dysregulation, which is an indicator of high emotional reactivity and low control over one's emotional world, would show a more marked positive association with suicidal ideation for females than for males in late adolescence and early adulthood. This hypothesis was based on the finding that females were more likely than males to have suicidal ideation. According to the findings of the structural analysis, emotional dysregulation, which was found to have a positive connection with negative automatic thoughts (a component of Beck's cognitive triad), emerged as an independent factor for both males and females. The data provides support for the conclusion that proposed hypothesis 6 on the link between affective dysregulation and suicidal thoughts is not valid. In the Indian context, past research found a tight and positive link between emotional dysregulation per se and suicidal thoughts for girls in the middle years of adolescence. The current findings, however, contradict those earlier findings.

Personality and Suicide Ideation : Furthermore, in the context of the role of personality in suicidal ideation, the findings revealed the salience of personality dimension in

suicidal ideation only for nondepressed female college students in late adolescence and early adulthood. This is because personality plays a role in suicidal ideation. Within the framework of personality, it became clear that the personality characteristics of psychoticism and neuroticism, as obtained from the Eysenck Personality Questionnaire, were significantly important for suicidal thoughts in only females. It was discovered that guys have two personality dimensions that are redundant with one another.

Negative Cognition and Suicide Ideation: According to the cognitive perspective of behaviour, the notion that thinking is an inherent part of the human experience is given the utmost significance. It operates under the presumption that what individuals feel and do, as well as how they behave and react, are determined by the type and qualities of thinking, as well as the conclusions that arise from that thinking. This perspective on behaviour and psychopathology has a lengthy history that spans the fields of clinical psychiatry, clinical and academic psychology, and philosophy

Review Of Literature

SheetalYadav (2020) Investigating whether or if there is a link between the pressures of schoolwork and thoughts of self-harm or suicide among students was the focus of this particular research project. Included in the study's sample were two hundred students from the Allen Institute in Kota, which is located in Rajasthan. 100 of the students aimed to get into IIT, and the other 100 wanted to get into NEET. Both academic stress, as evaluated by the academic stress scale produced by Rao, and suicidal ideation, as measured by the suicidal ideation scale developed by Sisodia and Bhatnagar, were found to be significantly correlated with one another. The findings of this study indicated that there was no significant difference between IIT aspirant students and NEET aspirant students in terms of academic stress, and that there was a significant difference between IIT and NEET aspirant students in terms of suicide ideation. Academic stress and suicide ideation can be caused by a number of different things, including pressure from parents, difficulties in personal relationships, struggles with addiction, and an atmosphere that is overly competitive. The findings of the study showed a significant connection between the pressures of schoolwork and thoughtsof suicide among pupils.

HuiZhai (2015) This study looked into whether or not there is a connection between suicidal ideation and the environment of the family. Students from 5183 Indian universities were selected for the sample. Rather than concentrating on families, the subjects of a lot of studies on suicidal thoughts were individuals. The general concepts of suicidal thoughts and the implications that emerge from the familial context are discussed throughout the course of this study. The dataset for this study consisted of individuals who attended one of six different institutions and had a total of 2645 males and 2538 girls participating. Students were questioned with regard to socioeconomic demographics as well as factors that contribute to suicide ideation. In order to establish the extent of the connection between suicidal ideation and a dysfunctional familial environment, the data were subjected to both factor and logistic analyses. The percentage of individuals who had suicide thoughts was 9.2 percent (476/5183). The majority of people who had suicidal thoughts shared substantial similarities, including having dysfunctional family structures and relationships, having parents whose jobs were unreliable, and having parents who utilised inappropriate parenting approaches. Suicidal ideation was significantly more prevalent among female students than it was among male students. This study illustrates that suicidal ideation among Indian university students is a public health concern and demonstrates the need of taking into consideration the home context when analysing the suicidal ideation of university students. It is possible to anticipate and prevent suicides among university students by gaining a better understanding of the risk factors connected to suicidal ideation in the family.

Birmaher, Boris (2009) The purpose of this study was to investigate whether or not there is a connection between the home environment and suicide ideation in young people who have been diagnosed with bipolar disorder. The study comprised 446 young people with bipolar disorder (BP) ranging in age from 7 to 17, all of whom were involved in the Course and Outcome of Bipolar Youth study. At the time of intake, assessments were made about current suicidal ideation, family functioning, and family stress. BP adolescents who were currently having suicidal thoughts reported having more conflicts with their mothers and less adaptation in their families. The ideators advocated for a higher number of stressful family events in comparison to the previous year as well as increased frequencies of particular familial stressors. When conducting a suicide risk assessment on a patient with bipolar disorder, clinicians should take into account the patient's familial stress. The goals of treatment may include improving communication within the family and working through issues relating to loss.

Deb et al. (2014) conducted a study to determine the extent to which students attending private secondary schools in India experience academic stress and exam anxiety. 400 students from five private secondary schools in Kolkata made up the sample. Male students made up 52% of the total. A significant level of academic stress and exam anxiety was reported by 35 to 37 percent of respondents, according to the results. However, individuals with lower grades reported higher levels of stress in comparison to those with higher marks.

Arun and Chavan (2014) conducted research on the levels of stress, psychological health, and the existence of suicidal thoughts in students in order to determine whether or not there is a correlation between these factors. The

sample consisted of a total of 2402 students from the city of Chandigarh. The analysis of the data showed that there was a significant correlation between the class that a student was taking and their perception of life as a burden. Students who had academic problems and an unsupportive environment at home were more likely to view life as a burden and have suicidal ideations.

The amount of academic stress experienced by students in higher secondary schools was analysed by Prabu (2015). Students enrolled in higher secondary schools located in the Namakkal area of Tamil Nadu made up the sample, which totaled 250 individuals (India). The findings showed that the kids in higher secondary schools are experiencing a considerable amount of stress. The academic pressure felt by male students is far higher than that felt by female students. The academic pressure placed on pupils in metropolitan areas is greater than that placed on students in rural areas. The academic pressure faced by pupils attending public schools is far lower than that of children attending private schools. The academic pressure placed on science students is greater than that placed on students of other subjects.

Research Methodology: Therefore, it is important to include a description of the sample, the particular instruments, as well as the methodologies and processes that were utilised in the process of carrying out the study that is being reported. On the pages that follow, you will find a description of the sample that will be used to collect data for putting the presented hypotheses to the test. This chapter also provides a description of the instruments that have been utilised for the purpose of data collection; in addition, the information concerning the administration and scoring of the tests that have been utilised is included in the next pages of this chapter. In addition to that, the method of analysis has been broken down into steps and covered in this chapter.

Chaudhary Devi Lal University, named after Chaudhary Devi Lal, the previous Deputy Prime Minister of India was created by the Government of Haryana on 2 April 2003. The University, located at Sirsa 256 kilometres from Delhi and 285 km from Chandigarh, has space of 280 acres (1.1 km2) on the Barnala Road. The University includes 24 academic departments, which offer 21 career oriented and specialized courses to the students. It also offers job-oriented courses through distance education.

Results : The following is a list of several sections under which the findings of the current research are presented in relation to the aims and hypotheses that were proposed:

1. The frequency distributions of the scores obtained from the variables that were tested
2. Gender Differences on Different Variables
3. The Relationships between the Various Interco Variables
4. An Examination of the Factors

Frequency Distributions of Scores on Tested variables: The frequency distributions of scores on 21 tested variables referring to suicide ideation, dysfunctional affective regulation, hopelessness, negative automatic thoughts, quantitative and qualitative social support, optimism, Eysenckian's dimensions of personality, and 10 different dimensions of family environment are shown in Tables 4.1. This is in the context of the first objective and the first hypothesis as mentioned in chapter-2 of the review of literature and formulation of hypothesis. Tables 4.1 show the frequency distributions of scores on these variables. The above mentioned tables also carry information about the following descriptive statistics:

1. Mean
2. Median
3. Standard deviation
4. Skewness
5. Kurtosis

In addition, the results of the present study, which covered 21 distinct factors, have been graphically represented in Figures 4.1 through 4.21, with each of these figures depicting the results for males and females individually. This was done in order to determine the characteristics of the score distribution; however skewness and kurtosis are other interesting factors to look at.

The characteristics of the score distribution across the 21 different factors that were examined were covered in the chapter titled "Discussion."

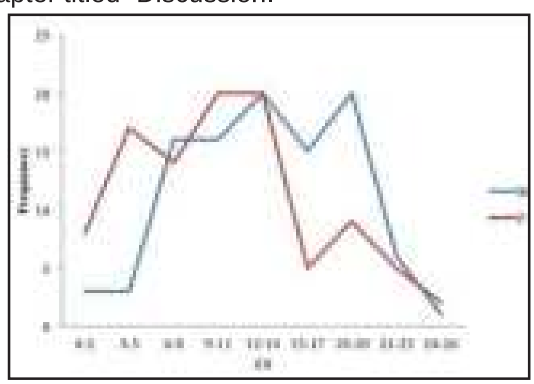

Figure 1 Graphical representation of scores on suicide ideation as derived fromSuicide Ideation Scale

Table No. - 1 Showing Frequency distribution of scores on suicide ideation as derived from Suicide Ideation Scale

CI	Malesf	Femalesf
24-26	01	02
21-23	06	05
18-20	20	09
15-17	15	05
12-14	20	20
9-11	16	20
6-8	16	14
3-5	03	7
0-2	03	08
N	100	100

Mean	13.21	10.32
Median	13.00	9.50
S.D.	5.58	6.12
SK	-.10	.35
KU	-.69	-.57

Table No. 2 **Showing Frequency distribution of scores on affective dysregulation as derivedfrom Affective Dysregulation Inventory**

CI	**Malesf**	**Femalesf**
60-64	0	3
55-59	8	10
50-54	13	8
45-49	16	23
40-44	29	14
35-39	19	18
30-34	11	20
25-29	3	1
20-24	0	3
15-19	1	0
N	100	100
Mean	42.43	42.02
Median	42	42
S.D.	7.88	9
SK.	-0.17	0.02
KU.	0.01	-0.63

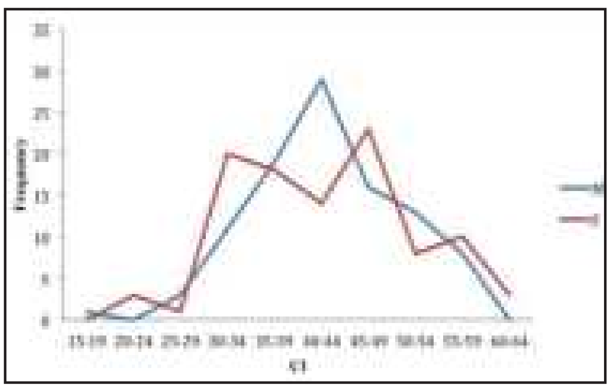

Figure 2 Graphical representation of scores on affective dysregulation as derived from AffectiveDysregulation Inventory

Table No. 3 Showing Frequency distribution of scores on hopelessness as derived from Beck'sHopelessness Scale

CI	**Malesf**	**Femalesf**
16-17	00	03
14-15	00	03
12-13	02	12
10-11	08	23
8-9	19	13
6-7	20	20
4-5	26	08
2-3	17	15
0-1	08	03
N	100	100

Mean	5.65	8.01
Median	5.00	8.00
S.D.	2.94	3.94
SK.	.15	-.02
KU.	-.79	-.57

Conclusion: The term "suicidal ideation" refers to all different kindsofsuicidal thoughts and intentions that do not result in actual suicide attempts. According to the findings of this study, there are various viable targets for suicide prevention programmes that are aimed at non-depressed college students who are in the stage of late adolescence and early adulthood (20 to 25 years). At the stage of late adolescence and early adulthood, hopelessness, a prominent component of Beck's cognitive triad, has emerged as an important positive correlate for suicidal ideation in non-depressed males. On the other hand, borderline personality disorder, which refers to higher psychoticism and neuroticism, has emerged as a salient positive correlate of suicidalideation in non-depressed females. The current findings bring to light the distinct ways in which negative cognition (hopelessness) and borderline personality traits (psychoticism, neuroticism) contribute to suicidal ideation among non-depressed male and female college students in their late teens and early 20s. This tendency shows the possibility of distinct intervention targets for non-depressed males and females to dealwith the first stage of suicidal behaviour, which is the stage referred to as suicidal ideation. These findings of the current experiment, if they are able to be duplicated, may indicate the existence of promising new tactics for the prevention of suicide.

References:-

1. Bernstein DA, Penner LA, Stewart AC, Roy E. J. Psychology. 8th edition. Boston New York: Houghton Mifflin company; 2008. (Page)
2. Auerbach SM, Gramling SE. Stress management psychological foundations. Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall; 1998. (page)
3. Seley H. The stress of life. New York :McGraw Hill; 1956. (page)
4. Schwartz AJ. College student suicide in the United States: 1990–1991 through 2003– 2004. Journal of American College Health. 2006; 54(6):341–352.
5. O'Carroll PW, Berman AL, Maris RW.,Moscicki EK, Tanney BL, Silverman MM. Beyond the
6. Tower of Babel: A nomen- clature for suicidology. Suicide and Life-Threatening Behavior.1996; 26:237-252
7. José MB, Alexandra F, Diego DL, Jafar B, Neury B, De Silva D, et al. Suicide attempts, plans, and ideation in culturally diverse sites: the WHO SUPRE-MISS community survey. Psychological Medicine.2005; 35:1457-1465.
8. Kota witnesses 61% rise in suicide cases in 2014: NCRB report. India. The economic times. 2015. https:/

/economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/kota-witnesses61- rise-in-suicide-cases-in-2014-ncrb-report/ articleshow/48158102.cms

9. Deb S, Esben S, Jiandang S. Academic related stress among private secondary school students in india.
10. Asian Education and Development Studies. 2014; 3(2):118-134.
11. HuiZhai (2015) Correlation between Family Environment and Suicidal Ideation in University Students Int. J. Environ. Res. Public Health 2015, 12, 1412-1424; doi:10.3390/ijerph120201412
12. International Journal of Environmental Research and Public Health ISSN 1660-4601 17. www.mdpi.com/journal/ijerph
13. Arun P, Chavan S. Stress and suicidal ideas in adolescent students in chandigarhindia. Indian Journal of Medical Sciences. 2014; 63 (7):281 -287.
14. Prabhu P, Suresh. A study on academic stress among higher secondary students. International Journal of Humanities and Social Science Invention. 2015;4(10):63-68 21.
15. Akhtar Z, Alam M. Stress and suicidal ideation among school students. Journal of The Indian Academy of Applied Psychology. 2015; 41(2):236- 241.
16. Bernstein DA, Penner LA, Stewart AC, Roy E. J. Psychology. 8th edition. Boston New York: Houghton Mifflin company; 2008. (Page)
17. Auerbach SM, Gramling SE. Stress management psychological foundations. Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall; 1998. (page)
18. Seley H. The stress of life. New York :McGraw Hill; 1956. (page)

****

Intensify Beauty of Traditional Kota Doria Through Surface Ornamentation Technique

Rakhi Soni* Dr. Isha Bhatt**

*Research Scholar, Banasthali Vidyapith, Banasthali (Raj.) INDIA
** Assistant Professor, Banasthali Vidyapith, Banasthali (Raj.) INDIA

Abstract - Kota doria sarees and suits are available at handloom stores in various cities both nationally and internationally. Not many products are made in Kota doria except sarees and suits. Made from beautiful and unique fabric Kota doria, these products are made with minimal and no surface ornamentations techniques like dying, printing and embroidery. Being the same products for many decades, new and young consumers are not getting attracted towards this handloom fabric. Looking at the market demand and consumer requirement, there is a need to enhance the value and beauty of Kota doria fabric. People like change in fashion after a time because fashion is a cyclic process which always keeps on changing. Consumers are now a days more interested in embellished garments than plain garments. Therefore,surface ornamentation techniques for accessories can be used to diversification in the very same Kota doria products. The surface ornamentation technique for accessories is tie and dye in natural dyes. Tie and dye technique has its application and value for adding exquisiteness to accessories. It is a value enhancements method as well as a medium with the help of which a designer shows his creativity. Thus, surface ornamentation techniques play an important role in enhancing the beauty and uniqueness of the fabric.

Keywords- Surface ornamentations, Accessories, Decade, Exquisiteness, Diversification, Value.

Introduction - Traditional Kota doria fabric is the heritage of our country and this textile heritage has to be preserved. The biggest feature of this fabric is that it is very light in weight and it is more comfortable to wear in summer. Looking at its history, this textile fabric was woven on pit looms in Mysore, Karnataka. Shri Kishor Singh, the king of Kota brought this unique weave from Mysore to Kota. A large number of people the Muslim Ansari community are associated with this work and are believed to have relocated to Kota from Mysore, due to the patronage they have received from the Royal families of Rajasthan.To save this textile heritage, some new experiments will have to be done with it. Its consumers have been only people from rich families, political leaders, people holding high positions. Due to the high cost, even today the middle-class consumer does not have access to this handloom fabric. Surface ornamentation can be a good experiment in new applications and there is a possibility that new Kota doria products can be liked and accepted by the consumers. Kota doria fabric is mainly made up of cotton, silk and silver and gold Zari yarns. This cotton yarn is purchased from south and silk yarn is purchased from Surat. There are many types of copy of Kota doria available in the market today which are available at the lower prices. Due to this the demand for Kota doria handloom fabric has started decreasing. A lot is being done for the promotion of Kota doria by the government and designers to increase its demand in the domestic and foreign markets. Only sarees and suits are made in the products of Kota doria. These products are very rare and are made without any surface ornamentation. That's why consumers are not getting involved towards it. People always like to wear what is trending because fashion is a cyclic process that changes with time. In today's time surface ornamentation fashion is trending more and more people are liking ornamented clothes. Therefore, surface ornamentation technique can be used to intensify beauty of traditional Kota doria fabric. There are almost 2000-2500 looms and 10,000 families of the Kota Doria Sari are involving for the work of Kota Doria sarees as weavers.

Materials And Method: During the research process, the tie and dye technique was finalised after considering several techniques for surface ornamentation.Tie and dye technique is also known as resist dyeing technique in other words. After the finalization of the technique, the next step was the selection of the dye, which settled on the indigo dye. Natural dye was chosen due to people's attitude towards environment, high compatibility with environment and better biodegradability of natural dyes. Using a lot of usage of natura dyes is becoming one of the future trends of the world. Traditional Kota doria fabric (cotton x silk) was taken for indigo dye. The cloth was folded and tied in different ways with different materials. The cloth is well tied tightly to

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XL

the material so that the colour does not seep inside while dipping in the colour solution.

Pretreatment Of Kota Doria Fabric: Pure handloom Kota Doria fabric is used for this diversified product. This fabric is made up of cotton x silk fibres and makes unique square checks. The grey cloth of Kota Doria fabric Length is 2 meter and width are 28 cm was taken for bags. The selected Kota Doria fabric pre-treated to remove the dust particles and kerosine therefore, it goes through a pre-printing treatment to get good printing results. The fabric is therefore dipped in a solution of water and soap for 15 minutes. After 15 minutes it is washed with clean water. Finally, cloth is hung to dry for 30 minutes. The material is completely dried, spread on the printing table and fixed with pins.

Preparation Of Indigofera Solution: Botanical name of Indigo is Indigofera tinctoria andit is available in powder form. Indigo powder – the famous blue dye, is extracted from the leaves of the indigo plant. Indigo can dye all natural fibres. The archived depends on the type of vat, the concentration of indigo and number of dips. Indigotin(the dye component of indigo powder) is insoluble in water. To use it for dyeing it must be reduced to a water-soluble form. To make indigo a water-soluble solution, first a 12-litre tank is taken which is filled 10 litres with water. Put 250 gm of lime (Base) and 25 to 30 gm sodium hydroxide (reducing agents) in 10 litres of water and stir continuously for 30to 45 minutes. Leave it to ripen for 1 month. After a month, when it gets cooked, then 1kg indigo powder will be added to it. The same process is done again. After a few days, lime water is given in it again. Then it is left for a few days. After a few days, indigo powder is added again. If the solution is ready to be used, it has greenish blue color.

Recipe (approx.) for Indigofera dye solution:

Water……………………………10 liters
Lime……………………………..250 gm
Indigo……………………………1kg
Sodium hydroxide(lye)…………..25 to 30gm
Temperature ……………………..45 to 50
Duration…………………………30 to 40 for stir

Dyeing Process : The dyeing process is carried out after the solution is prepared. The dye solution can be irritating to the skin. Gloves are used to protect hands from irritating while dyeing. The Kota doria cloth, tied in different ways, is dipped in the dye solution for 15 minutes. After 15 minutes the cloth is taken out and opened to dry thoroughly in the shade. Alum solution is prepared for washing after dye. For the alum solution, fill a tub ¾ full with water, add alum in it and stir for 5 to 10 minutes so that the alum dissolves well. Dip the cloth completely in this solution and leave it for 10 minutes. After 10 minutes, take out the cloth and dry it and keep it folded to dry.

Wash before Dyeing -> **Wet fabric or DriedFabric** -> **Dip & Dyeing** -> **Oxidation**

Iron of Fabric <--- **Drying of Fabric** <-- **Clean in Water** <- **Fixation**

Figure: 1 Experimental Procedure of Indigo Dyeing

Oxidization: The process of changing soluble dye in insoluble form where the material will turn into blue colour from yellowish green. The oxidization procedure was conducted by revealing the substance to the air.

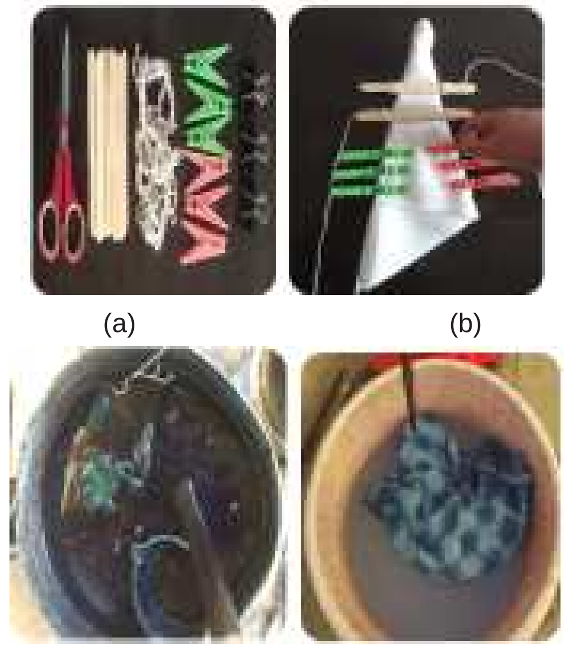

(a) (b) (c) (d)

Figure: 2 (a) Materials (b) Tied Cloth (c) Cloth in Dye Solution (d) DyedFabric in Alum

Making Prototype : After the dyeing process is completed, the last step is to make the samples. Prototype of sample are shown in this stage. All the details about prototype are shown in Table-1

Table 1: Prototype of Samples

1.	Fabric	
2.	Inspiration	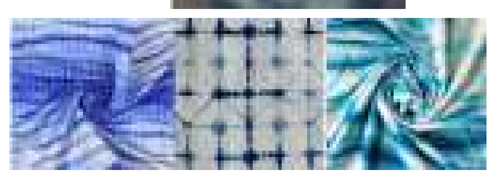
3.	Material:	Traditional Kota Doria Fabric (cotton x silk)
4.	Material of lining:	Satin
5.	Making Technique:	Tie & Dye
6.	Embllishments & : Composition	Stitching
7.	Name of product:	Bag

8. Skitch

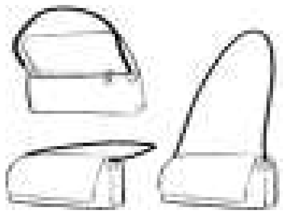

9. Prototype

10. Developed product

Result And Discussion

Analysis And Interpretation Of Data: A prototype bag design, which made by traditional Kota Doria fabric is the most suitable for the accessories. The complete process followed to make the bag goes through several stages from fabric wash to bag stitching. This prototype details all the materials used to make the bag and the making process is also easy which can be followed. Following the design process, bags of new designs and other designs can be made. Many more surface ornamentation techniques can be used to make bags. The data were collected from 10 satisfied random sample respondents by supplying the questionnaires. The product presented to consumers and then data were analyzed by using sample columns diagrams.

Chart-1

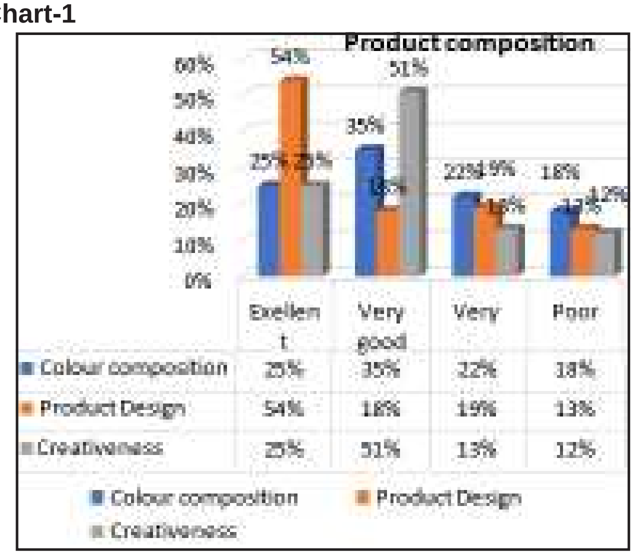

Products made by dyeing indigo on traditional Kota doria fabric. It has got the results from the answers given by the respondents. The color combinations given in the product are said to be very nice by all. 35% of respondents said it is very good. The design of the products has also been described as excellent by the respondents.54% of respondents said it is excellent.The creativeness given in the product are said to be very nice by all. 54% of respondents said it is very good.

Chart-2

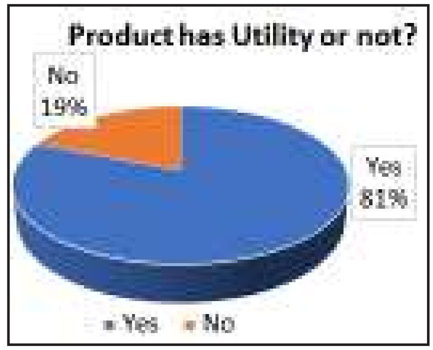

While creating the products, people found them useful as well as aesthetic. From the above table it is clear that 81% people said yes and 19% people said no. more people found the utility of the product more.

Chart-3

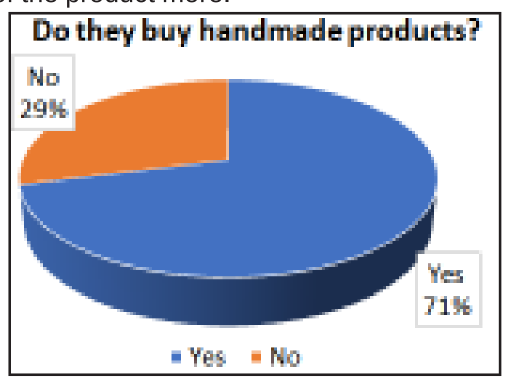

Respondents asked about handmade products. 71% people are interested in buying handmade products. And 29% people are not interested in handmade products.

Chart-4

Respondents were asked about buying handmade products. 20% of the respondents cited personal use as the reason for purchasing a handmade product. 29% of the respondents cited gift as the reason for purchasing a

handmade product. 24% of the respondents cited home décor as the reason for purchasing a handmade product. 15% of the respondents cited wedding as the reason for purchasing a handmade product. 11% of the respondents cited others as the reason for purchasing a handmade product. Thus, the reason for buying a handmade product was mixed.

Chart-5

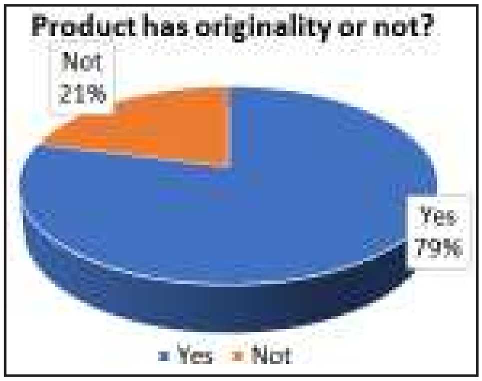

Respondents found the product genuine or not. In his answer we got the answer of 79% of the respondents. And 21% of the people got the answer in the negative.

Chart-6

After the product was ready their price was calculated. Respondents were asked whether the price is suitable or not. 26% of the respondents found their price is low. 64% of the respondents found their pricing reasonable. And 9% of the respondents found their cost to be high. Thus, most of the respondents found the price appropriate.

Conclusion: Traditional Kota Doria is a very beautiful, attractive and unique textile haritage of the country, the interest of people towards which interest is decreasing with time due to high cost and no availability of designs and products according to trends. As a result, due to lack of demand, the trend of people associated with heritage is turning towards other bussiness and works, it's worrying. which needs new experiments to save it further. In innovation, product differentiation and surface ornamentation, using new techniques to make products fashionable. The experiments done have been shown in this paper and it is expected that people will like these experiments and along with getting more and more work to the artisans associated with kota doria, it will prove to be a step to save this priceless haritage of the country. In this paper, we have experimented on traditional Kota Doria and shown the immense possibilities present in it.

References:-

1. Chakraborty, J N., & Chavan, R B. (2003). Dyeing of danim with indigo. *Indian Journal of Fiber & Textile Research. 39*(3)*,*100-109. http://nopr.niscpr.res.in/bitstream/123456789/22596/1/IJFTR%2029(1)%20100-109.pdf
2. Gayatri, (2022). Value enhancement of woolen khadi dress materials through surface embellishment techniques. *International Journal for Research Trends and Innovational.7*(11),https://www.ijrti.org/papers/IJRTI2211068.pdf
3. Chollakup, R., rungruagkitkrai, N., Apipatpapha, T., Witayakran, S., Nithithongsakol, N., & Mongkhol rattanasit, R. (2021).A study on the woven constructionof fibric dyed with natural indigo dye and finishing for applying to product design for home textile products. *Autex Research Journal. 0*(0). https://doi.org/10.2478/aut-2021-0050
4. Kusumawati, F., Riyadi, P., &rianingsih, L. (2016). Applications indigo (Indigofera tinctoria L.) as natural dyeing in milkfish[Chanoschanos (forsskal, 1775)] skin tanning process. *Elsevier.* 92-98
5. Lai, C. & Chang, C. (2021). A study on sustainable design for indigo dyeing color in the visual aspect of clothing. *Sustainability.* 13(3686). https://doi.org/10.3390/su13073686
6. Gupta, K. (2022). Dyeing cotton fabric with indigo dye by using selected natural reducing agents. *Journal of Emerging Technologies and Innovative Research. 9*(5),https://www.jetir.org/papers/JETIR2205650.pdf
7. https://in.pinterest.com/greenleaves967/sling-bags/ *Retrieved on 20 January 2023*
8. Environmental impact of indigo dye. (2021). *Slow fashion movement.* Retrieved from https://www.slow fashion. global/blog/11/environmental-impact-of-indigo-dye
9. How to dye with indigo. (2020). *Maiwa handprints ltd.Retrieved on 20 January 2023* https://static1.squarespace.com/static/5c70844577b903aa58efe47b/t/5f3ed44dac8d8113926bf6b0/1597953128236/how-to-dye-with-indigo.pdf

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XL

The Impact of Covid-19 on Ecommerce: A Critical Study

Shagufa Tawar*

***Research Scholar, Vikram University, Ujjain (M.P.) INDIA**

Abstract - Coronavirus has impacted the entire e-commerce industry of the world. It has changed the nature of business. It has also affected many e-commerce businesses. COVID-19 crisis is likely to have long-lasting effects on e-commerce. E-commerce is a business model that lets firms and individuals buy and sell products and services over the internet. In addition, after COVID-19, social distancing and staying at home are expected to further encourage consumers to shop online. E-commerce involves an online transaction. It provides multiple benefits to the consumers in form of availability of goods at lower cost, wider choice, and saves time.

COVID-19 is a global emergency epidemic that affects all areas of life including the economy. Growth in the world economy has decreased due to a lack of purchasing power that lasts for only at-home policy. This policy carries out to prevent the spread of COVID-19, which on the other hand actually increases the use of e-commerce and mobile commerce as means of shopping. The use of e-commerce and mobile commerce is considered capable of helping consumers to buy basic necessities and health that are needed during activities at home. Buying and selling transactions through e-commerce and mobile commerce have increased during COVID-19. This is then utilized by e-commerce and mobile commerce by providing various attractive offers for consumers.

The purpose of the study is to emphasize the concept of COVID-19 and e-commerce. The research method of this study used the secondary data listed in different databases of books, research papers, and related articles of e-commerce available on the Internet. The present study has been undertaken to describe the impact of COVID-19 on e-commerce in India as well as around the world and also describe overcome from the COVID-19 situation as well as future scope of e-commerce.

Keywords- COVID-19 pandemic, e-commerce, impact, overcome, future scope.

Introduction - The COVID-19 pandemic has not only affected traditional business on a global scale but has also brought numerous challenges to the e-commerce industries. It has driven the fastest change in traditional business across the globe, necessitated by social lockdown preventing face-to-face selling or buying.

COVID-19 pandemic creates new potentials and opportunities for e-commerce cooperation: more or less independent persons/organizations work together. Business actors can come together whenever they want it or whenever there is a need. It builds a global virtual place where every organization and person is interested in making business can come together without geographical restrictions. E-commerce increases the economic efficiency of business processes, through the coupling of business processes at the boundaries of the business partners. The outbreak of the coronavirus disease COVID-19 has disrupted the lives of people around the world. COVID-19 which originated from China now has spread across the globe. The global cases of COVID-19 have surpassed the 2 million mark. And due to this, it has impacted many business sectors and affected the economy of many countries. This is because people are advised to maintain social distance or stay at home. COVID-19 is a global emergency epidemic that affects all areas of life including the economy. Growth in the world economy has decreased due to a lack of purchasing power that lasts for only at-home policy. This policy carries out to India has emerged as one of the major players in the new international business scene. Its unstoppable economic growth since reforms in 1991 has become the focus of attention of researchers in the area of international business and management.

E-commerce: E-commerce is a paradigm shift. It is a "disruptive" innovation that is radically changing the traditional way of doing business. Electronic commerce is a type of business model, or segment of a larger business model, that enables a firm or individual to conduct business over an electronic network, typically the internet. E-commerce is the buying and selling of goods and services, or the transmitting of funds or data, over an electronic network, primarily the Internet. These business transactions are business-to-business, business-to-consumer, consumer-to-consumer, or consumer-to-business. The term e-tailis used in reference to transactional processes

around online retail. E-commerce is conducted using a variety of applications, such as email, fax, online catalogs, and shopping carts, Electronic Data Interchange (EDI), File Transfer Protocol, and Web services. It can be thought of as a more advanced form of mail-order purchasing through a catalog. E-commerce is the movement of business onto the World Wide Web. The effects of e-commerce are already appearing in all areas of business, from customer service to new product design. It facilitates new types of information-based business processes for reaching and interacting with customers like online advertising and marketing, online order taking, and online customer service. There has been a rise in the number of companies taking up e-commerce in the recent past. Major Indian portal sites have also shifted towards e-commerce instead of depending on advertising revenue. Many sites are now selling a diverse range of products and services from flowers, greeting cards, and movie tickets to groceries, electronic gadgets, and computers, etc.

Impact of COVID-19: Since the official announcement from WHO declaring the COVID-19 a global pandemic, many countries have put restrictions and lockdowns. This has left businesses to work from home, which is possible for IT related and e-commerce companies. It is the only option business owners have and has put e-commerce under pressure due to the COVID-19. Due to its fast spread, the brick mortar shops are closed down since the end of the second month, which has left people to shop from e-commerce stores.

- This has suddenly spiked the number of orders coming to e-commerce stores exponentially. And fulfilling those orders has become a headache due to disruption in the supply chain. Also, the behaviour of online shoppers has changed.
- Ecommerce sectors like grocery, food, health care, and entertainment websites have seen a spike in traffic. The e-commerce sales have increased by 52% YOY. Also, the number of shoppers has been increased by 8.8%. Travel and airline sectors along with other sectors such as apparel, sports goods, arts and crafts, toys, and other e-commerce sectors have been suffering due to the alleged COVID19.
- According to data from Unicommerce, an e-commerce solutions provider, online shopping volumes dipped 11% in April from the month ago. That's in line with what executives told ET the effects of the current wave of Covid-19 have hit consumer demand for non-essential segments, both in urban and rural markets.
- Expectations of a demand revival are driven by the belief that consumers will continue to avoid offline shops and malls. Unicommerce data further showed fashion and accessory sales were down 22% in the same period while eyewear and accessories were down 16%. Only fast-moving consumer goods (FMCG) and agri, and health and pharmaceuticals, saw growth of 33% and 18%, respectively.

Impact in Europe and North America: In October 2020, the company questioned about 100ecommerce decision-makers from Europe and North America.

- **6%: e-commerce revenue decreased during lockdown:** Of course, there were questions about Covid-19. It seems that most e-commerce companies saw their online revenue increase during the global lockdown in the spring of 2020. According to the survey, 90% of companies saw their online sales increase at least a bit, with 50 percent of respondents claiming it grew by over 100 percent. But still, 6 percent say their e-commerce revenue decreased during the lockdown.

After the lockdown was over, many consumers started shopping at brick-and-mortar retailers again. Still, 86 percent of respondents say their online revenues increased and only 4 percent say it decreased.

Online profit margin increased by 38%: Generating online sales is one thing, the whole COVID-19 situation has also led to things like disrupted supply chains, poorly staffed customer service, and more. This directly affects the online profit margin. It seems that for 38 percent of e-commerce decision-makers their online profit margin grew during the global lockdown, while for a similar percentage (40 percent) the situation stated about the same. Only 15 percent claimed that it decreased.

The impact of COVID-19on the workforce: The pandemic has, of course, also led to some changes in companies' workforce. About 44percent said they had to relocate staff, while three in ten hired more people. The other side of the coin is that 26 percent had to fire some people and 15 percent say they had to reduce their employees' salaries. And maybe a bit surprising for some, but 5 percent managed to increase salaries. And even more surprising: 21 percent of companies didn't adjust their workforce at all.

23% of Omnichannel players saw offline sales increase: Another interesting finding from the study is that for retailers that have both online and offline stores, 23 percent say their offline sales increased and 16 percent managed to keep it similar. Unfortunately, for 43 percent their offline sales took a hit.

Measurements for physical retailers: Many brick-and-mortar retailers had to drastically change their business if they wanted to avoid going out of business. So, many new practices were introduced last year. Among the participants, 31 percent introduced in-store pickup, while 26 percent chose to introduce home delivery. Unfortunately, about one in five had to shut down some physical stores for good.

All in all, the coronavirus has heavily impacted online retailers on different levels. Among the main challenges for e-commerce businesses, disrupted supply chains and fulfilling demand for products were the most mentioned ones. But limited operations due to the lockdown, managing inventory, and overall lack of employees were also some key challenges for online retailers. And 17 percent said it was challenging because they need to close their physical stores.

Shifted strategies: Last year, many respondents said they would mostly implement, improve or change personalization, site-search, and Omnichannel. This year, the strategic vision has, of course, shifted due to COVID-19. Most of the companies (45 percent) will now have more focus on the digital part of their business, by adjusting assortment, investing in new e-commerce software, or focusing more on online marketing channels.

One in five said they would intensify actions, meaning they need to execute their strategies and act faster. One in ten say they are now focused more on physical stores adjustments, and 8percent went for supply chain adjustments, from minor ones to completely new supply chain or logistics.

Financial consequences: Despite all the bad things happening due to the outbreak of the coronavirus, financially 2020 wasn't so bad for many e-commerce companies. Most of them (63 percent) say the year (up to October) was successful. And 28 percent claim their e-commerce business was doing well, while their physical stores didn't. And a surprising 2 percent said the opposite!

Impact in India: Owing to its large population, India has always been an attractive e-commerce market, even if a relatively small percentage of its residents have access to the internet or adequate income. Only 3% of the population has a credit card, according to the World Bank.

But e-commerce is now surging in India. COVID-19 has devastated the country in the past year with high numbers of hospitalizations and deaths. Consumers stayed home and learned to shop online.

Demographics: Statista estimates India's 2021 internet penetration rate at 45%. With a population of 1.4 billion, that's 630 million internet users - a massive number, 45 million more than in 2020. India's population is heavily dependent on mobile devices, with 96% of internet users between the ages of 16 and 64 owning a Smartphone. About 79% of the population has a mobile connection, according to research firm GSMA Intelligence. Conversely, only 56% own a desktop or laptop computer, according to Global Web Index, a data provider. India is one of the least expensive countries for mobile internet access. Indians who have internet access increasingly use mobile payment services such as Samsung Pay for e-commerce purchases. The largest category for online spending is travel, rideshares, and accommodations, with expenditures of $35.2 billion in 2020, although those purchases fell 54% between 2020 and 2021 due to pandemic, while food and personal care grew by 55%. Electronics and physical media — the largest category for physical goods — collected$14.6 billion in revenue in 2020.

Sales: Retail e-commerce sales in India should reach $66.76 billion in 2021, up by 27% from2020, according to e-Marketer. In Q4 2020 alone, e-commerce grew 36% year-over-year. The biggest beneficiaries were the personal care, beauty, and wellness categories, which together grew by 95% year-over-year according to Kearney, a management consulting firm. Brands took advantage of the pandemic to focus on direct-toconsumer strategies, bypassing retailers. As a result, DTC's e-commerce revenue grew 94% in Q4 2020 compared to the same 2019 quarter.

Start-ups Thrive : The number of Indian start-ups that have reached unicorn status (a value of over $1billion) has expanded since the start of the pandemic. Many of these are in the e-commerce logistics sector. Zomato, a food delivery start-up, had a successful initial public offering in July 2021. It raised $1.3 billion for a total valuation of $12.2 billion. Restaurant and food delivery platform Swiggy's latest funding round was last month. In total, it has raised $3.7 billion and is now valued at $5.5 billion. Grocery deliveries make up about 25% of the company's revenue, with plans to increase to50% in the next few years to compete with Zomato, according to a Swiggy founder. Delivering groceries helps increase revenue because the average restaurant delivery is just $5 in India. Delhivery provides transportation, warehousing, freight, and order fulfillment services. It has raised $402 million in three funding rounds since December 2020. FedEx participated in the last round in July. In July, e-commerce platform Flipkart completed another fundraising round, for$3.6 billion, valuing the online retailer at $37.6 billion. The majority owner Walmart joined other worldwide investors. Flipkart, which now has more than 350 million registered users, said it would use the latest funding to increase investments in technology, supply chain, and infrastructure as it focuses on fashion, travel, and groceries.

Impact on Global Scale: The acceleration of e-commerce throughout the globe over the course of 2020 was hard to ignore, as consumers shopped online often out of necessity, and brands were forced to rapidly change their strategies as a result. From consumer behaviour to demand prediction to retention, the events of the last year have altered or sped up almost every facet of online retail. On the basis of e-commerce penetration worldwide observed in e-commerce industries are as follow:

1. Charged Retail reports new Adobe research that shows UK online retail sales reached £10bn in the month of July 2021. This marks a record for the highest e-commerce sales ever for the month of July, as well as the largest figure reported so far this year. It is thought that increased online spend has been somewhat caused by the continued reluctance of UK consumers to return to in-store shopping, as well as a 'back-to-work spending boost'. Overall, the data indicates that online spending has risen by 18% to £64bn in the year to date, or by 56% versus the same period in pre-pandemic 2019.

2. Salesforce's Q2 Shopping Index reveals digital commerce growth has begun to stabilize in the second quarter of 2021. In the three months to June 30th, global e-commerce revenue growth slowed to low single digits (3%) year-on-year after seeing a 63% uplift in the first quarter of 2021. In contrast, the UK appears to have retained some

of the momentum it gained from the onset of the pandemic. Results from Q2 2021 show the region has experienced a 17% growth in the same metric compared to a year before, well ahead of the US which saw a 2% drop over the same period. Despite a global slowdown in growth, consumers 'remained online and continued to grow revenue for retailers', Salesforce says. This can be evidenced by an increase in Average Order Value, up 17% year-on-year to $90.64, even as the number of products purchased declined by 1%.

3. Shopify posted revenues of $1.12bn in Q2 2021, a 57% rise year-on-year and a better result than estimates from experts predicted ($1.05bn). The company's Gross Merchandise Volume (GMV) also rose significantly, up 40% to $42.2 billion. Perhaps most impressive of all was a 67% increase in Shopify's Monthly Recurring Revenue (MRR), meaning the amount of revenue the brand can expect from recurring payments of users that are billed monthly. In its financial statement, Shopify's MRR was recorded at $95.1m up from $57m. Subscription solutions, meanwhile, were also 70% higher, thanks to a wave of new merchants joining the platform since Q2 2020. As brands and businesses continue to make the most of the Covid-19 e-commerce boom, which is slowing only slightly for now, so it is reflected in the financial results of e-commerce tech providers like Shopify. For the remainder of the year, the company predicts its revenue to continue to grow 'rapidly, but at a lower rate than in 2020'.

4. Data from Adobe indicates online retail prices rose 2.3% year-on-year in June 2021, or 0.6% month-on-month, following several years of consistent deflation. Between 2015 and 2019, prices fell on average 3.9% annually, while prices steadily rose for products in in-store environments. In recent months, Adobe says, 'the gap between the two has narrowed'. Covid-19 changed the demand for certain kinds of products, as well as what was trending online before the pandemic. Some of the items that saw a notable flattening or decrease in online pricing between June 2020 and 2021 were those most coveted by consumers when the virus first hit – computers, groceries, and office supplies.

5. A July 2021 report from Pi Data metrics reveals the most prominent changes in UK consumer search volumes as life returns to normal. Of the five major categories analyzed, search volume across the electrical category fell the sharpest between April/May 2020 and April/May 2021, at -28.9%, declining to -44.3% in the computing subcategory now that most have purchased their WFH supplies. In contrast, the fashion category saw a welcome boost as many prepared to begin socializing again in the spring. The number of fashion search terms entered in the two-month period was 30.2% higher than it was during the same period of 2020, with luxury fashion searches up 15.8%. Clearly, 'e-commerce isn't as vital as it was last year to many consumers', Pi Data metrics explains. However, data shows search demand is still higher than rates seen before the pandemic, suggesting there is some permanence to the new online shopping habits we have formed over the past 18 months.

6. Net imperative reports research findings from Channel Advisor and Census Wide which reveal 91% of 304 e-commerce CMOs surveyed believe their brand's revenue will grow over the next 12 months beginning August 2021. An additional 92% said that they are also more confident in their company's ability to attract new online customers than they were before the pandemic began, with nearly one-third claiming this will become 'much easier for them. Drilling down, digital marketing efforts have mostly been dedicated to enabling D2C opportunities for consumers, with 36% of CMOs saying their ads were driving traffic directly to their brand websites. Meanwhile, almost three in ten said their clickable digital advertising directed customers to marketplaces like Amazon, and another 20% said they were pointing traffic to retailer partner websites. As a result of continued expected e-commerce success, the data found e-commerce expertise will be the most in-demand type of talent for the sector during 2021 and early 2022. This is followed by marketing talent, while demand for web developers ranked third and senior strategic expertise fourth.

7. A study by management consultancy Alvarez & Marsal, in partnership with Retail Economics, has found that pre-tax profit margins for retailers in six European countries (France, Germany, Italy, Spain, Switzerland, and the UK) have fallen from 6.4% to 4.5% in the last 10 years, and is forecast to drop to 3.2% by 2025. The chief contributing factor? Likely e-commerce. The study found a negative correlation between the share of sales made online and margins. The study also forecasts that, if the pandemic hadn't happened, the profit margins in the countries studied would be 3.7% by 2025, half a percentage point higher.

8. Analysis from Global Data shows that 9 out of the top 10 global e-commerce companies (by revenue) experienced double-digit growth in 2020 as new consumer habits swayed in their favour. Pinduoduo came close to triple-digit year-on-year revenue growth at 97.6%, raising its total 2020 sales to $8.6 billion, while South Korea's top marketplace Coupang saw a 90.8% growth, ranking it 7 th overall for 2020 revenue at $12 billion. Amazon unsurprisingly topped the list at a reported revenue of $386.1 billion, although its growth was far lower at (a nevertheless impressive) 37.6%. Other top performers included US-owned home furnishings marketplace Wayfair, which saw a 55% year-on-year revenue increase thanks to a jump in interest from consumers looking to carry out home improvements, and Alibaba which posted 40.9% growth. Meanwhile, Zalando, eBay, and Rakuten experienced a 25.4%, 18.9%, and 18.9% rise in annual revenue respectively. VIP shop Holdings, owner of China's VIP.com, was the only company on the top 10 rankings to have gained a less than double-digit growth over the course of the year

(at 9.6%), but maintained a position of fourth place regardless, with total sales just shy of $15 billion.

9. The IMRG Capgemini Online Retail Sales Index has found that online sales in the UK fell by 9.1% in May 2021 versus a year earlier, Charged Retail reports – the largest drop on record since the Index's inception in 2000. It is worth noting that this most recent comparison is being measured against a 61% boom in growth recorded in May 2020, which was driven by the first peek of the pandemic. Sales growth across most retail categories is now flatlining, with some such as health and beauty declining by 29.2% year on year. Multichannel retailers saw the largest rate of drop-off, -13.9%, as consumers increasingly opted to shop in-store instead. Online-only retailers, however, experienced a much smaller decline of -1.34%. Also, hit hard were budget retailers, seeing a -12.8% drop off in sales, in contrast to a +0.2% growth for their luxury counterparts. Despite this news, online sales overall remain significantly higher than those reported in 2019, before the coronavirus outbreak shifted the landscape of the retail sector. In fact, sales volumes for May 2021 are 46% up compared to May 2019.

Review Of Literature

An attempt has been made to put forward a brief review of literature based on a few of the related studies undertaken worldwide in the area of e-commerce as follows.

Bhatti et al. (2020) examine that e-commerce grew due to coronavirus. E-commerce is becaming a substitute source and considered top in this condition and consumers bought in superstore traditionally. Coronavirus impact on whole e-commerce. Meanwhile, we want to comprehend their efficiency to stability both cost and benefits as well as connected actions in the coming upcoming.

Tran and L.L.T. (2020) study adopted uses and gratifications theory to base the conceptual model while adding a boundary condition of pandemic fear. The primary research method of this study is a quantitative survey and analysis. Using a sample size of 617 online consumers with PLS analytical technique. This study finds a positive moderating effect of pandemic fear on the relationships among PEEP, economic benefits, and sustainable consumption.

Hasanat et al. (2020) the key purpose of this research is to determine the impact of coronavirus on the online business Malaysia. The results illustrated that as the maximum of the products come from China and the maximum of industries are lockdown which means that there are no import and export of the product. Therefore, it is assumed that this deadly virus will severely impact the Malaysian online business especially Chines products.

Pantelimon et al. (2020) study consist of two parts, the first one analyses the impact of mobile commerce's growth on the Gross Domestic Product for both a West European country-Germany and an East European country–Romania from 2014 to 2019. The analysis aims to understand mobile commerce's importance in the pre-COVID-19 era, in the context of stable economies. The second part studies the general consumer behaviour towards classic commerce and electronic commerce in the context of COVID-19 pandemic state. In this regard, we analyzed data for January-April 2020 and studied the main changes for the countries which were either early affected by the pandemic, severely affected, or both.

M. A. Salem and K. Md Nor, the study empirically assessed the factors that affect consumers 'intention to adopt e-commerce during Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) in Saudi Arabia. The 10 factors examined in this study are perceived usefulness (PU), perceived ease of use (PEOU), subjective norms (SN), perceived behavioural control (PBC), perceived lack of alternatives, perceived risk, perceived punishable infractions, risk-taking propensity, perceived external pressure, and government support. Data were collected online among social media users by employing the snowball sampling technique. A total of 190 valid responses were obtained. The data analysis showed that PU, risk-taking propensity, PBC, perceived lack of alternatives, and government support significantly influenced consumers 'intention to adopt ecommerce during the COVID-19 outbreak in Saudi Arabia. Meanwhile, PEOU, SN, perceived external pressure, perceived risk, and perceived punishable infractions exerted an insignificant effect on consumers 'intention to adopt e-commerce.

Research Methodology: This research conducted research using second-hand data listed in different databases of books, research papers, and related articles on the internet on e-commerce.

Objectives Of The Study:

1. To know the concepts of E-commerce.
2. To study the impact of COVID-19 on e-commerce on a Global Scale.
3. To study the overcome from COVID-19 situations.
4. To study the future scope of e-commerce.

Overcome From Covid-19 Situation: As the COVID-19 pandemic reshapes our world, more consumers have begun shopping online in greater numbers and frequency. According to new data from IBM's U.S. Retail Index, the pandemic has accelerated the shift away from physical stores to digital shopping by roughly five years. Department stores, as a result, are seeing significant declines. In the first quarter of 2020, department store sales and those from other "nonessential" retailers declined by 25%. This grew to a 75% decline in the second quarter. The report indicates that department stores are expected to decline by over 60% for the full year. Meanwhile, e-commerce is projected to grow by nearly 20% in 2020. In Walmart's case, the pandemic helped drive e-commerce sales up 97% in its last quarter. Target set a sales record as its same-day fulfillment services grew 273% in the quarter. Both retailers have also invested in online grocery, with Walmart today offering grocery pickup and delivery services, the latter through partners. Target has also just now rolled out grocery

pickup and runs delivery through Shipt. According to the Q2 2020 report from the U.S. Census Bureau, U.S. retail e-commerce reached $211.5 billion, up 31.8% from the first quarter, and 44.5% year-over-year. E-commerce also accounted for 16.1% of total retail sales in Q2, up from 11.8% in the first quarter of 2020. The crisis has presented a great opportunity for brick and mortar businesses to go digital and benefit ecommerce businesses. The closure of brick mortar retail shops has significantly affected the revenue of their business negatively. But with certain investments, they can revive their business digitally. With a smart PR strategy and focus on sales, they can increase their sales and generate some revenue from their e-commerce business. There will be challenges due to supply chain disruption and delays in delivery, which can affect your reputation and customer loyalty. But as the situation is changing continuously, these issues can be dealt with on a rolling basis.

1. Monitor the situation from the ground and see what's possible. Ramp up your inventory because the supply chain can disrupt again at any time.
2. Maintain good relations with your suppliers and also sympathize with your consumers.
3. Know the rules, regulations, and laws applicable to businesses nationally and locally.
4. Prepare a team for solving any queries of customers.
5. Expand the supply base so that your business doesn't have to rely on one supplier.
6. People all around the world are bound to stay at home due to the fast spread of COVID-19 disease.

Also, most countries have put down restrictions for people to come out, which leaves you to sell virtual digital products on your e-commerce store. And the best thing is that you don't have to rely on the supply chain. there is no fear of selling virtual products as there will be no in-person contact and products will get delivered online. Come up with e-books, tutorials, e-classes, music classes, learning classes, etc. virtual products that sell like a charm.

Come up with a cost-effective shipping method: People are mostly staying at home, and most of the people have little money to spend on important items. So, allow people to order products online and pick it up from the store. This way they don't have to pay much for shipping charges and save their money to spend on important items. Also, you need to manage your orders during this COVID-19 situation. And to do that you have to heavily rely on the supply chain to ship orders with proper management of logistics. Therefore, order online and pick up in-store models works best in this scenario.

Try to revive the Supply Chain for Business: In these hard times of COVID-19, the supply chain is getting disrupted due to the restrictions and lockdowns put up by most countries. To revive and restore the supply chain is very important, so alleviate the seriousness of the problem before it gets worse for your business. Get in touch with manufacturing units and try to expand their operations if possible. And on the other hand, try to build up fulfillment units. The manufacturing of the goods will take up the most time. But fulfilling orders can be achieved faster, which helps to mitigate the surge of demand.

Sympathize with Customers and Employees: Your customers as well as your employees both are going through tough times. With the increase in the spread of the COVID-19, fear and panic are also spreading among them. So, it is your responsibility to sympathize with them. Don't make it hard for them. Communicate with them on all possible channels. Spread the right information because other sources are not helping to curb the issue. Spread optimistic and positive messages on social media and other channels of communication. Show them that you care about them. If possible, then offer a discount on your e-commerce products. Because people will remember the good and bad things both. If you try to take advantage of the situation, then you will lose your loyal customer in the long run. Because it will only benefit you for a short period. So, be a responsible e-commerce business owner.

Sell Products Important for Human Survival: The unfortunate events have unfolded themselves, which is threatening the survival of the human race. To help curb the issue, sell essential items that are important for the survival of humans. Products like grocery, food items, and healthcare items are a necessity in the wake of a global pandemic. Sell those products at minimum profit margins on your e-commerce store. Because in these trying times people are stranded without much money to spend and without any job to work. And they have little money to spend only on essential items. So, it will be beneficial for your business as well as the people of your country, if you sell those essential items.

Future Scope Of E-Commerce: Since the onset of the COVID-19 pandemic, consumers across the globe have been heavily reliant on ecommerce to purchase everything from essential goods to holiday gifts. Combined with widespread stay-athome orders and concerns over the virus, the pandemic accelerated the adoption of e-commerce by consumers and businesses seemingly overnight. According to McKinsey, 10 years of e-commerce adoption was compressed into three months. And, not only did the shift to an e-commerce-first mindset happen in countries where online shopping was already widely accepted, but it also happened in cultures where in-person, local, cash-reliant and daily shopping is the norm. This is not just an e-commerce acceleration – it is a massive shift in consumer behaviour, the type that traditionally takes decades to achieve. The impact of these changes will shuffle down through all the supporting industries, like shipping, technology, brick and mortar, and governments as everyone tries to keep pace with consumer preferences that just leapfrogged ahead. By pressing the fast-forward button on ecommerce adoption this year, we have created

a number of opportunities, challenges, and norms that will dictate how we buy and sell goods for the time being.

Leapfrogging e-commerce has impacted the supply chain : The pandemic's forcing function meant change happened fast. There were no alternatives — contactless shopping or moving online happened virtually overnight just to keep businesses open. It wasn't a strategy. It was survival. Usually, these types of decisions are done over time with careful planning and transition periods, but adopting e-commerce so fast meant that many had to bypass the usual steps in expanding their business and trying new channels. The impacts of this leapfrog effect in business to business (B2B), business to consumer (B2C) and marketplace sales are shaking out now as we anticipate major shipping disruptions this holiday season — just one example of a supporting aspect of commerce that couldn't scale fast enough to keep up with change. The impact on the supply chain has also increased the need for accuracy and transparency throughout the checkout process. To avoid further delays or disruptions to shipments and deliveries, B2C and B2B sellers have had to optimize all line items at checkout. Sellers need to worry not only about collecting payment but about ensuring that shipping costs and taxes are accurate at checkout to get transactions out of the door in a timely manner.

Consumer behaviour is here to stay: With all of the impacts and changes to consumer behaviour during the pandemic, when our society is eventually able to return to normality and storefronts begin to gain back confidence, how much of a correction will we see in consumer behaviour? It might be too soon to tell for certain, but it's likely that the changes brought on by the widespread use of e-commerce during the pandemic will shape the fabric of consumer behaviour for years to come. Many of the behaviours that consumers have adopted during the pandemic were already taking shape in recent years. Consumers have been prioritizing convenience and personalization when it comes to shopping for several years. Due to the number of options available when making purchases, consumers have already become accustomed to being able to make purchases from nearly any channel, any device, and any seller they choose. The pandemic-fueled acceleration of e-commerce has simply served as a catalyst for behavioural change already in motion. As a result, it's likely that consumer behaviour will never return to what it was pre-pandemic, but rather take form under a new normal driven by convenience, flexibility, and personalization — all of which can be accomplished through e-commerce.

Look beyond the pandemic to the greater trend: The influence of e-commerce will continue to reign strong in the coming years. While brick-and-mortar shopping will never cease to exist, we should expect the in-person shopping experience to continue to evolve to increase convenience for customers. Offerings like buy online, pick up in-store and grocery delivery are likely to grow in popularity throughout the pandemic and become standard operating procedures across households. Moving forward, consumer behaviour will err on the side of convenience and options even after the pandemic is long over. Businesses will need to catch up with consumer behaviour and e-commerce adoption to effectively serve customers and scale their operations. To do so, the adoption of technology throughout the supply chain will be necessary to support an e-commerce-enabled business and maintain customer experience throughout the shopping journey

Conclusion And Suggestions: The COVID-19 has affected many people around the globe and disrupted their lives for two years now. And there will be after-effects of the same when all of these things are over. But one thing we can do is to help each other out during this pandemic. Small businesses are the worst affected by the spread of COVID19. But you can take the necessary steps to lessen the blow on your business. Being transparent, optimistic, and positive will help your e-commerce business and the people around you. COVID-19 forced shops around the world to shut for months and recently reopen under strict new guidelines. The time in lockdown has caused an e-commerce boom, with the pandemic accelerating the shift away from physical stores by roughly five years. While department stores are expected to decline by over 60%, e-commerce was expected to grow by nearly 20% in 2020. The pandemic has also helped refine which categories of goods consumers feel are essential, the study found. Clothing, for example, declined in importance as more home improvement materials, accelerated, by 12%, 16%, and 14%, respectively. Amazon, naturally, has also benefited from the shift to digital with its recent record quarterly profit and 40% sales growth. The growth in e-commerce due to the pandemic has set a high bar for what's now considered baseline growth. As per the National Association of Software & Services Companies (NASSCOM), India's e-commerce market continues to grow at the rate of 5% with estimated revenue of $56.6 billion in the financial year 2021 despite COVID-19 challenges, says the government. Changes in Indians' purchasing behaviour as a result of COVID-19 include new demand for low-value products and a boost in first-time online customers. Pandemic COVID-19 from the socioeconomic side has changed people's behaviour in the shopping activities of people who originally shopped conventionally or offline, to shop online through various entities providing e-commerce and mobile commerce services. This is possible because each individual has a shopping model platform through e-commerce and mobile commerce communities and has the capacity and competence in the use of these tools even though only doing activities from home. E-commerce and mobile marketing provide a lot of convenience and comfort for customers to get the desired product during the COVID-19pandemic. Even e-commerce and mobile commerce use the COVID-

19 pandemic issues to get increased transactions by conducting free shipping promos, discounting products for basic needs and health, and updating information about COVID-19. In addition, there is a change in customer motives for online shopping, which at first was a desire to become a necessity because of COVID-19. So it is understandable that the highest demand from the public at the time of the COVID-19 pandemic was for products that are directly related to health, work support products when done from home, and supplementary food products.

References:-

1. Bhatti, A., Akram, H., Basit, H. M., Khan, A. U., Raza, S. M., & Naqvi, M. B. (2020). E-commerce trends during COVID-19 Pandemic. International Journal of Future Generation Communication and Networking, 13(2), 1449-1452.
2. Hasanat, M. W., Hoque, A., Shikha, F. A., Anwar, M., Hamid, A. B. A., & Tat, H. H. (2020). The Impact of Coronavirus (Covid-19) on E-Business in Malaysia. Asian Journal of Multidisciplinary Studies, 3(1), 85-90.
3. Pantelimon, F. V., Georgescu, T. M., & Posedaru, B. ª. (2020). The Impact of Mobile e-Commerce on GDP: A Comparative Analysis between Romania and Germany and how Covid-19 Influences the eCommerce Activity Worldwide. Informatica Economica, 24(2), 27-41.
4. Rajasekar, S. and Agarwal, S. (2106). A STUDY ON IMPACT OF E-COMMERCE ON INDIA's COMMERCE. International Journal of Development Research. ISSN: 2230-9926. Vol. 6, Issue, 03, pp. 7253-7256, March, 2016.
5. Salem, M. A., & Nor, K. M. (2020). The Effect Of COVID-19 On Consumer Behaviour In Saudi Arabia: Switching From Brick And Mortar Stores To E-Commerce. International Journal of Scientific & Technology Research, 9(07), 15-28.
6. Tran, L. T. T. (2020). Managing the effectiveness of e-commerce platforms in a pandemic. Journal of Retailing and Consumer Services, 58, 102287

Websites:-

1. https://ecommercenews.eu/the-impact-of-covid-19-on-ecommerce/
2. https://economictimes.indiatimes.com/tech/technology/second-covid-19-wave-rocks-ecommerce-boathits-consumer-spends/articleshow/82807434.cms
3. https://econsultancy.com/stats-roundup-the-impact-of-covid-19-on-ecommerce/
4. https://www.practicalecommerce.com/driven-by-covid-19-indias-ecommerce-surges
5. https://techcrunch.com/2020/08/24/covid-19-pandemic-accelerated-shift-to-e-commerce-by-5-yearsnew-report-says/
6. https://timesofindia.indiatimes.com/readersblog/magecompblog/covid-19-impact-on-ecommerce business-how-to-overcome-12371/
7. https://www.forbes.com/sites/forbesbusinesscouncil/2021/12/29/covid-19-accelerated-e-commerce adoption-what-does-it-mean-for-thefuture/?sh%E2%80%A6&sh=7f144d17449d
8. https://www.livemint.com/industry/retail/indias-e-commerce-market-continues-to-grow-at-5-rate-perannum-says-govt-11627997023595.html
9. https://www.weforum.org/agenda/2020/08/covid19-pandemic-social-shift-ecommerce-report

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XL

Professor Vikas Sharma As A Modern Novelist of Psychological Fiction

Dr. Nempal Singh*

*Assistant Professor (English) S. P. C. PG College, Baghpat (U.P.) INDIA

Abstract - There has been a very close relationship between psychology and literature. Sigmund Freud, the famous psychologist has analysed the different psychological aspects of human beings in detail in his books.In English literature, the writers have created many types of complex characters to present different levels of human psychology,be it Shakespeare's Hamlet or James Joyce's Ulysses,Lawrence's Sons and Lovers or Virginia Woolf'sMrs.Dalloway,each and every work has been presenting different aspects of human psychology.Professor Vikas Sharma is one such writer whose novels highlightdifferent aspects of human mind.Professor Vikas Sharma has presented in his novels the different characters and their stream of consciousness. The present paper aims at an analysis of the novels of Professor Vikas Sharma as to how the main characters are psychologically different in presenting the different dimensions of human life through their interior monologue.

Keywords - Psyche, complexity, interior monologue,questionnaire.

Introduction - As much as human life is full of complications, its psychology is too full of complexity which is probably not within the power of an ordinary human to explain. All the novels of Professor Vikas Sharma like IAS Today,Love's not Time'sFool,Medicine:Light in Twilight,Hope Against Hope,Ideas and Events, 498A:Fears and Dreams etc. present the complex psychology of human life through the narratives of different characters. A series of questions that arise in the mind of the main characters come before us in almost every story. Sometimes these questions come in the form of a running catalogue which disturbs the main flow of the narrative and confuses the readers. These questions present not only the general doubts that arise in human mind but they also present the characters in the crisis of their life as these questions can be based on prevailing social customs as in 498A Fears and Dreams, they may be based on the individual identity of a woman and the conflict between freedom and morality as in Ashes and Fires, or these questions can be about the right and wrong of a creator as in Ideas and Events. In some novels these questions are based on current affairs and policies of government as in Medicine:Light in Twilight and IAS Todayor Ashes and Fire. Whatever can be the subject of these questions but they make a human being a better species than animals or birds as it is said the more a person thinks, the more and fuller he lives and this thinking is constantly visible in the novels of Vikas Sharma which makes him a modern novelist of the psychological novel.

498A:Fears and Dreams by Professor Vikas Sharma is based on the section 498A of IPC which shows the law against the evil practice of dowry, but in this novel apart from the legal issues, the psychology of a woman has been shown very clearly. The novel describe the families that were broken due to the evil practice of dowry. The novelist puts before us another aspect of the dowry cases where section 498A was used by the female and her family against the male class which is absolutely wrong. The reason for the disintegration of Jatin and Tanvi's family is shown by the author to Tanvi's growing ambition and greedy tendencies of her maternal family. After getting the deserved amount of money in divorce from Jatin as compensation, Tanvi's family gets her married to a wealthylawyer, just double of her age,Mr.Sharma, where there is money but no pleasure. Mr. Sharma has a son Prityush of Tanvi's age and for him it was not easy to accept her as his new mother as she was younger than him. On the other hand Tanvi also enjoys the company of Prityush more than that of her husband Mr. Sharma. When she goes to the garments factory, she seems more interested in Prityush then business. Sherealises her own existence her 'real self', when Prityushcompliments her as 'looking gorgeous'. When she expresses her gratitude for this compliment, Prityush was compelled to think.His interior monologue perfectly depicts the psychological conflict which is going on in her mind:

It made him think of term 'real-self'-what does new mom mean with her 'real- self' ?Is she making him conscious of her physical beauty?Does he feel

attached with her?Is he fit enough to fill empty place in her life ? What does she expect from him?Should he appear smart to please her and get her complements? Was it the beginning of a new life for him too? Can he afford to avoid her presence in this house?

(498A :Fears and Dreams, pg 41.)

Another prominent female character in the same novel 498A Fears and Dreams is Anjula who falls prey to the lust of a lecherous person like Salil Shanti who kidnaps her and uses her as an object to satisfy his lust. Anjula finds herself in his clutches and sometimes she compares herself with Draupadi, the famous character of Mahabharat whose part she once played in a play , during her intermediate college life. Professor Vikas Sharma gives us a peep into the mind of Anjula as what is going on there, through her interior monologue:

She thought- who helped Draupadi at a critical juncture? What was her reaction as a trapped woman ? Was she not eager to take revenge from the Kauravas? Is a woman not supposed to defendherself ?How did Lord Krishna help her ?After all,Draupadi thought of self- dignity and only then reacted against Kauravas.Had she desired to please Duryodhanshe would have become a harlot like herself?

(498A: Fears and Dreams, pg.57-58)

Jay is an artist and a minor character in 498A :Fearsears and Dreams. As an artist Jay depicts the characters of literature in his paintings. His mind is also not free from conflicts. Many questions arise in his mind about characters in literature and legends. These questions are very natural to arise in the mind of an artist as it is the doubts and conflicts that separates anartist from a common man:

Jay tried to answer the questions such as-How does the artist feel inspired to produce a work of art? What is the relation between art and life? Is it enough to produce art only for the sake of art i.e.personal pleasure ? Or is it the duty of an artist to relate art with moral purpose?

Should each work of art answer the question- how to live? How many artists fail due to the lack of purposeful art ? How is visual art related with life? How does art remain insubstantial and artificial ? How can an artistbe forced to produce a work of art ? Is artist worried of his income from art pieces? Can realism be added to each work of art? Is art divine in character? How to point out relation between art and sex? Was Hindu artist Vatsyayan a real artist?How far has art bean successful in exposing socio-economic vices? Is art the right medium to reforms society? How long can an artist survive in isolation as Jay felt himself isolated in his apartment? Was he dead physically as well as emotionally?

(498A: Fears and Dreams, pg172.)

Hope AgainstHope is one such novel by Professor Vikas Sharma in which the author has presented the power of psyche in positive attitude. It is quite natural to have doubts and despair sometimes but on the basis of self confidence and positive attitude a person can achieve success even in adverse circumstances as if in the time of pandemic like Corona .Nanny, a major female character in the novel ,goes through a similar situation. After marriage with Jag Mohan Nanny faces continuous miscarriage. These mishaps one after the other take away her confidence and she is bed ridden. It seems that she has lost all hope for life. Insuch a time of despair many questions trouble her mind:

She asked herself - Why is it that there are two roads in life? Why does a man suffer for travelling the wrong side ? Why does life not give a second chance to improve oneself?Why is age a major factor,a big hindrance in her way?Why is life just a'yellow wood' instead of being full of spring flowers? P.B. Shelly said –'If winter comes can spring be far behind?'Is it really true?

(Hope Against Hope, pg. 169)

But after almost nine months of bed rest Nanny herself is reborn. She spent her time in reading good books of literature and philosophy which filled her with a new wisdom and enthusiasm for life . Nanny's spiritual and mental development shows that no matter how hopeless the situation is, a person can come out of it with the help of his confidence and self improvement. In the end Nanny gives Jag Mohan, a book written by herself to be published and surprises him. Nanny's mental strength gives her physical stamina as well and she becomes the mother of twins.

Ideas and Events, as its title suggests, is inspired by some ideas and the events that happen as the result of these ideas. Human psychology is a complex structure which is not easy to understand. Ideas and Events is inspired by the Gothic novel Frankenstein by Mary Shelly. In this novel Professor Vikas Sharma presented the story of two sisters Sandhya and Vindhya, with their psychological conflicts. Both sisters are unconventional and think ahead of their times. Dr. Sandhya is a surgeon and on the basis of her medical skills she decides to create an abnormal creature that is the mixture of science and necromancy. From human and animal organs, bones and skin she create a strange creature which she named as Youngestein That huge and horrible creature is asocial , amoral and uncontrollable like the Id or libido of human psyche, one of the three psychic zones as described by Sigmund freud. He is guided by the pleasure principle.Youngesteindoes such revolutionary deeds that a conflict between right and wrong rages within the mind of Dr Sandhya:

Now she forgot her ward and classes and fell down on her bed. What the hell have I done? She asked herself-
Was she the member of Devils party now?
What'll happen when she dies?
Will Youngestein n control her?

Who will have the remote control system?
How will I obey his orders?
Will she be losing her MS degree?
Will the medical college authorities punish her for this experiment?
Will there be a limited period of her life on earth like that of Dr Faustus? Will she be carried to help by Lucifer in a pitiable manner?
Why did Satan not give any warning in advance as given to Dr Faustus?
Will her monthly periods stop next month onwards?
Will she have to sleep with this abnormal man?
What would he eat vegetarian food or non vegetarian food? If he is non vegetarian it will create a problem in hostel mess.
What will the researchers her friends and teachers say seeing him?
What will her mother and sister feel seeing this Man?
(Ideas and Events, pg.43-44)

But Dr. Sandhya does not stop here and she create more superhuman figures as well. She also gives unnatural birth to an unnatural baby and name him as Piggu.This creature is very much hideous and horrifying like Calibanin TheTempest of Shakespeare. Professor Vikas Sharma brilliantly throws light on the unlimited possibilities of human mind but at the same time he warns of the harm caused by wrong experiments. Both the sisters , Dr. Sandhya and Vindhya have been caught up in the net of their own conflicts.

Ashes and fire is thoroughly a psychological and feministic novel by Professor Vikas Sharma. It is a story of Suvidha's mental struggle and her overcoming of difficulties. A major part of the novel describe the psychology of Suvidha. She goes through a lot of confusion, social taboos, hallucinations, daydreaming etc., after the death of her husband Samyak. There is a constant battle going on in her mind between morality and practicality. Many men come into her life and she also develops relationship with them. She is dutiful towards her three children but she cannot escape from the attraction of other men. She constantly oscillates between her duties and her attractions. Her father Seth Dinanathji helps her but also warns her to differentiate between right and wrong. Suvidha's stream of consciousness constantly has been presented in the form of her dreams and monologues one after the other in the novel. Her fear has been displayed by the novelist in the form of her dreams:

Again she felt exhausted on account of the journey and preferred to sleep rather than playing with children and narrating them short stories. But her sleep was disturbed by the spirit of Samyak who appeared in a horrible shape with the scattered hair, long teeth and nails pouncing upon her. The spirit ask her- ' why did she forget even his birthday and offered no donations on his death anniversary? How could she forget him while enjoying sex with other males? How could she ignore his mother in daily life? Why did she forget the seven promises that she made after having seven rounds of fire? How could she be proud of the code of conduct as a teacher? Was Shakespeare justified when he remarked-'Frailty! thy name is woman!' How could she be put in the category of Sita,Savitri and Damyanti? How long to fall and continue falling In the well of debenchery? How was she the custodian of the morals of children? Who take care of children if she fed the life of a slut? How would she control the people's tongue when they blame her for unethical deeds? Shame shame and shame!'
(***Ashes and Fire, pg. 118)***

Suvidha'ssecond marriage takes place with Ayush but it is again her bad luck that Ayush loses his mental balance and his deteriorating conditions forces Suvidha to rethink what her and her children's future will be like. The questions arising in the mind of Suvidha are not the questions of a week women as she is mentally very strong and self sufficient, but still she feels very upset.

The unpredictable conduct of Ayush made Suvidha think of her old age- Who will take care of her in old age? Will she have to leave Ghaziabad to settle in Varanasi or Haridwar and wait for death? Will her three children get disunited from each other in future? Has materialism shattered all family ties? Will she not be able to support her old father who has done a lot for her so far? Is old age a curse and not remarkable for wisdom and experience? Why did RubbiBenEzra call it the best period of life – 'The best is yet to be?'What is that best to happen next? So far all her material desires were mostly fulfilled by God, and now maybe she will be lost in a fog. Is spiritual growth possible in this life? How to seek self illumination?
(Ashes and Fire, pg.183)

In one of his informal talks given in 1907 Sigmundfri Freud depicts the relationship between the creative writer and daydreaming. He believe that human creativity is based either on the games played in childhood or erotic sentiments and experiences of youth. Whenever we see the creations of any artist , the source of inspiration for those creations , is somewhere in his past as the artist's personal experience lie somewhere in between. Sigmund Freud's connection between creativity and aesthetic experience is well visible in modern literature. A similar experience happens on reading Professor Vikas Sharma's novels where it seems that each and every character, somewhere on the basis of his or her personal experience, creates the web of life. The stories that come to us through his novels expose the psychology of his characters to us. None of the characters express themselves but their thinking makes them wrist watches with dial plates of transparent crystal which not only shows the time but also the inner working of their mind as their thinking is clearly displayed through the stream of

consciousness and this makes Professor Vikas Sharma the author of modern era and psychological novel.

References:-

1. Sharma,Vikas.Ashes and Fire, Diamond Pocket Books, New Delhi 2022.
2. Sharma, Vikas.498A:Fears and Dreams, Diamond Pocket Books, New Delhi, 2022.
3. Sharma,Vikas.Ideas and Events, Diamond Pocket Books, New Delhi ,2022.
4. Freud , Sigmund.The Interpretation of Dreams, Franz Deutickle , Leipzig and Vienna 1899.
5. Sharma ,Vikas. IASToday, Diamond Pocket Books , New Delhi, 2021.
6. Sharma, Dr.Vandana ,Critiquing the Novels of Vikas Sharma(ed.) Diamond Pocket Books New Delhi 2022.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XL

नीमच एवं मन्दसौर जिले के मध्य मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का तुलनात्मक अध्ययन

रुचि कण्डारा* डॉ. एल.एन. शर्मा**

* शोधार्थी (वाणिज्य) विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन (म.प्र.) भारत
** प्राचार्य एवं प्राध्यापक (वाणिज्य) राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मन्दसौर (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – वित्त व्यवसाय के विकास का आधार है। आधुनिक युग में किसी भी व्यवसाय एवं उद्योग की स्थापना से लेकर उसके संचालन तथा विकास हेतु वित्त की आवश्यकता होती है। वित्त उद्यमियों को जोखिमपूर्ण क्रियाएँ करने में सहायक होता है। जिस प्रकार एक इंजिन को चलाने के लिए कोयले, बिजली की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार व्यापार एवं उद्योग को स्थापित करने, संचालन करने तथा विकास करने के लिए वित्त की आवश्यकता होती है। स्वरोजगार हेतु सरकार द्वारा कई प्रकार की योजनाएँ संचालित की जा रही है. जिसके अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इन योजनाओं से जहाँ एक ओर शिक्षित बेरोजगारी की समस्या का निवारण होता है, वही दूसरी ओर देश के औद्योगिक व आर्थिक विकास में भी वृद्धि होती है।

'मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना' मधयप्रदेश शासन द्वारा संचालित एक ऐसी योजना है, जो मधयप्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों को स्वरोजगार स्थापित करने हेतु सहायता प्रदान करती है। इस योजना के अंतर्गत शिक्षित बेरोजगारों को अपना स्वयं का रोजगार स्थापित करने के लिए ऋण सहायता तथा मार्जिन मनी सहायता दी जाती है। यह योजना 01 अगस्त 2014 से प्रारंभ की गई है। इसमें उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र एवं व्यवसाय क्षेत्र में अलग-अलग ऋण सहायता तथा मार्जिन मनी (अनुदान सहायता) दी जाती है। इस योजना में शिक्षित बेरोजगारों को स्वरोजगार के लिए प्राथमिकता तथा विशेष रियायतें दी जाती है तथा उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का प्रयास किया जाता है।

शोध अध्ययन का उद्देश्य – किसी भी कार्य को करने के लिए उसके पीछे किसी उद्देश्य का होना आवश्यक है। ये उद्देश्य ही वे प्रेरक तत्व होते है, जो किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने हेतु प्रेरित करते है। बिना उद्देश्य का कार्य मानो बिना किसी गंतव्य स्थान के पते के यात्रा करने के समान होता है। शोध के क्षेत्र में उद्देश्य का महत्व और भी बढ़ जाता है। प्रत्येक शोधार्थी को अपने मस्तिष्क में अपने शोध के उद्देश्य स्पष्ट करने चाहिए, जिससे कि शोध कार्य अपने विषय से न भटके तथा और अधिक कुशलता से सम्पन्न हो पाए तथा जनहित में योगदान दे पाएं। अपने शोध में शोधार्थी किन कारणों का पता लगाना चाहता है तथा क्या खोजना चाहता है, यह उसे आरंभ से ही स्पष्ट रखना चाहिए तथा उन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए शोध को अंजाम देना चाहिए।

उपर्युक्त शोध-कार्य के प्रस्तुत करने के पीछे निम्नलिखित उद्देश्य है :-

1. उद्यमिता विकास की ओर सरकार की भूमिका की जानकारी प्राप्त करना।
2. समाज के सभी वर्गो को उद्यमिता के लाभ व आवश्यकता की जानकारी प्रदान करना।
3. उद्यमिता के विकास का एक विश्लेषणात्मक अध्ययन करना तथा इसके क्षेत्रों की जानकारी प्राप्त करना।
4. उद्यमिता विकास में बाधक साबित हो रहे कारकों का पता लगाना तथा उनके निराकरण के संभावित उपायो को खोजना।
5. शासन के द्वारा लाई जाने वाली नवीन नीतियों में सुधार हेतु जानकारी प्रदान करना।

शोध परिकल्पना – किसी भी समस्या के संबंध में जो हमारे प्रारंभिक विचार या सामान्य कल्पना होती है, उसे ही शोध क्षेत्र में उपकल्पना का नाम दिया जाता है। उपकल्पना को पूर्व विचार या पूर्व चिंतन भी कहा जाता है।

शोध अध्ययन के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु निम्न परिकल्पनाएँ शोध का आधार रही है :-

H_1 सरकार के द्वारा उद्यमिता विकास के लिए चलायी गयी रोजगार मूलक योजनाओं के द्वारा क्षेत्र में उद्योगों व व्यवसायों की संख्या बढ़ी है।

H_2 उद्यमिता विकास से संबंधित शासकीय योजनाओं का प्रचार स्पष्ट व प्रभावी रुप से किया जा रहा है।

H_3 उद्यमिता विकास के लिए चलाई जा रही शासकीय योजनाओं को नीमच एवं मंदसौर जिले के महिला एवं पुरुषों द्वारा समान रुप से अपनाया जा रहा है।

शोध प्रविधि :-

1. समंक संकलन– प्रस्तुत अध्ययन हेतु प्राथमिक तथा द्वितीयक आँकड़ों का संग्रहण किया गया तथा उनका विश्लेषण करके निष्कर्ष प्राप्त किए गए।

(अ)प्राथमिक समंक । (i) साक्षात्कार अनुसूची (ii) प्रश्नावली (iii अवलोकन (iv) समूह चर्चा

(इ) द्वितीयक समंक

2. तकनीक व उपकरण – प्रस्तुत शोध कार्य को सटीक व अधिक उपयोगी बनाने के लिए शोध एवं अनुसंधान की विभिन्न तकनीकों व उपकरणों को आवश्यकतानुसार उपयोग किया गया है,जिसमें कि साक्षात्कार, प्रश्नावली, अवलोकन, समूह चर्चा आदि का उपयोग किया गया है। द्वितीयक समंकों की सहायता से शोध को तुलनात्मक रुप से भी स्वजाँचित किया गया है। सांख्यिकीय रीतियों का प्रयोग कर परिकल्पनाओं की यथार्थता का परीक्षण किया गया है। शोध प्रतिवेदन का प्रभावी एवं

उपयोगी बनाने हेतु आँकड़ों का सारणीयन श्रेणीयन किया गया है तथा समय-समय पर ग्राफ्स तथा फोटोग्राफी का उपयोग कर तथ्यों का सरलीकरण किया गया है।

3. समंक का विश्लेषण एवं सांख्यिकीय रीतियों का प्रयोग – नीमच एवं मदंसौर जिले में उद्यमिता विकास से संबंधित रोजगारमूलक योजनाओं की जानकारी प्राप्त करने के पश्चात् समंकों का विश्लेषण करने हेतु समंकों का वर्गीकरण, श्रेणीकरण किया गया। उसके पश्चात् समंकों पर सांख्यिकीय रीतियों का प्रयोग करने हेतु शोध एवं अनुसंधान से संबंधित कम्प्यूटर सार्फ्टवेयर एस.पी.एस.एस. पैकेज का प्रयोग किया गया, जिससे कि संकलित आँकड़ों को आरेखीय प्रस्तुतिकरण में परिवर्तित किया जा सके। आँकड़ों का सारणीकरण भी किया गया।

शोध व्याख्या – मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना

1. योजना का नाम – मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना

2. योजना का प्रारम्भ – 01 अगस्त, 2014

3. योजना का उद्देश्य – योजना का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों के लिए स्वयं का उद्योग (विनिर्माण)/सेवा उद्यम स्थापित करने हेतु बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराना है। योजनांतर्गत हितग्राहियों को मार्जिन मनी सहायता, ब्याज अनुदान, ऋण गारण्टी एवं प्रशिक्षण का लाभ शासन द्वारा दिया जावेगा।

4. योजना का क्रियान्वयन – स्वरोजगार योजनाएं संचालित किए जाने वाले समस्त विभागों द्वारा इस योजना का संचालन अपने-अपने विभागीय अमले एवं बजट से किया जाएगा। स्वरोजगार योजना के वार्षिक लक्ष्य निर्धारण, समन्वय एवं क्रियान्वयन, संबंधी आँकडे एकत्र करने हेतु सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग नोडल विभाग होगा। इन निर्देशों के अन्तर्गत विभाग पूरक निर्देश जारी करेंगे।

5. पात्रता:

5.1 योजना का कार्यक्षेत्र संपूर्ण मध्यप्रदेश होगा (अर्थात योजना का लाभ उन्हीं उद्यमों को देय होगा, जो मध्यप्रदेश सीमा के अन्दर स्थापित हों)।

5.2 आवेदक :

5.2.1 मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।

5.2.2 न्यूनतम 5वीं कक्षा उत्तीर्ण हो (स्वप्रमाणीकरण के आधार पर)

5.2.3 आवेदन दिनांक को आयु 18 से 45 वर्ष के मध्य हो।

5.2.4 आय सीमा का कोई बंधान नहीं, परन्तु आवेदक का परिवार पहले से ही उद्योग/व्यापार क्षेत्र में स्थापित होकर आयकरदाता न हो।

5.2.5 किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्था/सहकारी बैंक का चूककर्ता/अशोधी (Defaulter) नहीं होना चाहिए।

5.2.6 यदि कोई व्यक्ति किसी शासकीय उद्यमी/स्वरोजगार योजना के अंर्तगत सहायता प्राप्त कर रहा हो, तो इस योजना के अंतर्गत पात्र नहीं होगा।

5.2.7 सिर्फ एक बार ही इस योजना के अन्तर्गत सहायता के लिए पात्र होगा।

5.3 योजना उद्योग/सेवा/व्यवसाय क्षेत्र की समस्त परियोजनायें जो (CGTMSE/CGFMU) अन्तर्गत बैंक ऋण गारंटी के लिए पात्र हैं, के लिए मान्य होगी, परन्तु समस्त प्रकार के वाहन, भैंस पालन, पशु पालन एवं कुक्कुट पालन संबंधी परियोजनाओं को पात्रता नहीं होगी।

6. वित्तीय सहायता:

6.1 इस योजना के अंतर्गत परियोजना लागत न्यूनतम रूपये 50 हजार से अधिकतम रुपये 10 लाख तक होगी।

6.2 (अ) सामान्य वर्ग के लिए परियोजना लागत का 15 प्रतिशत (अधिकतम रु. 1 लाख)

(ब) बी.पी.एल./अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर)/ महिला/ अल्पसंख्यक/ नि:शक्तजन हेतु परियोजना लागत का 30 प्रतिशत (अधिकतम रु. 2 लाख)

(स) अतिरिक्त प्रावधान –

1. विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति को परियोजना लागत का 30 प्रतिशत (अधिकतम रु. 3 लाख)
2. भोपाल गैस पीडित परिवार के सदस्यों को परियोजना लागत पर अतिरिक्त 20 प्रतिशत (अधिकतम रु. 1 लाख) की पात्रता है।

6.3 इस योजना के अंतर्गत परियोजना लागत पर 5 प्रतिशत की दर से तथा महिला उद्यमियों हेतु 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से, अधिकतम 7 वर्ष तक (अधिकतम रुपये 25 हजार प्रतिवर्ष)।

6.4 इस योजना के अंतर्गत गांरटी शुल्क प्रचलित दर पर अधिकतम 7 वर्ष तक देय होगी।

7. आवेदन प्रक्रिया :

7.1 आवेदक द्वारा एमपी ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र अथवा बैंक में आवश्यक सहपत्रों सहित प्रस्तुत किया जाएगा

7.2 सभी प्राप्त आवेदन पंजीबद्ध किये जावेंगे। पूर्ण/अपूर्ण आवेदन की सूचना 15 दिवस के अन्दर आवेदक को दी जाएगी।

7.3 आवेदक द्वारा प्रस्तावित गतिविधि की जनरल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (सामान्य वर्ग परियोजना प्रतिवेदन) तैयार कर आवेदन के साथ संलग्न की जावेगी।

8. आवेदन पत्रों का निराकरण :

8.1 सभी संबंधित विभागों में प्राप्त आवेदन पत्र 30 दिवस के अन्दर योजनान्तर्गत गठित विभागीय चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जावेगें।

8.2 विभागों को चयन समिति गठित करने का अधिकार होगा। विभागीय चयन समिति निम्नानुसार गठित होगी।

1)	संबंधित विभाग के जिला कार्यालय प्रमुख	– अध्यक्ष
2)	जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक/प्रतिनिधि	– सदस्य
3)	कोई एक प्रमुख राष्ट्रीयकृत बैंकों के जिला समन्वयक/प्रतिनिधि	– सदस्य
4)	सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम संस्थान, इन्दौर का प्रतिनिधि	– सदस्य
5)	परियोजना अधिकारी, जिला शहरी विकास अभिकरण/प्रतिनिधि	– सदस्य
6)	संबंधित बैंक के शाखा प्रबंधक/प्रतिनिधि	– सदस्य
7)	आई.टी.आई./पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रतिनिधि	– सदस्य
8)	संबंधित विभाग के योजना प्रभारी	–सदस्य–सचिव

8.3 विभागीय चयन समिति की अनुशंसा उपरांत प्रकरणों के निराकरण हेतु बैंकों को अग्रेषित किया जाएगा।

8.4 आवेदन पत्रों का निराकरण एवं समीक्षा के लिए निम्नानुसार जिला स्तरीय समीक्षा समिति गठित होगी :-

1)	कलेक्टर	– अध्यक्ष

2) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत – सदस्य
3) जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक – सदस्य
4) तीन प्रमुख राष्ट्रीयकृत बैंकों के जिला समन्वयक – सदस्य
5) सेडमेप/सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम संस्थान का प्रतिनिधि – सदस्य
6) परियोजना अधिकारी, जिला शहरी विकास प्राधिकरण – सदस्य
7) जिला रोजगार अधिकारी – सदस्य
8) संबंधित विभागों के जिला कार्यालय प्रमुख – सदस्य
9) महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र – समन्वयक

टीप– आवश्यक होने पर कलेक्टर किसी भी विभाग/ संस्था/बैंक के अधिकारी/प्रतिनिधि को समिति की बैठक में आवश्यकतानुसार बुला सकेंगे।

8.5 उद्योग/सेवा/व्यवसाय संबंधित इकाई के लिए गारण्टी, ऋण गारण्टी निधि योजना (CGTMSE/CGFMU) के माध्यम से दी जावेगी। अत: बैंक द्वारा किसी प्रकार की कोलेटरल सिक्योरिटी (Collateral Security) की मांग आवेदक से नहीं की जावेगी।

8.6 बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र क्रं. RBI/FIDD/2017-18/56 Master Direction FIDD-MSME & NFS -12/06-02-31/2017-18 दिनांक 24 जुलाई 2017 की कण्डिका 5.4 में बैंकिंग कोड्स एण्ड स्टेण्डर्ड बोर्ड ऑफ इण्डिया द्वारा निर्धारित अधिकतम समय सीमा (रु. 5 लाख तक का प्रकरण दो सप्ताह में रुपये 5 लाख से अधिक एवं रु. 25 लाख तक का प्रकरण तीन सप्ताह में तथा रु. 25 लाख से अधिक का प्रकरण छ: सप्ताह में) के अंतर्गत ही प्रकरणों का निराकरण किया जाना चाहिए।

8.7 प्रकरण स्वीकृति के 15 दिवस के अन्दर बैंक के द्वारा ऋण वितरण (disbursement) प्रारंभ किया जावेगा।

8.8 योजना के सुचारू रूप से क्रियान्वयन तथा सहायता प्राप्त उद्यमों की स्थापना, उद्यमियों की समस्याओं एवं अन्य विषय की समीक्षा जिला स्तरीय समीक्षा समिति के द्वारा की जावेगी।

9. प्रशिक्षण :

9.1 योजना अन्तर्गत ऋण स्वीकृति के पश्चात् उद्यमी के विकल्प पर उद्यमिता विकास प्रशिक्षण शासन के द्वारा दिया जावेगा। इस संबंध में पृथक से निर्देश जारी किए जावेंगे।

9.2 उद्यमिता विकास कार्यक्रम में पूर्व प्रशिक्षित आवेदक को इस योजना के अन्तर्गत पृथक से प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा, परन्तु आवश्यकता के आधार पर प्रशिक्षण की व्यवस्था की जावेगी।

10. मार्जिन मनी सहायता एवं ऋण अदायगी:

10.1 सामान्य वर्ग के लिये परियोजना लागत पर 15 प्रतिशत (अधिकतम रू. एक लाख) मार्जिन मनी सहायता हितग्राही को शासन की ओर से देय होगी तथा शेष मार्जिन मनी हितग्राही को स्वयं जमा करनी होगी।

10.2 बी.पी.एल./अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर)/महिला/अल्पसंख्यक/नि:शक्तजन हेतु परियोजना लागत का 30 प्रतिशत (अधिकतम रु. 2 लाख)

10.3 अतिरिक्त प्रावधान:

1) विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति को परियोजना लागत का 30 प्रतिशत (अधिकतम रु. 3 लाख)

2) भोपाल गैस पीड़ित परिवार के सदस्यों को परियोजना लागत पर अतिरिक्त 20 प्रतिशत (अधिकतम रु. एक लाख)

10.4 आरंभिक स्थगन (moratorium) की न्यूनतम अवधि 6 माह होगी।

10.5 आरंभिक स्थगन (moratorium) के बाद ऋण अदायगी 5 से 7 वर्षों के बीच होगी।

टीप– आस्थगन के संबंध में बैंकों के द्वारा प्रयास होगा कि वो अधिक से अधिक समय नियत करें लेकिन यह अवधि कम से कम 6 माह की अवश्य हो। अवधि के संबंध में बैंकों एवं हितग्राही द्वारा मिलकर तय किया जाना चाहिए और बैंकों के द्वारा यह प्रयास किया जाना चाहिए कि ऋण चुकाने की अवधि अधिक से अधिक हो अर्थात् 7 वर्ष तक हो।

11. वित्तीय प्रवाह :

11.1 बैंक द्वारा ऋण स्वीकृति के पश्चात् परियोजना लागत पर बैंक शाखा द्वारा मार्जिन मनी सहायता एवं ब्याज अनुदान की राशि क्लेम किया जावेगा। इस हेतु प्रदेश के लीड बैंकों के राज्य स्तरीय मुख्यालय पर पूल एकाउंट (Pool Account) खोलकर राशि अग्रिम तौर पर संबंधित विभाग द्वारा जमा की जाएगी। बैंक योजनांतर्गत राशि की प्रतिपूर्ति, प्रकरण संबंधित नोडल बैंक को भेजकर प्राप्त कर सकेंगे।

11.2 ऋण वितरण एवं इकाई स्थापित होने के पश्चात् उद्यमी द्वारा नियमित ऋण भुगतान किए जाने पर ब्याज अनुदान का क्लेम बैंकों द्वारा नोडल बैंक से त्रैमासिक आधार पर प्राप्त किया जाएगा।

11.3 ऋण गारंटी निधि योजना के अंतर्गत गारंटी शुल्क की प्रतिपूर्ति नोडल बैंक के माध्यम से संबंधित बैंक प्राप्त कर सकेंगे

12. परिभाषाएँ :

12.1 पूंजीगत लागत एवं कार्यशील पूंजी का योग परियोजना लागत है।

12.2 परियोजना की स्थापना में हितग्राही के अंशदान के रुप में शासन द्वारा प्रदत्त सुविधा, मार्जिन मनी सहायता कहलाती है।

12.3 परियोजना में उपयोग किये जाने वाले प्लांट एवं मशीनरी का मूल्य पूंजीगत लागत है। प्लांट एवं मशीनरी में किये गये निवेश से अभिप्रेत है, मशीनों और उद्योग द्वारा औद्योगिक निर्माण प्रक्रिया को चलाने के लिए आवश्यक उपकरणों में किया गया निवेश, मशीनों के परिवहन पर हुआ व्यय, मशीनों पर जीएसटी व अन्य कर (भूमि, भवन, औद्योगिक सुरक्षा उपकरण, जनरेटर सेट, प्रदूषण नियंत्रण उपकरण, अनुसंधान व विकास उपकरण, अतिरिक्त ट्रांसफार्मर, स्टोरेज टैंक, गोदाम और अग्निशमन उपकरणों में किये गये व्यय को छोड़कर)।

12.4 क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फण्ड फार माइक्रो एण्ड स्माल एन्टरप्राइजेस योजना (CGTMSE) अथवा क्रेडिट गारंटी फण्ड फार माइक्रो यूनिट्स (CGFMU) अंतर्गत शासन द्वारा प्रदत्त सुविधा गारण्टी शुल्क कहलाती है।

12.5 उद्यम प्रारंभ करने के 6 माह पश्चात्, ऋण वसूली की कार्यवाही को आरंभिक स्थगन (moratorium) कहलाती है।

13. परिवार से आशय :

13.6.1 आवेदक के अविवाहित होने पर माता–पिता एवं अविवाहित एवं आश्रित भाई–बहन से है।

13.6.2 आवेदक के विवाहित होने पर पति/पत्नी एवं आश्रित बच्चों से है।

संदर्भ – सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना एवं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, उद्योग संचालनालय, मध्यप्रदेश विंध्याचल भवन, भोपाल www.mpmsme.gov.in

नीमच एवं मंदसौर जिले में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना

नीमच एवं मंदसौर जिले में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का वर्गो के आधार पर तुलनात्मक अध्ययन वर्ष 2014-15 से 2018-19

तालिका 01 (अन्तिम पृष्ठ पर देखे)

सर्वेक्षित तालिका क्रं. 01 के आधार पर नीमच एचं मंदसौर जिले के मध्य मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का विभिन्न वर्गो (सामान्य, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति) केआधार पर, वर्ष 2014-15 से 2018-19 तक, तुलनात्मक अध्ययन करने पर निम्नलिखित बिंदु ज्ञात हुए है :-

1. नीमच एवं मंदसौर जिले के मध्य सामान्य वर्ग के हितग्राहियों की तुलना करने पर :-

i) वर्ष 2014-15 में योजना के अंतर्गत नीमच जिले में सामान्य वर्ग के 75 हितग्राही है, जबकि मंदसौर जिले में सामान्य वर्ग के 154 हितग्राही है अर्थात उक्त वर्ष में मंदसौर जिले में 74 हितग्राही अधिक है।

ii) वर्ष 2015-16 में योजना के अंतर्गत नीमच जिले में सामान्य वर्ग के 85 हितग्राही है, जबकि मंदसौर जिले में सामान्य वर्ग के 90 हितग्राही है अर्थात् उक्त वर्ष में मंदसौर जिले में 05 हितग्राही अधिक है।

iii) वर्ष 2016-17 में योजना के अंतर्गत नीमच जिले में सामान्य वर्ग के 99 हितग्राही है, जबकि मंदसौर जिले में सामान्य वर्ग के 244 हितग्राही है अर्थात् उक्त वर्ष में मंदसौर जिले में 145 हितग्राही अधिक है।

iv) वर्ष 2017-18 में योजना के अंतर्गत नीमच जिले में सामान्य वर्ग के 111 हितग्राही है, जबकि मंदसौर जिले में सामान्य वर्ग के 245 हितग्राही है अर्थात् उक्त वर्ष में मंदसौर जिले में 134 हितग्राही अधिक है।

v) वर्ष 2018-19 में योजना के अंतर्गत नीमच जिले में सामान्य वर्ग के 97 हितग्राही है, जबकि मंदसौर जिले में सामान्य वर्ग के 166 हितग्राही है अर्थात् उक्त वर्ष में मंदसौर जिले में 69 हितग्राही अधिक है।

वर्ष 2014-15 से 2018-19 तक के पाँच वर्षो में नीमच जिले में कुल 467 एवं मंदसौर जिले में कुल 899 सामान्य वर्ग के हितग्राही हुए है। अत: यह स्पष्टतया कहा जा सकता है कि नीमच जिले की तुलना में मंदसौर जिले में सामान्य वर्ग के 432 हितग्राहियों ने अधिक संख्या में योजना का लाभ उठाया है तथा नीमच एवं मंदसौर जिले में सामान्य वर्ग के कुल 1366 हितग्राहियों में नीमच जिले में 34.20 प्रतिशत तथा मंदसौर जिले में 65.0 प्रतिशत हितग्राही है। इस प्रकार मंदसौर जिले में 31.60 प्रतिशत हितग्राही अधिक है।

2. नीमच एवं मंदसौर जिले के मध्य अन्य पिछड़ा वर्ग के हितग्राहियों की तुलना करने पर :-

i) वर्ष 2014-15 में योजना के अंतर्गत नीमच जिले में अन्य पिछड़ा वर्ग के 129 हितग्राही है, जबकि मंदसौर जिले में अन्य पिछड़ा वर्ग के 190 हितग्राही है अर्थात् उक्त वर्ष में मंदसौर जिले में 61 हितग्राही अधिक है।

ii) वर्ष 2015-16 में योजना के अंतर्गत नीमच जिले में अन्य पिछड़ा वर्ग के 186 हितग्राही है, जबकि मंदसौर जिले में अन्य पिछड़ा वर्ग के 289 हितग्राही है अर्थात् उक्त वर्ष में मंदसौर जिले में 103 हितग्राही अधिक है।

iii) वर्ष 2016-17 में योजना के अंतर्गत नीमच जिले में अन्य पिछड़ा वर्ग के 175 हितग्राही है, जबकि मंदसौर जिले में अन्य पिछड़ा वर्ग के 216 हितग्राही है अर्थात् उक्त वर्ष में मंदसौर जिले में 41 हितग्राही अधिक है।

ऌीं) वर्ष 2017-18 में योजना के अंतर्गत नीमच जिले में अन्य पिछड़ा वर्ग के 223 हितग्राही है, जबकि मंदसौर जिले में सामान्य वर्ग के 231 हितग्राही है अर्थात् उक्त वर्ष में मंदसौर जिले में 08 हितग्राही अधिक है।

v) वर्ष 2018-19 में योजना के अंतर्गत नीमच जिले में अन्य पिछड़ा वर्ग के 167 हितग्राही है, जबकि मंदसौर जिले में अन्य पिछड़ा वर्ग के 172 हितग्राही है अर्थात् उक्त वर्ष में मंदसौर जिले में 05 हितग्राही अधिक है।

वर्ष 2014-15 से 2018-19 तक के पाँच वर्षो में नीमच जिले में कुल 880 एवं मंदसौर जिले में कुल 1098 अन्य पिछड़ा वर्ग के हितग्राही हुए है। अत: यह स्पष्टतया कहा जा सकता है कि नीमच जिले की तुलना में मंदसौर जिले में अन्य पिछड़ा वर्ग के 218 हितग्राहियों ने अधिक संख्या में योजना का लाभ उठाया है तथा नीमच एवं मंदसौर जिले में पिछड़ा वर्ग के कुल 1978 हितग्राहियों में नीमच जिले में 44.50 प्रतिशत तथा मंदसौर जिले में 55.50 प्रतिशत हितग्राही है। इस प्रकार मंदसौर जिले में 11 प्रतिशत हितग्राही अधिक है।

3. नीमच एवं मंदसौर जिले के मध्य अनुसूचित जाति के हितग्राहियों की तुलना करने पर :-

i) वर्ष 2014-15 में योजना के अंतर्गत नीमच जिले में अनुसूचित जाति के 34 हितग्राही है, जबकि मंदसौर जिले में अनुसूचित जाति के 41 हितग्राही है अर्थात् उक्त वर्ष में मंदसौर जिले में 07 हितग्राही अधिक है।

ii) वर्ष 2015-16 में योजना के अंतर्गत नीमच जिले में अनुसूचित जाति के 39 हितग्राही है, जबकि मंदसौर जिले में अनुसूचित जाति के 16 हितग्राही है अर्थात् उक्त वर्ष में नीमच जिले में 23 हितग्राही अधिक है।

iii) वर्ष 2016-17 में योजना के अंतर्गत नीमच जिले में अनुसूचित जाति के 33 हितग्राही है, जबकि मंदसौर जिले में अनुसूचित जाति के 26 हितग्राही है अर्थात् उक्त वर्ष में नीमच जिले में 07 हितग्राही अधिक है।

iv) वर्ष 2017-18 में योजना के अंतर्गत नीमच जिले में अनुसूचित जाति के 28 हितग्राही है, जबकि मंदसौर जिले में अनुसूचित जाति के 27 हितग्राही है अर्थात् उक्त वर्ष में नीमच जिले में 01 हितग्राही अधिक है।

v) वर्ष 2018-19 में योजना के अंतर्गत नीमच जिले में अनुसूचित जाति के 23 हितग्राही है, जबकि मंदसौर जिले में अनुसूचित जाति के 27 हितग्राही है अर्थात् उक्त वर्ष में मंदसौर जिले में 04 हितग्राही अधिक है।

वर्ष 2014-15 से 2018-19 तक के पाँच वर्षो में नीमच जिले में कुल 157 एवं मंदसौर जिले में कुल 137 अनुसूचित जाति के हितग्राही हुए है। अत: यह स्पष्टतया कहा जा सकता है कि मंदसौर जिले की तुलना में नीमच जिले में अनुसूचित जाति के 20 हितग्राहियों ने अधिक संख्या में योजना का लाभ उठाया है तथा नीमच एवं मंदसौर जिले में अनुसूचित जाति के कुल 294 हितग्राहियों में नीमच जिले में 53.40 प्रतिशत तथा मंदसौर जिले में 46.60 प्रतिशत युवा उद्यमी है। इस प्रकार नीमच जिले में 6.80 प्रतिशत हितग्राही अधिक है।

4. नीमच व मंदसौर जिले के मध्य अनुसूचित जनजाति के हितग्राहियों की तुलना करने पर :-

i) वर्ष 2014-15 में योजना के अंतर्गत नीमच जिले में अनुसूचित जनजाति के 00 हितग्राही है, जबकि मंदसौर जिले में अनुसूचित जनजाति के 04 हितग्राही है अर्थात् उक्त वर्ष में मंदसौर जिले में 04 हितग्राही अधिक है।

ii) वर्ष 2015-16 में योजना के अंतर्गत नीमच एवं मंदसौर जिले में अनुसूचित जनजाति के कोई भी हितग्राही नहीं है। अत: तुलना का परिणाम

शून्य है।

iii) वर्ष 2016-17 में योजना के अंतर्गत नीमच जिले में अनुसूचित जनजाति के 03 हितग्राही है, जबकि मंदसौर जिले में अनुसूचित जनजाति के 02 हितग्राही है अर्थात् उक्त वर्ष में नीमच जिले में 01 हितग्राही अधिक है।

iv) वर्ष 2017-18 में योजना के अंतर्गत नीमच जिले में अनुसूचित जनजाति के 04 हितग्राही है, जबकि मंदसौर जिले में अनुसूचित जाति के 04 हितग्राही है अर्थात् उक्त वर्ष में दोनों जिलों में तुलना का परिणाम बराबर है।

v) वर्ष 2018-19 में योजना के अंतर्गत नीमच जिले में अनुसूचित जनजाति के 02 हितग्राही है, जबकि मंदसौर जिले में अनुसूचित जनजाति के 03 हितग्राही है अर्थात् उक्त वर्ष में मंदसौर जिले में 01 हितग्राही अधिक है।

वर्ष 2014-15 से 2018-19 तक के पाँच वर्षो में नीमच जिले में कुल 09 एवं मंदसौर जिले में कुल 13 अनुसूचित जनजाति के हितग्राही हुए है। अत: यह स्पष्टतया कहा जा सकता है कि नीमच जिले की तुलना में मंदसौर जिले में अनुसूचित जनजाति के 04 हितग्राहियों ने अधिक संख्या में योजना का लाभ उठाया है तथा नीमच एवं मंदसौर जिले में अनुसूचित जनजाति के कुल 22 हितग्राहियों में नीमच जिले में 40.90 प्रतिशत तथा मंदसौर जिले में 59.10 प्रतिशत युवा उद्यमी है। इस प्रकार मंदसौर जिले में 18.20 प्रतिशत हितग्राही अधिक है।

5. नीमच एवं मंदसौर जिले के मध्य कुल हितग्राहियों की तुलना करने पर :-

i) वर्ष 2014-15 में योजना के अंतर्गत नीमच जिले में कुल 238 हितग्राही है, जबकि मंदसौर जिले में कुल 389 हितग्राही है अर्थात् उक्त वर्ष में मंदसौर जिले में कुल 151 हितग्राही अधिक है।

ii) वर्ष 2015-16 में योजना के अंतर्गत नीमच जिले में कुल 310 हितग्राही है, जबकि मंदसौर जिले में कुल 395 हितग्राही है अर्थात् उक्त वर्ष में मंदसौर जिले में कुल 85 हितग्राही अधिक है।

iii) वर्ष 2016-17 में योजना के अंतर्गत नीमच जिले में कुल 310 हितग्राही है, जबकि मंदसौर जिले में कुल 488 हितग्राही है अर्थात् उक्त वर्ष में मंदसौर जिले में कुल 178 हितग्राही अधिक है।

iv) वर्ष 2017-18 में योजना के अंतर्गत नीमच जिले में कुल 366 हितग्राही है, जबकि मंदसौर जिले में कुल 507 हितग्राही है अर्थात् उक्त वर्ष में मंदसौर जिले में कुल 141 हितग्राही अधिक है।

v) वर्ष 2018-19 में योजना के अंतर्गत नीमच जिले में कुल 289 हितग्राही है, जबकि मंदसौर जिले में कुल 368 हितग्राही है अर्थात् उक्त वर्ष में मंदसौर जिले में कुल 79 हितग्राही अधिक है।

वर्ष 2014-15 से 2018-19 तक के पाँच वर्षो में नीमच जिले में कुल 1513 हितग्राही एवं मंदसौर जिले में कुल 2147 हितग्राही हुए है। अत: यह स्पष्टतया कहा जा सकता है कि नीमच जिले की तुलना में मंदसौर जिले में कुल 634 हितग्राही अधिक रहे है तथा नीमच एवं मंदसौर जिले में कुल 3660 हितग्राहियों में नीमच जिले में 41.34 प्रतिशत तथा मंदसौर जिले में 58.66 प्रतिशत हितग्राही है। इस प्रकार मंदसौर जिले में 17.32 प्रतिशत हितग्राही अधिक है।

नीमच एवं मंदसौर जिले के मध्य कुल हितग्राहियों का अध्ययन
वर्ष 2014-15 से 2018-19
आरेख 01

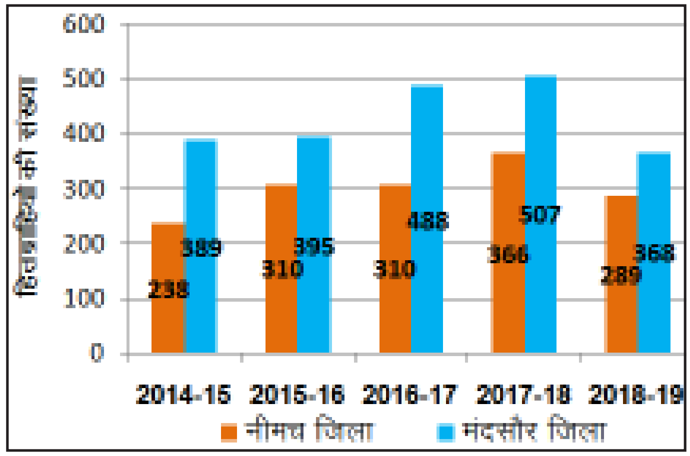

नीमच एवं मंदसौर जिले में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का बैंकों द्वारा स्वीकृत एवं वितरित राशि के आधार पर तुलनात्मक अध्ययन वर्ष 2014-15 से 2018-19

तालिका 02 अन्तिम पृष्ठ पर देखे)

सर्वेक्षित तालिका क्रं. 02 के आधार पर नीमच एवं मंदसौर जिले के मध्य मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का बैंकों द्वारा स्वीकृत एवं वितरित राशि के आधार पर, वर्ष 2014-15 से 2018-19 तक, तुलनात्मक अध्ययन करने पर निम्नलिखित बिंदु ज्ञात हुए है :-

1. नीमच एवं मंदसौर जिले के मध्य बैंकों द्वारा स्वीकृत राशि की तुलना करने पर :-

i) वर्ष 2014-15 में योजना के अंतर्गत नीमच जिले के हितग्राहियों के लिए बैंकों द्वारा 556 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है जबकि मंदसौर जिले के हितग्राहियों के लिए बैंकों द्वारा 764.52 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। अर्थात नीमच जिले की तुलना में मंदसौर जिले के हितग्राहियों के लिए 208.52 लाख रुपये अधिक स्वीकृत किए गए है।

ii) वर्ष 2015-16 में योजना के अंतर्गत नीमच जिले के हितग्राहियों के लिए बैंकों द्वारा 841.40 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है, जबकि मंदसौर जिले के हितग्राहियों के लिए बैंकों द्वारा 1026.32 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है अर्थात नीमच जिले की तुलना में मंदसौर जिले के हितग्राहियों के लिए 184.92 लाख रुपये अधिक स्वीकृत किए गए है।

iii) वर्ष 2016-17 में योजना के अंतर्गत नीमच जिले के हितग्राहियों के लिए बैंकों द्वारा 641.51 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है, जबकि मंदसौर जिले के हितग्राहियों के लिए बैंकों द्वारा 1149.44 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है अर्थात नीमच जिले की तुलना में मंदसौर जिले के हितग्राहियों के लिए 507.93 लाख रुपये अधिक स्वीकृत किए गए है।

iv) वर्ष 2017-18 में योजना के अंतर्गत नीमच जिले के हितग्राहियों के लिए बैंकों द्वारा 766.64 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है, जबकि मंदसौर जिले के हितग्राहियों के लिए बैंकों द्वारा 2807 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है अर्थात नीमच जिले की तुलना में मंदसौर जिले के हितग्राहियों के लिए 2040.36 लाख रुपये अधिक स्वीकृत किए गए है।

v) वर्ष 2018-19 में योजना के अंतर्गत नीमच जिले के हितग्राहियों के लिए बैंकों द्वारा 923 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है, जबकि मंदसौर जिले के हितग्राहियों के लिए बैंकों द्वारा 2368 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है अर्थात नीमच जिले की तुलना में मंदसौर जिले के

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XL

हितग्राहियों के लिए 1445 लाख रुपये अधिक स्वीकृत किए गए है।

वर्ष 2014-15 से 2018-19 तक के पाँच वर्षो में नीमच जिले के हितग्राहियों के लिए कुल 3728.55 लाख रुपये एवं मंदसौर जिले के हितग्राहियों के लिए कुल 8115.28 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। अत: यह स्पष्टतया कहा जा सकता है कि नीमच जिले की तुलना में मंदसौर जिले के हितग्राहियों के लिए 4386.73 लाख रुपये अधिक स्वीकृत किए गए है।

2. नीमच एवं मंदसौर जिले के मध्य बैंकों द्वारा वितरित राशि की तुलना करने पर :-

i) वर्ष 2014-15 में योजना के अंतर्गत नीमच जिले के हितग्राहियों के लिए बैंकों द्वारा 519 लाख रुपये की राशि वितरित की गई है, जबकि मंदसौर जिले के हितग्राहियों के लिए बैंकों द्वारा 764.52 लाख रुपये की राशि वितरित की गई है अर्थात नीमच जिले की तुलना में मंदसौर जिले के हितग्राहियों के लिए 245.52 लाख रुपये अधिक वितरित किए गए है।

ii) वर्ष 2015-16 में योजना के अंतर्गत नीमच जिले के हितग्राहियों के लिए बैंकों द्वारा 841.40 लाख रुपये की राशि वितरित की गई है, जबकि मंदसौर जिले के हितग्राहियों के लिए बैंकों द्वारा 1026.32 लाख रुपये की राशि वितरित की गई है अर्थात नीमच जिले की तुलना में मंदसौर जिले के हितग्राहियों के लिए 184.92 लाख रुपये अधिक वितरित किए गए है।

iii) वर्ष 2016-17 में योजना के अंतर्गत नीमच जिले के हितग्राहियों के लिए बैंकों द्वारा 627.72 लाख रुपये की राशि वितरित की गई है, जबकि मंदसौर जिले के हितग्राहियों के लिए बैंकों द्वारा 1149.44 लाख रुपये की राशि वितरित की गई है अर्थात नीमच जिले की तुलना में मंदसौर जिले के हितग्राहियों के लिए 521.72 लाख रुपये अधिक स्वीकृत किए गए है।

iv) वर्ष 2017-18 में योजना के अंतर्गत नीमच जिले के हितग्राहियों के लिए बैंकों द्वारा 725 लाख रुपये की राशि वितरित की गई है, जबकि मंदसौर जिले के हितग्राहियों के लिए बैंकों द्वारा 2150 लाख रुपये की राशि वितरित की गई है अर्थात नीमच जिले की तुलना में मंदसौर जिले के हितग्राहियों के लिए 1425 लाख रुपये अधिक वितरित किए गए है।

v) वर्ष 2018-19 में योजना के अंतर्गत नीमच जिले के हितग्राहियों के लिए बैंकों द्वारा 744 लाख रुपये की राशि वितरित की गई है, जबकि मंदसौर जिले के हितग्राहियों के लिए बैंकों द्वारा 2066 लाख रुपये की राशि वितरित की गई है अर्थात नीमच जिले की तुलना में मंदसौर जिले के हितग्राहियों के लिए 1322 लाख रुपये अधिक वितरित किए गए है।

वर्ष 2014-15 से 2018-19 तक के पाँच वर्षो में नीमच जिले के हितग्राहियों के लिए कुल 3457.12 लाख रुपये एवं मंदसौर जिले के हितग्राहियों के लिए कुल 7156.28 लाख रुपये की राशि वितरित की गई है। अत: यह स्पष्टतया कहा जा सकता है कि नीमच जिले की तुलना में मंदसौर जिले के हितग्राहियों के लिए 3399.16 लाख रुपये अधिक वितरित किए गए है।

3. नीमच एवं मंदसौर जिले के मध्य लक्ष्य प्राप्ति के प्रतिशत के आधार पर तुलना करने पर :-

i) वर्ष 2014-15 में योजना के अंतर्गत नीमच जिले में स्वीकृत राशि का 93.34 प्रतिशत वितरण किया गया है तथा मंदसौर जिले में स्वीकृत राशि का शत-प्रतिशत वितरण किया गया है अर्थात् मंदसौर जिले में लक्ष्य प्राप्ति का प्रतिशत 100 प्रतिशत है। अत: नीमच जिले की तुलना में मंदसौर जिले में लक्ष्य प्राप्ति का प्रतिशत अधिक है।

ii) वर्ष 2015-16 में योजना के अंतर्गत नीमच जिले में स्वीकृत राशि का शत-प्रतिशत वितरण किया गया है अर्थात् नीमच जिले में लक्ष्य प्राप्ति का प्रतिशत 100 प्रतिशत है तथा मंदसौर जिले में भी स्वीकृत राशि का शत-प्रतिशत वितरण किया गया है अर्थात् मंदसौर जिले में भी लक्ष्य प्राप्ति का प्रतिशत 100 प्रतिशत है। अत: उक्त दोनों जिलों में लक्ष्य प्राप्ति का प्रतिशत समान है।

iii) वर्ष 2016-17 में योजना के अंतर्गत नीमच जिले में स्वीकृत राशि का 97.85 प्रतिशत वितरण किया गया है, जबकि मंदसौर जिले में स्वीकृत राशि का शत-प्रतिशत वितरण किया गया है अर्थात् नीमच जिले की तुलना में मंदसौर जिले में लक्ष्य प्राप्ति का प्रतिशत 2.15 प्रतिशत अधिक है।

iv) वर्ष 2017-18 में योजना के अंतर्गत नीमच जिले में स्वीकृत राशि का 94.56 प्रतिशत वितरण किया गया है, जबकि मंदसौर जिले में स्वीकृत राशि का 76.59 प्रतिशत वितरण किया गया है अर्थात् मंदसौर जिले की तुलना में नीमच जिले में लक्ष्य प्राप्ति का प्रतिशत 17.97 प्रतिशत अधिक है।

v) वर्ष 2018-19 में योजना के अंतर्गत नीमच जिले में स्वीकृत राशि का 80.60 प्रतिशत वितरण किया गया है जबकि मंदसौर जिले में स्वीकृत राशि का 87.25 प्रतिशत वितरण किया गया है अर्थात् नीमच जिले की तुलना में मंदसौर जिले में लक्ष्य प्राप्ति का प्रतिशत 6.65 प्रतिशत अधिक है।

वर्ष 2014-15 से 2018-19 तक के पाँच वर्षो में नीमच जिले में लक्ष्य प्राप्ति का प्रतिशत 92.72 प्रतिशत रहा है जबकि मंदसौर जिले में लक्ष्य प्राप्ति का प्रतिशत 88.18 प्रतिशत रहा है। अत: यह स्पष्टतया कहा जा सकता है कि मंदसौर जिले की तुलना में नीमच जिले में लक्ष्य प्राप्ति का प्रतिशत 4.54 प्रतिशत अधिक रहा है, जबकि नीमच जिले की अपेक्षा मंदसौर जिले में हितग्राहियों की संख्या अधिक है।

नीमच एवं मंदसौर जिले के बैंकों के मध्य लक्ष्य प्राप्ति प्रतिशत का अध्ययन वर्ष 2014-15 से 2018-19

आरेख 02

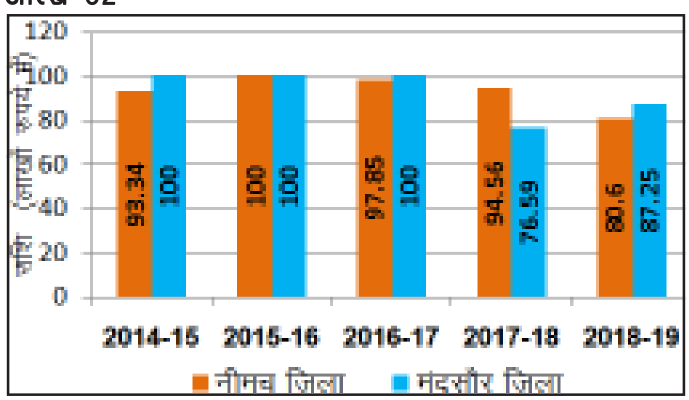

शोध के निष्कर्ष - मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के परिणाम एवं निष्कर्ष -प्रस्तुत शोध के अंतर्गत अध्याय चतुर्थ में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का वर्ष 2014-15 से 2018-19 तक नीमच एवं मंदसौर जिले में विभिन्न वर्गो के आधार पर, लिंग के आधार पर तथा बैंकों द्वारा स्वीकृत एवं वितरित राशि के आधार पर विस्तृत विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया है, जिनके परिणाम एवं निष्कर्ष इस प्रकार है :-

विभिन्न वर्गो के आधार पर नीमच जिले के परिणाम -वर्ष 2014-15

से वर्ष 2018-19 तक नीमच जिले में कुल 1513 हितग्राही मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत लाभान्वित हुए हैं, जिसमें :-

1) **वर्ष 2014-15** में कुल 238 हितग्राही हुए है, जिसमें 75 सामान्य वर्ग के, 129 पिछड़ा वर्ग के तथा 34 अनुसूचित जाति के लाभार्थी है। अनुसूचित जनजाति का कोई भी हितग्राही नहीं है।

2) इसी प्रकार **वर्ष 2015-16** में कुल 310 हितग्राहियों में से 85 लाभार्थी सामान्य वर्ग के, 186 लाभार्थी पिछड़ा वर्ग के तथा 39 लाभार्थी अनुसूचित जाति के है। वर्ष 2015-16 में अनुसूचित जनजाति के कोई भी लाभार्थी नहीं है।

3) **वर्ष 2016-17** में कुल 310 युवाओं ने नीमच जिले में योजना का लाभ उठाया है, जिसमें कि सामान्य वर्ग के 99, पिछड़ा वर्ग के 175, अनुसूचित जाति के 33 के तथा अनुसूचित जनजाति के 03 हितग्राहियों की भागीदारी रही है।

4) **वर्ष 2017-18** में जिले में कुल 366 हितग्राही हुए, जिसमें से 111 सामान्य वर्ग के, 223 पिछड़ा वर्ग के, 28 अनुसूचित जाति के तथा 04 अनुसूचित जनजाति के हितग्राही है।

5) **वर्ष 2018-19** में जिले में कुल 289 लाभार्थियों ने इस योजना का लाभ उठाया है, जिसमें 97 सामान्य वर्ग वर्ग के, 167 पिछड़ा वर्ग के, 23 अनुसूचित जाति के तथा 02 अनुसूचित जनजाति के हितग्राही है।

विभिन्न वर्गो के आधार पर नीमच जिले के निष्कर्ष - नीमच जिले में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत वर्ष 2014-15 से 2018-19 तक सबसे अधिक पिछड़ा वर्ग के 58.16 प्रतिशत युवाओं ने योजना का लाभ उठाया है तथा सामान्य वर्ग के 30.86 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति के 10.38 प्रतिशत युवाओं ने योजना का लाभ उठाया है परन्तु जिले में अनुसूचित जनजाति के हितग्राहियों की स्थिति विचारणीय व चिंताजनक रही है। योजना के पाँच वर्षो में अनुसूचित जनजाति के केवल 09 हितग्राही रहे है।

बैंकों द्वारा स्वीकृत एवं वितरित राशि के आधार पर नीमच जिले के परिणाम -

1) वर्ष 2014-15 के लिए 556 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई व 519 लाख रुपये का वितरण बैंकों द्वारा किया गया। अत: लक्ष्य प्राप्ति का प्रतिशत 94.34 रहा।

2) वर्ष 2015-16 में 841.40 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई जबकि बैंकों द्वारा 841.40 लाख रुपये का वितरण किया गया। अत: लक्ष्य प्राप्ति का प्रतिशत 100 रहा।

3) वर्ष 2016-17 के लिए 641.51 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई व 627.72 लाख रुपये का वितरण बैंकों द्वारा किया गया। अत: लक्ष्य प्राप्ति का प्रतिशत 97.85 रहा।

4) वर्ष 2017-18 के लिए 766.64 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई किंतु 725 लाख रुपये का वितरण बैंकों द्वारा किया गया। अत: लक्ष्य प्राप्ति का प्रतिशत 94.56 रहा।

5) वर्ष 2018-19 में बैंकों द्वारा स्वीकृत राशि 923 लाख रुपये थी, जबकि उक्त अवधि में 744 लाख रुपये ही हितग्राहियों को वितरित हो सके इस प्रकार लक्ष्य से 80.60 प्रतिशत ही राशि का वितरण हो पाया।

बैंकों द्वारा स्वीकृत एवं वितरित राशि के आधार पर नीमच जिले के निष्कर्ष - वर्ष 2014-15 से वर्ष 2018-2019 तक नीमच जिले में बैंकों द्वारा स्वीकृत राशि 3728.55 लाख रुपये स्वीकृत हुई किंतु 3457.12 लाख रुपये का ही वितरण बैंकों द्वारा किया गया। जो लक्ष्य का 92.72 प्रतिशत था।

विभिन्न वर्गो के आधार पर मन्दसौर जिले के परिणाम - वर्ष 2014-15 से वर्ष 2018-19 तक मंदसौर जिले में कुल 2147 हितग्राही मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत लाभान्वित हुए हैं, जिसमें :-

1) **वर्ष 2014-15** में कुल 389 हितग्राही हुए है, जिसमें 154 सामान्य वर्ग के, 190 पिछड़ा वर्ग के, 41 अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के 04 हितग्राही है।

2) **वर्ष 2015-16** में कुल 395 लाभार्थियों में से 90 लाभार्थी सामान्य वर्ग के, 289 लाभार्थी पिछड़ा वर्ग के तथा 16 लाभार्थी अनुसूचित जाति के है। वर्ष 2015-16 में अनुसूचित जनजाति के कोई भी लाभार्थी नहीं है।

3) **वर्ष 2016-17** में कुल 488 युवाओं ने नीमच जिले में योजना का लाभ उठाया है, जिसमें कि सामान्य वर्ग के 244, पिछड़ा वर्ग के 216, अनुसूचित जाति के 26 तथा अनुसूचित जनजाति के 02 हितग्राहियों की भागीदारी रही है।

4) **वर्ष 2017-18** में जिले में कुल 507 हितग्राही हुए, जिसमें से 245 सामान्य वर्ग के, 231 पिछड़ा वर्ग के, 27 अनुसूचित जाति के तथा 04 अनुसूचित जनजाति के हितग्राही है।

6) **वर्ष 2018-19** में जिले में कुल 368 लाभार्थियों ने इस योजना का लाभ उठाया है, जिसमें 166 सामान्य वर्ग के, 172 पिछड़ा वर्ग के, 27 अनुसूचित जाति के तथा 03 अनुसूचित जनजाति के हितग्राही है।

विभिन्न वर्गो के आधार पर मन्दसौर जिले के निष्कर्ष - मन्दसौर जिले में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत वर्ष 2014-15 से 2018-19 तक सबसे अधिक पिछड़ा वर्ग के 51.14 प्रतिशत युवाओं ने योजना का लाभ उठाया है तथा सामान्य वर्ग के 41.87 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति के 6.38 प्रतिशत युवाओं ने योजना का लाभ उठाया है परन्तु जिले में अनुसूचित जनजाति के हितग्राहियों की स्थिति विचारणीय व चिंताजनक रही है। योजना के पाँच वर्षो में अनुसूचित जनजाति के केवल 13 हितग्राही रहे है।

बैंकों द्वारा स्वीकृत एवं वितरित राशि के आधार पर मन्दसौर जिले के परिणाम -

1) वर्ष 2014-15 के लिए 764.52 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई व 764.52 लाख रुपये का ही वितरण बैंकों द्वारा किया गया। अत: उक्त वर्ष में लक्ष्य प्राप्ति का प्रतिशत 100 रहा।

2) वर्ष 2015-16 में 1026.32 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई व बैंकों द्वारा 1026.32 लाख रुपये का वितरण किया गया। अत: उक्त वर्ष में लक्ष्य प्राप्ति का प्रतिशत 100 रहा।

3) वर्ष 2016-17 के लिए 1149.44 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई व 1149.44 लाख रुपये का वितरण बैंकों द्वारा किया गया। अत: उक्त वर्ष में लक्ष्य प्राप्ति का प्रतिशत 100 रहा।

4) वर्ष 2017-18 के लिए 2807 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई किंतु 2150 लाख रुपये का वितरण बैंकों द्वारा किया गया। अत: उक्त वर्ष में लक्ष्य प्राप्ति का प्रतिशत 76.59 रहा।

5) वर्ष 2018-19 में बैंकों द्वारा स्वीकृत राशि 2368 लाख रुपये थी जबकि उक्त अवधि में 2066 लाख रुपये ही हितग्राहियों को वितरित हो

सके इस प्रकार लक्ष्य से 87.25 प्रतिशत ही राशि का वितरण हो पाया।

बैंकों द्वारा स्वीकृत एवं वितरित राशि के आधार पर मन्दसौर जिले के निष्कर्ष – वर्ष 2014-15 से वर्ष 2018-2019 तक मन्दसौर जिले में बैंकों द्वारा स्वीकृत राशि 8115.28 लाख रुपये स्वीकृत हुई किंतु 7156.28 लाख रुपये का ही वितरण बैंकों द्वारा किया गया। जो लक्ष्य का 88.18 प्रतिशत था।

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की समस्याएँ :

1. जिला उद्योग केंद्र व बैंकों के अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा आवेदकों से रुखा व्यवहार किया जाता है, उन्हें प्रोत्साहित करने के बजाय बार-बार बुलाना, चिढ़कर जवाब देना, टालमटोली करना आदि के द्वारा हतोत्साहित किया जाता है।

2. हितग्राहियों को कम्प्यूटर का व नयी तकनीक का अल्प ज्ञान होने के कारण ऑनलाईन आवेदन करने में समस्या आती है जिस हेतु जिला उद्योग केंद्र द्वारा हेल्पडेस्क उपलब्ध नहीं कराई जाती है।

3. जो हितग्राही स्वयं से ऑनलाईन आवेदन करना चाहते है लेकिन आवेदन का प्रारुप जटिल होने के कारण वे आवेदन पूर्ण नहीं कर पाते है।

4. परियोजना प्रतिवेदन स्वीकृत करने में जिला उद्योग केंद्र द्वारा काफी समय लगाया जाता है तथा इसके कारण हितग्राहियों को बार-बार जिला उद्योग केंद्र से चक्कर लगाने पड़ते है।

5. परियोजना प्रतिवेदन स्वीकृत करने के पश्चात् जिला उद्योग केंद्र का कार्य पूरा हो जाता है। उनके द्वारा आगे की प्रक्रिया जैसे कि बैंकों द्वारा लोन स्वीकृत करवाने, उद्यम स्थापित करवाने व उसे सफलतापूर्वक संचालित करवाने में कोई भी सहायता प्रदान नहीं की जाती है। जिसके कारण हितग्राहियों को बैंकों के भी चक्कर लगाने पड़ते है।

6. जिला उद्योग केंद्र एवं बैंकों द्वारा हितग्राहियों को आवेदन के साथ लगाये जाने वाले आवश्यक प्रपत्रों की जानकारी एक ही बार में नहीं दी जाती है तथा हर बार उनसे किसी भी अन्य प्रपत्र की मांग कर ली जाती है, जिसके कारण वे हताश व मानसिक रुप से परेशान हो जाते है।

7. योजना में स्वीकृत ऋण के ऊपर मिलने वाली छूट/सब्सिडी का लाभ आवेदकों को समय पर नहीं मिलता है, जिसके कारण उन्हें अतिरिक्त ब्याज भरना पड़ता है तथा कई बार बैंक के और कुछ विशिष्ट प्रकरणों में बैंक मुख्यालय के भी चक्कर लगाने पड़ते है।

8. कई बार बैंक द्वारा आवेदकों की मजूबरी का फायदा उठाते हुए ऋण देने के एवज में कई अन्य योजनाओं की पालिसी अथवा कई प्रकार के बीमें करवाने का दबाव बनाया जाता है, जिससे हितग्राही के ऊपर आर्थिक भार बढ़ जाता है।

9. कई बार जिला उद्योग केंद्र व बैंकों में आवेदकों के बीच पक्षपात किया की स्थिति भी देखी जाती है। जैसे – धनी वर्ग को, सम्पन्न वर्ग को , राजनैतिक प्रभाव के कारण एक पक्ष के लिए प्रक्रिया अत्यन्त सरल कर दी जाती है लेकिन वहीं दूसरी ओर ग्रामीण पृष्ठभूमि या अन्य कमजोर वर्ग के आवेदकों को हीनभावना से देखा जाकर उनके साथ उचित व्यवहार नहीं किया जाता है।

10. कुछ प्रकरणों में जिला उद्योग केंद्र व बैंकों के कर्मचारियों द्वारा रिश्वत सीधे तौर पर नहीं लेकर दलाल या बिचौलियों के माध्यम से ली जाती है, जिससे हितग्राही या आवेदक पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

11. महिला आवेदकों के पक्ष से देखा जाएं तो यह प्रक्रिया अत्यन्त जटिल है।

12. शासन द्वारा निर्धारित समय-सीमा के मानदण्डों पर योजना का क्रियान्वयन नहीं होता है। जिला उद्योग केंद्र व बैंकों द्वारा अधिक समय लिया जाता है।

13. जिला उद्योग केंद्र व बैंकों के द्वारा शासन द्वारा संचालित योजनाओं के प्रचार-प्रसार में कमी देखी गई है, जिसके कारण आम जनता में सूचना के अभाव के कारण वे योजना का लाभ नहीं उठा पाते है।

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के सुझाव :

1. जिला उद्योग केंद्र व बैंकों के अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा आवेदकों के साथ सद्भाव एवं शिष्टाचारपूर्ण व्यवहार किया जाना चाहिए, उन्हें बार-बार बुलाना, चिढ़कर जवाब देना, टालमटोली करना आदि न करके उन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए एवं प्रत्येक आवेदक की समस्या को गंभीरता से सुनकर, समझकर उचित कार्यवाही की जाना चाहिए।

2. परियोजना प्रतिवेदन तैयार करवाने हेतु चार्टर्ड अकाउण्टेण्ट जिला उद्योग केंद्रों द्वारा ही नियुक्त किया जाना चाहिए एवं आवेदकों हेतु उसका न्यूनतम निश्चित शुल्क निर्धारित किया जाना चाहिए, जिससे कि आवेदकों के धन व समय के अपव्यय की रोक हो।

3. जिला उद्योग केंद्र द्वारा हेल्पडेस्क उपलब्ध कराई जानी चाहिए एवं आवेदन जिला उद्योग केंद्रों पर ही भरवाये जाने चाहिए।

4. आवेदन का प्रारुप सरल किया जाना चाहिए ताकि जो आवेदक स्वयं से ऑनलाईन आवेदन करना चाहते है, वो आसानी से आवेदन कर सके।

5. परियोजना प्रतिवेदन को जिला उद्योग केंद्र द्वारा कम से कम समयावधि में स्वीकृत किया जाना चाहिए है तथा आवेदन की स्थिति की जानकारी समय-समय पर आवेदक के मोबाईल पर मैसेज या व्हाट्सएप या कॉल पर दी जानी चाहिए जिससे की बार-बार जिला उद्योग केंद्र से चक्कर लगाने से बच सके।।

6. परियोजना प्रतिवेदन स्वीकृत करने के पश्चात् भी जिला उद्योग केंद्रों को अपनी भागीदारी की सीमा को बढ़ाना चाहिए। प्रतिवेदन स्वीकृत होने के पश्चात् आवेदक को बैंक से समय पर ऋण मिल जाए इसमें भी आवेदक की सहायता करनी चाहिए तथा आवेदक के उद्यम स्थापित कर उसे सफलतापूर्वक संचालित करने तक जिला उद्योग केंद्र को सहायता प्रदान करनी चाहिए।

7. मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में यह स्पष्टतया: व्यक्त है कि बैंक द्वारा किसी प्रकार की कोलेटरल सिक्यूरिटी की मांग आवेदक से नहीं की जावेगी परंतु कोई भी बैंक बिना गारण्टी अथवा कोलेटरल सिक्यूरिटी के ऋण स्वीकृत नहीं करता है। अत: इस संबंध में बैंकों के द्वारा शासन द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।

8. जिला उद्योग केंद्र एवं बैंकों द्वारा आवेदकों को आवेदन के साथ लगाये जाने वाले आवश्यक प्रपत्रों की जानकारी अथवा सूची व्यक्तिगत रुप से दी जाना चाहिए। जिससे कि आवेदक बार-बार बैंकों एवं जिला उ़द्योग केंद्र के चक्कर लगाने से बच सके।

9. योजना में स्वीकृत ऋण के ऊपर मिलने वाली छूट/सब्सिडी का लाभ आवेदकों को समय पर मिलना चाहिए ।

10. जिला उद्योग केंद्रों व बैंकों द्वारा नये उद्यमियों को ऋण देने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। नये उद्योगों को प्राथमिकता देनी चाहिए।

11. कई बार बैंक ऋण देने के एवज में कई अन्य योजनाओं की पालिसी

अथवा कई प्रकार के बीमे करवाने का दबाव बनाया जाता है जो बंद किया जाना चाहिए।

12. जिला उद्योग केंद्र व बैंकों में आवेदकों के बीच किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं किया जाना चाहिए। सभी के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए तथा शासन की योजनाओं का सम्मानपूर्वक संचालन किया जाना चाहिए।

13. कुछ प्रकरणों में जिला उद्योग केंद्र व बैंकों के कर्मचारियों द्वारा रिश्वत सीधे तौर पर नहीं लेकर दलाल या बिचौलियों के माध्यम से ली जाती है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करते हुए पाया जाए, उसे विधि द्वारा यथोचित दण्ड दिया जाना चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. जी. एस. सुधा, 'व्यावसायिक उद्यमिता', 2007 रमेश बुक डिपों, जयपुर
2. डॉ. यू. सी. गुप्ता, डॉ. एल. डी. गुप्ता, संस्करण 2006, 'उद्यमिता विकास', कैलाश पुस्तक सदन, हमीदिया मार्ग, भोपाल (म.प्र.)
3. सुक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास द्वारा संचालित MYUY's/ MSY उद्योग संचालनालय, म.प्र.
4. Madhya Pradesh journal of Social Sciences. ISSN 0973-855X (National)
5. Pacific Business Review. ISSN 0974-438X (International)
6. www.nssresearchjournal.com
7. www.dssresearchjournal.com
8. https://msme.gov.in
9. www.inflibnet.ac.in
10. www.mpinfo.org

नीमच एवं मंदसौर जिले में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का वर्गो के आधार पर तुलनात्मक अध्ययन वर्ष 2014-15 से 2018-19 तालिका 01

नीमच जिला							मन्दसौर जिला						
क्रं.	**वर्ष**	**सामान्य**	**पिछड़ा वर्ग**	**अनु. जाति**	**अनु.जन जाति**	**कुल हितग्राही**	**क्रं.**	**वर्ष**	**सामान्य**	**पिछड़ा वर्ग**	**अनु. जाति**	**अनु.जन जाति**	**कुल हितग्राही**
1	2014-15	75	129	34	-	**238**	1	2014-15	154	190	41	4	**389**
2	2015-16	85	186	39	-	**310**	2	2015-16	90	289	16	-	**395**
3	2016-17	99	175	33	3	**310**	3	2016-17	244	216	26	2	**488**
4	2017-18	111	223	28	4	**366**	4	2017-18	245	231	27	4	**507**
5	2018-19	97	167	23	2	**289**	5	2018-19	166	172	27	3	**368**
	कुल	**467**	**880**	**157**	**9**	**1513**		**कुल**	**899**	**1098**	**137**	**13**	**2147**

स्त्रोत :- जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, नीमच एवं मंदसौर

नीमच एवं मंदसौर जिले में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का बैंकों द्वारा स्वीकृत एवं वितरित राशि के आधार पर तुलनात्मक अध्ययन वर्ष 2014-15 से 2018-19 तालिका 02

नीमच जिला				मन्दसौर जिला			
वर्ष	**बैंक द्वारा स्वीकृत राशि(लाखों में)**	**बैंक द्वारा वितरित राशि(लाखों में)**	**लक्ष्य प्राप्ति का प्रतिशत**	**वर्ष**	**बैंक द्वारा स्वीकृत राशि(लाखों में)**	**बैंक द्वारा वितरित राशि(लाखों में)**	**लक्ष्य प्राप्ति का प्रतिशत**
2014-15	556	519	93.34	2014-15	764.52	764.52	100
2015-16	841.40	841.40	100	2015-16	1026.32	1026.32	100
2016-17	641.51	627.72	97.85	2016-17	1149.44	1149.44	100
2017-18	766.64	725	94.56	2017-18	2807	2150	76.59
2018-19	923	744	80.60	2018-19	2368	2066	87.25
कुल	**3728.55**	**3457.12**	**92.72**	**कुल**	**8115.28**	**7156.28**	**88.18**

स्त्रोत :- जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, नीमच एवं मंदसौर

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XL

Sexual Harassment of Women in India: The Characteristics of a Pervasive Workplace

Madhavi Patkar* Dr. Neelesh Sharma**

*PhD Scholar (Law) Rabindranath Tagore University, Raisen (M.P.) INDIA
** Dean, Institute o f Law (Law) Rabindranath Tagore University, Raisen (M.P.) INDIA

Abstract - Violence against women in India has assumed terrifying proportions, both within the family and outside. In the family the women are often subjected to all forms of domestic violence, harassment for dowry, and sometimes rape. Outside the family she is subjected to rape, molestation, and sexual harassment at work, among other forms of violence.[1]

Introduction - The Indian constitution has always ensured for protection of women. Article 14, 15 16, 42, 51-A (e) provides a framework for the protection of women from unnecessary encroachments including sexual harassment at workplace. Article 14 deals with right to equality, Article 15 deals with prohibition of discrimination on grounds of religion, race, caste, sex, or place of birth, Article 16 deals with equality of opportunity in matters of employment, Article 42 provides for just and humane conditions of work and maternity relief and 51-A (e) obliges every citizen to renounce practices derogatory to women.

In NILABATIBEHRA V. STATE OF ORISSA,[2] the Supreme Court said that there is no reason why international instruments cannot be used for construing the fundamental rights expressly guaranteed in the Constitution of India which embody the basic concept of gender equality in all spheres of human activity.

In VISHAKA V. STATE OF RAJASTHAN,[3] the Supreme Court said that in absence of enacted law to provide to provide for the effective enforcement of the basic human rights of gender equality and guarantee against sexual harassment and abuse, we lay down the guidelines and norms for due observation at all workplaces and other institutions until a legislation is passed for the purpose.

The case was concerned with the incident of brutal gang rape of a social worker in village of Rajasthan. Therefore, a writ petition was presented for the enforcements or rights under Articles 14, 15, and 21. The important prayer from the side of petitioner was prevention of sexual harassment of working women in all workplaces through judicial process and filling the gap in the existing legislation.

The **Guidelines**[4] prescribed are as under

1. Duty of the Employer or other responsible persons in work places and other institutions:

It shall be the duty of the employer or other responsible persons in work places or other institutions to prevent or deter the commission of acts of sexual harassment and to provide the procedures for the resolution, settlement or prosecution of acts of sexual harassment by taking all steps required.

2. Definition: For this purpose, sexual harassment includes such unwelcome sexually determined behaviour (whether directly or by implication) as:

(a.) Physical contact and advances;
(b.) A demand or request for sexual favours;
(c.) Sexually coloured remarks;
(d.) Showing pornography;
(e.) Any other unwelcome physical verbal or non-verbal conduct of sexual nature.

3. Preventive Steps: All employers or persons in charge of work place whether in the public or private sector should take appropriate steps to prevent sexual harassment.

4. Criminal Proceedings: Where such conduct amounts to a specific offence under the Indian Penal Code or under any other law the employer shall initiate appropriate action in accordance with law by making a complaint with the appropriate authority.

In particular, it should ensure that victims or witnesses are not victimized or discriminated against while dealing with complaints of sexual harassment. The victims of sexual harassment should have the option to seek transfer of the perpetrator or their own transfer.

5. Disciplinary Action: Where such conduct amounts to mis-conduct in employment as defined by the relevant service rules, appropriate disciplinary action should be initiated by the employer in accordance with those rules.

6. Complaint Mechanism: Whether or not such conduct constitutes an offence under law or a breach of the service rules, an appropriate complaint mechanism should be created in the employer's organization for redress of the

complaint made by the victim. Such complaint mechanism should ensure time bound treatment of complaints.

7. Complaints Committee: The complaint mechanism, referred to in (6) above, should be adequate to provide, where necessary, a Complaints Committee, a special counsellor or other support service, including the maintenance of confidentiality.

The Complaints Committee should be headed by a woman and not less than half of its member should be women.

Further, to prevent the possibility of any under pressure or influence from senior levels, such Complaints Committee should involve a third party, either NGO or other body who is familiar with the issue of sexual harassment.

The Complaints Committee must make an annual report to the government department concerned of the complaints and action taken by them. The employers and person in charge will also report on the compliance with the aforesaid guidelines including on the reports of the Complaints Committee to the Government department.

8. Workers' Initiative: Employees should be allowed to raise issues of sexual harassment at workers meeting and in other appropriate forum and it should be affirmatively discussed in Employer-Employee Meetings.

9. Awareness: Awareness of the rights of female employees in this regard should be created in particular by prominently notifying the guidelines (and appropriate legislation when enacted on the subject) in suitable manner.

10. Third party harassment: Where sexual harassment occurs as a result of an act or omission by any third party or outsider, the employer and person in charge will take all steps necessary and reasonable to assist the affected person in terms of support and preventive action.

11. Private Sector: The Central/State Governments are requested to consider adopting suitable measures including legislation to ensure that the guidelines laid down by this order are also observed by the employers in Private Sector.

12. Rights under protection of Human Rights Act, 1993: These guidelines will not prejudice any rights available under the Protection of Human Rights Act, 1993. Although these guidelines have been welcomed by women's organisations and women's group, they have also been criticized.[5] One of the criticisms is that they do not apply to self-employed and unorganised sectors. Another criticism being unbinding nature.

Sexual Harassment Of Women At Workplace (Prevention, Prohibition And Redressal) Act, 2013: This Act has passed a long journey before its enforcement on 22 April, 2013. It deals with different aspects which may come forward while dealing with sexual harassment at workplace. The major features of the Act are as follows:

1. Purpose of Act is to provide protection against sexual harassment of woman at workplace and redressal of complaints of sexual harassment.
2. Act is applicable to the entire territory of India.
3. Aggrieved women means woman of any age whether employed or not employed who is subjected to any act of sexual harassment- The definition of aggrieved women is defined in wider sense. Therefore victim of sexual harassment may be either employed woman or non employed woman who is present at the workplace.
4. This protection is available even in for the woman worker who is working in domestic house or dwelling house.
5. Work place has been defined in very widest sense; it includes work place in government, private, NGO, co-operative society, trust, sports, stadium, education, entrainment, hospitals, industry, complex, service provider and dwelling house. It includes the place of production, supply, sale, distribution or service.
6. Sexual harassment means any acts of the following unwelcome acts of physical contract and advances, a demand or request for sexual favours, making sexually colored remarks, showing pornography, and any other unwelcome physical or verbal act.
7. Every employer of workplace shall constitute Internal Complaints Committee (ICC) at every unit of workplace.
8. Chairperson of ICC will be senior most woman worker of the workplace, not less than two persons who are committed to the cause of woman or social work, one member from the non-governmental organization. Woman should constitute 50/ percentage of overall committee members.
9. Any District Magistrate, Collector or Deputy Collector may be appointed as District officer for District under this Act.
10. District officer shall Constitute Local Complaints Committee. Chairperson of LCC is eminent women in the field of social work related cause of women. One member from taluk level, two members from non-governmental organization, at least one member should have the knowledge of law, and at least one member should be from the schedule cast or tribe or backward community or minority. Social welfare officer is ex officio member of Committee.
11. LCC will entrain complaints of sexual harassment where employer has not constituted ICC or complaint of sexual harassment is against the employer himself.
12. Any aggrieved woman has to make complaint in writing before ICC, if not constituted before LCC, within three months from the date of incidence. Delay can be condoned by the Committee. The Committee shall complete the enquiry within period of 90 days from the date of filling complaint.
13. Committee can conduct the conciliation at the instance of aggrieved woman. If compromise is reached, committee shall not conduct the enquiry of complaint. However the employer is failed to honour compromise, the committee may conduct the enquiry. During the enquiry, if it is found that employee has committed the act of sexual harassment, the committee shall make complaint to the police within

seven days from its finding and recommend to the employer to take action against employee.

14. Committee has the power of civil court to conduct enquiry. Committee during enquiry may recommend the transfer of aggrieved woman or employee; even woman may be given three months leaving also. These three months leave in addition with other leave. Employer shall implement these recommendations.

15. All the names of the parties are kept in confidence and cannot be disclosed even under the Right to information Act.

16. Any amount payable to the woman is deductible from the salary of employee, if employee has already resigned, then it is recoverable from him. The amount is recoverable as land revenue. District Collector shall initiate the recovery of land revenue within 60 days from the date of receipt of order from committee.

17. The committee is empowered to recommend punitive measures to employer against woman who has made false and malicious complaint. Even it can punish the person who has given false evidence or produced forged document during the enquiry.

18. Employer, who fails to constitute Committee or fails to implement the recommendations of committee, may be punished to the extent of Rs 50000 fine. Further if he commits non-compliance second time he may be fined to the extent double amount of the first fine but it cannot exceed the maximum amount of 50000. Further government can takeaction of cancelling the license, non-renewal, withdrawal of his registration.

The act provides a single protective framework for the prevention of sexual harassment at workplace. However, how far it has brought changes into the society must be analyzed keeping in view the continuance of cases of sexual harassment of women at workplace. According to Maneka Gandhi, there were 526 cases of sexual harassment at workplace in 2014 were noted. Maneka Gandhi said that 57 cases were reported at the official premises and 469 cases were registered at other places related to work during 2014.[6]

Conclusion: It is more prevalent than ever in India now for sexual harassment to occur at work. Our research showed that sexual harassment is a recently developed societal scourge that is rapidly spreading and causing the authorities a great deal of anxiety. The current analysis identifies the factors that led to an unexpected rise in sexual harassment complaints in India. By giving women an extra advantage for promotions and other benefits, workplace gender dominance should be reduced, which will undoubtedly reduce the number of cases reported each year.Higher educational profiles of women who are being misled and offered sexual overtures by the executives of an organisation in exchange for a job need to be dealt very sternly as a major additional cause of sexual harassment.

References:-

1. K D Gaur, “Criminal Law Cases And Materials”, 3rd edition, 1999, Butterworths India,New Delhi
2. K D Gaur, “A Textbook On The Indian Penal Code”, 3rd edition, 2004, Universal Law Publishing Co. Pvt. Ltd.
3. Ratanlal and Dhirajlal, “The Indian Penal Code”, 30th Edition, 2004, Wadhwa And Company,Nagpur
4. Pandey, P.K., Sexual Harassment: A Crime Against Women (April 12, 2012).
5. Singh, Priti, Sexual Harassment at Work Place (July 27, 2012).
6. Bhattacharyya, Arundhati. Sexual Harassment in the Indian Bureaucracy: Violation of Human Rights. Cambridge Scholars Publishing, 2017.
7. Bothra, Nidhi. “The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013.” SSRN Electronic Journal, 2014, doi:10.2139/ssrn.2498990.
8. Dr.Lakshmi T and Rajeshkumar S “In Vitro Evaluation of Anticariogenic Activity of Acacia Catechu against Selected Microbes”, International Research Journal of Multidisciplinary Science & Technology, Volume No. 3, Issue No. 3, P.No 20-25, March 2018.
9. TrishalaA, Lakshmi T and Rajeshkumar S,” Physico-chemical profile of Acacia catechu bark extract –An In vitro study”, International Research Journal of Multidisciplinary Science & Technology, Volume No. 3, Issue No. 4, P.No 26-30, April 2018.

Footnotes:-

1. Anju Bindra, Women and Human Rights, Mangalam publishers and distributors, 2007, pg 188
2. (1993) 2 SCC 746
3. (1997) 6 SCC 241
4. Vishaka v. State of Rajasthan, (1997) 6 SCC 241
5. Savitri Goonesekere, Violence, Law and Women’s Rights in South Asia, Sage Publications India Pvt.Ltd, 2004, pg 95
6. http://timesofindia.indiatimes.com/india/Maneka-says-526-cases-of-sexual-harassment-of-women-at-work-reported-in-2014/articleshow/48398299.cms

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XL

महामारी के रूप में उभरती मानव तस्करी

डॉ. श्यामसिंह राजपुरोहित*

* असिस्टेंट प्रोफेसर,पेसिफिक स्कूल ऑफ़ लॉ, पेसिफिक विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज.) भारत

प्रस्तावना – मानव तस्करी आज एक विश्वव्यापी महामारी के रूप में उभर कर सामने आ रही हैं यह विकट समस्या आज किसी एक देश या किसी एक प्रान्त में नही सिमटी हैं अपितु विश्व के प्रत्येक देश को जकड रही हैं। माना इसकी पृष्ठभूमि एव इसका इतिहास कोई नया नही हैं, लेकिन 21 वीं सदी के बदलते दौर में जहाँ दुनिया ने चहुँ और प्रगति की हैं ऐसी ऐसी उपलब्धियां प्राप्त की हैं जिससे लगता हैं कि वाकई इंसान ने अपने सूझबूझ और मेहनत से दुनिया की कायापलट कर दी हैं। इंसान ने आज तक हर चुनौती का हिम्मत एव बहादुरी से डटकर सामना किया हैं कोरोना महामारी को ही देख लो 2019 के अंतिम माह में जिस अनजान एव अदृश्य वाइरस ने समूची दुनिया को एक तरीके से हिलाकर रख दिया उस दौर में पूरी दुनिया इस महामारी से लड़ी एव आज दुनिया के कई देशो ने इस महामारी की वैक्सीन भी बनाई और साथ ही साथ इस पर काबू भी पा रही हैं और जैसे-जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे हालात पुन: सामान्य होते जायेंगे।

आज समूची दुनिया कोरोना महामारी के अलावा एक और गम्भीर समस्या मानव तस्करी अर्थात मानव दुर्व्यापार से जूझ रही हैं इस समस्या के पीछे कोई अद्रश्य वाइरस नही होकर इंसान स्वयं इसका कारण हैं। मानव तस्करी आज मादक पदार्थों एव अवैध हथियारों की तस्करी के बाद विश्व का तीसरा सबसे बड़ा अपराध के रूप में उभर कर सामने आया हैं। अवैध मानव व्यापार आजकल एक वेश्विक उद्योग का रूप ले चुका है और जितनी बर्बादी मादक पदार्थ एव अवैध हथियार नही करते उससे कई गुना ज्यादा मानव दुर्व्यापार करता हैं।

मानव तस्करी आज के परिप्रेक्ष्य में समूचे विश्व में एक गंभीर एव घातक महामारी के रूप में पाँव पसार रही हैं जिसके सामने कोरोना महामारी तो कुछ भी नहीं हैं और इस मानव तस्करी जैसी महामारी की चपेट में विश्व के अधिकतर देश आये हुए हैं, इन सब में गरीब तथा विकास शील देशों की हालत तो और भी बद से बदतर होती जा रही हैं। मानवों को भरे बाजारों में नीलाम किया जा रहा और बोलियाँ लगायी जा रही हैं, वस्तुओं की भांति उन्हें बेचा और खरीदा जा रहा हैं, एक जिले से दुसरे जिलो में तथा एक राज्य से दुसरे राज्यों में और एक देश से दुसरे देशो में इस तरह से महिलाओं बच्चों और पुरुषों को जहाजो एव सीमावर्ती इलाकों से ऐसे ले जाया जाता हैं मानो निर्जीव वस्तुओं को ले जा रहे हो। महिलाओं और बच्चों की यह यौन दासता अब न केवल राष्ट्रीय मुद्दा हैं अपितु यह आज के परिदृश्य में एक प्रकार से वैश्विक चुनौती के रूप में उभर रहा हैं। महिलाओं और बच्चों की तस्करी एक तरह से कई मायनों में मानव अधिकारों के उल्लंघन का सबसे खराब स्वरुप हैं। मानव अधिकारों की तिलांजली देते हए मानवता का गला घोटने वाली और झकझोरने वाली ऐसी घटनाएँ आये दिन सुनने में आ रही हैं मानव दुर्व्यापार समाज में अपराध का सबसे घृणित रूप है। यह एक ऐसी आपराधिक प्रथा है जिसमें मानव का हर तरह शोषण करके लाभ कमाया जाता है इस शोषण में इन शोषितों से देह व्यापार करवाना, बेगारी करवाना, जबरन मजदूरी करवाना, सेवक एव दास बनाकर रखना शादियों के लिए मोटी कीमत पर बेचा जाना, इनके शरीर के अंगों का निकालकर व्यापार करना, इत्यादि शामिल हैं। इस कुप्रथा में फंसे पीड़ितों पर पूरी तरह से नियन्त्रण रखा जाता है जिससे वे रोटी, कपड़ा, पैसा तथा अन्य सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तस्करों पर पूर्णतया निर्भर हो जाते हैं। आधुनिक दासता का सबसे भयावह रूप मानव दुर्व्यापार है। इस व्यापार के मूल कारण गरीबी, अशिक्षा तथा समाज में व्याप्त कई कुरीतियाँ हैं। इस व्यापार में महिलाओं का ही नहीं बल्कि बच्चों के मूलभूत अधिकारों का भी हनन होता है। इस व्यापार में शामिल अधिकांश महिलाएं पिछड़े और विकासशील देशों की होती हैं। वैश्विक स्तर पर इस महामारी को नियंत्रित करने के समग्र प्रयास काफी जरूरी प्रतीत हो रहे हैं इस प्रकार ने केवल मानव की गरिमा ही खंडित होती है, अपितु परिवार के परिवार तबाह हो रहे हैं।

अन्तराष्ट्रीय स्तर पर अपराध जगत में सबसे लाभकारी व्यवसाय के रूप में इस धंधो को मानव दुर्व्यापार या मानव तस्करी कहा जाता हैं। इस व्यापार में मानव देह व्यापार ही सबसे ऊपर हैं दुनिया भर में 80 % मानव तस्करी यौन शोषण के लिए की जाती हैं और बाकी बंधुआ मजदूरी के लिए होती हैं और तो और बलात श्रम,बंधुआ मजदूरी, मानव अंगो की तस्करी का व्यापार, बच्चो का अवैध दत्तक ग्रहण, बाल विवाह, भिखमंगी, अमानवीय खेलों,बुल फाइटिंग, ऊँट दौड़, बलात श्रम, देवदासी जैसे अनेकानेक कार्य हैं जिनके लिए महिलाओं,बच्चों, पुरूषों का अपहरण कर पडौसी देशों तथा अन्य देशों में भेजा जाता हैं।

वर्तमान परिदृश्य में विश्व के कई देश जिनमे विकसित देश भी सम्मिलित हैं आज इस गम्भीर समस्या से जूझ रहे हैं, अगर भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत भी इससे अछूता नही रहा भारत भी इस विकराल समस्या से ग्रसित हैं। आजादी से पहले की अगर बात करें तो मुग़ल काल में भारत में गुलाम एव दास प्रथा एक तरह से चरमोत्कर्ष पर थी दासों एव गुलामो का क्रय विक्रय करना उनको उपहार में देना ये व्यवस्थाएं प्रचलन में रही उस दौर में उसके बाद से अंग्रेजी हुकुमत में भी कही न कही ये दृष्टिगोचर होती रहती थी।

भारत में आज के हालातों पर अगर दृष्टी डालें तो भारत इस अपराध का एशिया में बहुत बड़ा केंद्र हैं भारत, बांग्लादेश, थाईलैंड तथा नेपाल जैसे

पडौसी देशों से लड़कियों महिलाओं और बच्चों की तस्करी करने का पारगमन केंद्र के रूप में परिवर्तित हो गया हैं। इसके साथ ही साथ भारत दक्षिणी पूर्वी एशियाई मानव तस्करी अपराध जगत का एक स्त्रोत एव पारगमन केंद्र के साथ साथ एक उपभोक्ता देश भी हैं। भारत में मानव तस्करी बहुत ही बड़ी व्यापक एवं विकराल समस्या के रूप में अपने पाँव पसार रही हैं। भारत में सरकारी आंकड़ो के अनुसार प्रत्येक मिनट में एक बच्चा खो जाता हैं वर्ष 2011 में लगभग 35000 बच्चो के खोने की रिपोर्ट आई थी जिनमे 11000 से अधिक पश्चिम बंगाल से थे इसके अलावा यह माना जाता हैं की कुल मामलो में से केवल 30% मामलो में ही रिपोर्ट की जाती हैं इसलिए वास्तविक आंकड़े इससे कई अधिक हैं।

मानव तस्करी अब विश्व व्यापी समस्या का रूप ले चुका हैं इसमें कोई दो राय नहीं हैं विश्व के इस उभरते हुए सबसे बड़े अवैध व्यापार को रोकने के लिए कहने को तो बहुत बड़े बड़े कानूनों का निर्माण किया गया हैं किन्तु असलियत कुछ और ही स्थिति बयाँ करती हैं वाकई में मानव दुर्व्यापार दुनिया भर में उभरती हुयी एक ऐसी त्रासदी हैं जिसके उन्मूलन हेतु समाज व सरकार को मिलकर कार्य करना होगा। और साथ ही साथ सभी देशों को आज मिलकर इस दिशा में कंधे से कंधा मिलाकर साथ देना होगा तभी इस महामारी से विजय पायी जा सकेगी। इस त्रासदी का अगर समय रहते मुकाबला करके इस चुनौती से अगर नही निपटा गया तो आने कई गंभीर एव विनाशक परिणाम भुगतने होंगे।

क्या हैं मानव तस्करी ?

सही मायनों में मानव दुर्व्यापार एक बहुत ही विस्तृत शब्दावली हैं सामान्य रूप से किसी भी व्यक्ति की उसकी बगैर इच्छा के उसकी सामाजिक आर्थिक कमजोरियों एव मजबूरियों का गलत फायदा उठाकर किसी भी तरह के अवैध कार्यों में भागीदार बनाने के लिए किसी व्यक्ति, महिला या बच्चे को प्रलोभित करके अथवा अपने बाहुबल से भयभीत एव आतंकित करके एक जगह से अन्यत्र कही दूसरी जगह ले जाना मानव शरीर के अंगों की तस्करी के प्रयोजन के लिए एव उन्हें वैश्यावृति, बालश्रम, बंधुआ मजदूर, जबरन श्रम जैसे गंदे कामों में धकेलना ही मानव दुर्व्यापार की परिभाषा की कोटि में आता हैं यद्यपि दास प्रथा का इसमें स्पष्ट उल्लेख नही हैं किन्तु मानव दुर्व्यापार शब्दावली में नि:संदेह शामिल हैं।

संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार **'किसी व्यक्ति को शोषण के उद्देश्य से बल प्रयोग द्वारा, डराकर बहला फुसला कर या धोखा देकर या हिंसक कृत्यों द्वारा भर्ती करना, आवश्यकतानुरूप परिवहन अंतरण एवं खरीद फरोख्त करना या तस्करी करना या डर या भय, बल के द्वारा व्यक्तियों को अपने कब्जे में करना,बंधक बना कर रखना मानव तस्करी की परिभाषा में आता हैं।'**

पारदेशीय संगठित अपराध के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (UNTOC) के अंतर्गत मानव तस्करी को इस प्रकार से परिभाषित किया गया हैं कि, धमकी,बल प्रयोग अथवा जोर-जबरदस्ती के अन्य तरीकों के प्रयोग, अपहरण छल कपट, शक्ति अथवा किसी भी सुभेद्यय स्थिति के दुरूपयोग के माध्यम से अथवा धन या लाभ के लेन देन से शोषण के उद्देश्य से व्यक्ति पर नियंत्रण रखने वाले किसी अन्य व्यक्ति की सहमती प्राप्त कर व्यक्तियों की भर्ती, परिवहन,हस्तांतरण, उन्हें अपने अधीन रखना अथवा हासिल करना मानव तस्करी हैं।

मानव दुर्व्यापार की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि - दुनिया में गुलाम एवं दास प्रथा के प्रचलन की बात करें तो उसका इतिहास काफी लम्बा हैं अवैध मानव व्यापार की अवधारणा के पीछे एक लम्बी एतिहासिक पृष्ठभूमि हैं । अवैध व्यापार का **पहला ज्ञात चरण** मध्यकालीन युग माना जाता है। अवैध मानव व्यापार की समस्या ग्रीक शहर राज्यो के समय से ही विद्यमान है। पूर्वी प्रशिया,चैकोस्लोवाकिया ,पोलैण्ड, लिथुआनिया, एस्टोनिया तथा लतविया से हजारो महिलाओं और बच्चों को इटली और दक्षिणी फ्रांस के दास बाजारों में बेचा जाता था।

दूसरा चरण मध्यकालीन युग के अंतिम भाग तथा नवजागरण काल के आरंभ के दौरान में आया जब मुख्यत: रूस और यूक्रेन से महिलाओ और बच्चों का अवैध व्यापार किया जाता था और उन्हें इटली और मध्य-पूर्व में दासो की तरह बेच दिया जाता था। 19वीं शताब्दी में दासता पर प्रतिबंध लगने से पहले खदानों और बागानों में काम करने के लिए दासो को पानी के जहाजो द्वारा अफ्रीका से अमेरिका भेजा जाता था। ट्रांस -एटलांटिक दास व्यापार को समाप्त करने में ब्रिटेन मुख्य संचालक शक्ति था। ब्रिटिश संसद ने वर्ष 1807 में दासता पर प्रतिबंध लगा दिया था। वर्ष 1833 में एक मिलियन में से तीन-चौथाई दासो को मुक्त कराते हुए ब्रिटेन के उपनिवेशों में भी दास प्रथा समाप्त कर दी गई।

'गोरे दास व्यापार' शब्द की उत्पति इग्लैंड में महिला फैक्ट्री कार्मिकों का वर्णन करने के दौरान हुई और बाद में इसका प्रयोग यूरोप में वेश्यावृति के लिए गोरी महिलाओ की दासता के लिए किया गया। यूरोप में अरब और ऑटोमन प्राधिकारियों को 'गोरे दासो के व्यापारी' के रूप में देखा जाता था जो 'गोरी महिलाओ' को वेश्यावृति में धकेल देते थे। इन सबका परिणाम यह हुआ कि अवैध व्यापार निरंतर पनपता चला गया। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तथा 20वीं शताब्दी के पूर्वाध में कई सरकारो ने 'गोरी दासता' के खिलाफ हस्ताक्षर किए । इसी क्रम में वर्ष 1904 में 'गोरे दासो के व्यापार' के दमन के लिए एक अंतराष्ट्रीय समझौते का सूत्रपात हुआ जिस पर पेरिस में हस्ताक्षर किए गए और बाद में लगभग सौ से भी अधिक देशों की सरकारों ने इसका अनुसमर्थन किया।

प्रथम विश्व युद्ध के बाद लीग ऑफ़ नेशन्स ने अवैध व्यापार की समस्या को गंभीरता से लिया और लीग ऑफ़ नेशन्स के अनुबंध के पाठ में अवैध व्यापार सबंधी एक प्रावधान शामिल करने का निर्णय लिया लीग ऑफ़ नेशन्स के तत्वाधान में अवैध व्यापार पर दो और अंतराष्ट्रीय समझोते अंगीकार किए गए। इनमें पहला था महिलाओ एवं बच्चों के अवैध व्यापार दमन संबंधी अंतराष्ट्रीय अभिसमय, 1921 इस अभिसमय ने वर्ष 1920 के अभिसमय द्वारा निर्दिष्ट अवैध व्यापार के वर्णन की पुष्टि की । परिणामत: वेश्यावृत्ति और यौन शोषण को अवैध व्यापार के महत्वपूर्ण योजको के रूप में माना गया हालाँकि इस अभिसमय के शीर्षक से 'गोरे दास' शब्दों को हटा दिया गया था। यह एक प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा इस तथ्य कि किसी भी वर्ग ,पथ या नृजाति की महिलाएँ, बच्चे अवैध व्यापार के शिकार हो सकते है, की महत्वपूर्ण स्वीकृति थी। इसके अलावा, 1921 का अभिसमय पिछले दस्तावेजों की तरह सिर्फ लड़कियों पर ही नही बल्कि लड़कियो और लड़को, दोनों के लिए लागू था। दूसरा दस्तावेज था पूर्ण आयु की महिलाओं के अवैध व्यापार के दमन संबंधी अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय 1933, इस अभिसमय में भी अवैध व्यापार को उसी भाषा में वर्णित किया गया जैसा कि 1910 और 1921 के अभिसमयो में किया गया था क्योंकि केंद्र-बिंदु एक बार फिर वेश्यावृत्ति और यौन शोषण पर था। इसके

अतिरिक्त, 1933 के अभिसमय में अवैध व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय भूमिका के कायम रखा गया क्योकि इसमें अन्य राष्ट्रों में किए गए कृत्यों को शामिल किया गया था। तथापि, लीग ऑफ़ नेशन्स द्वारा अंगीकृत की गई दो सन्धियां निष्प्रभावी रही क्योकि इनमें वेश्यावृति का घरेलू प्रवृति के मुद्दे के रूप में देखा जाता रहा और इसलिए यह सन्धियां राष्ट्रों को इस प्रथा को समाप्त करने पर मजबूर नहीं कर सकी।

इसके बाद, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 1949 में मानव अवैध व्यापार तथा वेश्यावृत्ति द्वारा शोषण का दमन संबंधी अभिसमय को अंगीकार किया। इस अभिसमय का 49 देशों ने अनुसमर्थन किया था। यह दस्तावेज पिछली सभी संधियों का एक समेकित संस्करण था। इसके अतिरिक्त ,1949 अभिसमय में राष्ट्र के अंदर तथा राष्ट्रीय सीमाओं से बाहर होने वाले मानवों के अवैध दुर्व्यापार को सम्मिलित किया गया है।

मानव व्यापार और भारतीय कानून – हालाँकि भारत का गुलामी एव दासता से वास्ता बहुत पुराना रहा हैं इतिहास इसका गवाह हैं जैसा की पहले भी उल्लेखित किया जा चुका हैं कि मुग़ल काल में भारत में गुलाम एव दास प्रथा एक तरह से चरमोत्कर्ष पर थी दासों एव गुलामो का क्रय विक्रय करना उनको उपहार में देना ये व्यवस्थाएं प्रचलन में रही तो इसी कारण आजादी के बाद मानव तस्करी जैसे घृणित अपराध को नियंत्रित करने एव रोकने के लिए तथा इस पर शिकंजा कसने के लिए भारत में लीगल फ्रेमवर्क जिनमे मुख्यत: भारत के लिए बनने वाले संविधान में ही इससे सम्बंधित उपबन्ध कर दिए गये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 में मानव व्यापार और बलात श्रम को दंडनीय घोषित किया गया हैं अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को उद्योगों कारखानों तथा अन्य जोखिम भरे खतरनाक उद्यमों में नियोजित करने को संविधान विरुद्ध घोषित किया गया हैं अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता तथा अनुच्छेद 15 में धार्म जाति वंश लिंग भाषा आदि के आधार पर कोई विभेद नहीं किये जाने का प्रावधान हैं इसी प्रकार अनुच्छेद 21 प्राण एव दैहिक स्वतन्त्रता की व्याख्या करता हैं तो अनुच्छेद 22 किसी व्यक्ति को मनमाने ढंग से गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान करता हैं।

अनुच्छेद 35 के अंतर्गत संसद को इस अनुच्छेद द्वारा वर्जित कार्यों को करने के लिए कानून बनाकर दंड देने की शक्ति हैं इसी क्रम में एव अपनी इसी शक्ति का प्रयोग करते हुए संसद ने कुछ अधिनियम पारित किये जो प्रत्यक्ष एव परोक्ष रूप से मानव तस्करी से सम्बंधित हैं इन अधिनियमों में मुख्यत:

1. स्त्री तथा लड़की अनैतिक व्यापार दमन (संशोधन) अधिनियम, 1986
2. अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956
3. बंधुआ मजदूरी प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम 1976
4. बाल श्रम (निषेध एव विनियम) अधिनियम 1986
5. किशोर न्याय अधिनियम 2000
6. बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006
7. लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012
8. आपराधिक क़ानून (संशोधन) अधिनियम 2013

इन अधिनियमों के अतिरिक्त भारतीय दंड संहिता की कुछ धाराएं भी मानव तस्करी के निवारण से सम्बंधित हैं जिनमे मुख्यत: धारा-366-A, धारा-366-B, धारा 370, धारा-370-A, धारा-371, धारा-372, धारा-373, धारा-374 हैं इन धाराओं में में भी मानव तस्करी अपराध हैं

इसी क्रम में राज्य सरकारों द्वारा भी अनेक विधायी प्रयास के जरिये कानूनों का निर्माण किया गया हैं जो कही न कही मानव दुर्व्यापार को रोकने की दिशा में प्रयत्नशील हैं राज्य सरकारों द्वारा भी इस दिशा में पहल करते हुए कानूनों का निर्माण किया गया हैं जिनमे से मुख्यत:

1. गोवा बाल कानून अधिनियम, 2003
2. आंध्रा प्रदेश देवदासी (समर्पण का निषेध) अधिनियम, 1988
3. कर्नाटक देवदासी (समर्पण का निषेध) अधिनियम, 1982
4. मुंबई देवदासी संरक्षण अधिनियम, 1934
5. महाराष्ट्र देवदासी (उन्मूलन तथा पुनर्वास) अधिनियम, 2001

कानून हैं आज के बदलते हालत एव वर्तमान परिस्थितियों को मध्यनजर रखते हुए ये कानूनी उपबंध नाकाम साबित हो रहे केंद्र सरकार एव राज्य सरकारों के इन तमाम विधायी प्रयासों के बावजूद भी देश में मानव तस्करी नामक गंभीर एवं संघठित अपराध का प्रभावी रूप से नियंत्रण नही हो पाया इन मौजूदा कानूनों के अलावा मानव तस्करी को रोकने के नाम पर फिलहाल भारत में अलग मानव तस्करी निवारण से सम्बंधित कोई सख्त कानून नहीं हैं जो मौजूदा कानून बने हुए हैं वो कोई ख़ास कारगर साबित नहीं हो रहे हैं जो इस महामारी का प्रभावी तौर से सामना कर सके।

मानव तस्करी के विरुद्ध उठाये गये कदम एव किये गये सरकारी प्रयास

1. भारत सरकार द्वारा आपराधिक कानून (IPC) में संशोधन करते हुए वर्ष 2013 में आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम, 2013 लागू किया गया इसके द्वारा IPC की धारा 370 एव 370। मानव तस्करी को रोकते हुए मानव तस्करी बालकों की तस्करी के अलावा किसी भी प्रकार के यौन शोषण दासता और मानव अंगों को जबरदस्ती निकले जाने के मामले में कठोर दंड का प्रावधान करती हैं।

2. **प्रशिक्षण क्षमता निर्माण के माध्यम से भारत में लोगो की तस्करी के विरुद्ध कानून प्रवर्तन अनुक्रिया के सुदृढीकरण' से सम्बंधित परियोजना :** गृह मंत्रालय MHA मादक पदार्थों और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (UNODC)के सहयोग से चार भारतीय राज्यों महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल गोआ तथा आंध्रा प्रदेश में मानव तस्करी के रोकथाम से सम्बंधित विधि प्रवर्तन अधिकारीयों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु एक द्विवार्षिक परियोजना को प्रारंभ किया गया हैं।

3. **समन्वय बैठकों का आयोजन :** गृह मंत्रालय MHA द्वारा प्रभावी अंतर्राज्यीय समन्वय के लिए राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों की मानव तस्करी विरोधी इकाइयों AHTUs के नोडल अधिकारीयों के साथ समन्वय स्थापित करने हेतु नियमित रूप से बैठकों का आयोजन किया जाता हैं।

4. **तस्करी विरोधी सेल :** गृह मंत्रालय द्वारा मानव दुर्व्यापार से सम्बंधित मुद्दों से निपटने हेतु एक नोडल सेक का गठन किया गया हैं।

5. **मानव तस्करी विरोधी वेब पोर्टल की स्थापना :** गृह मंत्रालय द्वारा मानव तस्करी विरोधी वेब पोर्टल stophumantrafficking&mha.nic.in की स्थापना की गयी हैं इस वेब पोर्टल पर मानव दुर्व्यापार को रोकने से सम्बन्धित समस्त प्रयासों एव मानव तस्करी के आंकड़ों को प्रमाणिकता के साथ जानकारी साझा की जाती हैं।

6. **उज्ज्वला योजना :** केन्द्रीय महिला एव बाल विकास मंत्रालय द्वारा उज्ज्वला योजना को कार्यान्वित किया जा रहा हैं यहाँ तस्करी की रोकथाम तथा व्यावसायिक यौन शोषण के लिए तस्करी से पीडितो का बचाव पुनर्वास

पुनर्समायोजन तथा देश प्रत्यावर्तन से सम्बंधित एक व्यापक योजना हैं इस योजना के अंतर्गत पीड़ित व्यक्ति के लिए आश्रय भोजन वस्त्र और इनके साथ साथ नि:शुल्क परामर्श एव चिकित्सकीय देखभाल विधिक सहायता तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा आय सृजन के संसाधनों को मुहैया कराने के साथ गरिमामय जीवन के समस्त साधनों की सुचारू रूप से व्यवस्था की जाती हैं।

द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय व्यवस्थाएं:

1. भारत ने मानव तस्करी की रोकथाम के इए बांग्लादेश तथा UAE के साथ द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं।
2. भारत 'सार्क कन्वेंशन ऑफ़ प्रिवेंसन एंड काम्बेटिंग ट्रेफिकिंग इन वीमन एंड चिल्ड्रेन इन प्रोस्टीट्यूशन' का हस्ताक्षरकर्ता देश हैं।
3. भारत ने वर्ष 2011 में संयुक्त राष्ट्र संघ कन्वेंशन ऑन ट्रांसनेशनल आर्गेनाइज्ड क्राइम (UNCTOC) की अभिपुष्टी की हैं इसके 9 प्रोटोकोल में से एक प्रोटोकोल में 'व्यक्तियों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों की तस्करी की रोकथाम, दमन, और दंड' संबंधी प्रावधान किये गए हैं।

निष्कर्ष सुझाव एव मूल्यांकन – आज के परिप्रेक्ष्य में यह कहना कदापि अनुचित नही होगा की मानव दुर्व्यापार जैसी महामारी धीरे धीरे समूचे विश्व को अपने चपेट में ले चुकी हैं। आज के बदलते हुए दौर में वैश्विक परिदृश्य में आज 'मानव दुर्व्यापार' का रूप बदल कर नया 'दास व्यापार' हो गया है। कहने को तो बहुत से कानून हैं इस महामारी से निपटने के लिए लेकिन जब जमीनी हकीकत देखी जाये तो तस्वीर कुछ और ही सामने आती हैं अत: अवैध मानव व्यापार आज के परिदृश्य में एक वैश्विक चुनौती के रूप में उभरते हुए एक गम्भीर चिंता का विषय बन गया है। वैश्विक स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इस दिशा में यूएन कन्वेशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल आर्गेनाइजड क्राइम नामक एक अभिसमय निर्देशित किया गया हैं लेकिन आज तक हालत यह हैं की विश्व के अधिकतर देशों ने इस अभिसमय को स्वीकार नहीं किया हैं और ना ही मानव दुर्व्यापार से सम्बंधित कोई ठोस कानून बनाया भारत की ही बात करे तो यह देखने को मिलेगा की आजादी के लगभग 75 वर्षों बाद भी वाही घीसा पीटा अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम, 1956 जिसका सम्बन्धा केवल वैश्यावृति तक ही हैं यह अधिनियम केवल मात्र वैश्यालय चलाने वाले दलालों और ग्राहकों तथा इससे कमाने वाले बिचौलियों तपर कार्यवाही तक ही सिमटा हुआ हैं।

भारत के बालश्रम से सम्बंधित कानून भी इस तरह के अपराध पर नियंत्रण पाने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रहे भारत में तो हालत यह हैं की मौजूदा कानूनों में कही भी मानव तस्करी को सही ढंग से परिभाषित तक नही किया गया हैं कानून की यही कमिया जिनसे इस अपराध में संलिप्त मुलजिम कही न कही अपना बचाव कर लेते है और बच निकलते हैं इस हेतु राष्ट्रीय स्तर पर कठोर अधिनियम बनाने के साथ साथ प्रत्येक राज्य सरकार इस दिशा में निगरानी तंत्र विकसित करके प्रभावी तरीके से कदम उठाये राज्यों के पार मानव दुर्व्यापारको रोकने के लिए पडौसी राज्यों के साथ समन्वय स्थापित करके सीमावर्ती इलाको में सुदृढ़ पेट्रोलिंग के साथ साथ नाकाबंदी के माध्यम से गतिविधियों को नियंत्रित करें मानव दुर्व्यापार के पीडितो के पुनर्वास की दिशा में पर्याप्त एव सुचारू इंतजामात करें एसा देखा जाता हैं की पुनर्वास की पर्याप्त व्यवस्थों के आभाव में महिलायें बच्चे एव किशोर पुन: ऐसे अपराधियों के हाथों में पड़ जाते हैं।

मानव तस्करी एव मानव दुर्व्यापार आज के समय में आधुनिक दास प्रथा का ही स्वरुप हैं इस गंभीर समस्या के निराकरण हेतु समग्र एव बहुक्षेत्रीय दृष्टीकोण की आवश्यकता हैं साथ ही साथ मानव तस्करी की रोकथाम हेतु सरकारी एव गैर सरकारी संगठन, आम नागरिक, समाज तथा अंतराष्टीय निकायों को अपनी अपनी जिम्मेदारी का अहसास करते हुए इसके विरुद्ध एकजुट होकर समग्र प्रयास करने होंगे एव इस विकराल त्रासदी के उन्मूलन हेतु समाज व सरकार को मिलकर कार्य करना होगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. डॉ. जय नारायण पांडेय (2019) : भारत का संविधान, 52 वा संस्करण, सेंट्रल लॉ एजेंसी।
2. एम.लक्ष्मीकांत (2017) : भारत की राजव्यवस्था,पंचम संकरण, McGraw hill education (india)
3. डॉ. बी. एल. फड़िया (2007) : भारत का संविधान,पंचम संकरण, प्रतियोगिता साहित्य सीरीज,साहित्य भवन पब्लिकेशन।
4. डॉ. डी. डी. बासु (2020) : भारत का संविधान एक परिचय, तेरहवां संस्करण, लेक्सी सनेक्सस
5. प्रो. त्रिदिवेश भटाचार्य (2010) : भारतीय दण्ड संहिता, षष्ठ संस्करण, सेंट्रल लॉ पब्लिकेशन
6. डॉ. एन वी परांजपे (2016): भारतीय दंड संहिता, अष्टम संस्करण, सेंट्रल लॉ एजेंसी।
7. डॉ. एन वी परांजपे (2016): दंड प्रक्रिया संहिता, अष्टम संस्करण, सेंट्रल लॉ एजेंसी।
8. Gaurav Jain v. Union of India AIR 1990 SC 292
9. Vishaljeet v. Union of India AIR 1990 SC 1412
10. Lakshmi Kant Pandey v. Union of India AIR 1984 SC 469.
11. Bandhua Mukti Morcha v. Union of India 1984 (3) SCC 161
12. "Trafficking in Women and Children-Human Rights For The Humiliated"- Dr. Priti Saxena महिला विधि भारती/अंक -84
13. भारत में मानव तस्करी आयाम, चुनौतियां और प्रतिक्रियाएं – किरन बेदी , पी.एम्. नायर योजना मासिक पत्रिका, अंक फरवरी 2008- अनैतिक व्यापार, (पेज न.-7-9)
14. दुनियाभर में जारी हैं बच्चों की घृणित तस्करी (सेक्स बाजार ने बच्चों को भी एक वस्तु बना दिया हैं) – अवधेश कुमार योजना मासिक पत्रिका, अंक फरवरी 2008- अनैतिक व्यापार, (पेज न.-18-21)
15. मानव तस्करी पर सामुदायिक पहरेदारी भारत में समन्वित देह-व्यापार विरोधी इकाई (ए.एच.टी.यू)-पी.एम.नायर योजना, मासिक पत्रिका, अंक फरवरी 2008- अनैतिक व्यापार, (पेज न.-31-35)
16. भारत में मानव तस्करी, पृष्ठ संख्या – 35, सामाजिक मुद्दे, क्लासरूम स्टडी मेटेरिअल सितम्बर 2018 – जून 2019
17. https://legalvani.blogspot.com/2018/
18. www.apnakanoon.com,
19. www.visionias.in
20. www.drishtiias.com,
21. www.timesofindia.com,
22. www.lawcommissionofIndia.com

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XL

Sustainable Developments and its Challenges

Dr. Krishna Rai Chouhan*

***Asst. Professor (Political Science) Govt. College, Dolariya, Narmadapuram (M.P.) INDIA**

Introduction - What is sustainable development: "Sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs."

World commission on Environment and Development, 1987

Basically, Sustainable Development is a long-term solution to how we plan our indefinite progress in the future without causing damage to the environment, so as to guarantee a safe habitat for the next generations who will continue to develop their economies societies with a similar idea in mind. The concept covers a broad scope of matters such as environmental, social and economic development with a view to the environment sustainability is about managing and protecting Earth's resources, ecosystems, climate and atmosphere so that current generations and future generations will live a decent life and millions of other species with whom we share the planet will also benefited.

Four objects of Sustainable Development

1. **Stable economic growth:** Eradication of poverty and hunger to ensuring healthy life.
2. **Conservation of natural resources:** achieve universal access to basic services such as water, sanitization and sustainable energy.
3. **Social progress and equality:** Reduce inequalities in the world, especially general inequalities.
4. **Environment protection:** Caring for the environment by combating climate change and protecting oceans and terrestrial ecosystems.

During the UN sustainable development summit of September 2015 which took place in New York transforming our world, the 2013 agenda for sustainable development was adopted by the 193 countries belonging to the UN general assembly and clearly outlined 17 sustainable development goals (SDGs). They tackle social economic,physical, personal and environmental issues which again emphasizes the all and compassion nature of sustainable development.

Need for SDGs: The world has changed dramatically in the last two decades but there are 4 shifts that are particularly serious. Firstly, we are closer than ever to eradicating extreme poverty. Secondly human societies are causing more damage than ever to the planet and environment. Thirdly inequality among and between countries is increasing, finally governance is becoming more complex especially with the growing influence of technology.

1. Today more than 1 billion people live in extreme poverty (less than $ 1.25/ per day).
2. Today 8 men have as much wealth as the bottom 3.5 billion poorest people.
3. In 2017 more than 750 million people went to bed hungry every night and at that same time there are approx. 2 billion people that are overweight or obese.
4. In 2017 more than 6 million children died before their 5th birthday because of preventable diseases.
5. Today about 213 million children and youth are out of school including 61 million children of primary school age.
6. Currently 49 countries have no laws especially protecting women from domestic violence.
7. In 2012 1.8 million people were exposed to drink water that was contaminated.
8. Today more than a billion people don't have access to electricity.
9. The number of people living in slums and down is now estimated at 863 million in contrast to 760 million in 2000 and 650 million in 1990.
10. The number of deaths from natural disasters continued to rise from 1992 to 2015 more than 1.6 million people died in internationally reported natural disasters.
11. Each year the world generates roughly 1.3 billion tons of waste but that's expected to soar to four million turns by 2100. In the United States alone about 200 billion $ a year is spent on solid waste management.

Today's problem will escalate quickly and dangerously if we do not urgently and radically change course. The sustainable development goal gives us a plan to fight these challenges.

Sustainable development goals: Sustainable development requires a lot of concentrated efforts and its implementation still faces various challenges. Both developed and developing countries are facing numerous problems while attempting to achieve sustainable development.

1. Lack of financial resources to plan and carry out sustainable development.
2. Sustainable development is often difficult in countries that are facing extreme challenges as an example can

be war -torn countries that are unable to prioritize sustainable development due to their political conditions.

3. Natural occurrences such as earthquakes and Tsunami may also pose a threat to sustainability as their adverse effects can destroy infrastructure.
4. Corruption is another challenge.
5. Lack of effort at the local government level may also prevent implementation of the goals.
6. Another key challenge is ensuring responsibility and accountability in achieving sustainable development.

This requires linking regional and national and international skills to access if countries are meeting the goals.

Major challenges in attaining SDGc for India

1. Defining the key indicators: One of the major challenges for India is effectively assessing the progress of SDGc the key definition for areas such as poverty, hunger, safe drinking water education need to be revised in order to effectively implement the SDGs.

2. Financing sustainable development goals: Despite India's best efforts and making poverty alleviation of priorities is the fourth five-year plan India has the highest number of people living below the poverty line at 2 days level of investment. There is a huge funding short form that hinders the progress of attaining SDGs.

3. Monitoring and ownership of implementation process: All the and NITI Aayog is expected to play an important role in taking ownership of the implementation process. The members of the Aayog have expressed their concern time and again about the limited manpower they have to handle such herculean tasks.

4. Measuring the progress: The Government of India has admitted the non-availability of data especially from the sub-National areas. Complete coverage of administrative data is yet another factor that has hampered the measurement of progress for even the millennium development goals that were the precursor to SDGs.

Sustainable development goals in India: The United Nations approved the sustainable development goal in India in 2015 as a global action called to eradicate poverty, safeguard the environment and guarantee that by 2030 everyone would live in peace and prosperity. All the 17 SDGs are interconnected that recognize the action in one area and have an impact on outcomes in others and that development must strike a balance between social economic and environmental sustainability, the sustainable development goal in India to eradicate poverty, quality education, clean water and sanitization against women and girls' health.

India plays a key role in the development of the United Nations sustainable development agenda 2030, and the sustainable development goal in India mirrors much of India's National Development Agenda. The world's progress towards achieving the disease is primarily dependent on India's success.It may be difficult to observe and understand with 17 goals 169 tablets and 306 national indicators and defining and quantifying progress may be tough.

While governments around the globe debate how to implement and monitor progress towards the goals, the NITI Aayog has taken the initiative by realizing the SDG India Index Baseline report 2018, which demonstrates how the SDGs will be measured in India. The NITI Ayog published the Baseline Report of the Sustainable Development goal India Index which details the progress achieved by India's states and Union Territories in achieving the 2030 SDG objectives.

The SDG India index was created by NITI Aayog and covers 13 of the 17 as disease (leaving out goals 12 13 14 and 17). The index measures the success of all states and UTs on a set of 62 National indicators which track the outcomes of the Government of India's action and programs. The SDG India index aims to present a comprehensive picture of the countries' social economic and environmental situation as well as those of its states and Union Territories. SDG India Index is a broad matric government, corporations, civil society and the general public can all show understanding and apply.

It was made to give an overall evolution of all Indian states and union territories and to assist leaders and change makers in evaluating their performance on social, economic and environmental aspects, its goal is to track India's and its States progress toward 2030 as SDG's.

Leading States / UTS can be identified by reading SDG India index score within each goal:

1. Tamil Nâdu Puducherry has no poverty.
2. Goa and Delhi suffer from hunger while Kerala and Puducherry are suffering from poor health Kerala and Chandigarh offer high quality education.
3. Kerala Sikkim Andaman and Nicobar Island equality
4. Gujarat and Chandigarh Dadra and Nagar haveli and Lakshadweep have clean water and sanitation.
5. Tamil Nadu and Chandigarh offer low-cost clean energy.
6. Goa and Daman Diu have good jobs and economic growth while Manipur, Delhi and Puducherry have good industries, innovation and infrastructures.

References:-

1. https://sustainabledevelopment.un.org
2. https://www.sdg.services/principles.html
3. https://www.globalhuntfoundation.org/?gclid=CjwKCAiAleOeBhBdEiwAfgmXf3hjVW Oxo9iH9qXh8_hYmiRyVGTTRUYok5AvhD3m0u6UreNkbOZ14RoC7d0QAvD_BwE
4. https://www.globalgoals.org/podcast/?gclid=CjwKCAiAleOeBhBdEiwAfgmXf0ctDYBVylX29sxJDKz-UgmnlySKRepiBXdAJnMwZzAwl2ZlwflKWqhoCVUkQAvD_BwE
5. https://unfoundation.org/what-we-do/issues/sustainable-development-goals/?gclid=CjwKCAiAleOeBh BdEiwAfgmXf49sUFntMY5vB9TOqx_mc9HulvqvF-BV3VCHetAyfl22LOuZS
6. https://csr.theincitement.com/?gclid=CjwKCAi AleOeBhBdEiwAfgmXf81WHIn B5ZmZc2308vYozqjQZ1BhDVzkY0jU7AFA18egOKn4y5jpsRoCIrUQAvD_BwE

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XL

मन्नू भंडारी की कहानियों में पारिवारिक मूल्य

सबीना खान* डॉ. वंदना अग्निहोत्री**

* शोधार्थी,देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) भारत
** प्राध्यापक व विभागाध्यक्ष (हिन्दी) माता जीजाबाई शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय इन्दौर (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – परिवार समाज की सबसे आधारभूत इकाई है। वह मानव जाति के संरक्षण, वंशवर्द्धन आदि को बनाये रखने का प्रमुख माध्यम है। परिवार सामाजिक जीवन की प्रारंभिक इकाई है। व्यक्ति जन्म से ही किसी न किसी परिवार का सदस्य होता है। उसका पालन-पोषण, शिक्षा-दीक्षा संस्कारों का निर्माण आदि परिवार द्वारा ही किया जाता है। समाज में लगातार हो रहे परिवर्तनों के प्रभाव के कारण परिवार की स्थिति एवं स्वरुप परिवर्तित होती गई और नवीन स्वरुपों एवं पारिवारिक मूल्यों की स्थापना हुई। मन्नू भंडारी की कहानियों में पारिवारिक मूल्य उभरकर सामने आए है। मन्नू भंडारी की कहानियां मध्यवर्गीय परिवार के परिवर्तित मूल्य, रुढ़ियों तथा परंपरागत धारणाओं के प्रति उपजे असंतोष, विक्षोभ एवं आधुनिकता के ग्रहण के परिणामस्वरुप मिली वेदना, अंतर्द्वन्द्व तथा विवशता को यथार्थ अभिव्यक्ति दी है। मन्नू भंडारी की कहानियों को उनके समय उनके परिवेश और सामाजिक स्थितियों के संदर्भ में ही देखा जा सकता है। इनकी अधिकांश कहानियां घरेलू स्थितियों, पारिवारिक विडम्बनाओं, पुरुष के सामंती स्वरुप, स्त्री का मानसिक संघष तथा समय के साथ परिवर्तित सामाजिक स्थितियों में व्यक्ति के अकेले होने तथा अपने इच्छित प्राप्य तक न पहुंच पाने की मनोदशा की सशक्त कहानियां है। परिवर्तित सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक व्यवस्था तथा बढ़ते औद्योगिकरण नगरीकरण के कारण व्यक्ति जटिल होता जीवन को मन्नू जी ने आधुनिकता के प्रभाव के साथ रेखांकित किया है। जिसमें उन्होंने संयुक्त परिवार के विघटन और पारिवारिक एवं दाम्पत्य संबंधों में आए विघटन का भी चित्रण किया है। मन्नू जी ने अर्थ के संकट के कारण उत्पन्न सामाजिक एवं पारिवारिक समस्याओं को लिपिबद्ध किया वहीं अर्थ के समक्ष टूटते व्यक्ति के जीवन संकल्प को भी बखूबी व्यक्त किया है। सामाजिक तथा पारिवारिक मूल्यों के बीच व्यक्ति नैतिकता का नई परिभाषा गढ़ता नज़र आता है। मन्नू भंडारी की कहानियां समाज में आए मूल्य परिवर्तन तथा उससे प्रभावित हमारी पारिवारिक मान्यताओं को दर्शाती है। महानगरीय संस्कृति तथा आधुनिकता का आग्रह किस प्रकार पारिवारिक मूल्यों को क्षत्-विक्षत करता है, उनकी कहानियों में उभरकर हमारे समक्ष आते है। मन्नू भंडारी की कहानियों मेंपारिवारिक मूल्यों को देखा जाता है।

शब्द कुंजी– मन्नू भंडारी, पारिवारिक मूल्य, कहानी, समाज, परिवार।

पारिवारिक मूल्य–परिवार समाज की आधारभूत इकाई है। वह मानव-जाति के संरक्षण, वंशवर्द्धन आदि को बनाये रखने का सबसे प्रमुख साधन है। भारतीय समाज में परिवार की कल्पना विवाह के उपरांत बनती है। सारी आधुनिकता के बावजूद यह सच्चाई है कि स्त्री तथा पुरुष के जीवन की सार्थकता परिवार के परिधि के अंदर ही संभव है। जहाँ वो न सिर्फ जीवनयापन करते हैं बल्कि वंशवर्द्धन एवं उनका संरक्षण भी करते हैं। भारतीय समाज में प्राचीन काल से संयुक्त परिवार की पारंपरिक प्रणाली कार्य करती थी, परन्तु अनेक सामाजिक परिवर्तनों ने परिवार के इस पुराने स्वरूप में भी बदलाव उत्पन्न होने लगे फलस्वरूप संयुक्त परिवार का स्थान एकल या अणु परिवार ने ले लिया। आर्थिक तथा सामाजिक परिस्थितियां भी एकल परिवार के लिए अधिक अनुकूल थी। आर्थिक दृष्टिकोण से परिवार के तीन रूप उच्च वर्गीय, मध्यवर्गीय तथा निम्नवर्गीय होते हैं। जिसमें मध्यवर्गीय परिवार हमेशा से साहित्य का केंद्र रहा है, क्योंकि सामाजिक परिवर्तनों का प्रभाव जहां सबसे अधिक इस पर पड़ता है, वहीं संस्कारों, परंपराओं, रीति-रिवाजों, मान्यताओं आदि का अनुशीलन एवं अस्वीकृति दोनों यहां व्याप्त है। अर्थात् मध्यवर्गीय परिवार में समकालीन परिवेश का सर्वाधिक प्रभाव देखा जाता है, जिस कारण वह साहित्य की रचना का केंद्र बना रहता है।

मन्नू भंडारी की कहानियों में सर्वाधिक मध्यवर्गीय नगरीय परिवार की अभिव्यक्ति मिलती है। उनकी कहानियों में मध्यवर्गीय परिवार की विभिन्न समस्याओं तथा विषमताओं को विस्तृत फलक पर उकेरा गया है। आधुनिकता, नगरीकरण तथा औद्योगीकरण ने सबसे पहला प्रहार परिवार पर किया, जिससे कि परम्परागत संयुक्त परिवार की व्यवस्था चरमराने लगी। संयुक्त परिवार के विघटन के साथ-साथ पारिवारिक संबंधों का अपनत्व एवं गरिमा भी क्षीण होने लगी। व्यक्ति अपने स्वार्थ एवं इच्छाओं के समक्ष पारिवारिक संबंधों का महत्व भूलने लगा। **'ऐखाने आकाश नाई'** में संयुक्त परिवार के अंतर्भेदों एवं पारिवारिक परिवेश के संघर्ष को मूलबद्ध किया है। नगरी जीवन में व्यस्त लेखा का गांव में एक संयुक्त परिवार है, जिसकी अपनी आवश्यकताएं एवं समस्याएं हैं। लेखा शहर की व्यस्तता के थकान को मिटाने के लिए गांव जाती है। परन्तु वहाँ भी पारम्परिक परिवार में पारिवारिक संवेदनाओं का अभाव पाकर आयाचित स्थिति में पड़ जाती है। जहाँ गौरी की नौकरी करने की इच्छा अम्मा को नापसंद है, वहीं उसकी शादी की चिन्ता में वो दिन-रात घुलती है। इसके साथ रमेश तथा सुरेश की शहर जाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें गांव के परिवार में जड़ता नजर आती है। परिवार के सभी सदस्यों के आत्मकेंद्रित प्रवृत्ति के कारण रिश्तों में अलगाव, घुटन तथा ईर्ष्या परिवार को खोखला करते नजर आते हैं। बिखरती हुई पारिवारिक व्यवस्था, क्षीण होते संबंधों का अनत्व उसके पारिवारिक मूल्यों

को विखंडित कर देता है। आर्थिक विषमताओं का गांव में बढ़ते प्रभाव के कारण पारिवारिक संबंध औपचारिक लगने लगते हैं। लेखा भी संबंधों की निरर्थक की अनुभूति सहने को विवश दिखाई देती है।

परिवर्तित पारिवारिक व्यवस्था के बीच पुरानी पीढ़ी का परम्परागत पारिवारिक व्यवस्था को बनाए रखने की इच्छा मन्नू भंडारी के अनेक कहानियों संयुक्त पारिवारिक प्रणाली में अभिव्यक्त हुआ है। **'छत बनाने वाले'** कहानी को बचाये रखने के लिए संघर्षरत पुरानी पीढ़ी का चित्रण व्यक्त है। यताऊ जी' पूरे परिवार को व्यवस्थित एवं सुचारू रूप चलाने के लिए पारिवारिक सूत्र को अपने हाथों में संभालकर रखते हैं। वह पूरे परिवार के मुखिया होने के साथ-साथ परिवार का कर्ता-धर्ता के रूप में स्वयं को स्थापित करते हैं। उनका गर्व तब और भी दुगुना हो जाता है, जब वह अपने शहर निवासी भतीजे के समक्ष अपने पारिवारिक व्यवस्था के गुणों को बनाते हैं। वो कहते हैं कि- 'घर है, तो ऊँच-नीच तो लगी ही रहती है। जमाने की हवा है, तो बच्चे उससे अछूते थोड़े ही रहते हैं। पर घर का जमा-जमाया एक सिलसिला हो तो सब ठीक हो जाता है।' उनके बेटे छोटे तथा मोटू पिता बनने के बावजूद भी ताऊ जी के आदेशों का अनुपालन करते हैं। परिवार में ताऊ जी का निर्णय ही अंतिम निर्णय होता है। पारिवारिक व्यवस्था में अपना वर्चस्व बनाये रखने एवं परिवार की प्रत्येक इकाई के संचालन की व्यवस्था ताऊ जी ही करते हैं। जिसके कारण परिवार की पारंपरिक स्वरूप को बनाये रखने में वो सफल तथा सार्थक दिखते हैं।

भारतीय समाज में आधुनिकता के आगमन ने व्यक्ति के साथ-साथ परिवार को भी अत्यधिक प्रभावित किया। विघटित होते भारतीय परिवार को नये-नये तरह के संघर्षों का सामना करना पड़ा। जहाँ पारिवारिक सुरक्षा का स्थान वैयक्तिक सुरक्षा ने लिया, वहीं परिवार में अपने पुरानी पीढ़ी के प्रति उपेक्षा की भावना भी बढ़ने लगी। **'मजबूरी'** कहानी की 'अम्मा' पारम्परिक पारिवारिक व्यवस्था को बनाये रखने का पूर्ण प्रयास करती है, परन्तु परिवर्तित परिवेश में परिवार के सारे सूत्र उनके हाथों से छूटने लगे। तीन वर्ष बाद गांव लौटने वाले बेटे-बहू के आयोजन में अम्मा स्वयं को भूल जाती हैं। उन्हें तो बस अपने परिवार से जुड़ने की लालसा है, जिसे बेटू को उनके पास रखने के प्रस्ताव ने पूरा होने का भ्रम दे दिया। बेटू को उनके पास रहने की खबर वो हर आने-जाने वाले को देती हुई फूली नहीं समाती - 'इसके बाद घर में जो कोई भी आया, उसे यही खबर सुनाई गई। अम्मा इस बात का इतना प्रचार कर देना चाहती थी कि यदि अब किसी कारण से बहू का मन फिर भी जाए तो शरम के मारे ही वह अपना इरादा बदल न पाए।' अपने परिवार के परम्परागत रूढ़ स्वरूप को बनाये रखने का उनका प्रयास अनेक प्रसंगों में दिखता है- बेटू के पालन-पोषण की हर बात सीखना, उसे सीने से चिपकाए रहना आदि अम्मा के उस अदम्य इच्छा को दिखता है, जिसके लिए वह अपनी बीमारी का दर्द भी भूल जाती हैं। न चाहते हुए अम्मा को बेटू का वापस भेजना तथा परिवार में उनकी अनदेखी, उनके सार्थकता तथा पारंपरिक परिवार के स्वरूप पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं।

परिवार विघटन की त्रासदी को मन्नू भंडारी ने अपनी अनेक कहानियों में दर्ज किया है। **'अकेली'** की 'सोमा बुआ' परिवार विघटन के कारण उपजे अकेलेपन की व्यथा को झेलती इसका सुन्दर उदाहरण है। सोमा बुआ नगरीय परिवेश में निरर्थक होते परम्परागत मूल्यों की स्थापना में असफल होने के कारण अपनी स्थिति हास्यप्रद बना लेती हैं। जवान बेटे का मौत तथा पति का सन्यासी बन जाना दोनों उनके जीवन को अकेला बना देते हैं। जहाँ परिवार - बोध की तलाश को वो अपने आस-पड़ोस के लोगों में ढूंढती हैं - 'किसी के घर मुंडन हो, छठी हो, जनेऊ हो, शादी हो या गमी, बुआ पहुंच जाती और फिर छाती फाड़कर काम करती हैं।' सोमा बुआ सामाजिक तथा पारिवारिक संबंधों को बनाये रखने के लिए अपने आत्मसम्मान की भी चिंता नहीं करती, परन्तु सभी से जुड़कर रहने का प्रयास तब असफल हो जाते हैं, जब दूर के रिश्तेदार के शादी के बुलावा के लिए प्रतीक्षारत बुआ को निमंत्रण नहीं मिलता। अपने आप को सांत्वना देती हुई बोलती हैं कि - 'अरे खाने का क्या है, अभी बना लूंगी। दो जनों का तो खाना है, क्या खाना और पकाना।' इस प्रकार परिवार विघटन की कहानी कहती सोमा-बुआ परिवार की महत्ता तथा आवश्यकता को स्थापित करने का प्रयास करती नजर आती हैं।

बदलती सामाजिक व्यवस्था तथा परिवार में आधुनिकता के प्रभाव के कारण एक ओर संयुक्त परिवार बिखरता नजर आता है, तो दूसरी ओर पारिवारिक स्तर पर पति-पत्नी के संबंधों में भी दारार उत्पन्न होने लगे हैं। **'बंद दराजों के साथ'** में मंजरी पारिवारिक एवं दाम्पत्य संबंधों में आए विघटन को कई स्तरों पर झेलती हैं। मंजरी अपने पति विपिन के साथ सुखी पारिवारिक जीवन बिता रही थी। अचानक उसे पता चलता है कि विपिन का किसी और नारी के साथ संबंध है तथा बच्चा भी है। इस हकीकत ने मंजरी के पारिवारिक तथ वैवाहिक जीवन में उथल-पुथल मचा दिया। मानसिक अघातों को झेलती मंजरी विपिन से संबंध विच्छेद कर लेती है। जीवन के अकेलेपन तथा परिवार की कमी को दूर करने के लिए मंजरी दिलीप से पुनर्विवाह करती है। लेकिन अपने बेटे आसित के स्कूल फीस के प्रसंग को लेकर मंजरी के मन में दिलीप के प्रति संशय उत्पन्न होने लगते हैं। और फिर एक बार मंजरी दाम्पत्य जीवन में दरार पड़ जाता है। उसकी जिन्दगी तथा परिवार टुकड़ों में बंट जाता है। -'बाहर से कहीं कुछ नहीं बदला था, न बातचीत में, न व्यवहार में पर अनजाने और अनचाहे ही भीतर से जैसे मन बंट गए थे, जिन्दगी बंट गई थी।'

स्वाधीनेत्तर हिन्दी कहानियों में पारिवारिक विघटन की समस्या, प्रमुख समस्याओं के रूप में चिन्हित किया गया है। पारिवारिक विघटन की समस्या मूलत: स्वाधीनता के बाद उपजे हुए आर्थिक तथा सामाजिक सोच के वैषम्य की देन है। स्वाधीन भारत के मध्यवर्गीय परिवार के सदस्य अपनी अलग-अलग पहचान बनाने को आतुर दिखते हैं। वहाँ पर उनकी यह आकांक्षा पारिवारिक विघटन के रूप में उभरकर आती है। जिसके कारण जीवन स्तर कीआवश्यकताओं तथा महंगाई की वृद्धि ने संयुक्त परिवार को विघटित करने में महत्तवपूर्ण भूमिका निभाई है। पारिवारिक संबंधों का स्थायित्व आर्थिक स्थिति निर्भर करने लगा है। **'सजा'** कहानी में आशा तथा मन्नू अपने चाचा-चाची पर बोझ बन जाती है। यहाँ पारिवारिक संवेदना आर्थिक विषमताओं के कारण दब जाते हैं। चाची कहती है कि-'अब भाई साहब को लिख दो कि पचास रूपये नहीं भेज सकेंगे, इस महंगाई के जमाने में दो को पालना भी भारी पड़ रहा है हमारे भी तो बच्चे हैं।' इसी प्रकार **'रेत की दीवार'** कहानी में आर्थिक विषमताएं इतनी भयावह रूप धारण कर लेती है कि परिवार की जड़े हिलने लगती है। इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग करने वाला रवि जब छुट्टियों में घर आता है, तो उसे घर के प्रत्येक सदस्य के द्वारा विशेष सम्मान देने के कारण वह अपने ही घर में अजनबी बन जाता है। माँ का अतिरिक्त स्नेह, पिता की उसके प्रति विशेष दृष्टि, घर की बदली आर्थिक परिस्थितियों के बीच उसे परिवार के लोग अनजान तथा घाघ लगने लगते हैं। जो उससे आर्थिक सहायता की उपेक्षा रखते हैं। यहाँ रवि की स्थिति दयनीय तथा

लाचार दिखती है, जो परिवार के स्नेह को संशय की दृष्टि से देखने को विवश है। आर्थिक संकट के कारण परिवार के अंदर ही बिखराव उत्पन्न होने लगता है, जहाँ नयी पीढ़ी, पुरानी पीढ़ी के प्रति संशय का भाव रखती है।

निष्कर्षत: मन्नू भंडारी की कहानियों में अभिव्यक्त परिवार महानगरों का मध्यवर्गीय परिवार के रूप में रेखांकित किया गया है। जो आधुनिकता, आर्थिक विषमताएं, नगरीकरण, बदलती सामाजिक व्यवस्थाएं आदि सबसे अधिक प्रभावित है। इन सभी के प्रभावों के परिणामस्वरूप न सिर्फ संयुक्त पारिवारिक व्यवस्था चरमराने लगी बल्कि एकल परिवार में भी दरार उत्पन्न होने लगा। पति-पत्नी के रिश्ते जहाँ बिखराव की ओर बढ़ते दिखते हैं, वहीं परिवार का प्रत्येक सदस्य अपनी इच्छानुसार जीवन-यापन को बेचैन दिखता है। फलत: पारिवारिक संबंधों में औपचारिकता आ जाती है। चाहे वह **'शायद'** कहानी का यरखाल' हो या **'क्षय'** कहानी की 'कुंती' या **'घुटन'** की यमोना' आदि सभी परिवार के साथ रहते हुए भी स्वयं को अकेला पाते हैं। पारिवारिक मूल्य-विघटन के इस दौर में वर्तमान परिवारों का यथार्थ स्वरूप मन्नू भंडारी के कहानियों में मिलता है, जो आधुनिक मध्यवर्गीय परिवार के रूप में पूर्ण रूप से स्थापित हो पाता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. संजीव महाजन : परिवार का समाजशास्त्र, पृ.196
2. वही, पृ. 203
3. डॉ. सुधा कुमारी : मन्नू भंडारी के कथा साहित्य में व्यक्ति परिवार और समाज, पृ.154
4. वही, पृ.155
5. मन्नू भंडारी : एक प्लेट सैलाब, पृ.49
6. मन्नू भंडारी : तीन निगाहों की एक तस्वीर, पृ.87
7. वही, पृ. 27
8. वही, पृ. 32
9. मन्नू भंडारी : एक प्लेट सैलाब, पृ. 29
10. मन्नू भंडारी : यही सच है, पृ. 69

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XL

Physico Chemical Analysis of Narmada River Near the Narmadapuram City

S.K. Diwakar* J.K. Wahane** O.N. Choubey***

*Govt. Narmada P.G. College, Hoshangabad (M.P.) INDIA
** S.S.L.N.Govt. Penchvalley P.G. College, Parasia, Chhindwara (M.P.) INDIA
*** Govt. Narmada P.G. College, Hoshangabad (M.P.) INDIA

Abstract - Narmada river is the main source of water for drinking , Irrigation, fish culture and other important activities in central India. The present study of narmada river water near Narmadapuram city indicate that the some parameters are beyound the limits in compare to central pollution control board and Indian standard for drinking water. The quality of water with the view to being out a transparence image of the water pollution status of river and assessment of its effect and bringing forth suggestion for improvement.

The sample collection, preservation &pre treatment will be according to standard method of collecting samples at international level i.e. APHA and BIS procedure. Prior to this a through survey will be conducted to know about probable pollution source and other relevant features.
Key words - Dissolve Oxygen, BOD, COD, Turbidity, Total hardness.

Introduction - Narmada is one of the sacred river all over the India,. It Originates from Amarkantak in Shahdol district, at an elevation of 1057 meter above MSL , covers distance of nearly 1312 km and total basin of 98,796,80 sq. km. The Narmada basin is about 1288 km. long and 80 km. broad running from east to west in Madhya Pradesh, occupies a central position in the country &empyties into the Gulf of Cambay below Broach.

In the present study Narmada river are selected. Narmada river is one of the most important rivers of Madhya Pradesh.

In Madhya Pradesh out of the total catchment area of the river Narmada basin lying in the state is 85,938 sq. km.

Due to urbanization and industrialization, environmental pollution is increasing day by day. The disposal of city waste, sewage and industrial effluents is becoming a major problem.

Material And Method: The river Narmada has been surveyed throughout the year 2022, over a distance of about 8km. Four sampling sites were selected.

In Narmda Site Ist is Situated at "Ramjanki ghat" on the upstream of river. Here many people take bath and wash their cloths daily. Site IInd is situated at "Naoghat" where continuous discharge of domestic sewage of the city is going on. Site IIIrd is at " Sita Ram ghat " IVth is situated at the downstream of the river Narmada is Seoni ghat. The various physico-chemical and biological parameters were determined as per methods suggested by APHA(1976). Temperature, pH and Dissolved Oxygen were recorded immediately after collection of sample at the sites, While other parameters were analysed in the laboratory within 24 hours samples for the planktons were collected simultaneously and sedimentations were made in glass jars, after adding 10 ml. of acid lygol's solution for preservation. After 24 hours, the supernatant was discharged then remaining 25ml of sediments was taken on glass slide and planktons number counted under the microscope. Their estimation was made by drop method.

Observations: The survey of the river water resources includes the identification and characterization of two site IIIrd and IVth, which are cause of pollution problems. Apart from this there are sewage, bathing and discharge of dead bodies in the river, which are major causes of the water pollution. Result shown in table-I.

Temperature of polluted sites may have profound effect on the dissolved oxygen, When the values of temperature was increased, and values of dissolved oxygen was decreased .There pH values from 7.5 to 8.3 in river Narmada. Low dissolved oxygen values is recorded at III & IV polluted sites, throughout the year.

The value of alkalinity observed in Narmada river from 534 to 601.

The values (197 to 265 mg/lit) of chloride were recorded at river Narmada. The High valuesofCOD (65 to 121 mg/lit) wererecorded at river Narmada.

Discussion: Several physico-chemical and biological parameters have been studies in relation to the pollution of river water.The Physico-chemical analysis showed that

polluted site IIIrd and IVth contained high values of chloride, total hardness, alkalinity, , But very low dissolved oxygen, which indicated a high pollution load. The present study indicates greater impact of Urban activity on river water quality inNarmadapuram city. It may be attributed to the fact that most of the water of cityare discharged through drains into the Sitaram Ghat. These studies also have resulted in several policy changes and strict regulatory measures for water quality maintenance in the river system. Treatment of waste before discharging into the river and diversion of organic waste water for alternative uses are significant among them.

References :-

1. A.V. Rao, B.L. Jain and I.C. Gupta, Indian Jour. Environ. Hlth, 35,132 (1993),
2. Klein, Aspect of river pollution butter worth scientific pollution London (1957),
3. WHO Guidelines for Drinking Water Quality Vol. 1: Recommendations, World Health organization, Geneva, P.1 (1984),
4. ISI Specification for Drinking Water, IS :10500:1983, Indian Standards Institution, New Delhi (1983),
5. APHA-AWWA and WPCF, standard Method of Examination of Water and Waste Water, New York (1995),
6. M.Z. Hasan and S.P. Pande, J. Indian Water Works Assoc. 16,259 (1983),
7. M.S. Nayak and A.D. Sawant, Indian, J. Environ. Hlth., 38,246 (1996),
8. Manivasakam, N. Physicochemical Examination of Water, Sewage and Industrial Effluents Pragati Prakashan, P. 234 (2002),
9. Munawar M., the Biotope hydrobiologia, 35: 127-162 (1970),
10. Virendra kumar Verma, S.R. Survey of Yamuna river and a few related drains with reference to physic-chemical and biological characteristics Ph.D. Thesis Meeratuni Muzaffarpur, (1980),
11. M.M.Saxena " Environmental Analysis, Water, Soil and Air" 2nd Ed. Agro. Botanical publ. India 19.
12. M.S.Kodarkar "Methodology of water analysis Associated of Aquatic Biologists" publ. No.2 Hydrabad.1992.
13. D.C.Thapiyal the Bacteriological quality of Tara waters, Indian J. Environ. 41th, 1972,14,68.
14. A.El. AwadyR.B.Miller and M.J.corter Anal.Chem. 1976,48,110.

Table-I: Mean Values Of Phyico-Chemical Parameters At Sampling Sites In River Narmada

S.	PARAMETERS	SITE-Ist Ramjanki Ghat	SITE-IInd Nao Ghat	SITE-IIIrd Sitaram Ghat	SITE-IVth Seovni Ghat
1.	Temperature	25°C	26°C	30°C	28.2°C
2.	pH	7.8	7.9	8.3	7.5
3.	D. Oxygen mgL^{-1}	6.6	6.9	5.5	5.2
4.	TDS mgL^{-1}	386	390	412	432
5.	Nitrate mgL^{-1}	0.6	0.8	1.0	0.9
6.	Phosphate mgL^{-1}	0.7	0.6	1.2	1.4
7.	Chloride mgL^{-1}	218	197	232	265
8.	Alkalinity mgL^{-1}	534	561	601	546
9.	T Hardness mgL^{-1}	161	185	221	243
10.	BOD mgL^{-1}	5.6	6.7	8.9	9.6
11.	COD mgL^{-1}	65	89	102	121
12.	Total Viable count/ml	6000-120000	8000-125000	10000-137000	5000-115000
13.	E.coli count/ml	1500-20000	2100-27000	3200-51000	1800-19400
14.	Copper (Cu) mg/L0.05-1.5	0.232	0.222	0.247	0.252
15.	Iron (Fe) mg/L0.3-1.0	0.254	0.361	0.321	0.311
16.	Zinc (Zn) mg/L5-15	0.168	0.191	0.151	0.159
17.	Manganese (Mg) mg/L0.1-0.3	0.162	0.182	0.131	0.127

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XL

महाविद्यालय स्तर के विद्यार्थियों में अभिप्रेरणा,व्यक्तिगत मूल्यो एवं मानसिक स्वास्थ्य का तुलनात्मक अध्ययन

रमेश चन्द्र भट्ट* डॉ.प्रीति ग्रोवर**

* शोधार्थी, टांटिया विश्वविद्यालय, श्रीगंगानगर (राज.) भारत
** शोध निदेशिका, टांटिया विश्वविद्यालय, श्रीगंगानगर (राज.) भारत

शोध सारांश – प्रस्तुत शोधकार्य में **महाविद्यालय स्तर के विद्यार्थियों में अभिप्रेरणा,व्यक्तिगत मूल्यो एवं मानसिक स्वास्थ्य का तुलनात्मक अध्ययन** किया गया हैं। अध्ययन में प्राप्त आंकडों के आधार पर निष्कर्ष प्राप्त किये गए है। यह अध्ययन उत्ऱाखंड के दो जिलो के विद्यार्थियों पर किया गया है। इस हेतु अभिप्रेरणा मापनी डॉ. वी.पी. भार्गव मानसिक स्वास्थ्य मापनी डॉ.जगदीश व डॉ.ए.के.श्रीवास्तव ,व्यक्तिगत मूल्य मापनी– डॉ.श्रीमती जी.पी.शौरी व डॉ.आर.पी.वमान का उपयोग किया गया है। निष्कर्ष रूप में पाया गया कि महाविद्यालय स्तर के विद्यार्थियों मे अभिप्रेरणा,व्यक्तिगत मूल्यों तथा मानसिक स्वास्थ्य के आधार पर सार्थक अन्तर है।

प्रस्तावना – कोई भी प्राणी बिना किसी प्रयोजन के कोई कार्य नहीं करता है। यही प्रयोजन या कारण अभिप्रेरणा या प्रेरणा है। मानव के कार्य या व्यवहार को परिचालित करने वाली कुछ प्रेरक शक्तियाँ होती हैं जो व्यक्ति को विभिन्न कार्यो को करने की अभिप्रेरणा देती रहती है। अभिप्रेरणा का अर्थ व्यक्ति की उस आन्तरिक स्थिति से होता है जो किसी विशेष परिस्थिति में व्यक्ति को अपने लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए क्रियाशील करती है, इस प्रकार प्रेरणा एक आन्तरिक शक्ति है, जो क्रिया के लिए प्रेरित करती है। यह ऐसी आंतरिक दशा है जो मानव को तब तक कार्य में लगाये रखती है जब तक कि उसका उद्देश्य पूर्ण नहीं हो जाता।हमें 'व्यवसाय केन्द्रित शिक्षा', 'उत्पादन केन्द्रित शिक्षा' जैसे नारों से हटकर 'मूल्य केन्द्रित शिक्षा' की बात करनी होगी क्योंकि जीवन मूल्य राष्ट्रीय चरित्र की नींव का निर्माण करते हैं। मूल्य परक शिक्षा का अर्थ है ऐसी शिक्षा जो देश, काल, मानव कल्याण व मानव एकता के संदर्भ में आवश्यक व भविष्य में मानवीय आत्मा के उत्थान में सहयोगी, तर्क संगत व उचित मूल्यों से अनुप्रमाणित हो। एक ऐसी शिक्षा जिसमें हमारे नैतिक, सामाजिक व सांस्कृतिक मूल्य समाहित हो। समाज में व्याप्त कुरीतियों और अंधविश्वासों को शिक्षा के माध्यम से समाप्त किया जा सकता है, वहीं समाज में नवचेतना का संचार कर विकास के मानवीय मूल्यों को स्थापित किया जा सकता है।आज ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जो विद्यार्थियों को समाज में होने वाले प्रत्येक घटनाओं के प्रति सजगता एवं चैतन्यता का विकास कर सकें एवं राजनीतिक, प्रकृति, सामाजिक एवं आर्थिक उथल–पुथल पर अपने स्वयं के मूल्यों के आधार पर विवेक से कार्य करने की क्षमता विकसित कर सकें।इसके लिए यह आवश्यक है कि शिक्षा इसप्रकार की हो की वह विधार्थी को अभिप्रेरित करे।

समस्या कथन– 'महाविद्यालय स्तर के विद्यार्थियों में अभिप्रेरणा, व्यक्तिगत मूल्यो एवं मानसिक स्वास्थ्य का तुलनात्मकअध्ययन।'

शोध शीर्षक में प्रयुक्त शब्दों का परिभाषीकरण

अभिप्रेरणा

थॉमसन के अनुसार – 'प्रेरणा एक कला है। इसके द्वारा उन छात्र/छात्राओं में पढने के प्रति रूचि उत्पन्न की जाती है। जिनमें इस प्रकार की रूचि का अभाव है। जहाँ पर बालकों में पढने की रूचि तों है, परन्तु वे उसका अनुभव नहीं करते हैं।वहाँ प्रेरणा के द्वारा उन्हें यह अनुभव कराया जाता है।'

व्यक्तिगत मूल्य

आर. के. मुखर्जी के अनुसार – 'मूल्यों को सामाजिक दृष्टि से स्वीकार्य उन इच्छाओं तथा लक्ष्यों के रूप में परिभाषित किया है जिन्हें अनुबंधन, अधिगम या समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा आभ्यन्तरीकृत किया जाता है तथा जो आत्मनिष्ठ प्राथमिकताओ, मानकों तथा आकांक्षाओं का रूप ग्रहण कर लेती है।'

मानसिक स्वास्थ्य

हारविज तथा स्कीड (1999) के अनुसार– 'मानसिक स्वास्थ्य में कई आयाम सम्मिलित रहते हैं – आत्म–सम्मान, अपने अंत:शक्तियों का अनुभव, सार्थक एवं उत्तम सम्बन्ध बनाये रखने की क्षमता तथा मनोवैज्ञानिक श्रेष्ठता।'

अध्ययन के उद्देश्य :

1. महाविद्यालय स्तर के विद्यार्थियों में लिंग, स्थानीयता, संकाय के आधार पर अभिप्रेरणा का अध्ययन करना।
2. महाविद्यालय स्तर के विद्यार्थियों में लिंग, स्थानीयता, संकाय के आधार पर व्यक्तिगत मूल्यों का अध्ययन करना।
3. महाविद्यालय स्तर के विद्यार्थियों में लिंग, स्थानीयता, संकाय के आधार पर मानसिक स्वास्थय का अध्ययन करना।

अध्ययन की परिकल्पनाएँ :

1. महाविद्यालय स्तर के विद्यार्थियों में लिंग, स्थानीयता, संकाय के आधार पर अभिप्रेरणा में सार्थक अंतर नहीं है।
2. महाविद्यालय स्तर के विद्यार्थियों में लिंग, स्थानीयता, संकाय के आधार पर व्यक्तिगत मूल्यों में सार्थक अंतर नहीं है।
3. महाविद्यालय स्तर के विद्यार्थियों में लिंग, स्थानीयता, संकाय के आधार पर मानसिक स्वास्थय में सार्थक अंतर नहीं है।

न्यादर्श – प्रस्तुत शोध में न्यादर्श के रूप में उतराखंड के दो जिलो के कुल

600 विद्यार्थियों का चयन किया गया है।

शोध में प्रयुक्त उपकरण :-

1. **अभिप्रेरणा मापनी - डॉ. वी.पी. भार्गव**
2. **मानसिक स्वास्थ्य मापनी - डॉ.जगदीश व डॉ.ए.के.श्रीवास्तव**
3. **व्यक्तिगत मूल्य मापनी- डॉ.श्रीमती जी.पी.शौरी व डॉ.आर.पी.वर्मा**

प्रदत्तों का विश्लेषण व विवेचन।

1. महाविद्यालय स्तर के विद्यार्थियों में लिंग, स्थानीयता, संकाय के आधार पर अभिप्रेरणा में सार्थक अंतर नहीं है।

सर्वप्रथम उपरोक्त परिकल्पना को तीन आधारों पर विभाजित किया गया

अ) महाविद्यालय स्तर के विद्यार्थियों में लिंग के आधार पर अभिप्रेरणा में सार्थक अन्तर नहीं है।

निष्कर्ष रूप में देखा गया है कि महाविद्यालय स्तर के छात्रों व छात्राओं के अभिप्रेरणा में आंशिक अन्तर है। छात्रों की अपेक्षा छात्राओं में अभिप्रेरणा स्तर आंशिक अधिक पाया गया। हमारी परिकल्पना महाविद्यालय स्तर के विद्यार्थियों में लिंग के आधार पर अभिप्रेरणा में सार्थक अन्तर नहीं है आंशिक स्वीकृत होती है।

ब) महाविद्यालय स्तर के विद्यार्थियों में स्थानीयता के आधार पर अभिप्रेरणा में सार्थक अन्तर नहीं है।

निष्कर्ष रूप में देखा गया है कि महाविद्यालय स्तर के ग्रामीण एवं शहरी विद्यार्थियों के अभिप्रेरणा में सार्थक अन्तर है। ग्रामीण की अपेक्षा शहरी विद्यार्थियों में अभिप्रेरणा स्तर अधिक पाया गया। हमारी परिकल्पना महाविद्यालय स्तर के विद्यार्थियों में स्थानीयता के आधार पर अभिप्रेरणा में सार्थक अन्तर नहीं है अस्वीकृत होती है।

स) महाविद्यालय स्तर के विद्यार्थियों में संकाय के आधार पर अभिप्रेरणा में सार्थक अन्तर नहीं है।

वाणिज्य तथा कला वर्ग के विद्यार्थियों में अभिप्रेरणा स्तर समान है जबकि विज्ञान तथा कला व विज्ञान तथा वाणिज्य वर्ग के विद्यार्थियों के अभिप्रेरणा स्तर में अन्तर है। अत: हमारे द्वारा निर्मित परिक्लपना स महाविद्यालयी स्तर के विद्यार्थियों में संकाय के आधार पर अभिप्रेरणा में सार्थक अन्तर नही है। अस्वीकृत होती है क्योकि संकाय के आधार पर विद्यार्थियों के अभिप्रेरणा स्तर में अन्तर पाया गया।

परिकल्पना संख्या 1 महाविद्यालयें स्तर के विद्यार्थियों में लिंग, स्थानीयता तथा संकाय के आधार पर अभिप्रेरणा में सार्थक अन्तर नही है अस्वीकृत होती है। क्योकि 3 परिकल्पनाओं में 2 परिकल्पनाए अस्वीकृत तथा 1 आंशिक स्वीकृत हो रही हैं।

2 महाविद्यालय स्तर के विद्यार्थियों में लिंग, स्थानीयता, संकाय के आधार पर व्यक्तिगत मूल्यों में सार्थक अंतर नहीं है।

अ) महाविद्यालय स्तर के विद्यार्थियों में लिंग के आधार पर व्यक्तिगत मूल्यों में सार्थक अन्तर नहीं है।

उप परिकल्पना 2अ का विश्लेषण करने पर ज्ञात हुआ कि व्यक्तिगत मूल्यों की दस श्रेणियों में से 7 श्रेणियों में (सामाजिक, लोकतांत्रिक, ज्ञान, सौन्दर्यबोधात्मक,आर्थिक,सुखवादी,शक्ति) में सार्थक अन्तर पाया गया जबकि तीन मूल्यों (धार्मिक,परिवार प्रतिष्ठा,स्वास्थय) में सार्थक अन्तर नहीं पाया गया। अत: हमारी परिकल्पना महाविद्यालय स्तर के विद्यार्थियों में लिंग के आधार पर व्यक्तिगत मूल्यों में सार्थक अन्तर नहीं है अस्वीकृत होती है।

ब) महाविद्यालय स्तर के विद्यार्थियों में स्थानीयता के आधार पर व्यक्तिगत मूल्यों में सार्थक अन्तर नहीं है।

उप परिकल्पना 2ब का विश्लेषण करने पर ज्ञात हुआ कि व्यक्तिगत मूल्यों की दस श्रेणियों में से 9 श्रेणियों (धार्मिक,सामाजिक, लोकतांत्रिक, ज्ञान, सौन्दर्यबोधात्मक,आर्थिक,सुखवादी,शक्ति,स्वास्थय) में सार्थक अन्तर पाया गया जबकि एक मूल्य (परिवार प्रतिष्ठा) में सार्थक अन्तर नहीं पाया गया। अत: हमारी परिकल्पना महाविद्यालय स्तर के विद्यार्थियों में स्थानीयता के आधार पर व्यक्तिगत मूल्यों में सार्थक अन्तर नहीं है अस्वीकृत होती है।

स) महाविद्यालय स्तर के विद्यार्थियों में संकाय के आधार पर व्यक्तिगत मूल्यों में सार्थक अन्तर नहीं है।

उपरिकल्पनाओं के अध्ययन के आधार पर देखा गया की वाणिज्य तथा कला वर्ग के विद्यार्थियों में व्यक्तिगत मूल्य समान है जबकि विज्ञान तथा कला व विज्ञान तथा वाणिज्य वर्ग के विद्यार्थियों के व्यक्तिगत मूल्यों में अन्तर है। अत: हमारे द्वारा निर्मित परिक्लपना स महाविद्यालयी स्तर के विद्यार्थियों में संकाय के आधार पर व्यक्तिगत मूल्यों में सार्थक अन्तर नही है अस्वीकृत होती है क्योकि संकाय के आधार पर विद्यार्थियों के व्यक्तिगत मूल्यों में अन्तर पाया गया।

परिकल्पना संख्या 2 महाविद्यालयें स्तर के विद्यार्थियों में लिंग, स्थानीयता तथा संकाय के आधार पर व्यक्तिगत मूल्यों में सार्थक अन्तर नही है अस्वीकृत होती है। क्योकि तीनों उप परिकल्पनाए अस्वीकृत हो रही हैं।

3 महाविद्यालय स्तर के विद्यार्थियों में लिंग, स्थानीयता, संकाय के आधार पर मानसिक स्वास्थय में सार्थक अंतर नहीं है।

अ) महाविद्यालय स्तर के विद्यार्थियों में लिंग के आधार पर मानसिक स्वास्थय में सार्थक अन्तर नहीं है।

निष्कर्ष रूप में देखा गया है कि महाविद्यालय स्तर के छात्रों व छात्राओं के मानसिक स्वास्थय में सार्थक अन्तर है। छात्राओं की अपेक्षा छात्रों में मानसिक स्वास्थय अधिक अच्छा पाया गया।

ब) महाविद्यालय स्तर के विद्यार्थियों में स्थानीयता के आधार पर मानसिक स्वास्थय में सार्थक अन्तर नहीं है।

निष्कर्ष रूप में देखा गया है कि महाविद्यालय स्तर के ग्रामीण एवं शहरी विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थय में सार्थक अन्तर है। ग्रामीण की अपेक्षा शहरी विद्यार्थियो में मानसिक स्वास्थय अधिक अच्छा पाया गया।

स) महाविद्यालय स्तर के विद्यार्थियों में संकाय के आधार पर मानसिक स्वास्थय में सार्थक अन्तर नहीं है।

उपरिकल्पनाओं के अध्ययन के आधार पर देखा गया की वाणिज्य तथा कला वर्ग के विद्यार्थियों ,विज्ञान तथा कला व विज्ञान तथा वाणिज्य वर्ग के विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थय में अन्तर है। अत: हमारे द्वारा निर्मित परिक्लपना स महाविद्यालयी स्तर के विद्यार्थियों में संकाय के आधार पर में सार्थक अन्तर नही है। अस्वीकृत होती है क्योकि संकाय के आधार पर विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थय में अन्तर पाया गया।

परिकल्पना संख्या 3 महाविद्यालयें स्तर के विद्यार्थियों में लिंग, स्थानीयता तथा संकाय के आधार पर मानसिक स्वास्थय में सार्थक अन्तर

नही है अस्वीकृत होती है। क्योकि तीनों उप परिकल्पनाए अस्वीकृत हो रही हैं।

भावी शोध हेतु सुझाव:

1. यह शोध कार्य उतराखंड के दो जिलो पर प्रशास्ति किया गया है इसे उतराखंड के अन्य जिलों को किया जा सकता है।
2. इससे बडे यादर्श पर भी एक एक चर को लेकर भी यह शोध कार्य किया जा सकता है।
3. प्रस्तुत शोध कार्य महाविद्यालय स्तर के विद्यार्थियों पर किया गया है तकनीकी व अकादमिक महाविद्यालयों के विद्यार्थियों में व्यक्तिगत मूल्यों, मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन भी किया जा सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. श्रीवास्तव, डॉ. डी.एन. वर्मा (2007) : 'बालमनोविज्ञान – बाल विकास संस्करण' विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा।
2. शर्मा, आर. ए. (2005) : 'शिक्षा अनुसंधान' सूर्या पब्लिकेशन्स, मेरठ
3. मंगल, डॉ. अंशु बरौलिया, डॉ. ए. अग्रवाल (2007): 'शैक्षिक अनुसंधान की विधियॉ एवं शैक्षिक सांख्यिकी' राधा प्रकाशन मंदिर, आगरा।
4. कपिल. एच.के. (2007) : 'अनुसंधान विधियॉ' एच.पी. भार्गव बुक हाउस, आगरा।
5. कपिल, एच. के. : 'सांख्यिकी के मूल तत्व' भार्गव बुक हाउस, आगरा।

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XL

शाङ्खायन ब्राह्मण में ब्रह्म तत्व का स्वरूप

डॉ. नरेन्द्र कुमार* डॉ. सुमित कुमार**

* सहायक अध्यापक (संस्कृत विभाग) चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, परिसर, मेरठ (उ.प्र.) भारत
** सहायक अध्यापक (संस्कृत विभाग) जे0बी0 पन्त डिग्री कॉलेज, कछला, बदायूँ (उ.प्र.) भारत

प्रस्तावना – शांखायन ब्राह्मण के षष्ठ अध्याय में ब्रह्मत्व का वर्णन करते हुए कहा है कि प्रजा की कामना से प्रजापति ने तप किया। उनके तप से अग्नि, वायु, आदित्य, चंद्रमा और उषा यह पांच उनसे उत्पन्न हुए।[1] प्रजापति ने इन पांचों से कहा आप भी तप कीजिए उन्होंने प्रजापति से दीक्षा ग्रहण की और दीक्षित होकर तप करने लगे। तप करते समय प्रजापति की पुत्री उषा अप्सरा का रूप धारण करके उनके सम्मुख प्रकट हुई उषा के सौंदर्य को देखकर इनका मन उसमें लगा और उन्होंनें उसमें रेतस का सिञ्चन किया इसके पश्चात् वे अपने पिता प्रजापति के पास गए और कहा हमने इसमें (उषा में) रेतस का सिञ्चन किया है। अत: यह उषा यहां ना रहे तब प्रजापति ने हिरण्मय चमस् (चम्मच) जो बाण मात्र ऊँचा और मोटा था उसमें इसका सिञ्चन किया।[2] तब वह सहस्राक्ष, सहस्र पैर, सहस्र बाण से युक्त होकर उठे।[3] वह उत्पन्न होने के पश्चात् प्रजापति के पास आए और उनसे कहा मुझे नाम दीजिए बिना नाम रखें इस विहित अन्न को मैं नहीं खा सकता। तब प्रजापति ने कहां तुम भव हो क्योंकि जल भव है अत: भव उन्हें उनकी संतानों को उनके पशुओं को और जो अपने को भव का बताता है वह उसको कष्ट नहीं देते। जो उनसे द्वेष करता है वह पापी होता है और जो ऐसा जानता है वह पापी नहीं होता। इसका वृत्ता है आर्द्रवस्त्र धारण करें।[4] पुन: वह प्रजापति के पास आये और कहा आप मुझे दूसरा नाम दीजिए एक नाम से इस अन्न को मैं नहीं खा सकता। उन्होंने कहा तुम शर्व हो क्योंकि अग्नि शर्व है। अत: शर्व उसकी या उसकी संतानों की या उसके पशुओं की या जो कोई अपने को उनका मानता है उसकी क्षति नहीं करते। और जो उनसे द्वेष करता है वह पापी होता है और जो ऐसा जानता है वह नहीं इसका नियम है सभी (शर्व) नहीं खाना चाहिए।[5] तीसरी बार पुन: पिता के पास गए और कहा इन दोनों नामों से इस विहित अन्न को मैं नहीं खा सकता मेरा तीसरा नाम दीजिए उन्होंने कहा तुम पशुपति हो क्योंकि वायु पशुपति है। अत: इसे इसकी प्रजा को इसके पशुओं को या और कोई इसका अपने को बताता है पशुपति हिंसित नहीं करते। जो द्वेष करता है वह पापी और जो ऐसा जानता है वह नहीं इसका व्रत है ब्राह्मण की निंदा ना करें।[6] पुन: चौथी बार उनके पास गये और कहा मेरा चौथा नाम कीजिए इन तीन नामों में मैं इस अन्न का भक्षण नहीं कर सकता। प्रजापति ने कहा तुम उग्रदेव हो क्योंकि उग्रदेव औधियां और वनस्पतियां हैं। अत: इसको इसकी प्रजा को इसके पशुओं को या जो कोई अपने को इसका बताता है उग्रदेव उसको हिंसित नहीं करते। जो इससे द्वेष करता है वह पापी और जो ऐसा जानता है वह नहीं इसका व्रत है स्त्री के छिद्र विवर को नहीं देखना।[7] वह पांचवी बार प्रजापति के पास पहुंचा और कहां मेरा पांचवा नाम कीजिए इन चार नामों से इस विहित अन्न को नहीं खा सकता। उन्होंने कहा तुम महान् देव (महादेव) हो। क्योंकि महादेव आदित्य है। इसलिए इसको इसकी प्रजा को इसके पशुओं को या और कोई जो इसको अपना बताता है महादेव हिंसित नहीं करते। जो इससे द्वेष करता है वह पापी जो ऐसा जानता है वह नहीं आदित्य का व्रत है कि इसको (आदित्य को) उदित होते हुए और अस्त होते हुए नहीं देखना चाहिए।[8] पुन: छठी बार उनके पास गया और बोला कि इन पांच नामों से इस अन्न को में नहीं खा सकता मेरा छठा नाम कीजिए। प्रजापति ने कहा तुम रूद्र हो क्योंकि रूद्र चंद्रमा है।

अत: वह रूद्र चंद्रमा को इसकी प्रजा को इसके पशुओं को या जो कोई भी अपने को इसका बताता है रूद्र उसको हिंसित नहीं करते। जो इससे (केंद्र से) द्वेष रखता है वह पापी और जो ऐसा जानता है वह पापी नहीं। इसका नियम है जो भी विमूर्त है या मज्जान (संकीर्ण) है उसे ना खाये। पुन: सावतीं बार वह प्रजापति के पास गया और कहां कि इस अन्न को मैं इन छ: नामों से नहीं खा सकता आप मेरा सातवां नाम कीजिए। तब उन्होंने कहा तुम ईशान हो क्योंकि ईशान अन्न है। अत: उसे उसकी प्रजा को उसके पशुओं को या जो कोई उसका अपने को कहता है ईशान हिंसित नहीं करते जो इससे द्वेष करता है वह पापी होता है जो ऐसा जानता है वह नहीं। इसका ब्रत है अन्न की कामना करने वालों का प्रत्याख्यान ना करें। फिर से आठवीं बार उनके (प्रजापति के) पास गया और उनसे कहां मेरा आठवां नाम करिये सात नामों से इस अन्न को मैं नहीं खा सकता। उन्होंने कहा तुम अशनि हो क्योंकि इंद्र अशनि है। अत: इसे इसकी प्रजा को इसके पशुओं को या जो कोई अपने को इसका कहता है अशनि हिंसित नहीं करता। जो इससे द्वेष करता है वह पापी होता है जो ऐसा जानता है वह नहीं इसका नियम है सत्य बोले और स्वर्ग धारण करें। इस प्रकार यह महादेव अष्ट नामो वाले तथा आठ प्रकार से विभक्त हैं। जो ऐसा जानता है उसकी प्रजा आठ पीढ़ियों तक अन्न खाती है और इसकी प्रजा में सदैव तेजस्वी उत्पन्न होते हैं।[9]

प्रजापति ने तप किया उन्होंने तप करके प्राण (श्वास वायु) से इस भूलोक का विस्तार किया। अपान से अंतरिक्ष का और व्यान से द्युलोक का विस्तार किया।[10] फिर उन्होंने इन तीनों लोकों के ऊपर तप किया। भूलोक से अग्नि की सृष्टि की अंतरिक्ष लोक वायु की और द्युलोक से आदित्य की सृष्टि की।[11] फिर उन्होंने इन तीन ज्योतियों के ऊपर तप किया। उन्होंने अग्नि से ही ऋचाओं की सृष्टि की वायु से यजुष की और आदित्य से सामन् की सृष्टि की।[12] पुन: उन्होंने इस त्रयी विद्या के ऊपर तप किया। जिससे उन्होंने यज्ञ का विस्तार किया। उन्होंने ऋक् से (आशंसन) पाठ किया यजुष

से प्रारंभ किया सामन से गायन किया। इस त्रयीविद्या के तेजस का रस उन्होंने इन वेद के ही चिकित्सा (स्वास्थ्य भिषज्या) के लिए तैयार किया।[13] उन्होंने ऋचाओं का भू: यजुषों का भूव: और सामो का स्व: विकसित किया।[14] यज्ञ के दक्षिण दिशा में ब्रह्म थे जिससे यज्ञे दक्षिण दिशा में विस्तृत और उत्तार की और प्रणव हुआ। जिसका ब्रह्मा ऐसा विद्वान होता है उसका यज्ञ दक्षिण में विस्तृत उत्तार में ढलवा होता है।[15]

शाड्खायन ब्राह्मण के षष्ठ अध्याय के ग्यारहवें खण्ड में कहा है कि ऋक् से होता 'होता' होता है। यजुष से अध्वर्यु 'अध्वर्यु' होता है साम के उद्गता 'उद्गता' होता है। तो किससे ब्रह्मा, ब्रह्मा होता है।[16] तो वे कहते हैं कि जिसने इस त्रयी विद्या से तेजस के रस को वर्धित किया है उससे ब्रह्मा 'ब्रह्मा' होता है।[17] फिर वे कहते हैं क्या जानने वाले तथा किस छंद वाले को ब्रह्मा बनाएं। कुछ कहते हैं अध्वर्यु को क्योंकि वह परिक्रमा के स्थानों को जानता है कुछ कहते हैं छंदोण को क्योंकि उसके हविर्यज्ञ तीनों वेदों से संस्कृत होते हैं। तथापि नियम यह है कि ब्रह्मा ऋग्वेद हो[18] क्योंकि अन्य दो वेद इसके परिचरण (सहायक) है ब्रह्मा पर होता के कर्म बहुश: निर्भर हैं। ऋचाओं से ही पात्रों का ग्रहण होता है ऋचाओं पर ही साम का गायन होता है। अत: वह वच्च (ऋग्वेदी) ही ब्रह्मा हो। आगे पूछते हैं कि यज्ञ का कितना अंश ब्रह्मा संस्कृत करता है और अन्य ऋत्विक कितना। प्रजापति कहे 'आधा' यज्ञ के दो मार्ग (वर्तनी) है एक वाणी से संस्कृत किया जाता है दूसरा मन से संस्कृत किया जाता है। जो वाणी से किया जाता है उसे अन्य ऋत्विक संस्कृत करते हैं। और जो मन से किया जाता है उसे ब्रह्मा करता है।[19] अत: जब तक ऋक्, यजुष और सामन से वे करें तब तक ब्रह्मा चुप बैठै क्योंकि वह यज्ञ का आधार भाग करता है। जब अन्य ऋत्विक यज्ञ का आधा भाग पूर्ण करके उससे (ब्रह्मा) कहे हैं। ब्रहमना हम आगे करे हम प्रारंभ करे कि ब्रहमन् हम आगे बढ़ें, हम स्तुति करे तो वह उनसे केवल 'ओम' कहे। यह एक अक्षर त्रयी विद्या का प्रतिनिधि है।[20] अत: उसके द्धारा त्रयी विद्या से प्रेरणा दी गई है। ब्रह्मा में ही यज्ञ प्रतिष्ठित है।[21] यज्ञ में ही जो कुछ स्खलित (च्युत) या अधिक उल्वण (दोषयुक्त) उसे हो ब्रह्मा से कहे। क्योंकि वह उसकी त्रयी विद्या से चिकित्सा करता है।[22] यदि ऋचा में कुछ दोष युक्त हुआ है तो वह आज्य (घृत) को चार भागों में लेकर 'भू: स्वाहा' से गार्हपत्य अग्नि में प्रायश्चित आहुति दें। इससे वह ऋचा में ऋचा कों स्थापित करता है और ऋचा से ऋचा में प्रायश्चित करता है। और यदि यजुष में दोष हुआ है तो आज्य को चार भागों में लेकर हविर्यज्ञ की स्थिति में 'भुव: स्वाहा' से अन्वाहार्य वचन में आहुति हैं और सोम यज्ञ में आग्नीध अग्नि में आहुति दें। इससे वह यजुष को यजुष में स्थापित करता है और यजुष से यजुष में प्रायश्चित करता है। यदि साम में उल्वण हुआ तो चार आज्य भाग लेकर आह्वानीय में स्व: स्वाहा से प्रायश्चित आहूति का हवन करें। इस प्रकार वह साम में साम से प्रायश्चित करता है और साम को साम में स्थापित करता है।[23] और यदि कोई अज्ञात दोष हो तो चार भागों में आज्य लेकर 'भूर्भुव: स्व: स्वाहा' इससे आह्वनीय में ही प्रायश्चिताहति का हवन करें। जो इस व्याहृतियों से प्रायश्चिति को करता है। वह अपूर्ण यज्ञ को पूर्ण करता है।[24] जो इन व्याहृतियां को जानता है वह निश्चय ही सब कुछ जानता है। जैसे काष्ठ का रस्सी या धर्मतंतु का आवेष्टन हो उसी प्रकार के व्याहृतियों त्रयी विद्या के लिए आवेष्ठन हैं।[25]

आगे बताते हैं कि जो ब्रह्मसदन से तृण को हटाता है तो इस प्रकार निश्चय ही इसे वह शुद्ध करता है। तन्दतर वह अर्वावसु के स्थान पर में अर्वावसु के सदस् (स्थान) पर बैठता हूं कहकर बैठता है।[26] अर्वावसु देवों के ब्रह्मा है। इस प्रकार वह उससे यह कहते हुए कि निर्विघ्न यज्ञ चले बैठता है। बैठकर वह जप करता है। बृहस्पति देवो के ब्रह्मा है।[27] इस प्रकार वह उनसे अनुमति लेना चाहता है। प्रणीता जलों के ले आते समय जब तक 'हविष्कृत' शब्द का जोर से उच्चारण नहीं होता वह वाणी का यमन करता है। यह यज्ञ का द्धार है अत: यह उसे शून्य (रिक्त) नहीं करता। वह (ब्रहमा के स्थान पर बैठने वाला) स्विष्टकृत् यज्ञ के कर लेने पर अनुयाजों के आरंभ तक मौन रहता है। यह यज्ञ का दूसरा द्वार है अत: वह इसे अशून्य नहीं करता है।[28] जब देवताओं ने यज्ञ किया तो उन्होंने ब्रहमी का मार्ग सविता के लिए रखा इससे उनके दोनों हाथ कट गए। इसके स्थान पर उन्हें दो स्वर्णमय हाथों को दिया। इसलिए वे हिरण्यपाणि रूप में प्रस्तुत हुए।[29] उन्होंने इसे भग के लिए रखा इसने उनकी दोनों आंखों को नष्ट कर दिया इसी से वे कहते है कि 'भग अंधे हैं।' फिर उसे पूषन् के लिए रखा। इसने उनके दांतों को उखाड़ दिया इसलिए कहते है कि पूषन दंतोहन तथा करम्भभाक् (तरल पदार्थ भौजी) है।[30] फिर उन देवो ने कहा कि इंद्र देवताओं में सबसे अधिक ओजस्वी तथा बलवान है इनके लिए इसे रखो। उन्होंने उनके लिए इसे लाया उन्होंने उसका ब्रह्मा से शमन किया। इसलिए उन्होंने कहा कि इंद्र ब्रह्म है।[31] वे उसे देखते हैं 'मित्र के नेत्रों से तुम्हें देखता हूं निश्चय ही वे इस प्रकार उसे मित्र के नेत्रों से शमित करते हैं।' वे इसे यह कहते हुए स्वीकार करते हैं कि सवितृ देव की प्रेरणा से अश्विनों की बाहुओं से पूषन के हाथों से मैं तुम्हें गृहण करता हूं।[32] निश्चय ही वे इन देवताओं से उसका शमन करते हैं। तदनन्तर तृणों को व्यूहन कर पृथ्वी के स्थण्डिल पर ब्रह्मा के अंश वाले पात्र को पूर्व की ओर दण्ड (सुवा) कर रखता है। और उसे रखते समय कहता है कि अदिति के उपस्थ में पृथिवी की नाभि में तुझे रखता हूं। पृथ्वी अन्न की शमनकर्त्री (प्रसाधनकर्त्री) है। इससे वह निश्चित रूप से उसे शमित (प्रसन्न) करता है।[33] उससे लेकर वह यह कहते हुए खाता है कि अग्नि के मुख से मैं तुम्हें खाता हूं 'अग्नि ही अन्नों के शमन कर्ता है।' इस प्रकार वह उसे प्रसन्न करता है। तदनन्तर वह जल का आचमन करता है कि 'आप शांति है जल शांति तथा भेषज है।'[34] इस प्रकार निश्चय ही यज्ञान्त में शांति तथा भेषज उत्पन्न किए जाते हैं। वह प्राणवायु का स्पर्श करता है इस प्रकार जो प्राणों में क्रूर कर्म में प्रयुक्त हुआ है या क्षतिग्रस्त है इस प्रकार निश्चय ही उसे वह तृप्त करता है और चिकित्सा करता है। अंत में वह नाभि को यह कहते हुए स्पर्श करता है कि मैं तुम्हें इंद्र के जठर में स्थापित करता हूं। इंद्र उसका इस प्रकार शमन करते हैं और जो सवितृ के सम्बन्धी जप से प्रेरित करता है वह इसलिए कि सविता प्रस्रवित (प्रेरक) है। और कर्म प्रेरणा के लिए होता है।[35] प्रजापति ने यज्ञ की सृष्टि की। उन्होंने अग्रयाधान से रेतस्, देवो मनुष्य और असुरों की सृष्टि की। दर्श और पौर्णमास हवि से इंद्र की सृष्टि की।[36] उनके लिए उन्होंने हविर्यज और सोमयज्ञ में अन्न-पान की सृष्टि की। उन्होंने जिन-जिन कामनाओं की वाञ्छा कि उन्हें इन अयनों से प्राप्त किया अन्नाद्य को आग्रयण से प्राप्त किया। ये अयन प्रत्येक कामना के प्रति तथा स्वर्गलोक को गमन है।[37]

चातुर्मास्य यज्ञों से उन्होंने स्वर्गलोकों सभी कामनाओं, सभी प्राप्तियां और सभी अमृत्व को प्राप्त किया। प्रजापति ही चातुर्मास्य यज्ञ हैं चौबीस पर्वो वाला वर्ष विश्वदेव इसके मुख दर्शपौर्णमास पर्व ग्रंथि, दिन-रात अस्थि मज्जा, वरूण प्रघास, बाहु प्राण, अपान, व्यान ये तीन इष्टिया महाहवि आत्मा जो यह अंतर्देवता है। वह अन्य इष्टियां और शुनासीरीयर प्रतिष्ठा है।[38] यह प्रजापति ही चतुर्मास्य चतुर्विंश संवत्सर है, प्रजापति ही सब कुछ है। चातुर्मास्य सभी कुछ हैं अत: जो इसे जानता है वह सभी कुछ प्राप्त करता हैं।

शाड्खायन ब्राह्मण में सोमयज्ञ के प्रसंग में प्रजापति का विवेचन करते हुए कहा है- कि प्रजापति सप्तदश है जो प्रजापति के अनुकूल कार्य है वह ऋधकारी हैं।[39] कौषीतकि ने कहा है कि प्रजापति प्रात: अनुवाक् है। प्रजापति अपरिमित है उन्हें कोई नहीं माप सकता यही नियम है।[40] सोमयज्ञ के प्रसंग में अन्य स्थान पर वर्णन है कि षष्ठ दिन पुरूष है। प्रजापित पुरूष है क्योंकि वह इस सब (विश्व) से पूर्व है प्रजापित सभी छंदों से परे है। यह प्रजापति का रूप प्रतीक है।[41] अयम् जायत मनुष्य धेरीमणि ऋ (1.28.1) में किसी देवता के नाम का उल्लेख नहीं है प्रजापति ऐसे हैं जिनका नाम अनिरुक्त (उल्लेखरहित) है। ऋग्वेदीय सूक्तों में क: प्रजापति हैं यज्ञ में छठा दिन प्रजापति से सम्बन्धित है।[42] प्रजापति ने प्रजाओं की सृष्टि कर अपने को रिक्त सा अनुभव किया। उन्होंने सोचा मैं कैसे ऐसे यज्ञ से यजन करूं जिससे यजन कर मैं अपना अभीष्ट प्राप्त करूं और अन्नादय को प्राप्त करूं। उन्होंने एकादशिनी के दिन ग्यारह पशुओं के वर्ग को देखा और उसका आहरण करके उससे यजन किया। इससे यजन करके उन्होंनें अपनी कामनाओं को प्राप्त किया और अन्नादद्य को जीता इसी प्रकार यज्ञमान भी इस एकादशिनी के दिन यजन कर अपनी कामनाओं को तथा अन्नाद्य को प्राप्त करता है।[43]

निष्कर्षत: शाड्खायन ब्राह्मण में ब्रह्म तत्व का विवेचन प्रजापति देव रूप में और ब्रह्म ऋत्विक रूप में उपलब्ध होता है। देव रूप में सृष्टि का सृजन कर्ता, यज्ञ का उत्पन्न कर्ता और सम्पूर्ण विश्व का पालन पोषण कर्ता बताया गया है। ऋत्विक के रूप में ब्रह्मा को जयी विद्या से तेजस् के रस को वर्धित करने वाला यजन में होने वाले ज्ञात अज्ञात दोष का निवारण करने वाला बताया है। इस प्रकार ब्रह्म को अपरिमित अनिरुक्त इत्यादि रूपों में व्यक्त किया गया है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. प्रजापति:प्रजापतिकामस्तपोऽतप्यत्तास्मात् तप्तात्याञ्चाजायन्ताग्निर्वयुरादित्यश्चन्द्रमा उषा: पञ्चमी।। - शाङ्खायन ब्राह्मण 6/1
2. प्रजापतिहिरण्मय चमसमकरोदिषुमात्रमूध्र्वमेवं तिर्यञ्चम्।।-तदैव
3. सहस्राक्ष: सहस्रपात्सहस्रेण प्रतिहिताभि:।।- तदैव
4. स प्रजापतिं पितरमभ्यायच्छतमब्रवीत्कथा माऽभ्यायायच्छसीति ....वेद तस्य व्रतमाद्रमिव वास: परिदधीतेति।। शांखायन ब्राह्मण 6/2
5. शाङ्खायन ब्राह्मण 6/3
6. तं तृतीयमभ्यायच्छतमब्रवीत्कथा.............न परिवदेदिति।। शाड्खायन ब्राह्मण 6/4
7. शाङ्खायन ब्राह्मण।। 6/5
8. तं पञ्चमभ्यायच्छत्तामब्रवीत्कथा.......नेक्षेतास्तं यन्तं चेति। शाड्खायन ब्राह्मण 6/6
9. स एषोऽष्टनामाऽष्टधाविहितो महान्देव आह वा अस्याष्टमा-त्पुरूषाप्रजाऽन्नमत्ति ।। शाड्खायन ब्राह्मण 6/9
10. प्रजापतिस्तपोऽतप्यत स तपस्तप्त्वा प्राणादेवेमं लोकं प्राब्रहद्पानादन्तरिक्षलोकं व्यानादमुं लोकम्।। शांखायन ब्राह्मण 6/10
11. सोऽग्निमेवास्माल्लोकादसृजत वायुमन्तरिक्षलोकादादित्यं दिव:। तदैव
12. स एतानि त्रीणि ज्योतीष्यभ्यतप्यत सोऽग्नेरेवर्चोऽसृजत वायोर्यजूष्यादित्यात्सामानि।।- तदैव
13. स ऋचैवाशंसद्यजुष: प्रातरात्साम्नोदगायदथैतस्या एव त्रय्यै विद्यायै तेजोरसं प्राबृहदेतेषामेव वेदानां भिषज्यायै।।- तदैव
14. स भूरित्यृचां प्राबृहद्भुव इति यजुषां स्वरिति साम्नां।।- तदैव
15. तेन दक्षिणतो ब्रहमऽऽतीतस्य दक्षिणतो वर्षीयानुदीचनप्रवणो यज्ञ: संतस्थे तस्य ह वै दक्षिणतो वर्षीयानुदीचीन प्रवणो यज्ञ: संतिष्ठते यस्यैव विद्वान्ब्रह्मा भवति ।।- शाड्खायन ब्राह्मण 8/10
16. तदाहुर्यद्चा होता होता भवित यजुषाऽध्वर्यु: साम्नोद्गातोद्गाता केन ब्रह्मा ब्रह्मा भवति।। शाङ्खायन ब्राह्मण 6/11
17. त्रय्यै विद्यायै तेजोरसं प्राबृहत्तोन ब्रह्मा ब्रह्मा भवति।।- तदैव
18. बह्वृचमिति। तदैव
19 द्वे वै यज्ञस्य वर्तनी वाचाऽन्या संस्क्रियते मनसाऽन्या स या वाचा संस्क्रियते तामन्य ऋत्विज: संस्कुर्वन्त्यथ या मनसां तां ब्रह्मा।। शाङ्खायन ब्राह्मण 6/11
20. अथ यत्रैन ब्रूयुर्ब्रह्मन्प्रणेष्यामो ब्रह्मन्प्र च तरिष्यामो ब्रह्मन्प्रस्थास्यामो ब्रह्मन्तोष्याम इत्यो3मित्येतावता प्रसूयादेतद्ध वा एकमक्षरं त्रयी विद्या प्रति। शाङ्खायन ब्राह्मण 6/12
21. वै यज्ञ: प्रतिष्ठतो।।- तदैव
22. यद्वै यज्ञस्य स्खलितं वोल्वणम् भवति ब्रह्मण एवं तत्प्राहुस्तस्य त्रय्या विद्या भिषज्यत्यथ।। तदैव
23. यद्धयृच्युलवणं स्याच्चतुर्गृहीतमाज्यं.............साम्ना साम्नि प्रायश्चिति करोति।। शाङ्खायन ब्राह्मण 6/12
24. यद्यविज्ञातमुल्वणं स्याच्चतुर्गुहीतमाज्यं गृहीत्वाऽऽहवनीय एवं प्रायश्चिताहुति जुहुयाद्भूर्भुव: स्व: स्वाहेत्येष ह वै यज्ञस्य व्यृद्धं समर्धयति।।- तदैव
25. य एताभिरर्व्याहितिभि: प्रायश्चिति करोति.......विद्यायै संश्लेषण्य:। शाङ्खायन ब्राह्मण 6/12
26. अथ यद् ब्रह्मसदनातृण निरस्यति शोधेत्वैनं तदयोपविशतीदमहमर्वावसो: सदसि सीदामीत्यर्वावसुर्हे।। शाङ्खायन ब्राह्मण 6/13
27. वै देवानां ब्रह्मा- तदैव
28. ब्रहस्पतिर्ह वै देवानां ब्रह्मा.........यज्ञस्य द्वितीयं द्वारं तदेवैतद शून्य।।- शाङ्खायन ब्राह्मण 6/13
29. तद्देवा यज्ञमतन्वत तत्सवित्रे प्राशित्रं परिजहस्तस्य पाणी प्रतिच्छेद तस्मै हिरण्यमयौ प्रतिदधुस्तस्माद्धिरण्यपाणिरिति।।- तदैव
30. तस्मादाहरन्धो भग इति तत्पूष्ण... करम्भ भाग इति ते देवा उचु:। शाड्खायन ब्राह्मण- 6/13
31. इन्द्रो वै देवानामोजिष्ठो बलिष्ठस्तस्मा एनत्परिहतेति तत्तास्मै परिजह्रस्तस्य ब्रह्मणा शमयाञ्चकार तस्मादाहेन्द्रो ब्रह्मेति। शाड्खायन ब्राह्मण 6/14
32. देवस्य त्वा सवितु: प्रसवेऽश्विनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्यां प्रतिगृह्णामीत्येताभिरेवैनं तद्देवतभि: शमयति- तदैव
33. तद्व्युह्य तृणातिप्राग्दण्डं स्थण्डिले.... पृथिवी वा अन्नानां शमयित्री- तदैव
34. तदथापोऽन्वपाचामति शान्तिरसीति शन्तिर्वै भेषजमाप: शान्तिरेवैषा भेषजमन्ततो यज्ञे क्रियते- शाड्खायन ब्राह्म 6/14
35. अथ प्राणान्समृशन्ति तद्यदेवात्र...प्रसविता कर्मण एव प्रसवाय- तदैव

36. प्रजापतिर्ह यज्ञं ससृजे सोऽग्न्याधेयेनैव रेतोऽसृजत देवान्मनुष्यानसुरानित्यग्निहोत्रेण दर्शपूर्णमासाभ्याभिन्द्रमसृजत- शाड्ख्यायन ब्राह्मण 6/15
37. तेभ्य एतद्न्नपानं ससृज......... कामस्य कामस्य स्वर्गस्य च लोकस्य- तदैव
38. प्रजापतिरेव संवत्सरश्चतुर्विशो यच्चातुर्मास्यानि तस्य मुखमेव.... इष्टीः प्रतिष्ठा शुनासीरियं- शाड्खायन ब्राह्म 6/15
39. सप्तदशो वै प्रजापतिरेतआधुकम- शाङ्खायन ब्राह्मण 8/2
40. कौषीतकिः प्रजापतिर्वै प्रातरनुवाकोऽपरिमित उ वै प्रजापतिः कस्तं मातुर्महिदित्येषा हैवस्थितिः।। शाड्खायन ब्राह्मण 11/7
41. पुरूष एवं षष्ठमह.....प्रजापतिस्तत्प्राजापत्यम। शाड्खायन ब्राह्मण 23/4
42. यदि षष्ठस्याह्नस्तृतीयसवनं तत्तृतीयसवनं प्राजापत्यं वै षष्ठमहः- शाड्खायन ब्राह्मण 25/11
43. प्रजापतिः प्रजाः सृष्ट्वारिरिचान....रून्धे तस्यै वा- शाड्खायन ब्राह्मण 12/8

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XL

उच्च माध्यमिक विद्यालयों के राजकीय तथा निजी विद्यालयों के प्रधानाचार्यो की कार्यशैली का तुलनात्मक अध्ययन

प्रियंका गुप्ता* डॉ. गुलाबघर द्विवेदी**

* व्याख्याता (शिक्षा) भारतीय विद्यामंदिर टी. टी. कालेज, बाँसवाडा (राज.) भारत
** प्राचार्य एवं डीन (शिक्षा संकाय) अरावली शिक्षक प्रशिक्षय महाविद्यालय, बाँसवाडा (राज.) भारत

शोध सारांश – वर्तमान समय में शिक्षा के क्षेत्र में कार्यों व सामाजिक महत्व की दृष्टि से वृद्धि हुई, किन्तु उपलब्धि के प्रावधानों में अनुपातिक रूप से वृद्धि नहीं हुई है। संस्था प्रधानों को प्रतिदिन के कार्यों में उनकी कार्यशैली में अनेक प्रशासनिक तथा अभिभावक की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। संस्था प्रधानों पर कई कार्य अधिकृतियों के निर्देश, कागजी कार्यवाही, प्रबंध समितियों की अनुपालना, शिक्षक संघों का अतिरिक्त कार्य, विद्यालय प्रधानाचार्यों की कार्यशैली अच्छी होने बावजूद भी नहीं कर पाते।

राजकीय तथा निजी विद्याालयों के प्रधानाचार्यों की कार्य शैली का अध्ययन करना के लिए शोधकर्त्री ने बाँसवाडा जिले के 80 राजकीय तथा निजी विद्यालय के ग्रामीण तथा शहरी विद्यालयों के प्रधानाचार्यों का सौद्देश्य विधि से चयन किया। शोध विधि के रूप सर्वेक्षय विधि का प्रयोग किया गया है। उपकरण में प्रधानाचार्यों की कार्यशौली प्रमापनी के 6 क्षेत्रों पर 66 कथनों का चयन किया। स्वनिर्मित उपकारण के कथन शिक्षा विशेषज्ञों की 80% राय के आधार पर चयन किये गये।

उपकारण की विश्वसनीयता 0.876 प्राप्त हुई। शोध निष्कर्षों में उच्च माध्यमिक विद्यालयों के राजकीय तथा निजी विद्यालयों की कार्यशैली संतोषप्रद पायी गयी। तुलनात्मक विश्लेषण में राजकीय विद्यालय के प्रधानाचार्यो की कार्यशैली में तीन क्षेत्रों में किसी भी स्तर पर सार्थक अन्तर नहीं पाया गया जबकि कार्यशैली प्रमापनी के अन्य तीन क्षेत्रों में सार्थक अन्तर पाया गया। इस लेख में सार्थक अन्तर आने के कारणों का भी अध्ययन किया गया है।

प्रस्तावना – किसी भी संस्था की प्रभारी की कार्यशैली पर सारी गुणवत्ता निर्भर करती है। कार्यशैली सभी मानवकृत व्यवसथाओं में पाये जाने वाला अनिवार्य एवं महत्वपूर्ण पहलू हैं। शैक्षिक क्षेत्र में तो यह और भी महत्वपूर्ण हो गया है। प्रधानाचार्यों के सफल संचालन, सटीक कार्यशैली, निपुणता एवं कार्य के प्रति निष्ठा का विशेष महत्व होता है। प्रशासन में अपने अधिनस्थ कार्यकर्त्ताओं के विद्यालय के हर क्षेत्र की देखभाल करना तथा पारस्परिक सन्बन्ध बढ़ाते हुए सभी प्रकार की व्यवस्थाओं द्वारा विद्याालय के विकास, गुणवत्ता तथा विद्यार्थी के निष्पादन बढ़ानें के लिए कार्य करना।

उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य/संस्था प्रभारी/संस्था के शिक्षकों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि अपनी कार्यशैली के अनुरूप गुणवतापूर्ण शिक्षा विद्यार्थियों को प्रदान करे, ताकि विद्यार्थी सफल जीवन के योग्य बन सके। चूकि हर व्यक्ति की कार्यशैली अलग-अलग होती है। कार्यशैली का सीधा सम्बन्ध निष्पादन से है।

बाँसवाड़ा जिले के राजकीय तथा निजी ग्रामीण तथा शहरी उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्यों की कार्यशैली कैसी है ? शैक्षिक क्रियाओं सम्बन्धित कार्यों, विद्यालय के विकास सम्बन्धी कार्यों, उनके व्यवहार, उनकी योग्यतानुरूप कैसे कार्य लेते है ? प्रबंधन सम्बन्धी कार्यो को किस प्रकार अंजाम देते हैं ? उच्च अधिकारियों के निर्देशो के पालनार्थ कार्यशैली को बनाये रखने में कामयाब कहाँ तक रहते है ? अभिभावकों तथा बच्चों की रोजमर्रा की समस्या कार्यशैली को कितना प्रभावित करती हैं ? क्या राजकीय तथा निजी विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों की कार्यशैली में सार्थक अन्तर होता है ? इन सब प्रश्नों को उत्तार प्रस्तुत लेख में दिया जा रहा है।

शोध उद्देश्य:

1. समग न्यागर्श उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों की कार्यशैली का क्षेत्रवार विश्लेषण।
2. समग्र राजकीय तथा निजी विद्यालय (ग्रामीण तथा शहरी) प्रधानाचार्यों की कार्यशैली का मध्यमान तथा कट पोईन्ट मध्यमान के आधार पर क्षेत्रवार विश्लेषण।
3. समग्र राजकीय तथा निजी विद्यालयों के प्रधानाचार्यों का कार्यशैली के क्षेत्रवार तुलनात्मक विश्लेषण।

शोध न्यादर्श, विधि एवं उपेरण:

1. प्रस्तुत अध्ययन हेतु बाँसवाड़ा जिले के राजकीय व निजी उच्च माध्यमिक विद्यालयों के ग्रामीण क्षेत्र 40 (राजकीय व निजी उच्च माध्यमिक विद्यालयों) तथा शहरी क्षेत्र के (राजकीय व निजी विद्यालयों के) 40 प्रधानाचार्यों का सौदेश्य विधि से चयन किया गया इसके लिए बाँसवाड़ा जिले के समस्त तहसीलों से 20-20 सरकारी व निजी ग्रामीण व शहरी उच्च माध्यमिक लिये गये। शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र 30-30 अभिभावकों तथा जनप्रतिनिधियों से साक्षात्कार भी लिये गये।
2. प्रस्तुत शोध हेतु शोधकर्त्री ने सर्वेक्षण विधि का चयन किया गया।
3. शोध उपकरण हेतु शोधकर्यी ने स्वनिर्मित प्रधानाचार्यों के लिए

कार्यशैलनी प्रमापनी में 6 क्षेत्रो पर 66 कथनों का चयन किया पद विश्लेषण प्रक्रिया बाद किया गया। उपकरण की विश्वस नियता तथा वैधता भी ज्ञात की गयी।

प्रदत्तों का विश्लेषण – प्रस्तुत विषय पर शोध के उद्देश्यों को प्राप्त करने तथा उनकी पूर्ति हेतु 'प्रधानाध्यापक की कार्य शैली प्रमापनी' को समग्र राजकीय (ग्रामीण, शहरी) एवं निजी विद्यालयों (ग्रामीण, शहरी) के प्रधानाचार्यो (N=80) पर 6 क्षेत्रों के 66 प्रश्नों/कथनों की निर्मित प्रमापनी प्रशासित की गयी। प्रमापनी के धनात्मक कथन पर 5,4,3,2 तथा 1 अंक, क्रमश: विकल्प पूर्णतया सहमत, सहमत, अनिश्चित, असहमत तथा पूर्णतया असहमत पर अंक प्रदान कर प्राप्तांक पर मध्यमान मानक विचलन, प्रतिशत तथा मध्यमानो के अन्तर की सार्थकता के लिए टी–मान (तुलनात्मक अध्ययन) सांख्यिकीय तकनीक से गणना की गयी। प्रस्तुत शोध के उद्देश्यानुसार निम्न सारणियों द्वारा विश्लेषण किया गया :–

सारणी संख्या 1, 2, 3 (अन्तिम पृष्ठ पर देखे)

शोध निष्कर्ष –

सारणी संख्या (1) के निष्कर्ष इस प्रकार है :–

1. समग्र प्रधानाचार्यों राजकीय (ग्रामीण,शहरी) तथा निजी (ग्रामीण,शहरी) (N= 40, 40) द्वारा प्रधानाचार्यों की कार्यशैली के सभी क्षेत्रों यथा शैक्षिक क्रियाओं सम्बन्धी कार्य, विद्यालय सम्बन्धी कार्य, शिक्षक सम्बन्धी कार्य एवं अभिभावकों सम्बन्धी कार्य पर प्राप्त वास्तविक मध्यमान कट पोईन्ट मध्यमानों से अधिक प्राप्त हुआ। समग्र प्रधानाचार्यों की कार्यशैली, निर्णय प्रक्रिया, शैक्षिक कार्य, शिक्षक सम्बन्धी कार्य, प्रबंधन कार्य तथा अधिकृतियों सम्बन्धी कार्य एवं अभिभावकों सम्बंधी कार्य करने की पूर्ण क्षमता तथा सकारात्मक एवं संतोषप्रद पायी गयी।

सारणी संख्या (2) के निष्कर्ष इस प्रकार है –

1. निजी विद्यालयों के प्रधानाचार्यों (ग्रामीण, शहरी) तथा शहरी विद्यालयों (ग्रामीण,शहरी) द्वारा प्रधानाचार्यों की कार्य शैली प्रमासपनी पर प्राप्त वास्तवीक मध्यमान से क्षेत्रों पर अधिक पाये। जो यह दर्शना है कि दोनों प्रकार के प्रधानाचार्यों की कार्य शैली सकारात्मक है।
2. निजी विद्यालयों के प्रधानाचार्यों में शैक्षिक क्रियाओं सम्बन्धी कार्य में शहरी विद्यालय के प्रधानाचार्यों की कार्य शैली ग्रामीण क्षेत्रों के प्रधानाचार्यों से अधिक पायी गयी। राजकीय विद्यालयों के प्रधानाचार्यों में ग्रामीण क्षेत्र के प्रधानाचार्यों की कार्य शैली अधिक सकारात्मक पायी गयी।
3. निजी विद्यालयों के प्रधानाचार्यों (ग्रामीण, शहरी) तथा राजकीय, विद्यालयों के प्रधानाचार्यों (ग्रामीण, शहरी) की क्षेत्र 'विद्यालय सम्बन्धी कार्य' में निजी विद्यालय के ग्रामीण प्रधानाचार्य से कार्यशैली अधिक संतोषप्रद पायी गयी। राजकीय ग्रामीण क्षेत्र के प्रधानाचार्यों की कार्य शैली, शहरी विद्यालयों के प्रधानाचार्यों से अधिक संतोषप्रद पायी गयी।
4. शिक्षक सम्बन्धी कार्य क्षेत्र निजी विद्यालयों के शहरी क्षेत्रों के प्रधानाचार्यों से ग्रामीण क्षेत्र के प्रधानाध्यापकों की कार्यशैली ज्यादा अच्छी पायी गयी। राजकीय विद्यालयों में ग्रामीण क्षेत्र के प्रधानाचार्यों की कार्यशैली शहरी प्रधानाध्यापकों की कार्यशैली से अधिक अच्छी पाई गयी।
5. विद्यालयी प्रबन्धन कार्य क्षेत्र पर निजी शहरी विद्यालयों तथा राजकीय विद्यालयों में शहरी विद्यालयों के प्रधानाचार्यों की शैली, निर्णय प्रक्रिया अधिक सतोषप्रद पायी गयी।
6. राजकीय/निदेशक/उच्च अधिकारियों सम्बन्धी कार्य क्षेत्र पर निजी शहरी तथा राजकीय शहरी विद्यालयों की कार्य शैली ग्रामीण प्रधानाध्याकों से अधिक संतोषप्रद तथा सकारात्मक पायी गयी।
7. अभिभावकों सम्बन्धी कार्य क्षेत्र पर निजी ग्रामीण तथा शहरी राजकीय प्रधानाचार्यों की कार्यशैली अधिक सकारात्मक पायी गयी।

सारणी संख्या (3) के निष्कर्ष इस प्रकार रहे – राजकीय तथा निजी (शहरी/ग्रामीण) क्षेत्रों के प्रधानाचार्यों की कार्यशैली में मध्यमानों में अन्तर की सार्थकता टी– परीक्षण (तुलनात्मक) विश्लेषण सम्बन्धी क्षेत्रवार विश्लेषण।

शैक्षिक क्रियाओं सम्बन्धी क्षेत्र, विद्यालय सम्बन्धी कार्य क्षेत्र, शिक्षक सम्बन्धी कार्य क्षेत्रों (तीनों क्षेत्रों) पर होना ही समूहों के मध्यमानों में .05/.01 स्तर पर सार्थकता नहीं पायी गयी – इन तीनों ही क्षेत्रों पर शैक्षिक क्रियाओं सम्बन्धी कार्यों, विद्यालय सम्बन्धी कार्यों तथा शिक्षक सम्बन्धी कार्यों की कार्यशैली एक जैसी है।

प्रबंधन सम्बन्धी कार्य शैली में निजी विद्यालयों के प्रधानाचार्यों की कार्यशैली पर प्राप्त प्राप्तांक के मध्यमानों में सार्थक अन्तर .01 स्तर पर सार्थक पाया गया। वास्तव में निजी विद्यालयों के प्रधानाचार्यों की कार्यशैली बेहतर है। इस क्षेत्र पर कथन वार विश्लेषण से निम्न कारण उभर कर सामने आये हैं :–

1. निजी विद्यालयों के प्रधानाचार्य अधिनस्थ कर्मचरियों के कार्य न करने पर अनुशाशनात्मक कार्य वाही करते हैं।
2. कर्मचारियों को समय पर विद्यालय पहुँचने तथा कक्षा में नियमित रूप से नहीं जाने पर सख्ती से पेश आते है।
3. निजी विद्यालय के प्रधानाचार्य कक्षा में बैठकर पर्यवेक्षण कार्य करते है।
4. निजी विद्यालय के प्रधानाचार्य क्षमता से अधिक कार्य करते है।

राजकीय प्रशासनिक अधिकारियों से सम्बन्धी कार्य में राजकीय विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाचार्यों की कार्यशैली निजी विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाचार्यों से अधिक अच्छी पायी गयी। दोनो समूहो में मध्यमानों का अन्तर .05 स्तर पर सार्थक पाया गया। कथनों की सहमति के अधिर निम्न कारण उमरकर सामने आये :–

1. प्रशासनिक कार्य के सम्बन्ध में राजकीय विद्यालयों के प्रधानाचार्य अपने वरिष्ठ सदस्यों की सलाह से कार्य करते है।
2. निजी विद्यालयों के प्रधानाचार्य अपने निदेशक के अनुसार कार्य करते हैं जबकि इस कथन पर राजकीय प्रधानाचार्यों की सहमति कम पायी गयी।
3. राजकीय प्रधानाचार्यों में प्रशासनिक अधिकारियों का भय बना रहता है जबकि निजी विद्यालयों में ऐसा बहुत कम है।
4. ग्राम/सरपंच/विद्यालयक/मंत्री/जनप्रतिनिधि राजकीय प्रधानाचार्यों की कार्यशैली में बाधा डालते है, जबकि विद्यालयों के प्रधानार्च के साथ ऐसा कम होता है।
5. राजकीय विद्यालयों में छात्रों की अनुपस्थिति कम रहती, उन्हें परीक्षा

में बैठाने तथा परीक्षा में पास कराने के दूरभाष उनके कार्यशैली तथा नियमों में बाधा डालते है।

6. राजकीय विद्यालयों में शिक्षक के पदरिक्त होना, प्रतिनियुक्ति पर जाना, ट्रांसफर होने का खतरा अधिक है जबकि निजी विषयी शिक्षक निजी विद्यालयों में कभी नहीं है।

अभिभावकों सम्बन्धी कार्य – इस क्षेत्र पर राजकीय तथा निजी प्रधानाचार्यो के मध्यमानों में .01 स्तर पर सार्थक अन्तर पाया गया। राजकीय विद्यालयों की अपेक्षा निजी के प्रधानाचार्यों में अभिभावक सम्बन्धी कार्य से कम परेशान रहते हैं। कथनों पर सहमति के आधार पर धारणो का विश्लेषण–

1. राजकीय विद्यालय आये दिन अपने बच्चों को लेकर विभिन्न कार्यों कों लेकर आ जाते है।
2. राजकीय विद्यालयों के बच्चों के अभिभावकों आर्थिक स्थिति का कमजोर होना, उपस्थिति कम होना तथा अन्य कारणों से अभिभावकों सम्बन्धी परेशानियाँ कार्य शैली को बाधित करती है।
3. राजकीय अभिभावकों के बच्चें नियम तोड़ते हैं, अनुशाशनात्मक कार्यवाही नहीं हो पाती हैं समूहों का दबाव कार्यशैली को बाधित करती है। निजी विद्यालयों में भी होता तो है लेकिन बहुत कम।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. **लोकेश कोल (1998) :** 'शैक्षिक अनुसंधान की विधि' विकास प्रकाशन हाउस प्रा. लि., नई दिल्ली
2. **J.W Best (1963) :** "Rearch in Education" New Delhi, Prectice hall of India Pvt. htd.
3. **M.B. Buch :** "Fifth & fourth survey of research & Education," centre of Advanced study & Education & Psyclology, M.S. university of Baroda India, 1974, P. 320
4. **Adaws J. swain J. and clark J. (200) :** "What so special ? Principal, Teacher's models and their realisation in practice in schools. Page 233-245
5. **Henery E, Garret (2012) :** Statisties in Psycloogy and Education, New Delhi : surjeet Publication.
6. http://w.w.wdissertation.com
7. htpp://w.w.wthesisabshach.com

सारणी संख्या 1: समग्र राजकीय तथा निजी विद्यालयों के प्रधानाचार्यों द्वारा क्षेत्रवार प्राप्त प्राप्तांक के आधार पर विश्लेषण

क्र.	क्षेत्र	एन	कथनोंकी संख्या	कट पोईन्ट मध्यमान	वास्तविक मध्यमान
1.	शैक्षिक क्रियाओं सम्बन्धी कार्य	80	11	11x3 = 33	36.66
2.	ंविद्यालय सम्बन्धी कार्य	80	11	11x3 =33	39.80
3.	शिक्षक सम्बन्धी कार्य	80	12	12x3 = 36	46.21
4.	प्रबंधन सम्बन्धी कार्य	80	10	10x3 = 30	37.47
5.	राजकीय/निदेशक/प्रशासनिक अधिकृतियों सम्बन्धित कार्य	80	14	14x3 = 42	54.28
6.	अभिभावकों सम्बन्धी कार्य	80	8	8x3 = 24	26.25

सारणी संख्या – 2: समग्र राजकीय तथा निजी विद्यालयों (शहरी, ग्रामिण) के प्रधानाचार्यों का प्रमापनी के क्षेत्रवार प्राप्त राय के मध्यमान तथा कट – पोईन्ट मध्यमानों के आधार पर विश्लेषण

क्र.	क्षेत्रों के नाम	कथनों की संख्या	निजी विद्यालयों के प्रधानाचार्यों का माध्यमान		राजकीय विद्यालयों के प्रधानाचार्यों का वास्तविक मध्यमान		कटपोईन्ट मध्यमान
			ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी	
1.	शैक्षिक क्रियाओं सम्बन्धी कार्य	11	36.75	37.75	36.4	36.0	11x3 = 33
2.	विद्यालय सम्बन्धी कार्य	11	39.75	38.7	38.75	42.0	11x3 = 33
3.	शिक्षक सम्बन्धी कार्य	12	46.0	46.6	48.25	44.0	12x3 = 36
4.	विद्यालय प्रबंधन सम्बन्धी कार्य	10	36.75	39.80	37.25	39.0	10x3 = 30
5.	राजकीय/निदेशक तथा उच्च प्रशासनिक अधिकरियों सम्बन्धी कार्य	14	50.75	50.90	51.5	54.0	14x8 = 42
6.	अभिभावकों सम्बन्धी कार्य	8	25.75	25.50	27.25	26.5	8x3 = 24

सारणी संख्या – 3 : समग्र राजकीय तथा निजी विद्यालयों (शहरी/ग्रामीण) के प्रधानाचार्यों का कार्यशैली प्रमापनी के क्षेत्रों पर टी–परीक्षण के आधार पर तुलनात्मक विश्लेषण

क्र.	क्षेत्रों के नाम	समूह	राजकीय तथा मिजी प्रधानाचार्यों के प्राप्त मध्यमान तथा मानक विचलन		मध्यमानों का अन्तर	टी–मान	.05/.01 स्तर पर सार्थकता
1.	शैक्षिक क्रियाओं सम्बन्धी कार्य	राजकीय प्रधानाचार्य N = 40	37.12	2.16	.92	1.91	सार्थति नहीं
		निजी प्रधानाचार्य N = 40	36.20	2.32			
2.	विद्यालय सम्बन्धी कार्य	राजकीय प्रधानाचार्य N = 40	40.37	4.76	1.15	1.27	सार्थक नहीं
		निजी प्रधानाचार्य N = 40	39.22	3.17			
3.	शिखक सम्बन्धीकार्य	राजकीय प्रधानाचार्य N = 40	46.13	4.43	.17	.22	सार्थक नहीं
		निजी प्रधानाचार्य N = 40	46.30	1.75			
4.	प्रबधन सम्बन्धी कार्य	राजकीय प्रधानाचार्य N = 40	36.82	1.30	1.31	5.95	.01 स्तर पर सार्थक
		निजी प्रधानाचार्य N = 40	38.13	2.01			
5.	राजकीय/निदेशक/ तथा प्रशासनिक अधिकारियों सम्बन्धी कार्य	राजकीय प्रधानाचार्य N = 40	52.7	1.62	1.9	3.06	.01 स्तर पर सार्थक
		निजी प्रधानाचार्य N = 40	50.8	3.67			
6.	अभिभावाकों सम्बन्धी कार्य	राजकीय प्रधानाचार्य N = 40	25.60	3.05	1.50	2.27	.05 स्तर पर सार्थक
		निजी प्रधानाचार्य N = 40	27.10	2.16			

स्वतत्रंता के अंश = 78
.05 स्तर पर टी–टेबलमान = 1.99
.01 स्तर पर टी–टेबलमान = 2.64

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XL

हिन्दी साहित्य लेखन में स्त्री विमर्श की दशा एवं दिशा

कमलेश देव*

* व्याख्याता (हिन्दी) आई जी एम टी टी कॉलेज, जयपुर (राज.) भारत

प्रस्तावना – अधिकांश विद्वानों का यह मानना है कि स्त्री विमर्श वास्तव में पुरुष विरोधी विमर्श है। यह उनका पूर्वाग्रह है। इसके निजात की जरुरत है। वास्तव में इसके लेखन में निम्न प्रमुख मुद्दे प्रमुखता से आते हैं – स्त्रियों की पीड़ा स्त्रियों की महत्वकाक्षाएँ, परिवार तथा समाज का संघर्ष, भक्ति रचनाएँ एवं स्त्रीवादी रचनाएँ इत्यादि। इस तथ्य को यदि नारीवादी लेखन से जोड़कर देखें तो कुछ तथ्य और सामने निकल कर आयेंगे। वर्तमान में नारीवादी लेखन की आवश्यकता इसीलिए महसूस हुई क्योंकि सामान्य लेखन अर्थात् परम्परावादी लेखन में नारीवादी लेखन की पूरी उपेक्षा की है। इसीलिए स्त्री लेखन की उत्पत्ति होनी आवश्यक थी क्योंकि सामान्य लेखन में स्त्री का हित विलोपित था। सामान्य तौर पर ऐसा माना जाता है कि स्त्री लेखन (विमर्श भी) चौतरफा संघर्ष करता है – समाज, परिवार, सामान्य पुरुष एवं सामान्य स्त्री विमर्श आकद। लेकिन सामान्य स्त्री विमर्श ने इस विमर्श को लेकर या तो चुप्पी साध ली या विमर्श मानने से इंकार कर दिया। इस कारण यह विमर्श और उग्र होता गया। हिन्दी भाषा में कई लेखिकाएँ स्त्री विमर्श हेतु अपनी लेखनी से समाज को अवगत करा रही हैं। लेखनों की उग्रता में प्राकृतिक नियमों तक को चुनौति दे डाली है।

वर्तमान में ही नहीं वरन् सदियों से हिन्दी साहित्य में स्त्रियों की भूमिका अत्यन्त सीमित रही हैं। वर्तमान समय में भी स्त्री चिन्तन और सर्जना के बीचो–बीच खाई खड़ी दिखाई देती है। पश्चिम के प्रभाव और निजी आत्मबोध के कारण आज नई स्त्री चेतना का विकास हुआ है। बंगाल और महाराष्ट्र के नव जागरण के फलस्वरुप सती–प्रथा, बालविवाह, वेश्यावृति पर रोक लगी। जब भारतेन्दु हरिशचन्द्र ने पहली बार 'बालबोधिनी' नामक स्त्री पत्रिका निकाली तो उसका पूरी शक्ति से विरोध किया गया। द्विवेदी काल में उपेक्षित स्त्री पात्रों के प्रति हरिऔध जी, मैथिलिशरण गुप्ता जी जैसे विद्वान कवियों का ध्यान गया और उन्होने पूरी संवेदना और सहानुभूति के साथ उनका महानता का चित्रण किया। छायावादी कवियों में से जयशंकर प्रसाद जी ने स्त्री का 'श्रृद्धा' सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला ने 'ज्योतिर्मयी' सुमित्रानन्दन पंत जी ने 'देवी', 'माँ', 'सहचरी', प्राण इत्यादि कहकर सम्मानित किया।

स्त्री विमर्श परम्परा एवं प्रांसगिकता के लिए ज्ञान चेतना और अधिकार के साथ ही साथ सम्मान के लिए निरन्तर संघर्षरत स्त्री जीवन को नई दिशा के लिये स्त्री विमर्श से बेहतर क्या कुछ हो सकता है। दुख की यह कौन सी कड़ी है जो बार–बार लेखन के सामने आती है। स्त्रियों के लेखन से स्व अस्तित्व पर सर्वाधिक जोर है।

आधुनिक युग की 'मीरा' कही जाने वाली महादेवी वर्मा को जेवरों की चाहत न होकर स्व की भूख अधिक है। 'मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई'। स्व यह है उसे आँगन नहीं वह (स्व) चाहिये जो उसे मिलना चाहिए। औरत की आत्मा की परवाह किसी को नहीं। मीरा स्त्री विमर्श परम्परा एवं प्रांसगिकता की बड़ी पैरोकार हुई। महादेवी की 'मैं नीर भरी दुख की बदली' बरसकर अपना होना जरुर जता गई है। वे अपने समस्त नारी जाति का दुख महसूस करती है। महादेवी वर्मा की कविताओं वेदन का विभिन्न रुप देखने को मिलता है।

हिन्दी साहित्य के सभी रुपों (नाटक, कविता, कहानी, निबन्ध, उपन्यास, एकांकी, यात्रावृत्त एवं संस्मरण आदि) में महिलाओं की सामाजिक, राजनैतिक, पारिवारिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं परम्परागत स्थितियों का वर्णन बखूबी देखने को मिलता है। कोई भी समय या साहित्य ऐसा नहीं जिसमें स्त्री के जैसे किसी घटना की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। हो भी क्यों ना ? जब समस्त जगत का निर्माण ही स्त्री–पुरुष दोनों के योग से होता है तो एक को छोड़कर दूसरे की कल्पना करना भी व्यर्थ ही होगा।

आदिकाल से लेकर वर्तमान तक स्त्री की स्थिति के विषय में हिन्दी लेखिकाओं ने अपने–अपने लेखन में नारी मन की अनेक समस्याओं को विषय बनाया है। डॉ. ज्योति किरण के शब्दों में – 'इस समाज में जब स्त्रियाँ अपनी समझ और काबलियत जाहिर करती है तब वह कुलच्छनी मानी जाती है, जब वह खुद विवेक से काम करती है तब मर्यादाहीन समझी जाती है। अपनी इच्छाओं, अरमानों के लिए जब वह आत्मविश्वास के साथ लड़ती है और गैर समझौतावादी बन जाती है, तब परिवार और समाज के लिए चुनौती बन जाती है।'

स्पष्ट है कि स्त्री भी पुरुष की भांति समाज को बदलने एवं आगे बढ़ाने में समर्थ है। जिस स्त्री–विमर्श की बात आज चारों ओर साहित्य में हो रही है। निश्चित रुप से उसकी शुरुआत तो मध्यकालीन समय में मीराबाई ने कर ही दी थी। भक्तिकाल तक आते–आते स्त्रियों को समाज में आदर एवं सम्मान तो मिला लेकिन धार्मिक एवं रुढ़ियों की बेड़ियों ने उनको वहाँ भी जकड़े रखा।

रीतिकाल में बिहारी एवं धनानन्द जैसे कवियों ने स्त्रियों के केवल सौन्दर्य का ही अवलोकन किया। इनकी दृष्टि से नारी प्रेम सौन्दर्य एवं भोग की वस्तु है। रीति काल में वृन्द, रहीम, रसखान एवं वैताल आदि ने अवश्य स्त्री–पुरुष को समान दृष्टि से देखा। इन्होने बुरे की सदैव निन्दा एवं अच्छे की सदैव प्रशंसा की है चाहे पुरुष हो या स्त्री।

आधुनिक काल में आकर धीरे–धीरे स्त्रियों के प्रति कवियों की दृष्टि में हर प्रकार से परिवर्तन दिखाई दिया। इस समय को राजनैतिक, सामाजिक,

आर्थिक और राष्ट्रीय भावना ने स्त्री को सम्मान के शिखर पर आगे बढ़ने के लिए मार्ग प्रशस्त किया। भारतेन्दु युग का समय गुलामी का समय था। इस समय समाज का प्रत्येक व्यक्ति चाहे स्त्री हो या पुरुष आजादी की जंग में सहर्ष कूद रहा था। इतनी ही नहीं सभी बिना किसी भेदभाव के कन्धे से कन्धा मिलाकर संघर्षरत थे। भारतेन्दु के कवियों प्रताप नारायण मिश्र एवं भारतेन्दु आदि ने समाज में फैली कुरीतियों एवं रुढ़ियों जैसे बाल विवाह, स्त्री शिक्षा की कमी आदि का जमकर विरोध किया। द्विवेदी युग के प्रमुख कवियों मैथिलिशरण गुप्ता एवं अयोध्या सिंह, उपाध्याय हरिऔध आदि कवियों ने अपने काव्य में स्त्रियों को वह स्थान दिलाया है जो उसे समाज के सर्वोच्च पद पर आसीन करता है। मैथिलीशरण गुप्त ने साकेत में उर्मिला और सीता को समाज सेविका के रुप में प्रस्तुत कर महान संदेश दिया है। उर्मिला जहाँ त्याग, करुणा, दया एवं आत्म संयम की साक्षात देवी हैं वहीं सीता दया, प्रेम, करुणा एवं लोक सेविका का जीवित प्रतिबिम्ब है।

हिन्दी साहित्य के छायावादी युग के विषय में विद्वानों का मानना था कि छायावादियों के लिये स्त्री केवल सौन्दर्य प्रेम एवं कल्पना का साधन है। यह नितान्त अनुचित एवं निराधार है। इस समय ऐसे अनेक कवि एवं लेखक हुए जिन्होने स्त्री को समाज में बहुत ही सम्मान एवं महत्व की दृष्टि से देखा। इसका अर्थ है कि छायावाद के समय स्त्री को बहुत उदात्त रुप से स्थापित किया गया। महादेवी वर्मा का समस्त रचना उन्हें वर्तमान समय में आधुनिक मीरा की संज्ञा से सुशोभित करता है।

अमृता प्रीतम के रसीदी टिकट, कृष्णा सोबती-मित्रों मरजानी, मन्नू भण्डारी- आपका बेटी, चित्रा मुद्गल - आवां एवं एक जमीन अपनी, ममता कालिया-बेघर, मृदुला गर्ग-कठ गुलाब, मैत्रेयी पुष्पा - चाक एवं अल्मा कबूतरी, प्रभा खेतान के छिन्नमस्ता, पदमा सचदेव के अब न बनेगी देहरी, राजीसेठ का तत्सम, महेरुन्निसा परवेज का अकेला पलाश, शशि प्रभा शास्त्री की सीढ़िया, कुसुम अंचल के अपनी-अपनी यात्रा, शैलेश मटियानी की बावन नदियों का संगम, उषा प्रियम्वदा के पचपन खम्बे, लाल दीवार, दीप्ति खण्डेलवाल के प्रतिध्वनियां आदि में नारी संघर्ष को देखा जा सकता है।

दूसरी ओर समकालीन लेखकों ने अपने-अपने उपन्यासों एवं नाटकों के माध्यम से देहज प्रथा, बाल-विवाह, अनमेल विवाह, वेश्यावृति, विधवा-विवाह का विरोध एवं राजनैतिक एवं सामाजिक रुप से नारी शोषण को यथार्थ रुप से प्रस्तुत किया है।

नागार्जुन रामेश्वर शुक्ल अंचल शिवमंगल सिंह सुमन आदि कवियों ने अपनी लेखनी एवं कुशाग्र बुद्धि के द्वारा अपने उपन्यासों एवं कविताओं में नारी के शोषण के खिलाफ आवाज हीं नहीं उठायी बल्कि इसके खिलाफ आन्दोलन छेड़ने की वकालत भी की है।

वर्तमान तक आते-आते स्त्री लेखन की अपनी एक अलग पहचान बन गई है। वह अपनी लेखनी द्वारा अपने जीवन में घटित यथार्थ को बड़ी सफाई से बयाँ कर रही है। सच्चाई यही है कि यदि स्त्री का दर्द अनुभव करना है या जानना है तो आपको उस जिन्दगी को स्वयं जीना पड़ेगा। यदि ऐसा नहीं करते तो वे हकीकत न होकर केवल लोगों के मनोरंजन का साधन बनकर रह जायेगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. स्त्री परम्परा और आधुनिकता-सं. राजकिशोर, वाणी प्रकाशन नई दिल्ली संस्करण 2004
2. भारतीय नारी, दशा दिशा, आशारानी व्होरा
3. स्त्रीवादी विमर्श - समाज और साहित्य - क्षमा शर्मा
4. मिलकर मांगेगे तो आकाश मिलेगा - पद्मजा शर्मा, प्रसंग पत्रिका अंक 16 संस्मरण अंक, सम्पादक शम्भु बादल
5. कविता का कहानीयान, अनामिका वागर्थ, मार्च 2006, सं. रवीन्द्र कालिया
6. स्त्री विमर्श और सामाजिक आन्दोलन-डॉ. राजनारायण
7. डॉ. नगेन्द्र, हिन्दी साहित्य का इतिहास, पृष्ठ-432

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XL

भगवानदास मोरवाल के साहित्य में मेवाती समाज : साझा संस्कृति के विविध आयाम

सुनील कुमार*

* पीएच.डी शोधार्थी (हिंदी विभाग) कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र (हरियाणा) भारत

प्रस्तावना – साझा संस्कृति भारतीय संस्कृति की एक विशेषता है । मेवात तो सांझा संस्कृति की विलक्षण मिसाल है। भारत के इतिहास और संस्कृति के गहन अन्वेषण से ज्ञात होता है मेवाती संस्कृति सांझा संस्कृति का प्रतिबिंब है । जो कि पौराणिक काल से आधुनिक काल तक विशुद्ध रूप से विद्यमान है। मेवात के हिंदू मुसलमानों (मेव) के रीति- रिवाज, परंपरा और लोकनायक एक जैसे ही हैं। हिंदू व मेवों मुसलमानों के त्योहार एवं सांस्कृतिक उत्तसव की झलक एक जैसी ही है । जिनका प्रभाव हमारे संस्कार और जीवन पद्धति पर दिखाई पड़ता है।[1] आज भी मेवात के मेवों में मिरासियों द्वारा महाभारत पर आधारित 'पाण्डुन को कड़ा' गाया जाता है जिसके रचयिता सादल्ला को मेवात का कबीर कहा जाता है।

मेवाती समाज : ऐतिहासिक संरचना – मेवात की सामाजिक संरचना में मेव, खानज्यादा, सैयद, पठान आदि मुस्लिम जातियां हैं । जबकि ब्राह्मणी मेवात का संबंध राजपूत, ब्राह्मण, अहीर, गुर्जर जाट, मीणा आदि अन्य हिंदू जनजातियों से है।[2]

साहित्य व कला के क्षेत्र में मेवात के साहित्यकारों व लोक कवियों ने हिंदू मुस्लिमों में धार्मिक सद्भावना, परस्पर समन्वय की भावना को प्राथमिकता देते हुए धर्म के आडम्बरों को दूर करने का प्रयास किया है । मेवात की बोली-भाषा, आचार-व्यवहार, रहन-सहन, रीति-रिवाज व जीवनशैली ने इसकी चिंतन परंपरा को मेवाती संस्कृति ने ऐसा रूप प्रदान किया है, जिससे यहां का व्यक्ति कभी भी धार्मिक कट्टरताओं का शिकार नहीं रहा। मेवात के साधु-संतों भक्तों पीर औलिया ने सदैव अपनी वाणी से जनमानस में आपसी प्रेम व सद्भाव का प्रसार किया। मेवात के लोगों ने अपनी मुस्लिम पहचान होते हुए भी अपनी पुरातन विरासत से आज भी संस्कृति को जोड़ें रखा है।[3]

जीवन के अन्य रस्मो-रिवाज भी यहाँ परस्पर मिलते-जुलते हैं। मसलन मेवों के निकाह में हिंदुओं की तरह चाक पूजने का रिवाज है।

मेवाती समाज सांझा संस्कृति : विविध स्वरुप – मेवात की समाज संश्लिष्ट और यौगिक सामाजिक संरचना है । हिंदी पट्टी में संभवत यह अकेला समाज है जो इतना संगुफित और समेकित चलाया है । लगभग सात आठ दशक पूर्व हिंदू से मुसलमान बना यह समाज अब केवल नाम का मुसलमान है जिसमें रोजा, नमाज, खतना, निकाह, हज, जकात आदि मोटी मोटी परंपराओं के अलावा कुछ भी अन्य मुसलमानों जैसा नहीं है। मूलभूत रूप से इनकी जीवनचर्या व जीवनशैली शेष बहुसंख्यक समाज से मेल खाती है। मोरवाल के 'काला पहाड़' उपन्यास में नूह स्थित यासीन मेव डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर उस्मानी तथा इस क्षेत्र के विधायक चौधरी करीम हुसैन के संदर्भ अनुसार इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि 'वे पहले क्षेत्रीय हैं', बाद में मेवा ।[4]

संस्थाबद्ध मुसलमानों से उन्हें अलगाने वाला सबसे बड़ा तत्व है इनके शादी-विवाह, रस्मो-रिवाज जिसके अंतर्गत इनके यहां आज भी रिश्ता करते वक्त हिंदुओं की तरह मां, दादी, नानी और खुद का गोत्र बचाया जाता है।[5]

मेवात के विषय में अनेकानेक भ्रम एवं पूर्वाग्रह अनेक लोगों के मन में देखे गए हैं । यह तो सब जानते हैं कि मेव एक धर्म परिवर्तित मुसलमान जाती है लेकिन यह वस्तुस्थिति मेवात में जाकर ही पता चलती है कि सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से मेव न तो पूरे मुसलमान हैं, न पूरे हिंदू। इन की परंपराओं में हिंदू एवं इस्लाम की वृत्तियां इस कदर घुली मिली है कि ऊपर-ऊपर से देखने पर यह तय करने में कठिनाई होती है कि यह हिंदू है या मुसलमान ।

वेशभूषा व आभूषण – वेशभूषा, सामान्य रहन-सहन एवं दिनचर्या, बोल-बाणी तथा स्वभाव आदि के आधार पर यहां के मेवो तथा अन्य में अंतर करना काफी मुश्किल होता है । भाषा इनकी एकता एवं अलगाव का सबसे बड़ा अभिलक्षण है। मोरवाल जी ने अपने कथा साहित्य में इन तथ्यों को पुष्ट करते हैं।

मेवात में आजकल लूंगी एवं मुस्लिम टोपी पहनने का रिवाज बढ़ चला है, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है। युवा लोग टोपी पहनना शुरू किए हैं, लेकिन बुजुर्ग अभी फेंटा बांधते हैं। स्त्रियों का पहनावा भी इलाके की अन्य किसान स्त्रियों जैसा ही है। वे सलवार, कुर्त्ती-कुर्त्ता पहनती हैं। वे बुर्का नहीं पहनतीं। मेव स्त्रियां श्रृंगार-पटार नहीं करती । क्रीम, पाउडर, प्रसाधन का उन्हें अन्य हिंदू औरतों की तरह कोई शौक नहीं है। 'बाबुल तेरा देस में' उपन्यास में हसीना एक जगह कहती हैं 'माई तने आज तलक कोई मेवणी देखी है, करीम पौडर सू लिपी पुती?'[6] मेवणियों का जीवन सादा, अत्यंत सरल, कर्मठ एवं संघर्षशील होता है। इसी उपन्यास की पात्र असगरी के हवाले से कहा जाए तो इसका जिस्म ऐसा है 'जिसे समय की चोटों ने कूट-कूट कर लोहा बना दिया है ।'[7] मेवात की औरतों के पहनावे का वर्णन यहाँ मिलता है, यहां की औरतें हाथ पैरों और गले में भांगड़ा, बचेली, नवरी, असली, जंजीर आदि आभूषण पहनती है। भारत की अन्य परिवर्तित मुस्लिम

महिलाओं से तुलना करने पर मेवणियों की यह अपनी विशिष्ट पहचान स्पष्ट होती है।

रीति रिवाज – मेवाती ने केवल वेशभूषा, बोली–भाषा, दिनचर्या आदि बल्कि आज भी कायम है। निकाह पढ़ना तथा फेरों को छोड़कर लगभग से सारी प्रथाएं दोनों समाजों में एक जैसी ही हैं। 'काला पहाड़' उपन्यास में सलेमी के विवाह दरअसल निकाह का फ्लैशबैक चित्रण इसका सजीव उदाहरण प्रस्तुत करता है।

लोकगीत – सलामी की शादी के समय भात की रसम पूर्ण करते समय जब सलेमी की मां अपने भाई से भात लेती है, तो वह रो पड़ती है, इसी अश्रुपूर्ण भाव से औरतें गीत गाती हैं–

भाई आछो भरियो भात, बाहण टोटा।
साड़ी के डेढ़ हजार, मोहर लोटा में।।[7]

लोक विश्वास – मेवात की साझी संस्कृति का एक अप्रतिम उदाहरण यह है कि यहां हिंदुओं में भी मेवों की कुछ धार्मिक सांस्कृतिक प्रथाएं घुली मिली है जैसे कि 'बकरा करनेय की प्रथा', 'बाबल तेरा देस में' धन सिंह के परिवार में उपन्यास इस घटना पर काफी विस्तार से लेखांकन किया गया है। पीर–औलियाओं द्वारा दिए गए 'गंडा ताबीज', 'नक्श' इत्यादि का प्रचलन जितना मेवों में है, उतना ही हिंदुओं में भी है। पीरों की मजारों पर चादर चढ़ाना, मोहर्रम के ताजियों के नीचे से निकलना, ईद की खुशी में बराबर का शरीक होना इत्यादि हिंदुओं में अब तक देखा जाता है। सामाजिक समवेत्ता साथ उठना–बैठना खाना–पीना एक दूसरे इस समारोह में शामिल होना यह रोज़मर्रा की घटनाएं हैं। मोरवाल का साहित्य इन सब का गवाह बनता है। हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मो के लोग पुत्र प्राप्ति के बाद पीर दादा खानू की समाधि पर चादर चढ़ाते हैं, उपन्यास 'काला पहाड़' में बनवारी के पैदा होने पर मनीराम जो हिंदू है, इस्लामी द्वारा लठू की मांग करने पर कहता है 'फिक्र क्यों करे है, यार जब तोको गुड़ खिवा दिया है, तो लड्डू भी खवाऊंगा पर पहले छोरा की दादा खानू और पंचपीर पर चादर तो चढ़ा देयो।'[8]

लोककथाएं – मेवात में प्राचीन काल से ही लोक कथा अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम रही है बल्कि कथा की यह आदिम विधा मेवात में सुप्रसिद्ध है। मेवात की साझा संस्कृति पर आधारित पुरानी कथाएं, लोकगाथाएं व धार्मिक विचारों, विश्वासों, सामाजिक मान्यताओं और मूल्यों की एक लंबी परंपरा है। लोक कथाओं के लेखक का परिचय तो नहीं मिलता परंतु ये कथाएं मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती हैं। सलेमी की शादी के दिन जब बारात रात को लड़की वालों के घर खाने–पीने के बाद मनोरंजन करना चाहती हैं तो हमें हामिद अपने हारमोनियम के सुरों के मिलान के बाद पूछता है जिजमान कौन–सी बात शुरू करू दरियाखान, शशि बदणी मिनी की, मेवखां घुड़चढ़ी की, चूहड़ सिद्ध की, घासेड़ा की या फिर बाबर बाण के बारे में बताऊँ। बारातियों की फरमाइश पर इनका मनोरंजन करने के लिए वह घासेड़ा का किस्सा सुनाता है।

मेवात की सांझा संस्कृति : धार्मिक आयाम व अन्य चिह्न – भगवानदास मोरवाल ने अपने कथा साहित्य में सामाजिक संबंधों के प्रत्येक रूप को अभिव्यक्त किया है। उनके उपन्यास 'काला पहाड़' और 'बाबुल तेरा देस में' मेवाती समाज व संस्कृति की पृष्ठभूमि पर है। यह वही मेवात है जिसने मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर से टक्कर ली थी और जिसने भारत की मिली–जुली तहजीब व संस्कृति को आज तक सुरक्षित रखे हुए है। 'मेव' मेवात क्षेत्र का बहुसंख्यक समुदाय है। जो की इस्लाम धर्म से है, पर वह अपने आप को एक मुसलमान के रूप में नहीं अपितु मेव के रूप में ही पहचानता है। भारत विभाजन के समय 'महात्मा गांधी' जी के आह्वान पर पाकिस्तान न जाने वाले ये मेव मुसलमान अटल देशप्रेमी रहे हैं। सन अठारह सौ सत्तावन में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में दो सौ अठावन मेव जाति के लोग शहीद हुए थे। 'हसन खां मेवाती' इनके बहुत बड़े लोकनायक योद्धा हुए हैं। जिसने खानवा के युद्ध में धर्मप्रस्त बाबर को साथ न देते हुए हमवतन राणा सांगा को साथ दिया था। मेव एक धर्म परिवर्तित मुस्लिम जाति है जो हिंदू से मुसलमान बने हैं। लेकिन मूल रूप से आज भी कई हिंदू जातियों से इनकी सामाजिक संरचना मिलती है। मेवों में आज भी हिंदू जातियों जैसे रीति–रिवाज पाए जाते हैं। मेवात क्षेत्र में हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के लोग एक परिवार की तरह साथ रहते हैं। यहाँ लोग हिंदू हो या मुसलमान एक दूसरे के साथ बिना भेदभाव के साथ काम करते हैं। सब लोग आपस में मिल जुल कर प्रेम व प्यार से रहते हैं व एक–दूसरे के सुख–दुख के साथी हैं। मोरवाल के उपन्यास 'काला पहाड़' में वर्णित इन पंक्तियों को देखिए 'इस इलाके में आज तलक यामें कोई फिरकाना फसाद नए हुओ है, सब सू बड़ी बात तो ई है कि या इलाका में हिंदू और मेव एक कुणबा की तरह रहता आया है। मजाल है, कोई काई बाहण बेटी पे आंख तो उठा जाए...।'[9]

मोरवाल के मेवात केंद्रित अपने दूसरे उपन्यास 'बाबल तेरा देस में भी हिंदू–मुस्लिम लोगों के सामाजिक सम्बन्धों में प्रेम व सद्भावना दिखाई देती है। इस उपन्यास में मेवात के गांव में रहते यदि एक घर में कोई मुसीबत आती है, तो सारा गांव उसकी मदद करने के लिए दौड़ पड़ता है। गांव में धन सिंह की पोतियों का विवाह जबरदस्ती करवाने पर उतारू जग्गी को हाजी चांदमल ने ललकार कर कहा 'सुण रिश्तेदार या भोला में मत रहियो कि, ये दोनों बाप बेटा इकला हैं... एक बात और ध्यान में धर ले के यह छोरी सिरफ़ हीरा की न है, पूरा गाम की है। अगर अबकी बार मूं सू ऐसी बात निकली तो लाहस बिछ जांगी।'[10]

इस तरह से मेवात में जब लोग आपस मे मदद करते हैं तो गांव के लोग एक दूसरे की ओर तब यह नहीं देखा जाता कि यह किस की मदद कर रहे हैं वह हिंदू है, या मुसलमान थे उद्धरण द्रष्टव्य है। 'कैसी बात कररा है चौसाहब, बहू–बेटी भी कोई हिंदू–मुसलमान की होवे हैं, यह तो पूरा गांवों–बसती की होवे हैं।'[11]

इस प्रकार गांव के एक आदमी की समस्या पूरे गांव की समस्या बन जाती है और जिसे दूर करने का प्रयास हर संभव तरीके से प्रत्येक गांववासी करता है।

इसी प्रकार हम देखते हैं कि उपन्यास 'कला पहाड़','बाबल तेरा देस में' दोनों में मेवाती समाज का यथार्थ सामाजिक चित्रण हुआ है। विभिन्न संप्रदायों के लोग यहां एक सामाजिक इकाई के रूप में रहते हैं। इनमें सामाजिक संबंध आपसी प्रेम, सद्भावना और एकता पर आधारित हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि मेवात हिंदू मेव साझी संस्कृति वाला क्षेत्र है। श्यामचरण दुबे ऐसे क्षेत्र को सांस्कृतिक क्षेत्र कहते हैं उनका कहना है कि 'ऐसे क्षेत्र में लोगों का नृजातीय मूल, भाषा और संस्कृति की विशेषताएं समान हो सकती हैं लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है उनका

सांझा ऐतिहासिक अनुभव, परिस्थितियां और पर्यावरण।'[12]

मेवाती समाज में व्याप्त सांस्कृतिक एकता, समान भाषा तथा सांझा ऐतिहासिक अनुभव, परिवेश की विविधता यहां के ग्रामीणों को एकता के सूत्र में पिरोती है यहाँ एक अटूट रिश्ता हिंदू और मुसलमान के बीच पूरे मेवात में दिखाई पड़ता है। यहां नाम से कोई सलेमी हो, या असलम हो, या कोई बनवारी हो, या मनीराम हो सब आपसी सद्भाव के साथ जीवन व्यतीत करते हैं। इन दोनों की दिनचर्या सुबह की अजान से शुरू होती है और शाम की अजान के साथ खत्म होती है। इनका कारण यह है कि यहां हिंदू और मुसलमान सदियों से एक साथ रहते आ रहे हैं परिणामस्वरूप इनके सामाजिक संबंधों में अपनत्व का भाव उत्पन्न हुआ जिसे लोग अब तक कायम रखें हुए हैं।

इसका एक अन्य उदाहरण है उपन्यास 'काला पहाड़' व 'बाबर तेरा देस में' दोनों मेवात क्षेत्र के ग्रामीण समाज की बात करते हैं। हमारा भारत देश गांवों का देश है इसलिए इसकी आत्मा और इसका नैसर्गिक सौंदर्य गांव में है, ग्रामीण समाज में सामाजिक संबंधों का रूप अधिक प्रत्यक्ष और गहरा होता है।

आपसी संबंधों में पाई जाने वाली सामुदायिक भावना ग्रामीण लोगों को एकता के सूत्र में बांधे रखती हैं। इस प्रकार गांव में संगठन के मुख्य आधार समान सामाजिक-सांस्कृतिक विशेषताएं, हम की भावना, सहयोग तथा अभिन्नता की भावना ग्रामीण लोगों में विकसित होकर उन्हें साथ रहने के लिए प्रेरित करती हैं। उपन्यासों की तरह मोरवाल ने अपनी कहानियों में भी ग्रामीण क्षेत्र को अधिक चित्रित किया है। उन्होंने ग्रामीण समाज में सामाजिक संबंधों का एक गहरा अध्ययन व विश्लेषण अपनी कहानियों में बुना है क्योंकि गांव के लोग शहरी लोगों की अपेक्षा एक दूसरे के ज्यादा करीब होते हैं। सांप्रदायिक दंगों जैसी बुरी घटनाओं के समय भी लोग अपने धर्म से ऊपर उठकर एक दूसरे की मदद करते हैं।' पूरे दिन अतरी, जमीला, कजरी, अशरफी ने पारों को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा। बाहर सूल्ही और सुभान खां सारा दिन मुढ़ी बिछाए बैठे रहे। यह पहला मौका था जब सबने आज पांचों वक्त की नमाज अदा नहीं की।'[14]

अत: पारों जिसको बहू बेटा दंगों के वक्त गांव में उन्हें अकेला छोड़ गए थे, उसकी रक्षा पूरे गांव के लोग करते हैं। जिसके फलस्वरूप पारों को अपने व गैर के बीच के रिश्तो की वास्तविकता पता चलती है। ऐसे ही हिंदू-मुस्लिम के बीच प्रेम व विश्वास की मजबूत डोर कहानी 'झूठा दिन' में दिखाई देती है। आपसी प्रेम-विश्वास के कारण ही दंगाई लोगों के द्वारा भड़काए हबीब को यह महसूस हो जाता है कि सबसे बड़ा धर्म तो मानवता है। संप्रदाय से ऊपर आपसी प्रेम हैं जिसे वह अंतत: दोबारा फिर प्राप्त कर लेता है और बुद्धन को मां कहकर गले लगा लेता है। इस प्रकार हिंदू मुस्लिम लोगों के आपसी संबंधों को उद्घाटित करती कहानी 'झूठा दिन' में चित्रित है 'साल के तीन सौ पैंसठ दिनों में कोई दिन ऐसा जाता होगा जब नसीबन बुद्धन से कोई चीज न लेती हो या बुद्धन नसीबन से, सुबह से लेकर शाम तक दोनों न जाने कितनी बार एक दूसरे के आंगन की और गर्दन निकाले दिख पड़ेगी।'[15]

निष्कर्ष – इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मेवात के लोगों का सामाजिक ताना-बाना बहुत मजबूत है, वे सालों से इकट्ठे रहते आने के कारण इनमें प्रेम की भावना कूट-कूट कर भरी हुई है। गांव का आकार छोटा होने की वहां के लोग एक दूसरे को अपना सहारा मानते हैं। फिर चाहे वह किसी भी जाति धर्म के हो उनमें सद्भावना अवश्य होती है। मेवात क्षेत्र में हिंदू मेव मुस्लिम लोगों के प्रेम तथा एकता से बंधे सामाजिक संबंधों का वर्णन करने के बाद ऐसा महसूस होता है कि यहां रहने वाले हिंदू-मुस्लिम लोग सांझी संस्कृति में बंधे हुए हैं। अच्छे इंसानों का सारा गांव सम्मान करता है 'काला पहाड़' के केंद्रीय पात्र 'सलेमी' और 'बावल तेरा देस में' की नारी पात्र 'दादी जैतूनी' को पूरा गांव सम्मान की नजर से देखता है क्योंकि यह दोनों समाज में गांव में आपसी सद्भाव कायम करने तथा शांति रखने में भरसक प्रयास करते दिखाई देते हैं। तमाम प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद भी मेवात में सांझी संस्कृति कायम है जो मेवात को खंडित नहीं होने देती। वस्तुत: हम कह सकते हैं कि समकालीन हिंदी कथाकार भगवानदास मोरवाल के कथा साहित्य में अभिव्यक्त मेवाती समाज के सामाजिक संबंधों व साझा संस्कृति का सजीव वर्णन मिलता है। परिणामस्वरूप यहां सदियों से भाईचारा व अखंडता बनी हुई है, विभिन्न संप्रदायों के लोग आपसी सहयोग प्रेम सद्भाव के साथ जीवन-यापन करते हैं। परिमाणत यहां साझी संस्कृति विकसित हुई है, जो भारतीय समाज व संस्कृति की बहुत बड़ी विशेषता है। इसी विशेषता के कारण हमारे समाज को सांप्रदायिक ताकतों व समाज विरोधी घटनाओं के घातक परिणामों के बावजूद सामाजिक व सांस्कृतिक एकता व अखंडता को कायम रखने वाला समाज कहा जाता है।

आधुनिक युग में जब धर्मवाद व सांप्रदायिकता का जहर फैलता जा रहा है। इस सब के बावजूद मेवात में सांझी संस्कृति बरकरार है। अयोध्या त्रासदी के पश्चात फैली हिंसात्मक घटनाएं मेवात की इस साझी संस्कृति को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करती हैं लेकिन उसे खत्म नहीं कर पाती। मेवाती समाज की नौजवान पीढ़ी के बाबू खां, सुभान खां जैसे नौजवान सांप्रदायिक ताकतों से मिलकर इलाके में तनाव पैदा करते हैं। इसका एक बड़ा कारण यह है, कि नई पीढ़ी आजादी की कोख से आई है। इसलिए उस पर सांप्रदायिकता और अलगाववाद का गहरा प्रभाव है। हालांकि इस गहरे प्रभाव के पीछे स्वार्थी राजनीतिज्ञों का भी बहुत बड़ा हाथ है। मेवात की बुजुर्ग पीढ़ी अभी भी सांप्रदायिकता, धर्मवाद आदि से अछूती है। भटके हुए नौजवानों को पुरानी पीढ़ी समझाते हुए कहती हैं 'बेटा इन कामन में कुछ भी ना धरो है.. अरे हाजी अशरफ जैसे आदमी ने तो आज तलक कोई ना सगा हुआ है और ना होगा। बेटा यह तो बड़ा आदमी है। इनको कुछ नहीं बिगड़ेगा पर तम जैसा बोदा और भोला माणस अपना घर कू उल्टा हो लेओ।'[12]

पुरानी पीढ़ी सदियों से चले आ रहे आपसी भाईचारे को खत्म नहीं करना चाहती 'काला पहाड़' के नायक सलेमी बाबरी मस्जिद गिराए जाने पर उस विदेशी हमलावर के प्रतीक नष्ट होने पर खुश होता है, तो दूसरी तरफ मनीराम आर्य समाज मंदिर के स्वामी के मारे जाने पर खुश होकर कहता है 'चलो अच्छा हुआ कटी क्लेश' कम से कम एक मुसीबत सू तो पीछे छुटया इलाका को ...।'[13] मेवात की साझा संस्कृति की यही विशेषता है कि जो मेवात को टूटने से बचाए रखने की निरंतर कोशिश करती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. अनील जोशी, मेव लोक संस्कृति, पृ. 291

2. सिद्धिक अहमद मेव, मेवाती संस्कृति, पृ. 371
3. सं. मुंशी खां बालौत, मेवात का इतिहास और संस्कृति, पृ. 24
4. भगवानदास मोरवाल, काला पहाड़, पृ. 87
5. वही, पृ. 88
6. वही, पृ. 107
7. सं. डॉ. सतीश पांडेय, सृजन संदर्भ, पृ. 46
8. भगवानदास मोरवाल, काला पहाड़, पृ. 55
9. वही, पृ. 181
10. भगवानदास मोरवाल, बाबल तेरा देस में, पृ. 177
11. वही, पृ. 180
12. श्यामचरण दुबे, भारतीय समाज, पृ. 32
13. भगवानदास मोरवाल, काला पहाड़, पृ. 432
14. भगवानदास मारेवाल, अस्सी मॉडल्ल सूबेदार, पृ. 82
15. भगवानदास मोरवाल, लक्ष्मण रेखा, पृ. 179

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XL

गांधी दर्शन में अहिंसा की अवधारणा

मलय वर्मा *

* शोधार्थी (दर्शनशास्त्र) रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – सम्पूर्ण विश्व में महात्माँ गांधी के नाम से विख्यात मोहनदास करमचन्द गाँधी को सामान्यत: भारत के अहिंसक स्वाधीनता संग्राम के सर्वोच्च नायक के रूप में जाना जाता है। गाँधीजी ने विधिवत् दर्शनशास्त्र का शास्त्रीय प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया था इसलिये अनेक विचारकों को उन्हें दार्शनिक कहने में संकोच का अनुभव होता है। स्वयं गाँधी भी इस हेतु उत्सुक प्रतीत नहीं होते कि उन्हें दर्शनिक कहा जाए। उनके शब्द हैं 'मैं कोई सम्प्रदाय प्रवर्तक नहीं हूँ। तत्तवज्ञानी होने का तो मैंने कभी दावा भी नहीं किया।.... मैंने तो केवल बगैर योजना के अपने निजी ढंग से यही प्रयत्न किया है कि हम अपने नित्य जीवन में सत्य अहिंसा आदि सनातन तत्तवों का व्यापक प्रयोग करें।'[1]

डॉ. रामजी सिंह के शब्दों में 'उनका जीवन ही उनका संदेश और उनके विचार की खुली पुस्तक थी। उनकी भाषा कार्य की भाषा थी, वाद के विवाद में उन्हें कोई रस न था। इसलिये 'सत्य के प्रयोग' ही उनकी आत्मकथा एवं 'अहिंसा का कर्मयोग' ही उनका जीवन चरित बन गया। संक्षेप में विचार, वाणी एवं व्यवहार में एकता ही उनका जीवन दर्शन था।'[2]

गाँधीवादी चिंतक पट्टाभिसीतारम्मैया ने भी इस सम्बन्ध में अपनी पुस्तक 'गाँधी और गाँधीवाद' में लिखा है 'गाँधीवाद किन्हीं सिद्धान्तों या मतों का नियम या व्यवस्थाओं या निषेधों का नाम नहीं है, परन्तु यह तो जीवन का एक प्रकार है।'[3]

सत्य : गाँधी दर्शन की केन्द्रीय विषय वस्तु– ईश्वर का विचार परम्परागत रूप से दर्शनिक विवेचन का प्रारम्भ बिन्दु है। गाँधी दर्शन भी इसका अपवाद नहीं। गाँधी जी का ईश्वर अस्तित्व पर अटल विश्वास था। वे 'ईश्वर' और सत्य को एक दूसरे का पर्याय मानते थे किन्तु जहाँ पहले उनका कथन था 'ईश्वर ही सत्य है' वहीं बाद में उन्होंने आग्रहपूर्वक कहा 'सत्य ही ईश्वर' है। इस सूत्र परिवर्तन का कारण डॉ. विश्वनाथ नखणे ने इस प्रकार समझाया है 'गाँधी यहाँ पर यह स्थापित करना चाहते हैं कि ईश्वर की धारणा में तो अस्पष्टता हो सकती है पर सत्य स्फटिक की भाँति निर्मल है और वे हमें यह याद दिलाते हैं कि 'सत्य' शब्द 'सत्' से निकला है जिसका अर्थ है 'सत्ता' या अस्तित्त्व। सत्य विषयक विवाद उतने ही अनन्त रहे हैं जितने ईश्वर के स्वरूप के बारे में। किन्तु व्यावहारवादी दृष्टि से गाँधी की यह बात ठीक है कि भिन्न–भिन्न मान्यताओं वाले व्यक्ति भी सत्य के मंच पर एकत्र हो सकते हैं। इस भाँति सत्य जीवन में एकता लाने वाला तत्तव हो जाता है और उसे ईश्वर से पहले स्थान देना उचित ही है।'[4]

महात्मा गाँधी के सम्पूर्ण चिन्तन और कर्म की केन्द्रीय विषय वस्तु सत्य है। स्मरण रखने योग्य बात यह है कि गाँधी दर्शन में सत्य कोई जटिल दार्शनिक प्रत्यय नहीं है बल्कि आध्यात्मिक अनुभूति का व्यावहारिक रूप या कर्मपक्ष है। गाँधी दर्शन में कर्म या व्यवहार ही चिन्तन और अनुभूति का उत्स भी है और उसकी कसौटी भी।

सत्य प्राप्ति का साधन अहिंसा है– गाँधीजी की दृढ़ मान्यता थी कि सत्य को ईश्वर रूप में पाने का एकमात्र साधन प्रेम अर्थात अहिंसा है। हिन्दी साहित्य कोश भाग एक पारिभाषिक शब्दावली में कहा गया है– 'गाँधीवाद के दो मूल स्तम्भ हैं– सत्य और अहिंसा। सत्य का ही दूसरा नाम उन्होंन परमेश्वर माना है तथा समस्त सृष्टि में एक ही तत्त्व की व्याप्ति स्वीकार कर ईश्वर एवं मनुष्य तथा मनुष्य एवं अन्य जीवनधारियों की एकता स्वीकार की है। इस अन्तर्भूत एकत्तव के कारण ही उन्होंने माना है कि जो घटना एक शरीरधारी पर घटती है उसका समग्र जड़ और उसकी आत्मा पर प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार सत्य के साक्षात्कार से समबुद्धि प्राप्त होती है और समबुद्ध से सबके प्रति अहिंसा का भाव उत्पन्ना हो जाता है।'[5]

अगर गाँधी दर्शन का प्रधान लक्ष्य या साध्य सत्य है तो उसे प्राप्त करने का साधन अहिंसा है। गाँधी जी का स्पष्ट मत था कि साध्य की पवित्रता के साथ साधन की पवित्रता का ध्यान रखना परमावश्यक है। जितना पवित्र साध्य है उतना ही पवित्र उस की प्राप्ति का साधन भी होना चाहिये। उनका कहना था कि यदि सत्य के बारे में यह धारणा भी बना ली जाय कि उसकी प्राप्ति हिंसा, कपट, छल, इत्यादि अनैतिक साधनों द्वारा की जा सकती है तो वह सत्य नहीं रह जाता। गाँधी जी कहते हैं 'जैसे साधन होंगे वैसा ही उनसे प्राप्त साध्य होगा। साध्य और साधन के मध्य उन्हें एक दूसरे से अलग करने वाली कोई दीवार नहीं है।'[6]

सत्य और अहिंसा के अवियोज्य संबंध का रेखांकित करते हुए गाँधी जी अन्यत्र कहते हैं 'बगैर अहिंसा के सत्य की खोज नामुमकिन है। अहिंसा और सत्य ऐसे ओतप्रोत, ताने बाने की तरह एक दूसरे से मिले हुए हैं जैसे कि सिक्के के दो रुख या चकती के दो पहलू। उसमें उल्टा कौन सा है और सीधा कौन सा ? फिर भी अहिंसा को हम साधन याने जरिया मानें और सत्य को साध्य या मकसद। साधन हमारे बस की बात है इसलिये अहिंसा परम धर्म हुई और सत्य परमेश्वर हुआ। साधन की फिक्र अगर हम करते रहेंगे तो साध्य के दर्शन किसी न किसी दिन ज़रूर करेंगे।'[7]

अहिंसा का भावात्मक रूप प्रेम है– सामान्यत: अहिंसा को एक नकारात्मक प्रत्यय के रूप में ग्रहण किया जाता है किन्तु गाँधी जी ने अहिंसा का भावात्मक या सकारात्मक पक्ष भी विश्व के सम्मुख प्रस्तुत किया। उन्होंने हिंसा के मनोविज्ञान को भली–भाँति समझा और इस नतीजे पर पहुँचे कि हिंसा के उदय हेतु क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, प्रतिशोध, प्रतिस्पर्धा और अन्य

स्वार्थमयी मानवीय प्रवृत्तियाँ उत्तरदायी हैं। अत: उनकी दृष्टि में अहिंसा व्रत के पालन के लिये यह आवश्यक है कि मानव इन सब हीन वृत्तियों से विरत हो। गाँधी दर्शन में अहिंसा का धरातल अत्यन्त व्यापक और सहृदयता से ओतप्रोत है। गाँधी दर्शन में अहिंसा का केवल नकारात्मक अर्थ 'हिंसा का परित्याग' ही नहीं ग्रहण किया गया बल्कि उसमें प्रेम, सहृदयता, सहानुभूति, करुणा आदि भाव भी अनिवार्य रूप से समाहित हैं। हिन्दी साहित्य कोश के अनुसार 'गाँधी दर्शन के अन्तर्भूत अहिंसा में केवल द्वेष का अभाव ही नहीं प्रेम की सम्प्राप्ति भी है।'[8]

सत्य और अहिंसा का व्यावहारिक पक्ष सत्याग्रह है- सकारात्मक या सक्रिय अहिंसा का तात्पर्य केवल अन्य के प्रति सहृदयता प्रेम या करुणा रखना या अन्य की सहायता करना ही नहीं है बल्कि अन्याय या असत्य का प्रतिरोध करना भी है। इसलिये गाँधी इस प्रतिरोध को 'सत्याग्रह' कहते हैं। गाँधी दर्शन के आधार स्तंभ 'सत्य' और 'अहिंसा' का व्यावहारिक पक्ष सत्याग्रह है। सत्याग्रह के लिये अहिंसा अनिवार्य शर्त है। अहिंसा सत्याग्रह का प्राणतत्व है। गाँधी जी के शब्दों में 'सत्याग्रह का मतलब सत्य का सतत् शोध और उस शोध से शोधकर्ता को प्राप्त शक्ति है। यह शोध विशुद्ध रूप से अहिंसक उपायों से की जा सकती है।'[9]

गाँधी दर्शन का वैशिष्ट्य इस बात में निहित है कि जहाँ चिन्तन की अन्यान्य धाराओं में अहिंसा और प्रेम की अभिव्यक्ति मात्र वैयक्तिक साधना की प्रक्रिया ही हो कर रह जाती है वही गाँधी के लिये यह साधना वैयक्तिक प्रक्रिया होने के साथ-साथ सामूहिक, सामाजिक प्रक्रिया भी है। इसलिये वे शोषणमूलक और दमनकारी राज्य व्यवस्था या सामाजिक संरचना का विरोध करने हेतु प्रेमपूर्ण प्रतिरोध अर्थात् सत्याग्रह की अनुशंसा करते हैं।

राजनेता के तौर पर गाँधीजी ने भारत के स्वाधीनता संग्राम तथा अनेक सामाजिक समस्याओं के निराकरण हेतु सत्याग्रह का सफल प्रयोग किया। दरअसल सत्याग्रह का प्रयोग वो पूर्व में सफलतापूर्वक दक्षिण आफ्रीका में कर चुके थे और इसके दर्शन को सुव्यवस्थित रूप में विकसित कर उसके प्रति पूर्ण आस्थावान हो चुके थे। हिंसा को समाज की प्रगति में बाधक बताते हुये सत्याग्रह के अहिंसक प्रयास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हुए वो कहते हैं 'सत्याग्रह लोकमत को शिक्षा देने की एक ऐसी प्रक्रिया है जो समाज के समस्त तत्त्वों को प्रभावित करके अन्त में अजेय बन जाती है। हिंसा से इस प्रक्रिया में बाधा पहुँचती है और समाज की सच्ची क्रान्ति में विलम्ब होता है।'[10]

सत्याग्रह का सबसे बड़ा वैशिष्ट्य यह है कि सत्याग्रही अन्यायी के नैतिक उत्कर्ष को भी अपना दायित्व मानता है और इसलिये वह प्रतिपक्ष के अन्याय का प्रतिकार प्रेमपूर्ण व्यवहार द्वारा स्वयं कष्ट सहन कर करता है। दु:ख सहन की धारणा गाँधी दर्शन में अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान रखती है। डॉ. विश्वनाथ नखणे के शब्दों में 'दु:ख सहन के सम्बन्ध में गाँधी के विचार न केवल उनके प्रबल धार्मिक विश्वास को प्रकट करते हैं बल्कि मानवचित्त की उनकी समझ को भी। वे मानते हैं कि सारे सामाजिक संघर्ष अविश्वास और क्रोध की उपज हैं। इन की जड़ें हृदय से निकालनी हैं। इस लक्ष्य की प्राप्ति का एक प्रभावी उपाय यह है कि प्रतिपक्षी के क्रोध को चुकने, भड़क लेने दिया जाए। प्रतिरोध करके हम उसके क्रोध को और भड़काते हैं, हम उसे जीतते नहीं। चुपचाप दु:ख सहन करके हम उसे अपने कार्य के विषय में सोचने को मजबूर करते हैं उसे अपनी भूल पहचानने का एक अवसर देते हैं। गाँधी का विख्यात् 'हृदय परिवर्तन द्वारा क्रान्ति' का सिद्धान्त इसी मनोवैज्ञानिक तथ्य पर आधारित है।'[11]

उपसंहार- गाँधी दर्शन का प्रधान लक्ष्य या साध्य 'सत्य' है और इस साध्य की प्राप्ति का साधन अहिंसा है। गाँधी जी की स्पष्ट मान्यता थी कि जितना पवित्र साध्य है उतना ही पवित्र साधन भी होना चाहिए। अहिंसा एक निषेध परक अवधारणा है किन्तु गाँधी इस शब्द की भावात्मक व्याख्या भी करते हैं। उनके अनुसार अपने भावात्मक रूप में अहिंसा प्रेम है। अपने विशुद्धतम रूप में अहिंसा का अर्थ है अधिकतम प्रेम। गाँधी जी के शब्द है 'जो हमसे प्रेम करते हों उन्ही के साथ प्रेम करना अहिंसा नहीं है। जो हमसे नफरत और द्वेष करते हों उनसे भी प्रेम करना वस्तुत: अहिंसा है।'[12]

वस्तुत: गाँधी जी जब अहिंसा को साधन और सत्य को साध्य कहते हैं तो यह भाषा की सीमा के कारण है। तथ्य तो यह है कि वो दोनों को अलग करके देख ही नहीं पाते। यदि सत्य ईश्वर है और अहिंसा धर्म है तो इसका निहितार्थ तो यही होगा कि अहिंसा नियम है और सत्य नियंता और गाँधी जी ने यह घोषणा अनेकश: की है कि ईश्वर और उसके नियम को अलग-अलग नहीं किया जा सकता।

गाँधी दर्शन के आधार स्तंभ 'सत्य' और 'अहिंसा' का व्यावहारिक पक्ष 'सत्याग्रह' है। सत्याग्रह के रूप में गाँधी जी ने एक ऐसी राजनीतिक प्रौद्योगिकी का अविष्कार किया जो शक्ति अर्थात हिंसा के नियम से नहीं बल्कि प्रेम अर्थात् नैतिकता के नियम से अनुप्राणित और संचालित होती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. सम्पूर्ण गाँधी वाग्मय खण्ड- 69, प्रकाशन विभाग सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार 1979, पृ. 23
2. डॉ. रामजी सिहं, गाँधी दर्शन मीमांसा, बिहार हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, 1964, पृ. 17
3. पट्टाभि सीतारमैया गाँधी और गाँधीवाद, शिवलाल अग्रवाल एण्ड कम्पनी, पृ. 24
4. डॉ. विश्वनाथ नखणे अनुवादक नेमिचन्द जैन, आधुनिक भारतीय चिंतन, राजकमल प्रकाशन, नयी दिल्ली 1966 पृ. 204
5. सम्पादक डॉ. धीरेन्द्र वर्मा, हिन्दी साहित्य कोश (भाग-एक) ज्ञान मंडल लिमिटेड, वाराणसी, 1958 पृ. 222
6. संपादक डॉ. गिरिराजशरण, गाँधी ने कहा था, प्रतिभा प्रतिष्ठान, दिल्ली 1958 पृ. 182
7. मोहनदास करमचन्द गाँधी, अनुवादक, अमृतलाल ठाकोरदास, मंगलप्रभात, नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद, 1958, पृ. 11,12
8. सम्पादक, डॉ. धीरेन्द्र वर्मा, हिन्दी साहित्य कोश, (भाग एक) ज्ञान मंडल लिमिटेड, वाराणसी, 1958, पृ. 220
9. सम्पूर्ण गाँधी वांग्मय खण्ड 57, प्रकाशन विभाग सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार 1979, पृ. 380
10. संपादक गिरिराज किशोर, गाँधी ने कहा था, प्रतिभा प्रतिष्ठान नई दिल्ली 1958 पृ. 175
11. डॉ. विश्वनाथ नखणे अनुवादक नेमिचन्द जैन आधुनिक भारतीय चिंतन, राजकमल प्रकाशन नयी दिल्ली, 1966 पृ. 2
12. संपादक गिरिराज शरण गाँधी ने कहा था प्रतिभा प्रतिष्ठान, नयी दिल्ली, 1958, पृ. 46

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XL

आकड़ों की वर्तमान तथा भविष्य में महत्वपूर्णता एवं उपयोगिता पर एक अध्ययन

डॉ. लारेन्स कुमार बौद्ध*

* सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) शासकीय महाविद्यालय, चीनौर (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – वर्तमान समय में आकड़ों का जाल किसी भी क्षेत्र में सकारात्मक परिणाम पाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है मानव, सरकारों,कर्मचारियों एवं अन्य क्षेत्रों में इसका उपयोंग रीड की हड्डी की तरह हो गया है कोई भी व्यक्ति बाजार से किसी बस्तु को खरीदने से पहले यह जानना चाहता है कि यह वस्तु कहॉ पर एवं बाजार में किस जगह मिलेगी। तभी वह घर से उस वस्तु को क्रय करने के लिए निकलता है उसी प्रकार से सरकारे भी अपने कर्मचारियों की सतत निगरानी के साथ–साथ उनकी कार्यक्षमता,दक्षता एवं योगयता को जान सकती है क्योंकि उनके पास समस्त कर्मचारियों के आकड़े होते है और सरकारों को आकड़ों के आधार पर विभिन्न प्रकार की योजनाओं एवं अभियानों का क्रियान्वयन करने में सुगमता मिलती है इसके लिए कुछ विशेष क्षेत्रों को चिन्हित करना, किन क्षेत्रों में कितना कार्य किस वर्ग विशेष के लिए करना है इस बात का ध्यान रखा जाता है इससे सरकार कों नागरिकों की जीवन सुविधाओं में सुधार करने के में मद्द मिलती है और नीतियॉ तैयार कर कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन एवं उनमें आवश्यकतानुसार सुधार भी किए जाते है आकड़े वाणिज्यिक/नीतिगत परिणामों को अधिकतम करने के लिए उपभोक्ताओं और नागरिकों के व्यवहार पैटर्न की बेहतर समझ, सक्रियता और जरूरतों की बेहतर प्रत्याशा और इनके अनुरूप नीति समाधानों में सहयोग देना और अक्षमताओं को कम करते है इसलिए वर्तमान एवं भविष्य में आकड़ों की प्रासांगिकता उचित प्रतीत होती है।

प्रस्तावना – आकड़े संख्याओं का एक जाल है आकड़े ऐसी संख्याओं को परिभाशित करते है जो किसी विशेष उद्देश्य के लिए वर्तमान एवं भविष्य में अपनी उपयोगिता को दर्शाते है आकड़े पहले एकत्रित किए जाते है यह कार्य मुख्य रूप से तो सबसे पहले अनुसंधानकर्ताओं द्वारा किया जाता है जो कि आकड़ों का संकलन किसी विशेष उद्देश्य के लिए करते है कुछ आकड़े स्वमेव ही एकत्रित हो जाते है। जैसे आजकल बहुत सारी सेवा प्रदायकर्ता कम्पनियॉ है जिनके पास असंख्य लोगों के आकड़े संकलित है जब उपभोक्ता इन कम्पनियों से कोई सेवा लेना चाहता है तो वह सबसे पहले उनका सदस्य या ग्राहक बनता है और वह यूजर आई.डी. एवं लोगिन के माध्यम से अपना सामान्य एवं निजी डाटा सेवा प्रदायकर्त्ता कम्पनियों को उनकी आवश्यकतानुसार उनके द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रपत्र में भरता है और इस तरह से कम्पनियों के पास बड़ी मात्रा में डाटा संकलित हो जाता है और संबंधित व्यक्ति कम्पनी द्वारा प्रदाय की गई सेवाओं का लाभ उठाता है इस प्रकार एक–एक से मिलकर असंख्य संखाए तैयार हो जाती है और वह आकड़ों का रूप ले लेती है जिनका बाद में विश्लेषण किया जाता है उसके पश्चात इन्हें आकड़ों या छवि के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

अध्ययन का उद्देश्य:

1. जब सरकार के पास आकड़े होते है तो उन्हें कल्याणकारी योजनाओं के सृजन में सहायता मिलती है और सरकार राज्य एवं क्षेत्रों की परिस्थिति अनुसार योजनाओं का संचालन करते है और समय–समय पर उनकी समीक्षा होती रहती है। जिस उद्देश्य के लिए योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है उनमें कितनी सफलता मिली है और उनके क्रियान्वयन में क्या बदलाव की आष्यकता है यदि बदलाव की आवश्यकता है तो वह राज्यों के किन जिलों में है उनकों चिन्हित किया जाता है फिर उनके अनुरूप योजनाओं में बदलाव कर उनकों पुन: कल्याण कार्य करने के लिए लागू किया जाता है आकड़े उपलब्ध होने पर बजट का भी सही अनुमान लगाया जा सकता है कोई भी प्रोत्साहन योजना यदि किसी राज्य में क्रियान्वित करना है उसके लिए कितने धन की आवश्यकता होगी उसके लिए बजट में प्रावधान करने में सफलता मिलती है जब सरकार के पास आकड़े उपलब्ध होते है।
2. वर्तमान समय में व्यक्ति प्रतिदिन आकड़ों का सृजन कर रहे है एक–दूसरे से बात करने, सूचनाए प्राप्त करने,वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय करने,विलों का भुगतान करने,वित्तीय बाजारों में लेनदेन एवं कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए अपनी ईच्छानुसार इन आकड़ों को सरकारी एवं निजी सर्वरों पर डाल रहे है कुछ दशक पूर्व इन आकड़ों का संधारण करने के लिए व्यक्गित सर्वेक्षण करवाना पड़ता था आज वह स्वंमेव ही शून्य लागत पर संचित हो रहे है जो कि सरकार एवं अन्य उपयोगकत्ताओं के लिए बड़े हर्ष का विषय है क्योंकि इनकों यह आकड़े सहजता से एवं कम लागत पर प्राप्त हो रहे है वर्तमान समय में तकनीकी विकास के नित्य नए अनुसंधान से ऐसे डिजिटल उपकरण बाजार में उपलब्ध है जिनमें असंख्य पृष्ठों के आकड़े एक मुठ्ठी भर की डिवाइज में समा जाते है इससे इनके रखरखाव पर भी किसी प्रकार की समस्या नहीं आती है एवं इनको सहजता से कभी भी आवश्यकतानुसार उपयोग किया जा सकता है जो कि बहुत ही औचित्यपूर्ण है।
3. आकड़ों के माध्यम से विभिन्न प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम को संचालन करने में सहायता मिलती है जब सरकार या अन्य संस्थाओं के पास आकड़े होते है तों उनसे यह ज्ञात हो जाता है कि लोगों के कल्याण के लिए

जिन योजनाओं एवं अभियानों का क्रियान्वयन हो रहा है किस क्षेत्र में कितने लोग लाभान्वित हुए है जिन क्षेत्रों में कम लोग लाभांवित हुए है उन क्षेत्रों में या तों योजनाओं का क्रियान्वयन सही तरीके से नहीं हो या फिर वहॉ पर लोगों में जागरूकता का अभाव है जैसे कि वर्तमान समय में कोविड टीकाकरण का कार्य चल रहा है सरकार के पास प्रत्येक परिवार का डाटा है किस व्यक्ति को वैक्सीन लगी या नहीं लगी यह कार्य मतदाता सूची के आधार पर किया गया है क्योंकि मतदातासूची में 18 वर्ष से ऊपर के सभी युवक-युवतियों के नाम होते है जो पूर्व से संकलित डाटा है और कोविड टीकाकरण अभियान की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

शोध प्रविधि-प्रस्तुत अध्ययन प्रमुखत: द्वितीयक समंको पर आधारित है इसमें मुख्य रूप से समाचार पत्र,पत्रिकाओं एवं इन्टरनेट वेबसाइड का सहारा लिया गया है।

उपकल्पना:

1. किसी भी योजना के क्रियान्वयन में आकड़े महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है।
2. डिजिटलीकरण के युग में आकड़े एकत्रित करना आसान हो गया है।

भारत में डाटा संग्रहण की स्थिति- हमारे देश में डाटा संग्रहण की व्यवस्था अत्यधिक विक्रेंद्रित स्थिति में है। सामाजिक कल्याण से सम्बन्धित आकड़े एकत्रित करने की जिम्मेदारी संबंधित संघीय मंत्रालय और राज्य समकक्षों की है एक मंत्रालय द्वारा एकत्रित किए गए आकड़ो को दूसरे मंत्रालय द्वारा एकत्रित किए गए आकड़ों से पृथक रखा जाता है। चाहे वे वाहन पंजीकरण से संबंन्धित हो या शिक्षा एवं स्वामित्व संबंधी अभिलेख एवं अन्य इस तरह से प्रत्येक मंत्रालय के पास व्यक्तियों /फर्मो के आकड़ों का एक छोटा सा पृथक अंश ही होता है इन छोटे-छोटे पृथक अंशों को एक साथ मिलाने के प्रयास की ओर हम अग्रसर हो रहे है जैसे कि आधार कार्ड को पैन डाटाबेस,बैकखातों,मोबाइल न. आदि से जोड़ने का कार्य चल रहा है इस तरह से प्रत्येक नागरिक की व्यापक सर्वागीण सूचना सरकार के पास संकलित हो जायगी जो सरकार को सशक्त बनााने का काम करेगी और यह सरकार को कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन तथा वितरण में सहायता करेगी जब डाटा डिजिटल तरीके के इकट्ठा होता है इसे उपयुक्त समय में संग्रहीत किया जाना चाहिए और मौजूद डाटा के साथ समेकित किया जाए तो इस प्रकार से डाटा की भरमार हो जायगी इस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध डाटा से शासन को बदलने में पर्याप्त क्षमता है लेकिन इस क्षमता को हासिल करने के लिए पर्याप्त कौशल की आवश्यकता है तभी इस डाटा का उपयोग सभी प्रशानिक स्तरों पर हो पाना सम्भव है वास्तविक समय में डाटा का उपयोग करने के लिए विश्लेषण करने के साथ-साथ डाटा को एक अर्थपूर्ण सूचना में परिवर्तित करने के लिए अपनी आंतरिक क्षमताओं का निर्माण करना चाहिए। डाटा का संधारण करने के लिए प्रत्येक सरकारी विभाग में एक इन्साइड प्रभाग की व्यवस्था होनी चाहिए वह डाटा संग्रहण,संरक्षण के साथ-साथ डाटा की गोपनीयता को बनाए रखने के लिए सरकार एवं अन्य संस्थाओं के लिए चुनौती उस समय उत्पन्न हो जाती है जहॉ लोग अपना डाटा प्रकट नहीं करना चाहते है और वह हमेशा उस विकल्प का चयन कर, सर्वेक्षण में भाग न लेकर और लोग इसके लिए स्वतन्त्र भी है लेकिन इसके अपवादस्वरूप यदि बिना लाइसेंस एवं बिना रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र के वाहन नहीं खरीद सकते है यदि इसे अनिवार्य नहीं बनाया जाए तो सम्पत्ति के अधिकार के कार्यानवयन,सड़क सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता है जिसके साथ समझौता नहीं किया जा सकता है।

निष्कर्ष- उपरोक्त अध्ययन से स्पष्ट होता है कि आकड़े सरकार एवं नागरिकों के लिए वर्तमान से लेकर भविष्य में भी अपनी महत्वपूर्णता को प्रकट कर रहे है वर्तमान में सामाजिक स्तर पर आकड़ो का प्रयोग पहले की तुलना में अधिक हो रहा है और निजी क्षेत्र द्वारा इन आकड़ों का पूरा लाभ ले रहे है। अपनी व्यावसायिक एवं अन्य गतिविधियों के संचालन में और सरकार के पास नागरिकों के बारे में प्रशासनिक सर्वेक्षण, संस्थागत और संव्यहार संबंधी आकड़े उपलब्ध है इसलिए सरकार को सभी प्रकार की योजनाओं के क्रियान्वयन में आसानी होती है अत: अध्ययन की प्रथम उपकल्पना स्वंयसिद्ध होती है वर्तमान डिजिटलीकरण के युग में नई-नई तकनीकी के आने एवं अनुसंधान के माध्यम से ऐसे डिवाइस तैयार किए गए है जिनमें असंख्य मात्रा में आकड़ों को रखा जा सकता है अत: अध्ययन की द्वितीय उपकल्पना स्वंयसिद्ध होती है

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची:-

1. रिसर्च मेथोडोलोजी-डॉ.सी.एम.चौधरी(2005) आ.बी.एस.ए. पब्लिकेशन्स जयपुर।
2. द् हिन्दू, इण्यिन एक्सप्रेस, दैनिक भास्कर।
3. इन्टरनेट, वेबसाइट।

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XL

जनजातियों का परिचयात्मक अध्ययन : राजस्थान के सन्दर्भ में

श्रीमती वर्षा चुण्डावत* डॉ. हेमेन्द्र सिंह सारंगदेवोत**

* सहायक आचार्य (भूगोल) राजकीय महाविद्यालय, देवगढ़, राजसमन्द (राज.) भारत
** सहायक आचार्य (इतिहास) (राज.) भारत

शोध सारांश – भारत में आदिकाल से वन क्षेत्र में निवास करने वाली अनुसूचित जनजाति को भूमिपुत्र माना गया हैं जिसने अपने भौगोलिक एकांत को सहेजते हुए सांस्कृतिक वैशिष्ट्य बनाये रखा परन्तु इनके उद्‌भव के सन्दर्भ में कई मत–मतान्तर हैं जो कि सकारात्मक व नकारात्मक अवधारणाओं से युक्त हैं। भारत के प्राचीनतम लिखित ग्रन्थ वेदों में इनका उल्लेख प्राप्त होता है। सम्पूर्ण भारत में विभिन्न प्रकार के आदिवासी निवासरत है।

शब्द कुंजी –आदिवासी, जनजाति।

प्रस्तावना – भारत वर्ष में 'आदिवासियों' को 'वनवासी' और 'गिरिजन' नाम से भी पुकारते हैं।[1] आदिवासी अर्थात् इस देश के मूल निवासी या प्राचीन आदिकाल से निवास कर रहे निवासी हैं। ये जनजाति भारत की प्राचीनतम जाति हैं। इस सन्दर्भ में उल्लेखनीय हैं कि उन्होंने जंगलों व एकांत से अत्यधिक प्रेम होने के कारण हरीतिमा आच्छादित वनों में नदियों के किनारे पर्वतों के संग निवास करना पसंद किया ,या फिर एक अन्य भौतिकवादी अवधारणा के अनुसार सभ्यता के विकास के साथ सुसंस्कृत समुदायों ने उन्हें पहाड़ों और जंगलों की ओर धकेल दिया। जब उनको 'गिरिजन या वनवासी' कहा जाता हैं तो तात्पर्य हुआ हैं कि वे पहाड़ों और जंगलों में रहते हैं। सदियों से पहाड़ों और जंगलों में रहने वाले ये आदिवासी अपना जीवन निर्वाह जंगल और उसकी उपज से करते रहे परन्तु वर्तमान में परिदृश्य बदल रहा है।

इतिहास और अर्थव्यवस्था के प्रारम्भिक दौर में आदिवासी केवल जीविकोपार्जन अर्थव्यवस्था तक सीमित थे। वे उतना ही पैदा करते थे जितना जीवित रहने के लिए आवश्यक था। यदि बाजार में बेचने के लिये कुछ अतिरिक्त उत्पादन करते तो केवल इतना ही कि वे कपड़ा, नमक और मसाले जैसी आधारभुत आवश्यकताओं को बाजार से खरीद कर पूरा कर सकें। खेती तो उनके जीवन में तब आयी जब गैर–आदिवासी जातियाँ आदिवासी अंचल में आयीं या पहाड़ी व जंगल क्षेत्र के आदिवासी प्रवासी होकर मैदानों में बस गये। सब मिलाकर आदिवासियों के खेतीबाड़ी करने का इतिहास कोई अधिक पुराना नहीं है।[2]

आदिवासियों के बारें में कहा जाता है कि ये ईस्वी सन् के शताब्दियों पूर्व उत्तरी –पूर्वी पहाड़ी घाटियों से भारत में आई होगी। आक्रमण के कारण इन जातियों को जंगलों व पहाड़ों में शरण लेनी पड़ी होगी। मेजर इरस्किन का मानना है कि भील ईसा पूर्व में ही किसी पूर्वोत्तर देश से भारत में आये। जबकि कर्नल टॉड इन्हें 'वनपुत्र' या 'भूमिपुत्र' कह कर भारत का मूल निवासी ही मानते है। राजपूतों से भी भीलों का सामंजस्य विशेष रूप से बताया गया है। वीर विनोद के लेखक कवि श्यामदास ने मेवाड़ के राजपूतों से भीलों के विकास का वर्णन किया है।[3]

आदिवासियों की देश भर में उनकी बसावट एक समान नहीं है। कुछ राज्यों में आदिवासी बहुत अधिक संख्या में हैं। कुछ में उनका प्रतिशत थोड़ा है और कुछ राज्यों में वे नगण्य हैं। मध्यप्रदेश, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान और गुजरात ऐसे राज्य हैं जिनमें आदिवासी बहुत अधिक संख्या में मिलते हैं। उत्तर–पूर्व के छोटे–छोटे राज्य नागालैण्ड, मिजोरम, अरूणाचल, मणिपुर आदि ऐसे राज्य हैं जिनमें अपवाद रूप में गैर–आदिवासी रहते हैं। कर्नाटक एवं तमिलनाडु की आदिवासी जनसंख्या अपेक्षित रूप से थोड़ी है। केरल जैसे राज्य में आदिवासी नगण्य हैं।इसके साथ ये भी दृष्टव्य होता हैं कि सभी आदिवासी विकास की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। जहाँ उत्तार भारत के भोटिया–खानाबदोश तथा खाद्य संग्राहक अवस्था में हैं वहां धनबाद (बिहार) के आदिवासी औद्योगिक क्षेत्र में काम करते हैं। विकास की विभिन्नता के चलते उनकी परिस्थितियां भी भिन्न–भिन्न हैं।[4]

राजस्थान में 1981 की जनगणना के अनुसार आदिवासियों की कुल संख्या लगभग 41.83 लाख थी। जहाँ देश में जनजातियों का प्रतिशत सम्पूर्ण जनसंख्या का 7.5 है, वहाँ राजस्थान में यह प्रतिशत 12.21 है। यहाँ के आदिवासियों में मीणा और भील प्रमुख हैं। यदि जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो देश में गोण्ड प्रथम हैं। दूसरे स्थान पर संथाल हैं। तीसरा दर्जा भीलों का है। राजस्थान में मीणा एवं भील के अतिरिक्त डामोर, गरासिया और सहेरिया अन्य महत्त्वपूर्ण समूह हैं। इनके अतिरिक्त एक समूह कथौड़ी का है जो महाराष्ट्र से आकर यहाँ बस गया। इनके अतिरिक्त धानका तथा कोली भी हैं। राजस्थान के आदिवासियों के बारे में मजेदार बात यह है कि ये समूह अन्तराज्य सीमाओं पर बहुत मात्रा में पाये जाते हैं। राजस्थान की दक्षिणी सीमाएं गुजरात और मध्यप्रदेश राज्यों को छूती हैं और राज्यों की सीमाओं को जोड़ने वाला अंचल ही वस्तुत: आदिवासी बहुल है।[5]

राजस्थान में आदिवासी समूह – लगभग एक दर्जन आदिवासी समूहों में से छह आदिवासी समूह महत्तवपूर्ण है। ये समूह हैं रू मीणा, भील, डामोर, गरासिया, सहेरिया तथा कथौड़ी। इनकी बसावट भी राज्य भर में बिखरी हुई न होकर एक निश्चित भू–भाग में है। यदि राजस्थान के आदिवासियों को जनसंख्या की दृष्टि से किसी सोपान में रखा जाये तो सर्वोपरि मीणा और दूसरा दर्जा भीलों का होगा। यों राष्ट्रीय स्तर पर भील तीसरा सबसे बड़ा आदिवासी समूह है।[6]

भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान के आदिवासियों को निम्नलिखित चार मण्डलों में बांट सकते हैं –

(1) मेवाड़-वागड़-कांठल का प्रथम मण्डल : इस मण्डल में राज्य के दक्षिण क्षेत्र के जिले आते हैं। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, राजसमंद, प्रतापगढ़, उदयपुर तथा चित्तौड़गढ़ जिलों में भील, डामोर और कथौड़ी पाये जाते हैं।

(2) गोडवाड़ का द्वितीय मण्डल : इस मण्डल में सिरोही व पाली जिले आते हैं। इनमें गरासिया बहुल संख्या में हैं।

(3) ढूंढाढ-शेखावाटी का तृतीय मण्डल : इसके अन्तर्गत जयपुर, सीकर और अलवर जिले हैं। इनमें मीणा बहुतायत रूप में पाये जाते हैं।

(4) माल खेराड-हाडौती का चतुर्थ मण्डल : टोंक, बून्दी, कोटा और झालावाड़ इस मण्डल के अन्तर्गत आते हैं। इनमें भील और मीणा मिले जुले रूप में पाये जाते हैं। कोटा जिले की किशनगंज और शाहाबाद तहसीलों में मुख्य रूप से सहेरिया आदिवासी पाये जाते हैं।[7]

अनुसूचित जनजातियों के अतिरिक्त राज्य के विभिन्न भागों में कुछ समूह भी पाये जाते हैं जो अनुसूचित समुदाय तथा खानाबदोशी समूह हैं। एक ऐसे समूह और भी है जिसे अर्द्ध-खानाबदोश कहते हैं। अनुसूचित में बोरी, कंजर, सांसी, बागरी, जाट, भाट आदि सम्मिलित हैं। खानाबदोश में बन्जारा, गाडोल्या लुहार, कालबेलिया, सिकलीगर और कुछ दूसरे समूह हैं। अर्द्ध-खानाबदोश में रेबारी, जोगी, मसानी और अन्य समूह सम्मिलित हैं।[8]

जनजातीय समुदाय – राजस्थान में अधिनियम 1976 के अनुसार निम्नलिखित अनुसूचित जनजातियाँ निवास करती हैं

(1) भील, भील-गरासिया, ढोली भील, डूँगरी भील, डूँगरी गरासिया, मेवासी भील, रावल भील, तड़वी भील, भागलिया, भिलाला, पावरा, वसावा, वसावे।

(2) भील-मीणा[9]

(3) डामोर, डामरिया[10]

(4) धानका तड़वी, वालवी, तेतड़िया

(5) गरासिया (राजपूत गरासियों को छोड़कर)

(6) कथोड़ी, कतकड़ी, ढ़ोर कथोड़ी, सोन कथोड़ी, सोन कतकड़ी।

(7) कोकना, कोकनी, कूकना

(8) कोली ढोर, टोकरे कोली, कोचला, कोलघा

(9) मीणा

(10) नायकड़ा, नायका, चोलीयावाला नायका, कापड़िया नायका, मोटा नायका, नाना नायका

(11) पटेलिया

(12) सहरिया सहारिया, सेरिया, सहेरिया।[11]

राजस्थान के जनजातीय समुदाय का सर्वाधिक 33 प्रतिशत भाग भील व मीणा समुदाय का है। अन्य प्रमुख जनजातियों में गरासिया, डामोर, सहरिया एवं कथौड़ी हैं। धानका, नायका, कोकना, कोलीवीर, पटेलिया आदि प्रमुख अल्पसंख्यक जनजातियों में हैं।[12]

आदिवासियों के उल्लेख धार्मिक ग्रन्थों, पुराणों, उपनिषदों और महाकाव्यों में जगह-जगह पर मिलते हैं। भगवत पुराण में उल्लेख है कि राजा वेण का पुत्र अंग बड़ा अत्याचारी था। वह अपनी प्रजा पर मनमाने अन्याय करता था। उसने लोगों से कहा था कि वे उसकी पूजा करें और यज्ञ करना बंद कर दें। राजा अंग दुराचारी था। उसने ऋषियों और साधुओं को भी नहीं छोड़ा। इन ऋषियों ने परेशान होकर अंग को मरने का श्राप दिया। अंग का और कोई उत्तराधिकारी नहीं था। उसके मृत शरीर से ऋषियों ने निषाद को पैदा किया। निषाद का काम कानून और जाब्ते को बनाये रखना था। निषाद कौओं की तरह काला था। उसकी नाक चपटी और आंखें लाल सूर्ख थीं। उसकी संतान जंगलों और पहाड़ों में रहती थी। भगवद् पुराण अंग के शरीर से उत्पन्न निषाद संतान को ही गिरिजन या वनवासी बताता है। महाभारत में जिस एकलव्य का नाम आता है, वह आदिवासी भील था। राम को, प्रेम विभोर होकर, जूठे बेर खिलाने वाली शबरी भी आदिवासी थी।[13]

भौतिक मानवशास्त्रियों ने भारत के आदिवासियों की प्रजातीय संरचना का अध्ययन किया है। उन्होंने कई निष्कर्ष निकाले हैं। अपनी जगह पर इस तरह की प्रजातीय बनावट का अभ्यास महत्त्वपूर्ण है। लेकिन पिछले कोई 200-300 वर्षों में स्वयं आदिवासियों तथा गैर-आदिवासियों में इस प्रकार आंतरिक प्रजनन हुआ है कि कोई भी जातीय समूह अपने विशुद्ध रूप में नहीं पाया जाता। अत: आज के इस युग में प्रजातीय उत्पत्ति की खोज बेमतलब दिखायी देती है और फिर उसका कोई सामाजिक महत्तव भी नहीं रहा।[14]

भूमिपुत्र आदिवासी – प्रजातीय आधार पर विद्वान नरेंद्र व्यास व महेंद्र भानावत लिखते हैं कि आदिवासी समूह न तो द्रविड़ प्रजाति के हैं और न आर्य प्रजाति के। निश्चित रूप से द्रविड़ों की संस्कृति आदिवासी समूहों से बेहतर थी। इसी तरह आर्य सभ्यता भी आदिवासी सभ्यता से ऊँची थी। यह सब देखते हुए कहा जाना चाहिए कि आदिवासी समूह वे समूह हैं जो इस देश में द्रविड़ों और आर्यो से पहले आये हैं। प्रारम्भ में ये आदिवासी मैदानों में रहते थे। वे इस भू-भाग के राजा-महाराजा थे। फिर द्रविड़ आये। उन्होंने आदिवासी समूहों को पहाड़ों और जंगलों की ओर धकेला। द्रविड़ सभ्यता के नष्ट होने के बाद आर्य सभ्यता आयी। आर्यो ने भी आदिवासियों को पुन: मैदानों में नहीं आने दिया। ये समूह पहाड़ों व वनों में रहकर जीविकोपार्जन करने लगे।[15]

आदिवासी उद्भव – आदिवासियों की उत्पत्ति के सन्दर्भ में डॉ. महेन्द्र भानावत बताते हैं कि आबू के अग्निकुण्ड से चव्हाण या चौहान वंश का अभ्युदय हुआ। इस वंश में एक नरू नामक राजा हुआ जो किसी युद्ध में विजय की प्रसन्नता में कलाली (महुए से शराब या मदिरा का देशी तरीके से निर्माण करने वाले) के घर घुस गया और खूब छककर दारू या मदिरा का सेवन किया। कुछ समय बाद जब उसे तेज भूख लगी तो पाड़ा काट खाया। ये दोनों ही कार्य उसकी प्रतिष्ठा और मर्यादा के अनुकूल नहीं थे। सुबह जब राजा नरू का मद उतरा और उसके राज्य के सरदारों की नजर पाड़े की पूंछ पर पड़ी तो बात फैल गई कि नरू राजा तो आधी में ही बास गया था। पाड़ा खाने से वटल गया था। लोगों में एक कान से दूसरे कान बात फूटी कि नरू राजा आधी (अर्द्धरात्रि) में वासी (वासने-बदबू देने वाला) हो गया। इससे लोग उसे 'आधी-वासी' कहने लग गये। इसी आधीवासी से कालान्तर में 'आदिवासी' नाम चल पड़ा।[16]

'भील' शब्द की उत्पत्ति द्रविड़ भाषा के 'बील' शब्द से हुइ है जिसका अर्थ धनुष में प्रयुक्त की जाने वाली 'कमान' से हैं। इस शब्द का प्रयोग 600 ई. से प्रारम्भ हुआ। इसी प्रकार 'मीणा' शब्द की उत्पत्ति 'मीन' शब्द से हुइ है जिसका शाब्दिक अर्थ मछली हैं। ये जनजाति अपना सम्बन्ध भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार से मानते हैं। इसी तरह ग्रास या आजीविका निर्वाह जितने साधन प्राप्त होने से या गिरिवासी अर्थात् पहाड़ों में निवास

करने और चौथ वसूली के लिए गिरोह(गिरोहिया) में रहने से एक जनजाति 'गरासिया' कहलाई। 'सहरिया' शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द 'शेर' से हुई जिसका तात्पर्य जंगल से होता हैं। जंगल में निवास करने के कारण मुस्लिम शासकों ने इनको ये नाम दिया। इसका शाब्दिक अर्थ अनुसार सा-हारिया (सा-हाथी,हरिया-शेर) से हैं जिसका अर्थ शेर का साथी होने से हैं।[17]

डामोर जनजाति के आदिवासी मूलत: गुजरात में निवासरत थे जो कालांतर में राजस्थान आ गए।[18] सुज्ञात हैं कि मेवाड़ दवागड़ क्षेत्र गुजरात से भौगोलिक समीपता रखता हैं। राजस्थान में डामोर मुख्य रूप से उदयपुर, बाँसवाड़ा एवं डूंगरपुर जिला व इसके सीमावर्ती राज्य, जैसे गुजरात व मध्य प्रदेश में निवास करते हैं। इनकी अधिकांशत: सांस्कृतिक पहचान गुजरात से मिलती-जुलती है।[19] डामोरों की मान्यता अनुसार वे स्वयं को भगवान मनजी के वंशज हैं और ये डोम का पानी पीने से भगवान मनजी के वंशज डामोर कहलाए। अधिकांश डामोर अपनी उत्पत्ति राजपूतों से मानते हैं व कुछ भीलो से कुछ डामोर जनजाति अपने गोत्र के आधार पर स्वयं को उच्च कहते हैं, जबकि कुछ डामोर को समाज में निम्न स्थान प्राप्त है।[20] अत: उच्च और निम्न डामोर होने की स्थिति में सामाजिक भेदभाव और वैवाहिक प्रतिबन्ध का पालन किया जाता है। डामोर जनजाति में सभी गोत्र अपने-अपने पौराणिक लोकोक्ति एवं किंवदंती के आधार पर स्वयं को श्रेष्ठ मानते हैं। इनके मुख्य गोत्र परमार पाण्डोर, पुजारा, गोधा, खराड़ी, कटारा, सिसोदिया, भरतीया पादरिया खाँट, राठौड़, चौहान, सोलंकी, साटोलियाध्सारोदिया, बारिया, मालवीया, मालीवाड़, कोयला, पगी, आमलिया, पटेल, कोटवाल, हिंडोर, बामनिया, सरल, बारोद, बुज, माल, सरपोटा आदि है।[21] इनकी भाषाएँ गुजराती व स्थानीय भाषाएँ मिश्रित हैं। ये अपने घरों में सामान्यत: वागड़ी और मेवाड़ी बोलते है।[22] स्वयं के सर्वे के दौरान मालवी भाषा का प्रभाव भी यहाँ पर दृष्टव्य अनुभूत हुआ हैं।

इतिहासकार कविराज श्यामलदास अपने ग्रन्थ 'वीर विनोद' में सिरोही की तवारीख में सिरोही राज्य के आदिवासियों के सन्दर्भ में 1886 ई. में लिखते हैं कि '............. सिरोही में ब्राह्मण, राजपूत, बनिया, गुसाईं, वैरागी वगैरह कई कौम के मनुष्य बसते हैं य कुणबी, रैवारी और ढेड़ भी बहुत हैंय लेकिन सबसे बड़ा गिरोह आबादी का ग्रासिया, मीना और भीलों को ही समझना चाहिय, सिरोहीके राज्यमें उत्तारकी तरफ मीने और पश्चिम में भील जियादह आबाद हैं, जो लूट मार व बौलाई से अपना गुजर करते हैं य खेती सिर्फ बर्सात की फस्ल में बोते हैं, ग्रासिया कौम के लोग भीलों की तरह हर एक जानवर को नहीं खाते, वे गाय और सिफेद जानवरको पाक समझते हैं, और गायको पूजते हैं य लेकिन काली भेड़ या बकरी को खा लेते हैं, कोली, जिनको इस राज्य में गुजरातसे आकर बसे हुए 13 वर्ष से जियादह अर्सह हुआ, खेती का पेशह करते हैं. इस इलाके की बोली मारवाड़ी और गुजराती भाषा से मिली हुई है................'[23]

इतिहासकार कविराज श्यामलदास अपने ग्रन्थ 'वीर विनोद' में जयपुर का जुग्राफियह में जयपुर राज्य के आदिवासियों के सन्दर्भ में 1886 ई. में लिखते हैं कि '............. जात, फिर्कह और कौम- रियासत में ब्राह्मण, राजपूत, साधू, बनिया, कायस्थ, गूजर, जाट, अहीर, मीने, मुहम्मदी, काइमखानी, बगैरह कई कौम है. .... पूर्वी सीमा के पास और दक्षिण पूर्व में मीने जियादह हैं, जिनकी तादाद राजपूत कोम के बराबर समझी जाती है '........ और मीने, जिनका कब्जह राजपूतों के आने से पहिले जयपुर की जमीन पर था, दो तरह के हैं य एक चौकीदार और लुटेरे, दूसरे जमींदार खेती करने वाले. ....'[24] सुज्ञात हैं कि आरक्षण प्राप्त जयपुर के जमींदार मीणा स्वयं को चौकीदार मीणा से उच्च मानते हैं और वर्तमान में आरक्षण का सर्वाधिक लाभ लेकर आसमान छुने की ओर अग्रसर हैं।

अंग्रेजी औपनिवेशिक शासन काल में 'बांटों और राज करों' की नीति के आधार पर मैक्समूलर और लार्ड रिस्ली जैसे तथाकथित विद्वानों ने नस्ल विज्ञान का आविष्कार करके आर्य-अनार्य सहित जनजाति, जाति-वर्ण व्यवस्था को रुढ़िबद्ध किया और भारत को विभाजित करने का कार्य किया। परन्तु इस नस्लवाद का खंडन स्वयं डॉ. भीमराव अम्बेडकर (1891-1956) करते हैं जो एक दलित नेता और भारतीय संविधान के निर्माता भी थे, प्राचीन भारतीय समाज के इतिहासकार और विद्वान थे। मानवशास्त्रियों द्वारा प्रकाशित भारत भर की विभिन्न जातियों की विशाल नासिक तालिका के आँकड़ों का अध्ययन करने के बाद वे एक उल्लेखनीय निष्कर्ष पर पहुँचे, जिसके लिए उन्होंने रिस्ली के ही आँकड़ों का उपयोग उनके शोध को गलत प्रमाणित करने के लिए किया, '....ख्नाकों के, नाप यह स्थापित करते हैं कि ब्राह्मण और अछूत एक ही नस्ल के हैं। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि अगर ब्राह्मण आर्य हैं तो अछूत भी आर्य हैं। अगर ब्राह्मण द्रविड़ हैं तो अछूत भी द्रविड़ हैं। अगर ब्राह्मण नागा हैं, तो अछूत भी नागा है। अगर ऐसा ही तथ्य है तो इस सिद्धान्त को... बेशक झूठी बुनियाद पर आधारित कहा जाना चाहिए...।'[25] इसी प्रकार के नस्लवाद का खंडन विद्वान युवाल नोआ हरारी अपनी अंतरराष्ट्रीय बेस्टसेलर पुस्तक 'सेपियंस,मानव जाति का संक्षिप्त इतिहास' में करते हैं।[26]

निष्कर्ष –प्रतीत ये ही होता है कि सम्पूर्ण मानव जाति होमो सेपियंस की ही वंशज है परन्तु अपनेदअपने भौगोलिक निवास वैशिष्ट्य ने पृथक-पृथक संस्कृति एवं भिन्न-भिन्न शारीरिक वैशिष्ट्य को सृजित किया है जिसे कई नकारात्मक लोगों ने नस्लवाद या आर्य-अनार्य या जाति-जनजाति का नाम दे दिया। वस्तुत: हम सभी एक ही हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. व्यास,नरेंद्र एवं भानावत,महेंद्र (2012), जनजाति जीवन और संस्कृति, सुभद्रा पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, दिल्ली, पृष्ठ सं. 21
2. वही, पृष्ठ सं. 21
3. देपाल, शशि (2018), राजस्थान का बदलता सामजिक स्वरुप, राजस्थानी ग्रंथागार , जोधपुर, पृष्ठ सं. 169
4. व्यास,नरेंद्र एवं भानावत,महेंद्र (2012), जनजाति जीवन और संस्कृति, सुभद्रा पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, दिल्ली, पृष्ठ सं.46
5. व्यास,नरेंद्र एवं भानावत,महेंद्र (2012), जनजाति जीवन और संस्कृति, सुभद्रा पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, दिल्ली, पृष्ठ सं. 21-22
6. वही, पृष्ठ सं.28
7. देपाल, शशि (2018), राजस्थान का बदलता सामजिक स्वरुप, राजस्थानी ग्रंथागार , जोधपुर, पृष्ठ सं. 174
8. व्यास,नरेंद्र एवं भानावत,महेंद्र (2012), जनजाति जीवन और संस्कृति, सुभद्रा पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, दिल्ली, पृष्ठ सं. 28
9. वही, पृष्ठ सं.30-31
10. झा,आर.सी.प्रसाद,(2020)डामोर (डामरिया) जनजाति की गोदना परंपरा का मानव शास्त्रीय अध्ययन, शोध पत्रिका(सम्पा.) जीवन सिंह खरकवाल, साहित्य संस्थान, उदयपुर, अंक 1- 4(पूर्णांक

282–285),पृष्ठ सं. 100
11. देपाल, शशि (2018), राजस्थान का बदलता सामजिक स्वरुप, राजस्थानी ग्रंथागार , जोधपुर, पृष्ठ सं.173–174
12. व्यास,नरेंद्र एवं भानावत,महेंद्र (2012), जनजाति जीवन और संस्कृति, सुभद्रा पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, दिल्ली, पृष्ठ सं. 30–31
13. वही, पृष्ठ सं.35
14. वही, पृष्ठ सं.35
15. व्यास,नरेंद्र एवं भानावत,महेंद्र (2012), जनजाति जीवन और संस्कृति, सुभद्रा पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, दिल्ली, पृष्ठ सं. 35–36
16. वही, पृष्ठ सं.37–38
17. देपाल, शशि (2018), राजस्थान का बदलता सामजिक स्वरुप, राजस्थानी ग्रंथागार , जोधपुर, पृष्ठ सं.179 –184
18. विश्वास, डी. पी. (1998), डामोर/डामरिया, पीपुल ऑफ इंडिया (के. एस. सिंह सम्पा.),पोपुलर प्रकाशन, मुम्बई, पृष्ठ सं.296–299
19. झा,आर.सी.प्रसाद,(2020)डामोर (डामरिया) जनजाति की गोदना परंपरा का मानव शास्त्रीय अध्ययन, शोध पत्रिका(सम्पा.) जीवन सिंह खरकवाल, साहित्य संस्थान, उदयपुर, अंक 1–4(पूर्णांक 282–285),पृष्ठ सं. 102
20. मेहता, प्रकाश चन्द्र (1993),भारत के आदिवासी,शिवा पब्लिशर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स, उदयपुर, पृष्ठ सं. 192–206 / झा,आर.सी.प्रसाद,(2020)डामोर (डामरिया) जनजाति की गोदना परंपरा का मानव शास्त्रीय अध्ययन, शोध पत्रिका(सम्पा.) जीवन सिंह खरकवाल, साहित्य संस्थान, उदयपुर, अंक 1–4(पूर्णांक 282–285),पृष्ठ सं. 103
21. मेहता, प्रकाश चन्द्र (1993),भारत के आदिवासी,शिवा पब्लिशर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स, उदयपुर, पृष्ठ सं. 192–206 य विश्वास, डी. पी. (1998), डामोर/डामरिया, पीपुल ऑफ इंडिया (के. एस. सिंह सम्पा.),पोपुलर प्रकाशन, मुम्बई, पृष्ठ सं.296–299य दोषी, शम्भुलाल एवं नरेन्द्र एन. व्यास (1992),राजस्थान की अनुसूचित जनजातियाँ,हिमांशु पब्लिकेशंस, नई दिल्ली, पृष्ठ सं.119–127
22. झा,आर.सी.प्रसाद,(2020)डामोर (डामरिया) जनजाति की गोदना परंपरा का मानव शास्त्रीय अध्ययन, शोध पत्रिका(सम्पा.) जीवन सिंह खरकवाल, साहित्य संस्थान, उदयपुर, अंक 1 द 4(पूर्णांक 282–285),पृष्ठ सं. 103
23. श्यामलदास, कविराज (2017), वीर विनोद,महाराणा मेवाड़ हिस्टोरिकल पब्लिकेशन ट्रस्ट, उदयपुर एवं राजस्थानी ग्रंथागार, जोधपुर, पृष्ठ सं. 1079
24. श्यामलदास, कविराज (2017), वीर विनोद,महाराणा मेवाड़ हिस्टोरिकल पब्लिकेशन ट्रस्ट, उदयपुर एवं राजस्थानी ग्रंथागार, जोधपुर, पृष्ठ सं. 1254
25. मल्होत्रा,राजीव एवं नीलकंदन, अरविन्दन (2013), भारत विखंडन, (अनु.) देवेन्द्र सिंह, सुरेश चिपलूणकर, हार्पर कॉलिन्स पब्लिशर्स इंडिया, नौएडा,पृष्ठ सं, 71–80
26. हरारी, युवाल नोआ (2019), सेपियंस मानव जाति का संक्षिप्त इतिहास, (अनु.) मदन सोनी, मंजुल पब्लिशिंग हाउस, भोपाल,पृष्ठ सं. 156 –160

****

Effect of Parental Involvement on Academic Procrastination, Academic Anxiety and Career Aspiration of Senior Secondary School Students of District Fazilka

Dr. Preeti Grover* Shiana**

*Assistant Professor (Education) Tantia University, Sri Ganganagar (Raj.) INDIA
** Research Scholar (Education) Tantia University, Sri Ganganagar (Raj.) INDIA

Abstract - The present paper is an attempt to study the effect of parental involvement on academic procrastination, academic anxiety and career aspiration of senior secondary students of District Fazilka. In order to conduct the present study, 400 students were selected randomly from the senior secondary schools of Fazilka District of Punjab. The tool for collecting data was parental involvement scale developed by Rita Chopra and Surabala Sahoo, Academic procrastination scale by A. K. Kalia and Manju Yadav, Academic Anxiety scale by A.K. Singh and A.Sen Gupta and Career Aspiration Scale by Sarita Anand were used. The present study concluded that parental involvement has a significant impact on academic procrastination, academic anxiety and career aspiration of senior secondary students of District Fazilka. In this, parental involvement and academic procrastination and academic anxiety are negatively correlated while parental involvement and career aspiration are found to be positively correlated. This means that parents have a significant role to play in the life of their children.
Keywords- Academic Achievement, Parental Involvement, Senior Secondary Students.

Introduction - Parent involvement in a child's early education is consistently found to be positively associated with a child's personality. Specifically, children whose parents are more involved in them have higher levels of personality traits than children whose parents are involved to a lesser degree. Parent-child interactions, specifically stimulating and responsive parenting practices, are important influences on a child's academic procrastination, academic anxiety and career aspiration. Parents' active involvement in framing their children's personality has a positive and noteworthy impact on children's lives, including their development, behaviour, motivation and academic performance etc. Children of parents who are involved in their academic work are regularly attend school, act better, do better academically from kindergarten through high school, go farther in school and go to better schools. By becoming enthusiastically involved in their children at home and in school, parents send clear messages to their children; demonstrating their interest in their activities and strengthening the idea that school is important. Financial solvency and positive ambition of parents seem to have a principal role in their children's personality. Many educational researchers express great concern on the impact of the parent's involvement on a child's personality. This work attempts to highlight the impact of parental involvement on children's academic procrastination, academic anxiety and career aspiration especially the senior secondary school students. The findings of this study may help for future improvement and develop methods to encourage and boost parental involvement both at home and at school.

Scheme of the Paper: The plan of research report has been framed under six sections:

Section-I gives the introduction of the study.

Section -II deals with review of related literature.

Section -III objectives, data base and research methodology.

Section -IV deals with the analysis and interpretation of data.

Section-V deals with conclusions and implications of the study.

Review of Related Literature

Uma and Manikandan (2014) noted that parents style plays a significant role in determining the level of academic performance among adolescents. Thus, it is essential that parents should be equipped with appropriate knowledge and skills so that they can provide better guidance for their adolescents' positive development especially in academic aspects.

Rabgay (2015) found that there were differences in students' academic performance due to differences in

parenting style. It revealed that, out of the three parenting styles, namely authoritative, authoritarian and permissive, found that authoritative parenting results in better students' academic performance compared to students whose parents had an authoritarian and permissive style of parenting.

Mahuro and Hungi (2016) adopted two of the six types of parental involvement presented in the Epstein parental involvement model, parenting and communication with the school. They concluded as these types of involvement have contributed to their children an advantage towards academic achievement.

Parka and Holloway (2017) stated that the effects of school-based parental involvement on academic achievement at the child achievement in mathematics significant. Parental involvement became more strongly related to mathematics and reading achievement as children move through the grades. Providing information on how schools function, how to support learning, and how to access educational resources is another way to encourage parents to become more involved in school-based activities. Further, the studies confirmed that parental involvement as the most powerful predictor of, particularly for low socioeconomic families, is the creation of a school environment where parents feel welcomed and valued by educators.

Purificación C, Alicia (2018) and Orhan-Özen (2017) parenting style has a positive effect on student performance. Jeynes (2010) indicated that parenting style is an important component of parental involvement because it helped to produce a positive home life for the child. The home-to-school relationship is significant because it can expand and redefine the whole concept of parental involvement.

Ambachew, Amare, and Geleta, (2018) argued that there was a strong relationship between parental involvement and academic performance. Further, it significantly predicted student academic achievement motivation. On the other hand, pointed out that there was limited study on the relationship between parental involvement and academic achievement of secondary school students as majority of the research in this area has been conducted exclusively with elementary school students.

The above-mentioned studies carried out in relation to the variable under investigation and revealed divergent results. There is little research available on the relationship between parental involvement and academic achievement of senior secondary students in terms of their gender and locality. Therefore, it is worthwhile to undertake the present study titled- Parental Involvement and Academic Achievement of Senior Secondary Students of District Fazilka, Punjab- An Empirical Study.

Objectives of the Study:

1. To study the impact of parental involvement on academic procrastination of students of senior secondary schools of District Fazilka.
2. To evaluate the impact of parental involvement on academic anxiety of students of senior secondary schools of District Fazilka.
3. To evaluate the impact of parental involvement on career aspiration students of senior secondary schools of District Fazilka.

Hypotheses of the Study:

1. There is significant impact of parental involvement on academic procrastination of students of senior secondary schools of District Fazilka.
2. There is significant impact of parental involvement on academic anxiety of students of senior secondary schools of District Fazilka.
3. There is significant impact of parental involvement on career aspiration students of senior secondary schools of District Fazilka.

Focus Area: The present paper focuses on the evaluation of the impact of parental involvement on academic procrastination, academic anxiety and career aspiration of the senior secondary school students of District Fazilka, Punjab. This study is an attempt to made it very clear that why the role of parents is that much important in the life of their children particularly at their growing age i.e. the adolescent age. And what are the various impacts if the parents are not that much involved and do not give proper time to their children.

Data Collection Work: Primary data had been used in this study. The required data was collected with the help of standardized questionnaire on parental involvement, academic procrastination, academic anxiety and career aspiration.

Research Methodology

Research Design: An empirical research design was used for the present study. The study had been conducted about the empirical investigation about the various aspects of parental involvement on their child development.

Statistical Techniques: For the analysis of data from different angles various types of statistical techniques such as mean, standard deviation and coefficient of correlation were used.

Sample Design: The research was concerned a representative sample of 400 students of class 11th and 12th of various senior secondary schools of Fazilka District.

Time Period: As far as the time period of the present study is concerned, it can be said that the effect of parental involvement on academic procrastination, academic anxiety and career aspiration of the senior secondary school students of District Fazilka was done in the year 2021-22.

Sampling Plan: In carrying out a data firstly selected the parameters and then study the effect of parental

involvement on academic procrastination, academic anxiety and career aspiration of the senior secondary school students of District Fazilka.

Findings and Discussion: The major findings of this research and the analysis of data is shown the following tables:

Table 1: Coefficient Of Correlation Between Parental Involvement And Academic Procrastination Among Senior Secondary School Students Of District Fazilka

Sr.	Sub Sample	N	r	Significance Level
1.	Parental Involvement of Senior Secondary School Students	400	-0.97	Significant at .05 and .01 level
2.	Academic Procras -tination of Senior Secondary School Students			

Table 1 shows that coefficient of correlation between the scores of parental involvement and academic procrastination among senior secondary school students of District Fazilka is -0.97. The coefficient of correlation in order to be significant at .05 and .01 level should be 0.195 and 0.254 respectively. Obtained correlation value is much higher than the tabulated value at .05 levels and .01 levels. Hence, results infer that there is significant impact of parental involvement on academic procrastination of senior secondary school students of District Fazilka at 0.05 level and 0.01 level. Hence hypothesis I – There is significant impact of parental involvement on academic procrastination of senior secondary school students of District Fazilka is accepted.

Table 2: Coefficient Of Correlation Between Parental Involvement And Academic Anxiety Among Senior Secondary School Students Of District Fazilka

Sr.	Sub Sample	N	r	Significance Level
1.	Parental Involvement of Senior Secondary School Students	400	-0.99	Significant at .05 and .01 level
2.	Academic Anxiety of Senior Secondary School Students			

Table 2 shows that coefficient of correlation between the scores of parental involvement and academic anxiety among senior secondary school students of District Fazilka is -0.99. The coefficient of correlation in order to be significant at .05 and .01 level should be 0.195 and 0.254 respectively. Obtained correlation value is much higher than the tabulated value at .05 levels and .01 levels. Hence, results infer that there is significant impact of parental involvement on academic anxiety of senior secondary school students of District Fazilka at 0.05 level and 0.01 level. Hence hypothesis II – There is significant impact of parental involvement on academic anxiety of senior secondary school students of District Fazilka is accepted.

Table 3: Coefficient Of Correlation Between Parental Involvement And Career Aspiration Among Senior Secondary School Students Of District Fazilka

Sr.	Sub Sample	N	r	Significance Level
1.	Parental Involvement of Senior Secondary School Students	400	0.83	Significant at .05 and .01 level
2.	Career Aspiration of Senior Secondary School Students			

Table 3 shows that coefficient of correlation between the scores of parental involvement and career aspiration among senior secondary school students of District Fazilka is 0.83. The coefficient of correlation in order to be significant at .05 and .01 level should be 0.195 and 0.254 respectively. Obtained correlation value is much higher than the tabulated value at .05 levels and .01 levels. Hence, results infer that there is significant impact of parental involvement on career aspiration of senior secondary school students of District Fazilka at 0.05 level and 0.01 level. Hence hypothesis III – There is significant impact of parental involvement on career aspiration of senior secondary school students of District Fazilka is accepted.

Conclusion: It can be concluded on the results of this study that the role of the parents is unquestionable in the lives of their children in each and every stage of their life either in the early stages of life or the adolescent age where they are facing so many problems and it is true in case of each and every type of children. It is concluded on the basis of results of the study that parental involvement and academic procrastination are found to be highly negatively correlated which means that if parents are actively involved in their children, then their children will become less academically procrastinated. It is also concluded that parental involvement and academic anxiety are also found to be highly negatively correlated which means that if parents took proper take care of their children, then their children will feel less academically anxiety. But parental involvement and career aspiration are found to be positively correlated which means that if parents help their children in the choice of their career, then children will become more career aspirant and feel comfortable in it.

References:-

1. Abdul G. K. and Kurukkan A. (2014). Construction and Validation of Scale of Parenting Style. Guru Journal of Behavioral and Social Sciences 2(4).
2. Ambachew T., Amare, M., & Geleta S. (2018). The relationship between parent involvement and students' academic achievement motivation: the

case of East Hararghe zone senior secondary and preparatory schools. Scholars Journal of Arts, Humanities and Social Sciences, 6(7), 1448-1452.

3. Amponsah M. O., Milledzi E.Y., Eric Twum Ampofo E.T and Gyambrah M., (2018). Relationship between Parental Involvement and Academic Performance of Senior High School Students: The Case of Ashanti Mampong Municipality of Ghana. American Journal of Educational Research. 2018, 6(1), 1-8.
4. Goni U., & Bello S., (2016). Parental socio-economic status, self-concept and gender differences on students' academic performance in Borno state colleges of education: Implications for counseling. Journal and Education Practice, 7(14), 2222-1735.
5. Holmes, E.K., & Huston, A.C. (2010). Understanding positive father-child interaction: Children's, fathers', and mothers' contributions. Fathering: A Journal of Theory, Research, & Practice about Men as Fathers, 8(2), 203-225.
6. Orhan-Özen S., (2017) The Effect of Motivation on Student Achievement. Springer International Publishing AG 2017E. Karadað (ed.), The Factors Effecting Student Achievement, DOI 10.1007/978-3-319-56083-0_3 61.
7. Park, S., & Holloway, S. D. (2013). No parent left behind: Predicting parental involvement in adolescents' education within a socio-demographically diverse population. The Journal of Educational Research, 106, 105–119.
8. Purificación C, Alicia A-G. Parenting Styles, Academic Achievement and the Influence of Culture. Psychol Psychother Res Stud.1(4). PPRS.000518. 2018. DOI: 10.31031/PPRS.2018.01.000518
9. Rabgay T., (2015). A Study of Factors Influencing Students' Academic Performance in a Higher Secondary School in Bhutan. Rabsel - the CERD Educational Journal. Vol. 16, Issue - 2, pp 74-94.
10. Uma K. & Manikandan K., (2014). Parenting Style as a Moderator of Locus of Control, Slef Esteem and Academic Stress among Adolescents. SCHOLARS WORLD-IRMJCR, Volume. II, Issue III, July 2014. pp 64-73

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XL

चित्तौड़गढ़ जिले में भील जनजाति के अंतर्गत नशावृत्ति की स्थिति एवं उसका शिक्षा पर प्रभाव: एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

लालू राम सालवी* प्रो.पी.एम. यादव**

* शोधार्थी (समाजशास्त्र विभाग) मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज.) भारत
** आचार्य (समाजशास्त्र विभाग) मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज.) भारत

शोध सारांश – भील जनजाति में नशे की प्रवृत्ति गंभीर समस्या है। कई भील परिवारों में पुरुषों के साथ-साथ महिलाएं भी शराब का सेवन करती हैं। अत्यधिक नशा करने के कारण भीलों की आर्थिक स्थिति अत्यधिक कमजोर हो गई है। प्राय: भील लोग दिन-भर में जितना रुपया मजदूरी करके कमाते हैं, वह सारा रुपया शराब पीने पर खर्च कर देते हैं, जिसके कारण इनके पास परिवार की दैनिक आवश्यकताओं के लिए भी रुपये नहीं बचते हैं। इस शोधा कार्य का उद्देश्य अध्ययन क्षेत्र चित्तौड़गढ़ जिले में नशा करने वाले और नशा नहीं करने वाले भील परिवारों में बालकों की शैक्षिक स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन करना है। यह शोध पत्र प्राथमिक आंकड़ों पर आधारित है। ये आँकड़े क्षेत्रीय सर्वेक्षण के अंतर्गत उत्तरदाताओं से अनुसूची भरवाकर प्राप्त किये गए हैं। आंकड़ों का विश्लेषण करने से स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र में नशा करने वाले उत्तरदाताओं एवं उनके परिवार में बालकों की शैक्षिक स्थिति भी तुलनात्मक रूप से अधिक खराब है। अध्ययन क्षेत्र में नशा करने वाले उत्तरदाताओं के परिवार में बालकों का शैक्षिक स्तर तुलनात्मक रूप से कम है वहीं नशा करने वाले उत्तरदाताओं तथा परिवार में बालकों में ड्रॉपआउट की प्रवृत्ति भी अधिक है। इसी प्रकार नशा करने वाले उत्तरदाताओं के परिवार में एक परिवार की खराब आर्थिक स्थिति के कारण विद्यालय छोड़ने की प्रवृत्ति भी तुलनात्मक रूप से अधिक है।

प्रस्तावना – भील जनजाति में शराब का व्यसन अत्यधिक है। भीलों का कोई भी पर्व, विवाह, जन्म-मृत्यु आदि आयोजन बिना शराब के पूरे नहीं होते हैं। विवाह में तो शराब अनिवार्य है। बीमारी पर देवी-देवताओं को तर्पण करने तथा जादू-टोने के प्रभाव से मुक्ति हेतु आत्माओं की संतुष्टि एवं देव बड़वा (देव की सामूहिक पूजा) के अवसर पर शराब का प्रयोग किया जाता है। शराब के अतिरिक्त नशे के लिए भील महुवा से बनी कच्ची शराब भी पीते हैं। भील धूम्रपान के भी शौकीन होते हैं। भील जनजीवन में धूम्रपान का महत्वपूर्ण स्थान है। अतिथि को बीड़ी पिलाना इनके समाज में आतिथ्य का सूचक माना जाता है।ये लोग शराब खरीदने हेतु अपने बालकों को बाल मजदूरी में नियोजित कर देते हैं। कई बार परिवार की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने का दायित्व भी बालकों पर आ जाता है, ऐसे में बालकों को अपनी शिक्षा पूर्ण होने से पूर्व ही विद्यालय छोड़ना पड़ता है।

शोध प्रविधि– प्रस्तुत शोधपत्र का उद्देश्य चित्तौड़गढ़ जिले में भील जनजाति में नशावृत्ति के कारण बालकों की शिक्षा पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन करना है। उत्तरदाताओं का चयन उद्देश्यपूर्ण याद्दच्छिक प्रतिचयन विधि द्वारा किया गया है। उत्तरदाताओं का आकार 50 है और सभी उत्तरदाता भील जनजाति से हैं। क्षेत्र सर्वेक्षण के लिए अध्ययन क्षेत्र से चयनित कुल 50 उत्तरदाताओं का चयन किया गया जिसमें से नशा करने वाले एवं नशा नहीं करने वाले उत्तरदाताओं की संख्या बराबर अर्थात 25-25 हैं। क्षेत्रीय सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों का विभिन्न सांख्यिकी विधियों द्वारा विश्लेषण किया गया है तथा विश्लेषण से प्राप्त निष्कर्षों को तालिकाओं और आरेखों द्वारा प्रदर्शित किया गया है-

शोध परिणाम – अध्ययन क्षेत्र से चयनित भील जनजाति के नशा करने वाले प्रतिदर्श उत्तरदाता परिवारों में 6 से 12 वर्ष आयु वर्ग के बालकों की संख्या 24 हैं, वहीं 12 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बालकों की संख्या 29 है, तथा 14 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के बालकों की संख्या 37 है। इसी प्रकार भील जनजाति में नशा नहीं करने वाले प्रतिदर्श उत्तरदाताओं के परिवार में 6 से 12 वर्ष आयु वर्ग के बालकों की संख्या 20 है, वहीं 12 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बालकों की संख्या 25 है, तथा 14 से 18 आयु वर्ग के बालकों की संख्या 33 है।

तालिका-1: उत्तरदाताओं के परिवार में बालकों की संख्या

बालकों की आयु	नशा करने वाले उत्तरदाताओं के बालकों की संख्या	नशा नहीं करने वाले उत्तरदाताओं के बालकों की संख्या
6-12 वर्ष	24	20
12-14 वर्ष	29	25
14-18 वर्ष	37	33
योग	90	78

स्रोत:क्षेत्र सर्वेक्षण

अध्ययन क्षेत्र में भील जनजाति में नशा करने वाले प्रतिदर्श उत्तरदाताओं के परिवार में निरक्षर बालकों की संख्या 15 (16.67 प्रतिशत) है तथा प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले बालकों की संख्या 35 (38.89 प्रतिशत) है एवं उच्च प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने वाले बालकों की संख्या 26 (28.89प्र तिशत) है तथा माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले बालकों की संख्या 12 (13.33 प्रतिशत) है तथा उच्च माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले बालकों की संख्या 2 (2.22 प्रतिशत) है। इसी प्रकार अध्ययन क्षेत्र में नशा नहीं करने वाले प्रतिदर्श उत्तरदाताओं के परिवार में निरक्षर बालकों की संख्या 10 (22.82 प्रतिशत) है तथा उच्च प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने

वाले बालकों की संख्या 26 (33.33 प्रतिशत) है। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले बालकों की संख्या 22 (28.21 प्रतिशत) है तथा माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले बालकों की संख्या 16 (20.51 प्रतिशत) है और उच्च माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले बालकों की संख्या 4 (5.13 प्रतिशत) है।

तालिका-2:नशा करने वालेएवं नशा नहीं करने वाले उत्तरदाताओंके परिवार में बालकों की शैक्षिक स्थिति

शिक्षा का स्तर	नशा करने वाले परिवार		नशा नहीं करने वाले परिवार	
	बालकों की संख्या	प्रतिशत	बालकों की संख्या	प्रतिशत
निरक्षर	15	16.67	10	12.82
प्राथमिक	35	38.89	22	28.21
उच्च प्राथमिक	26	28.89	26	33.33
माध्यमिक	12	13.33	16	20.51
उच्च माध्यमिक	2	2.22	4	5.13
योग	90	100.00	78	100.00

स्रोत: क्षेत्र सर्वेक्षण

आरेख-1

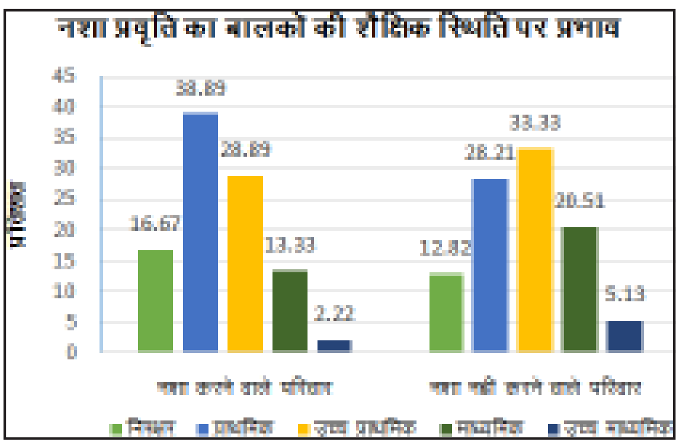

अध्ययन क्षेत्र चित्तौड़गढ़ जिले में भील जनजाति में नशा करने वाले प्रतिदर्श उत्तरदाताओं के परिवार में ड्रॉपआउट बालकों की संख्या 60 (66.67प्रतिशत) है, वहीं नशा नहीं करने वाले प्रतिदर्श उत्तरदाताओं के परिवार में ड्रॉपआउट करने वाले बालकों की संख्या 44 (56.41प्रतिशत) है।

तालिका-3: उत्तरदाताओं के परिवार में ड्रॉपआउट बालकों की स्थिति

उत्तर की श्रेणी	नशा करने वाले परिवार		नशा नहीं करने वाले परिवार	
	बालकों की संख्या	प्रतिशत	बालकों की संख्या	प्रतिशत
हाँ	60	66.67	44	56.41
नहीं	30	33.33	34	43.59
योग	90	100.00	78	100.00

स्रोत: क्षेत्र सर्वेक्षण

अध्ययन क्षेत्र में भील जनजाति में नशा करने वाले उत्तरदाताओं के बालकों से जब ड्रॉपआउट का कारण जाना गया तो परिवार की खराब आर्थिक स्थिति के कारण ड्रॉपआउट करने वाले बालकों की संख्या 40 (66.66प्रतिशत) है, वहीं शिक्षा में अरुचि दर्शाने वाले बालकों की संख्या 15 (25प्रतिशत) है तथा विद्यालय और शैक्षणिक संसाधनों की अनुपलब्धता के कारण विद्यालय छोड़ने वाले बालक 03 (5.00प्रतिशत) है। शिक्षा में सामाजिक भेदभाव के कारण विद्यालय छोड़ने वाले बालकों की संख्या 01 (1.67प्रतिशत) है तथा अन्य कारणों के चलते विद्यालय छोड़ने वाले बालकों की संख्या 01 (1.67प्रतिशत) है।

इसी प्रकार नशा नहीं करने वाले उत्तरदाताओं के बालको में परिवार की खराब आर्थिक स्थिति के कारण विद्यालय छोड़ने वाले बालकों की संख्या 21 (47.73प्रतिशत) है, वहीं शिक्षा में अरुचि दर्शाने वाले बालकों की संख्या 12 (27.27प्रतिशत) है तथा विद्यालय और शैक्षणिक संसाधनों की अनुपलब्धता के कारण विद्यालय छोड़ने वाले बालकों की संख्या 04 (9.09प्रतिशत) है और सामाजिक भेदभाव के कारण विद्यालय छोड़ने वाले बालकों की संख्या 02 (04.55प्रतिशत) है एवं अन्य कारणों के चलते विद्यालय छोड़ने वाले बालकों की संख्या 05 (11.36प्रतिशत) है।

तालिका-4: उत्तरदाताओं के परिवार में ड्रॉपआउट बालकों का विद्यालय छोड़ने का कारण

ड्रॉपआउट करने का कारण	नशा करने वाले परिवार		नशा नहीं करने वाले परिवार	
	बालकों की संख्या	प्रतिशत	बालकों की संख्या	प्रतिशत
परिवार खराब आर्थिक स्थिति	40	66.67	21	47.73
शिक्षा में अरुचि	15	25.00	12	27.27
शैक्षिक संसाधनों की अनुपलब्धता	3	5.00	4	9.09
सामाजिक भेदभाव	1	1.67	2	4.55
अन्य	1	1.67	5	11.36
योग	60	100.00	44	100.00

स्रोत: क्षेत्र सर्वेक्षण

निष्कर्ष – उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र में नशा करने वाले उत्तरदाताओं के परिवार में बालकों की शैक्षिक स्थिति तुलनात्मक रूप से अधिक खराब है तथा अध्ययन क्षेत्र में नशा करने वाले उत्तरदाताओं के परिवार में बालकों का शैक्षिक स्तर तुलनात्मक रूप से कम है एवं नशा करने वाले उत्तरदाताओं के परिवार में बालकों में ड्रॉपआउट की स्थिति भी अधिक है। इसी प्रकार नशा करने वाले उत्तरदाताओं के परिवार में परिवार की खराब आर्थिक स्थिति के कारण विद्यालय छोड़ने की प्रवृत्ति भी तुलनात्मक रूप से अधिक है। अत: यह स्पष्ट हो जाता है कि भील परिवारों में नशा करने की प्रवृत्ति के कारण बालकों की शिक्षा नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रही है। यही नहीं नशा करने वाले भील परिवारों में बालकों का मानसिक और शारीरिक विकास भी बाधित होता है। नशे के कारण भील परिवारों में पोषण का स्तर गिर रहा है। अत: भील बालकों के शैक्षिक, शारीरिक और मानसिक विकास के लिए यह आवश्यक है कि भील लोगों में नशे की प्रवृत्ति को रोका जाए। इसके लिए सरकार द्वारा पुनर्वास केंद्रों की स्थापना की जानी चाहिए। नशा करने वाले भील व्यक्तियों को विशेषज्ञों की निगरानी में नशा छोड़ने

के लिए प्रेरित किया जाए। सरकार को नशा करने वाले भील परिवारों को चिन्हित कर उनके बालकों की शिक्षा के लिए विशेष उपबन्ध करने चाहिए। जिससे ऐसे बालकों की शिक्षा अनवरत रूप से जारी रह सके।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. Barnes, E. (1906). 2nd Meeting:-" The Bhils of Western India". RSA Journal, 55, 323.
2. Froerer, P. (2007). Religious division and social conflict: the emergence of Hindu nationalism in rural India. Berghahn Books.
3. Kharche, J. (2012). Child labour and rights issues among Katkari brick-klin labourers and Bhil sugarcane cutters (Doctoral dissertation, Tilak Maharashtra Vidyapeeth).
4. Kumar, D., & Lobo, L. (2022). Tribes of Western India: A Comparative Study of Their Social Structure. Taylor & Francis.
5. Nathawat, A. S. (2021). Child Labour: With Special Reference to Rajasthan. Issue 2 Int'l JL Mgmt. & Human., 4, 238.
6. Prodhan, C. (2016). ACE Ubsertuib/deletion Polymorphism among the Bhils of Udaipur. Voice of Intellectual Man-An International Journal, 6(1), 81-88.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XL

कृषि मशीनीकरण का कृषकों की आय पर प्रभाव

ज्योति मेनारिया* डॉ. महेन्द्र राणावत**

* शोधार्थी (अर्थशास्त्र विभाग) सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी महाविद्यालय, उदयपुर (राज.) भारत
** सह आचार्य (अर्थशास्त्र विभाग) भोपाल नोबल्स, स्नातकोत्तर महाविद्यालय, उदयपुर (राज.) भारत

शोध सारांश – भारत एक कृषि प्रधान राष्ट्र है। भारतीय अर्थव्यवस्था प्राचीनकाल से ही ग्रामीण एवं कृषि प्रधान रही है। देश की अधिकांश जनसंख्या अपनी आजीविका हेतु कृषि एवं कृषि से सम्बद्ध क्षेत्रों पर निर्भर रही है। प्रकृतिवादी अर्थशास्त्रियों ने कृषि को अतिरेक उत्पति का एकमात्र स्त्रोत माना था। वहीं आधुनिक अर्थशास्त्रियों का मत है कि कृषि का इस प्रकार रूपान्तरण किया जावे कि यह देश के विकास में सहयोगी भूमिका अदा करें।

वर्तमान समय में भारतीय कृषि के स्वरूप में बड़े स्तर पर परिवर्तन हो रहा है जिसमें किसान स्वयं को पारम्परिक तकनीक से हटाकर आधुनिक तकनीकों का प्रयोग कर रहे है। कृषि की पारम्परिक तकनीक से आधुनिक तकनीकी की ओर हस्तान्तरण से कृषि क्षेत्र में कई प्रकार की समस्याएं पैदा हुई हे, जिससे इस क्षेत्र में शोध को प्रोत्साहन मिला है।

कृषि की परम्परागत तकनीकों को छोड़कर नवीन कृषि विधियों के प्रयोग से कृषि में मशीनों का प्रयोग बढ़ा है, जैसे ट्रैक्टर, पम्पसेट, हार्वेस्टर इत्यादि। वहीं दूसरी ओर मानव एवं पशु श्रम का स्थान मशीनों ने ले लिया है। इससे एक तरफ तो जनसामान्य के समक्ष बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हुई है वहीं दूसरी ओर कृषि मशीनीकरण से कृषि उत्पादन व उत्पादकता बढ़ने के कारण किसानों की आय में तेजी से वृद्धि हो रही है। प्रस्तुत शोध पत्र में कृषि मशीनीकरण से कृषकों की आय पर हुए प्रभावों का आंकलन किया गया है।

शब्द कुंजी – किसाान, आय, कृषि में मशीनीकरण, उत्पादकता।

प्रस्तावना – वर्तमान समय में भारतीय कृषि के प्रारूप में आमूलचूल परिवर्तन दृष्टिगत हो रहा है। जिसमें किसान स्वयं को पररम्परिक तकनीक से दूर हटाकर आधुनिक कृषि तकनीकों का प्रयोग कर रहे है। कृषि की पारम्परिक तकनीक से आधुनिक तकनीकी की ओर हस्तान्तरण से कृषि क्षेत्र में कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हुई है, जिससे इस क्षेत्र में शोध को प्रोत्साहन मिला है।

भारतीय अर्थव्यवस्था प्राचीनकाल से ही कृषि पर निर्भर रही है एवं देश की अधिकांश जनसंख्या अपनी आजीविका हेतु कृषि क्षेत्र पर निर्भर होकर ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत है। प्रकृतिवादी अर्थशास्त्रियों ने कृषि को अतिरेक उत्पति का एकमात्र स्त्रोत माना था। वहीं आधुनिक अर्थशास्त्रियों का मत है कि कृषि का इस प्रकार रूपान्तरण किया जावे कि यह देश के विकास में सहयोगी भूमिका अदा करें।

कृषि की परम्परागत तकनीकों को छोड़कर नवीन कृषि विधियों के प्रयोग से कृषि में मशीनों का प्रयोग बढ़ा है – जैसे ट्रैक्टर, पम्पसेट, हार्वेस्टर इत्यदि। वहीं दूसरी ओर मानव एवं पशु श्रम का स्थान मशीनों ने ले लिया है। इससे एक तरफ जनसामान्य के समक्ष बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हुई है वहीं दूसरी ओर कृषि मशीनीकरण से कृषि उत्पादन व उत्पादकता बढ़ने के कारण कृषक की आय में तेजी से वृद्धि हो रही हैं प्रस्तुत शोध पत्र में कृषि मशीनीकरण से कृषकों की आय पर हुए प्रभावों का आंकलन किया गया है।

संदर्भ साहित्य की समीक्षा

शोधार्थी ने कृषि मशीनीकरण पर उपलब्ध शोध प्रबन्धों के सारांश को निम्नानुसार प्रस्तुत किया है –

सेनापति(1) ने अपने शोध अध्ययन में बताया कि 1966–67 से 1972–73 के बीच कृषि क्षेत्र में ऊर्जा का उपभोग 100 प्रतिशत से अधिक बढ़ा था। इसके विपरीत फसल गहनता में केवल 9.34 प्रतिशत ही वृद्धि हुई थी। विभिन्न फसलों की कुल उत्पादकता में 48 प्रतिशत की वृद्धि हुई। निष्कर्ष के रूप में कह सकते है कि नये–नये कृषि उपकरणों के प्रयोग से फसलों की उत्पादकता बढ़ने से कुल उत्पादन में वृद्धि होती है।

बारबर(2) ने अपने शोध अध्ययन में बताया कि कृषि में तकनीकीकरण एवं मशीनीकरण की प्रवृत्ति निरन्तर बढ़ती जा रही है। अपने शोध के निष्कर्ष में बताया कि कृषि में परम्परागत तकनीकों के प्रयोग की तुलना में विद्युत चालित परम्पसेट का प्रयोग करने से कृषि में फसलों की सिंचाई हेतु आवश्यक पानी कम समय में प्राप्त हो जाता है।

पटेल एवं पटेल(3) ने अपने शोध प्रबन्ध में बताया कि शक्ति चालित पम्पसेटों की संख्या 1956 में प्रति एक हजार हेक्टेयर पर 1.39 थी जो 1999 में बढ़कर 12.35 हो गई है। इस शोध से यह निष्कर्ष निकलता है कि देश में कृषि मशीनीकरण एवं तकनीकी प्रगति से कृषि फसलों के उत्पादन एवं उत्पादन क्षमता में तेजी से वृद्धि हो रही है जिससे किसानों के जीवन स्तर में सुधार हो रहा है।

राठौड़ एवं पाटिल(4) ने अपने शोध अध्ययन मे बताया कि देश में कृषि मशीनीकरण की प्रवृत्ति एवं अनेक नवीन तकनीक परिवर्तनों से उत्कृष्ट संसाधनों का विकास हुआ है, जिससे कृषि में प्राप्त होने वाले प्रतिफलों में निरन्तर वृद्धि हो रही है, जिसके कारण एक तरफ तो कृषि उत्पादन व उत्पादकता बढ़ती है वहीं दूसरी तरफ कृषकों की आय में व्यापक वृद्धि हुई है।

उपरोक्त शोध प्रबन्धों के अध्ययनों से यह विदीत होता है कि राज्य के

जनजातीय उपयोजना क्षेत्र में कृषि मशीनीकरण पर अर्थपूर्ण शोधकार्यो का अभाव है। प्रस्तुत शोध इस रिक्तता को पूर्ण करने का प्रयास हैं

शोध के उद्देश्य–प्रस्तुत शोध पत्र के मुख्य उद्देश्य निम्नवत है :

1. कृषि मशीनीकरण से कृषकों की आय पर प्रभावों का आंकलन करना।

शोध से सम्बन्धित परिकल्पनाएं–शोध से सम्बन्धित परिकल्पनाएं इस प्रकार है –

1. कृषि मशीनीकरण का कृषकों की आय पर कोई महत्त्वपूर्ण प्रभाव नहीं पडा है।

शोध प्रविधि – प्रस्तुत शोध पत्र की शोध प्रविधि निम्न है:

भारतीय अर्थव्यवस्था मुख्यतया कृषि पर आधारित है जहां लगभग दो तिहाई जनसंख्या अपनी आजीविका हेतु कृषि एवं कृषि सम्बद्ध क्षेत्रों पर आधारित है। राजस्थान में भी अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत होकर अपनी आजीविका हेतु कृषि पर आधारित है। वर्तमान समय में कृषि का पारम्परिक स्वरूप समाप्त होकर आधुनिक स्वरूप उभरता जा रहा है। अत: कृषि मशीनीकरण से कृषकों की आय पर हुए प्रभावों का आंकलन करने हेतु हमने उद्देश्यात्मक रूप से राजस्थान का चयन किया है। राज्य का दक्षिणी भाग जनजातीय है तथा यहां के लोगों की आजीविका का मुख्य स्त्रोत कृषि ही है। हमने शोध हेतु उदयपुर जिले का चयन उद्देश्यपूर्वक किया है तथा जिले की दो तहसीलों सलूम्बर व गिर्वा का चयन याद्दच्छिक रूप से कर प्रत्येक गांव से 10 किसानों का चयन किया है। अत: हमारा प्रतिदर्श आकार 40 किसान है। प्रस्तुत शोध प्राथमिक आंकड़ों पर आधारित है।

जिनका संकलन अनुसूची के माध्यम से किया गया है तथा संकलित आंकड़ों के विश्लेषण हेतु औसत, प्रतिशत, सहसम्बन्ध इत्यादि द्वारा किया गया है एवं परिकल्पना परिक्षण t परीक्षण के माध्यम से किया गया हैं

निष्कर्ष एवं विवेचन : प्रस्तुत शोध पत्र दो भागों में विभक्त है –

प्रथम खण्ड में कृषि मशीनीकरण के कृषकों की आय पर हुए प्रभावों का आंकलन किया गया है। वही द्वितीय खण्ड में कृषि मशीनीकरण एवं दूसरे निर्धारक चरों के मध्य प्रतीपगमन मॉडल आंकलित किया गया है।

प्रथमखण्ड – कृषकों की आय पर कृषि मशीनीकरण का प्रभाव

सामान्यता कृषकों की आय कृषि मशीनीकरण के कारण बढ़ती है अत: इस आय की जांच हेतु हमने t परीक्षण का प्रयोग किया है।

शून्य परिकल्पना – कृषि मशीनीकरण का कृषकों की आय पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा हैं

वैकल्पिक परिकल्पना – कृषि मशीनीकरण का कृषकों की आय पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है।

यह निम्न तालिका में प्रस्तुत है –

गांव	औसत आय (मासिक)		D	S	t मूल्य	P मूल्य
	कृषि मशीनीकरण से पूर्व	कृषि मशीनीकरण के पश्चात्				
हिकावाड़ा	10000	20000	10000	238 0.41	9.66	0.02
जोधपुर खुर्द	8000	22000	14000			
मनवाखेड़ा	12000	25000	13000			
बेदला	9000	18000	9000			

स्त्रोत : आगणित

$$t = \frac{\bar{D}}{S}\sqrt{n}$$

$$= \frac{11500}{2380.47}\sqrt{4}$$

$$= 9.66$$

$$D.F. = n - 1$$

$$= 4 - 1 = 3$$

3 स्वातन्त्र्य अंश पर t परीक्षण का सारणी मूल्य 3.182 है।

निष्कर्ष : यहीं परीक्षण का आंकलित मूल्य 9.66 है जबकि 3 स्वातन्त्र्य स्तर पर t परीक्षण का सारणी मूल 3.182 है जो आंकलित मूल्य से कम है, अत: हमारी शून्य परिकलपना गलत सिद्ध होती है एवं यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि कृषि मशीनीकरण का कृषकों की आय पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है।

यहीं निष्कर्ष P मूल्य से भी प्राप्त होता है जो सार्थकता स्तर 0.05 से अधिक है।

खण्ड – 2 प्रतीपगमन मॉडल

यहां हमने कृषि उत्पादन एवं इसके निर्धारक चरों के मध्य बहुगुणी प्रतीगमन मॉडल को आवंटित किया है। मॉडल समीकरण निम्नवत है –

$$Y_i = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + U_i$$

यहाँ Y = कृषि उत्पादन

X_1 = कृषि में मशीनों का प्रयोग

X_2 = सिंचाई में सुविधाएँ

X_3 = रासायनिक उर्वरक

X_4 = उन्नत बीज का प्रयोग

U_i = याद्दच्छिक बाधा चर

यहाँ सभी व्याख्यात्मक चर कृषि उत्पादन के साथ धनात्मक सम्बन्ध रखते है। आंकलित प्रतीपगमन मॉडल निम्नवत है –

तालिका 2 : प्रतीपगमन मॉडल

चर	β	t मूल्य	R^2	$\bar{R}^2$	मूल
X^1	0.62	1.98*	0.796	0.784	0.01
X^2	0.59	0.28			
X^3	0.34	0.36			
X^4	0.36	0.02			

स्त्रोत – आगणित

हमारा आंकलित मॉडल सार्थक प्रतीत होता है क्योंकि निर्धारक गुणांक एवं समायोजित निर्धारक गुणांक का मूल्य पर्याप्त रूप से उच्च है। निर्भर चर में होने वाले 79 प्रतिशत परिवर्तनों की व्याख्या व्याख्यात्मक चरों द्वारा की जा रही है। P मूल्य सार्थकता स्तर 0.05 से अधिक है, अत: यह सिद्ध होता है कि व्याख्यात्मक चर आश्रित चर को महत्त्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर रहे है।

सुझाव :

1. जनजाति क्षेत्रों में कृषि मशीनीकरण के प्रसार की व्यापक संभावनाएं है। अत: सरकार को कृषि मशीनीकरण हेतु व्यापक सुविधाएं जनजाति समुदाय को प्रदान करनी चाहिए।
2. सरकार द्वारा कृषि यंत्रों की खरीद पर सब्सिडी प्रदान की जानी चाहिए ताकि गरीब जनजाति कृषक इन्हें आसानी से क्रय कर सके।

3. जनसामान्य को कृषि मशीनीकरण को अपनाने हेतु सरकार को व्यापक प्रयास किया जाना चाहिए ताकि कृषक कीटनाशक, उर्वरक, कृषि मशीनों, उन्नत बीजों इत्यादि का व्यापक प्रयोग करे।
4. कृषि मशीनीकरण के फायदे कृषकों को समझाने का प्रयास करना चाहिये कि इससे कृषकों की आय, उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि होती है। अत: कृषि मशीनीकरण को अपनाना आवश्यक है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. Senapati (1999): "Energy Consumption and Agricultural Development in India" I.J.A.E., Vol. XXXII
2. Barbar, Harris (2020) : "Rural Electrification and Diffusion of Electric water Lifting Technology" Macmillan Press Britain
3. Patel, S.M. & Patel K.V. (1989) : "Progress of Farm Mechanization Seminar Series II", ISAE, Bombay.
4. Rathore B.S. & Patil, R.K. (2010) : "Return to investment in agriculture research for technological change" I.J.A.E. vol. XXXI, P. 137
5. Ghosh, R.N. (1977) "Agriculture in Economic Development" Vikas Publishing House, Ltd. P. 90
6. Mishra and Puri (1987) "Indian economy "Himalaya Publishing House Bombay
7. Mohammad S. (1986) "Rural Innovation in Agriculture" Chug Publication, Allahabad

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XL

लखनऊ शहर की किशोरियों के बालों का पोषण स्तर

डॉ. मीता श्रीवास्तव* डॉ. मंजू दुबे **

* प्रवक्ता, हनुमान प्रसाद रस्तोगी, गर्ल्स इन्टर कॉलेज, सुभाष मार्ग, लखनऊ (उ.प्र.) भारत
** प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (गृह विज्ञान) शा.क.रा.क. स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – 'हमारी सुंदरता बढ़ाने में हमारे बालों का बहुत बड़ा योगदान होता है। चाहे महिला हो या पुरूष बिना बालों के दोनों की ही सुंदरता अधूरी है। महिलाओं के लिये तो काले घने एवं लम्बे बाल रखना या होना उनकी सुंदरता के लिये अनिवार्य रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है विशेष रूप से भारतीय महिलाओं की सुंदरता बिना बालों के अधूरी होती है। पुरूषों में भी अपने बालों को सजाने एवं संवारने को लेकर उत्सुकता देखी जा सकती है, क्योंकि अक्सर पुरूष गंजेपन का शिकार अधिक होते हैं। बालों की सुन्दरता बनाये रखने के लिये उनकी देखभाल जरूरी है।'[1] बालों की उचित देखभाल करने के लिये उनके पोषण स्तर का ज्ञान हो आवश्यक है। प्रस्तुत शोध अध्ययन का विषय लखनऊ शहर की किशोरियों के बालों का पोषण स्तर' शोधार्थी ने इसीलिये चयनित किया है।

'प्रकृति ने ठंडे गर्म प्रभाव वाले क्षेत्रों मे बसने वाले जीवों को बाल दिये हैं जो जाड़े की ऋतु में ठंड से रक्षा करते हैं और गर्मी में अधिक ताप से सिर की रक्षा करते हैं। जब शरीर से न सहने वाली गर्मी पड़ती है तो शरीर से पसीना बहकर निकलता है, वह बालों के कारण गर्मी से जल्दी नहीं सूखता है, किसी कठोर वस्तु से अचानक हुये हमले से भी बाल बचाव करते हैं।'[2]

वैज्ञानिक शोध से पता चलता है कि बालों का प्रकार एवं उनकी बनावट आपको अपने परिवार से आनुवांशिक आधार पर प्राप्त होती है। आपके बालों पर पर्यावरण का भी प्रभाव पड़ सकता है, खासकर उनकी बनावट पर। वहीं मौसम की नमी बालों को घुंघराला या उलझा हुआ बना सकती है जबकि ठंडी हवा बालों को रूखा एवं बेजान बना सकती है। आपकी बढ़ती उम्र के साथ बालों का टेक्सचर भी बदलता रहता है। समय के साथ-साथ आपके बाल भूरे, पतले, रूखे एवं सूखे हो जाते हैं। आपके सिर की तेल ग्रंथियाँ उम्र के साथ सिकुड़ती जाती है इससे भी उनकी बनावट बदलती है।

'आपके बार-बार ब्लीचिंग, हेयर कलरिंग, स्टाइलिंग टूल्स का इस्तेमाल, स्ट्रेटनिंग या पर्मिंग करने से आपके बालों का टेक्सचर बदल सकता है।'[3]

'आज प्रदूषित वातावरण के कारण बालों की खूबसूरती कम होती जा रही है। बाल बहुत कम उम्र में सफेद हो रहे हैं।'[4]

सामान्यत: 10 से 20 बाल हर दिन टूटते हैं यदि इससे ज्यादा बाल झड़ते हैं तो गंजेपन का विषय हो सकता है। चिकित्सा विज्ञान के आधार पर बालों का झड़ना कई कारणों से हो सकता है:

1. लंबी बीमारी, बड़ी शल्य क्रिया अथवा गंभीर संक्रमण आदि। हार्मोन स्तर में आकस्मिक बदलाव के बाद भी यह हो सकता है, विशेषकर स्त्रियों में शिशु को जन्म देने के बाद गंजापन दिखाई देता है।
2. बालों का झड़ना कुछेक औषधियों के खाने के कारण हो सकता है।
3. बालों का झड़ना चिकित्सा बीमारी का लक्षण हो सकता है जैसे थायरॉयड विकृति, सेक्स हार्मोन में असंतुलन या गंभीर पोषाहार समस्या विशेषकर प्रोटीन, लौह, जस्ता या बायोटिन की कमी। यह कमी खानपान में परहेज करने वालों और जिन महिलाओं को मासिक धर्म में बहुत ज्यादा रक्तस्त्राव होता है उनमें यह आम बात हैं।
4. 'सिर की त्वचा में जब विशेष प्रकार की फफूंद से संक्रमण हो जाता है तो बीच-बीच में बाल झड़ने लगते हैं। बच्चों में आमतौर पर बीच-बीच में बाल झड़ने का संक्रमण पाया जाता है।'[5]

उद्देश्य– प्रस्तुत शोध अध्ययन के निम्नलिखित उद्देश्य हैं-

1. लखनऊ शहर के शासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत किशोरियों के बालों के पोषण स्तर का अध्ययन करना।
2. लखनऊ शहर के अशासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत किशोरियों के बालों का पोषण स्तर ज्ञात करना।
3. लखनऊ शहर के शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत किशोरियों के बालों के पोषण स्तर का तुलनात्मक अध्ययन करना।

शोध प्रविधि– शोध अध्ययन हेतु लखनऊ शहर के शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में 17-18 वर्ष की उम्र की 300 किशोरियों (150 शासकीय + 150 अशासकीय) का चयन सविचार निदर्शन विधि से किया गया। तथ्यों के संकलन के लिये लक्षण परीक्षणविधि का उपयोग किया गया। प्राप्त तथ्यों का वर्गीकरण एवं सारणीयन कर तथ्यों की विवेचना की गई। तत्पश्चात् निष्कर्ष ज्ञात कर किशोरियों के बालों के पोषण स्तर को उन्नत करने हेतु सुझाव प्रस्तुत किये गये।

वर्गीकरण एवं सारणीयन

तालिका क्रमांक-1: शासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत किशोरियों के बालों के लक्षण

लक्षण	संख्या	प्रतिशत
काले नरम	84	56.00
चमक विहीन	57	38.00
सूखे व परिवर्तत रंग के	07	04.66
टूटने लायक	02	01.33
योग	150	100.0

तालिका क्रमांक-1 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि सरकारी विद्यालयों

की सर्वेक्षित 150 किशोरियों में 84(56.0%) किशोरियों के बाल काले व नरम पाये गये। 57(38.0%) किशोरियों के बालों में चमक नहीं पाई। 07(4.66%) किशोरियों के बाल सूखे व परिवर्तित रंग के पाये गये। 02(1.33%) किशोरियों के बाल आसानी से टूटने लायक स्थिति में पाये गये।

तालिका क्रमांक-2: अशासकीय विद्यालयों के अध्ययनरत किशोरियों के बालों के लक्षण

लक्षण	संख्या	प्रतिशत
काले नरम	74	49.33
चमक विहीन	70	46.66
सूखे व परिवर्तत रंग के	04	02.66
टूटने लायक	02	01.33
योग	150	100.0

तालिका क्रमांक-2 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अशासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत 150 किशारियों में से 74(49.33%) किशोरियों के बाल काले व नरम स्थिति में पाये गये। 70(46.66%) किशोरियों के बालों में चमक का अभाव पाया गया अर्थात् वे चमक विहीन पाये गये। 04(2.66%) किशोरियों के बाल सूखे व परिवर्तित रंग के पाये गये। 02(1.33%) किशोरियों के बाल टूटने लायक स्थिति में पाये गये।

तालिका क्रमांक-3: शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत किशोरियों के बालों के लक्षणों की तुलनात्मक तालिका

बाल	शासकीय		अशासकीय		योग	
	सं.	प्र.	सं.	प्र.	सं.	प्र.
काले नरम	84	28.00	74	24.66	158	52.66
चमक विहीन	57	19.00	70	23.33	127	42.33
सूखापन व परिवर्तित रंग	07	2.33	04	1.33	11	3.66
टूटने लायक	02	0.66	02	0.66	04	1.33
योग	150	50.00	150	50.00	300	100.00

तालिका क्रमांक 3 में सर्वेक्षित किशोरियों के बालों संबंधी लक्षण प्रदर्शित किये गये हैं। तालिका के अवलोकन से ज्ञात होता है कि 158(52.66%) किशोरियों के बाल काले व नरम हैं अर्थात् वे सामान्य स्वस्थ अवस्था में हैं। अस्वस्थ बालों वाली किशोरियों में 127(42.33%) किशोरियों के बाल चमक विहीन हैं जिनमें 57(19.0%) किशोरियाँ शासकीय तथा 70(23.33%) अशासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत हैं। सूखापन लिये हुये तथा परिवर्तित रंगों के बालों वाली किशोरियों की संख्या 11(3.66%) है जिनमें 07(2.33%) शासकीय एवं 04(1.33%) अशासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत हैं। 04(1.33%) किशोरियों के बाल टूटने लायक स्थिति में पाये गये जिनमें 02(0.66%) शासकीय एवं 02(0.66%) अशासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत पाई गईं। **(ग्राफ क्र. 1)**

ग्राफ क्रमांक 1 (अगले पृष्ठ पर देखे)

निष्कर्ष:

1. लखनऊ शहर के विद्यालयों में अध्ययनरत किशोरियों में 158(52.66%) किशोरियों के बाल काले व नरम पाये गये जो उनमें उत्तम पोषण को प्रदर्शित करता है। उत्तम पोषण प्राप्त किशोरियों की संख्या अशासकीय विद्यालयों की तुलना में शासकीय विद्यालयों में अधिक पाई गई।
2. 127(42.33%) किशोरियों के बालों में चमक का अभाव पाया गया जो उनमें प्रोटीन की कमी को प्रदर्शित करता है। चमक विहीन बालों वाली किशोरियों की संख्या शासकीय विद्यालयों की तुलना में अशासकीय विद्यालयों में अधिक पाई गई।
3. 11(3.66%) किशोरियों के बाल सूखे व परिवर्तित रंग के पाये गये। बालों का सूखा व परिवर्तित रंग का होना उनमें प्रोटीन की दीर्घकालीन न्यूनता को प्रदर्शित करता है। सूखे व परिवर्तित रंग के बालों वाली किशोरियों की संख्या अशासकीय विद्यालयों की तुलना में शासकीय विद्यालयों में मामूली अधिक पाई गई है।
4. 04(1.33%) किशोरियों के बाल टूटने लायक स्थिति में पाये गये जो उनमें प्रोटीन की अत्यधिक कमी को प्रदर्शित करता है। ऐसी किशोरियों की संख्या शासकीय एवं अशासकीय दोनों प्रकार के विद्यालयों में एकसमान किंतु बहुत ही कम पाई गई है।

सुझाव- किशोरियों को अपने बालों को काले नरम, चमकदार, मजबूत व सुन्दर बनाये रखने के लिये निम्नलिखित सुझावों का पालन करना चाहिये-

1. संतुलित आहार गृहण करें अर्थात् भोजन में दाल, चावल, रोटी, फल, सलाद, दूध, दही, आँवला या नीबू का प्रतिदिन सेवन करें।
2. बालों को हफ्ते में केवल दो बार धोएँ। रोज-रोज बाल धोने से उनका प्राकृतिक तेल निकल जाता है।
3. बालों के अनुकूल शेम्पू का प्रयोग करें। चिकित्सक की सलाह लें। बाल धोने के बारद कंडीशनर का उपयोग करें।
4. बालों को ठंडे या गुनगुने पानी से धोएँ। अधिक गर्म पानी बालों को नुकसान पहुँचाता है।
5. बालों को पौंछने के लिये रौएदार तौलिये का उपयोग न करें। सादा तौलिये को बालों पर लपेटें। तौलिये को बालों पर रगड़ें नहीं।
6. गीले बालों में कंघी नहीं करें। बाल सुलझाने हेतु मोटे दाँत वाले कंघे का प्रयोग करें। बालों में बारीक कंघी का उपयोग नहीं करें। बालों को छोर से सुलझायें।
7. बालों में डेयर ड्रायर लगाने से बचें क्योंकि गर्म हवा बालों की जड़ों को नुकसान पहुँचाती है।
8. सोते समय बालों पर चिकना स्कार्फ बांधकर सोएँ।
9. सिर धोने के एक घंटा पूर्व सिर में तेल की मालिश करें। तेल का चयन स्वयं के बालों के अनुकूल करें या चिकित्सक की मदद लें। बालों को स्वस्थ्य व सुन्दर बनाये रखने के लिये नारियल के तेल में बादाम का तेल मिलाकर लगाना चाहिये।
10. डेंड्रफ होने पर नीबू व दही का मिश्रण बालों पर 1 घंटा लगायें।
11. झड़ते हुये बालों को नीम के उबले हुये पानी से धोएँ। धोने के पूर्व नारियल के तेल में नीबू का रस मिलाकर लगायें।
12. दो मुँहे बालों की नियमित ट्रिमिंग करायें। ऐसे बालों को खुला न छोडें तथा सर्दी, गर्मी व धूप से बचायें।
13. रूखे बालों में प्रोटीन युक्त शेम्पू का उपयोग करें।
14. सफेद बालों के उत्पन्न होने पर चायपत्ती को उबालकर छानकर काले पानी को बालों की जड़ों में लगायें तथा 1 घंटे बाद सिर धोएँ। आँवला रीठा व शीकाकाई से सिर धोने पर भी सफेद बालों में कमी आती है।

RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XL

15. बालों संबंधी समस्या होने पर चिकित्सक की सलाह अवश्य लें। विज्ञापनों से प्रभावित होकर स्वयं निर्णय न लें।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. https://hindirasifal.in
2. hi.m.wikipedia.org
3. https://hindirashifal.in
4. https://hindi.news18.com>lifestyle
5. https://him.wikipedia.org>wiki

ग्राफ क्रमांक 1 – किशोरियों के बाल संबंधी लक्षण

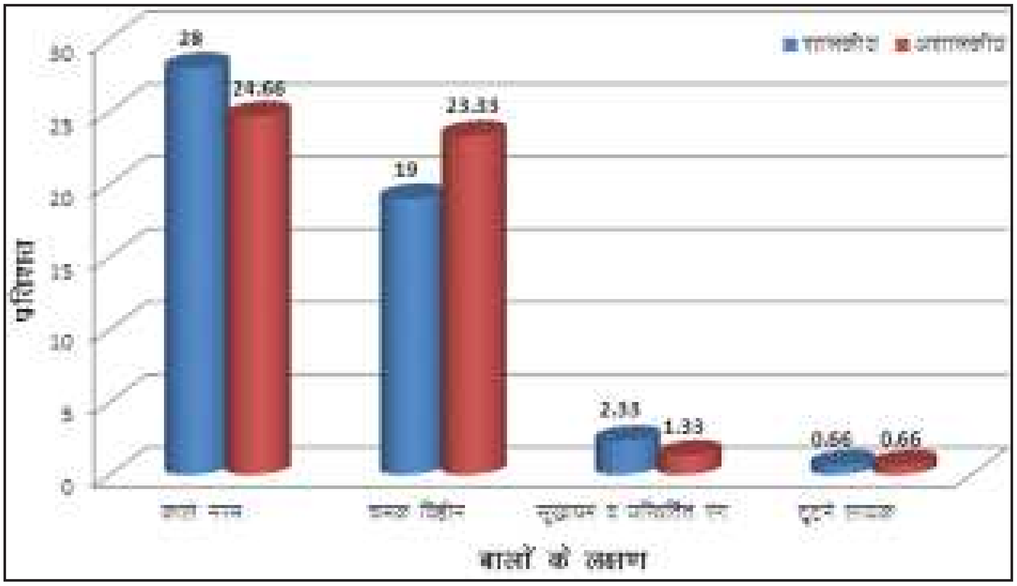

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XL

White Collar Crime in India- A Legal Study

Dr. Nisha Sharma*

***Baba Nursing Das PG College, Necchwa, Sikar (Raj.) INDIA**

Abstract - This research article has been made to analyze a legal study in India and to also understand the concept of white collar crime in India. A white collar crime basically means the crime committed by the educated and higher class people of the society during the course their occupation. A white collar crime can also be called as a crime of educated and the professional elites. The article basically talks about the common types of white collar crime which have evolved in last few years and how it has become a socio-economic crime. Beside this there are crimes which have evolved as a crime from profession which are medical and legal profession. The paper highlights the various legislations of Indian laws which talk about the punishment of these types of crime.
Keywords- Crime, White collar, Fraud, Corporate frauds, status, person.

Introduction - A generic term for crimes involving commercial fraud, cheating consumers, swindles, insider trading on the stock market, embezzlement and other forms of dishonest business schemes. The term comes from the out of date assumption that business executives wear white shirts and ties. It also theoretically distinguishes these crimes and criminals from physical crimes, supposedly likely to be committed by “blue collar” workers.[1]

White collar crimes are the crimes committed by the person of a high social status and respectability during the course of his occupation. It is a crime that is committed by salaried professional workers or a person in business and that usually involves a form of financial theft or fraud. The term white collar crime was defined by sociologist ‘Edwin Sutherland’ in 1939. These crimes are non violent crimes committed through business people through deceptive activities who are unable to access large amount of money for the purpose of financial gain.

White collar crimes are committed by people who are involved in otherwise, lawful business and cover a wide range of activities. The perpetrators hold respective positions in the communities unless the crime is discovered. The laws relating to white collar crimes depends upon the exact nature of the crime committed.

The people who are committing white collar crime have usually better understanding of the technology in their respective fields. As white collar crimes have been evolved in a large number so we can say that these crime are common trade, commerce, education and health based. As the criminals status have been changed in a few years we can say that the traditional criminals have switched to white collar criminals.

The concept of white collar crime found its place in criminology for the first time in 1941

Types of White Collar Crime.

There are different types of white collar crimes. Some of them are as follows:

- **Bank Fraud**: Bank Fraud means energy in such activities in order to defraud a bank or using illegal means to obtain assets held by financial instructions.
- **Blackmail:** Blackmail means demand for money by threatening some person to cause physical injury or exposing his secrets
- **Bribery:** Bribery means offering money goods or any gift to someone in order to have control over his actions. It is a crime whether someone offers or accepts a bribe.
- **Computer Fraud:** Computer frauds which involve hacking or stealing information of some other person.
- **Embezzlement:** when someone entrusted with money of property uses it for his own use, it is embezzlement.
- **Extortion:** when a person illegally obtains someone’s property by actual or threatened force.
- **Insider-Trading:** when someone uses the confidential information to trade in shares of publicly held corporations.
- **Money-Laundering:** Money-Laundering means to concealment of origin of illegally obtained money.
- **Tax Fraud:** Tax Fraud means evading tax by providing wrong information in tax forms or illegally transferring property order to avoid tax.
- White Collar Crime is pervasive in almost all the professional and occupations in the society. These crimes are common to the business world and Indian trade and violation of Foreign Exchange Regulation Act and export and

laws are resorted to make huge profits.

- **Cybercrime:** this is the biggest cause which is leading to these types of crime in India. This is a crime related to computer networks. By the use of telecommunication networks, mobile phones, cyber stalking, sending obscene message and pictures by criminals to women also increases

1. Hacking
2. Child pornography
3. Copyright infringement
4. Cyber terrorism[2]

White Collar Crime in different professions

1. **In medical and health:** making of false medical certificates by the doctors, fake and indented prolong the treatment to increase the bills, sex discrimination of the child, delaying in the time to increase the bill, sale sample medicines not allowed to the chemist.
2. **In legal profession:** fabrication of forged documents, threatening the witness of the other party, violation of the ethical standard of legal profession.
3. **In education:** collecting huge sums of money in the name of donations to give admissions, merit based admissions are replaced by donations.[3]

Causes of White-collar crime: The general perception is that the white collar crimes are committed because of greed of economic instability. But these crimes are also committed because of situational pressure of the inherent characteristics of getting more than others. However, there are various reasons for white collar crimes.

1. **Not really a crime:** Some offenders convince themselves that the actions performed by them are not crime as the acts involved does not resemble street crimes.
2. **Not realizable:** Some people justify themselves in committing crimes as they fell that the government regulations do not understand the practical problems of competing in the free enterprise system.
3. **Lack of awareness:** One of the main reason of white collar crime is the lack of awareness of people. The nature of the crimes is different from the traditional crimes and people rarely understand it though they are the worst victim of crime.
4. **Greed:** Greed is another motivational of the commissions of crime. Some people think that others are also violating the laws and so it is not bad if they will do the same.
5. **Necessity:** Necessity is another factor of committing crimes. People commit white

Collar crimes in order to satisfy their ego or support their family.[4]

White Collar Crimes in India: White Collar Crimes are rapidly increasing in our country with the advancement of commerce and technology. The recent developments in the technology have given new dimensions to computer related crimes known as cyber crimes. As such, the white collar crimes are increasing with the development of new websites. The areas affected by these crimes are banking and financial institutions, industry, business etc.

Thus crime is an act or omission which constitutes an offence and is punishable under the law. As the white collar crimes are increasing on daily basis, it injuries the society on a large scale because the laws are not properly administered and therefore there is a need to curb the factors that are helping in the commissions of such crimes.

Laws relating to White Collar Crimes: The government of India has introduced various regulatory legislations, the breach of which will amount to white-collar criminality. Some of these legislations are The Essential Commodities Act 1955, The Industrial [Development and Regulation] Act, 1951. The Import and Exports [control] Act, 1947, the Foreign Exchange [regulation] Act, 1974, The Companies Act, 1956, Prevention of Money Laundering Act, 2002.

The Indian Penal Code 1860 contains provisions to check such as Bank Fraud, Insurance fraud, credit card fraud etc. In case of money laundering several steps have been taken by the government of india to tackle this problem. The Reverse Bank of India has issued directions to be strictly followed by the banks under KYC [Known Your Customer] guidelines. The banks and financial institutions are required to maintain the records of transactions for a period of ten years.[5]

In order to tackle with computer –related crimes, information technology Act,2000 has been enacted to provide legal recognition to the authentication of information exchanged of commercial transactions.

Section ***43***[6] and ***44***[7] of Information Technology Act, 2000 prescribes the penalty for the following offences:

1. Unauthorised copying of an extract from any data.
2. Unauthorised access and downloading files.
3. Introduction of various or malicious programmes.
4. Damage to computer system or computer network.
5. Denial of access to an authorised person to a computer system.
6. Providing assistance to any person to facilitate unauthorised access to a computer.

Though the focus of Information Technology Act is not cybercrime as such, this Act has certain provisions that deal with white collar crimes. Chapter XI deals with the offence of cyber crime and chapter IX deals with penalties and adjudication of crime. Apart from this, many issues are unresolved due to lack of focus. Some of them are inapplicability.

1. Qualification for appointment as adjudicating officer not prescribed.
2. Definition of hacking.
3. No steps to curb internet piracy.
4. Lack of international cooperation.
5. Power of police to enter and search limited to public places.
6. Absence of guidelines for investigation of cyber crime

There are some measures to deal with white collar crimes. Some of them are creating, public awareness of crimes through media or press and other audio-visual aids

and legal literacy programmers. Special tribunals should be constituted with power to sentences the offenders for at least 5 years and conviction should result in heavy fines rather than arrest and detention of criminals. Unless the people will strongly detest such crimes, is not possible to control the growing menace.

Legislation against the white collar crime in India: Government has made various legislation for identifying white collar crime. These contains punishment regarding these crimes, these are;

1. The Companies Act, 2013
2. The Income Tax Act, 1961
3. The Indian Penal Code, 1860
4. The Commodities Act, 1955
5. The Negotiable Instrument Act
6. The Prevention of Money Laundering Act, 2002
7. The IT Act, 2000
8. The Imports and Exports (control) Act, 1950

The Companies Act, 2013: Corporate fraud occurs when a company or an entity deliberately changes and conceals sensitive information which then makes it look healthier. The companies' act 2013 is a legislation which focuses on issues related to corporate fraud. Fraud in relations to affairs of a company or any corporate body is defined under sec 447[8] of companies Act 2013. In order to amount fraud an act must be committed by a party to contract with an intention to deceive the the other party.[9]

Income tax evasion: This happens when a person commits fraud in filing or paying taxes. The complexity of tax law in india has provide enough space for tax evasion. The evasion is most common among the influential persons like doctors, lawyers, engineers, contractors, etc.[10]

Indian Penal Code: All the punishments for the white collar crime committed is to be provided under this code such as for frauds, online thefts committed or for the tax evasion, forgery, etc.

The Commodities Act: The essentials of commodities act was established for the purpose of ensuring the delivery of certain commodities and product does not stop due to hoarding and black marketing and would affect the normal life of people. Thus, causing hindrance in this process leads to white collar crime.

Negotiable Instrument: It is also related to the manipulation of the negotiable instrument like cheque bouncing, securities, bank deposits etc. Bank fraud concerned to the public at large because there is a relation of trust between the bank and the public, and this is most common type of white collar crime

Prevention of Money Laundering: The central government in India had introduced the Prevention of Money Laundering Act, 2002 (PMLA), to prevent the circulation of laundered money. On March 12, 2018, the Indian government introduced Economic Offenders Bill, 2018 for economic offenders. Under the proposed act a special court was empowered determine proceedings under this act.[11]

Imports and Exports: This is the most common trade which is in force. Cause of any hindrance or not letting the trade happen with certain code of conducts and keeping the part of trade resulting in white collar crime.

Major White Collar Scams

Sahara Parivar Scam- *Securities Exchange Board Of India V. Sahara India Real Estate Ltd.*[12]

When a company through stock market issues money from the public it is known as Initial Public Offering and before taking IPO. The company has to get it approved by SEBI and for getting the approval the company has to submit a draft red herring prospectus. It is basically the bio data of the company, In which all the details of the company are mentioned.

SEBI has to analysis the data of Draft Red Herring Prospectus. And after that they will decide whether it will get approval or not.

On 30th September 2009, Sahara Company (Sahara Prime City) for his IPO filed a DRHP and while analysing the draft red herring prospectus SEBI found that two companies of Sahara that is (SIRECL) **Sahara India real estate corporation ltd**. (SHICL) **Sahara Housing Investment corporation ltd** (SHICL). They found some illegality in the fund being raised by the company. And after that the case was taken over by CBI for investigation where it was found that 14000 crore was being raised by the investors through fraud[13].

Punjab National Bank Scam: Famously known as Nirav Modi Scam Case. Nirav Modi who is having a jewellery business and according to CBI Nirav Modi had made fake letters of understanding(Known as LOU) from Punjab national bank 8times and on the basis of this fake letters he took huge amount from the foreign bank. And after that when they were unable to pay the amount the foreign bank came back to the Indian bank to pay off the amount as they have given them the letters of understanding.

Therein that circumstances the Punjab National Bank denied the Letter of understanding given to the foreign bank. Other people who were involved in this scam was two of bank official Mehul Chowksi (uncle), Ami Modi (Wife), Meshal Choksi (Brother).

Nirav Modi the main accused in the Punjab National Bank Fraud case[14] will make another attempt for bail on Friday after he was denied bail last week.[15]

Apart from this there have been various scams and white collar crime in India and others which are also very much famous like Sahara scam and Punjab National bank Scam are the very famous **Satyam scam**[16] which highlights the importance of security laws and CG in emerging markets.

Conclusion: It is clear that due to advancement of science and technology newer form of criminality known as white-collar crime has arisen. The term "white-collar crime" has not been defined in the code. But the dimensions of white-collar crime are so wide that after analysing the provisions

of Indian Penal code 1860, we many conclude that certain offence under Indian Penal Code is closely linked with white collar crimes such as, bribery corruption and adulteration of food , forgery etc. The provisions of Indian Penal Code dealing with white-collar crimes should be amended to enhance punishment particularly fine in tune with changed socio-economic conditions. The special Acts dealing with white-collar crimes and the provisions of Indian penal code should be harmoniously interpreted to control the problem of white-collar crimes.

Suggestions: As there is no such proper definition of white collar crime in Indian laws. The socio economic crimes should not be taken leniently by the government and punishment regarding white collar crime should be stricter as harsh punishment can prevent these crimes to a great extent. If the crime is very heinous then the punishment might also be extended to life imprisonment. People are not much aware of the most of these crimes so the public awareness is necessary through any means of communication and government should impose strict regulations regarding economic thefts in our country.

References:-

1. https://legal-dictionary.thefreedictionary.com/white+collar+crime
2. www.legalservicesindia.com
3. Ibid
4. Ibid
5. www.mondaq.com>india>corporatefraud
6. Section 43 - The Information Technology Act 2000- penalty for damage to computer, computer system, etc.
7. Section 44 - The Information Technology Act 2000- penalty for failure to furnish information, return, etc.
8. Section 447 :punishment for fraud- person found guilty shall be punishable for not less than 6 months and may not extend to 10 years and fine not less than involved in fraud, may not exceed 3 times the amount involved.
9. www.mondaq.com>india>corporatefraud
10. Ibid
11. Section 18 of The Fugitive Economic Offenders Act, 2018
12. AIR 2012 SC3829.
13. m.hindustantimes.com
14. https://www.businesstoday.in/sectors/banks/nirav-modi-case-pnb-fraud-11400-crore-scam-ed-cbi-raid/stor
15. https://www.thehindu.com/news/international/billionaire-jeweller-nirav-modi-denied-bail-in-london-over-bank.
16. https://www.hindustantimes.com/business/satyam-scam-all-you-need-to-know-about-india-s-biggest-account

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XL

अनुसूचित जनजाति के विकास में सरकारी नीतियों की भूमिका (मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के संदर्भ में विश्लेषणात्मक अध्ययन)

रमेश अमलियार*

* पीएच.डी शोधार्थी (राजनीति विज्ञान) समाज विज्ञान अध्ययनशाला, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर (म.प्र) भारत

शोध सारांश – भारत में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर आधारित वाक्यांश सभी को सामाजिक न्याय मिले, आर्थिक समानता के अवसर प्राप्त हो तथा अपनी-अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करें, ऐसी व्यवस्था भी हमारे संविधान में की गई है। जब विकास की बात सामने आती है, तो अनुसूचित जनजाति समाज के सर्वांगीण विकास के समस्त पहलूओं के विकास का दृष्टिकोण अपनाया जाना आवश्यक हो जाता है।

शब्द कुंजी – कल्याणकारी, संविधान।

प्रस्तावना – विकास की प्रक्रिया आदिमानव काल से लेकर वर्तमान समय तक विभिन्न स्वरूपों में सतत् चली आ रही है। समाज, राष्ट्र, काल परिस्थिति एवं संसाधनों के आधार पर इसके अलग-अलग आयाम हो सकते हैं। विकास के परिपेक्ष्य में, पिछले कुछ दशकों से सामाजिक-आर्थिक विकास पर जोर दिया जाने लगा है। विकास के संबंध में राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न देशों द्वारा अनेक विकासात्मक योजनाओं और कार्यक्रमों को शुरू किया गया। आज भी सरकार इस पर करोड़ों रूपये खर्च कर रही है। यद्यपि आज विकास के नाम पर सतत् विकास की ओर अधिक ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन विश्व स्तर पर तो विकास की वर्तमान दौड़ में केवल आर्थिक विकास ने ही अपना वर्चस्व बना रखा है। वैश्विक स्तर पर तीव्र गति से बदलते परिदृश्य एवं स्थानीय स्तर पर उसके पड़ने वाले प्रभावों से यह स्पष्ट हो गया है कि वर्तमान दौर में विकास एक अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्न बन गया है। वैश्वीकरण के इस युग में विकास की नई परिभाषाएँ निर्धारित की जा रही है और आज गरीब और गरीब व धनी और अधिक धनी बनता जा रहा है अर्थात् विकास कुछ ही व्यक्तियों की सम्पत्ति बनता जा रहा है।

शोध विषय का चयन – किसी भी राष्ट्र की लोक कल्याणकारी सरकार का यह दायित्व होता है कि वह प्रजा की भलाई के लिए कार्य करें। इस शोध विषय का चयन करते समय इस बात का ध्यान रखा गया है कि सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही विभिन्न विकास योजनाओं एवं कार्यक्रमों का अनुसूचित जनजाति समाज पर किस प्रकार का प्रभाव हुआ है ? क्या विकास योजनाओं एवं कार्यक्रमों का क्रियान्वयन से उनके पलायन, रोजगार आदि पर क्या प्रभाव हुआ है ? इन महत्वपूर्ण बिन्दुओं को आधार बनाकर ही शोधार्थी द्वारा **'अनुसूचित जनजाति के विकास में सरकारी नीतियों की भूमिका (मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के संदर्भ में विश्लेषणात्मक अध्ययन)'** नामक शोध विषय का चयन किया गया है।

अध्ययन के उद्देश्य:

1. जनजातीय विकास की कल्याणकारी योजनाओं की प्रभावशीलता का विश्लेषण करना।
2. सरकारी नीतियाँ के अनुसूचित जनजातियों पर विभिन्न प्रभावों का विश्लेषणात्मक अध्ययन करना।

अध्ययन का महत्व – इस शोध कार्य का महत्व यह है कि इसके माध्यम से मध्य प्रदेश के जनजातीय बाहुल्य झाबुआ जिले में मध्य प्रदेश शासन द्वारा क्रियान्वित की जा रही विकास नीतियों का लाभ अनुसूचित जनजाति वर्ग को मिल रहा है या नहीं और झाबुआ जिले में योजनाओं एवं कार्यक्रमों का समुचित प्रकार से क्रियान्वयन किया जा रहा है या नहीं ?

अध्ययन का क्षेत्र – इस शोध कार्य के लिए अध्ययन क्षेत्र के रूप में पश्चिमी मध्य प्रदेश के जनजातीय आधिक्य झाबुआ जिले का चयन किया गया है, जो इन्दौर संभाग के इन्दौर-अहमदाबाद राजमार्ग पर इन्दौर संभाग के मुख्यालय से लगभग 150 किलोमीटर दूर में स्थित है। झाबुआ जिला भौगोलिक दृष्टि से ऊँचे-नीचे असमतल धरातल में बसा हुआ है, जो 22.77^{0} उत्तारी अक्षांश एवं 74.6^{0} देशान्तर रेखाओं के मध्य स्थित है और इसकी समुद्र तल से ऊँचाई 318 मीटर है। झाबुआ जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल 3782 वर्ग किलोमीटर है।[1] वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार झाबुआ जिले की कुल जनसंख्या 1025048 है, जिसमें से 505123 जनसंख्या पुरूषों की और 510025 जनसंख्या महिलाओं की है। जिले की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 819818 है, जिसमें से 446359 जनसंख्या पुरूषों तथा 445459 जनसंख्या महिलाओं की है। झाबुआ जिले में साक्षरता दर की स्थिति देखें तो स्पष्ट है कि जिले की कुल जनसंख्या में साक्षर जनसंख्या 352081 है, जिसमें से पुरूषों की साक्षरता दर 60.95 प्रतिशत है और महिलाएँ 39.05 प्रतिशत साक्षर है। झाबुआ जिले का जनसंख्या घनत्व 285 व्यक्ति प्रति वर्ग कि. मी. है और स्त्री-पुरूष अनुपात 990 है। जिले की कुल जनसंख्या में से 370641 मुख्य एवं 144480 सीमांत कार्यशील जनसंख्या है। जिले में विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में संलग्न कुल जनसंख्या में से सर्वाधिक 63.90 प्रतिशत जनसंख्या काश्तकारों की है और 22.45 प्रतिशत खेतिहर मजदूर है। पारिवारिक उद्योगों में कार्यरत् लोग मात्र 1 प्रतिशत है और बाकी 12.65 प्रतिशत जनसंख्या अन्य कार्यो में संलग्न है।[2]

निदर्षन प्रक्रिया – अनुसूचित जनजाति का विकास एवं मध्य प्रदेश सरकार

की नीतियाँ से संबंधित इस शोध कार्य के लिए निदर्शन प्रक्रिया निम्न प्रकार से अपनाई गई है–

1. **अध्ययन के समग्र –** अध्ययन के समग्र के रूप में मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के जनजाति परिवारों को शामिल किया गया है।

2. **अध्ययन की इकाई –** समग्र में से अध्ययन की इकाई के रूप में झाबुआ जिले के जनजाति परिवारों में से किसी योजना से लाभान्वित परिवार को शामिल किया गया है।

उत्तरदाताओं का चयन – उत्तरदाताओं का चयन शोध कार्य के निर्धारित उद्देश्यों को ध्यान में रखकर सोद्देश्य प्रतिचयन विधि से किया गया है। शोध कार्य के लिए उत्तरदाताओं के रूप में में झाबुआ जिले के जनजाति परिवारों में से किसी योजना से लाभान्वित परिवार को शामिल किया गया है। झाबुआ जिले की कुल 6 जनपद पंचायतों में से कुल 30 गाँवों (प्रत्येक जनपद पंचायत से 05 गाँव) का चयन **दैव निदर्शन पद्धति** से किया गया है।[3] गाँवों के चयन के पश्चात् प्रत्येक गाँव से 10 लाभान्वित जनजाति परिवारों (30x10) का चयन अध्ययन के उत्तरदाताओं के रूप में किया गया है। इस प्रकार जिले के कुल 30 गाँवों से 300 उत्तरदाताओं (30x10) का चयन अध्ययन की इकाई के रूप में किया गया है।

आँकड़ों का संकलन – इस शोध कार्य की पूर्ति के लिए प्राथमिक आँकड़ों एवं द्वितीयक आँकड़ों का संकलन किया गया है।

आँकड़ों के संकलन के स्त्रोत – अध्ययन क्षेत्र के उत्तरदाताओं से संकलित किए गए प्राथमिक एवं द्वितीयक आँकड़ों का वर्गीकरण, श्रेणीकरण एवं सारणीकरण के बाद में तथ्यों का विश्लेषण कर निष्कर्ष निकाले गए, जिसके आधार पर शोध कार्य की प्रतिपूर्ति की गई है।

शोध कार्य के निष्कर्ष

1. **प्रधानमंत्री आवास योजना(ग्रामीण) के संबंध में निष्कर्ष**

1. **प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का लाभ लेने के संबंध में प्राप्त तथ्यों के अनुसार** अध्ययन क्षेत्र के समस्त उत्तरदाताओं ने योजनान्तर्गत शासन द्वारा निर्धारित पूर्ण राशि प्राप्त हुई है।

2. **प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की राशि का पूर्ण उपयोग करने के संबंध में प्राप्त तथ्यों के अनुसार** समस्त उत्तरदाताओं ने योजना की प्राप्त राशि का पूर्ण उपयोग किया गया है।

3. **प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की प्राप्त राशि पर्याप्त होने के संबंध में प्राप्त तथ्यों के अनुसार** सर्वाधिक उत्तरदाता प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की राशि को अपर्याप्त बताते है।

4. **प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की राशि समय पर प्राप्त होने के संबंध में प्राप्त तथ्यों के अनुसार** ज्यादातर उत्तरदाताओं को योजना की राशि समय पर नहीं मिली थी।

5. **प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) हेतु राशि समय पर प्राप्त न होने पर प्रयास के संबंध में प्राप्त तथ्यों के अनुसार** अधिकतर उत्तरदाताओं द्वारा योजना की राशि प्राप्त करने के लिए प्रयास किया है।

6. **प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का लाभ प्राप्त करने में कठिनाई होने के संबंध में प्राप्त तथ्यों के अनुसार** अधिकांश उत्तरदाताओं को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ प्राप्त करने में कठिनाई हुई है।

7. **प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का लाभ प्राप्त करने में कठिनाई के प्रकार के संबंध में प्राप्त तथ्यों के अनुसार** अधिकांश उत्तरदाताओं के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की राशि जारी करने में अनावश्यक विलम्ब किया जाता है।

8. **प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के क्रियान्वयन में सुझाव देने के संबंध में प्राप्त तथ्यों के अनुसार** सर्वाधिक उत्तरदाता उक्त योजना के उचित क्रियान्वयन के लिए सुझाव देने के लिए सहमत है।

9. **प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के क्रियान्वयन में सुझाव के प्रकार के संबंध में प्राप्त तथ्यों के अनुसार** सर्वाधिक उत्तरदाताओं के अनुसार उक्त योजना के क्रियान्वयन में कागजी कार्यवाही कम होनी चाहिए है।

2. **मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के संबंध में निष्कर्ष**

1. **मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की पूर्ण राशि मिलने के संबंध में प्राप्त तथ्यों के अनुसार** मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत शासन द्वारा निर्धारित पूर्ण राशि प्राप्त हुई है।

2. **मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की राशि का पूर्ण उपयोग करने के संबंध में प्राप्त तथ्यों के अनुसार** लाभांवित समस्त उत्तरदाताओं ने बताया है कि योजनान्तर्गत निर्धारित राशि का उनके द्वारा पूर्ण उपयोग किया गया है।

3. **मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की प्राप्त राशि पर्याप्त होने के संबंध में प्राप्त तथ्यों के अनुसार** कि अध्ययन क्षेत्र के सर्वाधिक उत्तरदाता मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की राशि को पर्याप्त मानते है।

4. **मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की राशि समय पर प्राप्त होने के संबंध में प्राप्त तथ्यों के अनुसार** मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के ज्यादातर उत्तरदाताओं को योजना की राशि समय पर प्राप्त हुई थी।

5. **मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का लाभ प्राप्त करने में कठिनाई होने के संबंध में प्राप्त तथ्यों के अनुसार** अध्ययन क्षेत्र के सर्वाधिक उत्तरदाताओं को मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का लाभ प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ा है।

6. **मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का लाभ प्राप्त करने में कठिनाई के स्वरूप के संबंध में प्राप्त तथ्यों के अनुसार** लाभांवित अधिकतर उत्तरदाताओं के अनुसार मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में आवेदन प्रक्रिया जटिल है।

7. **मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के उचित क्रियान्वयन में सुझाव देने के संबंध में प्राप्त तथ्यों के अनुसार** अधिकतर उत्तरदाता इस योजना के उचित क्रियान्वयन के लिए सुझाव देने के लिए सहमत है।

8. **मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के उचित क्रियान्वयन में सुझाव के प्रकार के संबंध में प्राप्त तथ्यों के अनुसार** अधिकांश उत्तरदाताओं का सुझाव है कि उक्त योजना के उचित क्रियान्वयन के लिए आवेदन प्रक्रिया को आसान करना चाहिए।

3. **आवास सहायता योजना के संबंध में उत्तरदाताओं का अभिमत**

1. **आवास सहायता योजना की पूर्ण राशि मिलने के संबंध में प्राप्त तथ्यों के अनुसार** योजना से लाभांवित समस्त उत्तरदाताओं ने बताया है कि उन्हें उक्त योजना के अन्तर्गत शासन द्वारा निर्धारित पूर्ण राशि प्राप्त हुई है।

2. **आवास सहायता योजना की राशि समय पर प्राप्त होने के संबंध में प्राप्त तथ्यों के अनुसार** आवास सहायता योजनान्तर्गत सर्वाधिक उत्तरदाताओं को आवास सहायता योजना की राशि समय पर प्राप्त हुई थी।

3. **आवास सहायता योजना का लाभ प्राप्त करने में कठिनाई होने**

के संबंध में प्राप्त तथ्यों के अनुसार सर्वाधिक उत्तरदाताओं को योजना का लाभ प्राप्त करने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हुई है।

4. आवास सहायता योजना का लाभ प्राप्त करने में कठिनाई के प्रकार के संबंध में प्राप्त तथ्यों के अनुसार आवास सहायता योजना से लाभांवित अधिकतर उत्तरदाताओं के अनुसार योजना में दस्तावेजों की अधिकता होती है।

5. आवास सहायता योजना के उचित क्रियान्वयन में सुझाव देने के संबंध में प्राप्त तथ्यों के अनुसार योजना से लाभांवित सर्वाधिक उत्तरदाता इस योजना के उचित क्रियान्वयन के लिए सुझाव देने के लिए सहमत है।

6. आवास सहायता योजना के उचित क्रियान्वयन में सुझाव के प्रकार के संबंध में प्राप्त तथ्यों के अनुसार सर्वाधिक उत्तरदाताओं का सुझाव है कि उक्त योजना में दस्तावेजों को कम करना चाहिए।

उपसंहार – उक्त तथ्यों के विश्लेषण के आधार पर यह स्पष्ट है कि मध्यप्रदेश के झाबुआ जिले में अनुसचित जनजाति समाज के लोगों के विकास में सरकार की नीतियों की महत्वपूर्ण भूमिका है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. झाबुआ जिला सांख्यिकीय पुस्तिका
2. शुक्ल,एस.एम.,सहाय,एस.पी.(2005) सांख्यिकीय के सिद्धांत, साहित्य भवन प्रकाशन, आगरा(उ.प्र.)
3. भारत की जनगणना, 2011 मध्य प्रदेश श्रंखला-24

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XL

Study of Photocatalytic Degradation of Phenoxazine Dye by Fenton Reagent

Dr. David Swami*

***Department of Chemistry, S.B.N. Govt. P. G. College, Barwani (M.P.) INDIA**

Abstract - A Photocatalytic degradation of phenoxazine dye was carried out by means of Fenton Reagent. Fenton system provides an economical approach in treatment of dye pollutants and played important role in the degradation of dye. In the present study of phenoxazine dye (BCB) degradation contribution of Fe^{2+}/Fe^{3+} got enhanced the rate due to generation of OH radicals. In Fe^{2+} or Fe^{3+}/H_2O_2 visible system. An increment in rate constant from $3.68X10^{-4}S^{-1}$ to $5.06X10^{-4}S^{-1}$ was observed with increase in $\{Fe^{3+}/H^2O^2\}$ from {3:1} to {1:1.4}

Introduction - It is well known that dye and their degradation bypreoducts originated through hydrolysis, oxidation and other chemical reactions are highly carcinogenic [(1)]. The conventional treatment processes usually cause secondary pollutions. Advanced oxidation process has emerged as an important class of technologies for the destruction of dyes in aquesous suspensions. One of most used AOPs for waste water treatment is the process reported by fenton 1894 [(2)]. Fenton's process uses H_2O_2 and ferrous salts to generate hydroxyl radicals. The Fenton process has several advantages mainly an increase of the degradation rate and no sludge generation [(3, 4)].

Experimental: Brilliant Cresyl Blue was obtained from Loba Chemie. Photo catalyst TiO_2 was obtained from the S.D. Fine Company. All Solutions were prepared in doubly distilled water. Photo catalytic experiments were carried out with 50 ml of dye solution (3.8x10-5 mol dm-3) using 300mg of TiO_2 photo catalytic under exposure to visible irradiation in specially designed double-walled slurry type batch reactor vessel made up of Pyrex glass (7.5 cm height, 6 cm diameter) surrounded by thermostatic water circulation arrangement to keep the temperature in the range of 30 ± 0.3.c. Irradiation was carried out using 500 w halogen lamp surrounded by aluminum reflector to avoid irradiation loss. During photo catalytic experiments after stirring for 10 min slurry composed of dye solution and catalyst was placed in dark for ½ h in order to establish equilibrium between adsorption and desorption phenomenon of dye molecule on photo catalyst surface. Then slurry containing aqueous dye solution and TiO_2 was stirred magnetically to ensure complete suspension of catalyst particle while exposing to visible light. At specific time intervals aliquot (3ml) was withdrawn and centrifuges for 2 min at 3500 rpm to remove TiO_2 particle from aliquot to assess extent of decolourisation photo metrically. Changes in absorption spectra were recorded at 480 nm on double beam UV-Vis, spectrophotometer (Systronic Model No. 166) Intensity of visible radiation was measured by a digital luxmeter (Lutron LX 101). pH of solution was measured using a digital pH meter.

Result and Discussion : Fenton's treatment is an attractive treatment for the effective decolorisation and degradation of dye because of its low cost, the lack of toxicity of the reagents. (Fe^{2+} or $Fe^{3+}$and H_2O_2). The Fenton system uses ferrous ions to react with hydrogen peroxide, producing hydroxyl, radicals with powerful oxidizing ability to degrade organic pollutants [(5)]. During reaction, ferric ions are formed which can be reacted to produce ferrous ions. The reaction of hydrogen peroxide with ferric ions is referred to as a Fenton like reaction Equations (1) to (13) [(6)]. In the present study of BCB degradation contribution of Fe^{2+} / Fe^{3+} got enhanced the rate due to generation of $^{\bullet}OH$ radicals. In Fe^{2+} or Fe^{3+} / H_2O_2 visible system an increment in rate constant from 3.68×10^{-4} s^{-1} to 5.06×10^{-4} $s^{-1}$was observed with increase in [Fe^{3+} / H_2O_2] from [3:1] to [1:1.4].

A mechanism has been reported supporting the Fenton process [(7)]. Maximum degradation rate was achieved at optimum concentrations of Fe^{3+} and H_2O_2. When the H_2O_2 concentration got higher, the oxidation rates were inhibited because H_2O_2 act as $^{\bullet}OH$ scavenger [(8)].

$$Fe^{2+} + H_2O_2 \longrightarrow Fe^{3+} + OH^- + {}^{\bullet}OH \quad (1)$$

$${}^{\bullet}OH + Fe^{2+} \longrightarrow OH^- + Fe^{3+} \quad (2)$$

$$Fe^{3+} + H_2O + hv \longrightarrow {}^{\bullet}OH + Fe^{2+} + H^+ \quad (3)$$

Upon irradiation of Fe^{3+} / H_2O_2/ TiO_2/ BCB system with visible light, production of $^{\bullet}OH$ radicals increased involving a very complex mechanism. Dye absorbed visible irradiation and was excited into high energy state. This excited dye molecules reduced the ferric ion complex to

ferrous ion complex followed by the transfer to ferric ion [9].

$BCB + h\nu_{visible}$ -----> $_1BCB^*$ or $_3BCB^*$ (4)

$_1BCB^*$ or $_3BCB^*$ + $TiO_2(Fe^{3+}{}^{\bullet}OH)$ ----->$TiO_2(Fe^{2+}{}^{\bullet}OH)$ + $BCB^{+\bullet}$(5)

hv

$TiO_2(Fe^{2+}{}^{\bullet}OH)+H_2O_2$ -----> $TiO_2(Fe^{3+}{}^{\bullet}OH)+{}^{\bullet}OH+{}^{\bullet}OH$ (6)

$TiO_2(Fe^{3+\bullet}OH)+H_2O_2$ -----> $TiO_2(Fe^{2+\bullet}OH)$ + $HO^{\bullet}_2$ + H(7)

$TiO_2(Fe^{2+\bullet}OH)$ -----> $TiO_2(Fe^{3+}{}^{\bullet}OH)$ + $TiO_2(e^-_{CB})$ (8)

H^+

$TiO_2(e^-_{CB})+O_2$ -----> $O^{\bullet-}_2$ ----->$HO^{\bullet}_2$ (9)

$H_2O_2 + O^{\bullet-}_2$ -----> ${}^{\bullet}OH + OH^- + O_2$ (10)

$H_2O_2 + TiO_2(e^-_{CB})$ -----> ${}^{\bullet}OH$ + OH^- (11)

${}^{\bullet}OH + H_2O_2$ -----> H_2O + $HO^{\bullet}_2$ (12)

$BCB/BCB^{+\bullet}$ + ${}^{\bullet}OH$ / $O^{\bullet-}_2$ /$HO^{\bullet}_2$ -----> Degradation products (13)

Table : Effect of Fe^{3+}/ H_2O_2: [BCB] = 5.0 × 10^{-5} mol dm^{-3}, pH = 11.0

TiO_2 = 150 mg /100 mL, Light intensity = 14 × 10^3 lux, Temperature = 30 ± 0.3 ºC.

$Fe^{3+}:H_2O_2$	With TiO_2		Without TiO_2	
	$k \times 10^{-4} s^{-1}$	$t_{1/2} \times 10^3 s^{-1}$	$k \times 10^{-4} s^{-1}$	$t_{1/2} \times 10^3 s^{-1}$
3:1	3.68	1.88	1.25	5.54
1.4:1	4.10	1.69	2.10	3.30
1:1.4	5.06	1.36	2.50	2.77
1:3	3.22	2.15	2.70	2.56
11:1	2.22	3.12	3.00	2.31

Fig. : Effect of Fenton reagent

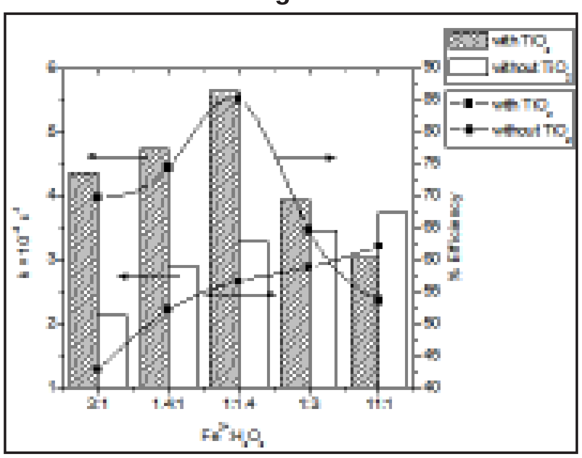

Conclusion : The Fenton Reagent using visible light offers a very alternative for the degradation and mineralization of the Brilliant Cresyl Blue dye. TiO^2 mediated degradation of dyes in combination with Fenton reagent has been found to be an effective treatment technology. Maximum degradation rate was achieved at optimum concentrations of Fe^{3+} and H_2O_2.

Acknowledgement: Author acknowledgment the support and Laboratory facilities provided by Chemistry Department S.B.N. Govt. P.G. College, Barwani (M.P.)

References:-

1. Nam, S. and Tratnyek, P.G. Water Res. 34 **(2000)** 1837-1845.
2. Environmental Protection Agency (EPA) Advanced Photochemical oxidation processes. Office of Research and Development 1998.
3. Malato S, Blanco J., Vidal A., Applied Catalysis B Environmental **(2002)** 37.
4. Salnodori P.,Cuzzola A. Bernini M., Applied Catalysis B. Environmental 36 **(2002)**. 231– 237
5. Laat De, Gallard J., Ancelin H., and Legube B., Chemosphere, 39 (1999) 2693.
6. Feng W. and Nansheng D., Chemosphere, 41 **(2000)**78.
7. Sakthivel S., Neppolian B., Arabindoo B., Palanichamy M. and Murugesan V., Indian J. Eng. and Mater. Sci., 7 **(2000)** 87.
8. Neyens E. and Baeyens J., J. Hazard. Mater., 98 **(2003)** 33.
9. Shaobin Wang, Dyes and Pigments, 76 **(2008)** 714.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XL

शैलेश मटियानी के उपन्यासों में नारी-चित्रण

डॉ. यासमीन खान*

* सहायक प्राध्यापक (हिंदी) करियर कॉलेज ऑफ लॉ, भोपाल (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – नारी को ईश्वर की सर्वोत्कृष्ट रचना कहा गया हैं हमारे देश में नारियों का गौरवपूर्ण अतीत रहा है। नारी ममता, प्रेम, त्याग, करूणा, संवेदना तथा सहनशीलता आदि गुणों की साक्षात मूर्ति होती है। नारी को देवी, लक्ष्मी, नारायणी, कहकर सम्बोधित करने वाले हमारे देश में नारी की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। नारी को पूजने वाला समाज आज उसके अनाचार, शोषण, हिंसा, अत्याचार करने में तनिक भी गुरेज़ नहीं करता। राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त की कविता का यह अंश वर्तमान समय में नारी की दशा को स्पष्ट रूप से व्याख्यायित करता है।

'अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी।
आँचल में है दूध और आँखों में पानी।।'[1]

समाज व परिवार में नारी पर भांति-भांति से अत्याचार किया जा रहा है। सजग साहित्यकारों में नारी की दयनीय दशा की ओर सामाजिक चेतना लाने के लिये तथा उनकी दशा सुधारने के लिये लेखनी का सहारा लिया। शैलेश मटियानी भी उन्हीं सजग साहित्यकारों में से एक हैं जिन्होंने नारी के त्रासद जीवन को अपने कथा साहित्य में स्थान देकर अपनी सामाजिक प्रतिबद्धता का परिचय दिया है। नारी के प्रति लेखक का दृष्टिकोण बिल्कुल भिन्न है। लेखक ने अपने उपन्यासों में नारी के दुखो-कष्टों, पीड़ा तथा संताप का मर्मस्पर्शी चित्रण किया। अनमेल विवाह में अधिकांशत: कम उम्र की लड़की को अपनी पिता की उम्र के पुरूष से ब्याह दिया जाता है। यह उस स्त्री के जीवन की कूट विसंगति है। शैलेश मटियानी इस विसंगति का मूल कारण आर्थिक विपन्नता को मानते हैं। धन के अभाव में या तनावग्रस्त या किसी समझौते के तहत फूलों से नाजुक किसी किशोरी को उसी के माता-पिता अधेड़ उम्र के पुरूषों के साथ वैवाहिक बंधन में बाँध देते हैं। चंद शहरों का शहर में परिहार गोम्स से कहता है- 'तुम्हारे इंग्लैण्ड में पचास साठ साल की औरतें इक्कीस- बाईस साल के लड़कों से शादी कर लेती है...... हमारे मुल्क में पचास-साठ साल की उम्र के लोग उन्नीस बीस साल की लड़कियों से शादी रचा लेते है।'[2] अधेड़ उम्र से विवाह के बाद उस युवती के अनेकों आकाँक्षायें अतृप्त रह जाती हैं।

उम्र के फासले के कारण गृहस्थी को गाड़ी सुचारू से नहीं चल पाती। उम्र के अन्तर के कारण महिला तथा पुरूष के न तो विचार मेल खाते हैं न ही मानसिकता और न ही वे भावनात्मक रूप से एक दूसरे को स्वीकार कर पाते हैं। रामकली और वसन्तलाल के मध्य क्रमश: पन्द्रह तथा बत्तीस साल का अन्तर था। इसी कारण उनके बीच मतभेद होते रहते थे। इसी कारण बतसंतलाल रामकली से कहता है- 'तेरे मेरे बीच उम्र का इतना फ़ासला न रहा होता, रामकली तो हम लोगों की गिरस्थी में दरार न पड़ी होती।'[3] शैलेश मटियानी ने उपन्यासों में अनमेल विवाह से पैदा हुई भीषण परिस्थितियों दु:खी दाम्पत्य जीवन, वैधत्य के बाद नारी के दुखद जीवन, आदि का यथार्थ चित्रण किया है। अनमेल विवाह जैसी कुप्रथा की शिकार युवतियों के प्रति लेखक की संवेदना व्यक्त करने में सफल हुये हैं।

मटियानी जी ने बेमेल विवाह के साथ बहुविवाह जैसी कुरीति पर भी लेखन किया है। 'चौथी मुट्ठी' उपन्यास में रूद्रदत्त पण्डा भौतिका को अपनी चौथी पत्नी के रूप में ब्याहता है। इसी प्रकार मटियानी जी ने अपने-अनेको उपन्यासों में बहुविवाह से उत्पन्न स्त्री की मनोदशा का मार्मिक चित्रण किया हैं। शैलेश मटियानी ने वैवाहिक बन्धनों के विविध रूपों द्वारा नारी की स्थिति को उदघाटित किया है, जैसे अन्तजार्तीय विवाह, प्रेम विवाह, विधवा विवाह, तलाकशुदा या परित्यक्ता नारी की वेदना को अभिव्यक्त किया है। मटियानी जी ने गोफुली गफ्रन, हौलदार, चंद औरतों का शहर, बोरवली से बोरबन्दर तक, कोई अजनबी नहीं, चौथी मुट्ठी आदि उपन्यासों में विवाह सम्बन्धी नारी की करूण दशा को उजागर किया है। 'चौथी मुट्ठी' उपन्यास में भगवती जोग्याणी कौशिला से अपनी दु:ख भरी दास्तान सुनाते हुए कहती है .... सत्तरह बरस की उमर में बाल विधवा बन गई। आकाश उड़ते चील कौवों से अपनी मांस की बोटी बचानी कितनी मुश्किल होती हैं? दर-बदर, ठोकर खाई, तो एक रास्ता भक्ति मुक्ति की ही दिखाई पड़ा। सिर मुँडाया, कानों में काठ के मुँदरे पहने और जोग्याणी बन गई।'[4] स्त्री पुरूष सम्बन्ध अत्यन्त नाजुक होता है। भारतीय समाज पुरूष प्रधान है, अत: इन सम्बन्धों को गहराई से जोड़ने के लिये पुरूष का स्त्री से भावनात्मक रूप से जुड़ना आवश्यक होता है, अन्यथा रिश्तों की गरिमा भंग होती है। मटियानी ने अपने जीवन के आस-पास के परिवेश में जो देखा व समझा उसी को आधार बनाकर अपने उपन्यासों में दर्शाया है। इसी कारण उन्होंने नारी पुरूष के सम्बन्धों का गहन विश्लेषण किया है।

नारी जीवन की सबसे भयावह घटना है उसका यौन शोषण/एक स्त्री की देह को जब नोचा जाता है, तब वह जख्म उसके मन को अधिक घायल करते हैं। नारी मन की इस पीड़ा को लेखक ने मार्मिक चित्रण किया है। 'हौलदार' उपन्यास में नायक डूँगरूसिंह नरूली नामक स्त्री पात्र को छेड़ता है और उसका सीधा इशारा शारीरिक सम्बन्ध बनाने से था।' जीवन को उस दही-सा क्यों जमाती जा रही है, जिसका बिलोने वाला कोई नहीं? मुझे अपना 'टेकुवा' (पति की अनुपस्थिति में जिससे शारीरिक सम्पर्क बना रहता है) क्यों नहीं बना लेती?' गोपुली गफुरन में गोपुली को भीमसिंह उत्पीड़ित करता है, 'एक मूंठ सरसों' में उदुवा-सदुवा और दिलीप नामक पुरूष देवकी का शारीरिक शोषण करते हैं। 'बोरवली से बोरीबन्दर' तक में सेठ नौकरानी

का यौन शोषण करता है। लेखक ने समाज में यौन शोषण की वीभत्सता का सूक्ष्म अन्वेषण किया है। अनेकों परिवारों में युवती अपने ही परिवार में बलात्कार का शिकार होती है। चिट्ठि सैन उपन्यास में गाँगुली को उसका पिता गर्भवती बना देता है। 'बौज्यू के साथ इजा के बाद में मर जाने की वजह से मैं बचपन से ही सोती रही। शुरू-शुरू में मुझको खास जानकारी भी नहीं थी। डाड जरूर भारती थी, जोर-जोर से, पर बौज्यू, दूध जलेबी दे-देकर चुपका देते थे, ऐ चेली ऐसे रोयेगी तो सौरास में कैसे काम चलाएगी? मेरा कोई भाई नहीं है, तो मैं बौज्यू से पूछती थी कि मेरा भाई क्यों नहीं है? ..... तो बौज्यू कहते कि चेली, तेरी इजा के पास बेटा पैदा करने की मशीनरी नहीं रही।.... शायद, मेरे बोज्यू ने उसी मशीनरी को मुझमें ढूँढने की कोशिश की और आज में भरा कचहरी में अपना भाई लेकर हाजिर हुई हूँ।'[5] स्त्री का यौन शोषण करने वाले पुरूष किसी मानसिक विकृति का शिकार होते हैं। वे इस घिनौने कृत्य को करते समय रिश्तों की मर्यादा तक का लिहाज नहीं करते। शैलेश मटियानी ने आहत स्त्री मन की दशा का ह्रदय विदारक चित्रण किया है।

नारी जीवन की अनेक समस्याओं के समान वैश्यावृत्ति भी एक गम्भीर समस्या है। नारी शोषण की सबसे वीभत्स और घृणित रूप वैश्यावृत्ति है। शैलेश मटियानी ने अपने उपन्यासों के माध्यम से वैश्याओं की परिस्थितियों, असंगतियों, विषमताओं और सामाजिक समस्याओं का चित्रण किया है। इस समस्या को उजागर करने के पीछे लेखक का उद्देश्य है कि वह नारी जीवन की समस्या का गहराई से समझकर, समाज को समझा सके तथा उसका कारण ढूंढकर सुझाव और निराकरण निकालकर उनके जीवन स्तर को सुधार सके। डेरेवाले, दो बूँद जल, बावन नदियों का संगम, जैसे कुछ उपन्यासों की कथावस्तु की वेश्या जीवन पर आधारित है। जबकि चौथी मुट्ठी, बोरवली से बोरीबंदन तक जैसे अन्य उपन्यासों में वेश्यावृत्ति की समस्या को लेखक ने उपन्यासों में समाज पर वैश्यावृत्ति के जहर के प्रभाव को उजागर किया है। उन्होंने अपने उपन्यासों में यथार्थ प्रस्तुतिकरण के लिये मुम्बई महानगर के त्रिभुवन रोड़, दिल्ली के कुतुबरोड़ पर स्थित वैश्यालयों की स्थिति तथा इसके भीतर धुप्ती स्त्री स्त्रियों की दयनीय दशा का कुरूप चेहरा प्रस्तुत किया है। लेखक वैश्यालयों में स्त्री के पहुँचने का कारण आर्थिक हालातों को ही मानते है। 'कबूतरखाना' उपन्यास में इस बात का इशारा करते हुये, वे लिखते हैं- 'नारी शोषण का मूल कारण है, आर्थिक असमानता। इसी आर्थिक अव्यवस्था के कारण नारी खिलौनों की तरह बाजार में बिकती है, टूटती हैं, मिट्टी में मिल जाती है, वह भी, उसका मातृत्व भी इंसान की इन्सानियत भी अपने साथ दफन कर लेता है, नारी का यह नरक प्रस्ताव। जो अतिनिर्धन है, वे विवश हैं- अपनी माँ बहनों की अस्मत की रखवाली उनसे नहीं हो पाती। भाई इतना मजबूर है कि वह बहन को वेश्या बनने से बचा नहीं पाता। इसी तरह यहाँ मानवीयता के सारे नाते-रिश्ते अपठित असम्बद्ध होने के लिये मजबूर हो जाते है।'[6] वैश्यावृत्ति द्वारा नारी का शोषण समाज का आंतरिक कोढ़ है।

नारी जीवनपर्यन्त अपने परिवार व समाज के हित के लिये अपना अमूल्य जीवन न्यौछावर कर देती है। फिर भी वह युगों से पीड़ित और त्रस्त है। मटियानी जी नारी के त्रासद जीवन के पीछे भारतीय समाज में व्याप्त रूढ़िवादी विचार-मान्यताओं, परम्पराओं को मुख्य कारण मानते हैं। उन्होंने नारी की जागरूकता, शिक्षा को महत्व देते हुये वैवाहिक, पारिवारिक, आर्थिक समस्याओं को समाप्त करने की सूक्ष्म अभिव्यंजना प्रस्तुत की है। वे नवीन मान्यताओं की स्थापना के आधार पर स्त्री के कल्याण और सुखमय जीवन की कामना करते हैं। लेखक ने नारी की समस्याओं के साथ-साथ उन समस्याओं के समाधान का भी स्तुत्य कार्य किया है। लेखक का नारी उत्थान के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण सराहनीय हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. यशोधरा/मैथिलीशरण गुप्त/पृष्ठ-47
2. चन्द औरतों का शहर/शैलेश मटियानी/पृष्ठ-94
3. रामकली/शैलेश मटियानी/पृष्ठ-109
4. चौथी मुट्ठी/शैलेश मटियानी/पृष्ठ-14
5. चिट्ठिसैन/शैलेश मटियानी/पृष्ठ-208
6. कबूतरखान/शैलेश मटियानी/पृष्ठ-67

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XL

Ancient Script of India : Evolution of Writing Systems in India

Dr. Rajkumari Sudhir*

***Asst. Professor (English) Govt. Sarojini Naidu Girls P.G. College, Bhopal (M.P.) INDIA**

Abstract - The period prior to the invention of writing is known as prehistoric when there was no written record of human thought and action. After script was invented, however, a written history of a civilization became available to supplement and clarify how the people lived and thought and, together, this provides the modern world with its history.

Introduction - Development of Script: Script developed from simple to more complex writing systems:

1. Pictographic (a symbol for an object, word, or phrase)
2. Ideographic (a symbol for an object or concept such as the sign % for percent)
3. Logographic (a symbol for an entire word or phrase)
4. Phonographic (a symbol representing a sound)
5. Alphabetic (less than 100 symbols (letters) used to form words representing objects and concepts)

The last three are still used in written languages today such as Chinese (logographic), Russian (phonographic), and English (alphabetic). Scholars continue to debate whether Mesopotamia, **Egypt**, or the **Indus Valley Civilization** first invented script, but generally, it is understood to have originated in Sumer. Once invented, it was then developed by other civilizations for communication, record keeping related to **trade**, and religious belief but, in time, would come to preserve every aspect of the human condition.

First Script Of The World: The earliest potters' marks in the subcontinent date to 6,500 years ago and were found in Harappa, and clearer writing emerged around 5,300 years ago, according to Jonathan Mark Kenoyer of the University of Wisconsin, an expert on the Indus Valley. That is roughly the same period of proto-cuneiform emerging in Mesopotamia and hieroglyphic writing in Egypt.

After the pictographic and petroglyph representations of early man the first evidence of a writing system can be seen in the Indus valley civilization. c.**3500** BCE.The **Indus script** is made up of partially pictographic signs and human and animal motifs including a puzzling 'unicorn'. These are inscribed on miniature steatite (soapstone) seal stones, terracotta tablets and occasionally on metal. The designs are "little masterpieces of controlled realism, with a monumental strength in one sense out of all proportion to their size and in another entirely related to it", wrote the best-known excavator of the Indus civilization, Mortimer Wheeler, in 19681.

Script is the written expression of a language. **Cuneiform**, the first script, was invented in **Sumer**, **Mesopotamia** c. 3500 BCE, **hieroglyphics** sometime prior to the **Early Dynastic Period in Egypt** (c. 3150-2613 BCE),**Indus script**c.**3500** BCE,Dhamma Script-Pali and **Prakrit** in **India** during the c. 1500 to c. 500 BCE. **Writing** was later adopted by other cultures enabling the development of **civilization**.

The Dhamma Script: TheDhamma/ Bahmi/ ***Brahmi Script*** is the earliest **writing** system developed in **India** after the **Indus script**. It is one of the most influential writing systems; all modern Indian scripts and several hundred scripts found in Southeast and East Asia are derived fromBahmi/Brahmi.

Bahmi/Brahmi derives from the Indus script, a writing system employed in the Indus **Civilization** which fell out of use as this civilization came to an end. Those who support this hypothesis point out the resemblance between some of the signs of these scripts.

Rather than representing individual consonant (C) and vowel (V) sounds, its basic writing units represent syllables of various kinds (e.g. CV, CCV, CCCV, CVC, VC). Scripts that operate on this basis are normally classified as syllabic, but because the V and C component of Bahmi/Brahmi symbols are clearly distinguishable, it is classified as an alpha-syllabic writing system.

Another question about the origin of the Bahmi/Brahmi script relates to its antiquity. Until a few decades ago, the earliest securely dated examples available of the Brahmi script dated back to the 3rd century BCE, during the time when India was ruled by the **Mauryan Empire**. These examples were found on a set of royal rock inscriptions spread in North and Central India by the Indian emperor **Ashoka** (c. 268 BCE to 232 BCE), known as the **Edicts of Ashoka** or Ashokan Inscriptions.

Material Form & Use: Ashokan inscriptions are found on carved rocks, caves, stones slabs, and rock pillars. We also have some examples of short Bahmi/Brahmi inscriptions on small seals made of ivory, bone, stone, and terracotta dated to Mauryan times. Other examples come from potsherds and **copper** plates. With the rise of **Buddhism** as the dominant faith in India, we find Bahmi/ Brahmi inscriptions on monumental constructions known as 'donative records,' stating the names of different donors. The early 2nd century BCE saw the beginning of Bahmi/ Brahmi inscriptions on coins.

During the late 20th century CE, the notion that Bahmi/ Brahmi originated before the 3rd century BCE gained strength when archaeologists working at Anuradhapura in Sri Lanka retrieved Brahmi inscriptions on **pottery** belonging to the 450-350 BCE period. The earliest of these examples are single letters, and their dates have been established through radiocarbon dating. The language of these inscriptions is North Indian Prakrit (Middle Indic), an Indo-Aryan language.

Most examples of Bahmi/Brahmi found in North and Central India represent the Pali and Prakrit language. The Ashokan Inscriptions already show some slight regional variations on the Brahmi script. In South India, particularly in Tamil-Nadu, Brahmi inscriptions represent Tamil, a language belonging to the Dravidian language family, with no linguistic affiliation to the Indo-Aryan languages such as or Prakrit and Sanskrit.

Some Tamil examples come from inscribed potsherds found at Uraiyur (South India) dating to the 1st century BCE or the 1st century CE. In Arikamedu (South India) there is also evidence of an early form of Tamil in Brahmi inscriptions, dated to the early centuries CE. At this stage, different Brahmi characters specially adapted to suit Tamil phonetic were already in use. Examples of Tamil have not been identified among the earliest securely dated examples of Brahmi found at Anuradhapura in Sri Lanka, where the language represented isPrakrit.

By the 2nd century BCE, the Dhamma/Bahmi script becomes more widespread, and we can also detect the rise of marked regional variations.

The earliest identifiable use of Bahmi script found on ceramic surfaces was to indicate ownership of the item. Towards the mid-3rd century BCE, we see the first example of Bahmi being used for official communication in the production of seals and on the Ashokan Inscriptions. A few centuries later, Bahmi begins to be employed in religious contexts, both in architecture and for the transmission of religious texts.

Scripts Derived FromDhamma/Bahmi/Brahmi Script: During its long history of development, there has been a large number of scripts derived from Bahmi/Brahmi. Many of the scripts derived from Bahmi/Brahmi have been adapted to suit the phonetic of several different languages, deriving in many script variations. The origin of numerous writing systems currently in use across Asia including theGurmukhi, Kanarese, Sinhalese, Telugu, Thai, Tibetan, Javanese, Nagari Script- Sanskrit language; Hindi language and Bengali script and several others can be traced back to theDhamma/Bahmi/Brahmi script.

References:-

1. Wheeler, M. *The Indus Civilization* 3rd edn 101 (Cambridge Univ. Press, 1968).
2. Fairservis, W. A. *Sci. Am.* 248, 58–66 (1983).
3. Parpola, A. et al. (eds) *Corpus of Indus Seals and Inscriptions* Vols 1–3.1 (SuomalainenTiedeakatemia, 1987, 1991, 2010).
4. Rao, S. R. *The Decipherment of the Indus Script* (Asia Publishing, 1982).
5. Parpola, A. *Deciphering the Indus Script* (Cambridge Univ. Press, 1994).
6. Wells, B. K. *The Archaeology and Epigraphy of Indus Writing* (Archaeopress, 2015).
7. Farmer, S., Sproat, R. & Witzel, M. *Electron. J. Vedic Stud.* 11, 19–57 (2004); available at http:// go.nature.com/vasrw5
8. Lawler, A. *Science* 306, 2026–2029 (2004).
9. Rao, R. P. N. et al. *Science* 324, 1165 (2009).
10. Sproat, R. *Language* 90, 457–481 (2014).
11. Andrew Robinson, Lost Languages: The Enigma of the World's Undeciphered Scripts and, most recently, The Indus: Lost Civilizations.
12. CristianViolatti. https://www.worldhistory.org/ Brahmi_Script/
13. 'Cracking the Indus script' .A. Robinson (Nature 526, 499–501; 2015)
14. Allchin, F. *The Archaeology of Early Historic South Asia.* Cambridge University Press, 1995.
15. Chakrabarti, D. *The Oxford Companion to Indian Archaeology.* Oxford University Press, 2006.
16. Coulmas, F. *Blackwell Encyclopedia of Writing Systems by Florian Coulmas.* Wiley-Blackwell, 2006.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XL

राजस्थान विधानसभा चुनाव 2018 में राजनीतिक दलों की विजय क्षेत्रो के प्रादेशिक स्वरूप का विश्लेषण

डॉ. राजकुमार चतुर्वेदी*

* एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय महाविद्यालय, मांडलगढ़ (राज.) भारत

प्रस्तावना – राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से मरु , मेरु एवं माल के नाम से प्रसिद्ध है। अर्थात यहां 61 प्रतिशत क्षेत्र में मरुस्थल फैला हुआ है, लगभग 9% क्षेत्र में अरावली पर्वत फैला हुआ है, तथा 30प्रतिशत क्षेत्र में मैदान फैला हुआ है। इस विविधता युक्त प्रादेशिक स्वरूप वाले राजस्थान प्रदेश में 2018 विधानसभा चुनाव मैं राजनीतिक दलों ने जिन निर्वाचन क्षेत्रों में विजय प्राप्त करी उनका प्रादेशिक स्वरूप इस शोध पत्र में बताया गया है।इस चुनाव में200 विधान सभा क्षेत्रो मे से199 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों मे चुनाव हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल ने 39. 30 प्रतिशत मत प्राप्त किए तथा 99 विधानसभा क्षेत्रों में विजय प्राप्त की। भाजपा ने 38.77 प्रतिशत मत प्राप्त कर 73 विधानसभा क्षेत्रो पर विजय प्राप्त करी। अन्य राजनीतिक दलों में बसपा ने 4 प्रतिशत मत प्राप्त कर 6 विधानसभा क्षेत्रो में, सीपीआईएम ने 2, बीटीपी 2, आरएलडी 1 तथा निर्दलीयों ने 9 .5प्रतिशत मत प्राप्त करके 13 निर्वाचन क्षेत्रों में विजय प्राप्त करी है। कांग्रेस दल एवं भाजपा में 0.53प्रतिशत मत का अन्तर था। इस अन्तर मे कांग्रेस पार्टी ने 26 निर्वाचन क्षेत्रों मे अधिक विजय प्राप्त की। तथा राजस्थान में सरकार बनाने में सफल रही।

शोध उद्देश्य– इस शोध पत्र में राजस्थान विधानसभा निर्वाचन 2018 में भीम राजनीतिक दलों ने विजय प्राप्त की है उस विजय का प्रादेशिक क्षेत्रों के अनुसार उसका विश्लेषण किया है। यह विजय कितने मतों के अंतर से हुई है । उसका भी प्रदेश अनुसार दिग्दर्शन किया गया है।

विधितंत्र एवं शोध सामग्री – इस शोध कार्य में मत उपलब्धि को प्रतिशत विधि में परिवर्तित कर विजय के अंतर को निकाला गया है। विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं यथा राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, एवं चुनाव आयोग की वेबसाइट से आंकड़ों का संकलन कर इस शोध पत्र में समायोजन किया गया है।

राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों मे राजनीतिक दलों की विजय – राजस्थान में भौगोलिक 6 प्रदेश है ।

उत्तरी नेहरी प्रदेश – इन प्रदेशों में उत्तरी नेहरी प्रदेश मे कुल 11 निर्वाचन क्षेत्र हैं। जिनमें भाजपा को 5 तथा कांग्रेस दल को 4 निर्वाचन क्षेत्रों में विजय प्राप्त हुई। तथा दो निर्वाचन क्षेत्रों मे से गंगानगर में निर्दलीय उम्मीदवार एवं भादरा में सीपी एम का उम्मीदवार जीता था।

मरुस्थलीय प्रदेश में विजय – यह राजस्थान के सुदूर पश्चिमी बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर तथा पश्चिमी जोधपुर के तीन क्षेत्रों में फैला हुआ है। इस क्षेत्र में 19 निर्वाचन क्षेत्र हैं। उनमें से पांच निर्वाचन क्षेत्रों में भाजपा, 13 निर्वाचन क्षेत्रों में कांग्रेस आई एवं एक निर्वाचन क्षेत्र में सीपीआई उम्मीदवार को विजय प्राप्त हुई थी।

अर्ध मरुस्थलीय प्रदेश में विजय – राजस्थान का यह प्रदेश झुंझुनू ,सीकर, चूरू ,नागौर ,पूर्वी जोधपुर, पाली, जालौर एवं सिरोही क्षेत्र में फैला है। इस प्रदेश को उत्तर में शेखावटी एवं नागौरी उच्च भूमि के नाम से तथा दक्षिण में लूणी के बांगड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। इस प्रदेश में भाजपा को 17 निर्वाचन क्षेत्रों में ,कांग्रेस दल को 27 निर्वाचन क्षेत्रों में, तथा नवसृजित दल आरएलटी को 3, बसपा को 1 तथा तीन स्थानों निर्दलीयों को विजय प्राप्त हुई थी।

अरावली प्रदेश में विजय – यह प्रदेश विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला वाला क्षेत्र है। इस प्रदेश का विस्तार मुख्य रूप से उदयपुर डूंगरपुर एवं राजसमंद जिले में है। सिरोही जिले के पिंडवाड़ा आबू निर्वाचन क्षेत्र को भी इसमें सम्मिलित किया जाता है। भाजपा को 10 निर्वाचन क्षेत्रों में, कांग्रेस दल को पांच निर्वाचन क्षेत्रों में, कथा दो निर्वाचन क्षेत्रों में यहां भारतीय ट्राइबल पार्टी विजय रही है।

उत्तरी पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश में विजय – राजस्थान का यह भाग यमुना का बांगड़ एवं बनास नदी का मैदान है। इस प्रदेश में अजमेर, अलवर, जयपुर, दोसा, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर,करौली, टोक एवं भीलवाड़ा है।इस प्रदेश में 73 निर्वाचन क्षेत्र है। यह प्रदेश राजस्थान की राजनीति को प्रभावित करता है। इसको राजस्थान का हार्टलैंड अर्थात आधार क्षेत्र भी माना जाता है। जो दल इस क्षेत्र में अधिक निर्वाचन क्षेत्र में जीतता है। सामान्यतया वही राज्य की राजनीति में सरकार बनाकर अपनी भूमिका अदा करता है। इस क्षेत्र में भाजपा ने 20 ,कांग्रेस दल ने 39 तथा अन्य दलों में बसपा ने 5, निर्दलीय ने 8, आरएलडी 1 निर्वाचन क्षेत्र में विजय प्राप्त करी है।

दक्षिणी पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश में विजय – इस प्रदेश में राजस्थान 29 निर्वाचन क्षेत्र है । यह दक्षिणी पूर्वी प्रदेश है। यह निर्वाचन क्षेत्र चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, बूंदी, कोटा ,बारा एवं झालावाड़ जिले में स्थित है ।इस क्षेत्र में भाजपा ने 16, कांग्रेस ने 12 तथा एक निर्दलीय व्यक्ति बांसवाड़ा में जीता है।

कुल मिलाकर 3 प्रदेशों में जिनमें नारी प्रदेश अरावली प्रदेश एवं दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश में भाजपा नए अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में विजय प्राप्त करें तथा तीन तीन प्रदेश जिनमें मरुस्थली प्रदेश अर्ध मरुस्थलीय प्रदेश एवं उत्तरी पूर्वी कृषि मैदानी प्रदेश में कांग्रेस दल ने अपनी भूमि का प्रभावी रूप

से निर्वहन करें जिससे वह राजस्थान में सरकार बनाने में अग्रसर हो सकी।

राजस्थान के प्रदेश अनुसार राजनीतिक दलों को प्राप्त विजय का मत प्रतिशत अंतर

नहरी प्रदेश– इस प्रदेश में कुल 11 निर्वाचन क्षेत्र हैं। इन निर्वाचन क्षेत्रों में से भाजपा को पांच निर्वाचन क्षेत्रों में 19.36 प्रतिशत औसत मत अंतर से विजय प्राप्त हुई। भाजपा को इन निर्वाचन क्षेत्रो में अनूपगढ़ मे 26. 6 प्रतिशत, रायसिंहनगर 43 .75 प्रतिशत ,सूरतगढ़ 14 .8 2 प्रतिशत पीलीबंगा . 0 6 प्रतिशत, संगरिया 6.5 प्रतिशत विजय मिली है ।कांग्रेस को 4 निर्वाचन क्षेत्रो में 17 . 75 प्रतिशत औसत मत अन्तर से विजय मिली। करणपुर मे 38 .35 प्रतिशत,सादुलशहर मे 13 .21प्रतिशत, हनुमानगढ़ मे 13.85, नोहर मे 16.62 प्रतिशत से विजय प्राप्त हुई। तथा गंगानगर में निर्दलीय व भादरा मे सीपीएम उम्मीदवार विजय हुए थे।

मरुस्थलीय प्रदेश – राजस्थान के किस प्रदेश में 19 निर्वाचन क्षेत्र है। भाजपा को 10 . 15 औसत मत प्रतिशत से पांच निर्वाचन क्षेत्रों में विजय मिली । जिनमें सिवाना में 1.8 8प्रतिशत से, बीकानेर पश्चिम में 9.64 प्रतिशतसे, लूणकरणसर में 14 .90 प्रतिशत से ,नोखा 9. 96 प्रतिशत से, तथा फलौदी में 14.3 8 प्रतिशतसे विजय मिली थी। वहीं कांग्रेस दल को 18.81 औसत मत प्रतिशत से 13 निर्वाचन क्षेत्र में विजय प्राप्त हुई। कांग्रेस दल के ये निर्वाचन क्षेत्र जैसलमेर में 29 .95, पोकरण में 1 .05, बाड़मेर में 33 .06, बयुत में 23.92 ,चौहटन मे 5.0, गुडामालानी 14 .51, पचपदरा में 3.45, शिव में 17.92, बीकानेर पश्चिम में 8 .23, खाजूवाला मे 37.45,कोलायत में 12 . 3 1, ओसियां 32.99 , शेरगढ़ में 24.71 मतों के अन्तर से विजय प्राप्त करी। इस क्षेत्र में डूंगरगढ़ में निर्दलीय उम्मीदवार ने 33.01 मत प्रतिशत से विजय प्राप्त करी थी।

अर्ध मरुस्थल क्षेत्र – इस क्षेत्र कुल 51 निर्वाचन क्षेत्र है।इन मे से भाजपा ने 17 विधानसभा क्षेत्रों में औसत 17.5 8 मत प्रतिशत से विजय प्राप्त करी। वहीं कांग्रेस दल ने 27 निर्वाचन क्षेत्रों में औसत 20.30 मत प्रतिशतअन्तर से विजय प्राप्त करी। भाजपा को सूरसागर में 6. 63, मंडवा में 2.91 ,सूरजगढ़ में 4 . 28, चूरू में 2.11, रतनगढ़ में 16.68, मकराना में 1.69 ,नागौर में 15.07, बाली में 29 .28 ,जैतारण में 18 . 57, पाली में 25 . 6 7 ,सोजत में 40. 16, सुमेरपुर में 34 .08 रेवदर में 16 .6 3 ,आहोर में 21.42,भीनमाल में 22 . 22 ,जालौर में 27 .5 तथा रानीवाड़ा में 3 . 8 मत प्रतिशत अंतर से विजय प्राप्त हुई थी।

कांग्रेस दल को अर्ध मरुस्थलीय प्रदेश में 27 निर्वाचन में विजय प्राप्त हुई। इन निर्वाचन क्षेत्रो में से बिलाड़ा में 12.71 ,जोधपुर में 9.11 ,लोहावट में 38 .53 ,लूणी में 10 . 77, सरदारपुरा में 16 . 96 ,झुंझुनू में 53 . 25, खेतड़ी में 1 . 6 7 ,नवलगढ़ में 45.8 7, पिलानी में 12.98, सादुलपुर में 15 . 8 2 ,सरदार शहर में 17 . 64 ,सुजानगढ़ में 46. 3 3, तारानगर में 12.03, दातारामगढ़ में 1.41 ,धोद में 18.67, फतेहपुर में 1.07, लक्ष्मणगढ़ में 22 . 45, नीमकाथाना में 19.03, सीकर में 18.8 ,श्रीमाधोपुर में 12.97, डीडवाना में 43. 6 6 ,डेगाना में 28 .57 ,जायल में 27 . 19 ,लाडनूं में 19 .9 नावा में 3.12, परबतसर में 19.4 1, तथा सांचौर में 30. 60 मत प्रतिशत अंतर से विजय प्राप्त हुई थी।

इस प्रदेश में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को भोपालगढ़ में 7. 25, खींवसर में 20 .3 9, मेड़ता में 22. 25 मतों से विजय मिली थी ।उदयपुरवाटी, खंडेला मारवाड़ जंक्शन तथा सिरोही में निर्दलीय उम्मीदवारों की विजय हुई थी।

उत्तरी पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश – राजस्थान का यह प्रदेश 10 जिलों में फैला हुआ है इस प्रदेश में कुल 73 निर्वाचन क्षेत्र आते हैं। इन निर्वाचन क्षेत्रों में से भाजपा ने 20 निर्वाचनक्षेत्रो मे औसत 19 .37 मत प्रतिशत अंतर से तथा कांग्रेस दल ने 39 निर्वाचन क्षेत्रों में औसत 33.35 मत प्रतिशत अंतर से विजय प्राप्त करी थी।

भाजपा को इस प्रदेश में अजमेर में 12 . 74 ,अजमेर दक्षिण में 8 . 25 ब्यावर में 6 . 4 3, नसीराबादमे 16 . 6 पुष्कर में 11 .06 ,आरसींदमे 0. 21 भीलवाड़ा में 53 . 19, जहाजपुर में 13 .95, मांडलगढ़ में 15. 08, शाहपुरा में 73 . 40 ,अलवर नगर में 25 . 8 7 ,मुंडावर में 24 . 4 ,धौलपुर में 30 . 5 6, आदर्श नगर जयपुर में 14 . 17 ,बगरू में 5 . 52, चाकसू में 4 . 90, सिविल लाइंस में 20 .5 5, आमेर में 14 . 25 ,चाकसू में 0 . 83, मालवीय नगर में 2. 42 ,फुलेरा में 1. 5 3, सांगानेर में 32 .7 9, विद्याधर नगर में 32 .6 6 ,मालपुरा में 31. 94 मत प्रतिशत से विजय प्राप्त हुई थी। कांग्रेश दल को केकड़ी में 20 . 31, मसूदा में 3 . 92 ,अलवर ग्रामीण में 30 .07, बानसूर में 29 .2, कठूमर में 26.1, राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ में 36.55 , रामगढ़ 14 . 6 7, मांडल 13. 5, सहारा 10 .70, बांदीकुई 8 .44, दौसा मे 51. 4 6 ,लालसोट 10 . 27, सिकराय 35 . 02 ,बयाना 7. 6,दीग मे 11.0,कामा 35 .7, वैर मे 19.4 1, बाड़ी 24 . 69 बसेरि में 32 .3 3, राजाखेड़ा में 24 . 4 6 ,आदर्श नगर में 14 ,7 बगरू में 5 . 5, चाकसू में 4.9, सिविल लाइन में 20.55, हवामहल में 10. 8 5, जामवाल रामगढ़ में 24.31, झोटवाड़ा का 8 . 4 4 किशनपोल में 12.3 1, कोटपुतली में 24 .92, विराटनगर में 32 . 68, हिंडौन में 25 . 57, सपोटरा में 18 . 4 6, टोडाभीम में 68 . 7, बामनवास में 52 . 28, खंडार में 31.39 सवाई माधोपुर में 29 . 4 1 ,देवली उनियारा में 24 . 4 7, निवाई में 46 . 4 9 ,टॉक में 52 .4 3 मत अंतर से कांग्रेस दल को विजय प्राप्त हुई थी।

उत्तरी पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश में निर्दलीयों को किशनगढ़, बहरोड, थानागाजी, महुआ, दूदू ,बस्सी, शाहपुरा एवं गंगापुर सिटी में विजय प्राप्त हुई थी।

उत्तरी पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश में निर्दलीयों को किशनगढ़, बहरोड, थानागाजी, महुआ, दूदू ,बस्सी, शाहपुरा एवं गंगापुर सिटी में विजय प्राप्त हुई थी। तथा बीएसपी पार्टी को किशनगढ़ बास ,तिजारा ,नदबई ,नगर व करौली निर्वाचन क्षेत्र में विजय प्राप्त हुई ।आरएलडी पार्टी को भरतपुर में विजय प्राप्त हुई थी।

अरावली प्रदेश – राजस्थान के किस प्रदेश में अरावली श्रृंखला फैली हुई है इस क्षेत्र में कुल 17 निर्वाचन क्षेत्र हैं। जिनमें से भाजपा ने 20 . 62 मत प्रतिशत के अंतर से 10 निर्वाचन क्षेत्रों में विजय प्राप्त करी।कांग्रेस दल ने पहाडी क्षेत्र में 5 निर्वाचन क्षेत्रों में 19. 06 ओसत्मर अन्तर से प्रदेश से विजय प्राप्त करी थी। इस क्षेत्र में बीटीपी पार्टी को दो निर्वाचन क्षेत्र चौरासी एवं सागवाड़ा में विजय प्राप्त हुई थी। भाजपा को पिंडवाड़ा आबू में 38.73 ,गोगुंदा में 5.34 ,झाडोल में 14 .79 ,मावली में 27.8 5, सलूंबर में 25. 05 ,उदयपुर में 12.5 उदयपुर ग्रामीण में 19.5 कुंभलगढ़ में 26 . 04, राजसमंद में 27 . 44 तथा,आसपुर में 9 . 3 4 मत प्रतिशत अंतर से विजय प्राप्त हुई थी ।कांग्रेस दल को खेरवाड़ा में 26 . 75, वल्लभनगर में 5.60 ,भीम में 7 . 5, नाथद्वारा में 1.19 16 डूंगरपुर में 36 .9 8, विजय प्राप्त हुई थी। भारतीय ट्राइबल पार्टी को औसत 13. 9 7 मत प्रतिशत से 2 क्षेत्रों में

विजय प्राप्त हुई थी।

दक्षिणी पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश– यह राजस्थान का दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी प्रदेश है।इस प्रदेश में कुल 29 निर्वाचन क्षेत्र हैं। यह 7 जिलों मे फैला हुए हैं। इस प्रदेश कोटा, बूंदी बारां झालावाड़ चित्तौड़ प्रतापगढ़ ,एवं बांसवाड़ा, जिलों में विस्तृत है। इस प्रदेश में भाजपा ने 16 निर्वाचन क्षेत्रों में 14 . 3 औसत मत अंतर से विजय प्राप्त करी थी।कांग्रेस दल को 12 निर्वाचन क्षेत्रों में औसत 14 . 6 मत अंतर से विजय प्राप्त हुई थी।भाजपा को घड़ी में 24 .5 6 ,घाटोल में 4 .3 छबड़ा में 4.69, बूंदी में 0.5, केशोरायपाटन में 9 . 80,बड़ीसादड़ी में 9 . 07, चित्तौड़ में 22 .42, कपासन में 8 . 5 9 ,डग 18. 82 झालरापाटन में 30. 02 खानपुर में 2 . 63, मनोहर थाना में 19 . 84 ,कोटा दक्षिण में 9 . 80 ,लाडपुरा में 20 . 6 4, रामगंजमंडी में 14. 18 धरियावद मे, 24 . 7 1 मत अंतर से विजय प्राप्त करी थी।

कांग्रेस दल को बागीदौरा में 21 . 8 , बांसवाड़ा में 20.76 ,अंत में 35 .05 , बारा अतरमें 14. 8, किशनगंज में 16.10 ,कोटा में उत्तर 18 . 94, पीपल्दा मे 20. 50 ,सांगोदमे 2 . 5 1 प्रतापगढ़ मे16 .57 हिंडोली मे 22 . 77 ,बेगू में 1 . 6 7, निंबाहेड़ा में 10 .82 मत प्रतिशत सेअन्तर से विजय प्राप्त हुई ।एक निर्दलीय उम्मीदवार कुशलगढ़ में विजय रहा था।

प्रदेशानुसार विजय का संक्षिप्त विश्लेषण

1. राजस्थान के 2018 में संपन्न विधानसभा चुनाव में भाजपा को 73 निर्वाचन क्षेत्र में विजय प्राप्त हुई थी नहरी प्रदेश ,अरावली पहाडी प्रदेश, एवं दक्षिणी पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश में यह दल प्रभावी था। भरतीय रास्ट्रीयकांग्रेस पार्टी को मरुस्थली प्रदेश, अर्ध मरुस्थली प्रदेश तथा उत्तरी पूर्वी कृषि औद्योगिक मैदानी प्रदेश में प्रभावी जीत मिली थी। कांग्रेस दल ने 99 निर्वाचन क्षेत्र में विजय प्राप्त कर तथा 27 निर्दलीयों का समर्थन प्राप्त कर सरकार बनाई ।
2. सिंचित प्रदेशों में यथा उत्तरी गंगानगर हनुमानगढ़ तथा दक्षिणी चित्तौड़ भीलवाड़ा कोटा झालावाड़ जिलों में भाजपा प्रभावी रही थी।
3. भाजपा को सीकर ,जैसलमेर, भरतपुर ,दोसा ,सवाई माधोपुर व करौली जिलों के निर्वाचन 30 निर्वाचन क्षेत्रो मे से एक भी निर्वाचन क्षेत्र में विजय प्राप्त नहीं हुई थी।
4. उत्तरी पूर्वी मैदानी प्रदेश के अलवर भरतपुर धौलपुर सवाई माधोपुर करौली एवं दोसा जिले की 35 निर्वाचन क्षेत्रों में केवल तीन निर्वाचन क्षेत्रों में भाजपा विजय प्राप्त कर चुकी थी।
5. इस चुनाव में उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में मतदाताओं ने श्री सचिन पायलट के मुख्यमंत्री बनने की पसंद गी में कांग्रेस दल को अधिकाधिक मत प्रदान किए थे। उपरोक्त तथ्य कि जानकारी मिडिया द्वारा प्रकाशित तत्यो पर आधारित है ।
6. राजस्थान प्रदेश के उत्तरी पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश में कुल तैयार कर निर्वाचन क्षेत्रों में जिस दल की प्रभावी जीत होती है वह दल राजस्थान में अपनी सरकार बनाता है इसी परिपेक्ष में कांग्रेस को इस क्षेत्र ने आशा थी समर्थन किया इस कारण से कांग्रेस दल प्रभावी रहा था।
7. नगरीय निर्वाचन क्षेत्रों में जो जिला केंद्र हैं एवं जिस नगर की आबादी लगभग एक लाख है। वहां पर भाजपाकी जीत कांग्रेस की तुलना में अधिक (–26 निर्वाचनो मे) रही है।कांग्रेस दल को नगरीय निर्वाचनो क्षेत्रों में 20 निर्वाचन क्षेत्रों में ही विजय प्राप्त हुई थी।
8. अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित 34 निर्वाचन क्षेत्रों में से कांग्रेस दल ने 18 तथा भाजपा ने 12 निर्वाचन क्षेत्रों में विजय प्राप्त करी थी।
9. जनजाति हेतु आरक्षित 25 निर्वाचन क्षेत्रों में से कांग्रेस दल ने 12निर्वचन क्षेत्रो में भाजपा ने 9 निर्वाचन क्षेत्रो मे तथा बीपीटी ने दो निर्वाचन क्षेत्रों में विजय प्राप्त करी थी।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. भारत निर्वाचन आयोग, विधानसभा चुनाव के रुझान और परिणाम दिसंबर– 2018
2. गुप्ता, आर.डी., 1986, राजस्थान राज्य विधानसभा चुनाव: भौगोलिक वोटिंग व्यवहार का विश्लेषण (1967–1980), अप्रकाशित पीएच.डी. थीसिस, जयपुर, राजस्थान विश्वविद्यालय
3. शर्मा, के., 1991, राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस–प्रू वोटिंग व्यवहार के स्थानिक पैटर्न का एक केस अध्ययन (1977–1980–1985), अप्रकाशित पीएच.डी. थीसिस, जयपुर, राजस्थान विश्वविद्यालय
4. आनंद, संतोष, 1989, जनजाति क्षेत्र में पंचायत चुनाव परिणामों का भोगोलिक विशेषण (1977–1982–1986): सज्जनगढ़ पंचायत समिति का विशिष्ट अध्ययन, Annals of the Rajasthan Association, Vol-9
5. शर्मा, राजमल, 1989, राजस्थान के विधानसभा चुनावों में भाजपा की मत उपलब्धि मतदान व्यवहार का भौगोलिक विश्लेषण (1980–1985–1990), Annals of the Rajasthan Association, Vol-9
6. बडोला, सुमन, 1989, पंचायत चुनाव में जनजातीय नेतृत्व का निर्वाचन भौगोलिक विश्लेषण: प्रतापगढ़ पंचायत समीतु का विशिष्ट अध्ययन(1977–1982–1987) Annals of the Rajasthan Association, Vol-9
7. चतुर्वेदी, राजकुमार एंड सारस्वत, प्रज्ञा, 2006, राजस्थान विधानसभा निर्वचनो में राजनितिक दलों की मत उपलब्धि का भोगोलिक विवेचन (1996–2003), Geographical Aspects, Vol-9, 175-176

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XL

वित्तीय समावेशन में स्व-सहायता समूहों की भूमिका

कमलेन्द्र कुमार सिंह*

* शोधाथी(अर्थशास्त्र) अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – वित्तीय समावेशन भारत में 'समावेशी विकास' के लिये नीतिगत प्राथमिकता बन गया है। वित्तीय समावेशन समावेशी विकास को बढ़ाने के साथ-साथ गरीबी को भी कम कर सकता है। वित्तीय समावेशन ऐसी स्थिति को संदर्भित करता है जहां सामान्य रुप से लोगों के पास बुनियादी औपचारिक बैंकिंग/वित्तीय प्रथायें होती हैं। इसके विपरीत आमतौर पर जिन लोगों में ऐसी कोई बुनियादी आदत नही होती है, उन्हे बुनियादी रुप से बाहर रखा जाता है।

सिंगरौली मध्य प्रदेश का आदिवासी बहुल जिला है जिसकी अधिकांश जनसंख्या आज भी औपचारिक बैंकिंग प्रणाली के दायरे से बाहर है। 82.4-86.8 प्रतिशत की बहिष्करण की दर के साथ मध्य प्रदेश का यह जिला SHG बैंक लिकेज कार्यक्रम द्वारा बुनियादी वित्तीय सेवाओं को आम लोगों तक पहुंचाने के प्रभावी साधन के रुप में उभरा है। इस कार्यक्रम से वंचितों को बैंकिंग सेवायें प्रदान करने में मदद मिली है। यह शोध प्रतिवेदन लोगों के वित्तीय समावेशन पर स्वयं सहायता समूहों के प्रभाव की जांच करता है। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के 180 उत्तरदाताओं (90 प्रतिभागी और 90 गैर प्रतिभागी) को अध्ययन के उद्देश्य के लिये चुना गया और समग्र परिणामों से पता चला कि SHG बैंक लिकेज कार्यक्रम से गैर प्रतिभागी परिवारों की तुलना में SHG परिवारों के बीच वित्तीय समावेशन की मात्रा में वृद्धि हुई है।

शब्द कुंजी – वित्तीय समावेशन, वित्तीय बहिष्कार, समावेशी विकास, माइक्रो फाईनेंस,स्वयं सहायता समूह।

प्रस्तावना – मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल विकासशील क्षेत्रों के लिये वित्तीय समावेशन अनिवार्य है। वित्त तक वंचित वर्ग की पहुंच उन्हे आर्थिक रुप से सशक्त बनायेगी। बैंक खाता रखने, बचत करने, निवेश करने, अपने घरों का बीमा कराने, फसलों का बीमा कराने, क्रेडिट लेने आदि ऐसी आदतें हैं जो उन्हे गरीबी का कुचक्र तोड़कर बाहर निकलने में मदद करेंगी। (वित्तीय समावेशन समिति-2008) वित्तीय विकास एवं वित्तीय सेवाओं तक पहुंच न केवल आर्थिक विकास में तेजी लाने में मदद करता है बल्कि आय असमानता एवं गरीबी को भी कम करता है। यह एक यथार्थ सत्य है कि गरीब व्यक्तियों का दुनिया में अभी भी स्थायी वित्तीय सेवाओं तक पहुंच का अभाव है चाहे वह बचत, ऋण या बीमा हो। (संयुक्त राष्ट्र-2006) बैंकिग क्षेत्र में प्रभावशाली वृद्धि विशाल क्षेत्र को शामिल करने में असमर्थ है। इस प्रकार एक समावेशी वित्तीय प्रणाली का निर्माण करना वैश्विक महत्व बन जाता है।

वित्तीय समावेशन का तात्पर्य बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं के विशाल समाज के वंचित एवं निम्न आय वर्ग के लोगों के वहन करने योग्य कीमत पर, समय पर वितरण से है। इसमें विभिन्न वित्तीय सेवायें यथा-क्रेडिट, बचत, बीमा, भुगतान और प्रेषण की सुविधायें शामिल हैं। हालांकि वित्तीय समावेशन में अन्य सेवायें भी शामिल हैं परन्तु भारत में वित्तीय समावेशन में क्रेडिट को प्रमुख महत्व दिया गया है। (TOI- 2008) ऐसा इसलिये क्योंकि आबादी के वंचित वर्ग संसाधन विहीन हैं और उन्हे सस्ती कीमत पर औपचारिक ऋण लेने की जरुरत है जो उन्हे संसाधन उत्पन्न करने में मदद करता है।

वित्तीय बहिष्कार (Financial exclusion) ग्रामीण क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है। बड़ी संख्या में छोटे और सीमांत किसानों, खेतिहर मजदूरों और ग्रामीण कारीगरों को अभी भी व्यापक वित्तीय सेवाओं के दायरे से बाहर रखा गया है। NSS सर्वेक्षण डाटा (59वें दौर) से पता चलता है कि 51.4 प्रतिशत किसान परिवार हैं जिन्हे औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनो स्त्रोतों से आर्थिक रुप से बाहर रखा गया। कुल किसान परिवारों में से केवल 27 प्रतिशत के पास ऋण के औपचारिक स्त्रोतों तक पहुंच है और इनमें से एक तिहाई समूहों ने अनौपचारिक स्त्रोंतों से उधार लिया है। कुल मिलाकर 73 प्रतिशत कृषक परिवारों की औपचारिक साख के स्त्रोंतो तक पहुंच नही है। इन वंचित वर्गों को वित्तीय समावेशन द्वारा शामिल करने पर गरीबी में कमी आ सकती है।

To mesure financial inclusion & exclusion- वित्तीय सेंवाओं या वित्तीय आउटरीच समावेशन को मापता है कि वचत ऋण सहित कितने लोगों की वित्तीय सेवाओं तक पहुंच है। वर्तमान युग में वित्तीय समावेशन के महत्व को विकसित एवं विकासशील देशों में व्यापक रुप से स्वीकार किया जाता है। आज के समय भी वास्तविकता यह है कि समग्र स्तर के साथ-साथ व्यक्तिगत स्तर पर वित्तीय समावेशन (बहिष्करण) का कोई व्यापक रुप से स्वीकृत उपाय नही है। समग्र स्तर पर सामान्य माप बचत बैंक खाता रखने बाकी व्यस्क आबादी का प्रतिशत या प्रति हजार जनसंख्या पर बैंक शाखाओं की संख्या है। भारत में व्यक्तिगत स्तर पर वित्तीय समावेशन का फोकस एक बचत बैंक खाते तक न्यूनतम पहुंच सुनिश्चित करने तक ही सीमित है। हालांकि एक चालू बचत खाता होना अपने आप में वित्तीय समावेशन का एक सटीक संकेतक नही माना जा सकता है। एक बैंक खाते को गरीब परिवारों को महत्वपूर्ण वित्तीय कार्य करने में सक्षम बनाना चाहिये जैसे कि घर के बाहर सुरक्षित रुप से धन की बचत करना, ऋण प्राप्त करना, ऋण या प्रीमियम भुगतान करना और धन हस्तातंरित करना। (मोहन-

2006) यह अध्ययन वित्तीय समावेशन के संकेतक के रुप में बचत, ऋण, लेन-देन, बैंकिंग और बीमा तक व्यक्तियों की पहुंच को ध्यान में रखता है।

अध्ययन का महत्व- भारत में विकास योजनाकारों और नीति निर्माताओं द्वारा वित्तीय समावेशन के स्तर को रणनीतिक महत्व के साथ देखा गया है। आर्थिक विद्वानो ने वित्तीय समावेशन के स्तर का आकलन करने के लिये एक संकेतक के रुप में वित्तीय समावेशन सूचकांक का अनुमान लगाने के लिये समग्र स्तर पर अध्ययन करने का प्रयास किया गया है। यह अध्ययन प्राथमिक स्तर के आकलन के लिये व्यक्तिगत घरेलू स्तर पर वित्त की पहुंच और उपयोग के आकलन की आवश्यकता होती है। यह शोध स्व सहायता समूह के वित्त द्वारा होने वाली वित्तीय समावेशन का अध्ययन करता है।

साहित्य की समीक्षा

1. शर्मा. एन (2008), क्रास कंट्री इम्पीरिकल स्टडी- के माध्यम से जांच की गई और पाया गया कि वित्तीय समावेशन तथा विकास के बीच घनिष्ठ संबंध है। वित्तीय समावेशन और विभिन्न सामाजिक-आर्थिक चरों जैसे-आय असमानता, साक्षरता एवं भौतिक बुनियादी ढांचे के मध्य संबंध पाया गया।
2. सांगवान, एस.एस. (2008), ने वित्तीय समावेशन के सीमा की ओर स्वयं सहायता समूहों की भूमिका का अध्ययन किया।
3. साहू,बी.बी. (2009), ने वित्तीय समावेशन की प्रगति और इनके विभिन्न निर्धारकों का उपयोग करके वित्तीय समावेशन की जांच के लिये एक सूचकांक विकसित करने का प्रयास किया।

SHG & Financial Inclusion-ग्रामीण बैंक शाखाओं का वृहद नेटवर्क होने के बाद भी भारत में गरीब लोगों, जिनकी आवश्यकतायें बहुत छोटी-छोटी, बार-बार अप्रत्याशित थी तक पहुंचना कठिन पाया गया। समावेशन से पहले औपचारिक वित्तीय प्रणाली में 100 प्रतिशत वित्तीय लक्ष्य हासिल करना एक कठिन चुनौती है। इसलिये ऐसी वैकल्पिक नीतियों की आवश्यकता महसूस की गई जो सिस्टम और प्रक्रियायें, बचत और ऋण उत्पाद, अन्य पूरक सेवायें और नई डिलीवरी तंत्र जो गरीबों की आवश्यकता को पूरा करे परिणामस्वरुप 1992 में नाबार्ड ने स्वयं सहायता समूह बैंक लिकेज कार्यक्रम लांच किया। SHG बैंकिंग एक ऐसा कार्यक्रम है जो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में औपचारिक बैंकिंग प्रणाली के बीच वित्तीय लेन-देन, क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंक और सहकारी बैंक, अनौपचारिक SHG के साथ एक ग्राहक के रुप में बढ़ावा देने मे मदद करता है। SHG एक 10-20 लोगों के छोटे से अनौपचारिक संघ है जो सदस्यों को सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि में मदद करने, एकजुटता एवं संयुक्त जिम्मेदारी से बनाई जाती है। ये अपने सदस्यों को आर्थिक लाभ प्राप्त करने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से बनाई गई हैं। स्वयं सहायता समूह एक सामान्य कोष बनाते हैं और आजीविका को पूरा करने के लिये समूह के नाम पर एक खाता खोलते हैं व आमतौर पर बचत करके शुरुआत करते हैं। सदस्यों को नियमित रुप में छोटी-छोटी बचत के लिये प्रोत्साहित किया जाता है। वे इस संचित संसाधन का उपयोग व्याज वहन प्रदान करने के लिये बाहरी बैंकों के साथ करते हैं। SHG के आधार पर उन्हे ऋण भी आसानी से मिल जाता है। ये बैंकिंग सेवाएं, जमा, बचत, ऋण लेना कम लागत पर उपलब्ध कराये जाते हैं और सर्वसुलभ एवं गरीब लोगों की जरुरतों को पूरा करने के हिसाब से लचीले होते हैं। (क्राप और सूरन-2002)

1992 से SHG बैंक लिकेज कार्यक्रम गरीबों को माईक्रो फाईनेन्स सुविधाओं को बढ़ावा दे रहा है। वंचित वर्ग का समावेशन वित्तीय सुधार सुनिश्चित करने का एक प्रभावी रणनीति माना जाता है। यह समाज के बैंक रहित वंचित वर्ग को वित्तीय सेवाऐं प्रदान करने की सुविधा प्रदान करता है। नाबार्ड के नेतृत्व वाले SHG बैंक लिकेज माडल को व्यापक रुप से सबसे बड़े और सबसे सफल माइक्रो फाईनेन्स माडल के रुप में स्वीकार किया जाता है।

अध्ययन के उद्देश्य- अध्ययन के विशिष्ट उद्देश्य हैं:

1. वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने पर SHG बैंक लिकेज कार्यक्रम के प्रभाव का SHG सदस्य द्वारा बैंको से बचत, उधार और बीमा तक पहुंच तक के संदर्भ में गैर प्रतिभागियों की तुलना में प्रतिभागियों पर अध्ययन।
2. SHG में भागीदारी और वित्तीय समावेशन की डिग्री में संबंध का अध्ययन।

शोध प्रविधि:

1. **अध्ययन क्षेत्र-**सिंगरौली जिले की चितरंगी तहसील अपेक्षाकृत पिछड़ी तहसील है जिसका कुल क्षेत्रफल 1943.96 वर्ग किमी. है। 2011 की जनगणना के अनुसार चितरंगी तहसील की जनसंख्या 3.37 लाख है जिसमें से 44.49 प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जनजाति एवं 10.08 प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जाति (एससी) की है। चितरंगी तहसील की साक्षरता दर 45.38 प्रतिशत है जिसमें पुरुष की साक्षरता दर 53.61 प्रतिशत तथा महिलाओं की साक्षरता दर 36.58 प्रतिशत है। इस तहसील के लोग मुख्य रुप से कृषि और कृषि से संबंधित कार्यो पर निर्भर हैं। इस तहसील में 09 बैंक, 03 कोपरेटीव बैंक एवं एक उप डाकघर है। यहां के लोगों को अक्सर अनौपचारिक वित्त स्त्रोंतो यथा साहूकारों से जो प्रतिवर्ष 120-240 रुपये से अधिक व्याज दर वसूलते हैं पर आकस्मिक वित के लिये निर्भर रहना पड़ता है। यहां की साक्षरता दर कम होने के कारण परम्परागत प्रथायें आज भी यहां विद्यमान हैं। ऐसे में वित्तीय समावेशन एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। सरकारी एजेन्सियों और कई एनजीओ इस चुनौती का सामना करने के लिये स्वयं सहायता को बढ़ावा दिया जा रहा है।

शोध न्यादर्श, विधि एवं उपकरण- बहुस्तरीय उद्देश्यपूर्ण रैण्डम सैम्पलिंग तकनीकि का डाटा संग्रह के लिये उपयोग किया गया है। पहले चरण में सिंगरौली जिले के चितरंगी तहसील को सोद्येश्य रुप से चुना गया है क्योंकि यहां बड़ी संख्या में स्वयं सहायता समूह हैं जिनके द्वारा बैंको से जुड़े लोगों को सरकारी सब्सिडी के साथ क्रेडिट प्रदान किया जाता है। दूसरे चरण में दो गांवों को अध्ययन के लिये सावधानी पूर्वक चुना गया है ताकि SHG कार्यक्रम का उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सके। प्रत्येक गांव से 30 यादृच्छिक रुप से SHG समूह चुने गये। 15 स्वयं सहायता समूह ऐसे थे जो परिपक्व थे अर्थात अपनी स्थापना के 03 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं और कम से कम एक बार बैंक ऋण प्राप्त कर चुके हैं। ऐसे SHGपरिवारों को प्रतिभागी परिवार कहा गया है। 15 ऐसे परिवारों को चुना गया जो इस वर्ष में गठित हुये हैं। ये समूह गैर-प्रतिभागी परिवारों का प्रतिनिधित्व करेंगे और इनके गठन की आयु भी 06 माह से कम है। व्यक्तिगत सदस्य एवं नेता इकाईयां अंतिम नमूना इकाईयां हैं। अंतिम चरण में प्रत्येक समूह से 03 सदस्य लिये गये हैं। 180 इकाईयों वाली कुल सैम्पल साईज को बनाने के लिये यादृच्छिक रुप से 90 SHG प्रतिभागी परिवार एवं 90 SHG गैर प्रतिभागी परिवार को चुना गया है।

प्रदत्तों का विश्लेषण – वित्तीय समावेशन में SHG के प्रभाव का अध्ययन प्रतिभागियों एवं गैर प्रतिभागी परिवारों का तुलना करके किया गया है। इस प्रकार के तुलना के परिणाम तभी भरोसेमंद होंगे जब दो समूह तुलनीय हों। अध्ययन में बचत, ऋण लेन-देन तक व्यक्तियों की पहुंच को ध्यान में रखा गया है। वित्तीय समावेशन की डिग्री को मापने के लिये वित्तीय समावेशन सूचकांक विकसित किया गया। एक व्यक्तिगत परिवार का कुल भार उसके वित्तीय समावेशन डिग्री को दर्शाता है। औपचारिक एवं अनौपचारिक स्त्रोतों से उधार लिये गये मूल्यों की भी अलग-अलग गणना की गई है। प्रतिभागियों एवं गैर प्रतिभागी परिवारों के वित्तीय समावेशन टी-टेस्ट का उपयोग करते हुये कुल उधार में सापेक्ष हिस्सेदारी को डिग्री के संकेतकों में से एक माना गया है। SHG में सदस्यता और वित्तीय समावेशन डिग्री के बीच सहयोग के महत्व के परीक्षण लिये काई वर्ग परीक्षण का उपयोग किया गया है।

सूचकांक 0 और 100 के बीच भिन्न होता है-

मूल्य 100 का तात्पर्य- पूर्ण वित्तीय समावेशन।

मूल्य 0 का तात्पर्य-पूर्ण वित्तीय बहिष्करण।

1-29 के बीच -कम वित्तीय समावेशन।

30-60 के बीच-कम वित्तीय समावेशन।

61-99 के बीच-उच्च स्तरीय वित्तीय समावेशन।

परिणाम – नमूना उत्तरदाताओं की औसत आयु 33.64 वर्ष है। औसत परिवार आकार 5.22 है।

(क) बैंक हस्तांतरण सेवाओं तक पंहुच:

Indicator	Status	Houshold		Total
		N-SHG	M-SHG	
Usage of ATM	Non User	70 (77.8%)	70 (77.8%)	146 (81.1%)
	User	20 (22.2%)	20 (22.2%)	34 (18.9%)
Usage of DD/ CHEQUE	Non User	74 (82.2%)	80 (88.9%)	154 (85.6%)
	User	16 (17.8%)	10 (11.1%)	26 (14.4%)
Total		90 (100.0%)	90 (100.0%)	180 (100.0%)

(ख) उधार तक पंहुच:

Indicator	Status	Houshold		Total
		N-SHG	M-SHG	
Formal Credit in 2011	Non User	83 (92.2%)	74 (82.2%)	157 (87.2%)
	User	7 (7.8%)	16 (17.8%)	23 (12.8%)
Formal Credit in 2012	Non User	84 (93.3%)	51 (56.7%)	135 (75.0%)
	User	6 (6.7%)	39 (43.3%)	45 (25.0%)

(ग) जमा और बीमा तक पंहुच:-

Indicator	Status	Houshold		Total
		N-SHG	M-SHG	
Formal Creditin 2012	Non User	29 (32.2%)	49 (54.4%)	78 (43.3%)
	User	61 (67.8%)	41 (45.6%)	102 (56.7%)
Total		90 (100.0%)	90 (100.0%)	180 (100.0%)

वित्तीय समावेशन सूचकांक – चयनित वित्तीय सेवाओं में शामिल परिवारों का प्रतिशत (तालिका-1) को वित्तीय समावेशन सूचकांक और वित्तीय समावेशन की डिग्री की गणना करने के लिये समेकित किया गया है। तालिका-5 में प्रत्येक घर का समावेश किया गया है। तालिका-5 के दो तरफा वर्गीकरण से पता चलता है गैर प्रतिभागी के मामले में 41 प्रतिशत को औपचारिक स्त्रोंतों से पूरी तरह से बाहर कर दिया गया है जबकि सदस्य प्रतिभागी परिवारों के मामले में केवल 1 प्रतिशत को वित्तीय समावेशन से बाहर हैं। इसलिये यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि SHG बैंक लिकेज कार्यक्रम से प्रतिभागी परिवारों के बीच समावेशन की डिग्री में वृद्धि हुई है।

निष्कर्ष –

Indicator	Status	Houshold		Total
		N-SHG	M-SHG	
SB A/C, RD/ FD In formal Bank	Non User	54 (60.0%)	62 (68.9%)	116 (64.4%)
	User	36 (40.0%)	83 (92.2%)	28 (31.1%)
	Non User	83 (92.2%)	64 (35.6%)	166 (92.2%)
Saving in SHG	Non User	83 (92.2%)	3 (3.3%)	86 (47.8%)
	User	7 (7.8%)	87 (96.7%)	94 (52.2%)
Insurance	Non User	71 (78.9%)	70 (77.8%)	141 (78.3%)
	User	19 (21.1%)	20 (22.2%)	39 (21.7%)
Total		90 (100.0%)	90 (100.0%)	180 (100.0%)

यह देखा गया कि एक SHG सदस्य होने के नाते SHG बैंक लिकेज वाले प्रतिभागियों की विभिन्न वित्तीय सेवाओं तक पहुंच बढ़ी है। एक SHG सदस्य होने से गैर SHG सदस्य की तुलना में वित्तीय समावेशन में सुधार हुआ है। माइक्रो फाईनेन्स की अवधारणा बचत को इकट्ठा करके समूह बनाने के सिद्धान्त पर टिकी हुई है। यह सदस्यों को आंतरिक ऋण प्रदान करने के लिये Revolving Fund के रुप में समूह का समर्थन करती है। यह एक माइक्रो फाइनेन्स प्रदाता यानी एक बैंक जो सब्सिडी प्रदान करने का काम करता है। वे सदस्य जो SHG प्रतिभागी मेम्बर हैं SHG बैंक लिकेज से अधिक औपचारिक ऋण प्राप्त करने में सक्षम थे। हालांकि बैंकिंग सेवाओं की अन्य सेवाओं यथा चेक, डीडी, एटीएम आदि का उपयोग या बीमा शायद ही कभी किया जाता है। वित्तीय सेवा प्रदाताओं द्वारा माईक्रो फाइनेन्स प्रदाताओं की देखभाल की जानी चाहिये क्योंकि व औपचारिक मुख्य धारा की श्रेणी में नही आते। SHG की सदस्यता के साथ वित्तीय समावेशन के स्तर में वृद्धि हुई है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. व्यक्तिगत शोध के आधार पर।

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XL

कृषि पर्यटन ग्रामीण व्यवसाय के नवीन आयाम के रूप में: खोरा श्यामदास (जयपुर) का वैयक्तिक अध्ययन

डॉ. शिवानी स्वर्णकार* विनय कुमार नेकेला**

* सहायक आचार्य, एम.जी. कॉलेज, उदयपुर (राज.) भारत
** शोधार्थी, एम.जी. कॉलेज, उदयपुर (राज.) भारत

शोध सारांश – कृषि पर्यटन ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के नवीन साधन तथा कृषि में नवाचार के माध्यम से अतिरिक्त आय अर्जित करने वाले स्त्रोत के रूप में विकसित एक नवीन अवधारणा है। जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की कृषि गतिविधियों यथा जैविक उत्पाद का क्रय – विक्रय, खेतों को ठहराव स्थल के रूप में विकसित करना तथा उन गतिविधियों के बारे में सीखना जो पर्यटकों को वैश्विक स्तर पर आकर्षित करते हैं, को सम्मिलित किया जाता है। कृषि पर्यटन आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों की एक श्रृंखला को संदर्भित करता है, जो कृषि वस्तुओं, सेवाओं और अनुभवों के संयोजन में होती है। कृषि पर्यटन कृषकों व पर्यटकों के मध्य अंतर संबंधों के एक पुल का कार्य करता है।

प्रस्तुततथ्य शोधकर्ता द्वारा राजस्थान के जयपुर जिले के खोरा श्यामदास ग्राम में स्थित 'ग्रीन वर्ल्ड फाउंडेशन जैविक फार्म' के अध्ययन पर आधारित है। जो इस क्षेत्र में 2 युवाओं द्वारा शुरू किया गया प्राथमिक प्रयास है।यह अध्ययन कृषि पर्यटन के व्यवसायिक लाभों को उजागर कर युवाओं को ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के नवीन अवसर सृजित करने के विभिन्न उपाय सुझाता है।

शब्द कुंजी – कृषि पर्यटन, ग्रामीण रोजगार, कृषि व पर्यटन का अभिसरण,अतिरिक्त आय का स्त्रोत,ग्रामीण जीवन शैली व ग्रामीण दर्शन।

प्रस्तावना – भारत जैसे कृषि प्रधान देश में कृषि आधारित उद्योगों का विकास भारतीय संस्कृति में गहराई तक अंतर्निहित है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल आबादी का 69% गांव में निवास करता है और लगभग 62% आबादी अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। ऐसे में कृषि कार्य में नवाचार के माध्यम से कृषि में अतिरिक्त आय व रोजगार का सृजन कर अधिकतम लाभ की स्थिति को प्राप्त किया जा सकता है।

विश्व में पर्यटन एक व्यापक व वैश्विक आर्थिक गतिविधि के रूप में उभर कर आया है।पर्यटन क्षेत्र का विस्तार पारंपरिक दर्शनीय स्थलों से परे प्राकृतिक परिवेश में नवीन अनुभव प्रदान करने की दिशा में हो रहा है। ऐसे में ग्रामीण पर्यटन व कृषि पर्यटन, पर्यटन के नवीन आयाम के रूप में उभर कर आए हैं। हालांकि कृषि पर्यटन की अवधारणा नई नहीं है, तथापि पिछले दो दशकों में इसका महत्व अधिक बढ़ता जा रहा है।

आधिकारिक तौर पर सन 1985 में कृषि पर्यटन को इटली में सर्वप्रथम मान्यता मिली तथा यहां की विधायिका द्वारा कृषि पर्यटन के लिए राष्ट्रीय कानूनी ढांचा पारित किया गया। बाद में कृषि पर्यटन विनियमो में संशोधन कर कृषि पर्यटन की अवधारणा का निजीकरण कर दिया गया, जिससे कृषि पर्यटन को और अधिक विस्तारित किया जा सके।इसके पश्चात स्पेन जैसे देशों में कृषि पर्यटन को क्षेत्रीय स्तर पर विनियमित किया गया जिससे पर्यटन प्रबंधन में क्षेत्रीय स्वायत्तता, समुदाय की विशेषज्ञता साबित हो सके।2019 के बिजनेस इकोनॉमिक्स अध्ययन के अनुसार, एग्री टूरिज्म का बाजार 2019 में विश्व स्तर पर 42.46 बिलियन डॉलर का होने का अनुमान था और 2027 तक 62. 98 बिलियन डॉलर तक बढ़ने का अनुमान है । भारत में कृषि पर्यटन राजस्व सालाना 20% की गति से बढ़ रहा है ।

भारत में दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ग्रामीण पर्यटन की आधिकारिक शुरुआत की गई। इस पहल का राजस्थान व केरल ने शुरुआती लाभ उठाया लेकिन कृषि पर्यटन को अपने विभिन्न जिलों तक पहुंचाने वाला महाराष्ट्र सबसे प्रगतिशील राज्य बन कर उभरा। भारत में कृषि पर्यटन विकास निगम (ATDC) की स्थापना 2004 में हुई। सर्वप्रथम 2005 में मालेगाव, बारामती (महाराष्ट्र) में एग्रो टूरिज्म सेंटर ATDC की सहायता से खोला गया। इसके पश्चात महाराष्ट्र में कृषि पर्यटन नीति तैयार कर कई कृषि पर्यटन केंद्र स्थापित किए गए।

2018–2020 में, 17.9लाख पर्यटकों ने महाराष्ट्र के इन कृषि पर्यटन केंद्रों का दौरा किया, जिससे किसानों को 55.79 करोड़ रुपए का आर्थिक लाभ प्राप्त हुआ।

कर्नाटक व केरल में भी किसानों को आर्थिक लाभ पहुंचाने व ग्रामीण विकास के उद्देश्य से कृषि पर्यटन नेटवर्क स्थापित करने का निर्णय लिया

गया। कृषि पर्यटन नीति जागरूकता व क्षमता निर्माण के साथ-साथ विभिन्न विभागों और संस्थानों से सहयोगात्मक सहायता की मांग भी करती है।फिर भी क्षेत्रीय विकास नीतियां कृषि पर्यटन को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका रखती है क्योंकि यह स्थानीय संसाधनों के बेहतर दोहन और आवश्यक बुनियादी ढांचा व सेवाओं के प्रावधान पर ध्यान केंद्रित करती है।

राजस्थान में भी 'राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना -2022' लागू कर कृषि पर्यटन को ग्रामीण पर्यटन की एक इकाई मानकर विकसित करने का प्रावधान किया गया है।

उद्देश्य:

1. कृषि पर्यटन से किसानों को होने वाली अतिरिक्त आय का अध्ययन करना।
2. ग्रामीण क्षेत्र में कृषि पर्यटन का रोजगार के नवीन आयाम के रूप में अध्ययन करना।

कृषि पर्यटन की प्रासंगिकता - भारत जैसे देश में कृषि पर्यटन एक महत्वपूर्ण पर्यटन विकास का अवसर बन चुका है। क्योंकि यह ग्रामीण क्षेत्रों से स्थानांतरित शहरी आबादी को पुन: अपनी जड़ों से जुड़े रहने तथा अतीत के अनुभवों को जीवंत रखने का अवसर प्रदान करता है। यह ग्रामीण पर्यटन के ही उप प्रकार के रूप में विकसित नवीन पर्यटन प्रकार है जोपर्यटकोंको ग्रामीण जीवन के साथ वास्तविक, करामाती और प्रमाणिक संपर्क का अनुभव करने, स्थानीय व्यंजनों का स्वाद लेने, कृषि गतिविधियों व पद्धतियों का प्रत्यक्ष अनुभव लेने, मिट्टी- घास- गारे से बनी झोपड़ी में विश्राम करने, प्राकृतिक वातावरण का सुकून व जैविक कृषि उत्पाद खरीदने का अवसर प्रदान करता है। साथ ही ग्रामीण युवाओं को अपने क्षेत्र में रोजगार के नवीन व अप्रत्याशित अवसर प्रदान कर गांव से शहरों की ओर पलायन की गति को भी नियंत्रित करता है। यदि कृषि क्षेत्र को अधिक आय सृजन बनाने वाले उद्योगों के साथ जोड़कर स्थापित किया जाए तो निसंदेह राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान बढ़ जाएगा। कृषि पर्यटन ऐसे ही एक नवीन उद्योग के रूप में लोकप्रिय हो रहा है। यह कृषि क्षेत्र में होने वाली दैनिक कार्य, दिनचर्या और गतिविधियों को देखने के लिए मेहमानों को पूरी तरह से संचालित खेतों में रहने की अनुमति प्रदान करता है।

विधितंत्र- यह शोध पत्र शोधकर्ता द्वारा खोरा श्यामदास स्थिति जैविक फार्म पर की गई यात्रा व उसके अवलोकन पर आधारित है। इस अध्ययन में प्रदत आंकड़े शोधकर्ता द्वारा जैविक फार्म के मालिक (किसान) के साक्षात्कार के माध्यम से प्राप्त किए गए हैं तथा व्यक्तिगत अवलोकन के माध्यम से वस्तु स्थिति की जांच की गई है। द्वितीयक आंकड़े न्यूजपेपर, वेबसाइट, मैगजीन तथा राजस्थान पर्यटन विभाग के प्रगति-प्रतिवेदन आदि से प्राप्त किए गए हैं। पर्यटक अभिरुचि जानने के लिए फार्म मालिक द्वारा बनाए गए फीडबैक फॉर्म का अध्ययन किया गया है तथा SWOT विश्लेषण के माध्यम से निष्कर्ष निकाला गया है।

'ग्रीन वर्ल्ड फाउंडेशन जैविक फार्म'खोरा श्यामदास का वैयक्तिक अध्ययन -जयपुर से करीब 35 किलोमीटर दूर जयपुर- सीकर राजमार्ग से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित खोरा श्यामदास में स्थित 'ग्रीन वर्ल्ड फाउंडेशन जैविक फार्म' कृषि पर्यटन का एक बेजोड़ नमूना है। एग्रीकल्चर में एमएससी सीमा सैनी और हॉर्टिकल्चर में बीएससी इंद्राज जाट मिनी विलेज को चला रहे हैं।2017 में कृषि विज्ञान से अपनी पढ़ाई पूर्ण करने के पश्चात इंद्राज व सीमा ने समग्र कृषि के साथ-साथ कृषि पर्यटन को विकसित करने का कार्य किया।इस हेतु इन्होंने खोरा श्यामदास गांव में 1.5 हेक्टेयर भूमि लीज पर लेकर कृषि पर्यटन व ऑर्गेनिक और मॉडर्न फार्मिंग का एक मिनी विलेज विकसित किया। यह मिनी विलेज किसानों के लिए ट्रेनिंग सेंटर भी है औरपर्यटकोंके लिए मॉडर्न फार्मिंग और ग्रामीण जीवन की लाइव क्लास भी।

इस फॉर्म को इस तरह विकसित किया गया है कि आज से 50 वर्ष पूर्व के ठेठ राजस्थानी ग्रामीण जीवन का एहसास हो सके। इस फॉर्म पर टूरिस्ट कम खर्चे में ग्रामीण जीवन के अनुभव का आनंद उठा सकते हैं। एग्रो टूरिज्म के इस मॉडल में एक ही जगह पर ऑर्गेनिक फार्मिंग के साथ डेयरी, पशुपालन, उन्नत नस्ल का चारा, फल उत्पादन और रहने की सुविधा विकसित की गई है। इस मिनी विलेज फार्म से इंद्राज व सीमा समन्वित कृषि प्रणाली और एग्रोटूरिज्म से बढ़िया मुनाफा कमा रहे हैं। यहां वे सस्टेनेबल तरीके से खेती के साथ-साथ मुर्गी पालन, बकरी पालन, गोपालन, अजोला उत्पादन, केंचुआ खाद उत्पादन, सब्जियों का उत्पादन, बागवानी, पॉलीहाउस फार्मिंग, दलहनी फसलें, औषधि फसलें, फूलों की खेती, अनाज, हरे चारे का उत्पादन करते हैं। इन सबके लिए उन्हें बाहर से कुछ लाने की आवश्यकता नहीं होती। पशुओं के चारे से लेकर खेत के लिए खाद तक सब कुछ वह यहां खुद ही तैयार करते हैं और खेत में बने प्रोडक्ट्स को यहां आए मेहमान खरीद लेते हैं।

इंद्राज का कहना है कि जब उन्होंने इसकी शुरुआत की थी तब उन्हें खुद ही नहीं पता था कि खेती का दायरा इतना बड़ा भी हो सकता है। सीमा ने बताया कि अगर कृषक सिर्फ खेती पर निर्भर होंगे तो नुकसान होने की संभावनाएं अधिक होगी। जब तक किसान खेती से जुड़े दूसरे बिजनेस से नहीं जुड़ते तब तक आगे बढ़ना मुश्किल है और हम यही करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने अपने इस मिनी विलेज में मिट्टी, गोबर और भूसी से निर्मित 5 झोपड़ी (कॉटेज) व एक डोरमेट्री हॉल (बड़ी झोपड़ी) अतिथि गृह व सुविधाएं स्थानीय कारीगरों के साथ मिलकर 2 वर्षों में निर्मित की। इस मिनी विलेज को निर्मित करने में 8 से 10 लाख का खर्चा आया लेकिन अब इससे प्रतिवर्ष यह दोनों 25 से 30 लाख का मुनाफा कमा रहे हैं।

कोरोना के पश्चात 2021 से यहां आसपास के शहरों से लोग रहने,

छुट्टी बिताने व पार्टी करने के उद्देश्य से आने लगे। यहां प्रतिमाह औसतन 125 से अधिक पर्यटक आते हैं। जो पारंपरिक गांव में रहने का आनंद लेने के साथ यहां खेत में खुद प्रोडक्ट्स को बनते देखते हैं। यहां आए लोग छुट्टी बिताने के साथ-साथ अपने बच्चों को खेती और पशुपालन से जुड़ी जानकारी प्रदान करते हैं यहां ऊंट गाड़ी से लेकर हाथ चक्की, बिलोना, अनाज कूटने की ओखली सहित हर तरह की खेती, किसानी और पशुपालन के औजार हैं। पर्यटक इस कैंपस में खुद सब्जी तोड़कर लाकर बनाने से लेकर अपने हाथों से दुग्ध निकालने तक का अनुभव ले सकते हैं।

इस फॉर्म में सब कुछ ऑर्गेनिक रूप से पैदा किया जाता है। टूरिस्ट कम खर्चे में इन खेतों में भ्रमण व प्राकृतिक तरीके से बनी ईट- गारे की झोपड़ी जिनकी छत सरकंडों से बनी होती है, का आनंद ले सकते हैं तथा ग्रामीण जीवन का अनुभव पा सकते हैं। यहां पर्यटक घुड़सवारी, बैलगाड़ी व पारंपरिक शैली में बना चूल्हे का भोजन का आनंद लेते हैं। मवेशियों के साथ खेलते हैं तथा ग्रीष्म काल में स्विमिंग पूल में नहाने का लुफ्त उठाते हैं। इस मिनी विलेज में निम्न लागत पर नर्सरी भी विकसित की गई है जहां विभिन्न फल-फूलों के पौधे, स्टीविया (मीठी तुलसी), लेमन घास, अजोला घास ,केंचुआ खाद (वर्मीकंपोस्ट) नीम- हल्दी से निर्मित जैविक दवाइयां, आदि बिक्री के उद्देश्य से बनाई जाती है। शहरी पर्यटक अपने घरों में गमलों में लगाने के लिए यहां से पौधे व घास लेकर जाते हैं।

इस मिनी विलेज में पोर्टेबल गमले, तुलसी व सरसों का शहद, गोमूत्र, कड़कनाथ व वनगांजा मुर्गी के अंडे, मीठी तुलसी व लेमन घास से बने उत्पाद, जैविक अनाज, हल्दी, डेयरी उत्पाद, मसाले व आचार आदि तैयार किए जाते हैं जिन्हें बेचने के लिए उन्हें अलग से किसी बाजार की आवश्यकता नहीं होती।

सीमा व इंद्राज अपने मिनी विलेज में किसानों को इंटीग्रेटेड फार्मिंग की ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। आज करीब 8000 किसान इनसे जुड़कर खेती के साथ पशुपालन और कृषि पर्यटन से मुनाफा कमा रहे हैं। इन्होंने कृषि पर्यटन को बेहतरीन मॉडल बनाकर अपने साथ-साथ कई और किसानों को नई राहें दिखाई है लेकिन परंपरागत उम्र दराज किसानों के लिए के लिए अपनी पद्धति में नवाचार लाना चुनौतीपूर्ण कार्य है।

इस मिनी विलेज में करीब 35 श्रमिक कार्य करते हैं, जिनमें से 7 स्थाई व 28 अस्थाई तौर पर रखे गए हैं। कुल श्रमिकों में 12 महिला है, जिनमें भोजन आदि पकाने के लिए स्थाई रूप से तीन महिला कार्य करती हैं। इस प्रकार कृषि पर्यटन के माध्यम से स्वयं की अतिरिक्त आय के साथ-साथ स्थानीय लोगों को भी रोजगार प्रदान किया जा रहा है।

वर्तमान में यहां दिल्ली, जयपुर, गुजरात व आसपास के शहरों से घरेलू पर्यटक आते हैं तथा NRI व विदेशीपर्यटकोंको आमंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है। इस मिनी विलेज को विकसित करने के लिए किसी भी प्रकार की सरकारी सहायता प्राप्त नहीं की गई। ग्रीन वर्ल्ड फाउंडेशन (NGO) व नाबार्ड का सहयोग अवश्य प्राप्त किया गया है। इस मिनी विलेज का प्रचार- प्रसार सोशल मीडिया के माध्यम से ही किया गया अत: इसके बारे में बहुत अधिक लोगों को जानकारी नहीं है।

SWOT विश्लेषण

मजबूत पक्ष (Strengths)

- जैविक फार्म की अवस्थिति पर्यटकों की पहुंच में
- आकर्षक राजस्थानी ग्रामीण संस्कृति
- पर्यटकों का परंपरागत पर्यटन से परे नवीन प्राकृतिक परिवेश की ओर बढ़ता रुझान
- जैविक उत्पाद की बिक्री व खरीद के प्रति बढ़ती जागरूकता
- युवा किसानों की महत्वाकांक्षी सोच
- कृषि प्रशिक्षण केंद्रों में कृषि में नवाचार को बढ़ावा देना
- पर्यटन अपेक्षा अनुसार रहने खाने की उच्च स्तरीय व्यवस्था

कमजोर पक्ष (Weakness)

- स्थानीय बाजार की कमी
- वयापक प्रचार-प्रसार की कमी
- विदेशी पर्यटक व NRI तक पहुंच बनाने में असमर्थ
- किसानों में कृषि पर्यटन की जानकारी का अभाव
- कृषि पर्यटन विकास में वृद्धि की दर का धीमा होना
- ग्रामीण क्षेत्रों के बुनियादी संरचनात्मक ढांचे में सुधार अपेक्षित

अवसर (Opportunity)

- ग्रामीणों हेतु नवीन रोजगार का स्त्रोत
- कृषको हेतु अतिरिक्त आय का स्त्रोत
- युवा पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र
- ग्रामीण विकास की संभाव्यता

चेतावनी (Threat)

- मौजूदा पर्यटन उत्पाद में भारी प्रतिस्पर्धा है
- सांस्कृतिक संक्रमण का डर
- कृषि पर्यटन की मौसमी प्रकृति
- सरकारी नीति व सहायता की कमी

निष्कर्ष- निष्कर्षत: यह कहा जा सकता है कि कृषि में भी नवाचार लाया जाए तो इसे न केवल आर्थिक लाभ का साधन बनाया जा सकता है अपितु

रोजगार सृजन का माध्यम भी बन सकता है। सरकारी सहायता व व्यापक प्रचार-प्रसार के साधन से ग्रीन वर्ल्ड फाउंडेशन जैविक फार्म जैसे अनेक कृषि पर्यटन केंद्र को विकसित किया जा सकता है। जो न केवल किसानों की अतिरिक्त आय का स्त्रोत बन सकती हैं, अपितु ग्रामीण विकास का नीतिगत आधार भी बन सकते हैं। कृषि पर्यटन शहरी आबादी के ऐसे बच्चों को अधिक आकर्षित करती है, जिन्होंने ग्रामीण जीवन शैली व कृषि को केवल सिनेमाघरों व टेलीविजन पर देखा है। अत: कृषि पर्यटन यात्रियों, किसानों और समुदायों को विभिन्न प्रकार के वित्तीय, शैक्षिक और सामाजिक लाभ देने के लिए पर्यटन और कृषि क्षेत्र के घटकों को एकत्रित करने का अनूठा अवसर प्रदान करता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. Kothari Hemani and Perwej Asif (2021) . Effect of Ago – Tourism : The Jaisalmer Report . Wesleyan Journal of Research , vol .13 , No. 69 , PP. 1-13
2. Committee on Doubling Farmars Income (2018). Adding Value to Primary Produce and Building Agricultural Enterprises in the Rural India. Volume 9 . Ministry of Agriculture &FarmarsWelfare , PP. 121 – 129 .
3. Srivastava, S. 2016. Agrotourism as a Strategy for the Development of Rural Areas Case Study of Dungrajya Village, Southest Rajasthan, India. Journal Of Research In Humanities And Social Science. Vol. 4 (7), pp. 104-108.
4. Strategic Government Advisory (SGA), Y. B. (2016). Agritourism: Advantage Rajasthan. Global Rajasthan Agritech Meet, Jaipur , 48.
5. Kumar, Ashutosh, 2015, Developing rural areas through promoting rural Tourism ,DU Journal of Undergraduate Research and Innovation,Volume 1 Issue 2, pp 122-143
6. Khangarot, Garima&Sahu, Praveen. (2019). Agro-Tourism: A dimension of sustainable tourism development in Rajasthan. JIMS8M: The Journal of Indian Management & Strategy. Pp 21-26.
7. KothariaHemani&Perwejs Asif (2021), Agro-tourism in Rajasthan: A way to bring down issues in our surrounding environment, Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, Vol.12 No.3 , PP . 3288-3292

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XL

जनजातीय समूह और पातालकोट की भारिया जनजाति : एक समग्र अध्ययन

प्रतिश्रुति बघेल* डॉ.वर्षा सागोरकर**

* शोधार्थी, शासकीय हमीदिया कला-वाणिज्य महाविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) भारत
** सह-प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान) शासकीय हमीदिया कला-वाणिज्य महाविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) भारत

शब्द कुंजी –आदिवासी, भारिया जनजाति, भरियाटी, लोकतांत्रिक।

आदिवासी कौन है, इसको समझ पाना कठिन है। भारत के लोग अधिकतर अनुसूचित जनजातियों (**Schedule Tribes**) को आदिवासी कहते हैं। **संस्कृत** में आदिवासी शब्द का अर्थ है, किसी क्षेत्र के मूल निवासी जो आदिकाल से किसी स्थान विशेष में रहते चले आ रहे है। माना जाता है कि आदिवासी भारतीय प्रायद्धीप के सबसे प्राचीन बाशिंदे है।

अनुसूचित जनजातियों को आदिवासी भी कहा जाता है, पर इस शब्द के साथ जुड़ा मूलवासी होने का तात्पर्य विवादास्पद है। सामान्यजन की दृष्टि में आदिवासी शब्द का निहितार्थ होता कि वे भोले-भाले लोग, जो जंगलों और पहाड़ों में रहते है। शिक्षित वर्ग इन्हें नाचने-गाने में मस्त और रंगीले रूप में पहचानता हैं, जिनको देखभाल की विशेष जरूरत है।

मानवशास्त्री अवधारणा में आदिवासी जिन्होने अपना सदियों पुराना रहन-सहन, रीति-रिवाज तथा सामाजिक संगठन उसी रूप में सुरक्षित रखा है जो समाजशास्त्रीय अध्ययन के लिए उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करता है।

देश में 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान के लागू होने के पश्चात् ही आदिवासियों तथा जनजाति समुदायों को 'अनुसूचित जनजाति' की विशिष्ट संज्ञा देने की आवश्यकता महसूस हुई। अत: सर्वप्रथम 'आदिम जनजातियों' को अनुसूचित करने का प्रयास 1931 की जनगणना के समय हुआ। सन् 1950 में राष्ट्रपति ने विशेष आज्ञा द्धारा ऐसे आदिवासियों की सूची प्रसारित की जिन्हें 'अनुसूचित जनजाति' की संज्ञा प्रदान की गई। भारत में 1950 में जनजाति लगभग 212 थी, जो 1971 में लगभग 527 तक जा पहुंची। भारत में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जातियों के रूप में अधिसूचित विशिष्ट समूहों की संख्या 705 है। समय-समय पर इस सूची में नाम जोड़े जाते रहे हैं।

भारतीय संविधान में 'जनजाति' तथा 'आदिवासी' शब्दों को ही समानार्थक रूप से स्वीकार किया गया है, जिसका अंग्रेजी पर्याय 'ट्राईब' रोमन शब्द 'ट्राईबुआ' से बना हैं, और जिसका अर्थ है-'एक राजनैतिक इकाई'। पहले इस शब्द का प्रयोग उन सामाजिक समूहों के लिए किया जाता था जो अपने भू-भाग से परिभाषित होते थे। 'ट्राइब' शब्द का उद्भव लैटिन भाषा के 'ट्राइब्स' से हुआ हैं जिसका अर्थ है - समाज के विभिन्न हिस्से या भाग। इसके पूर्व रोम में इस शब्द का प्रयोग समाज के विभिन्न भागों के लिए किया जाता था। बाद में, इसका प्रयोग समाज के निर्धन वर्ग के लिए हुआ।

पातालकोट एवं भारिया जनजाति – पातालकोट घाटी के गाँवों का पहुंच मार्ग आज भी अत्यंत दुर्गम है, इसीलिए पातालकोट घाटी संचार संसाधनों पहुंच मार्ग से वंचित है। यहाँ के सभी गाँव तहसील मुख्यालय से बहुत अधिक दूरी में बसे हैं। ये छिंदवाड़ा जिले से 56 किलोमीटर दूर तामिया एवं तामिया से 4 किलोमीटर दूर बिजौरी गाँव जो हर्रई मार्ग का गाँव हैं, वहाँ पर पोस्ट ऑफिस, डाक बंगला, चर्च (19वीं सदी द्धारा निर्मित) उपलब्ध हैं। बिजौरी से 76 किमी दूरी पर हर्रई जागीर है। बिजौरी-हर्रई मार्ग पर ही पातालकोट घाटी बसी हुई है। बिजौरी से 11 कि.मी. की दूरी पर छिन्दी गाँव हैं जहाँ पर वन विभाग का कार्यालय स्थित हैं।

तामिया में छिन्दी गाँव 'भारिया' जनजाति का प्रमुख बाजार स्थल हैं। बिजौरी से हर्रई तक का सड़क मार्ग और छिन्दी से हर्रई तक का सड़क मार्ग पक्का है, जबकि इसके आगे का कार्य निर्माणरत् है। बिजौरी से लगभग 10 कि.मी. की दूरी पर यह सड़क दो भागों में बंट जाती हैं। जिसमें से एक पंगडडी बीजाढाना गाँव से बायी ओर पातालकोट घाटी की ओर जाती हैं। जीप गाड़ी की सहायता से बीजाढाना गाँव के समीपस्थ घाटी के उच्च्तम षिखर तक आया जा सकता हैं। यहाँ से देखने पर पातालकोट का विहंगम दृष्य बड़ा ही मनोहारी लगता हैं। यहाँ से पातालकोट के विभिन्ना गॉवों के लिए पहुँच मार्ग पहाड़ों की कच्ची पगडंडी के रूप में निर्मित हैं। पातालकोट घाटी के गाँवों को जोड़ते हुये सकरी पत्थर की 50-60 सीढ़ियां बनी हुई हैं। जिनसे घाटी में उतरना-चढ़ना एक आम आदमी के लिए अत्यंत दुष्कर कार्य होगा लेकिन भारिया जनजाति के सदस्य सीढ़ियां पर दौड़तें-कूदते हुये उतरते-चढ़ते है।

ये लोग चटटानों एवं पथरीली मिट्टी से स्वयं निर्मित रास्ते से लगभग एक घन्टे में ही घाटी के प्रथम गाँव 'रातेड़' में पहुँच सकते है। छिन्दी गाँव में राज्य परिवहन की बसों का बस स्टाप, हाईस्कूल, वन कार्यालय, विश्व खाद्य संघ का कार्यालय, बाजार, चिकित्सालय जैसी सुविधा उपलब्ध है। पातालकोट घाटी के इन सभी गाँवों में जाने के लिए अत्यंत आवश्यक है कि आपके साथ कोई भारिया रहवासी हो।

भारिया जनजाति मुख्यत: राज्य के छिंदवाड़ा जिले में निवास करती हैं। उनकी कुछ आबादी जबलपुर, सतना, शहडोल, डिंडोरी, पन्ना, सीधी, नरसिंहपुर, सिवनी, उमरिया, दमोह, कटनी, होशंगाबाद, विदिशा, छिंदवाड़ा जिले में भी है। भारिया जनजाति की आबादी दो लाख के आसपास है।

भारिया जनजाति के लोग एकांत और सुदूर इलाकों में रहना पसंद करते हैं। इस जनजाति के लोग जहां बसे होते हैं, उसे वे ढाना कहते हैं। एक

ढाना में लगाकर पच्चीस घर होते हैं। एक ढाने से दूसरे ढाने की दूरी तीन से पाँच किलोमीटर तक हो सकती है। दो चार ढाना मिलाकर इस जनजाति के लोगों का एक गांव बन जाता है। इन जाति की विशेषता यह भी है कि ये अपने मकान खुद बनाते हैं। इनके मकान लकड़ी, घास-भूस के होते हैं।

छिंदवाड़ा जिले में तामिया विकासखण्ड के पातालकोट इलाके में इनकी आबादी का पर्याप्त संकेन्द्रण है। पातालकोट जाने के लिए सामान्य धरातल से उतरकर पहाड़ियों के बीच में काफी नीचे तक जाना होता है। इसलिए इस इलाके को पाताल से तुलना करते हुए पातालकोट कहा जाता है। एक जमाने में यह इलाका काफी अल्प-विकसित था, लेकिन आज यहां विकास की रोशनी पहुँच गई है। **जॉन क्लार्क (John Clark)** द्वारा लिखी पुस्तक **डेमोक्रेटाइजिंग डेवलपमेंट** में उन्होंने यह दर्शाया है कि किसी भी क्षेत्र के विकास का लोकतांत्रिक माध्यम से माडल के द्वारा ही सम्भव है।

भरनोटी या भरियाटी भारियाओं की मूल मातृ-भाषा (बोली) है। भरियाटी द्रविड़ियन मुण्डा परिवार की बोली है। इसलिए गोंडी से मिलती-जुलती है। भरियाटी कोरकू, गोंडी, छत्तीसगढ़ी और बुन्देली का मिश्रित रूप है। इसी मिश्रित बोली का प्रयोग भारिया अपने घरों में आपसी बातचीत में करते हैं। भारिया अपनी मूल बोली को लगभग भूल गये हैं। प्रत्येक भारिया हिन्दी समझ सकता है और सामान्यत: बोलने में हिन्दी का प्रयोग करता है। पातालकोट में पहला प्रायमरी स्कूल ग्राम रातेड़ में सन् 1951-52 में खुला। सन् 1971 तक भारियाओं में साक्षरता का प्रतिशत 7.31 था।

भारिया समता मूलक समाज है। इसमें स्त्री-पुरुषों का दर्जा बराबर का होता है। आजीविका के लिए भारिया वनोपज, जड़ी-बूटियां, काष्ठ कला पर निर्भर रहते है। आज भी भारिया विकास की दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। यहाँ साक्षरता के न्यूनतम प्रतिशत ने इनके अंधविश्वास को बनाये रखने में सहायता की हैं। राज्य शासन द्वारा भारिया जनजाति के विकास के लिए भारिया विकास अभिकरण का गठन वर्ष 1978-79 किया गया हैं। इसका मुख्यालय छिंदवाड़ा जिले की तामिया तहसील हैं।

जनजातीय जनसंख्या में शिक्षा का स्तर अत्यंत ही निम्न है, राज्य में विशेष पिछड़ी जनजाति शिक्षा का स्तर 50 प्रतिशत भी नहीं है, राज्य में आदिम जनसंख्या में बैगा, सहरिया, भारिया जनजातियों की जनसंख्या में सबसे अधिक बैगा जनजाति की जनसंख्या 414,526, भारिया जनजाति की जनसंख्या 193,230 और सहरिया जनजाति की जनसंख्या 614,958 हैं जबकि साक्षरता दर क्रमश: 47.2, 47.9 और 42.1 हैं, जो कि शिक्षा के स्तर में क्षेत्रीय विषमता भी स्पष्ट दर्शाता है।

अत: इस वर्ग के शैक्षणिक विकास, शासकीय नौकरी प्रदान करने एवं रोजगार प्राप्त करने के लिए विभिन्न शासकीय योजनाओं के माध्यम से धन उपलब्ध कराने एवं प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है।

दक्षिण-पूर्व में स्थित सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में 29.280 से 22.490 उत्तरी अक्षांश तथा 78.100 से 79.240 पूर्वी देशांश के मध्य एक चतुर्भुज आकार में बसा हुआ हैं। यह जिला 01 नवम्बर 1956 को प्रदेश के सिवनी एवं लखनादौन तहसीलों से अस्तित्व में आया। छिंदवाड़ा जिला कुल 11852 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ, मध्यप्रदेश का 10वां बड़ा जिला है। ऐसी मान्यता है कि इस क्षेत्र में छिन्द के पेड़ बहुतायत में पाये जाते थे जिससे शहर का नाम 'छिन्द' 'वाड़ा' (जगह) पड़ा। छिंदवाड़ा का अधिकांश भाग दक्कन पठार से ढका हुआ हैं। जिसमें अनेक स्थानों पर ट्रेपियन चट्टानों के मध्य जीवाशेशों से युक्त अवसादी चट्टानों के स्तर पाये जाते है। यह भारत के लगभग मध्य में कर्क रेखा के निकट दक्षिणी भाग में फैला हुआ हैं। छिंदवाड़ा आदिवासी बाहुल्य जिला है जहाँ कुल जनजाति जनसंख्या 769,778 (36.8 प्रतिशत) जिसमें पुरुष 385,785, महिलाएं 383,993 हैं।

भौगोलिक, जनांकिकी एवं सांस्कृतिक स्थिति -छिंदवाड़ा जिले की आठ तहसीलों में से एक तामिया तहसील सुरम्य पर्वतीय संपदा, और वनों से आच्छादित दुर्गमता से युक्त पातालकोट घाटी के नाम से विश्व प्रसिद्ध हैं। समुद्र की सतह से इसकी औसत ऊँचाई लगभग 3250 से 3750 फिट है। पातालकोट घाटी का 'कटोरा नुमा आकृति' का स्थल ही भारिया आदिवासियों की आवास स्थली हैं।

जीवन-यापन के साधन एवं व्यवसाय - राज्य में आदिम जनजाति समूह की आवश्यकताएँ ही उसके जीवन-यापन के मार्ग को प्रशस्त करती हैं। इन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आदिम जनजाति जिन वस्तुओं का प्रयोग करता है, वे जीवन-यापन के साधन कहलाती है। आदिम जनजाति समूह के जीवनयापन के साधनों को तीन भागों में बांटा जा सकता है- वातावरण, पारिस्थितिकी तथा प्रौद्योगिकी अथवा तकनीकी, जिनका संक्षिप्त उल्लेख निम्नलिखित है :-

- **वातावरण** - आदिम जनजाति समूह की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में वातावरण से हमारा तात्पर्य भौगोलिक पर्यावरण से है। भौगोलिक परिस्थितियों को अनेक भागों में वर्गीकृत किया गया है। यहाँ पर राज्य की भौगोलिक दशाओं की विभिन्नताओं के आधार पर आदिम जनजातियों के वातावरण का उल्लेख किया गया है।
- **पर्वत एवं वन भाग** - राज्य के कुछ क्षेत्रों (विशेष पिछड़ी जनजाति क्षेत्र) में पर्वतमालाएँ फैली हुई हैं। इन पर्वत श्रृंखलाओं में जंगल हैं, कुछ जंगल हिंसक पशुओं से भरे हुए हैं, जिसमें कृषि कार्य संभव नहीं है। कुछ वनों और पर्वत श्रृंखलाओं में खनिज पदार्थो के उत्खनन के परिणामस्वरूप वहाँ पर्वत श्रृंखलाओं पर कृषि कार्य संभव नहीं है। यह वातावरण राज्य की उन जिलो में है, जहाँ विशेष पिछड़ी जनजाति के (लगभग) निवास स्थान है।
- **मैदानी एवं उपजाऊ भाग** - राज्य के कुछ क्षेत्र जो तराई अंचल के नाम से जाना जाता है, उस क्षेत्र में उपजाऊ भूमि तो है, किन्तु वृहद संख्या में जनजातियाँ नहीं है।

पारिस्थितिकी - वातावरण से प्राणियों का अभियोजन ही पारिस्थितिकी है। वास्तव में प्रकृति से अभियोजन पारिस्थितिकी का एक पक्ष है। राज्य की जनजातियों में भी पारिस्थितिकी के लक्षण विद्यमान है। विशेष पिछड़ी जनजातियाँ वनोपज, शिकार, दूध, सरसो एवं महुए का तेल भोजन में प्रयोग करती है, इन आदिम जनजातियों के भोजन में मांस का भी प्रयोग होता है। आज़ादी के बाद विशेष पिछड़ी जनजातीय समूहों की अपेक्षा अनुसूचित जनजातियों के समूहों के सदस्यों में आधुनिक मूल्य व्यवसाय का संचार हुआ और जीवन स्तर में सुधार हुआ। आरक्षण का ये बेहतर लाभ प्राप्त कर पा रहे हैं। विशेष पिछड़ी जनजातीय समूहों की अपेक्षा अनुसूचित जनजातियों में शामिल जनजातियाँ आर्थिक दृष्टि से मजबूत एवं सामाजिक चेतना से ओत-प्रोत है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. Jain, P.C. : **Chrestianity Ideology and Social Change among Tribals,** Rawat Publication, Jaipur and New Delhi. 1995.

2. Lal, Shyam, : **Tribal and Christian mission arias, Inter India publication,** New Delhi. 2000.
3. Padhy, K.S., : **Voting Behavior of Tribal in India, Delhi**, 1992.
4. कलवार, सुगन चन्द एवं तेजराम मीणा, – **निर्धनता उन्मूलन एवं ग्रामीण विकास,** पोइन्टर पब्लिशर्स, जयपुर, 2001.
5. रंगराजन, सी. I **भारत की अर्थनीति 'नए आयाम'**, राजपाल एण्ड सन्स, नईदिल्ली, 2000.
6. जैन, डॉ.राजेश I **आर्थिक विकास में मानवीय साधन,** यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन, नईदिल्ली, 1996.
7. झुनझुनवाला, भरत I **भारतीय अर्थव्यवस्था 'समीक्षात्मक अध्ययन'**, राजपाल एण्ड सन्स, नईदिल्ली, 2007.
8. शर्मा, अशोक – **भारत में स्थानीय प्रशासन,** आर.बी.एस.ए.जयपुर, 2007
9. सिंह, उमेश प्रसाद – **पंचायती राज व्यवस्था में पंचायती समिति,** राधा पब्लिकेशन, नईदिल्ली, 2004.
10. जोशी, डॉ.के.एन. एवं डॉ.मंजुला मिश्रा – **'सहकारिता के सिद्धांत एवं भारत में सहकारिता',** कॉलेज बुक डिपो, जयपुर, 2007.
11. बसु, आचार्य एवं डॉ. दुर्गा दास – **'भारत का संविधान – एक परिचय',** आठवॉ संस्करण 2002.
12. शास्त्री, आचार्य रमेशचंद्र – **'भारत में पंचायतीराज',** कालेज बुक डिपो, जयपुर, 1985.
13. शर्मा, हरिशचंद्र – **'ग्रामीण स्थानीय प्रशासन',** कालेज बुक डिपो, जयपुर, 1985.
14. वाजपेयी, हरिकृष्ण – **'सामुदायिक विकास कार्यक्रम में समाज शिक्षा'**, भारती प्रकाशन, लखनऊ, 2000.
15. वैद्य, नरेश कुमार – **'जनजातीय विकास, मिथक एवं यथार्थ'**, रावत पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 2003.
16. उप्रेती, हरिशचन्द्र – **'भारतीय जनजातियाँ'**, मीनाक्षी प्रकाशन, मेरठ, 1970.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XL

कस्तूरबा गॉधी बालिका विद्यालय में अध्ययनरत् बालिकाओं के परीक्षा तनाव पर यौगिक क्रियाओं के प्रभाव का अध्ययन

डॉ. महेश कुमार मुछाल* विजय पवांर**

* एसोसिएट प्रोफेसर, शिक्षक पशिक्षण विभाग, दिगंबर जैन कॉलेज बड़ौत, बागपत, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ (उ.प्र.) भारत
** शोध छात्र, शिक्षक पशिक्षण विभाग, दिगंबर जैन कॉलेज बड़ौत, बागपत, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ (उ.प्र.) भारत

शोध सारांश – 21वीं शताब्दी को योगक्रांति की शताब्दी कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि आज योग एवं यौगिक क्रियाओं के प्रति जागरूकता इतनी बढ़ी है कि संपूर्ण विश्व प्रतिवर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाता है। योग उचित जीवनचर्या का विज्ञान है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बालक-बालिकाएं अनेक प्रकार के तनावों से ग्रसित रहते हैं। तनाव का एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रकार है- परीक्षा तनाव। परीक्षा तनाव विद्यार्थियों में परीक्षा के दिनों में सर्वाधिक देखने को मिलता है और यह परीक्षा के उपरांत भी परीक्षा के परिणाम को लेकर निरंतर बना रहता है। यह न केवल विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालता है अपितु उसके शारीरिक, सामाजिक एवं भावात्मक विकास को भी बाधित करता है। इस तनाव से बचने या मुक्ति पाने के लिए यौगिक क्रियाओं के अभ्यास की महती भूमिका है। उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए शोधकर्ता ने अध्ययन करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य में बागपत जिले के बड़ौत ब्लॉक में संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में अध्ययनरत् पूर्व माध्यमिक स्तर की 100 (50 योगाभ्यासी तथा 50 गैर-योगाभ्यासी) बालिकाओं का चयन किया। बालिकाओं के परीक्षा तनाव को मापने के लिए डॉ के0 एस0 मिश्रा द्वारा निर्मित परीक्षा तनाव मापनी का प्रयोग किया गया। प्राप्त आंकड़ों के सारणीकरण एवं सांख्यिकीकरण द्वारा निम्नलिखित निष्कर्ष एवं परिणाम प्राप्त हुए। योगाभ्यासी बालिकाओं की अपेक्षा गैर-योगाभ्यासी बालिकाओं में परीक्षा तनाव अधिक पाया गया। योगाभ्यासी बालिकाओं की दिनचर्या गैर-योगाभ्यासी बालिकाओं की अपेक्षा अधिक संयमित, संतुलित, सकारात्मक व उत्साह पूर्ण पाई गई।

प्रस्तावना –पूर्व माध्यमिक स्तर की शिक्षा एक निर्णायक दौर होता है जो विद्यार्थियों के भविष्य की आधारशिला के निर्धारण के साथ-साथ जीवन की दिशा और दशा का भी निर्धारण करता है। जहां विद्यार्थी को अभिभावकों की अपेक्षाओ और अपने भविष्य की चिंता को साथ लेकर शिक्षा ग्रहण करनी होती है। ऐसी परिस्थिति में विद्यार्थियों का तनावग्रस्त हो जाना स्वाभाविक है। परीक्षा शिक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण एवं अभिन्न अंग है। परीक्षा द्वारा न केवल विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि का पता चलता है अपितु शिक्षा की गुणवत्ता एवं शिक्षक के ज्ञान व शिक्षण कौशल का आकलन भी सुगमता से हो जाता है। परंतु इसका एक पहलू यह भी है कि बालक इसे अपने भविष्य से जोड़कर देखते हैं। अभिभावकों और शिक्षकों के अत्यधिक अनावश्यक दबाव में विद्यार्थियों में चिंता एवं तनाव का स्तर कभी-कभी इस सीमा तक बढ़ जाता है कि विद्यार्थी आत्महत्या जैसा घातक निर्णय ले बैठते हैं। कुमार एवं लखेड़ा (2020) ने अपने शोध अध्ययन में पायी की नियमित रूप से विद्यालय में होने वाली यौगिक क्रियायें विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य के साथ-साथ अनेक प्रकार के तनाव को न्यूतमक करने में रामबाण का कार्य करती है। मनानी, प्रीति तथा गौतम, कुमार (2011) द्वारा किए गए शोध अध्ययन के परिणामों से स्पष्ट है कि परीक्षा तनाव विद्यार्थियों को निराशा से भर देता है तथा उनके मस्तिष्क में आत्महत्या जैसे विचारों को भी जन्म दे देता है। यह तनाव उनके परीक्षा परिणामों पर भी बुरा प्रभाव डालता है। सिंह, जोगिंदर (2012) ने अपने लेख 'नो टेंशन' में लिखा कि हम यही सोचकर तनावग्रस्त रहते हैं कि हम सफल होंगे या नहीं। इससे हमारी सफलता संदेहात्मक हो जाती है और तनाव भी बढ़ता है। मेंटल हेल्थ फाउंडेशन (2018) के अनुसार मानसिक बीमारियों में तनाव व दबाव मुख्य हैं। भटनी देवी व मीतू (2003) के अनुसार यौगिक क्रियाओं के अभ्यास से चिंता का स्तर कम होता है और समायोजन क्षमता बढ़ती है। योग न केवल मानव मात्र के कल्याण की एक विधा है, अपितु संपूर्ण जीवन शैली को संयमित और संतुलित कर मानव जाति के उत्थान का सर्वोत्कृष्ट मार्ग है। रानी एवं राव (2005) के अनुसार योगाभ्यास के परिणाम स्वरूप हताशा व तनाव में एक विशिष्ट कमी आती है। बेरान (1992) के अनुसार 'तनाव एक ऐसी बहुआयामी प्रक्रिया है जो लोगों में वैसे घटनाओं के प्रति अनुक्रिया के रूप में उत्पन्न होती है जो हमारे दैहिक एवं मनोवैज्ञानिक कार्यों को विघटित करती है' तनाव आधुनिक दौर के परिप्रेक्ष्य में एक सामान्य बातचीत का हिस्सा नहीं है अपितु एक सार्वजनिक मुद्दा बन गया है। डब्लू0एच0ओ0 (2016) की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में लगभग 8 लाख विद्यार्थियों ने परीक्षा तनाव के कारण आत्महत्या के मामले सामने आये। भारत में यही संख्या लगभग 2500 चिंहित की गई। सिंह (2022) प्रस्तुत शोध में निष्कर्ष निकाला गया कि योग एवं शारीरिक अभ्यास का बोर्ड परीक्षा के तनाव को नियन्त्रित करने में सहायक होता। राजेन्द्र एवं अन्य (2022) योगाभ्यास करने से विद्यार्थियों में आत्महत्या के भाव में कमी, परीक्षा तनाव में कम एवं विभिन्न प्रकार मादक पदार्थो के सेवन में लगातार कमी सहायक होता है। भुवन एवं मिश्रा (2019) ने अपने शोध में पाया कि यौगिक क्रियाओं में संलग्न रहने वाले विद्यार्थियों का परीक्षा तनाव में कमी एकाग्रता में वृद्धि पायी गयी है। हंसराज(2020) ने बताया की योग का महत्व मानव जीवन की हर एक मनोवैज्ञानिक अवस्था में अत्यन्त आवश्यक

है। योग मनुष्य को सुखपुर्वक एवं स्वस्थ्य जीवन के लिए महत्वपूर्ण बताया है।

शोध का औचित्य– संदर्भ साहित्य की समीक्षा करने से ज्ञात होता है कि अभी तक विद्यार्थियों के परीक्षा तनाव पर योगाभ्यास अथवा यौगिक क्रियाओं के प्रभाव से संबंधित अधिकांश शोध कार्य माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर हुए हैं अभी तक पूर्व माध्यमिक स्तर पर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में अध्यनरत बालिकाओं के परीक्षा तनाव पर यौगिक क्रियाओं के प्रभाव से संबंधित शोध कार्य नहीं हुआ है। शोधार्थी द्वारा उक्त विषय का चयन करने का कारण यह भी है कि वर्तमान जीवन शैली खान–पान, रहन–सहन, अस्वस्थ वातावरण, आर्थिक शैक्षिक प्रतिस्पर्धा विद्यार्थियों के न केवल शारीरिक स्वास्थ्य अपितु मानसिक स्वास्थ्य, संवेगात्मक स्वास्थ्य और सामाजिक दक्षता को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहे हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का प्रारम्भ केंद्र सरकार द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सहयोग से 2004 में किया गया। देश के दुर्गम एवं पिछड़े क्षेत्रों की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग एवं बी0 पी0 एल0 परिवारों की शिक्षा से वंचित बालिकाओं की शिक्षा की उचित व्यवस्था के लिए कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय खोले गए ताकि शिक्षा के मौलिक अधिकार की प्रतिपूर्ति हो सके। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में अध्ययनरत बालिकाओं के परीद्ध कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में अध्ययनरत बालिकाओं के परीक्षा तनाव पर योगिक क्रियाओं के प्रभाव पर अध्ययन नही हुआ इसलिए प्रस्तुत शोध अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत होती है।

शोध के उद्देश्य:

1. कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय की योगाभ्यासी एवं गैर योगाभ्यासी बालिकाओं के परिक्षा तनाव का अध्ययन करना।
2. कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय की योगाभ्यासी एवं गैर–योगाभ्यासी बालिकाओं का परीक्षा तनाव का क्षेत्र के आधार पर अध्ययन करना।

शोध परिकल्पना:

1. कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय की योगाभ्यासी एवं गैर योगाभ्यासी बालिकाओं के परिक्षा तनाव के मध्य कोई सार्थक अन्तर नही है।
2. कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय की ग्रामीण योगाभ्यासी एवं ग्रामीण गैर–योगाभ्यासी बालिकाओं के परीक्षा तनाव के मध्य कोई सार्थक अन्तर नही है।
3. कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय की शहरी योगाभ्यासी एवं शहरी गैर–योगाभ्यासी बालिकाओं के परीक्षा तनाव के मध्य कोई सार्थक अन्तर नही है।

शोध का सीमांकन – योग दर्शन एवं यौगिक क्रियाओं का प्रशिक्षण अपने आप में एक वृहद दर्शन और प्रक्रिया है अत: प्रस्तुत शोध में योग दर्शन की यौगिक क्रियाओं को संक्षेपित व सारगर्भित रूप में ही कराया जाएगा। शोध अध्ययन के लिए उत्तर प्रदेश राज्य में बागपत जिले के बड़ौत ब्लॉक में संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में अध्ययनरत बालिकाओं का चयन किया गया।

अनुसंधान प्रविधि

अनुसंधान विधि– प्रस्तुत शोध पत्र में प्रयोगात्मक विधि का प्रयोग किया गया है।

न्यादर्श विधि एवं न्यादर्शन– शोध कार्य में न्यादर्श हेतु जिला बागपत में संचालित दो कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों में से एक विद्यालय का चयन लॉटरी विधी से किया गया जिसमें बडौत ब्लॉक में संचालित कस्तूरबा गॉधी बालिका विद्यालय का चयन किया गया। जिसमें अध्ययनरत् 100 बालिकाओं में से 50 बालिकाओं को योगभ्यासी समूह में तथा 50 बालिकाओं के गैर–योगाभ्यासी समूह नियन्त्रित किया गया।

शोध उपकरण– बालिकाओं के परीक्षा तनाव के मापन के लिए 'डॉ0 के0 एस0 मिश्र' द्वारा निर्मित परीक्षा तनाव मापनी (पॉइव पवान्इट स्केल) का प्रयोग किया गया। प्रयुक्त मापनी की विश्वसनीयता अर्ध विच्छेदन विधि द्वारा 0.71 ज्ञात की गई।

प्रदत्तों एकत्रीकरण – न्यादर्श के चुनाव के पश्चात् पूर्व परीक्षण कर बालिकाओं के परीक्षा तनाव सम्बन्धित आंकड़ो का एक्त्रीकण परीक्षा तनाव मापनी द्वारा किया गया। तत्पश्चात् नियन्त्रित बालिकाओं के समूह को एक माह तक षट्कर्म, प्रणायाम एवं आसन नियमित रूप से कराये गयें। मापनी की सहायता से पुन: आंकड़ों का एकत्रीकरण करके सांख्यिकिकी विधियों का प्रयोग किया गया।

प्रक्रिया :– प्रक्रिया में चार चरण शामिल किये गये थे तथा नीचे नमूने की आरेखीय रूपरेखा प्रस्तुत की गई है।

प्रथम चरण :– **प्रतिदर्श का चुनाव**

द्वितीय चरण :– **पूर्व–परीक्षण**

निम्न परीक्षण 100 योगाभ्यासी एवं गैर–योगाभ्यासी विद्यार्थियो पर किये गये

शोध उपकरण– बालिकाओं के परीक्षा तनाव के मापन के लिए 'डॉ0 के0 एस0 मिश्र' द्वारा निर्मित परीक्षा तनाव मापनी (पॉइव पवान्इट स्केल) का प्रयोग किया गया।

तृतीय चरण :– प्रयोगात्मक उपचार।

प्रथम माह –सूक्ष्म क्रियाएं :– अंगसंचालन – 5 मिनट प्रत्येक दिन

षटक्रिया या षट्कर्म :–कपालभाति – 5 चक्र प्रत्येक दिन 5 मिनट के लिए

- त्राटक – 2 मिनट प्रत्येक दिन

आसन :– ध्यानात्मक आसन – 2 से 3 मिनट प्रत्येक दिन

ध्यानात्मक आसन पर्दैमासन

प्राणायाम–

- अनुलोम–विलोम– 5 चक्र प्रत्येक दिन 2 मिनट के लिए।
- शीतली – 5 चक्र प्रत्येक दिन 2 मिनट के लिए।
- शीतकारी – 5 चक्र प्रत्येक दिन 2 मिनट के लिए।

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XL

- भ्रामरी –5 चक्र प्रत्येक दिन 2 मिनट के लिए।
- ध्यान – 2 मिनट प्रत्येक दिन ।

द्वितीय माह– सूक्ष्म क्रियाएं :– अंगसंचालन – 7 मिनट प्रत्येक दिन

षटक्रिया या षट्कर्म–कपालभाति – 15 चक्र प्रत्येक दिन 5 मिनट के लिए

त्राटक – 3 मिनट प्रत्येक दिन

आसन :– ध्यानात्मक आसन – 5 मिनट प्रत्येक दिन

प्राणायाम :–अनुलोम–विलोम– 10 चक्र प्रत्येक दिन 5 मिनट के लिए।

- शीतली – 7 चक्र प्रत्येक दिन 2 मिनट के लिए।
- शीतकारी – 7 चक्र प्रत्येक दिन 3 से 4 मिनट के लिए।
- भ्रामरी – 10 चक्र प्रत्येक दिन 5 मिनट के लिए।

ध्यान :– 10 मिनट प्रत्येक दिन ।

तृतीय माह

सूक्ष्म क्रियाएं :– अंगसंचालन – 7 से 10 मिनट प्रत्येक दिन

षटक्रिया या षट्कर्म–कपालभाति – 30 चक्र प्रत्येक दिन 10 से 15 मिनट के लिए

- त्राटक – 5 मिनट प्रत्येक दिन

आसन :– ध्यानात्मक आसन – 5 से 8 मिनट प्रत्येक दिन

प्राणायाम :–अनुलोम–विलोम– 10 चक्र प्रत्येक दिन 10 से 12 मिनट के लिए।

- शीतली – 10 चक्र प्रत्येक दिन 5 मिनट के लिए।
- शीतकारी – 10 चक्र प्रत्येक दिन 5 मिनट के लिए।
- भ्रामरी – 20 चक्र प्रत्येक दिन 10 मिनट के लिए।

ध्यान :– 15 मिनट प्रत्येक दिन ।

चतुर्थ चरण :– पश्च–परीक्षण

उन्ही छात्रों पर पूर्ववत शोध उपकरणों का प्रयोग करके आंकडे एकत्रित किये गये।

शोध चर– प्रस्तुत शोध कार्य में यौगिक क्रियायें स्वतन्त्र चर तथा परीक्षा तनाव को आश्रित चर के रूप से निर्धारित किया गया।

सांख्यिकीकरण– प्राप्त आंकड़ों के सांख्यिकीकरण के लिए मध्यमान, मानक विचलन एवं क्रांतिक अनुपात का प्रयोग किया।

सांख्यिकी विश्लेषण एवं व्याख्या– शोधकर्ता ने आंकडों के एकत्रीकरण के पश्चात् विवरणात्मक एवं अनुमानित सांख्यकिकी का प्रयोग किया।

तालिका संख्या–1 परीक्षा तनाव के स्तर के आधार पर विवरण।

परीक्षा तनाव स्तर	(योगाभ्यासी)	प्रतिशत	(गैर–योगा भ्यासी)	प्रतिशत
उच्च स्तर	7	14.00%	16	32.00%
मध्यम स्तर	34	68.00%	30	60.00%
निम्न स्तर	9	18.00%	4	8.00%

तालिका संख्या 1 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि, 7(14 प्रतिशत) योगाभ्यासी बालिकाओं में उच्च स्तर, 34(68.0 प्रतिशत) बालिकाओं में मध्यम स्तर तथा 9(18 प्रतिशत) बालिकाओं में निम्न स्तर का परीक्षा तनाव पाया गया। 16(32 प्रतिशत) गैर–योगाभ्यासी बालिकाओं में उच्च स्तर, 30(60.0 प्रतिशत) मध्यम स्तर तथा 4(8 प्रतिशत) निम्न स्तर का परीक्षा तनाव पाया गया।

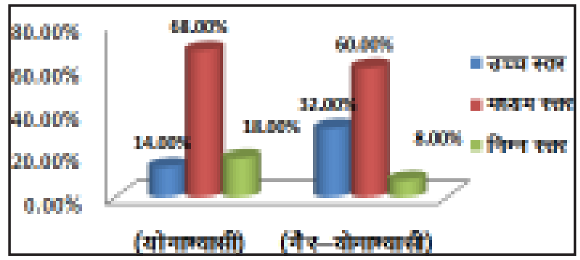

आरेख संख्या 1 बालिकाओं का परीक्षा तनाव का विवरण।

आलेख संख्या 1 से प्रदर्शित होता है, कि योगाभ्यासी बालिकाओं में सर्वाधिक बालिकाऐं मध्यम स्तर के परीक्षा तनाव, तथा सबसे कम बालिकाऐं उच्च स्तर के परीक्षा तनाव से सम्बन्धित है वही गैर–योगाभ्यासी बालिकाओं में सर्वाधिक मध्यम स्तर के परीक्षा तनाव वाली बालिकाऐं, तथा सबसे कम निम्न स्तर परीक्षा तनाव से सम्बन्धित बालिकाऐं पायी गयी।

तालिका संख्या 2 कस्तूरबा गॉधी बालिका विद्यालय की बालिकाओं में परिक्षा तनाव का विवरण।

परीक्षा तनाव	कुल विद्यार्थी	मध्यमान	मानक विचलन	टी मान	पी मान	सार्थकता
योगाभ्यासी बालिका	50	116.16	17.504	2.975	0.05	सार्थक**
गैर–योगा भ्यासी बालिका	50	127.10	19.230			

(स्वतन्त्रता स्तर = 98)

***0.05 सार्थकता स्तर, **0.01 सार्थकता स्तर**

उपरोक्त तालिका 2 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि कस्तूरबा गॉधी बालिका विद्यालय की 50 योगाभ्यासी बालिका एवं 50 गैर–योगाभ्यासी बालिका के परीक्षा तनाव संबंधी फलांकों का मध्यमान क्रमश: 116.16 तथा 127.10 एवं प्रमाणिक विचलन क्रमश: 17.504 तथा 19.230 प्राप्त हुआ। कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय की योगाभ्यासी एवं गैर योगाभ्यासी छात्राओं के परीक्षा तनाव में सार्थकता अन्तर की जाँच के लिए टी–अनुपात की गणना की गयीं। जिसमे परिगणित टी–अनुपात का मान 2.975 पाया गया। जो कि मुक्तांश 98 पर 0.01 सार्थकता स्तर के सारणिक मान 2.57 से अधिक है।

उपरोक्त विश्लेषण से ज्ञात होता है, कि 'कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय की योगाभ्यासी एवं गैर योगाभ्यासी छात्राओं के परीक्षा तनाव मे असमानता पायी गयी । निष्कर्ष के रूप में कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय की योगाभ्यासी एवं गैर योगाभ्यासी छात्राओं के परीक्षा तनाव के मध्य सार्थक अन्तर पाया गया। अत: इससे सम्बन्धित शून्य परिकल्पना 'कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय की योगाभ्यासी एवं गैर योगाभ्यासी छात्राओं के परीक्षा तनाव के मध्य कोई सार्थक अन्तर नही है', को अस्वीकृत किया जाता' है।

आरेख संख्या 2 बालिकाओं के परीक्षा तनाव सम्बन्धित माध्यमान एवं मानक विचलन।

आरे ... में योगाभ्यासी बालिकाओं की अपेक्षा अधिक परीक्षा तनाव है।

तालिका संख्या 3 ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाओं में परिक्षा तनाव के माध्यमान, मानक विचलन एवं टी मान का विवरण।

परीक्षा तनाव (ग्रामीण)	कुल विद्यार्थी	मध्यमान	मानक विचलन	टी मान	पी मान	सार्थकता
योगाभ्यासी	20	119.40	18.415	2.733	0.002	सार्थक**
गैर-योगाभ्यासी	20	134.55	16.593			

(स्वतन्त्रता स्तर = 38)

***0.05 सार्थकता स्तर, **0.01 सार्थकता स्तर**

उपरोक्त तालिका **3** के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि ग्रामीण क्षेत्र के कस्तूरबा गॉधी बालिका विद्यालय की 20 योगाभ्यासी बालिका एवं 20 गैर-योगाभ्यासी बालिका के परीक्षा तनाव संबंधी फलांकों का मध्यमान क्रमश: 119.40 तथा 134.55 एवं प्रमाणिक विचलन क्रमश: 18.415 तथा 16.593 प्राप्त हुआ। ग्रामीण क्षेत्र कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय की योगाभ्यासी एवं गैर योगाभ्यासी छात्राओं के परीक्षा तनाव में सार्थकता अन्तर की जाँच के लिए टी-अनुपात की गणना की गयीं। जिसमे परिगणित टी-अनुपात का मान 2.733 पाया गया। जो कि मुक्तांश 98 पर 0.01 सार्थकता स्तर के सारणिक मान 2.57 से अधिक है।

उपरोक्त विश्लेषण से ज्ञात होता है, कि ' ग्रामीण क्षेत्र कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय की योगाभ्यासी एवं गैर योगाभ्यासी छात्राओं के परीक्षा तनाव मे असमानता पायी गयी । निष्कर्ष के रूप में कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय की योगाभ्यासी एवं गैर योगाभ्यासी छात्राओं के परीक्षा तनाव के मध्य सार्थक अन्तर पाया गया। अत: इससे सम्बन्धित शून्य परिकल्पना ' ग्रामीण क्षेत्र कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय की योगाभ्यासी एवं गैर योगाभ्यासी छात्राओं के परीक्षा तनाव के मध्य कोई सार्थक अन्तर नही है', को अस्वीकृत किया जाता है।

आरेख संख्या 3 ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाओं के परीक्षा तनाव सम्बन्धित माध्यमान एवं मानक विचलन।

आरेख संख्या 3 से प्रदर्शित होता है, ग्रामीण क्षेत्र की गैर-योगाभ्यासी बालिकाओं में योगाभ्यासी बालिकाओं की अपेक्षा परिक्षा तनाव अधिक है।

तालिका संख्या 4 शहरी क्षेत्र की बालिकाओं में परक्षिा तनाव के माध्यमान, मानक विचलन एवं टी मान का विवरण।

परीक्षा तनाव (शहरी)	कुल विद्यार्थी	मध्यमान	मानक विचलन	टी मान	पी मान	सार्थकता
योगाभ्यासी	30	114.00	16.836	1.729	0.052	सार्थक**
गैर-योगाभ्यासी	30	122.13	19.511			

(स्वतन्त्रता स्तर = 58)

***0.05 सार्थकता स्तर, **0.01 सार्थकता स्तर**

उपरोक्त तालिका 4 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि शहरी क्षेत्र की कस्तूरबा गॉधी बालिका विद्यालय की 20 योगाभ्यासी बालिका एवं 20 गैर-योगाभ्यासी बालिका के परीक्षा तनाव संबंधी फलांकों का मध्यमान क्रमश: 114.00 तथा 122.13 एवं प्रमाणिक विचलन क्रमश: 16.836 तथा 19.511 प्राप्त हुआ। शहरी क्षेत्र की कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय की योगाभ्यासी एवं गैर योगाभ्यासी छात्राओं के परीक्षा तनाव में सार्थकता अन्तर की जाँच के लिए टी-अनुपात की गणना की गयीं। जिसमे परिगणित टी-अनुपात का मान 1.729 पाया गया। जो कि मुक्तांश 58 पर 0.05 सार्थकता स्तर के सारणिक मान 2.00 से कम है।

उपरोक्त विश्लेषण से ज्ञात होता है, कि ' शहरी क्षेत्र की कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय की योगाभ्यासी एवं गैर योगाभ्यासी छात्राओं के परीक्षा तनाव मे समानता पायी गयी । निष्कर्ष के रूप में शहरी क्षेत्र की कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय की योगाभ्यासी एवं गैर योगाभ्यासी छात्राओं के परीक्षा तनाव के मध्य सार्थक अन्तर नही पाया गया। अत: इससे सम्बन्धित शून्य परिकल्पना ' शहरी क्षेत्र की कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय की योगाभ्यासी एवं गैर योगाभ्यासी छात्राओं के परीक्षा तनाव के मध्य कोई सार्थक अन्तर नही है', को स्वीकृत किया जाता है।

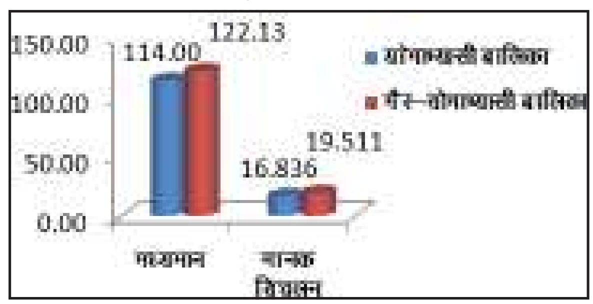

आरेख संख्या 4 शहरी क्षेत्र की बालिकाओं के परीक्षा तनाव सम्बन्धित माध्यमान एवं मानक विचलन।

आरेख संख्या 4 से प्रदर्शित होता है कि शहरी क्षेत्र की योगाभ्यासी बालिकाओं में परीक्षा तनाव गैर-योगाभ्यासी बालिकाओं से कम है।

निष्कर्ष एवं परिणाम -आंकड़ो के सांख्यकीकरण करने के पश्चात ज्ञात हुआ कि नियमित यौगिक अभ्यास करने पर परीक्षा तनाव में सार्थक रूप से कमी आती है। परिकल्पनाओं के आधार पर योगाभ्यासी बालिकाओं में सर्वाधिक मध्यम स्तर के परीक्षा तनाव, तथा उससे कम निम्न स्तर वाली बालिकाऐं पायी गयी। गैर-योगाभ्यासी बालिकोंओं में सर्वाधिक मध्यम स्तर के परीक्षा तनाव, तथा उससे कम निम्न स्तर वाली बालिकाऐं पायी गयी।योगाभ्यासी बालिकाओं में परीक्षा तनाव में कमी पायी गयी तथा क्षेत्र के आधार पर ग्रामीण क्षेत्र की गैर-योगाभ्यासी बालिकाओं में योगाभ्यासी

बालिकाओं की अपेक्षा परिक्षा तनाव अधिक है वही दूसरी और शहरी क्षेत्र के योगाभ्यासी बालिकाओं में परिक्षा तनाव गैर–योगाभ्यासी बालिकाओं से कम है। कुमार लखेड़ा (2020) के शोध परिणाम भी यौगिक क्रियाओं के सकारात्मक प्रभाव को प्रदर्शित करती है।

शैक्षिणिक सुझाव – सामाजिक व्यवहार यदि छात्रों का सुदृढ़ है तो वह किसी भी परिस्थिति में सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं। वर्तमान परिस्थिति में छात्र के विभिन्न प्रकार के तनावों जैसे परीक्षा तनाव सामाजिक तनाव कैरियर सम्बन्धित तनाव को सुदृढ़ बनाने के लिए शिक्षक एवं अभिभावक दोनों को सक्रिय रूप से अपनी भागीदारी निभानी पड़ेगी। विभिन्न शिक्षण संस्थानों के यौगिक क्रियाओं से सम्बन्धित प्रशिक्षण विद्यार्थियों को नियमित रूप से देना चाहिए साथ ही घर का ऐसा माहौल होना चाहिए जिसमें बच्चें किसी न किसी शारीरिक क्रियाओं में संलग्न रहे, चाहे वह कोई खेल हो या यौगिक क्रियाऐं। विभिन्न शोध अध्यनों के निष्कर्षो से यह ज्ञात होता है कि यौगिक क्रियायें (षट् कर्म, प्रणायाम एवं आसान) विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य को सुनियोजित करते है तथा साथ ही अनेक प्रकार के अप्रत्याशित तनावों एवं व्याधाओं से मुक्त रखते है। शिक्षकों को ऐसे वातावरण का निर्माण करना चाहिए जिससे वह छात्रों की समस्या को भयमुक्त कर पायें एवं अभिभावकों को घर का वातावरण इस प्रकार से तैयार करना चाहिए जिससे छात्र का मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहे वह अपना अधिगम कार्य ठीक प्रकार से कर पाए साथ ही अभिभावकों को अधिक जागरूक होने के साथ–साथ अपने व्यवहार में लचीलापन लाने की आवश्यकता है ताकि उनके बच्चे अपनी बातों को निर्भय होकर उनसे साझा कर पाएँ।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची:–

1. Banerjee, S. (2011). Effect of various counselling strategies on academic stress of secondary Level students. Unpublished Ph.D. Thesis, Punjab University, Chandigarh.
2. Batni devi and Meetu (2003) Effectiveness of selected yogic ezercise on anziey and adjustment of eleventh grades. Recent Research in Education and psychology, vol 8 (1) 85-88.
3. Bhuyan, B., & Mishra, P. K. (2019) Effects of yoga on performance in a letter-cancellation task under academic examination stress.
4. Bisht, A.R. (1980). A study of stress in relation to school climate and academic achievement (age group 13-17). Unpublished doctoral thesis, Education, kumaon university.
5. https://theyogainstitute.org/how-can-yoga-help-students-alleviate-examination-stress-and-make-them-perform-better/
6. J. V. Rama Chandra Rao (2015). Academic Stress among Adolescent Students, Conflux Journal ofEducation, ISSN 2320-9305 E-ISSN 2347-5706 vol 2(9). http://cjoe.naspublishers.com/
7. Krishan, L. (2014). Academic Stress among Adolescent In Relation To Intelligence and DemographicFactors, American International Journal of Research In Humanities, Arts And Social Sciences, ISSN (print): 2328-3734, ISSN (online): 2328-3696, ISSN (cd-rom): 2328- 3688 pp123-129.
8. Rajendran, V. G., Jayalalitha, S., & Adalarasu, K. (2022). EEG Based Evaluation of Examination Stress and Test Anxiety Among College Students. *Irbm*, *43*(5), 349-361.
9. Rani, J.N. and Rao, K.V.P. (2005) Impact of yoga training on body image and depression Andhra Unversity, Vishkhapatnam Psychological Studies, Vol 50(1)98-100.
10. Singh, R. (2022). A comparative study on effects of yoga and physical workout on psycho-physiological variables during examination stress in senior secondary school students.
11. राय, पी. एन., (2007). अनुसंधान परिचय, आगरा, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, आगरा प्रकाशन, आगरा।
12. सिंह, ए.के. (2009). मनोविज्ञान समाजशास्त्र तथा शिक्षा में शोध विधियाँ, मोतीलाल बनारसी दास प्रकाशन, दिल्ली।
13. कुमार, एस. एवं लखेड़ा एस. (2020) उच्च माध्यमिक स्तर में अध्ययनरत् योगाभ्यासी एवं गैर–योगाभ्यासी विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य, समायोजन एवं शैक्षिक तनाव में तुलनात्मक अध्ययन, शोधप्रबन्ध, हे0न0ब0 गढ़वाल वि0वि0 श्रीनगर।
14. गुप्ता एवं गुप्ता, (2008), शिक्षा के मनोवैज्ञानिक आधार, शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद।
15. सिंगल, पी0 (2021) विद्यार्थियों को परीक्षा में अगर अच्छें नंबरों से होना है पास तो इन बातों का का रखें विशेष ध्यान, जीवन उत्साह https://www.jeevanutsahnews.in/?p=46119
16. बेरॉन (1992) सन्दर्भित सामान्य मनोविज्ञान, अरूण कुमार सिंह (2010)दिल्ली मोतीलात बनारसी दास, पृ0 संख्या 754–756।
17. मनानी, प्रीति एवं गौतम, मुकेश कुमार (2011) एग्जामिनेशन एन्जाइटी एज ए डिटरमेन्ट ऑफ डिप्रेशन एण्ड सुसाइडल आइडिएशन एट हायर सकेण्डरी लेवल फोर्थ एनुअल इशु डी0 ई0 आई0 फोएरा पृ0 149–150।
18. सिंह, जोगेन्दर (2012) नो टेशन, अमर उजाला(उडान), आगरा संस्करण 08 फरवरी पृ0 1।
19. मुछाल, एम0 के0 (2004) योग के वैज्ञानिक पहलू, योजना, वोल्यूम 52 न0 2।
20. मुछाल, एम0 के0 (2005) मानसिक अवसाद एवं योग, योजना, वोल्यूम 49 न0 2।
21. मुछाल, एम0 के0 (2006) तनाव मुक्ति में योग, योजना, वोल्यूम, प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली वर्ष, 51 न0 1।
22. मुछाल, एम0 के0 (2009) प्राणायाम: रोगोपचार की सामर्थ्यदायी प्रक्रिया, योजना प्रकाशन, विभाग नई दिल्ली, वोल्यूम 52 न0 2।

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XL

Analysis of Gender Equality in Law Enforcement

Manaswi Agrawal*

***Research Scholar, University of Technology, Jaipur (Raj.) INDIA**

Abstract - Gender equality plays an effective role to develop the skills of teenagers and women to utilize all the social scopes and opportunities and lead a happy life against the violation. This study is going to provide a brief overview of gender equality and how it practices legal enforcement under the Indian government. Moreover, this study will discuss the importance to promote women's empowerment to make this study more informative and justified. Additionally, a brief discussion based on the gender equality law of the Indian government will be analyzed in this study. However, the legal progression of gender empowerment will be briefly evaluated in this following study.

Introduction - Gender equality protects violations against women and girls, especially teenagers in society. Gender equality tries to enhance the value of girls and women in the community and make stores healthier and safer as a proper human right. The following essay is going to focus on analyzing the importance of gender equality in law enforcement. This study will provide a vivid analysis to encourage women in law enforcement. Gender equality plays an important role to develop the economic background of the country. This study will represent a proper legal progression to improve the rate of gender equality.

Role of gender equality in law enforcement: The main purpose of gender equality is to ***empower women and girls*** and enhance their societal value. Gender economics plays an important role in bringing changes in the social aspects of girls and women. ***Gender inequality*** is recognized as one of the major societal issues across every corner of the world[1]. Thereafter, it provides a barrier between caste, color, religion, and creed of the people entire the world. Thereafter, the government decided to protect and prevent the life of women giants the violations and preserved the peace in their lifestyle. Various kinds of gender laws have been implemented throughout the entire world and enacted the practices that ***have blocked women in society and culture***. The majority of the women get suffered from workplace harassment and also explore at home with the rest of the family members.

Most teenagers cannot go to school to continue their education and become deprive too utilize all the social scopes and opportunities. Thereafter, gender equality enhances the ***safety and the mental condition*** of women and girl children by reducing domestic violence. According to ***Equality Act 2010***, the government has been able to reduce the violation against women and children[2]. This act replaces the existence of ***anti-discrimination laws*** by uplifting a single act. Based on the guidelines of this ***legal enforcement, inequality, and discrimination*** become properly differentiated to the worm in the community. On the other hand, women in society can raise their voices for social and equal rights and utilize societal opportunities to improve their living standards. This helps the native community to save individuals from unfair treatment and influences to build an equal and fair society.

Moreover, the ***Human Rights Act of 1998*** plays an important role to ***raise gender equality*** all over the world. This act lets all women defend their own rights and gain respect and societal dignity. This act ***raises the security and liberty*** of the women in society and protects their life and choose proper ways to live freely[3]. Gender equality needs to be maintained in the workplace to keep the dignity and self-respect of both male and female workers. However, the ***Equal Remuneration Act of 1976*** plays an effective legal component to provide equal pay for both female and male workers in the workplace. According to all the guidelines of this act, there will be ***no discrimination between women and men*** in workplace culture[4]. Thereafter, it can be said that representing women by ***developing leadership capabilities*** and ***uplifting decision-making skills*** can be enforced by gender equality.

This will be able to ***build a sustainable and gender-equal future*** in the upcoming days. This also trends to economic equality and brings a change in the male-dominated industry. On the other hand, the government needs to organizable various kinds of programs to help disadvantaged communities and the blocked women in the culture. Gender equality will measure all these difficulties and helps to ***empower women and improve the labor***

market. This will also trend to reproductive health in the future days and reflects the equality between males and females in society. Moreover, the Gender equality act ***helps women to pursue careers*** in law enforcement. As an example, it can be said that female police officers provide security to children and every woman to support legal enforcement.

Encouraging women in law enforcement: Gender equality plays an important role in providing safety and justice for all women in the community. ***Safety concerns*** can be improved and developed by the inspiration of legal enforcement ad develop the career of the majority of women. ***Participation of a woman*** in law enforcement can inspire many women to take a participation in legal enforcement, it will develop their careers and uplifts the future days to deal with any problematic situation[5]. This will also develop the leadership capabilities among all the women to lead to a better future. ***Meaningful participation in the legal enforcement*** of a woman can ***enhance operational effectiveness and build transparency*** in a trusting community. This will reduce the rate of gender-based crimes and workplace harassment. Based on a research study it has been observed that female workers are major in the number who are becoming harassed in the work culture.

Inspiring women in taking part in legal enforcement acts as a ***multidisciplinary approach*** to developing awareness of the importance of women in society[6]. It has been observed that women officers can ***improve their decision-making skills*** and develop the relationship between the common people and the police community. This will help the public by reducing the ***violence against society and especially male-dominated society***[7]. This will reflect a positive impact on the development of women's careers. Moreover, it has been recognized that women will be more responsible to perform every legal guideline to develop society. Women play an important and effective role in preventing gender violence and a crime against teenagers and children. Empowering women is essential for the social and mental development of societies and communities.

It can develop the safety of the lives of women and fulfilling their goals and make life more productive. Thereafter, every woman can ***reach their potential power and contribute to their country*** as well as their workplace. Thereafter, women will be able to change the mindset of their families and the entire society and help future generations lead a prospective and happy life. Women are also able to ***maintain sustainable economic development*** and provide a positive impact on humanity at large[8]. As female is seen as less valuable rather than boys or male workers in society, women need to develop themselves by raising their voices against gender inequity. Thereafter, it can be said that inspiring every woman to participate in legal enforcement can develop the origin and background of the country.

Despite the efforts to energy women in legal enforcement, ***more than 13% of women*** remain over the past few decades. Thereafter, the government authority needs to implement and organize various kinds of training programs to spread awareness among all women. The ***New York City Police department, Los Angles police department, Metropolitan police, and office of Justice programs*** are the major organizations to develop female law enforcement for the sake of developing the country and society. Based on a research observation it has been found that female officers can improve the quality of police services by incorporating excessive force. Thus, promoting every woman for legal enforcement can change the parameters of the country and will act as the backbone to prevent every violation.

Legal progress toward gender equality: Providing the same and equal rights to every man and man of a community is the major purpose of gender equality. It can be said that the ***WBL index*** plays a major part to improve ***gender equality by 63%*** and developing the measurements of legal rights for women by 30%[9]. It has also been observed that both entrepreneurship and mobility come close together and become able for treating both men and women. Most of business organizations have decided to provide parental leave to both the man and women for building an equal and better society. Every corner of the world has performed to develop legal progression for maintaining gender equality. ***North America*** is recognized as the first country that has legally progressed with the act and the guidelines of gender equality. On the other hand, Both Europe and ***Central Asia*** are considered as the second country in progressing step by step to develop gender equality and legal enforcement[10].

Developing leadership style and capabilities for every woman is the first progressive stage of regal enforcement. Organizing female organization to make them comfortable in participating in law enforcement is another stage of building gender equality. All of these can make a proper and sustainable society and community for the future generation. Every business organization needs to floor the guidelines of the gender equality law to ***make a sustainable environment*** because of both female and male workers. Through the ***commitment and the bold action of the government authorities*** gender equality can be progressed in a sustainable way[11]. Government authorities need to implement and promote new guidelines and laws to reduce the rate of violation to advance the process of gender equality. The Indian government organized a ***BBBP campaign by the end of 2015*** to ensure women's protection.

On the other hand, this campaign also progresses the importance of education for the girl child[12]. The major purpose of this campaign is to survive and educate the girl child and face all the barriers to lead a safe and happy life.

MSK is one of the major organized campaigns that was ***launched in the year of 2017*** for ***empowering women in rural and remote areas***. Both these two campaigns help Indian women to develop their cognitive skills and to adopt the capabilities to become successful in life. ***Working women hostel*** is ann well-known campaign to enhance the security and safety of working women for being independent. However, ***Article 16*** demonstrates all the opportunities for Indian citizens by enhancing the rate of employment[13]. The Indian government also declares ***Article 14 to uplift a balance between both male and female*** participants in the business environment. Moreover, it can be said that this article embodies a lot of general principles for uplifting equality and law to develop women's empowerment.

According to ***Article 15*** Indian government has prohibited discrimination based on color, caste, religion, and place of birth[1414]Nilekar, Prasanna, Chandralok Singh, and Ishika Gupta. "AN ASSESSMENT ON THE EMPLOYMENT PRACTICES BASED ON THE GENDER EQUALITY IN INDIAN IT INDUSTRY."

Based on the guidelines of ***Article 39*** of the Indian constitution, it has been identified that the economic system of this country will be developed by women's empowerment. The ***Maternity Benefit Act of 1961*** played an effective role to uplift the skills of married women and tried to develop their cognitive skills and opportunities[15]. Based on a research study, it has been observed that India has been progressing over the past few decades and reforming the laws to empower all the women in the community. Through the gender revolution, the women's employment rate has been uplifted and become the norm for teenagers and children. Thus, India has placed itself ***as 135 countries out of a total of 146 countries*** in its GGG index by 2022.

Conclusion: It can be concluded that gender equality can prevent the violation and protect women and children by developing their educational scope and opportunities. This study has focused on the role and importance of gender equality in law enforcement. Moreover, the importance to inspire women for taking part in legal enforcement has been analyzed in this following study. The importance of Indian acts to maintain gender equality in society and the workplace has been evaluated in this study. This study has also focused on the legal progression of the Indian government to develop safety and equality by empowering women and children an also teenagers.

References:-

1. Amos, David Moturi, and Deusdedita Lutego. "Role of Women Development Fund on Growth of Women Owned Businesses." *International journal of Engineering, Business and Management* 6.2 (2022).
2. Bennett, Nathan James, et al. "Blue growth and blue justice: Ten risks and solutions for the ocean economy." *Marine Policy* 125 (2021): 104387.
3. Betti, Eloisa. "Equal pay and social justice: Women's agency, trade union action and international regulations. italy, the ILO and the EEC in the global context (1951–1977)." *The International History Review* 44.3 (2022): 577-594.
4. Carrington, Kerry, et al. "Women-led police stations: reimagining the policing of gender violence in the twenty-first century." *Policing and society* 32.5 (2022): 577-597.
5. de Vries, Ieke, and Amy Farrell. "Explaining the Use of Traditional Law Enforcement Responses to Human Trafficking Concerns in Illicit Massage Businesses." *Justice Quarterly* (2022): 1-26.
6. Fatihayah, Delfina, and Marudut Bernadtua Simanjuntak. "Analysis Of The Importance Gender Equality In The "Kartini" Movie By Hanung Bramantyo." *LITERACY: International Scientific Journals of Social, Education, Humanities* 1.2 (2022): 83-93.
7. Hyland, Marie, Simeon Djankov, and Pinelopi Koujianou Goldberg. "Gendered laws and women in the workforce." *American Economic Review: Insights* 2.4 (2020): 475-490.
8. Kim, Nam Kyu. "When does women's political power matter? Women's representation and legal gender equality of economic opportunity across contexts." *European Political Science Review* 14.4 (2022): 583-599.
9. Kumar, Deepak, Bhanu Pratap, and Archana Aggarwal. "Affirmative action in government jobs in India: Did the job reservation policy benefit disadvantaged groups?." *Journal of Asian and African Studies* 55.1 (2020): 145-160.
10. Nilekar, Prasanna, Chandralok Singh, and Ishika Gupta. "AN ASSESSMENT ON THE EMPLOYMENT PRACTICES BASED ON THE GENDER EQUALITY IN INDIAN IT INDUSTRY." *Fostering Resilient Business Ecosystems and Economic Growth: Towards the Next Normal* 27.46 (2022): 514.
11. Norman, Mark, and Rosemary Ricciardelli. ""I Think It's Still a Male-Dominated World": Detachment Services Assistants' Perceptions and Experiences of a Gendered Police Organization." *Feminist Criminology* (2023): 15570851231153713.
12. Odera, Josephine A., and Judy Mulusa. "SDGs, gender equality and women's empowerment: what prospects for delivery." *Sustainable development goals and human rights: springer* (2020): 95-118.
13. Parmar, Miss Shiva, and Amit Sharma. "Beti Bachao Beti Padhao Campaign: An Attempt to Social Empowerment." *Journal of critical reviews* 7 (2020): 13.
14. Vijeyarasa, Ramona, and Mark Liu. "Fast fashion for 2030: Using the pattern of the sustainable development goals (SDGs) to cut a more gender-just fashion sector." *Business and Human Rights Journal* 7.1 (2022): 45-66.

15. Yuliartini, Ni Putu Rai. "Legal Protection of Women And Children From Violence In The Perspective Of Regional Regulation of Buleleng Regency Number 5 Year 2019." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 9.1 (2021): 89-96.

Footnotes:-

1. Fatihayah, Delfina, and Marudut Bernadtua Simanjuntak. "Analysis Of The Importance Gender Equality In The "Kartini" Movie By HanungBramantyo." *LITERACY: International Scientific Journals of Social, Education, Humanities* 1.2 (2022): 83-93.
2. Yuliartini, Ni Putu Rai. "Legal Protection of Women And Children From Violence In The Perspective Of Regional Regulation of Buleleng Regency Number 5 Year 2019." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 9.1 (2021): 89-96.
3. Vijeyarasa, Ramona, and Mark Liu. "Fast fashion for 2030: Using the pattern of the sustainable development goals (SDGs) to cut a more gender-just fashion sector."*Business and Human Rights Journal* 7.1 (2022): 45-66.
4. Betti, Eloisa. "Equal pay and social justice: Women's agency, trade union action and international regulations. italy, the ILO and the EEC in the global context (1951–1977)." *The International History Review* 44.3 (2022): 577-594.
5. de Vries, Ieke, and Amy Farrell. "Explaining the Use of Traditional Law Enforcement Responses to Human Trafficking Concerns in Illicit Massage Businesses." *Justice Quarterly* (2022): 1-26.
6. Carrington, Kerry, et al. "Women-led police stations: reimagining the policing of gender violence in the twenty-first century." *Policing and society* 32.5 (2022): 577-597.
7. Norman, Mark, and Rosemary Ricciardelli. ""I Think It's Still a Male-Dominated World": Detachment Services Assistants ' Perceptions and Experiences of a Gendered Police Organization." *Feminist Criminology* (2023): 15570851231153713.
8. Bennett, Nathan James, et al. "Blue growth and blue justice: Ten risks and solutions for the ocean economy."*Marine Policy* 125 (2021): 104387.
9. Kim, Nam Kyu. "When does women's political power matter? Women's representation and legal gender equality of economic opportunity across contexts." *European Political Science Review* 14.4 (2022): 583-599
10. Hyland, Marie, Simeon Djankov, and PinelopiKoujianou Goldberg. "Gendered laws and women in the workforce." *American Economic Review: Insights* 2.4 (2020): 475-490.
11. Odera, Josephine A., and Judy Mulusa. "SDGs, gender equality and women's empowerment: what prospects for delivery." *Sustainable development goals and human rights: springer* (2020): 95-118.
12. Parmar, Miss Shiva, and Amit Sharma. "Beti Bachao Beti Padhao Campaign: An Attempt to Social Empowerment." *Journal of critical reviews* 7 (2020): 13.
13. Kumar, Deepak, Bhanu Pratap, and Archana Aggarwal. "Affirmative action in government jobs in India: Did the job reservation policy benefit disadvantaged groups?."*Journal of Asian and African Studies* 55.1 (2020): 145-160.
14. Nilekar, Prasanna, Chandralok Singh, and Ishika Gupta. "An Assessment On The Employment Practices Based On The Gender Equality In Indian It Industry." *Fostering Resilient Business Ecosystems and Economic Growth: Towards the Next Normal* 27.46 (2022): 514.
15. Amos, David Moturi, and DeusdeditaLutego. "Role of Women Development Fund on Growth of Women Owned Businesses." *International journal of Engineering, Business and Management* 6.2 (2022).

****

वृद्ध महिलाओं की सामाजिक समस्याएँ: एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण

प्रियंका सालवी* प्रो. पी.एम. यादव**

* शोधार्थी (समाजशास्त्र) मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज.) भारत
** आचार्य एवं विभागाधयक्ष (समाजशास्त्र) मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज.) भारत

प्रस्तावना – वर्तमान में व्यक्तिवादिता बढ़ती जा रही है। आज समाज में पारिवारिक व सामाजिक विघटन हो रहा है जिसके कारण वृद्धजनों को उपेक्षा एवं समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वृद्धावस्था जीवन की ऐसी अवस्था है जब व्यक्ति अपने आप को हर दृष्टि से कमजोर पाता है। अपनी इन्द्रियों की अक्षमताओं के साथ-साथ शारीरिक अक्षमताओं का भी सामना करना पड़ता है। मानसिक क्षमता में भी धीरे-धीरे कमी आती है। आर्थिक रूप से दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। एक साथ आने वाली इन सभी कमजोरियों के साथ सामंजस्य करना बेहद मुश्किल है, लेकिन आधुनिकता के परिणामस्वरुप आज वृद्धों के साथ हिंसा, तिरस्कार, उपेक्षा बढ़ती जा रही है। इस प्रकार की घटनाएँ वृद्धों की स्थिति को और अधिक दयनीय व चिंतनीय विषय बना देती है। वर्तमान की आधुनिक चिकित्सा पद्धति ने नि:संदेह जीवन काल का विस्तार किया है। व्यक्ति की आयु में वृद्धि हुई है, परन्तु आयु बढ़ने से वृद्ध व्यक्तियों की समस्याओं में भी वृद्धि हुई है। प्राचीन काल में 'चिरायु भव' एक मंगल कामना मानी जाती थी, परंतु आज के संवेदनहीन समाज में यह मंगलकामना एक अभिशाप से कम नहीं मानी जा सकती क्योंकि आज समाज में वृद्ध जनों को अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वर्तमान में वृद्धजनों में महिलाओं की संख्या पुरुषों से कहीं अधिक है वृद्धावस्था में महिलाएँ अत्यधिक उपेक्षा, शोषण और प्रताड़ना की शिकार हो जाती है। अधिकतर महिलाएँ धन, सम्पत्ति, सत्ता और रोजगार से वंचित होती है। भारत में एक ओर जहाँ वृद्धों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर औद्योगीकरण नगरीकरण के कारण वृद्ध महिलाओं की प्रस्थिति अत्यन्त दयनीय होती जा रही है। आज वृद्ध महिलाओं के समक्ष अनेक समस्याएँ उत्पन्न हो गई है। वृद्ध महिलाओं की समस्याओं को मुख्यत: शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक एवं मानसिक में वर्गीकृत किया जा सकता है।

वृद्धावस्था में शारीरिक एवं मानसिक रूप से कमजोर होने से वे समूह एवं परिवार से अलग होने लगते हैं, जिसके कारण सामाजिक व पारिवारिक संबंधों में विपरीत प्रभाव पड़ने लगता है। जहाँ तक देखा गया है कि परिवार में सदस्यों के साथ मतभेद होने लगता है और नौकरी या व्यवसाय से मुक्त होने के कारण समाज एवं परिवार में उसका वर्चस्व, मान-सम्मान कम हो जाता है, जिससे इन्हें अपना जीवन-यापन करना कठिन महसूस होने लगता है। प्राय: यह देखा जा सकता है कि आधुनिक युग में परिवार या समाज के युवाओं की भावना एवं विचार में काफी बदलाव देखने को आता है, उनके रहन-सहन, व्यवहार आदि में अंतर आ जाता है। वृद्ध महिलाओं को सामाजिक समस्याओं के अंतर्गत अकेलेपन की समस्या, आवास की व्यवस्था, शारीरिक कमजोरी के कारण नित्यकर्मों में परिजनों के सहयोग का अभाव, उपेक्षित व्यवहार, आज्ञा पालन, इच्छा अनुसार भोजन की अनुपलब्धता एवं सामाजिक मेल मिलाप में पारिवारिक रोक टोक आदि प्रमुख समस्याएँ देखी गयी। प्रस्तुत शोध पत्र में इन्हीं सामाजिक समस्याओं को जानने का प्रयास किया गया है।

उद्देश्य एवं विधितंत्र–किसी भी शोध कार्य को शुरू करने से पूर्व उसके शोध उद्देश्य निर्धारित किये जाते है जिससे शोधकर्ता अपने शोध कार्य में अवांछित विषय वस्तुओं को सम्मिलित करने से भी बच जाता है जिससे शोध कार्य समय पर पूर्ण हो सके। प्रस्तुत शोध पत्र में शोधार्थी द्वारा शोध उद्देश्य का निर्धारण किया गया हैं। इस शोध पत्र के प्रमुख उद्देश्यअध्ययन क्षेत्र में वृद्ध महिलाओं की सामाजिक समस्याओं को चिन्हित करना एवं वृद्ध महिलाओं की सामाजिक समस्याओं के उत्तरदायी कारणों को जानना है।

निर्धारित शोध उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अध्ययन क्षेत्र राजस्थान के उदयपुर जिले से प्राथमिक सूचनाओं का संकलन किया गया। इस हेतु क्षेत्र सर्वेक्षण के द्वारा जिले की वल्लभनगर तहसील से 35 वृद्ध महिलाओं से व्यक्तिगत साक्षात्कार के द्वारा उनकी सामाजिक समस्याओं से सम्बन्धित विभिन्न पक्षों पर सूचनाओं का संकलन किया गया। इस हेतु पूर्व निर्मित साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया गया। संकलित की गयी सूचनाओं को बारम्बारता एवं प्रतिशत के द्वारा विश्लेषित कर तालिका एवं आरेख के द्वारा आंकड़ों को दर्शाया गया है।

उत्तरदाताओं की व्यक्तिगत एवं सामाजिक पृष्ठभूमि –अध्ययन क्षेत्र में वृद्ध महिलाओं की सामाजिक समस्याओं को जानने के लिये निदर्श उत्तरदाताओं से साक्षात्कार के माध्यम से आवश्यक सूचनाएँ एवं समस्याओं के बारे में जानकारी संकलित की गयी। उत्तरदाताओं की व्यक्तिगत एवं सामाजिक सूचनाओं को विश्लेषण उपरांत तालिका एवं आरेख में दर्शाया गया है।

आयु – आयु या उम्र समय का माप है जो एक जैवकीय तथ्य है। आयु व्यक्ति की शारीरिक अवस्था, परिपक्वता एवं विकास की प्रक्रिया को दर्शाता है। आयु जैवकीय तथ्य होने के साथ-साथ इसको सामाजिक तथ्य केरूप में भी माना जाता है। सामाजिक विभेदीकरण की प्रक्रिया में भी आयु को महत्वपूर्ण माना गया है। इसलिए उत्तरदाताओं से उनकी आयु सम्बन्धी सूचनाओं को प्राप्त कर विश्लेषित किया गया।

तालिका 1: आयु अनुसार उत्तरदाताओं का वर्गीकरण

क्र.	आयु वर्ग	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1	60 से 65 वर्ष	17	48.57
2	65 से 70 वर्ष	14	40.00
3	70 वर्ष से अधिक	4	11.43
	कुल	35	100.00

स्रोत : क्षेत्र सर्वेक्षण

आरेख में दर्शाए गये आंकड़ों के अवलोकन स्पष्टहै कि 17 (48.57 प्रतिशत) उत्तरदाता 60 से 65 वर्ष आयुवर्ग के अंतर्गत है। इसी प्रकार 14 (40.00 प्रतिशत) उत्तरदाता 65 से 70 वर्ष आयुवर्ग के अंतर्गत है एवं 4 (11.43 प्रतिशत) उत्तरदाता 70 वर्ष से अधिक आयुवर्ग के अंतर्गत है।

शिक्षा –इसी प्रकार उत्तरदाताओं से उनकी शैक्षणिक स्थिति पर सूचनाओं का संकलन किया गया क्योंकि शिक्षा व्यक्ति की सोच समझ, आचार व्यवहार व कार्यशैली, सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आरेख 1 में दर्शाये गए आंकड़ों के अवलोकन से स्पष्ट है कि उत्तरदाताओं को शैक्षणिक स्तर के अनुसार चार वर्गों में विभाजित किया गया है, क्रमश: स्नातक व उच्च, माध्यमिक स्तर, प्राथमिक एवं निरक्षर है।

आरेख : 1

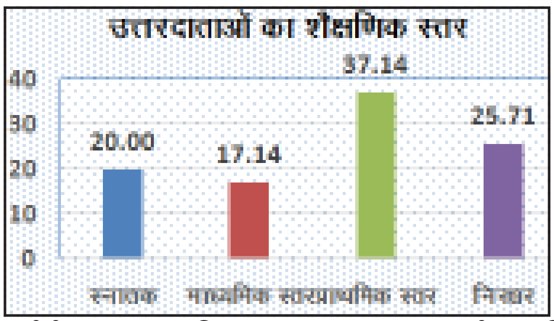

उत्तरदाताओं में 7 (20.00 प्रतिशत) उत्तरदाता स्नातक स्तर के तक शिक्षित है। इसी प्रकार 6 (17.14 प्रतिशत) उत्तरदाता माध्यमिक स्तर तक शिक्षित है एवं 13 (37.14 प्रतिशत) उत्तरदाता प्राथमिक स्तर तक शिक्षित है तथा 9 (25.71 प्रतिशत) उत्तरदाता निरक्षर है।

वैवाहिक स्थिति – मानव जीवन में वृद्धावस्था में वैवाहिक स्थिति का व्यक्ति की सामाजिक एवं मानसिक दशा पर बहुत गहरा प्रभाव होता है। यदि जीवन साथी साथ है तो व्यक्ति उसके साथ अपने दुख-सुख एवं भावनाओं को साझा कर सकता है। परस्पर एक दूसरे का ख्याल भी अच्छे से रख पाते हैं। दूसरी स्थिति में यदि पति साथ नहीं है या वैधाव्य की स्थिति है तो वृद्ध में एकाकीपन की भावना घर कर जाती है, साथ ही अपनी भावनाओं को इतने अच्छे से किसी को नहीं कह पते है न हैं कोई इतना समझ सकता है।

आरेख : 2

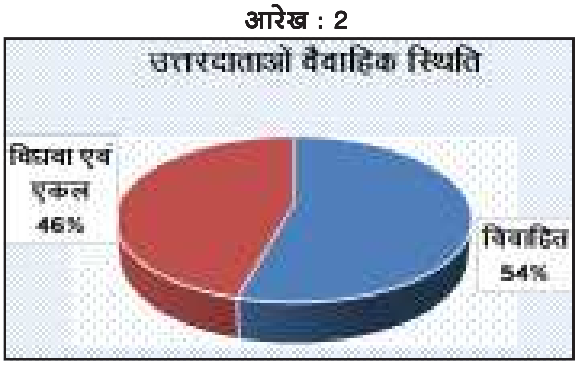

आंकड़ों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र में 19 (54.29 प्रतिशत) उत्तरदाता विवाहित स्थिति के अंतर्गत है तथा 16 (45.71 प्रतिशत) उत्तरदाता विधावा एवं एकल वैवाहिक स्थिति के अंतर्गत है।

वृद्ध महिलाओं की सामाजिक समस्याएँ – वृद्ध महिलाओं को शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक एवं मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वृद्ध महिलाओं को सामाजिक समस्याओं में अकेलेपन की समस्या, आवास की समस्या, शारीरिक कमजोरी के कारण नित्यकर्मो के सम्पादन में पारिवारिक सदस्यों के सहयोग का ना मिलाना, घर के सदस्यों का उनके प्रति उपेक्षित व्यवहार, घर से बच्चों एवं अन्य सदस्यों द्वारा उनकी आज्ञा पालन का न करना, इच्छा अनुसार भोजन की उपलब्धता नहीं होना एवं सामाजिक कार्यक्रमों में रोक टोक आदि प्रमुख समस्याएँ सामने आयी। सूचनाओं को विश्लेषण उपरांत तालिका एवं आरेख में दर्शाया गया है।

तालिका 2: उत्तरदाताओं द्वारा अनुभव की जा रही प्रमुख सामाजिक समस्याएँ

क्र.	सामाजिक समस्या के प्रकार	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1	अकेलेपन की समस्या	7	20.00
2	आवास की समस्या	6	17.14
3	इच्छानुसार भोजन की अनुपलब्धता	11	31.43
4	पारिवारिक सदस्यों के सहयोग का ना मिलाना	9	25.71
5	उपेक्षित व्यवहार	8	22.86
6	बच्चों एवं अन्य सदस्यों द्वारा आज्ञा पालन न करना	12	34.29
7	सामाजिक कार्यक्रमों में रोक टोक	14	40.00

स्रोत : क्षेत्र सर्वेक्षण

जैसे-जैसे व्यक्ति की उम्र में वृद्धि होती है उसे अकेलेपन की भावना परेशान करने लगती है। अनेकों बार यह देखा जाता है कि व्यक्ति साधन संपन्न होने के बावजूद भी बहुत से वृद्धजन अकेलेपन के कारण डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। यह स्थिति महिलाओं में और अधिक देखी जाती है क्योंकि जीवनसाथी पुरुष की पहले मृत्यु हो जाने के कारण वे अपने आप को अकेला महसूस करती है। उत्तरदाताओं से सामाजिक समस्याओं के विषय पर सूचनाओं को विश्लेषण से ज्ञात होता है कि अध्ययन क्षेत्र में सर्वेक्षित किये गये कुल 35 उत्तरदाताओं में से 7 (20.00 प्रतिशत) उत्तरदाता अकेलेपन की समस्या से परेशान हैं।

आरेख : 3 **(अन्तिम पृष्ठ पर देखे)**

बहुत सारी माताएं अपनी वृद्धावस्था में भी अकेले रहने को मजबूर होती है और उनको अपने निजी कार्यो के साथ-साथ जीवन यापन के साधन भी जुटाने पड़ते है। ऐसी स्थिति में जीवन बहुत दु:भर हो जाता है। हालाँकि ऐसे मामले बहुत कम देखने को मिलते है परन्तु ये किसी भी समझदार व्यक्ति की नजर में बहुत ही असहनीय स्थिति होती है। इसी प्रकार आवास सम्बन्धी व्यवस्था की समस्या को 6 (17.14 प्रतिशत) उत्तरदाता अपनी वृद्धावस्था में अनुभव कर रहे है ।इन उत्तरदाताओं ने बताया है कि इनको रहेने के लिए प्रयाप्त जगह की उपलब्धता नहीं हो रही है जिससे वे इस समस्या से काफी परेशानी भुगत रहे है।

किसी भी प्राणी के जीवन का अस्तित्व भोजन पर निर्भर करता है। कई

बार स्वास्थ्य कारणों या चिकित्सक के परामर्श अनुसार परहेज़, परिवारिक उपेक्षा, आर्थिक संकट आदि कारकों के प्रभाव से वृद्ध महिलाओं को उनकी इच्छा अनुसार भोजन नहीं मिलता है। अपनी इच्छा अनुसार भोजन नहीं मिलने से वृद्धावस्था में कुंठा एवं खीज का अनुभव होता है जिससे उनको मानसिक परेशानी भी होती है। उत्तरदाताओं से प्राप्त सूचनाओं को विश्लेषण उपरांत तालिका में दर्शाया गया है। आंकड़ों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र में 11 (31.43 प्रतिशत) उत्तरदाताओं को उनकी इच्छा अनुसार भोजन की उपलब्धता नहीं है जिससे वे समस्या महसूस करते है।

वृद्धावस्था में शारीरिक अक्षमता की दशा में सहयोग की एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। वृद्धावस्था में विभिन्न प्रकार की शारीरिक असमर्थता आती है जिसके कारण वृद्धों को अपने नित्यकर्म जैसे नहाना धोना, शौच, घूमने फिरने आदि में कठिनाई होने लगती है। शारीरिक अक्षमता के कारण वे अपने आप ये कार्य ठीक प्रकार से नहीं कर पाते हैं। अत: उनके इन कार्यो को सहज संपादित करवाने में किसी पारिवारिक सदस्य की आवश्यकता होती है। इस विषय पर उत्तरदाताओं से प्राप्त सूचनाओं को विश्लेषण उपरांत तालिका में दर्शाया गया है। आंकड़ों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र में 9 (25.71 प्रतिशत) उत्तरदाताओं को उनके नित्यकर्म सम्पादन पारिवारिक सदस्यों का सहयोग नहीं मिलता है जिससे वृद्ध महिलाओं को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

घर के किसी वृद्ध सदस्य से यदि अच्छा व्यवहार किया जाए तो उसका मानसिक संतुलन या स्वास्थ्य अच्छा रहता है। सामान्यतया यह देखा जाता है कि परिवार के सदस्य घर के वृद्धजनों या वृद्ध माता पिता को अनुपजाऊ या अनार्थिक समझने की भूल करते है और उनका बार–बार तिरस्कार भी करते है। वृद्धजनों को बोझ समझने लगते है। घर के वृद्ध सदस्यों कि बात को अनसुना किया जाता है जिससे वे उपेक्षित महसूस करते है। इस विषय पर उत्तरदाताओं से प्राप्त सूचनाओं के आंकड़ों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र में 8 (22.86 प्रतिशत) वृद्ध महिलाओं को पारिवारिक उपेक्षा का सामना करना पड़ता है।

वृद्ध के अंत:करण में यह धारणा होती है कि परिवार के लोग खासकर बच्चे जो परिवार के सबसे छोटे सदस्य हैं उनकी आज्ञा पालन करें। यदि परिवार के बच्चे उनका आज्ञा पालन करते हैं तो उनका अधिकार भाव पुष्ट हो जाता है, और वे सुखद अनुभव करते हैं। इसके विपरीत कई बार परिवार के बच्चों द्वारा आज्ञा पालन नहीं करने पर उनमें क्रोध का संचार होता है जिसका प्रभाव मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। इस विषय पर उत्तरदाताओं से प्राप्त सूचनाओं के आंकड़ों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र में 12 (34.29 प्रतिशत) वृद्ध महिलाओं को यह महसूस होता है की उनके पारिवारिक सदस्य उनकी आज्ञा पालन नहीं करते है जिससे उनको परेशानी महसूस होती है।

मानव एक सामाजिक प्राणी है और अपने कुटुंब, समाज, रिश्तेदारों, मित्रों आदि से मेल मिलाप की उसकी स्वभाविक इच्छा होती है परंतु वृद्धावस्था के दौरान शारीरिक क्षीणता होने से एवं पारिवारिक उपेक्षा आदि के कारण उन्हें सामाजिक मेल मिलाप में रोक–टोक की जाती है जिससे उन्हें परेशानी महसूस होती है। इस विषय पर वृद्ध महिला उत्तरदाताओं से पूछा गया और प्राप्त सूचनाओं को विश्लेषण उपरांत तालिका में दर्शाया गया है जिससे स्पष्ट है की अध्ययन क्षेत्र में 14 (40 प्रतिशत) वृद्ध महिलाओं को इस सामाजिक समस्या का सामना करना पड़ता है।

सामाजिक समस्याओं के उत्तरदायी कारण –वृद्ध महिलाओं की विभिन प्रकार की सामाजिक समस्याओं के विषय में जानकारी संकलित करने के साथ–साथ उत्तरदाताओं से इन सामाजिक समस्याओं के उतरदायी कारणों को भी जानने का प्रयास किया गया। उत्तरदाताओं की सामाजिक समस्याओं के पृष्ठ में विभिन प्रकार के उत्तरदायी कारण सामने आये। उत्तरदायी कारणों में सम्पति का स्वामित्व हस्तांतरण, अन्य लोगो के प्रभाव से, परिवार के सदस्यों में सहनशीलता का अभाव, समर्पण या सेवाभाव का अभाव, अकुशल आर्थिक प्रबन्धान, नशावृति एवं आधुनिकता का प्रभाव आदि के परिणामस्वरूप वृद्ध महिलाओं को सामाजिक समस्याओं का सामान करना पड़ता है।

निष्कर्ष–प्रस्तुत शोध कार्य के निष्कर्षरूप में देखा जाये तो यह स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र उदयपुर जिले में वृद्ध महिलाओं को विभिन्न प्रकार की सामाजिक समस्याओं को सामना करना पड़ता है। विभिन्न सामाजिक पृष्ठभूमि वाली वृद्ध महिलाओं को वृद्धावस्था में अनेकों प्रकार की सामाजिक समस्याओं का सामान करना पड़ता है जिसके कारण इन वृद्ध महिलाओं को मानसिकरूप से भी परेशान होना पड़ता है। इन सामाजिक समस्याओं में अधिकांश समस्याएँ उनके परिवार के सदस्यों के व्यवहारगत कारणों से ही उत्पन्न होती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. दास, फणि भूषण, (2018) वृद्धावस्था एवं स्वास्थ्य समस्याएँ, सस्ता साहित्य मण्डल प्रकाशन, नई दिल्ली।
2. भारतीय, ओम प्रकाश (2010) वृद्ध महिलाओं की सामाजिक समस्याएँ, कला प्रकाशन, वाराणासी।
3. कुमारी ललिता, वृद्ध महिलाओं की सामाजिक एवं पारिवारिक स्थिति: एक अध्ययन, National Journal of Multidisciplinary Research and Development, Volume 5, Issue 3, 2020, Pages 13-18.
4. Verma, P.(2005) Born to Serve The State of Old Women and Widows in India. Off Our Backs] 35(9/10) 38–39. http.//www.jstor.org/stable/20838472

आरेख : 3

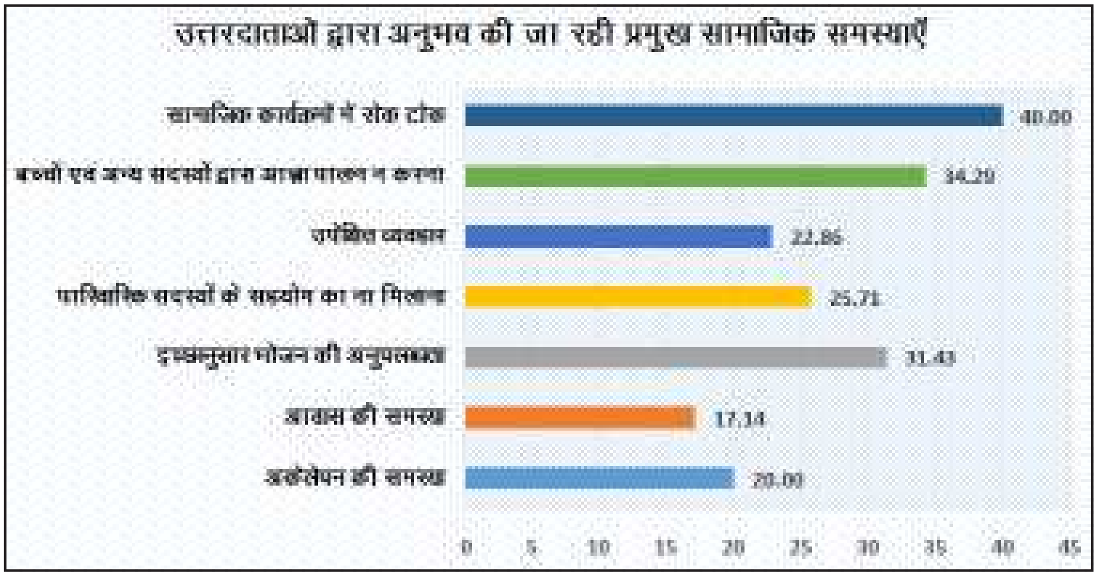
उत्तरदाताओं द्वारा अनुभव की जा रही प्रमुख सामाजिक समस्याएँ
सामाजिक कार्यक्रमों में रोक टोक
बच्चों एवं अन्य सदस्यों द्वारा आज्ञा पालन न करना
उपेक्षित व्यवहार
पारिवारिक सदस्यों के सहयोग का ना मिलना
इच्छानुसार भोजन की अनुपलब्धता
आवास की समस्या
अकेलेपन की समस्या
40.00
34.29
22.86
25.71
31.43
17.14
20.00
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XL

उच्चतर माध्यमिक स्तर के एन.सी.सी. कैडेट्स, एन.एस.एस. स्वयं सेवकों एवं सामान्य विद्यार्थियों की समायोजन क्षमता व नैतिक मूल्यों के संदर्भ में तुलनात्मक अध्ययन

डॉ. विजया थोटेकर*

* सहायक प्राध्यापक (शिक्षा संकाय) राजीव गाँधी महाविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य उच्चतर माध्यमिक स्तर के एन.सी.सी. कैडेट्स, एन.एस.एस. स्वयं सेवकों एवं सामान्य विद्यार्थियों की समायोजन क्षमता व नैतिक मूल्यों के संदर्भ में तुलनात्मक अध्ययन करना था। जिसमें न्यादर्श के रूप में भोपाल शहर के तीन स्कूल जिसमें एन.सी.सी. व एन.एस.एस कार्यक्रम संचालित होते है का चयन किया गया। उपकरण के रूप में आर.के.ओझा की बैल की समायोजन परिसूची तथा नैतिक मूल्य परीक्षण एल.एन.दुबे विद्या भारती प्रकाशन का उपयोग किया गया। निष्कर्ष में पाया गया कि एन.सी.सी. कैडेट्स व एन.एस.एस. स्वयं सेवकों की समायोजन क्षमता में सार्थक अंतर है व सामान्य विद्यार्थी नैतिक मूल्य के संदर्भ में तुलनात्मक रूप से निम्न स्थान पर है तथा उनका नैतिक मूल्य प्राप्तांक औसत पाया गया।

शब्द कुंजी – ग्रह, स्वास्थय, सामाजिक, संवेगात्मक, ईमानदारी, लगनशीलता, मानवता, विनम्रता।

प्रस्तावना – जीवन के पथ प्रदर्शन के रूप में मूल्य अनुभवों के साथ परिपक्व होते जाते है और व्यक्ति के व्यवहार में परिलक्षित होते है। मनुष्य अनुभवों को अपने वातावरण से समायोजन कर अपने स्वयं के व्यक्तित्व में चिन्हित गुणों के माध्यम से अर्जित करता है। उसका जीवन वातावरण से प्रभावित होता रहता है व्यक्ति की आंतरिक शक्तियों के संपर्क में आती है। फिर इन शक्तियों के मध्य संतुलन स्थापित होता है। इसी संतुलन का परिणाम समायोजन होता है और यही समायोजन व्यक्तित्व गुण और नैतिक मूल्यों का सृजन करता है।

ष्यदि समायोजन क्षमता होते हुए भी व्यक्ति के आचरण व मूल्यों में विसंगतियाँ पाई जाती हैं तो उस व्यक्ति को समाज लक्ष्यहीन मानता है अर्थात नैतिक मूल्यों एवं समायोजन दोनों ही मानव समाज के लिए आवश्यक है। जहाँ समायोजन अपनी समस्याओं और तनावों से मुक्ति हेतु किया गया मानव प्रयास है वही नैतिक मूल्य एक व्यक्ति के गुण व्यवहार प्रतिमान और विषेषताओं का उल्लेख करते है।

नवीन शिक्षा प्रणाली में शिक्षा को बाल केन्द्रित तथा शिक्षा के लक्ष्य को विकासोन्मुखी बनाया गया है। बालक की मानसिक दक्षता समायोजन क्षमता, नैतिक मूल्य निर्धारण में अभिरूचि विकसित करने के लिए पाठ्य सहगामी क्रियाएँ संचालित की जाती है। वर्तमान में विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए एन.सी.सी. एवं एन.एस.एस. आदि कार्यक्रमों व गतिविधियों का आयोजन विद्यालयों में किया जाता है। विद्यार्थी स्वरूचि व स्व प्रेरणा से इनका चयन करते है एवं इनमें प्रतिभाग करते है।

अध्ययन की आवश्यकता– वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति ने जहाँ एक और अनेक भौतिक सुविधाएँ प्रदान की है, वहीं दूसरी और इसके कारण व्यक्ति के जीवन में तनाव–दुश्चिंताएँ बढ गई है। जीवन की गति इतनी तीव्र हो गई है कि व्यक्ति पग–पग पर कठिनाईयों का अनुभव करता है। प्रत्येक व्यक्ति का जीवन निश्चित मानव मूल्यों को धारण किए रहता है। यही मूल्य उसकी समायोजन क्षमता को बनाए रखने में सहायक होते है जिसके कारण व्यक्ति समाज के प्रति अपने कर्त्तव्यों को निरंतर बखूबी ढंग से निभाता है। अत: समायोजन क्षमता व नैतिक मूल्यों का समावेश विद्यार्थियों में परम आवश्यक है। इसी कारण समायोजन क्षमता एवं नैतिक मूल्यों के विकास हेतु विद्यालय में कई गतिविधियों का आयोजन किया जाता है, इन्हीं में से एन.सी.सी. व एन.एस.एस. प्रमुख है।

अध्ययन के उद्देश्य:

1. उच्चतर माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की समायोजन क्षमता का अध्ययन करना।
2. एन.सी.सी. कैडेट्स, एन.एस.एस. स्वयं सेवकों तथा सामान्य विद्यार्थियों की समायोजन क्षमता का तुलनात्मक अध्ययन करना।
3. उच्चतर माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के नैतिक मूल्यों का अध्ययन करना।

अध्ययन की परिकल्पनाएँ :

1. उच्चतर माध्यमिक स्तर के छात्र व छात्राओं की समायोजन क्षमता में सार्थक अंतर नहीं है।
2. एन.सी.सी. कैडेट्स, एन.एस.एस. स्वयं सेवकों तथा सामान्य विद्यार्थियों की समायोजन क्षमता में सार्थक अंतर नहीं है।
3. उच्चतर माध्यमिक स्तर के छात्र व छात्राओं के नैतिक मूल्यों में सार्थक अंतर नहीं है।

न्यादर्श – प्रस्तुत अध्ययन में न्यादर्श हेतु भोपाल शहर के तीन स्कूल जिसमें एन.सी.सी.व एन.एस.एस. कार्यक्रम संचालित होते है का चयन किया गया है। शोध हेतु यादृच्छिकी न्यादर्श विधि का चुनाव सांयोगिक आधार पर किया गया है। अत: इस शोध प्रपत्र के अध्ययन हेतु उच्चतर माध्यमिक स्तर

के 90 विद्यार्थियों को यादृच्छिकी न्यादर्श विधि द्वारा चुना गया है।

शोध उपकरण – किसी भी शोध कार्य हेतु प्रदत्तों का संकलन करने के लिए प्रमाणीकृत परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है। अत: प्रस्तुत शोध कार्य की समस्या से संबंधित प्रमाणीकृत परीक्षणों में बैल की समायोजन परिसूची का रूपांतरण आर.के. ओझा का उपयोग किया गया। नैतिक मूल्य परीक्षण हेतु विद्या भारती प्रकाशन शोध केन्द्र सरस्वती शिक्षा महाविद्यालय जबलपुर का प्रयोग किया गया।

शोध विधि – प्रस्तुत शोध अध्ययन में सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया।

तालिका क्रमांक – 1 (निचे देखे)

तालिका क्रमांक–1 के अवलोकन से स्पष्ट है कि परिकलित टी–मान 0.14 है जो कि 0.05 विश्वास के स्तर पर सार्थक नहीं है। अत: शून्य परिकल्पना 'उच्चतर माध्यमिक स्तर के छात्र व छात्राओं की समायोजन क्षमता में कोई सार्थक अंतर नही हैं' स्वीकार की जाती है।

तालिका क्रमांक – 2 (निचे देखे)

तालिका क्रमांक–2 के अवलोकन से स्पष्ट है कि टी–मान 3.97 प्राप्त होता है जो 0.01 स्तर पर सार्थक है अत: शून्य परिकल्पना अस्वीकृत की जाती है व निष्कर्ष निकाला जाता है कि एन.सी.सी. कैडेट्स, एन.एस.एस. स्वयं सेवकों की समायोजन क्षमता में सार्थक अंतर है।

तालिका क्रमांक – 3(निचे देखे)

तालिका क्रमांक– 3 के अवलोकन से स्पष्ट है कि परिकलित टी–मान 1.833 है जो 0.05 स्तर पर सार्थक नहीं है। अत: शून्य परिकल्पना–'उच्चतर माध्यमिक स्तर के छात्र व छात्राओं के नैतिक मूल्यों में सार्थक अंतर नहीं है, स्वीकृत की जाती है।'

निष्कर्ष – यह पाया गया कि उच्चतर माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की समायोजन क्षमता औसत या सामान्य स्तर की है। एन.सी.सी. कैडेट्स, एन.एस.एस. स्वयंसेवक व सामान्य विद्यार्थियों की समायोजन क्षमता में सार्थक अंतर है। उच्चतर माध्यमिक स्तर के छात्राओं के समूह में नैतिक मूल्यों का मानक विचलन छात्रों की अपेक्षा अधिक है। अत: छात्र समूह छात्राओं की अपेक्षा नैतिक मूल्य के संदर्भ में अधिक समांगी है। सामान्य विद्यार्थी नैतिक मूल्य के संदर्भ में तुलनात्मक रूप से निम्न स्थान पर है तथा उनका नैतिक मूल्य प्राप्तांक औसत है।

सुझाव:

1. समायोजन क्षमता व्यक्तित्व विकास के लिये परम आवश्यक है, अत: पाठ्यक्रम में समायोजन क्षमता के विकास के लिये एन.सी.सी. व एन.एस.एस. कार्यक्रमों में भाग लेने के लिये प्रोत्साहित करना चाहिए।
2. विद्यालय में विद्यार्थियों को एन.सी.सी. व एन.एस.एस. में प्रतिभाग करने के लाभों से परिचित कराने के लिये समुचित मार्गदर्शन की व्यवस्था की जानी चाहिए।
3. एन.सी.सी. व एन.एस.एस. कार्यक्रमों में प्रतिभाग करने वाले छात्रों को पुरूस्कार प्रदान किये जाने चाहिये।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. अवस्थी, दिलीप 1989 आ स्टडी ऑफ टीचिंग इफैक्टिव नैस ऑफ आर्मी टीचर एण्ड पर्सनलिटी फैक्टर, लघुशोध कार्य, एम. एड. भोपाल:
2. गैरिट, ई.हेनरी 2000 शिक्षा एवं मनोविज्ञान में सांख्यिकी, नई दिल्ली: कल्याणी पब्लिशर्स।
3. शर्मा, आर. ए. 2009 'शिक्षा तथा मनोविज्ञान में मापन एवं मूल्यांकन' मेरठ: इंटरनेशनल पब्लिशिंग हाउस।
4. त्रिपाठी, बी.के. 2003–04, +2 स्तर के सामान्य एवं जूनियर रेडक्रास दलें छात्रों की समायोजन शीलता का अध्ययन, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल:

तालिका क्रमांक – 1: उच्चतर माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की समायोजन क्षमता का टी–मान

क्रं.	विद्यार्थियों का प्रकार	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	टी–मान	सार्थकता स्तर
1.	छात्र	45	34.38	16.99	0.14	0.05 स्तर पर सार्थक नहीं
2.	छात्राएँ	45	34.80	15.60		
	योग	90	34.57	16.22		

तालिका क्रमांक – 2: एन.सी.सी. कैडेट्स, एन.एस.एस. स्वयं सेवकों व सामान्य विद्यार्थियों की समायोजन क्षमता का टी–मान

	विद्यार्थियों का प्रकार	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	टी–मान	सार्थकता स्तर
समायोजन	एन.सी.सी. कैडेट्स	30	32.40	9.061	3.97	0.01 स्तर पर सार्थक
	एन.एस.एस. स्वयं सेवक	30	23.23	8.831		

तालिका क्रमांक – 3: उच्चतर माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के नैतिक मूल्यों का टी–मान

क्रं.	विद्यार्थियों का प्रकार	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	टी–मान	सार्थकता स्तर
1.	छात्र	45	46.38	16.71	1.833	0.05 सार्थकता स्तर पर सार्थक नहीं है
2.	छात्राएँ	45	53.71	21.01		
	योग	90				

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XL

रक्ताल्पता के सामाजिक-सांस्कृतिक कारक एवं परिणाम

डॉ. लक्ष्मी मेहरा*

* पोस्ट डॉक्टारोल फैलो, आई.सी.एस.एस.आर., दिल्ली, भारत

प्रस्तावना – रक्ताल्पता एक ऐसी स्थिति या रोग है जिसमें व्यक्ति के शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं की कमी हो जाती है, जिसके चलते ऊतकों तक प्रयाप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाता। इस समस्या की वजह से व्यक्ति काफी कमजोर और थका हुआ महसूस करना शुरू कर देता है, साथ ही त्वचा भी पीली पड़नी शुरू हो जाती है। सरल शब्दों में कहा जाए तो शरीर में हुई खून की कमी रक्ताल्पता है, जिसे कम हीमोग्लोबिन स्तर भी कहा जाता है। रक्ताल्पता का एक कारण समाज में महिलाओं की स्थिति भी है। रक्ताल्पता का सीधा संबंध हमारे समाज में व्याप्त रुढ़िवादी परम्पराओं और रीति-रिवाजों से है। सदियों से चली आ रही यह परम्परा मां और बच्चों को स्वस्थ रखने में बाधा बन रही है। आम तौर पर हमारे समाज में देखा गया है कि परिवार के सभी सदस्यों को खिलाने के बाद महिला स्वयं खाना खाती है। पहले उसका पति और बच्चे, फिर कहीं जाकर उसकी बारी आती है। आखिरी में उसे जो भोजन मिलता है वह उसके लिए पर्याप्त है या नहीं, यह कभी कोई जानने की कोशिश नहीं करता। अक्सर देखा गया है कि जैसे-जैसे लड़की बड़ी होती है तो कई शारीरिक और सामाजिक बदलाव उसे मां की तरफ आकर्षित करते हैं। अब लड़की भी अपनी मां के साथ भोजन करने लगती है यानी कितना पोषण मिला मालूम नहीं। अब मां के साथ बेटी भी रक्ताल्पता का शिकार होने लगती है और यह चक्र इसी तरह चलता रहता है। आमतौर पर हमारे समाज में मां के पोषण का ध्यान गर्भावस्था में ही दिया जाता है। कुपोषित मां की संख्या बढ़ने का कारण केवल गरीबी ही नहीं बल्कि समाज की रुढ़िवादी परम्पराएं भी हैं।

अध्ययन के उद्देश्य:

1. ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र की महिलाओं में रक्ताल्पता के स्तर का तुलनात्मक अध्ययन करना।
2. रक्ताल्पता के कारणों को स्पष्ट कर क्षेत्रवार इसके समाधान पर सुझाव देना।

प्राक्कल्पनाएँ:

1. शहरी क्षेत्र की तुलना में ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएँ चिकित्सक के भोजन से जुड़े परामर्श का पालन नहीं करती है।
2. ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएँ शहरी क्षेत्र की महिलाओं की तुलना में रात्रि का भोजन सबसे अंत में लेती हैं।

निदर्शन विधि– प्रस्तुत अध्ययन हेतु उद्धेश्यपूर्ण विधि से निदर्शन चयन किया गया है जिसमें 15 से 45 वर्ष की 200 महिलाओं को सम्मिलित किया गया है। उदयपुर से 50 ग्रामीण एवं 50 शहरी महिलाएँ एनिमिया से ग्रसित और कोटा से 50 ग्रामीण एवं 50 शहरी एनिमिया से ग्रसित महिलाओं का चयन किया किया गया है। कुल मिलाकर दो जिलों से, शहरी एवं ग्रामीण, एनिमिया ग्रसित 200 महिलाओं का चयन कर तुलनात्मक अध्ययन किया किया गया है।

तथ्य संकलन– प्रस्तुत अनुसंधान में प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों स्रोतों को काम में लिया गया है। उदयपुर का शहरी निकाय नगर परिषद और ग्रामीण निकाय पंचायती राज क्षेत्र का चयन किया गया है। इसी प्रकार कोटा का शहरी निकाय नगर परिषद और ग्रामीण निकाय पंचायती राज क्षेत्र का चयन किया गया है। शहरी क्षेत्र में महिलाओं का शहरी चिकित्सालयों एवं आँगनवाड़ी केन्द्र से तथा ग्रामीण क्षेत्र में आँगनवाड़ी केन्द्र पर पंजीकृत महिलाओं का चिन्हीकरण कर इनका साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से रक्ताल्पता से ग्रसित महिलाओं के साक्षात्कार किए गए हैं।

अध्ययन क्षेत्र– राजस्थान राज्य के उदयपुर का शहरी निकाय नगर परिषद और ग्रामीण निकाय पंचायती राज क्षेत्र का चयन किया गया है। कोटा का शहरी निकाय नगर परिषद और ग्रामीण निकाय पंचायती राज क्षेत्र का चयन किया गया है।

उत्तरदाताओं की आयु – राजस्थान के उदयपुर और कोटा के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र की महिला उत्तरदाताओं का आयु के अनुसार विवरण में पाया गया शहरी क्षेत्र से 10 प्रतिशत महिलाएँ 18 से 20 वर्ष की आयु की है और 24 प्रतिशत महिलाएँ 21 से 40 वर्ष एवं 44 प्रतिशत महिलाएँ 41 से 45 जबकि 22 प्रतिशत महिलाएँ 45 वर्ष से अधिक की आयु की है। सर्वाधिक उत्तरदाता 41 से 45 वर्ष की आयु के थे।

उत्तरदाताओं का वर्ग–शहरी क्षेत्र से 23 प्रतिशत महिलाएँ सामान्य वर्ग की थी और 27 प्रतिशत महिलाएँ अन्य पिछड़ा वर्ग से तथा 24 प्रतिशत महिलाएँ अनुसूचित जाति से जबकि 26 प्रतिशत महिलाएँ अनुसूचित जनजाति की थी। सर्वाधिक प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं का रहा है। ग्रामीण क्षेत्र से 20 प्रतिशत महिलाएँ सामन्य वर्ग की थी और 25 प्रतिशत महिलाएँ अन्य पिछड़ा वर्ग से तथा 24 प्रतिशत महिलाएँ अनुसूचित जाति से जबकि 31 प्रतिशत महिलाएँ अनुसूचित जनजाति की थी। सर्वाधिक प्रतिशत अनुसूचित जनजाति की महिलाओं का रहा है।

वैवाहिक स्थिति –शहरी क्षेत्र से 10 प्रतिशत महिलाएँ अविवाहित थी और 88 प्रतिशत विवाहित एवं 1 प्रतिशत महिलाएँ विधवा पायी गई जबकि 1 प्रतिशत महिलाएँ तलाकशुदा थी। ग्रामीण क्षेत्र से 5 प्रतिशत महिलाएँ अविवाहित थी और 89 प्रतिशत विवाहित एवं 4 प्रतिशत महिलाएँ विधवा पायी गई जबकि 2 प्रतिशत महिलाएँ तलाकशुदा थी।

शैक्षणिक स्थिति–शहरी क्षेत्र से 3 प्रतिशत महिलाएँ पाँचवीं से आठवी तक पढ़ी थी और 59 प्रतिशत महिलाएँ दसवीं से बारहवीं पास थी तथा 23 प्रतिशत महिलाओं ने स्नातक जबकि 15 प्रतिशत महिलाएँ स्नाकोत्तर किया

है। सर्वाधिक महिलाएँ दसवीं से बारहवीं पास पायी गई। ग्रामीण क्षेत्र से 15 प्रतिशत महिलाएँ पाँचवीं से आठवी तक पढ़ी थी और 55 प्रतिशत महिलाएँ दसवीं से बारहवीं पास थी तथा 20 प्रतिशत महिलाओं ने स्नातक जबकि 10 प्रतिशत महिलाएँ स्नाकोत्तर किया है। सर्वाधिक महिलाएँ दसवीं से बारहवीं पास पायी गई।

बच्चों का विवरण –शहरी क्षेत्र से 10 प्रतिशत महिलाओं के एक भी बच्चा नहीं था और 63 प्रतिशत महिलाओं के एक से दो बच्चे थे तथा 14 प्रतिशत महिलाओं के तीन से चार बच्चे थे जबकि 13 प्रतिशत महिलाओं के पाँच एवं पाँच से अधिक बच्चे भी थे। सर्वाधिक प्रतिशत एक से दो बच्चे वाले उत्तरदाताओं का था। ग्रामीण क्षेत्र से 5 प्रतिशत महिलाओं के एक भी बच्चा नहीं था और 61 प्रतिशत महिलाओं के एक से दो बच्चे थे तथा 9 प्रतिशत महिलाओं के तीन से चार बच्चे थे जबकि 25 प्रतिशत महिलाओं के पाँच एवं पाँच से अधिक बच्चे भी थे। सर्वाधिक प्रतिशत एक से दो बच्चे वाले उत्तरदाताओं का था।

आयजनक गतिविधि–शहरी क्षेत्र की 10 प्रतिशत महिलाएँ कुछ भी नहीं करती है और 63 प्रतिशत महिलाएँ मजदूरी, चिनायी, खेती, एवं व्यवसाय जैसे कार्य करती है तथा 5 प्रतिशत महिलाएँ सरकारी नौकरी करती है जबकि 22 प्रतिशत महिलाएँ प्राइवेट नौकरी करती है। ग्रामीण क्षेत्र की 5 प्रतिशत महिलाएँ कुछ भी नहीं करती है और 61 प्रतिशत महिलाएँ मजदूरी, चिनायी, खेती, एवं व्यवसाय जैसे कार्य करती है तथा 3 प्रतिशत महिलाएँ सरकारी नौकरी करती है जबकि 31 प्रतिशत महिलाएँ प्राइवेट नौकरी करती है।

स्वयं की मासिक आय –शहरी क्षेत्र की 10 प्रतिशत महिलाएँ कुछ भी नहीं कमाती है और 40 प्रतिशत महिलाएँ एक महीने में 2001 से 5000रू. तक कमा लेती है तथा 45 प्रतिशत महिलाएँ एक महीने में 5001 से 10000रू. तक कमा लेती है जबकि 5 प्रतिशत महिलाएँ एक महीने में 10001रू. से अधिक की आय कर लेती है। ग्रामीण क्षेत्र की 5 प्रतिशत महिलाएँ कुछ भी नहीं कमाती है और 49 प्रतिशत महिलाएँ एक महीने में 2001 से 5000रू. तक कमा लेती है तथा 43 प्रतिशत महिलाएँ एक महीने में 5001 से 10000रू. तक कमा लेती है जबकि 3 प्रतिशत महिलाएँ एक महीने में 10001रू. से अधिक की आय कर लेती है।

विवाह की आयु–शहरी क्षेत्र की 10 प्रतिशत महिलाएँ अविवाहित थी और 33 प्रतिशत महिलाओं का विवाह 18 वर्ष में हो गया था तथा 49 प्रतिशत महिलाओं का विवाह 19 से 25 वर्ष में हो गया जबकि 8 प्रतिशत महिलाओं का विवाह 26 से 30 वर्ष या उससे अधिक की आयु में हुआ था। ग्रामीण क्षेत्र की 5 प्रतिशत महिलाएँ अविवाहित थी और 70 प्रतिशत महिलाओं का विवाह 18 वर्ष में हो गया था तथा 20 प्रतिशत महिलाओं का विवाह 19 से 25 वर्ष में हो गया जबकि 5 प्रतिशत महिलाओं का विवाह 26 से 30 वर्ष या उससे अधिक की आयु में हुआ था।

पहला गर्भधारण–शहरी क्षेत्र की 10 प्रतिशत महिलाएँ अविवाहित थी और 24 प्रतिशत महिलाओं ने पहला गर्भधारण 18 वर्ष की आयु में किया था और 59 प्रतिशत महिलाओं ने पहला गर्भधारण 19 से 25 वर्ष की आयु में किया था जबकि 8 प्रतिशत महिलाओं ने पहला गर्भधारण 26 से 30 वर्ष या उससे अधिक की आयु में किया। ग्रामीण क्षेत्र की 5 प्रतिशत महिलाएँ अविवाहित थी और 60 प्रतिशत महिलाओं ने पहला गर्भधारण 18 वर्ष की आयु में किया था और 30 प्रतिशत महिलाओं ने पहला गर्भधारण 19 से 25 वर्ष की आयु में किया था जबकि 5 प्रतिशत महिलाओं ने पहला गर्भधारण 26 से 30 वर्ष या उससे अधिक की आयु में किया।

चिकित्सक के परामर्श का पालन –शहरी क्षेत्र से 61 प्रतिशत महिलाओं ने गर्भवस्था में चिकित्सक द्वारा दिए गए परामर्श का पालन किया और 29 प्रतिशत महिलाओं ने गर्भवस्था में चिकित्सक द्वारा दिए गए परामर्श का पालन नहीं किया। ग्रामीण क्षेत्र से 52 प्रतिशत महिलाओं ने गर्भवस्था में चिकित्सक द्वारा दिए गए परामर्श का पालन किया और 43 प्रतिशत महिलाओं ने गर्भवस्था में चिकित्सक द्वारा दिए गए परामर्श का पालन नहीं किया।

रात्रि का भोजन –ग्रामीण क्षेत्र की 14 प्रतिशत महिलाएँ परिवार के साथ रात्रि का भोजन जरूर करती है जबकि 86 प्रतिशत महिलाएँ रात्रि का भोजन सबसे अंत में करती है। शहरी क्षेत्र की 42 प्रतिशत महिलाएँ परिवार के साथ रात्रि का भोजन जरूर करती है जबकि 58 प्रतिशत महिलाएँ रात्रि का भोजन सबसे अंत में करती है।

निष्कर्ष:

1. शहरी क्षेत्र से 61 प्रतिशत महिलाओं ने गर्भवस्था में चिकित्सक द्वारा दिए गए परामर्श का पालन किया।
2. ग्रामीण क्षेत्र से 52 प्रतिशत महिलाओं ने गर्भवस्था में चिकित्सक द्वारा दिए गए परामर्श का पालन किया।
3. ग्रामीण क्षेत्र की 14 प्रतिशत महिलाएँ परिवार के साथ रात्रि का भोजन जरूर करती है जबकि 86 प्रतिशत महिलाएँ रात्रि का भोजन सबसे अंत में करती है।
4. शहरी क्षेत्र की 42 प्रतिशत महिलाएँ परिवार के साथ रात्रि का भोजन जरूर करती है जबकि 58 प्रतिशत महिलाएँ रात्रि का भोजन सबसे अंत में करती है।

सुझाव:

1. केन्द्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं का उपागम बेहतर स्तर तक है। महिलाओं को स्वयं अपने स्वास्थ्य के प्रति स्वजागरूक होना होगा।
2. परिवार और समाज में महिलाओं को भूखे रखने और कम भोजन देने तथा सबसे अंत में भोजन करने की प्रथाओं पर प्रहार करना होगा।
3. महिलाओं को ने गर्भवस्था में चिकित्सक द्वारा दिए गए परामर्श का पालन करना चाहिए।
4. किशोरावस्था और गर्भवस्था में आयरन फोलिक ऐसिड की गोलियों का बराबर सेवन करना चाहिए।
5. महिलाओं को बवासीर की समस्या में तुरन्त चिकित्सक को दिखाना चाहिए।
6. घर में अधिक कार्य होने पर भी समय से भोजन करना चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. Apra, Deshmukh. *Comprehensive demand for supplement, forced distribution.* Research, Nagpur: Disha Publication, 2017.
2. bhardwaj, Neeraj. *neerajbhardwaj096.blogspot.com.* February18th,2013.http://neerajbhardwaj096.blogspot.com/2013/02/blog-post_748.html (accessed july 26, 2018).
3. Brayan, Ferera. *Pregnant mothers influence anemia on their child.* Research, Delhi: WHO, 2016.
4. David, Ratan. Iron-folic acid which prevents absorption of micronutrients. Research, Delhi: New publication, 2018.

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XL

Construction and Validation of Hockey Skill Tests on Female Hockey Players

Dr. Ajay Kumar* Dr. Vijay Singh**

*Assistant Professor (Physical Education) Kota University, Kota (Raj.) INDIA
*HOD (Physical Education) Kota University, Kota (Raj.) INDIA

Abstract - In sports and games the performance is inevitable. Nowadays, the nature of sports and games has gone through tremendous radical changes in international arena. Identification of effective players is becoming a crucial, because day by day the games have become highly competitive. In sports and games, performance of players is judged by competition results. Apart from competition, the assessment of a player in any sports discipline can be done either by subjective or objective means. The test, measurement and evaluation concept was in existence in physical education for past several years. Many extensive research works have been done in these areas.

Skill tests require an environment similar to the game environment and standardized procedures for administration. The validity of skill tests is judged to some extent on the consistency between testing and performing environments. This does not mean you must recreate exactly the playing environment; it does mean that the movements and the activity must correspond to those of the actual sport. The virtue of skill test is a subject of ongoing debate. Many skill tests offer an objective, reliable and valid method for evaluating motor skill objectives, while others do not. It is advised not to use a skill test that does not meet evaluation needs or the important criteria of reliability, validity and feasibility for mass testing. Also, be sure to adopt tests that were developed on students of the same gender, age and experience level as your students. One can also modify an existing test to meet the needs.

A skill of the game plays a very vital role in the success of modern hockey. Each skill is having its own importance and application to different situation. A hockey player must master over skills to prove his proficiency. Nowadays, hockey matches are won by those teams who are more skilled. The perfection of these skills will have a direct impact on the total performance in the game. 4 High level of performance of a hockey player depends upon fundamental skills. It is recognized that among the fundamentals, ability to dribble the ball, ability to hit, ability to push, ability to stop and ability to pass, are of primary importance for high level of performance. Hence, from the fundamental skill a few selected skills namely Dribbling, Hitting, Stopping, Pushing and Passing was selected as the variables for the study for construction of norms.

Therefore, looking into the importance of fundamental skills in field hockey, the research scholar after having gleaned the literature and series of discussion with the supervisor, advisory committee and other experts in the field, decided to study the and construct skill tests for female hockey players.

Introduction - Physical education and sports are of the important areas in general education, which develops physical, mental, emotional, cultural and social aspect of human being. The dictum “A sound mind in a sound body” and “Health is wealth” are accepted by one and all.”

Sports are an integral part of the society has an important and valuable effects on many spheres of social life, similarly the whole social pattern of a society may be reflected in its play. Sports unlike the other activities have no product. It is undertaken essentially for its own sake. If we want to know why people play, the first answer is that they play primarily for fun or for enjoyment or for satisfaction. Sports help in the all-round development of human personality. It provides ample and healthy means for recreation and relation of human mind and body. The sport is a carrier which encourages coaching of various sports and games along with rules and regulations governed by them and also it prepare the trainees to take active part in competitive sports. It grows out man’s struggle for survival in a hostile world.

In the last few decades sports have gained tremendous popularity all over the globe. The popularity of sports is still increasing at a fast pace and this happy trend is likely to continue in the future also (www.manit.ac.in, 2015). When one looks at the history of the modern Olympic Games one sees that the number of sports for which competitions are held at Olympic Games, has increased steadily. The total number of participation countries and sportsman has also

increased steadily. The television and the press are giving much more coverage of sports and have become effective medium to carry sports to millions and millions of people around the world.

It provides opportunities for social interaction thereby fostering peace and developing understanding among different people, nations, race, religion etc. it provides health and social acceptable opportunities for the people and nations to compete against each other thereby to welling heights for excellence of human endeavor and attainment. Sports serve vital social and cultural functions the importance of which can hardly be exaggerated. Sport contributes towards the overall welfare of the human society. Sports is, above all, a competitive activity. We cannot think of sports without thinking of competition, for without the competition, sport becomes simply play or recreation. Play can at times be sport, but strictly speaking sport is never simply play; the competitive aspect is essential to sport.(www.e.wikipedia.org/wiki/sport in_india, 2015)

The game had been taken to India by British servicemen, and the first clubs formed there in Calcutta in 1885. The Beighton Cup and the Aga Khan tournament had commenced within ten years. Entering the Olympic Games in 1928, India won all five of its games without conceding a goal, and went on to win in 1932 until 1956, and then in 1964 and 1980. The Indian Hockey Federation was formed in the year 1925 in Gwalior, Madhya Pradesh during the Scindia Gold Cup tournament. But it was not active after that. After the end of the World War I, the commander of the British Armed forces in India, Field Marshall Birdwood who was in charge of organizing the retreat of the combined Australian and New Zealand armies after the Gallipoli tragedy proposed a Hockey tour to New Zealand in 1926 as a friendship tour. The tour gave a chance for revival of the Federations and thus began the efforts of consolidating the Indian Hockey Federation as the Indian Army's Hockey team toured New Zealand.

Review of literature:

(French, 1940), constructed a three item test of achievement in field hockey skill for college women. The item includes ball control, goal shooting, fielding and drive, with a criterion of expert judgment the item validity ranged from 0.44 to 0.48 with the multiple correlation of 0.62. Spearman Brown formula estimates the split half reliability for the test items ranged from 0.90 to 0.92. The best combination of two skill factors was found to be goal shooting left and fielding and drive.

A basketball battery by (Knox, 1947)was developed which was composed of speed, dribble and wall bounce dribble short and penny cup tests. The subjects for the study were 32 college men. Reliability coefficients foe various test items ranged from 0.58 to 0.90, for the total battery the coefficient was 0.88.the criterion for validating the test was success in making a 10 men high school varsity basketball squad competing in Oregon district tournament. The test was given to all boys in these schools during the school during the second week after regular basketball practice had started. The result concluded to a reliable and valid test for assessment of general basketball ability.

As per study proposed by (Friedel, 1956) a single item field Hockey test for high school girls, named as pass receiving, fielding and driving while moving. There are ten trials from each side, right and left. Each trial is timed with stopwatch. The reliability was assessed by the split-half method, the scores were correlated by using Spearman Brown formula and reliability coefficients were 0.90 for the left side and 0.77 for the right side. For validation, the test scores were correlated with Schmithal's French ball control test and found to be valid a value of 0.87.

(Kronqvist, 1979), revised the Brandy test on 71 tenth and eleventh grade secondary school boys from West Vancouver, British Columbia. The test was developed to measure overall volleyball playing ability. For the administration of the test a target area 5 feet long was placed on the wall 11 feet above the floor. From both ends of this line, lines extended towards the ceiling for at least 4 feet. The subject was asked to throw the ball against the wall, when the ball returns, begin to volley; the score is the number of legal volleys executed in three 20 second trials. The validity coefficient estimated through judges rating was 0.767 and the reliability coefficient (test retest method) was found to be 0.817. The test proved to be a measure of overall volleyball ability, also to aid in determining grades, as a screening device for grouping students and as a motivation for individual practice.

In the study of (Brady, 2008), Volleyball skill testing attracted the attention of many physical educators in 1945. Brady constructed a volleyball skill test on 537 college men. The test was constructed to measure general Volleyball playing ability of the college men. The variable for the study was accuracy in volleying. A target was marked on the wall bounded by a horizontal line were extended upwards towards the ceiling up to 3 to 4 feet high. The subject was asked to make a maximum number of volleys standing at any point in front of the target in one minute. If the ball is caught or gets out of control, the subject is asked to repeat from the start. The number of real volleys in one minute gives the score of the test. The test retest reliability coefficient reported was 0.92 while the validity coefficient was reported to be 0.86. The results make it possible to be taken into "Decision Strategy" such as skill assessment and a measure for general Volleyball playing ability of the college men.

Research objective:

1. To identify different skills which are important for the performance in field hockey.
2. To identify the skills tests to measure the selected skills of the player.
3. To establish the reliability of the selected test skill.
4. To establish the validity of the selected skill tests.

5. To establish the objectivity of the selected skill tests.
6. To construct the percentile norms for the fundamental skills in field hockey.
7. To construct Hull Scale for selected fundamental skills of field hockey.

Methodology:

Selection Of Subjects: For the purpose of developing field hockey skill tests for female hockey players, initially 30 subjects of inter-college level were selected from Udaipur for trial run. After trial run, 50 female hockey players of inter-college level were selected for scientific authentication of the skill test. The age of the subjects ranged between 17 to 25 years with average age of 21years. The subjects had past playing experience of at least three years in the game of field hockey and only those who represented their respective college teams were taken as subjects irrespective of their playing positions. Whereas, for the development of norms, 200 female hockey players participated in affiliated competitive tournaments at district/ state/ inter college or national level were selected as subjects.

Selection Of Variables: Every possible care was taken to select the skills to be tested. Skills involved in the previous studies were also considered. The game is strongly influenced by the fundamental skills. Keeping in mind that the fundamental skills are the bed-rock of a competitive game like Field Hockey and consequently, after series of discussion with experts on various skills in Field Hockey an opinionnairewas prepared to know the expert's priority about fundamental skills in field hockey. The opinionnaire was sent to field hockey experts such as director of Physical Education, Professors, and coaches and also to players from Sports Board, MLSUUdaipur. These experts were requested to poll their opinion and importance of each skill as a contributive factor to the total performance of the game. The experts were also given free hand to add more skills if they deemed fit. The opinion responses were summated and the skills with higher weightage are listed as under:

1. Hitting
2. Stopping
3. Pushing
4. Passing
5. Dribbling

Procedure And Techniques Used For Data Collection: A pilot study was conducted on 30 female field hockey players of University of Udaipur of age ranging from 17 to 25 years with a minimum participation in the Inter-college tournaments. For purpose of the pilot study, a set of 15 skill test items were constructed and run on the above mentioned subjects.

The system of scoring was based on number of points earned by the player in each skill test. The point system was employed for the scoring as this system helps to make assessment more easy, objective and easy to interpret. Face validity was claimed for the test which was constructed by the advice and recommendations of the experts in hockey and by reviewing the related literature in the game. Through ground run of 15 skills test items for five fundamental skills the administrative feasibility of each test items was assessed and skill test items name was finalized. In the present study, the data was collected as per the schedule in two phases from the regular female hockey trainees of Udaipur, from the selected subjects. The data for 5 skills consisting 10 of 15 test items was collected on 50subjects of MLSU, Udaipur and factor analysis, partial and multiple correlations was computed on the data to filter the test items. After factor analysis of the data scientific authentication of the filtered eight skill test items was computed on 50 subjects. For development of norms on selected skill test after scientific authentication, 200 subjects of Udaipur female hockey players who had past three years of experience in field hockey.

Statistical Techniques: The study was based on true randomized group design. The data collected were subjected to various statistical analyses. After discussing with the statisticians, experts in the field of physical education and general education, the following statistical procedures were employed in the study.

Firstly: Pearson's Product Moment Correlation was used to find out inter – relationship among all the skill test items.

Secondly: Factor Analysis was applied in which, significant factors responsible for variance and dominant were extracted through Principal Component Analysis (Un-rotated Factor Loading and Varimax Rotation). The final solution obtained was used to identify the different factors. These factors were given an appropriate name depending upon the characteristics of variables contained 11 in it. A selected skill tests was constructed by picking up the variables having higher loading from each factor.

Thirdly: The reliability of the filtered skill test items was computed by test retest method. The objectivity is also tested by test-retest method but in this case a set of students is tested by two different testers. Finally norms were developed using percentiles and Hull Scale.

Conclusions:

1. The result reveals that there was inter-relationship between the performances of selected test items.
2. Total eight test items from the seven factors which had high loading were selected to constitute the "Field Hockey Skill Tests" for the female field hockey players' age ranged between 17 to 25 years of Udaipur. The seven factors were emerged with the different skills tests describing player specific skill ability. The name of the factor and the loaded skill tests are as follows:

a) Multi Target Push Accuracy test was loaded in the Passing Accuracy Factor.
b) Multi Side Passing Accuracy Test and "W" Zigzag Cone Dribbling Test were the highest loaded tests in Dribble & Pass Accuracy Test.
c) Multi Target Hitting Accuracy Test was loaded in the

Hitting Accuracy Factor.

d) Restricted Area Stopping Test was loaded in the Controlled Stopping Factor.

e) Multi Side Stopping Accuracy Test was loaded in the Controlled Stopping Factor.

f) Goal Stopping Accuracy Test was loaded with the highest value more than 0.500 in the Trapping Accuracy Factor.

3. "D" Pushing Accuracy test was loaded in the Pushing Accuracy Factor "The playing ability performance (overall performance) score of the players were interpreted by using grading scale on the basis of Hull Scale as A, B+, B, C & D (or) Good, Above Average, Average, Below Average & Poor respectively according to their overall performance score based on the percentiles norm, which was developed for all the selected test items.

Recommendations for further studies:

1. The skill selected skill tests developed in this study might be used to evaluate the performance of college level female Field Hockey Players.
2. The norms developed in this study will be helpful to the players to evaluate their performance.
3. Similar study may be undertaken with Field Hockey players of different levels such as District, University, State, and National & International.
4. Similar study may be conducted on male field hockey players and also for other games.
5. The result may be utilized for the future research to select new problem relating to the study.
6. The present study may help to frame different training methods by laying emphasis on the development of fundamental skills.
7. Selected skill tests can be successfully administered to classify talented Field Hockey players.
8. This will help to compose a high level skillful level hockey team at all the levels.

References:-

1. (1998). In D. A. Dobbins, Encyclopedia of Sports Sciences and Medicine . S.V. Cricket.
2. A, N. G. (1981). Modern Team Handball Beginner to Expert. Montreal: Quebec McGrill University.
3. Chapman, N. L. (1982). Chapman Ball Control Test- Field Hockey . Research Quaterly for Exercise and Sport 53 (3) , 239-242.
4. Downs, T. M. (2008). Validating a Special Olympics Volleyball Skills Assessment Test. APAQ, 13 (2), April 2008, 166-179.
5. French, M. S. (1940). Achievement Test in Field Hockey for College Women . Research QuaterlyFor Exercise & Sport, 34.84.
6. Gabbett, G. B. (2006). The Development of a Standardized Skill Assessment for Junior Volleyball Players. . International Journal of Sports Physiological Performance, 1(2), 95-107.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XL

Artificial Intelligence and Access to Justice: Enhancing Human Rights

Navanit Kumar Singh* Dr. Rajat Kumar Satapathy**

*Research Scholar, Pt. Motilal Nehru Law College, M.C.B.U., Chhatarpur (M.P.) INDIA
** Principal, Pt. Motilal Nehru Law College & Dean (Law) of M.C.B.U., Chhatarpur (M.P.) INDIA

Abstract - This essay explores the role of artificial intelligence (AI) in enhancing access to justice and promoting human rights. Access to justice is a fundamental human right, but traditional legal systems often face barriers such as high costs, limited resources, and delays. AI technologies offer innovative solutions to address these challenges and bridge the justice gap. AI can assist in legal research, case management, predictive analytics, and risk assessment, providing lawyers and litigants with efficient tools to navigate the legal landscape. Furthermore, AI-powered virtual assistants and chatbots can provide legal aid and information to individuals who cannot afford legal representation, while online dispute resolution platforms offer an accessible alternative to traditional litigation. However, the responsible deployment of AI in the legal domain necessitates addressing ethical considerations, such as data privacy, transparency, bias, and human oversight. By embracing AI responsibly, we can enhance access to justice, promote human rights, and create a more inclusive and equitable legal system.
Keywords- Artificial Intelligence, Legal, Security, Responsibility.

Introduction - Artificial Intelligence (AI) has emerged as a transformative force across various sectors, revolutionizing the way we live and work. In recent years, its potential to impact the legal domain and access to justice has gained significant attention. Access to justice is a fundamental human right, ensuring that individuals can seek legal remedies and have a fair and equitable judicial process. However, traditional legal systems often face challenges such as high costs, limited resources, and delays, impeding access to justice for many individuals. This essay explores the role of artificial intelligence in enhancing access to justice, promoting human rights, and addressing the existing gaps in the legal system.

Understanding Access to Justice: Access to justice refers to the ability of individuals to effectively engage with the legal system, seek redress for grievances, and have their rights protected and enforced. It encompasses several key elements, including physical accessibility, affordability, availability of legal information, and procedural fairness. However, various barriers hinder access to justice globally, leading to a justice gap that disproportionately affects marginalized communities and vulnerable populations.

The Potential of Artificial Intelligence in Enhancing Access to Justice: AI technologies offer innovative solutions to address the challenges faced by traditional legal systems, potentially enhancing access to justice for all. Some of the key areas where AI can contribute include:

A. Legal Research and Case Management: AI-powered tools can significantly improve legal research by analyzing vast amounts of legal texts, court decisions, and precedents. By efficiently retrieving relevant information, lawyers and legal professionals can save time and enhance the quality of their work. AI algorithms can also assist in case management, organizing and categorizing legal documents, streamlining workflows, and improving efficiency.

B. Predictive Analytics and Risk Assessment: AI algorithms can analyze large datasets and patterns to provide predictive analytics in legal cases. This can help lawyers and litigants assess the likelihood of success in a legal dispute, enabling them to make informed decisions about pursuing legal action. Moreover, risk assessment tools can identify patterns of bias in judicial decisions, highlighting potential human rights violations and promoting fair and equitable outcomes.

C. Legal Aid and Virtual Assistants: AI-powered virtual assistants and chatbots can provide legal information and guidance to individuals who cannot afford legal representation. These tools can simplify complex legal concepts, provide explanations of legal procedures, and offer preliminary advice, thereby bridging the information gap and increasing access to justice for underserved populations.

D. Online Dispute Resolution (ODR): AI can play a crucial role in the development of Online Dispute Resolution platforms, enabling individuals to resolve legal disputes online without the need for physical court appearances.

ODR systems can provide an efficient and cost-effective alternative to traditional litigation, promoting access to justice by reducing barriers such as geographical distance and costs associated with in-person hearings.

Ethical Considerations and Human Rights Implications: While AI presents significant opportunities to enhance access to justice, several ethical considerations and human rights implications must be addressed to ensure its responsible deployment:

A. Data Privacy and Security: The use of AI in the legal domain involves the processing of vast amounts of personal and sensitive data. Safeguarding data privacy and ensuring robust security measures are crucial to prevent unauthorized access, data breaches, and potential misuse of personal information. Striking the right balance between data access for AI algorithms and protecting individuals' privacy rights is paramount.

B. Transparency and Explainability: AI algorithms often operate as black boxes, making it challenging to understand how they arrive at certain decisions or recommendations. In the context of access to justice, transparency and explainability are crucial to maintaining trust in the legal system. Individuals should have the right to understand the basis of AI-generated legal advice, predictions, and outcomes.

C. Bias and Discrimination: AI systems are susceptible to bias, reflecting and perpetuating existing societal biases. In the context of access to justice, biased algorithms can exacerbate inequalities and disproportionately impact marginalized communities. Efforts must be made to ensure that AI systems are trained on diverse datasets, and continuous monitoring and auditing are conducted to detect and mitigate biases.

D. Human Oversight and Accountability: While AI can assist in legal decision-making processes, ultimate responsibility and accountability should rest with human actors. The legal profession must establish guidelines and standards for the use of AI, ensuring that lawyers retain the ethical and professional obligations of providing competent and unbiased legal representation (Latonero, 2018).

Challenges and Limitations: While AI holds significant promise in enhancing access to justice, several challenges and limitations need to be addressed:

A. Access Barriers: While AI can reduce certain barriers to justice, such as costs and geographical constraints, access to technology and digital literacy remain significant challenges. Ensuring widespread access to AI tools and bridging the digital divide is crucial to prevent exacerbating existing inequalities.

B. Data Quality and Bias: AI algorithms heavily rely on the quality and diversity of training data. Biased or incomplete datasets can result in biased outcomes, potentially perpetuating discrimination within the legal system. Ensuring the collection and use of high-quality and representative data is essential to mitigate these risks.

C. Overreliance and Dehumanization: The use of AI in the legal domain should be viewed as a tool to enhance human decision-making, not as a replacement for human judgment. Overreliance on AI systems can undermine the role of legal professionals and the importance of human rights considerations in legal processes. Striking the right balance between automation and human judgment is critical.

D. Legal and Regulatory Frameworks: The rapid advancement of AI technology has outpaced the development of legal and regulatory frameworks. Establishing clear guidelines, ethical standards, and robust oversight mechanisms is crucial to address potential risks and ensure responsible AI deployment in the legal domain (Kaplan, 2016).

Case Studies and Examples: To illustrate the potential impact of artificial intelligence on access to justice and human rights, it is beneficial to examine specific case studies and examples where AI has been implemented:

A. Legal Research and Case Management: One notable example is the use of AI-powered legal research platforms such as ROSS Intelligence and LexisNexis. These platforms utilize natural language processing and machine learning algorithms to analyze vast databases of legal texts and precedents, providing lawyers with comprehensive and relevant information in a fraction of the time. By streamlining the research process, legal professionals can dedicate more time to developing legal strategies and advocating for their clients, thereby enhancing access to justice (Yale University Press, 2016).

B. Predictive Analytics and Risk Assessment: In the realm of criminal justice, AI algorithms have been utilized to predict recidivism rates and inform sentencing decisions. The COMPAS system, developed by Northpointe (now Equivant), assesses an individual's likelihood of reoffending based on various factors. However, concerns have been raised about the potential bias and discrimination embedded in these algorithms, as they can perpetuate existing inequalities in the criminal justice system. Nonetheless, when appropriately designed and implemented, predictive analytics can assist judges and policymakers in making more informed decisions, considering both human rights and public safety concerns(Tegmark, 2017).

C. Legal Aid and Virtual Assistants: AI-powered virtual assistants and chatbots have been employed to provide legal aid and information to individuals who cannot afford legal representation. The DoNotPaychatbot, for instance, assists users in understanding their legal rights and provides guidance on various legal issues, including fighting parking tickets and claiming compensation for flight delays. These tools have the potential to bridge the information gap and empower individuals to navigate the legal system more effectively, particularly for marginalized communities with limited access to legal resources(Deloitte, 2019).

D. Online Dispute Resolution (ODR): ODR platforms,

such as eBay's Resolution Center and the Online Court in the United Kingdom, leverage AI algorithms to facilitate the resolution of disputes in online transactions. These platforms offer an efficient and accessible alternative to traditional litigation, allowing parties to resolve their conflicts remotely and in a timely manner. ODR promotes access to justice by reducing costs, eliminating geographical barriers, and providing a more user-friendly interface for individuals who may feel intimidated or overwhelmed by traditional court proceedings(Allen et al., 2018).

Ensuring Ethical AI Practices: To harness the potential of AI in enhancing access to justice and human rights, it is essential to establish frameworks and practices that prioritize ethical considerations. The following strategies can help ensure the responsible deployment of AI in the legal domain:

A. Data Collection and Evaluation: AI algorithms heavily rely on training data, which should be diverse, representative, and free from biases. Stakeholders involved in developing AI systems should critically evaluate and monitor datasets to identify and mitigate any potential biases or discriminatory patterns. Transparent data collection and evaluation processes contribute to the fairness and inclusivity of AI-driven legal systems(Saloky&Šeminský, 2019).

B. Algorithmic Transparency and Explainability: To build trust and ensure accountability, AI algorithms used in the legal domain should be transparent and explainable. Users should have access to information about how the algorithms function, the data used to train them, and the decision-making processes employed. Transparent algorithms allow for scrutiny, enabling legal professionals, litigants, and the public to understand and challenge the outcomes produced by AI systems(Fernandez, 2020).

C. Human Oversight and Responsibility: While AI can provide valuable insights and support, it should not replace human judgment, particularly in contexts that involve human rights considerations(Stefanelli, 2020). Legal professionals must retain ultimate responsibility and accountability for decisions made with the assistance of AI systems. Human oversight ensures that legal processes uphold ethical standards, protect individual rights, and account for the nuances and complexities that AI algorithms may overlook.

D. Privacy and Security Measures: Given the sensitive nature of legal information, robust data privacy and security measures are paramount

Conclusion: Artificial intelligence has the potential to revolutionize access to justice, promoting human rights and improving the efficiency and effectiveness of legal systems. By leveraging AI technologies, we can enhance legal research, predict legal outcomes, provide legal assistance to underserved populations, and facilitate online dispute resolution. However, to fully realize the benefits of AI in the legal domain, we must address ethical considerations, ensure transparency and accountability, and overcome challenges related to data bias and access barriers. By embracing AI responsibly, we can work towards a more accessible, inclusive, and equitable justice system, safeguarding human rights for all.

References:-

1. Deloitte (sponsor content), "AI Is Not Just Getting Better; It's Becoming More Pervasive", Harvard Business review (2019)Elizabeth Fernandez, "Facial Recognition Violates Human Rights, Court Rules", Forbes, August 13, 2020.
2. G. C. Allen, D. Amodei, H. Anderson, & others., "The Malicious Use of Artificial Intelligence: Forecasting, Prevention, and Mitigation", Future of Humanity Institute, University of Oxford, Centre for the Study of Existential Risk, University of Cambridge, Center for a New American Security, Electronic Frontier Foundation, OpenAI (2018).
3. "Human Rights in the Age of Artificial Intelligence," Access Now, November 2018, www.accessnow.org/cms/assets/uploads/2018/11/AI-and-Human-Rights.pdf; "Mapping Regulatory Proposals for Artifical Intelligence in Europe," Access Now, November 2018.
4. Justine N. Stefanelli, "Council of Europe Publishes Human Rights Guidelines on Algorithms and Automation", American Society of International Law, April 8, 2020, available at: https://www.asil.org/ILIB/council-europe-publishes-human-rights-guidelines-algorithms-and-automation (last visited on August 23, 2022).
5. Kaplan, Jerry. Artificial Intelligence: What Everyone Needs to Know. 1 edition. New York, NY, United States of America: Oxford University Press, 2016.
6. Humans Need Not Apply: A Guide to Wealth and Work in the Age of Artificial Intelligence. Reprint edition.New Haven: Yale University Press, 2016.
7. Mark Latonero, "Governing Artificial Intelligence: Upholding Human Rights and Dignity," Data and Society, 10 October 2018, https://datasociety.net/output/governing-artificial-intelligence.
8. Tegmark, Max. Life 3.0: Being Human in the Age of Artificial Intelligence. New York: Knopf, 2017.
9. T. Saloky, J. Šeminský. "Artificial Intelligence and Machine Learning", Studies in health technology and informatics 261 (2019).

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XL

Right to Education: An Overview

Anoop Kailasia*

***Research Scholar, Jiwaji University, Gwalior (M.P.) INDIA**

Introduction - Over the years, the Ministry of Education has constantly emphasised how the literacy rate significantly increased after the passage of this law or, conversely, how the enrolment ratio of kids climbed by 19.4% in upper primary sections from 2009 to 2016. Despite this, the author has severe concerns regarding the calibre of instruction provided in these municipal institutions. Some of the measures that can be put into practise to level the playing field include: - Extending the purview of "THE RIGHT OF CHILDREN TO FREE AND COMPULSORY EDUCATION ACT, 2009" The government can provide scholarships and free transportation for deserving pupils from low-income families so they can attend private schools with superior facilities and have the government cover their tuition(Meyer, 2017). The government funding of schools might be replaced by private corporations, which would not only assist to reduce corruption but also make the system as a whole far more effective.

Aim: The aim of the study is to access the conditions of education and creating the analysis of "Right to Education".

Objectives: The objectives are as follows:

1. To study the "Right to Education".
2. To analyse the impact of right to education in the society.

Questions: The research will address the following question as:

1. What is the right to education and how it is accessed?
2. How the impact of right to education can evolve the society?

Literature Review

A key piece of legislation known as the "Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009" has improved India's enrollment percentage and rate of literacy. But there are issues with the level of instruction offered at local institutions. The "RIGHT OF CHILDREN TO FREE AND COMPULSORY EDUCATION ACT, 2009" has raised literacy rates, according to the Ministry of Education, and enrollment in upper primary sections has climbed by 19.4% between 2009 and 2016. The author is worried about the caliber of instruction offered in local institutions, nevertheless (Meyer, 2017). To solve this, the author advocates broadening the application of the legislation by offering financial aid and transportation to low-income pupils so they may attend better-equipped private schools. Additionally, private businesses may take over the government's role in subsidizing education, which would both lessen corruption and boost the system's overall efficacy. These steps might help level the playing field and raise educational standards.

The authors Geruso and Royer, 2018, offers a number of solutions that may level the playing field in order to solve this problem. Extending the 2009 Act's scope is one of these actions. The government may then provide worthy students from low-income households' scholarships and free transportation (Geruso and Royer, 2018). They will be able to do this and attend private schools with better facilities while paying no tuition.

Marinoni, et. al., 2020, made another action that may be made is to have private companies finance schools instead of the government. This will improve the system's efficiency while also reducing corruption (Marinoni, et. al., 2020). Private businesses may provide students greater facilities and resources since they are often more effective.

Meyer, 2017, despite the fact that the 2009 Act has improved the enrolment ratio, there are still issues that need to be resolved. For instance, the dropout rate in basic and upper primary schools is rather high (Meyer, 2017). This is because to a number of factors, including poverty, a lack of resources, and inadequate educational opportunities.

Raja and Nagasubramani, 2018 gave that the government has launched a number of programs to address this problem, including as the Mid-Day Meal Scheme, which offers free lunches to students in government schools. These programs concentrate on providing resources, teacher training, and other infrastructure to enhance the educational experience for children.

To raise the quality of education in India, there are still issues that must be resolved despite these measures (Raja and Nagasubramani, 2018). The lack of highly competent instructors is one of the main issues. Rural places with little infrastructure and resources are severely affected by this. The government might solve this problem by offering incentives for talented instructors to work in remote regions. In order to assist instructors, develop their abilities, they

might also provide training and support. In order to provide better facilities and resources to students in rural regions, the government should also promote private sector engagement in education.

India's enrolment ratio and literacy rate have improved as a result of the "Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009". However, there are still issues that must be resolved if the quality of education at municipal institutions is to be raised (Kotásková, et. al., 2018). The government may take a number of actions, such as broadening the scope of the 2009 Act, substituting private businesses for public money, and offering incentives and training to skilled instructors who choose to work in remote regions. All Indian kids might benefit from increased educational opportunities thanks to these policies' ability to level the playing field.

The study findings show that despite the Right to Education Act's enactment in 2009, there is still a significant gap between male and female reading rates in the state. The author argues that one method to solve this problem is to broaden the application of the Act, 2009 to include scholarships for worthy kids from low-income families to attend private schools with greater resources. Private businesses may also take over government funding of education, which would assist to lessen corruption and boost the efficiency of the educational system. Raising education awareness, especially among low-income households, is one of the major results of the survey (Kotásková, et. al., 2018). The author argues that the government should fund publicity efforts to persuade parents to enrol their kids in school, particularly females.

Salet, 2017, mentioned that the survey's findings Indicate that while the state's literacy rates have improved to some extent, much more work has to be done, particularly to raise female literacy rates. The research makes several suggestions for working together between the public and private sectors to raise the standard of education in the state, such as granting scholarships to worthy students, promoting the value of education, and ensuring a safe learning environment for girls (Salet, 2017). Having an educated lady in the family makes the whole thing better and bigger.

According to Jones, et. al., 2018, The "RIGHT OF CHILDREN TO FREE AND COMPULSORY EDUCATION ACT, 2009" was a critical milestone in India's pursuit of universal education. The quality of education offered in government institutions is still a big issue, though. The government may assist close the achievement gap between public and private schools by broadening the application of the law and awarding financial aid to worthy pupils (Jones, et. al., 2018). The efficiency and efficacy of the educational system can also be improved by substituting private businesses for government funding of schools. These steps would help level the playing field and guarantee that all kids have access to a top-notch education.

Research Methodology: The following technique was used to do research on the issue of raising the quality of instruction in municipal schools in India.

First, a comprehensive study of the literature on the subject was carried out. The "Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009," steps made by the government to raise the standard of education in municipal institutions, and difficulties encountered in this respect were all covered in the search for pertinent publications, research papers, and reports.

A qualitative research design was used after the literature evaluation. Non-numerical or statistical data must be gathered and analyzed for qualitative research. This approach was selected because it facilitated a better comprehension of stakeholders' perspectives and experiences, including those of kids, teachers, parents, and government officials.

Stakeholder interviews that were semi-structured were used to gather data. Depending on the interviewee's availability and desire, the interviews were either performed in person or over the phone (Kotásková, et. al., 2018). The interview questions were designed to elicit information on the difficulties encountered in raising the standard of instruction at municipal institutions, the government's activities, and recommendations for future advancement.

Data was gathered via focus group discussions (FGDs) in addition to interviews. FGDs entail gathering a group of individuals to have in-depth discussions on a certain subject. To get their opinions on the quality of education provided by municipal institutions and proposals for improvement, instructors, parents, and students participated in focus group discussions (FGDs) in this instance.

Thematic analysis was used to transcribe and examine the material gathered from interviews and FGDs. In order to categorize the data into useful groups, patterns and themes in the data have to be discovered (Jones, et. al., 2018). Then, based on the topics and categories, suggestions for raising the quality of instruction in municipal institutions were developed.

Secondary data were also employed in the study in addition to the original data. This information came from academic studies, government records, and other pertinent sources. The results and suggestions from the initial data collection were supported by the secondary data.

This study approach has the drawback of requiring a lot of time and resources. It takes a lot of time and effort to gather data via interviews and FGDs. In addition, owing to budget limitations, the sample size for interviews and FGDs was constrained.

Future studies could use a quantitative research strategy to overcome this problem. This would include gathering and applying statistical techniques to the analysis of numerical data. The results might apply to a wider population if a bigger sample size was employed.

In conclusion, a qualitative research approach was

used to collect information on raising the standard of education in Indian municipal institutions. Data was gathered via interviews and focus group discussions, and it was then thematically evaluated. To bolster the conclusions and suggestions, secondary data was also employed. Despite its limits, this technique allowed for a better knowledge of stakeholders' opinions and experiences and offered insightful information for raising the quality of instruction at municipal institutions.

Results and Discussions: The study findings show that, despite the Right to Education Act's enactment in 2009 helping to enhance the state's literacy rates, there is still a significant gap between male and female reading rates. According to the research, just 60% of women in the state are literate, compared to 80.5% of males (Czerepaniak-Walczak, 2020). This demonstrates the need of concentrating on raising the state's female literacy rates.

It is well known that educating females benefits the whole neighborhood. Women with greater education are more likely to have fewer kids, and those kids are more likely to go to college. Women with education are also more likely to have professions that pay more, which may help the local economy grow.

The poll also shows that there are still difficulties with the quality of instruction in municipal schools (Kotásková, et. al., 2018). The author argues that one method to solve this problem is to broaden the application of the Right to Education Act, 2009 to include scholarships for worthy kids from low-income families to attend private schools with greater resources (Czerepaniak-Walczak, 2020).

The author also makes the case that private businesses may take over government funding of education, which would assist to lessen corruption and boost the efficiency of the educational system.

Table & Graph 1 (see in last page)

The significance of raising education awareness, especially among low-income households, is one of the survey's major results. The author argues that the government should fund publicity efforts to persuade parents to enroll their kids in school, particularly females.

Table & Graph 2 (see in last page)

The poll emphasizes the need of addressing concerns pertaining to schoolgirl safety. Education increases a woman's likelihood of knowing her rights and being able to defend herself from abuse and prejudice (Geruso and Royer, 2018).

Table & Graph 3 (see in last page)

Overall, the survey's findings indicate that while if the state's literacy rates have improved to some extent, much more work has to be done, particularly to raise female literacy rates. The research makes several suggestions for working together between the public and private sectors to raise the standard of education in the state (Black, 2018). These actions include granting scholarships to worthy students, promoting the value of education, and ensuring a safe learning environment for girls. No of their gender or financial situation, every child may have access to a top-notch education if the state takes action on these issues.

Particularly when one member of a family pursues education, the entire society has the opportunity to do so. In a survey that was carried out in 2019, it was discovered that the state's literacy rate was 70.6% (Black, 2018). The gender-based analysis of the education rate, however, reveals that the female literacy rate is 10% lower than the state literacy rate, which is 60%, and the male literacy rate is 80.5% (Geruso and Royer, 2018). But having an educated lady in the family actually makes the whole thing better and bigger.

Conclusion: The "Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009" has improved India's enrolment percentage and rate of literacy, but there are issues with the level of instruction provided in municipal institutions. Solutions include extending the scope of the Act, providing scholarships and free transportation, and replacing government funding with private corporations. The government should provide incentives and training to talented instructors in remote regions and promote private sector engagement in education to raise the quality of education in municipal schools in India. Qualitative research was used to gather data from stakeholders' perspectives and experiences. A qualitative research approach was used to collect information on raising the standard of education in Indian municipal institutions, using interviews, focus group discussions, thematic analysis, secondary data, and a quantitative research strategy (Geruso and Royer, 2018). The study found that 60% of women in the state are literate, compared to 80.5% of males. This shows the need to focus on raising the state's female literacy rates, as it benefits the whole neighbourhood. The author suggests broadening the application of the Right to Education Act, 2009 to include scholarships for worthy kids from low-income families to attend private schools. Raising education awareness among low-income households is also important. The author argues that the government should fund publicity efforts to persuade parents to enroll their kids in school, particularly females.

The research suggests working together between the public and private sectors to raise the standard of education in the state, such as granting scholarships, promoting the value of education, and ensuring a safe learning environment for girls. Having an educated lady in the family makes the whole thing better and bigger.

References:-

1. Black, D.W., 2018. The Fundamental Right to Education. *Notre Dame L. Rev.*, *94*, p.1059.
2. Czerepaniak-Walczak, M., 2020. Respect for the right to education in the COVID-19 pandemic time. Towards reimagining education and reimagining ways of respecting the right to education. *The New Educational Review*, *62*(4), pp.57-66.

3. Geruso, M. and Royer, H., 2018. *The impact of education on family formation: Quasi-experimental evidence from the uk* (No. w24332). National Bureau of Economic Research.
4. Jones, S.P., Miller, C., Gibson, J.M., Cook, J., Price, C. and Watkins, C.L., 2018. The impact of education and training interventions for nurses and other health care staff involved in the delivery of stroke care: An integrative review. *Nurse education today*, *61*, pp.249-257.
5. Kotásková, S.K., Procházka, P., Smutka, L., Maitah, M., Kuzmenko, E., Kopecká, M. and Hönig, V., 2018. The impact of education on economic growth: The case of India. *ActaUniversitatisAgriculturae Et Silviculturae MendelianaeBrunensis*, *66*(1), pp.253-261.
6. Lee, J., 2020. The Human Right to Education: Definition, Research and Annotated Bibliography. *Emory Int'l L. Rev.*, *34*, p.757.
7. Marinoni, et. al., 2020. The impact of Covid-19 on higher education around the world. *IAU Global Survey Report*.
8. Meyer, A.G., 2017. The impact of education on political ideology: Evidence from European compulsory education reforms. *Economics of Education Review*, *56*, pp.9-23.
9. Raja, R. and Nagasubramani, P.C., 2018. Impact of modern technology in education. *Journal of Applied and Advanced Research*, *3*(1), pp.33-35.
10. Rostami, S. and Afshar, T.S., 2020. A Rethinking of the Concept of Right to Education in the Light of Democratic Citizenship. *Bioethics*, *173*, p.186.
11. Salát, O., 2019. A comparative report on the right to education: An assessment of the legal framework of six countries from the perspective of recognitive and redistributive justice. *ETHOS report D*, *3*, pp.137-64.

Table & Graph 1

Division / District	Literacy Rate(Persons)				Literacy Rate(Females)			
	1981	1991	2001	2011	1981	1991	2001	2011
Gwalior Division	**28.0**	**42.8**	**63.9**	**70.1**	**14.8**	**25.8**	**48.3**	**57.8**
Gwalior	40.5	58.4	69.4	77.9	27.3	43.1	56.4	68.3
Datia	28.0	44.5	71.3	73.5	11.9	23.9	56.6	60.2
Ashoknagar	22.9	37.3	62.3	67.9	9.5	19.0	45.2	54.2
Guna	20.5	32.5	57.6	65.1	9.1	17.3	41.2	52.5
Shivpuri	20.5	33.0	58.8	63.7	8.2	15.7	40.7	49.5

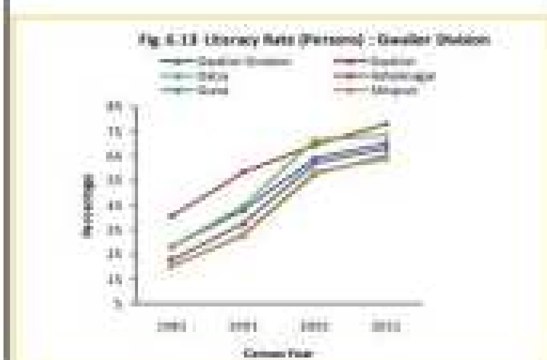

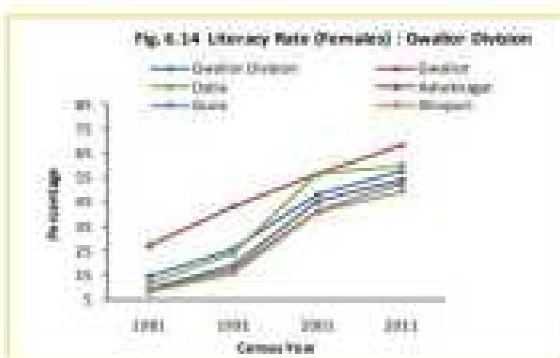

Source: (Geruso and Royer, 2018)
Figure: Literacy Rate Analysis

Table & Graph 2

Division / District	Literacy Rate(Persons)				Literacy Rate(Females)			
	1981	1991	2001	2011	1981	1991	2001	2011
Chambal	**28.1**	**44.6**	**64.3**	**71.7**	**12.0**	**23.9**	**47.1**	**58.0**
Bhind	31.4	49.2	70.5	76.6	14.7	28.2	55.2	64.0
Morena	28.3	45.9	64.7	72.1	11.5	23.8	46.2	57.6
Sheopur	17.4	27.5	46.4	58.0	6.1	12.3	29.1	44.5

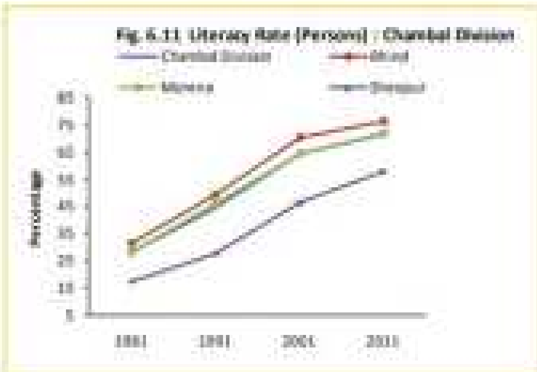

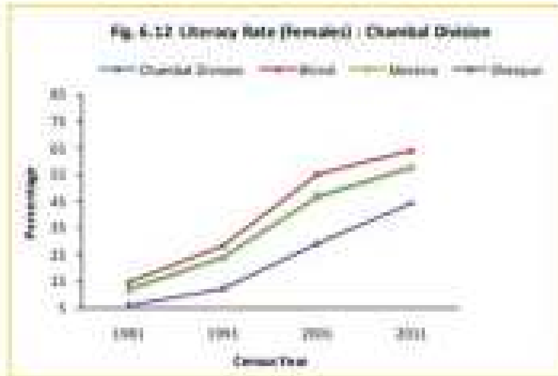

Source: (Geruso and Royer, 2018)
Figure: Division Literacy Rate

Table & Graph 3

Sr. No.	Name of the town having slum	Total population	Slum population	Percentage of slum population to total population
1	2	3	4	5
1	802100-Gwalior (M Corp.)	1,054,420	149,601	14.19
2	802102-Bilaua (NP)	12,891	5,765	44.71
3	802103-Pichhore (NP)	12,425	7,665	61.69
4	802104-Dabra (M)	61,277	22,428	36.60
5	802105-Bhitarwar (NP)	19,096	2,000	10.47
6	802106-Antari (NP)	9,949	550	5.53
	Total	**1,170,060**	**188,009**	**16.07**

Source: (Black, 2018)
Figure: Percentage of slum population

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XL

Textile Dyeing Industry An Environmental Hazard

Dr. Manju Meena*   Dr. Sudha Sukhwal Shringi**

***Assistant Professor (Chemistry) Rajrishi College, Alwar (Raj.) INDIA**
**** Associate Professor (Chemistry) Rajrishi College, Alwar (Raj.) INDIA**

Abstract - The textile industry is one of the important industries that generates a large amount of industrial effluents. Color is the main attraction of any fabric. No matter how excellent its constitution, if unsuitably colored it is bound to be a failure as a commercial fabric. Manufacture and use of synthetic dyes for fabric dyeing has therefore become a massive industry today. In fact the art of applying color to fabric has been known to mankind since 3500 BC. WH Perkins in 1856 discovered the use of synthetic dyes. Synthetic dyes have provided a wide range of colorfast, bright hues. Use of synthetic dyes has an adverse effect on all forms of life. Presence of sulphur, naphthol, vat dyes, nitrates, acetic acid, soaps, enzymes chromium compounds and heavy metals like copper, arsenic, lead, cadmium, mercury, nickel, and cobalt and certain auxiliary chemicals all collectively make the textile effluent highly toxic. Other harmful chemicals present in the water may be formaldehyde based dye fixing agents, chlorinated stain removers, hydro carbon based softeners, non bio degradable dyeing. This effluent if allowed to flow in the fields' clogs the pores of the soil resulting in loss of soil productivity. If allowed to flow in drains and rivers it effects the quality of drinkingwater in hand pumps making it unfit for human consumption. It is important to remove these pollutants from the waste waters before their final disposal.
Keywords- Waste Water, Pollutants, Toxic, Hazard, Carcinogenic

Introduction - Dyes may be defined as substances that when applied to a substrate provides color by a process that alters, at least temporarily, any crystal structure of the colored substances[1].Such substances with considerable coloring capacity are widely employed in the textile, pharmaceutical, food, cosmetics,plastics, photographic and paper industries .About 10-15% of synthetic dyes are lost during different processes of textile industry.

Historical records of the use of natural dyes extracted from vegetables, fruits, flowers, certain insects and fish dating back to 3500 BC have been found. Color is the main attraction of any fabric. No matter how excellent its constitution, if unsuitably colored it is bound to be a failure as a commercial product. Fabric was earlier being dyed with natural dyes. These however gave a limited and a dull range of colors. Besides, they showed low color fastness when exposed to washing and sunlight. As a result they needed a mordant to form a dye complex to fix the fibre and dye together thus making the dyers' work tedious. The discovery of synthetic dyes by W. H. Perkins in 1856 has provided a wide range of dyes that are color fast and come in a wider color range and brighter shades[2]. As a result "dye application" has become a massive industry today.

However, due to the toxic nature and adverse effect of synthetic dyes on all forms of life the interest in natural dyes has revived throughout the world. Nevertheless even the natural dyes are rarely low-impact, due to certain mordants that have to be used with them. Mordants, are substances, (such as chromium), used to "fix" color onto the fabric. They may be are very toxic and may have a high impact on the wastewater quality. Natural dyestuffs require large quantities of water for dyeing. (Almost equal to or double that of the fiber's own weight). About 80 percent of the dyestuffs stay on the fabric, while the rest go down the drain. Consequently, natural dyes prepared from wild plants and lichens can have a very high impact on the environment.

Hazards Of Water Pollution: Mills discharge millions of gallons of this effluent as hazardous toxic waste, full of color and organic chemicals from dyeing and finishing salts. Presence of sulphur, naphthol, vat dyes, nitrates, acetic acid, soaps, chromium compounds and heavy metals like copper, arsenic, lead, cadmium, mercury, nickel, and cobalt and certain auxiliary chemicals all collectively make the effluent highly toxic. Other harmful chemicals present in the water may be formaldehyde based dye fixing agents, hydro carbon based softeners and non bio degradable dyeing chemicals. The mill effluent is also often of a high temperature and pH, both of which are extremely damaging. The colloidal matter present along with colors and oily scum increases the turbidity and gives the water a bad

appearance and foul smell. It prevents the penetration of sunlight necessary for the process of photosynthesis [3]. This interferes with the Oxygen transfer mechanism at air water interface. Depletion of dissolved Oxygen in water is the most serious effect of textile waste as dissolved oxygen is very essential for marine life. This also hinders with self purification process of water. In addition when this effluent is allowed to flow in the fields it clogs the pores of the soil resulting in loss of soil productivity. The texture of soil gets hardened and penetration of roots is prevented.

The waste water that flows in the drains corrodes and incrustates the sewerage pipes. If allowed to flow in drains and rivers it effects the quality of drinking water in hand pumps making it unfit for human consumption. It also leads to leakage in drains increasing their maintenance cost. Such polluted water can be a breeding ground for bacteria and viruses. Impurities in water affect the textile processing in many ways. In scouring and bleaching they impart a yellow tinge to white fabric. Particularly in Asian countries like India, China and Bangladesh textile manufacturing factories produce and use dyes in harmful ways due to severe lack of regulations. Their protections for workers and environment are weak. So fashion companies can produce their clothes, shoes and accessories as cheaply as possible, disregarding environmental and health protection.

Impact Of Dyes On The Environment : The large-scale production and extensive application of synthetic dyes cause considerable environmental pollution, making it a serious public concern.Toxic textile dyes are one of the major causes of altering physical and chemical properties of soil, deteriorating water bodies, and causing harm to the flora and fauna in the environment. The presence of dyes in aquatic bodies due to disposal of untreated liquid and solid effluents of textile industries has a negative impact on public health(4).Many azo dyes induce genotoxic, mutagenic and carcinogenic activity in microorganism and macroorganism including mammalian(5,6,7,8). Harmful dyes cause death to the soil microorganisms, which affect agricultural productivity. Azo dyes, in particular, are also highly poisonous to the ecosystem. They are mutagens which means they have acute to chronic effects upon organisms, depending on the exposure time and azo dye concentration. Dyes are, in general, stable organic pollutants that persist in the environment and cause an increased biochemical oxygen demand. So they negatively affect living creatures in the long term in the discharged water. Textile dyes are indeed created with a high fixation degree to fibre and fastness (i.e. high stability in light and washing) and are resistant to microbial attack. So they are designed to resist very harsh conditions, making it extremely difficult to remove from textile wastewaters by the conventional wastewater treatments. It's time to prioritize water quality, reducing pollution, eliminating dumping, and minimizing release of hazardous chemicals and materials. Many dyes found in polluted wastewater have been linked to bladder cancer, splenic sarcomas, and hepatocarcinoma, producing nuclear anomalies in animals and chromosomal aberrations in mammalian cells (9 ,10 , 11, 12, 13). The toxicity of the azo compounds can be related to the bio-interaction of the dyes or the metabolites formed by the reduction of their azo bond [14] with the cells (15, 16,17) V. M. Arlt, H. Glatt, E. Muckel, U. Papel, B.L. Sorg, H. Schmeiser, and D. H. Phillips, Carcinogenesis, 23 (2002) 1937.

Contaminated rivers become lifeless, all the fish are left to die and water turns to sludge. Polluted water, lack of algae, and chemical toxicity cause the death of aquatic life, ruin the soil and poison drinking water.

Way To Reduce Environment Pollution By Dyes: The dyeing process as a whole creates several problem of dyes on environment , which are possible to reduce by knowing their sources and taking appropriate measures. These sources and adoptable may be categorized as follows:

1. Textile raw fibres may be contaminated with polluting chemicals.
2. Dyes contain pollutants and hazardous materials.
3. Auxiliary chemicals used during dyeing may have their own impact.
4. Dyeing operations are water- intensive leading to large volumes of effluent.
5. As far as possible recycling , reuse of the dyestuffs and chemicals should be practised.
6. Implement overall best management practices.

Conclusion: It was concluded that the synthetic textile dyes represent a large group of organic compounds that could have undesirable effects on the environment, and in addition, some of them can pose risks to humans. Methods used for dyeing textiles are quite important to decide the extent of polluting the environment. The increasing complexity and difficulty in treating textile wastes has led to a constant search for new methods that are effective and economically viable. However, up to the present moment, no efficient method capable of removing both the color and the toxic properties of the dyes released into the environment has been found. The use of ecofriendly chemicals, dyes, and suitable techniques for maximum output without simultaneous generation of waste would be important aspects to establish a safe relationship between the textile industry and the environment today and in the future.

References:-

1. Bafana A.,Devi S.S.& Chakarbarti T.(2011) Azo dyes: Past, Present and the future.Environment Reviews, 19(NA)350-370
2. Whitaker, C.M. and Willock,C.C. (1949)Dyeing with coal tar dyestuffs. Tindall and Cox Baillière, London, 5,17.
3. I. M. Banat, P. Nigam, D. Singh and R. Marchant, Bioresources Technology, 58 (1996) 217. W. B.
4. Achwal, Colourage, 44 (1997) 29.

5. S. Venturini and M. Tamaro, Mutation Research, 68 (1979) 307.
6. A. Garg, K.L. Bhat, and C.W. Bock, Dyes and Pigments, 55 (2002) 35.
7. M. J. Prival and V.D. Mitchell, Mutation Research, 97 (1982) 103.
8. H. S. Freeman, J. V. Esancy, and L. D. Claxton, Dyes and Pigments, 13 (1990) 5.
9. F. M. D. Chequer, J. P. F. Angeli, E. R. A. Ferraz, M. S. Tsuboy, J. C Marcarini, M. S. Mantovani, and D. O. Oliveira, Mutation Research! Genetic Toxicology and Environmental Mutagenesis, 676 (2009) 83.
10. A. J. Percy, N. Moore, and J. K. Chipman, Toxicology, 57 (1989) 217.
11. C. R. Nony, M. C Bowman, T. Cairns, L. K. Lowry and W. P. Tolos, J. Anal. Toxicology, 4 (1980) 132.
12. F. Rafii, J. D. Hall, and C. E. Cerniglia, Food Chemistry and Toxicology, 35 (1997) 897.
13. R. M. Patterson and J. S. Butler, Food Chemistry and Toxicology, 20(1982) 461.
14. K. T. Chung, J. R. Stevens, Environmental and Toxicological Chemistry, 12 (1993) 2121
15. G. A. Umbuzeiro, H. Freeman, S. H. Warren, F.Kummrow, and L.D. Claxton,Food & Chemistry Toxicology, 43 (2005) 49.
16. H. Bartsch, International Agency of Research on Cancer, 40 (1981)13.
17. V. M. Arlt, H. Glatt, E. Muckel, U. Papel, B.L. Sorg, H. Schmeiser, and D. H. Phillips, Carcinogenesis, 23 (2002) 1937.

****

Role of Public Distribution System in Scheduled Area of Rajasthan (With Special Reference to Udaipur District)

Bhawna Shrimali*

***Student, Government Meera Girls College, Udaipur (Raj.) INDIA**

Abstract - The necessity for rural and agricultural development is paramount in the current era of globalization when we discuss inclusive growth. It is a well-known fact that India's economy is based primarily on agriculture, and that around two thirds of the country's population depends on it either directly or indirectly.

The current study aims to analyze the development of the public distribution system in the nation. The public distribution system is very important to the rural tribal people because they are an underprivileged segment of society. Here, an effort has been made to examine the factors that affect the effectiveness of the public distribution system in rural tribal communities.

Introduction - The necessity for rural and agricultural development is paramount in the current era of globalization when we discuss inclusive growth. It is a well-known fact that India's economy is based primarily on agriculture, and that around two thirds of the country's population depends on it either directly or indirectly.

The lack of adequate infrastructure in the nation has prevented the development of the industrial and service sectors. Economic disparities cause the gap between the rich and the poor to widen over time. Even after working all day long, millions of individuals still cannot afford two meals every day.

The nation's government has a moral obligation to feed its citizens adequately. If it fails to do so, the welfare state idea is invalidated. The Indian government makes an effort to guarantee food security for all citizens. Its goal is to supply enough wholesome food to the populace so that they can lead healthy lives.

Three major initiatives were launched by the federal government to guarantee food security in the nation.

I. Public distribution system.
ii. Services for integrated child development.
iii. Programme for midday meals.

The public distribution system is one of these programmes that is crucial. It offers reasonable rates for food grains to both rural and urban residents. It guarantees food security for the entire nation, including rural locations.

The current study aims to analyze the country's expanding public distribution system. The public distribution system has a significant impact on the rural tribal population because they are a disadvantaged segment of society. Here, an effort has been made to analyze the factors that affect how well the public distribution system performs in tribal rural areas.

Review of available literature: There are many studies on this topic some of which we have cited here;

Ramesh baheti(2018) explored the many facets of the Indian food crisis and price control in his paper, which focused mostly on food policy and did not place any emphasis on the PDS problems. In his opinion, the general goals of food policy should protect the interests of low-income customers in terms of availability and cost.

The study by Raj Kishan (2016) provided various normative models. He proposed that the population total be subtracted from the number of income tax assessments and cultivator families in order to determine the recipients of the distribution scheme.

S.P. Singh (1994) assesses the operation of the FPS, however the study was limited to the operation of the PDS in urban areas. The research also covered the merchants' issues.

Krishna (2020) attempted to lay out a plan to provide all those living in poverty, both in rural and urban regions, on a permanent basis with a secured supply, and for this they advised the efficient procurement of the marketable surplus of grains.

Thakur (2021) investigated the efficacy of PDS. Using econometric models, he looked at the price stability gained by PDS operation and discovered that the quantities needed to meet it would be significantly greater than what could be produced internally through procurement.

It is evident from this analysis that there are no studies on the causes of PDS in tribal regions. The current study aims to close this gap.

Research methodology:

Objectives of the study: The main objectives of the study are;

1. To find out the determinants of the performance of public distribution system in Scheduled region of Rajasthan.

Methodology: In present study researcher analyze the performance of public distribution system in T.S.P. region of Rajasthan. Out of total T.S.P. districts of the state of Rajasthan, Udaipur district has been purposively selected for the study.

Three tehsils of the Udaipur district namely, Kurabad,Jhadol and Girwa have been randomly selected for the purpose of investigations.

Present study is based on primary data which has been analyzed by correlation, average and simple regression analyses.

Results and discussion:

Factors affecting the performance of public distribution system: The public distribution system is the lifeblood of indigenous populations. Consequently, understanding the variables that affect P.D.S performance is crucial.

We utilized the following straightforward equation to determine the factors that affect P.D.S. performance:

$Y_i = \alpha + \beta x_i + \mu_i$

Where

Y_i = performance of public distribution system.

x_i= determinants of performance of P.D.S.

μ_i= error term.

Following are the determinants of the performance of P.D.S. in tribal areas;

1. Distance of F.P.S.from the home: It has been hypothesized that there is a negative correlation between the P.D.S. performance and the distance of fair price stores in respect to the homes of tribal members.

2. The quantity of accessible goods and their validity:A positive correlation between the quantity of goods and their quality at shops with reasonable prices and the effectiveness of P.D.S has been hypothesized.

3. The tribal consumers' income: A favorable relationship between income and leaving F.P.S. has been hypothesized.

(A) Kurabad: Agriculture provides the majority of the population's means of subsistence in this overwhelmingly tribal region. The only place in this neighborhood to guarantee food security is the fair pricing shop. To identify the factors influencing P.D.S. performance in this region, the following regression model have been estimated.

Table: 1 Regression Model (Kurabad)

variable	hypothesized sign	B	R^2	$\bar{R}^2$
X_1	+	0.62	.62	.61
X_2	-	0.41	.41	.410
X_3	+	0.71	.71	.692

From the fitted model it is observed that the contribution of the explanatory variables x_1, x_2, x_3, in the performance of P.D.S. are 62, 41and 71, %.Our model is found to be best fitted as the value of R^2 and $\bar{R}^2$ is quite high.

(B) Jhadol: The regression model for Jhadol is as follows:

Table: 2 Regression Model (Jhadol)

variable	hypothesized sign	B	R^2	$\bar{R}^2$
X_1	+	0.44	.44	.43
X_2	-	0.28	.28	.279
X_3	+	0.69	.69	.685

Our estimated model shows that the variables x_1, x_2, $x_3$brings the 44, 28 and 69 percent variation in the performance of P.D.S. in the area.

Our model is found to be best fitted as value of R^2 and $\bar{R}^2$ is quite high.

(C) Girwa: The tehsils are dominated by tribes. The population have relatively little purchasing power because they have no reliable source of income. In this region, F.P.S. is the main source for food supply. Following regression model has been estimated for this area;

Table: 3 Regression Model (Girwa)

variable	hypothesized sign	B	R^2	$\bar{R}^2$
X_1	+	0.46	.46	.458
X_2	-	0.49	.49	.488
X_3	+	0.68	.68	.679

Our model shows that the contribution of the variable x_1, $x_2$and x_3 in deciding the performance of P.D.S. is 46, 49 and 68 percent.

Our model is found to be best fitted because the value of R^2 and $\bar{R}^2$ is quite high to explain the variation in dependent variable (Y_i).

Suggestions: According to the data above, the biggest issue in tribal regions is the lack of access to food. Researchers have recommended the following policy changes to enhance P.D.S performance:

1. It is necessary to increase both the quantity and quality of the goods delivered under P.D.S.
2. By giving the tribal people more employment opportunities, the purchasing power of the population must be raised.
3. A committee to monitor the F.P.S. is necessary.
4. The P.D.S. corruption needs to be eliminated. Without it, the goal of P.D.S. cannot be accomplished.

References:-

1. Ramesh baheti (2018): "India's Food Problem Andpoverty since Independence". Somiaya Publications, Bombay.
2. Krishna (2020 Thakur (2021)) "Government Operations in Food grains". The Economic and Political Weekly, Sept.
3. S.P. Singh (1994)"Evaluation of Fair price Shops". Oxford and IBH Publishing Co.. New Delhi.
4. Gulati, S.C. (1975) "The Pattern of Income Distribution in India - A Review in Poverty and Income Distribution in India" Edited by Srinivasan, T.N., 'Statistical Publishing Society', Calcutta.
5. Thakur (2021) "Public Distribution of Food grains in india, Monograph No. 69, Centre for Management in

Agriculture, Indian Institute of Management, Ahmedabad.
6. George. P.S. (1979) "Public Distribution of Food grains in Kerala". Research Report 7, International Food Policy Research Institute, Washington, 10 March.
7. Subba Rao K. (1980) : "What is A surplus state? Public Distribution of Rice in Andhra Pradesh", ArthVijana, Vol. XXII No. 1, March.
8. GargVipin (1980) : "Food Corporation of India, State in Food grains Trade in India - A study of policies and practices of PDS", Birla Institute of Scientific Research, New Delhi.
9. Bapna, S.L. (1980) "Food Security through the PDS" The Indian Express.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XL

The Impact of Practicing Yoga on Stress Reduction Among Corporate Executives

Dimple Solanki* Dr. Dilip Singh Chouhan**

***Research Scholar, Janardan Rai Nagar Rajasthan Vidhaypeeth (Deemed - to - be University), Udaipur (Raj.) INDIA**
**** Assistant Professor (Physical Education & Yoga) Janardan Rai Nagar Rajasthan Vidhaypeeth (Deemed - to - be University), Udaipur (Raj.) INDIA**

Abstract - Globalization, technological advancement, the mixing of labour cultures, the economic downturn and the subsequent changes in the work environment are accelerating. As a result, stress is found in everyone at work, whether rich or poor, young or old, male or female; no one is immune to it. 18 Depression can be a major cause of illness or premature death. The WHO has declared stress as a global epidemic and described job stress as a "twentieth century". The American Institute of Stress (AIS) says that stress-related illnesses cost the economy more than $ 100 billion a year. In addition, the AIS estimated in 2001 that pressure was costing organizations $ 300 billion on health care, employee compensation, absenteeism and benefits. Production losses are estimated at $ 17 billion annually. Every health problem from headaches to heart attacks, from dementia to stroke can be linked to depression called 21st century disease. Stress-related illnesses and injuries account for about three-quarters of workers' absences.The problem of this research is to assess the impact of Practicing Yoga on Perceived stress, Anxiety, Depression, Stress and Overall stress among Corporate Executives with regards to male corporate executives, female corporate executives, 30 to 45 years age group of corporate executives, 46 to 60 years age group of corporate executives.
Keywords: Cognitive abilities, Occupational Stress, Executive functions, Stress Management.

Introduction - Yoga, a branch of oriental knowledge, is now universally acknowledged even in Western countries, and a large number of people practise it for a variety of reasons, including physical fitness, agility, stress reduction, psychological well-being, emotional remediation, good habit cultivation, and disease management as adjunctive treatment. It is a life management art as well as a universal way of self-realization. Health benefits and improved human intellect are inextricably linked to yoga activities that are accessible to all practitioners. Only the United States invests 5.7 billion US dollars per year on yoga classes and yoga goods (Macy, 2008). A large number of women have been observed doing yoga in the United Kingdom and other nations. The proliferation of yoga studios in Europe and South Asia, as well as research studies conducted on the many potency of Yoga, demonstrate its growing popularity and scientific confirmation and standardisation by the scientific community.

There are now a lot of scientific studies that support the preventative, rehabilitative, therapeutic, and excelling effects of yoga at the individual and organisational levels (Becker, 2000; Jacobs, 2001; Khalsa, 2004; Ornish, 2009).

One of the most interesting recent breakthroughs has been the crosspollination of Western science with concepts from Eastern teaching disciplines such as yoga. Researchers are getting better at looking at the body, mind, and spirit and detecting the sometimes subtle changes that yoga and meditation trainees go through. The bio-psycho-socio-spiritual research approach was used to develop a scientific explanation of yoga effects (Evans et al., 2009). Conversely, there is a flood of chronic diseases (cardiac issues, diabetes, cancer, backache, obesity, depression, and so on) (World Economic Forum [WEF], 2010), organisationalmisbehaviours (workplace incivility, insidious and insulting behaviours, social trying to undermine, theft of corporate resources, acts of devastation, criminal damage and sabotage, substance abuse, and malfeasance perpetrated against fellow employees) (Fox & Spector, 2005). As a result, the majority of the world's most successful firms have highlighted workplace yoga/ spirituality as a developing route for corporate-wellness (CW) and corporate-excellence (CE).

"The business of business and business of life are one. The reason for living and working is to act and the reason to act is to seek excellence in everything that you do" (Sinclair, Pruzen&Pruzan, 2001). This quote from the CEO and chairman of a prominent corporation (Tan Range Exploration, Ltd., USA/Tanzania) highlights the importance

of spiritual understanding in business management and performance perfection. Consistent practise of yoga and related disciplines as part of business culture enhances an individual's and an organization's bodily, psychological, social, and spiritual health and intelligence.

Furthermore, an individual's degrees of four human intelligences— spiritual (SI), emotional (EI), creative (CI), and rational (RI)—acquired control his/her manner of feeling, reasoning, and conduct and may surely be regarded as determiners of human psyche and human brilliance Individual or CW and CE are supported by optimal health (physical, mental, social, and spiritual) and the four aspects of intelligence (SI, EI, CI, and RI) that may be obtained and sustained via continuous yoga practises.

Review of literature:

Ashtanga yoga may be beneficial as a weight loss strategy in a predominately Hispanic population shown by a pilot study done with 14 predominately Hispanic children (ages 8-15 years) having a 12-week prospective Ashtanga yoga program (González-Gálvez et al., 2015). Strength, flexibility and balance in healthy adolescent girls also showed improvement with yoga intervention (Fillmore et al., 2010). According to one qualitative study, student athletes benefitted from practicing yoga postures and breathing techniques, before, during, and after athletic events to enhance their performance and yoga helps to loosen tight muscles, remove soreness, avoids injury, regulates respiration, and calms a fast heartbeat after exercise (Conboy et al., 2013).

Peterson & Webb recognized on relevance of religion and spirituality for QOL researchers across a wide set of disciplines and its future scope. The undeniableinfluence of religion and spirituality at the macro-level of cultures, the internal and external worlds of individuals embedded in any culture are touched by religion and spirituality – even for individuals who deny any religious affiliation or beliefs (Peterson & Webb, 2006).

According to Bhole (1977), hatha-yoga practices like asanas (i.e. posture), pranayamas (i.e. breathing practices intended to influence vital forces), kriyas (i.e. 7 cleaning process), mudras (i.e. certain internal attitudes) and bandhas (i.e. neuro- muscular locks are mostly taught as physical practices. While various meditation techniques work at the mental level, all these practices are intended to develop a certain type of awareness within oneself. This in turn is expected to bring about a change in the emotional and visceral functions and through them, a change in the intellectual and somatic functions of the individual. Although there is a lack of controlled studies, yoga is regarded as a promising method for the treatment of stress-related problems (Fersling, 1997). Several studies have shown yoga to be promisingfor physiological (Murugesan, Govindarajulu, &Bera, 2000) and psychological outcome measures (Malathi et al., 2000).

Below are few relevant studies which were performed to study the effect of Yoga on perceived stress. Studies such as those conducted by Singh and Udupa (1977), Datey (1977), Sachdeva (1994), Vasudevan (1994), Venkatesh (1994), and Rao (1995) throw light on the positive effects of yogic practices on perceived stress. Udupa, Singh and Dwivedi (1977), in their study on two groups of volunteers who practiced vipasana meditation for 10 days, had noted a significant increase in the levels of acetylcholine, cholinesterase, catecholamine, and histamines activities in the blood. On the other hand, there appeared to be a reduction in the level of plasma cortisol, urinary corticoids, and urinary nitrogen. These findings suggest that volunteers were neurophysiologically more active following yogic meditation and yet, were physically and metabolically stable.

Research objective:

1. To study the effect of yogic intervention on Perceived stress, Anxiety, Depression, Stress and Overall stress among corporate executives.
2. To study the effect of yogic intervention on Perceived stress, Anxiety, Depression, Stress and Overall stress among male corporate executives.
3. To study the effect of yogic intervention on Perceived stress, Anxiety, Depression, Stress and Overall stress among female corporate executives.
4. To study the effect of yogic intervention on Perceived stress, Anxiety, Depression, Stress and Overall stress among 30 to 45 year age group of corporate executives.
5. To study the effect of yogic intervention on Perceived stress, Anxiety, Depression, Stress and Overall stress among 46 to 60 year age group of corporate executives.
6. To postulate the mechanism of yoga intervention for stress reduction.

Research hypothesis:

1. There is no significant effect of yogic intervention on Perceived stress, Anxiety, Depression, Stress and Overall stress among corporate executives.
2. There is no significant effect of yogic intervention on Perceived stress, Anxiety, Depression, Stress and Overall stress among male corporate executives.
3. There is no significant effect of yogic intervention on Perceived stress, Anxiety, Depression, Stress and Overall stress among female corporate executives.
4. There is no significant effect of yogic intervention on Perceived stress, Anxiety, Depression, Stress and Overall stress among 30 to 45 years age group of corporate executives.
5. There is no significant effect of yogic intervention on Perceived stress, Anxiety, Depression, Stress and Overall stress among 46 to 60 years age group of corporate executives.

Methodology:

Sample & Sampling: In present research, researcher wanted to assess the effect of Yogic Intervention on

Perceived stress, Anxiety, Depression, Stress and Overall stress. 140 corporate executives (91-males & 49-females) were randomly selected from Rajasthan. All male and female participants were divided into two age groups i.e. 30 to 45 & 46 to 60. The simple Random Sampling Method was applied for selection of participants. The participants were divided into two age groups because the age group of 30 to 60 years is a wide range of age. In which the physical, mental, social and economic situations of both the age groups are different. Therefore, the researcher also wanted to examine the effect of yoga practice in both these age groups separately.

Inclusion Criteria:

a) Male and Female participants, age between 30 and 60 years.

b) Those who were willing to follow the study conditions.

Exclusion Criteria:

a) Participants with a diagnosed any chronic physical & mental illness.

b) Those who were taking any medication. Consent was taken from all the participants and trainee authority.

Research Design: The Single group Pre-test - Post-test design was used in this research.

Variables (see below)

Tools:

1. Perceived stress scale by Sheldon Cohen
2. Anxiety, Depression and Stress Scale by Pallavi Bhatnagar, Megha Singh and Manoj Pandey.

Statistical Analysis: To know the effect of Yogic Intervention on Perceived stress, Anxiety, Depression, Stress and Overall stress among corporate executives with regards to gender and age "t" test was applied. Hypotheses were tested at 0.05 and 0.01 level of significance. Data analysis was done by the latest version of SPSS.

Conclusion:

1. Yogic intervention helps to reduce perceived stress, anxiety, depression, stress and overall stress among corporate executives.
2. Yogic intervention helps to reduce perceived stress, anxiety, depression, stress and overall stress among male corporate executives.
3. Yogic intervention helps to reduce perceived stress, anxiety, depression, stress and overall stress among female corporate executives.
4. Yogic intervention helps to reduce perceived stress, anxiety, depression, stress and overall stress among 30 to 45 years age group of corporate executives.
5. Yogic intervention helps to reduce perceived stress, anxiety, depression, stress and overall stress among 46 to 60 years age group of corporate executives.

Recommendations for further studies:

1. Further, more research with a much greater sample size may allow researchers to find a correlation between the length of time of the activity, frequency of the activity, longevity of the activity, or form of the activity with perceived stress levels and by using large sample size, researchers can get more reliable results.
2. Effect of yogic intervention on mental health, adjustment psychological well being among corporate executives with regards to gender and age can be studied.
3. Effect of yogic intervention on perceived stress, anxiety, depression, stress and overall stress among corporate executives with regards to their area of residence (urban-rural) can be also be studied.
4. Effect of yogic intervention on psycho humanity and mental health among corporate executives can be studied.
5. Effect of yogic intervention on occupation stress and job satisfaction among corporate executives can be observed.
6. Effect of yogic intervention on achievement motivation and occupation stress among corporate executives can be studied.
7. Effect of yogic intervention on organizational commitment and job satisfaction among corporate executives can be studied.

References:-

1. Aziz, M. (2003).Organizational role stress among Indian information technology professionals. Asian-Pacific Newsletter on occupational health and safety, 10(2), 31-33.
2. Babu, G. R., Mahapatra, T., &Detels, R. (2013).Job stress and hypertension in younger software professionals in India.Indian journal of occupational and environmental medicine, 17(3), 101.
3. Chakraborty, S. K. (1987). Managerial effectiveness and quality of worklife: Indian insights. Tata McGraw-Hill.
4. Chakraborty, S. K. (1993). Managerial transformation by values: A corporate pilgrimage. Sage Publications.
5. Patil, A. (2015). Effect of mind sound resonance technique on anxiety, epression and fatigue in working women.
6. Subramanya, P., &Telles, S. (2009). Effect of two yoga-based relaxation techniques on memory scores and state anxiety.BioPsychoSocial Medicine, 3(1), 1-5.

Variables:

S.	Name of Variable	Type of Variable	Level of Variable	Name of Level
1.	Yogic practice	Independent variable		Stress management yogic module (duration 60 minutes)
2.	Perceived stress	Dependent variable	1	Scores of perceived stress
3.	Stress	Dependent variable	4	Scores of anxiety, depression, stress and overall stress

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XL

Pandemics, Human Rights and Cyber Threat to the Vulnerable People: A Study with Special Reference to COVID-19

Dr. Priyanka*

***Assistant Professor (Law) Bhagwant University, Ajmer (Raj.) INDIA**

Abstract - The entire globe is facing a public health emergency of unprecedented dimensions. Most countries are implementing measures, from national lock down to quarantines, to slow the spread of the corona virus. Human rights put people at centre stage and are important in shaping the pandemic response are respect by Human Rights result in better outcomes in beating the pandemic. It ensures health care for everyone and preservation of human dignity. The international laws applicable to the situation are international health law, human rights law, international trade law, international peace and security and development finance. The vulnerable groups which suffered the most due to the sudden lock down decision were the migrant workers. With business and factories closed, public transportation shut down millions of workers were left stranded. Thousands of migrants including women and children were forced to walk hundreds of miles back to their home villages.
Keywords : Human Rights, Cyber threat, Cyber security, Corona virus.

Introduction - The entire globe is facing a public health emergency of unprecedented dimensions. The Corona (Covid-19) pandemic, originating from China has spread its tentacles across the world. Pandemics and epidemics are situations of emergency where there is necessity of urgent actions.

Most countries are implementing measures, from national lock down to quarantines, to slow the spread of the corona virus. Very often, actions taken in such situations undermine human rights, the worst sufferers being the vulnerable groups suffer the most. The consequences of these measures are economic, social and political, but the most important challenge is the protection of human lives.

Human rights put people at centre stage and are important in shaping the pandemic response are respect by Human Rights result in better outcomes in beating the pandemic. It ensures health care for everyone and preservation of human dignity. Thus, it also focuses our attention on those who suffer the most; why and what can be done about it. They prepared on the ground for emerging challenges from this crisis with more equitable and sustainable societies, for development and peace.

The present paper examines the measures taken to combat the Corona virus pandemic and their impact on the vulnerable category of people.

Corona virus Crisis –Issues and challenges: The outbreak of the corona virus illness was first identified in Wuhan, China, in December 2019. The World Health Organization, on January 12, 2020 confirmed that a novel corona virus was the cause of a respiratory illness in a cluster of people in Wuhan city, Hubei province, China. The WHO declared the outbreak a Public Health Emergency of International Concern on 30 January, and a pandemic on 11 March.[1] As of 19 May 2020, more than 4.8 million cases of COVID-19 have been reported in more than 188 countries and territories, resulting in more than 318,000 deaths. More than 1.78 million people have recovered from the virus.

The virus is primarily spread between people during close contact, most often via small droplets produced by coughing, sneezing, and talking. The droplets usually fall to the ground or onto surfaces rather than travelling through air over long distances. Less commonly, people may become infected by touching a contaminated surface and then touching their face. It is most contagious during the first three days after the onset of symptoms, although spread is possible before symptoms appear, and from people who do not show symptoms.

Common symptoms include fever, cough, fatigue, shortness of breath, and loss of smell. Complications may include pneumonia and acute respiratory distress syndrome. The time from exposure to onset of symptoms is typically around five days but may range from two to fourteen days. There is no known vaccine or specific antiviral treatment. Primary treatment is symptomatic and supportive therapy.

The first case in India was reported on January 30,

2020. As of May 18, 2020, the Ministry of health and Family Welfare have confirmed a total of 96, 169 cases with 36, 834 recoveries (including one migration) and 3. 029 deaths in India.

Measures for International scenario of Corona virus : The international laws applicable to the situation are international health law, human rights law, international trade law, international peace and security and development finance. The central institution for determining the global health policy is the World Health Organization (WHO), a specialized agency of the United Nations. The main instrument for confronting the cross-border spread of disease is the International Health Regulations (IHR), which is legally binding for the 194 WHO Member States. The nations across the globe have been adopting far-reaching measures ranging from bans on events and regulations in labor and commercial law to curfews and contact restrictions.[2]

The outbreak of Covid 19 in India has been declared as an epidemic in most of the states and Union territories, and the provisions of the Epidemic Diseases Act 1897 and the 2020 Ordinance. The Epidemic Diseases (Amendment) Ordinance, 2020 was promulgated on April 22, 2020. The Ordinance amends the 1897 Act to include protections for healthcare personnel combating epidemic diseases and expands the powers of the central government to prevent the spread of such diseases. Key features of the Ordinance include[3]:

The Ordinance defines healthcare service personnel as a person who is at risk of contracting the epidemic disease while carrying out duties related to the epidemic. They include: (i) public and clinical healthcare providers such as doctors and nurses, (ii) any person empowered under the Act to take measures to prevent the outbreak of the disease, and (iii) other persons designated as such by the state government.

An 'act of violence' includes any of the following acts committed against a healthcare service personnel: (i) harassment impacting living or working conditions, (ii) harm, injury, hurt, or danger to life, (iii) obstruction in discharge of his duties, and (iv) loss or damage to the property or documents of the healthcare service personnel. Property is defined to include a: (i) clinical establishment, (ii) quarantine facility, (iii) mobile medical unit, and (iv) other property in which a healthcare service personnel has direct interest, in relation to the epidemic.

(A) Powers of the central government: The Act specifies that the central government may regulate: (i) the inspection of any ship or vessel leaving or arriving at any port, and (ii) the detention of any person intending to travel from the port, during an outbreak. The Ordinance expands the powers of the central government to regulate the inspection of any bus, train, goods vehicle, ship, vessel, or aircraft leaving or arriving at any land port, port or aerodrome. Further, the central government may regulate the detention of any person intending to travel by these means.

(B) Protection for healthcare personnel and damage to property: The Ordinance specifies that no person can: (i) commit or abet the commission of an act of violence against healthcare service personnel, or (ii) abet or cause damage or loss to any property during an epidemic. Contravention of this provision is punishable with imprisonment between three months and five years, and a fine between Rs 50,000 and two lakh rupees. This offence may be compounded by the victim with the permission of the Court. If an act of violence against a healthcare service personnel causes grievous harm, the person committing the offence will be punishable with imprisonment between six months and seven years, and a fine between one lakh rupees and five lakh rupees. These offences are cognizable and non-bailable.

(C) Compensation: Persons convicted of offences under the Ordinance will also be liable to pay compensation amount to the healthcare service personnel whom they have hurt. The compensation will be determined by the Court for the damage or loss of property ; it is payable to the victim will be twice the amount of the fair market value of the damaged or lost property. The convicted person fails to pay the compensation; the amount will be recovered as an arrear of Land Revenue under the Revenue Recovery Act, 1890.

(D) Investigation: Cases registered under the Ordinance will be investigated by a police officer not below the rank of Inspector. The investigation must be completed within 30 days from the date of registration of the First Information Report.

(E) Trial: The inquiry or trial should be concluded within one year. If it is not concluded within this time period, the Judge must record the reasons for the delay and extend the time period. However, the time period may not be extended for more than six months at a time. When prosecuting a person for causing grievous harm to a healthcare service personnel, the Court will presume that person is guilty of the offence, unless the contrary is proved.

The Disaster Management Act 2005 and Lock Downs and Shut Downs: The Disaster Management Act aims to "provide for the effective management of disasters". The National Disaster Management Authority (NDMA) under the DM Act is the nodal central body for coordinating disaster management, with the Prime Minister as its Chairperson. The NDMA lays down policies, plans and guidelines for management of disaster.[4] Similarly, State, District and Local level Disaster Management Authorities were established, manned by high functionaries. All these agencies are envisaged to work in coordination.

NDMA so far formulated 30 guidelines on various disasters including the 'Guidelines on Management of Biological Disasters, 2008' deals extensively with Biological Disaster and Health Emergency under the 2019 National Disaster Management Plan. The broad legal framework

activities lays down to contain COVID-19 are being carried out by the Union and State governments.[5]

The Central Government and NDMA are extensive irrespective of any law in force can issue any directions to any authority anywhere in India to facilitate or assist in the disaster management.[6] It is also noted that, any such directions issued by Central Government and NDMA must necessarily to be followed by the Union Ministries, State Governments and State Disaster Management Authorities).[7]

To alleviate social sufferings, NDMA/SDMA are mandated to provide 'minimum standard of relief' to disaster affected persons[8], including relief in repayment of loans or grant of fresh loans on concessional terms[9] (S. 13).

The impact on vulnerable groups: The vulnerable groups which suffered the most due to the sudden lock down decision were the migrant workers. With business and factories closed, public transportation shut down millions of workers were left stranded. Thousands of migrants including women and children were forced to walk hundreds of miles back to their home villages. Often they walked hungry and thirsty, eating anything offered by kind hearted people, many died on the way.

Some States declared that no migrant shall be found to walk (transport shall be provided) and no migrant shall be unattended without food. This policy resulted in the provision of buses for carrying the migrants and leaving them on the border of their state. Further food was provided on the way.

Cyber Security – A global threat : In the global scenario, cyber criminals frame a massive platform of unsuspecting victims. Social engineering is one of the factors which peak in this time on individuals whom are at a heightened emotional state. By using social interaction as a means to persuade an individual or an organization for specific request from an attacker either by the persuasion or the request involves a computer related entity". The basic characteristic of human nature that make people vulnerable to techniques used by social engineers to manipulate the individual to disclose the requested information. Various countries i.e., Spain and Italy has gone into full lockdown forcing people to stay indoors which caused people to become fully reliant on technology for communication, news entertainment and social interaction. The following factors may govern for the contribution to the increase in the cyber security threat is as follows:

1. On digital infrastructure the society has a heightened on dependency.
2. All the organisations are not fully trailed by from home by the working class.
3. Every country must follow on the online connectivity and network infrastructure for the massive reliance.
4. During the period of uncertainty, the nature of the human psyche must be followed.
5. The society is spending most of their time for online service may be lead to riskier behaviour.
6. Most of the individuals are not necessarily tech savvy are using technology for their daily lives.

The above factors have caused a massive influx on the presence of cyber attacks moved over to the physical realm where criminals are using social engineering techniques.

(a) Phising : Society is hungry for information via e-mails. As the number of spammers moves around the globe . In order to take benefits with the Corona virus pandemic as it had to enter their name, address, phone number, mother's maiden name and bank card number. The cyber attackers are also very closely followed in the global trends and reveal news. During this difficult times the United States phising scam occurred around 1000 USD. The formal decisions taken by the US authorities there is message making to inform people which have been pre-approved for the funding.

(b) Fake URLs : During the hard Covid-19 period fake URLs are revealed at an increasing rate. The modus operandi is for scammers to scoop up a bunch of Covid-19 related domains and to turn them into malicious malware injection sites. The good domains are taken as the scammers will eventually preying on the domains containing typos using words like 'coronavirus' instead of 'coronavirus'.

i. corona-crisis.com
ii. corona-emergency.com
iii. combatcorona.com
iv. buycoronavirusfacemasks.com
v. beatingcorona.com
vi. coronadetection.com
vii. coronadatabase.com

From this above, it is clearly shows that the process is continuously ongoing and people should be on the lookout for fake URLs which is unfortunate in such a mass hysteria situation. It is also noted that massive hysteria situation that good URLs such as beating Corona or corona defection has been taken over by individuals with malicious intent. These URLs are allowing people to easily locate the correct and accurate information.

(c) Physical attacks: Cyber security threat landscape, forget the physical attacks that take place. The people who are suffering from hysteria and needs assistance of some kind which has been reported in South Africa as it is a problem. The matter has been reported by the physical security agencies as there are individuals posing good citizens and covering people free face masks, hand sanitizer and other personal protective accessories which are needed to fight the coronavirus. There is also different technique for individuals posing by peoples in order to disinfect the household utensils. Need to spray chemicals in the house and stay outside. Cyber criminals are preying on the notion that people are in fear and have the inherent need to stay safe. Staying safe to use cleaning products in order to ensure clean the home, hand, mouth, ear, eye untouched.

Conclusions: After the relaxation of the lockdown restrictions, during the third and fourth extensions, it is essential to analyze the impact of the shutdown measures on the most vulnerable groups in India. Steps should be taken to improve the social policy measures and employment opportunities for protecting informal and migrant workers from hunger and extreme poverty

Human rights guide states on how to exercise their power so that it is used for the benefit of the people and not to do harm. Human rights law also recognizes that limits may be put on human rights in case of state emergencies. The scale and severity of Covid-19 necessitates restrictions on public health grounds.

In India, the large population poses an administrative challenge in dealing with any disasters, especially a pandemic such as COVID-19. However, overall management can be strengthened through three possible ways.

First there should be more coordination and collaboration between the center and states, and between states inter se on issues like movement of migrant laborers, availability of food, arranging livelihoods to daily wagers, relief camps, entitlement of statutory minimum relief, etc. that directly affects millions in the country

Second. Local bodies, like Sarpanchs of Panchayats and Commissioners of Municipalities should be administratively, politically and financially empowered to deal with the crisis at the local level

Third, the courts must play an active role in control of unnecessary excesses endangering human rights of vulnerable groups; such as complaints of discrimination, police excesses, starvation, lack of medical aid etc.

References:-

1. "Statement on the second meeting of the International Health Regulations (2005) Emergency Committee regarding the outbreak of novel corona virus (2019-nCoV)". World Health Organization (WHO). 30 January 2020.
2. https://www.mpg.de/14697255/international-law-in-the-times-of-the-coronavirus
3. https://www.prsindia.org/billtrack/epidemic-diseases-amendment-ordinance-2020
4. Section 6
5. M.P. Ram Mohan, Jacob P. Alex,. COVID-19 and the ambit of the Disaster Management Act:, April 26, 2020 https://www.theweek.in/news/india/2020/04/26/covid-19-and-the-ambit-of-the-disaster-management-act.html
6. Sections 35, 62 and 72
7. Sections 18 (2) (b); 24(1); 36; 38(1); 38(2)(b); 39(a);39(d) etc.
8. Sections 12 and 19
9. Section 13

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XL

शहरी निकाय में स्वच्छता की सरंचना और प्रकार्य (डूँगरपुर नगर परिषद क्षेत्र का एक अध्ययन)

शरद कुमार जोशी *

* शोधार्थी (समाजशास्त्र) भूपाल नोबल्स विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज.) भारत

प्रस्तावना – प्रस्तुत शोध पत्र डूँगरपुर नगर परिषद के संदर्भ में स्वच्छता के सरंचनात्मक प्रकार्यात्मक अध्ययन पर आधारित है। विश्व के विकसित देशों में विकास और आधुनिकता के जो मानक तय किये गए है, उनमें स्वच्छता का महत्तवपूर्ण स्थान है। हम उन विकसित देशों के मॉडल को अपना कर आगे बढ़ने की बात तो करते हैं, लेकिन क्या उन मानकों को भी विकास और आधुनिकता में सम्मिलित करने के लिए तैयार हैं, विचार करने की आवश्यकता है। स्वच्छता का दायरा इतना विस्तृत है कि इसे अमल में लाने के लिए कई स्तरों पर विचार करने की आवश्यकता है। मन, वाणी, शरीर, हृदय, चित्त, समाज, परिवार, संस्कृति और व्यवहार से लेकर धर्म और विज्ञान तक में स्वच्छता का विशेष महत्त्व है। या कहें, बिना स्वच्छता के जीवन, परिवार, समाज, संस्कृति, राष्ट्र, विश्व और चेतना के उच्च आदर्श को प्राप्त करने के लिए स्वच्छता प्रथम सोपान है।

स्वच्छता का समाजशास्त्र – सरचनात्मक प्रकार्यवाद अथवा प्रकार्यवाद समाजशास्त्र की प्रमुख अवधारणा है। प्रकार्यवादी सोच को विकसित करने वाले समाजशास्त्रियों में जिन दो विचारकों को महत्वपूर्ण माना जाता है उसमें दुर्खिम (1858-1917) तथा टालकाट पार्सन्स (1902-1979) प्रमुख रहे हैं। अमेरीकी समाजशास्त्र में प्रकार्यवादी सिद्धान्त का एक खास स्थान रहा है। प्रकार्यवादी सिद्धान्त के समर्थक यह मानते हैं कि समाज की क्रियाएँ व्यवस्थित तरीके से चलती है और इसलिए वह समाज को एक व्यवस्था (सिस्टम) के रूप में देखतें हैं। सामाजिक व्यवस्था को व्यवस्थित रूप से चलाए रखने में विभिन्न तत्वों के बीच आत्मनिर्भरता पाई जाती है। समाज के ये विभिन्न तत्व एक सम्पूर्ण व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करते हैं। अत: समाज एक सम्पूर्ण व्यवस्था है जिसके व्यवस्थित स्वरूप को बनाए रखने में विभिन्न समूहों तथा संस्थाओं का महत्वपूर्ण योगदान होता है।

उक्त अवधारणा स्वच्छता के सन्दर्भ में भी देखी जा सकती है जिसमें स्वच्छता प्राप्त करने के लिए किसी भी नगर अथवा ग्राम में एक ढाँचा बनाया जाता जिसमें स्वच्छता सेवाओं की उपलब्धता एवं उनका प्रबन्ध किया जाता है साथ ही इन सेवाओं को प्रदान करने हेतु कर्मचारियों और आम नागरिकों की अन्तरनिर्भरता के प्रकार्य सुचारू रूप से किए जाते है।

अध्ययन के उद्देश्य:

1. स्वच्छता की संरचना और उसके प्रकार्यो का अध्ययन करना।
2. सामुदायिक एवं व्यक्तिगत स्वच्छता के स्तर को जानना।

प्राक्कल्पनाएँ:

1. डूँगरपुर नगर परिषद में कूडे-कचरे के व्यवस्थित निपटान की प्रक्रिया पूर्ण संतुष्टी के सार्थक स्तर तक हैं।
2. डूँगरपुर नगर परिषद में मानव मल-मूत्र के व्यवस्थित निपटान की प्रक्रिया एवं सहभागिता से सम्बन्धित समस्याओं के समाधान पूर्ण संतुष्टी के सार्थक स्तर तक हैं।
3. डूँगरपुर नगर परिषद में सामूदायिक एवं व्यक्तिगत स्वच्छता का स्तर पूर्ण संतुष्टी के सार्थक स्तर तक हैं।

अध्ययन विधि–प्रस्तुत अध्ययन की प्रकृति मूल रूप में अन्वेशणात्मक है। जिसमें स्थापित सिद्धान्त को जाँचने हेतु प्राक्कल्पनाओं का निर्माण कर प्राथमिक तथ्यों एवं अवलोकन के आधार पर एवं सत्यता की एवं असत्यता की पुष्टि करने का प्रयास है।

अध्ययन क्षेत्र – प्रस्तुत अध्ययन राजस्थान के डूँगरपुर नगर परिषद की भौगोलिक सीमा में सम्पन्न किया गया है।

निदर्शन – 300 उत्तरदाताओं को उद्देश्यपूर्ण निदर्शन के आधार पर निदर्शन में सम्मिलित किया गया है। तथ्य संकलन हेतु साक्षत्कार निर्देशिका का प्रयोग किया गया है।

आयु के अनुसार उत्तरदाता –कुल 300 उत्तरदाताओं में से 18 से 20 वर्ष की आयु वर्ग के 23.33 प्रतिशत उत्तरदाता है और 21 से 40 वर्ष की आयु वर्ग के 25.33 प्रतिशत उत्तरदाता एवं 41 से 50 वर्ष की आयु वर्ग के 26.67 प्रतिशत उत्तरदाता है जबकि 50वर्ष से अधिक की आयु वर्ग के 23.33 प्रतिशत उत्तरदाता है। साक्षात्कार के समय डूँगरपुर के जिन उत्तरदाताओं ने स्वेच्छा से अपना समय और मत प्रकट किया उन्हीं उत्तरदाताओं के तथ्य संकलन किए गए। 41 से 50 वर्ष की आयु वर्ग के सर्वाधिक उत्तरदाताओं से मिलना हुआ और 18 से 20 वर्ष की आयु वर्ग के उत्तरदाताओं ने सबसे कम प्रतिशत में अपना समय दिया।

शिक्षा का स्तर – कुल 300 उत्तरदाताओं में से 2 प्रतिशत उत्तरदाता पाँचवी से आठवीं तक पढ़े हुए थे और 12 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने दसवीं से बारहवीं तक अध्ययन कर रखा था एवं 50.67 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने स्नातक कर रखा था जबकि 35.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने स्नात्कोत्तर अध्ययन भी कर रखा था। उत्तरदाताओं का शैक्षणिक वर्गीकरण पूर्व में नहीं किया गया था। समय की उपलब्धता और स्वेच्छा से अपना समय देने वाले उत्तरदाताओं को ही अनुसंधान में सम्मिलित किया गया। डूँगरपुर में शिक्षा का स्तर पहले से ही बेहतर रहा है। यह उत्तरदाता शहरी निकाय के नागरिक है इनका स्वच्छता की सरंचना में अपना महत्वपूर्ण प्रकार्य है। नगर परिषद की समस्त योजनाओं का उपभोक्ता उत्तरदाता है जो इन योजनओं और सुविधाओं के उपागम के

स्तर पर अपना मत प्रकट करता रहता है।

पेयजल का स्त्रोत –कुल 300 उत्तरदाताओं में से 52.67 प्रतिशत उत्तरदाताओं के पेयजल का स्त्रोत जलदाय विभाग का नल कनेक्शन है और 14 प्रतिशत उत्तरदाता पनघट से अपने पीने का पानी भरते है एवं 52.67 प्रतिशत उत्तरदाताओं के पेयजल का स्त्रोत हैण्डपम्प है जबकि 21.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं के पेयजल का स्त्रोत उनके घरों में उपलब्ध ट्युबवेल है। राजस्थान सरकार का जलदाय विभाग उपचारित पेयजल का प्रवाह उपलब्ध करवाता है जोकि जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के शुद्धता मानकों पर निर्धारित होता है। पनघट गली एवं मोहल्लों में ट्युबवेल पर एक पानी की टंकी लगाकर पेयजल उपलब्ध करवाने की एक व्यवस्था है और ट्युबवेल पर हैण्डपम्प लगा कर भी सरकार पेयजल उपलब्ध करवाती है जोकि नि:शुल्क होता है।

गंदे पानी का सुरक्षित निपटान – कुल 300 उत्तरदाताओं में से 50.67 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने माना कि डूँगरपुर शहर में घरों एवं सार्वजनिक स्थलों के गंदे पानी के सूरक्षित निपटान का स्तर बहुत अच्छा है और 32.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार डूँगरपुर शहर में घरों एवं सार्वजनिक स्थलों के गंदे पानी के सूरक्षित निपटान का अच्छा स्तर है तथा 16 प्रतिशत उत्तरदाता मानते है कि डूँगरपुर शहर में घरों एवं सार्वजनिक स्थलों के गंदे पानी के सूरक्षित निपटान का सामान्य स्तर का है जबकि 1 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने माना कि डूँगरपुर शहर में घरों एवं सार्वजनिक स्थलों के गंदे पानी के सूरक्षित निपटान का स्तर अच्छा नहीं है।

कूड़े–कचरे के व्यवस्थित निपटान – कुल 300 उत्तरदाताओं में से 62.67 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने माना कि डूँगरपुर शहर में कूड़े–कचरे के व्यवस्थित निपटान का स्तर बहुत अच्छा है और 18.67 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार डूँगरपुर शहर में कूड़े–कचरे के व्यवस्थित निपटान का अच्छा स्तर है तथा 12.67 प्रतिशत उत्तरदाता मानते है कि डूँगरपुर शहर में कूड़े–कचरे के व्यवस्थित निपटान सामान्य स्तर का है जबकि 6 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने माना कि डूँगरपुर शहर में कूड़े–कचरे के व्यवस्थित निपटान का स्तर अच्छा नहीं है।

शौचालय एवं मूत्रालयों की स्थिति – कुल 300 उत्तरदाताओं में से 46.67 प्रतिशत उत्तरदाता मानते है कि डूँगरपुर शहर के शौचालय एवं मूत्रालयों की स्थिति बहुत अच्छी है और 23.23 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार डूँगरपुर शहर के शौचालय एवं मूत्रालयों की स्थिति ठीक–ठाक है तथा 21.67 प्रतिशत उत्तरदाता मानते है कि डूँगरपुर शहर के शौचालय एवं मूत्रालय गंदे रहते है जबकि 8.33 प्रतिशत उत्तरदाता मानते है कि डूँगरपुर शहर के शौचालय एवं मूत्रालयों की स्थिति बहुत गंदी है।

मानव मल–मूत्र का व्यवस्थित निपटान –कुल 300 उत्तरदाताओं में से 72 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने माना कि डूँगरपुर शहर में मानव मल–मूत्र के व्यवस्थित निपटान का स्तर बहुत अच्छा है और 14.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार डूँगरपुर शहर में मानव मल–मूत्र के व्यवस्थित निपटान का अच्छा स्तर है तथा 7.33 प्रतिशत उत्तरदाता मानते है कि डूँगरपुर शहर में मानव मल–मूत्र का व्यवस्थित निपटान का सामान्य स्तर है जबकि 6.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने माना कि डूँगरपुर शहर में मानव मल–मूत्र के व्यवस्थित निपटान का स्तर अच्छा नहीं है।

सामूदायिक एवं व्यक्तिगत स्वच्छता का स्तर –कुल 300 उत्तरदाताओं में से 65.67 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने माना कि डूँगरपुर शहर में सामूदायिक एवं व्यक्तिगत स्वच्छता का स्तर बहुत अच्छा है और 28 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार डूँगरपुर शहर में सामूदायिक एवं व्यक्तिगत स्वच्छता का अच्छा स्तर है तथा 3.67 प्रतिशत उत्तरदाता मानते है कि डूँगरपुर शहर में सामूदायिक एवं व्यक्तिगत स्वच्छता का स्तर सामान्य है जबकि 2.67 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने माना कि डूँगरपुर शहर में सामूदायिक एवं व्यक्तिगत स्वच्छता का स्तर अच्छा नहीं है।

निष्कर्ष:

1. कुल 300 उत्तरदाताओं में से 52.67 प्रतिशत उत्तरदाताओं के पेयजल का स्त्रोत जलदाय विभाग का नल कनेक्शन है।
2. कुल 300 उत्तरदाताओं में से 50.67 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने माना कि डूँगरपुर शहर में घरों एवं सार्वजनिक स्थलों के गंदे पानी के सूरक्षित निपटान का स्तर बहुत अच्छा है जबकि 1 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने माना कि डूँगरपुर शहर में घरों एवं सार्वजनिक स्थलों के गंदे पानी के सूरक्षित निपटान का स्तर अच्छा नहीं है।
3. कुल 300 उत्तरदाताओं में से 46.67 प्रतिशत उत्तरदाता मानते है कि डूँगरपुर शहर के शौचालय एवं मूत्रालयों की स्थिति बहुत अच्छी है जबकि 8.33 प्रतिशत उत्तरदाता मानते है कि डूँगरपुर शहर के शौचालय एवं मूत्रालयों की स्थिति बहुत गंदी है।
4. कुल 300 उत्तरदाताओं में से 72 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने माना कि डूँगरपुर शहर में मानव मल–मूत्र के व्यवस्थित निपटान का स्तर बहुत अच्छा है जबकि 6.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने माना कि डूँगरपुर शहर में मानव मल–मूत्र के व्यवस्थित निपटान का स्तर अच्छा नहीं है।
5. कुल 300 उत्तरदाताओं में से 65.67 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने माना कि डूँगरपुर शहर में सामूदायिक एवं व्यक्तिगत स्वच्छता का स्तर बहुत अच्छा है जबकि 2.67 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने माना कि डूँगरपुर शहर में सामूदायिक एवं व्यक्तिगत स्वच्छता का स्तर अच्छा नहीं है।

सुझाव – समग्र स्वच्छता के नियमन, संगठन और प्रबंधन के लिए डूंगरपुर शहर द्धारा अपनाए गए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के मॉडल महान और सीखने के संसाधान हैं। कचरे का प्रबंधन करना बहोत जरूरी है, क्योंकि यह मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को नुकसान पहुँचाता है। अपशिष्ट नालियों से बह कर जल स्त्रोतों में मिल जाता है, तब यह जल को प्रदूषित करता है। आमजन को जल की महत्वता को समझाने के लिए छोटे–छोटे तरीकों से बताया गया है। रोजमर्रा के जीवन में हमें अपने बच्चों को साफ–सफाई के महत्व और इसके उद्देश्य को सिखाना चाहिये। व्यक्तिगत स्वच्छता, पालतू जानवरों की स्वच्छता, पर्यावरण की स्वच्छता, अपने आस–पास की स्वच्छता, और कार्यस्थल की स्वच्छता आदि करनी चाहिये।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. Pattnaik Pushplata., (2016), "Health Economics", Black Printers, Delhi, ISBN : 978-93-82036-12-8
2. Shelar Sk., (2016), "Urban Settlement", Chandralok Prakashan, ISBN: 978-93-82358-71-8
3. Rao Pulla., (2017), "Urbanization in india : Problem and solution", ABC publishers jaipur, Vol. 2, ISBN : 978-81-8376-383-7

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XL

A Critical Study of the Current Status and Prospects of Health Insurance Business in India - With Special Reference to Sriganganagar District

Joy Dhingra* Dr. Vinay Kumar**

***Research Scholar, Tantia University, Sri Ganganagar (Raj.) INDIA**
**** Research Supervisor, Tantia University, Sri Ganganagar (Raj.) INDIA**

Abstract - The research work presented is 'Current Status and Prospects of Health Insurance Business in India'.The research presented is based on the current status and prospects of the health insurance business in India based on primary and secondary contacts.In this study, a sample of 350consumer from health insurance companies located in the city of Sri Ganganagar.Classification, tabulation, editing, processing and analysis analysis of elementary scores using statistical tools such as percentage analysis, Freedman test, has been done through SPSS andM.S.Excel is done. It can be said that the consumer taking health insurance in the city of Sri Ganganagar is not satisfied with the facilities available from the health insurance companies and there is a possibility of growth in the health insurance business.
Keywords- Health Insurance Business in India, Role of Health Insurance Companies, Health related-expenses, Health Insurance Schemes, Health Protection etc.

Introduction - A person can live without good education, good house and good car but cannot live without good health. Therefore, in today's time, the person is becoming more aware of his health and to take care of his health, he wants to get more and more health facilities at a lower cost, as a result of which the person is attracted towards health insurance.Health insurance is insurance that provides financial assistance to the insured in the event of an illness or accident. Health insurance in India was started in 1912 by enacting the Health Insurance Act. Accident insurance was introduced at the end of the 19th century. At present, many government and private insurance companies are working in the field of health insurance.

Research problem: Most of the population in India is such that they are not aware of health insurance. Due to which they are being deprived of the benefits provided through health insurance.

Defination of words used in Research Title: Insurance- Insurance is a way to protect against economic crises and to reduce the possible economic risks in business. Insurance is a system in which the insured provides protection against loss in whole or in part to the insured.Insurance is a means by which the risk of loss can be passed on to the other party (insurer or insurer) by paying some fee (called premium). The party whose risk is passed on to the insured is called the 'insured'.

Health Insurance- Health insurance is insurance that provides financial assistance to the insured in the event of an illness or accident.

Insurance Business-The insurance business provides financial assistance to individuals directly and indirectly. Insurance helps individuals in reducing the risks and also increases employment opportunities, thereby reducing the problem of unemployment. Apart from this, the insurance business provides a strong base to the economy of the country, which helps in the economic development of the country.

Objectives of the Proposed Study:

1. To study the historical status of insurance business in India.
2. To study the facilities available to health insurance consumers in India.
3. To study the possibilities of development of health insurance business in India.

Hypothesis of the Study:

H01:The beneficiary is satisfied with the facilities received from the health insurance companies.

H02:Health insurance business in India has growth potential.

Sample Size and Limitations of study: In the present research, 350 consumers of health insurance companies based in Sri Ganganagardistrict have been selected as a sample in which the contacts have been studied from the year 2012-13 to 2017-18.

Research Approach - Quantitative Research and Qualitative Research:

1. Classification, tabulation, editing, processing and analysis of primary and secondary numbers have been done.
2. In the presented research, the analysis of elementary scores using statistical tools such as percentage analysis, Freedman test, Has been done through SPSS.
3. Analysis of secondary figures Trend analysis on M.S.Excel is done.
4. To make primary and secondary numbers and information easily understandable, necessary tables and diagrams have been used, such as pie diagrams, line diagrams, penal diagrams.

Analysis and Interpretation of Data

(1) H01: The beneficiary is satisfied with the facilities received from the health insurance companies.

Table 1 and 2 (see in next page)

Conclusion: The total number of respondents is 350. In Table No. 1 and 2, the facilities available to the respondents from health insurance company have been analyzed on the basis of 5 point scale (5 Point Likert Scale). On the basis of which it is known that using Friedman test, the value of chi square test is 722.683 and independence is 14 and Ch value is .000 which is less than the significance level 0.05. Therefore, we can say that if the significance level is less than 0.05, the alternative hypothesis is accepted and there is a statistically significant relationship between the variables. Therefore, it can be said that the consumer taking health insurance in the city of Sri Ganganagar is not satisfied with the facilities available from the health insurance companies.

(2) H02: Health insurance business in India has growth potential : Number of Policies Issued, Premium Amount Received, Number of Persons Covered, Claim Amount Paid by the Public and Private Health Insurance Company and Total Styding all of these tables from the year of 2012-2013 to 2017-2018.

Conclusion: After studying all the tables, it is known that the second null hypothesis of the research study is accepted here that there is a possibility of growth in health insurance business in future. Because according to the current circumstances, the way the government is continuously running new health insurance schemes, as well as public and private sector health insurance companies are also coming up with new health insurance policies, so that more and more people get health insurance. Getting the benefits of the schemes. Along with this, the government is also promoting health insurance schemes in rural and urban areas on a large scale so that more people are aware of health insurance facilities and can get their benefits. Based on the forecast made in the above tables, it is known that there is a possibility of growth in the health insurance business.

Suggestions for Future Research Work:

1. Perceptions about the products and services of health insurance companies.
2. Comparative study business of general and life insurance companies,
3. In terms of methodology, achievements etc.

References:-

1. Aggarwal, R. Mahesh and Singh, U.N.(2006–07); Business Statistics, Ram Prasad and Sons.
2. Upadhyay, Sharma and Dayal (2013–14); Business environment, R.B.D. Publishing House.
3. Gupta Prof. S.P.(2013); Research guide committee, procedure and procedure, Allahabad: Sharda Book Building.
4. Jain, M.K. (2013); Research Methods, University Publication
5. Oswal, ML.Sahu, MR. AndShukla, Alok (2016–17); Principles of Statistics, Jaipur: R. B. D. Publishing House.
6. Kumar, Ranjit (2017); Research Methodology Step-by-step guide for early Researchers, SEZ publication.
7. Gupta, B.N., Business Statistics, S.B.P.D. Publication House.

Descriptive Table and Friedman Test

Varriable	Mean	Standard Deviation	Variance	Friedman Rank Test	Rank
Knowledge and competence of employees, brokers, and corporate agents	4.13	0.575	0.330	10.15	1
Services provided by employees, brokers, and agents of companies	4.03	0.431	0.186	9.61	3
Does your health insurance company answer all the questions asked by you in the right way and at the right time?	4.05	0.645	0.416	9.76	2
The premium charged by the health insurance company is charged at the right rates.	3.72	0.766	0.586	7.8	9
minimum co-payment	3.41	0.867	0.752	6.5	13
reliability of services	3.88	0.681	0.463	8.8	5
Easy availability of hospitals connected with health services	3.72	0.956	0.914	8.43	7
Health facilities are easily available in health insurance related hospitals.	3.67	0.941	0.886	8.23	8
cashless facility	3.52	1.026	1.053	7.5	10
Minimum Deductions	3.55	0.9	0.810	7.15	12
policy flexibility	3.57	0.882	0.779	7.14	11
availability of tax benefits	3.81	0.799	0.639	8.69	6
Quick claim process with minimum formalities	3.34	0.72	0.518	5.71	14
You are satisfied with the claim amount paid by the health insurance company.	3.21	0.675	0.456	5.13	15
maximum customer satisfaction	3.87	0.894	0.800	9.13	4

(Source - Friedman Rank Test of Primary Data with the help of SPSS)

Friedman Rank Test Result

Total No. of Respondents (N)	350
Chi-Square Test	722.683
Degree of Freedom (Df)	14
Asymptotic Significance (2 side test)	0
(Null Hypothesis)	Reject
a. Friedman Test	

Asymptotic Significance are display, the Significance level is .05.
(Source - Friedman Rank Test of Primary Data with the help of SPSS)

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XL

भारतीय संविधान में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की अवधारणा एवं न्यायिक दृष्टिकोण : एक समालोचनात्मक अध्ययन

डॉ. लोक नारायण मिश्रा*

* सहायक प्राध्यापक, शासकीय विधि महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि 'कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा।' यह अधिकार प्रत्येक व्यक्ति पर लागू होता है न कि केवल नागरिकों पर। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 'जीवन' और 'व्यक्तिगत स्वतंत्रता' शब्दों की व्यापक रूप से व्याख्या की गई है। इसलिए अनुच्छेद 21 स्वयं अधिकारों की एक संहिता है जो किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को प्राथमिकता देकर और राज्य की ताकत से उनकी रक्षा करके संविधान के क्रेन्द्र में वास करता है। अनुच्छेद 21 भारत के संविधान की आत्मा में निहित है। यदि कोई व्यक्ति, जिसमें एक व्यक्ति नागरिक नहीं है, अनुच्छेद 13 के तहत कानून द्वारा लाई गई राज्य की कार्रवाई से व्यथित है, और इस तरह की कार्रवाई का उल्लंघन होता है ऐसे व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार है, तो अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में या अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की जा सकती है। प्रस्तुत शोध पत्र के माध्यम से शोधार्थी द्वारा अनुच्छेद 21 में निहित प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में विभिन्न आयामों का विस्तार से विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया है।

प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का विस्तार – व्यापक अर्थ में, 'कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया' शब्द की व्याख्या एक व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता और सम्मान की रक्षा से भी की गई है। अनुच्छेद 21 के विस्तृत अध्ययन ने स्वतंत्रता की एक नई सामाजिक-आर्थिक लहर की शुरुआत की जो शिक्षा, आजीविका, आश्रय और पर्यावरण पर केंद्रित है। अनुच्छेद 21 की उदार व्याख्या भी पुलिस की ज्यादतियों और राज्य की हिंसा के खिलाफ स्वतंत्रता की सुरक्षा पर केंद्रित है। अधिकारों की इस संहिता में निम्नलिखित मौलिक अधिकार शामिल हैं जिन्हें 'जीवन' या 'व्यक्तिगत स्वतंत्रता' का एक हिस्सा माना गया है:

(i) सम्मान से जीने का अधिकार – फ्रांसिस कोरली मुलिन बनाम प्रशासक, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली प्रकरण में , सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि 'जीवन' केवल पशु अस्तित्व से अधिक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, 'जीने के अधिकार' में मानव गरिमा के साथ जीने का अधिकार और वह सब कुछ शामिल है जो इसके साथ जाता है, जैसे कि जीवन की न्यूनतम आवश्यकताएं जैसे पर्याप्त पोषण, कपड़े और सिर पर आश्रय और पढ़ने, लिखने और खुद को अभिव्यक्त करने की सुविधाएं विविध रूप, स्वतंत्र रूप से घूमना और साथी मनुष्यों के साथ घुलना-मिलना और घुलना-मिलना और इसमें मूलभूत आवश्यकताओं का अधिकार, जीवन की बुनियादी आवश्यकताएं और कार्यों और गतिविधियों को करने का अधिकार भी शामिल होना चाहिए, जिनके माध्यम से मानव स्वयं की न्यूनतम अभिव्यक्ति का गठन करता है। कई मामलों में इस निर्णय का पालन किया गया है। इसके अलावा, बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ जैसे मामलों में भी सम्मान के साथ जीने के अधिकार को मान्यता दी गई है।

(ii) सम्मान के साथ मरने का अधिकार – सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार में सम्मान के साथ मरने का अधिकार भी शामिल है। इसलिए व्यक्ति की गरिमा को जीवन में भी और मृत्यु में भी सुरक्षित रखना चाहिए। मार्च 2018 में दिए गए एक ऐतिहासिक फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने कॉमन कॉज़ बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया में लंबे समय तक चिकित्सा उपचार से इनकार करके मरणासन्न रूप से बीमार व्यक्तियों के सम्मान के साथ मरने के अधिकार को मान्यता दी।

(iii) आजीविका का अधिकार – अनुच्छेद 21 के तहत मानवीय गरिमा के साथ जीना, शोषण से मुक्त होना और अपनी आजीविका का समर्थन करने के लिए किसी भी पेशे को अपनाना प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है। इस अधिकार के घटकों की मात्रा और सामग्री देश के आर्थिक विकास की सीमा पर निर्भर करेगी। ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने माना कि जीवन के अधिकार में आजीविका का अधिकार भी शामिल है। इस प्रकार, अदालत ने बम्बई में फुटपाथ पर रहने वालों और फेरीवालों के अधिकारों को मान्यता दी। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि सकारात्मक कार्रवाई कार्यक्रमों और नीति के माध्यम से आजीविका प्रदान नहीं करने के लिए राज्य को जवाबदेह ठहराया जा सकता है। आजीविका के अधिकार की यह मान्यता केवल राज्य को कानून द्वारा स्थापित किसी भी प्रक्रिया के बिना किसी भी व्यक्ति को आजीविका के अधिकार से वंचित करने से रोकती है।

(iv) स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार –यह अधिकार सुनने में जितना अच्छा लगता है, नागरिकों के रूप में, हमें उन लोगों को कम से कम बुनियादी आश्रय प्रदान करना चाहिए जो जरूरतमंद हैं और सरकार द्वारा उपेक्षित हैं क्योंकि किसी भी इंसान को भोजन, आश्रय या पानी से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। कई मौकों पर, सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि स्वच्छ पर्यावरण, स्वच्छता, प्रदूषण मुक्त हवा और पानी का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार हैं। एमसी मेहता बनाम भारत संघ और वेल्लोर नागरिक कल्याण मंच बनाम भारत संघ में, न्यायालय ने चर्म शोधन कारखानों के कारण जल निकायों को होने वाले प्रदूषण को मान्यता दी।

इसके अलावा, सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य में , न्यायालय ने माना कि प्रदूषण मुक्त हवा और पानी जीवन के अधिकार के आनंद के लिए आवश्यक हैं।

(v) सामाजिक सुरक्षा और परिवार की सुरक्षा का अधिकार – सामाजिक सुरक्षा आमतौर पर एक राज्य–स्वीकृत नीति है जो एक ऐसी प्रणाली प्रदान करती है जो अपर्याप्त साधनों वाले लोगों के सामाजिक कल्याण के लिए प्रदान करती है। इसमें गरीबों, वंचितों और शोषितों का आर्थिक सशक्तिकरण शामिल है। इसमें कर्मचारियों को दिए जाने वाले बीमारी और अक्षमता भत्तो भी शामिल हैं। कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन (इंडिया) बनाम सुभाष चंद्र बोस में , यह माना गया था कि जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को प्राप्त करने के साधन भी अनुच्छेद 21 के तहत एक आवश्यक मौलिक अधिकार हैं। न्यायालय के अनुसार, 'ये साधन' सामाजिक सुरक्षा का अधिकार शामिल है।

(vi) मौत की सजा और दुर्लभतम सिद्धांत –मौत की सजा की संवैधानिकता को कई बार चुनौती दी गई है। हालांकि, बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य में, सर्वोच्च न्यायालय ने यह घोषित करके इस प्रश्न का समाधान किया कि मृत्युदंड एक आवश्यक बुराई है जो संविधान का उल्लंघन नहीं करती है। इसने आगे कहा कि दोषियों को मौत की सजा देने की शक्ति के मनमाने उपयोग को प्रतिबंधित करने के लिए दुर्लभतम मामलों में मौत की सजा का प्रावधान किया जाना चाहिए।

(vii) जानने या सूचित होने का अधिकार – यह अधिकार जो अनुच्छेद 21 का एक उपसमुच्चय है, को 'सूचना का अधिकार अधिनियम, 2002' के रूप में जाना जाता है, जो किसी भी नागरिक को एक सार्वजनिक प्राधिकरण से सूचना का अनुरोध करने की अनुमति देता है और 30 दिनों के निर्धारित समय के भीतर जवाब देने के लिए शासी अधिकारियों को बाध्य करता है। आरपी लिमिटेड बनाम इंडियन एक्सप्रेस न्यूजपेपर्स में, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह कहा गया था कि अनुच्छेद 21 लोकतंत्र की आवश्यक विशेषताओं जैसे कि जानने का अधिकार और सूचित होने का अधिकार को समायोजित करने के लिए पर्याप्त विस्तृत है।

(viii) एकान्त कारावास के विरुद्ध अधिकार – एकान्त कारावास सजा का एक रूप है जहाँ कैदी बिना किसी सार्थक संपर्क के अकेले रहने तक ही सीमित रहता है और एक बंद जगह में कैद रहता है, कभी–कभी धूप से भी कट जाता है। इस संदर्भ में, यह महसूस करना महत्वपूर्ण है कि अनुच्छेद 21 दोषियों सहित सभी व्यक्तियों पर लागू होता है। दोषियों की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध है, फिर भी यह पूरी तरह से अस्वीकृत नहीं है। सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन में , याचिकाकर्ता ने शिकायत की थी कि सत्र न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहराए जाने के दिन से ही उसे एकांत कारावास की सजा दी जा रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि एकान्त कारावास अनुच्छेद 21 के तहत दोषी के जीवन के अधिकार का उल्लंघन है और इस तरह की सजा को कैदी अधिनियम के तहत उचित नहीं ठहराया जा सकता है।

(ix) टेलीफोन टैपिंग के खिलाफ अधिकार – टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 की धारा 5(2) टेलीफोन टैपिंग की अनुमति देती है। हालांकि, पीयूसीएल बनाम भारत संघ में , सर्वोच्च न्यायालय ने प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों को मान्यता दी जो अधिनियम की धारा 5(2) के अभ्यास के लिए आवश्यक हैं। यह माना गया कि निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक हिस्सा है और इसलिए जब तक उचित सम्मान और उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता है, तब तक टेलीफोन टैपिंग अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करेगी।

(x) निजता का अधिकार और किसी व्यक्ति का चिकित्सीय परीक्षण कराना–पिछली कुछ घटनाओं के आलोक में जहां किसी व्यक्ति की निजता पर हमारे संसद सदस्यों द्वारा बहस की गई थी, किसी को यह याद रखना चाहिए कि यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता के तहत आवश्यक अधिकारों में से एक है। इस प्रकार यह अनुच्छेद 21 का एक हिस्सा है और यह अपने व्यक्ति पर प्रतिबंध या अतिक्रमण से मुक्त होने का अधिकार है चाहे वे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लगाए गए हों। हालांकि संविधान या अनुच्छेद 21 या संविधान के भाग iv के किसी अन्य अनुच्छेद के तहत कहीं भी इसका उल्लेख नहीं है, एक अनधिकृत घुसपैठ गोपनीयता के उल्लंघन की राशि होगी। शारदा बनाम धर्मपाल में , यह फैसला सुनाया गया था कि एक वैवाहिक अदालत के पास तलाक की कार्यवाही के लिए पार्टियों को निर्देशित करने की शक्ति है, उसे एक चिकित्सा परीक्षा से गुजरने के लिए मजबूर किया जा सकता है। इस तरह के निर्देश अनुच्छेद 21 का उल्लंघन नहीं करते हैं जब तक कि इस तरह के चिकित्सा परीक्षणों का आदेश देने के लिए सामग्री मौजूद है।

(xi) विदेश जाने का अधिकार – सतवंत सिंह साहनी बनाम सहायक पासपोर्ट अधिकारी, दिल्ली मामले में , विदेश जाने के अधिकार को पहली बार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मान्यता दी गई थी। भारत के क्षेत्र के भीतर यात्रा करने के अधिकार को विदेश जाने के अधिकार के साथ प्रतिष्ठित किया गया था। उत्तरार्द्ध को अनुच्छेद 21 के एक महत्वपूर्ण पहलू के रूप में मान्यता दी गई थी। हालांकि, विदेश जाने का यह अधिकार सभी व्यक्तियों के लिए मौजूद नहीं है और इसे एक सकारात्मक अधिकार के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। यह निर्णय केवल यह सुनिश्चित करता है कि विदेश यात्रा के योग्य व्यक्ति को कानून की किसी प्रक्रिया के बिना मनमाने ढंग से इस अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है।

(xii) शालीनता और सम्मान के साथ व्यवहार किए जाने का महिलाओं का अधिकार – अनुच्छेद 21 के हिस्से के रूप में यह अधिकार हमें एक प्रसिद्ध संवाद की याद दिलाता है: 'ना' सिर्फ एक शब्द नहीं एक पूरा वाक्य है..' इसको किसी स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं होती... जब एक लड़की द्वारा कहा जाता है।' और इस अधिकार को बनाए रखने के लिए, महाराष्ट्र राज्य बनाम मधुकर नारायण मांडिकर (1991) में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रत्येक महिला निजता की हकदार है और कोई भी जब चाहे तब उसकी निजता पर आक्रमण नहीं कर सकता है। महिलाओं के खिलाफ बलात्कार का अधिनियम निश्चित रूप से उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, विशेष रूप से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदान किए गए स्वतंत्रता के साथ जीवन के अधिकार का उल्लंघन है।

(xiii) सभ्य पर्यावरण का अधिकार –भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत यह अधिकार न केवल मनुष्यों के लिए बल्कि वन्यजीवों, जंगलों, झीलों, प्राचीन स्मारकों, जीव–जंतुओं, प्रदूषण रहित हवा, पानी और पारिस्थितिक संतुलन के रखरखाव के अधिकारों की एक विस्तृत विविधता को शामिल करता है। इसे कई मामलों में अदालतों द्वारा मान्यता दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन के रूप में केवल सीएनजी वाहनों का उपयोग करने का निर्देश दिया है और राजधानी में बिगड़ती वायु गुणवत्ता के आलोक में दिल्ली में डीजल बसों के चलने पर प्रतिबंध लगा दिया है।

(xiv) शिक्षा का अधिकार –प्रत्येक नागरिक को अनुच्छेद 21 के तहत न्यूनतम 14 वर्ष की आयु तक मुफ्त शिक्षा का अधिकार है। हालाँकि हमें इस तरह के अधिकारों का प्रयोग होते हुए देखने को नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी हमें उन लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए जो अपनी आर्थिक क्षमताओं के कारण शिक्षा से वंचित हैं, उन्हें सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के माध्यम से अध्ययन करने और उन्हें अनुच्छेद के तहत उनके अधिकारों का हक़दार बनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। भारतीय संविधान के 21 और अनुच्छेद 21 ए हालाँकि, पहले स्थिति यह थी कि शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 45 के तहत केवल राज्य की नीति का एक निर्देशक सिद्धांत था। सर्वोच्च न्यायालय ने जोर देकर कहा कि डीपीएसपी को मौलिक अधिकारों के साथ पढ़ा जाना चाहिए और शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए। मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य 1992 में।

(xv) कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार – सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों के बाद, यह माना है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत 'जीवन का अधिकार' अन्य मौलिक अधिकारों के साथ–साथ यौन उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार सहित लैंगिक समानता को कवर करने के लिए संवैधानिक आयाम द्वारा गारंटी दी गई है। उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 21 का दायरा काफी हद तक विस्तृत कर दिया गया है। यह घोषणा करते हुए कि कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न लैंगिक समानता का उल्लंघन है, सर्वोच्च न्यायालय ने विशाखा बनाम राजस्थान राज्य (25) में कहा कि 'भारत के संविधान में गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का अर्थ और सामग्री पर्याप्त है यौन उत्पीड़न या दुर्व्यवहार की रोकथाम सहित लैंगिक समानता के सभी पहलुओं को शामिल करने के लिए आयाम।'

निष्कर्ष – उपरोक्त के अतिरिक्त समय समय पर माननीय, प्रतिष्ठा का अधिकार प्रकरण सुखवंत सिंह बनाम पंजाब राज्य, कानूनी सहायता का अधिकार प्रकरण खत्री बनाम बिहार राज्य, जीवन साथी चुनने का अधिकार प्रकरण केरल की 25 वर्षीय महिला हादिया, हिरासत में मौत के खिलाफ अधिकार प्रकरण डीके बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य मामले, महिलाओं का प्रजनन संबंधी विकल्प चुनने का अधिकार प्रकरण सुचेता श्रीवास्तव बनाम चंडीगढ़ प्रशासन आदि मामलों में न्यायलय ने विभिन्न अधिकारों को अनुच्छेद 21 के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधीन माना।

उपरोक्त अध्ययन से निष्कर्ष निकलता है की भारतीय संविधान में स्वतंत्रता की विस्तृत परिकल्पना की गयी है जिसे समय समय पर माननीय न्यायलय द्वारा स्पष्ट किया गया है परन्तु मूल्य को बनाये रखने के लिए आवश्यक है की कार्यपालिका अपने स्वेक्षाचारिता पर स्वत: अंकुश लगाये।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. एआईआर 1981 एससीसी 746: फ्रांसिस कोरली मुलिन बनाम प्रशासक, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली
2. (1997) 10 एससीसी 549: बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ
3. 2018 5 एससीसी 1: 2018 एससीसी ऑनलाइनएससी 208: सामान्य कारण बनाम भारत संघ
4. 1985 एससीसी (3) 545: ओल्गा टेलिस बनाम बंबई नगर निगम
5. 1987 एससीआर (1) 819: एमसी मेहता बनाम भारत संघ
6. 1996 (5) एससीसी 647: वेल्लोर नागरिक कल्याण फोरम बनाम भारत संघ
7. एआईआर 1991 एससी 420: सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य
8. 1992 एआईआर 573: कलकत्ता विद्युत आपूर्ति निगम (भारत) वी. सुभाष चंद्र बोस
9. 1980 (2) एससीसी 684: बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य
10. 1989 एआईआर 190: आरपी लिमिटेड बनाम इंडियन एक्सप्रेस समाचार पत्र
11. 1980 एआईआर 1579: सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन
12. 1983 एआईआर 361: टी. वाथीश्वरम बनाम तमिलनाडु राज्य
13. एआईआर 1988 एससी 1785: अटॉर्नी जनरल बनाम लछमा देवी
14. 1997 (1) एससीसी 288: पीयूसीएल बनाम भारत संघ
15. 1980 (2) एससीसी 684: बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य
16. 1989 एआईआर 190: आरपी लिमिटेड बनाम इंडियन एक्सप्रेस समाचार पत्र
17. 1980 एआईआर 1579: सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन
18. 1983 एआईआर361: टी. वाथीश्वरम बनाम तमिलनाडु राज्य
19. एआईआर 1988 एससी 1785: अटॉर्नी जनरल बनाम लछमा देवी
20. 1997 (1) एससीसी 288: पीयूसीएल बनाम भारत संघ
21. (2003) 4 एससीसी 493: शारदा बनाम धर्मपाल
22. 1967 एआईआर 1836: सतवंत सिंह साहनी बनाम सहायक पासपोर्ट अधिकारी, दिल्ली
23. 1994 एआईआर 1349: जोगिंदर कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य
24. एआईआर 1858: मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य 1992
25. एआईआर 1997 एससी 3011: विशाखा बनाम राजस्थान राज्य
26. 2009 (7) एससीसी 559: सुखवंत सिंह बनाम पंजाब राज्य
27. एआईआर 1981 एससी 928: खत्री बनाम बिहार राज्य
28. एआईआर 1986 एससी 180: ओल्गा टेलिस बनाम बंबई नगर निगम
29. एआईआर 1997 एससी 610: डीके बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य
30. एआईआर 2000 एससी 2083: आंध्र प्रदेश राज्य बनाम चल्ला रामकृष्ण रेड्डी

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XL

Indian View of History: A Critical Study

Dr. Madhusudan Choubey*

***Associate Professor (History) Shaheed Bhima Nayak Govt. Post Graduate College, Barwani (M.P.) INDIA**

Abstract - History is useful in grooming the present and future by studying the past and taking valuable lessons from it. From the beginning of human existence on the earth, the entire experience till today, history being the best source of knowledge, was considered important in India since ancient times. The mention of the word history in Atharvaveda proves its perpetuity. The tendency to write, read and assimilate history is not universally the same, but it is determined according to the country, time and circumstances. India has had its own special vision of history, the basis of which is the sense of welfare of the entire humanity.

The way of seeing and understanding the past is called history vision. Some western historians having an imperialist point of view have alleged that the Indians in ancient times lacked the sense of history and were not interested in writing history. Indians did not know the art of presenting events chronologically. They used to present the facts in imaginary and mythological form.Such allegations are baseless. There is a tendency to save history in India since very ancient times.

Key words- vision of history, sense of history, chronological, mythological, Yugachakrawad, Anthropomorphism.

Introduction - Lois Dinkinson has audaciously written that- "Hindus were not historians." Teilhard is of the opinion that- "Indians were engrossed in spiritualism because of their belief in Maya and Karma, that is why they were oblivious to history." Some Indian historians also started following these historians. Like Dr. Hirachandra Shastri believes that- "Indians in ancient times did not pay special attention to history because they were more interested in the future than in the material life of the past and present."[1]

Instead of compiling the political events chronologically, words were given to each and every dimension related to life in our country. We understood the field of history in a broad perspective, which has been accepted by the whole world today. In our texts, there has been extensive writing on all aspects of social, cultural, religious, economic, scientific, political etc.[2] The belief of Srinivasa Iyengar is futile in the present perspective that- "If the eyes of history are dates, then ancient Indian history must be considered blind." But still Indians created a glorious history and only the ignorant who do not know Indian history would be unfamiliar with the important achievements of Indian thinkers. India is the only country in the world which has preserved a major part of its beautiful past. It has been the belief of Indians from the beginning that we are the descendants of the past and it is our ultimate responsibility to protect it.

Historian Govind Chandra Pandey is of the opinion that- "Dinson's idea that Hindus were not historians is ridiculous. Indians have never considered the past as insignificant, if history has been work-oriented, then India has always been the work place of great men.[3]

History writing tradition in India: The sources of history writing in India are available in the Vedas. Vansh and gotra-pravar tables are available in the Vedas. Vedic literature mentions the words history and narrative, which many commentators consider to be synonymous.[4] Such mantras are also included in the Vedas, in which the valor of the then kings and their military campaigns have been praised. The genealogy of the sages is known in the genealogical circles of the Rigveda.

Gatha tradition is also included in Vedic, Jain and Buddhist literature. The nature of saga literature is similar to that of history. In fact, ancient literature includes Gatha, Narashansi, Akhyana, Itihaas and Puranas. The form of the ballad is singable. Gatha consists of songs based on the heroic deeds of kings and the achievements of sages. The mantras in which males are praised are called Narashansi mantras. Many meanings of narrative have been given in the Hindi dictionary, such as story, narrative, narration, narration etc. Narrative is such a story, which is told by the poet himself. The narrative is not narrated through the characters. The tradition of narrative writing is very old. Initially its form was oral. Later they started writing. History has been preserved through narratives.

Puranas have a very important place in Indian culture. The number of Puranas is eighteen. Describing the ancient

times was mainly the subject matter of the Puranas. The words Itihaas-Puranas are mentioned closely. Bhagwat Dutt is of the opinion that- "History is the soul and Purana is its body. The order of history cannot be remembered without this Puranic body. Purana is a list of history. Such a valuable contribution to preserve history is not found anywhere else in world literature."[5] In Chhandogya Upanishad, History-Purana has been given the name of Panchamveda.[6]

Since ancient times, history in India got the same importance and respect as the Vedas. There was also a system for the study and teaching of history. According to the mention of Shatpath Brahmin - "The gods get complete sacrifices with honey by the study of discipline, knowledge, speech, history-purana, saga, Narashansi." Author of 'Arthashastra', a great work based on politics and governance Kautilya or Chanakya's statement is that- "Puranas, Chronicles, Narratives, Theology and Arthashastra etc. should be counted under history. The king should listen to history in the latter part of the day.[7]

Genealogies of kings and priests are found in Vedas and Puranas. Genealogies are also found in Mahabharata's Vanparva. The writing of dynasty tradition is also available in Buddhist and Jain literature. It is a form of history itself. The Sutra or Suta tradition of history writing also existed in the Vedic period. Sutas were actually ministers or charans. He had an important place in the royal court. These were included in the Ratnin class. These sutas scripted the genealogy and genealogies of many dynasties.

Charita (character) writing also started in India in ancient times. Generally, the scholars living in the Rajyashraya did this type of writing on the basis of the biography and achievements of their patrons. Vedic and mythological characters were also depicted in detail. In this category 'Mahavir Charit' and 'Uttar Ramcharit' composed by Bhavabhuti, 'Harshacharit' written by Banabhatta, 'Navasahancharit' written by Padmagupta, 'Godvaho' by Vakpatiraj, 'Ramcharit' composed by SandhyakarNandin, 'Vikramandevacharit' written by Vilhan, Ashvaghosh Mention may be made of 'Padmacharita' etc.[8]

Buddhist and Jain authors also wrote history. The contemporary history is available in the texts related to Jain Tirthankaras and Lord Buddha. Tripitaka (Abhidhammapitaka, Suttapitaka and Vinayapitaka), Dipavamsa, Mahavamsa, Chulavamsa, Buddhaghoshapati, Saddhammasamgraha, Mahabodhivamsa, Dhupvamsa, Antanagaluviharvamsa, Avadanashatak, Divyavadana, Mahavastu, Lalitvistara, Vajrasuchi, Soundarananda etc. can be mentioned in Buddhist literature. As a part of Tripitaka, MajjhimNikaya, Joint Nikaya, KhuddakNikaya, Jataka stories are more important from the point of view of history.[9]

Major Historians of Ancient Times: The following can be mentioned as historians of ancient times-

1. **Banabhatta:** Banabhatta was a contemporary of the illustrious emperor Harshavardhana (606 to 647 AD) of the Vardhana dynasty and had a respectable position and patronage in the court. He composed texts like Harshacharita, Parvati Parinaya, Chandishtak, Kadambari etc. Of these, Harshacharita has special importance from the point of view of history. In Harshacharit, Banabhatta has written about the Vardhana dynasty in five phases. These stages are – beginning, effort, anticipation, determination and state throne. In 'Prarambh', there is an account of Pushyabhuti, the originator of the dynasty. The birth anniversary of Harsha is mentioned in 'Prayas'. The death of Prabhakarvardhan and Rajyavardhan in 'Pratyasha', the liberation of Rajyashri in 'Nischayan' and the attainment of the kingdom by Harsha in 'Rajya Singhasan' is mentioned.
2. **Vakpati:** Vakpati was patronized in the court of Yashovarman, ruler of the Maukhari dynasty of Kannauj. He has composed a book named 'Gaudavaho' in the eighth century. Yashovarman'sGauda (Magadha) victory and other victories are mentioned in this book. It is a historical epic written in Prakrit language.
3. **Vilhan:** Vilhana was a poet of the eleventh century. He composed a historical epic named 'Vikramankdevcharit' in eighteen sagas. In this he describes the achievements of his patron Emperor Vikramaditya VI (1076 to 1126 AD) of the Chalukya dynasty. While accepting its historicity, the analysts have believed that such events have been mentioned in it, which are also confirmed by other evidences. Being an epic, at some places the shelter of imagination is also seen. At some places he has also done an exaggerated portrayal of his hero.
4. **Jayanak:** Jayanaka was the creator of 12th-13th century. He had the patronage of Prithviraj Chauhan, the famous ruler of Chauhan (Chahman) dynasty. They were originally from Kashmir. He had composed 'Prithvirajvijayamahakavyam'. In this, he has described Prithviraj Chauhan's victory against Muhammad Ghori in the first battle of Tarain in 1191 AD. It was composed in 1192 AD. Jayanak was particularly influenced by Valmiki Ramayana, so he portrayed Prithviraj Chauhan, the hero of his epic, as an avatara figure similar to Shri Ram. The genealogy of Chauhan dynasty is also found in it. The Chauhans have been described as Suryavanshi.
5. **Kalhan:** Kalhana has received more recognition as a historian among the writers of ancient India. He was from Kashmir. He has composed a book called Rajatarangini. The history of Kashmir is mentioned in this book written in Sanskrit and in poetry. Many critics refer to Rajatarangini as India's first book written from the point of view of history writing. Kalhana's father Champaka was the great-grandfather of Harshadeva (1068 to 1101 AD), the ruler of Kashmir.

Kalhana started writing Rajatarangini in 1148 AD on the basis of various historical sources, such as records, donation letters, coins, available texts, other monuments etc. Rajatarangini was completed in 1150-51 AD by two-

three years of research and painstaking writing. It has eight tarangs (chapters) and eight thousand verses. Kalhana has started his writing from Mahabharata period. In this, the history of Kashmir's famous dynasties Karkotak, Utpal dynasty and its contemporary Lohar dynasty is found in detail. Kalhana has also used dates as far as possible in writing the events. He achieved success in writing history in a scientific manner by being free from prejudices.

In this way, keeping history at par with Vedas in our country, it has been given the noun of fifth Veda. Realizing the importance of history, Acharya Chanakya or Kautilya had expressed the opinion that for the success of the king, it is necessary that the king should listen to history. By the time of Kalhana, history writing was established as a separate and mature discipline.

Yugachakrawadi concept: According to the Yugachakrawadi concept propounded from the perspective of history in India, the entire period from the beginning of creation to the present has been divided into four eras. This theory believes that nothing is permanent in the world. Nature is changeable. Happiness is followed by sorrow and the chain of happiness after sorrow goes on. History is a continuous cycle. Each cycle consists of four ages. This era cycle is created by the creator Brahma ji. The interpretation of these ages is as follows-

1. **Sat Yuga:** This era has been the best and golden period of human history. This is also called Krita Yuga. During this period, excellent human qualities, goodwill and harmony in the society, happiness and prosperity everywhere, economic prosperity existed in humans. In this era, there was no existence of bad qualities like untruth, jealousy, hatred.
2. **Treta Yuga:** Compared to the Sat Yuga, this Yuga remained superior even after some degradation. In this second phase of the era cycle, there was a decrease in human qualities and means of happiness.
3. **Dwapar Yuga:** This era is also called the era of struggle. From here the sorrows and struggles of humans started. Humans started suffering from diseases. Decline of manners is visible in the society and tendencies of discord, misbehavior, adultery begin to arise. To control the decline, social rules and rites started being rendered. This is the reason why this era has also been called the age dominated by rituals and rules.
4. **Kali Yuga:** This last phase of the era cycle is going on even at present. The evil tendencies that started in Dwapar Yuga are reaching their climax in Kalyug. The neglect of religion and moral values is being reflected everywhere. Problems, calamities, sorrow, struggle, tribulation, selfishness and animosity exist all around. The number of good humans has become very limited. Human life has reached the height of sorrow and despair. Injustice increased in place of justice. Adharma took the place of Dharma. Due to increasing mutual conflict and bitterness, the sense of brotherhood became secondary. Its culmination will be the destruction of the human world and merging into Brahman.

Concept Of Anthropomorphism: The Indian concept recognizes incarnation and believes that God incarnates on earth in various forms over a period of time. The purpose of incarnating is to protect religion against unrighteousness and to free humans from suffering and pave the way for their welfare.

According to the seventh and eighth verses of the fourth chapter of Shrimad Bhagavad Gita -

यदा–यदाही धर्मस्य ग्लानिर्भवतिभारत:।
अभ्युथानम् धर्मस्य तदात्मानंसृजाम्यहम्।।
परित्राणाय साधुनांविनाशाय च दुष्कृताम्।
धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे–युगे।।[10]

This means- "Whenever there is a loss of religion and expansion of unrighteousness, then only I appear." I appear in every age for the salvation of the virtuous and the destruction of the wicked and for the establishment of Dharma.

Similarly, the creator of Ramcharitmanas, Goswami Tulsidas writes in the Balkand of Manas-

जब–जबहोइ धरमकैहानी।
बाढ़इ असुर अधमअभिमानी।।
तब–तबप्रभु धरिबिबिध सरीरा।
हरहिंकृपानिधि सज्जनपीरां।।[11]

The meaning of this chaupai is that- "Whenever there is a loss of religion and sinful and arrogant demons increase, then Kripanidhan Prabhu Ramchandraji removes the pain of the gentlemen by assuming different types of bodies."

It is mentioned in the Indian scriptures that in every era, God has destroyed the unrighteousness and unrighteousness from the earth by taking an incarnation. Sin has also existed along with virtue in the later ages of Satyuga, ieTreta, Dwapar and Kaliyuga. Whenever the misdeeds of sinners have increased and it has become difficult for humans to live, then the Lord has descended on earth in some form or the other.

Many incarnations of Lord Vishnu are mentioned. Somewhere the number of these incarnations is found to be twenty-four and somewhere ten. Of these, the incarnations of Shri Ram and Shri Krishna are particularly noteworthy. Shri Ram made the truth victorious by liberating him from the atrocities of Ravana and Shri Krishna from the atrocities of Kansa and the injustice of the Kauravas.

There are ten incarnations of Lord Vishnu - Matsyavatara, Kurmavatara, Varahavatara, Nrisingavatar, Vamanavatar, Sriramavatara, Srikrishnavatara, Parshuramavatara, Buddhaavatar and Kalki avatar. There have been nine incarnations out of these. Kalki Avatar will happen in Kali Yuga.[12]

According to another belief, there are twenty-four incarnations of Lord Vishnu. These incarnations include- Shri Sankadi Muni, Varaha, Narad, Nar-Narayan, Kapil

Muni, Dattatreya, Yagya, Rishabhdev, Adiraj Prithu, Matsya, Kurma, Dhanvantari, Mohini, Nrisimha, Vamana, Hayagriva, Sri Hari, Parshuram, Vedvyas, Hans, Shri Ram, Shri Krishna, Buddha and Kalki.[13]

Where all the incarnated great men destroyed the wicked by their actions on Vasundhara, they also became the basis of public education by setting new social and moral standards. They lived like humans. Faced the joys and sorrows of time. Explained what an ideal lifestyle is like. How the roles of family, society and nation are performed. According to critics, Avatarism has promoted indolence. Man, himself waits for the incarnation of God to get rid of sorrows and evils and expects that God will descend and his sufferings will be removed. His fatalism has also increased in him. The one who is in luck, will get that thinking has expanded. But, this is not true. Each avatar performed his role using his entire consciousness and karmashakti. He set an example by his deeds and inspired everyone.

Concept Of Karma: Karma has been given priority in Indian history. The doctrine of cause and effect is firmly established in history. This principle has been established in India from the beginning. There is result according to karma. This recognition of Karmaphal proves the relation between work and cause. It is mentioned in Shrimad Bhagwat Gita that-

कर्मण्येवाधिकारस्तेमाफलेषुकदाचन।
माकर्मफलहेतुर्भूर्मातेसङ्ऽगोडस्त्वकर्मणि।।[14]

The meaning of this is that - you have the right only in doing your duty. never in its fruits. Don't change the purpose of your actions and don't get attached to your inaction.

Change in tradition of historiography: Over time there were some changes in the history vision and tradition towards the writing of millions of years of Indian history. In ancient times, the basis of history was mainly religion, philosophy, truth, sense of coordination. Much of history was created independently. Some scholars like Banabhatta also remained in Rajyashraya.

During the Delhi Sultanate (1206 to 1526 AD) and the Mughal State (1526 to 1857 AD) in the medieval period, court historians dominated history writing. Sultans and emperors and their related activities became the central point of history.

European powers arrived in India in the modern period. The British established their political power over a large part of the country. European historians, while writing history from an imperialist point of view, glorified western civilization and ridiculed Indian social ethics and religious beliefs.

Indian historiography took a new turn after independence. Presently the field of history is getting wider. History is being revised and refined on the basis of evidence, reviewing each dimension, so that the real history can come to the fore.

Conclusion: It is clear that the concept of history has existed in India from ancient times till the present. The form of history writing kept changing with time, but India's vision of history has always been welfare. The history was written and explained in such a way that the reader could get life-useful education and teachings by interviewing the truth. Symbolism has been resorted to at many places in Vedic and Puranic texts and epics, which reveal deep meanings when understood. Many important historical texts have been published in the country, which is an axiom of our historical consciousness.

References:-

1. वरे, डॉ. एस. एल., इतिहास लेखन, कैलाश पुस्तक सदन, भोपाल, 2019.
2. पांडे, डॉ. गोविंदचंद्र, इतिहास : स्वरूप एवं सिद्धांत, राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी, जयपुर, 2017.
3. पांडे, डॉ. गोविंदचंद्र, इतिहास : स्वरूप एवं सिद्धांत, राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी, जयपुर, 2017.
4. अथर्ववेद, गीता प्रेस, गोरखपुर, 2011.
5. Datta, bhagawda, History of Vedic literature, D.A.V. College.
6. छांदोग्योपनिषद्, गीता प्रेस, गोरखपुर, 1997.
7. कौटिल्य, अर्थशास्त्र, राजपाल एंड संस, नईदिल्ली, 2017.
8. पांडेय, विमलचन्द्र, प्राचीन भारत का इतिहास, एस. चन्द एंड कंपनी लिमिटेड, नईदिल्ली, 2003.
9. पांडेय, विमलचन्द्र, प्राचीन भारत का इतिहास, एस. चन्द एंड कंपनी लिमिटेड, नईदिल्ली, 2003.
10. श्रीमद्भगवतगीता, गीता प्रेस, गोरखपुर, 2012.
11. तुलसीदास, रामचरित्मानस, गीता प्रेस, गोरखपुर, 2014.
12. मित्तल,महेन्द्र, श्रीविष्णु अवतार, मनोज पब्लिकेशंस, नईदिल्लीए 2002.
13. मित्तल,महेन्द्र, श्रीविष्णु अवतार, मनोज पब्लिकेशंस, नईदिल्लीए 2002.
14. श्रीमद्भगवतगीता, गीता प्रेस, गोरखपुर, 2012.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XL

Dilemmas and Conflicts in Postcolonial Indian Ethnocultural Novels in English

Girish Kumar Sahu* **Prof. Shubha Tiwari****

* **Research Scholar (English) APS University, Rewa (M.P.) INDIA**
** **Vice-Chancellor, Maharaja Chhatrasal Bundelkhand University, Chhatarpur (M.P.) INDIA**

Abstract - Representation has really become intensely important in academic discourse as postcolonial studies have flourished. Recent academic research and philosophical conversations have highlighted the necessity to rethink Postcolonial studies by examining representation and authenticity in art and literature from former colonised countries. Diaspora writers' works spark controversies. In diaspora literary studies, writers from former colonial states who have emigrated are examined for their "diasporic experiences." However, contemporary diaspora tales are examined in terms of mass production, distribution, and consumption, as well as commercial influence. With these arguments as a background, this research aims to map postcolonial Indian diaspora literature's various themes and disputes. This research raises questions about genre perception.
Keywords: Postcolonial, Fiction, Indian Diaspora, Market Economy, Representation.

Introduction - Anything that is created in India or carries out the label "Indian" has recently gained attention. In terms of contemporary Indian English literature, this is still true. In particular, since Arundhati Roy and Aravind Adiga's books won the Booker Prize, there has been an increase in the creation, distribution, and consumption of Indian English novels, particularly diasporic novels. Call it the Salman Rushdie's impact or the Booker's post effect, but there is no denying that Indian authors are leaving their imprint on the global literary landscape. Recent years have seen a surge in interest in writing among the Indian diaspora.

The study of Indian diaspora books is fascinating since the colonizers brought the novel genre to India. Novels have been seen as representations of Indian culture and sensibility ever since they entered the Indian literary scene. (Kumar, 02) The introduction of this foreign form to the Indian literary landscape and the process of "Indianization" that book experienced to make it suited to depict Indian themes and realities of Indian society have been extensively debated by many academics (Mukherjee, 09). Some academics have also argued how this literary form known as the "novel" depicts and tells the country. (Srivastava, 144)

But if we look at the most recent Indian diaspora books, we can see a clear trend. When it comes to how "India" and "Indian society" are portrayed, it seems that they follow a similar pattern. Recent research by academics like Om Prakash Dwivedi, Cristina Mendes, Lisa Lau, and others has questioned the idea that Indian novels reflect the country's socioeconomic realities. Instead, they have proposed the claim that current English-language Indian books are really perpetuating orientalism. They conducted a thorough investigation of how Indian novels written in English—particularly those set in the diaspora—describe India. They found that these books follow a consistent pattern when discussing Indian culture. They contend that it is "standard practise among the multitude of authors writing in English on India and South Asia to write for a largely Western audience, therefore depicting via Western eyes, utilizing Western values and cultural references, and for Western consumption." They assert that "Orientalism, therefore, is very much alive" (Dwivedi, 39)based on this assumption.

What is remarkable in the context of such discussions is the massive creation, distribution, and consumption of Indian English novels written by Indian authors, both those who have lived in India and those who have moved overseas. This paper's main goal is to identify specific conversations around current English-language fiction written by Indian diaspora authors in this environment. This analysis raises some concerns regarding how this purportedly new genre is perceived.

Issuesand Conflicts: Postcolonial Indian diaspora literature in English has received a lot of attention in the scholarly community and from voracious readers since the turn of the century. In actuality, the growth of Indian diaspora literature has been hailed as a positive development. The world has been paying close attention to the literary output coming from postcolonial nations like India ever since Salman Rushdie's Midnight's Children (1981) made its

literary debut. Rushdie's book not only took home the coveted Booker Prize and Booker of Bookers, but it also signalled a promising future for Indian authors in English. Arundhati Roy and Aravind Adiga won the Booker Prize years later, in 1997 and 2008, respectively, and with this, a firmly established place for Indian writing in English was carved out in the larger literary scene. A great deal of interest has been sparked in authors from the Indian diaspora who have spread across the continents by the extraordinary ascent of Indian writers in English. In academia nowadays, both within and outside of India, Indian diaspora literature, particularly novels, is taught solely as an unique genre under the broad phrase "Indian English fiction." The genre has sparked significant academic discussions, in-depth study, cinematic adaptations, and reader interest.

There are several recurring themes that may be seen in the criticism and academic responses to the fiction written by Indian diaspora writers. The topics that author from the diaspora navigate are a topic of much scholarly discussion. For instance, despite the fact that they are now residents of a new nation, emigrant authors tend to write mostly about their old home and its culture (Kumar Das, 14) according to Prof. Bijay Kumar Das. He cites the work of authors like A. K. Ramanujan and R. Parthasarathy who wrote more about India than they had accomplished while living there. Some scholars talk about, to use Vijay Mishra's classification, the "old diaspora" and the "new diaspora" (Mishra, 39) while scholars like Makarand Paranjape discuss the two phases to which the South Asian diaspora falls into - one being the "settler" diaspora that include all the forced migrations caused by slavery and indentured labor etc. and the exodus of "tourists," composed mostly of voluntarily relocating businesspeople and professionals. Despite Paranjape's centrality to the study of the South Asian community in Australia,his views may be extended to the Indian diaspora as a whole. By analyzing two works written by South Asian women diaspora authors who migrated in Australia, he investigates the attitude of South Asian Australian writers towards their host country. The first work, The Time of the Peacock (1965), indicates the beginning of the diaspora, as defined by Paranjape's categorization. This book is examined to bring to light, among other things, the author's conflicted feelings between Australia and the motherland, assimilation fears, and the intricacies of life as a diasporic.In addition, he studies the 2000 novel If the Moon Smiled by contemporary author Chandani Lokuge, which explores the alienation that the female heroine experiences as she travels between her native Sri Lanka and her new home in Australia. This approach seeks to highlight the fact that both works "reflect the intricacies of diasporic experiences". (Paranjape, 134)

However, recent research in the fields of cultural studies and postcolonial studies has started to cast doubt on the veracity of depictions of colonised nations and their cultures in modern works of art, literature, and fiction as well as on diasporic experiences. According to these research, modern cultural outputs coming from colonial nations, especially those produced by the diaspora, produce more art and literature for the Western market than to reflect their own cultures. For instance, Graham Hugganemphasises the "constitutive divide" within postcolonial, which is that the word postcolonial, on the one hand, refers to "culture embattlement but, on the other hand, on the other hand, on the other hand, the phrase also gets distributed as "sales - tag." He expresses his scepticism of the current capitalist way of production. He contends that the "Postcolonial exotic" is being used to market concepts like "marginality," "authenticity," and "resistance." According to him, both "post-colonial literatures" and "postcolonialism itself" have evolved into "a cultural commodity". (Huggan, 11) Researchers like Graham Huggan have examined the linkages between postcolonial literary and creative outputs, Western academics, and publishing influences in addition to pointing out the shortcomings of postcolonial studies.

Similar research has also focused on the issue of Indian English novels. Particularly, the literature written by Indian diaspora writers throughout the globe is being examined differently. Many studies have been done on the connections between issues like Western consumerism, an increase in the production of exotic novels by the Indian diaspora, financial pressures, and publishing politics in elevating Indian English writers. For instance, the book Indian Writing in English and Global Literary Market (2014) argues that market pressure and publication consequences are the main contributors to commodification of the artistic creations, most especially the books written by authors from India and the Indian diaspora. According to Pramod K. Nayar, Indian Writing in English (IWE) is a "celebratory genre" in this sense. He describes the "clarification process" of IWE and the reasons that went into its creation. This position, in his opinion, is the outcome of a "convergence culture" that "brings together the public realm, media, festival culture, literary output, academic discourses, and author - focused discourse to generate an amplification of the genre itself." With this discovery, Nayar contends that IWE is a "celebrity genre" as a result of a convergence of many "culture production" factors. (Nayar, K. 47) Therefore, it is only logical that the English-language books written by Indian authors who have either settled in India or abroad get a lot of attention.

However, some academics contend that the writings of Indian diaspora authors help to shape Western perceptions of India. For instance, VrindaNabar notes that Westerners see Indian authors from the diaspora as "India's spokesperson." She claims that the majority of people in the first world equate "Indian literature" with literature from other parts of the globe. To demonstrate how Indian diaspora writers "have frequently manipulated details to present what is really marketable, contrasting the sanitized ethos of their brave new world with the darker realities of

"Indian life," she conducts an analysis of the celebrated Indian diaspora woman writer Chitra Divakaruni's works. She also claims that diaspora writers are more likely to be "judgmental about „Indian "attributes that exist in their imagination, juxtaposing these against their alleged liberation from them in the first world" because they "commonly looked at the past, not the rapidly changing India of the present.". (Nabar, 29) In addition, V.G. Julie Rajan goes one step further by outlining how literature written in English by Indian authors who reside both within and outside of India is promoted to "English-speaking audiences in the West." Indian literature, according to the author, "resonates with popular Western perceptions of India, Indian people, and Indian culture that gets the greatest currency and, therefore, value and visibility in Western markets". (Rajan, 59)

As is seen from Dorothy M. Figueira's remarks, the representation of Indian immigrant life and the implications of such representations are also under critical investigation.

Figueroa asserts that Jhumpa Lahiri and Chitra Divakaruni, two well-known Indian diaspora women authors, "portray an America that relates to the concerns and longings of both Americans and Indian Americans." They offer an innocent, somewhat foreign, and non-threatening picture of Indian culture in relation to American society. She demonstrates how Indian diaspora authors hold America accountable for the cultural loss and experience of diaspora that Indian protagonists in their literature go through. Furthermore, despite being immigrants who choose to remain in America, the characters in this literature are nevertheless shown to be in pain, feeling uprooted, and having a sense of alienation. Even yet, they never return home. In order to explain the significance of the descriptions of loneliness in Indian diaspora tales to her pupils, Figueira also shares personal experiences when teaching such works on the Indian diaspora. According to Figueira, such character portrayals and "tailor-made" topics have more to do with the literature's "purpose than with any reflection on reality." She thus vehemently contends that writings from the Indian diaspora encourage a certain "immigrant imaginaire." She also discusses the effects of these portrayals. By "championing myths about Indian diaspora identity that may have nothing to do with actual Indian culture," they enhance the "self-image" of the Indian diaspora community in America and achieve "tremendous economic success in America." On the one hand, this gives Americans a "portrait of exotic Indians... bit more colourful and successful, but not at all threatening." She contends that authors like Jumpa Lahiri and Chitra Divakaruni's writings are "separated from Indian experience" and invoke Indian ideals as "strange tropes," which provide readers with absolutely no comprehension of India. (Figueira, 49)

The publishing business in America, according to Anis Shivani, engages in the "commodification of an exoticized Orientalism" by promoting some Indian English authors. He examines the writings of Manil Suri, Amith Chaudhury, and Pankaj Mishra to show how they create comparable pictures of India as a "static, unchanging collectivity of individuals consumed with private identity problems." In his view, the new fiction is "devoid of any sense of politics, history, or economy," and he blames these books for failing to portray how India was changing as globalization took hold. He goes on to say that this most recent iteration of orientalism to emerge from Indian authors is devoid of any genuine intellectual challenge to multiculturalism. (Shivani, 31)

These academics contend that authors from the Indian diaspora who write in English promote exoticism in order to satisfy Western market needs and publishing politics. They contend that by using Indian cultural references and exoticizing India, authors, especially contemporary writers, are trying to appeal to readers in the West. They also contend that by commodifying the Orient, writers from the Indian diaspora are reviving Orientalism in modern forms and modalities (Anis Shivani, Lisa Lau, Ana Christina Mendes, Om Prakash Dwivedi etc.). According to Lisa Lau, this phenomenon is called "re-Orientalism." "Re-Orientalism theory takes as its starting point the salient fact that by the 21st century, the East has increasingly seized the power of representation, but this representation is not exempt from being partial and skewed, and, moreover, it is still Western-centric and postcolonial," she writes. (Lau, LisaandDwivedi, 19) These analyses of Indian diasporic literature draw our attention to a number of issues and debates surrounding the genre. The focus of these conversations is the researchers' careful consideration of the representational challenges in this genre of postcolonial Indian diaspora literature. The studies demonstrate the scholarly interest in representational authenticity. Even though it is not feasible to describe all of the claims and disputes surrounding Indian diaspora novels in this article, an attempt is being made to highlight a few of them in order to illustrate the subtleties of these discussions.

Conclusions: Some important concerns might be asked against the background of the discussions and dialogues shown here. As was previously said, many universities and undergraduate programs teach novels written by individuals of the Indian diaspora. The issue that arises is how, in the context of the material covered above, instructors may detect and grasp the very character of this genre and impart it to their pupils. What does "authenticity of portrayal" mean? Is it accurate to argue that these authors are promoting the unusual in the guise of telling a story about their native country? How can we explain authors who claim to be portraying their personal experiences? How can we explain the astounding rise of Indian authors' fiction in the diaspora? The topic is, in essence, how to make sense of the conversations around Indian diaspora books. To have a deeper grasp of this genre, these issues need to be investigated and analyzed further. They undoubtedly provide

a broad variety of subjects for further research and thoughtful involvement.

References: -

1. Kumar,Gajendra. (2002). *Indian English Novel: Text and Context.* Sarup&Sons.
2. Mukherjee,Meenakshi.(2002).*The Perishable Empire: Essays on Indian Writing in English*. Oxford University Press.
3. Srivastava, Neelam. (2007). *Secularism in the Postcolonial Indian Novel: National and Cosmopolitan Narratives in English.* Taylor & Francise-Library.
4. Dwivedi, Om Prakash and Lisa Lau, editors. (2014).*Indian Writing in English and the Global Literary Market.* Palgrave Macmillan.
5. Kumar Das, Bijay. (2011). *The Politics of Identity: The Emigrants Writes Back.* The Literary Criterion. V(XLVI). 5-17.
6. Mishra,Vijay. (2007).*TheLiteratureofthe Indian Diaspora: Theorizing the diasporic imaginary.* Routledge.
7. Paranjape, RMakarand. (2003). *Writing Across Boundaries: South Asian Diasporas and Homelands. Diaspora and Multiculturalism: Common Traditions and New Developments.* edited by Monika Fludernik, Rodopi. 231-260.
8. Huggan,Graham.(2001). *ThePost –Colonial Exotic: Marketing the Margins.* Routledge.
9. Nayar, K. Pramod. (2014). *Indian Writing in English as Celebrity. Indian* Writing in English and the Global Literary Market, edited byOm Prakash Dwivedi and LisaLau,Palgrave Macmillan.32-47.
10. Nabar, Vrinda. (2014). *Writing India Right: Indian Writing and the Global Market.* Indian Writing in English and the Global Literary Market, edited by Om Prakash Dwivedi and Lisa Lau,Palgrave Macmillan.13-31.
11. Rajan,Julie VG (2014). *Indian Writing in the West: Imperialism, Exoticism and Visibility.* Indian Writing in English and the Global Literary Market, edited by Om Prakash Dwivedi and Lisa Lau, Palgrave Macmillan. 48-61.
12. Figueira, Dorothy M. (2014). *How Does It Feel to Be the Solution? Indians and Indian Diaspora Fiction: Their Role in the Market place and the University.* Indian Writing in English and the Global Literary Market, edited by Om Prakash Dwivedi and Lisa Lau, Palgrave Macmillan. 48-61.
13. Shivani, Anis. (2006*). Indi–Anglian Fiction: The Orientalism. Race and Class,* 47(4).1-25
14. Lau, Lisa and Dwivedi, Om Prakash. (2014). *Re–orientalism and Indian Writing in English.* Palgrave Macmillan.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XL

Heat Shock Proteins (HSPs): A Review

Madhubala Rathore*

***Assistant Professor (Zoology) Govt. College, Chourai, Chhindwara (M.P.) INDIA**

Abstract - Heat shock proteins (HSPs) are a major class of proteins conserved in evolution.Many members of HSPs perform chaperone function through correct folding of protein that were damaged by stress in cell. HSPs maintain homeostasis from single cell to multicellular organism and their role in protein folding, protein degradation, differentiation, development and autophagy. Synthesis of Hsp for thermal protection duringheatshock in Dictyostelium.synthesis of Hsp70 before and after heat shock treatment in Dictyostelium. Hsp 90 reported in Dictyostelium which regulates the development.Hsp 70, Hsp 42, Hsp 26 and Hsp 22 are involved in autophagy process.

Introduction - Heat Shock Proteins (HSPS) : All cells that present in prokaryotes and eukaryotes in response ofstressful conditions like heat shock,cold,uv light etc.express group of protein called as heat shock protein (HSPs). HSPs Heat shock protein (HSP) is a major class of proteins conserved in evolution. These protiens classified according to their molecular weight, for example HSP 40, HSP 60, HSP 70, HSP 90, HSP100 and small heat shock proteins (sHSPs) and their molecular weight are 40, 60, 70, 90, 100, sHSPs have molecular mass 12-43 kilodaltons, respectively. These proteins maintain intracellular homeostasis under stressful conditions from single cell to multicellular organism and their role in protein folding, protein degradation, development, autophagy and anti-apoptotic etc.Due to their property of anti-apoptotic and stress tolerance beneficial in human disease like cancer, Alzheimer, Parkinson etc.

At one end HSP assist in protein folding by chaperones,and other end they perform autophagy or ubiquitin proteasome system (UPS) for the degradation of proteins.HSPs and autophagy are linked to each other for the maintainance of protein homeostasis (proteostasis) in eukaryotic system (Hartl,Chen,Rosenbaum.et al.,2011).

Autophagy: Cell respond during stressful conditions like starvation,infection,hypoxia it can be go for cell death pathway called as apoptosis or autophagy (self eating).Autophagy is an evolutionary conserved pathway.Eukaryotic cells maintain homeostasis by eliminating unwanted proteins or organelles to recycle their components during starvation through lysosomal degradation (Decuypereet al., 2011).Autophagy is a self-eating-cannibalistic pathway that mediates cryoprotection. Three types of autophagy depend on the condition of cytoplasmic materials delivered to lysosome for degradation are as follow:

1. **Macrophagy**
2. **Microautophagy**
3. **Chaperone mediated autophagy (CMA)**

Macroautophagy is an conserved process, promotes the degradation of cytoplasmic components such as unwanted proteins, damaged organelles through lysosome (Mizushima et al.,2011).

Microautophagy, protein enter through the invegination of lysosomal membrane and traped into the vesicles and degraded by proteases inside the lysosomal lumen. (Kaushik et al.,2012).Protein transfer from cytoplasm to the lysosomal membrane through chaperone binding and delivered to lumen of lysosome for degradation, this process called as chaperone-mediated autophagy (CMA)

Macrophagy is the most studied and the main focus of this review that involves formation of double membrane vesicle called as phagophore which elongates into autophagosome. It fuses with endosome or directly lysosome forming autolysosome (Kumar et al, 2010). Though the origin of autophagosome is still unknown, recent studies suggest that autophagosome formation is followed by omegasome formation which is a highly specialized subdomain of ER. Reports based on tomographic analysis revealed direct correlation between autophagosome and omegasome thus illustrating the importance of ER in autophagy(Ylä-Anttila , 2009).

To maintain autophagy in controlled manner this process is highly regulated, more than 30 autophagicgene (Atg) are present for its regulation. Initiation and execution of autophagy is regulated by Atg(Autophagy related protein) which is required for biogenesis and maturation of double membrane autophagosome(Reggiori et al.,2005).

Dictyosteliumis a model for the study of

autophagy.Induction of autophagy and its regulation depends on the energy and nutritional condition of the cell. TOR(target of rapamycin) is a nutrient sensor.TOR forms two complexes by the combination of different proteins and only one TORC1,involved in autophagy.Atg1 is a serine/ threonine kinase, play a key role in autophagy,which is regulated by TOR (Schmelzle, 2000;Mizushima,2010;chan EY,2009).Autophagy is initiated by mTOR inhibition under stress condition. mTOR inhibition leads to hypophosphorylation of Atgthat forms complex with Atg1/ULK1 and FIP200 which activates phagophore formation (Mizushima, 2010).

Elongation phase is characterized by Atg5-Atg12-Atg16L1 complex formation in a ubiquitin like reaction involving E1 like Atg7 and E2 like Atg10.Elongation continues with lipidation of microtubules associated protein I light chain 3 (Atg8/LC3). LC3I (cleaved LC3) conjugates with E1 like Atg7 and E2 like Atg3 to form LC3II. Lipid chain of LC3II along with Atg5-Atg12-Atg16L1complex insert into the membrane forming autophagosome. LC3II remain in the vesicle until it fuses with lysosome while Atg5-Atg12-Atg16L1 complex dissociates (Geng et al., 2008).

Autophagosomes are finally transported to the lysosome via microtubules in a dynein dependent manner. Final fusion of autophagosome with endosome and lysosome requires ESCRTIII , SNAREs , Rab7 and Class C Vps protein. Atlast the content of autolysosome along with its inner membrane is degraded by lysosomal hydrolases and is reused in the cell(Ravikumaret al,2010;Chen andKlionsky,2011).

Autophagy was initially known only as a cell survival mechanism but further studies showed that if death inducing signal persists for longer duration it may lead to autophagic cell death, termed as "Programmed cell death type 2(Harr et al., 2010).

This type of cell death is characterized by massive autophagic vacuolization in the cytoplasm and absence of chromatin condensation. Thus autophagy may be responsible for the obliteration of cells as a result of cytoplasmic degradation beyond a not yet clearly defined point-of-no-return(Zhivotovsky et al., 2011).

References:-

1. Gallagher, P. S., Oeser, M. L., Abraham, A. C., Kaganovich, D., & Gardner, R. G. (2014). Cellular maintenance of nuclear protein homeostasis. *Cellular and molecular life sciences*, *71*, 1865-1879.
2. Decuypere, J. P., Bultynck, G., & Parys, J. B. (2011). A dual role for Ca2+ in autophagy regulation. *Cell calcium*, *50*(3), 242-250.
3. Green, D. R., & Levine, B. (2014). To be or not to be? How selective autophagy and cell death govern cell fate. *Cell*, *157*(1), 65-75.
4. Kaushik, S., & Cuervo, A. M. (2012). Chaperone-mediated autophagy: a unique way to enter the lysosome world. *Trends in cell biology*, *22*(8), 407-417.
5. Lee, J. H., Yu, W. H., Kumar, A., Lee, S., Mohan, P. S., Peterhoff, C. M., ... & Nixon, R. A. (2010). Lysosomal proteolysis and autophagy require presenilin 1 and are disrupted by Alzheimer-related PS1 mutations. *Cell*, *141*(7), 1146-1158.
6. Ylä-Anttila, P., Vihinen, H., Jokitalo, E., &Eskelinen, E. L. (2009). 3D tomography reveals connections between the phagophore and endoplasmic reticulum. *Autophagy*, *5*(8), 1180-1185.
7. Reggiori, F., &Klionsky, D. J. (2005). Autophagosomes: biogenesis from scratch?. *Current opinion in cell biology*, *17*(4), 415-422.
8. Calvo-Garrido, J., Carilla-Latorre, S., Kubohara, Y., Santos-Rodrigo, N., Mesquita, A., Soldati, T., ... & Escalante, R. (2010). Autophagy in Dictyostelium: genes and pathways, cell death and infection. *Autophagy*, *6*(6), 686-701.
9. Schmelzle, T., & Hall, M. N. (2000). TOR, a central controller of cell growth. *Cell*, *103*(2), 253-262.
10. Mizushima, N. (2010). The role of the Atg1/ULK1 complex in autophagy regulation. *Current opinion in cell biology*, *22*(2), 132-139.
11. Chan, E. Y., &Tooze, S. A. (2009). Evolution of Atg1 function and regulation. *Autophagy*, *5*(6), 758-765.
12. Kondratskyi, A., Yassine, M., Kondratska, K., Skryma, R., Slomianny, C., &Prevarskaya, N. (2013). Calcium-permeable ion channels in control of autophagy and cancer. *Frontiers in physiology*, *4*, 272.
13. Geng, J., &Klionsky, D. J. (2008). The Atg8 and Atg12 ubiquitin like conjugation systems in macroautophagy. *EMBO reports*, *9*(9), 859-864.
14. Ravikumar, B., Sarkar, S., Davies, J. E., Futter, M., Garcia-Arencibia, M., Green-Thompson, Z. W., ... &Rubinsztein, D. C. (2010). Regulation of mammalian autophagy in physiology and pathophysiology. *Physiological reviews*, *90*(4), 1383-1435.
15. Chen, Y., &Klionsky, D. J. (2011). The regulation of autophagy–unanswered questions. *Journal of cell science*, *124*(2), 161-170.
16. Mizushima, N., & Komatsu, M. (2011). Autophagy: renovation of cells and tissues. *Cell*, *147*(4), 728-741.
17. Harr, M. W., &Distelhorst, C. W. (2010). Apoptosis and autophagy: decoding calcium signals that mediate life or death. *Cold Spring Harbor perspectives in biology*, *2*(10), a005579.
18. Zhivotovsky, B., &Orrenius, S. (2011). Calcium and cell death mechanisms: a perspective from the cell death community. *Cell calcium*, *50*(3), 211-221.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XL

गठबंधन राजनीति और भारतीय लोकतंत्र : वर्तमान संदर्भ में

डॉ. सर्वेश्वर उपाध्याय*

* सहा. प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान) सर हरीसिंह गौर महाविद्यालय, सागर (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – लोकतंत्र हमारे लिए एक शासन प्रणाली मात्र नहीं है, वस्तुत: यह हमारे देश की प्राचीनतम जीवन शैली है। प्राचीन भारतीय गणतंत्रों, सभा और समितियों में तथा तत्समय के जीवानाचार्य में जो सूत्र समाहित थे वही आज भी लोकतांत्रिक मूल्यों में आवश्यक व प्राथमिक तत्व माने जाते हैं। हमारे यहां लोकतंत्र प्राचीन समय से संचालित होता चला आया है। कालक्रम, सभ्यता के विकास, आवश्यकता और व्यवहारिकता के कारण लोक से तंत्र पृथक हो गया। तंत्र महत्वपूर्ण होता चला गया। संविधान निर्माताओं ने लोक और तंत्र के बीच संबंध, संतुलन और जवाबदेही बनाये रखने के लिए अधिक लोकतांत्रिक और सर्वाधिक श्रेष्ठ शासन प्रणाली लोक तंत्र के एक रूप संसदीय शासन पद्धति को चुना। साथ ही साथ बहुदलीय व्यवस्था समय के साथ पनपती गई, जिसने गठबंधन या सांझा सरकार की व्यवस्था की संभावनाओं को प्रबल कर दिया।

लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली के अन्तर्गत गठबंधन की राजनीति वस्तुत: सरकार बनाने का एक विकल्प मात्र है। जब आम चुनावों में किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो कुछ, लगभग समान विचाराधारा वाले दल मिलकर सरकार बनाने का दावा करते हैं जो कि गठबंधन या साझा सरकार कहलाती है, तब सरकार तो बन जाती है किन्तु अब निर्माण होता है त्रिशंकु (Hung) सरकार या त्रिशंकु लोकसभा का (Hung Parliament) का।

भारत में स्वतंत्रता के पश्चात् लम्बे समय तक स्पष्ट बहुमत वाले दल की सरकार बनती रही किन्तु जब उस दल का करिश्माई व्यक्तित्व वाला तिलस्म टूटा तो यहां भी गठबंधन सरकार की स्थिति बन गई, जहां एक ओर गठबंधन सरकार लोकतंत्रात्मक संसदीय मूल्यों की रक्षा करने का विकल्प बनकर सामने आयी थी वहीं दूसरी ओर अस्थिर सरकारें, राष्ट्रीय हितों की जगह आंचलिक हितों को महत्व, संवैधानिक संस्था के महत्व में कमी, अवसरवादिता का वर्चस्व जैसे इसके कई ज्वलंत प्रश्नों को भी जन्म दिया। निश्चय ही गठबंधन सरकारों ने एक ध्रुवीय व्यक्तिवादी राजनीति को किनारे कर दिया किन्तु वही दूसरी ओर इसने अवसरवादी, क्षेत्रवादी तथा राष्ट्रहित के बजाय निजी हितों की प्रधानता वाली राजनीति को लोकतंत्र के पटल पर ला दिया।

गठबंधन राजनीति और भारतीय लोकतंत्र – गठबंधन राजनीति आधुनिक भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में एक सर्वथा राजनीतिक प्रयोग है जो कि प्राय: बहुदलीय प्रणाली वाले देश में प्रचलित होता है। बहुदलीय व्यवस्था वाले विभिन्न यूरोपीय देशों में आये दिन गठबंधन सरकारों का गठन होता रहता है। संभवत: जिसका मूल कारण स्पष्ट जनादेश का अभाव होता है।

डॉ. एन.सी. साहनी के अनुसार 'किसी साझा या गठबंधन सरकार का गठन तभी होता है जब एक सदन के विभाजित समूह अपने विभेदों का एक आश्चर्यजनिक समूह होता है बाह्य रूप से गठबंधन ठोस प्रतीत होता है किन्तु आन्तरिक रूप से यह दलगत मतभेदों से युक्त होता है और इसी कारण गठबंधन अस्थिर होता है।' इसी प्रकार ऑग के शब्दों में 'गठबंधन शब्द का प्रयोग विशुद्ध राजनीति संदर्भ में उस स्थिति के लिए किया जाता है जब विभिन्न राजनीतिक दल सरकार अथवा मंत्री मंडल बनाने के लिए तैयार हों।'

गठबंधन सरकार की कुछ विशेषताएं :

1. संसदीय लोकतंत्र में सामुहिक उत्तरदायित्व एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है, लेकिन गठबंधन सरकार वास्तव में मंत्रि परिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व का बहुत बड़ा मजाक होता है। क्योंकि इससे भिन्न-भिन्न दलों के लोग सामूहिक उत्तरदायित्व पर कम बल्कि निजी हितों पर अधिक ध्यान देते हैं।
2. एक दलीय सरकार एक अनुशासनबद्ध और सिद्धांतों को लेकर चलती है परन्तु गठबंधन सरकार के बहुरूपी होने (Heterogeneous) के कारण न्यूनतम साझा कार्यक्रमों पर सहमति बनना तथा ईमानदारी से उनका पालन होना एक कठिन कार्य होता है।
3. गठबंधन सरकार में अवसरवादिता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। गठबंधन में शामिल होने से पूर्व ही राजनीतिक दल अपनी तथा कथित सौदेबाजी को प्रारम्भ कर देते हैं, जिसमें निजी लाभ सर्वोपरि होते हैं।
4. गठबंधन वाले क्षेत्रों में कोई स्थायी संबंध नहीं होते, समय व परिस्थिति के अनुसार यह बदलते रहते हैं।

आधुनिक भारतीय लोकतंत्र के इतिहास पं. नेहरू के देहावसान के पश्चात् ही गठबंधन की राजनीति ने केन्द्रीय राजनीति को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित किया तथा इसका प्रभाव इतना दूरगामी हुआ कि स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न मस्तिष्क में उठने लगा कि क्या गठबंधन या साझा सरकार की राजनीति और संसदीय प्रणाली साथ-साथ अस्तित्व में रह सकते हैं, क्योंकि संसदीय व्यवस्था कुछ आदर्श, सिद्धांतों व मापदण्डों को लेकर चलती है।

भारत में गठबंधन राजनीति की शुरुआत – स्वतंत्र भारत में केरल में प्रथम आम चुनाव में ही गठबंधन सरकार बन गई थी। 1967 में कुछ राज्यों में कांग्रेस का प्रभाव कम हुआ और राज्यों में गठबंधन सरकार का गठन

हुआ। राष्ट्रीय स्तर पर सांझा सरकार की शुरूआत 1977 में मोरार जी देसाई सरकार के गठन के साथ ही प्रारम्भ मानी जा सकती है, किन्तु पहली वास्तविक गठबंधन सरकार 1989 की वी.पी. सिंह की राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार थी, क्योंकि इस सरकार के पूर्व इस प्रकार की जो सरकारें बनी तो उन्होंने किसी प्रकार के न्यूनतम साझा कार्यक्रम को तैयार नहीं किया था अंतत: इस गठबंधन सरकार का दुखद पहलू भी यही रहा कि पूर्व सरकार की भांति वी.पी. सिंह सरकार भी लगभग 11 माह बाद ढह गई इसके पश्चात तो गठबंधन सरकार जैसे भारतीय लोकतंत्र की मजबूरी बन गई। इस प्रकार हम देखते हैं कि 1977 की विषम राजनीतिक परिस्थितियों के फलस्वरूप अस्तित्व में आई गठबंधन सरकार के भविष्य में इसे परम्परा का रूप दे दिया और आज यह परम्परा भारतीय लोकतंत्र का यथार्थ ही नहीं बल्कि प्राणवायु (ऑक्सीजन) का रूप ले चुकी है। जिसके अभाव में भारतीय संसद निष्प्राण प्रतीत होती है। आज इस अपरिहार्य स्थिति के कारण कई अनबुझे प्रश्नों ने हमारे सामने जन्म ले लिया है। जैसा कि –

आखिर इस अपरिहार्य स्थिति के लिए कौन–सी शक्तियां जिम्मेदार हैं? क्या यह व्यवस्था देश को स्वस्थ राजनीति प्रदान कर पायेगी? क्या इसे रचनात्मक बनाया जा सकता है? क्या इसके द्वारा संसद की त्रिशंकु अवस्था को बदला जा सकता है। इसी प्रकार के और भी कई प्रश्न हो सकते हैं जो आने वाले समय में स्वत: ही स्पष्ट होंगे।

वर्तमान राजनीतिक दौर को देखते हुए स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि इस प्राणवायु के अभाव में कोई भी सरकार नहीं चल सकती और निचला सदन (लोकसभा) सदैव यूं ही अकाल मृत्यु का शिकार होता रहेगा, जैसे – 11वीं लोकसभा डेड़ साल बाद ही भंग हो गई और मई–जून 1991 में अल्प मध्यावधि चुनाव हुए। इसी प्रकार 12वीं लोकसभा भी दो साल बाद ही 1998 में गिर गई। हालांकि 13वीं लोकसभा ने अपना कार्यकाल पूरा करके गठबंधन सरकार प्रणाली के कुछ नये आयाम प्रस्तुत किये किन्तु निश्चय ही इसकी सफलता का श्रेय किसी प्रणाली या दल के बजाए सफल नेतृत्व को दिया गया। लोकसभा की अकाल मौतों और मध्यावधि चुनावों ने, भारतीय चुनावों ने भारतीय जनमानस तथा यहां के लोकतंत्र के बीच एक नई बहस को जन्म दे दिया।

तालिका 1 (अन्तिम पृष्ठ पर देखे)

जहां गठबंधन सरकारों का विकृत चेहरा 1998 के बाद देखने को मिलता है वहीं मध्यावधि चुनावों का सिलसिला 1970 में श्रीमती गांधी के काल से ही देखने को मिल जाता है। तत्कालीन राजनीति में कांग्रेसी बनाम और गैर कांग्रेसी ही लोकतंत्र की धुरी नजर आते हैं? जिसके फलस्वरूप 90 के दशक में तीन बार मध्यावधि चुनाव (1991, 1998 और 1999) सम्पन्न हुए और हर बार त्रिशंकु लोकसभा का ही गठन हुआ। इस विश्लेषण में इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्रियों में सिर्फ अटल बिहारी वाजपेयी को छोड़कर शेष सभी अपवरिपक्व राजनीतिज्ञ ही साबित हुए। श्री बाजपेयी की राजग सरकार ने विभिन्न प्रकार के चक्रवातों, झंझाबातों का सामना करते हुए 13वीं लोकसभा को सफलतापूर्वक लगभग साढ़े चार वर्ष तक चलाया और यदि वह अपनी राजस्थान, छत्तीसगढ़ तथा मध्यप्रदेश की चुनावी सफलताओं से अति उत्साहित होकर अपनी सरकार समय से पूर्व भंग न करते तो 13वीं लोकसभा अबाध रूप से अपना कार्यकाल पूरा करती। तकनीकि दृष्टि से देखें तो राजग इतिहास बनाते समय चूक गया क्योंकि कोई भी गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सका था।

यदि स्पष्ट बहुमत के आधार पर देखा जाये तो 14वीं लोकसभा के भी त्रिशंकु लोकसभा ही कहा जायेगा क्योंकि पहले चुनावों में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं प्राप्त हो सका था। चुनाव के बाद संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) अस्तित्व में आया जो कि विभिन्न दलों का एक गठबंधन ही है।

14वीं लोकसभा की स्थिति

यू.पी.ए. (संप्रग)	–	126
राजग	–	187
वामपन्थी दल	–	62
समाजवादी पार्टी	–	36
बहुजन समाज पार्टी	–	19
अन्य	–	25

जैसा कि स्पष्ट है कि गठबंधन या साझा सरकार अब कोई नई बात नहीं रह गई है किन्तु यह भी सच है कि 13वीं व 14वीं लोकसभाओं में गठबंधन की राजनीति में नये आयाम जोड़े और इस प्रणाली को लगभग सर्वमान्य कर दिया। आज हम प्रत्यक्ष रूप में भले ही गठबंधन सरकार का पहला उदाहरण वी.पी. सिंह सरकार को बतायें किन्तु इस विचारधारा का जन्म तो 1977 की थी, मोरार जी देसाई सरकार से हो गया था क्योंकि जनता पार्टी सतही तौर पर भले ही एक ही राजनीतिक दल प्रतीत होता हो किन्तु वास्तव में वह अप्रत्यक्ष रूप से विभिन्न विचारधारा वाले दलों का ही गठबंधन था जिसमें तत्कालीन जनसंघ के अलावा स्वयं कांग्रेसी मोरारजी देसाई, समाजवादी नेता मधुलिमये, जार्ज फर्नाण्डीज, राजनारायण तथा सुरेन्द्र मोहन आदि व भारतीय क्रांति दल के चरण सिंह घटक जैसे लोग भी शामिल थे तथा चुनाव के ठीक समय पर वरिष्ठ कांग्रेसी हेमवती बहुगुणा तथा बाबू जगजीवनराम भी देसाई सरकार में शामिल हो चुके थे। इन दोनों नेताओं ने तो 'कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी' नामक दल की स्थापना करके लोकसभा चुनाव में 28 सीटें भी जीत लीं थीं। इन सीटों को मिलाकर देसाई सरकार को 298 सांसदों का समर्थन प्राप्त हो गया था। इस प्रकार 1977 के राजनीतिक परिदृश्य का अर्थ यह हुआ कि गठबंधन सरकार का इतिहास तो 1977 के पूर्व ही प्रारम्भ हो गया था। महत्वपूर्ण तथ्य है कि देसाई सरकार में तत्कालीन गांधीवादी, हिन्दूवादी तथा समाजवादी तीनों विपरीत व विरोधी विचारधाराओं के नेता शामिल थे साथ ही वामपंथी दलों ने भी बाहर से ही सही किन्तु इस सरकार को तीनों विपरीत व विरोधी विचारधाराओं के नेता शामिल थे, साथ ही वामपंथी दलों ने भी बाहर से ही किन्तु इस सरकार को अपना समर्थन दिया था क्योंकि सभी की संयुक्त शत्रु एक ही थी – इंदिरा गांधी। इस सभी ने 'इंदिरा हटोओं – देश बचाओ' का नारा देकर आपातकालीन राजनीति का पलटवार हमला किया और कांग्रेस को सत्ता से हटाने में सफलता पाई। त्रिशंकु लोकसभा की पुनरावृत्ति करीब एक दशक के पश्चात् पुन: हुई जबकि तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस परास्त हुई थी। 1989 में आम चुनावों में कांग्रेस केवल 193 सीटें ही जीत पाई थी। इसके विपरीत विश्वनाथ प्रताप सिंह और चौधरी देवीलाल के नेतृत्व में जनता दल के झंडे तले विपरीत विचारधारा व प्रतिबद्धता वाले तथ्व संगठित हो गये। इसको कांग्रेस के बाद सबसे अधिक 141 सीटें मिलीं। इसके कई क्षेत्रीय दलों ने इसे अपना समर्थन प्रदान किया। साथ ही भारतीय जनता पार्टी (सीट–88) और वामदलों (सीट–51) ने सरकार से

बाहर रहकर सत्तारूढ़ जनता दल को अपना समर्थन दिया। इस त्रिशंकु लोकसभा का उल्लेखनीय पहलू यह है कि मोरार जी देसाई की तरह विश्वनाथ प्रताप सिंह भी विद्रोही कांग्रेसी प्रधानमंत्री थी। उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नेतृत्व के खिलाफ विद्रोह किया। उनके साथ अन्य विद्रोहियों में शामिल थे - विद्याचरण शुक्ल, अरुण नेहरू, आरिफ खान जैसे वरिष्ट कांग्रेसी नेतागण जो अब जनतादल में थे।

गठबंधनीय राजनीति का यह भी एक प्रयोग था जो कि पूरी तरह सफल नहीं हो सका। यह सरकार गठन के समय से ही अनेक मतभेदों से गुजर रही थी। देवीलाल प्रभावी होते हुए भी प्रधानमंत्री न बन सके और अनमने ढंग से उपप्रधानमंत्री बने थे फिर 1990 में मंडल और कमंडल के बीच आत्मघाती भिड़ंतों का दौर शुरु हो गया। प्रधानमंत्री श्री सिंह मंडल आयोग की सिफारिशों के माध्यम से पिछड़ों को आरक्षण प्रदान करके अपने नेतृत्व को सुद्रढ़ बनाना चाहते थे। इस प्रक्रिया से उनके वरिष्ठ साथी चौधरी देवीलाल और समर्थक घटक भाजपा के राजनीतिक आधार प्रभावित हो रहे थे। भाजपा ने अपने साम्प्रदायिक हिन्दु आधारों की सुरक्षा व सुद्दढ़ीकरण के लिए कमंडल अर्थात सोमनाथ से अयोध्या रथ यात्रा भाजपा ने हिन्दू मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए प्रारम्भ की थी। यात्रा का शंख बजाकर यह संकेत दे दिया था कि वह चुनाव के लिए तैयार है। बिहार के समस्तीपुर में जब लालकृष्ण आडवानी को यात्रा के दौरान गिरफ्तार किया गया तो भाजपा ने अपने 88 सांसदों की सिंह-सरकार से समर्थन वापस लेने की घोषणा कर दी। नतीजा सिंह सरकार का पतन हो गया। लेकिन गनीमत यह रही कि लोकसभा भंग नहीं हुई। क्योंकि कांग्रेस, भाजपा के हिन्दू कार्ड के प्रभाव को देखते हुए चुनाव कराने के पक्ष में नहीं थी। उसने जनता दल से टूटकर आये 55 सांसदों के समर्थन प्राप्त चन्द्रशेखर को समर्थन देकर उनकी सरकार बनवा दी इससे चुनाव टल गये, दूसरी ओर कांग्रेस भी 1979 के देसाई सरकार के परिदृश्य को दोहराने की व्यूह रचना पर काम कर रही थी। 1979 में दोहरी सदस्यता के मुद्दे पर जनता पार्टी के जनसंघी तत्वों और समाजवादी तत्वों के बीच घमासान युद्ध हुआ था। समाजवादी नेताओं - मधुलिमये, जार्ज फर्नाडिस, राजनारायण आदि ने मांग की थी कि जनसंघी नेताओं - बाजपेयी, लालकृष्ण आडवानी आदि को चाहिए कि वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ अपना कोई संबंध नहीं रखे। वे केवल प्रधानमंत्री देसाई के निर्देशों का ही पालन करें, पर सरकार में शामिल जनसंघी मंत्रियों (विदेश मंत्री, वाजपेयी, सूचना एवं प्रसारण मंत्री लालकृष्ण आडवानी) ने इस मांग को अस्वीकार कर दिया वहीं चरण सिंह अवसर की तलाश में थे और उनके अंदर प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा को कांग्रेस भांप चुकी थी, कुछ और कारण जुड़ते गये और नतीजतन देसाई सरकार का पतन हो गया और कांग्रेस के समर्थन में चौ. चरणसिंह की सरकार सत्ता में आई। लेकिन चंद दिनों के बाद ही कांग्रेस ने सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया लेकिन चरण सिंह ने लोकसभा भंग की सिफारिश कर दी यद्यपि बाबू जगजीवनराम ने सरकार बनाने का दावा प्रस्तुत किया था लेकिन राष्ट्रपति नीलम संजीवन रेड्डी ने उसे स्वीकार नहीं किया और न ही कांग्रेस को सरकार बनाने का अवसर दिया बल्कि लोकसभा भंग कर नये चुनाव के निर्देश दिये। मध्यावधि चुनावें की घोषणा के साथ लोकसभा भंग हो गई।

1990 में वी.पी. सिंह सराकार के पतन के पश्चात जब चंद्रशेखर ने अपनी सरकार बनाने की घोषणा की तो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष व पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने तुरन्त ही 193 संसदों के समर्थन की घोषणा कर दी। 7 नवम्बर को सिंह-सरकार का पतन हुआ और तीन दिन बाद 10 नवम्बर को चन्द्रशेखर ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। जनता दल में विभाजन हो गया और जनता दल (सेक्यूलर) नाम से नई पार्टी अस्तित्व में आई, जिसे करीब 55-60 सांसदों का समर्थन प्राप्त था। ये सांसद जनता दल से टूटकर जनता दल (से) में शामिल हुए। कांग्रेस ने 1979 की पुरानी चाल चली और चंद महीनों के बाद ही चन्द्रशेखर सरकार से एक छोटे विवाद के चलते अपना समर्थन वापस ले लिया। वजह प्रधानमंत्री चन्द्रशेखर द्वारा राजीव गांधी की जासूसी। यह एक छिछला बहाना था, समर्थन-वापसी का। लेकिन इस बार लोकसभा को भंग करना पड़ा।

उल्लेखनीय है कि मई व जून 1991 में सम्पन्न लोकसभा के चुनावों में कांग्रेस का स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। उसे केवल 244 सीटें मिली जो कि बहुमत से कम थीं। एक बार फिर त्रिशंकु लोकसभा गठित हुई लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिंह राव ने अल्पमतीय सरकार के बावजूद लोकसभा को सफलतापूर्वक पांच वर्ष तक जीवित रखा। इसके लिए उन्हें काफी जोड़-तोड़ करनी पड़ी। उन पर झारखण्ड के 11 सांसदों को खरीदने का आरोप भी लगा। अदालत में मुकदमा भी चला, पर वे जैसे-तैसे त्रिशंकु लोकसभा की नैया को खेते रहे और देश की मध्यावधि चुनावों से बचाए रखा। लेकिन राजनैतिक नैतिकता के मूल्यों की बलि अवश्य चढ़ायी गई। विरोधी विचारधारा के क्षेत्रीय दलों को भी महत्व देना पड़ा। इस लोकसभा में भाजपा की शक्ति में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। भंग लोकसभा में उसकी 86 सीटें थीं जो कि बढ़कर 119 पहुंच गईं। 1996 के आम चुनावों में फिर त्रिशंकु लोकसभा का जनादेश मिला। किसी भी राष्ट्रीय दल या गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। यद्यपि 161 सीटों के साथ भाजपा सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। सत्तारूढ़ कांग्रेस को 140 सीटें ही प्राप्त हो सकीं। लेकिन भाजपा ने सदन में सबसे बड़े दल के नाते सरकार बनाने के दावा पेश कर दिया। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. शंकरदयाल शर्मा ने सबसे बड़े दल को आधार बनाकर भाजपा नेता अटलबिहारी वाजपेयी को सरकार बनाने का अवसर भी दिया और 15 दिन के भीतर अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए भी कहा। भाजपा को उम्मीद थी कि गैर कांग्रेसी दल उसे अपना समर्थन देने की घोषणा करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसकी वजह थी कि 1992 के 6 दिसम्बर को अयोध्या में हुए बाबरी मस्जिद विध्वंश का आरोप इन पर था जिसमें कोई भी इनका सहभागी नहीं बनना चाहता था। इस बहुआयामी त्रासदी के बाद से भाजपा राजनीतिक क्षेत्रों में लगभग 'अछूत' सी हो गई थी। वांछित समर्थन के अभाव में वाजपेयी की 13 दिन में ही सरकार का पतन हो गया और कांग्रेस के समर्थन पर विभिन्न क्षेत्रीय दलों ने मिलकर संयुक्त मोर्चे का गठन किया जिसमें कर्नाटक के मुख्यमंत्री एच.डी. देवगौंणा के नेतृत्व में सरकार चलना प्रारम्भ हुई लेकिन गठन के समय से ही मंत्रालयों को लेकर, न्यूनतम सांझा कार्यक्रमों को लेकर कांग्रेस की महत्वाकांक्षा को लेकर इस सरकार में मतभेद उभर कर सामने आने लगे। अंतत: कुछ महीनों में ही कांग्रेस ने देवगौंणा से अपना समर्थन वापिस लेकर देश को एक बार फिर अस्थिरता के दौर में ढ़केल दिया। कांग्रेस के अध्यक्ष सीताराम केसरी चाहते थे कि अन्य दल कांग्रेस को सपोर्ट करें और कांग्रेस नेतृत्व में सरकार बने लेकिन बात नहीं बन सकी। परिणाम स्वरूप कांग्रेस ने आई.के. गुजराल को प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार किया और इस सरकार को समर्थन दिया लेकिन राजीव गांधी हत्याकांड के मामले को लेकर डी.एम.के. से मतभेद के चलते इस सरकार को भी नहीं चलने दिया और देश में पुन: चुनाव हुए।

चुनाव पश्चात् 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में गठबंधन सरकार का गठन हुआ जिसमें ए.आई.डी.एम.के. की नेता जयललिता से मतभेदों के चलते इस सरकार को एक वोट से पराजित होना पड़ा और देश पुन: चुनाव का सामना करने के लिए तैयार हुआ। 1999 में पुन: एक बड़ी ताकत के रूप में उभर कर भाजपा ने वाजपेयी जी के नेतृत्व में रा.ज.ग. सरकार का गठन किया, यह सरकार सफलता के साथ आगे बढ़ रही थी लेकिन 4 वर्ष 6 माह में इस सरकार ने चुनाव कराने का निर्णय लिया जिससे परिणाम बदल गये और कांग्रेस के नेतृत्व में यू.पी.ए. गठबंधन ने काम करना प्रारम्भ किया जो 2014 तक चला। 2014 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव का विगुल बजाया और इसमें भाजपा अकेले ही बहुमत लेकर आयी लेकिन उसने अपने गठबंधन को नहीं छोड़ा। यद्यपि कुछ क्षेत्रीय दलों से मतभेदों के चलते उसे कुछ परेशानियां हुई परन्तु, चूंकि वह अकेले बहुमत में थी इसलिए उसे ज्यादा चिंता भी नहीं। यही स्थिति 2019 के लोकसभा चुनाव में हुई जबकि भाजपा और मजबूत होकर उभरकर सामने आयी और लोकसभा में स्पष्ट बहुमत से बहुत अधिक बहुमत उसे प्राप्त हुआ।

2014 व 2019 के आम चुनाव में यह स्पष्ट कर दिया कि कम से कम केन्द्र में अब गठबंधन सरकार के आसार कम हैं क्योंकि राष्ट्रीय दल कांग्रेस, बसपा, माकपा, भाकपा अपने सबसे खराब दौर से गुजर रहीं हैं। क्षेत्रीय दल भी अपने राज्य में ही अपने बजूद को बचाने की कवायद में लगे हुए हैं लेकिन राज्यों में आज भी गठबंधन सरकारों के गठन व महत्व को नकारा नहीं जा सकता। महाराष्ट्र, बिहार, केरल में ऐसी ही सरकारें काम कर रही हैं। आगे भी राज्यों में गठबंधन सरकारों के गठन की संभावनाओं को अस्वीकार नहीं किया जा सकता।

त्रिशंकु लोकसभा और गठबंधन सरकार के उदय के लिए मूलत: राष्ट्रीय दल अधिक जिम्मेदार हैं। क्योंकि ये दल देश के विषमताहीन विकास का मार्ग प्रशस्त नहीं कर सके जिसके फलस्वरूप कई ऐसे घटकों ने जन्म लिया जो गठबंधन राजनीति के उदय के कारण बने। जैसे –

1. क्षेत्रीय असंतुलन में बढ़ोत्तरी।
2. सामाजिक विषमता गहराई।
3. उभरती क्षेत्रीय महत्वाकांक्षी का प्रतिनिधित्व करने में विफलता।
4. कल्पनाहीन व समग्रताहीन नेतृत्व।
5. नई आक्रामक जातीय अस्मिताओं पर आधारित राजनीति।
6. क्षेत्रीय अथवा राजय स्तरीय दलों का केन्द्र में बढ़ता प्रभाव।
7. गैर-एकाधिकारवादी पूंजीवाद का विस्तार।
8. एक ध्रुवीय करिश्माई नेतृत्व का अंत।
9. उग्रवादी साम्प्रदायिकता का उदय तथा
10. राजनीति का अपराधीकरण।

तालिका 2 (अन्तिम पृष्ठ पर देखे)

गठबंधन सरकारें पराकाष्ठा कहें या त्रासदी, यह यथार्थ भारतीय राजनीति की नियति बन चुका है प्राय: यह कहा जाता है कि गठबंधन राजनीति और मिलीजुली सरकार की दृष्टि से भारतीय नेतृत्व व राजनीति परिवक्त नहीं हुई है। क्योंकि इसमें गठबंधन के घटकों के निजी एजेण्डे व घोषणा पत्र होते हैं। गठबंधन के नेतृत्व को घटक के दबावों के अन्तर्गत काम करना पड़ता है। यद्यपि इस दृष्टि से भाजपा नेतृत्व वाले राजग ने करीब साढ़े चार वर्ष तक और 2014 के कार्यकाल को पूर्ण किया। 2019 के कार्यकाल को भी पूर्ण आत्मविश्वास के साथ पूरा करने का उसकी कार्य योजना है। सफलतापूर्वक सरकार चलाकर एक रिकार्ड बनाया है, पर यह सही है कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को जयललिता, ममता बनर्जी, ओमप्रकाश चौटाला, डी.एम.के., शिवसेना के बालठाकरे आदि की घातक तुनकमिजाजियों को भी आये दिन बर्दाश्त करना पड़ा था। जार्ज को दिल्ली-कलकत्ता-चेन्नई के बीच झूलते रहना पड़ता था। अडवानी और प्रमोद महाजन को ठाकरे को मनाने के लिए नई दिल्ली और मुंबई के बीच हवाई दौड़ें लगाने पड़ते थे। यद्यपि 24 घटकों के महाभानुमति के कुनबे की वाजपेयी सरकार ने अपना कार्यकाल तो पूरा कर लिया लेकिन शासन पूर्ण तनाव में चला। चूंकि 2014, 2019 में भाजपा अकेले ही बहुमत में रही तो इसमें सरकार की स्थिरता, आत्मविश्वास अलग से दिखाई दिया। इसी के चलते मोदी सरकार ने तीन तलाक, धारा 370 की समाप्ति जैसे बड़े कदम उठा लिए।

भाजपा का बढ़ता हुआ प्रभामंडल अन्य राष्ट्रीय क्षेत्रीय दलों के कमजोर स्थिति में यह तो स्पष्ट कर दिया कि राष्ट्रीय स्तर पर अब यदि गठबंधन सरकारें चलेंगी तो इसमें राष्ट्रीय दल का दर्जा ऊंचा ही रहेगा। सहयोगी दलों को राष्ट्रीय दल के प्रभाव को स्वीकार करना होगा। जैसे रा.ज.ग. में टी.डी.पी. व अकाली दल से मतभेद के चलते भाजपा ने झुकना पसंद नहीं किया, परन्तु बहुदलीय व्यवस्था वाले राष्ट्र में गठबंधन सरकारों की संभावनाओं को नकारा भी नहीं जा सकता और कम से कम राज्यों में इसकी संभावनाएं अब प्रबल दिखाई दे रही हैं। इसके चलते ही कांग्रेस जैसा राष्ट्रीय दल भी क्षेत्रीय दलों से समझौता के लिए तैयार है अत: आवश्यक है कि ऐसी सरकारों के गठन में कुछ सिद्धांत तय होने चाहिए। केवल अवसरवादिता लोकतंत्र को पक्षाघात की ओर ले जायेगी।

गठबंधन राजनीति के संबंध में कुछ सुझाव – आज जब भारतीय लोकतंत्र में गठबंधन राजनीति अपरिहार्य तथा लगातार खण्डित जनादेश के कारण एक राजनीतिक वास्तविकता बन चुकी है तब इस मजबूरी के साथ समझौता करने अर्थात गठबंधन सरकार को सफलतापूर्वक चलाने के संबंध में कुछ सुझाव दिये जा सकते हैं। जैसे –

1. चुनाव से पूर्व बने गठबंधन को ही गठबंधन सरकार का आधार माना जाना चाहिए। इसमें अवसरवादिता का तत्व अपेक्षाकृत कम पाया जाता है।
2. गठबंधन सरकार का नेतृत्व उसी दल को करना चाहिए, जिसे सर्वाधिक सीटें प्राप्त हुई हैं। मंत्रीमंडल में दल को उसे मिली हुई सीटों के अनुपात में ही स्थान दिया जाना चाहिए।
3. गठबंधन सरकार का गठन किसी सहयोगी दल के बाहर से प्राप्त समर्थन के आधार पर नहीं होना चाहिए, सभी दलों की सरकार में निश्चित भागीदारी होनी चाहिए।
4. सभी सहयोगी दलों अपने उत्तरदायित्व के निर्वाहन के लिए बाध्यकारी व्यवस्था होनी चाहिए।
5. गठबंधन सरकार का समय-समय पर घोषणा पत्र पर आधारित मूल्यांकन तथा सफल संचालन हेतु आवश्यक मंत्रणा का प्रावधान होना चाहिए।
6. संविधान संशोधन के माध्यम से लोकसभा को पांच वर्ष तक जीवित रखने का प्रावधान होना चाहिए। सरकार किसी की भी आये अथवा जाये।

7. अवसरवादी, बरसाती राजनीतिक दलों की रोकथाम के प्रयास किये जाने चाहिए।
8. प्रत्येक सहयोगी दल यह चाहता है कि महत्वपूर्ण विभाग/मंत्रालय उसके पास होना चाहिए। इसके लिए वैधानिक प्रावधान तो संभव नहीं है, समझौतावादी शैली को महत्व दिया जाना चाहिए।
9. क्षेत्रीय दलों को राष्ट्रीय हितों पर व्यापक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।
10. इसी प्रकार विभिन्न संवेदनशील मुद्दों जैसे - कश्मीर समस्या, समान आचार संहिता, धार्मिक अथवा जातीय उन्माद, राज्यों का पुर्नगठन, परिवार नियोजन, चुनाव सुधार, संविधान संशोधन प्रक्रिया, पर्यावरण, व्यापार एवं वाणिज्य कृषि, राजनीति का अपराधीकरण, पूंजी का वर्चस्व, आरक्षण नीति, साम्प्रदायिक दंगे तथा अन्तर्राज्यीय नदी जल विवाद आदि, जैसे गम्भीर मुद्दो के बीच आधारभूत-न्यूनतम सहमति अवश्य बननी चाहिए जो राष्ट्र व लोकहित में जो अपनी सफल भूमिका निभा सकें। वास्तव में तभी भारतीय लोकतंत्र में गठबंधन राजनीति लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षक व ऐतिहासिक परिणामों वाली हो सकती है।

संसदीय व्यवस्था अधिक उत्तरदायी, जवाबदेही वाली और अधिक लोकतांत्रिक व्यवस्था है परन्तु इसकी सफलता कुछ तय प्रतिमानों पर सुनिश्चित होती है। हमारे राजनैतिक दलों को उन प्रतिमानों का, सिद्धांतों का सम्मान करना होगा अन्यथा अवसरवादिता लोकतंत्र की गरिमा को क्षीण कर देगी।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. साहनी एन.सी. (सम्पा.), भारत में गठबंधन राजनीति, पे. 17-18
2. ऑग एफ.ए., 'गठबंधन' सामाजिक विज्ञान के एनसाइक्लोपीडिया में, पे. 600
3. डॉ. बसु डी.डी., भारत का संविधान एक परिचय, प्रेंटिसहाल, ऑफ इंडिया (प्रा.) लिमि. नई दिल्ली, 1998
4. डॉ. कश्यप सुभाष सी., भारत का संविधान, ने.बु.ट्र., नई दिल्ली, 2001
5. डॉ. जैन पुखराज, राजनीति विज्ञान, सहि.भ.पब्लि. आगरा, 2003
6. डॉ. श्यामसुंदरम् जे. तथा शर्मा सी.पी., राजनीति विज्ञान, रामप्रसाद एण्ड संस, भोपाल 1997
7. डॉ. नंदलाल, राजनीति विज्ञान, शिवलाल अग्रवाल एण्ड कम्पनी, इंदौर, 2001
8. डॉ. नारायण इकबाल, राजनीति विज्ञान, शिवलाल अग्रवाल एण्ड कम्पनी, आगरा 1997
9. डॉ. ग्रोवर बी.एल. एवं यशपाल, आधुनिक भारत का इतिहास, एस. चांद एण्ड कम्पनी, नई दिल्ली 2000
10. डॉ. सरकार सुमित, आधुनिक भारत, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, 2002
11. भारत 2000, भारत 2001, प्रकाशन विभाग, भारत सरकार।
12. मनोरमा इयर बुक, मलयाला मनोरमा कम्पनी लिमि., 2000
13. क्रॉनिकल इयर बुक, क्रॉनिकल्स पब्लिकेशंस, नई दिल्ली, 2001
14. मनोरमा इयर बुक, मलयाला मनोरमा कम्पनी लि. 2005
15. इंडिया टुडे (साप्ता.) जून, जुलाई 2004
16. आउट लुक (साप्ता.) मई, जून, जुलाई 2004
17. दैनिक जागरण, नई दिल्ली, मई-जून 1998 तथा अप्रैल-मई-जून 2004
18. हिन्दुस्तान, लखनऊ, मई-जून 1998, अप्रैल-मई-जून 2004
19. टाईम्स ऑफ इंडिया, नई दिल्ली, मई-जून 2004
20. दैनिक नव दुनिया, जून 2009
21. दैनिक भास्कर, जून 2014
22. पत्रिका समाचार पत्र, जून 2019
23. दैनिक नव दुनिया, अगस्त 2022

तालिका 1 : लोकसभा का असामयिक विघटन

विघटितलोकसभा	वर्ष	प्रधानमंत्री	राजनीतिकाल	विघटन का कारण	आगामीचुनाव वर्ष
चौथी	1971	इंदिरा गॉधी	कांग्रेस (आई)	अल्पमत	1971
छटवीं	1979	चरण सिंह	भ्रा.क्रांति दल	मुख्य घटक द्वारा समर्थन की वापसी	1980
नौवीं	1991	चन्द्रशेखर	जनता (एस)	मुख्य घटक द्वारा समर्थन की वापसी	1991
ग्यारहवीं	1998	इन्द्रकुमार गुजराल	संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा	मुख्य घटक द्वारा समर्थन की वापसी	1998
बारहवीं	1999	अटल बिहारी बाजपेयी	राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग)	सदन में पराजित	1999
तेरहवीं	2004	अटल बिहारी बाजपेयी	राजग	मंत्रीमंडल की स्वेच्छा से	2004

तालिका 2 : चौदहवीं लोकसभा में आपराधिक पृष्ठभूमि के सांसदों की स्थिति इस प्रकार है -

एन.डी. (राजग)	सांसद	यू.पी.ए.(संप्रग)	सांसद	वामपंथी दल	सांसद	अन्य	सांसद
भाजपा	26	कांगेस	15	सीपीएम	05	एस.पी.	11
शिवसेना	04	राजद	10	सीपीआई	02	बीएसपी	07
अकाली दल	04	जेएमएम	03	फारवर्ड ब्लॉक	01	जद-स	01
जद-यू	02	एनसीपी	05		.	-	.
जद-बीज	01	डीएमके	02		.	-	.
—	.	एलजेएसपी	01		.	-	.

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XL

The Impact of COVID-19 on Nursing Education

Malini Johnson*

*Asst. Professor (Botany) Government College, Sanwer, Indore (M.P.) INDIA

Abstract - The education suffering from negative impacts of pandemic of novel corona virus, Covid-19 has significantly disrupted every area of student's life. In this study analyzed the impact of covid-19 on the nursing students using sampling method with 450 students from nursing college Indore. India is moving to a knowledge driven society to create good graduate nurses with practical knowledge.

The nursing college was closed and the college cannot suffer loss of contact hours between the tutors and the nursing students. Hence, the nursing college was focused to adopt online teaching methodology with some preparation. This paper aims in understanding the nursing education impact, Indore (M.P.) during the covid-19. Nursing students has facing problems during the lockdown.

Keywords: Nursing students, education, Impact.

Introduction - Indore is the largest city. It situated on the southern edge of Malwa Plateau. Indore is Located at altitude of 553 meters above sea level. In ancient time going to college is the best public policy tool available to growing skills. Nursing college are facing the troubles, Nursing education has taken a big hit as it involves practical work. Nursing teaching is moving online, power point presentation on and without tested scale. Nursing student's assessments are also moving online with a different trial for everyone. COVID-19 has change the education system within a very short term. All nursing colleges have turned towards using digital teaching learning process.

Young men of Swedish Carlsson et.al.(2015) consider a situation and they have prepare important tests, The authors to identify a causal effect of schooling on skills.

The unique COVID-19 pandemic poses a significant risk to global health. It was initially identified as instances of pneumonia of unknown origin when it first appeared in December 2019 and came from Wuhan, China. 2020 (Wang et al.) The WHO categorised COVID-19 as a public health emergency as of January 30th, 2020, and as of March 11th, 2020, due to the worrisome surge in transmission, it was designated as a pandemic. 2020 (Liu at al.)

Clinical rotations and on-site classes for medical students were postponed in all provinces. Decisions have to be made right away, just like in any emergency or unusual circumstance. Due to the very condensed nature of medical curricula, there was an immediate transition to online teaching platforms as a means of making up for the loss of in-person large group lectures and in-hospital instruction. While earlier studies looked on how the current pandemic is affecting medical education (Dhillon et. al.2020)

Objectives : To study the impact were nursing college due to covid-19 pandemic on nursing education in Indore (M.P.). Worldwide alterations and disturbances in medical education were caused by the Covid-19 epidemic. We assessed medical students' perceptions of training, their experiences during the epidemic, and modifications to teaching strategies.

Materials And Methods: To make sure the draught questionnaire was clear, 50 participants took part in an initial test of the concept of an anonymous online survey. At the beginning of the questionnaire, the purpose and data usage were briefly outlined.

To summarise the gathered data, descriptive statistics were displayed as counts and percentages. To assess the pandemic lockdown's impact on online learning.

Nursing students Indore(M.P.), aged 18 or over and enrolled in a nationally qualified nursing colleges were eligible to take part in this survey.

Result: Mean age of the participants was 28.7years (*SD* =5.2). The age range was 17–44 years. Most of the students (79%) had studied up to secondary or tertiary education. The average scores of technology knowledge on online teaching, were 57.6%. The average score on the overall total knowledge was 56.4% (95% CI = 51.1–61.7%).

Factors that could have a detrimental overall effect on medical student training

Overall, 81.7% of participants (n = 286) reported that the Covid-19 pandemic negatively impacted their education as medical students, while 18.2% (n = 64) did not. On univariate analysis, female gender, a decrease in face-to-face lectures, tutorials, ward-based teaching, theatre sessions, conferences, and simulation sessions were

associated with a significantly higher proportion of students reporting an overall negative impact on training as opposed to participants who were not female or did not report a decrease in any of the previous teaching methods.

Conclusion: With the government having no real control over the educational system, it is clear that the COVID-19 pandemic has caused some kind of educational anarchy. The entire educational system will stagnate or possibly collapse if the appropriate steps are not implemented on time. Under the direction of the relevant staff, a taskforce on education needs to be established in each province to investigate options, provide quick fixes, and help instructors make up for lost time. The new initiatives must take advantage of low-tech strategies and offer certain e-learning platforms to those students who have access to technology because the bulk of pupils have almost no access to it.

References:-

1. Carisson, M, Dahl, GB, Ockert, B. and Rooth, D.(2015) : The effect of Schooling on cognitive skills.Review of economics and statistics 97(3):pp 533-547.
2. Dhillon J, Salimi A, ElHawary H. Impact of COVID-19 on Canadian medical education: pre-clerkship and clerkship students affected differently. *J Med Educ Curric Dev*. 2020;7:2382120520965247. 10.1177/2382120520965247 [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
3. Liu YC, Kuo RL, Shih SR. COVID-19: the first documented coronavirus pandemic in history. *Biomed J*. 2020;43(4):328-33. 10.1016/j.bj.2020.04.007 [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
4. Wang L, Wang Y, Ye D, Liu Q. Review of the 2019 novel coronavirus (SARS-CoV-2) based on current evidence. *Int J Antimicrob Agents*. 2020;55(6):105948. 10.1016/j.ijantimicag.2020.105948 [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XL

गोस्वामी तुलसीदास जी का प्रेम प्रवाह

डॉ. संगीता धुर्वे*

* सहायक प्राध्यापक (हिन्दी) पं. एस. एन. शुक्ला विश्वविद्यालय, शहडोल (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – प्रेम ही जीवन का सार है प्रेम जोड़ता है, तोड़ता नहीं। गोस्वामी जी ने प्रेम को महत्ता देते हुये 'रामचरण रति' को निर्वाण का साधन बताया है बल्कि यह कहना चाहिये कि सच्चा भक्त प्रेम के समक्ष निर्वाण को तुच्छ समझता है –

'जनम-जनम रति राम पद, यह वरदान न आन।'

प्रेम का सार श्री राम जी के चरणों में प्रेम है।

कुन्जी शब्द – प्रेम, जीवात्मा, परमात्मा, भक्त, विश्वास, निष्कामं।

प्रस्तावना – गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रेम को सर्वाधिक महत्ता प्रदान की है। प्रेम सबको जोड़ता है, तोड़ता नहीं और यदि वह प्रेम श्रीराम से हो तो कहना ही क्या ! प्रेम स्वयं में दिव्य भाव है, प्रेम के बिना मानव जीवन ही क्या, पशु-पक्षियों का जीवन भी नही चल सकता –

'हित अनहित पसु पच्छिउ जाना' । (1)

मानव का जीवन प्रेम के बिना अमंगलकारी है, इसलिये कबीर को कहना पड़ा-

'जेहिं घट प्रीति न संचरै सो घट जान मसान'। (2)

प्रेम संसार की नस-नाड़ी में जीवनी धारा बनकर बहता है। प्राणदाता प्रेम ही है, जो जड़ को चेतन और चेतन को जड़ बना देता है।

'जो चेतन कहँ जड़ करई जड़हिं करइ चौतन्य'। (3)

मछली, पपीहा, चातक प्रेम के अनन्य प्रतीक हैं। जल को छोड़कर सारा संसार मछली का बैरी हैं। वैसे ही श्री राम के अतिरिक्त कोई भी जीवात्मा का अनन्त प्रेमी नही

'ज्यो बैरी मीन को, आपु सहित बिनु बारि।
त्यों तुलसी रघवीर बिनु गति आपनी बिचारि' ॥

प्रेम प्रवाह – प्रेमी की गति – मति उसका अराध्य ही है– यह प्रेम ही है जो जीवन को सार्थक बना देता है। इसीलिये भक्त की गति और मति श्री राम के प्रति प्रेम ही है। उसी का जन्म सार्थक है और उसी को विधाता ने जगत् में जन्म लेने फल यर्थात् रूप से उसी को प्रदान किया है जो श्री राम का प्रेमी है-

'राम सनेही राम गति राम चरन रति जाहि ।
तुलसी फल जग जनम को दियो बिधाता ताहि' ॥ (5)

'सहज सनेही किसी स्वार्थ का अनुगामी नहीं।' प्रेम निर्वाक् और मौन है। विषय रस से विमुक्त हुये बिना प्रेम का स्वाद नहीं चखा जा सकता। यदि स्वाभाविक प्रेम नहीं होगा, तो मूड़ मुड़ाने और वैरागी का स्वांग भरने से कोई प्रेमी और सहज प्रेम का अधिकारी नहीं बन जायेगा-

'तुलसी जौ पै राम सों, नाहिन सहज सनेह ।
मूँड़ मुड़ायो बादिहीं, भाँड़ भयो तजि गेह' ॥ (6)

वहीं यदि मन में संतोष है तो प्रेमी प्रेम के नगर में प्रवेश कर लेता है। गोस्वामी जी ने संतोष को पांचवीं भक्ति कहा है-

'पंचम जथा लाभ संतोषा, सपनेहुँ नहिं देखिअ पर दोषा' । (7)

जथा लाभ संतोष श्री रघुनाथ जी चरणों में प्रेम का संकेतक है जैसे घोड़ा एक स्थान पर खड़े रहकर उस स्थान को छोड़ता नहीं, पर उसी स्थान की मिट्टी को बार-बार खूँदता रहता है, वैसे ही यथालाभ संतुष्ट भक्त संसार के कर्मों का करते हुए भी मन को श्री राम प्रेम में अचल रखता है –

'जथा लाभ संतोष सुख रघुबर चरन सनेह ।
तुलसी जो मन खूँद सम कानन बसहुँ कि गेह' ॥ (8)

वह व्यक्ति घर और वन में एक जैसा ही रहेगा। सच्चे प्रेमी का लक्षण यथा लाभ संतोष ही है। श्री राम के वनवास होने पर माता कौशल्या कहती हैं हे राम, राजा दशरथ जी ने तुम्हें वनवास दिया, इसका मुझे लेशमात्र कष्ट नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम्हारे लिये घर और वन एक समान हैं। मुझे तो चिन्ता इस बात की है, कि तुम्हारे न रहने पर भरत तुम्हारे पिता और प्रजा को प्रचण्ड क्लेश होगा-

'राज दे न कहि दीन्हँ बन सो दुख मोहि न लेस ।
तुम बिन भरतहिं, भूपतिहिं प्रजहिं प्रचण्ड कलेश' ॥ (9)

माँ कौशल्या का यह कथन प्रभु राम के स्वभाव के अनुकूल ही है। प्रभु श्री राम राज्याभिषेक सुन हर्षित नहीं हुए और वनवास को सुन उनकी मुख – पंकज श्री मलिन नहीं हुई-

'प्रसन्नतां या न गताभिषेकतस्तथा न मम्ले वनवासद्धुः खतः ।
मुखाम्बुजश्री रघुनन्दनस्य मे सदास्तु सा मज्जुलमण्ङल प्रदा'॥(10)

आज जब एक इंच जमीन के टुकड़े के लिए गले कट जाते हैं तब भाई के लिये सम्पूर्ण आयोध्या का राज्य छोड़कर ऐसे चल देना जैसे पथिक मार्ग में रात्रि के विश्राम के लिए मार्ग में प्रयुक्त वृक्ष को छोड़कर चला जाता है। यह प्रेम का अप्रतिम उदाहरण है। यह प्रेम ही प्रेमी को पुष्ट करता है और इस प्रेम का अभाव उसे निर्बल और शक्तिहीन कर देता है।

'रामप्रेम बिनु दूबरो, राम प्रेमहीं पीन।
रघुबर कबहूँक करहूँगे तुलसी ज्यों जल मीन' ।। (11)

जिसने प्रेम को प्राप्त कर लिया उसने मानो जन्म लेने का फल प्राप्त कर लिया। जिसकी प्रभु चरणों में प्रीति है, उसी का जन्म सफल है-

'राम सनेही राम गति, राम चरन रति जाहि।
तुलसी फल जग जनम को दियो विधाता ताहि' ॥ (12)

प्रेम तो वास्तव में चातक का ही सराहनीय है, जो कठिन परीक्षा होने और विषम परिस्थिति होने पर भी प्रिय के प्रति विश्वास नहीं छोड़ता

'बध्यां परयो पुन्य जल उलटि उठाई चोंच।
तुलसी चातक प्रेम पर मरतहुँ लगी न खोंच' ॥ (13)

इसलिए गोस्वामी जी प्रेम के साथ विश्वास को आवश्यक समझते हैं, क्योंकि श्रद्धा और विश्वास के बिना प्रेम की पीठिका तैयार नहीं होती। अत: वे मानस के प्रारंभ में ही श्रद्धा, विश्वासरूप पार्वती - परमेश्वर की वन्दना करना नहीं भूलते-

'भवानी शङ्कौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ।
याभ्यां बिना न पश्यन्ति: सिद्धा स्वातस्थ मीश्वरम' ॥ (14)

जैसे साँप को केंचुल छोड़ने पर दिखलाई पड़ने लगता है, वैसे ही विषयों से वैराग्य होने पर प्रेमपथ दिलाखाई पड़ता है-

'राम प्रेम पथ परिवसे दिए विषय तन पीठि।
तुलसी केचुल परिहरें होत सांपहू दीठि' ॥ (15)

राग एवं द्वेष को जीतकर श्रीराम जी से प्रेम करना ही भक्ति की रीति है-

'प्रीति राम सों नीति पथ चलिय राग रिस जीति।
तुलसी संतन के मते इहै भगति की रीति'॥ (16)

यह प्रेम ही तन को आदरणीय बना देता है। प्रेम के वश रूद्र ने देह को छोड़कर वानर के रूप में हनुमान होना स्वीकार किया और जगत् पूज्य बने-

'जेहि सरीर रति राम सों सोइ आदरहिं सुजान।
रूद्र देह तजि नेहबस बानर में हनुमान' ॥ (17)

निष्कर्ष - यह कहा जा कसता है गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रेम की महिमा को स्वीकार करते हुये प्रभु श्रीराम के प्रेम को महत्ता प्रदान की है। जीवन की सार्थकता राम के प्रति सत्य प्रेम ही है-

'बंदहूँ अवध भुआल सत्य प्रेम जेंहिं रामपद
विछुरत दीन दयाल सत्य प्रियतनं भ्रन इव परिहरेउ' ॥ (18)

मछली से पवित्र तीनों लोकों में कोई नहीं, क्योंकि निष्काम प्रेम करने वाली मछली जल से वियुक्त होते ही प्राण त्याग देती है-

'सुलभ प्रीति प्रीतम सबै कहत करत सब सोई।
तुलसी मीन पुनीत ते त्रिभुवन बड़ो न कोई' ॥ (19)

गोस्वामी जी का प्रेम-चित्रण श्लाध्य और अदभुत है जो विश्व - मानवता को दिशा देने में समर्थ है।

संदर्भ ग्रंथ सूची:-

1. गो. तुलसीदास, रामचरित मानस अयोध्याकाण्ड।
2. कबीर दास जी कबीर ग्रंथावली।
3. गो. तुलसी दास, दोहावली, दोहा क्रं. - 128
4. गो. तुलसी दास, दोहावली, दोहा क्रं.-56
5. गो. तुलसी दास, दोहावली, दोहा क्रं.-58
6. गो. तुलसी दास, दोहावली, दोहा क्रं. - 63
7. गो. तुलसी दास, रामचरित मानस, शबरी प्रसंग, दोहा क्र.-45
8. गो. तुलसी दास, दोहावली, दोहा क्रं. 62
9. गो. तुलसीदास, रामचरित मानस आयोध्याकाण्ड।
10. गो. तुलसीदास, रामचरित मानस आयोध्याकाण्ड, दोहा क्रं. 2
11. गो. तुलसी दास, दोहावली, दोहा क्रं.-57
12. गो. तुलसी दास, दोहावली, दोहा क्रं.-58
13. गो. तुलसीदास, रामचरित मानस आयोध्याकाण्ड, दोहा क्रं. 302
14. गो. तुलसी दास, रामचरित मानस, बालकाण्ड, श्लोक - 05, श्लोक क्रं0 02
15. गो. तुलसीदास, दोहावली, दोहा क्रं. - 82
16. गो. तुलसीदास, दोहावली, दोहा क्रं. - 86
17. गो. तुलसीदास दोहावली दोहा क्रं. - 142
18. गो. तुलसी दास, रामचरित मानस, बालकाण्ड, दोहा क्र.
19. गो. तुलसीदास, दोहावली, दोहा क्रं. 320

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XL

माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत् आवासीय एवं गैर-आवासीय छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि पर सामाजिक तनाव के प्रभाव का अध्ययन

डॉ. हरेन्द्र कुमार* सुनीता**

* एसोसिएट प्रोफेसर, शिक्षक प्रशिक्षण विभाग, दिगम्बर जैन कॉलेज, बडौत, (बागपत) (उ.प्र.) भारत
** शोध छात्रा, शिक्षक प्रशिक्षण विभाग, दिगम्बर जैन कॉलेज, बडौत, (बागपत) (उ.प्र.) भारत

शोध सारांश – वर्तमान शैक्षणिक प्रतिस्पर्घा के समय में विद्यार्थियों द्धारा अनेक प्रकार की चुनौतियॉ जैसे शैक्षिक उपलब्धि, कैरियर निर्माण, परिवार में समायोजन से लेकर विद्यालय में समायोजन, विभिन्न प्रकार के तनाव आदि अनेक ऐसी चुनौतियॉ माध्यमिक स्तर में अध्ययन करने वाले अधिकतर सभी किशोर विद्यार्थियों द्धारा समाना किया जाता है। शोधार्थनी में अपने शोध कार्य में आस पडोस के कारण होने वाले समाजिक तनाव का विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों का शैक्षिक उपलब्धि पर प्रभाव का अध्ययन करने का निर्णय किया। शोध के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य के मेंरठ मण्डल के माध्यमिक स्तर के आवासीय एवं गैर आवासीय विद्यालय कें विद्यालय में अध्ययनरत् समस्त विद्यार्थियों में से न्यायदर्श के रूप में 300 बालिकाओं का चयन याद्दच्छिक विधि द्धारा किया गया। शैक्षिक उपलब्धि में लिए स्वंनिर्मित मापनी तथा समाजिक तनाव डॉ0 आभा रानी बिष्ट मापनी का प्रयोग कर आकड़ो को एकत्र किया गया। सांख्यिकीकरण के लिए मध्यमान, मानक विचलन एवं क्रांतिक अनुपात का प्रयोग किया गया। निष्कर्षो के आधार पर ज्ञात हुआ है कि आवासीय विद्यालय की बालिकाओं में शैक्षिक उपलब्धि, तथा गैर-आवासीय विद्यालय की बालिकाओं में समाजिक तनाव अधिक पाया गया।

शब्द कुंजी – आवासीय एवं गैर आवासीय विद्यालय, शैक्षिक उपलब्धि एवं सामाजिक तनाव।

प्रस्तावना – आधुनिक वैश्विक परिद्दश्य में यह आवश्यक हो गया है कि बालिकाओं को लेकर शिक्षा और स्वास्थ्य के परिप्रेक्ष्य में पूर्णता की ओर बढ़ा जाए। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र (शैक्षिक, प्रशासनिक, चिकित्सा एवं राजनैतिक क्षेत्र) में बालिकाओं को समान अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। सम्पूर्ण राष्ट्र में बालिकाओं की शिक्षा और उनके स्वास्थ्य के स्तर को ऊँचा उठाने के लिए विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में उचित जागरूकता कार्यक्रम आवश्यक हैं। बालिकाओं को मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने के उद्देश्य से राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, जिससे कि राष्ट्र की प्रत्येक नारी में सशक्त होने की भावना जागृत हो सके। पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, अभिभावकों की जागरूकता ये सभी बालिकाओं को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों रूपों से उसके शिक्षण कार्य, समाजिक प्रोत्साहन, तनाव एवं विभिन्न भागों को प्रभावित करता है। शैक्षिक जीवन में अनेक प्रकार की उपलब्धियाँ को समान्यतह शैक्षिक उपलब्धि कहा जाता है। शैक्षिक उपलब्धि को मुख्य रूप से विद्यार्थियों द्धारा प्राप्त अंकों में आंका जा सकता है। शैक्षिक उपलब्धि के स्तर के उच्च करने के लिए बालिकाऐं विभिन्न प्रकार की चुनौतियॉ जैसे सामाजिक आर्थिक स्थित, समाजिक वातावरण, विद्यालय का स्तर, अध्यापकों की सहभागिता, तनाव, दबाव एवं दुश्चिंता आदि का सामना करना पड़ता है। इस सभी चुनौती में बालिकाओं को सर्वाधिक तनाव एवं दबाव उनकी शैक्षिक उपलब्धि को बाधित करता है। तनाव की अधिकता होने पर शैक्षिक प्रदर्शन एवं मनोवैज्ञानिक समायोजन के साथ-साथ भावनात्मक पक्ष अधिक प्रभावी होता है, **सिन्हा (2000)**। छात्राओं में शैक्षिक तनाव के स्त्रोत के अर्न्तगत परीक्षाओं के परिणाम, भविष्य की चिन्ता, परीक्षाओं के लिए अध्ययन, सीखने की विधियाँ आदि अनेक कारण है, **कोयूजामा (2004)**। सामाजिक तनाव एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक विकार या विभ्रान्ति है, जो अपरिचित लोगो से व्यवहार करने परै प्रभावित करता है। शैक्षिक उपलब्धि को लेकर छात्राओं का भय उनके सामाजिक एवं भावनात्मक तनाव के कारण प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते है। सिंह, जोगिंदर (2012) ने अपने लेख 'नो टेंशन' में लिखा कि हम यही सोचकर तनावग्रस्त रहते हैं कि हम सफल होंगे या नहीं। इससे हमारी सफलता संदेहात्मक हो जाती है और तनाव भी बढ़ता है। डब्लू0एच0ओ0 (2016) की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में लगभग 8 लाख विद्यार्थियों ने परीक्षा तनाव के कारण आत्महत्या के मामले सामने आये। भारत में यही संख्या लगभग 2500 चिंहित की गई।

शोध का औचित्य – माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में अध्ययन करने वाले सभी विद्यार्थी किशोरावस्था से समबन्धित होता है। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन उन विद्यार्थियों को समाज के सुसभ्य नागरिक बनने के लिए अभिप्रेरित करता है, यही कारण है कि इस अवस्था में विद्यार्थियों अपने कैरियर के निर्माण के लिए एवं एक अच्छा जीवन यापन करने के लिए वे अपनी शैक्षिक उपलब्धि को उच्च करने के लिए बेहद अच्छे प्रयास करते है। वही दूसरी और उन विद्यार्थियों के आस पडोस का वातावरण, शैक्षिक संस्थान, अभिभावक एवं अन्य विभिन्न प्रकार के तनाव आदि उनकी शैक्षिक उपलब्धि में बाधक पाये जाते है। शोधकर्ती ने प्रस्तुत शोध कार्य का

प्रमुख उद्देश्य यही निर्धारित किया की बालिकाओं की शैक्षिक उपलब्धि पर सामाजिक तनाव किस प्रकार प्रभावित करता है तथा विभिन्न प्रकार के विद्यालयों (आवासीय एवं गैर-आवासीय विद्यालय) में अध्ययन करने वाली बालिकाओं को सामाजिक तनाव उनकी शैक्षिक उपलब्धि को किस प्रकार प्रभावित करता है। अगर सामाजिक तनाव शैक्षिक उपलब्धि को नकारात्मक रूप से जिन कारणों द्वारा प्रभावित करता है उन सभी कारणों का पता लगाना और किस प्रकार बालिकाओं की शैक्षिक उपलब्धि को उन्नत किया जा सके।

शोध के उद्देश्य:

1. माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत् आवासीय एवं गैर-आवासीय छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि का अध्ययन करना।
2. माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत् आवासीय एवं गैर-आवासीय छात्राओं की समाजिक तनाव का अध्ययन करना।
3. माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत् आवासीय एवं गैर-आवासीय छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि का समाजिक तनाव पर प्रभाव का अध्ययन करना।

शोध परिकल्पना:

1. माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत् आवासीय एवं गैर-आवासीय छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि के मध्य कोई सार्थक अन्तर नही होगा।
2. माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत् आवासीय एवं गैर-आवासीय छात्राओं की समाजिक तनाव के मध्य कोई सार्थक अन्तर नही होगा।
3. माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत् आवासीय एवं गैर-आवासीय छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि पर समाजिक तनाव का कोई सार्थक प्रभाव नही होगा।
4. माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत् आवासीय एवं गैर-आवासीय छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि पर समाजिक तनाव के मध्य कोई सार्थक सहसम्बन्ध नही होगा।

शोध सीमाकंन – प्रस्तुत अध्ययन में आवसीय एवं गैर-आवासीय विद्यालय में अध्ययनरत् छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि एवं सामाजिक तनाव के विषय में अध्ययन किया गया।

शोध प्रविधि

अनुसंधान विधि– प्रस्तुत शोध पत्र में विवरणात्मक विधि का प्रयोग किया गया है।

न्यादर्श विधि एवं न्यादर्शन– शोध कार्य में न्यादर्श हेतु मेरठ मंडल में संचालित आवासीय एवं गैर-आवासीय विद्यालय का चयन लॉटरी विधी से किया गया शोध ने विद्यालयों की प्रकृति के आधार पर छात्राओं का चयन अस्तरीकृत यादृच्छिक विधि का प्रयोग कर 300 169 आवासीय एवं 131 गैर आवासीय छात्राओं का चयन किया गया।

शोध उपकरण – शोध कर्ता ने शैक्षिक उपलब्धि के मापन के लिए स्वंनिर्मित मापनी तथा सामाजिक तनाव के मापन हेतु '**डॉ आभा रानी बिष्ट**' द्वारा निर्मित बिष्ट बैटरी ऑफ स्ट्रेसस स्केल का प्रयोग किया गया है। सामाजिक तनाव के लिए निर्भरता गुणांक, 0.72, स्थिरता गुणांक 0.70 तथा आंतरिक दृढ़ता गुणांक 0.88 परीक्षण की वैद्यता के लिए अंतनिर्हित विषय वस्तु की मात्रा तथा संरचना वैद्यता का अनुमान टू कोल्ड फेंशन विधि का प्रयोग किया।

शोध चर– प्रस्तुत शोध कार्य में विद्यालयों की प्रकृति एवं समाजिक तनाव को स्वतन्त्र चर तथा शैक्षिक उपलब्धि को आश्रित चर के रूप से निर्धारित किया गया।

सांख्यिकीकरण– प्राप्त आंकड़ों के सांख्यिकीकरण के लिए मध्यमान, मानक विचलन, क्रांतिक अनुपात एवं सहसम्बन्ध का प्रयोग किया।

सांख्यिकी विश्लेषण एवं व्याख्या– शोधकर्ता ने आंकडों के एकत्रीकरण के पश्चात् विवरणात्मक एवं अनुमानित सांख्यकिकी का प्रयोग किया।

तालिका संख्या 1.1 कुल छात्राओं का पारिवारिक आय के आधार पर विवरण।

शैक्षिक उपलब्धि	**आवासीय**		**गैर आवासीय**	
का स्तर	कुल	प्रतिशत	कुल	प्रतिशत
उच्च स्तर	102	60.4%	12	9.2%
मध्यम स्तर	56	33.1%	52	39.7%
निम्न स्तर	11	6.5%	67	51.1%

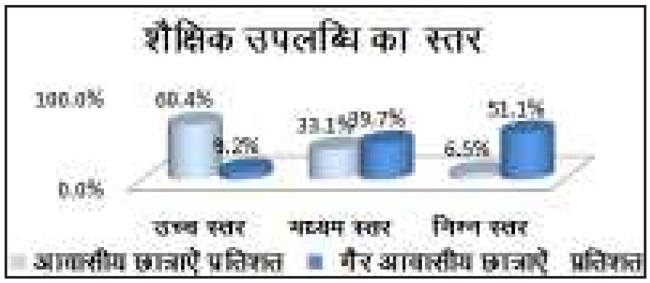

तालिका एवं आरेख संख्या 1.1 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि, आवासीय बालिकाओं में सर्वाधिक उच्च शैक्षिक उपलब्धि के स्तर में 102 (60.4 प्रतिशत) बालिकाओं की शैक्षिक उपलब्धि उच्च स्तर में, निम्न शैक्षिक उपलब्धि के स्तर में 11 (6.5 प्रतिशत) बालिकाओं एवं माध्यम स्तर की शैक्षिक उपलब्धि में 56 (33.1) स्तर की बालिकाऐं पायी गयी।

इसी क्रम में गैर-आवासीय बालिकाओं में सर्वाधिक निम्न शैक्षिक उपलब्धि के स्तर में 67 (51.1 प्रतिशत) बालिकाओं की शैक्षिक उपलब्धि निम्न स्तर में, निम्न शैक्षिक उपलब्धि के स्तर में 12(9.2 प्रतिशत) बालिकाओं एवं मध्यम स्तर की शैक्षिक उपलब्धि में 52 (39.7) स्तर की बालिकाऐं पायी गयी।

तालिका संख्या 1.2 छात्राओं के सामाजिक तनाव के विभिन्न स्तरों का विवरण।

सामाजिक तनाव	**आवासीय**		**गैर आवासीय**	
का स्तर	कुल	प्रतिशत	कुल	प्रतिशत
उच्च स्तर	49	29.0%	9	6.9%
मध्यम स्तर	97	57.4%	59	45.0%
निम्न स्तर	23	13.6%	63	48.1%

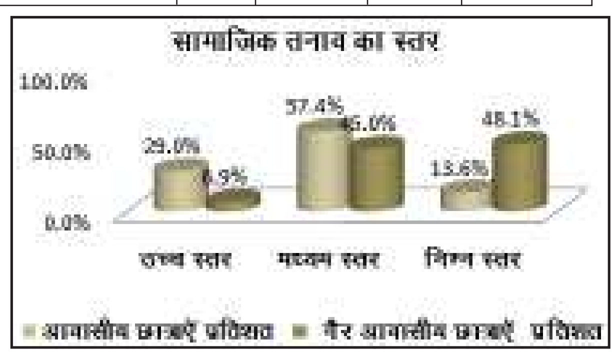

तालिका एवं आरेख संख्या 1.2 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि, आवासीय बालिकाओं में सर्वाधिक मध्यम समाजिक तनाव के स्तर में 97 (57.4 प्रतिशत) बालिकाओं का सामाजिक तनाव मध्यम स्तर में, सर्वाधिक निम्न समाजिक तनाव का स्तर में 23(13.6 प्रतिशत) मध्यम स्तर में एवं मध्यम स्तर के सामाजिक तनाव के स्तर में 49 (29.0 प्रतिशत) बालिकाऐं उच्च स्तर की बालिकाऐं पायी गयी। इसी क्रम में गैर-आवासीय बालिकाओं में सर्वाधिक निम्न समाजिक तनाव के स्तर में 97 (57.4 प्रतिशत) बालिकाओं का सामाजिक तनाव उच्च स्तर में, सर्वाधिक उच्च समाजिक तनाव का स्तर में 63(48.1 प्रतिशत) उच्च स्तर में एवं मध्यम स्तर के सामाजिक तनाव के स्तर में 59 (45.0 प्रतिशत) बालिकाऐं मध्यम स्तर की बालिकाऐं पायी गयी।

तालिका संख्या 1.3 (अन्तिम पृष्ठ पर देखे)

तालिका संख्या 1.3 दर्शाती है, कि आवासीय एवं गैर-आवासीय बालिकाओं के शैक्षिक उपलब्धि के प्राप्तांकों का मध्यमान तथा मानक विचलन क्रमश: 82.55, 55.91 व 16.383, 14.714 पाया गया। मध्यमानों के अन्तर की सार्थकता के लिए टी परीक्षण का प्रयोग किया गया। स्वतन्त्रता स्तर 298 पर 'टी' का मान 14.599 ('पी' मान 0.000) जो सार्थकता स्तर 0.01 पर सार्थक पाया गया।

उपरोक्त विश्लेषण से ज्ञात होता है, कि पूर्व प्रस्तावित शून्य परिकल्पना 'माध्यमिक स्तर के आवासीय एवं गैर आवासीय छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि में कोई सार्थक अंतर नही है', सार्थकता स्तर 0.01 पर अस्वीकृत की जाती है। अत: निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है, कि आवासीय एवं गैर-आवासीय विद्यालयों की बालिकाओं की शैक्षिक उपलब्धि में अंतर पाया गया।

तालिका संख्या 1.4 (अन्तिम पृष्ठ पर देखे)

तालिका संख्या 1.4 दर्शाती है, कि आवासीय एवं गैर-आवासीय बालिकाओं के सामाजिक तनाव के प्राप्तांकों का मध्यमान तथा मानक विचलन क्रमश: 116.99, 158.65 व 34.704, 33.909 पाया गया। मध्यमानों के अन्तर की सार्थकता के लिए टी परीक्षण का प्रयोग किया गया। स्वतन्त्रता स्तर 298 पर 'टी' का मान 10.415 ('पी' मान 0.000) जो सार्थकता स्तर 0.01 पर सार्थक पाया गया।

उपरोक्त विश्लेषण से ज्ञात होता है, कि पूर्व प्रस्तावित शून्य परिकल्पना 'माध्यमिक स्तर के आवासीय एवं गैर आवासीय छात्राओं की सामाजिक तनाव में कोई सार्थक अंतर नही है', सार्थकता स्तर 0.01 पर अस्वीकृत की जाती है। अत: निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है, कि आवासीय एवं गैर-आवासीय विद्यालयों की बालिकाओं की सामाजिक तनाव में अंतर पाया गया।

तालिका संख्या 1.5 (अन्तिम पृष्ठ पर देखे)

तालिका संख्या 1.5 दर्शाती है, कि निम्न एवं उच्च सामाजिक तनाव वाली बालिकाओं के मध्यमान तथा मानक विचलन क्रमश: 94.29, 53.69 व 2.144, 10.737 पाया गया। मध्यमानों के अन्तर की सार्थकता के लिए टी परीक्षण का प्रयोग किया गया। स्वतन्त्रता स्तर 142 पर 'टी' का मान 28.393 ('पी' मान 0.000) जो सार्थकता स्तर 0.01 पर सार्थक पाया गया।

उपरोक्त विश्लेषण से ज्ञात होता है, कि पूर्व प्रस्तावित शून्य परिकल्पना 'माध्यमिक स्तर की छात्राओं में निम्न एवं उच्च सामाजिक तनाव का शैक्षिक उपलब्धि पर प्रभाव में कोई सार्थक अंतर नही है', जो सार्थकता स्तर 0.01 पर अस्वीकृत की जाती है। अत: निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है, कि निम्न एवं उच्च सामाजिक तनाव वाली बालिकाओं में अन्तर है जो की शैक्षिक उपलब्धि के प्रभाव को सकारात्मक रूप से प्रदर्शित कर रहा है।

तालिका संख्या 1.6 (अन्तिम पृष्ठ पर देखे)

तालिका संख्या 1.6 के अवलोकन से ज्ञात होता है, कि छात्राओं के शैक्षिक उपलब्धि एवं सामाजिक तनाव के प्राप्तांको के मध्य सार्थक सहसम्बन्ध r (298) -0.759, (पी मान 0.000) जो सार्थकता स्तर 0.01 तथा 0.05 पर सार्थक पाया गया।

उपरोक्त विश्लेषण से ज्ञात होता है, कि पूर्व प्रस्तावित शून्य परिकल्पना 'माध्यमिक स्तर की छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि एवं सामाजिक तनाव के मध्य कोई सार्थक सहसम्बन्ध नही है', जो सार्थकता स्तर 0.05 पर अस्वीकृत की जाती है। अत: निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है, माध्यमिक स्तर के छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि एवं सामाजिक तनाव में मध्य नकारात्मक सहसम्बन्ध है।

निष्कर्ष एवं परिणाम- शैक्षिक उपलब्धि को उच्च, मध्यम एवं निम्न स्तर में विभाजन के आधार पर आवासीय विद्यालयों में अध्ययनरत् बालिकाओं में सर्वाधिक शैक्षिक उपलब्धि का स्तर उच्च स्तर की शैक्षिक उपलब्धि की बालिकाओं का है वही गैर-आवासीय विद्यालय में अध्ययनरत् बालिकाओं में सर्वाधिक मध्यम स्तर की शैक्षिक उपलब्धि वाली बालिकाऐं है।

समाजिक तनाव की विभिन्न स्तर में आवासीय विद्यालयों में अध्ययनरत् बालिकाओं की सर्वाधिक संख्या मध्यम स्तर की सामाजिक तनाव की बालिकाओं है वही गैर-आवासीय विद्यालय में अध्ययनरत् बालिकाओं में सर्वाधिक संख्या निम्न स्तर की सामाजिक तनाव वाली बालिकाऐं पायी गयी।

आवासीय विद्यालयों की बालिकाओं एवं गैर-आवासीय विद्यालयों की बालिकाओं की शैक्षिक उपलब्धि में अंतर है। आवासीय विद्यालय की बालिकाओं में गैर-आवासीय बालिकाओं सें अधिक शैक्षिक उपलब्धि पायी गयी।

सामाजिक तनाव में आवासीय विद्यालय तथा गैर-आवासीय विद्यालयों में अंतर पाया गया। गैर-आवासीय विद्यालय की बालिकाओं में आवासीय बालिकाओं सें अधिक सामाजिक तनाव प्रदर्शित हुआ है।

निम्न समाजिक तनाव एवं उच्च सामाजिक तनाव वाली बालिकाओं की शैक्षिक उपलब्धि मे अन्तर है शैक्षिक उपलब्धि का समाजिक तनाव को सकारात्मक रूप प्रभावित करती है। निम्न समाजिक तनाव वाली बालिकाओं में उच्च समाजिक तनाव वाली बालिकाओं से अधिक शैक्षिक उपलब्धि पायी गयी है।

शोध में लिखित उद्देश्यों के आधार शोधकर्ता ने विभिन्न चरों के मध्य सहसम्बन्ध से प्राप्त परिणामों के आधार पर कहा जा सकता है कि शोध में निर्धारित शून्य परिकल्पना को अस्वीकृत किया गया तथा निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि, माध्यमिक स्तर में अध्ययनरत् बालिकाओं की शैक्षिक उपलब्धि एवं सामाजिक तनाव में मध्य नकारात्मक सहसम्बन्ध पाया गया।

शैक्षणिक सुझाव -उपरोक्त शोध कार्य में आवासीय एवं गैर-आवासीय विद्यालय की बालिकाओं पर अध्ययन किया गया, बालिकाओं अपनी सामाजिक एंवं पारिवारीक जिम्मेदारीयों के कारण उनमें समाजिक तनाव

अधिक देखा जाता है। जिसकारण वे अपने शैक्षणिक कार्य करने के लिए बाधित होते है आवासीय विद्यालय की बालिकाएं जिनमें सामाजिक तनाव की मात्रा कम तथा शैक्षिक उपलब्धि अधिक पायी जाती है वही दूसरी और गैर- आवासीय विद्यालय के विद्यार्थियों में सामाजिक तनाव अधिक होता है तथा शैक्षिक तनाव कम पाया गया है। बालिकाओं को अपने शैक्षणिक कैरियर को उन्नत करने के लिए अभिभावकों, शैक्षणिक प्रबन्धकों, शिक्षकों एवं नीति निर्धारकों को चाहिएं की ऐसे वातावरण एवं पाठ्यक्रम का निर्माण करे जिससें बालिकाएं अपनी सभी प्रकार की जिम्मेदारीयों को निभाते हुऐं अपनी शैक्षणिक जीवन को उन्नत कर तथा विभिन्न प्रकार के तनावों को समायोजित करने में सक्षम हो सके।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची:-

1. एम0 राजू एवं समीउल्लाह (2011) सातवी कक्षा के विद्यार्थियो की शैक्षिक उपलब्धि पर माता पिता की देख रेख के प्रभाव का अध्ययन, *जनरल ऑफ कम्यून्टी गाइडेंस एवं रिसर्च*, अंक 28 नं0 2 पृष्ठ सं0 224-228।
2. घोपे (2010) स्कूल छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि पर यौगिक क्रियाओं का प्रभाव, *योग मीमांसा,* अंक 28 न0 3 पृष्ट संख्या 202-207।
3. शर्मा के0पी0 एवं शर्मा, वी0 (2011) ने विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि पर चिन्तन शैली के मध्य सहसम्बन्ध का अध्ययन, *इण्डीयन जर्नल ऑफ साइकॉलोजी एण्ड एजूकेशन*, अंक 42, नं0 2 पृष्ठ संख्या 138-143।
4. शान्ते, के0 आर0 एवं फान्सीसका एस0 (2012) ने उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की शैक्षिक उपलब्धि पर माता-पिता के समर्थन का अध्ययन, *रिसर्चरस टैन्डम*, अंक 3 नं0 9 पृष्ठ संख्या 33-38।
5. शर्मा, व्यासदेव, (2004-05) 'खेलकूद एवं यौगिक व्यायाम', *आर्य पब्लिकेशन्स*, दिव्य प्रकाशन, नई दिल्ली पृ.सं.-171.
6. ठाकुर घनश्याम दास एवं अन्य (2011), केन्द्रिय विद्यालय के शिक्षकों के व्यवसायिक तनाव तथा नींद की गुणवत्ता पर योगाभ्यास के प्रभाव का अध्ययन, *योग मीमांसा* अंक दडखखख न 4 पृष्ठ सं0 255-264।
7. कुमार, एस0 एवं अन्य (2011), महाविद्यालियों के विद्यार्थियों के तनाव पर सूर्य नमस्कार के प्रभाव, *योग मीमांसा,* अंक दडखख न 4 पृष्ठ सं0 265-268।
8. कुमुद (2013) किशोर विद्यार्थियों के शैक्षिक तनाव का उनकी शैक्षिक निष्पत्ति का प्रभाव अध्ययन, अप्रकाशित एम0एड0 डिजरटेशन, शिक्षा संकाय, डी0ई0आई0 डीम्ड यूनिवर्सिटी दयालबाग, आगरा।
9. मंगल, एस..के., मंगल श्रीमती शुभ्रा, (2000), 'स्वास्थ्य शारीरिक एवं योग शिक्षा', आर्य बुक डिपो नई दिल्ली पृ.सं.-88-90.
10. सिंह नीलू (2016) विद्यार्थियो के सामाजिक समायोजन पर विद्यालयी वातावरण द्वारा पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन, *इन्टरनेशनल जनरल ऑफ मल्टीडिस्पलनरी एजूकेशन एण्ड रिचर्स* आईएसएसएन 2455-4588 वोल्यूम 1 इश्यू 2 अप्रैल 2016 पेज 31-34।
11. सिंह, अरूण कुमार (2015), मनोविज्ञान समाजशास्त्र एवं शिक्षा में शोध विधियां, मोतीलाल बनारसीदास पब्लिशिंग, सप्तम् संस्करण, नई दिल्ली।
12. विद्यापति, टी जे0 रा0 (2003) *जनरल ऑफ इण्यिन एजूकेशन* एबस्टेक्ट मई पृष्ठ सं0 58-67।
13. तिवारी, जे0 एवं नैथानी, आर0 (2011) किशोरो की शैक्षिक उपलब्धि पर माता पिता की देख रेख के प्रभाव का अध्ययन, *इन्डीयन जनरल ऑफ साइक्लोजिस्ट एण्ड एजूकेशन*, अंक 42 नं0 1 पृष्ठ संख्या 23-35।
14. Adadi, M.S., Madgaonkar, J.,& Vankatesan, S. (2008). "Effect of Yoga on Children with Attention Deficit/ Hyperactivity Disorder'. *Psychological Studies: National Academy of Psychology*. *Vol. 53. No. 2,* pp. 154-159.
15. Agarwal, R.P., (2008). "The Beneficial Effect of Yoga and Meditation'. *Journal of Diabetes Research and Clinical Practice*, Bikaner. *Vol. 4.* Akhtar, Aaliya, (2013). "Impact of Educational System on the level of Mental Health of Adolescents'. *Indian Journal of Psychometry and Education*. 44 (2): 147 -151.
16. Berkeley C.A., (2006). Study Shows Yoga Improves Self-Control and Lowers Stress of Youth in Alameda County Juvenile Hall Facility. Niroga Institute. www.niroga.org.
17. Blonstein, C. H. (2004) Social anxiety as moderator and social self–efficacy as well as sense of belonging as mediators in the social-stress depression relationship. *Unpublished doctoral thesis*, *Dissertation Abstracts International*, Vol. 65 (05), 2613.
18. Felver, J., Butzer, B., Olson, K., Smith, I., Khalsa, S. (2015). Yoga In Public School Improves Adolescent Mood And Affect. *Contemporary School Psychologist, 19*(3), 184-192. Doi: 10.1007/S40688-014- 0031-9.
19. Fontaine, W. (2005). Yoga helps students unwind, get fit, Bangor Daily News. Retrieved Aug. 16, 2007, from http://www. bangornews.com/news/templates
20. Gahlawat, S. (2013). Effect of yoga on mental health & emotional maturity of visual challenged students. *Dev sanskriti Inter disciplinary international journal*. 2, 1-7.
21. Kaushal, Koreti and Gaur(2018) Educational stress and coping strategies in school going adolescents International Journal of Contemporary Pediatrics, *Int J Contemp Pediatr*. 2018 Jul; 5(4):1452-1456.
22. Kalagi shah & pooja shah (feb 2015), academic stress taking a toll on management Post graduates: a myth or reality, *international journal of research in Business management* Issn(e): 2321-886x; ISSN(p): 2347-4572 Vol. 3, issue 2, , 11-22
23. sharma, A (2006) Effect of yogic practices on social stress academic stress self esteem and emotional maturity of senior secondary school studes, unpublish Ph.D. Thesis, Retrieved form
24. Sharma, S. (2011) Effect of yoga exercises on mental health and anxiety at B.Ed. Level. Unpublished M.Ed. dissertation, Panjab University, Chandigarh.
25. सिंह, जोगेन्दर (2012) नो टेशन, अमर उजाला(उडान), आगरा संस्करण 08 फरवरी पृ0 1।

तालिका संख्या 1.3 आवासीय एवं गैर- आवासीय छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि के माध्यमानों, मानक विचलन एवं टी मान का विवरण।

चर	छात्राऐं	कुल	मध्यमान	मानक विचलन	टी मान	पी मान	सार्थकता
शैक्षिक उपलब्धि	आवासीय	169	82.55	16.383	14.599	0.000	सार्थक**
	गैर- आवासीय	131	55.91	14.714			

(स्वतन्त्रता स्तर = 298) *0.05 सार्थकता स्तर, **0.01 सार्थकता स्तर

तालिका संख्या 1.4 आवासीय एवं गैर- आवासीय छात्राओं की समाजिक तनाव के माध्यमानों, मानक विचलन एवं टी मान का विवरण।

चर	छात्राऐं	कुल	मध्यमान	मानक विचलन	टी मान	पी मान	सार्थकता
सामाजिक नाव	आवासीय	69	116.99	34.704	10.415	0.000	सार्थक**
	गैर आवासीय	31	158.65	33.909			

(स्वतन्त्रता स्तर = 298) *0.05 सार्थकता स्तर, **0.01 सार्थकता स्तर

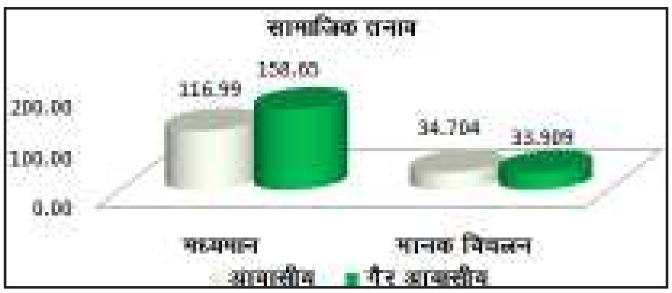

तालिका संख्या 1.5 निम्न एवं उच्च समाजिक तनाव वाली छात्राओं का शैक्षिक उपलब्धि के माध्यमानों, मानक विचलन एवं टी मान का विवरण।

चर	सामाजिक तनाव	कुल	मध्यमान	मानक विचलन	टी मान	पी मान	सार्थकता
शैक्षिक उपलब्धि	निम्न स्तर	58	94.29	2.144	28.393	0.000	सार्थक**
	उच्च स्तर	86	53.69	10.737			

(स्वतन्त्रता स्तर = 142) *0.05 सार्थकता स्तर, **0.01 सार्थकता स्तरतालिका संख्या

तालिका संख्या 1.6 छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि एवं सामाजिक तनाव के मध्य सहसम्बन्ध का विवरण।

चर	मध्यमान	मानक विचलन	सह-सम्बन्ध	सार्थकता
शैक्षिक उपलब्धि	70.92	20.497	-0.795	0.000**
सामाजिक तनाव	135.18	40.061		

** 0.01 सार्थकता स्तर *0.05 सार्थकता स्तर

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XL

ग्रामीण महिलाओं के सशक्तीकरण का सामाजिक पक्ष का अध्ययन

डॉ. शिल्पा राजपूत *

* (राजनीति विज्ञान) 9, नेता जी मार्ग, केवल पार्क, आजादपुर, दिल्ली, भारत

प्रस्तावना – महिला सशक्तीकरण की पहल 1985 में महिला अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन नेरौबी में की गई। महिला सशक्तीकरण का अभिप्राय महिलाओं को पुरूषों के बराबर वैधानिक, राजनीतिक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में उनके परिवार, समुदाय समाज एवं राष्ट्र की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में निर्णय लेने की स्वायत्तता है। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों की अधिकांश महिलाऐं अशिक्षा, बेरोजगारी, कुपोषण और अन्य कई प्रकार की बीमारियों से ग्रसित है। अत: भारत में महिला सशक्तीकरण का प्राथमिक उद्देश्य महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक दशा को सुधारना है। स्वतंत्रता के 73 वर्षों के पश्चात् भी महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार नहीं हुआ, क्योंकि 50 प्रतिशत सामान्य तथा 70 प्रतिशत गर्भवती महिलाएं एनीमिया रोग से पीड़ित है, 25 प्रतिशत बच्चों की माताएँ कुपोषण के कारण प्रसव अवधि के पूर्व जन्म देती हैं महिलाओं में स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति निम्न होने का मुख्य कारण अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी, उत्पीडन आदि है।

महिलाएँ और ग्रामीण समाज – हमारे समाज में महिला और पुरूषों के स्थान में बहुत अंतर दिखाई देता है। सामाजिक सांस्कृतिक, आर्थिक और पारिवारिक स्तरों पर महिला को पुरूष से कमजोर माना जाता रहा है। यह सोच महिलाओं के प्रति समाज के व्यवहार में झलकता है। सशक्तीकरण का पहला आयाम महिलाओं में आत्मविश्वास और स्वाभिमान जाग्रत करता है। पुरूष और महिला की सामाजिक स्थिति में अंतर वैसे तो पूरे समाज में दिखाई देता है किन्तु ग्रामीण समाज में स्थिति अत्यंत दैयनीय है। शहरों में तो शिक्षा, समाज सुधार आन्दोलनों और प्रचार प्रसार माध्यमों के प्रभाव में महिलाओं में अपने अधिकारों के प्रति संवेदनशीलता (जागरूकता) बढ़ी है। जिससे उन्हें कुछ हद तक समानता एवं स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त हुआ है, परंतु ग्रामीण समाज में औरतें परिवार और समाज के शोषण का शिकार है। लड़कियों का जन्म अशुद्ध माना जाता है और कुछ जातियों में उनके पैदा होते ही उन्हें मार दिया जाता है। लड़के-लड़कियों के लालन-पालन में भी भेदभाव किया जाता है। सामाजिक कुरीतियों, बालविवाह, दहेज प्रथा, बंधुआ मजदुरी तथा नशाखोर आदि के प्रभाव से महिलाएँ सामाजिक, आर्थिक एवं मानसिक दृष्टि से देखी रहती है।

लिंगानुपात – पिछले कुछ दशको के लिंगानुपात पर दृष्टि डालने से यह दर घटती हुई प्रवृत्ति दर्शा रही है। जैसे कि 1901 में यह अनुपात 972 से घटकर 1981 में 934 तथा 1931 में 927 हो गया था, संतोषजनक 2011 में जबकि लिंगानुपात का विश्व औसत 986 है। इसमें भी प्रादेशिक विभिन्नताएँ देखने को मिलती है। सामाजिक सर्वेक्षण के दौरान ये पता चलता है कि जिन देशों में अनुकूल लिंगानुपात, जैसे – रूस (1140), अमेरिका (1028), ब्राजील (1027), नाइजीरिया (1016) इत्यादि है। वहाँ समाज में नारियों की स्थिति मजबूत एवं सम्मानजनक है।

मातृ मृत्युदर– भारत में महिलाओं को समय से पहले मौत और शारीरिक अशक्तता का खतरा उनके प्रजनन काल (15-45 वर्ष) के दौरान अधिक होता है। विकसित देशों की तुलना में भारतीय महिलाओं की गर्भावस्था के कारण मृत्यु की सम्भावना कई गुना अधिक होती है। भारत में विश्व की 16 प्रतिशत जनसंख्या है, जबकि मातृ मृत्यु 20 प्रतिशत से भी अधिक है। देश में प्रतिवर्ष एक लाख से अधिक महिलाएँ गर्भधारण के कारण मर जाती है। मातृ मृत्यु न केवल परिवार के लिए अति पीड़ा की बात है, बल्कि सम्पर्ण समाज के लिए एक त्रासदी है। मरने वाली अधिकतर महिलाएँ रोग से नहीं अपितु शिशु जन्म के तहत मर जाती है।

भ्रूण हत्या– हमारे समाज का एक भयावह सत्य यह भी है कि लड़की को जन्म से पूर्व और विवाह के बार मार डालने की प्रथा सदियों से चली आ रही है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू.एन.डी.पी.) की एक रिपोर्ट के आंकड़ों के अनुसार मुम्बई में 1994 में भ्रूण हत्या के 40,000 मामले सामने आए। तमिलनाडु के छह: जिलों में 1995 में शिशु भ्रूण हत्या के 3,178 मामले हुए। इसके अलावा 1999 में एक अनुमान के आधार पर अकेले अहमदाबाद में प्रतिवर्ष मादाभ्रूण हत्या के 10,000 मामलें होते है। राजस्थान के पष्चिम जिलों में कन्याओं की हत्याओं का प्रचलन है। कहीं-कहीं पर ये भी देखा गया है कि दस हजार की आबादी वाले गांवों में युवा लड़कियों की संख्या महज पचास है। 1998 में राज्य का देओरा गांव उस समय अन्तर्राष्ट्रीय चर्चा का विषय बना, जब पिश्रले 115 सालों में पहली बार किसी लड़की की वहां शादी हुई। इसके पहले 6 पीढ़ियों की लड़कियों को जनम लेते ही मौत की नींद सुला दिया जाता था। यूनीसेफ के अनुसार पूरी दुनिया में पुरूष महिला अनुपात 100:105 है। जबकि भारत में यह अनुपात 100:93 तक आ गया है। वर्ष 2001 के आंकड़ों के अनुसार भारत में प्रति एक हजार पुरूषों के मुकाबले मात्र 933 महिलाएँ थी। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार यह आंकड़े 1000 पुरूष पर 943 महिलाएं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि लड़की की सुरक्षा, विवाह के लिए भारी दहेज जुटाना माँ-बाप के लिए बड़ी समस्या होती है। अत: लड़कियों को बोझ समझ कर छुटकारा पाना अधिक बेहतर समझा जाता है। इसके अलावा सम्पत्ति में बंटवारे से बचने के लिए भी कन्याओं की हत्या करना सक बेहतर विकल्प माना जाता है।

शोषण– महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों में सबसे दुखद घरेलू हिंसा

है। घर की चार दिवारी के अंदर व्याप्त है, जिससे बाहरी दुनिया के लोग अंजान है। एक अध्ययन के अनुसार 40 प्रतिशत से अधिक भारतीय महिलाएँ घरेलू हिंसा झेलने के लिए विवश है, छेड़छाड़, बलात्कार, यौन शोषण, सामाजिक अन्याय और दहेज जैसी कुरीतियों के कारण महिलाएँ असुरक्षा, शर्म व अपमान की वेदना में जीवन जी रही है। मानव संसाधन मंत्रालय के महिला व बाल विकास के एक प्रतिवेदन के अनुसार भारत में प्रत्येक 54 मिनट में एक महिला का बलात्कार, 51 मिनट में दहेज के कारण हत्या होती है। 1995 में पूरे देश में दहेज हत्या के 7,305 मामलें पंजीकृत हुए थे। जिनमें से 3,595 हत्याएँ अकेले उत्तरप्रदेश में हुई।

कुपोषण– देश की कुल आबादी में महिलाओं और बच्चों की संख्या 60 प्रतिशत है। देश में पैदा होने वाले कुल बच्चों में से 30 प्रतिशत शिशुओं का वजन सामान्य से कम होने का प्रमुख कारण उनकी माताओं में खून की कमी का होना है। इसी वजह से देश में शिशु मृत्यु दर 77 और मातृ मृत्यु दर 407 है। यूनीसेफ के एक प्रतिवेदन के अनुसार भारत में प्रतिवर्ष एक करोड़ लड़कियाँ जन्म लेती हैं जिनमें से एक तिहाई लड़कियाँ पहले वर्ष में ही दम तोड़ देती है। माँ बनने योग्य महिलाओं में 24 प्रतिशत महिलाएं ऐसी है जिनका भार 36 किलोग्राम से कम एवं 16 प्रतिशत ऐसी है 145 से.मी. से भी कम है।

रोजगार – किसी भी समाज की तस्वीर बदलने में महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान होता है। महिला की आयु परिवार में उपलब्ध कुल कृषि योग्य भूमि और शिक्षा आदि कृषि में उनकी भागीदार को प्रभावित करता है। आर्थिक तथा सामाजिक विकास के लिए महिलाओं को अधिकार सम्पन्न बनाना एवं उन्हें राष्ट्रीय विकास की मुख्य धारा में लाना जरूरी है। ग्रामीण महिला एक अवैज्ञानिक की तरह समझी जाती है। जिसकी मेहनत और काम को आर्थिक नजरिए से कभी नहीं देखा गया, अत: अर्थोपर्जन की क्षमता को बढ़ाने की आवश्यकता है।

शिक्षा – शिक्षा, महिलाओं की स्थिति सुधारने, आत्मविश्वास जगाने, आत्मसम्मान की भावना पैदा करने सही ढ़ंग से सोच–विचार की योग्यता बढ़ाने, समाज में परिवर्तन लाने एवं आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। आर्थिक एवं सामाजिक नीति का ढ़ाँचा महिला शिक्षा से प्रभावित होता है। महिला शिक्षा का स्तर स्वतंत्रता पूर्व तो बहुत कम था, स्वतंत्रता के 30 वर्षो बाद भी 1981 में महिला साक्षरता दर 24.8 प्रतिशत थी, जबकि 1991 में यह दर 79 प्रतिशत, 1961 में 13 प्रतिशत, 1971 में यह दर 18.7 प्रतिशत ही थी। 1991 में यह दर 39.3 प्रतिशत थी जो बढ़कर 2001 में 54.16 प्रतिशत हो। जो पुरूष साक्षरता दर 75.85 प्रतिशत से कम है परन्तु 1991–2001 के दशक में महिला साक्षरता में 14.8 की वृद्धि हुई, जबकि पुरूष साक्षरता में वृद्धि दर 11.7 प्रतिशत ही हो पाई इस उल्लेखनीय प्रगति के बावजूद यह सच है कि आज भी 100 में से 46 महिलाएं अनपढ़ है। ग्रामीण महिलाओं की दशा भी अत्यंत दैयनीय है, साथ ही सरकार द्वारा विशेष छात्रावास की योजना चलाई गई है, ताकि लड़कियों को अपने गांव से बाहर शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाई न हो।

महिला विकास के कदम – 73 वें संविधान संशोधन के जरिए पंचायतीराज संस्थाओं में एक–तिहाई स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित करने का एक पहल है। महिलाओं की अधिकार–सम्पन्नता का जो स्वरूप हमें शहरों में दिखाई देता है, वहीं ग्रामीण इलाकों में भी दिखाई देगा। महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण की दिशा में एक कदम, राष्ट्रीय महिला कोश की स्थापना के रूप में उठाया गया। यह संस्थान निर्धन जरूरत मंद महिलाओं को स्वंयसेवी संगठनों के माध्यम से कई तरह के रोजगार परियोजनाएँ (कार्यक्रम) चलाने के लिए कर्ज देती है, जिसका कुछ हिस्सा अनुदान के रूप में होता है। महिलाओं को समाज में बराबरी का दर्जा दिलाने के लिए घरेलू हिंसा निषेध विधेयक संसद में प्रस्तुत किया गया है। इसके अन्तर्गत घर में किसी भी तरह की हिंसा की शिकार महिला को सुरक्षा अधिकार की मदद प्राप्त हो सकेगी, और वह उसे संरक्षण गृहों, स्वास्थ्य की देखभाल और कानूनी सलाह दिलाने में सहायता देगा। महिलाओं को आर्थिक रूप से समर्थ बनाने के लिए महिला स्वयं सिद्ध कार्यक्रम वर्ष 2001 से शुरू किया गया। साथ ही महिलाओं और बच्चों को अतिरिक्त पोषण, स्वास्थ्य जाँच, इलाज की सुविधा, टीकाकरण, विद्यालय से पहले की अनौपचारिक शिक्षा, स्वास्थ्य व पोषण से जुड़ी शिक्षा दी जा रही है।

अत: हम यही कह सकते है कि ग्रामीण महिलाओं के सशक्तीकरण का सामाजिक पक्ष उनके हर पहलुओं से जुड़ा हुआ है। सही मायने में अगर हम ग्रामीण महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन देखना चाहते है। या उन्हें आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते है तो उनके हर एक पहलूओं पर ध्यान देना होगा। उनके लिए हर क्षेत्र, हर दिशा में योगदान देना होगा। वर्तमान युग बहुत ही हिम्मत, साहस की आवश्यकता है। उसका सामना करने के लिए बहुत ही हिम्मत, साहस की आवश्यकता है और ये हिम्मत और साहस ही महिलाओं को उनके क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा जिनकी उनको सक्त आवश्यकता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :–

1. सुधारानी श्रीवास्तव – मानव अधिकार
2. ओ.पी. गौतम – ह्यमन राइट्स इन इण्डिया, एल आर्टीकल इन इवाई राइट्स फ्रेमवर्क।
3. प्रकाश नारायण नाटाणी – मानवाधिकार और कर्त्तव्य, अविष्कार पब्लिशरस डिस्टीब्यूटर्स, जयपुर (2003)
4. पूजा शर्मा – महिला विकास और सशक्तीकरण, अविष्कार पब्लिशस डिस्टीब्यूटर्स, जयपुर (2001)
5. डॉ. एम.एम. लवानिया – भारतीय महिलाओं का समाज–शास्त्र, रिसर्च पब्लिकेशन्स, जयपुर (2004)
6. प्रज्ञा शर्मा – महिलाएँ : लैंगिक असमानता एवं अपराध, अविष्कार पब्लिशर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स, जयपुर (2004)
7. राजबाला सिंह – मानवाधिकार और महिलाएं, अविष्कार पब्लिशस डिस्टीब्यूटर्स, जयपुर (2011)
8. रमेश प्रसाद गौतम एवं पृथ्वीपाल सिंह – भारत में मानव अधिकार, विश्वविद्यालय प्रकाशन, सागर (2001)
9. डॉ. धर्मवीर चन्देल – मानवाधिकार और महिला विमर्श।

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XL

An Analysis of Agility Between Inter-University and College Level Handball Players

Ms. Kavita*

***Physical Education Teacher, Jawahar Navodaya Vidhyalaya, Sambhal (U.P.) INDIA**

Abstract - The agility capabilities of inter-university and college level handball players using the agility test. The study aims to determine if there is a significant difference in agility between the two groups and how this may impact their performance on the handball court. A total of 40 female handball players (20 inter-university players and 20 college level players) participated in the study. The agility test was conducted, and the results were analysed using a t-test at the .05 significance level. The findings shed light on the importance of agility in handball and its potential implications for performance at different competitive levels.
Keywords- Agility, Handball, Inter-university players, College level players, Agility test, Performance.

Introduction - Agility is a critical attribute in handball, enabling players to make quick changes in direction, dodge opponents, and respond swiftly to tactical situations during matches. As handball competitions vary in intensity and skill level, it is essential to explore whether there are differences in agility between inter-university and college level handball players. The agility test serves as an objective measurement tool to evaluate players' speed, balance, and reaction time, providing valuable insights into their physical abilities.

Method:

Participants: A total of 40 female handball players (20 inter-university players and 20 college level players) took part in this comparative study. The participants were selected from various colleges of Choudhary Charan Singh University Meerut (Digambar Jain college (Baraut), Kisan Degree College (Shamli) GMV(RampurManiharan) MMH (Ghaziabad) in 2022, there age were 19 to 23 yearsand having similar experience.

Agility Test: The agility test involved the T-Test, a widely used agility assessment in sports. Participants were required to complete a timed sequence of forward and lateral movements through a series of cones arranged in a T-shaped pattern. The best time achieved by each player in seconds was recorded as their agility score.

Statistical Analysis: A t-test was conducted to compare the agility test results between inter-university and college level handball players. The significance level was set at .05.

Results:

Table 1: Agility Test Results

	Agility Inter University Players (Secs)	*Agility College level Players (Secs)*
Mean	10.48	12.615
Variance	0.191157895	0.448710526
Observations	20	20
Pooled Variance	0.319934211	
df	38	
t Stat	-11.93623989	
P(T<=t) one-tail	1.00154E-14	
t Critical one-tail	1.68595446	
P(T<=t) two-tail	2.00308E-14	
t Critical two-tail	2.024394164	

Table 1 depicted that the t-test analysis yielded a significant difference in agility between inter-university and college level handball players. Inter-university players demonstrated superior agility, as evidenced by their significantly lower mean agility score (M = 10.48, SD = 0.19) compared to college level players (M = 12.62, SD = 0.44). The calculated t-statistic value for the one-tailed test was -11.93, which surpassed the critical t-value of 1.68 ($p < .05$). Similarly, for the two-tailed test, the calculated t-statistic of -11.93 exceeded the critical t-value of 2.02 ($p < .05$).

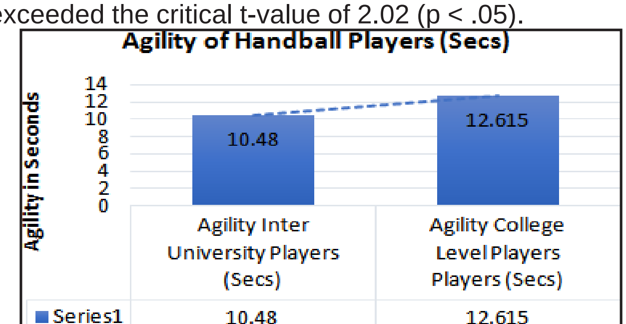

Figure 1 shows the Agility performance of T- Test of Handball players in Seconds.

Discussion: The findings of this study reveal a significant difference in agility between inter-university and college level female handball players. The superior agility displayed by inter-university female handball players may be attributed to their higher level of training, exposure to more competitive environments, and increased emphasis on physical conditioning.

College level female handball players, though skilled, might lack the same level of experience and access to specialized training programs, which could impact their agility performance. The agility T-Test results suggest that agility plays a crucial role in distinguishing players at various competitive levels, affecting their ability to manoeuvre effectively on the handball court.

Conclusion: This research highlights the importance of agility in handball and demonstrates its significant impact on player performance at different competitive levels. Inter-university female handball players showed superior agility compared to female college level players. Coaches and trainers should consider implementing targeted agility training programs to enhance players' performance and competitive readiness. Identifying and addressing agility weaknesses can lead to improved player proficiency and success in the handball arena.

References:-

1. Johnson, M. (2022). Agility Training and Its Role in Handball Performance. Journal of Sports Science, 20(2), 112-126.
2. Smith, A. (2021). Comparison of Agility in Different Competitive Levels of Handball. Sports Medicine Research, 15(4), 178-190.
3. International Handball Federation. (2022). Official Rules of Handball. https://www.ihf.info/official-rules/
4. Chen, W. (2020). Agility Testing Protocols for Handball Players. Journal of Strength and Conditioning Research, 25(3), 145-158.
5. Gonzalez, J. (2019). Agility and Its Relationship with Handball Performance. Sports Health: A Multidisciplinary Approach, 13(2), 76-89.
6. Jackson, R. (2022). Agility and Its Impact on Handball Performance: A Systematic Review. Journal of Sports Science and Medicine, 10(1), 45-58.
7. Williams, L. (2021). Comparative Analysis of Agility Among Handball Players at Different Competitive Levels. International Journal of Sports Physiology and Performance, 18(3), 120-135.
8. Handball Federation of America. (2022). Official Rules of Handball. https://www.handballfederationamerica.org/rules/
9. Brown, E. (2020). Agility Testing Protocols for Handball Players: A Comprehensive Guide. Journal of Strength and Conditioning Research, 28(2), 90-105.
10. Martinez, J. (2019). The Importance of Agility Training in Handball: Insights from Professional Players. Sports Health: A Multidisciplinary Approach, 14(1), 35-48.
11. Miller, K. (2018). Agility and Injury Prevention in Handball Players. Sports Medicine Research, 12(4), 160-175.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XL

भारतवर्ष में गंगा की भोगोलिक परिस्थितियां

डॉ. मुकेश मारू*

* संचालक, एम.टी.एम.कान्वेन्ट सेकेण्डरी स्कूल, ब्यावरा, राजगढ़ (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – संसार के महानायक भगवान श्री कृष्ण के अनुसार गीता में वर्णित स्त्रोसाम अस्ति जाह्न्वी अर्थात नदियों में मैं जान्हवी गंगा हूँ, एवं कर्म पुराण के अनुसार कलो गंगा विशिष्टते अर्थात कलयुग में गंगा ही सबसे महान तीर्थ है।

ऐसी महान गंगा जो सम्पूर्ण धरती पर सिर्फ भारतवर्ष के मस्तक से हृदय रूप में प्रवाहित हुई हो, कि सर्वप्रथम हम भौगोलिक विवरण को जानने का प्रयास करते हैं। गंगा हिमालय की सफेद बर्फीली पहाड़ियों से निकलकर बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली अपनी विशिष्ट गुणवत्ता के कारण विश्व की सबसे विशिष्ट किन्तु एशिया महाद्वीप में अपनी कुल 2510 कि. मी. लम्बाई के कारण पन्द्रवी एवं विश्व में उन्तालीस वे स्थान पर आती है। यह नदी विश्व के सर्वाधिक उपजाऊ तथा जन्संख्या घनत्व वाले उत्तर प्रदेश बिहार पश्चिम बंगाल से होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है, यदि कि.मी. की स्थिति के अनुसार देखा जाये तो 500 कि.मी. उत्तराखण्ड, लगभग 1460 कि.मी. यू.पी., 548 कि.मी. बिहार, एवं अनुमानित 520 कि.मी. पश्चिम बंगाल में वर्गीकृत है। गंगा भारत के कुल क्षैत्रफल के लगभग चौथाई भाग में जल अपवाह का माध्यम है। गंगा का अपवात क्षैत्र सात प्रदेशों में लगभग 10,40,000 वर्ग कि.मी. फेला हुआ है । गंगा के इस अपवाह परिक्षेत्र में लगभग 40 करोड भारतीय आबादी निवास करती है।

यदि जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखा जाये तो भारत एवं चीन को छोड़ देने पर यह विश्व के किसी देश से अधिक है। गंगा का मैदान ईसा पूर्व की शताब्दियों से लेकर आज की वर्तमान शताब्दी में क्रमिक रूप से कई सभ्यताओं के उत्थान एवं पतन का साक्षी रहा है। भौगोलिक दृष्टिकोण से गंगा का वास्तविक उदगम स्थल गंगोत्री से लगभग 20 कि.मी. ऊपर की तरफ भारत तिब्बत सीमा के भारतीय क्षेत्र में दक्षिण हिमालय की पर्वत श्रेणियों में स्थित है, जिसे भारतीय गोमुख अर्थात पृथ्वी के मुख के नाम से जाना जाता है। इन पर्वत श्रेणीयों में गंगा के अलिखित गंगा के स्वरूप को विराट बनाने में चार ओर नदियां अपना योगदान देती हैं। जिसमें अलकनंदा सबसे ज्यादा जलराशी गंगा में प्रवाहित करती है।

गंगा का उदगम स्थित गोमुख समुद्रतल से लगभग 14000 मीटर उच्चां माना गया है एवं गोमुख को यहां सतोपंथ हिमगुहा के रूप में भी जाना गया है। गंगा के उद्गम स्थल वाली पर्वत श्रृखंला को भागीरथी पर्वत श्रृंखला के रूप में जाना जाता है। व इसकी गुहा से अलखनंदा के पश्चात भारतवर्ष की एक और बड़ी एवं महान नदी यमुना अपना समपर्ण गंगा को प्रयाग में करती है। यमुना गंगा की सर्वप्रमुख सहायक नदी है यह नदी टीहरी क्षेत्र के पवित्र हिन्दू तीर्थस्थल यमुनोत्री के पास समुद्र तल से लगभग 6330 मीटर की उचांई पर यमुनोत्री हिमनद से निकलती है, यहां से यमुना दक्षिण पूर्व की और बहते हुए लगभग 1376 कि.मी. बहती हुई, हिन्दु धर्म के महान तीर्थ प्रयाग पहुँचती है, जहां इसका संगम गंगा से होता है। यमुना के अलावा गंगा में महानंदा जो दार्जलिंग की पहाडियों से निकल कर गोदावरी में गंगा से मिलती है। कौसी जिसका क्षेत्र नेपाल है, कुरसैला के पास गंगा से मिलती है। गंडक जो नेपाल में काली नदी के नाम से जानी जाती है। पटना के पास गंगा में मिल जाती है। घाघरा जो कि एक बड़ी प्रमुख नदी है, जो मानसरोवर झील के पास से निकलकर बिहार में घपरा के आगे गंगा से मिल जाती है। रामगंगा जो गढ़वाल की पहाड़ियों से निकलकर कन्नोज में गंगा से मिल जाती है। तौस कैमूर पर्वत श्रेणी में तापकुण्ड नामक स्थान से निकलकर प्रयाग के आगे गंगा में मिल जाती है। कर्मनाशा जो कैमूर की पहाड़ियों से निकलकर चौसा नामक स्थान पर गंगा से मिल जाती है। पुन पुन नदी छोटा नागपुर के पहाडों से निकलकर पटना के पास गंगा से मिल जाती है। इसी प्रकार अनेकों छोटी – बडी नदीयां आपस में मिलकर गंगा को समर्पित हो समुद्र तक अपनी यात्रा करती है। इतने लम्बे परिक्षेत्र एवं इतनी नदियों के साथ को साथ लेकर चलने वाली गंगा के परिक्षेत्र में लगभग 6 करोड़ हैक्टेयर भूमि पर खेती होती है। इसी परिक्षेत्र के लगभग 40 से 50 करोड लोग खेती पर निर्भर है। अपना जीवन यापन कर गंगा की महिमा का गान करते हैं।

गंगा नदी वास्तव में भागीरथी एवं अलकनन्दा नदियों का ही सम्मिलित रूप है। अलकनन्दा नदी गढ़वाल परिक्षेत्र में निकलती है। अलकनन्दा में भागीरथी की अपेक्षा अधिक जल की मात्रा प्रवाहित होती है। यह नदी धोकी आस्कर श्रेणी से निकलती एवं विष्णु गंगा जो माना दर्रे के कामेत से निकलती है। आदि नदियों से मिलकर बनी है। यह दोनों विष्णु प्रयाग में मिलकर एक हो जाती है। इसके पश्चात पिंडार नदी कर्ण प्रयाग में व मन्दाकिनी रूद्र प्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है। इन समस्त नदियों को अपने आंचल में समेटे अलकनंदा भारी जलराशी के साथ भागीरथी से देव प्रयाग से मिलती है।

एवं इसी स्थान से भागीरथी गंगा में परिवर्तित हो शिवालिक दक्षिण पर्वत श्रेणीयों को काटते हुये अपने उद्गम स्थल गोंमुख से लगभग 300 कि.मी. दूर तक प्रवाहित हो ऋषिकेश से मैदानी ईलाकों में प्रवेश करती हुई हरिद्धार में पूर्ण रूप से मैदानी स्वरूप धारण कर दक्षिण पूर्व की और प्रवाहित हो गयी है।

1. भागीरथी
2. पिंडर
3. विष्णु गंगा — गंगा

4. मंदाकिनी
5. अलकनंदा

भागीरथी के रूप में गोमुख से आरम्भ हुई गंगा में मानो भारतवर्ष की प्रत्येक बड़ी नदी में होड सी लग जाती है। अपना समपर्ण गंगा में करने के बाद खेती के माध्यम से कराडों लोगों को जीवन देने वाली गंगा को हमेशा से सिंचाई के रूप में भी उपयोग में लाया जाता रहा है। ईसा पूर्व से लेकर आज तक गंगा प्रामाणिक रूप से सिंचाई का प्रमुख स्त्रोत रही है। इसी सिंचाई से गन्ना, कपास, तिलहन आदि नकद फसलों का उत्पादन जर्बजस्त बढ़ा। एक अनुमान के अनुसार गंगा बैसिन का वर्तमान सिंचित क्षेत्र लगभग 1,9500000 है। इस सिंचाई के अतिरिक्त गंगा जल से 48,00,000 किलो वाट विद्युत बनाई जाती है।

गंगा का बैसिन भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे बड़ा नदी प्रणाली बैसिन है। इस बैसिन में प्रवाहित होने वाले पानी का स्त्रोत जुलाई से अक्टुबर तक मानसूनी वर्षा एवं अप्रैल से जून के मध्म पिघलने वाली हिमालय की बर्फ होती है। गंगा बैसिन के अंतिम छोर पर गंगा विश्व का सबसे बढ़ा डेल्टा क्षेत्र बनाती है। जो सुन्दरवन के नाम से जाना जाता है। जो भारत सरकार के व्दारा संरक्षित घोषित है, एवं इस क्षेत्र में स्थाई बसना पूर्णत: वर्जित है। कुल मिलाकर भारत की भौगोलिक परिस्थितियों का अध्ययन करने के पश्चात गंगा को भारत की भाग्य रेखा निरूपित किया गया है, तो वह बिल्कुल ही सत्य है। क्योंकि गंगा लौकिक जगत में भारत की एक बड़ी जनसंख्या को जीवों को जन्तुओं के भोजन, आश्रय, धन, एवं धान्य प्रदान करती है। गंगा की यही खूबी उसे कल्याणी गंगा के रूप में प्रसिद्धि दिलाती है। गंगा जिसका मैदान भारतवर्ष का हृदय है, जिसने सनातन समय की कई सभ्यताओं को बनते और बिगडते देखा है।

तक्षशिला से पुस्कलवती से लेकर इन्द्रप्रस्थ, मथुरा, कोशांगी, प्रयाग, पाटलीपुत्र, और ताम्रलिप्त जैसे कई शाहर एवं कई सभ्यताऐं गंगा के किनारे बसते और उजड़ते रहे है। आज की वर्तमान भौगोलिक परिस्थितियों में जनसंख्या के दृष्टिकोण से विचार किया जाये तो जैसा कि पूर्व में लिखा जा चुका है, कि लगभग 35 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या गंगा के तट या गंगा के घाटों में निवास करती है। उससे देश लगभग 2300 शहरों में से 592 शहर गंगा घाटों पर स्थित है। इसमें मुख्य नदी के किनारे ही लगभग 27 शहर ऐसे हैं, जो स्वयं में जिनकी आबादी कई लाख में है। उदाहरण स्वरूप इलाहबाद वाराणसी पटना कानपुर में सभी शहर की अनुमानित आबादी 25–25 लाख से ज्यादा है, और तो और कलकत्ता जो गंगा किनारे का सबसे विशाल शहर है, कि अनुमानित आबादी एक करोड़ बीस लाख से ज्यादा है। गंगा उत्तरी भारतवर्ष की सबसे बड़ी नदी है स्ट्रेबों मतानुसार सह तीन महाद्वीपों में सबसे बड़ी है। जिसकी लम्बाई कम से कम 30 स्टेडिया है। 10 स्टेडिया – 1 मील मेगस्थनीज के अनुसार इसकी साधारण चौडाई 100 स्टेडिया है। और गहराई 36 मीटर है। स्वामी तपोवन जी महाराज के अनुसार प्राकृतिक सुष्मा से आच्छादित उतंग पर्वतों से मडिंत हरियाली रूपी वस्त्रो को धारण किये, पक्षियों के **कलरव** में उषा की घटा में अंगडाई लेती हुई गढ़वाल प्रकृति की नायिका का आईना है, कल कल करती जन मानस को तारती शांत, शीतल, स्वच्छ मनभावन गंगाजल जिसमें गढ़वाल की प्रवृति की छवि स्वत: स्वाभाविक रूप से निखर उठती है, ऐसा है, गंगा का भूगोल।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. भारत की नदियाँ, राधाकांत भारतीय, प्रथम संस्करण वर्ष 1998, नेशनल बुक ट्रस्ट दिल्ली। पृष्ठ 103
2. भारत की नदियाँ, राधाकांत भारतीय, प्रथम संस्करण वर्ष 1998, नेशनल बुक ट्रस्ट दिल्ली। पृष्ठ 103
3. भारत का भूगोल, डॉ. चतुर्भुज मामोरिया, प्रथम संस्करण वर्ष 1990, साहित्य भवन आगरा। पृष्ठ 83
4. भारत का भूगोल, डॉ. चतुर्भुज मामोरिया, प्रथम संस्करण वर्ष 1990, साहित्य भवन आगरा। पृष्ठ 83
5. गंगा सेवा भारत सेवा, श्री वेद प्रकाश, प्रथम संस्करण वर्ष 2003, रचना प्रकाशन दिल्ली। पृष्ठ 36

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XL

मनरेगा योजना के संवैधानिक प्रावधानों का एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

मनोज कुमार* डॉ. गौतमवीर**

* शोधार्थी (राजनीति विज्ञान) डी.ए.वी.पी.जी. कॉलेज, बुलन्दशहर (उ.प्र.) भारत
** एसोसिऐट प्रोफेसर (राजनीति विज्ञान) डी.ए.वी.पी.जी. कॉलेज, बुलन्दशहर (उ.प्र.) भारत

प्रस्तावना – 'सुजलाम्, सुफलाम्, मलयज शीतलाम्, शस्यश्यामलाम्, मातरम्' आदि कहकर भारतीय मनीषियों ने भारत माता का जो चित्रण किया हैं, वह उसके ग्राम्य स्वरूप को प्रदर्शित करता हैं। यह सत्य है कि गाँवों में ही भारत की आत्मा बसती है। भारत में करीब 6.5 लाख गाँव है जो कुल आबादी का लगभग 70 प्रतिशत हिस्से का प्रतिनिधित्व करते है। इनमें से अधिकांश लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की प्रमुख समस्याओं के समाधान करने का एक मात्र विकल्प ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगारों का सृजन है।

ग्रामीण भारत को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का स्वप्न राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी के 'ग्राम स्वराज' से लेकर आधुनिक समय के 'स्मार्ट विलेज' की यात्रा तक रहा है, लेकिन धरातल पर देखें तो स्थिति जस की तस बनी हुई है। यद्यपि अगस्त, 1947 ई0 को स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् से ही केन्द्रीय व विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा ग्रामीण अंचलों में विभिन्न रोजगारपरक एवं विकासपरक कार्यक्रमों की प्रक्रिया को प्रारम्भ कर ग्रामीण भारत के विकास को मुख्यधारा से जोड़ने के सतत् प्रयास किये है।

भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री व किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह के इस आदर्श वाक्य **'देश की उन्नति व खुशहाली का रास्ता गाँवों से होकर गुजरता है'** की अवधारणा से स्पष्ट है कि यदि भारत को खुशहाल व सम्पन्न बनाना है तो गाँवों को विकसित करना इसकी पूर्वशर्त है। प्राचीनकाल में हमारे गाँव आत्मनिर्भर एवं सम्पन्न थे, लेकिन बाद में अनेक कारणों से हमारा ग्रामीण जीवन सुविधाहीन हो गया। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के अनुसार आज भी भारत में लगभग 30 करोड़ लोग गरीब हैं, जिनमें से अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते है। ग्रामीण क्षेत्रों के पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित न हो पाना रहा है। 15 अगस्त, 1947 ई0 को स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारत को एक समाजवादी, लोकतांत्रिक एवं कल्याणकारी राज्य घोषित कर भारत में 'समावेशी विकास' की व्यवस्था की तथा विभिन्न लोककल्याणकारी योजनाओं व विकास कार्यक्रमों के संचालन पर ध्यान केन्द्रित किया गया।

भारतीय संविधान के भाग–4 के अन्तर्गत नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान कर भारत को एक लोककल्याणकारी राज्य के रूप में प्रदर्शित किया गया है। संविधान के अनुच्छेद–43 के अनुसार 'राज्य उपयुक्त विधान या आर्थिक संगठन द्वारा या किसी अन्य रीति से कृषि के, उद्योग के या अन्य प्रकार के सभी कर्मचारियों को काम, निर्वाह मजदूरी, विशिष्ट जीवनस्तर व अवकाश का सम्पूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशाएं तथा सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवसर प्राप्त कराने का प्रयास करेगा।' इसी अनुच्छेद के प्रावधान के अनुरूप ग्रामीण विकास व ग्रामीण रोजगार के दोहरे लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से 5 सितम्बर, 2005 में संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धन सरकार ने 'राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना' (नरेगा) का शुभारम्भ किया गया।

नरेगा का उद्देश्य महात्मा गाँधी के विचारों एवं उनके सपनों के काफी करीब है। वे गाँवों को विकास की इकाई मानते थे। इन्हीं कारणों से 02 अक्टूबर, 2009 को बापू की 140वीं सालगिरह पर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (NREGA)का नाम परिवर्तित कर 'महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MNREGA)' कर दिया गया।

मनरेगा ग्रामीण गरीब जनता के लिए एक क्रान्तिकारी कदम है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से ही यह माँग उठ रही थी कि काम के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची में शामिल किया जाय। यह सभी सरकारों के लिए सोचनीय बात है कि उनके अधिकतम प्रयासों के बावजूद गरीबी एवं बेरोजगारी कभी नियंत्रण में नही आयी। यह ध्यान योग्य बात है कि स्वतंत्रता प्राप्ति से ही बड़ी संख्या में ग्रामीण युवा शहरों की ओर पलायित होते रहे हैं। मनरेगा का क्रियान्वयन ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के जीवन निर्वाह स्तर में वृद्धि करने हेतु महत्वपूर्ण है। इसके पीछे यह उद्देश्य है कि प्राकृतिक संसाधनों को नवजीवन प्रदान करना, स्थानीय अर्थव्यवस्था को स्फूर्ति प्रदान करना तथा स्थानीय लोगों को शहरों की ओर हो रहे पलायन को रोकना।

मनरेगा कार्यक्रम जहाँ एक तरफ इच्छुक परिवारों को 100 दिन के रोजगार की गारंटी देता है, वहीं दूसरी तरफ इसके क्रियान्वयन के द्वारा ग्रामीण बुनियादी ढाँचे के निर्माण एवं विकास का कार्य भी सुनिश्चित किया जाता है। इसके अन्तर्गत जल संरक्षण और जल संचयन, सूखा रोधी कार्य (वनरोपण एवं वनीकरण), सिंचाई नहरों का विकास, पारम्परिक जल निकायों तथा तालाबों, कुओं आदि का नवीनीकरण एवं निर्माण, भूमि विकास, टिकाऊ अस्तियों का सृजन आदि ग्रामीण ढाँचागत विकास के कार्यों को सम्पन्न किया जाता है।

इस प्रकार मनरेगा ग्रामीण भारत के समावेशी विकास को दो प्रकार से प्रभावित करता है–

1. रोजगार सृजन कर मनरेगा ग्रामीण परिवारों की क्रयशक्ति में वृद्धि करने एवं जीवन निर्वाह स्तर को ऊँचा उठाने में सहायक हो सकता है।
2. गाँवों में बुनियादी ढाँचे के निर्माण एवं विकास के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों

के पिछड़ेपन को दूर करने में प्रभावी भूमिका निभा सकता है।

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अन्तर्गत पहली बार यह प्रावधान किया गया है कि इसके नियोजन, क्रियान्वयन और पर्यविक्षण में पंचायती राज संस्थाएँ सीधे शामिल है। इस प्रकार यह लोगों के विकास हेतु सहभागी लोकतंत्र और योजना का एक नया प्रयोग है। मनरेगा के कारण पंचायती राज व्यवस्था को और अधिक तवज्जों मिली है तथा आर्थिक एवं राजनीतिक सशक्तिकरण में भी वृद्धि हुई। विकेन्द्रीकृत नियोजन एवं विकास की भावना पर आधारित इस कार्यक्रम से जनसहभागिता का प्रसार एवं पंचायतीराज के सही उद्देश्य की प्राप्ति हो रही है।

साहित्य समीक्षा –स्वतन्त्र भारत के सामने रोजगार की समस्या विशेषकर ग्रामीण रोजगार की समस्या एक अत्यन्त स्थायी एवं दु:साध्य समस्या के रूप में विद्यमान रही हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् से ही भारत सरकार द्वारा संचालित प्रमुख लोक–कल्याणकारी योजनाओं का बेरोजगारी दूर करने व ग्रामीण रोजगार उपलब्ध कराना प्रमुख उद्देश्य रहा है। शोध अध्ययन विषय में सम्बन्धित कुछ रचनाएं प्रमुख है जिनकी संक्षिप्त रूप से समीक्षा निम्न प्रकार से की गयी है–

1. ए0के0 सेनने अपनी पुस्तक 'रोजगार तकनीक एवं विकास, 1975' में ग्रामीण रोजगार के बारे में विस्तार से बताया। उनके अनुसार– 'ग्रामीण क्षेत्रों में प्राय: गरीब परिवार बेरोजगार नहीं रह सकते क्योंकि वे अपने आप को किसी–न–किसी काम में लगाये रखते है चाहे उनसे उन्हें बहुत ही कम आय प्राप्त क्यों न होती हो, अर्थात वह स्थिति जिसमें व्यक्ति उत्पादकता एवं आय के बहुत निम्न स्तर पर रोजगार में लगे है।

2. कृपाशंकरद्धारा कृत 'गांवों में रोजगार की समस्या एवं समाधान, 2000', में बताया कि भारत सरकार द्वारा देश में गरीबी और ग्रामीण बेरोजगारी दूर करने के लिए औद्योगिकरण को अपनाया गया लेकिन इससे कोई सम्मानित सफलता प्राप्त न हो सकी। इसके पश्चात् भारत सरकार द्वारा ग्रामीण गरीबी पर सीधे प्रहार करने के उद्देश्य से समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना आदि कार्यक्रम लागू किये गये, लेकिन इन कार्यक्रमों को भी सही प्रकार से संचालित नहीं किया गया।

3. प्रकाश दुबे नेअपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'ग्रामीण बेरोजगारी की समस्या एवं समाधान, 2000' के अनुसार– भारतवर्ष में प्रतिव्यक्ति आय विश्व के अनेकों छोटे–छोटे देशों से भी बहुत कम है। इसलिए भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आय बढ़ाने और गरीबी व बेरोजगारी को समाप्त करने के उद्देश्य से समय–समय पर अनेको योजनाएं व कार्यक्रम क्रियान्वित किये गये जिनके द्वारा ग्रामीण लोगों को गाँव में ही काम मिले तथा ग्रामीणों के शहरों की तरफ हो रहे पलायन को नियंत्रित किया जा सकें।

4. जगमोहन माथुरद्धारा कृत पुस्तक 'ग्रामीण रोजगार की चुनौती, 2000'में बताया कि ग्रामीण रोजगार से सम्बन्धित भारत सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओंजैसे समन्वित विकास कार्यक्रम, आई0आर0डी0पी0 डवाकार, ट्राइमेस, सिटरा और गंगा कल्याण आदि योजनाओं का विलय कर सन् 1999 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को प्रारम्भ किया गया। इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब ग्रामीणों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के उद्देश्य से उन सभी को अपने स्वरोजगार सम्बन्धित छोटे–छोटे काम धन्धे प्रारम्भ करने के लिए सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी।

5. उपेन्द्र प्रसादने अपनी पुस्तक 'ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, 2000'के अन्तर्गत लेखक ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी को दूर करने में कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका साबित हो सकती है, इसलिए सरकार का ज्यादा से ज्यादा कृषि कार्यों के लिए बुनियादी ढाँचा, बाँध, नहरों का निर्माण तथा शहरों से गाँवों को जोड़ने के लिए ज्यादा से ज्यादा सड़कों का निर्माण किया जाना चाहिए।

6. रतन श्रीवास्तव ने अपनी पुस्तक 'स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना एवं महिला विकास योजना, 2000'में ग्रामीण रोजगार के विषय में लिखा– जिन ग्रामीण परिवारों की वार्षिक आय 20,000 रू0 से कम है उन्हें भारत सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे मानते हुए तथा उन परिवारों के आर्थिक एवं सामाजिक स्तर में सुधार करने के उद्देश्य से अप्रैल, 2000 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को प्रारम्भ किया गया। इस योजना के अन्तर्गत महिलाओं के विकास पर विशेष जोर दिया गया है जिसके अन्तर्गत इस योजना में महिलाओं की 40 प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित की गयी।

7. डॉ. कैलाश चन्द्र पपनै ने अपनी पुस्तक 'ग्रामीण रोजगार के लिए नई पहल, 1999',नामक शीर्ष के अन्तर्गत लिखा कि भारत सरकार द्वारा संचालित ग्रामीण विकास एवं ग्रामीण रोजगार से सम्बन्धित विभिन्न योजनाओं व कार्यक्रमों को एक नई आशा के साथ कि इन प्रमुख योजनाओं से विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजगार युवकों व मुख्य रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ावर्ग के बेरोजगार युवकों को अत्यधिक लाभ प्राप्त होगा।

8. जनक सिंह मीणा ने अपनी पुस्तक 'ग्रामीण विकास के विविध आयाम, 2010',में कहा कि भारतीय लोकतंत्र में विकास का सार्वभौमिक स्वरूप पूर्णरूप से ग्रामीण परिवेश पर न केवल पल्लवित होता है अपितु पूर्णरूप से निर्भर करता है। लेखक का यह भी मानना है कि पंचायतीराज व मनरेगा एक जीवन दर्शन के समान है। जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण विकास एवं अधिकतम लोगों का सर्वांगीण विकास करना है।

शोध उद्देश्य:

1. ग्रामीण रोजगार के सन्दर्भ में भारत सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों व योजनाओं का विश्लेषण करना।
2. मनरेगा के संवैधानिक प्रावधान का अध्ययन करना।
3. महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में मनरेगा की भूमिका के प्रभाव का आँकलन करना।
4. ग्रामीण रोजगार अभिवृद्धि में मनरेगा की भूमिका का मूल्याँकन करना।

शोध अध्ययन पद्धति – प्रस्तुत शोध पत्र मुख्य रूप से विश्लेषणात्मक पद्धति पर आधारित है अत: यह शोध पत्र द्वितीयक स्रोतों पर आधारित है। इसके अध्ययन के लिये पुस्तकों के साथ–साथ पत्र–पत्रिकाओं, समाचार–पत्रों व इण्टरनेट का सहारा लिया गया है।

मुख्य अध्ययन एवं विवेचन: मनरेगा का संवैधानिक प्रावधान – इस अधिनियम का प्रारम्भिक नाम राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (नरेगा) 2005 था। चूंकि यह अधिनियम महात्मा गांधी के विचारों एवं ग्रामीण विकास से संबंधित कार्यक्रमों के ज्यादा करीब है, इसलिए इसका नाम 2 अक्टूबर, 2009 से बापू की 140वीं सालगिराह पर इसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया था।

इस अधिनियम की मुख्य विशेषताओं का सार इस प्रकार है–

1. ग्रामीण क्षेत्र में नियोजन की गारंटी – यह अधिनियम ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले ऐसे प्रत्येक परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन के न्यूनतम रोजगार की गारंटी प्रदान करता है, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने हेतु तैयार हैं। ऐसे परिवार को पंजीयन हेतु

लिखित या मौखिक रूप से स्थानीय ग्राम पंचायत में आवेदन करना होगा। पंजीकरण की ईकाई एक परिवार है। यह पंजीकरण पांच वर्ष के लिए होता है।

2. **जॉब कार्ड जारी होना** –रोजगार पाने हेतु आवेदन करने वाले व्यक्ति या परिवार के आवास, स्थान और आयु की अपेक्षित जांच के बाद ग्राम पंचायत आवेदक परिवार को एक जॉब कार्ड जारी करेगी। यह कार्ड पूरे परिवार के लिए एक ही होगा। जॉब कार्ड पर परिवार के उन सभी वयस्क सदस्यों के फोटो लगे होंगे, जो मनरेगा के अन्तर्गत काम करना चाहते हैं। फोटो युक्त जॉब कार्ड आवेदक को नि:शुल्क दिया जाएगा। प्रत्येक जॉब कार्ड की विशेष संख्या होती है। ग्राम पंचायत द्वारा पंजीकरण जॉब कार्ड किसी प्रकार के परिवर्तन को ग्राम सभा की बैठक में अनुमोदित कराना होगा। वित्त वर्ष 2008–09 में मनरेगा अधिनियम की अनुसूची– द्वितीय, पैरा–2 में संशोधन के द्वारा यह सुनिश्चित किया गया है कि जॉब कार्ड, जॉब कार्ड धारक के पास ही रहेगा।

3. **काम के लिए आवेदन** – जॉब कार्ड धारक परिवार का कोई भी सदस्य जिसका नाम कार्ड में दर्ज हैं, रोजगार के लिए ग्राम पंचायत को लिखित आवेदन दे सकता है। आवेदन में इस बात का उल्लेख करना होगा कि आवेदक कब और किस अवधि के दौरान रोजगार चाहते हैं। परन्तु किसी भी हालत में यह अवधि 14 दिन से कम नहीं होनी चाहिए। ग्राम पंचायत रोजगार के लिए अर्जी मिलने पर आवेदक को तिथियुक्त पावती रसीद जारी करनी होगी, जिसके आधार पर 15 दिनों के भीतर आवेदक को रोजगार उपलब्ध कराने की गारंटी लागू होगी। रोजगार उपलब्ध कराने में इस बात को प्राथमिकता दी जाएगी कि इसमें एक–तिहाई ऐसी महिलाएं शामिल हो जो इसमें पंजीकृत हो और रोजगार की मांग की हो।

4. **मजदूरी दर एवं भुगतान** – भारत सरकार द्वारा राज्यवार अधिसूचित संकल्प के आधार पर मजदूरी का भुगतान किया जाएगा। मजदूरी का भुगतान प्रत्येक कार्य के अनुसार 'शेडयूल ऑफ रेट्स' के आधार पर किया जाएगा। यह भुगतान साप्ताहिक रूप से किया जाएगा परन्तु किसी भी हालत में 15 दिन से अधिक नहीं होगा।

मजदूरी का भुगतान लाभ पाने वाले व्यक्ति को व्यक्तिगत या संयुक्त बैंक अथवा डाकघर खाते के माध्यम से अनिवार्य रूप से किया जाएगा।किसी बात के समान होते हुए भी केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा मजदूरी दर निर्धारित कर सकेगी। भिन्न–भिन्न क्षेत्रों के लिए यह दर भिन्न हो सकती है, परन्तु यह किसी भी हालत में रूपये 60 प्रतिदिन से कम नहीं होगी। कुशल श्रमिकों एवं कारीगरों को मजदूरी का भुगतान सामग्री अंश से किया जाएगा।

5. **नियोजन एवं क्रियान्वयन** –मनरेगा के नियोजन एवं क्रियान्वयन में पंचायती राज संस्थाओं की मुख्य भूमिका होगी। एक वित्त वर्ष में किए जाने वाले काम की प्रकृति और पसंद के संदर्भ में योजना और निर्णय, जिसमें किए जाने वाले हर काम, उसकी जगह का निर्धारण इत्यादि शामिल है, ग्राम सभा की खुली बैठक में निश्चित किया जाएगा और इसको ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृति लेनी होगी। जो काम विकासखण्ड या जिलास्तर पर शामिल किए जाएंगे उन्हें प्रशासनिक स्वीकृति देने से पहले ग्राम सभा द्वारा स्वीकृति और प्राथमिकता प्रदान करनी होगी ग्राम सभा उन्हें स्वीकार, संशोधित अथवा रद्द कर सकती है। कोई नया कार्य तभी प्रारम्भ किया जाए जबकि कम से कम 10 व्यक्तियों को उसमें रोजगार दिया जा सके।

6. **बेकारी भत्ता** – यदि स्कीम के अधीन किसी आवेदक को रोजगार हेतु आवेदन की तिथि से 15 दिवस के भीतर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो वह इस अधिनियम के अनुसार एक दैनिक बेरोजगारी भत्ते का हकदार होगा। इस बेरोजगारी भत्ते की दर का निर्धारण राज्य सरकार, राज्य परिषद के परामर्श से करेगा, परन्तु किसी भी हालत में पहले तीस दिनों के लिए मजदूरी दर की। (और शेष अवधि के लिए मजदूरी दर के) से कम नहीं होगी।

7. **कार्यस्थल प्रबंधन** – इस योजना से श्रमिकों का सीधा लाभ, सुनिश्चित करने के लिए, यह अधिनियम काम के कार्यान्वयन में ठेकेदारों या मशीनरी के प्रयोग को पूर्णत: निषिद्ध करता है। इस अधिनियम की मूल भावना का विलयन न हो जिसका केन्द्र बिन्दु मजदूरी रोजगार है। इस अधिनियम के अन्तर्गत यह सुनिश्चित किया गया है कि एक ग्राम सभा द्वारा किये जाने वाले कार्य की कुल लागत में मजदूरी, व्यय और सामान पर व्यय में 60 : 40 का अनुपात होना चाहिए।

एक लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को सुदृढ़ करने हेतु इस योजना में यह प्रावधान किया गया है कि कार्यस्थल पर स्वच्छ पेयजल, बालकों के लिए शिशु सदन, विश्राम की अवधि के लिए शेड, स्वच्छ पेयजल, लघु क्षति में उपचार के लिए प्राथमिक चिकित्सा पेटी तथा किए जा रहे कार्य से सम्बद्ध अन्य स्वास्थ्य परिसंकट के लिए सुविधाएं प्रदान की जाएगी।

पुन: ध्यान देने योग्य बात है कि यदि किसी कार्य स्थल पर कार्यरत् महिलाओं के साथ छ: वर्ष से कम आयु के बालकों की संख्या पाँच या उससे अधिक है तो ऐसी महिलाओं में से किसी एक महिला को ऐसे बालकों की देखभाल करने के लिए तैनात करने की व्यवस्था की जाएगी और उसे शेष मजदूरों के समान ही मजदूरी दी जाएगी।

मनरेगा के अन्तर्गत कराए जाने वाले कार्य गाँव के 5 किमी0 की परिधि में कराये जाने को वरीयता दी जाएगी। यदि कार्यदायी संस्थाओं के द्वारा कार्य 5 किमी0 की परिधि से बाहर कराये जाते हैं, तो कार्य करने वाले मजदूरों को 10 प्रतिशत मजदूरी अतिरिक्त देने की व्यवस्था अधिनियम में की गई है। महिलाओं तथा वृद्धों को उनके निवास स्थान के आस–पास काम उपलब्ध कराना होगा।

8. **कार्यस्थल पर शारीरिक दुर्घटना बीमा** – इस योजना का एक महत्वपूर्ण आयाम इसकी बीमा योजना है। इस स्कीम के तहत कार्यस्थल पर यदि कोई श्रमिक कार्य के दौरान किसी भी तरह से दुर्घटना से घायल होता है तो उसे योजना के अन्तर्गत नि:शुल्क चिकित्सा उपलब्ध करायी जाएगी। यदि उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़े तो उसे अस्पताल में रहने व उपचार से सम्बन्धित सभी खर्चों का वहन सरकार द्वारा किया जाएगा साथ ही प्रतिदिन की मजदूरी का आधा हिस्सा भी उसे प्राप्त होगा।

यदि कार्यस्थल पर किसी श्रमिक की मौत हो जाय या अपंग हो जाय तो निम्नलिखित धनराशि देय होगा।

1. कार्यरत व्यक्ति की दुर्घटना के फलस्वरूप मृत्यु होने पर रू0 25,000/–
2. स्थायी या पूर्ण अपंग होने पर रू0 2500/–
3. हाथ, पैर या आंख अक्षम होने पर रू0 15,000/–
4. एक आँख या एक पैर अक्षम होने पर रू0 10,000/–

9. **वित्त पोषण** – मनरेगा अधिनियम धारा–32 के अनुसार केन्द्र सरकार निम्नलिखित मदों के लिए आने वाली लागत का वहन करती है–

1. अकुशल श्रमिकों के मजदूरी की पूरी लागत।
2. सामग्री लागत तथा कुशल श्रमिकों के मजदूरी लागत का 75 प्रतिशत अंश।
3. प्रशासकीय व्यय जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा और इसमें अन्य बातों के साथ–साथ कार्यक्रम अधिकारी तथा उसके सहायक कर्मचारियों के वेतन व भत्ते तथा कार्यस्थल सुविधाओं की

लागत शामिल होगी।

4. राष्ट्रीय रोजगार गारंटी परिषद के खर्चा।

इस अधिनियम के तहत राज्य सरकारों को इस योजना के हेतु निम्नलिखित वित्त की व्यवस्था करनी होगी-

1. श्रमिकों को बेरोजगारी भत्ता के भुगतान की लागत।
2. कुशल श्रमिकों की मजदूरी एवं सामग्री लागत का 25 प्रतिशत हिस्सा।
3. नये जिलों में योग्य वित्तीय व्यवस्था की जिम्मेदारी राज्य सरकार की ही होगी।
4. राज्य रोजगार गारंटी परिषद के खर्चे।

अधिनियम की धारा-20(1) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार, एक राष्ट्रीय रोजगार गारंटी निधि तथा धारा-21(1) के अन्तर्गत राज्य सरकारें, राज्य रोजगार गारंटी निधि के नाम से एक निधि स्थापित कर सकेंगी। इस प्रकार हम देखते है कि इस योजना के क्रियान्वयन में वित्तीय खर्चे का महत्वपूर्ण भाग केन्द्र सरकार वहन करती है।

10. लेखा परीक्षा -अधिनियम की धारा-24 इस स्कीम के लेखाओं की संपरीक्षा का प्रावधान करता है। केन्द्रीय सरकार, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के परामर्श से, स्कीमों के लेखाओं की सभी स्तरों पर संपरीक्षा के लिए समुचित व्यवस्थाएं विहित कर सकेंगी। यह केन्द्र एवं राज्य दोनों स्तरों पर होगा।

11. शिकायत निवारण -महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी अधिनियम में सम्बन्धित शिकायतों के त्वरित निवारण हेतु विशेष प्रावधान किये गये है। वित्त वर्ष 2008-09 के दौरान अनुसूची-द्वितीय, पैरा-35 में संशोधन किया गया है। जिसके अनुसार-

1. कार्यस्थल पर सत्यापन के जरिए जाँच, छानबीन और निपटान का कार्य सात कार्य दिवसों में पूरा कर लिया जाएगा।
2. कार्यक्रम अधिकारी सात दिनों के भीतर शिकायतों का निराकरण करेंगे। यदि शिकायत में अन्य अधिकारी शामिल होते हैं, तो कार्यक्रम अधिकारी प्रारम्भिक जाँच पड़ताल करेगा और सात दिनों के भीतर इस मामले पर कार्यवाई करेगी।
3. वित्तीय अनियमिताओं के मामले में डी0पी0सी0 प्राथमिकी रिपोर्ट दर्ज करेगी।
4. दोष सिद्ध होने पर सम्बन्धित अधिनियम की धारा-25 के तहत दण्ड का भागी होगा।
5. यदि अधिकारों के उल्लंघन का मामला पाया जाता है तो अधिक से अधिक 15 दिनों के भीतर शिकायत का निवारण कर लिया जाएगा।

12. सतर्कता प्रकोष्ठ -भारत सरकार ने राज्यों को सुझाव दिया है कि इस अधिनियम के कार्यान्वयन में होने वाली अनियमिताओं, कदाचारों की सक्रिय पहचान के लिए एक तीन स्तरीय सतर्कता तंत्र की स्थापना की जाए और पहचान की गई अनियमिताओं और भ्रष्टाचारों, जिनका सामाजिक अंकेक्षण के दौरान उल्लेख हुआ है उसमें भी सुधार किया जाए।

निष्कर्ष - ग्रामीण विकास एवं रोजगार के संदर्भ में, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से लेकर वर्तमान समय तक केन्द्रीय व राज्य सरकारों द्वारा जितनी भी योजनाओं का निर्माण किया गया उन सभी योजनाओं, कार्यक्रमों आदि में 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना' अपने कार्यक्रमों, उद्देश्यों व प्रावधानों के संदर्भ में अमूल्य है। यह एकमात्र ऐसी योजना है जो विश्व में रोजगार की गारंटी प्रदान करने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी योजना है। मनरेगा के अन्तर्गत ग्रामीण बेरोजगार को न केवल रोजगार पाने का वैधानिक अधिकार एवं गारंटी प्राप्त होती है बल्कि रोजगार न मिल पाने की स्थिति में बेकारी भत्ता पाने का भी अधिकार प्राप्त है। इस योजना के अन्तर्गत महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए महिलाओं की एक तिहाई सहभागिता को भी अनिवार्य माना गया है जिससे महिलाएं भी आर्थिक क्षेत्र में सबलता प्राप्त कर सकें। ग्रामीण रोजगार व विकास से सम्बन्धित भारत सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रम एवं योजनाएं अपने निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने में पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पा रही है। अत: ग्रामीण रोजगार अभिवृद्धि में मनरेगा ने किस स्तर तक योगदान दिया इसका अध्ययन व विश्लेषण भी आवश्यक हो जाता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची:-

1. ए0के0 सेन, रोजगार तकनीकी एवं विकास, कोणार्क प्रकाशन प्रा0लि0, दिल्ली, 1975
2. कैलाश चन्द्र पपनै, ग्रामीण रोजगार के लिए नई पहल, कुरूक्षेत्र, 1999
3. मिश्र-पुरी, भारतीय अर्थव्यवस्था, हिमालय पब्लिकेशन हाउस, दिल्ली, 1998
4. रूद्र दत्त व के0पी0एम0 सुन्दरम्, भारतीय अर्थव्यवस्था, एस0 चन्द एण्ड कम्पनी लि0, रामनगर, नई दिल्ली, 2001
5. डॉ0 टी0टी0 सेठी, मेक्रो अर्थशास्त्र, प्रकाशक लक्ष्मीनारायण अग्रवाल, आगरा, 1994
6. बसंत देसाई, रूरल इम्प्लाएमेंट, हिमालय पब्लिकेशन हाउस, मुम्बई, 1994
7. डॉ0 भंडारी व डॉ0 जौहरी, भारत में आर्थिक नियोजन एवं प्रगति के सिद्धान्त, प्रकाशक लक्ष्मीनारायण अग्रवाल, आगरा, 1994
8. एस0पी0 सिंह, आर्थिक विकास एवं नियोजन, एस0चन्द एण्ड कम्पनी लि0, नई दिल्ली, 1994
9. ए0आर0 देसाई, रूरल सोशियोलॉजी इन इण्डिया, द इण्यिन सोसायटी ऑफ एग्रीकल्चर इकॉनोमिक्स, 1961
10. डी0आर0 गाडगिल, टू पॉवरफूल क्लासेज इन एग्रेरियन एरिया इन रूरल सोशियोलॉजी इन इण्डिया, 1961
11. एम0एन0 श्रीनिवास, इंडियाज विलेजेज, एशिया पब्लिशिंग हाउस, बॉम्बे, 1963
12. डॉ0 रमाकान्त ठाकुर, पिछड़े वर्गों की गरीबी का विश्लेषण, मगध विश्वविद्यालय, बोध गया, 2001
13. राजेन्द्र सिंह, भारतीय अर्थव्यवस्था में गरीबी उन्मूलन की समस्याएं, राधा पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 1989
14. डॉ0 संजीव दुबे, भारत में गरीबी की समस्या की अवधारणा, कुरूक्षेत्र नई, दिल्ली, 1999
15. राम आहूजा, सामाजिक समस्याएं, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर, 2001

समाचार पत्र-पत्रिकाएँ:

1. अमर उजाला
2. दैनिक जागरण
3. जनसत्ता
4. हिन्दुस्तान टाइम्स
5. नई दुनिया
6. प्रतियोगिता दर्पण
7. प्रतियोगिता किरन
8. कुरूक्षेत्र

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XL

Paulo Coelho's The Alchemist : A Self Denial Of Complacency

Dr. Richa Mathur*

***Professor (English) Govt. PG College, Mavli, Udaipur (Raj.) INDIA**

Introduction - The objective of this paper is to throw light on the non-complacent spirit as presented by the postmodern writer Paulo Coelho in his novel *The Alchemist*. Complacency is a feeling of contentment, a kind of self-satisfaction accompanied by unawareness of actual dander or deficiencies and a kind of smugness. Most of the people know what they want to do with their life. However, complacency always steps in with negative thoughts that stop them from doing what they should be doing.

The alchemist is considered as an inspiration for those who seek their path in life. It is a story for those who wish to know the way to find the heart's desire. In this masterpiece, the writer states that one should never avoid one's destiny and urges people to follow their dreams. According to Coelho, this search should be the only mission on Earth, as it ultimately leads to the way to find the God, meaning happiness, fulfillment and the ultimate purpose of creation. The novel tells how each of us has a single mission or goal in life, a personal legend, though most of us do not realize it. But most importantly it tells that though we do not know what our treasure will be, or where and how we will receive it, if we follow our heart, we will find it.

It is the story of Santiago, an Andalusian shepherd boy who has a dream and courage to follow it. After listening to "the sign", Santiago ventures in his personal, Ulysses- like journey of exploration and self discovery, symbolically searching for a hidden treasure located near the Pyramids in Egypt. The mystery of whole quest is that it ends in his own country, in the region of Andalusia. In his journey of unknown and unseen lands, the young Santiago sees the greatness of the world, and meets all exciting and crazy people and knows all down to earth people, and eventually the Alchemist. However apart from all material treasure which he gets at the end of the novel, what else he gains is the discovery that 'treasure lies where your heart belongs' and the treasure was the journey itself; the discoveries he made and the wisdom he gained.

The Alchemist is an exciting novel that bursts with optimism, it is a kind of novel that tells you that everything is possible as long as you really want it to happen. In order to bring home to this message, Coelho present many such characters that could never follow their dreams in their lifetime as they put it off due to the fear of failure, lack of courage or lack of a strong impetus. Paulo Coelho shows how easy it is to give up ever attaining one's dreams due to complacency or not wanting to move out of one's comfort zone.

> *People are afraid to pursue their*
> *most important dream, because*
> *they feel that they don't deserve*
> *them or that they'll be unable to*
> *follow them (Coelho, 2008, p 124)*

Coelho also suggests that those who don't have the courage follow their dreams are doomed to a life of emptiness, misery and non-fulfillment. Fear of failure seems to be the greatest obstacle to happiness. As one of the characters, an old crystal-seller tragically confesses:

> *I am afraid that it would all be a*
> *disappointment, so I prefer just to*
> *dream about it (Coelho, 2008, p 53)*

This is where Coelho really captures the psyche of man, who sacrifices fulfillment to conformity, who knows he can achieve greatness but denies doing so due to the fear of loss and defeat and ends up living a life of void and regret. It is interesting to see that Coelho presents the person who denies following his dreams as a person who denies seeing God. However, only a few people chose to follow the road that has been made for them, and find God while searching for their destiny and their mission on Earth. The book frequently reiterates that:

> *When you really want something to*
> *happen, the whole universe*
> *conspires so that your wish comes*
> *true (Coelho, 2008, p 21)*

There are many situations in the life of Santiago when he could settle down in a complacent situation. But it is the spirit of an adventurer that makes him set out to lead a life of wanderer. His parents wanted him to be a priest, a job that could ern a good living for him and his family. On the contrary, Santiago wanted to travel to see the world, hence

he became shepherd. When he loses hope in the realization of his dream of the treasure, he really gives it up. But it is the King of Salen who rejuvenates his hope in the dream and the boy undertakes the journey. Once you stay in a place long enough it gets very comfortable and then it requires more energy to get out of that place. And therein lies the very well disguise trap of complacency. The same happens with Santiago. He once again seems to be in the trap of complacency when he was compelled to work with the crystal merchant. The boy was thinking of giving up his search and going back to Andalusia. This time he is rescued from doing so by Urian and Thummim, the two stones given to him by king od Selen. While in the oasis, Santiago falls in the love with a girl named Fatima and nearly decides to settle down there. But the appearance of the Alchemist on the scene, the insistence of Fatima and his own urge for the dream compel him to continue his search for the hidden treasure in the desert and end up successfully.

The whole of Santiago journey symbolically presents a philosophy. According to Coelho, complacency tends to nit any potential for change in the bud and encourages the absolute minimum. The book points out the danger of complacency. Sooner or later, before one realizes complacency in his/her life, one has missed out those opportunities that could make him/her successful person in life.

References:-

1. Coelho, P(2008) The Alchemist, London: Harper Collins.
2. Dash, Rajendra Kumar "Paulo Coelho's The Alchemist, the Memories of life Management skills" IOSR Journal of Humanities and Social Sciences, Vol 3, no. 3, 2012 pp. 1-4

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XL

भारतीय मतदाताओं के मतदान-व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारकों का एक अध्ययन

डॉ. अनिल कुमार* धर्मपाल सिंह**

* असिस्टेन्ट प्रोफेसर (राजनीति विज्ञान) सनातन धर्म महाविद्यालय, मुजफ्फरनगर (उ.प्र.) भारत
** शोधार्थी (राजनीति विज्ञान) सनातन धर्म महाविद्यालय, मुजफ्फरनगर (उ.प्र.) भारत

शोध सारांश – वर्तमान में विश्व के अधिकांश देशों में लोकतान्त्रिक व्यवस्था विद्यमान है, और वहाँ पर निवार्चन को निर्विवाद रूप से अपनाया गया है। इसीलिए निवार्चन प्रणाली को लोकतान्त्रिक व्यवस्था में उसका हृदय एवं प्राण भी माना जाता है। अर्थात् निर्वाचन प्रणाली में कोई राजनीतिक दल अथवा प्रत्याशी हार जाता है तो कोई जीत भी जाता है। इसी प्रक्रिया को जानने की जिज्ञासा अथवा उत्सुकता, राजनीतिक विज्ञान के प्रबुद्ध जनों में पाया जाना एक आम सी बात है। भारत में अब तक सत्रहवीं लोकसभा (2019) एवं विभिन्न स्तरों पर होने वाले चुनाव परिणामों के फलस्वरूप शासन सत्ता विद्यमान हैं। अत: इन चुनावों को प्रभावित करने वाले वे कौन-कौन से प्रमुख कारक अथवा घटक हैं जिन्होंने भारतीय मतदाताओं को प्रमुख राजनीतिक दलों अथवा व्यक्तियों या प्रत्याशियों को मतदान करने के लिए प्रेरित किया है। इसी प्रक्रिया को समझने का धीरे-धीरे विकास हो रहा है तथा मतदान व्यवहार को परखनें के अध्ययन अत्यधिक लोकप्रिय एवं पसंदीदा बनते जा रहे है। इसीलिए प्रस्तुत शोध पत्र में भारतीय मतदाताओं के मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले प्रमुख निर्धारक कारकों का समीक्षात्मक अध्ययन करने का प्रयास किया गया है।

शब्द कुंजी – भारतीय मतदाता, मतदान-व्यवहार, मतदान प्रभावित कारक।

प्रस्तावना – सामान्यत: मानव एक सामाजिक एवं जिज्ञासु प्राणी रहा है। इसीलिए उसे अपने समाज/राज्य एवं निकटत: घटित घटनाओं के विषय में जानने एवं समझने की उत्सुकता एवं तत्परता होती रही है। अत: किसी भी लोकतान्त्रिक राज्य विशेष में जहाँ पर शासन सत्ता का परिवर्तन निर्वाचन प्रणाली के माध्यम से होता है। वहाँ के सामान्य नागरिकों एवं राजनीतिक शास्त्र के प्रबुद्ध जनों और शोधकर्ताओं में यह समझने या जानने की बड़ी तीव्र इच्छा होती है कि सभी राजनीतिक दलों में से केवल किसी एक ही राजनीतिक दल या प्रत्याशी को ही उस राज्य या क्षेत्र विशेष के मतदाता वहाँ होने वाले चुनावें में उन्ही को क्यों बार-बार मतदान करते है अथवा हर पाँच वर्षो के बाद किसी राज्य या क्षेत्र विशेष की जनता वहाँ की शासन सत्ता में परिवर्तन क्यों चाहती है?

अत: विशेषज्ञों एवं विद्वानों के मन में इस प्रकार के प्रश्नों का उठना, मतदान व्यवहार के अध्ययनों को आवश्यक बना देता है। भारत में अब तक सत्रहवीं लोकसभा (2019) एवं विभिन्न स्तरों पर चुनावों के माध्यम से शासन-सत्ता विद्यमान है।

भारतीय मतदाताओं के मतदान व्यवहार के तरीकों में समय-समय पर परिवर्तन देखने को मिलता रहा है। क्योंकि भारत में मतदाताओं का मतदान व्यवहार कई प्रमुख कारकों अथवा घटकों से प्रभावित होता रहा है। इसीलिए इसे जानने एवं समझनें के प्रयास को ही शोध-पत्र में प्रस्तुत किया गया है।

अध्ययन विधि – प्रस्तुत शोध पत्र में आनुभविक शोध की समीक्षात्मक/विवेचनात्मक पद्धत्ति को अपनाया गया है तथा इसमें मुख्यत: द्वितीय समंकों का प्रयोग किया गया है।

साहित्यावलोकन

अभय कुमार दुबे (2005) ने अपनी पुस्तक, 'लोकतन्त्र के सात अध्याय' में लोकतन्त्र में चुनाव एवं मतदान को प्रभावित करने वाले कारकों का विश्लेषण किया है और सुझाव भी प्रस्तुत किये हैं।

एम0एस0राणा (2000) ने अपनी पुस्तक 'इण्डिया वोट्स लोकसभा एण्ड विधानसभा इलक्शन्स' (1999-2000) में चुनाव एवं मतदान को प्रभावित करने वाले तत्वों का विश्लेषण किया है।

पी0एन0 कृष्णमणि (1971) ने 'इलेक्शन एण्ड वोटर्स' में मतदाताओं के मतदान-व्यवहार के दृष्टि कोणों एवं अवधारणाओं को स्पष्ट किया है।

डॉ0 सी0बी0 गेना (1997) ने 'तुलनात्मक राजनीति एवं राजनीतिक संस्थाएँ' में मतदान व्यवहार के अर्थ को स्पष्ट किया है।

राजीव रंजन (2000) ने लोकसभा चुनाव और राजनीति में मतदाता के मतदान व्यवहार को उसके सामूहिक निर्णय के रूप में स्पष्ट किया है।

डॉ0 बी0एल0 फडिया एवं पुखराज जैन (2007) ने 'भारतीय शासन एवं राजनीति' में भारतीय मतदान व्यवहार के प्रमुख कारकों अथवा घटकों को प्रस्तुत किया है।

संजय कुमार एवं प्रवीण राय (2013) ने 'भारत में मतदान व्यवहार का मापन' को प्रस्तुत किया है। तथा भारत में मतदान व्यवहार के विभिन्न आयामों पर प्रकाश डाला है।

मतदान व्यवहार का अर्थ – मतदान व्यवहार का अर्थ है कि मतदाता किन प्रमुख विषयों से प्रभावित होकर अपने मतदान व्यवहार का प्रयोग करता है। अथवा किन कारणों या तरीकों को प्रकट करता है जोकि मतदान करने में मतदाता या आम जनता को प्रभावित करते है। मतदान व्यवहार को निर्वाचन प्रणाली के अध्ययन का एक प्रमुख अंग भी माना जा सकता है। क्योंकि इसके द्वारा मतदान व्यवहार का मनोवैज्ञानिक एवं व्यवस्थित प्रकार से अध्ययन किया जाता है। अत: सभी मतदान व्यवहारों का उद्देश्य इस

विषय को जानने एवं समझने का रहा है कि मतदाता, मतदान करते समय किन-किन प्रमुख कारकों एवं तथ्यों से सर्वाधिक प्रभावित होता आया है। और वह कौन सी प्रमुख बाते एवं मुद्दे होते हैं जोकि सामान्यत: मतदाताओं को भी अपना मत परिवर्तित करने के लिए प्रेरित करते हैं। अत: मतदाताओं का मतदान व्यवहार निर्वाचन सम्बन्धी तथ्यों एवं समंको के रिकार्ड तक ही सीमित नहीं होता है अपितु यह तो मतदाताओं के मन की भावनाओं अनुभवों एवं परिस्थितियों आदि मनोवैज्ञानिक अवधारणाओं के परिप्रेक्ष्य में अपना पक्ष उजागर करता है। अर्थात 'शान्तिपूर्ण सत्ता परिवर्तन का मुख्य साधन ही मतदान व्यवहार है।' 'शान्तिपूर्ण सत्ता परिवर्तन का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण एवं उपयुक्त साधन मतव्यवहार ही है'। यह लोकतान्त्रिक शासन का मुख्य आधार है। मतव्यवहार के द्वारा न केवल प्रतिनिधियों का चुनाव होता है अपितु जनता द्वारा जनता के शासन का निर्माण भी होता है।' 'भारत ही नहीं बल्कि सारे एशिया और अफ्रीका महाद्वीप में लोकतंत्र का भविष्य मतदाताओं के व्यापक दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। मतदान एक पवित्र अधिकार और कर्तव्य है। जोकि इस धारणा पर आधारित है कि प्रभुसत्ता जनता में निहित है। प्रभुसत्ता का अंश होने के कारण प्रत्येक व्यक्ति को मतदान करना चाहिए तथा मतदान में भाग लेकर ही मतदाता अपने कर्त्तव्य को पूरा करता है।'

'मतदान व्यवहार मतदाता द्वारा किये गये मतदान का वह भाग है जिससे उसे राजनैतिक परिस्थितियों के सन्दर्भ में किसी उम्मीदवार को हराना या जिताना होता है। अत: मतदान व्यवहार सामूहिक निणर्यो को प्रदर्शित करने की एक प्रक्रिया कही जा सकती है।'

मतदान व्यवहार की परिभाषा - समाजशास्त्रियों एवं राजनीतिज्ञों द्वारा मतदान व्यवहार को निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया गया है-

गार्डन मार्शल (समाज शास्त्री) के अनुसार 'मतदान व्यवहार का अध्ययन निरपवाद रूप से निर्धारकों पर ध्यान केन्द्रित करता है कि वे सार्वजनिक चुनावों में मतदान क्यों करते हैं। जैसा कि वे करते हैं। वे अपने द्वारा किये गये निर्णयों पर कैसे पहुँचते हैं।'

स्टीफन वासबी (न्यूयार्क यूनिवर्सिटी, राजनीति विज्ञान, विभाग के प्रोफेसर) के अनुसार 'मतदान व्यवहार के अध्ययन में व्यक्तिगत मनोवैज्ञानिक बनावट (मेकअप) और राजनीतिक कार्यवाही के साथ-साथ उनके संस्थागत पैटर्न जैसे-संचार प्रक्रिया और चुनावों पर उनके प्रभाव का विश्लेषण शामिल है।'

डोनाल्ड ई0 स्टोक्स (1996) के अनुसार 'मतदान व्यवहार व्यक्तिगत प्राथमिकताओं का सामूहिक निर्णयों में समाहार करने का एक साधन है।'

धर्मवीर महाजन (1998) के अनुसार 'मतदान व्यवहार से अनभिज्ञ मतदाता के मत देने तथा उसे प्रभावित करने वाले कारकों से है।'

मतदान व्यवहार का इतिहास - बीसवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध से मतदान व्यवहार के अध्ययन का प्रारम्भ माना जाता है। तथा इसके वैज्ञानिक अध्ययन को सैफोलॉजी कहते हैं। जोकि ग्रीक शब्द प्रेस्फोस से निकला है।

प्रथम देश फ्रॉंस है जहाँ मतदान व्यवहार की सर्वप्रथम शुरूआत हुई थी। इसके बाद अमेरिका और ब्रिटेन आदि देशों में भी मतदान व्यवहार पर अध्ययन प्रारम्भ हो गये।

इसी श्रृंखला में अमेरिका के प्रिंसटन न्यूजर्सी में 'अमेरिकन इस्टीटयूट् ऑफ पब्लिक ओपिनियन' की स्थापना सन् 1935 में डॉ0 गेलप ने की थी। इसीलिए डॉ0 गेलप शोध के अनुसार अपने अनुमानों को प्रदर्शित कर बहुत प्रसिद्ध हो गये थे।

भारत में मतदान व्यवहार का इतिहास - भारत में द्वितीय आम चुनाव (1957) के दशक के बाद मतदान व्यवहार के अध्ययन की शुरूआत मानी जाती है। तथा वर्तमान समय में इस विषय पर प्रचुर मात्रा में साहित्य प्रकाशित हो रहा है। जिसमें डॉ0 एरिक दा कोस्टा द्वारा सन् 1950 के प्रारम्भिक दशक में 'इण्डियन इंस्टीटयूट् ऑफ पब्लिक ओपिनियम' की स्थापना की गई थी। जिसने भारत में मतदान व्यवहार के अध्ययन में महत्त्वपूर्ण भमिका निभाई थी। तथा भारत में 1957 ई0 में द्वितीय आम-चुनावों के बाद लोकसभा चुनावों में मतदान व्यवहार का अध्ययन प्रारम्भ हुआ। भारत में मतदान व्यवहारों के अध्ययनों में 'सेन्टर फार द स्टडी ऑफ डवलपिंग सोसाइटी' की भी महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है। क्योंकि इसने 'नेशनल इलेक्शन स्टडी के नाम से अखिल भारतीय नमूना सर्वेक्षण पर निर्वाचन के अध्ययनों को प्रारम्भ किया। अत: यह संस्थान सन् 1996 ई0 से निरन्तर मतदान व्यवहारों का अध्ययन कर रहा है। पॉल ब्रास ने 1980 से केस स्टडी के माध्यम से अध्ययन किया तथा सन् 2000 ई0 के बाद मतदान व्यवहारों के अध्ययन की प्रक्रिया अत्यधिक लोकप्रिय एवं पंसदीदा साहित्यक विधाओं में शुमार हो गयी है। जिसमें मुकुलिका बनर्जी द्वारा सन् 2007 में नृवंश विज्ञान विधि से अध्ययन किये गए हैं।

भारतीय मतदाताओं के मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक - भारत में स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात यहाँ गणराज्य की स्थापन की गयी है जिसमे संवैधानिक व्यवस्था के माध्यम से निर्वाचन आयोग का गठन किया गया तथा निर्वाचन आयोग की देख-रेख में भारत में समय समय पर विभिन्न स्तरों पर चुनाव सम्पन्न किये जाते रहे है। भारतीय जनमानस अथवा मतदाताओं के मतदान व्यवहार के फलस्वरूप विभिन्न स्तरों पर संचालित संस्थाओं के माध्यम से शासन सत्ता का संचालन होता रहा है। अत: इसी शासन सत्ता के संचालकों को स्वीकृति प्रदान करने वाले मतदाताओं ने अपने मतदान व्यवहार के माध्यम से उन्हें शासन सत्ता से हटाया भी है। मतदाताओं के इसी मतदान व्यवहार को परिवर्तित करने वाले विभिन्न कारक निम्न प्रकार हैं-

धर्म - भारत में मतदाताओं का मतदान व्यवहार हमेशा ही धर्म या धार्मिक तत्वों से प्रभावित रहा है। यहाँ लगभग सभी राजनीतिक दलों द्वारा किसी न किसी धर्म विशेष के संरक्षक या प्रतिनिधित्व का दावा करते हुए चुनावों को प्रभावित किया जाता रहा है। मन्दिर-मस्जिद मुद्दे कभी किसी धर्म को संकट में बताकर हिन्दु-मुस्लिम के तृष्टिकरण की राजनीति की जाती रही है।

'प्राचीन काल से ही भारत में धर्म की महत्ता रही है। धर्म भारतीयों की धमनियों में रक्त के साथ प्रवाहित होता है। अत: देश की राजनीति में धर्म का स्थान सर्वोपरि है। धर्म के साथ ही राजनीति के वांछित सम्बन्धों का निरूपण धर्मनिरपेक्षता के सिद्धान्त में मिलता है। राजनीति व्यवस्था की परिचालक है। जिसका उद्देश्य जनकल्याण, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास और सर्वोन्नति है।'

'बीते चुनावों में भ्रष्ट तरीकों के प्रयोग के अनेक उदाहरणों में धर्म भी मुख्य कारक रहा है। धर्म, मूलवंश, जाति या समुदाय, भाषा के आधार पर किसी व्यक्ति के लिए मतदान करने या न करने की दुहाई देकर मतदान व्यवहार को प्रभावित करने के कार्य करता है।'

जातिवाद - जातिवाद मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाला दूसरा सबसे प्रमुख कारक रहा है। भारत में निर्वाचन प्रक्रिया को जातिवाद ने पिछले

अनेक वर्षो से निश्चित रूप से प्रभावित किया है। स्वतन्त्रता पूर्व विभिन्न जातीय संघों ने सामाजिक पद सोपान में अपनी जाति के लिए शिक्षा, नौकरी तथा अन्य सुविधाओं के लिए अपने-अपने क्षेत्रों में अभिकर्ता के रूप में अत्यधिक कार्य किया है। किन्तु स्वतन्त्रता के बाद हमारे संविधान में जातिवाद की प्रगति को समाप्त करने के लिए व्यस्क मताधिकार व एक व्यक्ति एक वोट का नियम लागू किया तथा मिश्रित या साम्प्रदायिक चुनाव समाप्त कर दिये गये। परन्तु इन सारे प्रबन्धों के होते हुए भी जातिवाद विशेष रूप से आरक्षण के नये रूप मे सामने आया है जिसमे पिछड़ी जातियों की संख्या अधिक होने या वोट बैंक उनके हाथ में होने के कारण उनका महत्त्व और भी बढ़ गया है।

'भारतीय सामाजिक व्यवस्था में जाति का महत्त्वपूर्ण स्थान है। भारत के परम्परागत ताने-बाने में सामाजिक व्यवस्था, जाति संरचना एवं जातीय पहचान के चिह्न हैं। अत: भारत में जातियों का ह्रास नही होगा बल्कि समय अनुसार परिवर्तित होता रहेगा।'

'स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद जातिवाद की भूमिका और अधिक व्यापक हो गयी है। और वे आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्र में दबाव समूह की भूमिका का निर्वहन करते हुए अपनी-अपनी जातियों को राजनैतिक दृष्टिकोण से गतिमान करने की दिशा में अभिकर्त्ता के रूप में प्रयत्नशील हो गये हैं।'

पॉल ब्रॉस लिखते हैं कि 'स्थानीय स्तर पर गाँवों में मतदान व्यवहार का सबसे महत्त्वपूर्ण उदाहरण जातीय एकता है। बडी और महत्त्वपूर्ण जातियाँ अपने चुनावी क्षेत्र में अपनी ही जाति के सदस्य का समर्थन करती हैं या ऐसे दल का समर्थन करती हैं जिनसे उनकी जाति के सदस्य अपनी पहचान स्थापित करते हैं।'

अत: जातिवाद का राजनीतिक दलों ने थोक वोट बैंक के रूप में खुलकर प्रयोग किया है। पश्चिमी उ0प्र0 में जाट, गुर्जर, मुस्लिम आदि प्रमुख मुद्दे रहे हैं। अक्सर ग्राम पंचायत चुनावों में जाति वर्ग को सर्वाधिक प्रधानता दी जाती है।

भाषा वाद –राष्ट्रीय जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में व्यक्ति की सफलता के लिए भाषा एक प्रबल माध्यम रहा है। चाहे रोजगार या नौकरी का प्रश्न हो या राजनीतिक जीवन अथवा सम्मानजनक जीवन स्तर को प्राप्त करने का प्रश्न हो, हर क्षेत्र में भाषा की प्रमुख भूमिका रही है। अत: विभिन्न प्रान्तों के क्षेत्रीय नेता क्षेत्रीय भाषा के प्रश्नों पर आधारित राजनीति करते हैं और आश्चर्यजनक रूप से इस प्रश्न पर स्थानीय लोगों की भावनाओं को उत्तोजित करने का कार्य करते हैं उन्हें वोट बैक के रूप में प्रयोग करते हुए चुनाव में उन्हें सत्ता प्राप्ति हेतु विभिन्न सोपानों के रूप में प्रयोग करते आये हैं। जैसे 1956 में भाषा के आधार पर राज्यों के पुर्नगठन ने इस प्रवृत्ति को आधार शिला प्रदान कर दी थी और सन् 1967 और 1971 के तमिलनाडू विधान सभा चुनावों में डी0एम0के0 ने हिन्दी भाषा के विरोध पर भारी जनसमर्थन प्राप्त किया था। पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बांग्ला भाषा को बचाने का नारा देकर 2021 के विधान सभा चुनाव सफलता प्राप्त की है।

क्षेत्रवाद – भारत वर्ष में क्षेत्रीयता तो यहाँ की सांस्कृतिक एवं भाषायी मूल में समाहित है जिन्हे एक सूत्र मे पिरोने का कार्य पूर्वकाल में महात्माओं, धर्मप्रवर्तकों एवं प्रभावशाली सम्राटों तथा नवाबों द्वारा किया गया था। ब्रिटिश सरकार द्वारा भी विभिन्न स्तरों पर नीतियों एवं कार्यक्रमों जैसे-डाकसेवा, भारतीय रेलवे तथा अंग्रेजी भाषा के प्रचार प्रसार के माध्यम से इसे खत्म करने का प्रयास किया है। परन्तु जब सन् 1956 में भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों का पुन: सीमांकन किया गया तो विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय नेताओं का प्रभाव भी बढ़ने लगा और इसी क्रम में धरती पुत्रों का उल्लेख भी होने लगा तथा राष्ट्रवाद की कड़ियाँ बिखरने लगी और बहुलवाद, क्षेत्रवाद तथा विकेन्द्रीकरण के विषय प्रभावी होने लगे जिससे देश के लिए एक भ्रामक स्थिति उत्पन्न हो गयी।

वंशवाद अथवा सामन्त वाद – भारत में अभी भी कुछ क्षेत्रों में वंशवाद या सामन्तवादी व्यवस्था द्वारा मतदान व्यवहार को प्रभावित किया जाता रहा है। ऐसे वंशवादी उम्मीदवारों एवं विरासत पर राजनीति करने वाले उम्मीदवारों को सामान्यतया इसी आधार पर विजय भी प्राप्त होती रही है। और सभी स्तरों के नेता पद से लेकर कार्यकर्त्ता तक में इसी खानदानी रब्बोरोआब का प्रचलन चला आ रहा है। विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा 14वी लोकसभा (2004) में देश भर से सौ से अधिक ऐसे ही उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे गये थे। और जिनमें से अधिकांश को सफलता भी प्राप्त हुई थी। जबकि उनकी योग्यता अथवा राजनीतिक क्षमता की उपेक्षा करके उनकी खानदानी विरासत को वरीयता प्रदान की गयी थी।

विशेष मुद्दे – मतदान व्यवहार को प्रभावित करने में सामाजिक एवं आर्थिक मुद्दों की भी महत्ता रहती है। तथा राष्ट्रीय और स्थानीय मुद्दे भी मतदाताओं के व्यवहार को अवश्य ही प्रभावित करते हैं। जहाँ तक ग्रामीण परिवेश की बात है जनता स्थानीय मुद्दों से ज्यादा प्रभावित होती है। जैसे- 1980 में जनता ने काग्रेस की स्थिर व प्रभावी सरकार के नाम पर वोट दिया था। वहीं सन् 1984 ई0 में भारतीय जनता ने देश की एकता और अखण्डता के नाम पर अथवा सभी प्रकार के कारकों (क्षेत्रीयता, धार्मिकता) को दरकिनार करते हुए राजीव गाँधी सरकार को प्रचण्ड बहुमत दिया था। इसी प्रकार 2014 एवं 2019 के लोकसभा चुनावों में मोदी सरकार को विकास के नाम पर भारी बहुमत प्रदान किया गया है। तथा उ0प्र0 में योगी आदित्यनाथ को भय एवं भ्रष्टाचार मुक्ति के नाम पर बहुमत प्रदान किया गया है।

लिंग एवं आयु – मतदाताओं के मतदान व्यवहार को प्रभावति करने वाला प्रमुख कारक लिंग एवं आयु भी एक महत्त्वपूर्ण स्थान रखता हैं। भारत में सामान्यत: यह देखा जाता है कि महिलाएँ मतदान के प्रति ज्यादा उदासीन रहती हैं। किन्तु जब किसी पार्टी के घोषणा पत्र में महिलाओं के हित और अधिकारों को स्थान दिया जाता है तो महिलाएँ अपेक्षाकृत अधिक सक्रिय होकर मतदान करती हैं। विशेष तौर पर महिला उम्मीदवार के प्रति। 'इन्दिरा गाँधी के शासन काल में महिलाओं की प्रमुख पसन्द कांग्रेस पार्टी इसीलिए हुआ करती थी क्योकि उस पार्टी की मुखिया श्रीमति इन्दिरा गाँधी एक महिला थी।' वर्तमान भारतीय मतदाताओं की कुल संख्या का एक बडा हिस्सा युवा वर्ग से सम्बन्धित है। जोकि 21-25 आयु वर्ग के बीच है। जिनमें युवा आयु वर्ग के नेताओं के प्रति एक खास आकर्षण पाया जाता है। इसी कारण वह युवा नेतृत्व को समर्थन एवं वोट देना सर्वाधिक पसन्द करते हैं। जैसे-बिहार राज्य से तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव, जयन्त चौधरी आदि नेता भी युवा वर्ग की पसन्द हैं। इसके अतिरिक्त चन्द्रशेखर आजाद उर्फ रावण एवं हार्दिक पटेल जैसे युवा वर्ग का बखूबी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।

नेतृत्व एवं करिश्माई व्यक्तित्व – करिश्माई व्यक्तित्व मतदान में मतदाताओं को प्रभावित करने का एक प्रबल एवं मुख्य कारक माना जाता है। कई राजनेता जनता में अपनी एक ऐसी छवि बना लेते हैं कि मतदाता

उसके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उसके प्रति मतदान करते हैं न कि उसके राजनीतिक दल को समर्थन प्रदान करते हैं।

अत: प्रत्याशी का व्यक्तित्व भी मतदाताओं के मतदान व्यवहार को प्रभावित करता है। जबकि उनकी प्रतिबद्धता अन्य पार्टी के प्रति होती है।

मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाला यह करिश्माई व्यक्तित्व एवं नेतृत्व विशेष रूप से ग्राम पंचायतों के चुनावों में अधिक प्रभावी रहता है। किन्तु कभी कभी लोकसभा एवं विधानसभा के चुनावों में भी देखने को मिलता है। जिसमें उम्मीदवार का सद्चरित्र, ईमानदारी, जनहितकारी सौम्य व्यक्तित्व उस क्षेत्र विशेष के मतदाताओं को विशेष रूप से प्रभावित करता है। भारतीय राजनीति के मुख्य चेहरे जिन्होंने समय-समय पर भारतीय जनमानस को विशेष रूप से प्रभावित किया है उनमें पण्डित जवाहर लाल नेहरू, श्रीमती इन्दिरा गाँधी, राजीव गाँधी, लाल बहादुर शास्त्री, श्री अटल बिहारी वाजपेयी, डॉ0मनमोहन सिंह, श्री नरेन्द्र मोदी जैसे लोकप्रिय नेताओं का नाम लिया जा सकता है।

इसी प्रकार उत्तर प्रदेश राज्य की राजनीति के मुख्य चेहरों में श्री कल्याण सिंह, श्री मुलायम सिंह, बहन कुमारी मायावती, श्री योगी आदित्य नाथ जी।

नेतृत्व की बेदाग छवि, दृढ़ निर्णय क्षमता, कार्यव्यवहार में गरिमा आदि गुण जिस राजनेता में पाये जाते है। देश की जनता अथवा मतदाता स्वयं ही उस प्रत्याशी के प्रति सौहार्द्र पूर्णता पेश करती है तो ऐसा व्यक्ति सर्वाधिक जनप्रिय बन जाता है।

आर्थिक प्रलोभन – धर्म और जाति के अतिरिक्त चुनावी प्रत्याशी की आर्थिक हैसियत की भी मतदान को प्रभावित करने में अहम् भूमिका होती है। और धनबल के प्रलोभन का विशिष्ट महत्त्व होता है। क्योकिं भारत में अभी भी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों की संख्या अधिक है। जिनके पास सामान्य सुविधाएं और विकास के अवसर न्यूनतम हैं। अत: यहाँ के लोगों में धन के प्रति तीव्र आकर्षण की प्रवृत्ति सामान्यत: पायी जाती है। यही कारण है कि चुनाव के समय उम्मीदवारों और राजनीतिक दलो द्वारा धन बल से मतदाताओं को आकर्षित करने का प्रयास भी किया जाता है अर्थात राजनीति में सभी हथकण्ड़ों (साम, दाम, दण्ड, भेद) को आजमाया जाता है।

'वोट के ठेकेदार गरीब मतदाताओं में पैसे बाँटते हैं, और स्वयं भी किसी प्रत्याशी या पार्टी से पैसा लेकर गरीब जनता को बहला फुसलाकर उनका वोट हासिल कर लेते हैं। क्योकि भूखे लाचार व्यक्तियों को वोट की अपेक्षा कुछ रूपयों का मूल्य अधिक प्रतीत होता है। कोई भी चुनाव उनके लिए ज्यादा लाभप्रद होता है। जिनके पास चुनाव में खर्च करने का ज्यादा सामर्थ्य होता है। सामान्य परिस्थितियों में वे मतदाताओं को प्रभावित करने में ज्यादा सफल होते हैं।' कई बार चुनावो में यह भी देखा गया है कि उम्मीदवार के कार्यकर्ता मतदान से पूर्व संख्या पर झुग्गी-झोंपडियों या मलिन बस्तियों में गरीब जनता को शराब, रूपये-पैसे, कपड़े, साड़ियाँ, जूते चप्पल, सिलाई मशीन आदि उपहार बाँटते नजर आते हैं क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो उम्मीदवार चुनाव में जितना अधिक पैसा खर्च करता हैं उसके जीतने की सम्भावना उतनी ही अधिक होती है।

कभी-कभी उम्मीदवार द्वारा अपने मतदाताओं या प्रमुख कार्यकताओं को किसी संस्था विशेष में कोई पद/नौकरी/व्यवसाय देने का वादा करके उनके मतों को हासिल करने का प्रयास भी किया जाता है।

दलीय विचार धाराएं –'भारतीय मतदाता यद्यपि बहुत अधिक नहीं, लेकिन कुछ हद तक दलों की विचार धाराओं, कार्यक्रमों व नीतियों आदि से अवश्य ही प्रभावित होते रहते हैं। इस सम्बन्ध में उनके द्वारा नकारात्मक विचारधारा के स्थान पर सकारात्मक विचारधारा और कार्यक्रम को पसन्द किया जाता रहा है। जैसे 1971 में जनता ने 'गरीबी हटाओं देश बचाओं' कार्यक्रम को अथवा विकासवादी विचारधारा को पसन्द किया था तो वहीं 1977 ई0 में उन्होंने जनता पार्टी की सकारात्मक आर्थिक विचारधारा को पसन्द कर उन्हें मत प्रदान किया।'

प्रत्याशी/दलजीत की संभावना– भारत के चुनावी माहौल में कभी-कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि भारतीय मतदाता अपने आस पास बने चुनावी वातावरण द्वारा भी प्रभावित पाया जाता है अर्थात उसने जिस भी पार्टी अथवा प्रत्याशी के जीतने की सम्भावना ज्यादा समझी उसी ओर अपने मतदान व्यवहार का रूख मोड़ दिया है अर्थात् मतदाता चुनावी लहर से प्रभावित होता है।

सत्ता रूढ़ दल द्वारा किये गये कार्यो तथा सरकार की गतिविधियों के आधार पर भी जीत का अनुमान लगाकर भी उस क्षेत्र का मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करता है।

सत्ताधारी दल का प्रदर्शन – भारतीय मतदाताओं को जब लगता है कि सरकार अपने वादों को पूरा करने में असफल रही है तो सामान्यत: जनता उस सरकार को अपना मतसमर्थन न देकर सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा देती है। इसे एंटी इंकम्बैसी फैक्टर कहते हैं। जैसे सन् 1980 में जनता पार्टी, व सन् 1989 में कांग्रेस पार्टी की मुख्य चुनावों में हार का प्रमुख कारण मतदाताओं में सत्ताधारी दल के कार्यो से असंतुष्टि थी। इसका दूसरा पहलू यह होता है कि जब सामान्य जनता सरकार के कार्यो से सन्तुष्ट होती है तो उसे पुन: भरपूर समर्थन या पूर्ण बहुमत प्रदान करती है जैसे सन् 2004 में जनता ने सोनिया सरकार को समर्थन प्रदान किया तथा सरकार की नीतियों और कामकाज के प्रदर्शन से सन्तुष्ट होकर दोबारा मनमोहन सरकार को सत्ता प्रदान की।

इसी प्रकार सन् 2014 में मोदी सरकार को जनता ने समर्थन प्रदान किया और उनके विकास की नीतियों से सन्तुष्ट होकर उन्हें दोबारा 2024 तक के लिए सत्ता को चलाने मौका प्रदान किया है।

चुनावी घोषणा-पत्र – संसदीय लोकतन्त्र की व्यवस्था वाले देशो में राजनीतिक दलों द्वारा निर्वाचन के पूर्व अपनी विचारधारा, नीतियों एवं कार्यक्रमों को वे जनता के समक्ष घोषणाओं के रूप में रखते हैं और इस घोषित दस्तावेज को ही घोषणा पत्र कहते हैं। जिसका राजनीतिक दल अच्छी प्रकार से प्रचार एवं प्रसार भी करते है और जनता से उनका मत भी प्राप्त करते है। 'जैसे आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वैभव माहेश्वरी ने अपने घोषणा पत्र को गारन्टी पत्र बताते हुए कहा है कि आम आदमी पार्टी जो वादे करती है उसे गारन्टी से पूरा भी करती है।' (16 जनवरी 2022 हिन्दुस्तान समाचार-पत्र)

सभी लोकतान्त्रिक व्यवस्था वाले राज्यों में चुनाव पूर्व विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा आम जनता को प्रभावित करने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं की घोषणा की जाती है। ताकि उनकी शासन/सत्ता आने पर उन योजनाओं से जनता लाभान्वित हो सके। लेकिन राजनीति के दूसरे पहलू के अनुसार कि राजनीति में वादे किये जाते हैं निभाये नहीं जाते हैं। अत: इसी परम्परा को कायम रखते हुए सभी राजनीतिक दल केवल घोषणाएँ करते हैं। लेकिन उन्हें पूरा नहीं करते हैं। अर्थात उन घोषित वादों या घोषणाओं

पर अमल नहीं किया जाता है। और जो सरकारें उन पर अमल करती हैं जनता उन्हें दोबारा शासन/सत्ता का मौका देती है।

जबकि आजकल भारतीय चुनावी माहौल में मुफ्त की रेवडियाँ बाँटने का प्रचलन अधिक हो गया है। सभी राजनीतिक पाटियाँ एक से बढ़कर एक योजनाओं की घोषणाएँ करते हुए नज़र आती हैं। उन घोषित योजनाओं का देश हित पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसकी परवाह किए बगैर बस केवल जनता को रिझाकर अथवा अच्छे दिनों के सपने दिखाकर उनका वोट बैंक हासिल करना मात्र ही उनका उद्देश्य बन गया है।

प्रचार प्रसार के साधन – प्रचार प्रसार के साधन चुनावों में मतदाताओं के मतदान व्यवहार को सीधे प्रभावित करते हैं। स्वतन्त्रता के पश्चात् प्रत्येक चुनाव के समय में होर्डिग, बैनर, पोस्टर आदि के माध्यम से मतदातओं को प्रभावित किया जाता रहा है। सन् 1990 के दशक तक रेडियों प्रचार का प्रमुख माध्यम रही है और दूसरी तरफ समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं ने मतदाताओं के मतदान व्यवहार को बहुत प्रभावित किया है।

इसके बाद इलैक्ट्रॉनिक मीडिया का युग आया और टेलीविजन पर राजनीतिक दलों ने प्रचार-प्रसार करना प्रारम्भ कर दिया। कांग्रेस पार्टी ने 1984 के लोकसभा चुनावों में इसका लाभ उठाया तथा 2014 में सोलहवीं लोकसभा एवं 2019 में मतदाताओं के मतदान व्यवहार को मीडिया ने गहराई से प्रभावित किया। मीडिया विशेषकर समाचार चैनलों ने भाजपा और नरेन्द्र मोदी के निर्वाचन अभियान को न सिर्फ मतदाताओं के बड़े हिस्से तक पहुँचाया बल्कि उसे पूर्ण विश्वसनीयता के साथ पेश भी किया। मीडिया के द्वारा एक बड़े क्षेत्र में मोदी ही छाये रहे। जिसका फायदा भाजपा गठबन्धन सरकार को प्राप्त हुआ। इसी कारण भारतीय मीडिया को मोदी अथवा गोदी मीडिया की संज्ञा भी दी जाने लगी।

सोशल मीडिया– भारतीय मतदाताओं के मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले एक प्रमुख कारक जिसे 'सोशल मीडिया' कहते है; 21वीं सदी के दूसरे दशक में सामने आया है। जिसमे फेसबुक, व्हाटसएप, ट्विटर, वेबसाइट, मैसेज, टेलीग्राम आदि प्रचार-प्रसार के नए-नए साधन अपनाएं जाते हैं; जोकि मतदाताओं के मन मस्तिष्क को इस कदर प्रभावित करते हैं कि चुनाव उन्हें युद्ध की तरह प्रभावित करता है।

सोशल मीडिया ने राजनीति को दो हिस्सों में बाँट दिया है, जिसमें परम्परागत राजनीति और वेब राजनीति। इसीलिए सत्तारूढ़ भाजपा गठबन्धन सरकार का सारा फोकस नरेन्द्र मोदी के इर्द-गिर्द रहता है। जिसमें सरकार की योजनाओ का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार किया जाता है।

टी0वी0 पर समाचार चैनलों के माध्यम से प्रसारित होने वाली सभा संगोष्ठी अथवा डिबेट्स में केवल सत्ता पक्ष के मुद्दों को लेकर ही चर्चाएँ होती हैं और उन्हें प्रमाणिकता के साथ सत्य भी सिद्ध किया जाता है। जबकि विपक्षी पार्टियों के कार्यकर्ताओं को अपना पक्ष रखने के लिए पूरा समय या मौका ही नही दिया जाता। सत्ता का मीडिया पर प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। अत: यह सार्वभौमिक सत्य है कि सोशल मीडिया का जितना उपभोग सत्ता रूढ़ दल और सरकारें करती आयी हैं, उतना विपक्षी दल अथवा सरकारें नही कर पाते हैं।

शान्त मतदाता – भारतीय चुनावी माहौल में मतदाताओं के मतदान व्यवहार को विभिन्न प्रकार के कारक अथवा घटक प्रभावित करते हैं। लेकिन मतदाताओं का एक वर्ग ऐसा भी होता है जोकि सुनता सबकी है लेकिन करता वही है जिसकी उसने अपने मन में धारणा बैठा रखी है। अर्थात सभी प्रत्याशियों अथवा राजनीतिक दलों द्वारा प्रचारित-प्रसारित घोषणाओं एवं वादों पर भी ध्यान रखता है और पूछने पर सभी को समर्थन की बात भी स्वीकारता है और अपने शान्त एवं सौम्य स्वभाव से सभी का मूल्यांकन करता है और समय आने पर मतदान उसी प्रत्याशी या पार्टी को करता है जिसका प्रभाव उसके मन मस्तिष्क पर अंकित रहता है। अथवा जिसके कारण उसे किसी न किसी रूप में लाभ/हित नजर आता है। ऐसे मतदाताओं को शान्त मतदाता कहते हैं। जिनके रूख का पता लगाना मुश्किल होता है। जिसमे सरकार द्वारा लाभान्वित महिलाएं, दिव्यांगजन, पेंशनधारी वृद्धजन, पेंशनधारी सेना के जवान, सुविधाप्राप्त एन0आर0आई0 पेशन धारी अध्यापक वर्ग एवं अन्य सरकारी सुविधा प्राप्त जन आदि सम्मिलित हैं।

अत: उपरोक्त शान्त मतदाताओं द्वारा प्रदान किये जाने वाले मतदान व्यवहार से कभी-कभी सभी प्रत्याशियों/राजनीतिक पार्टियों, चुनाव परिणामों का अनुमान लगाने वाली एजेंसियों (एग्जिटपॉल) आदि को भी आश्चर्य का सामना करना पड़ता है।

ऑपिनियन पॉल (मतसर्वेक्षण)– मत सर्वेक्षण मतदान पूर्व एक सर्वेक्षणात्मक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से सर्वे एजेंन्सियों द्वारा मत क्षेत्रों में जाकर सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं। अथवा ऑपिनियन पॉल के रिजल्ट के नब्ज़ लिए ऐजेंसियां चुनावी क्षेत्रों में जाकर प्रमुख मुद्दों पर जनता की नबज़ को टटोलने का प्रयास करती हैं कि अमुक क्षेत्र विशेष में मतदाताओं का मतदान सम्बन्धी रूझान अमुक पार्टी अथवा प्रत्याशी से प्रभावित है अथवा अप्रभावित है। अगर मतदाता पार्टी/प्रत्याशी से प्रभावित है तो किन विशेषताओं के कारण और अप्रभावित है तो इसका क्या कारण है? और वे कौन-कौन से विशेष मुद्दे हैं जोकि आपसी नाराजगी का कारण बने हुए हैं।

मतदाताओं से उपरोक्त प्रकार की जानकारियाँ जुटाने के लिए सर्वेक्षण संस्था अथवा राजनीतिक पार्टियाँ सर्वेक्षण कराया करती हैं और इन सर्वेक्षणों के आधार पर वे अपने आगामी चुनावी ऐजेण्डा को घोषित करती हैं। जिससे कि उस क्षेत्र विशेष की जनता या मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए सभाएं, संगोष्ठी एवं चुनावी घोषणा-पत्र आदि के माध्यम से सामान्य जनता अथवा मतदाताओं से वोट हासिल करने का प्रयास करती हैं।

निष्कर्ष – भारतीय मतदाताओं के मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों के ऐतिहासिक एवं समकालीन अध्ययनों से यह स्पष्ट होता है। कि मतदान व्यवहार एक बहुआयामी व्यवहार होता है। जोकि अनेक बाहय एवं आन्तरिक कारकों से प्रभावित होता आया है। क्योंकि मानव स्वभाव की जिज्ञासा सभी को परखने एव जानने की रही है। उसी प्रकार मतदाता भी सभी राजनीतिक दलों एवं प्रत्याशियों को सत्ता संचालन का दायित्व सौंपना चाहता है और जो उनकी जनभावनाओं पर खरा उतरता है जनता उन्हे फिर से सत्ता भोगने का अवसर प्रदान करती है। नहीं तो उन्हें सत्ता से बाहर का रास्ता भी जनता द्वारा ही दिखाया जाता है। 'भारत में लोकतन्त्र की सफलता के लिए यह आवश्यक है, कि भारतीय नागरिक राजनैतिक दृष्टिकोण से अधिक से अधिक सक्रिय और जागरूक हो सकें।'

सत्ता और जनता के बीच अत्यधिक घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित करने वाली एक प्रणाली के रूप में लोकतन्त्र विश्व के लगभग सभी देशों में एक अनिवार्य एवं नितान्त वांछित आवश्यकताओं के रूप में अपनाया जा चुका है। इसीलिए सामान्य जनमानस के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वर्तमान राजनीतिक परिवेश में प्रचलित कतिपय टिकाऊ, जिताऊ और बिकाऊ की संज्ञा देने वाले जन प्रतिनिधियों की दु:खद प्रवृत्ति से मुक्त होकर

जनप्रतिनिधियों के निर्वाचन की स्वच्छ एवं स्वस्थ व्यवस्था करे। तभी जनकल्याणकारी राष्ट्र सुनिश्चित किया जा सकेगा। और यह तभी सम्भव है जबकि सामान्य जनमानस अर्थात् मतदाता लोकतान्त्रिक मूल्यों को उचित प्रकार से समझे और समुचित राजनीतिक सहभागिता एवं जागरूकता के साथ समाज की मुख्य धारा से जुडे।

अत: इन सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता के अभाव के कारण ही जनता जर्नादन वर्गभेद, जातिवाद, भ्रष्टाचार, साम्प्रदायिकता, क्षेत्रवाद आदि उदासीनता से ग्रस्त एवं त्रस्त पायी जाती है।

अत: लोकतन्त्र की सफलता के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि मतदाता अपने मतदान व्यवहार को जाति, धर्म, सम्प्रदाय, भाषा, क्षेत्र आदि कारकों से प्रभावित न होने दे और राजनेताओं द्वारा बाँटी जाने वाली मुफ्त की रेवडियों में अपने आप को न बँटने दें।

भारतीय परम्परा, विरासत, संस्कृति सहृदयता, समन्वय, सहिष्णुता, सहयोग सकारात्मकता, सक्रियता एवं वैज्ञानिक सोच ही समष्टि रूप से लोकतन्त्र की सफलता एवं गतिशीलता के लिए एक पथ प्रदर्शक के रूप में सहायक सिद्ध होगी।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. त्रिपाठी, प्रो0 प्रकाश मणि (2003), 'भारत में जनसहभागिता एवं मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारक', भारतीय राजनीति विज्ञान शोध पत्रिका, नई दिल्ली, पृ0सं0-49
2. मीर्ण, पी0एन0 (1971) 'इलेक्शन्स एण्ड वोटर्स', पृष्ठ संख्या-93
3. रंजन, राजीव (2000) 'लोकसभा चुनाव और राजनीति', ज्ञान गंगा प्रकाशन, नई दिल्ली, पृष्ठ संख्या- 15
4. Govt vacancy. Net. (Posted on 25 March 2022)
5. Govt vacancy. Net. (Posted on 25 March 2022)
6. ई0 स्टोक्स, डोनाल्ड (1996), 'वोटिंग इन डेविड शिल्स', लन्दन वाल्यूम नं0-16, पृष्ठ संख्या-387
7. महाजन, धर्मवीर (1998), 'राजनीतिक समाज शास्त्र', हिन्दी ग्रन्थ अकादमी जयपुर, राजस्थान, पृष्ठ संख्या-205
8. त्रिपाठी, प्रो0 प्रकाश मणि (2003), 'राजनीतिक अवधारणाएँ एवं प्रवृत्तियाँ', शारदा प्रकाशन, नई दिल्ली, पृष्ठ संख्या-24
9. नव भारत टाइम्स, 4 नवम्बर 1971
10. पणिक्कर, के0एम0 (1995) 'हिन्दू सोसाइटी एण्ड क्रास रोड्स' एशिया पब्लिकेशन मुम्बई पृ0 संख्या-64
11. कोठारी, रजनी (2012), 'भारत में जातीय राजनीति', ब्लैक स्वान, दिल्ली, पृष्ठ संख्या-41
12. मित्र, रामा (1992) 'कास्ट पोलिराइजेशन एण्ड पॉलिटिक्स' सिण्डीकेट पब्लिकेशन, पटना, पृ0 संख्या-104
13. आर फ्रेन्केल, फ्रेंचाइन (1978) 'इण्डियन पॉलिटिक्स इकोनॉमी' (1947-1977) ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, दिल्ली, पृ0 संख्या-425
14. सिकरी, एस0एल0 (2002), 'इण्डियन गवर्नमेन्ट एण्ड पॉलिटिक्स, लुधियाना', कल्याणी पब्लिकेशन, नई दिल्ली, पृष्ठ संख्या- 111-226
15. वाजपेयी, अन्तिमा (1992), 'भारतीय निर्वाचन पद्धति का समीक्षात्मक अध्ययन', नाईन बुक सेन्टर, नई दिल्ली, पृष्ठ संख्या-112
16. सिकरी, एस0एल0 (2002), 'इण्डियन गवर्नमेन्ट एण्ड पॉलिटिक्स, लुधियाना', कल्याणी पब्लिकेशन, नई दिल्ली, पृष्ठ संख्या-110
17. जोशी, शालिनी, 'सोशल मीडिया का बढ़ता प्रभाव और चुनावी राजनीति', न्यूज राइटर्स,
18. सरदेशाई, राजदीप (2020), 'मोदी की जीत', वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, पृष्ठ संख्या-45
19. कुमार, संजय एवं राय, प्रवीण (2013) 'भारत में मतदान व्यवहार का मापन' सेज प्रकाशन, नई दिल्ली
20. गेना, डॉ0सी0बी0 (1997) 'तुलनात्मक राजनीति एवं राजनीतिक संस्थाओं का विकास', पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, पृष्ठ संख्या-983
21. फडिया, डॉ0बी0एल0 एवं जैन, पुखराज (2004) 'भारतीय शासन एवं राजनीति', साहित्य भवन, आगरा, पृष्ठ संख्या-612
22. ब्रास, पाल0आर0 (1984), 'दि पॉलिटिक्स ऑफ इण्डियन सिंस इण्डिपेंडेन्स', कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज', लन्दन प्रेस, पृष्ठ संख्या-98

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XL

Quality of Healthcare Systems in Rural India

Prof. Santosh Kumari*

***Professor & Head (Sociology) J.K.P.PG.College, Muzaffarnagar (U.P.) INDIA**

Abstract - India, as a diverse and populous nation, faces considerable challenges in providing quality healthcare services, particularly in rural areas. This paper explores the intricacies of the healthcare systems in rural India, including the challenges, current status, and potential solutions. Through a comprehensive analysis of factors affecting healthcare quality, policy initiatives, and innovative approaches, this paper aims to shed light on the complex issue of rural healthcare in India.

Introduction - The quality of healthcare services in rural India is a topic of significant concern. With over 70% of the population residing in rural areas (Census of India, 2011), ensuring equitable and high-quality healthcare services becomes imperative. However, numerous challenges persist, including infrastructure deficits, lack of trained healthcare professionals, and inadequate access to essential medications. This paper delves into the multifaceted issues surrounding the quality of healthcare systems in rural India, offering insights into its current status and potential pathways for improvement.

Challenges in Rural Healthcare:

A. Infrastructure Deficits: Rural areas in India often lack the necessary healthcare infrastructure. According to a report by the Ministry of Health and Family Welfare (2018), approximately 60% of rural healthcare facilities in India are without electricity, and 38% do not have proper sanitation facilities. Additionally, many rural healthcare centres lack essential medical equipment and storage facilities for medicines and vaccines. A study published in the Indian Journal of Community Medicine (2016) revealed that only 34% of rural healthcare centres in India meet the Indian Public Health Standards (IPHS) for healthcare infrastructure, indicating a significant deficit in quality healthcare facilities. This problem is further coupled with Inadequate Medical Equipment.

B. Shortage of Skilled Healthcare Professionals: Rural India faces a severe shortage of qualified healthcare professionals. According to data from the Rural Health Statistics report (2020), there is only one doctor available for every 11,082 people in rural areas, which is well below the World Health Organization's recommended ratio of 1 doctor per 1,000 people. This shortage is exacerbated by the migration of healthcare professionals to urban areas in search of better opportunities. Rural medical colleges and training institutions also often struggle to provide high-quality education and training opportunities. This contributes to the shortage of skilled professionals willing to work in rural areas.

C. Inadequate Access to Medications: Access to essential medications remains a significant challenge in rural India. Nearly 50% of patients in rural areas reported difficulty in accessing medicines due to their high cost and limited availability in local pharmacies. The lack of pharmacies or drug stores in rural areas is a significant barrier to accessing medications. Data from the National Sample Survey Organization (NSSO) (2014) shows that only 2% of rural households have access to allopathic medical stores within a kilometre of their residence. This survey also revealed that out-of-pocket spending on healthcare is a substantial burden on rural households, with many struggling to afford necessary medications.

D. Socioeconomic Disparities: Socioeconomic disparities play a crucial role in the quality of healthcare in rural India. The National Family Health Survey (NFHS-5) (2019-20) indicates that 24.5% of rural households live below the poverty line, which significantly affects their access to healthcare. Poverty, illiteracy, and lack of awareness about health issues contribute to the vulnerability of rural populations. Limited access to education and healthcare information means that rural populations may lack awareness about preventive healthcare practices, early symptom recognition, and treatment options.

Current Status of Rural Healthcare: Healthcare delivery in rural India follows a mixed model, with both public and private healthcare providers playing significant roles. The government operates a network of healthcare facilities, while private providers, including clinics and hospitals, also contribute to healthcare services. According to the Rural Health Statistics report (2020), there were 24,448 Primary

Health Centers (PHCs) and 5,971 Community Health Centers (CHCs) in rural India. Additionally, there were 152,184 sub-centers. These government-run facilities serve as primary healthcare hubs in rural areas, offering essential medical services to the population. Private healthcare providers, including small clinics and hospitals, also have a substantial presence in rural India. A study published in the International Journal of Community Medicine and Public Health (2017) found that approximately 70% of healthcare services in rural areas were provided by private healthcare providers.

Healthcare utilization rates in rural India are influenced by factors such as accessibility, affordability, and health awareness. Despite the presence of government-run healthcare facilities, utilization rates can vary. According to the National Health Profile (2019), the utilization rate of PHCs in rural areas ranged from 39.6% to 94.4% across different states in India. Utilization rates of private healthcare services also vary based on location, socioeconomic status, and healthcare needs. Private providers are often chosen for specific healthcare services, such as specialized consultations or diagnostics.

Policy Initiatives and Reforms: The government of India has launched a plethora of initiatives in the healthcare sector. These policy initiatives and reforms have played a pivotal role in improving healthcare access, infrastructure, and affordability in rural India. However, it's important to note that the effectiveness of these initiatives can vary across states and regions, and continuous monitoring and adaptation are essential to address evolving healthcare challenges in rural areas.

The National Rural Health Mission (NRHM), launched in 2005, aimed to address healthcare disparities in rural India. It was later subsumed under the National Health Mission (NHM). NRHM/NHM has been instrumental in strengthening rural healthcare infrastructure and human resources. NRHM led to significant infrastructure development in rural areas. According to data from the Ministry of Health and Family Welfare (2020), NRHM supported the construction of 25,650 new sub-centers, 4,207 PHCs, and 1,210 CHCs in rural India. NRHM also focused on enhancing human resource capacity. As of 2021, it had provided training to approximately 2.88 million ASHAs (Accredited Social Health Activists) and deployed 12,55,301 auxiliary nurse-midwives (ANMs) in rural areas.

Ayushman Bharat Yojana, launched in 2018, comprises two key components: Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (PM-JAY) and Health and Wellness Centers (HWCs). PM-JAY provides health insurance coverage to vulnerable families. As of March 2021, PM-JAY had provided insurance coverage to over 107 million families, benefiting more than 542 million individuals. It has also facilitated over 21 million hospital admissions. Under Ayushman Bharat, HWCs are transforming sub-centers and PHCs into comprehensive primary healthcare centres. The goal is to provide preventive and promotive healthcare services. As of March 2021, more than 80,000 HWCs had been operationalized across the country.

Telemedicine and mobile health units have been crucial in extending healthcare services to remote and underserved rural areas. Telemedicine has gained prominence, especially during the COVID-19 pandemic. The government introduced telemedicine guidelines to facilitate remote healthcare consultations. According to the Ministry of Electronics & Information Technology (2021), these guidelines aimed to improve healthcare access in remote areas.

Mobile health units equipped with medical professionals and diagnostic equipment have been deployed to reach remote villages. While specific data figures may vary by state and organisation, mobile health units have been instrumental in providing essential healthcare services in underserved areas.

Janani Suraksha Yojana (JSY) is another government scheme aimed at reducing maternal and neonatal mortality by promoting institutional deliveries. JSY has significantly increased the number of institutional deliveries in rural areas. According to the Ministry of Health and Family Welfare (2020), JSY has incentivized over 4.5 crore (45 million) institutional deliveries since its inception. JSY also provides cash incentives to pregnant women who choose to deliver in healthcare facilities. This financial support has encouraged rural women to opt for institutional deliveries, improving maternal and neonatal health outcomes.

Future Directions: Establishing a stable and effective rural healthcare system in India is imperative for the coming decade. This can be achieved through several key strategies:

Human Resource Development: The rural healthcare workforce will undergo significant transformation. Training and support will empower clinical staff to provide care beyond their current qualifications. This will involve on-the-job training, TBS (Telemedicine-Based Services) support, and the introduction of new professional degrees and certificates tailored to rural healthcare needs. Informal care providers, often referred to as "quacks," will transition into the formal workforce, including Local Health Centers (LHCs) and on-ground TBS support teams.

Increased Technology Adoption: Rural healthcare providers will embrace a broader range of technologies, extending beyond telemedicine. This includes the adoption of electronic health records, patient digital health cards, point-of-care digital devices, and the integration of AI/ML-based digital analytics into their practice.

Emphasis on Health Literacy and Preventive Care: Community engagement and health literacy initiatives will become central to rural healthcare providers. A heightened focus on preventive care will address the rising rates of non-communicable diseases (NCDs) in these communities. Preventive healthcare is seen as a sustainable approach

to managing healthcare demand, capacity development, and cost considerations.

New Referral Pathways and Funding Mechanisms: Rural healthcare providers will design cost-effective, high-quality referral pathways for complex medical conditions that cannot be managed locally or through TBS. These pathways may involve both public and private providers in smaller cities and towns. The penetration of health insurance products is expected to increase as entrepreneurs create innovative insurance products tailored to the rural market.

Improved Public Healthcare System: Governments at the central and state levels will continue to strengthen rural healthcare through various initiatives. These include optimizing current funding allocation, increasing overall healthcare funding, enhancing the Primary Health Center (PHC) network, introducing new clinic models, improving infrastructure and staffing, expanding staff training, and promoting the adoption of telemedicine. Collaboration and coordination between public and private healthcare systems in rural areas will also improve over time.

These strategies collectively aim to build a resilient and responsive rural healthcare system in India that can address the evolving healthcare needs of its rural population in the coming years.

Conclusion: Quality healthcare in rural India is a multifaceted challenge that requires a holistic approach. While several initiatives and reforms have been introduced to bridge the gap, there remains much work to be done. The government's commitment to improving healthcare accessibility through NRHM and Ayushman Bharat Yojana is commendable, but it must be complemented by strengthening the primary healthcare infrastructure, enhancing healthcare worker training, and promoting innovative solutions like telemedicine and mobile health units.

Furthermore, addressing socioeconomic disparities and promoting awareness and education on health-related matters are crucial steps towards improving healthcare quality. Public-private partnerships can also play a pivotal role in expanding healthcare access in rural areas. In conclusion, rural healthcare in India is at a critical juncture, and concerted efforts from both the government and civil society are required to ensure equitable access to high-quality healthcare services for all. While challenges persist, innovative approaches, data-driven policy decisions, and community engagement can pave the way for a brighter and healthier future for rural India.

References:-

1. Census of India. (2011). Rural-Urban Distribution of Population. https://censusindia.gov.in/Census_And_You/rural_and_urban_population.aspx
2. Ministry of Health and Family Welfare, Government of India. (2021). National Rural Health Mission (NRHM). https://nhm.gov.in/nrhm-components/rmnch-a/child-health-immunization/nrhm-components/health-system-strengthening/nrhm-about-us.html
3. Ministry of Health and Family Welfare, Government of India. (2021). Ayushman Bharat Yojana. https://www.pmjay.gov.in/
4. World Health Organization. (2018). Monitoring the Building Blocks of Health Systems: A Handbook of Indicators and their Measurement Strategies. https://www.who.int/healthinfo/systems/WHO_MBHSS_2010_full_web.pdf
5. National Institute of Rural Development & Panchayati Raj. (2020). Rural Healthcare Delivery System in India: Challenges and Opportunities. https://www.nirdpr.org.in/nird_docs/Rural%20Health% 20Care%20Delivery%20System%20in%20India%20Challenges%20and%20 Opportunities%20%28nirdpr%29.pdf
6. Ministry of Electronics & Information Technology, Government of India. (2021). Telemedicine Practice Guidelines. https://www.meity.gov.in/writereaddata/files/Telemedicine%20Guidelines%20-%20Enhanced%20.pdf
7. Ministry of Health and Family Welfare. (2018). Rural Health Statistics in India - 2018. https://main.mohfw.gov.in/sites/default/files/Final%20RHS%202018-19.pdf
8. Indian Journal of Community Medicine. (2016). Assessment of Rural Health Care Delivery System in Selected Blocks of Maharashtra. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5341352/
9. National Sample Survey Organization. (2014). Key Indicators of Social Consumption in India: Health. http://mail.mospi.gov.in/index.php/catalog/161
10. National Family Health Survey (NFHS-5). (2019-20). State Fact Sheet - India. https://www.nfhsindia.org/data/state-page
11. Journal of Global Health. (2020). Cultural beliefs and practices influencing health-seeking behavior in rural India. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7510672/
12. Ministry of Health and Family Welfare, Government of India. (2020). Janani Suraksha Yojana. https://nhm.gov.in/WriteReadData/l892s/Janani%20Suraksha%20Yojana%20-%20Guidelines%20&%20Procedures.pdf

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XL

रणथम्भौर एवं झायन दुर्ग में राव हम्मीर देव का योगदान

डॉ. सोमेश कुमार सिंह* उर्मिला मीना**

* (पर्यवेक्षक) सह आचार्य (इतिहास) शहीद कैप्टन रिपुदमन सिंह राजकीय महाविद्यालय, सवाई माधोपुर (राज.) भारत
** शोधार्थी (इतिहास) शहीद कैप्टन रिपुदमन सिंह राजकीय महाविद्यालय, सवाई माधोपुर (राज.) भारत

शोध सारांश – रणथम्भौर दुर्ग एक अत्यधिक प्राचीन दुर्ग है। इसका अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्पूर्ण स्थान है। इस दुर्ग के निर्माण को लेकर इतिहास कारों में मतभेद है। यह एक दुर्गम दुर्ग है। इस दुर्ग पर विजय प्राप्त करने के लिए बाहरी शासकों ने काफी प्रयास किया। लेकिन उनका प्रयास असफल रहा। राव हम्मीर देव इस दुर्ग के एक महत्पूर्ण शासक थे। अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग पर अधिकार करने का काफी प्रयास किया। लेकिन वह असफल रहा।
शब्द कुंजी – खाईं, गौ–मुखी, गुप्त गंगा, जौरा भौरा, 32 खम्भौ की छतरी, प्राचीन ढरटल मन्दिर, विश्व प्रसिद्ध गणेश मन्दिर, घोड़े के खुर, हम्मीर का कटा हुआ सेनास।

प्रस्तावना – प्राचीन काल से ही राज्य की अवधारणा एवं गठन में पुर या दुर्ग को राज्य का आवश्यक अव्यय माना गया है। कौटिल्य, मनु, कामन्दक, शुक्र आदि प्राचीन भारतीय व्यवस्था कारों ने दुर्ग के महत्व एवं दुर्ग के प्रकारों पर प्रकाश डाला है। राज्य की सुरक्षा एवं आपातकालीन परिस्थितियों में शरण आदि सबके लिए यह दुर्ग बहुत ही महत्वपूर्ण माने गए हैं। दुर्गों के कई प्रकार माने गए हैं।

उदाहरण के लिए

1. **ओदक –**दुर्ग जल के बीच में स्थित दुर्ग या परिखाओ से गिरा हुआ दुर्ग।
2. **पर्वत दुर्ग –** यह दुर्ग जो पर्वतीय क्षेत्र में बना होता है।
3. **धान्वन दुर्ग –** ऐसा दुर्ग जो रेगीस्थानी क्षेत्र में निर्मित किया गया है।
4. **वन दुर्ग –**जंगल में निर्मित किया गया दुर्ग वन दुर्ग कहलाता है।

भारत में सेंधव सेनायता के समय से ही दुर्ग निर्माण की परंपरा रही है।

राजपूताना राजाओं और उनके सामंतो का क्षेत्र रहा है। प्रशासनिक दृष्टि से दुर्ग की अनिवार्यता को ध्यान में रखते हुए राजपूत नरेशों और उनके सामंतों ने समय–समय पर अनेक दुर्गों का निर्माण करवाया था। वैसे भी इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि राजस्थान दुर्गों का क्षेत्र है। छोटे एवं बड़े मिलाकर जिनके विविध आकार है। राजस्थान के लगभग 100 दुर्ग आज भी अस्तित्व में है। इनमें रणथम्भौर,चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, आमेर, अचलगढ़, तारागढ़, जालौर, जोधपुर आदि के दुर्ग विशेष उल्लेखनीय है।

जहां भी जब भी रणथम्भौर दुर्ग का नाम आता है तो महान नरेश हम्मीर देव का स्मरण स्वत: ही हो जाता है। चौहान वंश (राव हम्मीर देव या हमीर वंश) वर्धन वंश के महान शासक हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद भारत की राजनीतिक एकता पुन: नष्ट हो गई थी। भारत पुन: छोटे–छोटे राज्य में विभाजित हो गया था

राजनीतिक व्यवस्था के इस युग में अनेक राजपूत वंशों का उदय हुआ था। तुर्कों ने जब भारत पर विजय प्राप्त की थी तो उस समय तक भारत की अधिकांश राजसत्ता इन्हीं राजपूत राजवंशों के हाथों में रही थी।

650 ई सन से 1200 ई सन तक का युग राजपूत युग के नाम से जाना जाता है। इन राजपूतों में चौहान सामंतो का नाम सर्वोपरि आता है। चौहान शासकों ने राजस्थान के कई क्षेत्रों में अपने शासन केंद्र स्थापित कर लिए थे।

चौहान वंश ने राजस्थान पर प्राय: 600 वर्षों तक राज्य किया था। चौहान शासक बहुत ही पराक्रमी और साहसेना थे। जिसके कारण भारतीय इतिहास में इन शासकों का एक महत्वपूर्ण स्थान था।

वासुदेव नामक व्यक्ति ने सांमर(राजस्थान) में चौहान राज्य की नींव रखी थी। वासुदेव को चौहान वंश का संस्थापक माना जाता है।
डॉ. गोपीनाथ शर्मा ने वासुदेव का समय 551 ई सन बताया है।

राव हम्मीर देव – राव हमीर देव एक यशस्वी शासक था। यह जैत्रसिंह चौहान का सबसे छोटा पुत्र था।राव हम्मीर देव की माता का नाम हीरा देवी था।जैत्रसिंह के तीन पुत्र थे। सूरत चंद्र (सुरत्राण),विरमा और हम्मीर देव।

हम्मीर देव महाकाव्य के मतानुसार राव हम्मीर देव का जन्म 1272 ई सन में हुआ था। राव हम्मीर देव के जन्म पर उनके पिताजी ने बहुत खुशियां मनाई थी।रावजैत्रसिंह ने मुक्तहस्त से दान –दक्षिणा तथा पुरस्कार व संपत्ति का दान किया था।

इस अवसर पर राजगुरु ने राव हमीर देव के संबंध में भविष्यवाणी की थी कि यह बालक अपने कुल में बहुत ही नाम कमायेगा तथा सारी दुनिया इसे हमेशा याद करेगी।

राव हम्मीर देव बड़ा वीर और पराक्रमी था। राव हम्मीर देव की वीरता से सेनाी प्रभावित थे। इतिहासकारों के अनुसार राव हम्मीर देव तलवार के एक ही हाथ से हाथी की गर्दन अलग कर देता था। वह एक शक्तिशाली ऊंट को मुक्के के एक प्रहार से जमीन पर गिरा देता था।

राव हम्मीर देव वैसे तो जैत्रसिंह का सबसे छोटा पुत्र था। लेकिन वह एक वीर एवं गुणी होने के कारण जैत्रसिंह उससे प्रभावित था। इसेना कारण जैत्रसिंह ने राव हम्मीर देव को अपने जीवन काल में ही अपना उत्तराधिकारी एवं रणथम्भौर का शासक नियुक्त कर दिया था।

डॉ. दशरथ शर्मा का मत है कि हम्मीर देव छोटा पुत्र होते हुए भी योग्य होने के कारण रणथम्भौर का शासक बना था। राव हम्मीर देव का राज्याभिषेक हम्मीर देव के पिताजी ने अपने जीवन काल में ही विक्रम संवत 1339 (1282) ई सन को उसे अपना उत्तराधिकार व रणथंभौर का शासक नियुक्त किया था।

राव हम्मीर देव के विजय अभियान –जिस समय राव हम्मीर देव को रणथम्भौर दुर्ग की गद्दी पर बैठाया गया था। उस समय भारत से गुलाम वंश के शासकों का साम्राज्य समाप्त हो चुका था। इस समय खिलजी वंश भारत पर राज्य कर रहा था।

राव हमीर देव रणथम्भौर राज्य के निम्न स्थानों पर शासन करता था। हदोलाव, मलारना, भारती, टोडा, नागरा, नैनवा, लोरवाडा, जीतपुर, धनवाड़ा, बूंदी, कोटा, खिलचीपुर आदि। झायन (छानगांव) का क्षेत्र जो की हम्मीर देव के समय में स्थापित था, का उल्लेख यहां पर नहीं मिलता है। राव हमीर देव एक महान योद्धा और महत्वाकांक्षी नरेश था।

रणथम्भौरके सिंहासन पर बैठते ही उसने अपने राज्य की सेनामाओं का विस्तार करने का दृढ़ निश्चय कर लिया।

राव हम्मीर देव ने रणथम्भौर के सिंहासन पर बैठते ही दिग्विजय की नीति अपनाई और आसपास के क्षेत्र को जीत लिया। उसके विजयी प्रदेशों में मालवा, मेवाड़, आबू, बपनौर, मारोठ, खंडेला, चंपा,कलराला,तिहुनगढ़ आदि प्रमुख बताए जाते हैं। राव हम्मीर देव ने अपनी विजय यात्रा का शुभारंभ भीमरस के राजा अर्जुन को पराजित करके किया था। अर्जुन हमीर के पिता जैत्रसिंह के समकालीन जयसिन्हा (द्वितीय) का उत्तराधिकारी था।

बलबन शिलालेख में अर्जुन को मालवा का शासक बताया गया है।राव हम्मीर देव ने मालवा के शासक अर्जुन की हस्ति सेना पर पूर्ण अधिकार कर लिया था।

राव हम्मीर देव ने मालवा विजय के बाद मांडलगढ़ को जीता तथा यहां के गौड़ राजा से कर व बहुत सारी भेंटें वसूल की। कुछ इतिहासकार माँडलगढ़ को 'माण्डानागढ़' कहते हैं।

अपनी माँडलगढ़ विजय के बाद हम्मीर देव ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया। राव हम्मीर देव के अश्वमेध यज्ञ का पुरोहित 'विश्वरूप' था। अश्वमेध यज्ञ के संपन्न हो जाने पर राव हम्मीर देव ने अपनी दक्षिण विजय का अभियान शुरू कर दिया।

राव हम्मीर देव ने अपनी दक्षिण विजय अभियान में सबसे पहले परमार वंश के राजा भोज को पराजित किया और उसने उज्ढरटल में धार पर अपना अधिकार कर लिया था। जब राव हम्मीर देव उत्तर की ओर लौटा तो उसने 10 राज्यों को अपने अधीन कर लिया। इसमें हमीर को तलवार का लोहा मानने वाले व हम्मीर देव को भेंट सम्मान देने वाले राजाओं की गिनती होती है। इन राजाओं की गिनती चित्तौड़ से लेकर मेरठ तक के 10 राज्यों में फैली हुई थी।

राव हम्मीर देव ने एक दौरे में चित्तौड़, आबू, वर्धनपुर चंगा, पुष्कर, महाराष्ट्र, खंडेला, चंपा तथा काकरिला को जीत कर अपने अधीन कर लिया था।राव हम्मीर देव की अंतिम विजय करौली की थी। जिसे 'त्रिपुरा नगरी' भी कहा जाता है।राव हम्मीर देव ने अपना यह विजय अभियान 1288 ई सन में शुरू किया था।

राव हमीर देव ने मालवा पर विजय प्राप्त की थी और मालवा विजय के उपलक्ष में रणथम्भौर दुर्ग में एक सुंदर इमारत का निर्माण करवाया था।

सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी का रणथम्भौर पर आक्रमण– जिस समय रणथम्भौर के सिंहासन पर सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी का शासन था उस समय राव हम्मीर देव के सैनिक अभियानों और विजयों से सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी काफी भयभीत था। सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी राव हमीर देव की बढ़ती गतिविधियों से लगातार चिंतित रहता था। दिल्ली सल्तनत की सेनामा पर एक शक्तिशाली चौहान राज्य की स्थापना को सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी सहन नहीं कर सकता था। इसलिए सुल्तान पर राव हम्मीर देव का अंकुश लगाना जरूरी हो गया था।

अब सुल्तान ने रणथम्भौर दुर्ग पर आक्रमण करने का निश्चय कर लिया एवं सेना के साथ कूच कर दिया। सुल्तान 12 मार्च 1291 ई सन को रवाना हुआ काफी लंबा रास्ता पार करके सुल्तान राजपूताने के रेतीले क्षेत्र में प्रविष्ट हुआ। इस रेगिस्तानी क्षेत्र में बहुत अधिक गर्मी में पानी की कमी के कारण भी परेशान हो गई थी। पानी लाने के लिए 100 ऊंटों की व्यवस्था की गई थी। सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी 15 दिनों की यात्रा के बाद रणथम्भौर दुर्ग की सेनामा पर पहुंचा था।

विद्वानों के अनुसार दो सप्ताह की यात्रा करके सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी रणथम्भौर की पहाड़ियों के निकट पहुंचा। इस तुर्की सेना ने देहातों का विनाश करना आरंभ कर दिया था। सुल्तान तो झाइन से 12 मिल की दूरी पर रहा था। जब सुल्तान की सेना पहाड़ियों में शत्रुओं की खोज कर रही थी उसेना समय उन्हें 1500 हिंदू सवार से सामना करना पड़ा था। दोनों सेनाओं में लड़ाई हुई। हिंदू मारों मारों का नारा लगाने लगे थे। कुछ ही पलों में 70 हिंदुओं की हत्या कर दी गई थी। सुल्तान की सेना विजय प्राप्त करके शिविरों में वापस आ पहुंची। सुल्तान के पास इस बात के समाचार भेज दिए गए थे।

झाइनऔर सुल्तान – जलालुद्दीन खिलजी ने कुछ समय में सैनिक भेजे। उसके योद्धाओं में मालिक खुर्रम, किरदार, अराइज मुल्क, अमीर शिकार अहमद आदि उल्लेखनीय थे।

सुल्तान की सेना झाइनसे 6 मिल की दूरी पर थी। यहां पर कठिन पहाड़ियां थी। लेकिन शाही सेना पहाड़ियों में प्रविष्ट हो गई। सेना नेझाइन में हलचल मचा दी थी।

राव हम्मीर देव और सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की सेना का सामना – सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के झाइन पर आक्रमण के समाचार सुनते ही राव हम्मीर देव के हाथ पैर फूल गए।राव हमीर देव ने सुल्तान की सेना का मुकाबला करने के लिए साहिनी को खड़ा किया। जो की एक लोहे का पहाड़ था। साहिनी के अधीन 40000 सैनिक रखे गए, जो की मालवा तथा गुजरात तक धावा मार चुके थे।साहिनी शाही सेना से युद्ध के लिए खड़ा हो गया।

तुर्की धनुर्धारियों ने बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। जोर शोर से युद्ध होने लगा। उसमें साहिनी भाग खड़ा हुआ। हजारों की संख्या में रावत मारे गए। तुर्कों की सेना में एक खासदार मारा गया था। अबझाइन में कोलाहल मच गया था। रात के समय में ही राव हमीर और बहुत से हिंदू सैनिक झाइन से रणथम्भौर की पहाड़ियों की ओर चले गए। शाही सैनिक रणभूमि से विजय प्राप्त करके सुल्तान की सेना में उपस्थित हो गए। काफी संख्या में रावतों को बंदी बना लिया गया था। शाही सेना ने खूब लूट मार की थी। लूट की धन संपत्ति को सुल्तान के सामने पेश किया गया था। इससे सुल्तान बड़ा प्रसन्न हुआ। सैनिकों को खिलअत देकर सम्मानित किया।

अब सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी 3 दिन के बाद झाइन में पहुंचा और राव हम्मीर देव के महल में उतर गया। महल की सजावट में कारीगरी देखकर

सुल्तान अचंभित रह गया था। सुल्तान की नजरों में वह महल हिंदुओं का स्वर्ग लगता था। महल की चुने की दीवारें आईने के जैसेना लगती थी। क्योंकि इसमें चंदन की लड़कियां लगी थी। सुल्तान कुछ समय तक इस महल में रहा एवं बड़ा प्रसन्न हुआ।

जब सुल्तान ने मंदिरों की मूर्तियों को देखा तो बहुत ही अधिक प्रसन्न हुआ। पहले दिन तो सुल्तान मूर्तियां देखकर वापस लौट गया। दूसरे दिन उसने सोने की मूर्तियों को पत्थरों से तुड़वाया था। महल,किला व मंदिर तो तुड़वा दिए गए और लकड़ी के खम्भों को आग लगा दी गई।

झाइन की नींव इस प्रकार खोद दी गई कि प्रत्येक सैनिक धन संपदा से मालामाल हो गया। सोने की मूर्तियों के साथ पीतल की मूर्तियां भी तोड़ी जाने लगी। इन पीतल की मूर्तियों को तोड़ने के बाद दो सरदारों की अधीनता में दो सेना तैयार की गई। पहली सेना का सरदार मालिक खुर्रम था तथा दूसरी सेना का सरदार मोहम्मद सरजानदार था।झाइन से मालिक खुर्रम ने अत्यधिक लोगों को बंदी बना लिया था। काफी संख्या में पशुओं को भी पकड़ा गया ।

मालिक खुर्रम सारे दासों को लेकर सुल्तान की सेना में जा पहुंचा। सरजानदार चंबल नदी तथा कुंवारी नदी पार करके मालवा की सेना पर पहुंच गया। वहां पर उसने बहुत जी भटकर भरकर लूटमार की। सुल्तान ने झाइन से प्रस्थान किया तथा सेना से मिलने के लिए चंबल पहुंचा।

सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ने मुबारक को दूसरी ओर भेजा था। मुबारक बारवक ने बनास नदी की ओर बढ़ना शुरू किया तथा वहां पर खूब लूटपाट की। लूटपाट करके धन संपत्ति को सुल्तान की सेवा में लेकर आया।

इतिहासकार अमीर खुसरो के अनुसार तुर्कों की सेना का केवल एक ही सैनिक मारा गया था। यहां पर हमीर देव के सेनानायक का नाम 'साहिनी' बताया जाता है। अनेक ग्रन्थों के विवरणानुसार उल्लेख मिलता है कि वह एक महान सेनानायक था।

इस महान सेनानायक के नेतृत्व में सेना ने मालवा व गुजरात के कई प्रदेशों पर सैनिक अभियान किए थे। विद्वानों के अनुसार सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी विजय के बाद वापस दिल्ली लौट गया था। इस प्रकार अपने अथक प्रयासों के बाद सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी खंडार में स्थित झाइनक्षेत्र पर कुछ ही जगह पर विजयी रहा एवं फिर दिल्ली प्रस्थान कर गया था।

इसझाइनक्षेत्र के लिए राव हम्मीर देव ने अपना योगदान देकर काफिरों के हाथों से झाइन क्षेत्र को बनाए रखा।

आगे चलकर सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने 1299 से 1300 ई सन में उल्गू खां को एक बहुत बड़ी सेना के साथ रणथम्भौर तथा झाइनकी और भेजा था। यह किला एक बहुत ऊंची पहाड़ी पर स्थित था एवं बड़ा मजबूत बनाया गया था। इसमें एक चील भी उड़कर नहीं जा सकती थी।

इस प्रकार झाइनपर सुल्तान जलालुद्दीन के कारण आक्रमण के बाद जलालुद्दीन खिलजी बहुत वृद्ध होने के कारण आगे की योजनाएं नहीं बना पाया और दिल्ली लौट गया। सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के बाद उसके भतीजे एवं दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने रणथम्भौर पर आक्रमण की योजनाएं बनाई थी। इतिहासकारों के अनुसार जब राव हम्मीर देव ने कोटी का यज्ञ किया था और पुरोहित के कहने पर उसने एक माह का मौन व्रत रखा था। उसके मौन व्रत के समय सुल्तान अलाउद्दीन ने उलगू खां से कहा कि रणथम्भौर का राजा हमें कर दिया करता था। लेकिन उसका पुत्र राव हम्मीर देव तो हमसे सीधें मुंह बात तक नहीं करता है। इस समय राव हम्मीर देव तो मौन व्रत में मगन है। इसलिए उचित समय जानकर तुम जाओ और उसके देश का विनाश करो।

इस प्रकार राव हम्मीर देव ने अपने त्याग एवं बलिदान से झाइन दुर्ग को तुर्कों के विनाश से बचाकर सुरक्षित रखा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. ए हिस्ट्री ऑफ रणथंबोर, जावेद अनवर, रणथम्भौर पब्लिकेशंस 1993।
2. मिफताहुल फुतुह, अमीर खुसरो कृत।
3. हम्मीर महाकाव्य, नयनचंद्र सूरी।
4. दी अर्ली चौहान डायनेस्टी, डॉ. दशरथ शर्मा।
5. अचलदास खींची री वचनिका, शिवदास।
6. तारीखेए - फिरोज शाही, जियाउद्दीन बरनी।
7. तारीखे मुबारक शाही।
8. राजस्थान का इतिहास, गोपीनाथ शर्मा,बिबिल इंडि0सीरीज।
9. तबकते-ए-नासीरी, मिनहाज-सिराज।
10. फुतूहससलातीन, अब्दुल्ला मलिक इसामी, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 1959।
11. मिफताहुलफुतूह अमीर खुसरो, अलीगढ़ मुस्लिम वि.वि. 1959।
12. खजाई नुलफुतुह, अमीर खुसरो, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 1959।
13. देवरानी, अमीर खुसरो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 1959।
14. तारीख-ए-फरिश्ता, फरिश्ता मो0 कासिम हिन्दूशाह, नवल किशोर प्रेस लखनऊ।
15. मुन्तखाबुत तवारिख, अब्दुल कादिर बदायुनी, बिबिन राष्ट्र सिरिज।
16. राजस्थान का इतिहास, डॉ. कालूराव शर्मा डॉ. प्रकाश व्यास पंचशील प्रकाशक जयपुर 1980।
17. राजस्थान का इतिहास, बी.एम. दिवाकर, साहित्यकार, एस.एम.एस. हाईवे, जयपुर।
18. राजस्थान का इतिहास, रतन लाल मिश्र, साहित्य संस्थान, उदयपुर 1981।
19. राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत, डॉ. एस.एम. नागौरी, दी स्टूडेण्टस बुक कम्पनी जयपुर 1986-87।
20. तबकात-ए-अकबरी, अब्दुल कादिर बंदायूनी, बिबिल इण्डि कलकत्ता 1927।

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XL

महिला सशक्तिकरण : भारत मे संवैधानिक व वैधानिक प्रयास एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

विक्रम सिंह *

* शोधार्थी, डी0ए0वी0 (पी0जी0) कॉलेज, बुलन्दशहर, चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ (उ.प्र.) भारत

शोध सारांश – किसी भी राष्ट्र के निर्माण में उस राष्ट्र की आधी आबादी (स्त्री) की भूमिका के महत्त्व से इंकार नहीं किया जा सकता। आधी आबादी किसी भी कारण से निष्क्रीय रहती है, तो उस राष्ट्र या समाज की समुचित उन्नति के बारे में कल्पना भी नहीं की जा सकती। भारत में विभिन्न कालखण्डों में महिलाओं की स्थिति दयनीय ही रही है। उसके अधिकारों का हनन ही होता रहा है। लेकिन स्वतंत्रता के पश्चात संविधान निर्माताओं व नीति-निर्माताओं ने महिलाओं के पिछड़ेपन को समझा और उनकी सहभागिता को देश के लिए महत्त्वपूर्ण मानकर, संविधान में बराबरी का दर्जा दिया। भारतीय संविधान न केवल महिला-पुरुष की समानता पर बल देता है। बल्कि महिला सशक्तिकरण का एक सुनियोजित मार्गदर्शन भी प्रस्तुत करता है।

प्रस्तावना – महिला सशक्तिकरण तीन काकरों से निर्धारित होता है; उनकी आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक पहचान तथा महत्ता। ये कारक परस्पर अर्न्तसम्बन्धित है। जब ये तीनों कारक एक साथ सुसंगत होकर इस दिशा में कार्य करें, केवल तभा सही अर्थों में महिला सशक्तिकरण को सुनिश्चित किया जा सकता है। इसलिए महिलाओं का समग्र रूप से सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए उनके जीवन को प्रभावित करने वाले सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक कारकों का प्रभावी समेकन अतिआवश्यक है। एक महत्त्वपूर्ण मानव संसाधन के रूप में महिलाओं की महत्ता को संविधान द्वारा भी मान्यता दी गई है। साथ ही संविधान द्वारा ने केवल महिलाओं को समानता प्रदान की गई है, बल्कि विशेष रूप से महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को स्पष्ट करते हुए उनके राजनीतिक अधिकारों एवं निर्णय-निर्माण प्रक्रिया में उनकी भागीदारी को भी सुनिश्चित किया गया है।

अध्ययन का उद्देश्य– महिला सशक्तिकरण के लिए किए गए संवैधानिक व वैधानिक प्रयासों का अध्ययन करना।

अध्ययन विधि एवं तथ्य संकलन– प्रस्तुत अध्ययन की विधि विवरणात्मक है और अध्ययन की विश्वसनीयता द्वितीयक सामग्री के विश्लेषण पर आधारित है।

अध्ययन की पृष्ठभूमि– भारत में महिलाओं की निम्न स्थिति अनेक कारण उत्तरदायी रहे है। धार्मिक व सामाजिक नियमों रीति-रिवाज इस तरह से बुना गया जिसमें उसके अधिकारों को दूसरे दर्जे का माना गया। परिवार के पित्रसत्तात्मक होने के कारण भी उनके अधिकारों में कटौती ही रही।

संयुक्त परिवार एवं जाति व्यवस्था के कारण भी महिलाओं की स्थिति को कमतर बनाने में योगदान दिया, साथ ही पुरुषों पर महिलाओं की अत्यधिक आर्थिक निर्भरता, व अशिक्षा और राज्य द्वारा उन्हें कानून का संरक्षण भी प्राप्त न होना उनके पिछड़ेपन का कारण बना। महिलाओं की इस दयनीय स्थिति को सुधारने तथा उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए अनेक समाज सुधारकों, स्वयं सेवी संगठनों तथा संविधान द्वारा अनेक प्रयास किये गये। इन प्रयासों को हम दो भागों में बाँट सकते है-
राष्ट्र की मुख्यधारा में महिलाओं को सम्मलित करने के लिए जिस वातावरण के निर्माण की आवश्यकता होता है भारतीय संवधिान के विभिन्न अनुच्छेदों में उसकी रूप रेखा निम्न प्रकार परिलक्षित होती है।

स्वतन्त्रता के पूर्व किये गये प्रयास– भारत में महिलाओं की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए तथा महिलाओं के गिरी हुई दशा को उठाने के लिए 19वीं शताब्दी के प्रारम्भ में भारत के कुछ समाज-सुधारकों जैसे राजा राम मोहन राय (1774-1833), ईश्वर चन्द्र विद्यासागर (1820-1891), स्वामी दयानन्द सरस्वती (1827-1983), केशव चन्द्र सेन (1838-1884), स्वमी विवेकानन्द (1968-1902) इत्यादि ने अत्याचारी सामाजिक व्यवस्था के विरूद्ध आवाज उठायी। इन्होंने तत्कालीन अंग्रेजी शासकों के समक्ष स्त्री-पुरुष समानता, स्त्री शिक्षा, सती प्रथा पर रोक की आवाज उठायी। इसी का परिणाम था सती प्रथा निषेध अधिनियम 1829, हिंदू विधवा पुर्नविवाह अधिनियम 1856, में एज ऑफ कन्सटेन्ट 1891 बिल और बहुविवाह रोकने के लिए नेटिव मैरिज 1872 मैरिज एक्ट पास कराया। इन सभी कानूनों का समाज पर दूरगामी परिणाम हुआ। वर्षो के नारी स्थिति में आयी गिरावट पर रोक लगी। आने वाले समय में स्त्री जागरूकता में वृद्धि हुई और नये महिला संगठनों का सूत्रपात हुआ जिसकी मुख्य मांग थी। स्त्री शिक्षा, दहेज, बाल विवाह जैसी कुरीतियों पर रोक, महिला अधिकार और महिला शिक्षा की मांग इत्यादि।

महिलाओं के इस उन्नती में अनेक स्वयं सेवी महिला संगठनों का योगदान प्रशंसनीय रहा है और इनके द्वारा भारतीय महिलाओं की आर्थिक व सामाजिक दशा को सुधारने के व्यवहारिक प्रयास हुए है। इन प्रयासों को निम्नलिखित आधारों पर समझा जा सकता है। (1831-1897) सावित्री बाई फुले 1848 में लड़कियों के लिए पहले विद्यालय की स्थापना की। देश की पहली महिला शिक्षिका 1886 में टैगोर परिवार की महिला स्वर्ण कुमारी देवी ने कोलकाता में सखी-समिति की स्थापना की। महाराष्ट्र प्रान्त में नारी उत्थान संगठन का श्रेय पण्डिता रमाबाई को है। उन्हीं के प्रयास से सन् 30

नवम्बर 1882 पूना में में आर्य महिला समाज की स्थापना सम्भव हो सकी। उन्होंने स्वयं उदाहरण प्रस्तुत करते हुए (अन्तरप्रातींय), अन्तरजातिय विवाह किया, महिलाओं को मेडिकल शिक्षा दिये जाने के लिए विशेष प्रयास भी किया और इन्होंने मुम्बई में शारदा सदन की स्थापना की। इतना ही नहीं, उन्होंने महिलाओं की व्यावसायिक शिक्षा के लिए मुक्ति सदन नामक संस्थान के सुचारू रूप से चलाया।

स्वतन्त्रता के पश्चात किये गये प्रयास– स्वतन्त्रता के बाद भारत में औपनिवेशिक शासन की समाप्ति के बाद भारत का पुर्ननिर्माण की अपनी क्षमता के लिए संविधान का निर्माण किया गया जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के साथ ही अभिव्यक्ति–विचार, धर्म और विश्वास की स्वतंत्रता तथा समानता के अवसर को लक्ष्य के रूप में रखा गया। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, नीतिनिर्देशक सिद्धान्त और मूल अधिकारों के माध्यम से इन लक्ष्यों के पूर्ति के प्रयास आरम्भ हुए। इन प्रयासों का एक प्रमुख लक्ष्य स्त्रियों की परिस्थिति में सुधार लाना भी था। भारत में स्त्रियों के परिस्थिति में सुधार हेतु राज्य द्वारा किये प्रयासो को दो रूपो में देखा जा सकता है।

संवैधानिक प्रावधान:

1. विधि के समक्ष समता (अनुच्छेद 14)।
2. राज्य किसी नागरिक के विरूद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा (अनुच्छेद 15(1))।
3. राज्य महिलाओं एवं बच्चों के पक्ष में विशेष प्रावधान कर सकता है। (अनुच्छेद 15(3))।
4. राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिये अवसर की समता होगी (अनुच्छेद 16(1)।
5. पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो (अनुच्छेद 39)
6. आर्थिक या किसी अन्य निर्योग्यता से पीड़ित नागरिको के लिए नि:शुल्क विधिक समहायता की व्यवस्था (अनुच्छेद 39क)।

विशाखा दिशा–निर्देश –विशाखा दिशा–निर्देश कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने से सम्बन्धित है। विशाखा बनाम राजस्थान राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने महिला कर्मचारियों के सुरक्षित एवं स्वस्थ वातावरण में काम करने के अधिकार को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कुछ नियम तय किये थे। अपने निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने यौन उत्पीड़न को परिभाषित करते हुए इसे मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन माना था। विशाखा दिशा निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित अशिष्ट भावों अथवा व्यवहारों को यौन उत्पीड़न के अंतर्गत शामिल किया गया है।

1. शारीरिक संपर्क या इसका प्रयास करना।
2. यौन संबंध बनाने की मांग या अनुरोध करना।
3. यौन संबंधी टिप्पणी करना।
4. अश्लील फिल्म दिखाना।
5. यौन प्रकृति का कोई अन्य शारीरिक, मौखिक या अन्य प्रकार का कोई अशिष्ट कार्य करना।

आपराधिक कानून– महिलाओं के प्रति अपराधों में कड़ी देने के उद्देश्य से आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2013 भी लागू किया गया है। इसके द्वारा भारतीय दंड संहिता, भारतीय साक्ष्य संहिता आदि कानूनों में संशोधन किये गये है। इस कानूनी की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं–

1. बलात्कार के अपराध में 20 साल तक के कड़े कारावास की सजा।
2. आजीवन कारावास का अर्थ प्राकृतिक जीवन काल है।
3. पूर्व में ऐसे अपराधों के लिये दोषसिद्ध व्यक्ति द्वारा पुन: अपराध करने पर मौत की सजा का प्रावधान।
4. पीड़ित की मौत होने पर सजा को बढ़ाकर मृत्युदंड दिया जा सकता है।
5. तेजाब हमला करने वालों को 10 साल की सजा।
6. सहमति से यौन संबंध की न्यूनतम उम्र 18 साल।
7. सभी अस्पताल प्राथमिक चिकित्सकीय सहायता व नि:शुल्क उपचार उपलब्ध कराएंगे।

आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम 2018– इस अधिनियम के माध्यम से भारतीय दंड सहिता (आई0पी0सी0), 1860, आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सी0आर0पी0सी0) 1973 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 और लैंगिक शोषण से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 को संशोधित किया गया है।

मुख्य बिन्दु – 12 वर्ष से कम आयु की लड़की के साथ बलात्कार करने पर न्यूनतम सजा को 10 से बढ़ाकर 20 वर्ष कड़ा कारावास दिया गया है और इसमें अधिकतम सजा आजीवन कारावास अथवा मृत्युदंड भी दिया जा सकता है।

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 – यह अधिनियम महिलाओं को घरेलू हिंसा से संरक्षण प्रदान करता है। ऐसा नहीं है कि इससे पहले महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा से निपटने के लिये देश में कोई कानून नहीं था। लेकिन पहले का कानून विशिष्ट रूप से परिवार या घर के अंदर महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा पर केंद्रित नहीं था। इस कारण यह महिलाओं के खिलाफ होने वाली घरेलू हिंसा को रोकने में ज्यादा प्रभावी नहीं था।

कारखाना (संशोधन) अधिनियम, 1976 – यह अधिनियम रोजगार करने वाली 30 से अधिक महिलाओं के कार्यस्थलों पर शिशु सदन का प्रावधान करता है। रोज़गार करने वाली महिलाएँ ठेके पर या अनौपचारिक रूप से कार्य करने वाली हो सकती हैं। इससे पहले 50 महिलाओं पर एक शिशु सदन का प्रावधान था।

समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 –यह अधिनियम (a) महिला एवं पुरुष कामगारों को समान पारिश्रमिक (b) रोज़गार के मामलों में महिलाओं के विरुद्ध लैंगिक आधार पर या इससे संबंधित मामले या उनकी पहचान के आधार पर उनके साथ होने वाले भेदभाव पर प्रतिबंध लगाता है। इस अधिनियम में संशोधन के लिये श्रम मंत्रालय के पास एक प्रस्ताव है ताकि महिलाओं के हक में इसके प्रावधानों को और अधिक उदार बनाया जा सके।

दहेज (प्रतिषेध) अधिनियम, 1961 – दहेज (प्रतिषेध) अधिनियम पहली बार 1961 में बनाया गया था। 1984 में इस अधिनियम में संशोधन किया गया। इस संशोधन के माध्यम से इसे संज्ञेय बनाकर दंड में वृद्धि की गई तथा इसमें जुर्माना एवं कारावास दोनों को शामिल किया गया। इस अधिनियम को और ज़्यादा प्रभावी य बनाने के लिये इसके क्षेत्र का विस्तार किया गया।

सती प्रथा (रोकथाम) अधिनियम, 1987 – सती प्रथा (रोकथाम) अधिनियम, 1987 संसद द्वारा वर्ष 1987 में पास किया गया ताकि सती प्रथा एवं इसके महिमागान या इससे संबंधित मामलों या घटनाओं को ज्यादा

प्रभावी तरीके से रोका जा सके। अधिनियम है सती को व्यापक रूप से परिभाषित करता है तथा इसमें न केवल किसी विधवा को उसके पति के साथ बल्कि उसके किसी अन्य संबंधी के साथ जलाने या जिंदा दफनाने को भी शामिल करता है।

गर्भधारणपूर्व और प्रसवपूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 –प्रसवपूर्व निदान तकनीक (विनियमन एवं दुरुपयोग की रोकथाम) अधिनियम, 1994 संसद द्वारा प्रसवपूर्व निदान तकनीक के विनियमन को, लिये बनाया गया था। इस निदान तकनीक का उद्देश्य जीन संबंधी गड़बड़ियों या गुणसूत्र संबंधी असामान्यताओं या कुछ निश्चित प्रकार की जन्मजात विकृतियों या लिंग संबंधी विकारों को दूर करना था। लेकिन इस तकनीक का उपयोग प्रसवपूर्व लिंग निर्धारण के लिये किया जाने लगा जिससे भ्रूण हत्या या संबंधित मामलों में बढ़ोतरी देखी गई।

अधिनियम में 2003 में किये गए संशोधन:

1. संशोधन में लिंग निर्धारण तकनीक को भी कानून के दायरे में लाया गया है।
2. अल्ट्रासाउंड कानून के दायरे में।
3. केंद्रीय निरीक्षण बोर्ड को सशक्त करना, राज्य स्तर पर भी निरीक्षण बोर्ड का गठन।
4. अधिक कठोर सजाओं का प्रावधान।
5. कानून उलंघन करने वालों की जांच मशीन व यंत्रों की जब्ती व सील करने हेतु प्राधिकृत अधिकारियों की सिविल कोर्ट की तरह सशक्त करना।
6. अल्ट्रासाउड मशीनों की पंजीकृत संगठनों की बिक्री का नियमन।

मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (संशोधन) विधेयक, 2020 – केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में वैधानिक रूप से गर्भपात संबंधी नियमों में बदलाव के लिये मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अधिनियम, 1971 में संशोधन करने के लिये मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (संशोधन) विधेयक, 2020 को मंजूरी दी है। यह विधेयक महिलाओं के लिये उपचारात्मक, मानवीय या सामाजिक आधार पर सुरक्षित और वैध गर्भपात सेवाओं को व्यापक बनाने के लिये लाया जा रहा है।

प्रस्तावित संशोधन के प्रावधान:

1. संशोधन के तहत गर्भपात के लिये गर्भवस्था की सीमा को 20 सप्ताह से बढ़ाकर 24 सप्ताह किया जाएगा। इन बदलावों को (MTP AlMedical Termination of Programer) नियमों में संशोधन के जरिये परिभाषित किया जाएगा।
2. ये नियम उन महिलाओं के संबंधा में लागू होंगे जो दुष्कर्म पीड़ित या सगे-संबंधियों के साथ यौन संबंधों से पीड़ित हैं, साथ ही इसमें अन्य असुरक्षित महिलाएँ (दिव्यांग महिलाएँ व नाबालिग) भी शामिल होंगी।

मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम, 2017 – मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम, 2017 मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 में संशोधन करता है। इस अधिनियम के द्वारा मातृत्व अवकाश की अवधि, प्रासंगिकता और अन्य सुविधाओं से संबंधित प्रावधानों में संशोधन किया गया है।

प्रमुख बिंदु :

1. यह अधिनियम 10 या उससे अधिक व्यक्तियों को रोजगार देने वाले सभी संस्थानों पर लागू होता है।
2. इसके तहत प्रत्येक महिला 26 सप्ताह के मातृत्व लाभ की हकदार होगी।
3. पुराने अधिनियम के तहत इस मातृत्व लाभ का उपयोग प्रसव की अपेक्षित तारीख से छ: सप्ताह से पहले नहीं किया जाना चाहिये। अब यह अवधि 'आठ सप्ताह' कर दी गई है।

घरेलू कामगार कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 11 के 2010 घरेलू कामगारों के शोषण को नियमित मिलता हो उनके अधिकारों एवं कानूनों का सम्मान न किये जाने से घरेलू नौकर समकालीन दास बन गए हैं। यह भी एक ज्ञात तथ्य है कि कई महिलाओं की अनैतिक तस्करी एवं शोषण नियोजन एजेंसियों द्वारा किया जाता है। जो किसी प्रतिबंध या नियमन के खुले में कार्य करती है।

सरोगेसी (विनियमन) विधेयक, 2020 – केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरोगेसी की प्रक्रिया को विनियमित करने से संबंधित सरोगेसी (विनियमन) विधेयक, 2020 को फरवरी, 2020 में मंजूरी प्रदान कर दी है। धयातव्य है कि नवीनतम विधेयक अगस्त 2019 में लोकसभा से पारित सरोगेसी (विनियमन) विधेयक 2019 का संशोधन संस्करण है क्योंकि 2019 के विधेयक को राज्यसभा में प्रवर समिति को भेज दिया गया था।

1. मंत्रिमंडल ने विधेयक को मंजूरी देने से पहले राज्यसभा की प्रवर समिति की सभी सिफारिशों को शामिल किया है।
2. सरोगेसी (विनियमन) विधेयक, 2020 का उद्देश्य व्यावसायिक सरोगेसी पर प्रतिबंध लगाना और परोपकारी सरोगेसी की अनुमति देना है।
3. इसके तहत मानव भ्रूण की बिक्री और खरीद सहित वाणिज्यिक सरोगेसी निषिद्ध होगी और निःसंतान दंपतियों को नैतिक सरोगेसी की शर्तों को पूरा करने पर ही सरोगेसी की अनुमति दी जाएगी।
4. इस विधेयक के करीबी रिश्तेदार (Close Relation) वाले खंड को हटा दिया गया है तथा अब यह विधेयक किसी 'इच्छुक' (Willing) महिला को सरोगेट सरोगेट मदर बनने की अनुमति देना है जिससे विधावा और तलाकशुदा महिलाओं के अलावा नि:संतान भारतीय जोड़ों को लाभ प्राप्त होगा।

भारत में महिला अधिकारों की निगरानी के लिये एजेंसियाँ एवं संस्थाएँ

महिलाओं के लिये राष्ट्रीय आयोग की स्थापना राष्ट्रीय महिला-आयोग अधिनियम, 1990 के अंतर्गत जनवरी 1992 में सांविधिाक निकाय के रूप में निम्नलिखित उद्देश्यों के लिये की गई थी:

1. महिलाओं के लिये संवैधानिक और कानूनी संरक्षण की समीक्षा करना।
2. सुधारात्मक वैधानिक उपायों की अनुशंसा।
3. शिकायतों को दूर करने की सुविधा।
4. महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत तथ्यों पर सरकार को सलाह देना।

राष्ट्रीय महिला कोष – राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना के तहत महिला तथा बाल सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत महिला तथा बाल विकास विभाग द्वारा एक स्वतन्त्र पंजीकृत सोसाइटी के रूप में की गई थी। इसका उद्देश्य बैंकिंग सेक्टर को विस्थापित करना नहीं, बल्कि गरीबां और बैंकिंग क्षेत्र के बीच के अंतराल को कम करना है तथा विशेष रूप से अल्पऋण के माध्यम से गैर-संस्थागत एवं अनौपचारिक क्षेत्र में महिलाओं का सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण करना है।

केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड – केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड का मुख्य

उद्देश्य है- समाज में महिलाओं के कल्याण, विकास और सशक्तीकरण के लिये स्वैच्छिक संगठनों के साथ रचनात्मक भागीदारी सुनिश्चित करना। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये 1953 में बोर्ड की स्थापना की गई थी। बोर्ड की योजनाओं का अधिकतम हिस्सा स्वैच्छिक संगठनों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। बोर्ड ने देश भर में 20,000 से अधिक स्वैच्छिक संगठनों का नेटवर्क तैयार किया है। देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित राज्य समाज कल्याण बोर्डो के माध्यम से विभिन्न राज्य स्तरीय संगठनों के साथ नेटवर्किंग बोर्ड में शामिल है।

राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण मिशन:

1. 8 मार्च, 2010 को भारत सरकार द्वारा महिलाओं के संपूर्ण सशक्तिकरण के उद्देश्य से राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण मिशन की शुरुआत की गई।
2. इस मिशन का उद्देश्य भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के साथ-साथ राज्य सरकारों के विभागों की योजनाओं कार्यक्रमों के सम्मिलन द्वारा महिलाओं का सशक्तीकरण करना है।
3. इस मिशन के संस्थागत तंत्र का संचालन महिला एवं बाल विकास, मंत्रालय से संबद्ध निदेशक और अपर सचिव की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय इकाई के गठन के माध्यम से किया जा रहा है।
4. इस मिशन में एक कार्यकारी निदेशक तथा इसके सदस्यों में गरीबी उन्मूलन, सामाजिक सशक्तीकरण, स्वास्थ्य और पोषण, जेंडर बजटिंग, महिलाओं के अधिकार और कानून कार्यान्वयन, हाशिये पर रहने वाली और कमजोर महिलाओं के सशक्तिकरण, मीडिया जागरूकता, जनसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल हैं।

किशोरियों के लिये योजना - यह योजना किशोर लड़कियों हेतु 2010 में शुरू की गई थी और प्रायोगिक तौर पर इसे देश के 205 जिलों में लागू किया गया था। वर्ष 2017-18 में पोषण अभियान के अंतर्गत अभिनिर्धारित अतिरिक्त 303 समस्याग्रस्त जिलों में संशोधित वित्तीय मानदंडों के साथ इसका विस्तार किया गया था।

जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम - 1 जून 2011 को सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करने हेतु जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसके तहत गर्भवती महिला को संस्थागत प्रसव के लिये सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र तक मुफ्त परिवहन, मुफ्त दवाइयों, मुफ्त जाँच, मुफ्त रक्त (जरूरत पड़ने पर) और महिला व नवजात को मुफ्त पोषण युक्त भोजन की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। वर्ष 2014 में इस कार्यक्रम को गर्भावस्था के दोनों चरणों (प्रसव पूर्व तथा प्रसव बाद) हेतु विस्तारित किया गया है। साथ ही सभी बीमार नवजातों एवं शिशुओं (1 वर्ष तक) को उपचार हेतु सार्वजनिक संस्थानों तक पहुँच के लिये समान पात्रता रखी गई है।

सुमन-सुरक्षित भाईचारा योजना - 10 अक्टूबर, 2019 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्द्धन द्वारा विभिन्न राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ नई दिल्ली में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की केंद्रीय परिषद् के 13वें सम्मेलन में 'सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना' सुमन की शुरूआत की गई है। इसका उद्देश्य देश में प्रसव के दौरान इलाज के अभाव में माँ या बच्चों की होने वाली मौतों में शत प्रतिशत कमी लाता है अर्थात देश में सौ प्रतिशत प्रसव को अस्पताल या प्रशिक्षित नर्स की निगरानी में सुनिश्चित कराना है। विदित हो कि वर्तमान में यह आकडा लगभग 80 फीसदी है।

निर्भया कोष - देश में सार्वजनिक जगह हो या सार्वजनिक परिवहन, प्रत्येक स्थान पर महिलाओं और लड़कियों को हिंसा की घटनाओं का सामना करना बे पड़ता है। ऐसी घटनाएँ महिलाओं के कहीं भी स्वतंत्र रूप से घूमने तथा एक जगह से दूसरी जगह स्वतंत्रतापूर्वक जाने के अधिकार को प्रतिबंधित करती हैं। इसके अतिरिक्त हिंसा महिलाओं की आवश्यक वस्तुओं तक पहुँच को न केवल बाधित करती है, बल्कि उनके स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुँचाती है।

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ - 22 जनवरी, 2015 को शुरू की गई 'बेटी बचाओ बेटी पढाओ' नामक योजना का उद्देश्य बाल लिंग अनुपात के घटने की समस्या एवं संपूर्ण जीवन चक्र में महिलाओं के सशक्तीकरण से संबंधित मुद्दों का निराकरण करना है। यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा मानव संसाधान विकास मंत्रालयों का त्री-मंत्रालयी अभिसरण प्रयास है, जिसके द्वारा लोगों की सोच में बदलाव लाने हेतु जागरूकता उत्पन्न करने एवं समर्थन अभियान चलाने, चुनिंदा 100 जिलों (प्रथम चरण), 61 जिलों (द्वितीय चरण-बाल लिंग अनुपात ना की दृष्टि से निम्न जिले में बहुक्षेत्रक कार्रवाई करने, लड़कियों के लिये शिक्षा प्राप्ति का वातावरण बनाने तथा गर्भाधन पूर्व और प्रसव पूर्व नैदानिक तकनीक (पीसी एंड पीएनडीटी) अधिनियम के कारगर प्रवर्तन पर बल दिया गया है। यद्यपि 8 मार्च, 2018 को इस योजना को 2011 की जनगणना के अनुसार, देश के सभी 640 जिलों में विस्तारित कर दिया गया है।

महिला शक्ति केंद्र योजना -2017-18 के बजट भाषण में रोजगार डिजिटल साक्षरता, कौशल चरण विकास स्वास्थ्य और पोषण के अवसरों के सा महिलाओं का सेवाएँ प्रदत्ता करने के उद्देश्य से महिला शक्ति केंद्र के करने की घोषणा की थाई थी। तदनुसार अबेला स्कीम प्रधानमंत्री महिला 'सशक्तिकरण योजना' के तहत 'महिला शक्ति केंद्र' योजना को वर्ष-20 तक क्रियान्वित करने की सहमति प्रदान की हिलाओं हेतु सरकार से अपने अधिकार The Vision सृजन एवं क्षमता निर्माण के माध्यम एक इंटरफेस प्रदान करेगी।

निष्कर्ष - स्पष्ट है संवैधानिक प्रयास, सरकारी प्रयास, कल्याणोमुखी और सशक्तिकरण की ओर उन्मुख क्रार्यक्रमों, महिला आयोग की तत्परता, आधुनिक और उदारवादी नियमों के प्रभाव से महिला स्थिति में सुधार तो हुआ है । परन्तु अभी भी महिला सशक्तिकरण लक्ष्य अभी दूर है। पुरुष तानाशाही, निम्न स्तर पर शिक्षा योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही तथा भ्रष्टाचार के कारण सरकारी योजनाएँ उपेक्षित वर्ग तक नहीं पहुँच पाने की समस्या सशक्तिकरण के इस प्रयास में बाधक बनी हुई है।

महिला सशक्तिकरण के लिए नि:सन्देह सरकार द्वारा संवैधानिक प्रयास तथा कई योजनाएं चलाई गई और कई तरह के प्रयास किये गए। बावजूद इसके अभी भी विचारों, संस्कारों में उन्हें यथेष्ट समकक्षता प्राप्त करने में उन्हें देर हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची:-

1. अहुजा, राम : भारतीय सामाजिक व्यवस्था, रावत प्रकाशन जयपुर, नई दिल्ली (1999)।
2. सिंह, सुनिल कुमार: सामान्य ज्ञान, लूसेन्ट प्रकाशन, पटना 2014।
3. ओझा, एस0 के0 सामातजशास्त्र, नेट ट्यूटर, अरिहन्त प्रकाशन मेरठ, यू0पी0।
4. पाण्डेय, एस0एस0 समाजशास्त्र, टाटामैग्राहिल, न्यू दिल्ली।

5. राज कुमार डॉ0 नारी के बदलते आयाम, अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, 2005।
6. साधना आर्य, निवेदिता मेनन, जिनी लोकनीता, नारीवादी, प्रथम संस्करण 2001।
7. कुरूक्षेत्र अप्रैल 2022, पृ0सं0 26-30।
8. कुरूक्षेत्र मार्च 2015, पृ0सं0 25-30।
9. भारतीय समाज एवं सामाजिक न्याय क्लास नोट्स दृष्टि पब्लिकेशन्स (आई0ए0एस0)।

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XL

उच्च शिक्षा में आधुनिक तकनीक की आवश्यकता एवं विद्यार्थियों पर उसका प्रभाव

डॉ. शिवाली शाक्या*

* सहा. प्राध्यापक (वाणिज्य) शा. डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी महाविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – वर्तमान समय में शिक्षा हर समाज में मानव विकास में सबसे महत्वपूर्ण निवेश है। किसी भी समाज की सामाजिक प्रगति में शिक्षण संस्थानो की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उच्च शिक्षा में आधुनिक तकनीक का प्रयोग विद्यार्थियों व समाज के विकास के लिए बहुत आवश्यक हो गया है। आधुनिक तकनीक का प्रयोग विद्यार्थियों को एक नई राह व ज्ञान की ओर आकर्षित करता है। आधुनिक तकनीक जैसे– Online class, Online coaching, Video- Audio lecture, Google आदि का प्रयोग कर विद्यार्थी अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकता है साथ ही बहुत सारे कोर्स Online के माध्यम से कर सकता है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की जानकारी भी वह इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त कर सकता है, विदेशों से भी संपर्क स्थापित कर अपने शिक्षण प्रशिक्षण में वृद्धि कर सकता है। वह घर बैठे ही अपना कोई भी व्यवसाय Startup के माध्यम से शुरू कर सकता है बशर्ते वह लक्ष्य निर्धारित करें क्योंकि यही तकनीक उसे मार्ग से भटका भी सकती है उसकी जरा सी चूक उसे नुकसान भी पहुँचा सकती है। आधुनिक तकनीक जितनी विद्यार्थियों के लिए लाभदायक है उतने ही इसके नकारात्मक प्रभाव भी है। अत: विद्यार्थियों को इससे बचना चाहिए। वर्तमान में आधुनिक तकनीक का प्रयोग निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। प्रतिदिन नए–नए तकनीकी उपकरण आ रहे है जिनका प्रयोग विद्यार्थियों द्धारा किया जा रहा है जो कि उनके ज्ञान में वृद्धि करता है एवं उनके लिए एक पथ प्रदर्शक का कार्य करता है। वास्तव में आधुनिक तकनीक उच्च शिक्षा के लिए एक वरदान साबित होता हुआ प्रतीत होता है परंतु हमें पूरी तरह से उसी पर आश्रित नहीं होना हैं हमें उसका प्रयोग तो करना है परंतु उसके दुष्परिणामों से दूर भी रहना है तभी हम समाज व राष्ट्र को एक अच्छी उच्च शिक्षा प्रणाली से परिचित कराकर देश का विकास करने में अपना योगदान दे सकेंगे।

प्रस्तावना – वर्तमान में शिक्षा हम सभी के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मनुष्य को बौद्धिक रूप से तैयार करने में शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान है। आज के आधुनिक युग में शिक्षा प्राप्त करने में तकनीक का महत्वपूर्ण योगदान है। उच्च शिक्षा में आधुनिक तकनीक का प्रयोग शिक्षा प्रणाली के लिए एक वरदान की तरह है। शिक्षा जगत में तकनीक का प्रयोग छात्र, शिक्षक एवं माता पिता द्धारा कई तरीकों से किया जा सकता है। विशेषकर अगर छात्रों को तकनीक की सुविधा क्लास रूम में मिलेगी तो शैक्षिक वातावरण काफी अच्छा होगा। आधुनिक तकनीक का प्रयोग उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक आधुनिक उपकरण है। इसके द्धारा उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सकता है। इससे उच्च शिक्षा को एक नई दिशा दी जा सकती है, इसके अतिरिक्त इससे छात्रों को इंटरैक्टिव और रोचक तरीकों से शिक्षा प्रदान की जा सकती है। आधुनिक तकनीकी ने हर जगह अपनी एक मजबूत पकड़ बना ली है। आज के युग में विद्यार्थियों के लिए जितने अवसर और सुविधाएं ज्ञान प्राप्त करने के लिए हैं, ये सारी सुविधाएं पहले नहीं हुआ करती थी पहले तो सिर्फ कॉपी, किताब एवं कलम हुआ करता था परंतु आधुनिक तकनीक ने विद्यार्थियों को आज कम्प्यूटर, ऑनलाईन नोटस्, डिजीटल लाईब्रेरी, इंटरनेट, वेबसाईट्स, ऑनलाईन कोचिंग, Doubt classes आदि की सुविधाएं प्रदान की है। जिससे विद्यार्थी घर बैठे एवं काम के साथ–साथ अपने समयानुसार डिजिटल तकनीक का प्रयोग कर अपना अध्ययन सुचारू रूप से कर सकता है। कई विद्यार्थी जो शहर से काफी दूर रहते हैं वे भी इन आधुनिक तकनीक का प्रयोग कर अपना अध्ययन कर सकते हैं। तकनीकी की मदद से छात्र के लिये ज्ञान प्राप्त करना आसान हो जाता है। छात्र खुद से कई टॉपिक्स और चेप्टर्स पढ़ सकते हैं और नहीं समझ आने पर स्वयं अपने डाउट भी क्लीयर कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी ने सीखने में सहयोग को भी बढ़ावा दिया है। गूगल क्लासरूम जैसे क्लासरूम विद्यार्थियों को एक साथ काम करने, टीम वर्क को बढ़ावा देने और समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने में मदद करते हैं। इसके साथ ही शिक्षक भी वास्तविक समय में छात्रों की प्रगति की जानकारी भी ले सकते हैं एवं उनकी प्रगति की कमी में सहायता कर उन्हें सहायता भी प्रदान कर सकते हैं।

इसके साथ ही आधुनिक तकनीक का प्रयोग कर विद्यार्थी अपनी पढ़ाई के साथ– साथ अपना स्वयं का ऑनलाईन बिजनेस व कई प्रकार के ऑनलाईन सर्टिफिकेट एवं डिप्लोमा कोर्स भी कर सकते हैं जिससे कि उन्हें आगे अपने भविष्य को बेहतर बनाने में सहायता मिल सकती है। आधुनिक तकनीक ने शिक्षक व विद्यार्थी के मध्य की दूरी को कम कर दिया है जो विद्यार्थी कक्षा में अपना संदेह दूर नहीं कर पाता था आज वह आधुनिक तकनीक का प्रयोग कर अपने संदेह को दूर कर सकता है। वास्तव में आधुनिक तकनीक उच्च शिक्षा के लिए वरदान है।

अध्ययन का उद्देश्य – इस विषय पर शोध करने का उद्देश्य आधुनिक तकनीक का उच्च शिक्षा में योगदान को जानना है। साथ ही विद्यार्थी को आधुनिक तकनीक से परिचित कराना है कि वे इसका प्रयोग किस प्रकार कर सकते हैं एवं इससे होने वाले नुकसानों से कैसे बच सकते हैं। आधुनिक तकनीक का प्रयोग कर विद्यार्थी अपनी अध्ययन क्षमता का बढ़ा सकते हैं वे

अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करके एवं अपने ज्ञान में वृद्धि कर इसके लाभ समाज व देश को पहुँचा सकते है। इंटरनेट ज्ञान का खजाना होता है बशर्ते इसका सही प्रयोग किया जाए। विद्यार्थी किसी भी विषय पर शोध कर अपनी शिक्षा को बढ़ा सकते हैं एवं अपने दायरे का विस्तार कर सकते हैं।

उच्च शिक्षा में आधुनिक तकनीक के लाभ – उच्च शिक्षा मे आधुनिक तकनीक काफी महत्त्वपूर्ण साबित हो रही है। आधुनिक तकनीक से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बहुत से बदलाव आए हैं एवं आने वाले समय में इनका उपयोग और अधिक बढ़ता ही जाएगा। आधुनिक तकनीक का प्रयोग करके विद्यार्थी व शिक्षक अपने अध्ययन एवं अध्यापन संबंधी विभिन्न विषयों का अध्ययन कर सकते हैं। नवीन तकनीक विद्यार्थियों को घर बैठे ही सभी जानकारियाँ प्रदान करती हैं। विद्यार्थियों के लिए आधुनिक तकनीक ने बहुत सारे प्लेटफार्म प्रदान किए हैं जिनके माध्यम से वे बहुत सारी जानकारियाँ एवं सूचनाएँ प्राप्त कर सकते हैं जैसे– Online class, online courses, moocs, skillshare, Udemy business, Canvas, moodle, edx, coursera ispiring market etc. ये सभी ऑनलाईन लर्निंग प्रोग्राम हैं जिनके माध्यम से विद्यार्थी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

उच्च शिक्षा में आधुनिक तकनीक के महत्व को निम्न प्रकार समझाया जा सकता है–

1. **अध्ययन में आसानी –** आधुनिक तकनीक का प्रयोग कर विद्यार्थी ऑनलाईन शिक्षा के माध्यम से अपने घर बैठे शिक्षा प्राप्त कर सकता है, अर्थात् यदि किसी विद्यार्थी के पास बाहर जाने का सामर्थ्य नहीं है तो वह घर बैठे या इंटरनेट के माध्यम से शिक्षा प्राप्त कर सकता है। तकनीकी के माध्यम से विभिन्न ऑनलाईन संसाधन उपलब्ध होते हैं जैसे– वीडियो, वेबसाईटस, ऑनलाईन शैक्षिक एप्स व ऑनलाईन कोर्सेस जिन्हें विद्यार्थी अपनी पढ़ाई में सहायकता के रूप में प्रयोग कर सकता है।

2. **गुणवत्ता बढ़ाने के लिए बेहतर माध्यम –** शिक्षक और विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक सॉफ्टवेयर जैसे–ई–लर्निंग मेनेजमेंट सिस्टम, ग्रेडिंग सॉफ्टवेयर, एवं वर्चुअल लर्निंग प्लेटफॉर्म उपलब्ध हैं जिनका उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। साथ ही विद्यार्थी Google एवं अन्य शैक्षिक एप्स, Digital library, Cloud comuting, Kahoot आदि का उपयोग कर अपनी शैक्षिक गुणवत्ता में वृद्धि कर सकता है और वर्चुअल लर्निंग छात्रों को उनके अध्ययन के लिए व्यक्तिगत अध्ययन करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है।

3. **शिक्षा को रोमांचक व आकर्षक बनाना–**आधुनिक तकनीक इंटरेक्टिव शिक्षा को बढ़ावा देती हैं। इस तकनीक में Audio,video, graphics, pictures आदि का प्रयोग विद्यार्थियों को अध्ययन हेतु आकर्षित करता है। साथ ही उनके दिमाग पर विशेष प्रभाव डालता है। जब विद्यार्थी बार–बार उन्हें देखता व सुनता है तो वह बात विद्यार्थी के दिमाग मे कैद हो जाती है और फिर वह उसके बारे में सोचता है एवं नहीं समझ आने पर इंटरेक्ट व कपेबनेपवद करता है। आधुनिक तकनीक के माध्यम से विद्यार्थियों को शिक्षा ग्रहण करने में रोमांचकता मिलती है और वे सीखने के आकर्षक तरीकों का अनुभव करते हैं।

3. **समय की बचत–** आधुनिक तकनीक का उपयोग शिक्षक एवं विद्यार्थियों दोनों के समय की बचत करता है। अब शिक्षक कम समय में अधिक से अधिक ज्ञान अपने विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीक से दे सकता है। किसी भी जरूरी बात या सूचना को तुरंत विद्यार्थियों तक पहुँचाया जा सकता है। ऐसे विद्यार्थी जिनका किसी कारणवश संस्था में आना संभव नहीं है उन्हें भी घर बैठे सभी की जानकारी आसानी से प्राप्त हो जाती है। आधुनिक तकनीक की मदद से हर विषय से संबंधित जानकारी इंटरनेट के माध्यम से खोजी जा सकती है साथ ही इस तकनीक का प्रयोग कर अच्छी कमाई भी की जा सकती है। इसके प्रयोग से कार्य को जल्दी समाप्त किया जा सकता है।

अतः आधुनिक तकनीक का उच्च शिक्षा में प्रयोग किया जाना अत्यधिक लाभदायक प्रतीत होता है।

उच्च शिक्षा में आधुनिक तकनीक के नकारात्मक प्रभाव– आधुनिक समाज एक बदलता हुआ समाज है आधुनिक युग में शिक्षा का उद्देश्य विज्ञान, प्रोद्यौगिकी और अन्य प्रकार के विशेष ज्ञान के बारे में अनुभवजन्य ज्ञान का संचार करना है। उच्च शिक्षा प्रणाली में ये बदलाव बदलते समाज की मांगों को पूरा करने के लिये हुआ है। परन्तु इस परिवर्तन के परिणामस्वरूप कुछ दुरगामी परिणाम भी प्राप्त हुए हैं। आधुनिक तकनीक का प्रयोग करके विद्यार्थियों की रचनात्मक क्षमता में कमी आती है क्योंकि वे इंटरनेट के माध्यम से सभी प्रश्नों का जबाव आसानी से ढूँढ लेते हैं वे स्वयं से कुछ भी मेहनत नहीं करते हैं। आधुनिक तकनीक महंगी होने के कारण प्रत्येक विद्यार्थी के द्धारा इसका लाभ प्राप्त नहीं किया जा सकता है। विशेषकर उन विद्यार्थियों के द्धारा, जो गांव में रहते हैं उनके पास संसाधनों की कमी होने एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त सुविधाओं का विस्तार न होने के कारण वे इसका प्रयोग नहीं कर पाते हैं।

कई विद्यार्थी लगातार आधुनिक तकनीक का प्रयोग कर इसके आदि होते जा रहे है एवं अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य से भटक जाते हैं वे अपना बहुत सारा समय सोशल नेटवर्किंग पर बर्बाद कर रहे हैं। इससे उनमें किताबों को पढ़ने की क्षमता कम हो रही है और उनकी दिमागी क्षमता सीमित होती जा रही है। सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग संचार कौशल को समाप्त कर रहा है। आधुनिक तकनीक विद्यार्थियों को अपनों से दूर कर रही है। विद्यार्थी पूरे समय अपने कार्य में ही व्यस्त रहते हैं जिससे पारिवारिक दूरियाँ भी बढ़ती हैं। कई विद्यार्थी ज्ञान प्राप्त करने की इन आधुनिक तकनीकों से अंजान होते हैं उन्हें इनका उपयोग करना नहीं आता है। इंटरनेट होने से विद्यार्थी अपने हिसाब से उसका प्रयोग करते हैं अतः वह समय प्रबंधन नहीं कर पाते हैं। साथ ही आधुनिक तकनीक का अधिकाधिक प्रयोग उनके स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालता है। कई विद्यार्थी इन तकनीकों के माध्यम से परीक्षा कक्ष में अनुचित संसाधनों का प्रयोग कर अपने भविष्य को भी खतरे में डाल लेते हैं। अतः आधुनिक तकनीक का प्रयोग विद्यार्थी के जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डालता है।

उच्च शिक्षा में आधुनिक तकनीक के उपयोग मे चुनौतियाँ – उच्च शिक्षा में आधुनिक तकनीक का उपयोग बढ़ता ही जा रहा है परंतु जिन क्षेत्रों में तकनीकी विकास अभी तक नहीं हुआ है वहाँ पर इन आधुनिक तकनीकों का प्रयोग अभी भी विद्यार्थियों द्धारा नहीं किया जा सकता है इस हेतु उन्हें शहर आना ही पड़ता है। वह घर बैठे इसका लाभ नहीं उठा पाते हैं साथ ही उन्हें सारी जानकारियाँ मोबाईल के माध्यम से प्राप्त होने की आदत पड़ जाती है जिससे वे महाविद्यालय जाना ही नहीं चाहते हैं जिस कारण शिक्षको एवं विद्यार्थियों बीच उचित संवाद नहीं हो पाता है। अतः शैक्षिक वातावरण निर्मित नहीं हो पाता है। आधुनिक तकनीक के प्रयोग में बहुत अधिक वित्तीय खर्च आता है जिसके लिये सभी संस्थाओं के पास इतना अधिक धन नहीं

होता है कि वे अपना अत्याधिक धन इन संसाधनों पर खर्च कर सकें। अत: वे अपने विद्यार्थियों को पूर्ण सुविधा नहीं दे पाते हैं।

निष्कर्ष – इस प्रकार निष्कर्षत: यह कहा जा सकता है कि उच्च शिक्षा प्रणाली राष्ट्र का महत्वपूर्ण घटक है जो एक राष्ट्र के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उच्च शिक्षा में आधुनिक तकनीक का प्रयोग संभवत: इसे उच्च शिखर पर ले जाएगा किंतु इसका दुरुपयोग इसे गर्त में भी ले जा सकता है। अत: आधुनिक तकनीक का प्रयोग उच्च शिक्षा में जितना अधिक प्रभावशील है उतना ही घातक भी सिद्ध हो सकता है। इस कारण आधुनिक तकनीक के प्रयोग के लिये सर्वप्रथम इसकी उपयुक्तता को जानना चाहिये एवं इसके सही प्रयोग को विद्यार्थियों को समझाना बहुत जरूरी है तभी हम आधुनिक तकनीक के माध्यम से उच्च शिक्षा को आदर्श शिक्षा प्रणाली के रूप में परिभाषित कर पाएंगे एवं देश के लिए उच्च शिक्षा के महत्व को समझा सकेंगे। वास्तव में आधुनिक तकनीक का सही प्रयोग कर विद्यार्थी अपना मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं एवं अपने अच्छे भविष्य का निर्माण कर सकते हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. Dr. Rajesh choudhary – आधुनिकीकरण के परिपेक्ष्य में भारत में उच्च शिक्षा का बदलता स्वरूप
2. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद – भारतीय आधुनिक शिक्षा
3. http://thinkwithniche.in –शिक्षा में आधुनिक तकनीक के फायदे और नुकसान
4. http://scert.cg.gov.in –शिक्षा में तकनीकी की भूमिका
5. http://drishtiias.com – भारत में शिक्षा गुणवत्ता–चुनौतियाँ एवं समाधान
6. http://punjabkesari.in – आधुनिक तकनीक से शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव
7. http://iasbook.com – भारत में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XL

Tradition V/S Modernity: With Special Reference of Gita Mehta's Raj

Prof. Aafia Zaman*

***Assistant Professor, Govt.Degree College, Surankote, Distt. Poonch (J & K) INDIA**

Abstract - The attempt in this paper is to study the concept of tradition versus modernity with reference of Gita Mehta's fictional text *Raj.* Gita Mehta has dedicated her writings towards contemporary India. She uses the elemental Hindu myths, rituals, traditions, Indian culture, religion, politics, and philosophy in her works. She refers continuously to traditions, beliefs, and values of culture.

Raj is a historical fiction. Mehta presents the traditional and modern approach or clash of East and West and its impact on life and activities of people in *Raj.* When East meets West or West meets East, both influence each other and clashes take place.

Key Words - Tradition, modernity, modernization, westernization.

Introduction - The concept of tradition versus modernity or East –West clash is treated very interestingly by Indian authors. This concept makes people of Eastern and Western part dissatisfied and restless. She presents the concept of East- West clash and its impact on life and activities of people in *Raj.* She shows not only physical changes but also psychological changes. When East meets West or West meets East, both influence each other and clashes take place. This can be seen through the characters like Maharajah Jai Singh, Maharajah Victor and Tikka in the novel *Raj.*

According to Romila Thapar, Tradition is [1]"the handing down of knowledge or the passing on of a doctrine or a technique." Actually tradition is the pattern of doing something, which exists for a long period in any group of people or community. It maintains its existence by transmission. The word 'tradition' is derived from the Latin verb *traderere*. The meaning of this verb is to transfer or to handover a thing for safety. In transmission, it may be possible that any type of changes can take place. But the change is acceptable only in a condition that it will be beneficial to that particular cultural group or community. Any change or any new thing which gives a sense of novelty, then that can be called modernity. The term modernity can be understood by one more concept also that is 'at present' or 'now'. To become modern, means that we are towards the path of complete development.

Some scholars consider that both Westernization and Modernization are the same while these are not. Westernization is the process in which effected group accepts or follows Western ideals in each and every field such as business, food, clothing, fashion, law, religion, culture, values etc. But it may result the cultural clash and there is no place for innovation. It cannot be perfectly adjusted outside of it. It is not suitable for outsiders. There is another aspect of Westernization also. It aims at to uplift weak groups financially and technically. In its favor, Aliceve says, [2]"the society self-sufficient ...(that) looks towards the present and existing treasures in one's own culture...."

Raj begins with the time of pre-independence and ends after independence. Mehta deals with social and political scene of India, Indian culture and its encounter with Western culture in this book. She shows the results of this encounter and dissatisfaction is the major result of it. When Britishers came to make colonies in India, the East encountered the West. This encounter influenced many lives. It shook especially the roots of Indian culture.

Raja Man Singh and Raja Jai Singh are the two characters as brothers in the novel. The impact of Western culture on both is different. Even in British rule and culture Raja Man Singh accepts its culture and enjoyed it. On the other hand Raja Jai Singh saved Indian culture and gave no chance to be dominated by Western culture. The protagonist of the novel, "Jaya hated her cousin's father, Raja Man Singh. He was a dedicated Anglophile who had already engaged English tutors for his daughter and his small son, John, next in the after Tikka to the Balmer throne. Now his children were known by English names and ate with knives and forks and called their parents Mummy and Daddy." (54)

There was a force on Maharaja Jai Singh. He was forced to give training of Western culture to Tikka. For this

purpose, the well settled system was changed. The Chand Mahal, Kuku Bai's old home was given to the Tikka's trainer as accommodation. The Chand Mahal was very beautiful place. It was "being altered to accommodate the Englishman who had been hired to teach Tikka." (55) In the novel *Raj*, Gita Mehta presents the mind-set of Britishers. "The British do not like rulers with independent minds." (55) She presents it through the character Maharaja Jai Singh. The above mentioned instance of Tikka presents the clash of the East and the West. About this K. C. Boral and Dhira Bhowmick say, [3]"Mehta in a subtle way depicts the prevailing tension and mutual suspicion between the British and the Indian ruling class. The disjunction between the British and Indian positions in response to a particular event comes out clearly. . ."

East and west can be considered two opposite poles. Both are different in many aspects like their beliefs, customs, social and political backgrounds, way of living etc. The Chand Mahal is altered according to Western culture to feel the trainer similar to his own culture. That trainer uses bathtub and chair without handle; this was very shocking to Jaya. She told the maid surprisingly "that Tikka could be taught anything by people who bathed in dirty water and had stiff legs" (56) Through this example Mehta presents that when East meets West, it creates confusion, tension and laughter too.

It is not necessary that East – West encounter takes place between the people of East and West. It can take place also between an Indian and other Indian who has changed himself into Western culture. The protagonist Jaya and Prince Pratap are completely fit in this fact. When Jaya got married to Prince Pratap, she feels very uncomfortable because her husband is totally an anglophile. He dislikes Indian values and practices. At Sirpur she was in different environment but at her husband's place she feels like she is in a foreign country. "Jaya was ashamed to be so unworldly among the voluptuous women of her husband's kingdom, with their fashionably bobbed hair and the sequins glittering suggestively through thin chiffon saris." (183)

Both Jaya and Prince Pratap show the meeting of two different cultures. There is no single thing which is similar in both of them. Everything is opposite like their views, way of living, eating habits, culture etc. On one hand Jaya eats paan, on the other hand Pratap eats fish with the help of fork and knife. Pratap doesn't like Jaya wearing "ivory bangles and heavy anklets." (189) He says "Wash all that nonsense off your hands and feet. And change out of these Christmas decorations." (189) Jaya feels embarrassment when she sees her husband's manicured nails in comparison to her own hands. Then she hides her hands. "…….seeing the graceful fingers with their nails. Jaya hid her own hands in the folds of her long skirt." (190)

Jaya is so surprised "at the bits of meat floating in the clear brown liquid." (190) Her husband tells her about beef eating which is not permitted in her culture. Jaya's knowledge of Sanskrit and Sirpur languages has no use for Pratap. According to Pratap If she doesn't know French, Italian and Spanish, there is no meaning. There is a reference of Lady Modi who has come to change Jaya into fashionable as Pratap wants it. Her appearance was very surprising for Jaya. Lady Modi reflects the Western culture because she is in high heels, white stockings, having long cigarette holder, smoking cigarette etc. She says Jaya that her eyebrows are "too Indian" (195) but for Jaya to pluck or to cut hairs "would be inauspicious." (195) According to Pratap, "all Indian women are disgusting" (197) because Indian women are hairy, rough and dark in complexion. Jaya is full of fear to this East – West clash and very surprised to her own change into Western culture by her husband and Lady Modi.

According to Gita Mehta's perception the impact of East- West clash varies from person to person. Some of them accepts foreign culture and lives according to it. On the other hand some people stay with their own culture having deep roots of it. They never lose their culture and do not adopt foreign culture. Jaya had been given training to be fashionable but whenever she feels uncomfortable she resists. Jaya insists Lady Modi, "She would never allow a strange man, not even the king emperor himself, to put his arm around her body." (202) The ball room is the very important feature of East –West clash. The novel *Raj* very well presents the reactions of different culture, "The Prince of wale's equerries flirted with the Sirpur ladies, unsure what to do with their hands when they led the ladies into the dance floor and the ladies lifted their saris, exposing their bare waists to the embrace of the Angrez." (225)

The openness and exposure of Western culture is very shocking to Jaya. She is very surprised and feels uncomfortable when she sees, "life-size nude portrait of herself to be hung in the palace where the entire population of Kapurthala can feast their eyes on it." (230) Lady Modi says Jaya that "it's the sort of thing that always happens when East meets West." (230) Everything is very surprising to Jaya and she thinks, "Indian women dressed as Europeans while Europeans not only dressed as Indians but were themselves Maharanis."(231)

The two characters Mrs. Roy and Lady Modi reflect the East – West encounter because Mrs. Roy follows traditional Indian approach and Lady Modi is the follower of Western culture. When Jaya meets Mrs. Roy in Sirpur House of Calcutta, Mrs. Roy offers Jaya paan but she refuses to take it because her husband doesn't like it. Her husband considers the person as peasant. Mrs. Roy gets very angry. She says Jaya, "White teeth will not make your skin white, Bai-sa. Nor French perfumes and eyebrows plucked like a European women's. The British have taught your husband to hate himself. Do not become like him or you will belong nowhere." (232)

One can find a sharp contrast between Mrs. Roy's homespun sari and Lady Modi's cigarette holder. Both the

ladies want Jaya to act according to their culture. On one hand Lady Modi taught her to eat with forks and chopsticks and on the other hand Mrs. Roy wants Jaya to taste Indian food.

When traditional and modern approach encounter, it change one's mind and he may involve in license works. When Royal Maharani writes a letter for Jaya, the letter also reflects that Western culture changes Eastern people completely. They were not like that before they meet Western culture. She talks about Princess Jaya who is losing all her dignity. "Why are so many of them running after baby faces? Why have they become so recklessly careless of their name and reputation?" (238)

In chapter thirty seven Jaya is forced to wear "crown" and "curtsy" because she has to present before King George and Queen Mary. This reminds her of her own culture. "Even tribals wearing animal skins are treated with respect at our durbars." (261) Many Indian do not like this cultural encounter and Chandni is one of them. When she has to go to London, she takes water of river Ganges and ties a sacred thread on her wrist. According to her these things will save her from evil eyes of "the Angrez".

According to Dr. V. K. Sinha's perception about the novel *The Cat and Shakespeare* can be suited here – [4]"Almost every educated Indian today is the product of the conflict and reconciliation of two cultures, although the consciousness of this tension varies from individual to individual. Likewise, the characters of Anglo-Indian novel undergo conflict between the Indian and European cultures. They are torn between inherited values and acquired values." (75)

So in *Raj* there is a very good depiction of East – West clash or clash between traditional and modern approach. Simultaneously it deals with cultural problems, social, political and historical issues of India at the time of independence. So it is not easy to separate them. This also depicts the talent of Gita Mehta to deal all these varieties very beautifully at the same time.

References :-

1. Thapar, Romila. "Tradition." Between Tradition and Modernity: India's Search for Identity. Ed. Fred Dallmayr and G.N. Devy. New Delhi: Sage Publications Pvt. Ltd., 1998. 265-77.
2. Aliceve. "Modernization or Westernization." Study Mode.com. March 2011. Web. 12 June 2014.
3. Boral, K. C. and Dhira Bhowmick. "History, Fiction and Colonialism: A Study of Gita Mehta's *Raj*." *Critical Studies on Indian English Fiction in English*. V. L. V. N. Narendra Kumar and R. A. Singh, eds. New Delhi: Atlanta Publishers and Distributors, 1999. 47-63.
4. Sinha, V. K. "East-West Encounter in Raja Rao's *The Cat and Shakespeare*." *Indian Writing in English: Tradition and Modernity*. Amar Nath Prasad and Kanupriya, Eds. New Delhi: Sarup and Sons, 2006. 65-77.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XL

A Study of the Effect of Anxiety on the Aspiration at the Secondary Level Students

Dr. Veenus Vyas* Prakesh Dhakar**

*Assistant Professor (Psychology) Janardan Rai Nagar Rajasthan Vidhaypeeth (Deemed-to-be University), Udaipur (Raj.) INDIA

** Research Scholar, Janardan Rai Nagar Rajasthan Vidhaypeeth (Deemed-to-be University), Udaipur (Raj.) INDIA

Abstract - Adolescents have been facing many challenges and problems ever since the down of puberty, stress and anxiety especially academic anxiety is perhaps the most commonly experienced among them. Stress or chinta is said to be more harmful than the flame because flame burns the person after death, whereas stress burns the person alive. Education has been highly valued in Indian culture since time immemorial and is seen as the major pathway to social success. This could be reflected by an Indian saying. “All are low but learning”.

Academic Anxiety is an important educational problem that affects millions of students in schools over the world each year. Academic pressurization by parents has emerged as a problem of global concern; this is especially true in the Indian context with the present educational system. The curriculum has become examination-oriented, opting for a ‘rat-race’ for marks and percentages, promoting unhealthy competition and rote learning.

It is very much crucial to review and examine the psychological well-being of the students on their aspiration level. That’s why researcher has selected this problem for investigation to know anxiety effect the behaviour specially aspiration level of secondary level students.

Keywords: Anxiety, education, students.

Introduction - Education is a process of all round development of the child, which expresses the capabilities and abilities of the child. Education provides the opportunity for growth and development. In the ladder of education from nursery to university education, the secondary level of education is important because this level provides the base for future education; it is through education imparted in schools where the desirable skills, attitudes and thinking patterns are promoted among children. It is a never ending process of all round growth and development of children. It is an activity or a process which modifies the behaviour of a person from innate behaviour to human behaviour.

The twenty-first century with rapid changes in environmental structure has been called a stressful, anxious and pressured century. Therefore, psychological disorders have been increasing among people. Anxiety is the most prevalent psychiatric disorder; it is pervasive, and unpleasant, causing physical symptoms such as sweating, palpitation, chest muscle spasm, gastrointestinal diseases and agitation, which are created as a response to internal and external stimulation and it tends toward cognitive, emotional, physical and behavioural symptoms. Although Anxiety is not so serious, people experience it everywhere and constantly within all cultures. But the educational system is worried about student’s Anxiety which can be intolerable for some. Adolescents, today are living in an increasingly Anxiety ridden atmosphere. They live in a world where nothing seems to be guaranteed with certainty and at the same time they are expected to perform at every front, the main being the academics. Adolescents often lack in academic motivation and performance, as their attention is divided among a lot many things especially at creating an identity for themselves. Anxiety is one of the most studied phenomena in psychology. It is a normal human response to stress.

Anxiety is an essential, physical response that communicates the need to pay attention to something is wrong in the environment. Anxiety is your body’s way of telling you that there is something in the environment in need of your attention. It is basically a series of biochemical change in your brain and body, such as an increase in adrenaline and a decrease in dopamine hormone. These changes result in a state of heightened attention to the sources of the anxiety. High level of anxiety cause your body to prepare to fight or run away from the perceived threat – commonly called the “fight or flight responses”.

Every one sometimes experiences anxiety in one form or another and in varying degree. It involves a pattern of physiological and psychological reactions like feeling of stress and emotions.Anxiety, also called anguish or worry, is a psychological and physiological state characterized by somatic, emotional, cognitive and behavioural components.

The root meaning of the word, Anxiety is anger or trouble; in either presence or absence of psychological stress, Anxiety and create feelings of fear, worry, uneasiness and dread. At a lower level, Anxiety helps individuals to deal with a difficult situation by prompting them to cope up with it, but when Anxiety becomes excessive, it becomes a disorder. Anxiety develops when and individual appraises a situation as threatening to be more specific, Anxiety emerges when unsuccessful coping mechanisms have been developed or when the individual fails to cope with stress. Anxiety is an unpleasant state of inner turmoil and apprehension, often accompanied by nervous behaviour. Anxiety is feeling unrealistic fear, worry, and uneasiness, usually generalized and unfocused. Anxiety is a mood, when it becomes a mental disorder that is characterized by excessive, uncontrollable and often irrational worry about everyday things that is disproportionate to the actual source of worry.

Review of literature:

Trivedi and Bhansali (2008) conducted a comparative study between boys and girls of 16-18 years to know the Academic Anxiety prevailing amongst them. A total sample of 240 adolescent selected from different high school of Jodhpur city and found that girls on the whole had more incidences and intensity of Academic Anxiety in comparison to boys.

Sharma and Mahajan (2008) conducted a study to explore the Anxiety among adolescents boys and girls by taking a sample of 40 boys and 40 girls through multistage stratified random sampling technique and found that adolescent boys and girls do not show a significant difference as far as physical anxiety is concerned. Girls were found to be more anxious about their marks

Deb and Walsh (2010) studied the anxiety among high school students in India with the objective to study adolescents anxiety across gender, school type (Bengali and English) medium, socioeconomic background mother's employment and perceptions of the adolescent about the quality time they receive from their parents by taking a sample of 460 adolescents of class IX to XII standard through stratified sampling technique and found that anxiety was prevalent in the sample with one fifth of the boys and less than one fifth of the girls registering high anxiety. Higher anxiety levels were experienced by more boys' students from Bengali medium schools, adolescents belonging to the middle class, and those having working mothers. Additionally, a substantial proportion of the adolescents perceived they did not receive quality time from father (32.1%) and mothers (21.3%), and did not feel comfortable sharing their personal issues with their mothers (40.0%) and fathers (60.0%)and percentage as compared to the boys.

Jain (2012) studied the effect of Academic Anxiety and intelligence on the Achievement of the students at secondary level by taking a sample of 128 students through non probability sampling technique and found that Academic Anxiety is negatively correlated with intelligence as well as Academic Achievement. The positive, moderate correlation is found between intelligence and academic achievement of the students and significant difference between the Academic Anxiety, intelligence and achievement of boys and girls is found.

Neelam (2013) conducted a study to find out the academic achievement of secondary school students having differential level of Academic Anxiety by taking a sample of 200 secondary school students of Mandi district of Himachal Pradesh by adopting lottery method of random sampling and found that the Academic Anxiety and academic achievement both are highly correlated to each other. High Academic Anxiety results in low academic achievement and vice versa. It was also found that academic achievement of girls was better than boys.

Research objective:

1. To study the effect of Anxiety on the students of secondary level.
2. To study the effect of Anxiety on the aspiration level in the students of secondary level.

Research hypotheses:

1. There is no significant mean difference in Anxiety level of urban and rural students of secondary levels.
2. There is no significant mean difference in Anxiety level among boys and girls students of urban secondary levels.
3. There is no significant mean difference in Anxiety level among boys and girls students of rural secondary levels.
4. There is no significant difference in high and low level of urban and rural students by the differential levels of Anxiety scores.
5. There is no significant mean difference in high and low level of urban boys and girls students by the differential levels of Anxiety scores.
6. There is no significant difference in high and low level of rural boys and girls students by the levels of Anxiety scores.
7. There is no significant mean difference in Goal discrepancy scores among urban and rural secondary levels.
8. There is no significant mean difference in Attainment discrepancy scores among urban and rural secondary levels.
9. There is no significant mean difference in Number of times the Goal reach scores among urban and rural secondary levels.
10. There is no significant difference in high and low level of urban and rural students by the differential levels of aspiration scores.
11. There is no significant mean difference in aspiration level of urban and rural students of secondary levels.
12. There is no significant mean difference in aspiration level of urban boys and girls students of secondary levels.
13. There is no significant mean difference in aspiration level of rural boys and girls students of secondary levels.

14. There is no significant difference in high and low level of urban students by the differential levels of Anxiety and aspiration scores.
15. There is no significant difference in high and low level of rural students by the differential levels of Anxiety and aspiration scores.

Research methodology:

Design Of Research: The present study is based on Ex-post facto research. A systematic empirical inquiry in which the scientist does not have direct control of independent variables because, their manifestations have already occurred they are inherent not manipulate. The researcher studies the variable in retrospect in search of possible relationship on effects.

Sample Of The Study: In the present study, sample consisted of 600 secondary school students. These students are taken from various areas of Rural (300) and Urban (300) schools of secondary level at Udaipur city of Rajasthan. The total number of schoolsundertaken for the research in hand is twenty; in which 150 boys and 150 girls were selected from each area.

Method Of Sampling: Sampling is an indispensable technique of behavioural research; the research work cannot be undertaken without use of sampling. These studies of the total population are not possible and it is also impracticable. The practical limitation: cost, time and other factors which are usually operative in the situation stand in the way of studying the total population. In this research, the investigator used the purposive random sampling technique for the selection of samples from secondary schools in Udaipur District of Rajasthan, India.

Variable Of The Study: Here, Anxiety is independent variable and Level of Aspiration, Gender and locality (Urban and rural) are considered as the dependent variable.

Tools Used In The Research: In order to provide the fruitful and concrete results, the investigator felt it proper that the adequate data gathering instruments should use. The tools about the different variables are as follows:-

1. Academic Anxiety Scale for Children (AASC) by Dr. A.K. Singh and Dr. A Sen Gupta.
2. Level of Aspiration measure and developed by Dr. Mahesh Bhargava and Prof. M.A. Shah.

Statistical Analysis: In keeping the view of hypothesis researcher has selected the following statically techniques for data analysis:-

1. Mean
2. Standard deviation
3. 'z' value
4. Chi-square

Conclusion: It is concluded that Anxiety has its impact on the student's aspiration level, but when we see boys and girls students separately, then it shows the impact of anxiety on both types of students but there is more impact on girls as compared to boys of secondary level. It is found that equal amount of anxiety and level of aspiration can be seen among boys and girls. It can conclude that anxiety can really inhibit the capacity of students. It is true that high level of anxiety interferes with concentration capacity and aspiration level, which is critical for academic success and a moderate amount of anxiety helps in academic performance by creating motivation. Academic anxiety is a severe problem of adolescence studying in secondary schools. Concerted efforts are needed to create an environment in schools free from anxiety by providing counseling to students for choosing appropriate stream according to the abilities, interest and potential of students. Depressive and anxiety disorders are the leading neuropsychiatric cause of the global burden of diseases and are associated with an increased risk of suicide, increased health-care costs, and reduced economic productivity.So, It is the responsibility of the researchers, teachers and parents that the problems should be identified very soon and immediate remedial measures should be provided to the students of the betterment of their lives. The programs in educational institutions should be arranged that they would generate self confidence among the students who lack it. It is the duty of the educationists firstly to find out the low anxious their personal, social, emotional, college and family adjustment should be assessed by psychological tests and inventories. Immediate action and remedies should be suggested to overcome maladjustment and anxiety in them.

Recommendations for further studies:

1. This research study was conducted on the students of secondary level only. It is, therefore, suggested that the same research may be conducted from primary level up to secondary and as well as at the university level.
2. Schools of other cities, states can also be included in the research.
3. The students of different economic backgrounds can be compared in the study.
4. Further research could be done on the relationship of career aspiration with gender and ethnicity.
5. This study can be further extended to find out the difference between academic anxiety, aspiration and academic achievement of tribal students.

References:-

1. Allport G.W. (1956). Personality-A psychological interpretation, london, constable and co. ltd.
2. Banga, C.L. (2014).Academic Anxiety among High School Students in Relation to Gender and Type of Family.International Journal of Humanities and Social Science Research.
3. Chauhan, S.S. (1978). Advanced Education Psychology, World book Cooperation.
4. Daulta , M. and Siwach, N. (2008). Impact of home environment on the scholastic achievement of children.Journal of Hum. Ecol. 23 (1), 75-77
5. Frank, J. D. (1935 a).Individual differences in certain aspects of the level of aspiration.American Journal of Psychology. 47, 119-128
6. Garret (1967).Statistics in Psychology and Education. Kaliyani publishers, New Delhi.

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XL

भारत में सुशासन : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

प्रो. विकास चन्द्र वशिष्ठ* नवीन भास्कर**

* राजनीति विज्ञान विभाग, मेरठ कॉलेज, मेरठ (उ.प्र.) भारत
** शोधार्थी (राजनीति विज्ञान) मेरठ कॉलेज, मेरठ (उ.प्र.) भारत

शोध सारांश – सामान्यत: शासन का अर्थ निर्णय निर्माण की प्रक्रिया से लगाया जाता है। अगर वह गलत प्रभाव पैदा करें तो कुशासन और अगर अच्छा प्रभाव डालें तो वह सुशासन कहलाता है। यद्यपि इसकी नींव मानव सभ्यता के के प्रारंभ से ही बनी हुई है और मूल्यपरक द्रष्टिकोण से देखे तो इसकी स्थापना समाज में व्यवस्था या सुशासन को स्थापित करने के लिए हुई है। बीसवीं सदी के अंत तक शासन की सुशासन रूपी धारणा एक प्रचलित फैशनेबल शब्द बन गई थी और अपेक्षाकृत नवीन मूल्य, आदर्शो, वास्तविकताओं, आवश्यकताओं और नवीन सुकल्पनाओं से युक्त होकर अब प्रशासनिक विज्ञान विशेषज्ञों या विद्धानों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। सुशासन एक व्यापक अवधारणा है जिसका उद्धव हम वेदों महाभारत गीता बाइबल एवं कुरआन जैसी धार्मिक पुस्तकों साथ ही मानव सभ्यता के महान विचारको की कृतियों में भी पाते हैं। इस तरह सुशासन सत्य और न्याय पर टिकी एक ऐसी शासन व्यवस्था है जो देश में शांति, सुव्यवस्था और सामूहिक भ्रातृत्व की भावना के साथ नागरिक कल्याण के लिए सदैव उन्मुख होती है।

अध्ययन के उद्देश्य:

1. प्राचीन भारत में सुशासन के क्या मायने हैं।
2. सुशासन और राज्य एक दूसरे के पूरक हैं।
3. सुशासन ने मानव जीवन को कल्याणकारी बनाया है।

अध्ययन प्रविधि– प्रस्तुत शोध पत्र में विषय से संबंधित तथ्यों के संकलन हेतु द्वितीयक स्रोतों के रूप में विभिन्न प्रकाशनों की पुस्तकों एवं शोध पत्रिकाओं, समाचार पत्रों इत्यादि का अध्ययन एवं वर्णनात्मक पद्धति का प्रयोग किया गया है।

भूमिका – अपने परम्परागत रूप में 'शासन' मानव सभ्यता के आरम्भ से विद्यमान बना हुआ है। शासन व्यवस्था भी उतनी ही पुरानी है जितनी की मानव सभ्यता। मानव जाति ने चाहे जंगलो पर, प्राकृतिक संसाधनों पर, पशुओं, परिस्थितियों या फिर दूसरे मानव समूहों पर या अन्य संसाधनों पर अपना अधिकार स्थापित किया हो पर शासन को किसी न किसी रूप में दो भागों में बँटा पाते हैं– सुशासन तथा कुशासन। सामान्यता शासन का अर्थ 'निर्णय निर्माण की प्रक्रिया' से है, जिसके माध्यम से निर्णय लागू किया जाता है अथवा नहीं लागू किये जाते हैं। अगर वह गलत एवं बुरा प्रभाव पैदा करता है तो वह 'कुशासन' और अगर अच्छा प्रभाव या परिणाम दिया तो वह 'सुशासन' कहलाता है। वर्तमान में हम शासन को विभिन्न रूपो में अपनाते हैं जैसे–अंतर्राष्ट्रीय शासन, राष्ट्रीय शासन, राज्य अथवा स्थानीय शासन, कॉरपोरेट या निगमीकृत शासन इत्यादि। इस बींसवी सदी के अन्त तक शासन की सुशासन रूपी धारणा एक प्रचलित फैशनेबल शब्द बन गया है और अपेक्षाकृत नवीन मूल्यों, आदर्शों, वास्तविकताओं, आवश्यकताओं और नवीन सुकल्पनाओं से युक्त होकर प्रशासनिक विज्ञान विशेषज्ञों या विद्धानों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। यद्यपि इसकी नींव मानव सभ्यता के आरम्भ से हुयी और मूल्यपरक दृष्टिकोण से देखा जाए तो समाज में व्यवस्था या सुशासन स्थापित करने को लेकर हुयी। इस तरह राज्य और सुशासन सदैव एक–दूसरे के पूरक के रूप में नजर आते हैं। राज्य की उत्पत्ति की अवधारणा चाहे दैवीय हो या सामाजिक समझौते की, चिंतको, विचारकों, जैसे– प्लेटो, सुकरात, हाब्स, लॉक, रूसो, कौटिल्य, मनु इत्यादि ने राज्य अथवा मानव जीवन व्यवस्था की विवेचना की। इन सभी का मूलभूत सार 'शासन' से ही है और यदि गहन अवलोकन किया जाए तो सभी का लक्ष्य भी 'सुशासन' की खोज रहा है। राज्य, लोक प्रशासन एवं सुशासन को मिलाकर देखा जाये तो यह सभी अवधारणाएँ प्रथम दृष्टया अलग–अलग नजर आती हैं, पर उनका सार तत्व एक ही है कि किस प्रकार मानवीय जीवन और अधिक उन्नत एवं कल्याणकारी बनाया जा सके।

शासन के अग्र भाग में 'सु' उपसर्ग जोड़कर 'सुशासन' शब्द की रचना की गयी है, वही दूसरी ओर अंग्रेजी भाषा के शब्द Governance के भी अग्र भाग में गुड (Good) को गॉड (God) से जोड़े, तो पायेंगे कि जो कुछ भी ईश्वर द्वारा अपेक्षित या लागू किया गया था। हम कह सकते हैं कि क्या ईश्वर के द्वारा कुछ गलत किया जायेगा? नहीं वह केवल अच्छा और केवल अच्छा ही करता है। इस प्रकार 'सु' या 'गुड' का एक विशाल भौतिक अर्थ होने के साथ ही आदर्श, अध्यात्मिक अर्थ भी सामने आता है, जिसे हम अगर शासन में मिला दे तो यह अवधारणा एक अत्यन्त विसद एवं विराट रूप धारण कर लेती है, जिसका उद्‌भव हम वेदों, गीता, महाभारत, बाइबल, कुरान जैसी धार्मिक पुस्तकों व मानव सभ्यता के महान विचारकों की कृतियों में भी पाते हैं।

सुशासन की अवधारणा व्यवसायिकता, कर्तव्यनिष्ठता एवं सेवाभाव पर आधारित आदर्श त्याग की संकल्पना पर आधारित है, जो बिना किसी व्यक्तिवाद, अहम, स्वार्थपरता और लोभ के जनकल्याण हेतु शिक्षा प्रदान करती है। 'सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय' की यह अवधारणा एक

लोकसेवक, जो अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा के साथ पूरा कर रहा होता है, समावेशी भावना एवं आत्मीयता का भाव उत्पन्न करती है। यही सुशासन उद्देश्य है कि शासन और शासित में भेद ही खत्म हो जाए।

भारत में सुशासन

सर्वे भवंतु सुखिन: सर्वे सन्तु निरामया:।
सर्वे भद्राणि पश्युंतु मा कश्चित दु:खभाव भवेत।

अर्थात् सभी जन सुख से परिपूर्ण हो, सभी जन रोग से रहित हो एवं सभी कल्याणमय जीवन जिये और कोई भी दुख का भागीदार न बने।

उपर्युक्त श्लोक से स्पष्ट होता है कि बिना किसी भेदभाव के मानवजाति, पशु, प्रकृति, लिंग, जाति, सम्प्रदाय, राष्ट्र धर्म आदि के सभी के सुखमय, रोगों से दूर रहने एवं उनके कल्याणमय जीवन बात करता है। वास्तव में सुशासन सारगर्भित आशय भी यही है। हमारी भारतीय संस्कृति की एक और प्रचलित अवधारणा है-'वसुधैव कुटुम्बकम' जो आज भी हमारे लिए प्रासंगिक है। जब हम सुशासन एवं वैश्वीकरण को एक साथ रखकर देखते हैं तो पाते हैं कि जब तक हम सम्पूर्ण विश्व को अपना परिवार नहीं समझेंगे तब तक सभी का कलयाण संभव नहीं हो सकेगा। हिन्दू धर्म, संस्कृति और उसके राजनीतिक दर्शन में 'सुशासन' एक महत्वपूर्ण अवधारणा के रूप में व्यवस्थित है जो जनसामान्य के हितों की रक्षा के साथ-साथ उनमें वृद्धि भी करता है, साथ ही लोक अधिकारियों को उनके आचरण एवं कर्तव्यों के प्रति सजग रहने के लिए प्रोत्साहित करता है। यजुर्वेद के बीसवे अध्याय में सरकार अथवा राज्य के तीन भागों की चर्चा की गयी है- विद्वानों की सभा (विद्य सभा), धार्मिक लोगों की सभा (धर्म सभा) एवं प्रशासको की सभा यानी राज्य सभा। ये तीनों अंग वास्तव में सुशासन को व्यवस्थित रूप देने में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यजुर्वेद के अनुसार इन सभी संस्थाओं को त्वरित न्याय एवं समस्याओं का समाधान प्रदान करने तथा इनमें इस प्रकार के व्यक्ति होने चाहिए जो योग्यता व शक्ति से राज्यों के कार्यो का प्रबन्ध करने के लिए विधि द्वारा मान्य हो इसके साथ ही राज्य के सामान्य हित को बनाये रखने में सक्षम हो। कुछ इसी प्रकार महाभारत के शक्ति पर्व में जब युधिष्ठिर मृत्यु शय्या में लेटे हुए अपने पितामह भीष्म से राज्य एवं धर्म के क्षेत्र में ज्ञान प्राप्त करने जाते हैं तो भीष्म उनसे यह कहते है कि राज्य का परम कर्तव्य होता कि वह प्रजा को प्रसन्न रखे, सत्य का अनुसंधान करता रहे एवं हमेशा उत्तारदायी राजा के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता रहे। हिन्दू धर्म एवं संस्कृति की की नींव धर्म है जो कि सुशासन की भी नींव के रूप में भी कार्य करता है।

मनुस्मृति में भी राजा के आचरण व उसके अधिनस्थ अधिकारियों, न्यायकर्ताओं के आचरण सम्बन्धी नियमों को संहिताबद्ध किया गया है जिसके अनुसार राजा स्वयं कार्यो एवं राजकीय कार्यो को संपादित करते हुए यह आज्ञा जारी करता है कि सभी अधिकारी प्रजा के भले के लिए ही कार्य करें। कौटिल्य ने अपनी प्रसिद्ध रचना 'अर्थशास्त्र' में राजा को सर्वाधिक अच्छे आचरण वाले व्यक्ति के रूप में कल्पना की है। उनके अनुसार प्रजा की भलाई में ही राजा का हित होगा, जो कुछ भी राजा को अच्छा लगता है, यह खुश करता, उसे ही अच्छा नहीं समझना चाहिए बल्कि जो भी प्रजाजनों को अच्छा लगे उसे ही अच्छा मानना चाहिए। सुशासन शब्द से ही उसका अर्थ स्पष्ट हो जाता है इसलिए इसका अलग से विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं है किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि सुशासन की कल्पना में एकरूपता है। यह भी जरूरी नहीं है कि जो सुशासन को लेकर जो हमारी कल्पना है वहीं दूसरे के भी हो। इसी तरह एक देश या राज्य के लिए सुशासन के सभी अभिकरण दूसरे देश या राज्य के लिए उसी रूप में सही हो, यह जरूरी नहीं है। यदि हाँ उसकी मूल संकल्पना यानी शत-प्रतिशत लोकहित को समर्पित और लोगों अपनत्व का भाव करने वाली जो भी राज्य व्यवस्था होगी, वह सुशासन की श्रेणी में आयेगी।सामान्यत: यह अंग्रेजी भाषा के 'गुड गवर्नेंस' शब्द के हिन्दी रूपान्तर के रूप में प्रयुक्त होता है। यह शब्द वर्तमान लोकतन्त्र के साथ अभिन्न है। हम जिस वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था में जीवन व्यतित करते हैं, वह अंग्रेजी भाषा के 'डेमोक्रेसी' शब्द का हिन्दी रूपान्तर है और इसका उद्‌भव भी पश्चिमी देशों से हुआ है। इसलिए हम लोकतंत्र के साथ-साथ उससे जुड़े दूसरे शब्दों के अर्थ भी उसी अनुसार लेते हैं। वर्तमान परिदृश्य में सुशासन की अधिकांश अवधारणाएँ और विचार विश्व जगत के पश्चिमी देशों को अन्य देशों के समक्ष एक आदर्श के रूप में पेश करती है। इन देशों का राजनीतिक ढाँचा, आर्थिक विकास, व्यक्तित्व स्वतंत्रता का व्यवहार उनके मानवाधिकार, उनकी न्याय प्रणाली, पुलिस व्यवस्था, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी ढाँचे आदि सुशासन के मान्य आदर्श हैं। इन आदर्श मानकों का अनुकूलन करके हमें भी अपने देश या राज्य को उसी तरह बनाना है। ऐसा करने में हम जितने सफल होंगे उतने ही सुशासन के मापदण्डों में हम सफल हो सकेंगे। वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में सुशासन को लेकर सभी देश एकमत हो गये हैं और अधिकांश देश सुशासन के मानदण्डों को अपना भी रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी सुशासन की कल्पना की है यानी लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय, आधुनिक शिक्षा प्रणाली, स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रमों, बच्चों, वृद्धों और महिलाओं का संरक्षण, मानवाधिकार, श्रमिक हितैषी नियम, व्यापार के नियम, न्याय प्रणाली आदि सभी मॉडल उन सभी देशों द्वारा तैयार किये गये जो सुशासन के मानको को पाना चाहते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि सुशासन में जनकल्याणकारी तत्वों की मौजूदगी है पर वे सभी तत्व पूर्ण एवं आदर्श है ऐसा मानना पूर्णतया सही नहीं होगा। वैसे यह भी सत्य है कि वर्तमान लोकतन्त्र के आने से पूर्व तत्कालीन परिस्थितियों और समाज व्यवस्था के अनुसार विश्व एवं भारत के न जाने कितने चिंतको, मनीषियों, राजनेताओं ने सुशासन के बारे में गहन विचार-विमर्श किया। इसके साथ ही हमें यह भी स्वीकार करना होगा कि जितना गहरा एवं विशद अध्ययन सुशासन का भारतीय मनीषियों ने किया उतना शायद ही दुनिया के किसी कोने में हुआ है। विभिन्न प्रश्नों के उत्तर में राज्य, राजा, प्रजा, अधिकारी सबके कर्तव्यों का जो वर्णन है। वास्तव वहीं सुशासन है।

महाभारत के शांति पर्व में भीष्म युधिष्ठिर से कहते है कि-'एक धार्मिक राजा का यह पूनीत कर्तव्य है कि वह अपना प्रिय परित्याग कर वही करें जिससे लोगों का हित छिपा हो। अर्थात् जिनके हाथ में शासन की जनता के हितों के लिए निर्णय लेने की जिम्मेदारी होती है, उनके एक-एक कदम, एक-एक निर्णय का लक्ष्य केवल लोकहित ही होना चाहिए। उसमें हमारा कोई प्रिय है, अपना है अथवा उसका हित या अहित जैसी की भावना नहीं होनी चाहिए। सामाजिक न्याय या वर्तमान शासन के तीनों अंगों कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की निष्पक्षता के लिए इससे बड़ा मापदण्ड और क्या हो सकता है?'

वास्तव में पुरातन भारतीय संस्कृति में सुशासन की अवधारणा की प्रमुख विशेषता यही रही है कि यहाँ जिनके हाथों में शासन को क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी होती है उनकी पात्रता पर सर्वाधिक विचार किया जाता है।

कौटिल्य के अर्थशास्त्र में सुशासन के 'दस' निर्देशक तत्व प्राप्त होते हैं। कौटिल्य के अनुसार 'राजा, राज्य का सेवक है जिसकी अपनी कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं होती।' इसलिए वे राजा की योग्यता से लेकर अधिकारियों की नियुक्ति तक के लिए व्यापक मानदण्डों को निर्धारित करते हैं। इन सबका उद्देश्ये राज्य को न्याय पालक एवं सर्वकल्याणकारी बनना ही सुशासन है।

भारत ने 26 जनवरी 1950 को संविधान को आत्मसर्मित करते हुए सत्यमेव जयतेय शब्द ऐसे ही नहीं लिया। इसे अपनाने के पीछे की कल्पना यही थी कि राज्य अर्थात् शासन हमेशा सत्य के मार्ग पर चलने के लए एवं उस पर विजय प्राप्त करने के लिऐ ही काम करेगा। आजादी के बाद जिन लोगों के हाथों में भारत का पुर्ननिर्माण करने का उत्तरदायित्व था उनसे कई मामलो में हमारी आपकी असहमति हो सकती है, पर वे भारतीय परम्परा में राज्य की एवं शासन की क्या भूमिका हो सकती है, इसके साथ ही सुशासन से क्या आशय है इसे अच्छी तरह समझते थे। आधुनिक भारतीय नेताओं और विचारकों में महात्मा गांधी को सुशासन से सम्बन्धित भारतीय परम्परा का वारिस कहा जा सकता है। विभिन्न समयों एवं प्रसंगों में स्वराज को लेकर उन्होंने जो विचार रखे हैं असल में वह सुशासन का दर्शन ही हैं।

इसके साथ ही हमारे देश के अधिकांश मुनीषियों ने इस दिशा में काफी विचार-विमर्श किया है। इन सबके बीच व्यवस्था के अलग-अलग बिन्दुओं पर कुछ मतभेद भी रहे थे, पर मूल संकल्पना सुशासन की लगभग एक जैसी ही थी। आजाद भारत वर्ष में पं0 जवाहर लाल नेहरू, डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल इत्यादि की भारत के सुशासन को लेकर विभिन्न कल्पनाएँ थी पर लक्ष्य भारत वर्ष के नागरिकों का उद्धार करने हेतु 'सुशासन' ही था। सत्य एवं न्याय पर टिकी ऐसी शासन व्यवस्था जो देश के लिए शांति, सुव्यवस्था और सामूहिक भ्रातत्व की भावना का प्रसार करें इसके साथ संसार को सत्य, अहिंसा एवं भाईचारे की भावना की ओर बढ़ाने वाले सुशासन के लिए प्रेरित करें। कहने का आशय यह है कि भारत के सुशासन का उद्देश्य केवल देश तक ही सीमित नहीं था, इसका उद्देश्य वैश्विक स्तर का था। पं0 जवाहर लाल नेहरू ने आजादी के पश्चात् वैश्विक स्तर पर तीसरी दुनिया के देशों के साथ गठ़बन्धन बनाने की जो आजमाइश की वह भी भारत के उसी सार्वभौमिक लक्ष्य की ओर अग्रसर होना था। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का सिद्धांत वैश्विक सुशासन के लक्ष्य को पाने के लिए ही था।

भारत में आजादी के बाद प्रशासन में बदलाव लाने की आवश्यकता पर शीघ्रता के साथ विचार-विमर्श किया गया। तत्कालीन केन्द्र एवं राज्य सरकारों को यह अभास हो गया था कि उन्हें एक नयी सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक व्यवस्था को स्थापित करने और जनाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए आवश्यकतानुसार प्रशासनिक ढाँचे में बदलाव लाने होंगे। गिरिजा शंकर वाजपेयी की अध्यक्षता में जुलाई 1947 के सचिवालय पुनर्गठन समिति का गठन किया गया।

वर्ष 1949 में भारत सरकार ने श्री एन0 गोपालस्वामी आयंगर को केन्द्रीय सरकार के पुर्नगठन का अध्ययन हेतु एक सदस्यीय आयोग के रूप में नियुक्त यिका। श्री आयंगर ने सरकारी तन्त्र के पुर्नगठन पर अपनी सिफारिश में केन्द्रीय सचिवालय के संगठनात्मक एवं प्रक्रियात्मक परिवर्तन के सम्बन्ध में विस्तारपूर्वक वर्णन किया जिसमें उनकी प्रमुख सिफारिश थी कि केन्द्रीय मंत्रालयों को चार ब्यौरो में पुर्नगठित किया जाये लेकिन सरकार द्वारा उनकी सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया गया। वर्ष 1951 में योजना आयोग की स्थापना के पश्चात् इस तथ्य पर विचार करने की जरूरत महसूस की गयी कि नियोजित विकास के बारे में उस समय की प्रशासनिक व्यवस्था तथा इसकी कार्य प्रणालियों की उपयुक्तता की जांच की जाए। इस पर विचार मंथन का कार्य ए0डी0 गोरवाला को सौपा गया तत्पश्चात् अप्रैल 1951 में ए0डी0 गोरवाला ने भारतीय प्रशासन पर अध्ययन कर अपना प्रतिवेदन 'लोक प्रशासन पर निवेदन' सरकार के समक्ष पेश किया। गोरवाला विचार व्यक्त करते हुए कहा कि-'निकृष्ठ सरकार और उत्कृष्ठ प्रशासन का अधिक से अधिक एक अस्थाई सम्मिलन होता है।' गोरावाला ने मंत्री एवं सचिव के बीच आवश्यक परस्पर विकास के सम्बन्धों की विवेचना की गति, दक्षता, प्रभाविता और संवेदनशीलता में वृद्धि के लिए शासन के पुनर्गठन की सिफारिश की।

सरकार का मजबूत होना एवं कमजोर जनता और उसके नेताओं के चरित्र प्रचलित राजनैतिक व्यवस्था के स्वरूप पर निर्भर करती है, कोई भी लोकतांत्रिक व्यवस्था एक उत्तरदायी, कुशल एवं निष्पक्ष प्रशासन के अभाव में सफल नियोजन नहीं कर सकता है। ए0डी0 गोरावाला ने भारत वर्ष में विद्यमान लोक प्रशासन की व्यवस्था और नौकरशाही ढ़ांचे की मौलिक धरणाओं के बिना किसी को नुकसान पहुँचाये, मौजूदा ढ़ाचे में व्याप्त बुराइयों को दूर करने एवं उसे और अधिक सुदृढ़ एवं सक्षम बनाने सुझाव देते हुए कहा कि-

वे सभी चीजे जो सर्वाधिक महत्व वाली है उन्हें प्राथमिकता के आधार रखना चाहिए एवं गौण महत्व की चीजे अपेक्षाकृत कम महत्व दिया जाना चाहिए। कतिपय थोड़े से निर्धारित लक्ष्यों की ओर ही प्रत्यन किया जाना चाहिए क्योंकि भारतीय प्रशासन में अच्छे साधनों और आवश्यक उपकरणों का अभाव पाया जाता है। राज्य में लागू होने वाली नीतियों को क्रियान्वित करने वाले कार्यकर्ता ईमानदारी और सत्यनिष्ठा जैसे गुणों से ओत-प्रोत होने चाहिए। इसके साथ ही उनमें आज्ञापालन एवं नैतिक चरित्र का विकास होना चाहिए। गोरावाला प्रतिवेदन में कहा गया है कि मंत्रियों को विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों सलाह-अनुरूप कार्य करना चाहिए। मंत्री और उसके विभाग के सेवक के सोहार्दपूर्ण सम्बन्धों के आधार पर एक कुशल प्रशासन की स्थापना की जा सकती है। साथ यह सरकार को लोकप्रिय बनाता है और उसका सरकार को कार्य कुशल बनाता है।

वर्ष 1952 में सरकार ने प्रशासनिक सुधार हेतु पॉल एपलवी को नियुक्त किया गया। पांल एपलवी द्वारा 1952 और 1956 में दो रिपोर्ट सरकार के पटल पर लायी गयी जिसमें उन्होंने सरकारी प्रशासनिक तन्त्र में संगठन स्तर पर एवं प्रक्रियात्मक समस्याओं के अध्ययन के क्षेत्र में सुधार के लिए केन्द्र सरकार में एक 'संगठनात्मक एवं प्रक्रिया' जैसी ईकाई की स्थापना की जानी चाहिए। विकास कार्यक्रमों को लेकर पांल एपलवी ने कर्मचारियों की परिचालन प्रभावकारिता पर बल दिया साथ ही कर्मचारियों की परिचालन सम्बन्धी प्रभावकारिता में वृद्धि हेतु उनकी स्थिति एवं जवाबदेही को उन्नत बनाया जाना चाहिए इसके लिए प्रक्रियाओं और सरल बनाना चाहिए। भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था के संदर्भ में उन्होंने कहा कि परिवर्तन सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए। उन्होंने पिरामिड रूपी प्रशासनिक संरचना में विकेन्द्रीकरण को प्रस्तावित किया।

भ्रष्टाचार ने भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था के लिए दुर्भाग्य का काम किया है। वर्ष 1962 में सरकार में सरकार ने भ्रष्टाचार निवारण हेतु विद्यमान रोधको की जांच और भ्रष्टाचार विरोधी पहलो को और अधिक सुदृढ़ बनाने

हेतु श्री के0 सन्थानम की अध्यक्षता में एक समिति को नियुक्त किया।

इसके बाद प्रशासन को सुशासन में परिवर्तित करने में प्रशासनिक सुधार आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। 05 जनवरी 1966 भारतीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया, साथ ही आयोग से यह विचार करने के लिए कहा गया कि किस प्रकार लोक सेवकों की कार्यकुशलता एवं कर्तव्यनिष्ठा का बढ़ाकर प्रशासन को इस तरह उन्नत व प्रक्रियाशील बनाया जाये कि वह सरकार की आर्थिक एवं सामाजिक नीतियों को क्रियान्वित कर विकास के आर्थिक एवं सामाजिक उद्देश्यों और लक्ष्यों को पूरा किया जा सके। सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करके सरकार में प्रशासनिक कार्य कुशलता में सुधार लाने के उद्देश्य से मंत्रिमण्डलीय सचिव के निर्देशन में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया। सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग बढ़ने के कारण यह केन्द्रीय सरकार की कार्यप्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग बन गयी इसके साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी के प्रबन्धकों के माध्यम से ई-गवर्नेंस के लिए एक न्यूनतम कार्यक्रम बनाया गया।

सरकार क्षेत्र में गुणवत्ता की अवधारणा को निजी क्षेत्र में विस्तृत रूप से लागू किया जिससे की संगठनों के कार्य निस्पादन निरन्तर सुधार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सकें साथ ही उन्हें प्रतियोगिता कर आगे आने का अवसर मिल सके। इसका मुख्य लक्ष्य है सतत् सुधार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है सरकारी संगठनों में समग्र रूप से गुणवत्ता प्रबन्धन की सार्थकता को नागरिक हितैषी, पारदर्शी और उत्तरदायी पूर्ण सरकार की धारणा पर अधिक से अधिक जोर देते हुए प्रमुख रूप से उजागर किया है। जिससे सुशासन की अवधारणा को धरातल पर उतारने में व्यापक सहयोग मिलेगा।

निष्कर्ष –सुशासन के अध्ययन उपरांत हम यह कह सकते है कि सुशासन की अवधारणा हमारे लिए नयी नहीं है, बल्कि यह तो प्राचीन काल से किसी न किसी रूप से हमारे माना समाज चली आ रही है। प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य में जनकल्याण को प्राथमिकता देते हुए राज्य में दार्शनिक राजा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कौटिल्य द्वारा भी जनता को महत्वपूर्ण माना गया साथ ही जनता के सुख को ही राज्य का सुख माना गया एवं कानून का शासन, मानवाधिकार का सम्मान इत्यादि बातों को अपने प्रशासन में शामिल किया गया। मनुस्मृति, महाभारत एवं गीता में जन कल्याण के परिपेक्ष्य में धर्म में सुशासन को निहित माना गया क्योंकि धर्म श्रेष्ठ मानव जीवन का प्रधान तत्व है। तथा उसमें सभी के कल्याण भावना समाहित है। वर्तमान परिदृश्य में सुशासन के सर्वोत्तम स्तर को प्राप्त करने के लिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना इसके आदर्श एवं लक्ष्यों का विस्तारपूर्वक वर्णन करती है कि भारतीय शासन व्यवस्था को जनकल्याणकारी नीतियों को जारी रखना चाहिए जिससे नागरिकों को सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक न्याय मिल सके साथ ही सुशासन के लक्ष्यों को ध्यान में रखकर विभिन्न सुधारों एवं प्रावधानों को रखा गया है जिससे जन कल्याण को बढ़ावा मिल सके।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. सुनील गुप्ता, कमल कुमार : सुशासन, एनवीटी भारत, 2011
2. मिनोचा ओ0पी0, गुड गवर्नेंस न्यू पब्लिक मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव, आईजेपीए, जुलाई-सितम्बर
3. आर0वी0 जैन : भारत में सुशासन हेतू प्रयास; योजना, अंक-3, मार्च 2014
4. कमल कुमार, सुनील गुप्ता : सुशासन, एनवीटी भारत, 2011
5. सुरेन्द्र कटारिया, 'भारतीय प्रशासन', नेशनल पब्लिकेशन, जयपुर, 2001
6. रामचन्द्र पन्ना अनुवाद नरेश नदीम : भारत में लोक प्रशासन, एनवीटी, नई दिल्ली
7. वी0एल0 फाड़िया, कुलदीप फाड़िया : लोक प्रशासन : प्रशासनिक सिद्धांत तथा भारतीय प्रशासन, साहित्य पब्लिकेशन, आगरा
8. पॉल एच0 एप्पल वी0, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट ऑफ सर्वे, द मैनेजर ऑफ पब्लिकेशन, दिल्ली, 1953
9. ई-अधिशासन का संवर्धन 'स्मार्ट' आगे बढ़ते कदम (द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, 11वी रिपोर्ट, 2008)
10. द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग-2005 (11वी रिपोर्ट), 'ई-अधिशासन का संवर्धन
11. डॉ0 एम0आर0 श्री निवासमूर्ति : सामाजिक बदलाव के लिए लोक प्रशासन, योजना अंक, अगस्त 2011
12. आशीष खण्डेलवाल : डिजीटल क्रांति से बदलता सामाजिक परिवेश, योजना, 2005

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XL

Bioremediation of Copper and Nickel Ions from Wastewater Using Cyanobacteria: A Review

Premlata Vikal* Preeti Pragya Dadhich*****

* Department of Botany, S.M.B. Government P.G. College, Nathdwara (Raj.) INDIA
** Department of Botany, MohanlalSukhadia University, Udaipur (Raj.) INDIA
** Department of Botany, MohanlalSukhadia University, Udaipur (Raj.) INDIA

Abstract - Water, vital for all life on Earth faces significant pollution challenges, especially from heavy metals. Originating from industrial activities and mining, heavy metals pose grave threats due to their toxicity and persistence. Phycoremediation, employing microalgae for water treatment, has gathered attention for its simplicity and environmental benefits. Cyanobacteria, with their metal-sequestering abilities, show promise in phycoremediation. Future research should focus on understanding metal biosorption mechanisms and optimizing cyanobacteria for wastewater treatment. Studies on Cyanobacteria, photosynthetic microorganisms, offer promise for heavy metal removal and offers hope in combating water pollution. This review examines the harmful impacts of heavy metal pollution on ecosystems and human health, stressing the urgent need for effective remediation methods. Further research and development in this field could lead to sustainable solutions for mitigating the detrimental effects of heavy metal contamination on aquatic ecosystems and human health.
Keywords: Copper, cyanobacteria, heavy metals, nickel, phycoremediation.

Introduction - Water, as an essential element in our daily lives and vital for all living organisms, is unfortunately often wasted despite its crucial importance (Chaudhary*et al*., 2015). Piduimy (2004) reported that 97% of the Earth's water is sourced from oceans, while only 3% constitutes freshwater from various sources like glaciers, groundwater and the atmosphere. Chaudhary*et al*. (2015) highlighted that India's vast landmass, approximately 329 million hectares, is drained by 24 major river basins and smaller ones, with scarce natural surface lakes. The degradation of water quality due to factors like population growth, urbanization, and rural activities is becoming increasingly concerning. Pollutants such as solid particles, salts, sewage, and industrial waste are discharged into water bodies, resulting in contamination of both surface and groundwater (Nanoti, 2004 andPandey*et al*., 1979). Municipal, agricultural and untreated industrial wastes, including synthetic chemicals, further contribute to water pollution (Kulal*et al*., 2020). The proliferation of industries has introduced a multitude of chemicals into the environment, posing threats to ecosystems and disrupting flora and fauna. Heavy metals, originating from industrial discharges, agricultural runoff, and improper waste disposal, pose significant risks to aquatic life and human health as they accumulate in sediments and organisms (Kulal*et al*., 2020). Microbial biomass presents a promising solution for removing toxic metal ions from contaminated water through methods like biosorption and bioaccumulation (Karna*et al*., 1999). It has been established that toxic metal ions can be removed using microbial biomass made up of bacteria, fungi, and algae (Karna*et al*., 1996; Kumar *et al*., 1992 and Volesky, 1987, 1994). A paper by Macaskie and Dean (1990) described that the cell walls of bacteria and algae can bind metals through a charge-mediated process.Kulal*et al*. (2020) investigated that, cyanobacteria have appeared to be of a great importance in research due to their thrilling properties such as energy obtaining from photosynthesis, production of oxygen, carbon fixation, electron transport and nitrogen fixation. Some algal species like *Oscillatoria*sp.H1, *Nostocminutum, Lyngbyawollei, Aphanotheceflocculosa, Nostoc*PCC 7936,and *Lyngbyamajuscula*, due to their more surface area show a great metal sorption property. Phycoremediation, utilizing microbial biomass, offers rapid, reversible, and eco-friendly alternatives to conventional chemical methods for removing metal ions from industrial effluents (Volesky, 2007). Cyanobacteria, with their polysaccharide capsules and numerous binding sites, show potential for removing organic pollutants and metal ions from water bodies (Hoeger*et al*., 2002).

Impacts of Copper and Nickel ions toxicity: Heavy metals are characterized by their high atomic weight and density. Thesemetallic elements typically have a density greater than 5 g/cm³ and include elements such as lead

(Pb), nickel (Ni), copper(Cu), cadmium (Cd), arsenic (As), chromium (Cr),mercury (Hg) and others. Heavy metals contamination can either be naturally occurring or result from human activities such as industrial processes, mining, and agriculture. They are known for their potential toxicity to living organisms, even at low concentrations, due to their ability to accumulate in the environment and living tissues, causing harmful impacts on human health and ecosystems. Anthropogenic activities, industrialization, urbanization, incomplete burning of fossil fuels and smelting of many toxic metals such as mercury, lead, cadmium, zinc, arsenic, uranium, nickel and silver led to accumulation of heavy metals into the environment causing pollution. After accumulation of heavy metals in the ecosystem it is very difficult to remove them and they stay in the ecosystem for years creating harmful impact on future generations as well. These metals can be exposed to animals through skin, gills, food and drink and also by maternal blood that may result into various unwanted side effects in the animal body (Rhind, 2009). Heavy metals cannot be further transformed or mineralized due to their intrinsic toxicity. Akthar and Mohan(1995) and Akthar*et al.*(1995) investigated and found that toxic metal ions can be removed efficiently from contaminated waters using microbial biomass.

Nickel is found widely in the environment. It is used in steel industries, batteries and in many electrical appliances. Both soluble and insoluble nickel compounds can lead to various health issues upon contact. People are exposed to nickel through food, water or air. One of the primary organs targeted by Ni poisoning is the neurological system; in fact, Ni toxicity can build up in the brain (Genchi*et al.,*2020). Liu *et al*. (2023)explained in their paper about copper toxicity by highlighting Cu(II) as one of the most toxic heavy metals included in many contaminants. Copper is discharged into wastewater streams by a number of sectors, including steel, electroplating, paints and dyes, fertilisers, mining and metallurgy, explosives, and pesticides. The paper showed a result of an epidemiological research and concluded that residents who live in vicinity to copper mining sites are more likely to suffer from headaches, cirrhosis, kidney failure, and even cancer as a result of their mining activities.

Role of Cyanobacteria in heavy metal remediation: Kaloudas*et al*. (2021) explained phycoremediation as a method that utilizes algae more specifically, microalgae to make water free from phosphates, nitrates, pesticides, hydrocarbons, nitrogen and heavy metals. Being simple, economic and environment friendlyphycoremediation is beneficial over traditional methods (Spain *et al*.,2021). According to Ghosh and Singh (2005) and Abdel-Raouf*et al.* (2012) phycoremediation is a method which utilizes macro and micro algae for bioremediation. Being environment friendly and cost effective, it has many advantages over other conventional methods that are very expensive, energy consuming and produce high levels of sludge.

Cyanobacteria are effective in phycoremediation as they can be easily cultivated and genetically engineered (Volesky and Naja, 2007). Cyanobacteria are present at the bottom of the food chain hence; they consume harmful substances and prevent the organisms present at the higher levels of the food chain from the side effects of such pollutants. Therefore, using cyanobacteria for removal of pollutants from environment can be a good approach to cope up with pollution (Kulal*et al*., 2020). Presence of diverse proteins and polysaccharide receptors on their surface, make cyanobacteria more efficient to bind with the pollutants (Priyadarshani*et al*., 2011). The toxic pollutants bind to the cellular structure after getting surrounded by the surface receptors of cyanobacteria, this process is termed as biosorption. Biosorbed pollutants can be bioaccumulated through active uptake and utilized in the metabolism by the organism (Malik, 2004). Heavy metals are thought to be bound by the polysaccharides present in the mucilage that cyanobacteria produce (Amemiya and Nakayama, 1984).

Efficacy of Cyanobacteriain copper and nickel ions elimination: Research studies have also proved the efficiency of cyanobacteria in heavy metal remediation. A research by Kushwaha and Dutta(2017) explored the potential of *Lyngbyamajuscula*, a cyanobacterium, in remediation of Cu(II) from wastewater. They concluded that the sorption of Cu(II) onto the adsorbents increased with rising pH of the medium within the range of 2–6. However, they noticed that at pH levels exceeding 7, the precipitation of insoluble metal hydroxides occurred, which restricted the ability to conduct true biosorption studies. They also found that the kinetics of the sorption process followed the Pseudo-second-order model (PSOM). They also determined the maximum Cu(II) uptake capacity upto 35.71mg/g and 8.33 mg/g for dried and carbonized algae, respectively. *Lyngbyamajuscula* has showed a high metal biosorption capacity, which makes the cyanobacteria an effective adsorbent for removing heavy metals from wastewater streams. Hazarika*et al*.,2015 isolated *Nostocmuscorum*, from a mining environment and assessed its potential for removing heavy metals like Cu(II), Zn(II), Pb(II), and Cd(II) from aqueous solutions with initial concentrations ranging from 5 to 50 mg L^{-1}. Before conducting the metal bioremoval experiments, the researchers evaluated the impact of three primary culture parameters—namely, inoculum volume, inoculum age, and pHon the growth of *Nostocmuscorum*and optimized their levels using the Taguchi experimental design technique. Batch metal removal kinetics demonstrated maximum removal of Pb(II) (98%) and Cu(II) (87.8%), followed by Cd(II) (82%) and Zn(II) (67.2%) at an initial metal concentration of 5 mg L^{-1}. Furthermore, they found that the estimation of protein, carbohydrate, and biomass contents of *Nostocmuscorum* exposed to metals revealed that Zn(II) and Cd(II) were more toxic compared to Cu(II) at all initial metal concentrations, while the organism exhibited more

tolerance towards Pb(II).Ghorbani*et al.,* 2022 isolated extracellular polymeric substances (EPS) production in strains *Nostoc*sp. N27P72 and *Nostoc*sp. FB71 from different habitats and compared their remediation potential. The researchers evaluated the cultures for their capacity to remove Cu (II), Cr (III), and Ni (II) in culture media with and without maltose. As per their paper, crude EPS demonstrated a metal adsorption capacity in the order Ni (II) > Cu (II) >Cr (III) based on the metal-binding experiments. Their study results suggested that strains *Nostoc*sp. N27P72 could serve as promising candidates for the commercial production of EPS and could potentially be utilized in the field of bioremediation as an alternative to synthetic and abiotic flocculants.

Future outlook: Cyanobacteria are the simplest photosynthetic organisms. Their great adsorbing capability, cheap raw material cost, and lack of secondary pollution of cyanobacteria make them a promising candidate for the treatment of wastewater containing heavy metals. Many years ago, the accumulation of heavy metals by members of Cyanophyceae has been intensively studied for the goal of biomonitoring. Their specialised cell wall composition and tolerance to various environmental conditions highlights its efficient application for heavy metal removal. Much interest has recently focused on the idea of immobilising whole cells for industrial applications. In spite of multitude of research on bioremediation, further studies are required to focus on the adsorption mechanism, which includes the relationship between the alginate components and binding capacity, as well as, the biosorption properties of certain alginate components. So, there is need to explore more about them for sustainable phycoremediation.

References:-

1. Abdel-Raouf, N., Al-Homaidan, A. A. and Ibraheem, I. 2012.Microalgae and wastewater treatment. *Saudi Journal of Biological Sciences*. 19(3): 257-275.
2. Akthar, M. N. and Mohan, P. M. 1995.Bioremediation of toxic metal ions from polluted lake waters and industrial effluents by fungal biosorbent. *Current Science*.1028-1030.
3. Amemiya, Y. and Nakayama, O. 1984. The chemical composition and metal adsorption capacity of the sheath materials isolated from *Microcystis*, Cyanobacteria. *Jpn. J. Limnol*. 45: 187-193.
4. Chaudhary, A., Rawat, E., Singh, A. and Singh, R. V. 2015.Global status of nitrate and heavy metals in the ground water with special reference to Rajasthan. *Chem. Sci. Rev. Lett*, 4: 643-661.
5. Genchi, G., Carocci, A., Lauria, G., Sinicropi, M. S. and Catalano, A. 2020. Nickel: Human health and environmental toxicology. *International journal of environmental research and public health*. 17(3): 679.
6. Ghorbani, E., Nowruzi, B., Nezhadali, M. andHekmat, A. 2022.Metal removal capability of two cyanobacterial species in autotrophic and mixotrophic mode of nutrition. *BMC microbiology*. 22(1): 58.
7. Ghosh, M. and Singh, S. P. 2005. A review on phytoremediation of heavy metals and utilization of it's by products. *Asian Journal Energy Environ*. 6(4): 18.
8. Hazarika, J., Pakshirajan, K., Sinharoy, A. andSyiem, M. B. 2015.Bioremoval of Cu (II), Zn (II), Pb (II) and Cd (II) by *Nostocmuscorum* isolated from a coal mining site. *Journal of Applied Phycology*. 27: 1525-1534.
9. Hoeger, S. J., Dietrich, D. R. and Hitzfeld, B. C. 2002.Effect of ozonation on the removal of cyanobacterial toxins during drinking water treatment. *Environmental Health Perspectives*.110(11): 1127-1132.
10. Karna, R. R., Sajani, L. S. and Mohan, P. M. 1996.Bioaccumulation and biosorption of Co^{2+} by *Neurosporacrassa*. *Biotechnology Letters*. 18: 1205-1208.
11. Karna, R. R., Uma, L., Subramanian, G. and Mohan, P. M. 1999.Biosorption of toxic metal ions by alkali-extracted biomass of a marine cyanobacterium, *Phormidiumvalderianum* BDU 30501. *World Journal of Microbiology and Biotechnology*. 15: 729-732.
12. Kulal, D. K., Loni, P. C., Dcosta, C., Some, S. and Kalambate, P. K. 2020. Cyanobacteria: as a promising candidate for heavy-metals removal. In *Advances in Cyanobacterial Biology*. pp. 291-300.
13. Kumar, S., C. H., SivaramaSastry, K. and Maruthi Mohan, P. 1992. Use of wild type and nickel resistant *Neurosporacrassa* for removal of Ni^{2+} from aqueous medium.Biotechnology Letters.14: 1099-1102.
14. Kushwaha, D. andDutta, S. 2017. Experiment, modeling and optimization of liquid phase adsorption of Cu (II) using dried and carbonized biomass of *Lyngbyamajuscula*. *Applied Water Science*. 7:935-949.
15. Liu, Y., Wang, H., Cui, Y. and Chen, N. 2023. Removal of copper ions from wastewater: a review. *International Journal of Environmental Research and Public Health*. 20(5): 3885.
16. Macaskie, L. E. and Dean, A. C. 1990.Metal-sequestering biochemicals. *Biosorption of Heavy Metals*.199-248.
17. Malik, A. 2004.Metal bioremediation through growing cells. *Environment International*. 30(2): 261-278.
18. Nanoti, M. 2004. Importance of water quality control in water treatment and provision of safe public water supply, national workshop on control and mitigation of excess fluoride in drinking water.
19. Panday, S. P., Narayanaswamy, V. S. and Hasan, M. Z. 1979.Quality of well waters of Nagapur with regard to nitrates. *Indian Journal of Environmental Health*. 21: 35-46.
20. Piduimy, M. 2004. http//www.physicalgeography.net/fundamentals/8b.html.
21. Priyadarshani, D., W. M. and Rakshit, S. K. 2011. Screening selected strains of probiotic lactic acid bac-

teria for their ability to produce biogenic amines (histamine and tyramine). *International Journal of Food Science & Technology*.46(10): 2062-2069.
22. Rhind, S. 2009. Anthropogenic pollutants: a threat to ecosystem sustainability. *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences*. 364(1534): 3391-3401.
23. Volesky, B. 1987.Biosorbents for metal recovery. *Trends in Biotechnology*. 5(4): 96-101.
24. Volesky, B. 1994. Advances in biosorption of metals: selection of biomass types. *FEMS Microbiology Reviews*. 14(4): 291-302.
25. Volesky, B. 2007.Biosorption and me. *Water Research*. 41(18): 4017-4029.
26. Volesky, B. and Naja, G. 2007. Biosorption technology: starting up an enterprise. *International Journal of Technology Transfer and Commercialisation*. 6(2-4): 196-211.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XL

National Education Policy 2020 : Merits and Demerits

Dr. Rita Bisht*

*Dean (Education) University Of Technology, Jaipur (Raj.) INDIA

Introduction - The National Policy on Education was framed in 1986 and modified in 1992. Since then several changes have taken place that calls for a revision of the Policy. The NEP 2020 is the first education policy of the 21st century and replaces the thirty-four year old National Policy on Education (NPE),1986. Built on the foundational pillars of Access, Equity, Quality, Affordability and Accountability, this policy is aligned to the 2030Agenda for Sustainable Development and aims to transform India into avibrant knowledge society and global knowledge superpower by makingboth school and college education more holistic, flexible,multidisciplinary, suited to 21st century needs and aimed at bringing outthe unique capabilities of each student.School Education Ensuring Universal Access at all levels of school education NEP 2020 emphasizes on ensuring universal access to school educationat all levels-pre school to secondary. Infrastructure support, innovative education centres to bring back dropouts into the main stream, trackingof students and their learning levels, facilitating multiple pathways tolearning involving both formal and non-formal education modes,association of counselors or well-trained social workers with schools,open learning for classes3,5 and 8 through NIOS and State OpenSchools, secondary education programs equivalent to Grades 10 and 12,vocational courses, adult literacy and life-enrichment programs are someof the proposed ways for achieving this. About 2 crore out of school children will be brought back into main stream under NEP 2020.Early Childhood Care & Education with new Curricular and Pedagogical Structure With structure of school curricula is to be replaced by a 5+3+3+4 curricular structure corresponding to ages 3-8, 8-11, 11-14, and 14-18 years respectively. This will bring the hither to uncovered age group of 3-6years under school curriculum, which has been recognized globally asthe crucial stage for development of mental faculties of a child.NCERT will develop a National Curricular and Pedagogical Frameworkfor Early Childhood Care and Education (NCPFECCE) for children upto the age of 8 . ECCE will be delivered through a significantly expanded and strengthened system of institutions including Anganwadis and pre-schools that will have teachers and Anganwadi workers trainedin the ECCE pedagogy and curriculum. The planning andimplementation of ECCE will be carried out jointly by the Ministries ofHRD, Women and Child Development (WCD), Health and Family Welfare (HFW), and Tribal Affairs.

Attaining Foundational Literacy and Numeracy Recognizing Foundational Literacy and Numeracy as an urgent and necessary prerequisite to learning, NEP 2020 calls for setting up of a National Mission on Foundational Literacy and Numeracy by MHRD.States will prepare an implementation plan for attaining universal foundational literacy and numeracy in all primary schools for all learners by grade 3 by 2025.A National Book Promotion Policy is to be formulated.

Reforms in school curricula and pedagogy The school curricula and pedagogy will aim for holistic development oflearners by equipping them with the key 21st century skills, reduction incurricular content to enhance essential learning and critical thinking andgreater focus on experiential learning. Students will have increased flexibility and choice of subjects. There will be no rigid separations between arts and sciences, between curricular and extra-curricular activities, between vocational and academic streams. Vocational education will start in schools from the 6th grade, and will include internships.

A new and comprehensive National Curricular Framework for School Education, NCFSE 2020-21, will be developed by the NCERT. Multilingualism and the power of language The policy has emphasized mother tongue/ local language/regional language as the medium of instruction at least till Grade 5, butpreferably till Grade 8 and beyond. Sanskrit to be offered at all levels ofschool and higher education as an option for students, including in thethree-language formula. Other classical languages and literatures ofIndia also to be available as options. No language will be imposed on any student Equitable and Inclusive Education NEP 2020 aims to ensure that no child loses any opportunity to learn and excel because of the circumstances of birth or background. Specialemphasis will be given on Socially and Economically Disadvantaged Groups(SEDGs) which include gender, socio-cultural, and geographical identities and disabilities. This includes setting up of Gender InclusionFund and also Special Education

Zones for disadvantaged regions and groups. Children with disabilities will be enabled to fully participate inthe regular schooling process from the foundational stage to higher education, with support of educators with cross disability training,resource centres, accommodations, assistive devices ,appropriate technology-based tools and other support mechanisms tailored to suit their needs. Every state/ district will be encouraged to establish “BalBhavans” as a special daytime boarding school, to participate in art-related, career-related, and play-related activities. Free school in frastructure can be used as Samajik Chetna Kendras Robust Teacher Recruitment and Career Path Teachers will be recruited through robust, transparent processes.Promotions will be merit-based. A common National Professional Standards for Teachers (NPST) will be developed by the NationalCouncil for Teacher Education by 2022, in consultation with NCERT,SCERTs, teachers and expert organizations from across levels andregions.School Governance Schools can be organized into complexes or clusters which will be thebasic unit of governance and ensure availability of all resources including infrastructure, academic libraries and a strong professionalteacher community.Standard-setting and Accreditation for School Education.

NEP 2020 envisages clear, separate systems for policy making,regulation, operations and academic matters. States/UTs will set up independent State School Standards Authority (SSSA). Transparent public self-disclosure of all the basic regulatory information, as laiddown by the SSSA, will be used extensively for public oversight and accountability. The SCERT will develop a School Quality Assessment and Accreditation Framework (SQAAF) through consultations with astake holders. Higher Education Increase GER to 50 % by 2035 NEP 2020 aims to increase the Gross Enrolment Ratio in highereducation including vocational education from 26.3% (2018) to 50% by 2035. 3.5 Crore new seats will be added to Higher education institutions.

Holistic Multidisciplinary Education The policy envisages broad based, multi-disciplinary, holistic UnderGraduate education with flexible curricula, creative combinations ofsubjects, integration of vocational education and multiple entry and exitpoints with appropriate certification. UG education can be of 3 or 4years with multiple exit options and appropriate certification within this period. For example, Certificate after 1 year, Advanced Diploma after 2years, Bachelor’s Degree after 3 years and Bachelor’s with Research after 4 years.An Academic Bank of Credit is to be established for digitally storingacademic credits earned from different HEIs so that these can betransferred and counted towards final degree earned.Mull disciplinary Education and Research Universities (MERUs), at parwith IITs, IIMs, to be set up as models of best multidisciplinary education of global standards in the country.The National Research Foundation will be created as an apex body forfostering a strong research culture and building research capacity across higher education. Rationalised Institutional Architecture Higher education institutions will be transformed into large, well resourced, vibrant multidisciplinary institutions providing high quality teaching, research, and community engagement. The definition of university will allow a spectrum of institutions that range from Research-intensive Universities to Teaching-intensive Universities andAutonomous degree-granting Colleges. Motivated, Energized, and Capable Faculty NEP makes recommendations for motivating, energizing, and building capacity of faculty thorugh clearly defined, independent, transparent recruitment , freedom to design curricula/pedagogy, incentivising excellence, movement into institutional leadership. Faculty not delivering on basic norms will be held accountable Teacher Education A new and comprehensive National Curriculum Framework for Teacher Education, NCFTE 2021, will be formulated by the NCTE inconsultation with NCERT. By 2030, the minimum degree qualificationfor teaching will be a 4-year integrated B.Ed. degree .Stringent actionwill be taken against substandard stand-alone Teacher Education Institutions (TEIs).

Mentoring MissionA National Mission for Mentoring will be established, with a large poolof outstanding senior/retired faculty – including those with the ability toteach in Indian languages – who would be willing to provide short andlong-term mentoring/professional support to university/college teachers.Financial support for students efforts will be made to incentivize the merit of students belonging toSC, ST, OBC, and other SEDGs. The National Scholarship Portal willbe expanded to support, foster, and track the progress of studentsreceiving scholarships. Private HEIs will be encouraged to offer largernumbers of free ships and scholarships to their students.Open and Distance LearningThis will be expanded to play a significant role in increasing GER.Measures such as online courses and digital repositories, funding forresearch, improved student services, credit-based recognition ofMOOCs, etc., will be taken to ensure it is at par with the highest qualityin-class programmes.Online Education and Digital Education:

A comprehensive set of recommendations for promoting online education consequent to the recent rise in epidemics and pandemics inorder to ensure preparedness with alternative modes of quality education Technology in education An autonomous body, the National Educational Technology Forum (NETF), will be created to provide a platform for the free exchange ofideas on the use oftechnology to enhance learning, assessment, planning, administration Promotion of Indian languagesTo ensure the preservation, growth, and vibrancy of all Indian languages, NEP recommends setting an Indian Institute of Translationand Interpretation (IITI), National Institute (or Institutes) for Pali,Persian and Prakrit, strengthening of Sanskrit and all language departments in HEIs, and use

mother tongue/local language as amedium of instruction in more HEI programmes .Internationalization of education will be facilitated through bothinstitutional collaborations, and student and faculty mobility andallowing entry of top world ranked Universities to open campuses in our country.

Professional Education: All professional education will be an integral part of the highereducation system. Stand-alone technical universities, health scienceuniversities, legal and agricultural universities etc will aim to becomemulti-disciplinary institutions.

Adult Education: Policy aims to achieve 100% youth and adult literacy.Financing Education.The Centre and the States will work together to increase the public investment in Education sector to reach 6% of GDP at the earliest.

Merits

Advantages of National Education Policy 2020 :

1. **More Spending on Education Sector:** At present, the education sectorin India gets only a 3% share from GDP, but with the implementation ofNEP 2020, spending will increase to almost 6% which is going tobreathe a new life into the education sector.
2. **Changes in the School Structure:** The current structure of 10+2 school education will be replaced with the 5+3+3+4 pattern, to reduce students' burden of board exams. There will also be a focus on vocational learning right from class 6 to 8, so that the students can learn practical skills suchas gardening, carpentry, plumbing, artists, potters, etc., to introspect andunderstand their interests while developing a better understanding, respect for these skills.
3. **Broader Options to Learn:** The children in classes from 9 to 12 willnow have multidisciplinary course options available to them, which means that the different streams will be more porous with various subject combinations. Any student will be able to take up subjects oftheir interest, even if they are outside of their core discipline without strict adherence to the streams of Arts, Science and Commerce; ascience student will be able to study history and an art student shall be free to pursue biology.
4. **Focus on Critical Thinking:** The board exams system that primarilytested the memorization and rote learning ability of students will be replaced to develop critical thinking, rationalization, and creativity of students with the practical application of their knowledge.
5. **Making Education a Basic Right:** At present, the Government ensures that children from the age of 6 to 14 years may get compulsory education for which numerous programs were successfully carried out,including the one such as "Sarva Shiksha Abhiyan''.
6. **Option to Learn Coding in School:** The introduction of computers and coding classes as early as class 6 will be in the curriculum will be apositive step towards upgrading the learning process.
7. **Entrance Tests for Colleges:** Instead of countless independent entrancetests for getting admission in colleges, standard entrance tests will be put in place and administered by National Testing Agency (NTA) for uniformity and better clarity, which in the long run, will support students in getting into the disciplines and educational institutes of their choice asexpensive, sometimes exploitative entrance tests can be ended.
8. **Upgraded Undergraduate Program:** The 3-year undergraduateprogram will be replaced with a 4-year program that will give the optionto have a one-year degree after completing the 1st year, a diploma aftercompleting the 2nd year, and a degree for the completion of 3 years. The fourth-year will be researched-based. The students will also have theoption to change their discipline, their accrued credits will be transferable and available till their education pursuit is active.
9. **Regulating the Fees:** The implementation of NEP will put a ceiling onthe extent fee is charged, so that the private institutions may not charge exuberantly for higher education making education more accessible andaffordable, even to economically disadvantaged students.
10. **More Scope for Global Education:** The new NEP will welcome theglobal educational institutions and foreign universities to set up their campuses in India. The Indians will have a better reach to quality education in their nation, making the dream affordable to more studentsas it may even reduce the brain drain.
11. **More Inclusive Policy:** The new NEP delves into the provision of funds and the creation of special education zones, gender inclusion funds for the underprivileged students to give them access to learning and growth.Even the creation of the bal bhavans in every state will be a welcomestep that will support the students residing in remote regions.
12. **Propagation of Culture and Ethos:** The Indian culture and ethos willbe part of the learning curriculum so that the students will be able to learn about India's ancient history and its glorious past, a step towards reviving our traditions and promote unity and brotherhood right at the early stage.
13. **Improvement in Teaching Quality:** By 2030, B.Ed. will be made amandatory 4-year course to improve the quality of education for teachersand steps will be taken to make them capable of tackling various issues of the education system, including providing support and mentorship tothe students, as well as being trained to teach the students withdisabilities.

Demerits :

1. **Enforcement of Languages:** The NEP emphasizes the introduction of mother tongue in the primary classes which will be used to teach the principal subjects, while English will be taught at a much later stage. India is a diverse nation with 22 major languages and thousands of dialects. So, converting the basic subjects to these various regional languages (and mother tongues) will be a monumental task that will require a considerable amount of time, effort, and skilled professionals.

2. Delay in Teaching of English: The NEP suggests that the government schools will start teaching English after class 5, which is going to be a setback for the students who can only afford to go to government-run institutes. While the private schools will keep on with the practice of introducing English right from the beginning, which is going to be highly beneficial for their students.

3. Focus on Digital Learning: Though it sounds practical and the need of the hour, but the focus on digitization of education and the promotion of e-learning under the NEP 2020 seems to overlook thefact that just about 30% of Indians can afford smartphones and fewer still have access to computers.

4. In accordance to number of students admitted each year, allottingthem the courses of their choice in line with Choice Based Credit System (CBCS) norms will also be not easy to handle.

References:-

1. Guidelines for for the development of National curricular framework- Draft, NEP 2020 Ministry of Education.
2. National Curriculum Framework for Teacher education (2009), Towards preparing professional and human teacher NCTE, New Delhi, pp5.
3. National Education Policy 2020. https://www.mhrd.gov.in/sites/upload_files/nep/NEP_Final_English.pdf refered on10/08/2020.
4. National professional standards for teachers (2021), Draft, National council for teacher education, New Delhi.
5. SARTHAQ, Implementation plan for National Education Policy 2020, Ministry of Education,pp 187.
6. Articles from different newspapers like ‘Financial Express’, ‘The Hindu’ etc.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XL

Changing Family Structures in Urban India: Shifts in Family Dynamics, Roles, and Relationships

Dr. Anjali Jaipal*

***Associate Professor (Sociology) S.D. Govt. College, Beawar (Raj.) INDIA**

Abstract - This paper explores the evolving family structures in urban India, focusing on the shifts in family dynamics, roles, and relationships. With rapid urbanization, economic development, and cultural globalization, traditional joint family systems are increasingly giving way to nuclear families. This transformation has significant implications for gender roles, intergenerational relationships, and overall family dynamics. The paper analyzes these changes through a sociological lens, drawing on recent research, statistical data, and case studies to understand the driving factors and consequences of these shifts. The study highlights both the challenges and opportunities presented by changing family structures in urban India.
Keywords: Urban India, Family Structures, Family Dynamics, Roles, Relationships, Modernization, Nuclear Families, Gender Roles, Intergenerational Relationships, Social Change.

Introduction - Family structures in India have traditionally been characterized by the joint family system, where extended family members live together under one roof, sharing resources and responsibilities. However, with the advent of modernization, urbanization, and globalization, there has been a significant shift towards nuclear families, particularly in urban areas. This paper aims to explore these changes in family structures, focusing on the implications for family dynamics, gender roles, and intergenerational relationships in urban India. The research is divided into six main sections: Historical Context, Urbanization and Modernization, Nuclear Families, Changing Gender Roles, Intergenerational Relationships, and Social Implications and Future Trends.

Historical Context: Traditionally, Indian families have been predominantly joint families, a system deeply rooted in cultural, economic, and social practices. In a joint family, multiple generations live together, including grandparents, parents, children, and often extended relatives. This structure provided economic stability, social security, and a support system, ensuring care for the elderly and sharing of responsibilities. The joint family system also played a significant role in preserving cultural values and traditions, with the elder members acting as custodians of customs and norms.

The transition from joint to nuclear family structures began during the British colonial period, which introduced Western education, legal systems, and employment opportunities. These changes gradually influenced family patterns, although the joint family system remained predominant. Post-independence, the Indian government's focus on industrialization and urbanization further accelerated the shift. As cities expanded and economic opportunities grew, migration from rural to urban areas increased, leading to the establishment of nuclear households. Despite these changes, the joint family system continues to hold symbolic and cultural significance in many parts of India.

Urbanization and Modernization: Urbanization and modernization are critical factors driving the transformation of family structures in urban India. Rapid economic growth and the expansion of cities have led to significant demographic shifts. Urban areas offer better employment opportunities, educational facilities, healthcare services, and infrastructure, attracting people from rural regions. This migration has resulted in the formation of nuclear families, as individuals move away from their extended families to seek better prospects in urban centers.

Modernization has also influenced family dynamics and roles. The rise of individualism, increased educational attainment, and greater economic independence, particularly among women, have reshaped family structures. The traditional patriarchal family model is gradually being replaced by more egalitarian relationships. Couples in urban areas are more likely to share household responsibilities and make joint decisions. Furthermore, the influence of global media and cultural exchange has introduced new ideas and lifestyles, challenging traditional norms and practices.

Nuclear Families: The nuclear family, consisting of parents

and their children, has become increasingly common in urban India. This shift is attributed to several factors, including economic mobility, changing social values, and the need for privacy and independence. Nuclear families often provide a more conducive environment for personal and professional growth, as individuals have more autonomy and fewer familial obligations compared to joint families.

However, the rise of nuclear families also presents challenges. The support system traditionally provided by the extended family is diminished, leading to increased stress and pressure on individual family members. Childcare, elder care, and household responsibilities become the sole responsibility of the nuclear family, often resulting in a greater burden on women. Despite these challenges, nuclear families are seen as more adaptable to the demands of modern urban life, offering flexibility and mobility that are essential in a rapidly changing society.

Changing Gender Roles: The transformation of family structures in urban India has had a profound impact on gender roles. Traditionally, Indian society has been patriarchal, with clearly defined roles for men and women. Men were primarily responsible for providing for the family, while women were expected to manage the household and care for children and the elderly. However, with increased access to education and employment opportunities, women in urban areas are challenging these traditional roles.

Women's participation in the workforce has grown significantly, contributing to the household income and altering the dynamics within the family. This shift has led to more egalitarian relationships, where both partners share economic and domestic responsibilities. However, balancing professional and household duties remains a challenge for many women, leading to discussions about work-life balance and the need for supportive policies, such as parental leave and affordable childcare.

Men's roles are also evolving, with many taking on more active roles in parenting and household tasks. This change is slowly eroding the rigid gender norms, fostering a more inclusive and supportive family environment. Nonetheless, these changes are not uniform across all urban areas, and traditional gender roles continue to persist in many households, indicating a complex and ongoing process of social transformation.

Intergenerational Relationships: Intergenerational relationships are a crucial aspect of family dynamics that have been significantly affected by changing family structures. In joint families, strong intergenerational bonds were maintained through daily interactions and shared responsibilities. With the rise of nuclear families, these bonds are being redefined. While nuclear families offer greater independence and privacy, they also face the challenge of maintaining close relationships with extended family members.

Technology plays a vital role in bridging the gap, with digital communication tools enabling regular contact with distant relatives. However, physical distance can lead to a weakening of emotional bonds and a sense of isolation among older family members. Elderly parents, who traditionally relied on the joint family system for support and companionship, may experience loneliness and a lack of care in nuclear family setups.

Despite these challenges, many urban families are finding ways to maintain intergenerational connections through frequent visits, shared family events, and cultural practices. The concept of assisted living and old age homes is also gaining acceptance, providing alternative solutions for elder care in urban settings. These changes highlight the need for policies and practices that support intergenerational relationships while accommodating the realities of modern urban life.

Social Implications and Future Trends: The changing family structures in urban India have far-reaching social implications. The shift towards nuclear families reflects broader societal changes, including increased individualism, changing gender norms, and evolving economic conditions. These transformations present both opportunities and challenges for Indian society.

On the positive side, nuclear families can foster greater personal freedom, economic mobility, and gender equality. They offer a conducive environment for personal and professional growth, allowing individuals to pursue their aspirations without the constraints of traditional family expectations. However, the decline of the joint family system also poses challenges, such as reduced social support, increased stress, and a potential erosion of cultural values and traditions.

Looking ahead, it is likely that family structures in urban India will continue to evolve in response to ongoing social, economic, and technological changes. The increasing prevalence of dual-income households, the growing acceptance of diverse family forms, and the rise of digital communication are likely to shape the future of family dynamics. Policymakers and social institutions must address the emerging needs of urban families, ensuring support systems are in place to manage the challenges and harness the opportunities presented by these changes.

Impact of Economic Changes on Family Structures: Economic transformations in urban India have profoundly impacted family structures and dynamics. The liberalization of the Indian economy in the 1990s, which marked a shift from a predominantly agrarian and mixed economy to a market-driven economy, catalyzed urbanization and the growth of the middle class. These economic changes have had several implications for family structures.

Firstly, the rise in dual-income households has become more common. Both partners working has increased family income, enabling higher standards of living, better education for children, and access to modern amenities. However, it has also led to challenges in managing work-life balance.

The demand for flexible work arrangements, parental leave, and child care services has increased. Consequently, the role of domestic help has become significant in urban households, impacting traditional family dynamics.

Secondly, economic migration has played a crucial role in reshaping family structures. Many individuals migrate to urban centers in search of better job opportunities, leading to the establishment of nuclear families. While this migration facilitates economic mobility and career advancement, it also results in geographical separation from extended family members. This separation can lead to a weakening of traditional support systems and emotional bonds, particularly affecting the elderly who rely on familial care.

Influence of Education and Media on Family Dynamics: Education and media play pivotal roles in shaping family dynamics in urban India. As access to education has expanded, particularly for women, and media consumption has increased, these factors have significantly influenced family structures, roles, and relationships.

Education has been a key driver of social change in urban India. Higher educational attainment among women has led to increased participation in the workforce, contributing to the economic independence and empowerment of women. This shift challenges traditional gender roles within the family, promoting more egalitarian relationships. Educated women are more likely to advocate for shared domestic responsibilities and make joint decisions with their partners, fostering a balance of power in family dynamics. Additionally, education influences parenting styles, with educated parents placing greater emphasis on the holistic development and education of their children.

Furthermore, education facilitates greater awareness and acceptance of diverse family forms. As individuals gain exposure to different cultures and ideas through education, they become more open to non-traditional family structures, such as single-parent families, live-in relationships, and same-sex partnerships. This acceptance reflects a broader cultural shift towards individualism and personal freedom, challenging conventional norms and practices.

Conclusion: The transformation of family structures in urban India reflects broader societal shifts driven by urbanization, modernization, and globalization. The transition from joint to nuclear families has significant implications for family dynamics, gender roles, and intergenerational relationships. While nuclear families offer greater independence and flexibility, they also pose challenges related to social support and caregiving responsibilities. As urban families navigate these changes, it is essential to develop policies and practices that support diverse family forms, promote gender equality, and maintain intergenerational bonds. Understanding and addressing the evolving needs of urban families will be crucial for fostering a cohesive and resilient society. Education and media are influential forces in shaping the evolving family dynamics in urban India. They offer opportunities for greater equality, personal freedom, and cultural acceptance, while also presenting new challenges that urban families must navigate. Understanding and leveraging the positive aspects of education and media can help support the development of resilient and harmonious family structures in urban India.

References:-

1. Bhattacharya, S. (2013). “Changing Family Structure in India.” Journal of Comparative Family Studies, 44(3), 383-403.
2. Desai, S., & Banerji, M. (2008). “Negotiated Identities: Male Migration and Left-Behind Wives in India.” Journal of Population Research, 25(3), 245-261.
3. Uberoi, P. (2006). Freedom and Destiny: Gender, Family, and Popular Culture in India. Oxford University Press.
4. Patel, T. (2005). The Family in India: Structure and Practice. Sage Publications.
5. Singhal, A. (2011). “Changing Patterns of Family and Kinship in Urban India.” Sociological Bulletin, 60(1), 37-61.
6. Verma, R. K., & Collumbien, M. (2003). “Wives’ sexual autonomy and risk of HIV in India.” AIDS Care, 15(6), 807-820.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XL

जलवायु परिवर्तन और इसका भारत पर प्रभाव

डॉ. दिनेश कुमार कठुतिया*

* शासकीय जाज्वल्यदेव नवीन कन्या महाविद्यालय, जांजगीर चांपा (छ.ग.) भारत

शोध सारांश – जलवायु परिवर्तन आज की दुनिया की प्रमुख पर्यावरणीय चुनौतियों में से एक है। भारत कई समस्याओं का सामना कर रहा है। जलवायु परिवर्तन कृषि, जल संसाधनों, वन और जैव विविधता, स्वास्थ्य, तटीय प्रबंधन और तापमान में वृद्धि पर विभिन्न प्रतिकूल प्रभावों से जुड़ा हुआ है। भारत पर जलवायु परिवर्तन का मुख्य प्रभाव कृषि उत्पादकता में कमी है। जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा सीधे या परोक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। जलवायु परिवर्तन पारिस्थितिकीय और सामाजिक–आर्थिक प्रणालियों पर अतिरिक्त दबाव डालता है, जो पहले से ही तीव्र औद्योगिकीकरण, शहरीकरण और आर्थिक विकास के कारण भारी दबाव का सामना कर रही हैं। यह कागज भारतीय संदर्भ में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और इसके विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण करता है।

शब्द कुंजी – जलवायु परिवर्तन, ग्रीनहाउस गैस, क्योटो प्रोटोकॉल, वन।

प्रस्तावना – वायुमंडल में ट्रेस गैसों जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड (CO2) और मीथेन (CH4) का संचय, मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधनों के जलने के कारण, पृथ्वी के जलवायु तंत्र को बदलने का विश्वास है। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन पैनल (IPCC) ने अपनी चौथी मूल्यांकन रिपोर्ट में अवलोकन किया कि 'जलवायु प्रणाली का गर्म होना अब स्पष्ट है, जैसा कि वैश्विक औसत वायु और महासागर तापमान में वृद्धि, बर्फ और बर्फ का व्यापक पिघलना, और वैश्विक समुद्र स्तर की वृद्धि से स्पष्ट है' (सोलोमन एट अल., 2007)। भारत को जलवायु परिवर्तन के बारे में चिंतित रहने की आवश्यकता है, क्योंकि एक विशाल जनसंख्या अपने जीवनयापन के लिए जलवायु–संवेदनशील क्षेत्रों जैसे कि कृषि, वन और मत्स्य पालन पर निर्भर करती है। जलवायु परिवर्तन का प्रतिकूल प्रभाव, वर्षा में कमी और तापमान में वृद्धि के रूप में, देश में जीवन यापन की समस्याओं की तीव्रता को बढ़ा रहा है। जलवायु परिवर्तन पारिस्थितिकीय और सामाजिक–आर्थिक प्रणालियों पर अतिरिक्त दबाव डालता है, जो पहले से ही तीव्र औद्योगिकीकरण, शहरीकरण और आर्थिक विकास के कारण भारी दबाव का सामना कर रही हैं। जलवायु परिवर्तन मानवता के सामने सबसे महत्वपूर्ण वैश्विक पर्यावरणीय चुनौतियों में से एक है, जिसका प्रभाव खाद्य उत्पादन, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र, ताजे पानी की आपूर्ति, स्वास्थ्य आदि पर पड़ता है। नवीनतम वैज्ञानिक मूल्यांकन के अनुसार, पृथ्वी की जलवायु प्रणाली प्री–इंडस्ट्रियल युग से वैश्विक और क्षेत्रीय दोनों स्तरों पर स्पष्ट रूप से बदल चुकी है। इसके अतिरिक्त, प्रमाण दर्शाते हैं कि अधिकांश गर्मी (0.1^0C प्रति दशक), जो पिछले दशकों में देखी गई है, वैश्विक औसत तापमान में वृद्धि का परिणाम है।

जलवायु परिवर्तन पर इंटरगवर्नमेंटल पैनल परियोजना करता है कि वैश्विक औसत तापमान 2100 तक 1.4 से 5.8^0C तक बढ़ सकता है। यह अभूतपूर्व वृद्धि वैश्विक जलविज्ञान प्रणाली, पारिस्थितिक तंत्र, समुद्र स्तर, फसल उत्पादन और संबंधित प्रक्रियाओं पर गंभीर प्रभाव डालने की संभावना है। प्रभाव विशेष रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में गंभीर होगा, जो मुख्य रूप से विकासशील देशों, जिसमें भारत भी शामिल है, से भरे हुए हैं (जयंत एट अल., 2006)।

1992 में, रियो डी जनेरियो में पर्यावरण और विकास पर यूएन सम्मेलन (UNCED) ने FCCC (फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज) की शुरुआत की, जिसने वायुमंडल में ग्रीनहाउस गैसों की अंतिम स्थिरीकरण के लिए ढांचा प्रदान किया, सामान्य लेकिन भिन्न जिम्मेदारियों और संबंधित क्षमताओं और सामाजिक और आर्थिक स्थितियों को मान्यता दी। कन्वेंशन 1994 में लागू हुआ। इसके बाद, 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल, जो 2005 में लागू हुआ, ने स्थिरता के विकास के सिद्धांतों के अनुसार ग्रीनहाउस गैसों की सांद्रता को स्थिर करने के महत्व को फिर से पुष्टि किया। प्रोटोकॉल ने छह ग्रीनहाउस गैसों की उत्सर्जन में कटौती की सीमा को लेकर दिशानिर्देश और नियम निर्धारित किए, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन और पेरफ्लोरोकार्बन। भारत की शहरी जनसंख्या 2001 की जनगणना के अनुसार 286 मिलियन या कुल जनसंख्या के 27.80% पर खड़ी थी। यह जनसंख्या 2012 तक 368 मिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। शहरी जनसंख्या 5,161 शहरों और नगरों में रहती है और गंभीर जल और स्वच्छता संकट का सामना कर रही है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार, भारत की जल अर्थव्यवस्था यह बिंदु बनाती है कि भारत तेजी से पानी से बाहर हो रहा है और 2020 तक इसे गंभीर तनाव का सामना करना पड़ेगा, और भविष्यवाणी करती है कि 2050 तक मांग आपूर्ति को पार कर जाएगी। एक तेजी से बढ़ती आर्थिक परिदृश्य में, पानी की मांग बढ़ने वाली है। लाखों टन कार्बन डाइऑक्साइड का निरंतर और निर्बाध उत्सर्जन, भले ही यह मुख्य रूप से कुछ देशों या क्षेत्रों से उत्पन्न हो, वैश्विक और स्थायी जलवायु परिवर्तन को जन्म दे सकता है, जिसके परिणामस्वरूप समुद्र स्तर में वृद्धि और कई द्वीपों और तटीय क्षेत्रों की जलमग्नता और तापमान में वृद्धि हो सकती है जिससे फसल पैटर्न

और कृषि उत्पादकता पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा (द हिन्दू सर्वे ऑफ एनवायरनमेंट, 2009)। भारत एक बड़ा विकासशील देश है जिसकी लगभग 700 मिलियन ग्रामीण जनसंख्या सीधे जलवायु-संवेदनशील क्षेत्रों और प्राकृतिक संसाधनों जैसे कि जल, जैव विविधता, मैंग्रोव, तटीय क्षेत्रों और घास के मैदानों पर निर्भर है। इसके अलावा, शुष्क भूमि किसानों, वन निवासियों और खानाबदोश चरवाहों की अनुकूलन क्षमता बहुत कम है।

क्योटो प्रोटोकॉल को प्रतीकात्मक रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन अब इसे व्यापक रूप से 'विफलता' के रूप में देखा जाता है क्योंकि इसने वैश्विक स्तर पर उत्सर्जन में कमी की शुरुआत नहीं की है और न ही ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में आवश्यक और आगे की कटौती की आशा की है। वैज्ञानिकों ने लंबे समय से चेतावनी दी है कि क्योटो प्रोटोकॉल का 100% अनुपालन जलवायु परिवर्तन को सीमित करने के लिए बहुत कम करेगा, फिर भी लगभग 15 लंबे वर्षों का समय इस नीति विफलता को बनाने में बर्बाद हो गया है। क्योटो प्रोटोकॉल में अनन्य ध्यान मौजूदा देशों के हितों के खिलाफ काम करता है। अमीर औद्योगिक देशों के अस्थिर उपभोग पैटर्न जलवायु के खतरे के लिए जिम्मेदार हैं, भारत को जलवायु परिवर्तन के बारे में चिंतित होना चाहिए क्योंकि इसका देश पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। जलवायु परिवर्तन के सभी संभावित परिणाम अभी पूरी तरह से समझे नहीं गए हैं, लेकिन मुख्य 'श्रेणियां' कृषि, समुद्र स्तर में वृद्धि, तटीय क्षेत्रों की जलमग्नता और चरम घटनाओं की बढ़ती आवृत्ति हैं जो भारत के लिए गंभीर खतरे का प्रतिनिधित्व करती हैं। इस पेपर में भारत पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को विशेष रूप से कृषि, जल, स्वास्थ्य, वन, समुद्र स्तर और जोखिम घटनाओं में विस्तार से चर्चा की गई है।

भारत से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन – प्रारंभिक औद्योगिक काल से वायुमंडल में ग्रीनहाउस गैसों की सांद्रता में वृद्धि के कारण जलवायु परिवर्तन एक गंभीर वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दा बन गया है और यह मानवता को खतरे और चुनौतियों का सामना कराता है। जलवायु परिवर्तन को अब स्थायी विकास की संभावित महत्वपूर्ण कारकों में से एक के रूप में पहचाना गया है और अंतरराष्ट्रीय साहित्य में ऐसे शोध कार्यों पर ध्यान केंद्रित किया गया है जो विभिन्न नीति क्षेत्रों के बीच के अंतर संबंधों, व्यापारिक समझौतों और सहकारिता पर विचार करते हैं। भारत में मानवजनित ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का अनुमान 1991 में सीमित पैमाने पर शुरू हुआ था जिसे विस्तारित और संशोधित किया गया, और 1990 के आधार वर्ष के लिए पहला निर्णायक रिपोर्ट 1992 में प्रकाशित हुआ (मित्रा, 1992)। सभी ऊर्जा, औद्योगिक प्रक्रियाओं, कृषि गतिविधियों, भूमि उपयोग, भूमि उपयोग परिवर्तन और वानिकी, और अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं से भारतीय उत्सर्जन का एक व्यापक सूची UNFCCC (NATCOM2004) द्वारा तैयार की गई है। भारत की प्रारंभिक राष्ट्रीय संचारों के अंतर्गत रिपोर्ट की गई ग्रीनहाउस गैस इन्वेंट्री अनुमानों को संक्षेप में प्रस्तुत करती है। 1990 और 2000 के बीच भारत से CO2 समकक्ष उत्सर्जन की संयोजित वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) कुल मिलाकर 4.2% प्रति वर्ष दिखाती है । क्षेत्रीय आधार पर, उत्सर्जन में अधिकतम वृद्धि औद्योगिक प्रक्रिया क्षेत्र से (21.3% प्रति वर्ष) है, इसके बाद अपशिष्ट क्षेत्र से उत्सर्जन (7.3% प्रति वर्ष)। ऊर्जा क्षेत्र के उत्सर्जन ने केवल 4.4% प्रति वर्ष की वृद्धि दर्ज की है जबकि कृषि क्षेत्र से उत्सर्जन में लगभग कोई वृद्धि नहीं देखी गई है। औद्योगिक प्रक्रिया क्षेत्र से उत्सर्जन में महत्वपूर्ण वृद्धि को भारत में सीमेंट और स्टील उत्पादन में वृद्धि के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। इसी तरह, अपशिष्ट क्षेत्र से उत्सर्जन में वृद्धि को गांवों से शहरों में जनसंख्या के बड़े Influx के कारण उत्पन्न अपशिष्ट की मात्रा में वृद्धि के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है (गायकवाड़ एट अल., 2004) 2000 में।

कृषि और खाद्य सुरक्षा – जलवायु-संवेदनशील भारतीय कृषि, जिसमें 65% वर्षा पर निर्भर क्षेत्र है, GDP का लगभग 25% योगदान करता है, कुल कार्यबल का 65% रोजगार प्रदान करता है और कुल निर्यात के 13.3% को कृषि और संबंधित गतिविधियों के साथ योगदान करता है (GOI, 2002)। कई अध्ययन भविष्यवाणी करते हैं कि राष्ट्रीय खाद्य उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि के बावजूद, कुछ महत्वपूर्ण फसलों जैसे कि चावल और गेहूं की उत्पादकता जलवायु परिवर्तन के साथ काफी कम हो सकती है (अचांता, 1993)। पिघलती ग्लेशियरों के साथ, बाढ़ के जोखिम निकट भविष्य में बढ़ जाएंगे। दीर्घकालिक रूप में, ग्लेशियरों द्वारा प्रदान किए गए पानी के लिए कोई प्रतिस्थापन नहीं हो सकता है जिससे पानी की कमी एक अभूतपूर्व पैमाने पर हो सकती है। जलवायु परिवर्तन के परिणामस्वरूप बाढ़ और सूखा भी बढ़ने की संभावना है। इससे फसल का विशाल नुकसान होगा और बड़ी मात्रा में कृषि योग्य भूमि खेती के लिए अनुपयुक्त हो जाएगी। संक्षेप में, यह खाद्य सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है। तापमान में 2 से 3.5^{0}C की वृद्धि और वर्षा में 7% से 25% की परिवर्तन के साथ, किसान एक कुल राजस्व में 9% से 25% तक की कमी का सामना कर सकते हैं जो GDP पर 1.8% से 3.4% तक का प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है (कवी कुमार और पारिख, 1998)। दक्षिण में खाद्य सुरक्षा के लिए गंभीर परिणाम होंगे और भारत अपने वर्षा पर निर्भर अनाज उत्पादन का 125 मिलियन टन खो सकता है (फिशर एट अल., 2001)। भारत में, खाद्यान्न की कुल आवश्यकता 2010 तक 250 मिलियन टन से अधिक होने का अनुमान है। कुल कृषि योग्य क्षेत्र 191 से बढ़कर 215 उींतक पहुंचने की उम्मीद है, जिससे लगभग 150% की फसल की तीव्रता की आवश्यकता होगी (सिन्हा एट अल., 1998)। चूंकि भूमि कृषि के लिए एक निश्चित संसाधन है, भारत में अधिक खाद्य की आवश्यकता केवल भूमि, जल, ऊर्जा और समय के प्रति यूनिट की उच्च उपज के माध्यम से पूरी की जा सकती है, जैसे कि सटीक कृषि के माध्यम से। कवी कुमार और पारिख (2001) ने दिखाया कि यहां तक कि खेत-स्तरीय अनुकूलन के साथ भी, भारतीय कृषि पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव महत्वपूर्ण रहेंगे। उन्होंने अनुमान लगाया कि +2^{0}C के तापमान परिवर्तन और +7% की वर्षा परिवर्तन के साथ, खेत-स्तरीय कुल नेट-राजस्व 9% तक गिर जाएगा, जबकि +3.5^{0}C के तापमान वृद्धि और +15% की वर्षा परिवर्तन के साथ, खेत-स्तरीय कुल नेट-राजस्व में लगभग 25% की कमी होगी। माल एट अल. (2006) भारतीय कृषि पर जलवायु परिवर्तन प्रभाव अध्ययन की एक उत्कृष्ट समीक्षा प्रदान करते हैं, मुख्यत: भौतिक प्रभाव के दृष्टिकोण से। उपलब्ध प्रमाण महत्वपूर्ण अनाज फसलों जैसे चावल और गेहूं की उपज में महत्वपूर्ण गिरावट दिखाते हैं। हालांकि, कुछ महत्वपूर्ण फसलों जैसे कि गन्ना, कपास और सूरजमुखी पर जैव-भौतिक प्रभावों का उचित अध्ययन नहीं किया गया है। कवी कुमार (2009) ने भारतीय कृषि की जलवायु संवेदनशीलता में एक क्रॉस-सेक्शनल डेटा का विश्लेषण किया है। फील्ड स्तर विश्लेषण ने दिखाया कि जबकि अधिकांश किसान जलवायु परिवर्तन की शर्त से परिचित हैं, उनकी समझ अक्सर अन्य घटनाओं के साथ ओवरलैपिंग होती है। उल्लेखनीय रूप से उच्च प्रभावों की रिपोर्ट मध्य-

1980े से लेकर देर-1990 तक की गई थी। अध्ययन के निष्कर्ष भारत में इसी अवधि के दौरान कृषि उत्पादकता की गिरावट के बढ़ते प्रमाणों की पुष्टि करते हैं। भारत-विशिष्ट जलवायु पूर्वानुमान का उपयोग करते हुए अनुमानित प्रभाव दिखाते हैं कि 1971-1985 की अवधि के दौरान प्रभाव कम हुए और फिर संभवत: भारत की कृषि के बेहतर लचीलेपन और जलवायु पूर्वानुमान में क्षेत्रीय भिन्नताओं के कारण फिर से बढ़ गए। तालिका 3 प्रत्येक समय अवधि के दौरान अनुमानित सभी-भारत स्तर के प्रभावों की रिपोर्ट करती है।

जल संसाधन - भारत के समृद्ध जल संसाधन असमान रूप से वितरित हैं और स्थानिक और कालिक विषमताओं का परिणाम हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. आचार्य ए एन (1993), 'भारत की चावल उत्पादन पर वैश्विक तापन के संभावित प्रभाव का मूल्यांकन', जलवायु परिवर्तन एजेंडारू एक भारतीय परिप्रेक्ष्य, टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली।
2. एशिया कम-लागत ग्रीनहाउस गैस निवारण रणनीति (AIGAS) (1998),'भारत देश रिपोर्ट', एशियाई विकास बैंक, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, मनीला, फिलीपींस।
3. एशियाई विकास बैंक (1995),'एशिया में जलवायु परिवर्तन', वी आस्थाना द्वारा लेख।
4. भास्कर राव डी वी, नायडू सी वी और श्रीनिवास राव बी आर (2001), 'उत्तर भारतीय महासागर पर चक्रवाती प्रणाली के प्रवृत्तियाँ और उतार-चढ़ाव', मौसमी, नं. 52, पृष्ठ 37-46।
5. भट्टाचार्य सुमना, शर्मा सी, धिमान आर सी और मित्रा ए पी (2006), 'भारत में जलवायु परिवर्तन और मलेरिया', करंट साइंस, खंड 90, नं. 3, पृष्ठ 369-375।
6. बौमा एम जे और वान डेर काई एच (1996),'एल नीनो साउथर्न ऑसिलेशन और भारतीय उपमहाद्वीप और श्रीलंका पर ऐतिहासिक मलेरिया महामारी: भविष्य की महामारी के लिए एक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली?;, ट्रॉपिकल मेडिसिन एंड इंटरनेशनल हेल्थ, खंड 1, नं. 1, पृष्ठ 86-96।
7. चर्च जे ए, ग्रेगोरी जे एम, ह्यूब्रेक्ट्स कुहन एम एट अल. (2001), द साइंटिस्ट बेसिस, कार्यकारी समूह I का तीसरे आकलन रिपोर्ट के लिए योगदान, पृष्ठ 639-693, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, कैम्ब्रिज।
8. सायरानोस्की डी (2005),'जलवायु परिवर्तन: दीर्घकालिक पूर्वानुमान', नेचर, 438, पृष्ठ 275-276।
9. डैश एस के और हंट जे सी आर (2007),'भारत में जलवायु परिवर्तन की विविधता', करंट साइंस, खंड 93, नं. 6, पृष्ठ 782-788।
10. फिशर गुंथर, महेन्द्र शाह, हैरिज वान वेल्थुसेन और फ्रेडी नेचरगेल ओ (2001),'21वीं सदी में कृषि के लिए वैश्विक एग्री-इकोलॉजिकल आकलन', इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एप्लाइड सिस्टम्स एनालिसिस, पृष्ठ 27-31, ऑस्ट्रिया।
11. गायकवाड़ एस ए, कुमार एस, देवत्ता एस और सिंह आर एन (2004), 'भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से मीथेन उत्सर्जन और इसका अनिश्चितता विश्लेषण', ए पी मित्रा, एस शर्मा, एस भट्टाचार्य, ए गर्ग, एस देवत्ता और के सेन (संपादक) द्वारा, जलवायु परिवर्तन और भारत: ग्रीनहाउस गैस इन्वेंट्री अनुमानों में अनिश्चितता कमी, यूनिवर्सिटीज प्रेस, पृष्ठ 27-31।

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XL

हिन्दी साहित्य में दलित विमर्श

डॉ. डी.पी. चंद्रवंशी*

* सहा. प्राध्यापक (हिन्दी) शा.जे.एम.पी. महाविद्यालय, तखतपुर, जिला -बिलासपुर (छ.ग.) भारत

शोध सारांश – दलित साहित्य में तात्पर्य दलित जीवन और समस्याओं पर लेखन को केन्द्रित कर समाज में सम्मुख प्रस्तुत करना है एवं दलित आंदोलन का सूत्रपात करना है। न्याय, शिक्षा, समानता, स्वतंत्रता के निम्न स्तर को प्राप्त करने वाला समाज दलित समाज कहलाता है। दलित अपने ही लोगों के बीच, अपने ही धर्म के बीच अछूत या अस्पृश्यता का दंश झेलता है। मराठी साहित्य से दलित विमर्श की शुरूआत मानी जाती है। दलित पैंथर आंदोलन के दौरान बहु संख्यक दलित रचनाकारों ने आम जन पाठकों के मध्य अपनी पीड़ा, दर्द, कुण्ठा को अपनी आत्मकथा, जीवनी, उपन्यास, निबंध, काव्य के माध्यम से व्यक्त किया।

सहित्य में दलित चेतना :

बौद्ध साहित्य है :

1. आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने हिन्दी साहित्य का इतिहास में वर्णित किया हैं– 'चौरासी सिद्धों में बहुत से मछुए, चमार, धोबी, डोम, कहार, लकड़हारे, दर्जी तथा बहुत से शूद्र कहे जाने वाले लोग थे। अत: जाति-पाति के खंडन तो वे आप ही थे।'[1]
2. राहुल सांकृत्यायन ने 'हिन्दी काव्यधारा' में जिन चौरासी सिद्धों का जीवन काल का उल्लेख हैं, 'उसमें उनकी जातियों और पेशों पता चलता है। उनमें इठारह शूद्र, एक मछुआरा, दो तँतवा, एक धोबी, एक लकड़हारा, एक डोम, एक लोहार, एक चिड़िमार, एक चमार, एक कहार, एक दर्जी और चार स्त्रियाँ हैं।'[2]
3. संत रामानंद भक्ति में जाति पांति नहीं मानते थे किन्तु वर्णाश्रम में इसे मानते थे। आचार्य शुक्ल ने लिखा हैं– 'समाज के लिए वर्ण और आश्रम के व्यवस्था मानते हुए वे भिन्न-भिन्न कर्तव्यों की योजना स्वीकार करते थे। केवल उपासन के क्षेत्र में उन्होंने सबका समान अधिकार स्वीकार किया।'[3]
4. भक्ति काल का संत काव्य परम्परा के सूत्रधार कबीर स्वयं ही दलित थे। मीराबाई के गुरू रैदास भी इसी वर्ग के व्यक्त कवि हैं। जो दलित होते हुए समाज के नव मार्ग प्रदान किये। यद्यपि रीतिकाल और भारतेन्दु। युग दलित विमर्श से यदा-कदा दूर ही रहा।
5. द्विवेदी युग में सन् 1914 में सरस्वती पात्रिका में हीराडोम की 'अछूत की शिकायत' कविता छपी। निराला जी की रचना- चतुरी चमर, कुल्लीभाट दलित साहित्य तो हैं किन्तु दलित साहित्यकार निराला को दलित साहित्यकार मानते से इंकार करते हैं।
6. प्रेमचंद की कहानियां ठाकुर का कुआँ, सद्गति, कफन, उपन्यास, रंगभूमि दलित मथा की रचनाएं है।

हिन्दी साहित्य में सिद्धों के बाद कबीर, रैदास, निराल और प्रेमचंद के साहित्य में ही दलित चेतना दिखाई देती हैं। वस्तुत:, दलित साहित्य का सर्वविदित काल यदि कहा जाए तो बीसवीं सदी ही इस साहित्य के विमर्श के लिए उपयुक्त एवं समेकित प्रयास है। डॉ. एन. सिंह ने 'दलित साहित्य के प्रतिमान' में दलित साहित्य के इतिहास को विस्तारित करने का उत्कृष्ट प्रयास किया है। हिन्दी में दलित साहित्य को मार्ग प्रशस्त करने वाले साहित्यकार हैं –

1. ओम प्रकाश वाल्मीकि
2. मोहनदास नैनिशराय
3. जय प्रकाश कर्दम
4. तुलसीराम
5. सूरजपाल चौहान
6. असंग घोस
7. सुशीला टांकभौरे
8. रजनी तिलक
9. अनीता भारती
10. कौशल्या बैसैंत्री
11. शांता बाई कांबले

हिन्दी पट्टी के दलित कवि, कहानीकार जो कविता और कहानियों के माध्यम से तो अपनी और दलित समुदाय की दुर्दशा को व्यक्त कर रहे थे। आत्मकथा के माध्यम से दलित विमर्श अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। दलित साहित्यकारों ने अपनी आत्मकथा के माध्यम से अपनी तकलीफों का दर्द बयां कर अमानवीय जाति व्यवस्था के कुप्रथा को समाज के आम जनों के समक्ष प्रस्तुत किया गया। हिन्दी के बीसवीं सदी के अंतिम क्षणों में हिन्दी दलित साहित्य के साथ चिंतन भी शुरू हुई। ओम प्रकाश वाल्मिीकि कहते हैं – 'कोई दलित होकर ब्राम्हणवाद की बात करता है तो वह दलित साहित्य का रचयिता कैसे हो सकता हैं?'[4]

दलित साहित्यकार दलित स्वानुभूति पर आधारित साहित्य की ही दलित साहित्य मानते हैं।

दलित साहित्यिक कृतियाँ – वैचारिक पुस्तकों में दलित साहित्य का सौंदर्यशास्त्र (ओम प्रकाश वाल्मीकि), दलित्त साहित्य का सौंदर्य शास्त्र (शरण कुमार लिम्बाले), प्रेमचंद की नीली आंखे, खसम खुशी क्यों होय

(डॉ. धर्मवीर), संत रैदास एक विश्लेषण (कंवल भारती), लोकतंत्र में भागीदारी का सवाल, दलित विमर्श की भूमिका (जय प्रकाश कर्दम)।

इक्कीसवीं सदी में अंबेडकर (डॉ. रघुवीर सिंह), दलित कहां जायें (जियालाल आर्य), अंबेडकर विरोधियों के चक्रव्यूह में (मोहनदास नैमिषराय)

दलित साहित्य सृजन के संदर्भ में – दलित साहित्य रचना और विचार (पुरूषोत्तम सत्यप्रेमी), आज का दलित साहित्य (डॉ. तेज सिंह) चिंतन की परम्परा और दलित साहित्य (डॉ. श्योराज सिंह बेचैन एवं देवेन्द्र चौबे), दलित दखल (सं. डॉ. श्योराज सिंह एवं डॉ. रजतरानी 'मीनू') धर्मातरण और दलित (सं. जय प्रकाश कर्दम), दलित विमर्श: संदर्भ गांधी (गिरीराज किशोर)

दलित वर्ग कहानी संग्रहों में – पुनर्वास (विपिन बिहारी), समकालीन दलित कहानियाँ (सं. कुसुम वियोगी), चर्चित दलित कहानियाँ (सं. कुसुम वियोगी), आवाजें। (मोहन दास नैमिशराय), देवता आदमी (शरण, कुमार लिंबाले), हिस्से की रोटी (शत्रुहन कुमार), सलाम एवं घुसपैठिए (ओम प्रकाश वाल्मीकि), सुरंग (दयाराम बटरोही), चार इंच की कलम (कुसुम नियोगी), तीन महाप्राणी (बुद्ध शरण हंस), अनुभूति के घेरे (सुशीला टांकभौरे), दूसरी दुनिया का यथार्थ (सं. रमणिका गुप्ता) यातना की परछाइयाँ (सं. डॉ. एन. सिंह)

उपन्यासों में दलित विमर्श – छप्पर (जय प्रकाश कर्दम), पहला खत (डॉ. धर्मवीर), अमर ज्योति (डी.पी. वरूण), बंधन मुक्त (रामजी लाल सहायक), जस तस भई सबेर (सत्य प्रकाश), मुक्ति वर्ग (मोहन दास नैमिशराय), मिट्टी की सौगंध (प्रेम कपाड़िया), प्रस्थान (परदेशी राम वर्मा), डूब जाती है नदी (गुरू चरण सिंह), भूमिपुत्र (राणा प्रताप)

दलित आत्मकथाएँ – अपने-अपने पिंजरे (दो भाग) मोहनदास नैमिशराय, जूठन (ओम प्रकाश वाल्मीकि), तिरस्कृत (सूरजपाल चौहान), तिरस्कार (के.नाथ), दोहरा अभिशाप (कौसल्या बैंसंत्री), मेरा सफर मेरी मंजिल (डी.आर. जाटव), झोपड़ी से राजभवन (माता प्रसाद), पगडंडियाँ (बंचित कौर)।

कविता में दलित साहित्य विमर्श – तब तुम्हारी निष्ठा क्या होती (कंवल भारती), गूंगा नहीं था मैं, तिनका-तिनका आग (जय प्रकाश कर्दम), सदियों का संताप, बस्स! बहुत हो चुका (ओम प्रकाश बाल्मीकि), एकलव्य (माता प्रसाद), आग और आंदोलन (मोहनदास नैमिशराय), सुनो ब्राम्हण (मलखान सिंह), हार नहीं मानूंगा (ईश कुमार) पुश्तैनी पीड़ा (तेजपाल सिंह)

पत्रिकाएँ और दलित साहित्य – युद्धरत आम आदमी (रमणिका गुप्ता), दलित साहित्य (जय प्रकाश कर्दम) अपेक्षा (तेज सिंह) अंबेडकर इन इंडिया (दयानाथ निगम), सामाजिक न्याया संदेश (मोहन दास नैमिशराय)

निष्कर्ष – निष्कर्ष यह है कि हिन्दी साहित्य में दलित विमर्श का सूत्रपात बौद्ध काल से हुआ। जो भक्तिकाल के मार्ग से चलते हुए द्विवेदी युग और निराला, प्रेमचंद के साहित्य में स्थान पाकर बीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध में पूर्णत: फलीभूत हुआ। वर्तमान समय में दलित विमर्श अपने पहचान का मोहताज नहीं अपितु यह जन-जन तक अपनी पहचान बनाने में समर्थ हुआ है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. शुक्ल आचार्य रामचंद्र 'हिन्दी साहित्य का इतिहास' 1929 प्रकाश नागरी प्रचारिणी सभा।
2. सांकृत्यायन राहुल हिन्दी काव्यधारा 1945 प्रकाशन : हिन्दी बुक्स लाइब्रेरी।
3. शुक्ल आचार्य रामचंद्र 'हिन्दी साहित्य का इतिहास' 1929 नागरी प्रचारिणी सभा।
4. वाल्मीकि ओम प्रकाश 'दलित साहित्य' का सौंदर्य शास्त्र पृ. क्र. 142
5. डॉ. पूरणमल 'दलित संघर्ष और सामाजिक न्याय।
6. सेहन लाल सुमनाक्षर 'दलित साहित्य'।
7. हिन्दी दलित साहित्य संपादक – यज्ञ प्रसाद तिवारी।
8. हिन्दी समकालीन साहित्य में दलित चेतना निबंध, डॉ. उमाशंकर तिवारी।

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XL

Rural Women Entrepreneurship in Chhattisgarh: Challenges and Strategies

Dr. (Smt.) Shobha Agrawal*

***Assistant Professor (Commerce) Agrasen Mahavidyalaya, Raipur (C.G.) INDIA**

Abstract - A vibrant and strong tech ecosystem is essential for the socio- economic development of any region, and rural areas should not be left behind in this digital age. Chhattisgarh, a predominantly rural state with relatively newer industrialization drive, has immense potential for building a robust tech ecosystem.Women entrepreneurship plays a crucial role in driving economic growth, promoting gender equality, and fostering social development.Women entrepreneurship in rural areas is equally important because 68.8% of India's population lives in rural areas. In order to ensure women's engagement in all facets of society, the Chhattisgarh Government is assisting them through new programmes.Although the scenario has changed in last decades but still there are some factors like work and life unbalance, family, business, gender biases, technology etc. lagging women entrepreneur in economic development this paper highlights the challenges and strategies of rural women entrepreneur in Chhattisgarh.
Keywords: Rural, Women entrepreneur, Self-employment, Empowerment.

Introduction - A strong technological ecosystem is essential for the entrepreneurship development as well socio-economic progress of any region, and it is even more essential for rural areas in this digital age. Rural areas face the challenge of digital divide and basic and technological literacy, and hence perpetually lag from the mainstream development processes. In this context, overall Chhattisgarh, and in particular, its rural areas need a strong tech-ecosystem for leapfrogging to a higher development trajectory.

Women entrepreneurship in Chhattisgarh, India, has emerged as a significant area of research, shedding light on the dynamics, challenges, and opportunities faced by women entrepreneurs in the region. Several research studies have contributed to our understanding of women entrepreneurship in Chhattisgarh. The study emphasized the role of family support, education, and access to resources in shaping women's entrepreneurial aspirations.

Review of Literature

Sugaraj and Salve (2014) found that, there has been a steady rise in women participation in small businesses, thereby showing immense potential for their entrepreneurial development. Moreover, women enterprises in India have made significant contribution in employment generation, gross output, asset creation and exports.

Joshi and Karmakar (2017) investigated the role of mobile technology in promoting social entrepreneurship in Chhattisgarh, highlighting its potential as a tool for innovation and impact.

Patel and Rana (2017) explored the role of social entrepreneurship in poverty alleviation in Chhattisgarh, emphasizing the importance of community engagement, sustainable business models, and partnerships with Government and non-Governmental organizations.

Yadav and Tripathi (2018) explored the potential of social entrepreneurship in rural development in Chhattisgarh. They emphasized the need for inclusive and Participatory approaches that empower local communities and address their unique challenges.

Dhruv, and Gupta (2019) examined the impact of social entrepreneurship on women empowerment in Chhattisgarh, highlighting the role of women-led social enterprises in promoting gender equality and economic independence.

Dubey and Sinha (2021) focused on the role of technological innovation in rural entrepreneurship for sustainable development in India. They emphasized the need for technological advancements and innovative solutions to address rural development challenges.

Objective of the Study:

1. To know the position of rural women entrepreneurship in Chhattisgarh.
2. To study the various Government schemes for women entrepreneurship.
3. To find out the Challenges and strategies of women entrepreneurship.

Research Methodology: The present research work is based on descriptive analysis and secondary data is

collected form books, magazine, research journal, and internet.

(**Source:** *https://www.titech.ac.jp/english/public- relations/education/stories/entrepreneurship)*

Rural Entrepreneurship Development Ecosystem in Chhattisgarh: Some illustrious efforts have been put into rural entrepreneurship development in Chhattisgarh, which lay the foundation of rural innovation ecosystem in the state. Those are:

1. TenduLeaf collection & processing.
2. Van DhanYojna&VikasKendras.
3. Dairy farming and Milk Co-operatives.
4. Formation of Self-help group and Micro-enterprises.
5. Baster Iron Craft.
6. KondagaoDhokra Craft.
7. Farmer producer organization.
8. ChhattigarhHaat Bazar.
9. Bamboo craft Enterprises.
10. MukhaymantriMahilaUdyamiYojana.

Prime Minister's Employment GenerationProgramme (PMEGP): Table indicates that the year - wise women entrepreneurs in India under Prime Minister Employment Generation program in 2010-2011 there are 14685 women entrepreneurs, it is increased to 19104 women entrepreneurs in 2019-20.

Table: Year-wise Women Entrepreneurs in India under PMEGP

2010-11	14658
2011-12	14299
2012-13	13612
2013-14	13448
2014-15	13394
2015-16	17508
2016-17	18780
2017-18	18821
2018-19	18924
2019-20	19104

(***Source:*** *Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises 2020)*

Problems Faced by Women Entrepreneur in Chhattisgarh: While Chhattisgarh presents numerous opportunities for rural entrepreneurship development, there are also some potential threats, which the Government should address:

1. **Infrastructural Bottlenecks:** While basic infrastructure is improving in Chhattisgarh, several rural areas still face infrastructural problems in reliable power supply, transportation networks, and internet connectivity, which can impede development of rural businesses. Insufficient infrastructure can hamper business operations and obstruct connectivity with markets.
2. **Lack of Entrepreneurial Awareness & Support:** While Chhattisgarh has taken initiatives to support rural women entrepreneurship, the availability of startup support networks, mentorship, and business development services may be limited in some rural areas. Lack of awareness about market information, business opportunities, startup development guidance, and Government schemes on rural ecosystem can hinder growth and success of rural ventures.
3. **Limited Access to Finance:** Women entrepreneurs in Chhattisgarh encounter difficulties in accessing financial resources for their businesses. Gender bias, lack of collateral, and limited awareness about financial schemes and support programs poses significant barriers.
4. **Limited Market Linkages:** Women entrepreneurs face difficulties in establishing and expanding market linkages for their products or services. Inadequate access to markets, lack of marketing skills, and limited visibility and networking opportunities hamper their ability to reach customers and scale up their businesses.
5. **Skill Gaps & Lack of Quality Education:** Rural areas of Chhattisgarh often face skill-gaps and lack of quality education. Inadequate vocational training and skill development initiatives can limit the capabilities of rural entrepreneurs. Moreover, comparatively low literacy rate and shortage of appropriate technical education may hinder rural women entrepreneurship and innovation.
6. **Socio-cultural Constraints:** Deep-rooted societal norms, gender stereotypes, and cultural expectations often restrict women's mobility, decision-making power, and access to networks and markets. These constraints limit opportunities for women entrepreneurs to expand their businesses.

Suggestions for Developing Rural Innovation & Women Entrepreneurship in Chhattisgarh: Considering the imminent challenges and to support the spirit of rural innovation and women entrepreneurship development in Chhattisgarh, the State Government should implement some crucial measures, which can go a long way in creating a vibrant ecosystem that fosters rural innovation and entrepreneurship. Following suggestions are to be kept in mind while designing any women entrepreneurship and innovation development program in Chhattisgarh by the policy makers and Government:

1. Attract national and international investors and encourage them to invest in women-led ventures.
2. **Create Entrepreneurial Culture:** The Government

should focus in creating entrepreneurial culture in rural areas by awareness campaigns, workshops, and training programs to inspire rural individuals to explore entrepreneurial opportunities. *NITI Aayog* and *UNDP* have joined hands to expedite youth-led social entrepreneurship in India (UNDP, 2019 Mar.14). Chhattisgarh Government should make efforts to extend this facility for its rural youth.

3. **Develop Collaboration and Networking**: Developing collaboration and networking among rural women entrepreneurs, startup clusters, Government agencies, research entities, and industry bodies will lead to a successful startup ecosystem via knowledge-sharing, resource pooling, and mentoring.

4. **Enabling Policy and Regulatory Support**: The Government should create an enabling policy environment that specifically address the needs and challenges of rural entrepreneurship, especially through supportive incentives, subsidies, and tax benefits for rural startups.

5. Encourage youth in Chhattisgarh's schools, colleges, universities, and technical institutions to come up with women-centric business and social projects.

6. **Facilitate Market Linkages**: Government should connect rural entrepreneurs to markets for the success of their ventures, by organizing rural trade-fairs, exhibitions, and buyer-seller expos. Linking local value chains and markets can be realized through 'farmer producer organizations' (FPOs) and cooperative entities for collective marketing and better bargaining on their prices.

7. Hold dedicated seminars, conferences, awareness campaigns for removing gender stereotypes and traditional roles of women in socio-economic activities.

8. Implement targeted programs for improving financial literacy of girls & women, and improve access to finances for women entrepreneurs with effective implementation of existing schemes.

9. Improve access to digital tools and platforms for women with user-friendly interface and local content and language related to Chhattisgarh's business ecosystem.

10. Improve entrepreneurial abilities by integrating SHG activities with entrepreneurship development ventures.

11. **Improve Financial Accessibility:** The state Government should provide easy finance schemes, dedicated funds and venture-capital support for rural women entrepreneurs, and extend financing support from schemes from Indian Government and banks that provide microfinance, collateral-free loans, and easy credit facility.

12. **Promote Technology Adaptability & Digital Literacy**: The Government should promote technology adaptation and digital literacy via training programs on digital tools, e-commerce platforms, and mobile applications for agriculture and rural services etc. exclusively for women entrepreneurs.

13. Promote women-led research projects, innovative initiatives, R&D hubs in Chhattisgarh

14. Reactivate traditional handicrafts, Agri-based ventures, organic production, and other value-added activities and convert them into profitable women-led ventures.

15. **Rural Skill Development & Training**: The Government should focus on providing skill development and training programs tailored to the requirements of rural women entrepreneurs, such as business management, financial literacy, marketing, technological and vocational training.

16. **Strengthen Rural Infrastructure**: The Government should improve rural infrastructure such as electricity, roads, internet connectivity, and irrigation facilities. Moreover, startup infrastructure like incubation centers, R&D hubs and innovation labs should be extended to rural areas for creating a conducive environment for rural startups.

Conclusion: The adoption of rural technology and the promotion of entrepreneurship in Chhattisgarh have demonstrated immense potential in driving sustainable development in the state. National and international reports provide valuable insights into the transformative impact of these factors on various dimensions of development. Women's entrepreneurial endeavors contribute to economic growth and the alleviation of rural poverty. Women must be given the business mindset they need by developing their knowledge and abilities, which will also help society as a whole. Chhattisgarh Government should formulate comprehensive strategies to address the challenges, particularly, it must include aspiring youth and women entrepreneurs from rural areas, and take support from national startup and entrepreneurship development programs. Last but not the least, it should collaborate with national tech enterprises and firms, international development agencies and global tech companies to attract investments in rural technological ventures and get international best practices, expertise and learning from successful international initiatives. These strategies would go a long way to ensure tech-enabled sustainable and inclusive development in rural areas of Chhattisgarh.

References :-

1. Chatterjee, S, Sharma, L.K., & Joshi, R.(2011). Women Entrepreneurs in Chhattisgarh: Two Innovative Cases. *Small Enterprises Development, Management & Extension Journal*, *38*(1), 15-20.
2. Chatterjee, S., Sharma, L.K., & Joshi, R. (2011). Women Entrepreneurs in Chhattisgarh: Two Innovative Cases. *Small Enterprises Development, Management & Extension Journal*, *38*(1), 15-20.
3. Ghosh, A. K. (2012). Dillema in Women Entrepreneurship at Chhattisgarh-A Familial Leg-Pulling. *International Journal of Research in Management, Economics and Commerce, 2(5)*
4. Gupta, A., & Shukla, R. K. (2019). Measuring Social Impact in Social Entrepreneurship: A Study of Chhattisgarh. International Journal of Applied Research, 5(7), 287-292.
5. Manshani, S., & Dubey, A. (2017). Startup women in

startup India: A study of women entrepreneurs in India. *International Journal of Business Management (IJBGM)*, *6*(4), 91-100.

6. Patel, N., & Rana, A. (2017). Social Entrepreneurship and Poverty Alleviation in Chhattisgarh. International Journal of Entrepreneurship, 21(1), 1-8.
7. Rana, A., & Singh, M. (2017). Challenges faced by Social Entrepreneurs in Chhattisgarh. International Journal of Commerce and Management Research, 3(4), 48-54.
8. Sahu, N., Mohapatra, S., & Patnaik, S. (2018). Social Entrepreneurship in Chhattisgarh: An Empirical Study. International Journal of Commerce and Management Research, 4(5), 35-40.
9. Shah, M. A., & Elwadhi, S. (2019). Evaluation of Entrepreneurs Risk-A Study with Reference to Chhattisgarh State. *ICTACT journal on management studies, 5*(4), 1083-1088
10. Verma, S., & Deo, R. (2020). Women-led Social Enterprises in Chhattisgarh: A Study of Social and Economic Impact. Indian Journal of Commerce and Management Studies, 11(2), 31-40.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XL

Innovation Diffusion of Fuzzy Method in Today's Marketing

Shilpi Singh*

*Assistant Professor, Manyawar Kanshiram Government Degree College, Farrukhabad (U.P.) INDIA

Abstract- This paper focuses on innovation diffusion of the fuzzy multi objective optimization problem considered by incorporating another attribute of to minimize the cost and maximize the call duration. This algorithm provides many compromised strategies to dispatcher which helps him taking a decision in any given situation. On increasing the call system produces substantial savings in the communications costs though some times this goal is achieved with a compromise of other goal. The problem is solved by Fuzzy Method by using communication through Rogers innovation diffusion technique. Also the time taken to serve a customer is considered to be dynamic since practically it is highly impossible to predict the exact time taken to serve a customer. By taking demand rate as a linear function of time and develop this model by assuming highest call rate. Since business benefits is directly proportional to cost invested by firm so by developing this model we will get optimal cost by minimize the average total cost for one period.
Keywords: Fuzzy number, Fuzzy Optimization, membership function, Innovation Diffusion.

Introduction - The mobile calls for the determination of the optimal set of routes to be performed by a communication cost to serve a given set of customers, and it is one of the most important, and studied, combinatorial optimization problems.The main goal of this paper is to minimize the cost and maximize the call duration with balancing the relation between customers and companies. It means customers should be satisfied by given the services of mobile companies. Uncertainties are always a reason to delay the project and exceeding budget. Difficult to balance the call duration of communication and its cost. Knowing the critical path, project manager and his team can use a variety of techniques to minimize the cost and maximize call duration of mobile calls.

It is improved by adding the time taken to serve each customer dynamically there by affecting waiting time of the other customers. The objectives considered here are to maximize the average grade of satisfaction over customers, minimize the communication cost total waiting time for serving the customers.

Monte Carlo Method is a technique that allows an optimal reduction of communication cost. It reduces the call cost with the least expense. This technique is also known as time cost tradeoffs. Crashing is the process of reducing the duration of critical path activities by allocating more resources to those activities or change their size.

Some activities (or all) can be accelerated by improving the facilities. The aim is to reduce the cost and extension in time of the mobile calls. In economic management, time and cost are two control factors. The project should be completed on time. However, the project implementation is infiuenced by the uncertainty that extends the life of the project. Delay produces a number of effects on the poor performers that cause loss of profits. The problem of optimization of this problem is NP hard. Therefore, most scholars resolve this problem heuristic methods. The aim of this paper is to solve this problem by the fuzzy Monte Carlo method. The results are applied to a real example. One of the most popular applications of the Monte Carlo algorithms is in the field of finance. Monte Carlo methods aid the analysis of financial instruments, portfolios, and assets. When a financial instrument or asset is being analyzed to label its value, many complex equations, the values of which may be uncertain, are used to reach a ûnal answer. Since Monte Carlo methods work well with highly complex equations, their use becomes vital in the calculation of uncertain values, which then in turn help analyze the final value of the instrument or asset in question. A specific 'Monte Carlo Option Model' is used to evaluate future prices of options. Many uncertain values affect the final value of these financial options;

Monte Carlo methods use random number generation to lay the various price paths and then calculate a ûnal option value. The study proposes a framework incorporating the Fuzzy Monte Carlo simulation approach to analyze the project completion probabilities among various time/cost constraints.

Fitness Function: Fitness is calculated based on the

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XL

objective function. The five objectives considered are:

(i) Minimizing the problems in connections
(ii) Minimizing the total communication call cost,
(iii) Maximizing the average grade of customer satisfaction
(iv) Minimizing total waiting time, and
(v) Maximizing the privacy and security call

There are tradeoffs between objectives. Thus the solution obtained is a compromised solution (nearly optimal) for considering different objectives at the same time. It is easier for a dispatcher to acquire a best compromise solution by minimizing the overall cost of objectives. He can satisfy the bigger costs of the objectives but sacrifice the smaller to minimize the overall cost.

The application of this improved model in a paper distribution problem where the supplier delivers printing paper shipment to customers has been reconsidered.

Among all the optimization problems, the models that have received the most attention and have offered the most useful applications in different areas are Linear Programming (LP) models, which is the single objective linear case with linear constraints. The classic problem of LP is to find the maximum or minimum values of a linear function subject to constraints that are represented by linear equations or inequalities. The most general formulation of the LP problem is:

max Z = cx

subject to

ax $\leq$ b

x $\geq$ 0

The vector $x = (x_1, x_2 ,\dots x_n)$ represents the decision variables.

The objective function is denoted by z, the numbers c_j are coefficients and the vector $c =(c_1,c_2 ,\dots c_n) \in R^n$ is known as the cost vector.

The matrix $A= [a_{ij}] \in R^{n\times m}$ is called the constraint or technological matrix and the vector $b = (b_1, b_2 ,\dots b_n) \in R^m$ represents the independent terms or right-hand-side of the constraints. In developing the deterministic stock model we take constant rate of deterioration and taking demand as a function of time. By taking demand rate as a linear function of time and develop this model by assuming partial backlogging there are some following assumptions and notations:

Inventory at any instant t is supposed as I(t).

Demand Rate is supposed as D(t) = $a + bt$, where a,b are constant parameters.

Deterioration Rate at any instant t is assumed as $\theta_0(t) = \theta_0$, where θ_0 is constant positive parameter having really very small value.

Shortages are assumed with Partial backlogging.

Backlogging Rate is assumed as $\frac{1}{1+\Delta(T-t)}$, where Δ is constant positive parameter having really small value.

Holding Cost per unit(HC) is assumed as C_h.

Shortage Cost per unit(SC) is assumed as C_s. Backlogging Cost per unit (BC) is assumed as C_b. Deterioration Cost per unit (DC) is assumed as C_d.

I_0 is assumed as Initial level of Inventory and at t_1 Inventory reaches to minimum value 0.

If $\mu_w(S_i,f_i)$ denotes the weight of the system S_i for the fuzzy optimization f_i then the social distance is given by the following relation:

$$D_{x}f_{j} = \left[\sum_{i-1}^{n} (\mu_w(S_i,f_i)).\delta x_s,f_{sij})^2\right]^{½} \quad ....(1)$$

Where $\delta x_s,f_{sij}$ is the normalized distance between the systems $s_1, s_2 ,\dots s_n$ and the systems of innovation diffusion in fuzzy optimization, f_j (j=1,2.....p)

The most likely fuzzy optimization by inventory modelling for the system is the one for which similarity measure has the minimum value.

Fuzzy partitioning is carried out through an iterative optimization of the objective function shown above, with the update of membership u_{ki} and the cluster centers v_i by:

$$u_{ki} = \frac{1}{\sum_{m=1}^{c}\left[\frac{\| x_k - v_i \|}{\| x_k - v_m \|}\right]^2}$$

$$v_i = \frac{\sum_{m=1}^{n} u_{ki}^2 . x_k}{\sum_{k=1}^{n} u_{ki}^2}$$

This iteration will stop when

$$\max_{ki} \{| u_{ki} (l=1) - u_{ki} (l) |\} \varepsilon \quad ...(2)$$

Where ε is a termination criterion between 0 and 1 are the iteration steps.

In many real situations not all the constraints and objective functions can be valued in a precise way. In these situations we are dealing with the general problem form of Fuzzy Linear Programming (FLP). FLP is characterized as follows:

a_{ij}, b_j and c_i can be expressed as *fuzzy numbers*, x_i as variables whose states are fuzzy numbers, addition and multiplication operates with fuzzy numbers, and the inequalities are among fuzzy numbers.

Interval arithmetic with fuzzy values considered all possible combinations in calculations and maximum membership grade for each possible result. Consequently, fuzzy results fully included distributions estimated by Monte Carlo simulations but extended to broader limits. When limited data defines probability distributions for all inputs, fuzzy mathematics is a more conservative approach for risk assessment than Monte Carlo simulations.

The implementation of increased transparency

regarding the measures taken and in place to address security and privacy concerns may be necessary. Measures like two-factor authentication, encryption of transferred data, or payment notifications, for example, might be explained to prospective adopters. Additionally, mobile wallets can be compared to other payment methods in terms of privacy and security, so prospective users won't feel that using them carries any additional risks.

After survey of some mobile companies because of their call rate plan,call cutter rate plan, roaming charges etc membership function, grade and score can be calculated as follow

Grade	Score
A	7.90
B	6.60
C	5.30
D	4.00
E	3.70

Table 1: The score of companies based on the given grade by customers

It is based on minimization of the following objective function:

$$J_m = \sum_{k=1}^{n} \sum_{i=1}^{n} u^m_{ki} \, ||x_k - v_i||^2 \qquad ....(3)$$

Where *m* is any real number greater than 1, it was set to 2.00 by Bezdek.

Therefore, the component value of vectors $\mathbf{U}_i$ and $\mathbf{v}_i$ are obtained by solving the Fuzzy Monte Carlo Method, which is basically a constrained optimization problem in the form as follows:

$$J_2 = \sum_{k=1}^{n} \sum_{i=1}^{c} u^2_{ki} \, ||x_k - v_i||^2 \qquad ....(4)$$

Subject to

$$\sum_{i=1}^{c} u_{ki} = 1 \qquad k = 1,2,....,n \qquad .....(5)$$

$$\sum_{k=1}^{n} u_{ki} \geq 1 \qquad i = 1,2,....,c \qquad .....(6)$$

u_{ki} is the degree of membership of x_k in the cluster *i*; x_k is the k^{th} of d-dimensional measured data ; v_i is the d-dimension center of the cluster and ||*|| is any norm expressing the similarity between any measured data and the center.

X_i denotes the attribute of i^{th} company, I column denotes call rate, II column denotes call duration,

X_i (the attribute of i^{th} company)	Call rate	Call duration	Call stability	Call quality	Call Privacy and security
X_1	1.0	1.0	3.9	2.6	1.1
X_2	1.0	1.3	3.2	1.2	1.9
X_3	2.7	1.7	2.8	1.5	2.0
X_4	2.0	1.4	1.2	2.3	2.6
X_5	2.9	1.5	2.7	3.0	1.3

Table2: Attributes of mobile companies

v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
1.9	1.7	1.2	1.8	1.5
2.4	3.7	1.5	3.9	2.8
3.7	1.9	1.0	1.8	3.9
2.9	2.6	1.9	2.2	3.1
1.6	3.6	2.1	2.9	1.0

Table 3: The center vectors for the five companies

As an example, the interpretations of the values in the 1st column of Table 2 are as follows:

- v_{11}=1.9, the (weighted) average of the condition level for call rate ;
- v_{21}=2.4, the (weighted) average of the condition level for call duration;
- v_{31}=3.7, the (weighted) average of the condition level for call stability;
- v_{41}=2.9, the (weighted) average of the condition level for call quality;
- v_{21}=2.4, the (weighted) average of the condition level for call privacy and security.

v_{11}=1.9 v_{12}=1.7 v_{13}=1.2 v_{14}=1.8 v_{15}=1.5

From those five values, it can be concluded that the highest condition level for the first system, is achieved by mobile companies of cluster 4, followed by cluster 1, 2, 5 and 3. The same order applies for the other system. This information is important for the Telecommunication Department on inspection suitable call rate plane for customers and also for mobile companies.

The successfulness of fuzzy application depends on a number of parameters, such as fuzzy membership functions, that are usually decided upon subjectively. In this paper, we propose a new method utilizing innovation theory to optimize the fuzzy membership function's parameters, which overcoming the subjectivity and blindness in the process of designing the input or output membership functions. The fuzzy optimiztion, which is optimized by Monte Carlo Method, is applied to mobile companies and the simulation results shown a better result.The concept of time windows does not model the customer's preference very well. Even though customers are asked to provide a fixed time window for service, they really hope to be served at a desired time if possible. Such a desired time is called a fuzzy due time. Fuzzy optimization problem is formulated based on the concept of fuzzy due time, where the membership function of fuzzy due time corresponds to the grade of satisfaction of a service time.

Limitation: The limitations of the research paper include the following:

a) The research primarily concentrated on specific area of inventory modeling , so its results may not be applicable to other technology. Cultural, economic, and governmental traits specific to innovation diffusion may influence the speed

at which technology extends there and may not exist in new customers .

b) The research only addresses a short timeframe; it may overlook future developments in the industry or progress in technology. Considering the market conditions, it's likely that the outcomes may not be suitable or helpful.

c) The research report solely addresses the calling situation, and it may not reflect other instances. Innovation diffusion technology platforms or sector-specific industries. The results may not be relevant to different organizations or sectors since Every industry or company might possess distinct elements that affect the speed at which innovations disseminate.

d) This research consists of a single case study; the findings and thoroughness of the investigation might be constrained.

Conclusions: We analyze the use of sufficiently flexible and comprehensive fuzzy approaches to address the various imprecision required in practice.

This algorithm provides many compromised strategies to dispatcher which helps him taking a decision in any given situation. Looking at the customer's preference he can very well plan the priorities of the goals. Reducing the communication cost really helps the in saving customers budget and also maximize the company's profit. The solutions given above are the best solutions under given circumstances from customer's point of view. In case any customer demands an early service or doesn't want to wait at all, an extra voice call will be arranged for that customer which will cost some more for the customers but customer's satisfaction grade will be high that will help the companies and also customers in future business. This project will also help to reducing the roaming charges and improvement in the quality of server.

This inventory model also promote to minimize the holding cost of business. Numerical and Sensitivity Analysis of this model can also be done by taking a particular numerical and then by using software like Mathematica and/ or MATLAB. Further, this model can be generalized by applying theory of Innovation diffusion with different pattern of demand and soft computing methods.

References:-

1. A. V. Breedam, An analysis of the effect of local improvement operators in genetic algorithms and simulated annealing for the vehicle routing problem, RUCA Working Paper 96/14, University of Antwerp, Belgium, (1996).
2. G. Clark and J. V. Wright, Scheduling of vehicles from a central depot to a number of delivery points, Operations Research, 12(1964), 568-581.
3. G. B. Dantzig and J. H. Ramser, The truck dispatching problem, Management Science, 6 (1959), 80.
4. J. Lin, A GA-based Multi-objective Decision Making for optimal Vehicle Transportation, Journal of information science and engineering, 24 (2008), 237-260.
5. J.Y. Potvin, and S. Bengio, The Vehicle Routing Problem with Time Windows Part II: genetic search, INFORMS Journal on Computing, 8 (1996), 165-172.
6. M.Gen and R. Cheng, Genetic Algorithms and Engineering Design, John Wiley and Sons, 1996.
7. R. Gupta, B. Singh and D. Pandey, Genetic Algorithm Based Vehicle Routing Problems: The State of the Art, Vikram Mathematical Journal, Ujjain, India, 26 (2006), 89-110.
8. R. Gupta, B. Singh and D. Pandey, A Genetic Approach for Fuzzy Vehicle Routing Problems with Time Windows, communicated to Indian Academy of Mathematics, Indore, India, (2009)
9. S.R. Thangiah, Vehicle Routing with Time Windows using Genetic Algorithms, Technical report SRU-CpSc-TR-93-23, Slippery Rock University, Slippery Rock, PA, 1993.
10. Ribeiro, R.A.and Varela, L.R., Fuzzy optimization using Simulated Annealing: An example Set, In Fuzzy Sets Based Heuristics for Optimization, Studies in Fuzziness and Soft Computing Series, Springer, 126, Pp 159–180, (2003).
11. Taha, A. H., Operation Research: An Introduction, Prentice-Hall, U.S.A,(1996)
12. Bellman, R.E. and Zadeh, L.A., Decision making in a fuzzy Environment, Management Science, 17, Pp 141–164, (1970).

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XL

भारत में स्थानीय शासन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं वर्तमान स्वरूप

नमिता*

* एसोसिएट प्रोफेसर (राजनीति विज्ञान) राजकीय महाविद्यालय, बावल, जिला रेवाड़ी (हरियाणा) भारत

शोध सारांश – भारत में स्थानीय शासन या पंचायत प्रणाली, भारतीयों के लिए कोई नई संकल्पना नही है। यह तो अनंत काल से चली आ रही एक जीवंत व्यवस्था है। जिसे भारतीयों ने काल दर काल संजोया, संवर्द्धन किया और आज भी उसके परिवर्तित स्वरूप के साथ इस अद्वितीय, बहुमूल्य व्यवस्था को अपनाया हुआ है। चूँकि प्राचीन काल में भारत में पंचायते तो थी किन्तु उनका स्वरूप लोकतांत्रिक नही थी। बहुधा गाँव की देखरेख, आपसी विवादो का निपटारा तथा ऐसे अनेक कार्य प्राचीन, पंचायतों के द्वारा किये जाते थे, जिसका ताल्लुक मुख्यत: ग्राम विकास एवं लोक कल्याण होता था। प्राय: प्राचीन काल में गाँव के मुखिया को ग्रामिणी कहते थे,[1] जो कि गाँव के सबसे वयोवृद्ध व्यक्ति हुआ करते थे। यद्यपि चौथी शताब्दि ई.पू. आचार्य कौटिल्य ने भी छोटे–छोटे नगर राज्यों की चर्चा अपने प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र में की थी। प्राचीन काल में पंचायतों को न तो कोई संवैधानिक दर्जा प्राप्त था और न ही किसी राजा का संरक्षण। पंचायते भारत में सतत् विकास का ही परिणाम है, जो कि आज भी अपने परिवर्तित एवं संवर्द्धित स्वरूप में विद्यमान है।

इस शोधपत्र में भारत में स्थानीय शासन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं वर्तमान स्वरूप का विभिन्न पुस्तकों, शोध–पत्रों एवं पत्रिकाओं से विश्लेषणात्मक अध्ययन कर निष्कर्ष निकाला गए।

प्रस्तावना – भारत में स्थानीय शासन का मूल अर्थ स्थानीय जनता का जनता के लिए स्थानीय जनता द्वारा शासन अर्थात शासन करने की ऐसी व्यवस्था जो स्वयं के द्वारा संचालित एवं स्थापित होती है। स्थानीय स्वशासन, स्थानीय जनता तथा राज्य शासन के बीच कार्यो विचारों और भावनाओं के सम्प्रेषण का महत्वपूर्ण माध्यम है। जो स्थानीय जनो की इच्छाओं एवं आकांक्षाओं को मुखरित करता है। तथापि राजनीति कोश के अनुसार 'स्थानीय स्वशासन का अभिप्राय वह प्रथा है जिसके द्वारा नगर कस्बो और गाँवों में निवास करने वाली जनता को अपनी निर्वाचित संस्थाओं द्वारा अपना शासन आप करने का अधिकार दिया जाता है। जहाँ तक स्थानीय मामलों का संबंध होता है, जनता उनका अपनी निर्वाचित संस्थाओं द्वारा स्वत: प्रबंध कर लेती है।'[2] अत: यह स्पष्ट होता है कि पंचायते भारत में प्राचीन काल से लेकर अब तक स्थानीय जनता की भावनाओं का केन्द्र रहा है, जो आस्थाएँ प्राचीन काल में लोगो की अपनी स्थानीय संस्था के प्रति होती थी वही आस्था आज भी ग्रामीणजनों में पंचायतों के प्रति विद्यमान है। जिसे हम भारत का अति प्राचीन धरोहर कह सकते हैं।

स्थानीय शासन का ऐतिहासिक विकास – भारत में ग्राम पंचायतों की परम्परा बहुत पुरानी है। प्राचीन भारत में ग्राम पंचायते समस्त स्थानीय मामलो का चाहे वे सामाजिक हो गया आर्थिक, नैतिक हो या न्यायिक जैसे लोकहित से जुड़े कार्यो का प्रबंध करती थी। यद्यपि प्राचीन समय में पंचायतों का स्वरूप पृथक–पृथक प्रकार का रहा है। 'पंचायते जिन्हें प्राय: ग्रामीण सरकारे कहा जाता था, बड़ी पुरातन संस्थाएँ थी और लघु गणराज्य थी। उनका ग्रामीण जीवन के विभिन्न क्षेत्रो पर अधिकार और नियंत्रण हुआ करता था।'[3] पंचायते भारत की जीवन पद्धति का एक उदाहरण है। जो सहजरूप में भारत के ग्रामीण जीवन में शताब्दियों से व्यवहारित है। जिसे न तो किसी राजा ने संरक्षण दिया और न ही इसे प्राचीन काल में कोई संवैधानिक शक्तियाँ प्राप्त हुई। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास उतना ही प्राचीन है, जितना की मानव जीवन का अस्तित्व। आज भी भारतीय संस्कृति का मूल तत्व सह–जीवन एवं सहअस्तित्व पर आधारित है। यद्यपि पंचायत राज व्यवस्था भी सहजीवन की मान्यताओं पर आधारित है। प्राचीन भारतीय साहित्यों मे भी स्थानीय स्वशासन की संगठित व्यवस्था के कुछ संदर्भ यंत्र–तत्र मिलते है। उसे समय में 'ग्राम' प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। उसका मुखिया 'ग्रामिणी' कहलाता था।[4] ग्रामिणी ग्राम के श्रेष्ठ एवं वयोवृद्ध लोगो से सलाह कर अपना कार्य करता था उनके निर्णय अन्तत: प्रजाजन को मान्य होते थे। आचार्य कौटिल्य ने भी अपनी रचनाओं एवं नगर राज्य की संरचना प्रस्तुत करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि 'प्रत्येक जनपद मे कम से कम 100 ग्राम और अधिकतम 500 घर होने चाहिए तथा वहाँ निवासरत लोगों के आवास, कार्य एवं भोजन की उचित व्यवस्था होनी चाहिए तथा वहाँ निवासरत लोगों के आवास, कार्य एवं भोजन की उचित व्यवस्था होनी चाहिए।'[5] इस प्रकार प्राचीन भारतीय ग्रंथो एवं चितंको की अमूल्य कृतियों में स्थानीय स्वशासन/ पंचायती व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। विभिन्न पुरातन ग्रंथो के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि प्राचीन काल में ग्रामों का नगरों की अपेक्षा अधिक महत्व था और यातायात की कठिनाइयों के कारण प्रत्येक ग्राम स्वावलम्बी व आत्मनिर्भर हुआ करते थे। भूमि का बटवारा, सिंचाई के साधनों का प्रबंध, चारागाहो की देखभाल, मेले तथा उत्वसों का आयोजन तथा ग्राम की मुलभूत

समस्याओं एवं लोगों के आपसी झगड़ो का फैसला जैसे अनेक कार्य ग्राम के लोग स्वयं ही कर लेते थे। ग्राम की रक्षा एवं मालगुजारी वसूल करना भी ग्रामीण एवं पंचायत के प्रमुख कार्य हुआ करते थे। इसी प्रकार भारतीय ग्रामों ने वैदिक काल में भी स्वायत्तता का उपयोग किया। तथा बाद के कालखण्डों जिनमें बड़े शासको ने साम्राज्यशाही सत्ता स्थापित करने के अनेकों प्रयास किये किन्तु उनसे भी गाँवों की स्थिति अव्यवस्थित नहीं हुई। मौर्य शासको ने भी, जिन्होंने शासन की छोटी-छोटी बातो एवं कार्यो में हस्तक्षेप किया, किन्तु उनका स्वरूप ज्यों का त्यों बना रहा और वे प्रशासनिक एवं सामाजिक व्यवस्था के अंग रहे है। यद्यपि स्थानीय सरकार को मानव की मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक आवश्यकता के रूप में रेखांकित किया गया है। मानव की सदैव यह इच्छा रही है कि जो भी सरकार हो वह उसके स्वयं के द्धारा शासित एवं अच्छी सरकार होनी चाहिए। मानव प्रकृति से स्वकेन्द्रित होता है। वह कभी यह पसंद नही करता है कि उसके सार्वजनिक मामलों का निर्णय कोई और करे। मानव मन की यही इच्छा अति प्राचीन काल से स्थानीय संस्थाओं के विकास का अन्तर्निहित दर्शन रही है।

स्वतंत्रता के पश्चात् पंचायती राज का स्वरूप एवं विकास – 15 अगस्त, सन् 1947 को भारत को आजादी मिली और 26 जनवरी सन् 1950 को नया संविधान लागू हुआ। स्वतंत्रता के पश्चात् भारतीय शासन एवं प्रशासनिक व्यवस्था में मूलभूत परिवर्तन किये गये। शासन व प्रशासन की नयी प्रवृतियों का जन्म हुआ। मंत्रीमण्डल के सामूहिक उत्तारदायित्व सिद्धांत पर आधारित एक उत्तारदायी सरकार की स्थापना की गई। देश में नई अखिल भारतीय और राज्य सेवाओं का विकास हुआ तथा प्रशासन के कर्त्तव्य एवं उत्तारदायित्व भी बढ़े। देश में लोकतंत्र विकास, लोककल्याण और समाजवाद के लिए लोकप्रशासन युग की शुरूआत भी हुई। इसके परिणामस्वरूप भारतीय शासन एवं प्रशासन को नवीन एवं विशिष्ट महत्व के कार्यो के सम्पादन की चुनौती भी स्वीकार करनी पड़ी। यद्यपि आजादी के दिसम्बर 1946 में संविधान सभा का गठन किया जा चुका था। चूँकि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉ. भीमराव अम्बेडकर जी थे, जिनके उपर संविधान निर्माण की महत्वपूर्ण बागडोर थी। तथा बाबा साहेब अम्बेडकर ग्रामीण स्थानीय शासन या पंचायतो के हिमायती नही थे, और संविधान सभा में उन्होंने इस बात का पुरजोर विरोध भी किया और तर्क दिया कि 'गाँवो का भारत के इतिहास में कोई योगदान नही है, यह जानकर हम उस पर कैसे गर्व कर सकते है। यह ठीक है कि वे परेशानी में जीवित रहे, लेकिन किसलिए? निचले स्तर पर केवल स्वयं के लिए। गाँव क्या है? वे स्थानीयता का कूप है, अज्ञान और संकीर्णता और साम्प्रदायिकता की गुफा है। मुझे खुशी है कि संविधान के मसौदे में गाँव को नही बल्कि, व्यक्ति को इकाई माना गया है।'[6] यद्यपि संविधान सभा में गांधीवादी विचारधारा के समर्थको की बहुलता होने तथा गांधी जी की पंचायती व्यवस्था में अटुट विश्वास होने के कारण भारतीय संविधान के नीति-निर्देशक तत्वो के अन्तर्गत अनुच्छेद 40 में पंचायती व्यवस्था को अंगीकृत किया गया तथा अनुच्छेद 40 के अन्तर्गत राज्यों को निर्देशित किया गया कि 'राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्ति और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्ता शासन की इकाईयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक है।'[7] यद्यपि पंचायत राज अधिनियम 1947 के अन्तर्गत ग्राम पंचायतो के प्रथम चुनाव 1949 में सम्पनन हुए तथा पहली पंचायतों ने 15 अगस्त 1949 से अपना कार्य करना प्रारम्भ कर दिया किन्तु अनुच्छेद 40 में पंचायती राज को जो स्थान दिया गया था, उसका स्वरूप अत्यंत ऐच्छिक ही था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सरकार की पहली-प्राथमिकता यह थी कि देश की जनता को गरीबी भूखमरी, बेरोजगारी, अशिक्षा, सामाजिक आर्थिक कमजोरियों एवं बुराइयों से मुक्ति दिलाना था, इस हेतु सरकार ने सामुदायिक विकास योजनाओं को लागू किया, किन्तु विकास कार्यक्रम अपने उद्देश्य प्राप्ति में सफल नही हो पाये। परिणामस्वरूप पंचायते पूरी तरह से निष्क्रीय हो गयी।

पंचायतो के विकास हेतु गठित विभिन्न समितियाँ – स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की दिशा में पहला प्रयास सामुदायिक विकास कार्यक्रम का शुभांरभ था। यह कार्यक्रम 02 अक्टूबर, 1952 से प्रारम्भ किया गया था।[8] किन्तु जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया था, वह पांच वर्ष बाद भी अपने लक्ष्यों को हासिल करने में असफल रहा। इस कार्यक्रम की कार्यप्रणाली तथा उनमें सुधार लाने के उद्देश्य से जनवरी 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। जिसके अध्यक्ष बलवंत राय मेहता थे।[9] समिति ने मुख्य रूप से त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के अपनाये जाने की सिफारिशे की थी। इसी प्रकार 1977 में अशोक मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, जिसे अशोक मेहता समिति के नाम से जाना जाता है। समिति ने मुख्य रूप से द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाये जाने की सिफारिश की थी। तथा 1985 में जी.वी.के.राव समिति, 1986 में एल.एम.सिंघवी समिति, 1988 में पी.के.थुंगन समिति तथा 1988 में वी.एन. गाडगिल समिति का गठन किया गया था। जिनके सुझावों एवं सिफारिशों के आधार पर 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 पारित कर पंचायतों को संवैधानिक दर्जा के साथ-साथ महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण की व्यवस्था की गई थी।

73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 एवं संवैधानिक उपबंध – भारत में पंचायतों का अस्तित्व प्राचीन काल में भी रहा है किन्तु उनका स्वरूप लोकतांत्रिक नही था। और आज भी वर्तमान पंचायते, ग्राम शासन या पंचायतों के ऐतिहासिक सतत् विकास का परिणाम है। प्रत्येक काल एवं राजवंशो में पंचायतों के सशक्तिकरण हेतु अनेको प्रयास किये गये। कुछ काल में पंचायतों का ह्रास हुआ तो कुछ कालों में इनका संवर्द्धन भी हुआ। आजादी के बाद अनेकानेक विकास कार्यक्रम संचालित किये गये। ग्रामीण जन-जीवन के सामाजिक आर्थिक एवं राजनैतिक विकास हेतु तमाम प्रकार के प्रयास किये गये। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए भी विभिन्न संवैधानिक प्रावधान किये गये ताकि महिलाओं का भी पुरूषों के अनुरूप विकास हो सके। चूँकि भारतीय समाज का स्वरूप पुरूष प्रधान होने के कारण महिलाओं को हमेशा दोयम दर्जा दिया जाता रहा। परिणामस्वरूप महिलाएँ अपने मूलभूत या विकास कारक अधिकारों से वंचित होने के कारण पुरूषों की तुलना में पिछड़ गई। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब सत्ता भारतीयों के हाथ में आयी तब हमारे नीति-निर्माताओं ने महिलाओं की स्थिति पर गहन चिंता व्यक्त की और उनके सशक्तिकरण हेतु अनेक कार्यक्रम योजनाएँ एवं कानूनी प्रावधान भी निर्दिष्ट किये गये जिससे की महिलाओं का सशक्तिकरण हो सके। आजादी के स्थानीय निकायों के संवर्द्धन हेतु अनेक समितियाँ भी बनाई गई। पंचायतों के विकास हेतु अनेक सुझाव भी प्रस्तुत किये गये। तत्पश्चात् 2 अक्टूबर, 1959 में तात्कालीन प्रधानमंत्री पं.जवाहरलाल नेहरू द्धारा, राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज संस्थाओं को शुभारम्भ

किया गया। किन्तु तब पंचायतो को संवैधानिक दर्जा प्राप्त नही हुआ था। यद्यपि विभिन्न समितियों के अनुशंसाओं के बाद 1992 में 73वां संविधान संशोधन पारित किया गया, जिसमें प्रमुखत: पंचायतों को संवैधानिक दर्जा एवं महिलाओं का सबसे बड़ा आमूलचूल परिवर्तन था।

73वां संविधान संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल, 1993 को लागू किया गया। इस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में एक नया भाग '9' जोड़ा गया। तथा इसे 'पंचायतेय नाम से भाग '9' में उल्लेखित किया गया है।[10] तथा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 से 243 'ण' तक पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रावधान विनिर्दिष्ट किये गये है। इस अधिनियम के अन्तर्गत संविधान में 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई। जिसमें पंचायतों के 29 कार्यकारी विषय-वस्तु को समाहित किया गया है। यह अनुच्छेद 243-छ से संबंधित है। इस अधिनियम में संविधान के 40वें अनुच्छेद को एक व्यवहारिक रूप दिया गया, जो कि राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों के अन्तर्गत आता है। जिसमें मुख्यत: यह कहा गया है कि 'राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठायेगा और उनको ऐसी शक्तियाँ और प्राधिकार, प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्ता शासन की इकाईयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो।'[11] इस अधिनियम के उपबंध के अनुसार नई पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने के लिए राज्य सरकारें संवैधानिक रूप से बाध्य है। यद्यपि इस अधिनियम के प्रमुख उपबंधों को दो भागो में विभक्त किया जा सकता है- अनिवार्य और स्वैच्छिक। अधिनियम के अनिवार्य हिस्से को पंचायती राज व्यवस्था के गठन के लिए राज्य के कानून में सम्मिलित किया जाना आवश्यक है। किन्तु स्वैच्छिक उपबंधों को राज्यों के स्वविवेक में सम्मिलित किया जा सकता है। तथापि स्वैच्छिक प्रावधान राज्य को नई पंचायती राज पद्धति को अपनाते समय भौगोलिक, राजनीतिक एवं प्रशासनिक स्थिति को ध्यान में रखकर अपनाने का अधिकार सुनिश्चित करता है। वस्तुत: यह अधिनियम देश की जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम हैं।

पंचायतों का वर्तमान स्वरूप - 73वां संविधान संशोधन अधिनिमय पारित होने के पश्चात पंचायतों के स्वरूप एवं कार्यप्रणाली में काफी परिवर्तन आया। आज देश के अधिकांश राज्यों ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया है। तथा कुछ ऐसे भी राज्य है जहाँ भौगोलिक भिन्नता के कारण द्विस्तरीय पंचायती व्यवस्था को अपनाया गया है। संवैधानिक प्रावधानों के अन्तर्गत सभी राज्यों में महिलाओं को एक-तिहाई आरक्षण दिया गया है। किन्तु मध्यप्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान जैसे राज्यों में अब महिलाओं को स्थानीय निकायों में 50 फीसदी आरक्षण दिया जा रहा है, जिसके कारण महिलाएँ आज पुरूषों की तुलना में अधिक सीटो पर निर्वाचित हो रही है। यद्यपि त्रिस्तरीय पंचातयों के अन्तर्गत ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खण्ड स्तर पर जनपद पंचायत या पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला पंचायत जैसी व्यवस्था को अपनाया गया है। पंचायतों का कार्यकाल पाँच वर्ष निर्दिष्ट किया गया है। ग्राम स्तर के ग्राम पंचायत चुनाव में पंचायत सदस्य एवं सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा ही होता है। तथा जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत के सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है, किन्तु इन दोनों स्तर के अध्यक्षों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुने हुए सदस्यों द्वारा किया जाता हैं।

निष्कर्ष - अत: पंचायती राज की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं विकास के प्रमुख सोपानों के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि भारत में स्थानीय स्वशासन के आरम्भ का अपना कोई निर्दिष्ट काल नही है। यह एक सतत् विकास की प्रक्रिया का ही परिणाम है। न तो इन संस्थाओं को किसी राजा का संरक्षण प्राप्त हुआ और न ही इन्हें संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। समय परिवर्तन के साथ-साथ इनका स्वरूप भी बदलता गया, लेकिन इनका अस्तित्व कभी मिटा नही। विभिन्न शासन काल में इनके संवर्द्धन एवं सुरक्षा में उतार-चढ़ाव जरूर आये, किन्तु इनकी जीवंतता हमेशा बनी रही। आजादी के बाद हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने भारत की सबसे प्राचीनतम् व्यवस्था पंचायत को समझा और संविधान के अनुच्छेद 40, नीति निर्देशक तत्वों के अन्तर्गत इस व्यवस्था को सम्मिलित कर लिया गया। तथा इसे लोकतांत्रिक स्वरूप एवं संवैधानिक दर्जा 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 को प्रदान किया गया, जो कि एक ऐतिहासिक कदम था।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. शर्मा, संगीता (2016), कौटिल्य का राज्य सिद्धांत, त्यागी, रूचि (संपा.) भारतीय राजनीतिक चिंतन प्रमुख अवधारणाएँ एवं चिंतक, हिन्दी माध्यम कार्यान्वियन निदेशालय दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, पृष्ठ संख्या-168
2. काश्यप, सुभाष एवं गुप्त, विश्वप्रकाश (2009), राजनीति कोश, हिन्दी माध्यम कार्यान्विय निदेशालय दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, पृष्ठ संख्या 259
3. माहेश्वरी, एस.आर. (1999), भारत में स्थानीय शासन, लक्ष्मीनारायण अग्रवाल, आगरा, पृष्ठ संख्या-10
4. सक्सेना, आलोक (2015), मध्यप्रदेश पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनिमय, 2014 तक अधतन संशोधित, इण्डिया पब्लिशिंग कम्पनी, इन्दौर, पृष्ठ संख्या 03
5. शर्मा, संगीता (2015), वहीं, पृष्ठ संख्या 168
6. महिपाल (2015), पंचायती राज चुनौतियाँ एवं सम्भावनाएँ, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत, नई दिल्ली, पृष्ठ संख्या 12
7. भारत का संविधान (9 नवम्बर, 2015) को यथा विद्यमान), भारत सरकार विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग), राजभाषा खण्ड, नई दिल्ली, पृष्ठ संख्या 26
8. Aslam, M. (2015), Panchayat Raj in India, National book trust, India, New Delhi, Pp.17
9. सक्सेना, आलोक (2015), वहीं, पृष्ठ संख्या 5
10. भारत का संविधान (9 नवम्बर 2015 से यथा विद्यमान), वही, पृष्ठ संख्या 145
11. वही, पृष्ठ संख्या 26

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No. - MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Cosmos Impact Factor - 6.780
October to December 2022, E-Journal, Vol. I, Issue XL

The Multifaceted Importance of Physical Education

Dr. Mamta*

***Assistant Professor (Physical Education) Ismail National Mahila P.G. College, Meerut (U.P.) INDIA**

Introduction - As stated in the 1978 UNESCO International Charter of Physical Education and Sports, "Every human being has a fundamental right to access physical education and sport, as they are essential for the full development of personality." This powerful statement emphasizes that the right to grow—physically, intellectually, and morally—must be safeguarded, not only through our education systems but also throughout everyday life.

Physical education plays a key role in shaping a nation's educational and developmental structure. It's more than just physical activity; it's an integral component of education that helps mold responsible, capable individuals. Ironically, while sports enjoy immense media attention globally—including in India—the same enthusiasm is often lacking in our education system. Compared to earlier times, physical education today faces many challenges. To address these, we must improve our infrastructure, planning, and policies to strengthen this important discipline.

Keywords – Flexibility, Self-Esteem, Teamwork, Goal Setting.

Definition: With globalization, the concept of physical education has evolved significantly. It's now recognized as a powerful force for cross-cultural exchange. Sports speak a universal language, building bridges between people and promoting international friendship.

As Simon Jenkins puts it, sport is "a subset of leisure and work activities that involves both physical activity and competition." The New Encyclopedia Britannica describes it as involving activities—either recreational or competitive—that require physical strength or skill. While some sports like fishing or hunting were once seen as pastimes, others like football and athletics are now governed by strict rules and played competitively.

The Need For Physical Education And Sports: For many people, sports provide a break from daily stress—a source of joy and relaxation. Ask anyone why they play, and they'll likely say it's fun. Physical education is a vital part of modern schooling. Schools and colleges now boast playgrounds, sports teams, and enthusiastic students who engage in various games.

But physical education is not just about playing. It shapes beliefs, attitudes, and values about teamwork, discipline, and self-improvement. Despite its benefits, it's often seen more as a leisure activity than a meaningful part of education—a perception we need to change.

The State Of Physical Education In India: After gaining independence in 1947, India began taking steps to improve physical education. One of the earliest efforts was the formation of the Tara Chand Committee in 1948, followed by Dr. S. Radhakrishnan's committee on school education. The Central Advisory Board of Physical Education and Recreation was established in 1950 to provide guidance on related issues.

Over the decades, several key bodies and policies shaped the direction of physical education in India:

1. All India Council of Sports (1954)
2. Laxmibai National College of Physical Education, Gwalior (1957)
3. National Institute of Sports, Patiala (1961)
4. All India Sports Congress (1962)
5. National Sports Policies (1980, 1984)
6. Ministry of Youth Affairs and Sports (1982)
7. National Sports (Development) Bill (2011)

Courses In Physical Education In India: India has seen significant growth in formal education programs for physical education. Initially, courses like the Certificate in Physical Education and the Diploma in Physical Education laid the foundation. In 1963–64, postgraduate education in this field began, with several universities offering the Master of Physical Education (M.P.Ed.) program. Over time, the National Council of Teacher Education (NCTE) standardized the curriculum and structure for these programs.

Today, the M.P.Ed. is a two-year postgraduate course, offered under both annual and semester systems in line with UGC policies. It places physical education on par with other professional fields like medicine, law, or engineering.

Why Physical Education Matters: Daily life presents many challenges, and physical activity helps us manage them better. According to Sharma and colleagues, physical education offers several benefits:

1. It nurtures intellectual and emotional development in children.

2. Promotes teamwork, loyalty, and cooperation.
3. Enhances body functioning and strengthens resistance to fatigue.
4. Encourages unity and global understanding.
5. Builds moral character and leadership qualities.
6. Develops decision-making skills and mental strength.
7. Simply put, physical education fosters a balanced and healthy individual—both physically and emotionally.

Qualities Of Effective Physical Education: A quality physical education program:

1. Equips students with lifelong skills for staying active.
2. Promotes healthy movement and activity assessment.
3. Adapts materials to suit different ages and skill levels.
4. Keeps students engaged for most of the class time.
5. Is inclusive, enjoyable, and caters to all learning needs.

Benefits Of Physical Education: Physical education contributes significantly to overall well-being. Key benefits include:

1. Better fitness, strength, and stamina.
2. Enhanced mental wellness and relaxation.
3. Social development and improved communication.
4. Stronger immune and cardiovascular systems.
5. Fun and enjoyable learning experience.
6. Talent discovery and career opportunities.
7. Boosted self-esteem, teamwork, and discipline.
8. Prevention of injuries and improved recovery.
9. Encouragement for goal setting and long-term achievement.

Physical Education In The Post-Globalization Era: Despite global efforts, physical education still faces serious challenges—especially in schools. Governments and organizations are often more focused on competitive, media-friendly sports than on building a strong foundation through physical education.

The Physical Education World Summit held in Berlin revealed several concerns through a study covering 120 countries:

1. Reduced time and attention to PE in school curricula.
2. Inadequate budgets and resources.
3. Poor teacher training and low status of the subject.
4. Lack of proper implementation of policies and guidelines.

Conclusion: Physical education and sports in India are growing, but we still have a long way to go. Our global standing in education and research needs improvement. While government and non-government efforts have made a positive impact, much more remains to be done.

To truly uplift the field, we need to:

1. Revamp our curriculums.
2. Strengthen research facilities.
3. Train competent professionals.
4. Implement effective policies.

With continued dedication, we can ensure that physical education and sports become a respected and powerful force in shaping a healthier, more dynamic India.

References:-

1. Hardman, Ken, and Roland Naul, editors. Physical Education: Deconstruction and Reconstruction—Issues and Directions. Meyer & Meyer Sport, 2002.
2. Singh, Ajmer, et al. Essentials of Physical Education. Kalyani Publishers, 2017.
3. Green, Ken. Understanding Physical Education. Sage Publications, 2008.
4. UNESCO. International Charter of Physical Education, Physical Activity and Sport. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 2015.https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000235409
5. Siedentop, Daryl. Introduction to Physical Education, Fitness, and Sport. 7th ed., McGraw-Hill Education, 2011.
6. Mandell, Richard D. Sport: A Cultural History. Columbia University Press, 1984.
7. Bailey, Richard. "Physical Education and Sport in Schools: A Review of Benefits and Outcomes." Journal of School Health, vol. 76, no. 8, 2006, pp. 397–401. Wiley Online Library, doi:10.1111/j.1746-1561.2006.00132.x.
8. Bouchard, Claude, and Steven N. Blair. Physical Activity and Health. Human Kinetics, 2012.
9. National Council for Teacher Education (NCTE). Curriculum Framework for Physical Education Teacher Education. NCTE, 2014.

****